

अध्याय 1 सिंहावलोकन

नौवीं पंच वर्षीय योजना (1997-2002) राज्य नीति के तीन महत्वपूर्ण आयामों के सन्दर्भ में तथा पन्द्रह वर्षों के विकास के परिदृश्य को सामने रख कर तैयार की गई है। योजना की राज्य नीति के मुख्य आयाम संक्षेप में जीवन की गुणवत्ता, उत्पादक रोजगार का सृजन और क्षेत्रीय संतुलन हैं। गरीबी को कम करने और रोजगार के सृजन के इसके सशक्त प्रभावों के लिए, कृषि की विशेष भूमिका को समझते हुए, योजना के अन्तर्गत तेज गति से संगत नीतियों के पन्द्रह वर्ष के ढांचे के अनुसार कार्य रूप दिया जायगा। इसमें खाद्य और पोषाहार सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भली भांति तैयार की गई नीतियों की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था। रोगों सम्बन्धी चौकसी महामारी नियंत्रण तथा शहरी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यक्रमों सहित उपयुक्त शहरीकरण नीति और उसके पूरक रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सुदृढ़ और विस्तारित प्रणाली और महिलाओं तथा बाल विकास के उपायों, प्राथमिक शिक्षा, विशेष रूप से महिलाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा और व्यापक तथा सम्यक रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सुरक्षित पेय जल तथा स्वच्छता की कमी और आबादी की बढ़ती हुई सघनता से उत्पन्न स्वास्थ्य और पर्यावरण सम्बन्धी परिणामों से निपटने की आवश्यकता भी महसूस की गई है।

2. रोजगार सम्बन्धी कार्यनीतियों के केन्द्र-बिन्दु को बदल कर ऐसी स्थितियों के निर्माण पर जोर दिया जायगा, जिससे न केवल रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो, बल्कि श्रम की मर्यादा को कायम रखते हुए जीवनयापन और काम की पहले से काफी बेहतर स्थितियां भी पैदा हों। अल्प रोजगार और श्रमिकों के बढ़ते हुए नैमित्तिकीकरण की उच्च दर को देखते हुए, गरीबों, विशेष रूप से मौसमी रोजगार में नियोजित लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्य नीति का बुनियादी उद्देश्य, ऐसे सेक्टरों, उप-सेक्टरों और प्रौद्योगिकियों पर, जो अपेक्षाकृत अधिक श्रम प्रधान हों तथा ऐसे क्षेत्रों में जहाँ बेरोजगारी और अल्प रोजगारी की दर अपेक्षाकृत ऊंची हो, अधिक ध्यान देकर, संवृद्धि की प्रक्रिया से ही उत्पादक कार्य के अधिक अवसरों का सृजन करना होना चाहिए।

3. भारी क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने की दृष्टि से, आधारित अवसंरचना में सरकारी निवेश की रूपरेखा जान बूझ कर इस प्रकार तैयार की जानी होगी, जो कम सम्पन्न राज्यों के अनुकूल हो। पिछड़े क्षेत्रों में कृषि पर अधिक ध्यान देकर तथा ग्रामीण क्षेत्रों तथा देश को आपस में बेहतर तरीके से जोड़ कर क्षेत्रीय असमानताओं में कमी लाई जा सकती है। ऐसे क्षेत्रों में राज्य की ओर से उपयुक्त हस्तक्षेप किया जायगा, जहां आय के स्तर अपेक्षाकृत ऊंचे हैं तथा मानव विकास के संकेतक नीचे हैं और सामाजिक आधारिक अवसंरचना, उदाहरणार्थ सुरक्षित पेय जल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और प्राथमिक शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था बहुत कम है। राज्य सरकारों द्वारा निवेश आकर्षित करने तथा संवृद्धि और विकास को बढ़ावा दिये जाने के प्रयास सहकारी संघवाद की भावना से प्रेरित होने आवश्यक है; जिससे सार्वजनिक नीतिगत उपाय और कार्रवाई निर्धारित हो सके, जिसके तहत सभी राज्य अपने सामूहिक हित में एक-सा दृष्टिकोण अपना सकें। अन्तर्राज्यीय और अन्तरा-राज्यीय अन्तरों को ध्यान में रखते हुए, प्रतियोगी नीति निर्धारण की अवधारणा से अलग हट कर, सहकारी संघवाद के ढांचे को अपनाना आवश्यक है, जिसमें पड़ोसी राज्य अपने-अपने पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए सामान्य कार्यनीतियां अपनाए।

4. वर्ष 2000-2001 नौवीं पंच वर्षीय योजना (1997-2002) का चौथा वर्ष है और इस वर्ष की वार्षिक योजना नयी सहस्राब्दि की पहली वार्षिक योजना है। जैसे ही हम नयी सहस्राब्दि में प्रवेश करते हैं, हमें लोगों की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना होगा और नयी चुनौतियों का सामना करना होगा। अतः यह जरूरी है कि गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं से निपटने के लिए और अपने लोगों के लिए गुनियादी न्यूनतम सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए विकास प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए। नौवीं योजना का मुख्य उद्देश्य "सामाजिक न्याय और साम्या सहित संवृद्धि" है तथा सामाजिक और भौतिक आधारीक अवसंरचना, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी और जलनीति के विशिष्ट पहलुओं को कवर करने के लिए, योजना आयोग में विशेष कार्य-योजनाए तैयार की गई हैं और उनमें नौवीं योजना के साथ, इस मत की पुष्टि करते हुए कि राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दुर्बलताओं वाले क्षेत्रों की ओर तथा उन क्षेत्रों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जिनमें वे तुलनात्मक दृष्टि से मजबूत हों, एकीकृत किया गया है।

5. वर्ष 2000-01 के दौरान भारत के आर्थिक विकास को अपवादात्मक रूप से उथल-पुथल पूर्ण तथा प्रतिकूल अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक पर्यावरण की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। नौवीं योजना का लक्ष्य 6.5 प्रतिशत की वार्षिक संवृद्धि प्राप्त करने का है जबकि भारत की आर्थिक संवृद्धि 1998-99 के 6.8 प्रतिशत से घट कर 1999-2000 में 6.4 प्रतिशत रह गई है। इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं कि अपर्याप्त निवेश, समग्र मांग के कम होने, विश्व व्यापार में कुल मिलाकर मन्दी आ जाने के कारण निर्यात में कम संवृद्धि होने, पूर्व एशियाई मुद्राओं के अत्यधिक अवमूल्यन के कारण भारतीय निर्यातों की प्रतियोगी क्षमता में ह्रास, कतिपय मूल उद्योगों में आयात की कीमतों के साथ प्रतियोगिता, पूँजी बाजारों में (प्राथमिक और गौण) सतत मन्दी के कारण निधियों की अपर्याप्तता जैसे कारकों और आधारीक अवसंरचना सम्बन्धी अन्य अडचनों के कारण संवृद्धि कम हुई है।

6. अतः वार्षिक योजना 2000-01 तैयार करते समय, योजना आयोग ने यह बातें दोहराई हैं कि:
- (1) नौवीं योजना के दौरान पूरी होने वाली सभी चालू स्कीमों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करने की जरूरत है ताकि वे अगली पंच वर्षीय योजना के लिए बाकी न बच जाएं;
 - (2) प्रत्येक क्षेत्रक में और परस्पर क्षेत्रकों के बीच संबद्ध स्कीमों का अभिसरण करने का भी प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए ताकि किसी दोहरे प्रयास से और संसाधनों के सर्वत्र प्रसार से बचा जा सके तथा साथ की कार्यक्रमों की ऊपरि लागत कम की जा सके;
 - (3) प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग की योजनागत परियोजनाओं की प्राथमिकताएं निश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि वास्तविक बजटीय सहायता के आधार पर प्रत्येक क्षेत्रक के वास्ते "कोर योजनाएं" तैयार की जा सकें जिससे कि चालू स्कीमों का पूर्ण वित्त पोषण सुनिश्चित हो सके;
 - (4) गैर-जरूरी स्कीमों का विनिर्धारण करने के लिए योजना निधियों की सतत आधार पर कठोर मानिट्रिंग की जानी चाहिए और इस प्रकार, बची निधियों का उपयोग अन्य प्राथमिकतापूर्ण आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। सार्वजनिक हस्तक्षेप की कारगरता, हमारी प्रदाय-प्रणाली की कार्यकुशलता और संस्थात्मक परिवेश के साथ निकटतः बड़ी हुई है, जिस पर यह आधारित है। यद्यपि यह आवश्यक है कि प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रकों और कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त संसाधन खोजे जाएं तथापि संस्थात्मक ढांचे को मजबूत बनाना भी महत्वपूर्ण है ताकि एक ओर सार्वजनिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार हो सके और दूसरी ओर प्रेरक परिवेश कायम हो सके और लक्ष्यों की प्राप्ति में बजटीय प्रवाहों को समर्थन प्राप्त हों;

- (5) चूँकि बहुत से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में, पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय स्थिति पर कई कारकों के परिणाम स्वरूप, जिनमें राजस्व में स्थिरता और तेजी से बढ़ता हुआ व्यय शामिल है, भारी दबाव पड़ रहा है, अतः विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सुधार किए जाने की आवश्यकता है, जैसे के ढाँचे का युक्तियुक्तकरण, व्यय सुधार, राजकोषीय प्रशासन और प्रबंधन में सुधार, प्रयोक्ता प्रभारों की वसूली और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश सहित उनके प्रबंधन में सुधार;
- (6) राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के अधिशासन में सुधार करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जाने चाहिए ताकि उच्च डिग्री की प्रतिबद्धता, प्रेरणा, वृत्तिक दक्षता और इन सबसे महत्वपूर्ण ईमानदारी के साथ एक कारगर और जवाबदेह प्रशासनिक तंत्र कायम हो सके जिससे कि राष्ट्र निर्माण की सुधार प्रक्रिया में आम आदमी का विश्वास बहाल हो सके।
- (7) योजना के निर्माण और कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी न केवल आर्थिक विकास की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी की भावना विकसित करने के वास्ते बल्कि विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों के कार्यान्वयन के माध्यम से इष्टतम प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यद्यपि पंचायती राज संस्थाओं (पी आर आई) और शहरी स्थानीय निकायों (यू एल बी) को बहुत से राज्यों/ स्वयं राज्य क्षेत्रों में पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किए जाने हैं जिससे कि वे प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रभावी माध्यम बन सकें। इस बात के पक्के प्रमाण हैं कि ग्राम पंचायतों की भागीदारी से प्रदाय पद्धति को सुधारने में प्रचुर सहायता मिली है, इस बात पर बल दिया जाता है कि इन संस्थाओं को समर्थन प्रदान करने तथा उन्हें आत्म निर्भर बनाने की जरूरत है; और
- (8) पर्यावरणात्मक संघारणीयता सुनिश्चित करना नौवीं योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पर्यावरणात्मक प्रदूषण और परि-पद्धतियों के अवनयन का हमारी जनता के विभिन्न घटकों, विशेष रूप से निर्धनों पर हानिकर प्रभाव पड़ रहा है। संबंधित क्षेत्रकिय कार्यक्रमों में पर्यावरणात्मक चिंताओं को समाहित करके पर्यावरणात्मक संघारणीयता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस संबंध में पर्यावरण के संरक्षण और सुधार हेतु वानिकी क्षेत्रक का महत्व अवर्णनीय है। वनों द्वारा न केवल बड़ी संख्या में लोगों की समाजार्थिक जरूरतें पूरी होती हैं बल्कि ये महत्वपूर्ण पारिस्थितिक संकार्यों की भी पूर्ति करते हैं। विद्यमान वनों के संरक्षण और प्रबंधन को "योजना" मद समझा जाना चाहिए ताकि इसे वांछित प्राथमिकता प्रदान की जा सके।

हाल की आर्थिक घटनाएं तथा संभावनाएं

7. भारतीय अर्थव्यवस्था उच्चतर संवृद्धि दरों के मार्ग पर बढ़ने के लिए उद्यत है। वर्ष 1999-2000 की 6.4 प्रतिशत की संवृद्धि दर के मुकाबले, वर्ष 2000-01 के दौरान आर्थिक संवृद्धि की दर सात प्रतिशत से भी ऊपर जा सकती है। वर्ष 1999-2000 में कृषि संवृद्धि मंद रही जबकि विनिर्माण और सेवा सेक्टरों का निष्पादन इस वर्ष बहुत अच्छा रहा जैसा कि संलग्नक 1.1 में दर्शाया गया है। खाद्यान्नों का कुल उत्पादन वर्ष 1999-2000 में 205.91 मिलियन टन होने की परिकल्पना की गई है, जो 1998-99 के 203.04 मिलियन टन के स्तर से अधिक है। केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों का भंडार निर्धारित बफर स्टॉक संबंधी प्रतिमानों से काफी अधिक है तथा यह देश में मूल्य स्थिरता बनाए रखने का एक शुभ लक्षण है।

8. औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक से वर्ष 1998-99 में हुई 3.9 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले वर्ष 1999-2000 में 8.0 प्रतिशत की संवृद्धि होने का पता चलता है, जिससे औद्योगिक संभावनाओं में सकारात्मक मोड़ आने का संकेत मिलता है। विनिर्माण सेक्टर में, 1998-99 के 4.3 प्रतिशत के मुकाबले, 1999-2000 में 9.0 प्रतिशत की संवृद्धि हुई। बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तुओं के सेक्टरों में 1999-2000 में क्रमशः 5.1 प्रतिशत तथा 4.8 प्रतिशत का साधारण विस्तार हुआ, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं के सेक्टर में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। समग्र उपभोक्ता वस्तु सेक्टर में उत्पादन में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में 12.2 प्रतिशत की तथा उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

9. हालांकि आर्थिक संवृद्धि के मोर्चे पर स्थिति अनुकूल दिखाई देती है, परंतु राजकोषीय मोर्चे पर चिंता के कुछ क्षेत्र भी हैं। स0 घ0 उ0 के अनुपात के रूप में सरकार का गैर योजना व्यय जो 1995-96 में लगभग 10.3 प्रतिशत था, बढ़कर 1999-2000 में 11.5 प्रतिशत हो गया है तथा स0 घ0 उ0 के अनुपात के रूप में राजकोषीय घाटा वर्ष 1995-96 के 4.1 प्रतिशत से बढ़ कर वर्ष 1999-2000 में 5.6 प्रतिशत हो गया है, जैसा कि संलग्नक 1.2 में दर्शाया गया है।

10. कराधान के मोर्चे पर, 16 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर पर, एकल दर वाला केंद्रीय मूल्यवर्धित कर (सेनवाट) लागू किया गया था। इसके अतिरिक्त, विशेष उत्पाद शुल्क की 8, 16 और 24 प्रतिशत की तीन दरें होनी थीं। सीमा शुल्क की उच्चतर दर 40 से घटा कर 35 प्रतिशत कर दी गई।

11. वर्ष 1999-2000 के दौरान ब्राड मनी (एम. 3) की संवृद्धि को 14.0 प्रतिशत वार्षिक के स्तर के अंदर-अंदर बनाए रखा गया। वर्ष 1999-2000 में जनता के पास मुद्रा में 14.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि मांग जमा राशियों में 8.3 प्रतिशत की और मियादी जमा राशियों में 15.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जैसा कि संलग्नक 1.3 में दर्शाया गया है। सरकार को निवल बैंक ऋणों में पिछले वर्ष की 17.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 1999-2000 में इसमें वृद्धि को 13.0 प्रतिशत तक सीमित रखा गया। इसके विपरीत, व्यावसायिक सेक्टर को दिए गए बैंक ऋण में संवृद्धि, पिछले वर्ष के 13.2 प्रतिशत की तुलना में, वर्ष 1999-2000 में अधिक (15.3 प्रतिशत) रही। वर्ष 1999-2000 में ब्राड मनी की संवृद्धि की मंद गति के कारणों में से एक कारण बैंकिंग सेक्टर की निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों में मामूल वृद्धि होना था जो 1998-99 के 28.0 प्रतिशत की तुलना में, वर्ष 1999-2000 में केवल 8.7 प्रतिशत ही बढ़ी हैं। अप्रैल 2000 में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक प्रतिशतता प्वाइंट की कटौती की घोषणा करके कैश रिजर्व अनुपात (सी आर आर) 8.0 प्रतिशत कर दिया, जिससे लगभग 7200 करोड़ रुपये की ऋण बढ़ोतरी होगी। बैंक दर में एक प्रतिशतता प्वाइंट की कटौती करके उसे 7.0 प्रतिशत किया गया तथा वाणिज्यिक बैंकों की बचत बैंक जमा दर में 0.5 प्रतिशतता प्वाइंट की कटौती करके उसे 4.0 प्रतिशत कर दिया गया। हाल ही में घोषित ऋण नीति से भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप बनाने का प्रयास किया है।

विदेशी व्यापार

12. विदेशी व्यापार से आर्थिक विकास की लक्षित और सतत संवृद्धि दरें प्राप्त करने की क्षमता निर्धारित होती है। ऐसे वातावरण में, जबकि विश्व अधिकाधिक एकीकृत और विश्वीकृत हो रहा है, संवृद्धि की गति को तेज करने के लिए नौवीं योजना के दौरान विदेशी व्यापार नीतियां इस उद्देश्य को सामने रख कर तैयार की गई हैं। विश्वीकरण की प्रक्रिया एक यथार्थ है और इसका प्रबंधन किए जाने की आवश्यकता है ताकि विश्व बाजार से अधिकतम लाभ उठाया जा सके। विश्व बाजार में प्रभावी रूप से मुकाबले में ठहर सकने के लिए भारतीय उद्योग की क्षमता को मजबूत बनाने की दृष्टि से आयातों पर, उपयोक्ता वस्तुओं को छोड़ कर, मात्रात्मक प्रतिबन्ध (क्यू

आर) हटा दिए गए हैं तथा शेष प्रतिबन्ध वर्ष 2003 तक क्रमिक रूप से हटा दिए जाएंगे। इस दौरान आयात टैरिफों में भी काफी कमी कर दी गई है और आयात टैरिफों में कटौती की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है।

13. देश के निर्यातों में जो सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 8-9 प्रतिशत के बराबर हैं, वर्ष 1999-2000 में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई नौवीं योजना में लक्षित 11.8 प्रतिशत की औसत संवृद्धि दर के मुकाबले, डालरों में 11.6 प्रतिशत (रुपये के रूप में 14.9 प्रतिशत) की संवृद्धि दर्ज की गई। कृषि तथा सम्बद्ध उत्पादों और चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादों को छोड़कर, सभी प्रमुख सेक्टरों, जैसे रसायन व सम्बद्ध उत्पाद, रत्न व आभूषण, इंजीनियरी वस्तुएं, इलैक्ट्रानिकी, टेक्सटाइल, सिले-सिलाए वस्त्र आदि का निष्पादन अच्छा रहा और निर्यात के मोर्चे पर इनका योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा। निर्यातों में उछाल के आंशिक कारण हैं: विश्व व्यापार का पुनरुत्थान, दक्षिण पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं का समुत्थान, देश के अन्दर कम मुद्रास्फीति और अपेक्षाकृत स्थिर मुद्राविनियमन दर के अलावा विश्व वस्तु मूल्यों में वृद्धि। सभी प्रमुख देशों को किए जाने वाले निर्यात में सामान्य वृद्धि हुई है, और अमेरिका सबसे बड़ा बाजार बना रहा है, जहां हमारे कुल निर्यातों का 22 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा गया है।

14. आयातों में, जो स. घ. उ. के लगभग 11-12 प्रतिशत के बराबर है, नौवीं योजना में 10.8 प्रतिशत की लक्षित संवृद्धि के मुकाबले वर्ष 1999-2000 में डालर के रूप में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पी ओ एल आयातों में 64.3 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई जो कुल आयातों का 20.9 प्रतिशत हिस्सा है। तेल आयात बिल में वृद्धि मुख्यतः वर्ष 1998-99 के दौरान ओपेक द्वारा उत्पादन में सम्मत कटौती के परिणामस्वरूप कच्चे तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में लगभग तीन गुणा वृद्धि होने के कारण हुई थी। अब 11 ओपेक देशों में से 9 देश अप्रैल 2000 से उत्पादन में 6.0 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के लिए राजी हो गए हैं, तथा विश्व बाजार में तेल की कीमतें गिरनी शुरू हो गई हैं जिससे हमारे पी ओ एल आयात बिल में कमी आने में सहायता मिलेगी।

15. वर्ष 1999-2000 के दौरान व्यापार में घाटा 8616 मिलियन अमेरिकी डालर था जबकि यह 1998-99 में 8245 मिलियन अमेरिकी डालर था। मार्च 2000 की स्थिति के अनुसार, 38036 मिलियन अमेरिकी डालर के विदेशी मुद्रा के सन्तोषजनक सुरक्षित भण्डार को देखते हुए यह चिन्ता का विषय नहीं हो सकता। सितम्बर 1999 के अन्त तक विदेशी ऋण 98.87 बिलियन अमेरिकी डालर था। विदेशी ऋण संबंधी संकेतकों से हाल के वर्षों के दौरान विदेशी ऋण की स्थिति में सुधार होने का पता चलता है। स. घ. उ. के अनुपात के रूप में विदेशी ऋण वर्ष 1991-92 में 41 प्रतिशत पर अपने चरमोत्कर्ष पर था, जो सितम्बर 1999 के अन्त तक क्रमशः घटते हुए 22.3 प्रतिशत पर आ गया है। व्यापार के उदारीकरण, निर्यात-प्रोत्साहन, और आधुनिक अवसरचक्रात्मक सुधारों के लिए आयात-निर्यात नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। आयातों पर लगे मात्रात्मक प्रतिबन्ध धीरे-धीरे हटाए गए हैं। वर्ष 2000-01 की निर्यात-आयात नीति के अन्तर्गत 714 उपभोक्ता वस्तुओं पर तत्काल प्रभाव से लायसेन्स प्रणाली समाप्त कर दी गई है तथा शेष 715 वस्तुओं से अप्रैल 2001 तक हटा दी जाएगी। निर्यात में 20 प्रतिशत की संवृद्धि के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनेक स्कीमों की घोषणा की गई है। चीनी निर्यात आर्थिक जोनों की पद्धति के अनुरूप, अनेक विशेष आर्थिक जोन (आरम्भ में, गुजरात में पिपावाव और तमिलनाडु में तूतीकोरीन में), स्थापित किए जाने हैं।

सरकारी क्षेत्र की योजना

16. आर्थिक संवृद्धि अनेक आर्थिक और सामाजिक कारकों की परस्पर-क्रिया का नतीजा होती है। भारत जैसे विकासशील देशों में संसाधनों की तंगी को देखते हुए पूंजी का संचयन या निवेश अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने का एक मूल कारक है। निवेश की समग्र दर

या इसका क्षेत्रकीय वितरण निर्धारित करने के लिए बाजार-शक्तियों, सापेक्ष कीमतों तथा प्रोत्साहनों की भूमिका, सरकारी प्राधिकारियों द्वारा संसाधनों के सीधे आबंटन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है।

17. भारत के लिए अपनायी गई विकास सम्बन्धी कार्यनीति में सरकारी क्षेत्रक को प्रमुख भूमिका सौंपी गई थी और सातवीं योजना से पूर्व कुल निवेश में इसका प्रमुख हिस्सा था। सातवीं योजना शुरू होने के समय से, सरकार के अपने स्वयं, के कार्यकलापों/ आचरण से अर्थव्यवस्था के ढांचे को निर्धारित करने में सरकार की क्षमता में भारी ह्रास हुआ है। निवेश पद्धति की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि एक ओर जहां कुल निवेश में निजी सेक्टर का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है तो दूसरी ओर योजनागत और वास्तविक, दोनों प्रकार के कुल निवेश में सरकारी सेक्टर का हिस्सा घट रहा है, जो विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में परिलक्षित होता है। नौवीं योजना के दौरान कुल निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा 33.4 प्रतिशत होने का अनुमान है जैसा कि नीचे की सारणी 1.1 में दर्शाया गया है:

सारणी 1.1
कुल निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा

अवधि	योजनागत	प्राप्त (प्रतिशत)
पांचवी योजना (1974-79)	57.6	43.3
छठी योजना (1980-85)	52.9	47.8
सातवी योजना (1985-90)	47.8	45.7
आठवी योजना (1992-97)	45.2	34.3
नौवी योजना (1997-2000)	33.4	

18. नौवीं योजना के लिए 1996-97 की कीमतों पर 2171 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रक्षेपित किया गया है जो बाजार मूल्यों के अनुसार स. घ. उ. के 28.2 प्रतिशत के बराबर है। इसमें से 726 हजार करोड़ रुपये (बाजार मूल्यों पर स. घ. उ. का 9.4 प्रतिशत) का निवेश सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। नौवीं योजना के लिए 8,59,200 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना की गई है, जिसमें केंद्र, राज्यों और संघ शासित राज्य क्षेत्रों का अनुपात क्रमशः 57:41:02 होगा।

19. वार्षिक योजना 1999-2000 में चालू कीमतों पर 192263 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की परिकल्पना की गई है, जिनकी तुलना में संशोधित अनुमान 170863 करोड़ रुपये के हैं। इसमें केंद्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का हिस्सा क्रमशः 56:42:02 के अनुपात में होगा, जैसा कि संलग्नक 1.4 में दर्शाया गया है। वास्तविक अर्थों में, 142862 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान (1996-97 की कीमतों पर), नौवीं योजना के अनुमोदित परिव्यय के यथानुपात हिस्से से काफी कम, मात्र लगभग 17 प्रतिशत के लगभग हैं।

20. सार्वजनिक सेक्टर का समग्र परिव्यय नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में, अपेक्षाकृत कम संसाधन जुटाए जाने के कारण, कम हो गया। केंद्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष 1997-2000 के दौरान व्यय के रूप में सार्वजनिक क्षेत्रक की उपलब्धियों का सारांश नीचे सारणी 1.2 में दिया गया है:

सारणी 1.2

सार्वजनिक क्षेत्र के योजना परिव्यय का 1997-2000 के दौरान उपयोग
(प्रतिशत)

	योजना प्रावधान	उपलब्धि •
केंद्र	55	52
राज्य	57	50
संघ राज्य क्षेत्र	46	42

• इसमें 1997-98 (वास्तविक) तथा 1998-2000 (सं. अनु.) शामिल हैं।

21. नौवीं योजना का केंद्र बिंदु "सामाजिक न्याय और साम्या सहित संवृद्धि" होने से, सामाजिक क्षेत्रक को उच्च प्राथमिकता दी गई है। नौवीं योजना में सार्वजनिक-सेक्टर के कुल आबंटन में से लगभग 21.3 प्रतिशत सामाजिक सेक्टर के लिए नियम किया गया है। वार्षिक योजनाओं (1997-2000) के दौरान सामाजिक सेक्टर द्वारा औसत उपयोग 22.9 प्रतिशत था जो नौवीं योजना के प्रक्षेपित आबंटन से मामूली सा अधिक है, जैसा कि सारणी 1.3 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.3

सामाजिक सेक्टर द्वारा वार्षिक योजनाओं (1997-2000) के
दौरान सार्वजनिक सेक्टर के परिव्यय का उपयोग

(प्रतिशत)

अवधि	सार्वजनिक सेक्टर का हिस्सा
नौवीं योजना का प्रावधान (1997-2000)	21.3
1997-98 (वास्तविक)	20.7
1998-99 (सं. अनु.)	23.6
1999-2000 (सं. अनु.)	24.4
औसत (1997-2000)	22.9

केंद्रीय क्षेत्रकयोजना

22. वार्षिक योजना 1999-2000 में केंद्रीय सेक्टर के लिए 103521 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया था, जिसकी तुलना में वर्तमान कीमतों पर संशोधित अनुमान 96310 करोड़ रुपये के हैं। कमी, मुख्य रूप से उद्योग तथा खनिज, कृषि व संबद्ध क्रियाकलाप, विविध आर्थिक सेवाएं और संचार के क्षेत्रकों में हुई है। परिवहन तथा सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण को छोड़ कर अन्य सभी सेक्टरों में बजट अनुमानों के मुकाबले संशोधित अनुमानों में मामूली कमी हुई है। नौवीं योजना के पहले वर्षों के दौरान केंद्र बजट-आबंटनों के केवल 85 प्रतिशत भाग का उपयोग कर सका, जैसा कि संलग्नक 1.5 में दर्शाया गया है।

23. वार्षिक योजना 2000-01 के लिए केंद्रीय सेक्टर हेतु 117334 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। यदि यह मान लें कि 1998-2000 के संशोधित अनुमान और 2000-01 के लिए किए गए प्रावधान की राशि का उपयोग हो जाएगा, तो योजना के प्रथम चार वर्षों में केंद्रीय सेक्टर का व्यय, नौवीं योजना के केंद्रीय सेक्टर के लिए उपलब्ध कराए गए कुल परिव्यय के लगभग 65 प्रतिशत के बराबर होगा। संचार, परिवहन तथा कृषि व संबद्ध क्रियाकलापों के क्षेत्रकों में, नौवीं योजना में इनके लिए आबंटित राशि के जबकि 65 प्रतिशत से भी अधिक का उपयोग हो चुका है, परंतु अन्य अधिकांश सेक्टरों में व्यय उनके यथानुपात भाग से बहुत कम है, जैसा कि संलग्नक 1.6 में दर्शाया है।

24. राजकोषीय घाटे के लक्षित स्तर के अनुरूप, नौवीं योजना में केंद्रीय सेक्टर के लिए बजटीय सहायता 203982 करोड़ रुपये रखी गई थी। वास्तव में प्रथम चार वार्षिक योजनाओं में (1997-2001) में केंद्रीय सेक्टर के लिए बजटीय सहायता पांच वर्षों की व्यवस्था के 69 प्रतिशत के बराबर है, जो नौवीं योजना के प्रावधान के यथानुपात भाग से कम है जैसा कि सारणी 1.4 में दर्शाया गया है। आंतरिक और बजटेतर सहायता के मामले में, नौवीं योजना की अवधि के लिए 285379 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी, जबकि नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान, आंतरिक संसाधन कम मात्रा में जुटाये जा सकने के कारण, जो मुख्यतः केंद्रीय उद्यमों के ऋण हैं, पांच वर्षों की व्यवस्था का मात्र 62 प्रतिशत ही प्राप्त किया गया है।

सारणी 1.4
नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में केंद्रीय
सेक्टर की योजना का वित्त पोषण

(1996-97 की कीमतों पर करोड़ रुपयों में)

	बजटीय सहायता	आंतरिक व बजटेतर संसाधन	कुल परिव्यय
नौवीं योजना (1997-2002)	203982	285379	489361
1997-98 (वास्तविक)	30606	37422	68078
1998-99 (सं. अनु.)	32888	44509	77397
1999-2000 (सं. अनु.)	36506	44021	80527
2000-01 (ब. अनु.)	40695	52427	93122
कुल चार वर्ष (1997-2001)	140695	178429	319124
नौवीं योजना का प्रतिशत	69	63	65

25. वर्ष 2000-01 के दौरान, केंद्रीय सेक्टर के लिए 51276 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता का प्रावधान किया गया है, जो तदनुरूप अवधि (1999-2000) में लिए गए आबंटन से लगभग 17 प्रतिशत अधिक है, जैसा कि संलग्नक 1.7 में दर्शाया गया है। मुख्यतः विविध आर्थिक सेवाएं (40 प्रतिशत), उद्योग और खनिज (36 प्रतिशत), संचार (32 प्रतिशत), सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (30 प्रतिशत) तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी व पर्यावरण (26 प्रतिशत) के मामले में अपेक्षाकृत अधिक बजटीय सहायता का प्रावधान किया गया है। नौवीं योजना के चार वर्षों के दौरान, परिव्यय के प्रतिशत अनुपात के रूप में बजटीय सहायता का औसत उपयोग नौवीं योजना के लिए किए गए प्रावधान से अधिक है, जैसा कि नीचे सारणी 1.5 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.5
नौवीं योजना के दौरान बजटीय सहायता का उपयोग

(परिव्यय का प्रतिशत)

नौवीं योजना (प्रक्षेपित)	41.7
1997-98 (वास्तविक)	45.6
1998-99 (संशो. अनु.)	43.2
1999-2000 (सं. अनु.)	45.3
2000-01 (ब. अनु.)	43.7

राज्य क्षेत्रक की योजना

26. नौवीं योजना के दौरान, राज्यों के क्षेत्रक के लिए 3,50,138 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना की गई थी। यदि यह मान लें कि 1998–2000 के संशोधित अनुमानों की राशि का उपयोग हो जाएगा, राज्य सेक्टर पहले तीन वर्षों में (1997–2000) में वस्तुतः केवल 49.73 प्रतिशत का उपयोग ही कर सकेगा, जो नौवीं योजना के यथानुपात भाग से कम है। हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों को छोड़ कर अन्य सभी राज्यों ने परिव्ययों का यथानुपात अपयोग नहीं किया है, जैसा कि संलग्नक 1.8 में दर्शाया गया है।

27. वर्ष 1999–2000 के परिव्यय के मामले में अधिकतर राज्यों का निष्पादन, जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा और राजस्थान, बजट अनुमानों की तुलना में कम व्यय के संबंध में नकारात्मक रहा है, जैसा कि संलग्नक 1.9 में दर्शाया गया है। यह चिन्ता का विषय है।

सामाजिक आधारिक ढांचा

28. समूचे आयोजन का अन्तिम उद्देश्य मानव-विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसे साम्य और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लक्ष्य वाली नीतियों और कार्यक्रमों के जरिए प्राप्त किया जाना है। आयोजन करते समय मानव विकास के लिए अपेक्षित संसाधनों और योजना को कार्यान्वित करने के लिए उपलब्ध मानव संसाधनों को ध्यान में रखा जाता है।

29. सामाजिक सेक्टर के आयोजन में यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य द्वारा उपयुक्त नीतियां और कार्यक्रम तैयार किए जाएं और सामाजिक सेक्टर में पर्याप्त निवेश उपलब्ध कराया जाय, ताकि जनता के गरीब और कमजोर तबके अपनी जरूरतों के अनुसार आवश्यक वस्तुएं, सुविधाएं और सेवाएं प्राप्त कर सकें।

30. गरीबी उन्मूलन सरकार के सम्मुख एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। हालांकि ग्रामीण गरीबी में निरन्तर कमी आई है, तथापि गरीबी दूर करने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रमों के जरिए गरीबों को अभावग्रस्तता, रोजगार और आय में होने वाले अत्यधिक उतार-चढ़ाव और सामाजिक असुरक्षा से सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास जारी रखना आवश्यक है। देहाती क्षेत्रों में स्व रोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों के अवसर जुटाने की स्कीमों का 1999–2000 में पुनरभिकल्पन तथा पुनर्गठन किया गया है, ताकि गरीबों पर उनके प्रभाव तथा उपादेयता में बढ़ोतरी हो और उन्हें सतत रूप से जारी रखा जा सके। स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के एकल स्वरोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को माइक्रो उद्यमों के जरिए स्थाई आय उपलब्ध कराना है। इसे माइक्रो उद्यमों के पूर्ण कार्यक्रम के रूप में परिकल्पित किया गया है जिसके अन्तर्गत स्वरोजगार के सभी पहलू समाहित होते हैं जैसे ग्रामीण, गरीबों का स्व-सहायता समूहों के रूप में गठन तथा उनकी क्षमता का निर्माण, कार्यकलाप-समूहों की आयोजन, आधारिक संरचना का निर्माण प्रौद्योगिकी, ऋण और विपणन इनके अलावा, ग्रामीण आधारित संरचना के सृजन, जिसमें ग्राम स्तरीय परिसम्पत्तियां भी शामिल हैं और साथ ही ग्रामीण गरीबों के लिए निरन्तर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने पर बल देने के लिए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों पर डाली गई है। रोजगार आश्वासन स्कीम की भी एकल मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के रूप में पुरस्सरचना की गई है जिसका प्राथमिक उद्देश्य, मजदूरी रोजगार के अत्यधिक अभाव की अवधि के दौरान, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण गरीबों के लिए शारिरिक श्रम के जरिए अतिरिक्त

मजदूरी रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। यह स्कीम मांग-आधारित स्कीम की बजाय धनराशि के नियतन वाली स्कीम बन गई है तथा राज्यों को एक निश्चित वार्षिक परिव्यय उपलब्ध कराया जाता है। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की भावना के अनुरूप, जिला परिषदों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वयन प्राधिकरणों के रूप में नामित किया गया है।

31. कल्याण का न्यूनतम राष्ट्रीय स्तर सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों के प्रयासों की अनुपूर्ति करने की दृष्टि से, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम सम्बन्धी केंद्र-प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत गरीब कुटुम्बों को बुढ़ापे, कमाई करने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाने और प्रसूति के मामले में सामाजिक सहायता लाभ मुहैया किया जाता है। इसके अलावा, एक नई स्कीम "अन्नपूर्णा" शुरू करने की घोषणा 1999-2000 में की गई थी, जिसके अन्तर्गत उन सभी व्यक्तियों को, जो वृद्धावस्था पेंशन पाने के पात्र हैं परन्तु जो फिलहाल उन्हें मिल नहीं रही है तथा जिनके बच्चे उस गाँव में नहीं रहते, निशुल्क 10 कि.ग्रा. अनाज प्रतिमाह उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

32. नौवीं योजना की सामाजिक आधारित संरचना सम्बन्धी विशेष कार्य योजना में ग्रामीण आवास को एक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारित किया गया तथा इस दिशा में नए कदमों को कार्य-रूप दिया गया है। क्षेत्र विकास कार्यक्रमों की ओर भी अधिक ध्यान दिया गया है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी) मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी डी पी) तथा एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम (आई डब्ल्यू डी पी) वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित किए जाते हैं। वाटरशेड परियोजनाओं/ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सामान्य मार्ग-निर्देश तैयार किए गए हैं और उन्हें "एकल राष्ट्रीय पहल" के ढांचे के अन्दर एक छत्र/ मंत्रालय के अन्तर्गत लाए जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। भूमि सुधार नीति के अन्य प्रमुख संघटकों में अन्य बातों के साथ-साथ, अधिकतम सीमा से अतिरिक्त भूमियों का पता लगाना और उनका वितरण, अभिहित (टैनेंसी) सुधार, जोत की भूमि की चकबंदी, सांझी भूमियों और परती भूमियों पर गरीबों की पहुंच की व्यवस्था जनजाति भूमियों के अन्य-संक्रमण को रोकना तथा महिलाओं को भूमि अधिकार उपलब्ध कराना शामिल हैं।

33. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रमुख जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं को सौंपी गई है। तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से, पंचायती राज संस्थाओं (पी आर आई) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने से देश में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को गति मिली है। इससे पंचायती राज संस्थाओं को अपेक्षित वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार मिले हैं ताकि वे स्थानीय स्वायत्त शासन की प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें तथा इसमें निर्णय लेने में, कार्यान्वयन में और वितरण की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी के जरिए लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकृत विकास प्रक्रिया की स्थापना की परिकल्पना की गई है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, संविधान में, पंचायतों को अपयुक्त स्तरों पर संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में यथा सूचीबद्ध 29 विषयों के सम्बन्ध में सामाजिक न्याय हेतु शक्तियां और उत्तरदायित्व सौंपने की व्यवस्था है। इसका कार्यान्वयन विभिन्न राज्यों में विभिन्न चरणों में है।

34. आवास मानव की बुनियादी जरूरत है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किए जाने की आवश्यकता है तथा कमजोर वर्गों की आवास सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने और स्वपोषणीय आधार पर सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्थकारी वातावरण तैयार करने में राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है।

35. वर्ष 1998-99 से शुरू की गई विशेष कार्य योजना "सब के लिए आवास" को प्रथमिकता-प्राप्त क्षेत्र मानती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 20 लाख अतिरिक्त मकान (7 लाख शहरी तथा 13 लाख ग्रामीण) निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 1998-99 के दौरान, शहरी क्षेत्रों में 7.0 लाख के लक्ष्य की तुलना में 7.5 लाख रिहायशी मकानों की स्वीकृति दी गई। वर्ष 1999-2000 के दौरान, 7.35 लाख मकानों के लक्ष्य के मकाबले 7.95 लाख रिहायशी मकानों का निर्माण किया गया। ई डब्ल्यू एस हेतु 129972 आवासों के लक्ष्य की तुलना में, 37939 आवास तैयार किए गए और निम्न आय वर्ग के सम्बन्ध में उपलब्धि यह थी कि 63610 रिहायशी मकानों के लक्ष्य के विपरीत 12354 मकानों का निर्माण किया गया।

36. भारत एक सबसे बड़ी शहरी प्रणालियों का देश है, जिसकी जनसंख्या वर्ष 1991 के 217.6 मिलियन से बढ़कर, वर्ष 2001 में 289 मिलियन हो जाने का अनुमान है और जिसके वर्ष 2021-2025 में बढ़ कर लगभग 605-618 मिलियन हो जाने की संभावना है। शहरी विकास मूलतः, इस समय क्रियान्वित किए जा रहे ढांचागत सुधारों के अनुरूप आर्थिक विकास का सहायक है। तदनुसार, शहरी आबादी के सभी वर्गों के लिए, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए इसकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए यह प्रभाव, जलापूर्ति, स्वच्छता ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और परिवहन जैसी अनिवार्य सेवाओं की मांग और पूर्ति के बीच बढ़ती हुई खाई के कारण भौतिक पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता में प्रत्यक्ष गिरावट आने से अक्सर देखा जाता है।

37. गरीबी कम करना शहरी नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। नौवीं योजना में इस बात का उल्लेख किया गया था कि शहरी गरीबी की समस्या, उत्पादक रोजगार के अभाव और बड़े पैमाने पर उपयुक्त रोजगार, मुद्रास्फीति की ऊंची दर तथा सामाजिक आधरिक संरचना की अपर्याप्तता के कारण आय और क्रय शक्ति की कमी की द्योतक है, जो लोगों की जीवन का गुणवत्ता और उनकी रोजगार क्षमता को प्रभावित करती है। विकास और अधिकारिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, दिसम्बर 1997 में शुरू की गई स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) की स्कीम के माध्यम से शहरी बेरोजगारों या न्यून रोजगार वाले गरीबों को स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देकर अथवा मजदूरी रोजगार की व्यवस्था करके उन्हें लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। उक्त स्कीम पड़ोसी समूहों, सामुदायिक विकास समितियों आदि के गठन को भी बढ़ावा देती है। स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत दो संघटक हैं— (क) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यू एस ई पी), (ख) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यू डब्ल्यू ई पी) वर्ष 1999-2000 के दौरान यू एस ई पी के अन्तर्गत लाभभोगियों की संख्या 1,26,944 थी जिनमें 8,241 महिला लाभभोगी थीं तथा यू डब्ल्यू ई पी के अन्तर्गत लगभग 101.39 लाख लाभभोगी थे।

38. शहरी परिवहन, शहरी आधरिक संरचना का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संघटक हैं। सड़कों को एक अच्छे नेटवर्क तथा कुशल सार्वजनिक शहरी परिवहन प्रणाली से शहरों की कार्य कुशलता में, विशेष रूप से उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए, काफी योगदान मिलता है। इस समय केवल एक प्रमुख स्कीम, अर्थात् दिल्ली में मल्टी-मोडल मास रेपिड ट्रांसिट सिस्टम (एम आर टी एस) क्रियान्वित की जा रही है जिसके प्रथम चरण के लिए, जिसके अन्तर्गत लगभग 55.3 किलोमीटर लम्बे उत्थापित-सह-सतही रेल गलियारों वाली मेट्रो रेल प्रणाली शुरू करने की परिकल्पना की गई है, निवेश के प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा सितम्बर, 1996 में अनुमोदित किया गया था।

39. देहाती तथा शहरी क्षेत्रों में समूची जनसंख्या के लिए स्थानीय भागीदारी के साथ स्थिर आधार पर सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था, नौवीं योजना में परिकल्पित बुनियादी उद्देश्य है। भले ही सुरक्षित पेय जल और स्वच्छता की व्यवस्था करना राज्य का विषय है और राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है तथापि, केन्द्र सरकार ग्रामीण जलापूर्ति के मामले में राज्य सरकारों के प्रयासों के पूरक के रूप में बड़े पैमाने पर केन्द्र-प्रायोजित स्कीम अर्थात् त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी), जिसे अब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन कहा जाता है, कार्यान्वित करती रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 के दौरान 90061 गाँवों/ आबादियों के लक्ष्य की तुलना में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 56447 गाँवों/ बस्तियों को सुरक्षित पेय जलापूर्ति सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं।

40. स्वच्छता के मामले में स्थानीय लोगों तथा गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता से एक संशोधित केन्द्र-प्रायोजित स्कीम वर्ष 1999-2000 से अमल में लाई गई है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम अब कई राज्यों में गति पकड़ रहा है। उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की किस्म का निर्णय, महसूस की गई आवश्यकता तथा ग्रामपंचायतों, लोगों, विशेष कर महिलाओं और गैर-सरकारी संगठनों की पूरी भागीदारी और सहभागिता के आधार पर लिया जायगा।

41. सभी उत्पादक सेक्टरों में रोजगार के अवसर पैदा करना नौवीं योजना के बुनियादी उद्देश्यों में से एक है, अतः तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु विभिन्न सेक्टरों को उपयुक्त कुशलता और गुणवत्ता वाला पर्याप्त श्रम बल उपलब्ध कराना जरूरी है। इस सन्दर्भ में, वर्ष 1999-2000 के दौरान देहाती और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए वातावरण निर्मित करने, कामगारों की संरक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बाल श्रम और बंधुआ श्रमिक जैसी अवांछित प्रथाओं को समाप्त करने के प्रयास किए गए थे। सरकार ने अक्टूबर 1999 में द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया है ताकि कामगारों की सुरक्षा का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने हेतु श्रमिकों से सम्बन्धित मौजूदा कानूनों को युक्ति-संगत बनाया जा सके। विभिन्न अन्य स्कीमों का, जिनका उद्देश्य श्रमिक वर्ग के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना तथा औद्योगिक शान्ति बनाए रखना, कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण, काम चाहने वालों को नौकरियां प्रदान करना, श्रमिकों के कल्याण और श्रम कानूनों के प्रशासन की स्कीमों जिन्हें नौवीं योजना के दौरान प्राथमिकता प्रदान की गई है कार्यान्वित की जा रही हैं। जोखिम वाले उद्योगों में बाल श्रमिकों की मौजूदगी, भारत में एक बड़ी समस्या है। नौवीं योजना के दौरान, मौजूदा राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना को आशोधित करने तथा उसमें सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत जो एक प्रमुख कार्यक्रम शुरु किया गया है, वह उन बच्चों को, जो जोखिम वाले उद्योगों से अलग किए गए हैं अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पूरक पोषाहार, वजीफे, स्वास्थ्य की देखभाल आदि उपलब्ध कराने के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना है। वर्ष 1999-2000 के दौरान बाल श्रमिक बहुल राज्यों में काम से हटाए गए लगभग 1.9 लाख बच्चों का निवास करने के लिए 91 राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। बंधुआ मजदूरों के निवास के लिए केन्द्र-प्रायोजित स्कीम को, जो वर्ष 1978 में तैयार की गई थी, अब आशोधित करके, निवास पैकेज में वृद्धि की गई है तथा बंधुआ मजदूरों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने, जागरूकता पैदा करने, मूल्यांकन-अध्ययन करने आदि का प्रावधान किया गया है। योजना आयोग ने राज्यों को ध्यान में रखते हुए, पूर्वोत्तर राज्यों को सौ प्रतिशत राजसहायता (सब्सिडी) उपलब्ध कराने के लिए सहमति दी है। इस संशोधित स्कीम को नौवीं योजना की शेष अवधि में कार्यान्वित किये जाने का विचार है। बंधुआ मजदूरों के निवास को स्कीम की शुरुआत से लेकर मार्च 2000 तक 2,80,411 बंधुआ मजदूरों में से 2,51,569 बंधुआ मजदूरों का निवास किया गया है। इस स्कीम की तथा अन्य गरीबी उन्मुलन कार्यक्रमों की, जो बंधुआ मजदूरों के प्रभावकारी निवास के प्रयोजनार्थ चलाए जा रहें हैं, प्रगति की समीक्षा

करने और उनकी उपयुक्त मानीटरिंग करने के लिए यह प्रस्ताव है कि इन स्कीमों की मानीटरिंग राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर की जाए।

42. सामाजिक रूप से असुविधाग्रस्त समूहों अर्थात् अनुसूचित जातियों (एस सी) अनुसूचित जनजातियों (एस टी), अन्य पिछड़ी श्रेणियों (ओ बी सी) तथा अल्पसंख्यकों को शक्ति सम्पन्न बनाना नौवीं योजना की वचनबद्धता है, जिसे तीन तरफा कार्यनीति, सामाजिक अधिकारिता, आर्थिक अधिकारिता और सामाजिक न्याय के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में जनजातीय लोगों के कल्याण और विकास की ओर विशेष रूप से उनकी निरक्षरता, बन्धुआ मंजूरी, भूमि के अन्यसंक्रामण आदि की समस्याओं से निपटने के लिए ध्यान केन्द्रित करने हेतु अक्टूबर 1999 में केन्द्र में एक अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया गया था।

43. सामाजिक अधिकारिता के लिए शिक्षा सबसे अधिक प्रभावकारी साधन है, इसलिए उन कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी जाती रही, जिनका लक्ष्य अनु.जा./ अनु. जनजाति की, विशेष रूप से उनकी महिलाओं और बालिकाओं में शिक्षा की स्थिति में सुधार लाना था। मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। अस्वच्छ पेशों में नियोजित व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों की स्कीम एक महत्वपूर्ण शैक्षिक स्कीम है, जो मैला उठाने की अत्यंत अमानवीय परिपाटी को समाप्त करने तथा इस काम में नियोजित व्यक्तियों का पुनर्वास करने में सरकारी प्रयासों की अनुपूरक है। मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों की स्कीम के अंतर्गत लगभग 4.37 लाख छात्रों को लाभ मिला है। मान्यता-प्राप्त संस्थाओं में मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की स्कीम देश भर में कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 1999-2000 में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले 22.68 लाख अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ मिली हैं। एक अन्य केंद्र-प्रायोजित स्कीम, अर्थात् सम्बद्ध सेवाओं (एलाइड सर्विसेज) के लिए शिक्षण की स्कीम के अंतर्गत पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रत्याशियों को शिक्षण प्रदान की जाती है, ताकि वे संघ लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा आयोग, बैंकिंग और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतियोगिता कर सकें वर्ष 1999-2000 के दौरान दस राज्यों में लगभग 75 शिक्षण केन्द्रों से कोई 12,189 अनु. जाति/ अनु. जनजाति छात्रों ने लाभ उठाया है।

44. चूंकि आर्थिक विकास असुविधाग्रस्त समुदायों को शक्ति सम्पन्न बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन समुदायों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की कार्यनीति को वर्ष 2000-01 के दौरान उच्च प्राथमिकता दी जाती रहेगी। सामाजिक रूप से असुविधाग्रस्त समूहों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार एवं आय अर्जक कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जा रहा है। विद्यमान शीर्ष संगठनों, अर्थात् राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एन एस एफ डी सी), राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त तथा विकास निगम (एन एस के एफ डी सी), भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लि0, (टी आर आई एफ ई डी) तथा राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। वर्ष 1999-2000 के दौरान, एन एफ डी सी, एन बी सी एफ डी सी तथा एन एम डी एफ सी द्वारा वित्तीय सहायता देने के रूप में क्रमशः 13,474 अनु0 जा0/ अनु0 जनजाति, 3,00,151 ओ बी सी तथा 44,381 अल्पसंख्यक लाभान्वित हुए हैं तथा वर्ष 2000-01 में एन एफ डी सी के माध्यम से लगभग 2.23 लाख अनु0 जा0/ अनु0 जनजाति के लोगों का लाभ पहुँचने की आशा है। अनु0 जाति और अनु0 जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए अनु0 जातियों के लिए विशेष संघटक योजना (एस सी पी) तथा अनु0 जनजातियों के लिए जनजाति

उप योजना (टी एस पी) का प्रचालन किया जा रहा है, ताकि पंचवर्षीय और साथ ही वार्षिक योजनाओं में नियतन के माध्यम से सभी अन्य विकास सेक्टरों से अनु0 जातियों और जन-जातियों की आबादी के अनुपात में निधियों का प्रवाह सुनिश्चित हो सके।

45. सामाजिक रूप से असुविधा-ग्रस्त समुदायों के कल्याण और विकास के लिए विद्यमान राष्ट्रीय तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु एक अलग मंत्रालय के गठन की प्रमुख कार्यवाही से, असुविधाग्रस्त समुदायों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में सरकार की पक्की वचनबद्धता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। इसके अलावा, दो विधानों, अर्थात् सिविल अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे विशेष प्रयास जारी रहेंगे। इस संदर्भ में अब तक 7 राज्यों में 95 विशेष अदालतें तथा गश्ती अदालतें स्थापित की गई हैं। इस कानूनी सुरक्षा के अलावा अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों तथा सफाई कर्मचारियों के अधिकारों तथा हितों को सुरक्षित रखने के लिए चार राष्ट्रीय आयोग विद्यमान हैं।

46. महिलायें और बच्चे, जो देश की जनसंख्या के लगभग 67 प्रतिशत हैं, मानव संसाधन विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक हैं। राष्ट्रीय विकास की कार्यसूची में उनके कल्याण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। 9वीं योजना में "महिला सशक्तिकरण और बाल विकास" सम्बन्धी वचनबद्धता को पूरा करने की दिशा में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों प्रकार के संगठनों में समन्वित प्रयास वर्ष 2000-01 में जारी रहेंगे। 1990 के दशक में जिन विशेष कार्यनीतियों और तंत्रों को अमल में लाया गया था, अर्थात् राष्ट्रीय महिला आयोग (एन. सी. डब्ल्यू), राष्ट्रीय महिला कोष (आर. एम. के.), राष्ट्रीय बाल निधि और राष्ट्रीय क्रैच निधि (एन. सी. एफ), राष्ट्रीय पोषाहार नीति (एन. एन. पी), बच्चों तथा बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजनाएं, इन्दिरा महिला योजना (आई. एम. वाई), बालिका समृद्धि योजना (बी. एस. वाई) ग्रामीण महिला विकास और सशक्तिकरण परियोजना (आर. डब्ल्यू. डी. ई. पी.) आदि को महिलाओं और बच्चों की विशेष जरूरतों को पूरा करने कारगर ढंग से क्रियान्वित किया जाता रहेगा। इसके अलावा, नये-नये कार्यक्रम जो विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए हैं, जैसे कल्याण और सहायता सेवाएं, सतत शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार एवं आय सृजन कार्यक्रम तथा जागरूकता उत्पन्न करने और महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करने, महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम, उनके विकास कार्यक्रमों की पूरक की भूमिका, निभाते रहे हैं।

47. "प्रशिक्षण एवं रोजगार को समर्थन देने के कार्यक्रम" (एस टी ई पी) के अन्तर्गत 15 राज्यों में शुरू की गई 81 परियोजनाओं के अन्तर्गत अब तक लगभग 4.42 लाख महिलाओं को कवर किया गया है। वर्ष 1999-2000 के दौरान, दो नयी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनसे लगभग 4500 महिलाएं लाभान्वित होंगी। नार्वे की विकास सहयोग एजेंसी से सहायता प्राप्त रोजगार एवं आय सर्जक एवं उत्पादन एककों के कार्यक्रम से, जिसका उद्देश्य युवा महिलाओं/ लड़कियों को इलेक्ट्रानिकी, घड़ी संयोजन, कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग आदि जैसे गैर-तकनीकी कार्यों का प्रशिक्षण देना है, 1477 परियोजनाओं के माध्यम से अब तक 2.28 लाख युवा महिलाओं/ लड़कियों को लाभ मिल सका है। वर्ष 1999-2000 के दौरान, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सी एस डब्ल्यू बी) द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम (एस ई पी) के अन्तर्गत, जिसका लक्ष्य "काम करो और वेतन पाओ" तथा "सीखने के साथ-साथ कमाओ" के सिद्धन्तों के आधार पर महिलाओं के लिए अवसर जुटाना है, लगभग 2469 महिलाओं को लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के संक्षिप्त पाठ्यक्रमों के कार्यक्रम की स्कीम से जनवरी 2000 तक 3225 महिलाओं को लाभ हुआ है। वर्ष 2000-01 में उपर्युक्त सभी

कार्यक्रमों का "महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार" की एक छत्र स्कीम तैयार करने के लिए विलय कर दिया जाएगा।

48. देश के मानव संसाधन विकास में निवेश के रूप में बच्चों का विकास नौवीं योजना की प्रमुख कार्यनीति रही है। एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आई सी डी एस) का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बच्चों के समग्र विकास के लिए एक प्रमुख कार्य के रूप में जारी है। जबकि पहले पांच वर्ष बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, अपेक्षाकृत छोटे, दो वर्षों से नीचे के बच्चों तक पहुँचने पर अधिक बल दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम का लाभ छह वर्ष से छोटे स्कूल पूर्व की आयु के बच्चों तथा मां बनने वाली और मां बन चुकी महिलाओं को प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, पूरक पोषाहार, स्कूलपूर्व शिक्षा तथा स्वास्थ्य और 'पोषाहार' शिक्षा के पैकेज के रूप में मिलता है। क्रेच/ डे केअर केन्द्रों जैसी समर्थनकारी सेवाओं का विस्तार वर्ष 2000-01 में राष्ट्रीय क्रेच निधि के अन्तर्गत किया जाएगा। आठवीं योजना के अन्त तक कुल 4200 आई सी डी एस परियोजनाएं प्रचालन में आईं। वर्ष 1999-2000 के दौरान, घरेलू सहायता से 390 और परियोजनाओं के नौवीं योजना के दौरान विभिन्न चरणों में प्रचालित करने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस. 2 और आई.सी.डी.एस.ए.पी.ई. आर. परियोजनाओं के अन्तर्गत 461 आई सी डी एस परियोजनाएं भी प्रचालन के लिए सूचित की गई हैं।

49. अक्टूबर 1997 में शुरू की गई बालिका समृद्धि योजना की स्कीम को मंत्रियों के दल की सिफारिशों के आधार पर 1999-2000 में नये सिरे से तैयार किया गया ताकि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की बालिकाओं का दर्जा ऊंचा उठाया जा सके और माताओं को लड़की पैदा होने पर (दो लड़कियों तक सीमित) 500 रुपये का प्रोत्साहन दिया जा सके और दसवीं कक्षा तक 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की छात्रवृत्तियों के साथ उनकी शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।

50. मानव संसाधन विकास तथा आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा के महत्व को देखते हुए, संसाधनों के आबंटन में इसे उच्च प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है। बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं के अंग के रूप में प्रारंभिक शिक्षा को नौवीं योजना में सबसे ऊपर प्राथमिकता दी गई है और शैक्षिक आधारिक संरचना को सुदृढ़ करके माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर बल दिया गया है।

51. शिक्षा सेक्टर में अनेक केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रायोजित स्कीमें हैं और कुछ महत्वपूर्ण स्कीमें ये हैं – जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना (डी पी ई पी), आपरेशन ब्लैक बोर्ड (ओबी), गैर-औपचारिक शिक्षा (एन एफ ई) तथा साक्षारता पश्चात और सतत शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के सर्व-भौमीकरण के लिए नवम्बर 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें उपलब्धता और प्रतिधारण में सुधार और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में ठोस सुधार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सर्व-भौमीकरण (यू पी ई) पर बल दिया गया था। इस स्कीम के अन्तर्गत इस समय 15 राज्यों में 163 जिले शामिल हैं और इसका आगे विस्तार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लगभग 58 जिलों में किया जाएगा। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की स्कीम का लक्ष्य प्राथमिक स्कूलों को आधारिक संरचना सुविधाएं, अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध करा कर और ऐसे स्कूलों को तीसरे शिक्षक का प्रावधान करके जिनमें छात्रों की संख्या 100 से अधिक हो जाती है, कक्षा के वातारण में सुधार लाना है तथा इसका विस्तार उच्च प्राथमिक स्कूलों तक भी किया गया है। गैर-औपचारिक शिक्षा (एन एफ ई) के अन्तर्गत ऐसे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी गन्दी बस्तियों में रह रही बड़ी संख्या में बालिकाओं और असुविधाग्रस्त बच्चों को शिक्षा

प्रदान की जाती है, जहां शिक्षण सुविधाएं नहीं हैं। देश में लगभग तीन लाख केन्द्र हैं जिनके अन्तर्गत 24 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 25 लाख बच्चे लाभ उठा रहे हैं, इनमें से 1.18 लाख केन्द्र केवल बालिकाओं के लिए चलाए जा रहे हैं। यू ई ई के अतिरिक्त, इन वर्षों के दौरान, पूर्ण साक्षरता अभियान (टी एल सी) तथा साक्षरता-पश्चात् अभियान (पी एल सी) के नाम से निरक्षरता उन्मूलन की विशेष परियोजनाएं शुरू करके प्रौढ साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों में वृद्धि की गई है। साक्षरता अभियानों के लिए लगभग 450 जिलों को अनुमोदित किया गया है जहां पहले दो चरणों में बनी गति को कौशल-प्रशिक्षण द्वारा बनाए रखने की कोशिश की जाती है। नौवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में 15 टी एल सी और 90 पी एल सी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम (आर एल एफ पी) की स्कीम के अन्तर्गत कार्यक्रमों के मिश्रण के माध्यम से निरक्षरता से जूझना जारी रहा।

52. नौवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 7817 मान्यता प्राप्त स्कूल खोले गए थे। स्कूलों में भर्ती के आंकड़ों से पता चलता है कि छात्रों की प्रति स्कूल औसत भर्ती 1996-97 में 265 से घट कर 1997-98 में 254 रह गई है। सार्वजनिक क्षेत्र में भारी निवेश से निर्मित क्षमताओं के पूर्ण उपयोग के लिए छात्रों को आकर्षित करने हेतु विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र के उत्तीर्ण छात्रों को प्रत्याशित फल नहीं मिला है, जिसके कुछ महत्वपूर्ण कारण ये हैं - अर्हताओं को मान्यता न मिलना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों में लोगों को खपाने की क्षमता कम होना। इस स्कीम का व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, श्रम, एन सी ई आर टी तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों के सहयोग से, आप्रेशन रिसर्च ग्रुप (ओ आर जी) द्वारा इसके मूल्यांकन से प्राप्त अनुभव के आधार पर पुनरावलोकन किया जा रहा है। विज्ञान की शिक्षा में सुधार लाने और छात्रों में वैज्ञानिक संस्कार उत्पन्न करने हेतु अनेक स्कीमों, जैसे विज्ञान शिक्षा में सुधार, स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन (सी एल ए एम एस) शुरू की गई थीं जिनके अंतर्गत इस क्षेत्र में नयी-नयी परियोजनाएं शुरू करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है।

53. समूची शैक्षिक प्रणाली में उच्च शिक्षा की मूल भूमिका है। नौवीं योजना अवधि में मुख्य बल शिक्षा की प्रासंगिकता और गुणवत्ता में सुधार, उपलब्धता और साम्य में सुधार, निष्पादन और उत्तरदायित्व तथा समूची प्रणाली को समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने पर दिया जाता रहेगा। नौवीं योजना के पूर्वार्ध में 12 अन्तर विश्वविद्यालयी केन्द्रों के पोषण तथा तीन राष्ट्रीय सूचना केन्द्रों, जिनमें से एक विज्ञान के लिए और दो मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए थे, की स्थापना के जरिए गुणवत्ता सुधार तथा मानकों के निर्धारण का काम किया गया।

54. तकनीकी शिक्षा देश के लिए कुशल और तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त जन-शक्ति तैयार करने का अत्यंत प्रभावकारी साधन है और उसमें उत्पादों और सेवाओं का मूल्य बढ़ाने की विपुल सम्भावनाएं हैं, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को योगदान मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप आम लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आई. आई. टी.) तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आई. आई. एम.) को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलती रही है और पिछले दो वर्षों के दौरान उनका काफी विस्तार हुआ है।

55. हमारे देश के लोगों की जो विश्व की जनसंख्या का लगभग छठा हिस्सा है स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार एक ऐसा क्षेत्र है, जिस पर देश के सामाजिक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत बल दिया जाना है, यह कार्य स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषाहार सेवाओं की उपलब्धता और उनके उपयोग को बढ़ाकर और समाज के कम सुविधा प्राप्त लोगों की ओर विशेष ध्यान देकर किया जाना है। हालांकि प्रौद्योगिकीय उन्नति और स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता में वृद्धि के

परिणामस्वरूप मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है परन्तु संक्रामक रोगों, गैर-संक्रामक रोगों तथा पोषाहार संबंधी समस्याओं के कारण रोगों का भार काफी अधिक बना हुआ है।

56. यद्यपि पिछले वर्षों के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य सम्बन्धी बुनियादी ढांचे में अपेक्षाकृत संगठित विकास हुआ है, परन्तु भौगोलिक रूप से रेखांकित शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक स्वास्थ्य-परिचर्या सेवाएं उपलब्ध कराने के सुनियोजित और संगठित प्रयास उपलब्ध नहीं हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि स्वास्थ्य की देखभाल की उपलब्ध सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पाती और उनका पूरा अपयोग नहीं हो पाता तथा द्वितीयक तथा तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में अत्यधिक भीड़ भाड़ रहती है। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के कार्यचालन के लिए अच्छी रेफरल सेवाओं की स्थापना करना महत्वपूर्ण हैं। कुछ राज्यों में द्वितीयक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में सुधार लाने तथा तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में निदान तथा चिकित्सा सेवाओं में भी सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

57. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संबंध में चल रहे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, उपलब्ध आधारीक संरचना और जनशक्ति के इष्टतम उपयोग और दक्षता में सुधार लाने की दृष्टि से, सूचना, शिक्षा और संचार, यौन रोग (एस. टी. डी.) प्रजनन पथ संक्रमण (आर. टी. आई.) में प्रशिक्षण, प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य देखभाल (आर सी एच) तथा एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोकथाम और प्रबन्धन और एच आई वी तथा टी. बी नियंत्रण कार्यक्रमों के बीच समन्वय से सम्बन्धित सभी क्रियाकलापों को एकीकृत करने हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद ने राज्य और जिला स्तरों पर एकल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समितियों के गठन का अनुमोदन किया है।

58. शहरी व ग्रामीण स्वच्छता के गिरते हुए स्तर, घटिया तरल व ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा अत्यधिक भीड़-भाड़ के परिणामस्वरूप आम संक्रमणीय रोगों के फैलने में वृद्धि हुई है। काला-अजार जैसे रोगों के पुनरागमन और एच आई वी जैसे नये संक्रमणों के आगमन से विद्यमान रोग भार में इजाफा हुआ है तथा संक्रमणीय रोगों की रोकथाम में कठिनाई आ रही है क्योंकि औषधरोधी रोगाणुओं का आगमन तथा कीटनाशन-रोधी रोग-वाहकों का विकास हो चुका है।

59. जीवन शैलियों और खान-पान की आदतों में परिवर्तन तथा दीर्घजीविता के परिणामस्वरूप गैर-संक्रमणीय रोगों की रोकथाम के लिए कई केन्द्रीय सेक्टर की स्कीमें तथा कई केन्द्र-प्रयोजित स्कीमें कार्यान्वयनाधीन हैं। गैर संक्रमणीय रोगों की निवारक, प्रोत्साहक, रोगहर तथा पुनर्वासीय सेवाएं देश भर में प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल स्तरों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि गैर-संक्रमणीय रोगों के साथ जुड़ी रूग्णता और मृत्यु दर को कम किया जा सके।

60. भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी (आई एस एम व एच) में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी व होम्योपैथी और योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा जैसे इलाज शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रणालियां स्वदेशी हैं और अन्य कालांतर में भारतीय परम्पराओं का हिस्सा बन गई हैं। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में आई. एस. एम. एण्ड एच चिकित्सकों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और यह अनुमान लगाया गया है कि देश में छः लाख से भी ज्यादा आई एस एम एण्ड एच चिकित्सक हैं, जिनमें से बहुत से शहरी गन्दी बस्तियों तथा दूरस्थ ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों में रह रही आबादी को स्वास्थ्य की देखभाल की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप

61. कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण सेक्टरों में से एक है, और अपने सम्बद्ध क्रियाकलापों सहित सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी. पी) में इसका योगदान लगभग 27 प्रतिशत है तथा यह कुल कार्यबल में से लगभग 65 प्रतिशत को रोजगार उपलब्ध कराता है। कृषि सेक्टर की संवृद्धि का गरीबी उन्मूलन पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। नौवीं योजना का लक्ष्य, 2001-02 तक कृषि उत्पादन में लगभग 4.5 प्रतिशत वार्षिक की संवृद्धि दर तथा 234 मिलियन टन अनाज का उत्पादन प्राप्त करना है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास की कार्यनीति का लक्ष्य अनिवार्य रूप से खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, खाद्य उत्पादन दुगना करना तथा 10 वर्षों में भारत को भुखमरी से मुक्त करना है, जिसके लिए कार्य योजना तैयार की गई है।

62. नौवीं योजना में एक क्षेत्रीय विभेदी कार्यनीति अपनायी गई है जिसमें भूमि अपक्षीणन को रोकने, लघु सिंचाई के विस्तार को प्रोत्साहन देने, उर्वरक उपभोग को बढ़ाने, निविष्टियों के वितरण की प्रणाली में सुधार लाने, ऋण प्रवाह में वृद्धि करने तथा फसल बीमा योजना की व्याप्ति को बढ़ाने पर यथोचित बल दिया गया है। चालू कार्यक्रमों में तालमेल तथा राज्य सापेक्ष मुद्दों की ओर ध्यान देने हेतु, एक नई संकल्पना "कृषि का मैक्रो प्रबन्धन-कार्य योजनाओं के जरिए राज्य के प्रयासों का अनुपूरण/ सम्पूरण" को 2001-02 से कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। यह नई स्कीम चल रही केन्द्र-प्रायोजित कई स्कीमों का स्थान लेगी तथा राज्यों को आबंटन कार्य-योजनाओं के आधार पर किया जायगा।

63. नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान, अनाज उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में नमी की कमी और कुछ अन्य क्षेत्रों में बाढ़ ने 1999-2000 में कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है तथापि इस वर्ष खाद्यान्नों का उत्पादन, वर्ष 1998-99 में उत्पादित 203.04 मि. टन की तुलना में, 205.91 मि. टन के रिकार्ड स्तर तक पहुँचने की सम्भावना है। गन्ने का उत्पादन भी 309.31 मि. टन. के रिकार्ड स्तर तक पहुँच जाने की संभावना है। परन्तु तिलहन और कपास के उत्पादन में गिरावट की संभावना है। वर्ष 2000-01 के लिए, खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 212 मि.ट. निर्धारित किया गया है जिसमें 197 मि. टन अनाज तथा 15 मि. ट. दालें होंगी।

64. खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न स्कीमों जैसे धान/ गेहूँ/ मोटा अनाज आधारित फसल प्रणाली के क्षेत्रों में एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम (आई सी डी पी), तीव्रित मक्का विकास कार्यक्रम (ए एफ डी पी), राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम (एन पी डी पी) तथा बीज मिनिक्विट्स कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। वर्ष 2001-02 से तीन आई सी डी पी कार्यक्रमों का 'कृषि के मैक्रो प्रबंधन' की स्कीम में विलय किया जाना है। तथापि ए एफ डी पी तथा एन डी डी पी, तिलहन, दालों और मक्का से सम्बन्धित प्रोद्योगिकी मिशन (टी एम ओ पी एण्ड एम) के अन्तर्गत अलग स्कीमों के रूप में कार्यान्वित किया जाता रहेगा।

65. कपास के उत्पादन में संवृद्धि को तीव्र बनाने के लिए, 1999-2000 के दौरान 12 राज्यों में केन्द्र-प्रायोजित स्कीम के रूप में कपास से सम्बन्धित तकनौलाजी मिशन शुरू किया गया है। चालू गहन कपास विकास कार्यक्रम (आई सी डी पी) का टी एम सी के साथ विलय कर दिया गया है। विशेष पटसन विकास कार्यक्रम 2000-01 से 8 प्रमुख जूट/ मेस्ता उत्पादक राज्यों में अमल में लाया जा रहा है, जूट और मेस्ता का उत्पादन मैक्रो प्रबन्धन नीति के तहत किया जा रहा है।

66. देश में बागवानी सेक्टर कृषि के विविधीकरण के लिए तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाभकर रोजगार में वृद्धि करने, निर्यात आय बढ़ाने तथा अवपोषित जनसंख्या की पोषाहार स्थिति में सुधार लाने के लिए भी विपुल अवसर उपलब्ध कराता है। बागवानी विकास से कृषि-औद्योगिक आधार को पर्याप्त रूप से व्यापक बनाया जा सकता है। नौवीं योजना के दौरान, इस सेक्टर में उत्पादकता बढ़ाने और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाने की परिकल्पना की गई है तथा मौजूदा बागान की उत्पादकता तथा गुणवत्ता बढ़ाने और बीजों की सुधरी किस्मों तथा बढ़िया रोपण सामग्री की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं। आधुनिकीकरण तथा 4.5 लाख टन की प्याज स्टोरेज क्षमता का सृजन करने का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मिशन मोड पर बागवानी के एकीकृत विकास की योजना तैयार की गई है।

67. वर्षापोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम (एन डब्ल्यू डी पी आर ए) का लक्ष्य वाटरशेड आधार पर एकीकृत कृषि प्रणालियों के विकास का साकल्यवादी दृष्टिकोण अपनाना है। अब वाटरशेडों का विकास सामान्य दृष्टिकोण/ मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत, जो तैयार कर लिए गए हैं, किए जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1999-2000 के दौरान, एक वाटरशेड विकास निधि केन्द्रीय सहायता से नाबार्ड द्वारा बनाई गई है जिसके अन्तर्गत तीन वर्षों की अवधि में प्राथमिकता वाले 100 जिले लाए जाएंगे।

68. पशुपालन, ग्रामीण रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और निम्न आय वर्गों की पारिवारिक आय में इजाफा करके ग्रामीण समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नौवीं योजना में आनुवंशिक परिवर्तनों के जरिए पशुओं के उत्पादन और उत्पादकता को सुधारने; गुणवत्तापूर्ण खाद्यसामग्री और चारे के उत्पादन; पशु स्वास्थ्य की देखभाल और पशुओं को होने वाली महत्वपूर्ण बीमारियों की रोकथाम पर प्रमुख बल दिया जाना है। खाद्य उत्पादन को दुगना करने की कार्यनीति के अनुसरण में, पशु पालन और डेयरी विभाग ने अपने योजना कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं में परिवर्तन किया है और पशु उत्पादों की तेजी से संवृद्धि प्राप्त करने के लिए विशेष कार्य योजना के अन्तर्गत कार्यान्वयन हेतु 11 विशिष्ट स्कीमें निर्धारित की हैं।

69. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन उच्च उत्पादन वाले अंडे किस्म के चूजों और तेजी से बढ़ने वाले मांस किस्म के चूजों के उत्पादन में लगा है। यह कार्य वह प्रजनन विकास कार्यक्रम को अपना कर तथा कुक्कुट फार्मों में प्रशिक्षण के माध्यम से कर रहा है। कुक्कुट पालन सेक्टर, संगठित सेक्टर की सक्रिय भागीदारी से, जिसका लगभग 70 प्रतिशत उत्पादन, प्रबंधन तथा विपणन पर नियंत्रण है, खूब फलाफूला है। एक नई केन्द्र-प्रायोजित स्कीम "राज्य कुक्कुट पालन/ डक फार्म को सहायता" सिविकम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में पहली बार कार्यान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कम से कम दो डक/ पोल्ट्री फार्मों को सुदृढ करने के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाएगी।

70. देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक विकास में, मछली पालन सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लाखों लोगों को सस्ता और पोषक खाद्य उपलब्ध कराने के अलावा ग्रामीण सेक्टर में पारिवारिक आय में वृद्धि करने तथा लाभप्रद रोजगार पैदा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा लगभग 3.84 मिलियन मछुआरों को रोजगार देता है। नौवीं योजना के दौरान मत्स्य विकास कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्यों में उत्पादन तथा उत्पादकता को

इष्टतम बनाना, समुद्रीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना तथा मछुआरों/ मछली पालकों की सामाजिक, आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना शामिल हैं। यह सेक्टर निर्यात आय के प्रमुख अंशदाताओं में से एक रहा है तथा वर्ष 1999-2000 में लगभग 5096 करोड़ रुपये का स्तर प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है।

सिंचाई

71. आर्थिक संवृद्धि में सामान्यतः और कृषि संवृद्धि में विशेषतः तेजी लाने में सिंचाई का बहुत अधिक महत्व है, अतः नौवीं योजना में इस सेक्टर को उच्च प्राथमिकता दी गई है। चूंकि देश में निवल बुवाई क्षेत्र लगभग स्थिर हो चुका है, इसलिए अगले दस वर्षों में खाद्य उत्पादन को दुगना करने तथा देश को भुखमरी से मुक्त बनाने के लिए, जैसा कि नौवीं योजना में संकल्प लिया गया है, सिंचाई की अतिरिक्त व्यवस्था के साथ साथ सिंचाई का और विस्तार महत्वपूर्ण है। सिंचाई सेक्टर के विकास हेतु, नौवीं योजना की कार्यनीति का लक्ष्य, पारेषण और उपयोग की प्रक्रिया में होने वाली क्षति को उत्तरोत्तर घटा कर जल उपयोग की दक्षता में सुधार लाना; कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी एडी पी) सृजित सिंचाई क्षमता तथा इसके उपयोग के बीच के अन्तर को पाटना, संस्थागत सुधार तथा सिंचाई प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता को बढ़ावा देना; विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में, उपयुक्त विनियामक पद्धतियों के साथ ठोस तकनीकी, पर्यावरणीय तथा आर्थिक आधारों पर भूगत जल के विकास और उपयोग में वृद्धि करना है।

72. नौवीं योजना के दौरान, कार्यनीति के अंग के रूप में, सभी चालू परियोजनाओं का, विशेष रूप से जिन्हें पांचवीं योजना से पूर्व और पांचवीं योजना अवधियों के दौरान शुरू किया गया था, पहले किए जा चुके निवेशों से लाभ प्राप्त करने हेतु, एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में पूरा किया जाना है/ इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए, इस सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त मार्ग निर्देश तैयार किए जाने की आवश्यकता है। योजना आयोग ने हाल ही में 43 प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की पहचान की है जो पांचवीं योजना से पूर्व की अवधि में शुरू की गई थी तथा जिन्हें समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

73. सिंचाई और जल निकासी प्रणालियों के समय पर नवीकरण और आधुनिकीकरण के जरिए, जिसमें जल जमाव तथा लवणयुक्त सिंचित भूमियों को सस्ती तकनीकों के जरिए कृषियोग्य बनाना शामिल है, वास्तविक सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने की योजना, विशेष रूप से वर्तमान संसाधन तंगी को देखते हुए कार्यान्वित की जानी जरूरी है। यह अनुमान लगाया गया है कि स्वतन्त्रता से पहले की अवधि की और 25 वर्ष पूर्व पूरी की गई बड़ी और मझौली परियोजनाओं से सिंचित लगभग 21 मि. है. क्षेत्र, जो प्रणालियों के कार्य निष्पादन में आई गिरावट के कारण, अंशतः अथवा पूरी तरह सिंचाई से वंचित हो गया है, उनका काफी हद तक पुनरुद्धार/ उन्नयन/ बहाली आवश्यक है। विश्व बैंक की सहायता से, कुछ राज्यों में चुनिंदा सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण/ नवीकरण हेतु जल संसाधन समेकीकरण परियोजना, इस समय चल रही है। तथापि जिन विद्यमान प्रणालियों में वर्षों के दौरान गिरावट आई है, उनके आधुनिकीकरण/ नवीकरण के माध्यम से जल उपयोग की कुशलता में सुधार लाने हेतु कदम उठाए जाने आवश्यक हैं।

74. अनुमोदित कार्यान्वयनाधीन बड़ी/ मझौली सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु तीव्रीकृत सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) वर्ष 1996-97 में शुरू किया गया था। वर्ष 1999-2000 से केवल विशेष श्रेणी के राज्यों और उड़ीसा के के बी के जिलों की लघु सिंचाई स्कीमें, नई और चालू दोनों, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता पाने की पात्र हैं। इसके अलावा,

संशोधित मार्ग-निर्देशों के अनुसार, गैर-विशेष श्रेणी राज्यों को 2:1 अनुपात में (केन्द्र:राज्य) परियोजनाओं के लिए सी एल ए उपलब्ध है। ए आई बी पी मार्ग निर्देश (1999) में यह कहा गया था कि उन बड़ी/ मझौली सिंचाई परियोजनाओं पर जो निर्माण के चरण पर हैं, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने पर विचार किया जाना है परन्तु उड़ीसा के के. बी. के जिलों को लाभान्वित करने वाली उन सिंचाई परियोजनाओं को नहीं, जो निर्माण के आरम्भिक चरण पर हैं।

75. 2000 हे. तक के कृषि कमान क्षेत्र वाली सभी भूगत जल और सतही जल स्कीमों को लघु सिंचाई स्कीमों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लघु सिंचाई स्कीमों से अन्ततः प्राप्य सिंचाई क्षमता का अनुमान 81.43 मि. हे. लगाया गया है, जिसमें सतही जल स्कीमों से 17.38 मि. हे. तथा भू जल स्कीमों से 64.04 मि. हे. क्षमता सम्मिलित है। सातवीं योजना के अन्त तक, लघु सिंचाई स्कीमों के माध्यम से सृजित क्षमता 46.06 मि. हे. थी और आठवीं योजना के अन्त तक 5.60 मि. हे. होने का अनुमान लगाया गया था। अतः नौवीं योजना के शुरुआत में उपलब्ध शेष क्षमता 24.83 मि. हे. बैठती है। नौवीं योजना में क्षमता सृजन का लक्ष्य 7.24 मि. हे. नियत किया गया है।

76. सिंचित कृषि से सम्बद्ध सभी कार्यों के एकीकरण द्वारा सिंचाई क्षमता के उपयोग में सुधार लाने तथा सिंचित क्षेत्रों से कृषि उत्पादन और उत्पादकता को इष्टतम बनाने के मुख्य उद्देश्य से, एक केन्द्र-प्रायोजित स्कीम के रूप में सी ए डी कार्यक्रम वर्ष 1974-75 में शुरू किया गया था और मार्च 1999 के अन्त तक 23 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों में फैली 21.95 मि. हे. सी सी ए को कवर करने वाली 227 सिंचाई परियोजनाएं विद्यमान थीं।

77. एक उच्च स्तरीय समिति ने, जो सिंचाई तथा बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं में निजी सेक्टर की भागीदारी की व्यावहारिकता तथा गुंजाइश की जांच करने के लिए सन् 1995 में गठित की गई थी, अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला था कि निजी सेक्टर की भागीदारी सभी सिंचाई (भूतल तथा भूगत जल) तथा बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में व्यावहारिक है। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और आन्ध्रप्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने सिंचाई परियोजनाओं के निजीकरण हेतु कार्रवाई शुरू की है। इन परियोजनाओं "स्वयं बनाओ-मालिक बनो-स्वयं चलाओ" (बी ओ ओ) या "स्वयं बनाओ-मालिक बनो-स्वयं चलाओ और अन्तरित करो" (बी ओ ओ टी) अथवा "स्वयं बनाओ-मालिक बनो-पट्टे पर दो" के आधार पर निजीकरण किए जाने की परिकल्पना की गई है।

78. राष्ट्रीय जल नीति (1987)के अनुसार जल की दर ऐसी होनी चाहिए कि उससे उपभोक्ताओं को उसके अभाव के महत्व का पता चले और उन्हें सुचारु जल उपयोग की प्रेरणा मिले और साथ ही जो वार्षिक रख-रखाव व प्रचालन प्रभारों को कवर करने के लिए पर्याप्त हो तथा निश्चित लागत का एक भाग वसूल हो सके। जल की प्रति इकाई कृषि उत्पादकता में क्रमिक रूप से वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है ताकि जल के अन्य उच्च मूल्य वाले प्रयोक्ताओं के साथ होड़ में ठहरा जा सके।

79. अधिकांश राज्यों में इस समय सिंचाई जल की दरें बहुत कम हैं तथा उनका स्तर पर्याप्त रूप से भिन्न-भिन्न है तथा उनमें से कुछ ने पिछले 2-3 दशकों से उनमें संशोधन भी नहीं किया है। अधिकांश पूर्वोत्तर राज्य (असम और मणिपुर को छोड़ कर) सिंचाई जल के लिए कुछ भी प्रभार नहीं लेते। योजना आयोग द्वारा गठित जल मूल्यनिर्धारण समिति ने सिफारिश की थी कि कार्यक्रमानुसार अर्थात् 1995-96 से शुरू करके पांच वर्ष की अवधि के दौरान तथा मुद्रास्फीति को भी ध्यान में रखते हुए, पूर्ण प्रचालन और रख रखाव लागत वसूल की जानी

चाहिए और बाद में अलग-अलग राज्य पूंजी लागत का भी एक प्रतिशत कवर करने के लिए पानी की दरें बढ़ाने के लिए समुचित कारवाई करने के सम्बन्ध में निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा, सभी राज्यों द्वारा सिंचाई और जल मूल्य निर्धारण बोर्ड स्थापित किए जाने और कम-से-कम प्रत्येक पांच वर्ष में पानी की दरों का आवधिक संशोधन अनिवार्य रूप से करने की भी सिफारिश की गई, जिसमें उपभोक्ताओं को भी अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाय। वार्षिक योजना 1999-2000 तथा 2000-01 पर चर्चा करने के लिए कार्यदल की बैठकों के दौरान, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे जल की दरें इस तरह से संशोधित करें कि कम से कम प्रचालन और रख रखाव के खर्च पूरे हो सकें। उन्हें स्थापना लागत कम करने तथा जल की दरों की वसूली सम्बन्धी दक्षता में सुधार लाने की भी सलाह दी गई है।

उद्योग तथा आधारिक संरचना

80. जुलाई 1991 में शुरू की गई उदारीकरण की नीति के परिणामस्वरूप हम कमान अर्थव्यवस्था से लगातार बाजार-उन्मुख औद्योगिक नीति विधान की ओर बढ़ रहे हैं। नई नीति का बल पूंजी तकनालौजी और बाजार तक पहुँच अपलब्ध कराने पर है, ताकि अधिक औद्योगिक दक्षता प्राप्त करने और घरेलू अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण को प्रेरित किया जा सके। इस नीति के अन्तर्गत कारोबारी निर्णयों में स्वतन्त्रता और लचीलेपन की छूट है ताकि औद्योगिक सेक्टर, बाजार शक्तियों के प्रति अनुकूल व्यवहार कर सके। सरकार की ओर से औद्योगिक नीति की समीक्षा करना एक सतत प्रयास रहा है, केवल इसलिए नहीं कि औद्योगिक समुदाय को पेश आ रही कार्यविधिक अडचनों को दूर किया जा सके, बल्कि इसलिए भी कि भारत के औद्योगिक वातावरण को घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों के लिए अनुकूल बनाने हेतु अत्यावश्यक जोर डाला जा सके। नई नीति का मूल मंत्र भारतीय उद्योग को विश्व में प्रातियोगी बनाना है।

81. औद्योगिक उत्पाद के सामान्य सूचकांक में उल्लेखनीय उछाल आया है, जिसने पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त 3.8 प्रतिशत की संवृद्धि की तुलना में वर्ष 1999-2000 में 8.0 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की है। वर्ष 1994-95 से लेकर समग्र औद्योगिक कार्य निष्पादन संलग्नक 1.10 में दर्शाया गया है।

82. वर्ष 1999-2000 में उद्योगों के निष्पादन के क्षेत्रकीय विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में विनिर्माण सेक्टर में 9.0 प्रतिशत की संवृद्धि रिकार्ड की, विद्युत सेक्टर ने 6.6 प्रतिशत की संवृद्धि रिकार्ड की गई और उसके बाद खनन सेक्टर ने 0.6 प्रतिशत की। वर्ष 1999-2000 में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में 12.2 प्रतिशत की संवृद्धि दर, वर्ष 1997-99 में प्राप्त संवृद्धि से लगभग तीन गुणा है। बुनियादी वस्तुओं के सेक्टर में 5.1 प्रतिशत की संवृद्धि दर भी पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में प्राप्त संवृद्धि के लगभग तीन गुणा है। मध्यवर्ती वस्तु सेक्टर की 15 प्रतिशत की संवृद्धि दर भी पर्याप्त रूप से ऊँची रही जिनसे उच्चतर संवृद्धि की आशाएं लगी हैं। पूंजीगत वस्तु सेक्टर में 4.8 प्रतिशत की संवृद्धि दर, अन्य सेक्टरों में प्राप्त संवृद्धि की अपेक्षाओं के अनुरूप है। 1999-2000 की अवधि के लिए, विपृथक्करण के द्वि-अंकीय स्तर पर 17 उद्योग समूहों में से 12 ने धनात्मक संवृद्धि दर प्रदर्शित की है। इनमें, खाद्य उत्पाद; पेय, तम्बाकू और संबद्ध उत्पाद; सूती वस्त्र, ऊन, रेशम तथा मानव निर्मित फाइबर टेक्सटाइल; मूल रसायन और रासायनिक उत्पाद, गैर-धात्विक खनिज उत्पाद; परिवहन उपस्कर से भिन्न मशीनें व उपस्कर; टेक्सटाइल उत्पाद (जिनमें पहनने की पोशाकें शामिल हैं); कागज तथा कागज उत्पाद और मुद्रण, प्रकाशन और सम्बद्ध उद्योग; चमड़ा और चमड़ा व फर उत्पाद, मूल धातु और

मिश्रित धातु उद्योग; परिवहन उपस्कर और हिस्से शामिल हैं, जैसा कि संलग्नक 1.10 में दर्शाया गया है।

83. चूकि आधरिक संरचना आर्थिक विकास की रीढ की हड्डी है, इसलिए आधरिक संरचना सेक्टर का निष्पादन आर्थिक संवृद्धि का मूल संकेतक है। भारतीय उद्योग की अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगितात्मकता और भारत के निर्यातों की भावी सफलता आधरिक संरचना के दक्ष निष्पादन पर निर्भर करती हैं। विभिन्न आधरिक संरचना उद्योगों की उपलब्धियों से यह पता चलता है कि सीमेंट और विद्युत सेक्टरों में, 1999–2000 के लक्ष्यों से पर्याप्त ऊंची क्रमशः 6.6 प्रतिशत तथा 2.3 प्रतिशत की संवृद्धि दरें रही हैं। इस शीर्ष के अन्तर्गत छः औद्योगिक सेक्टरों में से, कोयला उत्पादन में वर्ष 1999–2000 के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया गया है तथा कच्चे तेल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग तथा स्टील के उत्पादन में इस अवधि में क्रमशः 3.1 प्रतिशत, 11.3 प्रतिशत तथा 7.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है जिनके विवरण संलग्नक 1.11 में दिए गए हैं।

84. देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विद्युत एक मूल निविष्टि है। नौवीं योजना में विद्युत उत्पादन एककों की प्रचालन कुशलता में सुधार, प्रणाली-हानियों में समग्र कमी तथा विद्युत के अन्तिम प्रयोग की दक्षता में वृद्धि के माध्यम से, विद्युत सेक्टर में पहले से उपलब्ध सुविधाओं से होने वाले लाभों को अधिकाधिक बढ़ाने पर बल दिया गया है। चालू परियोजनाओं को तेज किया जाएगा और यथाशीघ्र पूरा किया जाएगा तथा योजना में दसवीं योजना की परियोजनाओं के लिए की जाने वाली अग्रिम कारवाई की व्यवस्था की जायगी और उसमें दसवीं योजना के दौरान तथा बाद में विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत प्रणाली के संतुलित विकास हेतु पन-बिजली के विकास को तेज करने पर विशेष बल दिया जायगा।

85. नौवीं योजना की अवधि के लिए परिकल्पित 40,245 मे. वा. की कुल अतिरिक्त क्षमता में से, जिसमें 11909 मे. वा. केन्द्रीय सेक्टर में 10748 मे. वा. राज्य सेक्टर में तथा शेष 17588 मे. वा. निजी सेक्टर में परिकल्पित है, नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान क्षमता में बढ़ोतरी मात्र 11976 मे. वा. रही जो परिकल्पित कुल क्षमता का लगभग 29.8 प्रतिशत है। कमियां मुख्य रूप से उपस्कर की आपूर्ति और निर्माण कार्य में देरियों के कारण आईं। वर्ष 2000–01 के लिए 4000.3 मे. वा. की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

86. नौवीं योजना में इसके अन्तिम वर्ष 2001–02 के अन्त तक जनोपयोगी सेवाओं (यूटिलिटीज) से 606.70 बिलियन के डब्ल्यू एच विद्युत-उत्पादन का लक्ष्य परिकल्पित है। वर्ष 1999–2000 में 480.01 बी के डब्ल्यू एच विद्युत उत्पादन, 469 बी के डब्ल्यू एच के लक्ष्य से 2.3 प्रतिशत अधिक है। जनोपयोगी सेवाओं में 2000–01 में 499 बिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का अनुमान है तथा 1.33 बिलियन यूनिट की अतिरिक्त ऊर्जा भूटान स्थित चुखा हाईडल परियोजना से उपलब्ध हो जाने की भी आशा है। नौवीं योजना में 9.0 प्रतिशत की लक्षित संवृद्धि दर की तुलना में, प्रथम तीन वर्षों के दौरान बिजली उत्पादन में 6.63 प्रतिशत की वार्षिक संवृद्धि दर प्राप्त की गई है तथा यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो जनोपयोगी सेवाओं से 2001–02 में उत्पादन, 606.7 बी के डब्ल्यू एच के लक्ष्य की तुलना में, केवल 546 बी के डब्ल्यू एच तक हो सकता है और परिणामतः लगभग 61 बी के डब्ल्यू एच की कमी रहेगी। हाल के वर्षों में प्लांट लोड फैक्टर (पी एल एफ) में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो आठवीं योजना के शुरू में 55.3 प्रतिशत था और बढ़कर 1999–2000 के अन्त तक 76.3 प्रतिशत हो गया है।

87. सरकार ने विद्युत विनियमन आयोग (ई आर सी) अधिनियम 1998 बनाया है, जिसमें विद्युत टैरिफ के युक्तियुक्तकरण तथा राजसहायता (सब्सिडी) के बारे में पारदर्शी नीतियां तैयार

करने के उद्देश्य से दक्ष और पर्यावरणीय हितकर नीतियां शामिल की गई हैं। विद्युत विनियमन आयोग अधिनियम से केन्द्र में जुलाई 1998 में केन्द्रीय विद्युत विनियमन आयोग के गठन का, जो प्रचालन में है और राज्य स्तर पर राज्य विद्युत विनियमन आयोगों के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। जहां तक राज्य विद्युत विनियमन आयोगों का सम्बन्ध है, 14 राज्यों ने अब तक अपने-अपने राज्य विद्युत विनियमन आयोगों का गठन कर लिया है। उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और हरियाणा ने तो अपने स्वयं के अधिनियम के अन्तर्गत राज्य विद्युत विनियमन आयोग स्थापित किए हैं, परन्तु अन्य राज्यों ने अर्थात् उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक ने केन्द्रीय विद्युत विनियमन आयोग अधिनियम के अन्तर्गत राज्य विद्युत विनियमन आयोग गठित किए हैं।

88. विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों में पुनर्गठन और विनियमन सुधार का कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर हैं। उड़ीसा, हरियाणा, आन्ध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्यों ने अपने राज्य सुधार अधिनियम बना लिए हैं तथा अपने राज्य विद्युत बोर्डों को खोल दिया है। निगमित कर दिया है। राजस्थान ने भी राज्य सुधार अधिनियम बनाया है। दिल्ली अपने विद्युत सुधार विधेयक का प्रारूप तैयार किया है। वितरण प्रणाली का निजीकरण भी मुख्य ध्यान देने योग्य क्षेत्र बन रहा है। उड़ीसा में जी आर आई डी सी ओ की चार अनुषंगी वितरण कम्पनियों का निजी कम्पनियों के पक्ष में विनिवेश किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर में वितरण कार्य का निजीकरण कर दिया है।

89. गैर-पारम्परिक अथवा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों ने सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के व्यवहार्य विकल्प के रूप में विश्व का ध्यान खींचा है। नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों के जरिए महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दिसम्बर 1999 तक, देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 1600 मे. वा. रहा है जो कुल क्षमता का 1.5 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है। भारत के पास विश्व में सबसे अधिक वायुशक्ति क्षमता है जिसे लगभग 45,000 मे. वा. आंका गया है। लघु जल विद्युत परियोजनाओं की 10,000 मे. वा. क्षमता का अनुमान लगाया गया है, जिसकी तुलना में 267 परियोजनाओं के माध्यम से अभी तक 210 मे. वा. की उपलब्धि हुई है, निजी सेक्टर की भागीदारी के जरिए लघु जल विद्युत परियोजना सेक्टर के, वाणिज्यीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। दूरस्थ क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराने में विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगों के लिए विद्युत उत्पादन करने में सौर फोटो वोल्टिक प्रणालियों ने भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। हमारे जैसे आकार और जनसंख्या वाले देश में, विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगों के लिए विद्युत-उत्पादन हेतु पर्यावरण-अनुकूल स्रोत के रूप में बायोमास का भविष्य उज्ज्वल है। "अपशिष्ट से ऊर्जा" की पहचान एक ऐसे क्षेत्र के रूप में की गई है जिस पर बल दिया जाना है तथा शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा की प्राप्ति के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह हिसाब लगाया गया था कि इससे लगभग 1,700 मे. वा. विद्युत पैदा करने की क्षमता है, जिसमें से एक हजार मे. वा. बिजली शहरी और नगरपालिका अपशिष्ट से तथा शेष 700 मे. वा. बिजली औद्योगिक अपशिष्ट से पैदा की जा सकती है।

90. ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में, 2000 गांवों और 2.5 लाख पम्प सैटों के लक्ष्य के मुकाबले, वर्ष 1999-2000 के दौरान 2,078 गांवों तक बिजली पहुँचाई गई और 2.58 लाख पम्प सैट चालू किए गए। मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत संचयी उपलब्धि में 5.87 लाख गांवों और 145 लाख बिजली के पम्प सैटों (1991 की जनगणना के अनुसार) के लक्ष्य के विपरीत लगभग 5.07 लाख गांवों का विद्युतीकरण और 124.74 लाख पम्प सैटों को चालू करना शामिल है। इस प्रकार क्रमशः 86.4 प्रतिशत और 86.0 प्रतिशत लक्ष्य

प्राप्त किए गए। वर्ष 1999-2000 के दौरान, कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत जिसका उद्देश्य हरिजनों और आदिवासियों सहित गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के घरों को सिंगल प्वाइंट लाइट कनेक्शन देना है, 5.40 लाख कनेक्शनों के लक्ष्य के मुकाबले 1,98,416 कनेक्शन (दिसम्बर 1999 के अंत तक) जारी किए गए थे। कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत दिसम्बर 1999 तक कुल उपलब्धि 35.56 लाख है।

91. कोयला सेक्टर के विकास के लिए नौवीं योजना के मुख्य उद्देश्य ये हैं: विशेष रूप से विद्युत की मांग तथा कोयला परियोजनाओं की लम्बी पक्वनावधि को देखते हुए, कोयला और लिग्नाइट विकास की दीर्घकालीन योजना बनाना, उत्पादकता और क्षमता के उपयोग को बढ़ाना और नई प्रौद्योगिकी को अपनाना, मांग-प्रबन्ध करना, मांग और पूर्ति के बीच के भारी अंतर को कम करने के लिए देश में कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्रक की भागीदारी को सहज बनाना, सार्वजनिक क्षेत्रक की कम्पनियों को अधिक स्वायत्तता देना और अधिक जिम्मेदारी सौंपना और कोयले की आवाजाही में सुधार के लिए पवन और रेल सुविधाओं में वृद्धि करना।

92. नौवीं योजना के अन्तिम वर्ष (2001-02) में कोयले की मांग का लक्ष्य, 7.70 मी. टन वाशरी मिडिलिंग्स को छोड़ कर कच्चे कोयले का 412.20 मिलियन टन निर्धारित किया गया था। तदनुसार, आठवीं योजना में प्राप्त 5.3 प्रतिशत की संवृद्धि दर की तुलना में नौवीं योजना में कोयले की मांग में 6.85 प्रतिशत की औसत वार्षिक चक्रवृद्धि दर की परिकल्पना की गई थी। नौवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में कोयले की मांग में हास हुआ है, परन्तु वर्ष 1999-2000 में कोयले की निकासी में हलका सुधार हुआ है। प्रथम दो वर्षों में निकासी में कमी मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में अस्थायी सुस्ती तथा विद्युत सेक्टर में नये कोयला-आधारित सृजन-क्षमता में और वृद्धि हो पाने के कारण विद्युत इस्पात और सीमेंट जैसे प्रमुख उपभोक्ता सेक्टरों द्वारा अपेक्षाकृत कम खरीद की वजह से हुई। इसके अलावा, ताप विद्युत स्टेशनों ने संसाधनों की तंगी के कारण अपने भण्डार का उपभोग करके अपनी-अपनी खरीद को नियंत्रित किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि लदान (लोड) केन्द्रों पर 30 दिनों के स्टॉक के सम्मत मानदंड का पालन नहीं किया गया है। लेकिन, 1999-2000 में प्रत्याशित उठान, मांग के लक्ष्य से लगभग एक प्रतिशत अधिक रहा है। नौवीं योजना के पहले तीन वर्षों में औसत वार्षिक वृद्धि की चक्रवृद्धि दर 2.1 प्रतिशत बैठती है, जबकि इसकी तुलना में योजना की मध्यावधिक समीक्षा के दौरान वृद्धि की संशोधित दर 4.6 प्रतिशत थी। वर्ष 2000-01 में कोयले की मांग 5.02 मिलियन मीटरी टन वाशरी मिडिलिंग को छोड़ कर, 333.85 मिलियन मीटरी टन आंकी गई है, जबकि इसकी तुलना में 1999-2000 में 4.95 मिलियन मी. टन वाशरी मिडिलिंग को छोड़ कर, कोयले की 315.32 मिलियन मी. टन खपत/ उठान की प्रत्याशा है।

93. प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्रकों द्वारा अपेक्षाकृत कम कोयला उठाए जाने के कारण और खानमुख पर बढ़ते हुए स्टॉक को रोकने के लिए कोयला कम्पनियों द्वारा कोयले के उत्पादन को विनियमित किए जाने की वजह से, नौवीं योजना के पहले तीन वर्षों में कोयले के उत्पादन के लक्ष्य को कार्यरूप नहीं दिया जा सका। इसके परिणामस्वरूप, नौवीं योजना की मध्यावधिक समीक्षा के अनुसार 2.86 प्रतिशत की संशोधित वृद्धि की तुलना में, योजना के पहले तीन वर्षों में औसत वार्षिक वृद्धि केवल 1.4 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से हुई है। वर्ष 2000-01 के लिए कोयले के उत्पादन का लक्ष्य, वर्ष 1999-2000 के 297.86 मिलियन मी. टन के प्रत्याशित उत्पादन की तुलना में 308.07 मिलियन मी. टन तय किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोयला कम्पनियों को क्षमता के सृजन के लिए नया निवेश करने में संकोच हो रहा है और वे इसे वाणिज्यिक ईंधन आपूर्ति के कारणों के साथ जोड़ना बेहतर समझती हैं। इस प्रकार नई

कोयला परियोजनाओं को हाथ में लेने में विलम्ब हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप मध्यम और दीर्घावधिक रूप से कोयले की उपलब्धता में कमी आ सकती है। इसके अलावा, कोयले के वाणिज्यिक खनन में गैर-सरकारी क्षेत्रक की प्रस्तावित भागीदारिता में भी देर हो रही है। विद्युत परियोजनाओं की तुलना में, कोयला परियोजनाओं की परिपक्वता अवधि लम्बी होती है, जिससे नौवीं योजना में निर्धारित परियोजनाओं को हाथ में लेने की आवश्यकता को बल मिलता है, ताकि दसवीं योजना की प्रारम्भिक अवधि में और उसके बाद विद्युत क्षेत्रक की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

94. कोयला क्षेत्रक में सुधार की प्रक्रिया के अन्तर्गत सभी ग्रेडों के कोयले की कीमतों पर से जनवरी, 2000 से नियंत्रण समाप्त हो गया है और वाणिज्यिक कोयला खनन में गैर-सरकारी क्षेत्र को अनुमति देने के विधेयक को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और उसे संसद के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

95. अनुमान है कि 2000-01 में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग, 1999-2000 में 95.73 मिलियन मी. टन की अनन्तिम खपत की तुलना में 104.92 मिलियन मी. टन की होगी। वृद्धि की मौजूदा दर के अनुसार, नौवीं योजना के अन्तिम वर्ष के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की 110 मिलियन मी. टन मांग का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके पूरा हो जाने की संभावना है।

96. वर्ष 1999-2000 में कच्चे (क्रूड) तेल का प्रत्याशित उत्पादन, जिसमें संयुक्त उद्यमों और गैर-सरकारी क्षेत्रक की कम्पनियों का उत्पादन भी शामिल है, 32 मिलियन मी. टन था, जबकि लक्ष्य 33.02 मिलियन मी. टन (गैर-सरकारी/ संयुक्त उद्यम उत्पादन सहित) का था, और प्राकृतिक गैस के उत्पादन और प्रेषण के क्रमशः 27.45 बिलियन घन मीटर (बी. सी. एम.) और 19.33 बी. सी. एम. के लक्ष्य की तुलना में प्रत्याशित उत्पादन और प्रेषण क्रमशः 27.97 बी. सी. एम. और 19.99 बी. सी. एम. था। वर्ष 2000-01 के लिए क्रूड तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लक्ष्य क्रमशः 31.99 मिलियन मी. टन और 28.81 बिलियन घन मीटर निर्धारित किए गए हैं। प्रवृत्तियों से पता चलता है कि कच्चे तेल के उत्पादन में नौवीं योजना के 180.82 मिलियन मी. टन के लक्ष्य की तुलना में, कमी हो सकती है, जबकि प्राकृतिक गैस के 144.53 बिलियन घन मीटर के उत्पादन के लक्ष्य के प्राप्त हो जाने की संभावना है।

97. वर्ष 2000-01 के शुरू में शोधन क्षमता का लक्ष्य 112.54 मीट्रिक मिलियन मी. टन प्रतिवर्ष रखा गया था। वर्ष 2000-01 में कोई अतिरिक्त शोधन क्षमता निर्मित होने की संभावना नहीं है। मौजूदा अनुमानों के अनुसार, शोधन क्षमता नौवीं योजना की अन्त तक बढ़ कर 129.04 एम. एम. टी. पी. ए. हो जाएगी, जबकि लक्ष्य 113.95 एम. एम. टी. पी. ए. का रखा गया था। 1999-2000 में प्रत्याशित रिफाइनरी क्रूड थ्रोपुट 85.89 एम. एम. टी. था, जबकि अनुमानित स्थापित क्षमता 95.60 एम. एम. टी. की थी। वर्ष 2000-01 के लिए क्रूड थ्रोपुट का लक्ष्य 112.00 एम. एम. टी. निर्धारित किया गया है।

98. प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में, इंडिया हाइड्रोकार्बन विज़न -2025 विकसित करने का विशिष्ट ढांचा तैयार करने के लिए एक दल गठित किया गया था। दल ने इस बीच अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। विज़न -2025 में देश के अन्दर उत्पादन को बढ़ा कर और विदेशों में तेल ईक्विटी में निवेश करने, ऊर्जा-सुरक्षा की व्यवस्था करने, उत्पादों के स्तर को ऊंचा उठाकर जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने, हाइड्रोकार्बन क्षेत्रक का विकास विश्व में प्रतियोगिता कर सकने योग्य उद्योग के रूप में करने, मुक्त बाजार और स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा देने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है।

99. वर्ष 1999-2000 में तैयार इस्पात की स्पष्ट खपत 25.02 मिलियन मीटरी टन (अनन्तिम) थी, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 6.29 प्रतिशत अधिक थी, जबकि इसकी तुलना में नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए 8.85 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इस्पात की खपत में कमी का कारण इस्पात की खपत करने वाले क्षेत्रों, जैसे निर्माण, पूंजीगत वस्तु और इंजीनियरी वस्तु उद्योग में मांग ढीली होने, देश में समूची आर्थिक रफ्तार के धीमा हो जाने, आधारभूत ढांचे संबंधी बृहद परियोजनाओं में सरकारी/ गैर-सरकारी निवेश में कमी, आयात-शुल्क में लगातार कमी और उत्पाद-शुल्क में वृद्धि और आयात की अधिक प्रतियोगिता को माना जा सकता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान तैयार इस्पात का उत्पादन 26.71 मिलियन मीटरी टन हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.13 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है। द्वितीयक उत्पादकों के हिस्से में लगातार वृद्धि हो रही है और यह तैयार इस्पात के कुल उत्पादन के लगभग 58 प्रतिशत तक पहुंच गया है। वर्ष 2000-01 के लिए सभी स्रोतों से तैयार इस्पात (जिसमें मिश्र धातु इस्पात, गैर-मिश्र धातु इस्पात और स्टेनलेस स्टील शामिल हैं) की घरेलू उपलब्धता 27.99 मिलियन मी0 टन आंकी गई है, जबकि इसकी तुलना में मांग के 29.63 मिलियन टन होने का अनुमान है; अतिरिक्त मांग को आयात द्वारा पूरा किया जाएगा। वर्ष 2000-01 के लिए 4.38 मिलियन मी0 टन तैयार इस्पात के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है।

100. वर्ष 1999-2000 के दौरान देश के अंदर लौह अयस्क 39.6 मिलियन मी0 टन (अनन्तिम) की खपत हुई, जो उससे पिछले वर्ष की तुलना में 2.86 प्रतिशत अधिक थी। 1998-99 में इसके उत्पादन में भारी कमी होने के बाद, यह फिर से बढ़ कर 72.2 मिलियन मी0 टन (अनन्तिम) हो गया, जो इससे पिछले वर्ष की अपेक्षा 2.83 प्रतिशत अधिक था। उत्पादन में कम वृद्धि का कारण इस्पात उद्योग और निर्माण संबंधी क्रियाकलापों में मंदी की स्थिति को माना जा सकता है, जिसकी वजह से इस्पात संयंत्रों द्वारा, जो प्रमुख उपभोक्ता हैं, लौह अयस्क का उठान कम किया गया। लौह अयस्क के उत्पादन को और अधिक बढ़ाने के लिए, एन एम डी सी के बेलाडीला-14 निक्षेप (खान) में ब्लू डस्ट खनन परियोजना को क्रियान्वयन के लिए हाथ में लिया गया है और इसके सितम्बर, 2000 तक पूरा हो जाने की संभावना है। बेलाडीला-11 बी परियोजना की क्षमता 5 मिलियन मी0 टन लौह अयस्क की होगी और यह एन एम डी सी और मेसर्ज इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम होगा। लौह अयस्क लगभग 30-32 मिलियन मी0 टन के आस-पास घटता-बढ़ता रहता है और वर्ष 1999-2000 में यह 20.1 मिलियन मी0 टन (अनन्तिम) था। भारत विश्व में लौह अयस्क के प्रमुख निर्यातक में से एक है और यह मुख्यतः जापात, चीन, ईरान को निर्यात करता है और विश्व में ब्राजील, आस्ट्रेलिया और सी आई एस देशों के बाद इसका चौथा स्थान है। सरकार की नीति के अनुसार, निकट अतीत में व्यापार की संरचना से पता चलता है कि विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात के हिस्से में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है। कुल निर्यात में लौह अयस्क और खनिजों के हिस्से में निरंतर कमी हो रही है; कुल निर्यात में उनका हिस्सा, जो 1995-96 में 3.7 प्रतिशत था, घट कर 1998-99 में 2.6 प्रतिशत हो गया और उसमें और गिरावट आने का अनुमान है।

101. परिवहन क्षेत्रक देश की आर्थिक संवृद्धि और विकास की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। परिवहन प्रणाली में, जिसमें रेल, सड़क, समुद्री पत्तन और हवाई अड्डे शामिल हैं, पिछले पचास वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई है। भारतीय रेल विश्व की एक सबसे बड़ी रेल प्रणाली है, जिसका लगभग 63000 किलोमीटर लम्बे मार्गों का विशाल जाल बिछा है और जो लम्बी दूरी के थोक माल यातायात और लम्बी दूरी के यात्री यातायात और उप-नगरीय क्षेत्रों में लोगों के तेजी से आने-जाने का मुख्य साधन है। पिछले पचास वर्षों में रेलों के कुल माल और यात्री यातायात में छः गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। सड़कों की कुल लम्बाई, जो 1950-51 में

0.4 मिलियन किलोमीटर थी, बढ़ कर 1996-97 में लगभग 3.32 मिलियन किलोमीटर हो गई है; इसमें जे आर वाई के अंतर्गत निर्मित सड़कों की लम्बाई भी शामिल है। पत्तनों के क्षेत्रक में, समुद्री यातायात में लगभग 13 गुना वृद्धि हुई है; 1950-51 में यह 19.38 मिलियन टन था, जो बढ़ कर 1998-99 में 251.70 मिलियन टन हो गया था। इंडियन एयर लाइन्स द्वारा ले जाया जाने वाला यातायात, जो 1960-61 में 83 मिलियन आर टी के एम एस था, बढ़ कर 1998-99 में 709 मिलियन टन आर टी के एम एस हो गया।

102. नौवीं योजना में इस बात पर बल दिया गया था कि परिवहन क्षेत्रक के सामने जो विविध मुद्दे पेश हैं उनके समाधान के लिए एक व्यापक नीतिगत पैकेज की आवश्यकता है। भारतीय रेलों की पहुंच और क्षमता को बढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि यह देश के दूर-दूर के भागों को आपस में जोड़ सके, पिछड़े क्षेत्रों की आर्थिक क्षमताओं का विकास करने में सहायता दे सके और देश के मध्यम और लम्बी दूरी के माल-यातायात का वहन कर सके। इसी प्रकार, सड़कों के जाल का विस्तार करने और उसे सुदृढ़ बनाने की जरूरत है, ताकि पश्चिमी और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच को आसान बनाया जा सके और देश के अलग-थलग हिस्सों को आपस में जोड़ने के काम को सुविधाजनक बनाया जा सके। माल और यात्रियों के तेज, कुशलतापूर्ण और किफायती यातायात की व्यवस्था करने के लिए, राष्ट्रीय ग्रिड के एक भाग के रूप में राजमार्गों की लम्बाई, चौड़ाई में वृद्धि की जानी चाहिए और उनकी कोटि में सुधार किया जाना चाहिए।

103. प्रभावशाली उपलब्धियों के बावजूद, यह जरूरी है कि परिवहन क्षेत्रक को अपनी विविध प्रकार की कमजोरियों को दूर करने और समस्याओं का समाधान करने योग्य बनाया जाए। समूची परिवहन प्रणाली की क्षमता अपने शिखर पर पहुंच चुकी है। इसलिए, मौजूदा तंत्र (नेटवर्क) को विकसित करने/ सुदृढ़ बनाने की अत्यंत आवश्यकता है और इसके अलावा दुर्गम क्षेत्रों में, जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर भी शामिल है, परिवहन के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के फैलाव में उत्पन्न असंतुलनों को दूर करना भी जरूरी है।

104. वर्ष 1999-2000 के दौरान रेलवे ने 450.0 मिलियन मीटरी टन राजस्व अर्जक मूल माल यातायात (संशोधित अनुमान) का वहन किया, जिससे पता चलता है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा उसमें 6.91 प्रतिशत वृद्धि हुई; यह वृद्धि मुख्यतः अर्थव्यवस्था में सामान्य उत्थान के कारण हुई। जहां तक मूल यात्री यातायात का संबंध है, 1999-2000 में यह 4630 मिलियन था, अर्थात् 1998-1999 की तुलना में 3.62 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। यात्री किलोमीटर के मामले में, इसी अवधि में लगभग 6.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वे 1998-99 में वेगनों की उत्पादकता 1997-98 की तुलना में 0.5 प्रतिशत अधिक थी। वर्ष 1998-99 में, 260 किलोमीटर गेज परिवर्तन हुआ, 2967 किलोमीटर मार्ग (ट्रैक) का नवीकरण किया गया, 617 किलोमीटर लम्बे मार्ग का विद्युतीकरण किया गया और 167 किलोमीटर लम्बी नई लाइनें बिछाई गईं। वर्ष 2000-01 के लिए राजस्व अर्जक माल यातायात का लक्ष्य 475 मिलियन मीटरी टन रखा गया है।

105. सड़क परिवहन वस्तुओं और यात्रियों को लाने व ले जाने का एक प्रमुख साधन है, जो रेलवे से नहीं जुड़े, पहाड़ी, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र की जरूरतें पूरी करने का भूतल परिवहन का एकमात्र यंत्रीकृत साधन है। उदारीकरण के बाद के काल में संवृद्धि की रफ्तार को बनाए रखने के लिए, सड़क विकास को आगामी वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से, जो जल्दी ही शुरू होने वाला है, बहुत बढ़ावा मिलने की संभावना है। वार्षिक योजना, 2000-01 में मौजूदा कमियों को दूर करने पर बल दिया जाता रहेगा, जो इस प्रकार हैं : न बने हिस्सों (मिसिंग लिंक) का निर्माण, निम्न ग्रेड वाले सेक्शनों में सुधार, कमजोर पुलों की बहाली और पुनर्निर्माण,

उप-मार्गों (बाई पास) का निर्माण और इकहरे (1 लेन वाले) मार्गों को 4 लेन और 2 लेन वाले मार्गों के रूप में बदलना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुजाकार, कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला उत्तर-दक्षिणी गलियारा (कोरीडोर) और सिल्वर को सौराष्ट्र से जोड़ने वाला पूर्व-पश्चिमी गलियारा शामिल है। नौवीं योजना की अवधि में उपर्युक्त सहित, कुल 11860 मिलोमीटर की लम्बाई वाली विशेष राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना हाथ में ली जाएगी।

106. नौवीं योजना के पहले वर्ष में प्रमुख पत्तनों पर यातायात में भारी वृद्धि हुई। प्रमुख बंदरगाहों द्वारा निपटाए गए यातायात की मात्रा, जो 1996-97 में 227.26 मिलियन मी० टन थी, बढ़ कर 1997-98 में 251.66 मिलियन मी० टन हो गई। लेकिन 1998-99 में यातायात की मात्रा गतिरूद्ध रही और 1999-2000 में इसके 270 मिलियन मी० टन होने की संभावना है। ग्यारह प्रमुख पत्तन भारत के कुल पत्तन थ्रोपुट का 90 प्रतिशत भाग संभालते हैं। प्रमुख पत्तनों द्वारा संभाले जाने वाले कुल यातायात (ट्रेफिक) में कांडला, विशाखापत्तनम, चेन्नई, मुम्बई और कलकत्ता/ हल्दिया के पांच प्रमुख पत्तनों का योगदान 68 प्रतिशत के बराबर है। लघु पत्तनों द्वारा जितना यातायात संभाला जाता है उसकी मात्रा 1996-97 के 24.93 मिलियन मी० टन से बढ़ कर 1998-99 में 35 मिलियन मी० टन हो गई। इस समय, कुल यातायात का लगभग 12 प्रतिशत भाग लघु पत्तनों द्वारा संभाला जाता है। इन पत्तनों द्वारा संभाले जानेवाले कुल यातायात में गुजरात पत्तन का योगदान 70 प्रतिशत के बराबर है।

107. दूर-संचार आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख संचालक है। विश्व व्यापीकरण और ज्ञान-आधारित प्रौद्योगिकियां अपनाने की प्रवृत्ति को देखते हुए, यह उतरोत्तर अधिक महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। दूर-संचार के क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय परिवर्तन विशिष्ट रूप से तीव्र गति से हो रहा है और इस बात की संभावना है कि इसके परिणामस्वरूप विश्व भर में उद्योगों के ढांचे में व्यापक परिवर्तन होगा।

108. दूर-संचार के क्षेत्रक में 1991 से सुधार की प्रक्रिया जारी है। 1999 में घोषित नई दूर-संचार नीति द्वारा, विश्व में इस क्षेत्रक में हो रहे प्रौद्योगिकीय विकास का ध्यान रखते हुए और विश्व में भारत को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महाशक्ति बनाने के सरकार के संकल्प को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से, 1994 की दूर-संचार नीति को संशोधित किया गया। इसमें, यह परिकल्पना भी की गई थी कि लम्बी दूरी के प्रचालनों में निर्बाध और पूर्ण प्रतियोगिता की व्यवस्था करने के लिए, सेवा क्षेत्र से बाहर की लम्बी दूरी की राष्ट्रीय सेवा को जनवरी, 2000 से प्राइवेट आपरेटरों के लिए खोल दिया जाएगा। वर्ष 2000-01 के दौरान स्विचिंग क्षमता में 72.35 लाख निवल लाइनें जोड़ने, 57.90 लाख नए कनेक्शन देने, ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज क्षमता में 5.15 लाख नई लाइनें जोड़ने, आप्टिकल फाइबर प्रणाली की एक लाख किलोमीटर रूट की व्यवस्था करने और एक लाख सार्वजनिक ग्रामीण टेलीफोनों की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है।

109. देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रक सामरिक महत्व की स्थिति और इसके सामान्य पिछड़ेपन को देखते हुए, इसके विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस क्षेत्रक के आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए, वर्ष 2000-01 में अन्य सुविधाओं के साथ-साथ स्विचिंग क्षमता में 131000 अतिरिक्त लाइनें जोड़ने, 11600 डायरेक्ट एक्सचेंज लाइनों और 8016 सार्वजनिक ग्रामीण टेलीफोनों की व्यवस्था करने की परिकल्पना की गई है।

110. जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में आर्थिक विकास और संवृद्धि को बढ़ावा देने और उन्हें राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में मिलाने के उद्देश्य से, नौवीं योजना में ऐसे क्षेत्रों में दूर-संचार सुविधाओं के त्वरित विकास पर विशेष जोर दिया गया है। वर्ष 2000-01 में स्विचिंग क्षमता 336200 लाइनों, 274600 डायरेक्ट एक्सचेंज लाइनों, 10000 सार्वजनिक ग्रामीण टेलीफोनो और 72 उपग्रह स्टेशनों की अतिरिक्त व्यवस्था करके दूरसंचार तंत्र को और सुदृढ़ बनाने की परिकल्पना की गई है। एन सी आर योजना के अंतर्गत, दिल्ली को छोड़ कर बाकी सभी क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जाना है और वहां दूर-संचार सुविधाओं में सुधार करके और विभिन्न मूल्य-वर्धित सेवाओं की व्यवस्था करके इन क्षेत्रों को दिल्ली के स्तर पर लाया जाना है। वर्ष 2000-01 में एन सी आर योजना के अंतर्गत 1.11 लाख नए कनेक्शन देने का प्रस्ताव है। चूंकि गांवों को आपस में और शहरों के साथ जोड़ना एक ऐसा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसकी ओर ध्यान केंद्रित किया जाना है, इसलिए वर्ष 2002 तक बाकी सभी गांवों को कवर करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए वर्ष 2000-01 के लिए एक लाख अतिरिक्त सीधी एक्सचेंज लाइनों का लक्ष्य रखा गया है।

111. डाक सेवाएं भारत की एक सबसे पुरानी सेवा है, जो पिछले लगभग 150 वर्षों से चल रही हैं। नौवीं योजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी का उन्नयन और डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण करना और उन्हें क्षेत्रकीय स्तर पर स्व-वित्तपोषण योग्य बनाना है। नौवीं योजना के प्रमुख प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ये हैं: डाक प्रासेसिंग, काउंटर सुविधाओं, धन अन्तरण की सुविधाओं का आधुनिकीकरण, जनशक्ति का विकास और मूल्य -वर्धित सेवाएं शुरू करना और कवर न हुए और दूर-दराज के क्षेत्रों में डाक नेटवर्क का विस्तार। वर्ष 2000-01 में 500 विभाग-बाह्य शाखा कार्यालय (ई. डी. बी. ओ.), 50 विभागीय उप-कार्यालय (डी. एस. ओ.) खोलने, 8000 ई. डी. बी. ओ. में उपस्करों की व्यवस्था करने, 466 इलेक्ट्रानिक उपग्रह मनी आर्डर प्रणालियों की स्थापना करने और 88 वी. एस. ए. टी. खोलने और 15 डाक मेल कार्यालयों के आधुनिकीकरण की परिकल्पना की गई है। योजना में 33 कार्यालयों और 236 स्टाफ-क्वार्टरों के निर्माण की परिकल्पना भी की गई है।

112. सूचना प्रौद्योगिकी, जिसमें सूचना के सृजन, पारेषण और उपयोग के बारे में कार्रवाई करने वाले सभी उप-क्षेत्रक शामिल हैं, सेवाओं के क्षेत्रक के लिए तेजी से एक प्रौद्योगिकीय बुनियादी ढांचे के रूप में उभर रही है, और इसमें रोजगार के सृजन की विशाल क्षमता है। अक्टूबर, 1999 में सूचना प्रौद्योगिकी के एक नए मंत्रालय की स्थापना, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, विशेषज्ञ विद्वानों, गैर-सरकारी क्षेत्रक और विदेशों में बसे सफल भारतीय सूचना-प्रौद्योगिकी व्यावसयिकों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में की गई है, ताकि नए कदम उठाने में सुविधा हो। यह सिफारिश की गई है कि स्वदेशी साफ्टवेयर उद्योग के विकास की दिशा में एक कदम और इलेक्ट्रानिक शासन की ओर एक सोचे-समझे प्रयास के रूप में प्रत्येक मंत्रालय को अपने बजट का 2-3 प्रतिशत भाग सूचना प्रौद्योगिकी संवर्धन के लिए नियत करना चाहिए। अगली शताब्दी में भारत को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की एक महाशक्ति बनाने और 2008 तक 50 बिलियन आमरीकी डालर के मूल्य के साफ्टवेयर के निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक कार्य-योजना तैयार करने का प्रस्ताव है।

113. दूर-संचार के क्षेत्रक में 91 स्टेशनों (केन्द्रों) में लगभग 9800 ग्राहकों के आधार के साथ (दिसम्बर, 1999 तक) एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क सेवाओं की व्यवस्था की गई है और जनवरी से मार्च, 2000 तक की अवधि में 200 के नए ग्राहक आधार के साथ 5 और स्टेशनों को कवर करने की योजना है। इंटरनेट सेवाएं 75000 के ग्राहक आधार वाले 65 नोडों से उपलब्ध हैं और मार्च, 2000 तक सभी एस. एस. ए. को इंटरनेट सुविधाएं सुलभ कराने का प्रस्ताव है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण

114. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रकों में प्रमुख जोर व्यावहारिक और बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देने पर दिया जा रहा है, जिसके कि अभिनव और उदीयमान प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हों जिनसे आत्म-निर्भरता प्राप्त की जा सके, उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा सके और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामाजिक-आर्थिक और ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकरण किया जा सके। अन्तर्विषयक क्षेत्रों और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के नए और उभरते हुए क्षेत्रों, विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष विज्ञान, जैव-प्रौद्योगिकी, समुद्र-विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास करने और उनका उपयोग विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण निविष्टियों के रूप में करने के लिए सुनियोजित प्रयास किए गए।

115. कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां ये हैं: (1) व्यापारिक विकासात्मक और चल संचार की व्यवस्था करने के लिए इनसेट- 3 बी का सफल प्रक्षेपण, (2) दो सहायक विदेशी उपग्रह ले जाने का आई. आर. एस.- पी 4 (ओशन सेट); (3) उन्नत हैवी वाटर रिएक्टर का डिजाइन-निर्माण और विकास, (4) निरन्तर विकास और महत्वपूर्ण जैव संसाधनों के उपयोग के लिए राष्ट्रीय जैव-संसाधन विकास बोर्ड की स्थापना, (5) हल्के परिवहन वायुयान का डिजाइन-निर्माण और विकास और हल्के लड़ाकू वायुयान का विकास; और (6) प्रचालनात्मक आधार पर प्रयोक्ता-उन्मुख समुद्री डाटा-उत्पादों के सृजन और प्रसार के लिए हैदराबाद में भारतीय समुद्री सूचना केन्द्र की स्थापना।

116. प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (टी. आई. एफ. ए. सी.) द्वारा प्रौद्योगिकी विज्ञान 2020 के बारे में कार्रवाई शुरू की गई और स्वदेश-विकसित प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (होम गोन टेक्नोलाजी प्रोग्राम) के अन्तर्गत कई परियोजनाओं को सहायता दी गई, जिनसे स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का विकास होने की संभावना है। शुरू किए गए मुख्य कार्यक्रम/कार्य ये हैं: (1) जी. एस. एल. वाई. की प्रथम विकासात्मक उड़ान; (2) जी. एस. एल. वाई. की विकासात्मक उड़ान द्वारा जी. एस. ए. टी.- 1 को जोड़ना, उसका एकीकरण, परीक्षण और प्रक्षेपण; (3) पुणे के निकट नाराणगांव में विशालकाय मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप को चालू करना; (4) नई पीढी के टीकों के विकास, जडी-बूटी उत्पादों के विकास की जैव-प्रौद्योगिकी, जीनोम अनुसन्धान केन्द्रों की स्थापना, काफ़ी सुधार और हिमालय में राष्ट्रीय विपदा के न्यूनन के बाने में जय विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशनों को शुरू करना, (5) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा क्षेत्र विकास मिशन की स्थापना और टेली-मेडिसिन द्वारा ग्रामीण जनता के लिए रिमोट चिकित्सीय नैदानिक परिचर्या, (6) मल्टी रोल हल्के परिवहन वायुयान के आद्यरूप की प्रथम विकासात्मक उड़ान परीक्षण का विकास, और (7) समुद्रतटवर्ती जल में प्रदूषण क्यू मानीटरिंग की जी. आई. एस. - आधारित सूचना प्रणाली को अपनाना।

117. हाल के वर्षों में उत्तरोत्तर यह जागरूकता बढ़ रही है कि देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बनाए रखने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा करना जरूरी है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने पर्यावरण की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कानून, नीतियां और कार्यक्रम बनाए हैं। पर्यावरण के सम्बन्ध में सरकार की नीति को एजेंडा- 21 के सिद्धान्तों से मार्ग-दर्शन प्राप्त होता है, जो वानिकी, प्रदूषण को कम करने के बारे में दिए गए वक्तव्यों, राष्ट्रीय संरक्षण नीति और पर्यावरण और विकास सम्बन्धी नीतिगत वक्तव्य के रूप में व्यक्त होते हैं। पर्यावरण क्षेत्रक के बारे में नौवीं योजना की कार्यनीति पर्यावरण को सुरक्षित रखने के अपेक्षित

उपाय विकसित करने की जरूरत के अनुसार इस प्रकार तैयार की जाती है, जिससे सामाजिक संग्रह और सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी के जरिए स्थायी विकास किया जा सके।

118. वर्ष 1999-2000 में प्रदूषण-नियंत्रण और मानीटरिंग पर ध्यान केन्द्रित किया गया और विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के जरिए जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण में सुधार के प्रयास किए गए। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए, बहुत से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीसा-रहित पेट्रोल की सप्लाई, समूचे देश में सल्फर की कम मात्रा वाले डीजल (0.25 प्रतिशत) की सप्लाई, दिल्ली में यूरो-1 मानदंडों को लागू करना और देश भर में दो स्ट्रोक वाले इंजनों के लिए 2-टी तेल की विशिष्टियों की अधिसूचना। वर्ष 2000-01 के दौरान, पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक बस्तियों में स्थापित औद्योगिक यूनिटों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण और ऐसी बस्तियों के निकटवर्ती क्षेत्रों की सिंचाई प्रणालियों में औद्योगिक बहिःस्राव के मिलने से उत्पन्न प्रदूषण को मानीटर करने पर जोर दिया गया है।

119. राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, गंगा कार्य योजना- 1 और 2 और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के जरिए प्रमुख नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कार्य करता है। चूंकि गंगा कार्य योजना- 1 का कार्य- निष्पादन, मुख्यतः इन स्कीमों के अन्तर्गत उत्पन्न परिसम्पत्तियों का प्रचालन और अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा भली-भांति न किए जाने के कारण, सन्तोषजनक नहीं रहा है, इसलिए उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने वार्षिक बजट का कुछ भाग प्रचालन और अनुरक्षण के लिए नियत करें।

120. योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि वन-संरक्षण को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए और उसे राज्यों के वार्षिक योजना परिव्यय में एक योजनागत मद समझा जाना चाहिए और इस शीर्ष के अन्तर्गत पर्याप्त बजटीय नियतन किया जाना चाहिए। जड़ी-बूटियों अथवा चिकित्सीय पौधों के विकास के लिए, योजना आयोग में एक कार्य-दल, नीतिगत निदेश, कानूनी समर्थन देने और न्यायोचित विपणन प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए गठित किया गया है। सात संरक्षित क्षेत्रों में पर्यावरण-विकास के जरिए वहां की जैव-विविधता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (आई. डी. ए.) और विश्व पर्यावरण सुविधा (जी. ई. एफ.) की सहायता से भारत पर्यावरण विकास परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय वनरोपण और पर्यावरण विकास बोर्ड वन क्षेत्रों की निकटवर्ती अवनत (डीग्रेडेड) भूमि में वन-रोपण का कार्य करने वाला नोडल अभिकरण है। वर्ष 2000-01 में समन्वित ग्राम वनीकरण समृद्धि योजना (एस जी वी एस वाई) नामक एक नई योजना छत्र-स्कीम के रूप में शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न चालू स्कीमों के वनीकरण और पर्यावरण विकास के साझे प्रयासों का एकीकरण किया जाएगा। क्षेत्र अनुकूल जलाऊ लकड़ी और चारा परियोजना को छोड़ कर, वनीकरण की सभी योजनाओं के ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा और वे समन्वित ग्राम वनीकरण समृद्धि योजना का एक संघटक होंगी।

कारक लागत पर स. घ. उ. की क्षेत्रवार संवृद्धि

(प्रतिशत)
(1993-94 कीमतों पर)

	क्षेत्रक	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
	1	2	3	4	5	6
1	कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन	-0.9	9.6	-1.9	7.2	1.3
2	खनन और उत्खनन	5.6	0.5	9.0	-0.5	0.3
3	विनिर्माण	14.9	7.9	4.0	3.6	8.5
4	बिजली, गैस और जल आपूर्ति	6.8	5.4	7.2	7.9	7.4
5	निर्माण	7.4	2.4	10.3	5.7	9.1
6	व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	13.3	7.7	5.8	8.1	6.7
7	वित्तीय सेवाएं	7.6	7.1	11.8	6.1	10.6
8	सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	7.9	6.2	12.2	10.9	10.0
	कुल स. घ. उ.	7.3	7.5	5.0	6.8	6.4

केंद्रीय सरकार बजट

(सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत)

क्र.		1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 (सं. अ.)	2000-01 (ब. अ.)
	1	2	3	4	5	6	7
1.	राजस्व प्राप्तियां	9.3	9.3	8.8	8.4	9.2	9.3
2.	पूंजीगत प्राप्तियां	4.1	3.7	5.4	7.3	6.4	6.2
3.	राजस्व व्यय	11.8	11.7	11.9	12.2	13.0	12.9
4.	पूंजीगत व्यय	2.4	2.3	2.4	3.5	2.6	2.6
5.	कुल व्यय (3+4)	14.2	14.0	14.3	15.7	15.6	15.5
6.	योजना व्यय	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	4.0
7.	योजना-भिन्न व्यय जिसमें	10.3	10.0	10.4	11.9	11.5	11.5
	क) ब्याज अदायगी	4.2	4.4	4.3	4.4	4.7	4.6
	ख) रक्षा	1.6	1.5	1.7	2.2	2.5	2.7
	ग) सब्सिडी	1.1	1.0	1.2	1.2	1.3	1.0
8.	राजस्व घाटा	2.4	2.3	3.0	3.4	3.8	3.6
9.	राजकोषीय घाटा	4.1	4.0	4.7	5.1	5.6	5.1
10.	प्राथमिक घाटा	0.0	-0.2	0.5	0.7	0.9	0.5

मौद्रिक समुच्चयों में भिन्नताएं

(प्रतिशत परिवर्तन)

		1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 (24.3.2000 तक)
	1	2	3	4	5	6
1.	नैरो मनी	11.7	12.0	11.3	15.1	11.2
2.	ब्राड मनी (एम 3)	13.7	16.2	18.0	18.4	14.0
3.	एम 3 के घटक					
	क) जनता के साथ करेंसी	17.3	11.7	10.2	16.4	14.2
	ख) मांग जमा	5.7	13.0	12.7	13.8	8.3
	ग) मियादी जमा	14.7	18.5	21.5	19.9	15.2
4.	एम 3 के स्रोत					
	क) निवल बैंक क्रेडिट	15.9	12.0	14.5	17.1	13.0
	ख) वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक क्रेडिट	17.7	9.2	15.1	13.2	15.3
	ग) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां	3.9	28.4	30.9	28.0	8.7

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2000) और वार्षिक योजनाओं (1997-2002) के लिए सार्वजनिक क्षेत्र योजना परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपये)

	मद	नौवीं परियोजना परिव्यय (1996-97 की कीमतों पर)	1997-98 (वास्तविक)	1998-99 (सं. अ.)	1999-2000 (सं. अ.)	2000-01 (ब. अ.)
	1	2	3	4	5	6
क.	केंद्र और संघ राज्य क्षेत्र (1.1 + 2.1)	509062	73533	91696	99802	
1	केंद्रीय क्षेत्र					
	1.1 परिव्यय	489361	70861	88482	96310	117334
	1.2 बजटीय सहायता	203982	32332	38263	43661	51276
	1.3 आई ई बी आर	285379	38529	50219	52649	66058
2.	संघ राज्य क्षेत्र					
	2.1 परिव्यय	19701	2672	3214	3492	
	2.2 बजटीय सहायता	5580	824	1067	1208	1082
	2.3 स्वयं के संसाधन	14121	1848	2147	2284	
ख.	राज्य					
	3.1 परिव्यय	350138	56224	66902	71061	
	3.2 केंद्रीय सहायता	164437	25922	29041	34527	35743
	3.3 स्वयं के स्रोत	185701	30302	37861	36534	
	सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कुल योजना परिव्यय (1.1+2.1+3.1)	859200	129757	158598	170863	

केंद्रीय क्षेत्रक योजना परिव्यय-वार्षिक योजना 1997-2000 के दौरान बजट अनुमानों की तुलना में प्रतिशत उपयोग

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विकास शीर्ष	1997-98			1998-99			1999-2000			कुल 1997-2000		
		(ब. अ.)	(वास्तविक)	(ब. अ. का प्रतिशत)	(ब. अ.)	(सं. अ.)	(ब. अ. का प्रतिशत)	(ब. अ.)	(सं. अ.)	(ब. अ. का प्रतिशत)	(ब. अ.)	(सं. अ.)	(ब. अ. का प्रतिशत)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप	2969	2205	74	3864	2777	72	3736	3017	81	10569	7999	76
2	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	323	270	84	375	345	92	348	347	99.7	1046	962	92
3	ग्राम विकास	5801	5360	92	5882	5564	95	5408	5176	96	17091	16100	94
4	ऊर्जा	24235	19157	79	30082	23979	80	27381	26182	96	81698	69318	85
5	उद्योग और खनिज	11200	8369	75	11551	7955	69	8672	6436	74	31423	22760	72
6	परिवहन	15016	12272	82	16186	14397	89	16850	17155	102	48052	43824	91
7	संचार	13361	10130	76	14878	13467	91	16811	14900	89	45050	38497	85
8	विज्ञान और प्रौद्योगिकीय तथा पर्यावरण	2177	1883	86	2766	2389	86	2988	2859	96	7931	7131	90
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	773	577	75	1011	941	93	1246	1033	83	3030	2551	84
10	सामाजिक सेवाएं	15707	10442	66	18310	16412	90	19800	18938	96	53817	45792	85
11	सामान्य सेवाएं	278	196	71	283	256	90	281	265	94	842	717	85
	जोड़	91840	70861	77	105188	88482	84	103521	96310	93	300549	255653	85

नौवीं योजना (1997-2002) और वार्षिक योजनाओं (1997-2001) के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विकास शीर्ष	नौवीं योजना परिव्यय (1996-97 कीमतों पर)	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	1997-2001	नौवीं योजना का प्रतिशत
			चालू कीमतों पर				1996-97 कीमतों पर					
			वास्तविक	(सं. अ.)	(सं. अ.)	(ब. अ.)	वास्तविक	(सं. अ.)	(सं. अ.)	(ब. अ.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	14876	2205	2777	3017	3623	2087	2461	2523	2875	9946	67
2	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	2291	270	345	347	452	256	306	290	359	1211	53
3	ग्राम विकास	42278	5360	5564	5176	5389	5074	4931	4328	4277	18610	44
4	ऊर्जा	153807	19157	23979	26182	29793	18134	21252	21891	23645	84922	55
5	उद्योग और खनिज	51664	8369	7955	6436	9280	7922	7050	5381	7365	27718	54
6	परिवहन	81791	12272	14397	17155	20992	11617	12760	14344	16660	55381	68
7	संचार	47249	10130	13467	14900	19455	9589	11936	12458	15440	49423	105
8	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	15449	1883	2389	2859	3598	1782	2117	2390	2856	9145	59
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	6279	577	941	1033	1441	546	834	864	1144	3388	54
10	सामाजिक सेवाएं	72284	10442	16412	18938	23008	9885	14546	15834	18260	58525	81
11	सामान्य सेवाएं	1393	196	256	265	304	186	227	222	241	876	63
	जोड़	489361	70861	88482	96310	117334	67078	78421	80527	93122	319145	65

• 1997-98 (वास्तविक), 1998-99 तथा 1999-2000 (सं. अ.) और 2000-01 (ब. अ.) शामिल हैं।

1997-2001 के दौरान विकास शीर्षों के अनुसार बजटीय समर्थन-केंद्र

(करोड़ रुपये)

	विकास शीर्ष	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	प्रतिशत भिन्नता 1999 -2000 से 2000-01 में	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	जोड़	प्रतिशत बंटन
		(वास्तविक)	(वास्तविक)	(सं. अ.)	(ब. अ.)		(वास्तविक)	(वास्तविक)	(सं. अ.)	(ब. अ.)		
		(वर्तमान कीमतों पर)					(1996-97 की कीमतों पर)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	2262	2620	2931	3512	20	2141	2322	2451	2787	9701	7
2	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	476	335	347	452	30	451	297	290	359	1397	1
3	ग्राम विकास	5577	5396	5176	5388	4	5279	4782	4328	4276	18665	13
4	ऊर्जा	3541	3923	4614	4847	5	3352	3477	3858	3847	14534	10
5	उद्योग और खनिज	2589	2792	2157	2928	36	2451	2475	1804	2324	9054	6
6	परिवहन	3803	4185	7410	9064	22	3600	3709	6196	7194	20699	15
7	संचार	369	88	104	137	32	349	78	87	109	623	1
8	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1501	2317	2851	3587	26	1421	2054	2384	2847	8706	6
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	557	845	978	1369	40	527	749	818	1087	3181	2
10	सामाजिक सेवाएं	11580	14359	16827	19686	17	10962	12726	14069	15624	53381	38
11	सामान्य सेवाएं	200	248	265	304	15	189	220	222	241	872	1
	जोड़	32331	37108	43660	51275	17	30722	32889	36505	40695	140811	100

• 1997-98, 1998-99 (वास्तविक), 1999-2000 (सं. अ.) और 2000-01 (ब. अ.) शामिल हैं।

वार्षिक योजनाओं (1997-2000) के दौरान राज्यों का योजना व्यय

(करोड़ रुपये)

	राज्य	1996-97 कीमतों पर 9वीं योजना परिव्यय	1997-98	1998-	1999-	1997-98	1998-	1999-	कुल • 1997- 2000	9वीं योजना का प्रतिशत
			(वास्तविक)	99 (सं. अ.)	2000 (सं. अ.)	(वास्तविक)	99 (सं. अ.)	2000 (सं. अ.)		
			(मौजूदा कीमतों पर)			(1996-97 की कीमतों पर)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	आंध्र प्रदेश	25150	3707	4679	5480	3509	4147	4582	12238	48.66
2	अरुणाचल प्रदेश	3570	489	472	503	463	418	421	1302	36.47
3	असम	8984	1283	1389	1500	1215	1231	1254	3700	41.18
4	बिहार	16680	1711	1850	2472	1620	1340	2067	5027	30.13
5	गोआ	1500	199	235	241	188	208	202	598	39.87
6	गुजरात	28000	3905	5450	6550	3697	4830	5477	14004	50.01
7	हरियाणा	9310	1304	1800	1785	1234	1595	1492	4321	46.41
8	हिमाचल प्रदेश	5700	1294	1444	1601	1225	1280	1339	3844	67.44
9	जम्मू और कश्मीर	अनुपलब्ध	1496	1750	1758	1416	1551	1470	4437	
10	कर्नाटक	23400	4424	5132	5231	4188	4548	4374	13110	56.03
11	केरल	16100	2868	3039	3017	2715	2693	2523	7931	49.26
12	मध्य प्रदेश	20075	3344	3426	3474	3165	3036	2905	9106	45.36
13	महाराष्ट्र	36700	7938	11601	12162	7514	10282	10169	27965	76.20
14	मणिपुर	2427	345	406	475	327	360	397	1084	44.66
15	मेघालय	2501	249	303	350	236	269	293	798	31.91
16	मिजोरम	1619	295	285	381	279	253	319	851	52.56
17	नागालैंड	2006	232	300	320	220	266	268	754	37.59
18	उड़ीसा	15000	2037	3084	2510	1928	2733	2099	6760	45.07
19	पंजाब	11500	2009	2500	2680	1902	2216	2241	6359	55.30
20	राजस्थान	22526	3987	4025	3855	3774	3567	3223	10564	46.90
21	सिक्किम	1600	190	218	250	180	193	209	582	36.38
22	तमिलनाडु	25000	4011	4500	5250	3797	3988	4390	12175	48.70
23	त्रिपुरा	2577	413	379	437	391	336	365	1092	42.37
24	उत्तर प्रदेश	46340	5652	5887	5104	5350	5218	4268	14836	32.02
25	प. बंगाल	16900	2840	2749	3675	2688	2436	3073	8197	48.50
	जोड़	345164	56224	66902	71061	53221	58994	59417	171635	49.73

• 1997-98 (वास्तविक) और 1998-99 तथा 1999-2000 (सं. अ.) सम्मिलित हैं।

राज्य योजना व्यय – अनुमोदित परिव्यय से भिन्नता

(करोड़ रुपये)

	राज्य	1997 – 98			1998 – 99			1999 – 2000		
		अनुमोदित	वास्तविक	प्रतिशत विचलन	अनुमोदित	(सं. अ.)	प्रतिशत विचलन	अनुमोदित	(सं. अ.)	प्रतिशत विचलन
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	3580	3707	4	4679	4679	0	5480	5480	0
2	अरुणाचल प्रदेश	600	489	-19	625	472	-24	665	503	-24
3	असम	1510	1283	-15	1650	1389	-16	1750	1500	-14
4	बिहार	2268	1711	-25	3769	1850	-51	3530	2472	-30
5	गोआ	231	199	-14	291	235	-19	281	241	-14
6	गुजरात	4510	3905	-13	5450	5450	0	6550	6550	0
7	हरियाणा	1576	1304	-17	2260	1800	-20	2300	1785	-22
8	हिमाचल प्रदेश	1008	1294	28	1440	1444	0	1600	1601	0
9	जम्मू और कश्मीर	1552	1496	-4	1900	1750	-8	1750	1758	1
10	कर्नाटक	4154	4424	6	5353	5132	-4	5800	5231	-10
11	केरल	2851	2868	1	3100	3039	-2	3250	3017	-7
12	मध्य प्रदेश	3718	3344	-10	3700	3426	-7	4004	3474	-13
13	महाराष्ट्र	8393	7938	-5	11601	11601	0	12162	12162	0
14	मणिपुर	410	345	-16	425	406	-4	475	475	0
15	मेघालय	382	249	-35	400	303	-24	465	350	-25
16	मिजोरम	290	295	2	333	285	-14	360	381	6
17	नागालैंड	291	232	-20	300	300	0	315	320	2
18	उड़ीसा	2529	2037	-19	3084	3084	0	3309	2510	-24
19	पंजाब	2100	2009	-4	2500	2500	0	2680	2680	0
20	राजस्थान	3514	3987	13	4300	4025	-6	4750	3855	-19
21	सिक्किम	220	190	-14	237	218	-8	250	250	0
22	तमिलनाडु	4005	4011	0	4500	4500	0	5250	5250	0
23	त्रिपुरा	440	413	-6	440	379	-14	475	437	-8
24	उत्तर प्रदेश	7246	5652	-22	10260	5887	-43	11400	5104	-55
25	प. बंगाल	3908	2840	-27	4595	2749	-40	5787	3675	-37
	जोड़	61286	56224	-8	77192	66903	-13	84738	71061	-16

औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि
(2 अंक स्तर पर)

(प्रतिशत)

उद्योग	विवरण	(आधार वर्ष 1993-94)					
		1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8
20-21	खाद्य उद्योग	21.6	6.8	3.4	1.1	1.8	4.6
22	पेय पदार्थ, तम्बाकू और संबद्ध उत्पाद	3.0	13.4	13.5	18.5	12.3	7.2
23	सूती कपड़ा	-0.9	10.6	12.0	4.1	-8.6	6.8
24	ऊन, रेशम और मानव निर्मित रेशे वस्त्र (सूती रहित)	14.5	14.7	10.5	13.3	3.8	12.0
25	जूट व अन्य वनस्पति रेशे वस्त्र	-4.9	7.7	-4.3	16.4	-7.2	-0.9
26	कपड़ा उत्पाद (पोशाक सहित)	-1.5	35.7	9.5	8.1	-3.3	2.4
27	काष्ठ और काष्ठ उत्पाद, फर्नीचर और सज्जा	-0.7	24.1	7.0	-3.4	-5.8	-16.8
28	कागत उत्पाद, कागज और मुद्रण, प्रकाशन व संबद्ध उद्योग	8.6	15.6	9.1	6.7	15.7	9.0
29	चर्म और चर्म तथा फर उत्पाद	-13.3	14.2	9.4	4.2	9.0	10.5
30	बुनियादी रसायन और रासायनिक उत्पाद (पेट्रोलियम और कोयला उत्पादों को छोड़कर)	5.3	11.3	4.7	13.9	6.2	21.8
31	रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम और कोयला उत्पाद	7.7	7.8	2.0	5.0	11.2	-1.6
32	अ-धातु खनिज उत्पाद	8.0	21.9	7.7	19.9	10.2	22.7
33	बुनियादी धातु और अलौह उद्योग	13.1	15.8	6.7	1.0	-2.2	4.6
34	धातु उत्पाद और कल-पुर्जे, मशीनरी और उपस्कर को छोड़कर	4.7	-3.8	10.3	7.4	16.7	-4.2
35-36	मशीनरी और उपस्कर, परिवहन उपस्कर को छोड़कर	12.8	19.5	5.2	5.8	-8.3	16.7
37	परिवहन उपस्कर और कल पुर्जे	13.2	17.4	12.9	-1.3	15.0	2.0
38	अन्य विनिर्माण उद्योग	4.0	13.2	5.2	-3.2	5.3	-14.1
	खनन और उत्खनन	7.6	9.5	-1.9	5.6	-1.7	0.6
	विनिर्माण	8.5	13.8	6.7	6.6	4.1	9.0
	बिजली	8.5	8.1	3.9	6.9	6.5	6.6
	सामान्य सूचक	8.4	12.7	5.5	6.6	3.8	8.0

1995-96 से 1999-2000 तक आधारभूत उद्योगों की उपलब्धि

(लक्ष्य का प्रतिशत)

	उद्योग का नाम	यूनिट	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
	1	2	3	4	5	6	7
1	कोयला	मि. टन	95.77	98.96	106.08	94.63	100.0
2	विद्युत उत्पादन	मि. कि. वा.	100.73	98.62	97.99	99.64	102.3
	2.1 पन बिजली	मि. कि. वा.	100.73	91.42	96.98	105.92	99.4
	2.2 ताप (नाभिकीय सहित)	मि. कि. वा.	100.93	102.8	98.2	98.33	102.9
3	कच्चा पेट्रोलियम	मि. टन	95.04	92.46	96.71	94.77	96.9
4	रिफाइनरी कच्चा श्रूपुट	मि. टन	105.66	104.09	100.11	101.03	88.7
5	बिक्री योग्य इस्पात (एकीकृत संयंत्र)	मि. टन	99.97	84.8	93.08	82.44	92.3
6	सीमेंट	मि. टन	101.93	91.5	94.09	97.06	106.6

अध्याय 2 वित्तीय संसाधन

वार्षिक योजना 1999-2000 के वित्त पोषण की समीक्षा और वार्षिक योजना 2000-01 के वित्त पोषण की प्रस्तावित स्कीम

वर्ष 1999-2000 के दौरान राजकोषीय स्थिति उत्साजनक नहीं रही है। राजस्व प्राप्तियों और विनिवेशों से प्राप्तियों की वसूली केन्द्र के बजट अनुमानों से काफी कम रही। ऋणों की वसूलियाँ कुछ सीमा तक अधिक थी। योजना-भिन्न व्यय और केन्द्र द्वारा वार्षिक योजना 1999-2000 के लिए सकल बजट सहायता में 8 प्रतिशत और बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमानों में 3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान था। परिणामस्वरूप, बजट अनुमानों में जी डी पी का प्रत्याशित 4 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा बढ़कर संशोधित अनुमानों में 5.6 प्रतिशत हो जाने का अनुमान था। बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमानों के अनुसार वार्षिक योजना 1999-2000 के वित्त पोषण की स्कीम की समीक्षा ऊपर वार्षिक सामान्य राजकोषीय स्थिति के संदर्भ में नीचे की गई है।

2. वार्षिक योजना 1999-2000 के लिए केन्द्र द्वारा सकल बजटीय सहायता और साथ ही केन्द्र के योजना-भिन्न व्यय में क्रमशः 2395 करोड़ रुपये और 17461 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप संशोधित अनुमानों में बजट (1999-2000) अनुमानों की तुलना में केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय में 19,856 करोड़ रुपये की समग्र वृद्धि हुई। वार्षिक योजना के लिए सकल बजटीय सहायता में वृद्धि का कारण राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजना के लिए 2735 करोड़ रुपये तक की अधिक केन्द्रीय सहायता थी तथा केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता में 339 करोड़ रुपये की कमी हुई। ब्यारे नीचे सारणी 2.1 में दिए गए हैं।

सारणी 2.1 केन्द्रीय सरकार के खर्च का सारांश (1999-2000)

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	मद	ब. अ.	सं. अ.	अंतर (सं.अ. - ब.अ.)
1	कुल व्यय	283882	303738	19856
2	योजना-भिन्न व्यय	206882	224343	17461
		72.88•	73.86•	
3	योजना व्यय / जिसके संसाधन	77000	79395	2395
		27.12•	26.14•	
3.1	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	33000	35735	2735
		42.86•	45.01•	
3.2	केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता	44000	43661	-339
		57.14•	54.99•	

टिप्पणी:—• कुल खर्च की तुलना में प्रतिशतता

• कुल योजना खर्च की तुलना में प्रतिशतता

केन्द्र की वार्षिक योजना 1999-2000 के संशोधित अनुमान

3. जैसा कि ऊपर बताया गया है, केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता लगभग 340 करोड़ रुपए कम होगी तथा सी पी एस आई के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों का स्तर संशोधित अनुमानों में 6872 करोड़ रुपये कम होगा। इस प्रकार, केन्द्रीय योजना परिव्यय में 7212 करोड़ रुपए की कमी होने की उम्मीद है। केन्द्र की वार्षिक योजना 1999-2000 के लिए अनुमोदित परिव्यय और तदनुसूची संशोधित अनुमान सारणी 2.2 में दिए गए हैं।

**सारणी 2.2
केन्द्र का योजना परिव्यय 1999-2000**

(करोड़ रुपये)

क्रम संख्या	मद	ब. अ.	सं. अ.	अंतर (सं.अ. - ब.अ.)
1	बजटीय सहायता कुल	44000	43660	-340
	जिसमें से			
1.क	सी पी एस ई के लिए बजटीय सहायता	8637	9103	-466
2	सी पी एस ई के आई ई बी आर	59521	52649	6872
3	योजना परिव्यय / सी पी एस ई के निवेश (1क + 2)	68158	61753	6405
4	केन्द्रीय योजना परिव्यय (1+ 2)	103521	96309	7212

टिप्पणी:- • अनुमोदित योजना परिव्यय

4. चालू राजस्व से शेष (बी सी आर) में काफी कमी और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना (1999-2000) के लिए केन्द्रीय सहायता के अधिक आबंटन के कारण केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता अनिवार्य रूप से कम होगी। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यमों (सी पी एस ई) द्वारा आन्तरिक संसाधन जुटाने और उधारों में अनुमानित कमी के फलस्वरूप इन उद्यमों के योजना निवेश कम होंगे। ब्योरे नीचे सारणी 2.3 और सलग्न 2.1 में दिए गए हैं। बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद वार्षिक योजना 1999-2000 के वित्त पोषण की पद्धति में हुए परिवर्तनों पर नीचे चर्चा की गई है।

**सारणी 2.3
केन्द्र की वार्षिक योजना 1999-2000 के वित्त पोषण की स्कीम के बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमान**

(करोड़ रुपये)

क्रम संख्या	मद	ब. अ.	सं. अ.	अंतर (सं.अ. - ब.अ.)
1	चालू राजस्व से शेष (बी सी आर)	-20656	-39121	-18465
2	सी पी एस ई के आंतरिक संसाधन व अन्य संसाधन •	43095	39327	-3768
3	सी पी एस ई द्वारा जारी बांड / ऋण पत्र	10980	7878	-3102
4	उधार तथा विविध पूंजी प्राप्ति (एम सी आर)	96096	116761	20665
5	विदेशों से निवल अप्रवाह	7007	7199	192
6	कुल संसाधन (1 से 5)	136521	132044	-4477
7	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए सहायता	33000	35735	2735
8	केन्द्र का योजना परिव्यय (6-7)	103521	96309	-7211

टिप्पणी:- • आन्तरिक व अन्य संसाधन शामिल हैं, अर्थात् सार्वजनिक जमा, अन्तर-निगम अन्तरण (निवल) तथा वित्तीय संस्थानों से ऋण आदि।

चालू राजस्व से शेष (बी. सी. आर.)

5. अपने चालू राजस्व (कर से प्राप्तियां तथा कर-भिन्न उपाय) से योजना निवेश के वित्त पोषण की सरकार की क्षमता की सीमा राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों के अधिशेष पर निर्भर करती है। वार्षिक योजना 1999-2000 के वित्त पोषण के लिए बी सी आर के योजना अनुमान (-) 20656 करोड़ रुपए के थे किन्तु संशोधित अनुमान (-) 39121 करोड़ रुपए था; जिससे 18465 करोड़ रुपए की कमी का पता चलता है। इस प्रकार, नौवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में अनुभव की गई राजस्व प्राप्तियों से अधिक योजना-भिन्न राजस्व व्यय की क्षुब्धकरी प्रवृत्ति बड़े पैमाने पर तीसरे वर्ष भी जारी रही।

6. संशोधित अनुमानों से स्पष्टतः पता चलता है कि राजस्व खाते (बी सी आर) में कमी, योजना-भिन्न राजस्व व्यय में तेजी से वृद्धि, जो बजट अनुमानों से 14995 करोड़ रुपये अधिक हो गई, और 3469 करोड़ रुपये तक की राजस्व प्राप्तियों में कमी, दोनों कारणों से हुई। दूसरे शब्दों में; 1999-2000 के तदनुरूपी बजट अनुमानों की तुलना में योजना-भिन्न व्यय में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि होगी और प्रत्याशित राजस्व प्राप्तियों में 2 प्रतिशत की कमी होगी। इस संबंध में नीचे चर्चा की गई है।

राजस्व प्राप्तियाँ-कर और कर-भिन्न

7. कर और कर-भिन्न राजस्व तथा योजना-भिन्न राजस्व व्यय के संगत ब्योरे सारणी 2.4 में दिए गए हैं। अतिरिक्त ब्योरे सलग्नक 2.2 में दिए गए हैं।

सारणी 2.4

वर्ष 1999-2000 के दौरान केन्द्रीय सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ और योजना-भिन्न राजस्व व्यय (ब. अ. और सं. अ.)

(करोड़ रुपये)

क्रम संख्या	मद	ब. अ.	सं. अ.	अंतर (सं.अ. - ब.अ.)
1	राजस्व प्राप्तियाँ			
	क) कर राजस्व (निवल)	132365	126469	-5896
	ख) कर-भिन्न राजस्व	49760	52186	2426
	जोड़ 1 - (राजस्व प्राप्तियाँ)	182125	178655	-3470
2	योजना भिन्न राजस्व व्यय			
	क) ब्याज	88000	91425	3425
	ख) रक्षा	45694	48505	2811
	ग) सब्सिडी	23798	25692	1894
	घ) अन्य	45289	52154	6865
	जोड़ 2 - (योजना-भिन्न राजस्व व्यय)	202781	217776	14995
3	बी सी आर	-20656	-39121	-18465

8. नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के संबंध में सकल कर राजस्व के उपलब्ध ब्योरों से, प्रत्यक्ष करों से राजस्व के हिस्से में थोड़े से सुधार का पता चलता है। वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान, दो प्रमुख प्रत्यक्ष करों, नामतः निगमित आय कर और निगमित आय को छोड़कर आय पर करों का हिस्सा, केन्द्र के सकल कर राजस्व (जी टी आर) का क्रमशः 26 और

31 प्रतिशत था। वर्ष 1999-2000 में इस स्थिति में मामूली सा सुधार हुआ जबकि इन दोनों करों से राजस्व, संशोधित अनुमानों में जी टी आर का 33 प्रतिशत था जबकि बजट अनुमानों में यह 32 प्रतिशत था। दो प्रमुख अप्रत्यक्ष करों, नामतः सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, से राजस्व, वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान जी टी आर का क्रमशः 63 प्रतिशत और 65 प्रतिशत था। इन अप्रत्यक्ष करों से प्राप्तियों के संशोधित अनुमान जी टी आर के 64 प्रतिशत के बजट अनुमानों के अनुरूप होंगे। इस प्रकार, समग्र राजस्व प्राप्तियों में अप्रत्यक्ष करों का प्रभुत्व बना हुआ है।

9. वर्ष 1999-2000 के बजट/ वार्षिक योजना अनुमानों की तुलना में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों से प्राप्तियाँ संशोधित अनुमानों में क्रमशः लगभग 2 प्रतिशत और 5 प्रतिशत कम हैं। अप्रत्यक्ष कर राजस्व के प्रभुत्व को देखते हुए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अप्रत्यक्ष करों से प्रत्याशित प्राप्तियों में 5 प्रतिशत की कमी एक चिन्ता की बात है। निरपेक्ष दृष्टि से, राजस्व वसूली में कमी सीमा शुल्क के मामले में 2569 करोड़ रुपये और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मामले में प्राप्ति 2865 करोड़ रुपये कम (निवल-2315 करोड़ रुपये) होगी। सीमा शुल्क से कम प्राप्ति तेल-भिन्न आयात के डालर मूल्य में कम वृद्धि के कारण है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कमी का कारण वर्ष के अधिकांश भाग में विनिर्मित उत्पादों के संबंध में निम्न मुद्रास्फीति का होना है। कुल मिलाकर, राजस्व प्राप्ति में 6884 करोड़ रुपये की कमी का अनुमान है। इसलिए आय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में राज्यों का हिस्सा भी 985 करोड़ रुपये (2.2 प्रतिशत) कम होगा।

10. तथापि कर-भिन्न राजस्व के संशोधित अनुमानों में बजट अनुमानों की तुलना में 2560 करोड़ रुपये (5.2 प्रतिशत) की वृद्धि होने की उम्मीद है। मोटे तौर पर, ब्याज प्राप्तियाँ 1110 करोड़ रुपये अधिक होंगी। सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों, पत्तन न्यासों, व अन्य सांविधिक निकायों, सहकारिताओं, सरकारी सेवकों आदि को दिए गए ऋणों और साथ ही विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों पर पूंजित परिव्यय के संबंध में ब्याज प्राप्तियों में लगभग 1216 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की उम्मीद है। दूसरी ओर, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए ऋणों के संबंध में ब्याज प्राप्तियाँ 105 करोड़ रुपये कम होने की उम्मीद है।

11. उम्मीद की जाती है कि कुल मिलाकर लाभांशों और लाभों के संबंध में 172 करोड़ रुपये की कमी होगी। सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों से लाभांशों में 988 करोड़ रुपये की वृद्धि होने तथा भा. जी. बी. नि. (एल आई सी), आई डी बी आई व अन्य वित्तीय संस्थानों तथा राष्ट्रीकृत बैंकों से लाभों का हिस्सा 62 करोड़ रुपये अधिक होने का अनुमान है। तथापि, भारतीय रीजर्व बैंक के अधिशेष लाभ से प्राप्तियों में 1221 करोड़ रुपये तक की पर्याप्त कमी होगी। संशोधित अनुमानों के स्तर पर कर उपायों से 5896 करोड़ रुपये तक के कम संग्रहों को देखते हुए राजस्व प्राप्ति, कर-भिन्न राजस्व में सुधार के बावजूद, बजट अनुमानों की तुलना में 3336 करोड़ रुपये कम होने की उम्मीद है।

योजना-भिन्न राजस्व व्यय

12. योजना-भिन्न राजस्व व्यय के प्रत्येक मद काफी सीमा तक बजट अनुमानों को पार कर जाने की उम्मीद है। इस प्रकार ब्याज अदायगियों (3425 करोड़ रुपये), राज्यों को अधिक विस्तरित अर्थोपाय अग्रिमों (3000 करोड़ रुपये), खाद्य सब्सिडी में वृद्धि (1000 करोड़ रुपये), ब्याज सब्सिडी में वृद्धि (1300 करोड़ रुपये), की दृष्टि से अधिक देनदारी, और पेंशन की अदायगी के संबंध में अधिक देयता (4173 करोड़ रुपये) के फलस्वरूप वर्ष 1999-2000 के दौरान बजट अनुमानों की तुलना में योजना-भिन्न व्यय में 14995 करोड़ रुपये तक अत्यधिक वृद्धि हुई। ब्याज

सब्सिडी में वृद्धि, भारत भारी उद्योग निगम लि० को भारत सरकार के ऋणों (958 करोड़ रुपए) के अधित्याग और ब्याज सब्सिडी (330 करोड़ रुपए) से संबंधित है।

13. योजना-भिन्न व्यय में प्रवृत्ति की बारीकी से जाँच करने से पता चलता है कि बजट अनुमानों के स्तर पर राजस्व व्यय के और अधिक यथार्थवादी अनुमान से, विशेष रूप से ब्याज अदायगियों, पेंशन की अदायगी और खाद्य सब्सिडी के संबंध में, बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच विचलन काफी कम होगा। ऐसे उपाय से योजना के लिए समग्र संसाधनों का और अधिक विश्वसनीय अनुमान सुकर होगा और वर्ष के दौरान योजना परिव्यय में परिवर्तनों से काफी सीमा तक बचा जा सकता है।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (सी पी एस ई) के आन्तरिक और बजट-बाह्य संसाधन (आई ई बी आर) 1999-2000 संशोधित/ नवीनतम अनुमान

14. वर्ष 1999-2000 के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (सी पी एस ई) का कुल योजना निवेश बजट अनुमानों में 68158 करोड़ रुपए निश्चित किया गया; जिसका वित्त पोषण, 8637 करोड़ रुपए तक बजटीय सहायता से, 38614 करोड़ रुपए तक आन्तरिक संसाधनों से और 20907 करोड़ रुपए तक देशज और विदेशी उधारों के जरिए किया जाना था। संशोधित अनुमानों के अनुसार, इन उद्यमों द्वारा आन्तरिक संसाधन (आई आर) जुटाव 11,233 करोड़ रुपए तक कम होने की उम्मीद है। बाजार उधार भी फलीभूत होने की उम्मीद नहीं है जैसी कि वार्षिक योजना/ बजट अनुमानों में परिकल्पना की गई थी। तथापि, संशोधित अनुमानों में बजटीय सहायता केवल 466 करोड़ रुपए तक अधिक है। परिणामस्वरूप उद्यमों को अधिक सार्वजनिक जमाओं की प्राप्ति, अन्तर-निगमित अन्तरणों, और वित्तीय संस्थानों से 7455 करोड़ रुपए तक के अल्पकालिक उधारों का सहारा लेना पड़ा। इससे, आन्तरिक संसाधनों और बांडों/ ऋण-पत्रों के जरिए बाजार उधारों से कम प्राप्ति की अंशतः क्षतिपूर्ति हो गई। वर्ष 1999-2000 के संबंध में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों की योजनाओं की वित्त पोषण पद्धति सारणी 2.5 में दर्शाई गई है।

सारणी 2.5

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों की वार्षिक योजना 1999-2000 का वित्त पोषण

(करोड़ रुपये)

क्रम संख्या	मद	ब. अ.	सं. अ.	अंतर (सं.अ. - ब.अ.)
1.	बजटीय सहायता (क+ख)	8637	9103	466
	क) इक्विटी	5754	6918	1164
	ख) ऋण	2883	2186	-698
2.	आंतरिक संसाधन	38614	27391	-11223
3.	उधार (क+ख+ग)	20907	25259	4351
	क) बांड/ ऋण पत्र	10980	7878	-3102
	ख) ई सी बी / सप्लायर्स क्रेडिट	5446	5444	-2
	ग) अन्य•	4481	11937	7455
4.	जोड़ योजना परिव्यय (1+2+3)	68158	61753	-6405

टिप्पणी:- • सार्वजनिक जमा, अन्तर-निगम अन्तरण आदि

15. यह बात कि सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के निष्पादन में तेजी से गिरावट आ रही है, अनुमानित आन्तरिक संसाधन जुटाव में लगभग 30 प्रतिशत की कमी से परिलक्षित होती है। बांड और ऋण पत्र जारी करके संसाधन जुटाने के वास्ते बाजार को आकर्षित करने की उनकी असमर्थता से इन उद्यमों की क्षमता और क्रेडिट रेटिंग के बारे में बाजार बोध भी परिलक्षित होता है। संसाधनों में समग्र कमी को देखते हुए, उद्यमों का योजना निवेश 1999-2000 के दौरान 9 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है।

16. पिछले वर्षों की भाँति ही, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों को कर मुक्त बांडों के जरिए भी संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई थी। बांडों और ऋण-पत्रों के जरिए जुटाई जाने वाली 10980 करोड़ रुपए की राशि के अन्दर, परमाणु ऊर्जा और अपारम्परिक ऊर्जा, सड़क परिवहन, रेलवे, शहरी विकास क्षेत्रकों सहित विद्युत क्षेत्रक में सी पी एस ई को 950 करोड़ रुपए तक की राशि कर-मुक्त बांडों के जरिए जुटाने की अनुमति दी गई। इन बांडों पर प्रचलित ब्याज दर 9.5-10.5 प्रतिशत के बीच है जबकि कर योग्य बांडों पर ब्याज दर 12-15 प्रतिशत के बीच है। प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार, संबंधित सी पी एस ई ने इस सुविधा का लाभ उठाया और आबंटन की पूरी सीमा तक संसाधन जुटाए।

17. सी पी एस ई द्वारा योजना निवेश के वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों के संबंध में वर्ष 1999-2000 के लिए बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के ब्यौरे संलग्नक 2.3 'क' और 2.3 'ख' में दिए गए हैं।

कर्ज-सृजक पूँजीगत प्राप्तियाँ – बाजार उधार, लघु बचत, भविष्य निधि आदि

18. वर्ष 1999-2000 के संबंध में संशोधित अनुमानों के अनुसार योजना-भिन्न व्यय में अनुमानित वृद्धि 17461 करोड़ रुपये थी। दूसरी ओर, राजस्व प्राप्तियाँ 3,336 करोड़ रुपए कम होने की उम्मीद थी। इसके अतिरिक्त, विनिवेश प्राप्तियों के संबंध में 10,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के विपरीत इस संबंध में संशोधित अनुमान केवल 2600 करोड़ रुपये होंगे (7,400 करोड़ रुपए कम)। ऋणों की वसूली से प्राप्तियों में केवल 1,649 करोड़ रुपए का सुधार होने की उम्मीद है। इस प्रकार, कुल मिलाकर, केन्द्रीय सरकार की कर्ज-भिन्न प्राप्तियाँ 9,087 करोड़ रुपए कम थी। इसलिए, योजना-भिन्न व्यय में ऊपर वर्णित वृद्धि को पूरा करने तथा साथ ही राजस्व प्राप्तियों में कमी की क्षतिपूर्ति करने के लिए भी 26,548 करोड़ रुपए तक के अधिक बाजार उधारों व अन्य कर्ज सृजक पूँजीगत प्राप्तियों का सहारा लेना आवश्यक हो गया। क्योंकि योजना के लिए सकल बजटीय सहायता भी बढ़ाकर 2,395 करोड़ रुपए कर दी गई इसलिए समग्र उधारों व अन्य देयताओं में 28,943 करोड़ रुपए तक की वृद्धि होने की उम्मीद थी।

19. इस प्रकार 77,065 करोड़ रुपए के बाजार उधारों के संशोधित अनुमान वर्ष 1998-99 के दौरान 57,461 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों से 34 प्रतिशत अधिक तथा वास्तविक बाजार उधारों से 12 प्रतिशत अधिक थे।

20. राज्य भविष्य निधियों का सहारा, 6,000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 750 करोड़ रुपए अधिक होगा। लघु बचतों के संशोधित अनुमान वर्ष 1999-2000 के लिए 8,000 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों की तुलना में 65 करोड़ रुपए तक मामूली से अधिक थे तथापि, विशेष जमा 534 करोड़ रुपए तक कम होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त 3,469 करोड़ रुपए तक नकद शेष से निकासी और 5,528 करोड़ रुपए तक की अन्य विविध पूँजी प्राप्तियों में वृद्धि होने की उम्मीद है।

विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ (निवल)

21. विविध पूँजीगत प्राप्तियों में, राज्यों व सघं राज्य क्षेत्र सरकारों, विदेशी सत्कारों, सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों व सरकारी सेवकों को अग्रिमों व ऋणों की वसूलियाँ सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों में इक्विटी के विनिवेश से प्राप्तियाँ, विशेष जमा व अन्य विविध पूँजी प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। राज्यों और सघं राज्य क्षेत्र सरकारों, विदेशी सरकारों, सार्वजनिक उद्यमों और सरकारी सेवकों को योजना-भिन्न ऋणों, सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों में वित्तीय निवेश की दृष्टि से योजना-भिन्न परिव्यय, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को अशंदान और सरकारी भवनों तथा सरकारी रिहायशी आवास के निर्माण पर खर्च को योजना-भिन्न पूँजीगत व्यय समाझा जाता है। ऊपर बताए गए योजना-भिन्न पूँजी व्यय की तुलना में विविध पूँजी प्राप्तियों का अधिशेष भी योजना के वित्त पोषण का एक स्रोत है। वार्षिक योजना 1999-2000 के वित्त पोषण की स्कीम में, 24,636 करोड़ रुपए के ऐसे अधिशेष (एम सी आर निवल) का अनुमान लगाया गया था, जबकि संशोधित अनुमान 24,881 करोड़ रुपए है। विनिवेशों से प्राप्तियों के सबंध में 7,400 करोड़ रुपए की पर्याप्त कमी हुई। किन्तु, ऋणों की वसूलियों में 1,649 करोड़ रुपए का सुधार होगा। विविध प्राप्तियों का सहारा भी 5,530 करोड़ रुपए तक अधिक था। इस प्रकार विनिवेशों से प्राप्तियों में कमी तथा अधिक योजना-भिन्न व्यय को ऋणों की वसूलियों में सुधार तथा अधिक मात्रा में कर्ज सृजक पूँजी प्राप्तियों के सहारे पूरा किया गया।

विदेशों से निवल आप्रवाह

22. यद्यपि विदेशी वाणिज्यिक उधार तथा सप्लायर्स क्रेडिट से सी पी एस ई के योजना निवेश में योग मिलता है, तथापि विदेशी अनुदानों तथा बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेन्सियों से ऋणों के रूप में विदेशी सहायता से, केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा सीधे ही कार्यान्वित की जाने वाली योजनागत परियोजनाओं और स्कीमों के वित्त पोषण में योगदान मिलता है।

23. केन्द्र की वार्षिक योजना 1999-2000 के वित्त पोषण की स्कीम में, विदेशी अनुदानों और ऋणों (वापसी अदायगियों को घटाकर) के सबंध में 1561 करोड़ रुपए की अनुमानित प्राप्ति शामिल है। विदेशी ऋणों से सकल प्राप्तियों में 9001 करोड़ रुपए के बजट/ योजना अनुमानों की तुलना में 615 करोड़ रुपए का सुधार हुआ। वापसी अदायगी की देयता भी बजट अनुमानों की तुलना में 554 करोड़ रुपए अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी ऋणों के सबंध में केवल 61 करोड़ रुपए का निवल सुधार हुआ। संशोधित अनुमानों में विदेशी अनुदान, बजट/ योजना अनुमानों से लगभग 133 करोड़ रुपए अधिक होने का अनुमान है। इस प्रकार, विदेशी सहायता में बजट अनुमानों की तुलना में 194 करोड़ रुपए का समग्र सुधार होगा। ब्यौरे सारणी 2.6 में दिए गए हैं।

सारणी 2.6

वर्ष 1999-2000 के दौरान विदेशों से निवल आप्रवाह (सरकारी क्षेत्र)

(करोड़ रुपये)

क्रम संख्या	मद	ब. अ.	सं. अ.	अंतर (सं.अ. - ब.अ.)
1	विदेशी ऋण	9001	9616	615
2	ऋणों की वापसी अदायगी	8156	8710	554
3	ऋणों की निवल प्राप्तियाँ	845	906	61
4	विदेशी अनुदान	715	849	133
5	विदेशों से कुल आप्रवाह	1561	1754	194

वार्षिक योजना 1999-2000 के लिए वित्तीय संसाधनों के संशोधित अनुमानों पर एक दृष्टि

24. संशोधित अनुमानों के अनुसार, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (निवल) से प्राप्तियाँ 1999-2000 के दौरान क्रमशः 2,569 करोड़ रुपए और 2,315 करोड़ रुपए कम होंगी। निगम कर और आय कर में प्रत्याशित कमी क्रमशः 935 करोड़ रुपए और 226 करोड़ रुपए होगी। इस प्रकार चार प्रमुख करों के संबंध में अनुमानित कर राजस्व प्राप्ति 6045 करोड़ रुपए कम होने की उम्मीद है। कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों में 2,560 करोड़ रुपए के अनुमानित सुधार से, अर्थात् बजट अनुमानों का 5.1 प्रतिशत, कर प्राप्तियों में राजस्व हानि की अंशतः क्षतिपूर्ति हुई। इस प्रकार, समग्र राजस्व प्राप्तियों में 3336 करोड़ रुपए की कमी होने का अनुमान है। विनिवेशों से प्राप्तियाँ 7,600 करोड़ रुपए, पर्याप्त रूप से कम होंगी। यह, ऋणों की वसूलियों में 1649 करोड़ रुपए के सुधार से केवल मामूली तौर पर प्रतिसंतुलित होगी।

25. वर्ष 1999-2000 के दौरान केन्द्रीय सरकार के योजना-भिन्न व्यय में 17461 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की उम्मीद है, अर्थात् बजट अनुमानों की तुलना में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि। यह वृद्धि मुख्यतः राष्ट्रीय रक्षा, चुनाव, प्राकृतिक आपदाओं और पाँचवे वेतन आयोग के शेष रहते प्रभाव पर अप्रत्याशित खर्च के कारण है। वार्षिक योजना के लिए सकल बजट सहायता में भी, जिसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता सम्मिलित है, 2395 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। इस प्रकार, राजस्व प्राप्तियों में (3336 करोड़ रुपए) और कर्ज-भिन्न पूँजी प्राप्तियों में (5751 करोड़ रुपए) कमी और साथ ही योजना-भिन्न व्यय में 17,461 करोड़ रुपए और योजना के लिए बजटीय सहायता में 2,395 करोड़ रुपए की वृद्धि के कारण वर्ष 1999-2000 के लिए संशोधित अनुमानों में 28,943 करोड़ रुपए तक के अधिक उधार आवश्यक हो गए। इसलिए, कम राजस्व प्राप्तियों और कर्ज-भिन्न पूँजी प्राप्तियों में कमी तथा साथ ही योजना-भिन्न व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि के संचयी प्रभाव के कारण राजकोषीय घाटा बढ़कर जी डी पी का 5.6 प्रतिशत हो गया जबकि बजट में 4 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया था।

26. संशोधित अनुमानों के अनुसार, केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के आन्तरिक तथा बजट बाह्य संसाधनों सहित केन्द्रीय योजना परिव्यय, 103,521 करोड़ रुपए के बजट / वार्षिक योजना अनुमानों की तुलना में 96,310 करोड़ रुपए तक कम होगा, अर्थात् 7211 करोड़ रुपए अथवा बजट अनुमानों से लगभग 7 प्रतिशत कम। क्योंकि केन्द्रीय सरकार के योजना-भिन्न व्यय में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसलिए अधिक राजकोषीय घाटे के बावजूद केन्द्रीय योजना व्यय कम होगा। संक्षेप में, पिछले वर्षों के दौरान देखी गई प्राप्ति और व्यय की पद्धति, अर्थात् राजस्व संग्रहों में प्रायः कमी होने और योजना-भिन्न व्यय के बजट अनुमानों से अधिक होने की पद्धति, जिसके फलस्वरूप योजना के लिए बजटीय सहायता कम रही, वर्ष 1999-2000 के दौरान भी जारी रही।

वर्ष 2000-01 के लिए वार्षिक योजना

27. वर्ष 2000-01 में योजना निवेश का समुचित स्तर बनाए रखने की सरकार की चिन्ता गहरी थी विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में योजना व्यय योजना पूर्वानुमानों से कम था। तथापि, योजना-भिन्न व्यय योजना पूर्वानुमानों से कम था। तथापि, योजना-भिन्न व्यय को नियंत्रित करने की अधिक गुंजाइश नहीं है। वर्ष 1999-2000 के दौरान अधिक राजकोषीय घाटे के फलस्वरूप अधिक ब्याज अदायगी की देयता होगी। रक्षा आवश्यकताओं को पूर्णतः पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता और ग्यारहवें वित्त आयोग के अन्तरिम अवार्ड के तहत राज्यों को प्रत्याशित अतिरिक्त अन्तरणों से केन्द्र के योजना-भिन्न व्यय में पर्याप्त वृद्धि होगी। वार्षिक योजना 2000-01 के लिए बजटीय सहायता और इस वर्ष के बजट में

परिकल्पित राजकोषीय उपायों से, योजना निवेश और योजना-भिन्न व्यय के लिए प्रतिस्पर्धात्मक मांगों के समाधान की दिशा में प्रयास और इसके साथ ही राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया जारी रखने की बात परिलक्षित होते हैं।

सरकारी व्यय का सारांश

28. वर्ष 2000-01 के बजट प्रस्तावों में, वर्ष 1999-2000 के संशोधित अनुमानों की तुलना में क्रमशः लगभग 11.6 प्रतिशत और 11 प्रतिशत योजना-भिन्न व योजना व्यय में वृद्धि की व्यवस्था की गई है। निरपेक्ष दृष्टि से, योजना व्यय (वार्षिक योजना के लिए सकल बजटीय सहायता) 88,100 करोड़ रुपए निश्चित किया गया है तथा योजना-भिन्न व्यय 250,387 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता तथा केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता क्रमशः 36,824 करोड़ रुपए और 51,275 करोड़ रुपए निश्चित की गई है जो 1999-2000 के संशोधित अनुमानों की तुलना में क्रमशः 3 प्रतिशत और 17 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है। केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता में पर्याप्त वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य देख-रेख, समाज कल्याण, आवासन और जल आपूर्ति सहित बुनियादी मानव विकास आवश्यकताओं को प्रदान की गई प्राथमिकता को परिलक्षित करती है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के संबंध में 66,058 करोड़ रुपए के आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधनों का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार, वर्ष 2000-01 के संबंध में केन्द्र का कुल योजना परिव्यय 119,334 करोड़ रुपए होगा; वर्ष 1999-2000 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 21 प्रतिशत की वृद्धि तथा योजना/ बजट अनुमानों की तुलना में 13 प्रतिशत की वृद्धि। निम्नलिखित सारणी 2.7 में केन्द्र की वार्षिक योजना 2001-01 के ब्योरे और वित्त पोषण की स्कीम दर्शाई गई है:-

सारणी 2.7
केन्द्र का योजना परिव्यय-वार्षिक योजना 2000-01

(करोड़ रुपये)

क्रम संख्या	मद	2000-2001 ब. अ.	1999-2000 सं. अ.	वृद्धि (कालम 3-4)
1	2	3	4	5
1	बजटीय सहायता - जिसमें से कुल	51276	43661	7615
1.क)	सी पी एस ई के लिए बजटीय सहायता	10370	9103	1266
2	सी पी एस ई के आई ई बी आर	66058	52649	15409
3	सी पी एस ई का योजना परिव्यय/ निवेश (1क+2)	78428	61753	16675
4	केन्द्रीय योजना परिव्यय (1+2)	117334	96310	21024

टिप्पणी:- • अनुमादित योजना परिव्यय

चालू राजस्व से शेष (बी सी आर)

29. बजट में परिकल्पित संसाधन जुटाव और वर्ष 2000-01 के दौरान राजस्व में प्रत्याशित उत्प्लावकता का उद्देश्य वर्ष 1999-2000 के संबंध में जी डी पी का राजकोषीय घाटा 5.6 प्रतिशत से कम करके जी डी पी का 5.1 प्रतिशत करना है। इस लक्ष्य में 1,46,209 करोड़ रुपए की अनुमानित कर राजस्व प्राप्तियां (केन्द्र को निवल) अन्तर्निहित हैं। ऊपर बताई गई मात्रा में योजना-भिन्न व्यय को देखते हुए, चालू राजस्व से शेष (बी सी आर) वर्ष 2000-01 के लिए (-) 43,963 करोड़ रुपए बैठता है जबकि वर्ष 1999-2000 के संशोधित अनुमानों में यह राशि

(-) 39,121 करोड़ रुपए थी, जिसके फलस्वरूप केन्द्र के योजना-भिन्न राजस्व में बड़ा अन्तर रहा। इसकी जांच नीचे की गई है।

राजस्व प्राप्तियाँ— कर और कर— भिन्न

30. वर्ष 2000-01 के लिए बजट प्रस्तावों में 24,169 करोड़ रुपए की वृद्धि का उद्देश्य है, अर्थात् राजस्व प्राप्तियों के संबंध में वर्ष 1999-2000 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में 13.5 प्रतिशत अधिक। निरपेक्ष दृष्टि से, वर्ष 2000-01 के लिए 2,57,752 करोड़ रुपए की अनुमानित सकल राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 1999-2000 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में 16.6 प्रतिशत वृद्धि प्रदर्शित करती हैं। 2,00,288 करोड़ रुपए की कर राजस्व प्राप्तियाँ कुल राजस्व प्राप्तियों में प्रत्याशित वृद्धि का 82 प्रतिशत है। कर राजस्व में 6904 करोड़ रुपए का अतिरिक्त संसाधन जुटाव सम्मिलित है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:—

सारणी 2.8

वर्ष 2000— 01 के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाव (ए आर एम)

(करोड़ रुपये)

कर उपाय	राज्यों का हिस्सा	केंद्र का हिस्सा	कुल ए आर एम
निगम कर	लागू नहीं	5,000	5,000
वैयक्तिक आय कर	200	880	1,080
ब्याज कर	लागू नहीं	(-) 1,000	(-)1,000
सीमा शुल्क	लागू नहीं	(-) 1,428	(-)1,428
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	1,819	1,433	3,252
जोड़	2,019	4,885	6,904

31. वर्ष 2000-01 के लिए ऊपर वर्णित केन्द्र का सकल कर राजस्व वर्ष 1999-2000 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में 17.8 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से की अनुमति देने के बाद केन्द्र का निवल कर राजस्व 1,46,209 करोड़ रुपए होगा, जिसका अर्थ 9.2 प्रतिशत का कर- जी डी पी अनुपात होगा जबकि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह अनुपात 8.7 प्रतिशत था।

32. 56,735 करोड़ रुपए की कर- भिन्न प्राप्ति (729 करोड़ रुपए के विदेशी अनुदान को छोड़कर) का अर्थ, वर्ष 1999-2000 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि है। 4549 करोड़ रुपए की वृद्धि मुख्यतः 2,577 करोड़ रुपए की ब्याज प्राप्तियों में वृद्धि और 1,894 करोड़ रुपए के अधिक लाभांश व लाभ के कारण है। मात्र निवल लाभ द्वारा भारतीय रीजर्व बैंक से अन्तरण की राशि लाभांश और लाभों में कुल वृद्धि में 1,700 करोड़ रुपए है।

33. वर्ष 2000-01 के बजट में प्रारंभ किए गए प्रत्यक्ष करों से संबंधित राजकोषीय उपायों का उद्देश्य, स्थिरता, आर्थिक विकास कर पद्धति और अप्रत्यक्ष करों का युक्तिकरण और सरलीकरण है, जिससे कर दरों की पुनर्संरचना और प्रक्रियाओं के सरलीकरण की प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी। सीमा शुल्कों में प्रस्तावित परिवर्तनों से भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होने की उम्मीद है। वर्ष 2000-01 के बजट में सम्मिलित कुछ नए राजकोषीय उपायों का उल्लेख संलग्नक 2.5 में किया गया है।

योजना-भिन्न राजस्व व्यय

34. योजना-भिन्न राजस्व व्यय, जिसमें अन्व्यों के साथ-साथ रक्षा पूँजी और सीमावर्ती सड़कों पर परिव्यय सम्मिलित है, वर्ष 1999-2000 के संशोधित अनुमानों की तुलना में वर्ष 2000-01 के

दौरान 13.4 प्रतिशत बढ़ जाने की उम्मीद है। निरपेक्ष दृष्टि से, यह वृद्धि 29131 करोड़ रुपए की होगी। मात्र ब्याज अदायगी देयता 9841 करोड़ रुपए तक अधिक होगी। रक्षा परिव्यय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान तथा अन्य योजना-भिन्न व्यय में क्रमशः 10082 करोड़ रुपए, 11096 करोड़ रुपए और 995 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की उम्मीद है। सब्सिडियां कम करने की प्रक्रिया शुरू करने का सरकार का निर्णय, सब्सिडियों पर परिव्यय में 2892 करोड़ रुपए की कटौती में परिलक्षित होता है। कुल मिलाकर चालू राजस्व से शेष (-) 43,963 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है जबकि 1999-2000 के लिए सं. अ. में यह राशि (-) 39121 रुपए थी। ब्यारे संलग्नक 3.2 में दिए गए हैं।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों द्वारा योजना निवेश के लिए संसाधन – वार्षिक योजना/ बजट अनुमान (2000-01)।

35. वर्ष 2000-01 की केन्द्र की वार्षिक योजना में सी पी एस ई द्वारा 76428 करोड़ रुपए के योजना निवेश की परिकल्पना की गई है। यह, वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमानों की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है। उद्यमों के लिए बजटीय सहायता उनके योजना निवेश की लगभग 14 प्रतिशत होगी, जो वर्ष 1999-2000 के लिए संशोधित अनुमानों में 14.7 प्रतिशत की तुलना में मामूली रूप से कम है। तथापि, निरपेक्ष दृष्टि से, वर्ष 2000-01 के लिए बजटीय सहायता संशोधित अनुमानों की तुलना में 1,267 करोड़ रुपए अधिक होगी। आन्तरिक संसाधनों का हिस्सा 51 प्रतिशत पर अधिक होगा जबकि वर्ष 1999-2000 के लिए संशोधित अनुमानों में यह 44 प्रतिशत था। इसके लिए इस बात को देखते हुए कि आन्तरिक संसाधनों के संशोधित अनुमान निरन्तर रूप से पिछले तीन वर्षों में बजट अनुमानों की तुलना में, 10 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और 29 प्रतिशत तक कम रहे हैं, उद्यमों की प्रचालन कार्यकुशलता में पर्याप्त रूप से सुधार करने की जरूरत है।

36. वर्ष 2000-01 के दौरान कुल उधारों की राशि सी पी एस ई द्वारा निवेश का 35 प्रतिशत होगी जबकि 1999-2000 के लिए संशोधित अनुमानों में यह 30 प्रतिशत थी। इस प्रकार, लक्षित योजना निवेश को पूरा करने के लिए, उद्यमों के बाजार उधारों में 1,518 करोड़ रुपए तक की वृद्धि की आवश्यकता होगी। 26,777 करोड़ रुपए के कुल देशज उधारों में से उद्यमों को कर-मुक्त बांडों के जरिए 600 करोड़ रुपए जुटाने की अनुमति दी गई है। वर्ष 2000-01 के लिए सी पी एस ई की वार्षिक योजना के वित्त पोषण की पद्धति सारणी 2.9 में दर्शाई गई है:-

सारणी 2.9

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों की वार्षिक योजना 2000-01 का वित्त पोषण

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	वित्त का स्रोत	2000-01 ब. अ.	प्रतिशत हिस्सा
1.	बजटीय सहायता (क+ख)	10370	13.57
	क) इक्विटी	8303	10.86
	ख) ऋण	2067	2.70
2	आंतरिक संसाधन	39281	51.40
3	उधार	26777	35.04
	क) बांड/ ऋण पत्र	7769	10.17
	ख) ई सी बी / सप्लायर्स क्रेडिट	6222	8.14
	ग) अन्य (सार्वजनिक जमा, अंतर निगमित अंतरण आदि)	12785	16.73
4	कुल योजना परिव्यय (1+2+3)	76428	100

कर्ज-सृजक पूँजी प्राप्तियाँ

37. कर्ज-भिन्न प्राप्तियों (राजस्व और पूँजी), कुल व्यय (योजना और योजना-भिन्न) तथा कर्ज सृजक पूँजी प्राप्तियों की प्रवृत्तियों से पता चलता है कि कर्ज-भिन्न प्राप्तियों का अनुपात, यद्यपि इससे 1998-99 के वास्तविकों की तुलना में वर्ष 1999-2000 के लिए बजट अनुमानों में केन्द्रीय सरकार के कुल खर्च के एक बड़े भाग की पूर्ति करने की उम्मीद थी, संशोधित अनुमानों के स्तर पर गिरावट आई है। वर्ष 2000-01 के लिए बजट अनुमानों में कर्ज-भिन्न प्राप्तियों से कुल खर्च के मामूली से ही अधिक अनुपात की पूर्ति होगी जैसा कि नीचे सारणी 2.10 में दर्शाया गया है:-

सारणी 2.10
कर्ज-भिन्न प्राप्तियाँ, योजना और योजना-भिन्न व्यय

(करोड़ रुपये)

प्राप्ति और व्यय	1998-99	1999-2000		2000-01
	(वास्तविक)	(ब. अ.)	(सं. अ.)	(ब. अ.)
राजस्व प्राप्तियाँ	149510	182840	179504	203673
ऋणों की वसूली	10633	11087	12736	13539
विनिवेश	5874	10000	2600	10000
जोड़ - कर्ज भिन्न प्राप्तियाँ	166017 (59.43)	203927 (71.84)	194840 (64.15)	227212 (67.13)
योजना भिन्न व्यय	212548	206882	224343	250387
योजना व्यय	66818	77000	79395	88100
कुल व्यय	279366	283882	303738	338487

टिप्पणी:- कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें, कर्ज-भिन्न प्राप्तियों में से वहन किए गए कुल खर्च के अनुपात (प्रतिशत) से संबंधित हैं।

38. वर्ष 1998-99 में 59 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1999-2000 के लिए सं. अ. में कुल व्यय के 64 प्रतिशत की पूर्ति कर्ज-भिन्न प्राप्तियों में से होने का मुख्य कारण राजस्व प्राप्तियों में 30,000 करोड़ रुपए का सुधार होना है। संशोधित अनुमानों की तुलना में वर्ष 2000-01 के बजट अनुमानों में दर्शाया गया मामूली सुधार मुख्य रूप से, लगभग 24,000 करोड़ रुपए तक की राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के अलावा, विनिवेश प्राप्तियों की पूर्ण वसूली पर निर्भर करेगा जिसकी राशि 10,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ऊपर वर्णित प्रत्याशित सुधारों के कारण केवल वर्ष 2000-01 में कर्ज सृजक पूँजी प्राप्तियों में 2377 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की उम्मीद है। जब तक ये सुधार नहीं होते, तब तक, वर्ष 1999-2000 के दौरान आई राजकोषीय कमी (ब. अ. और सं. अ. के बीच) 2000-01 के अन्त में भी फिर से दोहराए जाने की सम्भावना है। अनेक कर्ज सृजक पूँजी प्राप्तियों का सहारा, नामतः बाजार उधार, विदेशी ऋण, लघु बचत और विशेष जमा वर्ष के दौरान 65 करोड़ रुपए से लेकर 950 करोड़ रुपए तक की राशि के बीच कम रहेगा। केन्द्रीय सरकार ने 1 अप्रैल 2000 से लघु बचत स्कीम के अन्तर्गत निवल संग्रह के विरुद्ध हिस्से में 75 प्रतिशत से 80 प्रतिशत की वृद्धि करने का भी निर्णय किया है। तथापि, राहत बांडों, रेलवे आरक्षण निधि आदि सहित अन्य निधियों से निकासी लगभग 7000 करोड़ रुपए तक अधिक होगी। नकद शेष से निकासी का सहारा "शून्य" होगा जबकि संशोधित अनुमानों के अनुसार 1999-2000 के दौरान 3469 करोड़ रुपए का लाभ उठाया गया था। इस प्रकार, पिछले वर्ष की तुलना में 2000-01 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण की संरचना भिन्न होगी। बजट में

प्रस्तावित निरपेक्ष दृष्टि से राजकोषीय घाटे में मामूली वृद्धि के अतिरिक्त, लघु बचत पत्रों, सार्वजनिक भविष्य निधि और सामान्य भविष्य निधि पर 1999-2000 के अन्त में और 2000-01 के बजट में प्रभावित लगभग एक प्रतिशत की ब्याज दरों में कटौती से केन्द्रीय सरकार की ब्याज देयता कम होने की सम्भावना है।

विविध पूँजी प्राप्ति (निवल)

39. विविध पूँजी प्राप्ति की संरचना का उल्लेख ऊपर पैराग्राफ 20 में किया गया है। वार्षिक योजना 2000-01 के वित्त पोषण की स्कीम में विविध पूँजी प्राप्ति से प्रोदभूत का अनुमान 39,495 करोड़ रुपए लगाया गया है जबकि संशोधित अनुमानों में यह राशि 24,881 करोड़ रुपए थी। 14,614 करोड़ रुपए तक सुधार का यह स्तर मुख्यतः इक्विटी धारिताओं के विनिवेश से 10,000 करोड़ रुपए की लक्षित प्राप्ति के कारण है (1999-2000 के सं. अ. की तुलना में 7,400 करोड़ रुपए का सुधार। वर्ष 1999-2000 के सं. अ. की तुलना में ऋणों की वसूली 803 करोड़ रुपए अधिक होगी। वर्ष 2000-01 के बजट अनुमानों में नकद शेष से निकासी शामिल नहीं है।

40. राज्यों और सघं राज्य क्षेत्रों को योजना-भिन्न ऋणों में 2927 करोड़ रुपए की कमी होने की उम्मीद है, जबकि सार्वजनिक उद्यमों को ऋणों में लगभग 614 करोड़ रुपए की मामूली कमी आएगी। किन्तु अन्य योजना-भिन्न पूँजी परिव्यय में लगभग 300 करोड़ रुपए की वृद्धि होने का अनुमान है। इस प्रकार, व्यय में इस मामूली वृद्धि के लिए समायोजन करते हुए, एम सी आर (निवल) में वर्ष 1999-2000 के सं. अ. की तुलना में वर्ष 2000-01 के ब. अ. में 14,614 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की उम्मीद है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

विदेश से निवल आप्रवाह 2000-01

41. केन्द्र की वार्षिक योजना के वित्त पोषण के लिए वर्ष 2000-01 के दौरान विदेशी ऋणों और अनुदानों के निवल आप्रवाह की राशि 685 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है, जो वर्ष 1999-2000 के सं. अ. में हिसाब में लिए गए प्रत्याशित आप्रवाह से 1069 करोड़ रुपए कम है। ब्योरे सारणी 2.11 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 2.11
2000-01 के दौरान विदेश से निवल आप्रवाह (सरकारी क्षेत्रक)

क्रम सं.	मद	1999-2000 सं. अ.	2000-01 ब. अ.
1	विदेशी ऋण	9616	9129
2	ऋणों की वापसी अदायगी	8710	9173
3	ऋणों की निवल प्राप्तियां	906	-44
4	विदेशी अनुदान	849	729
5	विदेश से कुल आप्रवाह	1754	685

(करोड़ रुपये)

42. उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार वर्ष 1999-2000 के दौरान (31.3.2000 तक) विदेशी ऋणों के उपयोग की राशि 10001.17 करोड़ रुपए थी जबकि संशोधित अनुमानों की राशि 849 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार केन्द्र और राज्यों द्वारा (सरकारी क्षेत्रक) उपयोग की गई कुल विदेशी सहायता की राशि 11066 करोड़ रुपए है। वर्ष 2000-01 के दौरान विदेशी सहायता की

9858 करोड़ रुपए की अनुमानित प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में पर्याप्त रूप से कम होगी, जिसकी वजह से अनुमानित प्राप्तियों के पूर्ण उपयोग की आवश्यकता है।

वार्षिक योजना 2000-01 के लिए वित्तीय संसाधनों पर एक दृष्टि

43. वर्ष 2000-01 के केन्द्रीय बजट में इस वर्ष की वार्षिक योजना के लिए 88100 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता (जी बी एस) की व्यवस्था है। यह, वार्षिक योजना 1999-2000 के लिए 77000 करोड़ रुपए की तदनुरूपी जी बी एस की तुलना में 14.4 प्रतिशत वृद्धि की द्योतक है। वर्ष के लिए केन्द्र का 250387 करोड़ रुपए का अनुमानित योजना-भिन्न व्यय, वर्ष 1999-2000 के लिए की गई व्यवस्था की तुलना में 21 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। 3,38487 करोड़ रुपए के अनुमानित कुल व्यय को पूरा करने के उद्देश्य से 2,03,673 करोड़ रुपए के कुल राजस्व (सकल) संग्रह में 17.8 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है ताकि वर्ष 1999-2000 के 1,69,979 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 2,00,288 करोड़ रुपए की वसूली की जा सके, कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों में तदनुरूपी वृद्धि 8.7 प्रतिशत है। वर्ष 1998-99 के वास्तविकों की तुलना में 1999-2000 के संशोधित अनुमानों में सकल राजस्व प्राप्तियों और कर-भिन्न राजस्व के संबंध में 18 प्रतिशत की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, बजट अनुमान उचित और उपलब्धि योग्य है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रक के पुनर्गठन के लिए वर्ष 2000-01 के बजट में एक स्पष्ट नीति तय की है ताकि विनिवेशों से 10,000 करोड़ रुपए की वसूली की जा सके। राजस्व प्राप्तियों की वसूली, विनिवेशों से प्राप्तियों और ऋणों की वसूली से, राजकोषीय घाटे की राशि, केन्द्र के कुल खर्च को पूरी तरह से पूरा करने के वास्ते, 2000-01 में 11127.5 करोड़ रुपए होगी (जी डी पी का 5.1 प्रतिशत)।

44. वर्ष 2000-01 के बजट अनुमानों के अनुसार योजना व्यय (केन्द्र द्वारा वार्षिक योजना के लिए सकल बजटीय सहायता) कुल व्यय का 73 प्रतिशत बैठता है; वही अनुपात जो वर्ष 1999-2000 के लिए संशोधित अनुमानों में है तथा वर्ष 1998-2000 के लिए संशोधित अनुमानों में है तथा वर्ष 1998-99 और 1997-98 में वसूली के क्रमशः 76 प्रतिशत और 75 प्रतिशत के अनुपात से कम, जबकि वर्ष 1999-2000 (स. अ.) और 2000-01 (ब. अ.) में योजना-भिन्न व्यय कुल खर्च का 27 प्रतिशत होगा जो 1998-99 और 1997-98 के वास्तविकों की तुलना में इसके बढ़ते हिस्से का द्योतक है, जबकि तदनुरूपी अनुपात केवल 24 प्रतिशत और 25 प्रतिशत था।

45. योजना-भिन्न व्यय के अन्दर, ब्याज अदायगियों के हिस्से में वर्ष 1999-2000 और 2000-01 में क्रमशः 41 प्रतिशत और 40 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है जबकि 1997-98 और 1998-99 में यह प्रतिशतता क्रमशः 38 और 37 थी। इसी प्रकार रक्षा व्यय का हिस्सा कुल योजना-भिन्न व्यय में क्रमशः 22 प्रतिशत और 23 प्रतिशत होगा जबकि पिछले वर्षों में (1997-98 और 1998-99) यह प्रतिशतता क्रमशः 20 और 19 थी। सब्सिडियों का हिस्सा 2000-01 में 9 प्रतिशत तक कम होगा जबकि 1998-99 और 1999-2000 में यह 13 प्रतिशत और 11 प्रतिशत था। राजकोषीय घाटे में वृद्धि का प्रभाव इस तथ्य से स्पष्ट होगा कि वर्ष 1997-98 और 1998-99 में ब्याज अदायगियों का हिस्सा केन्द्रीय सरकार की निवल राजस्व प्राप्तियों का 49 प्रतिशत था। इसके 1999-2000 में 60.73 प्रतिशत तक बढ़ जाने का अनुमान है। वर्ष 2000-01 के लिए बजट अनुमानों में तदनुरूपी हिस्सा 51 प्रतिशत होगा।

46. केन्द्र का अनुमानित 117334 करोड़ रुपए का वार्षिक योजना परिव्यय वर्ष 1999-2000 के लिए योजना परिव्यय की तुलना में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के 66,058 करोड़ रुपए के संसाधन और 51,276 करोड़ रुपए की केन्द्रीय योजना बजटीय

सहायता, वार्षिक योजना 1999-2000 के लिए प्रदत्त तदनुसूची परिव्ययों की तुलना में साधारण तौर पर 11 प्रतिशत और 16.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। संशोधित अनुमानों में बजट अनुमानों की तुलना में, सी पी एस ई के संसाधन 12 प्रतिशत कम थे, यद्यपि केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमानों में केवल एक प्रतिशत कम थी। इस प्रकार, आई ई बी आर की पूर्ण वसूली, विशेष रूप से आन्तरिक संसाधन जुटाना और देशज उधार, वर्ष 2000-01 में अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

वार्षिक योजना : राज्य

वार्षिक योजना 1999-2000-समीक्षा

47. सभी राज्यों के संबंध में वर्ष 1999-2000 के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय 84,650 करोड़ रुपए निश्चित किया गया था। इसमें 46,517 करोड़ रुपए के राज्यों के स्वयं के संसाधन (एस ओ आर) और 38,133 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता सम्मिलित है। इसके विपरीत, राज्यों की वार्षिक योजना के लिए संसाधनों के नवीनतम अनुमान 60,702 करोड़ रुपए के हैं, जो अनुमोदित योजना परिव्यय की तुलना में 28 प्रतिशत से अधिक की कमी का संकेत है। राज्यों के स्वयं के स्रोत अनुमोदित वार्षिक योजना से 43 प्रतिशत कम रहे तथा केन्द्रीय सहायता नवीनतम अनुमान के अनुसार लगभग 10 प्रतिशत कम थी। नवीनतम अनुमान के अनुसार राज्यों के कम संसाधन की स्थिति का मुख्य कारण, राज्यों के स्वयं के संसाधनों (एस ओ आर) के गैर-उधार घटकों में निरन्तर गिरावट है, अर्थात् चालू राजस्व से शेष, राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यमों का अशंदात, और राज्यों द्वारा उपाध्यक्ष-मुख्य मंत्रियों के स्तर पर चर्चाओं के समय प्रतिबद्ध ए आर एम जुटाने में उनकी असमर्थता। केन्द्रीय सहायता के संबंध में, प्रत्येक वर्ष, राज्य, ई ए पी के लिए आवंटित निधि का बड़ा भाग खपाने में असमर्थ रहे है। पिछली प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, नवीनतम अनुमान के अनुसार, अनुमोदित वार्षिक योजना की तुलना में ई ए पी के लिए केन्द्रीय सहायता में 29 प्रतिशत की कमी रही (सलंगनक 2.8)।

चालू राजस्व से शेष(बी सी आर) :-

48. सभी 25 राज्यों की वार्षिक योजना 1999-2000 के वित्त पोषण की अनुमोदित स्कीम में (-) 30,359 करोड़ रुपए के बी सी आर सम्मिलित हैं, जिसमें (-) 5,043 करोड़ रुपए विशेष श्रेणी राज्यों के लिए हैं (सलंगनक 2.10)। सभी राज्यों के बी सी आर में 5,519 करोड़ रुपए के ए आर एम की व्यवस्था थी, जिसमें राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा उपाध्यक्ष स्तर पर आयोजित बैठकों में प्रतिबद्ध 3,570 करोड़ रुपए के ए आर एम शामिल नहीं हैं, (सलंगनक 2.8 और 2.11)। राज्यों के चालू राजस्व से शेष (बी सी आर) में 1998-99 से तेजी से कमी आई जिसका कारण वेतन संशोधन की वजह से राजस्व की निकासी और राज्यों द्वारा राजस्व प्राप्ति में वृद्धि करने में असफल रहना था। वार्षिक योजना 1999-2000 के लिए संसाधनों के नवीनतम अनुमान से वार्षिक योजना पूर्वानुमान की तुलना में बी सी आर में 14,705 करोड़ रुपए तक की और कमी का पता चलता है (सलंगनक 2.10)। नवीनतम अनुमान में देखा गया है कि 25 राज्यों में से केवल गुजरात राज्य ही सकारात्मक बी सी आर बनाए रखने में समर्थ रहा है। गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के संबंध में बी सी आर विवरण (सलंगनक 2.9) के विश्लेषण से नवीनतम अनुमान में, वार्षिक योजना अनुमान की तुलना में वसूल हुई राजस्व प्राप्ति में 3 प्रतिशत तक की कमी का पता चलता है। दूसरी ओर, नवीनतम अनुमान में, योजना-भिन्न राजस्व व्यय, वार्षिक योजना पूर्वानुमान से 4 प्रतिशत अधिक है।

सारणी 2.12
वार्षिक योजना 1999-2000 का वित्त पोषण

(करोड़ रुपये)

राज्य	राज्यों के स्वयं के संसाधन		केंद्रीय सहायता		जोड़	
	ए पी	एल ई	ए पी	एल ई	ए पी	एल ई
विशेष श्रेणी राज्य	-220.29	-2906.52	8325.29	8316.03	8105.00	5409.51
गैर-विशेष श्रेणी राज्य	46737.64	29230.03	29807.55	26062.09	76545.19	55292.12
जोड़	46517.35	26323.51	38132.84	34378.122	84650.19	60701.63

अतिरिक्त संसाधन जुटाना (ए आर एम)

49. वार्षिक योजना 1999-2000 के लिए सभी राज्यों के कुल अनुमान 13,378 करोड़ रुपए अनुमानित किए गए थे जिसमें से गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के ए आर एम 12,511 करोड़ रुपए हैं (सलंगनक 2.11) कुल ए आर एम में, 5,519 करोड़ रुपए के बजटीय ए आर एम, मुख्य मंत्रियों द्वारा प्रतिबद्ध 3,570 करोड़ रुपए के ए आर एम सम्मिलित हैं (सलंगनक 2.8 और 2.11), जो नवीनतम अनुमान में संबंधित शीर्षों, जैसे कि बी सी आर और एस एल पी ई के योगदान के साथ एकीकृत हैं तथा एस एल पी ई द्वारा 4,288 करोड़ रुपए के ए आर एम। संसाधनों के नवीनतम अनुमान के अनुसार गैर-विशेष श्रेणी राज्यों द्वारा वसूल किए गए ए आर एम की सारी राशि 7,302 करोड़ रुपए है, जबकि विशेष श्रेणी वाले राज्य केवल 144 करोड़ रुपए जुटा पाए (सलंगनक 2.11)। सलंगनक 2.11 में ए आर एम सारणी से पता चलता है कि राज्यों ने बजटीय ए आर एम के 61 प्रतिशत की वसूली की, वार्षिक योजना 1999-2000 के लिए संसाधनों के नवीनतम अनुमान में एस ई बी द्वारा 34 प्रतिशत ए आर एम और आर टी सी द्वारा 182 प्रतिशत ए आर एम। राज्यों द्वारा प्रतिबद्ध ए आर एम जुटा पाने में उनकी असमर्थता उनके योजना संसाधनों में कमी का एक मुख्य कारण है। राजस्व जुटाने में एक बड़ी बाधा राज्यों द्वारा निवेश आकर्षित करने के वास्ते प्रतिस्पर्धात्मक बिक्री कर कटौती है। राज्यों और सघं राज्य क्षेत्रों द्वारा 2000 से बिक्री कर की एकसमान प्रस्तावित फर्शी दरों से बिक्री कर राजस्व का लगभग 60 प्रतिशत का योगदान करता है।

राज्य स्तर सार्वजनिक उद्यम (एस एल पी ई)

50. वार्षिक योजना 1999-2000 के लिए राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य परिवहन निगमों का कुल मिलाकर योगदान (-) 3,329 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। इसमें, राज्य विद्युत बोर्डों से (-) 2,436 करोड़ रुपए का योगदान (सलंगनक 2.12) और राज्य सड़क परिवहन निगमों से (-) 893 करोड़ रुपए का योगदान सम्मिलित है। वार्षिक योजना के वित्त पोषण में इन दो प्रमुख राज्य सरकार उपक्रमों के मिले-जुले योगदान की स्थिति, नवीनतम अनुमान में और खराब (-) 7,983 करोड़ रुपए हुई है (सलंगनक 2.12 और 2.13)। वार्षिक योजना पूर्वानुमान में रा. वि. बोर्डों के योगदान में तीन गुने से अधिक की कमी आई जबकि नवीनतम अनुमान में रा. स. प. नि. के योगदान में लगभग 31 प्रतिशत का सुधार हुआ। कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश जैसे केवल कुछेक राज्य ही, नवीनतम अनुमान स्तर पर योजना के लिए संसाधनों में राज्य विद्युत बोर्डों के सकारात्मक योगदान से लाभान्वित हुए हैं (सलंगनक 2.12)। नीचे सारणी 2.13 में, बी सी आर, एस एल पी ई के योगदान और मुख्य मंत्रियों द्वारा प्रतिबद्ध ए आर एम के अन्तर्गत, वार्षिक योजना 1999-2000 के लिए संसाधन जुटाने के नवीनतम अनुमान की तुलना में संसाधन पूर्वानुमान की तुलनीय स्थिति दर्शाई गई है।

सारणी 2.13
वार्षिक योजना 1999-2000 के दौरान बी सी आर और
एस एल पी ई के योगदान का अनुमान

(करोड़ रुपये)

मद	वार्षिक योजना	नवीनतम अनुमान
बी सी आर	-30359.11	-45064.36
एस एल पी ई से योगदान	-2647.65	-6944.20
मुख्य मंत्रियों द्वारा सहमत ए आर एम	3570.21	961.13
जोड़	-29436.55	51047.43

राज्य भविष्य निधियां

51. राज्य सरकार कर्मचारी भविष्य निधियां वार्षिक योजना के वित्त पोषण का, विशेष रूप से 1998-99 से, वेतनमानों के संशोधन और बकाया राशि को परिबद्ध करने के फलस्वरूप, एक महत्वपूर्ण संघटक बन गई हैं। अनुमोदित वार्षिक योजना 1999-2000 में राज्य भविष्य निधि के रूप में 17,379 करोड़ रुपए का पूर्वानुमान लगाया गया था, जो राशि नवीनतम अनुमान में बढ़कर 18,067 करोड़ रुपए हो गई है। इस शीर्ष के अन्तर्गत तथा लघु बचतों से उधार, जो परियोजना-सम्बद्ध नहीं हैं, राज्यों द्वारा योजनाओं के वित्त पोषण का सर्वाधिक लोकप्रिय स्रोत बन गए हैं।

लघु बचत

52. लघु बचतों से निवल संग्रहों के विरुद्ध ऋण, राज्यों के स्वयं के संसाधनों का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस शीर्ष के अन्तर्गत वार्षिक योजना के लिए पूर्वानुमान 25,699 करोड़ रुपए था, जो राज्यों के स्वयं के संसाधनों का 55 प्रतिशत तथा योजना के लिए कुल संसाधनों का लगभग 30 प्रतिशत है। इस पूर्वानुमान के विपरीत राज्यों द्वारा संसाधनों के नवीनतम अनुमान से, लघु बचतों के विरुद्ध निवल ऋणों के रूप में 24,594 करोड़ रुपए की राशि का संकेत प्राप्त हुआ (सलंगनक 2.8)। यह नवीनतम अनुमान के अनुसार राज्यों के स्वयं के संसाधनों का बहुत बड़ा भाग यथा, 93 प्रतिशत तथा कुल संसाधनों का 41 प्रतिशत है। अउधारीकृत निधियों की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए राज्य अपनी वार्षिक योजनाओं के वित्त पोषण के लिए अधिकाधिक लघु बचतों पर निर्भर कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप वे अपनी संधारणीय सीमा से अधिक अपनी देयता को बढ़ाने का खतरा मोल ले रहे हैं।

बाजार उधार तथा परक्रामित ऋण

53. वार्षिक योजना 1999-2000 के लिए वित्त पोषण पद्धति में, मुक्त बाजार उधारों (एस एल आर आधारित) की 10,966 करोड़ रुपए की राशि सम्मिलित थी (सलंगनक 2.8)। ससाधन स्थिति के नवीनतम अनुमान से बाजार उधार के अन्तर्गत कुछ सुधार के साथ 10,970 करोड़ रुपए का पता चलता है। परक्रामित ऋणों व अन्य वित्त में, एल आई सी, जी आई सी, नाबार्ड, आर ई सी, आई डी बी आई व अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण सम्मिलित हैं। वार्षिक योजना 1999-2000 में इस शीर्ष के अन्तर्गत 12,177 करोड़ रुपए का पूर्वानुमान लगाया गया था जिसमें से नवीनतम अनुमान के अनुसार वसूल हुई राशि 13,780 करोड़ रुपए थी। क्योंकि इस शीर्ष के अन्तर्गत ऋण, आवासन, ग्रामीण सड़कों, स्वच्छता, पेय जल आपूर्ति आदि जैसी विशिष्ट विकासात्मक

परियोजनाओं के लिए होते हैं इसलिए इससे राज्यों को विकास कार्यों के लिए उपलब्ध निधियां परिलक्षित होती हैं। राज्य स्तर सार्वजनिक उद्यमों (एस एल पी ई) द्वारा जारी बांड/ ऋण पत्र।

54. राज्यों की वार्षिक योजना 1999-2000 के लिए वित्त पोषण पद्धति में इन निगमों द्वारा जारी किए जाने वाले "बांड और ऋण पत्र" शीर्ष के अन्तर्गत 12,481 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी (सलंगनक 2.8)। नवीनतम अनुमान के अनुसार वसूल हुई राशि 12,989 करोड़ रुपए थी। क्योंकि राज्य सरकारें इन साधनों के संबंध में गारंटी प्रदान करती हैं, इसलिए राज्यों की आकस्मिक देयता तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि ये नियम ब्याज और किस्त अदा करने के वास्ते लाभ अर्जित करने में प्रायः असमर्थ रहते हैं इसलिए कर्ज परिशोधन देयता अन्ततः राज्यों के ऊपर आ सकती है। इससे, राज्य की राजकोषीय स्थिति पर दबाव में और वृद्धि हो सकती है।

केन्द्रीय सहायता

55. केन्द्रीय सरकार के बजट अनुमानों के अनुसार 1999-2000 के बजट में राज्यों की योजना के लिए 31,918 करोड़ रुपए (सलंगनक 2.7) की व्यवस्था की गई है, जिसमें क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए 3,055 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं। केन्द्रीय सहायता के 16,540 करोड़ रुपए के सामान्य बजट को संशोधित करके 15,417 करोड़ रुपए कर दिया गया है जबकि ई ए पी के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि संशोधित अनुमान में 5,500 करोड़ रुपए से 6,200 करोड़ रुपए कर दी गई। संशोधित अनुमान से राज्यों की योजनाओं के लिए 34,527 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता का पता चलता है, जो ब. अ. की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत अधिक है। (इसमें एन ई सी योजना के लिए केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित है)।

56. दो कार्यक्रम, नामतः बुनियादी न्यूनतम सेवा (बी एम एस) और मलिन बस्ती विकास, 1996-97 में प्रारंभ किए गए। बी एम एस के लिए आबंटन समायोजित गाडगिल फार्मूले के आधार पर किया गया था, जिसके अन्तर्गत प्रति व्यक्ति आय मापदण्ड में गाडगिल सूत्र के अन्तर्गत विशेष समस्याओं और निष्पादन के लिए भारांश को शामिल किया गया। मलिन बस्ती विकास स्कीम के लिए आबंटन वर्ष 1991 में प्रत्येक राज्य की आनुपातिक मलिन बस्ती आबादी के आधार पर किया गया था। तथापि, ऋण अनुदान अनुपात, सामान्य पद्धति के अनुसार बना रहा।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

57. राज्यों की वार्षिक योजनाओं के वित्त पोषण की अनुमोदित स्कीम में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 12,861 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी (सलंगनक 2.8)। दूसरी ओर, केन्द्र सरकार के वर्ष 1999-2000 के बजट में विदेशी सहायता के माइक्रो-परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें पहले ही अन्तिम रूप दे दिया जाता है तथा पाइपलाइन के अधीन होते हैं, इस प्रयोजनार्थ 5,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। केन्द्र सरकार द्वारा ई ए पी के लिए संशोधित अनुमान से 6,200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। केन्द्र सरकार द्वारा ई ए पी के लिए संशोधित अनुमान से 6,200 करोड़ रुपए तक बढ़ाए जाने का पता चलता है (सलंगनक 2.7)। जबकि राज्यों द्वारा संसाधनों के नवीनतम अनुमान में कमी होकर राशि 9,075 करोड़ रुपए हो गई (सलंगनक 2.8)। यद्यपि राज्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे ई ए पी के अन्तर्गत निधियों के बेहतर उपयोग में तेजी लाएं, ताकि इस शीर्ष के अन्तर्गत और निधियां आकर्षित की जा सकें, किन्तु परियोजनाओं की स्थानीय लागत वहन करने के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान करना भी आवश्यक है।

संघ राज्य क्षेत्रों का योजना निधिकरण

58. विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं का वित्त पोषण पूर्णतः केन्द्रीय योजना सहायता के माध्यम से किया जाता है। विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का वर्ष 1999-2000 का योजना परिव्यय 3,312 करोड़ रुपए निश्चित किया गया था, जिसमें दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी सी) के लिए 3,000 करोड़ रुपए तथा पाण्डिचेरी के लिए 312 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं। लघु बचतों के विरुद्ध ऋण, बी सी आर तथा ए आर एम, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के स्वयं के स्रोतों के बड़े भाग हैं। इन दोनों संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना 1999-2000 के वित्त पोषण की अनुमोदित स्कीम के अनुसार कुल 610 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता का अनुमान है। नवीनतम अनुमान के अनुसार, इन दोनों संघ राज्य क्षेत्रों ने मिलकर, वार्षिक योजना 1999-2000 के लिए कुल 2,812 करोड़ रुपए के संसाधन जुटाए।

विशेष श्रेणी राज्य

59. सभी विशेष श्रेणी राज्यों (सात पूर्वोत्तर राज्य, हिमालय प्रदेश, सिक्किम और जम्मू तथा काश्मीर) की निधिकरण पद्धति उसी पद्धति के अनुसार तैयार की गई थी जो गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के संबंध में थी (अर्थात् नकारात्मक राज्यों के स्वयं के संसाधनों को मिलाकर)। वर्ष 1999-2000 के लिए इन राज्यों का अनुमोदित वार्षिक योजना आबंटन 8,105 करोड़ रुपए अनुमानित है (सारणी 2.12), जिसमें से केन्द्रीय सहायता लगभग 103 प्रतिशत बैठती है। संसाधनों के नवीनतम अनुमान के अनुसार कुल संसाधन 5,410 करोड़ रुपए आंके गए हैं, वार्षिक योजना अनुमान की तुलना में लगभग 33 प्रतिशत कम। एस ओ आर में और कमी के फलस्वरूप, नवीनतम अनुमानों में केन्द्रीय सहायता का हिस्सा वार्षिक योजना के लिए कुल संसाधनों का लगभग 154 प्रतिशत है।

नौवीं पंच वर्षीय योजना की प्रगति

60. सभी राज्यों के लिए अनुमोदित नौवीं पंच वर्षीय योजना, 1997-2002 में कुल 3,54,664 करोड़ रुपए के राज्यों के स्वयं के संसाधन और 1,68,775 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता शामिल है। नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान (1997-2000), सतत कीमतों पर, प्राप्ति 1,57,635 करोड़ रुपए बैठती है, जो पूर्वानुमान का केवल लगभग 44 प्रतिशत है। एस ओ आर की प्राप्ति 81,447 करोड़ रुपए थी, जबकि केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 76,188 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई।

सारणी 2.14

नौवीं पंच वर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान प्राप्ति (वसूली)

(करोड़ रुपये)

मद	नौवीं योजना पूर्वानुमान	प्राप्ति 1997-99	नौवीं योजना पूर्वानुमान के विरुद्ध प्राप्ति प्रतिशतता
राज्यों की स्वयं की निधियां	3814.19	-79597.68	-2086.88
राज्यों के उधार	182075.10	161044.62	88.45
केन्द्रीय सहायता	168775.00	76187.85	45.14
कुल संसाधन	354664.29	157634.79	44.45

61. उपरोक्त सारणी (सारणी 2.14) में, योजना के लिए कुल संसाधनों की स्थिति राज्यों की स्वयं की निधियों के अनुसार प्रस्तुत की गई है, जिसमें एस ओ आर के अ-उधारीकृत घटक, राज्यों के स्वयं के उधार, और केन्द्रीय सहायता सम्मिलित है। यह पर्याप्त स्पष्ट है कि नौवीं पंच वर्षीय योजना पूर्वानुमान की तुलना में, राज्यों की अ-उधारीकृत निधि स्थिति में पर्याप्त गिरावट आई है। दूसरी ओर, राज्यों ने नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के अन्दर पूर्वानुमानित उधारों का 88 प्रतिशत का पहले ही उपयोग कर लिया है। पूर्वानुमानित केन्द्रीय सहायता की कम प्राप्ति का मुख्य कारण, ई ए पी के लिए केन्द्रीय सहायता की कम खपत का होना है।

चिन्ता के क्षेत्र

62. योजना के वित्त पोषण में चिन्ता के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं :
- (क) योजना के निधिकरण के लिए प्रतिबद्ध संसाधन पूर्वानुमान और वास्तविक प्राप्ति के बीच बड़ा अन्तर निरन्तर बना रहना;
 - (ख) राज्यों का बढ़ता राजस्व घाटा और बी सी आर में गिरावट;
 - (ग) राज्य स्तर सार्वजनिक उद्यमों के कार्यकरण में गिरावट;
 - (घ) योजना वित्त के लिए लघु बचतों के विरुद्ध ऋणों पर बढ़ती और अत्यधिक निर्भरता;
 - (ङ.) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का धीमा कार्यान्वयन जिसके फलस्वरूप विदेशी सहायता की कम खपत तथा और अधिक सहायता आकर्षित करने में असमर्थता। बजटीय उपायों के जरिए अतिरिक्त संसाधनों का जुटाव अधिकांशतः मूल प्रतिबद्धता से कम रहा है जिसके फलस्वरूप बी सी आर में कमी आई। अधिकांश राज्य अपनी योजना का वित्तपोषण उधारों के माध्यम से कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप कर्ज परिशोधन का भार बढ़ गया है जो एक चिन्ताजनक अनुपात में पहुँच गया है। नवीन करों और कर-भिन्न उपायों के जरिए अपने स्वयं के संसाधन जुटाना राज्यों के लिए जरूरी है। राज्यों से उम्मीद की जाती है कि वे कर सुधार उपायों, विद्युत टैरिफ व पानी की दरों के युक्तिकरण, एस एल पी ई के कामकाज में सुधार और निरर्थक सार्वजनिक व्ययों में कटौती के जरिए अपने स्वयं के संसाधन जुटाने में वृद्धि करें। यद्यपि यह आवश्यक है कि पूँजी निवेश के निधिकरण के लिए उधार का मार्ग अपनाया जाए, तथापि राज्य सरकारों को निवेश निर्णय लेने में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए ताकि इस प्रकार सृजित पूँजी से कर्ज के परिशोधन के लिए पर्याप्त प्रतिफल अर्जित हो सके। अन्त में, किन्तु यह कम महत्वपूर्ण नहीं, राज्यों को ई ए पी का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए तथा और अधिक विदेशी निधिकरण आकर्षित करने के प्रयास करने चाहिए, जो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के फलस्वरूप प्राप्त हो रहा है।

केन्द्र के योजना परिव्यय का वित्त पोषण

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	संसाधन	1998-	1998-	1999-	1999-	2000-
		99	99	2000	2000	01
		ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.
	1	2	3	4	5	6
अ)	कुल देशज संसाधन (1 से 4)	125852	112496	129515	124845	147251
1	चालू राजस्व से शेष (बी सी आर)	-15848	-30199	-20656	-39121	-43963
2	सी पी एस ई के आंतरिक संसाधन व अन्य संसाधन	45457	36925	43095	39327	52067
3	सी पी एस ई द्वारा जारी बांड/ ऋण-पत्र	11784	8923	10980	7878	7768
4	विविध पूंजीगत प्राप्तियां (एम सी आर) और उधार	84459	96847	96096	116761	131378
4.1	दीर्घ और मध्यावधि उधार	48326	64911	57461	77065	76383
4.2	लघु बचत (निवल)	21640	29000	8000	8065	8000
4.3	भविष्य निधि (निवल)	5350	5350	6000	6750	7500
4.4	विविध पूंजीगत प्राप्तियां (निवल)	9143	-2414	24635	24881	39495
आ)	विदेश से निबल आप्रवाह	8872	6094	7007	7199	6907
क)	सरकार को अनुदान और ऋण (निवल)	3390	1723	1561	1754	685
ख)	सी पी ई के विदेशी वाणिज्यिक उधार तथा सप्लायर्स क्रेडिट	5482	4371	5446	5444	6222
इ)	घाटे का वित्त पोषण	0	0	0	0	0
ई)	कुल संसाधन (अ से इ)	134724	118590	136521	132044	154157
उ)	राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए सहायता	-29538	-30108	-33000	-35735	-36824
ऊ)	राज्यों को योजना राजस्व घाटा अनुदान (अनुच्छेद 275 (1) के तहत)	0	0	0	0	0
ए)	केन्द्र का योजना परिव्यय (ई, उ, ऊ)	105186	88482	103521	96309	117333

• सी पी एस ई के अन्य संसाधनों में सावधि जमा सम्मिलित हैं।

चालू राजस्व से शेष (केंद्र का बी सी आर (संघ राज्य क्षेत्रों सहित))

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	मद	1998—	1998—	1998—	1999—	1999—	2000—
		99	99	99	2000	2000	01
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.
	1	2	3	4	5	6	7
अ	राजस्व प्राप्तियां						
1	कर राजस्व (सकल)•	157711	148700	143797	176860	169979	200288
2	घटा : केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा	40854	39163	39145	44495	43510	54079
3	कर राजस्व (निवल) (1-2)	116857	109537	104652	132365	126469	146209
4	कर भिन्न राजस्व**	44083	47315	43871	49760	52186	56735
	जोड़-अ-राजस्व प्राप्तियां (3+4)	160940	156852	148523	182125	178655	202944
आ	योजना-भिन्न राजस्व व्यय						
1	ब्याज अदायगियां	75000	77248	77882	88000	91425	101266
2	रक्षा	41200	41200	39897	45694	48505	58587
3	सब्सिडी	22025	24684	24786	23798	25692	22800
4	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	6753	4534	4963	8198	6582	17676
5	विदेशी सरकारों को अनुदान	410	421	387	429	382	421
6	सीमावर्ती सड़कें	162	173	173•	220	241	212
7	अन्य योजना-भिन्न राजस्व व्यय	31238	38791	38088	36441	44949	45944
	जोड़ आ : योजना-भिन्न राजस्व व्यय	176788	187051	186176	202781	217776	246907
इ	बी सी आर (अ-आ)	-15848	-30199	-37653	-20656	-39121	-43963

- ए आर एम सहित तथा स्थानीय निकायों को संघ राज्यों क्षेत्रों को समानुदेशन को घटाकर।
- विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की प्राप्तियां शामिल नहीं हैं जिन्हें व्यय पक्ष में घटाया गया है।

केन्द्रीय मंत्रालयों (सी पी एस ई) को कर-मुक्त बांडों का आबंटन
वित्तीय संस्थान

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	मूल मंत्रालय/ संगठन	केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यम	1998-99 ब.अ.	1998-99 वास्तविक	1999-2000 ब.अ.	1999-20 वास्तविक	2000-01 ब.अ.
1	परमाणु ऊर्जा	एन पी सी	125	125	100	100	60
2	डी एन ई सी	आई आर ई डी ए	90	90	50	50	50
3	विद्युत	•	350	350	200	200	150
4	रेलवे	आई आर एफ सी	200	257	200	200	70
5	रेलवे	के आर सी	160	160	100	100	70
6	शहरी विकास	हुडको	165	165	150	150	100
7	शहरी विकास	एन सी आर बी	60	0	0	0	0
8	भा. रि. बैंक	नाबार्ड	50	0	0	0	0
9	भा. रि. बैंक	एन एच बी	200	200	150	150	100
		एन एच ए आई	0	0	0	0	0
	जोड़		1400	1347	950	950	600

• सी पी एस ई के बीच आबंटन विद्युत मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

योजना निवेश के लिए सी पी एस ई के संसाधन
बजट अनुमान 1999-2000

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	मुख्य उद्यम	बजट सहायता			आंतरिक संसाधन	अन्य संसाधन				कुल जोड़ (5+6+10)
		इक्विटी	ऋण	जोड़ (3+4)		बांड/ ऋण पत्र	ई सी बी सप्लायर्स क्रेडिट	अन्य	जोड़ (7 से 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कोल इण्डिया लि.	0.00	54.50	54.50	600.00	0.00	1455.60	445.90	1901.50	2556.00
2	नेवेली लिग्नाइट निगम लि.	0.00	202.37	202.37	35.00	200.00	268.09	167.16	635.25	872.62
3	सिंगरेनी कोलरीज कं. लि.	0.00	71.80	71.80	83.39	0.00	0.00	72.00	72.00	227.19
4	एम टी एन एल	0.00	0.00	0.00	1773.00	1180.00	0.00	0.00	1180.00	2953.00
5	विदेश संचार निगम लि.	0.00	0.00	0.00	1100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.05
6	दूर संचार	0.00	0.00	0.00	11672.37	977.63	0.00	0.00	977.63	12650.00
7	एयर इण्डिया	0.01	0.00	0.01	433.45	0.00	0.00	0.00	0.00	433.46
8	इण्डियन एयरलाइन्स	0.01	0.00	0.01	360.00	0.00	0.00	180.00	180.00	540.01
9	इपको	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00	36.00	0.00	36.00	278.00
10	कृमको	0.00	0.00	0.00	691.00	0.00	0.00	11.00	11.00	702.00
11	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	175.00	0.00	175.00	282.00
12	आई पी सी एल	0.00	0.00	0.00	129.00	296.00	0.00	0.00	296.00	425.00
13	गैल	0.00	0.00	0.00	859.94	0.00	0.00	125.20	125.20	985.14
14	ओ एन जी सी	0.00	0.00	0.00	4434.39	0.00	0.00	368.61	368.61	4803.00
15	भारतीय तेल निगम	0.00	0.00	0.00	2491.54	72.53	0.00	0.00	72.53	2564.07
16	एन टी पी सी	100.00	162.36	262.36	753.77	600.00	897.13	0.00	1497.13	2513.26
17	नाभिकीय विद्युत निगम	795.00	102.00	897.00	168.00	216.00	0.00	0.00	216.00	1281.00
18	पावर ग्रिड निगम	5.00	293.44	298.44	428.86	600.00	892.70	0.00	1492.70	2220.00
19	सेल	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	29.00	1000.00	1107.00	1107.00
20	भारतीय रेल	2540.00	0.00	2540.00	4160.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	9700.00
21	भारतीय नौवहन निगम	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	1128.86	0.00	1128.86	1478.86
	उप-जोड़ (1 से 21)	3440.02	886.47	4326.49	30872.76	7220.16	4882.38	2369.87	14472.41	49671.66
22	अन्य उद्यम	2313.62	1996.94	4310.56	7740.86	3759.47	564.00	2111.43	6434.90	18486.32
	कुल जोड़	5753.64	2883.41	8637.05	38613.62	10979.63	5446.38	4481.30	20907.31	68157.98

टिप्पणी : • आंतरिक संसाधनों में "आगे लाए गए अधिशेष" सम्मिलित नहीं है और योजना परिव्यय के वित्त पोषण के लिए उपयोग में लाए गए आंतरिक संसाधनों तक सीमित हैं।

योजना निवेश के लिए सी पी एस ई के संसाधन
संशोधित अनुमान 1999-2000

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	मुख्य उद्यम	बजट सहायता			आंतरिक संसाधन	अन्य संसाधन				कुल जोड़ (5+6+10)
		इक्विटी	ऋण	जोड़ (3+4)		बांड/ऋण पत्र	ई सी बी सप्लायर्स क्रेडिट	अन्य	जोड़ (7 से 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कोल इण्डिया लि.	0.00	130.97	130.97	344.73	0.00	1595.49	605.00	2200.49	2676.19
2	नेवेली लिग्नाइट निगम लि.	0.00	145.00	145.00	232.91	0.00	243.95	200.00	443.95	821.86
3	सिंगरेनी कोलरीज कं. लि.	35.55	5.13	40.68	89.52	0.00	0.00	87.00	87.00	217.20
4	एम टी एन एल	0.00	0.00	0.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1250.00
5	विदेश संचार निगम लि.	0.00	0.00	0.00	911.77	0.00	0.00	0.00	0.00	911.77
6	दूर संचार	0.00	0.00	0.00	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	91.78
7	एयर इण्डिया	0.00	0.00	0.00	312.49	0.00	0.00	120.96	120.96	433.45
8	इण्डियन एयरलाइन्स	0.00	0.00	0.00	525.25	0.00	0.00	14.55	14.55	539.80
9	इपको	0.00	0.00	0.00	171.76	0.00	21.49	0.00	21.49	193.25
10	कृमको	0.00	0.00	0.00	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	163.80
11	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	0.00	0.00	0.00	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	65.05
12	आई पी सी एल	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00
13	गैल	0.00	0.00	0.00	289.34	0.00	196.00	401.00	597.00	886.34
14	ओ एन जी सी	0.00	0.00	0.00	4929.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4929.83
15	भारतीय तेल निगम	0.00	0.00	0.00	-(718.28)	0.00	870.00	3353.92	4223.92	3505.64
16	एन टी पी सी	100.00	162.36	262.36	593.60	550.00	376.32	0.00	926.32	1782.28
17	नाभिकीय विद्युत निगम	795.00	59.00	854.00	95.00	76.00	0.00	0.00	76.00	1025.00
18	पावर ग्रिड निगम	8.00	218.92	226.92	428.86	227.33	646.89	0.00	874.22	1530.00
19	सेल	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	67.00	493.00	750.00	750.00
20	भारतीय रेल	2540.00	0.00	2540.00	3425.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	8965.00
21	भारतीय नौवहन निगम	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	503.00	0.00	503.00	610.00
	उप-जोड़ (1 से 21)	3478.55	721.38	4199.93	13535.41	1043.33	4520.14	8275.43	13838.90	31574.24
22	अन्य उद्यम	3439.09	1464.26	4903.35	13855.36	6834.18	924.34	3661.17	11419.69	30178.40
	कुल जोड़	6917.64	2185.64	9103.28	27390.77	7877.51	5444.48	11936.60	25258.59	61752.64

टिप्पणी : • आंतरिक संसाधनों में "आगे लाए गए अधिशेष" सम्मिलित नहीं है और योजना परिव्यय के वित्त पोषण के लिए उपयोग में लाए गए आंतरिक संसाधनों तक सीमित हैं।

योजना निवेश के लिए सी पी एस ई के संसाधन
बजट अनुमान 2000-01

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	मुख्य उद्यम	बजट सहायता			आंतरिक संसाधन	अन्य संसाधन				कुल जोड़ (5+6+10)
		इक्विटी	ऋण	जोड़ (3+4)		बांड/ऋण पत्र	ई सी बी सप्लायर्स क्रेडिट	अन्य	जोड़ (7 से 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कोल इण्डिया लि.	0.00	87.17	87.17	888.91	0.00	1379.24	435.00	1814.24	2790.32
2	नेवेली लिग्नाइट निगम लि.	0.00	360.00	360.00	275.44	0.00	333.01	200.00	533.01	1168.45
3	सिंगरेनी कोलरीज कं. लि.	55.34	9.27	64.61	199.21	0.00	0.00	64.00	64.00	327.82
4	एम टी एन एल	0.00	0.00	0.00	2155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2155.00
5	विदेश संचार निगम लि.	0.00	0.00	0.00	1163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1163.34
6	दूर संचार	0.00	0.00	0.00	13848.00	2152.00	0.00	0.00	2152.00	16000.00
7	एयर इण्डिया	0.00	0.00	0.00	331.61	100.00	0.00	243.69	343.69	675.30
8	इण्डियन एयरलाइन्स	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	90.00	0.00	90.00	550.00
9	इपको	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
10	कृभको	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
11	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
12	आई पी सी एल	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00
13	गैल	0.00	0.00	0.00	268.45	200.00	218.00	300.00	718.00	986.45
14	ओ एन जी सी	0.00	0.00	0.00	5206.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5206.69
15	भारतीय तेल निगम	0.00	0.00	0.00	432.44	0.00	740.00	3327.56	4067.56	4500.00
16	एन टी पी सी	0.00	116.98	116.98	777.70	500.00	644.72	500.00	1644.72	2539.40
17	नाभिकीय विद्युत निगम	671.00	163.00	834.00	104.00	334.00	0.00	0.00	334.00	1272.00
18	पावर ग्रिड निगम	5.00	103.10	108.10	739.64	650.09	1277.17	0.00	1927.26	2775.00
19	सेल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	भारतीय रेल	3291.00	0.00	3291.00	4041.00	0.00	0.00	3668.00	3668.00	11000.00
21	भारतीय नौवहन निगम	0.00	0.00	0.00	113.40	0.00	453.61	0.00	453.61	567.01
	उप-जोड़ (1 से 21)	4022.34	839.52	4861.86	32167.83	3936.09	5135.75	8738.25	17810.09	54839.78
22	अन्य उद्यम	4280.47	1227.44	5507.91	7113.58	3833.40	1086.23	4047.05	8966.68	21588.17
	कुल जोड़	8302.81	2066.96	10369.77	39281.41	7769.49	6221.98	12785.30	26776.77	76427.95

टिप्पणी : • आंतरिक संसाधनों में "आगे लिए गए अधिशेष" सम्मिलित नहीं है और योजना परिव्यय के वित्त पोषण के लिए उपयोग में लिए गए आंतरिक संसाधनों तक सीमित हैं।

वर्ष 2000-01 के लिए केन्द्रीय बजट में सम्मिलित राजकोषीय उपाय

वर्ष 2000-01 के लिए केन्द्रीय बजट में परिकल्पित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में महत्वपूर्ण उपाय निम्न प्रकार हैं:

1. प्रत्यक्ष कर

- वैयक्तिक आय कर की 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की वर्तमान दरों को इन्हीं स्तरों पर बरकरार रखा गया है। विद्यमान राजकोषीय तंगी के कारण 10 प्रतिशत का अधिभार जारी रहेगा तथा 1,50,00 रुपये प्रति वर्ष से अधिक कुल कर योग्य आय वाले निगम-भिन्न करदाताओं के संबंध में 10 प्रतिशत की बजाए 15 प्रतिशत होगा। किंतु, वरिष्ठ नागरिकों, महिला कर दाताओं और रक्षा सेनाओं के सदस्यों द्वारा किए गए योगदान को देखते हुए, उनके संबंध में कर-देयता से अतिरिक्त कर छूट लागू की गई है, जो निम्न प्रकार है:
 - क) वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट की राशि 10,000 रुपये से बढ़कर 15,000 रुपये कर दी गई;
 - ख) महिला कर दाताओं के लिए 5,000 रुपये की अतिरिक्त छूट (15,000 रुपये की समग्र राशि की सीमा तक, यदि वे भी वरिष्ठ नागरिक हैं;
 - ग) रक्षा सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेताओं को पेंशन/ परिवार पेंशन पर कर से वर्तमान छूट को राष्ट्रीय और नागरिक रक्षा कार्य में लगे अर्ध-सैनिक व अन्य बलों पर भी लागू कर दिया गया।
- छः में से एक स्कीम को दो लाख से अधिक आबादी वाले विद्यमान 54 नगर से बढ़ाकर 79 नगरों में लागू कर दिया गया। "पान" कार्ड जारी करने के लिए छः में से एक स्कीम के अंतर्गत कवर होने वाले नगरों में विशेष काउन्टर खोले जाने हैं।
- शहरी आधारिक संरचना में निवेश को बढ़ाने हेतु, आधारिक संरचना क्षेत्रक के लिए लागू कर लाभों का विस्तार कर दिया गया है ताकि शहरी आधार संरचना, नामतः जल उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, को शामिल किया जा सके। आधार संरचना विकास के लिए और अधिक प्रभावी प्रोत्साहन की व्यवस्था करने हेतु धारा 54 ई ए और 54 ई बी (आय कर अधिनियम की) के तहत अब तक विद्यमान प्रावधानों के स्थान पर नए प्रावधान प्रतिस्थापित किए गए हैं जिनके तहत पूंजी लाभों से छूट केवल तभी उपलब्ध होगी यदि निवेश, नाबार्ड और एम एच ए आई द्वारा जारी बांडों में किया जाए। इन बांडों से प्राप्त राशि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन एच डी पी) और कृषि क्षेत्रक के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा।
- आयकर अधिनियम की धारा 88 के तहत 20 प्रतिशत की कर छूट अब 2,00,000 रुपये प्रति वर्ष तक आवासन ऋणों की वापसी अदायगी के लिए उपलब्ध होगी, जबकि पहले यह राशि 10,000 रुपये थी। करदाता, दीर्घावधिक पूंजी लाभों पर भी कर से छूट की मांग कर सकते हैं यदि प्राप्तियों (पूंजीगत परिसम्पत्तियों की बिक्री से) का निवेश किसी मकान के लिए किया जाए चाहे उनका अपना मकान हो। अब तक ऐसी छूट करदाता को उपलब्ध नहीं थी यदि उसके पास पहले से मकान हो।
- कर प्राधिकारियों से उद्यम पूंजी निधियों के संबंध में किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

- पहले निगमित इकाइयों तक सीमित मनोरंजन उद्योग को निर्यात लाभ पर 100 प्रतिशत छूट गैर-निगमित फिल्म निर्माताओं के लिए लागू कर दी गई।
- नौवहन उद्योग को पूरे लाभ काटने (अब तक 50 प्रतिशत के विरुद्ध) की अनुमति दी गई यदि उन्हें नए पोत खरीदने के लिए उपयोग हेतु आरक्षित रखा जाए।
- बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर 2 प्रतिशत ब्याज कर को समाप्त कर दिया गया।
- निर्यात आय पर रियायत को 20 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से पांच वर्ष में समाप्त कर दिया जाएगा। किंतु निर्यात आय पर "माट" से छूट होगी।

वर्ष 2000-01 के बजट में प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से 5080 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति का अनुमान है।

2. सीमा शुल्क

- सूचना प्रौद्योगिकी, दूर संचार और मनोरंजन उद्योग के क्षेत्रों में फैली विद्यमान "अभीसरण क्रांति" को देखते हुए, इन क्षेत्रों के अभिन्न अंग वाली विभिन्न मदों पर सीमा शुल्क को कम कर दिया गया है।
- अच्छी कोटी के जेवरात के उत्पादन और उनके निर्यात को प्रोत्साहित करने के वास्ते, प्लेटिनम व गैर-औद्योगिक हीदों पर सीमा शुल्क को 40 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।
- कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वर्तमान प्रवृत्ति को देखते हुए, जिससे रिफाइनरियों और साथ ही तेल पूल खाते पर दबाव पड़ रहा है, कच्चे तेल पर बुनियादी सीमा शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत और पेट्रोलियम उत्पादों पर 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है (समानांतर विपणन के तहत केरोसिन को छोड़कर)।
- कुल मिलाकर, सीमा शुल्क में परिवर्तन संबंधी प्रस्तावों के फलस्वरूप 1,428 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होने का अनुमान है।

3. उत्पाद शुल्क

उत्पाद शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाने की चालू प्रक्रिया के एक भाग के रूप में एकल दर का केंद्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवाट) लागू किया गया है। इसका उद्देश्य वर्गीकरण में अनिश्चितताओं को दूर करना तथा राज्यों को अपने बिक्री करों को "वाट" में बदलने के उनके कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु प्रोत्साहित करना है। 1999-2000 में लागू की गई 8 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 24 प्रतिशत की 3 मूल्यानुसार दरों को तदनुसार मिलाकर 16 प्रतिशत सेनवाट की अकेली दर में बदल दिया गया है।

- इस प्रकार बहुत सी मदें 16 प्रतिशत सेनवाट दर श्रेणी के अंतर्गत आ जाएंगी। किंतु चिकित्सा देख रेख और आम उपयोग की कुछ मदों पर उत्पाद शुल्क से छूट होगी। तथापि, केरोसिन, एल पी जी आदि जैसी कुछ अन्य अपवादात्मक मदों के संबंध में वर्तमान 8 प्रतिशत ड्यूटी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 16 प्रतिशत सेनवाट के अलावा, विशेष उत्पादन शुल्क की 8 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 24 प्रतिशत की तीन दरें होंगी जो सेनवाट के विपरीत मोडवेटेबिल नहीं होंगी।
- स्पष्टीकरण के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों/ कठिनाइयों को न्यूनतम करने के लिए, मोडवाट नियमों के विद्यमान सेट को नियमों के एक छोटे सेट द्वारा प्रतिस्थापित

किया जाएगा। इसके अलावा, मोडवाट स्कीम के कार्यक्षेत्र को युक्तिसंगत बनाने के लिए सभी निविष्टियों (पेट्रोल और एच एस डी को छोड़कर) तथा इसकी पूंजीगत वस्तुओं को मोडवाट के लिए पात्रता सूची में शामिल किया गया है।

उत्पाद शुल्क संरचना में क्षेत्रक विशिष्ट परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- री-रोलरों द्वारा उत्पादित इस्पात तथा इन्डक्शन फर्नेसिज द्वारा उत्पादित इस्पात पर मूल्यानुसार उत्पाद शुल्क संरचना की बहाली कर दी गई है। ये वस्तुएं, मोडवाट लाभ के साथ 16 प्रतिशत सेनवाट के अध्यक्षीन होंगी। आई एस पी द्वारा इस्पात की सभी डिलिवरियों को फेक्टरी गेट कीमतों पर ड्यूटी के लिए मूल्यांकित किया जाएगा ताकि डिपो कीमतों पर उत्पाद शुल्क लगाने (डिपो से बेची जाने वाली वस्तुएं) से उत्पन्न विसंगतियों से बचा जा सके।
- वर्ष में 50 लाख रुपये की सीमा तक निकासी पर ड्यूटी छूट (लघु उद्योग इकाइयों के लिए) की स्कीम को प्रसाधन और सिंगार निर्माण, वातानुकलन और प्रशीतन मशीनरी, ट्रीड रबड़ और प्लास्टिक की वस्तुओं के संबंध में युक्तिसंगत बनाया जा रहा है ताकि उन्हें लघु उद्योग इकाइयों के लिए सामान्य छूट के अनुरूप बनाया जा सके।

उत्पाद शुल्क पद्धति को सरल व चुस्त बनाने के लिए अन्य उपाय:

- उत्पाद में सभी सांविधिक अभिलेखों को 1 अप्रैल 2000 से समाप्त कर दिया जाएगा और उत्पाद शुल्क विभाग विनिर्मित अभिलेखों पर भरोसा करेगा।
- उत्पाद शुल्क निर्धारितियों को, दिन-प्रतिदिन की वर्तमान पद्धति के स्थान पर पाक्षिक किस्तों में उत्पाद शुल्कों की अनुमति होगी।
- विद्यमान "सामान्य कीमत" पद्धति के स्थान पर "कारोबार कीमत" पर आधारित नई धारा प्रारंभ करके 1 जुलाई 2000 से मूल्यांकन प्रणाली को सरल बनाया जाएगा।
- उत्पाद शुल्क के मूल्यांकन हेतु आधार के रूप में "अधिकतम खुदरा कीमत" की पद्धति दो दर्जन और मदों पर लागू की जाएगी।
- ब्याज की अदायगी और चूक करने पर दण्ड से संबंधित प्रावधानों को युक्ति संगत बनाया जाएगा।

अनुमान है कि उत्पाद शुल्क के क्षेत्र में प्रस्तावित परिवर्तनों के जरिए 3252 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

जी डी पी की प्रतिशतता के रूप में केंद्र का राजकोषीय
घाटा (जी एफ डी) तथा कर राजस्व

योजना/ वर्ष	जी एफ डी/ जी डी पी (प्रतिशतता)	कर/ जी डी पी (प्रतिशतता)
1	2	3
1997-98	4.70	8.60
1998-99	5.10	8.40
1999-2000 (सं.अ.)	5.60	9.23
2000-01 (ब.अ.)	5.10	9.11

राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता
1998-99, 1999-2000 और 2000-01

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	मद	1998-99	1999-2000		2000-01
		सं.अ.	ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.
1	2	3	4	5	6
क.	राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता				
	अ) राज्य योजनाएं				
	1. सामान्य केंद्रीय सहायता	14120.00	16540.00	15417.00	16540.00
	2. बुनियादी न्यूनतम सहायता •	3358.63	3677.60	3698.00	
	3. मलिन बस्ती विकास •	325.81	365.81	350.46	365.81
	4. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	1200.00	1600.00	1400.00	1712.00
	5. ई ए पी के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता •	4750.00	5500.00	6200.00	6000.00
	6. विशेष योजना सहायता	350.00	600.00	369.00	500.00
	7. अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता	86.32	120.00		120.00
	8. विशेष केंद्रीय सहायता	943.10		880.00	
	9. अग्रिम योजना सहायता	300.00			
	10. अतिरिक्त केंद्रीय सहायता	912.00		1231.14	
	11. पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के लिए केंद्रीय ससाधन पूल से सहायता			303.97	
	12. प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना •				5000.00
	13. त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम				1000.00
	14. सड़कें और पुल			1000.00	990.00
	15. ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्यों को ऋण उप जोड़ - अ	26345.86	28403.41	30849.57	32687.81
	आ) क्षेत्र कार्यक्रम				
	1. पहाड़ी क्षेत्र तथा पश्चिमी घाट क्षेत्र	490.00	400.00	617.00	400.00
	2. जनजातीय उप-योजना	380.00	400.00	400.00	400.00
	3. पूर्वोत्तर परिषद् (एन ई सी) योजना	370.00	450.00	425.00	450.00
	4. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम	200.00	210.00	210.00	210.00
	5. अन्य क्षेत्र कार्यक्रम	15.00	15.00	15.00	15.00
	6. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम उप जोड़ - आ	790.00	1580.00	1580.00	1580.00
	इ) आर ई सी जोड़ (अ + आ + इ)	2245.00	3055.00	3247.00	3055.00
	450.00	460.00	430.00		
	29040.86	31918.41	34526.57	35742.81	
ख	संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्रीय सहायता	1067.45	1081.59	1208.09	1081.59
	1. विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	480.18	483.96	516.49	483.96
	2. विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र	587.27	597.63	691.60	597.63
ग.	कुल जोड़ (क + ख)	30108.31	33000.00	35734.66	36824.40

• प्रावधान, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र, दोनों के लिए है।

राज्यों के योजना परिव्यय की वित्त पोषण पद्धति
1998-99 और 1999-2000

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	मद	1998-99	1999-2000	
		वास्तविक - पूर्व	वार्षिक योजना	नवीनतम अनुमान
1	2	3	4	5
क.	राज्यों के संसाधन			
	1. चालू राजस्व से शेष	-25655.95	-30359.11	-45064.36
	2. सार्वजनिक उद्यमों का अंशदान	-8267.28	-2647.65	-6944.20
	3. राज्य भविष्य निधियां	12266.01	17379.32	18067.02
	4. विविध पूंजी प्राप्ति (निवल)	1834.24	-6888.76	-6329.68
	5. टी एफ सी के तहत विशेष अनुदान	1136.98	3067.68	3093.18
	6. लघु बचतों के विरुद्ध ऋण	22049.15	25698.75	24593.80
	7. बाजार ऋण (निवल)	10471.11	10966.03	10970.40
	8. पराक्रमित ऋण व अन्य वित्त	9005.10	12177.33	13779.51
	9. अन्य उद्यमों द्वारा बांड/ ऋण	8704.80	12480.55	12989.43
	10. मुख्य मंत्रियों द्वारा सहमत ए आर एम	119.45	3570.21	961.13
	11. प्रारंभिक शेष का समायोजन जोड़ क	3311.35	1073.00	207.28
		34974.96	46517.35	26323.51
ख.	केंद्रीय सहायता			
	12. देशज केंद्रीय सहायता (एन सी ए + अन्य)	22449.93	25272.10	25303.22
	13. ई ए पी के लिए केंद्रीय सहायता जोड़ ख	4342.73	12860.74	9074.90
		26792.66	38132.84	34378.12
ग.	कुल योजना संसाधन (क + ख)	61767.62	84650.19	60701.63

• बी एम एस, मलिन बस्ती विकास, टी एस पी, क्षेत्र कार्यक्रम, विशेष योजना ऋण आदि सम्मिलित हैं।

गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के चालू राजस्व शेष
1998-99 और 1999-2000

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	मद	1998-99	1999-2000	
		पी ए	ए पी	एल ई
1	2	3	4	5
क	चालू दरों पर राजस्व प्राप्तियां			
	1. केंद्रीय करों का हिस्सा	33786.84	39139.69	39075.04
	2. राज्यों के स्वयं का कर राजस्व	83908.55	102819.91	98525.53
	3. कर-भिन्न राजस्व	11837.53	14824.92	13803.97
	4. निधियों से अंतरण	282.75	293.81	291.64
	5. केंद्र से अनुदान (योजना-भिन्न)	3075.72	2892.72	3306.98
	जोड़ क	132891.39	159971.05	155003.16
ख	योजना - भिन्न राजस्व व्यय			
	1. ब्याज अदायगी	32954.94	40720.04	41231.01
	2. ऋण के परिहार/ कटौति के लिए विनियोजन	757.15	935.41	940.41
	3. अन्य गैर विकास व्यय	41971.11	46977.74	51941.81
	4. योजना-भिन्न विकास व्यय	78001.05	85386.90	91072.49
	5. निधियों को अंतरण	1489.69	1914.75	1925.78
	6. वेतन संशोधन, मं. भ. आदि	0.00	9352.03	6363.65
	जोड़ ख	155173.94	185286.86	193475.16
ग	चालू राजस्व से शेष (क + ख)	-22282.54	-25315.81	-38472.00

राज्यवार चालू राजस्व से शेष (बी सी आर)
1998-99 और 1999-2000

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य	1998-99	1999-2000	
		वास्तविक-पूर्व	वार्षिक योजना	नवीनतम अनुमान
क.	विशेष श्रेणी			
	1. अरुणाचल प्रदेश	-99.66	-84.89	-129.22
	2. असम	-36.91	-832.28	-1358.37
	3. हिमाचल प्रदेश	-943.77	-925.76	-1237.74
	4. जम्मू और कश्मीर	-1317.01	-1325.29	-1960.00
	5. मणिपुर	-162.15	-317.42	-493.51
	6. मेघालय	-124.14	-224.78	-206.6
	7. मिजोरम	-133.50	-374.10	-242.83
	8. नागालैंड	-174.98	-257.62	-269.64
	9. सिक्किम	-158.77	-187.73	-182.39
	10. त्रिपुरा	-296.43	-513.43	-512.06
	जोड़ क	-3447.32	-5043.30	-6592.36
ख.	गैर-विशेष श्रेणी			
	1. आंध्र प्रदेश	-419.45	-298.93	-2736.2
	2. बिहार	-890.79	-4038.49	-4033.24
	3. गोआ	-73.31	-146.99	-138.64
	4. गुजरात	-1073.51	1079.29	1072.92
	5. हरियाणा	-1098.75	119.03	-768.2
	6. कर्नाटक	1111.99	50.61	-277.99
	7. केरल	-479.20	-1660.00	-1160.43
	8. मध्य प्रदेश	-1178.82	-499.69	-2209.91
	9. महाराष्ट्र	1406.50	-1795.39	-4364.44
	10. उड़ीसा	-1499.26	-1384.59	-1687.27
	11. पंजाब	-2400.69	-1385.97	-2325.53
	12. राजस्थान	-2652.84	-2003.54	-2653.03
	13. तमिलनाडु	-1645.99	-1015.13	-2026.14
	14. उत्तर प्रदेश	-7149.07	-5532.93	-7923.93
	15. प. बंगाल	-4239.36	-6803.09	-7239.97
	जोड़ ख	-22282.55	-25315.81	-38472.00
ग.	कुल जोड़ (क + ख)	-25729.87	-30359.11	-45064.36

राज्यवार अतिरिक्त संसाधन जुटाव से शेष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य	1998-99	1999-2000								
		कुल	बजटीय		एस ई बी		आर टी सी		कुल		
		वास्तविक पूर्व	ए पी	एल ई	ए पी	एल ई	ए पी	एल ई	ए पी	एल ई	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
क	गैर विशेष श्रेणी										
1.	आंध्र प्रदेश	1,826.13	2479.99	2,066.19	430.00	422.18	176.85	385.64	3086.84	2874.01	
2.	बिहार	0.00	796.52	796.52	0.00	0.00	0.00	0.00	796.52	796.52	
3.	गोआ	0.00	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.44	0.00	
4.	गुजरात	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	हरियाणा	976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.	केरल	56.93	396.55	396.55	617.60	577.43	0.00	40.35	1014.15	1014.33	
8.	मध्य प्रदेश	0.00	150.00	149.50	566.00	0.00	0.00	0.00	716.00	149.50	
9.	महाराष्ट्र	1,599.65	2039.72	1,133.60	1184.20	100.00	0.00	85.00	3223.92	1318.60	
10.	उड़ीसा	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11.	पंजाब	0.00	565.00	0.00	342.84	0.00	36.34	0.00	944.18	0.00	
12.	राजस्थान	105.35	782.25	641.87	175.13	242.80	62.80	20.50	1020.18	905.17	
13.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14.	उत्तर प्रदेश	127.00	1050.00	150.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1550.00	150.00	
15.	प. बंगाल	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	
	कुल जोड़ क	4819.03	8419.47	5428.23	3815.77	1342.41	275.99	531.49	12511.23	7302.13	
ख.	उप-जोड़ ख (विशेष श्रेणी)	245.98	669.93	144.03	180.00	0.00	16.40	0.00	866.33	144.03	
ग.	कुल जोड़ (क + ख)	5065.01	9089.40	5572.26	3995.77	1342.41	292.39	531.49	13377.56	7446.16	

टिप्पणी : उपाध्यक्ष-मुख्य मंत्रियों के स्तर पर चर्चा के दौरान सहमत ए आर एम बजटीय ए आर एम में सम्मिलित हैं क्योंकि इनके बंटवारे के संबंध में कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया।

राज्य विद्युत बोर्डों का योगदान – 1998–1999 और 1999–2000 के दौरान

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य	1998 – 99			1999 – 2000					
		वास्तविक पूर्व			वार्षिक योजना			नवीनतम अनुमान		
		1997–98 दरों पर	एआरएम	चालू दरों पर	1998–99 दरों पर	एआरएम	चालू दरों पर	1998–99 दरों पर	एआरएम	चालू दरों पर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	– 2439.42	100.02	– 2339.40	– 2887.96	430.00	– 2457.96	– 3250.05	422.18	– 2827.87
2.	अरुणाचल प्रदेश •									
3.	असम	– 171.96	88.15	– 83.81	– 303.12	180.00	– 123.12	– 134.58	0.00	– 134.58
4.	बिहार	– 560.22	0.00	– 560.22	– 328.12	0.00	– 328.12	– 685.77	0.00	– 685.77
5.	गोआ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	हरियाणा	– 214.00	214.00	0.00	– 180.16	0.00	– 180.16	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	– 36.71	0.00	– 36.71	1.50	0.00	1.50	– 7.71	0.00	– 7.71
9.	जम्मू और कश्मीर	– 857.18	0.00	– 857.18	– 175.19	0.00	– 175.19	– 675.00	0.00	– 675.00
10.	कर्नाटक	39.46	0.00	39.46	288.79	0.00	288.79	329.00	0.00	329.00
11.	केरल	– 476.67	56.93	– 419.74	– 398.22	617.60	219.38	– 432.42	577.43	145.01
12.	मध्य प्रदेश	– 541.13	0.00	– 541.13	– 1075.79	566.00	– 509.79	– 679.03	0.00	– 679.03
13.	महाराष्ट्र	– 1592.64	969.98	– 622.66	– 320.59	1184.20	863.61	– 671.83	100.00	– 571.83
14.	मणिपुर •									
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम •									
17.	नागालैंड •									
18.	उड़ीसा	– 190.02	0.00	– 190.02	– 18.93	0.00	– 18.93	0.00	0.00	0.00
19.	पंजाब	– 418.36	0.00	– 418.36	– 342.84	342.84	0.00	– 476.61	0.00	– 476.61
20.	राजस्थान	– 845.58	0.00	– 845.58	– 916.02	175.13	– 740.89	– 1442.02	242.80	– 1199.22
21.	सिक्किम•									
22.	तमिलनाडु	– 148.30	0.00	– 148.30	125.24	0.00	125.24	– 742.95	0.00	– 742.95
23.	त्रिपुरा •									
24.	उत्तर प्रदेश	– 823.49	0.00	– 823.49	100.00	500.00	600.00	163.35	0.00	163.35
25.	प. बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़	– 8945.22	1429.08	– 7516.14	– 6431.41	3995.77	– 2435.64	– 8705.62	1342.41	– 7363.21

टिप्पणी : उपाध्यक्ष – मुख्य मंत्रियों स्तरीय बैठक में अपनाई गई वित्त पोषण पद्धति के आधार पर योगदान। • विभागीय उपक्रम

राज्य सड़क परिवहनों निगमों का योगदान – 1998–1999 और 1999–2000 के दौरान

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य	1998 – 99			1999 – 2000					
		वास्तविक पूर्व			वार्षिक योजना			नवीनतम अनुमान		
		1997–98 दरों पर	एआरएम	चालू दरों पर	1998–99 दरों पर	एआरएम	चालू दरों पर	1998–99 दरों पर	एआरएम	चालू दरों पर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	– 126.21	171.49	45.28	– 278.80	176.85	– 101.95	– 360.24	385.64	25.40
2.	अरुणाचल प्रदेश •									
3.	असम	– 8.09	0.00	– 8.09	– 17.35	9.85	– 7.50	– 7.50	0.00	– 7.50
4.	बिहार	– 66.00	0.00	– 66.00	– 55.00	0.00	– 55.00	– 60.15	0.00	– 60.15
5.	गोआ	0.00	0.00	0.00	– 3.00	0.00	– 3.00	– 3.00	0.00	– 3.00
6.	गुजरात	– 118.62	19.61	– 99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	– 33.28	0.00	– 33.28	– 35.20	0.00	– 35.20	– 47.80	0.00	– 47.80
9.	जम्मू और कश्मीर	– 31.59	0.00	– 31.59	– 38.14	6.55	– 31.59	– 31.59	0.00	– 31.59
10.	कर्नाटक	18.40	0.00	18.40	– 2.19	0.00	– 2.19	34.26	0.00	34.26
11.	केरल	– 60.37	0.00	– 60.37	– 54.70	0.00	– 54.70	– 53.01	40.35	– 12.66
12.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	– 132.53	22.00	– 110.53	– 35.77	0.00	– 35.77	– 294.66	85.00	– 209.66
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	– 2.51	0.00	– 2.51	– 2.26	0.00	– 2.26
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम •									
17.	नागालैंड •									
18.	उड़ीसा	– 12.41	0.00	– 12.41	1.77	0.00	1.77	– 14.02	0.00	– 14.02
19.	पंजाब	– 26.90	0.00	– 26.90	– 36.34	36.34	0.00	– 28.45	0.00	– 28.45
20.	राजस्थान	– 13.96	0.00	– 13.96	– 102.93	62.80	– 40.13	– 70.80	20.50	– 50.30
21.	सिक्किम•									
22.	तमिलनाडु	– 311.24	0.00	– 311.24	– 422.97	0.00	– 422.97	0.00	0.00	0.00
23.	त्रिपुरा	– 4.81	0.00	– 4.81	– 4.81	0.00	– 4.81	– 5.83	0.00	– 5.83
24.	उत्तर प्रदेश	15.77	0.00	15.77	42.46	0.00	42.46	– 34.88	0.00	– 34.88
25.	प. बंगाल	– 123.32	0.00	– 123.32	– 139.59	0.00	– 139.59	– 171.54	0.00	– 171.54
	जोड़	– 1035.16	213.10	– 822.06	– 1185.07	292.39	– 892.68	– 1151.47	531.49	– 619.98

टिप्पणी : उपाध्यक्ष – मुख्य मंत्रियों स्तरीय बैठक में अपनाई गई वित्त पोषण पद्धति के आधार पर योगदान। • विभागीय उपक्रम

केंद्र (संघ राज्य क्षेत्र सहित) और राज्यों के योजना परिव्यय की समग्र वित्त पोषण पद्धति, 1999-2000

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	मद	1999-2000								
		वार्षिक योजना अनुमान				संशोधित अनुमान				
		केंद्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	जोड़	केंद्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	देशज संसाधन									
क)	चालू राजस्व से शेष (ए आर एम सहित)	-20,658	-26,789	2,139	-45,308	-39,121	-44,103	1,757	-81,467	
ख)	सा. क्षे. उद्यमों के संसाधन/ योगदान	43,095	-2,648	-244	40,204	39,327	-6,944	-984	31,399	
ग)	सा. क्षे. उ. द्वारा बांड/ ऋण पत्र जारी करना	10,980	12,481	0	23,461	7,878	12,989	0	20,867	
घ)	बाजार ऋण	0	10,966	0	10,966	0	10,970	0	10,970	
ङ)	दीर्घ और मध्यावधि उधार	57,461	0	0	57,461	77,065	0	0	77,065	
च)	लघु बचत	8,000	25,699	710	34,409	8,065	24,594	1,065	33,723	
छ)	भविष्य निधि	6,000	17,379	0	23,379	6,750	18,067	0	24,817	
ज)	वित्तीय संस्थानों/ निगमों से सावधि ऋण	0	12,177	0	12,177	0	13,780	0	13,780	
झ)	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	24,636	-6,889	96	17,844	24,881	-6,330	25	18,577	
ञ)	प्रारंभिक शेष व अन्य संसाधन	0	1,073	0	1,073	0	207	401	609	
	कुल देशज संसाधन	129,514	43,450	2,702	175,666	124,845	23,230	2,264	150,339	
2.	विदेश से निवल आप्रवाह	7,007	0	0	7,007	7,199	0	0	7,199	
3.	बजटीय घाटा	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	कुल संसाधन (1 से 3)	136,521	43,450	2,702	182,673	132,044	23,230	2,264	157,538	
5.	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता	-33,000	31,918	1,082	0	-35,735	34,527	1,208	0	
6.	अनुच्छेद 275 के अंतर्गत राज्यों को योजना अनुदान		3,068	0	3,068		3,093	0	3,093	
7.	योजना के लिए संसाधन (4 से 6)	103,521	78,436	3,784	185,740	96,309	60,850	3,472	160,631	

टिप्पणी : राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता केंद्र के बजट, प्रावधान के अनुसार। • विधानमंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र

राज्यवार सकल और निवल लघु बचत संग्रह

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य/ वर्ष	1996-97		1997-98		1998-99		1999-2000*	
		सकल	निवल	सकल	निवल	सकल	निवल	सकल	निवल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क.	विशेष श्रेणी								
1.	अरुणाचल प्रदेश	13.11	5.84	20.04	12.53	23.13	14.40	25.53	11.03
2.	असम	746.81	223.40	855.68	282.40	991.77	105.38	1148.38	403.01
3.	हिमाचल प्रदेश	816.12	175.75	1962.34	946.22	1951.33	64.49	752.62	-561.06
4.	जम्मू और कश्मीर	304.80	129.07	433.52	208.93	437.46	233.43	523.75	242.19
5.	मणिपुर	27.05	14.58	34.43	19.40	34.42	17.18	44.99	21.35
6.	मेघालय	40.24	11.45	50.18	16.70	58.48	22.04	61.28	13.05
7.	मिजोरम	15.65	0.53	23.14	4.81	22.16	7.90	25.63	10.69
8.	नागालैंड	15.28	9.07	15.94	7.87	16.06	7.81	15.65	6.23
9.	सिक्किम	7.33	3.94	11.37	7.72	14.00	9.43	17.87	10.96
10.	त्रिपुरा	93.32	27.86	144.88	71.05	155.55	71.89	189.32	92.96
	जोड़ क	2079.71	601.49	3551.52	1577.63	3704.36	553.95	2805.02	250.40
ख.	गैर-विशेष श्रेणी								
1.	आंध्र प्रदेश	1644.22	212.36	2144.70	677.41	2843.54	1139.26	3364.20	1395.48
2.	बिहार	2128.41	679.21	2892.65	1334.71	3290.81	1701.99	3590.52	1703.20
3.	गोआ	70.13	12.84	98.78	38.51	133.35	74.66	151.01	71.51
4.	गुजरात	2773.09	982.47	3954.80	1826.01	4688.71	2762.40	5158.89	2871.29
5.	हरियाणा	1061.41	403.66	1397.53	678.59	1698.62	931.17	1770.34	840.28
6.	कर्नाटक	1322.18	364.34	1789.69	340.69	2494.43	1193.26	2479.04	1161.13
7.	केरल	916.73	181.23	1147.14	268.75	1442.67	561.51	1634.86	611.93
8.	मध्य प्रदेश	1274.67	484.74	1665.42	768.78	2017.92	1048.17	2203.62	1081.25
9.	महाराष्ट्र	3494.29	3067.37	5275.48	2508.90	6063.81	3130.33	6225.64	3029.54
10.	उड़ीसा	700.93	140.01	871.38	368.80	976.99	438.98	1111.09	473.03
11.	पंजाब	1596.71	762.39	2276.75	1260.65	2822.14	1702.81	2984.57	1652.71
12.	राजस्थान	1702.87	623.91	2341.38	1108.02	3051.24	1661.50	3202.13	1745.06
13.	तमिलनाडु	2081.75	390.10	2241.32	426.94	2614.79	914.73	2726.09	1052.96
14.	उत्तर प्रदेश	4971.89	1608.62	6634.71	2822.67	7305.50	3759.85	8049.73	3695.21
15.	प. बंगाल	4573.82	2170.39	6417.34	3835.22	7110.19	4462.92	8353.63	4749.94
	जोड़ ख	30313.10	12083.64	41149.07	18264.65	48554.71	25483.54	53005.35	26134.52
ग.	कुल जोड़ (क + ख)	32392.81	12685.13	44700.59	19842.28	52259.07	26037.49	55810.37	26384.92

* आंकड़े अनन्तिम हैं और संग्रह फरवरी 2000 तक।

विदेशी सहायता मंजूरी और सहयोग

(करोड़ रुपये)

	कार्यान्वयन प्राधिकरण	बजट/ संशोधित अनुमान			प्रयुक्त राशि			प्रतिशतता उपयोग सं. अ./ ब. अ.			वित्त वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार निकाला नहीं गया शेष		
		ऋण	अनुदान	जोड़	ऋण	अनुदान	जोड़	ऋण	अनुदान	जोड़	ऋण	अनुदान	जोड़
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	केंद्र												
	1997-98 (ब. अ.)	4301	533	4834	2825	577	3402	66	108	70	17095	3943	21038
	1998-99 (सं. अ.)	3746	431	4177	3153	496	3650	84	115	87	17189	3127	20316
	99-2000 (सं. अ.)	2887	447	3334	3201	677	3877	111	151	116	24977	2820	27797
	2000-01 (ब. अ.)	2568	361	2929	39	12	52	2	3	2	24836	2810	27646
2	राज्य												
	1997-98 (ब. अ.)	4472	408	4880	3735	307	4042	84	75	83	25339	3459	28798
	1998-99 (सं. अ.)	3831	276	4107	4777	384	5161	125	139	126	29047	3775	32822
	99-2000 (सं. अ.)	5559	234	5793	5706	377	6083	103	161	105	28275	3857	32132
	2000-01 (ब. अ.)	5857	2219	8076	80	68	148	1	3	2	29033	5361	34394
3	बहु-राज्य												
	1997-98 (ब. अ.)	1126	12	1138	1068	9	1077	95	79	95	4598	153	4751
	1998-99 (सं. अ.)	1190	6	1196	1185	10	1195	100	158	100	3921	85	4005
	99-2000 (सं. अ.)	1170	10	1180	1095	10	1105	94	103	94	4006	206	4212
	2000-01 (ब. अ.)	704	13	718	18	0	18	3	0	2	4361	205	4566
4	जोड़												
	1997-98 (ब. अ.)	9899	943	10842	7628	893	8521	77	95	79	47031	7555	54587
	1998-99 (सं. अ.)	8767	713	9480	9116	890	10005	104	125	106	50157	6987	57144
	99-2000 (सं. अ.)	9616	691	10307	10002	1064	11066	104	154	107	57258	6883	64141
	2000-01 (ब. अ.)	9129.23	613	9742	137	25	161	1	4	2	58230	6820	65049

|

अध्याय 3 योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

3.1 योजना कार्यान्वयन

योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी ई ओ) केन्द्रीय तथा केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों के भौतिक तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन, कार्यान्वयन/प्रदाय तन्त्रों की प्रभावोत्पादता और लाभानुभोगियों पर उनके प्रभाव को आंकने के लिए उन स्कीमों का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों, डिजाइन और कार्यान्वयन में मध्यावधिक संशोधनों के लिए कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालयों और योजना आयोग के संबंधित विषय प्रभागों को, शोधकर्ताओं को और जनसाधारण को भी, सार्वजनिक व्यय के स्वरूप तथा कार्य-कुशलता पर प्रबुद्ध विचार-विमर्श अभिप्रेरित करने के लिए, प्रकाशनों, संगोष्ठियों तथा प्रिंट मिडिया, यानी पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं।

2. योजना आयोग ने विकास कार्यक्रमों के निष्पादन में प्राप्त अनुभवों से सबक सीखने के लिए कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के पिछले अध्ययनों की समीक्षा की और नौवीं योजना के दस्तावेज (खण्ड 1) में इन सबकों को व्यवहार में लाने पर बल दिया। कार्यक्रम निर्माण और कार्यान्वयन में इन सबकों के महत्व को समझते हुए, योजना आयोग ने कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के अध्ययनों के निष्कर्षों को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है ताकि वे सभी संबद्ध जनों की पहुँच में आसानी से आ सकें।

हाल के कार्यकलाप

3. तदनुसार, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के आधारभूत ढांचे में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वह मूल्यांकन की बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सकें और अन्य संबंधित दायित्वों का भी पालन कर सकें। हाल में, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने, मूल्यांकन अध्ययन करने के अलावा, अन्य कार्यकलाप भी हाथ में लिए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, ये कार्य शामिल हैं : अपने स्टाफ के सदस्यों के लिए विख्यात संस्थाओं (जैसे आइ आइ पी ए, एन आइ आर डी) में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, राज्य स्तरीय मूल्यांकन संगठनों के साथ अधिकाधिक संपर्क और डाटा के त्वरित प्रेषण तथा प्रसंस्करण के लिए पी ई ओ की क्षेत्रगत इकाइयों को कम्प्यूटर की सुविधाएं प्रदान करना। ये कार्यकलाप समाप्ति की भिन्न-भिन्न अवस्था में हैं।

4. पिछले कुछ वर्षों में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा मूल्यांकित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये हैं : महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए अल्पावधिक आवासगृह (एस एस एच) अनौपचारिक शिक्षा (एन एफ ई), सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, (बी ए डी पी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी एच सी) और रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस)। इन मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्ष संक्षेप में निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए हैं।

महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए अल्पावधिक आवासगृह (एस एस एच)

5. महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए अल्पावधिक आवास गृह की स्कीम उल महिलाओं और बालिकाओं को अस्थाई आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से सन् 1969 में शुरू की गई थी जिन्हें

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

परिवार की समस्याओं, घर में लड़ाई-झगड़ों, मानसिक दबाव व अन्य कारणों से नैतिक खतरा है। इस स्कीम का उद्देश्य आवास गृह में रहने वाली महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए चिकित्सा परिचर्या, मनश्चिकित्सा उपचार, मामला कार्य (के किस वर्कर) सेवा, ओक्यूपेशनल थेरेपी, शैक्षणिक-सह-व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन सुविधाओं और सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्वास जैसी अनेक सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराना है। महिला और बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुरोध पर, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने अल्पावधिक आवास गृहों के कार्य-निष्पादन तथा कार्यचालन का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन किया था। इस संबंध में अंतरिम रिपोर्ट मार्च 1999 में प्रस्तुत कर दी गई थी।

6. इस अध्ययन से यह पता चला कि वर्तनाम में ये आवास गृह कुछ अखिल भारतीय गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ संगठन इन गृहों के कार्य-चालन में सीधे शामिल नहीं थे। स्थानीय संगठनों को आकर्षित करने के उद्देश्य से इस स्कीम का इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। यह नोट किया गया कि समान भौगोलिक विस्तार, और उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मानदण्डों का एक सैट विकसित करने की आवश्यकता है। चूंकि सेवाएं प्रदान करने की लागत बहुत अधिक भी इसलिए यह सुझाव दिया गया कि स्टाफ के ढांचे को युक्तिसंगत बनाने और पूरक सेवाएं तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले संगठनों के साथ बेहतर तालमेल बैठाना जरूरी है। यह पाया गया कि अधिकांश आवास गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे। यह देखा गया कि मार्गनिर्देशों में विनिर्दिष्ट प्रवेश प्रक्रियाओं/ परिपाटियों, चिकित्सा जांच/ उपचार, खान-पान और रहन-सहन की सुविधाओं तथा अन्य मानदंडों के संबंध में काफी अधिक कोताही बरती जा रही थी। गृह समितियां प्रभावी नहीं पाई गईं। इन समितियों का पुनर्गठन करने और उनमें राज्य सरकारों के कुछ विभागों से अधिकारी शामिल करने की आवश्यकता है। मौजूदा मार्गनिर्देशों के अनुसार, इन कार्यों में राज्य सरकारों की कोई अधिक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। इसलिए मूल्यांकन अध्ययन में सुझाव दिया गया था कि आवास गृहों के कार्यचालन में सुधार लाने के उद्देश्य से, बेहतर नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अन्तर्विभागीय समन्वय लाने के लिए राज्य सरकारों को और अधिक सक्रिय रूप से शामिल करने की आवश्यकता है।

अनौपचारिक शिक्षा (एन एफ ई)

7. अनौपचारिक शिक्षा (एन एफ ई) स्कीम उन बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ राज्यों में प्रारंभ की गई थी, जो माता-पिता की गरीबी और निरक्षरता तथा अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों की वजह से औपचारिक स्कूलों में अपना नाम नहीं लिखवा पाते। यद्यपि यह स्कीम मूलतः प्राथमिक स्कूल के आयुवर्ग के बच्चों के लिए शैक्षणिक सेवाओं के एक पूरक उपाय के रूप में शुरू की गई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। पिछली दो योजना अवधियों के दौरान हुए इसके असाधारण विकास से पता चलता है कि अनौपचारिक शिक्षा का उपयोग सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा (यू ई ई) की उपलब्धि के एक प्रमुख साधन के रूप में किया जा रहा है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने इस स्कीम के निष्पादन, कार्यान्वयन के तरीकों और प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन किया था। मई 1998 में रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया गया था। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार थे :

- अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की वित्तीय आवश्यकताएं पूरी नहीं की जा रही हैं क्योंकि केन्द्र और राज्य दोनों ही अनौपचारिक शिक्षा के लिए दिया जाने वाला अपना पूरा

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

हिस्सा जारी नहीं कर रहे हैं। वित्तीय संसाधनों के पर्याप्त न होने और उनके समय पर जारी न किए जाने से केन्द्रों के कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

- अपर्याप्त संसाधनों के अतिरिक्त, एन एफ ई केन्द्रों के कार्य-निष्पादन पर अध्यापन अध्ययन सामग्री (टी एल एम) की अनुपलब्धता, अनर्ह अनुदेशकों (शिक्षकों) और अपर्याप्त पर्यवेक्षण तथा मानीटरिंग का भी प्रभाव पड़ा है।
- अनौपचारिक शिक्षा पद्धति ने प्राथमिक शिक्षा के सार्व-भौमीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया है। स्कूल न जाने वाले बच्चों का एक छोटा-सा भाग ही इससे लाभान्वित हुआ है।

8. अध्ययन के निष्कर्ष यह सुझाते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा की स्कीम प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की उपलब्धि का एक प्रमुख साधन नहीं हो सकती। इस लक्ष्य को प्राथमिक रूप से औपचारिक शिक्षा (एफ ई) प्रणाली के माध्यम से ही प्राप्त करना होगा, जिसे संसाधनों, प्रशासनिक आयोजन और प्रदाय प्रणाली की कमियों को पूरा करके अधिक कुशल बनाने की आवश्यकता होगी। जब तक इन कमियों को दूर नहीं किया जाता, अनौपचारिक शिक्षा विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जारी रखनी होगी, जो आर्थिक बाध्यताओं के कारण औपचारिक शिक्षा पद्धति में अपना दाखिला नहीं करा पाते। अनौपचारिक शिक्षा पद्धति को, अनुदेशकों की गुणवत्ता, संसाधनों के आबंटन कार्यान्वयन और मानीटरिंग में सुधार लाने के लिए, संशोधित करना होगा। चूंकि गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे केन्द्रों का कार्य-निष्पादन राज्यों द्वारा चलाए जा रहे केन्द्रों की तुलना में बेहतर पाया गया था, इसलिए यह महसूस किया गया था कि राज्यों द्वारा चलाए जा रहे मौजूदा केन्द्रों को गैर-सरकारी संगठनों को सौंपा जा सकता है और राज्य सरकारों के संगठनात्मक ढांचे का उपयोग स्कीम की मानीटरिंग, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए किया जा सकता है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी एच सी)

9. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं के तंत्र का तीसरा सोपान है। इसे प्रमुख रूप से ऐसे रोगियों को चिकित्सार्थ भेजे जाने के लिए निर्देश केन्द्र (रेफरल सेंटर) के रूप में कार्य करने के लिए (आमतौर पर 4 समीपस्थ प्राथमिक केन्द्रों के लिए एक निर्देश केन्द्र) स्थापित किया गया था जिन्हें विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाओं की आवश्यकता होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं के लिए निर्देश केन्द्र स्थापित करने का दोहरा उद्देश्य यह था कि आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण लोगों की पहुंच में लाया जाए और जिला अस्पतालों में रोगियों की भीड़ भाड़ को कम किया जाए। तदनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में काय-चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, बाल चिकित्सा और स्त्री रोग चिकित्सा के क्षेत्रों के चार विशेषज्ञों की सेवाओं के साथ-साथ, अंतरंग रोगियों के लिए 30 शैथ्याओं, शल्यक्रिया कक्ष (आपरेशन थिएटर), प्रसूति कक्ष, एक्सरे मशीन, रोग विज्ञान प्रयोगशाला, जरूरत पड़ते ही काम में लिया जाने वाला जनरेटर आदि उपकरणों एवं अनुपूरक चिकित्सा कर्मियों तथा उनके सहायक कर्मचारियों की व्यवस्था करने की परिकल्पना की गई थी।

10. योजना आयोग के निर्देश पर, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यचालन और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण लोगों की पहुंच में लाने में उन केन्द्रों की प्रभावकारिता/ सफलता का मूल्यांकन किया। तत्संबंधी अध्ययन की रिपोर्ट सितंबर 1999 में जारी की गई थी। इस अध्ययन के निष्कर्ष नीचे दिए जा रहे हैं :

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

- अन्य संगत कारकों के चलते, ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की सेवाओं का अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपयोग होने की संभावना है, यदि : (1) उसका भौगोलिक व्याप्ति-क्षेत्र बहुत बड़ा हो; (2) उसके पास चिकित्सा कार्मिक, विशेष रूप से विशेषज्ञ चिकित्सक पर्याप्त संख्या में न हों; और (3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी एच सी) की औसत दूरी अधिक हो।
- कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विशेषज्ञों के सभी पद मंजूर किए बिना ही, अनुमोदित कर दिया गया है। अध्ययन के दौरान पाया गया कि विशेषज्ञों के अपेक्षित पदों में से केवल 30 प्रतिशत पद ही भरे हुए थे। नमूने के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 70 प्रतिशत के पास या तो एक ही विशेषज्ञ था या फिर एक भी नहीं था।
- चिकित्सा विशेषज्ञों और उपस्कर/ सुविधाओं/ कर्मचारी वर्ग के बीच कोई मेल नहीं बैठता था; परिणामस्वरूप संसाधनों का इष्टतम उपयोग नहीं हो पा रहा था। लोक स्वास्थ्य सेवाओं की उत्पादकता में काफी हद तक सुधार किया जा सकता है यदि इस बेमेल और संसाधनों के बहुत अधिक फैलाव को दूर कर दिया जाए।
- 31 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से केवल दो का ही कुछ हद तक निर्देश केन्द्रों के रूप में उपयोग किया जाता हुआ पाया गया। 11 केन्द्रों में तो विशेषज्ञ परामर्श के लिए भेजे गए रोगी का एक भी मामला दर्ज नहीं था, जब कि शेष 18 केन्द्रों का इष्टतम से कम उपयोग हुआ था – वहां का वार्षिक औसत 206 रोगी था। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सेवाओं के उपयोग में आने वाली कठिनाइयां आधारभूत ढांचे, चिकित्सकों तथा सहायक कर्मचारियों की अपर्याप्तता से संबंधित हैं और मुख्य रूप से विभिन्न निविष्टियों के बीच बेमेल के कारण उत्पन्न हुई हैं।
- सेवाएं प्रदान करने की प्रणाली में मौजूदा परिसीमाओं के होते हुए भी, अधिकांश परिवारों ने निजी यानी गैर-सरकारी सुविधाओं की बजाय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के प्रति अपनी पसंद जोरदार शब्दों में अभिव्यक्त की।

11. इन निष्कर्षों से यह प्रकट होता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों ने अपनी स्थापना के लगभग दो दशकों के बाद भी अभिप्रेत उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं दिया है। इस अध्ययन से कुछ प्रमुख कारकों का पता चल सका है जो इन केन्द्रों के घटिया स्तर के कार्य-निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी)

12. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केन्द्र-प्रायोजित स्कीम के रूप में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य एक ऐसे समर्थकारी वातावरण का निर्माण करना था जिसके अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें और अपने सामान्य आर्थिक कार्यकलाप निर्भय होकर चला सकें। प्रारंभ में इस कार्यक्रम का प्रशासन गृह मंत्रालय के हाथों में था और इसका व्याप्ति पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों तक ही सीमित थी, और इसमें सीमा सुरक्षा बल की तैनाती को सुकर बनाने के लिए आधारभूत ढांचे के विकास पर बल दिया गया था। लेकिन अब यह नवीकृत बी ए डी पी कार्यक्रम योजना आयोग के सर्वोपरि प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने इस कार्यक्रम के वित्तीय कार्य निष्पादन, कार्यान्वयन के तरीकों की प्रभावोत्पादकता और कार्यक्रम के असर का जायजा लेने के उद्देश्य से एक अध्ययन किया था। तत्संबंधी रिपोर्ट को अक्टूबर 1999 में अन्तिम रूप दिया गया था।

13. अध्ययन के निष्कर्षों से यह प्रकट होता है कि सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक कार्यकलाप प्रारंभ करने के लिए समुचित वातावरण तैयार करने की दिशा में पर्याप्त योगदान दिया है। पी ई ओ के अध्ययनों से सफलता तथा विफलता के कुछ क्षेत्रों का पता लगाने में सहायता मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्यक्रम में सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की क्षमता है। इस संभावित क्षमता का उपयोग करने के लिए, पी ई ओ अध्ययन में आयोजन तथा कार्यान्वयन के कुछ क्षेत्रों में सुधारात्मक कदम उठाने का सुझाव दिया गया है।

रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस)

14. रोजगार आश्वासन स्कीम को 2 अक्टूबर 1993 के दिन 1778 ऐसे चुने हुए पिछड़े खंडों (ब्लॉकों) में प्रारंभ किया गया था जो सूखा-प्रवण क्षेत्रों, मरुस्थलीय, जनजातीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित थे और जहां नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचलन में थी। बाद में, इस स्कीम का व्याप्ति क्षेत्र बढ़ा दिया गया और अप्रैल 1997 तक सभी खंडों में यह स्कीम लागू कर दी गई। रोजगार आश्वासन योजना का प्राथमिक उद्देश्य खेती के कम काम के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों के शारीरिक दृष्टि से सक्षम उन सभी वयस्कों को मेहनत-मजदूरी में लाभपूर्ण रोजगार दिलाना है, जिन्हें काम की जरूरत है पर जिन्हें काम नहीं मिलता। इसका दूसरा उद्देश्य सतत रोजगार और विकास के लिए आर्थिक आधारभूत ढांचे और सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है।

15. योजना आयोग के निर्देश पर, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने रोजगार आश्वासन स्कीम के कार्य-निष्पादन, राज्यों द्वारा कार्यान्वयन के लिए अपनाए गए तरीकों की उपयुक्तता, लक्ष्यगत समूह को इस स्कीम के अंतर्गत लाने की सीमा और ई ए एस के लाभानुभोगियों पर इसके प्रभाव का जायजा लेने के लिए इस स्कीम का मूल्यांकन अध्ययन अपने हाथ में लिया। इसकी रिपोर्ट अप्रैल, 2000 में जारी कर दी गई। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष ये हैं :

- अधिकांश मामलों में, परियोजनाओं का शेल्फ तैयार करने, मजदूरी- रोजगार चाहने वाले लोगों की पहचान/ पंजीकरण करने, परिवार कार्ड जारी करने और भिन्न-भिन्न स्तरों पर समन्वय समितियां स्थापित करने के संबंध में मार्ग-निर्देशों में दिए गए उपबंधों का पालन नहीं किया गया।
- रोजगार आश्वासन स्कीम की निधियों का उपयोग बहुत ही कम हुआ है। आयोजन का अभाव, केन्द्र से डी आर डी ए को और डी आर डी ए से प्रखंडों को धनराशि का ठीक समय पर जारी न किया जाना और कुछ अन्य कारण, जैसे राज्यों द्वारा समतुल्य संसाधन न जुटा पाना आदि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके कारण रोजगार आश्वासन स्कीम की निधियों का उपयोग कम हुआ है।
- बहुत कम गावों और लक्ष्यगत समूहों को स्कीम के अंतर्गत लाया जा सका है। अनुमान है कि वार्षिक रूप से अधिक से अधिक 32 प्रतिशत गावों और प्रखंड में लक्ष्यगत समूह के 5 प्रतिशत लोग ही स्कीम में शामिल किए गए हैं।
- ई ए एस का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे कार्यकलापों में इस्तेमाल किया गया है जिनके लिए मजदूरों की कम आवश्यकता होती है जबकि पूंजी की ज्यादा जरूरत होती है। मानकीय पूंजी-श्रम अपुनात का सामान्यतः ध्यान नहीं रखा गया है। परिणामस्वरूप, रोजगार उत्पन्न करने की लागत कुछ राज्यों में असामान्यरूप से ऊंची हो गई है।

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

- ई ए एस से लाभन्वित होने वालों में से अधिकांश लोगों को साल भर में 30 से भी कम दिनों की मजदूरी मिली। यह भी पाया गया कि अ-निर्धन परिवार भी इस स्कीम से लाभन्वित होते रहे। ई ए एस से होने वाली आय गरीब परिवारों को गरीबी की रेखा पार कराने में पर्याप्त नहीं थी। ई ए एस के अधिकांश लाभानुभोगियों को इसके लागू होने के चार वर्षों में से एक वर्ष रोजगार मिला।

वर्ष 2000–2001 की वार्षिक योजना

16. फिलहाल निम्नलिखित छः अध्ययन चल रहे हैं :

- (1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एस पी सी बी) के कार्यचालन का अध्ययन।
- (2) सामान्य रूप में खादी तथा ग्रामोद्योग का, और ग्रामीण रोजगार के सृजन पर इन उद्योगों के प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन।
- (3) राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधार भूत ढांचे को सबल बनाने के लिए गोदामों के निर्माण और वाहनों/ ट्रकों की खरीद के विषय में मूल्यांकन अध्ययन।
- (4) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी एच सी) के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था (नेट) कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन।
- (5) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम (एम पी एल ए डी एस) का मूल्यांकन अध्ययन।
- (6) राष्ट्रीय जैव-गैस विकास परियोजना और राष्ट्रीय चूल्हा कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन।

17. निम्नलिखित अध्ययनों के वर्ष 2000–2001 में पूरा हो जाने की संभावना है :

- (1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्यचालन का अध्ययन।
- (2) सामान्य रूप में खादी तथा ग्रामोद्योग का, और ग्रामीण रोजगार के सृजन पर इन उद्योगों के प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन।
- (3) राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधार भूत ढांचे को सबल बनाने के लिए गोदामों के निर्माण और वाहनों/ ट्रकों की खरीद के विषय में मूल्यांकन अध्ययन।
- (4) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी एच सी) के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था (नेट) कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन।

अध्याय 3 योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

3.2 सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

18. योजना आयोग ने वर्ष 2000-2001 के लिए वार्षिक योजना तैयार की है जिसमें 88,100 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता (जी बी एस) की व्यवस्था की गई है। इसमें से केन्द्रीय क्षेत्रक योजना को 51,275.60 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 36,824.40 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जानी है। बजट में 1,17,333.78 करोड़ रुपये के केन्द्रीय योजना परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसमें 66,058.18 करोड़ रुपये के आंतरिक तथा बजट बाह्य संसाधन (आई ई बी आर) शामिल हैं।

19. वर्ष 2000-2001 की वार्षिक योजना उससे पूर्ववर्ती तीनों वर्षों (1997-98, 1998-99, 1999-2000) के दौरान अनुमोदित बजटीय सहायता तथा नौवीं योजना के लिए उसके प्रत्याशित विभाजन की तुलना में योजना व्यय में रही उल्लेखनीय कमियों की पृष्ठभूमि में तैयार की गई थी। इस प्रकार, वार्षिक योजना 2000-2001 में आबंटन की वांछित क्षेत्रकीय पद्धति और उसके युक्तियुक्त स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता का सरकार की प्राथमिकताओं के साथ मेल बैठाना आवश्यक था जैसी कि वे प्रधानमंत्री की विशेष कार्य योजना में तथा अन्य कार्यक्रमों में, विशेष रूप से आधारभूत ढांचे के क्षेत्रक के मामले में, परिलक्षित होती हैं; साथ ही केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर राजकोषीय स्थिति को मजबूत बनाने की जरूरत थी।

20. केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों से उनकी वार्षिक योजनाओं के संबंध में प्रस्ताव आमंत्रित करते समय, यह भली भांति बता दिया गया था कि सरकार की संसाधनों की स्थिति के चलते ऐसे परिदृश्य की कल्पना करना कठिन था जिसमें नौवीं योजना के शेष वर्षों के लिए परिकल्पित बजटीय सहायता पूर्ण रूप में दी जाएगी। इसलिए यह सुझाव दिया गया कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग की योजनागत परियोजनाओं की प्राथमिकताएं निर्धारित की जाएं, ताकि प्रत्येक क्षेत्रक के लिए 'कोर' योजनाएं हों जो उतनी बजटीय सहायता पर आधारित हों, जो वार्षिक योजना 1999-2000 के लिए आबंटित राशि से अधिक न हों। यह भी सुझाव दिया गया था कि नई स्कीमों पर किए जाने वाले व्यय को रोके रखने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित हो सक कि कार्यान्वित की जा रही स्कीमों का वित्तपोषण पूर्ण रूप से हो जाए इसके अलावा, मंत्रालयों/विभागों से कहा गया कि वे प्रत्येक क्षेत्रक की और अन्य क्षेत्रकों की भी एक दूसरी से संबंधित स्कीमों के बीच अभिमुखता स्थापित करें ताकि उनके प्रयासों में दोहराव न हो और संसाधनों का बहुत अधिक फैलाव न हो और साथ ही कार्यक्रम के प्रचालन की ऊपरी लागत में कमी की जाए।

21. इसके अतिरिक्त, इस बात पर बल दिया गया कि सतत आधार पर योजनाबद्ध निधियों पर कड़ी नजर रखने से अनावश्यक स्कीमों का पता लगाने में सहायता मिलेगी और इस नीति से बचाई गई निधियों को अन्य प्राथमिकता प्राप्त आवश्यकताओं की ओर मोड़ा जा सकेगा। सरकारी हस्तक्षेप की प्रभावकारिता का हमारे प्रदाय तंत्र की कार्यकुशलता से और उस संस्थागत पर्यावरण से अति घनिष्ठ संबंध है जिस पर यह आधारित है। हालांकि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकों तथा कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना आवश्यक है, लेकिन साथ ही यह भी समान रूप से महत्वपूर्ण है कि एक ओर सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार लाने और दूसरी ओर निजी

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

पहल के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत किया जाए जिससे कि हमारे विकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बजटीय प्रवाहों की अनुपूर्ति की जा सके।

22. अंत में, संसाधनों का यथार्थवादी निर्धारण करने की आवश्यकता पर पुनः बल दिया गया जिससे कि निर्मित योजनाएं विश्वास-योग्य हों और यह श्रम अपने आप में सार्थक हो। राज्य सरकारों से योजना प्रस्ताव आमंत्रित करते समय इस बात को विशेष रूप से उजागर किया गया था। यह एक चिन्ता का विषय रहा है कि हाल के वर्षों में राज्य सरकारें अपने वार्षिक योजना परिव्यय को उपलब्ध संसाधनों से काफी ऊंचे स्तर पर निर्धारित कर रही हैं; जिससे योजना तथा उसके कार्य-निष्पादन के बीच काफी अधिक अंतर रह जाता है। योजना परिव्यय और उपलब्ध संसाधनों के बीच बार-बार रहने वाले और बढ़ते हुए इस अंतर से भौतिक लक्ष्यों तथा योजना व्यय के बीच की कड़ी कमजोर पड़ जाती है जिसकी वजह से विकास की प्रक्रिया में अवांछित विकृतियां आ जाती हैं।

23. वार्षिक योजना 2000-2001 को तैयार करने का काम इन बातों को ध्यान में रखते हुए हाथ में लिया गया था। केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों के मामले में, इस बात के प्रयास किए गए थे कि संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे सहित भूतल परिवहन क्षेत्रकों के आधारभूत ढांचे और शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्रकों के मानव विकास संबंधी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए पहले से अधिक आबंटन किया जाए। परिवहन क्षेत्रक की बजटीय सहायता में 2,310 करोड़ रुपये की वह आबंटन राशि भी शामिल है जो वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए डीजल तथा पेट्रोल पर लगे उपकर से जुटाई जाएगी। इस राशि में से 2,010 करोड़ रुपये भूतल परिवहन मंत्रालय की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए और 300 करोड़ रुपये रेलों के ऊपरी पुलों तथा रेल मंत्रालय के अन्य सुरक्षा संबंधी निर्माण-कार्यों के लिए हैं। मानव विकास कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न मंत्रालयों/ विभागों, अर्थात् शिक्षा, युवा कार्य तथा खेल, संस्कृति, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, भारतीय विकास प्रणाली तथा होम्योपैथी और महिला तथा बाल विकास मंत्रालय/ विभाग आबंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

24. ग्रामीण विकास मंत्रालय को दी जाने वाली बजटीय सहायता को वर्ष 1999-2000 के स्तर पर ही रखने के पीछे योजना आयोग का यह दृष्टिकोण रहा है कि गरीबी उपशमन के कार्यक्रमों/ स्कीमों को अन्य मंत्रालयों, जैसे महिला तथा बाल विकास, पर्यावरण तथा वन, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता एवं जनजातीय कार्य मंत्रालयों द्वारा भी देखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालने वाले कार्यक्रमों को कुछ अन्य विभाग तथा मंत्रालय भी चलाते हैं जैसे कृषि मंत्रालय, जन संसाधन, लघु तथा कृषि ग्रामोद्योग तथा कपड़ा मंत्रालय/ विभाग। इन सब विभागों के आबंटन में, वर्ष 1999-2000 की तुलना में काफी वृद्धि कर दी गई। इसके अलावा, यह भी महसूस किया गया कि गावों को आपस में तथा शहरों से जोड़ना भी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा गरीबी उपशमन के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए 2,500 करोड़ रुपये की राशि ग्रामीण सड़कों के लिए राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता के रूप में आबंटित की गई और केन्द्र सरकार का संबंधित मंत्रालय उन योजनाओं पर नजर रखेगा। राज्यों के राजमार्गों के लिए 990 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य योजना के अंतर्गत किया गया। आशा है कि इन आबंटनों से गावों में अधिकाधिक सम्पर्क सड़कें बनाने, रोजगार का सृजन करने और फलस्वरूप गरीबी कम करने में योगदान मिलेगा।

25. राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की योजना के लिए केन्द्रीय सहायता देने के मामले में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर दिया गया है कि सामान्य केन्द्रीय सहायता को वार्षिक योजना 1999-2000 के स्तर पर बनाए रखते हुए परियोजना/ कार्यक्रम-विशेष के लिए दी जाने वाली

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

सहायता में वृद्धि की जाए ताकि महत्वपूर्ण आधारभूत क्षेत्रकों में आर्थिक सुधारों को अधिक व्यापक और गहरा बनाया जा सके, और साथ ही राज्य के अपने विकास स्रोतों को बढ़ाया जा सके, उन्हें निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए अधिक सक्षम बनाया जा सके। तदनुसार, पहले से चले आ रहे त्वरित लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) के अलावा दो नए कार्यक्रम, अर्थात् प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना (पी एम जी वाई) और त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए पी डी पी) वार्षिक योजना 2000-2001 में प्रारंभ किए गए।

26. प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना (पी एस जी वाई) ग्रामीण स्तर पर संघाय्य मानव विकास के लिए एक नया कार्यक्रम है, जो आधारभूत ढांचे से संबंधित दो अन्य कार्यक्रमों, यानी ए आई बी पी तथा ए पी डी पी के अनुपूरक के रूप में प्रारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम बुनियादी न्यूनतम सेवा (बी एम एस) को उसके मौजूदा संघटकों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करके और उनकी मानीटरिंग पर अधिक जोर देकर सबल बनाता है। इसके अलावा, इसके लिए आबंटित धन राशि भी काफी अधिक यानी 5000 करोड़ रुपये हैं। इस कार्यक्रम के दो संघटक हैं, इनमें पहला है ग्रामीण सड़कें, जिसके अंतर्गत सभी मौसमों के लिए उपयुक्त ग्रामीण सड़कों (राज्य राजमार्गों को छोड़कर सभी सड़कें) को मजबूत बनाने के लिए 2,500 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। ग्रामोदय के अन्य कार्यक्रमों में शामिल हैं प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा, रहने का मकान और पीने के पानी की व्यवस्था जिसके लिए कुल मिलाकर 2,500 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

27. त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए पी डी पी) को प्रारंभ करने का उद्देश्य है : राज्यों में बिजली के क्षेत्रक में आर्थिक सुधारों को अधिक व्यापक तथा गहरा बनाना। इस कार्यक्रम के लिए बजटीय सहायता के रूप में 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम को भी ए आई बी पी की तरह ही कार्यान्वित किया जाएगा। यह महसूस किया गया है कि यदि बिजली क्षेत्रक के कार्यचालन में कुछ सुधार हो जाए और सिंचाई क्षेत्रक में पहले से कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं जल्दी ही पूरी हो जाएं जिससे कि इन परियोजनाओं में किए गए निवेशों से परिकल्पित लाभ प्राप्त होने लगें तो राज्य अपनी अर्थव्यवस्थाओं में निजी निवेशों को आकर्षित करने और उनसे लाभ प्राप्त करने की बेहतर स्थिति में होंगे।

वार्षिक योजना 1999-2000 की समीक्षा

28. संशोधित अनुमानों में, वार्षिक योजना 1999-2000 का परिव्यय घटकर 170856.80 करोड़ रुपये पर आ गया; इस प्रकार 192262.89 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों की तुलना में 11 प्रतिशत की कमी हुई। बजट अनुमानों में रखा गया 103520.93 करोड़ रुपये का केन्द्रीय क्षेत्रक परिव्यय संशोधित अनुमानों में कम होकर 96309.94 करोड़ रुपये रह गया; इस प्रकार इसमें 7 प्रतिशत की कमी हुई। इसका मुख्य कारण यह था कि विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों (सी पी एस यू) के आंतरिक तथा बजट-बाह्य संसाधनों (आई ई बी आर) में 11.5 प्रतिशत की कमी हो गई। वार्षिक योजना 1999-2000 के बजट अनुमानों के अनुसार केन्द्रीय क्षेत्रक परिव्यय (बी ई) तथा लगभग 57.4 प्रतिशत भाग, मंत्रालयों/ विभागों के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों द्वारा जुटाए जाने वाले संसाधनों से आई ई बी आर के माध्यम से पूरा किया जाना था और शेष 44,000 करोड़ रुपये की राशि जी बी एस से पूरी की जानी थी। संशोधित अनुमानों में केन्द्रीय क्षेत्रक का 43660.58 करोड़ रुपये का जी बी एस बजट अनुमानों की तुलना में 339.42 करोड़ रुपये कम था, और 52649.36 करोड़ रुपये का आई बी आर बजट अनुमानों के मुकाबले 6871.57 करोड़ रुपये कम था। लेकिन संशोधन अनुमानों के संबंध में कमी की यह दर पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कम थी।

वार्षिक योजना 2000–2001

29. वार्षिक योजना 2000–01 में केन्द्रीय क्षेत्रक के लिए 117333.78 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय, वार्षिक योजना 1999–2000 के लिए 103520.93 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों की तुलना में, 13 प्रतिशत अधिक है और वार्षिक योजना 1999–2000 के लिए 96309.94 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों से 22 प्रतिशत अधिक है। 2000–01 के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक के परिव्यय का वित्तपोषण 51275.60 करोड़ रुपये (43.7 प्रतिशत) की बजट सहायता द्वारा और 66058.18 करोड़ रुपये (56 प्रतिशत) के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों के आंतरिक और बजट-बाह्य संसाधनों (आई ई बी आर) से किए जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2000–01 की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के वित्तपोषण के लिए आई ई बी आर से जुटाई जाने वाली राशि, वार्षिक योजना 1999–2000 में इस हेतु निर्धारित 59520.93 करोड़ रुपये की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है।

30. वर्ष 2000–01 के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक की योजना के लिए सकल बजट सहायता, जिसकी राशि 51275.60 करोड़ रुपये है, वार्षिक योजना 1999–2000 में उपबंधित 44000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 16.5 प्रतिशत अधिक है और वार्षिक योजना 1999–2000 के संशोधित अनुमानों में शामिल 43660.58 करोड़ रुपये से 17.4 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1999–2000 के संशोधित अनुमानों का ब्यौरा (विकास शीर्षों के अनुसार) और 1999–2000 तथा 2000–01 की वार्षिक योजनाओं के बजट अनुमान सारणी 3.2.1 और 3.2.2 में दिए गए हैं।

31. केन्द्र की वार्षिक योजना (2000–01) के मंत्रालय/ विभाग-वार बजट अनुमान संलग्नक 3.2.1 में दिए गए हैं। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की 1999–2000 की वार्षिक योजना के संशोधित अनुमान, विकास-शीर्षों के अनुसार, संलग्नक 3.2.2 में दिए गए हैं। केन्द्र की वार्षिक योजना 2000–01 के बजट अनुमान विकास-शीर्षों के अनुसार संलग्नक 3.2.3 में दिए गए हैं। केन्द्र की वार्षिक योजना 1998–99 का वास्तविक व्यय, विकास शीर्षों के अनुसार संलग्नक 3.2.4 में दिया गया है। संलग्नक 3.2.5 में केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना 1999–2000 के संशोधित अनुमानों का विकास-शीर्षों के अनुसार ब्यौरा दिया गया है। वार्षिक योजना 1998–99 के वास्तविक व्यय और वार्षिक योजना 2000–01 के बजट अनुमानों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना 1997–98 का वास्तविक व्यय और वार्षिक योजना 1999–2000 के बजट अनुमान क्रमशः संलग्नक 3.2.6 और 3.2.7 में दिए गए हैं।

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

सारणी 3.2.1
संशोधित अनुमान 1999-2000

(करोड़ रुपये)

	विकास शिर्ष	केंद्र			राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	जोड़
		ब. सहा.	आई. ई. बी. आर.	परिव्यय		
1	कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	2931.15	85.54	3016.69	4215.25	7231.94
2	ग्रामीण विकास	5175.70	0.00	5175.70	5938.91	11114.61
3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	1521.02	1521.02
4	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	347.36	0.00	347.36	13643.39	13990.75
5	ऊर्जा	4614.26	21568.23	26182.49	12569.47	38751.96
6	उद्योग और खनिज	2157.13	4279.26	6436.39	2016.24	8452.63
7	परिवहन	7410.06	9745.40	17155.46	8269.59	25425.05
8	संचार	103.61	14796.78	14900.39	10.41	14910.80
9	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	2851.33	7.82	2859.15	197.00	3056.15
10	सामान्य आर्थिक सेवाएं	977.89	55.00	1032.89	1546.94	2579.83
11	सामाजिक सेवाएं	16826.95	2111.33	18938.28	22722.46	41660.74
12	सामान्य सेवाएं	265.14	0.00	265.14	1896.17	2161.31
	जोड़	43660.58	52649.36	96309.94	74546.85	170856.79

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

सारणी 3.2.2
1999-2000 और 2000-01 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय

(करोड़ रुपये)

	विकास शीर्ष	वार्षिक योजना 1999-2000				वार्षिक योजना 2000-2001 •			
		केंद्र (बजट अनुमान)			राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (अनुमोदित परिव्यय)	जोड़	केंद्र (बजट अनुमान)		
		ब. सहा.	आई ई बी आर	परिव्यय			ब. सहा.	आई ई बी आर	परिव्यय
1	कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	3661.29	74.34	3735.63	5060.39	8796.02	3511.99	110.59	3622.58
2	ग्रामीण विकास	5408.25	0	5408.25	6843.83	12252.08	5388.50	0.00	5388.50
3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0.00	1630.38	1630.38	0.00	0.00	0.00
4	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	348.11	0	348.11	15324.35	15672.46	451.62	0.00	451.62
5	ऊर्जा	4813.96	22567.08	27381.04	15892.21	43273.25	4846.97	24946.03	29793.00
6	उद्योग और खनिज	2314.64	6356.97	8671.61	2246.33	10917.94	2928.36	6351.25	9279.61
7	परिवहन	5405.55	11444.49	16850.04	10254.35	27104.39	9064.45	11927.76	20992.21
8	संचार	108.1	16703.05	16811.15	10.40	16821.55	137.00	19318.34	19455.34
9	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	2988.2	0	2988.20	483.02	3471.22	3586.82	10.96	3597.78
10	सामान्य आर्थिक सेवाएं	1153.32	92.76	1246.08	3355.07	4601.15	1369.34	72.00	1441.34
11	सामाजिक सेवाएं	17517.63	2282.24	19799.87	25353.96	45153.83	19686.65	3321.25	23007.90
12	सामान्य सेवाएं	280.95	0	280.95	2287.67	2568.62	303.90	0.00	303.90
	जोड़	44000.00	59520.93	103520.93	88741.96	192262.89	51275.60	66058.18	117333.78

- राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.1

वार्षिक योजना (2000-2001) के लिए
मंत्रालय / विभागवार बजट अनुमान

(करोड़ रुपये)

	मंत्रालय / विभाग	सकल बजट सहा. (जी बी एस)	आंतरिक और बजटेतर संसाधन (आई ई बी आर)					जोड़ परिव्यय	
			आंतरिक संसाधन	बांड्स	ई सी बी / आपूर्तिकर्ता ऋण	अन्य	जोड़ ई बी आर		जोड़ आई ई बी आर
1	कृषि मंत्रालय	2929.55						0.00	2929.55
	कृषि और सहकारिता विभाग	1950.00						0.00	1950.00
	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	629.55						0.00	629.55
	पशु पालन और डेयरी विभाग	300.00						0.00	300.00
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग	50.00						0.00	50.00
2	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	237.00	1402.38			525.03	525.03	1927.41	2164.41
	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	40.00	236.38			16.03	16.03	252.41	292.41
	उर्वरक विभाग	197.00	1166.00			509.00	509.00	1675.00	1872.00
3	नागर विमानन मंत्रालय	55.00	1703.15	100.00	90.00	281.37	471.37	2174.52	2229.52
4	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	860.00	27.59				0.00	27.59	887.59
	वाणिज्य विभाग	385.00	27.59				0.00	27.59	412.59
	औ. विकास और औ. नीति प्रोन्नयन विभाग	470.00					0.00	0.00	470.00
	आपूर्ति विभाग	5.00					0.00	0.00	5.00
5	संचार मंत्रालय	137.00	17215.73	2207.00		1.94	2208.94	19424.67	19561.67
	डाक विभाग	120.00					0.00	0.00	120.00
	दूर संचार विभाग	17.00	49.39	55.00		1.94	56.94	106.33	123.33
	दूर संचार सेवा विभाग		17166.34	2152.00			2152.00	19318.34	19318.34
6	संस्कृति युवा मामले और खेल मंत्रालय	400.00					0.00	0.00	400.00
	संस्कृति विभाग	185.00					0.00	0.00	185.00
	युवा मामले और खेल विभाग	215.00						0.00	215.00
7	पर्यावरण और वन मंत्रालय	850.00					0.00	0.00	850.00
8	विदेश मंत्रालय	575.00					0.00	0.00	575.00
9	वित्त मंत्रालय	715.43					0.00	0.00	715.43
	आर्थिक कार्य विभाग	711.45					0.00	0.00	711.45
	व्यय विभाग	2.98					0.00	0.00	2.98
	राजस्व विभाग	1.00					0.00	0.00	1.00
10	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	68.00	95.00				0.00	95.00	163.00
	सार्वजनिक वितरण विभाग	50.00	95.00				0.00	95.00	145.00
	उपभोक्ता मामले विभाग	10.00					0.00	0.00	10.00
	शर्करा और खाद्य तेल विभाग	8.00					0.00	0.00	8.00
11	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	4920.00					0.00	0.00	4920.00
	स्वास्थ्य विभाग	1300.00					0.00	0.00	1300.00
	आई एस एम एण्ड एच विभाग	100.00					0.00	0.00	100.00
	परिवार कल्याण विभाग	3520.00					0.00	0.00	3520.00
12	गृह मंत्रालय	170.70					0.00	0.00	170.70

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.1 (जारी)

वार्षिक योजना (2000-2001) के लिए
मंत्रालय/ विभागवार बजट अनुमान

(करोड़ रुपये)

	मंत्रालय/ विभाग	सकल बजट सहा. (जी बी एस)	आंतरिक और बजटेतर संसाधन (आई ई बी आर)					जोड़ परिव्यय		
			आंतरिक संसाधन	बांड्स	ई सी बी/ आपूर्तिकर्ता ऋण	अन्य	जोड़ ई बी आर		जोड़ आई ई बी आर	
13	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	6910.00					0.00	0.00	6910.00	
	प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग	3728.75					0.00	0.00	3728.75	
	माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग	1721.25					0.00	0.00	1721.25	
	महिला और बाल विकास विभाग	1460.00					0.00	0.00	1460.00	
14	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	138.00	275.34				8.25	8.25	283.59	421.59
	भारी उद्योग विभाग	138.00	275.34				8.25	8.25	283.59	421.59
	सार्वजनिक उद्यम विभाग						0.00	0.00	0.00	
15	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	270.00	439.35					0.00	439.35	709.35
16	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	365.20	176.50					0.00	176.50	541.70
17	श्रम मंत्रालय	123.00						0.00	0.00	123.00
18	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	75.00						0.00	0.00	75.00
19	खान और खनिज मंत्रालय	1133.00	2396.53			1719.57	1296.98	3016.55	5413.08	6546.08
	कोयला विभाग	873.00	1363.56			1712.25	699.00	2411.25	3774.81	4647.81
	खान विभाग	260.00	1032.97			7.32	597.98	605.30	1638.27	1898.27
20	गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	440.00	222.71	100.00		157.53	25.00	282.53	505.24	945.24
21	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	19.33						0.00	0.00	19.33
22	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		7291.65	200.00		958.00	5011.48	6169.48	13461.13	13461.13
23	योजना मंत्रालय	20.00							0.00	20.00
24	विद्युत मंत्रालय	2640.97	1727.24	2193.99		2637.98	520.00	5351.97	7079.21	9720.18
25	ग्रामीण क्षेत्र और विकास मंत्रालय	9760.00						0.00	0.00	9760.00
	ग्रामीण विकास विभाग	6760.00						0.00	0.00	6760.00
	भूमि संसाधन विभाग	900.00							0.00	900.00
	पेय जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग	2100.00							0.00	2100.00
26	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	842.00	10.21				3.25	3.25	13.46	855.46
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	362.00							0.00	362.00
	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	355.00	2.50						2.50	357.50
	जैव प्रौद्योगिक विभाग	125.00	7.71				3.25	3.25	10.96	135.96
27	लघु और कृषि तथा ग्राम उद्योग मंत्रालय	775.00	55.00	20.00		25.00	45.00	90.00	145.00	920.00
28	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	160.00							0.00	160.00

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.1 (जारी)

वार्षिक योजना (2000-2001) के लिए
मंत्रालय/ विभागवार बजट अनुमान

(करोड़ रुपये)

	मंत्रालय/ विभाग	सकल बजट सहा. (जी बी एस)	आंतरिक और बजटेतर संसाधन (आई ई बी आर)					जोड़ परिव्यय	
			आंतरिक संसाधन	बांड्स	ई सी बी/ आपूर्तिकर्ता ऋण	अन्य	जोड़ ई बी आर		जोड़ आई ई बी आर
29	इस्पात मंत्रालय	15.00	467.23	200.00		1022.00	1222.00	1689.23	1704.23
30	भूतल परिवहन मंत्रालय	5184.00	1258.34		633.90	152.00	785.90	2044.24	7228.24
31	कपड़ा मंत्रालय	457.00	10.00			5.00	5.00	15.00	472.00
32	पर्यटन मंत्रालय	135.00	15.00			45.00	45.00	60.00	195.00
33	जनजातीय मामले मंत्रालय	210.00						0.00	210.00
34	शहरी विकास मंत्रालय	800.50	129.50	389.50		175.00	564.50	694.00	1494.50
35	शहरी रोजगार और निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय	379.50	162.90	2025.00			2025.00	2187.90	2567.40
36	जल संसाधन मंत्रालय	475.42						0.00	475.42
37	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	1350.00						0.00	1350.00
38	परमाणु ऊर्जा विभाग	1554.00	159.06	334.00			334.00	493.06	2047.06
39	महासागर विकास विभाग	135.00						0.00	135.00
40	अंतरिक्ष विभाग	1700.00						0.00	1700.00
41	रेल मंत्रालय	3291.00	4041.00			3668.00	3668.00	7709.00	11000.00
	कुल जोड़	51275.60	39281.41	7769.49	6221.98	12785.30	26776.77	66058.18	117333.78

वार्षिक योजना 1999-2000 - संशोधित परिव्यय-राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपये)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/ लघु शीर्ष	आंध्र प्रदेश •	अरुणाचल प्रदेश	असम	बिहार	गोवा	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू व कश्मीर	कर्नाटक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1 01 2401 00	01 कृषि और संबद्ध कार्यकलाप कृषि कर्म	2010	1702 1/	6031	1226 1/	226	7400	743 1/	3954	5162	4087 1/
2402 00	मृदा और जल संरक्षण	40	577	333	200	35	5000	1417	1102	2826	2223
2403 00	पशु पालन	333	538	1769	622	252	1700	1250	2065	2031	2480
2404 00	डेयरी विकास	0	10	306	75	30	110	70	353	100	164
2405 00	मछली पालन	418	180	1165	322	265	1756	442	394	635	1089
2406 00	वानिकी व वन्य जीवन	11058	1563	3353	1400	363	20000	3335	8667	5029	8076
2407 00	बागान	0	0	10	0	0	0	0	0	0	65
2408 00	खाद्य भण्डारण एवं भण्डारण गृह	0	0	10	0	5	85	18	0	79	15
2415 00	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	3018	24	1720	1044	15	1700	1134	2005	1863	2700
2416 00	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	1050	0	10	50	1	930	0	67	0	305
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम										
	क) विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण	0	326	91	0	5	0	0	624	869	30
	ख) अन्य	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0
2425 00	सहकारिता	200	192	1100	548	65	2800	1518	400	416	1473
1 01 0000 00	जोड़ 01	18127 (3.31)	5112 (10.16)	15898 (10.60)	5487	1262 (5.24)	41481 (6.33)	9927 (5.56)	19640 (12.27)	19010 (10.81)	22707 (4.34)
1 02 2501 00	02 ग्रामीण विकास ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम										
2501 01	क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) और संबद्ध कार्यक्रम	8305	119	1346	5520	40	1196	550	774	498	3466 2/
2501 02	ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	1202	0	0	441	0	750	60	173	259	1226 3/
2501 04	ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	60	79	20	0	15	0	100	202	84	415

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.2 (जारी)

वार्षिक योजना 1999-2000 संशोधित परिव्यय-राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपये)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/ लघु शीर्ष	आंध्र प्रदेश •	अरुणाचल प्रदेश	असम	बिहार	गोवा	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू व कश्मीर	कर्नाटक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1 02 2505 00	ग्रामीण रोजगार										
2505 01	क) एन आर ई पी/ जवाहर रोजगार योजना	10824	193	4354	10200	80	1169	855	413	1712	2426
2505 60	ख) अन्य कार्यक्रम (जैसे रोजगार गारंटी स्कीम आदि)	0	334 2/	2000	67291 2/	0	2597 1/	750	815	0	2712
1 02 2506 00	भूमि सुधार	447	71	365	3285	58	900	67	1808	931	37
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास और पंचायत सहित)	12570 1/	874	2470	19761	335	21126 2/	6262 2/	2565	3485	12830
102 0000 00	जोड़ 02	33408 (6.10)	1670 (3.32)	10555 (7.04)	106498 (43.08)	528 (2.19)	27738 (4.23)	8644 (4.84)	6750 (4.22)	6969 (3.96)	23112 (4.42)
1 03 0000 00	03 विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	52279 (9.54)	1300 (2.58)	1650 (1.10)	4401 (1.78)	320 (1.33)	0	1220 (0.68)	400 (0.25)	9864 (5.61)	7593 (1.45)
1 04 0000 00	04 सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण										
1 04 2701 00	बड़ी और मझौली सिंचाई	105114	34	3886	40105	1736	158000 2/	34200	1675	6816	150017
2702 00	लघु सिंचाई	20863	2009	6642	5000	655	23730	5700	5245	4593	7453
2705 00	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1200	90	319	1200	252	1000	700	35	419	1983
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्र रोधी सहित)	4200	425	2290	8069	175	500	2000	774	3211	1103
1 04 0000 00	जोड़ 04	131377 (23.97)	2558 (5.09)	13137 (8.76)	54374 (22.00)	2818 (11.69)	183230 (27.97)	42600 (23.87)	7729 (4.83)	15039 (8.55)	160556 (30.69)
1 05 2801 00	05 ऊर्जा										
2810 00	विद्युत	86791	7841	10745	9055	3159	80600	48508	19101	31605	82803
	गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	40	143	20	300	17	1100	55	393	82	324
1 05 0000 00	जोड़ 05	86831 (15.85)	7984 (15.87)	10765 (7.18)	9355 (3.78)	3176 (13.18)	81700 (12.47)	48563 (27.21)	19494 (12.17)	31687 (18.02)	83127 (15.89)

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.2 (जारी)

वार्षिक योजना 1999-2000 संशोधित परिव्यय-राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपये)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/ लघु शीर्ष	आंध्र प्रदेश •	अरुणाचल प्रदेश	असम	बिहार	गोवा	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू व कश्मीर	कर्नाटक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
106 2851 00	06 उद्योग और खनिज ग्राम और लघु उद्योग	3842	482 3/	3046	1759	250	7741	3000	1271	4557	8950
2852 00	उद्योग (ग्राम और लघु उद्योग के अलावा)	2032	48	1403	2141	0	21349	516	1003	756	6631
2853 02	खनन	170	34	163	300	17	700	10	62	349	75
1 06 0000 00	जोड़ 06	6044 (1.10)	564 (1.12)	4612 (3.07)	4200 (1.70)	267 (1.11)	29790 (4.55)	3526 (1.98)	2336 (1.46)	5662 (3.22)	15656 (2.99)
1 07 3051 00	07 परिवहन पत्तन और लाइट हाउस	20	0	0	0	4	0	0	0	0	350
3052 00	जहाजरानी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3053 00	नागर विमानन	0	300	0	203	0	1843	10	2413	0	0
3054 00	सड़क और पुल	67814	11027	20726	27891	1411	39500	4000	21108	19133	19966
3055 00	सड़क परिवहन	11017	406	430	3	196	2510	2500	1385	615	7173
3056 00	अंतर्देशीय जल परिवहन	45	0	400	0	200	0	0	2	173	0
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	535 2/	36 4/	61	0	100 1/	0	0	0	490	25 4/
1 07 0000 00	जोड़ 07	79431 (14.49)	11769 (23.40)	21617 (14.41)	28097 (11.37)	1911 (7.93)	43853 (6.70)	6510 (3.65)	24908 (15.56)	20411 (11.61)	27514 (5.26)
1 08 0000 00	08 संचार	0	0	0	0	0	900 (0.14)	0	33 (0.02)	0	0
1 09 3425 00	09 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण वैज्ञानिक अनुसंधान (वि. और प्रौ. सहित)	337	22	85	350	50	4511	80	103	77	253
3435 00	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	406	9	45	0	31	675	65	12	415	275
	जोड़ 09	743 (0.14)	31 (0.06)	130 (0.09)	350 (0.14)	81 (0.34)	5186 (0.79)	145 (0.08)	115 (0.07)	492 (0.28)	528 (0.10)

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.2 (जारी)

वार्षिक योजना 1999-2000 संशोधित परिव्यय-राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपये)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/ लघु शीर्ष	आंध्र प्रदेश •	अरुणाचल प्रदेश	असम	बिहार	गोवा	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू व कश्मीर	कर्नाटक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1 10 3451 00	10 सामान्य आर्थिक सेवाएं सचिवालय आर्थिक सेवाएं	6230	146	588	118	21	50	10	377	3932	35
3452 00	पर्यटन	2500	136	344	150	342	2450	200	1039	3394	671
3454 00	सर्वेक्षण और सांख्यिकी	110	100	227	100	14 2/	120	9	60	79	124
3456 00	नागरिक आपूर्ति	0	678	120	150	0	665	0	595	0	12
3475 00	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं क) जिला आयोजना/ जिला परिषदें ख) तोल और माप ग) अन्य	0 0 10 3/	660 35 11 5/	2700 64 215 1/	3610 7 0	0 14 0	16450 69 0	1000 29 0	3919 16 108 1/	3537 39 0	180 10 1209 5/
1 10 0000 00	जोड़ 10	8850 (1.61)	1766 (3.51)	4258 (2.84)	4135 (1.67)	391 (1.62)	19804 (3.02)	1248 (0.70)	6114 (3.82)	10981 (6.25)	13123 (2.51)
2 21 2202 00	11 सामाजिक सेवाएं शिक्षा सामान्य शिक्षा	11926	7188	39022	6866	1906	26000	12250	28285	17296	31323
2203 00	तकनीकी शिक्षा	1701	0	2270	788	887	4000	6520	1123	499	1100
2204 00	खेल और युवा सेवाएं	8500	208	406	200	322	617	250	487	848	1049
2205 00	कला और संस्कृति	200	222	697	80	360	908	300	297	235	1191
2 21 0000 00	उप जोड़ (शिक्षा)	22327	7618	42395	7934	3475	31525	19320	30192	18878	34663
2 22 2210 00	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	28033	2957	7732	7376	1446	25100	4229	11495	12577	22911
2 23 2215 00	जल आपूर्ति और सफाई	7509	2786	7727	4200	4980	60000	4700	12073	11571	43843
2 23 2216 00	आवास (पुलिस आवास सहित)	15351	1953	546	3236	605	26450	1600	8438	271	14931
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परियोजना सहित)	9601	228	1165	2768	580	22086	2854	2976	5157	15270
2 24 2220 00	सूचना और प्रचार	150	108	255	70	40	1000	100	377	126	314

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.2 (जारी)

वार्षिक योजना 1999-2000 संशोधित परिव्यय-राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपये)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/ लघु शीर्ष	आंध्र प्रदेश •	अरुणाचल प्रदेश	असम	बिहार	गोवा	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू व कश्मीर	कर्नाटक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
2 25 2225 00	अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	36244	0	2902	505	65	31065	700	676	544	23676
2 26 2230 00	श्रम और रोजगार										
	क) श्रम और श्रम कल्याण	291	80	703	153	500	4000	1635	176	1214	1088
	ख) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0	92 6/	0	0	0	0	0	0	0	0
2 27 2235 00	समाज कल्याण	4172	117	304	700	319	4412	18065	2372	1625	3459 6/
2 27 2236 00	पोषाहार	4500	228	520	545	50	14000 4/	525	940	825	3694
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0	58 7/	0	0	0	335 5/	10	0	0	900 7/
2 00 0000 00	जोड़ 11	128178 (23.39)	16225 (32.26)	64249 (42.83)	27487 (11.12)	12060 (50.04)	219973 (33.58)	53738 (30.11)	69715 (43.54)	52788 (30.03)	164749 (31.49)
3 42 2056 00	12 सामान्य सेवाएं										
	जेल	0	0	0	707	11	0	0	57	0	101
2058 00	लेखन सामग्री और मुद्रण	5	78	45	0	8	0	25	180	63	159
2059 00	लोक निर्माण	888	1079	355	1493	1227	0	2354	2079	1050	4130
2070 00	अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
	क) प्रशिक्षण	0	25	0	0	0	358	0	50	0	30
	ख) अन्य	1839 4/	139 8/	2729 2/	615 3/	40 3/	987 6/	0	517	1784	50 8/
3 00 0000 00	जोड़ 12	2732 (0.50)	1321 (2.63)	3129 (2.09)	2815 (1.14)	1286 (5.34)	1345 (0.21)	2379 (1.33)	2883 (1.80)	2897 (1.65)	4470 (0.85)
9 99 9999 99	कुल जोड़	548000 (100)	50300 (100)	150000 (100)	247199 (100)	24100 (100)	655000 (100)	178500 (100)	160117 (100)	175800 (100)	523135 (100)

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.2 (जारी)

वार्षिक योजना 1999-2000 संशोधित परिव्यय-राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपये)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/ लघु शीर्ष	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	उड़ीसा	पंजाब
1.	2.	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 01 2401 00	01 कृषि और संबद्ध कार्यकलाप कृषि कर्म	4500	10343	7879	770	1155	1630	742 1/	2564	1699
2402 00	मृदा और जल संरक्षण	1505	835	10208	749	680	318	533	548	981
2403 00	पशु पालन	3025	2241	1904	350	650	480	369	123	1360
2404 00	डेयरी विकास	275	5	374	35	100	40	44	12	438
2405 00	मछली पालन	3150	711	1848	210	100	144	148	1053	261
2406 00	वानिकी व वन्य जीवन	5900	11670	13166	460	650	535	308	2484	6760
2407 00	बागान	0	0	0	180	0	0	0	0	0
2408 00	खाद्य भण्डारण एवं भण्डारण गृह	50	91	0	7	0	0	0	1	0
2415 00	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1700	863	1650	37	30	10	0	458	1300
2416 00	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	500	0	450	35	5	0	0	1	950
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम									
	क) विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण	650	0	0	5	168	122	0	14	0
	ख) अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2425 00	सहकारिता	1365	4361	6057	150	250	240	306 2/	1195	399
1 01 0000 00	जोड़ 01	22620 (7.51)	31120 (8.96)	43536 (3.58)	2988 (6.29)	3788 (10.82)	3519 (9.25)	2450 (7.64)	8453 (3.37)	14148 (5.28)
1 02 2501 00	02 ग्रामीण विकास ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम									
2501 01	क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) और संबद्ध कार्यक्रम	1010	5200	6327	125	200	231	120	2377 1/	603
2501 02	ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	0	1000	3937	0	0	0	0	50	0
2501 04	ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	0	233	100	25	75	11	45	7	30
1 02 2505 00	ग्रामीण रोजगार									
2505 01	क) एन आर ई पी/ जवाहर रोजगार योजना	2151	17414	24559	130	395	415	210	93	1632

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.2 (जारी)

वार्षिक योजना 1999-2000 संशोधित परिव्यय-राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपये)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/ लघु शीर्ष	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	उड़ीसा	पंजाब
1.	2.	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2505 60	ख) अन्य कार्यक्रम (जैसे रोजगार गारंटी स्कीम आदि)	0	0	49526	200	170	0	558	9665 2/	0
1 02 2506 00	भूमि सुधार	50	262	317	63	156	1699 1/	331	2357	0
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास और पंचायत सहित)	3395 1/	9415	19768 1/	462	1512 1/	870	3802	13193	15064
102 0000 00	जोड़ 02	6606 (2.19)	33524 (9.65)	104534 (8.60)	1005 (2.12)	2508 (7.17)	3226 (8.48)	5066 (15.81)	27742 (11.05)	17329 (6.47)
1 03 0000 00	03 विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1348 (0.45)	0	7285 (0.60)	400 (0.84)	776 (2.22)	856 (2.25)	872 (2.72)	0	2060 (0.77)
1 04 0000 00	04 सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण									
1 04 2701 00	बड़ी और मझौली सिंचाई	14572	38213	344900	6000	200	5	949	51524	9639
2702 00	लघु सिंचाई	4140	15022	37961	1800	700	1044	0	8908	5144
2705 00	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1200	455	5278	160	30	5	10	416	6250
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्र रोधी सहित)	2400	115	99	1530	300	0	2	333	10976
1 04 0000 00	जोड़ 04	22312 (7.41)	53805 (15.49)	388238 (31.92)	9490 (19.98)	1230 (3.51)	1054 (2.77)	961 (3.00)	61181 (24.37)	32009 (11.94)
1 05 2801 00	05 ऊर्जा									
2810 00	विद्युत	55900	58309	168413	3000	1250	4832	950	57612	67395
	गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	1500	575	450	30	78	44	17	50	917
1 05 0000 00	जोड़ 05	57400 (19.07)	58884 (16.95)	168863 (13.88)	3030 (6.38)	1328 (3.79)	4876 (12.81)	967 (3.02)	57662 (22.97)	68312 (25.49)
106 2851 00	06 उद्योग और खनिज									
2852 00	ग्राम और लघु उद्योग	6130	3595	6562	2000 1/	410 2/	1349	655 3/	761	904
2853 02	उद्योग (ग्राम और लघु उद्योग के अलावा)	14790	770	6202	2459 2/	675	84	675	581	1526
	खनन	90	648	280	25	142	80	301	370	10
1 06 0000 00	जोड़ 06	21010 (6.98)	5013 (1.44)	13044 (1.07)	4484 (9.44)	1227 (3.51)	1513 (3.98)	1631 (5.09)	1712 (0.68)	2440 (0.91)

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.2 (जारी)

वार्षिक योजना 1999-2000 संशोधित परिव्यय-राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपये)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/ लघु शीर्ष	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	उड़ीसा	पंजाब
1.	2.	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 07 3051 00	07 परिवहन पत्तन और लाइट हाउस	440	0	1074	0	0	0	0	600	0
3052 00	जहाजरानी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3053 00	नागर विमानन	0	0	16	0	0	0	0	40	275
3054 00	सड़क और पुल	10850	109	117276	7200	8450	4337	2866	9206	16348
3055 00	सड़क परिवहन	1000	7812	10929	206	261	268	396	0	780
3056 00	अंतर्देशीय जल परिवहन	520	0	189	0	0	10	0	55	0
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	350	0	46306 2/	469 3/	38	50 2/	163 4/	1 3/	0
1 07 0000 00	जोड़ 07	13160 (4.37)	7921 (2.28)	175790 (14.45)	7875 (16.58)	8749 (25.00)	4665 (12.26)	3425 (10.69)	9902 (3.94)	17403 (6.49)
1 08 0000 00	08 संचार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 09 3425 00	09 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण वैज्ञानिक अनुसंधान (वि. और प्रौ. सहित)	1780	180	362	85	155	90	221	405	310
3435 00	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	2/	2091	100	65	46	4	6	956	81
	जोड़ 09	1780 (0.59)	2271 (0.65)	462 (0.04)	150 (0.32)	201 (0.57)	94 (0.25)	227 (0.71)	1361 (0.54)	391 (0.15)
1 10 3451 00	10 सामान्य आर्थिक सेवाएं सचिवालय आर्थिक सेवाएं	1532	6420	204	972	143	80	140	49	1424
3452 00	पर्यटन	3420	195	1415	95	190	133	300	105	55
3454 00	सर्वेक्षण और सांख्यिकी	378	50	120	80	85	62	100	47	106
3456 00	नागरिक आपूर्ति	110	0	0	75	30	160	134	92	6
3475 00	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं क) जिला आयोजना/ जिला परिषदें	0	0	330	550	450	1763	3000	2735	5700
	ख) तोल और माप	88	9	0	15	20	41	30	1	0
	ग) अन्य	0	0	27915 3/	0	20 3/	80 3/	129 5/	479 4/	1

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.2 (जारी)

वार्षिक योजना 1999-2000 संशोधित परिव्यय-राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपये)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/ लघु शीर्ष	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	उड़ीसा	पंजाब
1.	2.	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 10 0000 00	जोड़ 10	5528 (1.84)	6674 (1.92)	29984 (2.47)	1787 (3.76)	938 (2.68)	2319 (6.09)	3833 (11.96)	3508 (1.40)	7292 (2.72)
2 21 2202 00	11 सामाजिक सेवाएं शिक्षा									
2 21 2203 00	सामान्य शिक्षा	5178	60592	27037	3492	4184	2686	1494	38427	19111
2 21 2204 00	तकनीकी शिक्षा	3790	2690	5696	350	30	90	106	283	6428
2 21 2205 00	खेल और युवा सेवाएं	757	443	2273	530	600	190	314	99	1766
2 21 0000 00	कला और संस्कृति	1359	571	1380	430	300	110	115	810	3410
2 22 2210 00	उप जोड़ (शिक्षा)	11084	64296	36386	4802	5114	3076	2029	39619	30715
2 23 2215 00	विकित्सा और जन स्वास्थ्य	5600	12425	27798	1080	3050	2546	2025	5045	17313
2 23 2216 00	जल आपूर्ति और सफाई	13160	20811	119420	5300	2862	2680	2375	9027	11081
2 23 2217 00	आवास (पुलिस आवास सहित)	3900	17030	4122	1550	525	4639	2501	1424	7067
2 24 2220 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परियोजना सहित)	2850	10114	32737	550	925	893	981	2529	6685
2 25 2225 00	सूचना और प्रचार	250	38	52	145	113	148	113	245	257
2 26 2230 00	अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	10414 3/	14539	30601	1050	12	0	0	12984	5536
2 27 2235 00	श्रम और रोजगार									
2 27 2236 00	क) श्रम और श्रम कल्याण	617	1137	4794	144	20	59	180	243	814
2 28 2252 00	ख) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0	0	4000	0	80	0	0	0	0
2 00 0000 00	समाज कल्याण	459	2589	2204	110	147	463	51	1315	21901
2 00 0000 00	पोषाहार	45	3860	4932	230	260	250	183	4962	600
2 00 0000 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0	550	0	0	0	0	0	0	234
2 00 0000 00	जोड़ 11	48379 (16.07)	147389 (42.43)	267046 (21.96)	14961 (31.50)	13108 (37.45)	14754 (38.77)	10438 (32.57)	77393 (30.83)	102203 (38.14)

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.2 (जारी)

वार्षिक योजना 1999-2000 संशोधित परिव्यय-राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपये)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/ लघु शीर्ष	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	उड़ीसा	पंजाब
1.	2.	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3 42 2056 00	12 सामान्य सेवाएं जेल	0	20	0	0	110	137	0	115	419
2058 00	लेखन सामग्री और मुद्रण	192	90	0	42	40	104	42	6	25
2059 00	लोक निर्माण	3710	664	5384	815	650	631	669	1978	1800
2070 00	अन्य प्रशासनिक सेवाएं									
	क) प्रशिक्षण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ख) अन्य	97000 4/	0	12000 4/	473	347 4/	303 4/	1469 6/	0	2169
3 00 0000 00	जोड़ 12	100902 (33.52)	774 (0.22)	17384 (1.43)	1330 (2.80)	1147 (3.28)	1175 (3.09)	2180 (6.80)	2099 (0.84)	4413 (1.65)
9 99 9999 99	कुल जोड़	301045 (100)	347375 (100)	1216166 (100)	47500 (100)	35000 (100)	38051 (100)	32050 (100)	251013 (100)	268000 (100)

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.2 (जारी)

वार्षिक योजना 1999-2000 संशोधित परिव्यय-राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपये)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/ लघु शीर्ष	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	प. बंगाल	कुल (राज्य)	अं. नि. द्वीपसमूह	चण्डीगढ़	दादर न. हवेली
1.	2	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1 01 2401 00	01 कृषि और संबद्ध कार्यकलाप कृषि कर्म	10958	730	14394	1510	11490	1850	104755	185.00	4.00	113.00
2402 00	मृदा और जल संरक्षण	649	200	4546	203	13800	125	49633	70.00	3.48	138.05
2403 00	पशु पालन	1104	300	1036	547	477	1100	28106	320.00	9.70	21.00
2404 00	डेयरी विकास	0	40	28	6	912	300	3827	20.00	0.00	2.00
2405 00	मछली पालन	63	34	2665	393	428	2300	20174	295.00	5.72	2.00
2406 00	वानिकी व वन्य जीवन	10067	550	13011	481	5600	1900	136386	1100.00	331.00	211.00
2407 00	बागान	0	0	0	174	0	150	579	0.00	0.00	0.00
2408 00	खाद्य भण्डारण एवं भण्डारण गृह	1	18	255	14	0	50	699	0.00	0.00	0.00
2415 00	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	825	30	6958	5	1400	500	30989	0.00	0.00	0.00
2416 00	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	851	0	10	1	1159	5	6380	0.00	0.00	0.00
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम										
	क) विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण	0	22	0	30	800	300	4056	0.00	0.00	0.00
	ख) अन्य	0	0	0	0	0	0	9	0.00	0.00	0.00
2425 00	सहकारिता	1000	85	1057	285	307	1475	27244	150.00	7.00	20.95
1 01 0000 00	जोड़ 01	25518 (6.62)	2009 (8.04)	43960 (8.37)	3649 (8.35)	36373 (7.13)	10055 (2.74)	412837 (5.81)	2140.00 (5.35)	360.90 (2.38)	508.00 (11.14)
1 02 2501 00	02 ग्रामीण विकास ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम										
2501 01	क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) और संबद्ध कार्यक्रम	1605 1/	116	3308	327	4252	2970	50585	0.00	228.00	0.00
2501 02	ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	354	0	96	0	472	100	10120	0.00	0.00	0.00
2501 04	ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	30	25	0	2	102	100	1760	30.00	5.00	4.25

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.2 (जारी)

वार्षिक योजना 1999-2000 संशोधित परिव्यय-राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपये)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/ लघु शीर्ष	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	प. बंगाल	कुल (राज्य)	अं. नि. द्वीपसमूह	चण्डीगढ़	दादर न. हवेली
1.	2	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1 02 2505 00	ग्रामीण रोजगार										
2505 01	क) एन आर ई पी/ जवाहर रोजगार योजना	2500	121	8977	70	18785	8700	118378	0.00	0.00	0.00
2505 60	ख) अन्य कार्यक्रम (जैसे रोजगार गारंटी स्कीम आदि)	2500	244	27455	242 1/	1200	0	168259	0.00	0.00	0.00
1 02 2506 00	भूमि सुधार	160	50	25	470	9000	350	23259	150.00	0.00	5.00
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास और पंचायत सहित)	20578 2/	256	3494	3155	19400	16000	212642	1020.00	65.00	77.00
102 0000 00	जोड़ 02	27727 (7.19)	812 (3.25)	43355 (8.26)	4266 (9.76)	53211 (10.43)	28220 (7.68)	585003 (8.23)	1200.00 (3.00)	298.00 (1.97)	86.25 (1.89)
1 03 0000 00	03 विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	3017 (0.78)	0 0.00	0	2674 (6.12)	42747 (8.38)	11040 (3.00)	152102 (2.14)	0.00	0.00	0.00
1 04 0000 00	04 सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण										
1 04 2701 00	बड़ी और मझौली सिंचाई	34963	0	36663	703	52374	7850	1100138	0.00	0.00	100.00
2702 00	लघु सिंचाई	3507	2000	5288	1649	2263	4500	175816	250.00	25.00	126.00
2705 00	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	5085	50	2188	2	2652	200	31179	0.00	0.00	24.00
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्र रोधी सहित)	284	2	2214	738	1624	9600	52964	0.00	0.00	0.00
1 04 0000 00	जोड़ 04	43839 (11.37)	2052 (8.21)	46353 (8.83)	3092 (7.08)	58913 (11.54)	22150 (6.03)	1360097 (19.14)	250.00 (0.63)	25.00 (0.17)	250.00 (5.48)
1 05 2801 00	05 ऊर्जा विद्युत	89000	4210	97079	2118	89035	110897	1190208	3000.00	1336.17	1002.00
2810 00	गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	1000	34	497	45	595	150	8456	0.00	18.00	3.75
1 05 0000 00	जोड़ 05	90000 (23.35)	4244 (16.98)	97576 (18.59)	2163 (4.95)	89630 (17.56)	111047 (30.22)	1198664 (16.87)	3000.00 (7.50)	1354.17 (8.94)	1005.75 (22.05)

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.2 (जारी)

वार्षिक योजना 1999-2000 संशोधित परिव्यय-राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपये)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/ लघु शीर्ष	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	प. बंगाल	कुल (राज्य)	अं. नि. द्वीपसमूह	चण्डीगढ़	दादर न. हवेली
1.	2	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
106 2851 00	06 उद्योग और खनिज ग्राम और लघु उद्योग	3155	303	6086	827 2/	1570	4000	73205	1400.00	38.00	41.00
2852 00	उद्योग (ग्राम और लघु उद्योग के अलावा)	4105	185	18150	713	3756	22000	112550	0.00	0.00	0.00
2853 02	खनन	3846	49	25	0	2	300	8048	0.00	0.00	0.00
1 06 0000 00	जोड़ 06	11106 (2.88)	537 (2.15)	24261 (4.62)	1540 (3.52)	5328 (1.04)	26300 (7.16)	193803 (2.73)	1400.00 (3.50)	38.00 (0.25)	41.00 (0.90)
1 07 3051 00	07 परिवहन पत्तन और लाइट हाउस	0	0	30	0	0	0	2518	1400.00	0.00	0.00
3052 00	जहाजरानी	0	0	0	0	0	0	0	10900.00	0.00	0.00
3053 00	नागर विमानन	0	0	0	0	423	40	5563	2525.00	0.00	0.00
3054 00	सड़क और पुल	18123	1949	37295	2370	92055	43000	604010	4558.00	66.00	507.00
3055 00	सड़क परिवहन	760	100	11319	56	3714	7000	70836	250.00	398.00	0.00
3056 00	अंतर्देशीय जल परिवहन	0	0	0	0	0	210	1804	0.00	0.00	0.00
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	21500 3/	0	0	182 3/	0	0	70306	0.00	7.54 1/	2.00
1 07 0000 00	जोड़ 07	40383 (10.48)	2049 (8.20)	48644 (9.27)	2608 (5.97)	96192 (18.85)	50250 (13.67)	755037 (10.63)	19633.00 (49.08)	471.54 (3.11)	509.00 (11.16)
1 08 0000 00	08 संचार	0	0	0	20 (0.05)	0	0	953 (0.01)	75.00 (0.19)	0.00	0.00
1 09 3425 00	09 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण वैज्ञानिक अनुसंधान (वि. और प्रौ. सहित)	105	87	217	44	205	170	10284	60.00	28.00	7.00
3435 00	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	22	30	225	0	1824	1000	8383	0.00	218.50	0.00
	जोड़ 09	127 (0.03)	117 (0.47)	442 (0.08)	44 (0.10)	2029 (0.40)	1170 (0.32)	18667 (0.26)	60.00 (0.15)	246.50 (1.63)	7.00 (0.15)

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.2 (जारी)

वार्षिक योजना 1999-2000 संशोधित परिव्यय-राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपये)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/ लघु शीर्ष	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	प. बंगाल	कुल (राज्य)	अं. नि. द्वीपसमूह	चण्डीगढ़	दादर न. हवेली
1.	2	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1 10 3451 00	10 सामान्य आर्थिक सेवाएं सचिवालय आर्थिक सेवाएं	713	73	532	18	334	70	24211	85.00	1.00	1.00
3452 00	पर्यटन	200	300	219	64	1416	450	19783	650.00	65.00	85.00
3454 00	सर्वेक्षण और सांख्यिकी	95	49	184	28	40	10	2377	20.00	1.00	3.00
3456 00	नागरिक आपूर्ति	5	45	142	45	2	200	3266	220.00	82.90	7.00
3475 00	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं क) जिला आयोजना/ जिला परिषदें	250	0	3300	7	0	8441	58582	0.00	0.00	0.00
	ख) तोल और माप	20	7	54	4	0	10	582	0.00	0.00	1.00
	ग) अन्य	0	0	0	4 4/	664	0	41727	0.00	0.00	41.00 1/
1 10 0000 00	जोड़ 10	1283 (0.33)	474 (1.90)	4431 (0.84)	170 (0.39)	2456 (0.48)	9181 (2.50)	150528 (2.12)	975.00 (2.44)	149.90 (0.99)	138.00 (3.02)
2 21 2202 00	11 सामाजिक सेवाएं शिक्षा	32766	4400	22399	9116	39950	8500	461394	3325.00	647.73	654.00
2203 00	सामान्य शिक्षा	1265	952	4685	12	1573	4700	51538	311.00	191.43	171.00
2204 00	तकनीकी शिक्षा	105	115	1288	86	292	775	22520	194.00	106.49	11.00
2205 00	खेल और युवा सेवाएं	323	200	761	37	300	450	15046	170.00	164.95	14.00
2 21 0000 00	कला और संस्कृति	34459	5667	29133	9251	42115	14425	550498	4000.00	1110.60	850.00
2 22 2210 00	उप जोड़ (शिक्षा)	12185	1559	15819	1558	8600	20000	260459	2000.00	3406.63	280.00
2 23 2215 00	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	30098	1747	64453	2620	38000	12684	495707	1750.00	1190.00	363.00
2 23 2216 00	जल आपूर्ति और सफाई	14631	2245	21957	5928	3387	4500	168787	1500.00	593.00	177.00
2 23 2217 00	आवास (पुलिस आवास सहित)	38110	477	37869	249	8061	29000	234715	700.00	5519.00	117.00
2 24 2220 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परियोजना सहित)	5573	80	93	282	96	220	10245	75.00	6.48	9.00
	सूचना और प्रचार										

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.2 (जारी)

वार्षिक योजना 1999-2000 संशोधित परिव्यय-राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपये)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/ लघु शीर्ष	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	प. बंगाल	कुल (राज्य)	अं. नि. द्वीपसमूह	चण्डीगढ़	दादर न. हवेली
1.	2.	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2 25 2225 00	अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	50	137	21232	2205	15200	4500	214837	50.00	78.49	1.00
2 26 2230 00	श्रम और रोजगार										
	क) श्रम और श्रम कल्याण	1017	25	500	83	425	850	20748	90.00	43.70	26.00
	ख) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0	0	0	0	0	0	4172	0.00	0.00	0.00
2 27 2235 00	समाज कल्याण	650	137	2945	327	5372	900	75115	110.00	77.10	9.00
2 27 2236 00	पोषाहार	1200	195	14290	658	1665	4100	63257	50.00	5.00	47.00
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0	0	494	0	0	650	3231	0.00	6.69	0.00
2 00 0000 00	जोड़ 11	137973 (35.79)	12269 (49.08)	208785 (39.77)	23161 (53.00)	122921 (24.08)	91829 (24.99)	2101771 (29.58)	10325.00 (25.81)	12036.69 (79.51)	1879.00 (41.19)
3 42 2056 00	12 सामान्य सेवाएं										
	जेल	269	0	670	12	0	800	3428	110.00	0.00	0.00
2058 00	लेखन सामग्री और मुद्रण	7	35	95	0	49	10	1300	0.00	0.00	7.00
2059 00	लोक निर्माण	4246	400	6428	233	559	5200	48022	605.00	0.00	93.00
2070 00	अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
	क) प्रशिक्षण	0	0	0	0	0	0	463	0.00	0.00	0.00
	ख) अन्य	19 4/	2	0	68 5/	0	221	122771	227.00 1/	158.30 2/	38.00 2/
3 00 0000 00	जोड़ 12	4541 (1.18)	437 (1.75)	7193 (1.37)	313 (0.72)	608 (0.12)	6231 (1.70)	175984 (2.48)	942.00 (2.36)	158.30 (1.05)	138.00 (3.02)
9 99 9999 99	कुल जोड़	385514 (100)	25000 (100)	525000 (100)	43700 (100)	510408 (100)	367473 (100)	7105446 (100)	40000.00 (100)	15139.00 (100)	4562.00 (100)

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.2 (जारी)

वार्षिक योजना 1999-2000 संशोधित परिव्यय-राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपये)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/ लघु शीर्ष	दमन और दीव	दिल्ली	लक्षदीप •	पांडिचेरी	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	कुल जोड़ (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	कुल परिव्यय का प्रतिशत
1.	2.	32	33	34	35	36	37	38
	01 कृषि और संबद्ध कार्यकलाप							
1 01 2401 00	कृषि कर्म	34.00	126.30	172.62	878.00	1512.92	106267.92	1.43
2402 00	मृदा और जल संरक्षण	1.00	35.70	0.00	46.00	294.23	49927.23	0.67
2403 00	पशु पालन	13.00	299.50	225.11	713.00	1601.31	29707.31	0.40
2404 00	डेयरी विकास	1.00	142.50	0.00	6.31	171.81	3998.81	0.05
2405 00	मछली पालन	36.00	16.00	246.07	281.14	881.93	21055.93	0.28
2406 00	वानिकी व वन्य जीवन	24.00	700.00	23.05	108.00	2497.05	138883.05	1.86
2407 00	बागान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.01
2408 00	खाद्य भण्डारण एवं भण्डारण गृह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00	0.01
2415 00	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	31459.00	0.42
2416 00	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6380.00	0.09
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम							
	क) विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण	0.00	6.00	0.00	155.00	161.00	4217.00	0.06
	ख) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
2425 00	सहकारिता	4.00	53.00	62.78	799.69	1097.42	28341.42	0.38
1 01 0000 00	जोड़ 01	113.00 (3.09)	1379.00 (0.55)	729.63 (12.59)	3457.14 (11.49)	8687.67 (2.49)	421524.67 (5.65)	5.65
	02 ग्रामीण विकास							
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम							
2501 01	क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) और संबद्ध कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	50813.00	0.68
2501 02	ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10120.00	0.14
2501 04	ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	0.00	188.00	28.81	30.00	286.06	2046.06	0.03
1 02 2505 00	ग्रामीण रोजगार							
2505 01	क) एन आर ई पी/ जवाहर रोजगार योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118378.00	1.59
2505 60	ख) अन्य कार्यक्रम (जैसे रोजगार गारंटी स्कीम आदि)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168259.00	2.26
1 02 2506 00	भूमि सुधार	15.00	15.00	2.71	14.10	201.81	23460.81	0.31

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.2 (जारी)

वार्षिक योजना 1999-2000 संशोधित परिव्यय-राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपये)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/ लघु शीर्ष	दमन और दीव	दिल्ली	लक्षदीप •	पांडिचेरी	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	कुल जोड़ (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	कुल परिव्यय का प्रतिशत
1.	2.	32	33	34	35	36	37	38
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास और पंचायत सहित)	12.00	6044.00	134.58	819.50	8172.08	220814.08	2.96
102 0000 00	जोड़ 02	27.00 (0.74)	6247.00 (2.50)	166.10 (2.87)	863.60 (2.87)	8887.95 (2.54)	593890.95 (7.97)	7.97
1 03 0000 00	03 विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152102.00 (2.04)	2.04
1 04 0000 00	04 सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण							
1 04 2701 00	बड़ी और मझौली सिंचाई	4.00	0.00	0.00	0.00	104.00	1100242.00	14.76
2702 00	लघु सिंचाई	5.00	110.00	0.00	648.40	1164.40	176980.40	2.37
2705 00	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	10.00	0.00	0.00	0.00	34.00	31213.00	0.42
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्र रोधी सहित)	18.00	1973.00	305.04	643.60	2939.64	55903.64	0.75
1 04 0000 00	जोड़ 04	37.00 (1.01)	2083.00 (0.83)	305.04 (5.26)	1292.00 (4.30)	4242.04 (1.21)	1364339.04 (18.30)	18.30
1 05 2801 00	05 ऊर्जा विद्युत	1309.00	48700.00	229.61	2132.86	57709.64	1247917.64	16.74
2810 00	गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	3.00	240.00	276.61	32.14	573.50	9029.50	0.12
1 05 0000 00	जोड़ 05	1312.00 (35.83)	48940.00 (19.58)	506.22 (8.73)	2165.00 (7.20)	58283.14 (16.69)	1256947.14 (16.86)	16.86
106 2851 00	06 उद्योग और खनिज ग्राम और लघु उद्योग	0.00	2500.00	163.26	1098.00	5240.26	78445.26	1.05
2852 00	उद्योग (ग्राम और लघु उद्योग के अलावा)	26.00	0.00	0.00	2555.00	2581.00	115131.00	1.54
2853 02	खनन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8048.00	0.11
1 06 0000 00	जोड़ 06	26.00 (0.71)	2500.00 (1.00)	163.26 (2.82)	3653.00 (12.14)	7821.26 (2.24)	201624.26 (2.70)	2.70
1 07 3051 00	07 परिवहन पत्तन और लाइट हाउस	23.00	0.00	118.14	232.00	1773.14	4291.14	0.06
3052 00	जहाजरानी	0.00	0.00	1744.05	0.00	12644.05	12644.05	0.17
3053 00	नागर विमानन	0.00	0.00	25.00	0.00	2550.00	8113.00	0.11

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.2 (जारी)

वार्षिक योजना 1999-2000 संशोधित परिव्यय-राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपये)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/ लघु शीर्ष	दमन और दीव	दिल्ली	लक्षदीप •	पाण्डिचेरी	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	कुल जोड़ (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	कुल परिव्यय का प्रतिशत
1.	2.	32	33	34	35	36	37	38
3054 00	सड़क और पुल	876.00	24550.00	135.00	1528.25	32220.25	636230.25	8.53
3055 00	सड़क परिवहन	0.00	21974.00	2.50	35.00	22659.50	93495.50	1.25
3056 00	अंतर्देशीय जल परिवहन	0.00	0.00	64.46	0.00	64.46	1868.46	0.03
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	2.00	0.00	0.00	0.00	11.54	70317.54	0.94
1 07 0000 00	जोड़ 07	901.00 (24.60)	46524.00 (18.61)	2089.15 (36.04)	1795.25 (5.97)	71922.94 (20.59)	826959.94 (11.09)	11.09
1 08 0000 00	08 संचार	0.00	0.00	13.05 (0.23)	0.00	88.05 (0.03)	1041.05 (0.01)	0.01
1 09 3425 00	09 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण वैज्ञानिक अनुसंधान (वि. और प्रौ. सहित)	9.00	5.00	35.56	35.00	179.56	10463.56	0.14
3435 00	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	10.00	513.00	71.61	40.00	853.11	9236.11	0.12
	जोड़ 09	19.00 (0.52)	518.00 (0.21)	107.17 (1.85)	75.00 (0.25)	1032.67 (0.30)	19699.67 (0.26)	0.26
1 10 3451 00	10 सामान्य आर्थिक सेवाएं सचिवालय आर्थिक सेवाएं	3.48	135.00	35.35	15.00	275.83	24486.83	0.33
3452 00	पर्यटन	82.00	155.00	51.26	504.00	1592.26	21375.26	0.29
3454 00	सर्वेक्षण और सांख्यिकी	12.52	158.00	13.98	7.50	216.00	2593.00	0.03
3456 00	नागरिक आपूर्ति	3.00	1125.00	51.24	187.76	1676.90	4942.90	0.07
3475 00	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं							
	क) जिला आयोजना/ जिला परिषदें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58582.00	0.79
	ख) तोल और माप	2.00	15.00	25.35	5.00	48.35	630.35	0.01
	ग) अन्य	0.00	0.00	0.00	315.70 1/	356.70	42083.70	0.56
	जोड़ 10							
1 10 0000 00	11 सामाजिक सेवाएं	103.00 (2.81)	1588.00 (0.64)	177.18 (3.06)	1034.96 (3.44)	4166.04 (1.19)	154694.04 (2.08)	2.08
	शिक्षा							
	सामान्य शिक्षा	217.00	21282.00	362.18	3196.96	29684.87	491078.87	6.59
2 21 2202 00	तकनीकी शिक्षा	124.00	4850.00	0.00	1530.05	7177.48	58715.48	0.79

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.2 (जारी)

वार्षिक योजना 1999-2000 संशोधित परिव्यय-राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपये)

कोड सं.	विकास के प्रमुख/ लघु शीर्ष	दमन और दीव •	दिल्ली	लक्षदीप •	पांडिचेरी	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	कुल जोड़ (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	कुल परिव्यय का प्रतिशत
1.	2.	32	33	34	35	36	37	38
2203 00	खेल और युवा सेवाएं	15.00	746.00	52.68	324.28	1449.45	23969.45	0.32
2204 00	कला और संस्कृति	19.00	735.00	67.14	188.00	1358.09	16404.09	0.22
2205 00	उप जोड़ (शिक्षा)	375.00	27613.00	482.00	5239.29	39669.89	590167.89	7.92
2 21 0000 00	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	136.00	20908.00	229.03	2800.66	29760.32	290219.32	3.89
2 22 2210 00	जल आपूर्ति और सफाई	282.00	32300.00	174.86	1156.75	37216.61	532923.61	7.15
2 23 2215 00	आवास (पुलिस आवास सहित)	39.00	2723.00	239.88	1154.00	6425.88	175212.88	2.35
2 23 2216 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परियोजना सहित)	109.00	37812.00	114.92	1174.00	45545.92	280260.92	3.76
2 23 2217 00	सूचना और प्रचार	9.00	230.00	16.10	62.00	407.58	10652.58	0.14
2 24 2220 00	अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण	18.00	1713.00	0.00	785.03	2645.52	217482.52	2.92
2 25 2225 00	श्रम और रोजगार							
2 26 2230 00	क) श्रम और श्रम कल्याण	35.00	655.00	24.24	241.65	1115.59	21863.59	0.29
	ख) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4172.00	0.06
2 27 2235 00	समाज कल्याण	7.00	3193.00	27.92	1233.36	4657.38	79772.38	1.07
2 27 2236 00	पोषाहार	28.00	2230.00	30.00	633.71	3023.71	66280.71	0.89
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	6.69	3237.69	0.04
2 00 0000 00	जोड़ 11	1038.00	129377.00	1338.95	14480.45	170475.09	2272246.09	30.48
		(28.35)	(51.75)	(23.10)	(48.14)	(48.81)	(30.48)	
3 42 2056 00	12 सामान्य सेवाएं							
	जेल							
2058 00	लेखन सामग्री और मुद्रण	2.00	1400.00	0.00	0.00	1512.00	4940.00	0.07
	लोक निर्माण	35.00	0.00	68.15	132.55	242.70	1542.70	0.02
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	44.00	5145.00	36.45	683.32	6606.77	54628.77	0.73
2059 00	क) प्रशिक्षण	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00	518.00	0.01
2070 00	ख) अन्य	5.00 1/	4244.00	96.50 1/	447.73	5216.53	127987.38	1.72
3 00 0000 00	जोड़ 12	86.00	10844.00	201.10	1263.60	13633.00	189616.85	2.54
		(2.35)	(4.34)	(3.47)	(4.20)	(3.90)	(2.54)	
9 99 9999 99	कुल जोड़	3662.00	250000.00	5796.85	30080.00	349239.85	7454685.70	100.00
		(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100.00)	

संलग्नक 3.2.2 की पाद टिप्पणी

- राज्य सरकार द्वारा संशोधन की मांग नहीं की गई। अनुमोदित परिव्यय दोहराया गया।

1. आंध्र प्रदेश

- चक्रवात आश्रयों के लिए 305 लाख रुपये और कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए 11555 रुपये (स्थानीय निकायों के लिए सहायक (टी एफ सी) भी) शामिल हैं।
- यातायात नियंत्रण के लिए 30 लाख और यातायात पुलिस संचार के लिए 505 लाख रुपये सम्मिलित हैं।
- विधिक मापविद्या के लिए।
- न्यायालय भवन के लिए 479 लाख रुपये; आ. प्र. पुलिस अकादमी परिसर के लिए 100 लाख रुपये; मंडल भवन के लिए 250 लाख रुपये; प्रशासन संस्थान के लिए 100 लाख रुपये और टी एफ सी अनुदानों के लिए 910 लाख रुपये शामिल हैं।

2. अरुणाचल प्रदेश

- बागवानी के लिए 705 लाख रुपये शामिल हैं।
- इन्दिरा आवास योजना के लिए 254 लाख रुपये और रोजगार आश्वासन स्कीम के लिए 80 लाख रुपये शामिल हैं।
- हथकर्धा और हस्तशिल्पों के लिए 278 लाख रुपये शामिल हैं।
- परिवहन निदेशालय के लिए 29 लाख रुपये और सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए 7 लाख रुपये शामिल हैं।
- लघु बचतों के लिए।
- उद्योग (आई टी आई) के लिए 73 लाख रुपये और रोजगार कार्यालय के लिए 19 लाख रुपये शामिल हैं।
- एन आर वाई/ यू बी एस पी/ पी एम आई यू पी ई बी के लिए।
- न्यायपालिका के लिए अवस्थापना हेतु 21 लाख रुपये; पुलिस स्टेशन/ आउट पोस्ट के लिए 8 लाख रुपये; पुलिस प्रशिक्षण के लिए 3 लाख रुपये; पुलिस संचार के लिए 40 लाख रुपये; अग्नि सेवा के लिए 50 लाख रुपये; राजकोषीय खाते के लिए 14 लाख रुपये और जिला प्रशासन (रिकार्ड रूम) के लिए 3 लाख रुपये शामिल हैं।

3. असम

- सार्वजनिक उद्यमों के लिए 15 लाख रुपये और न्याय के प्रशासन हेतु 200 लाख रुपये शामिल हैं।
- ए ए एस सी के विकास के लिए 125 लाख रुपये; लोक सेवा आयोग भवन के निर्माण के लिए 100 लाख रुपये; स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता-अनुदान के लिए 5 लाख रुपये; अल्पसंख्यक विकास बोर्ड 40 लाख रुपये; पुलिस प्रशासन के उन्नयन हेतु 2233 लाख रुपये; अग्नि सेवा के उन्नयन के लिए 94 लाख रुपये; जेलों के उन्नयन के लिए 61 लाख रुपये और राजकोषों के उन्नयन के लिए 71 लाख रुपये शामिल हैं।

4. बिहार

1. खेती करने के लिए 926 लाख रुपये; ईख विकास के लिए 200 लाख रुपये और लाख विकास के लिए 100 लाख रुपये शामिल हैं।
2. इन्दिरा आवास योजना के लिए 13700 लाख रुपये; बी एम एस आई ए वाई (ए सी ए) के लिए 41904 लाख रुपये और रोजगार आश्वासन स्कीम के लिए 11687 लाख रुपये शामिल हैं।
3. वाणिज्यिक करों के वाणिज्यिकरण के लिए 101 लाख रुपये; राजकोष के कम्प्यूटरीकरण के लिए 50 लाख रुपये; 20 सूत्री कार्यक्रम के मानीटरन के लिए 50 लाख रुपये; परियोजना प्रशासन के लिए 164 लाख रुपये और अल्पसंख्यक वित्त पोषण के लिए 250 लाख रुपये शामिल हैं।

5. गोआ

1. रेलवे के लिए।
2. कम्प्यूटर केंद्र और गुजे होर्स के लिए प्रावधान शामिल है।
3. न्यायिक प्रशासन के लिए 25 लाख रुपये और लेखों के लिए 15 लाख रुपये शामिल हैं।

6. गुजरात

1. रोजगार आश्वासन स्कीम के लिए 1648 लाख रुपये और विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए 949 लाख रुपये शामिल हैं।
2. ग्राम विकास हेतु प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ करने के लिए 29 लाख रुपये; क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए 102 लाख रुपये; जनजातीय विकास के लिए 245 लाख रुपये; निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के लिए 100 लाख रुपये; गोकुल ग्राम योजना के लिए 14100 लाख रुपये; मरुस्थल विकास कार्यक्रम के लिए 450 लाख रुपये; इंदिरा आवास योजना के लिए 1400 लाख रुपये; राज्य परतीभूमि कार्यक्रम के लिए 1500 लाख रुपये और सामुदायिक विकास तथा पंचायतों के लिए 3200 लाख रुपये शामिल हैं।
3. सरदार सरोवर परियोजना के लिए 130000 लाख रुपये शामिल हैं।
4. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए 9000 लाख रुपये शामिल हैं।
5. प्रशासनिक तंत्र – टी ए एस पी के लिए।
6. सीमावर्ती क्षेत्र विकास के लिए।

7. हरियाणा

1. बागवानी के लिए 255 लाख रुपये शामिल हैं।
2. इन्दिरा आवास योजना के लिए 280 लाख रुपये शामिल हैं।

8. हिमाचल प्रदेश

1. उपभोक्ता आयोग के लिए 87 लाख रुपये और संस्थात्मक विकास के लिए 21 लाख रुपये शामिल हैं।

9. कर्नाटक

1. बागवानी के लिए 1519 लाख रुपये शामिल हैं।
2. स्वर्णजयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के लिए 345 लाख रुपये और परती भूमि विकास कार्यक्रम के लिए 135 लाख रुपये शामिल हैं।
3. मरुस्थल विकास कार्यक्रमों के लिए 229 लाख रुपये शामिल हैं।
4. प्रदूषण नियंत्रण के लिए।
5. प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए 91 लाख रुपए और अवस्थापना पहल निधि में उपकर के अन्तरण के लिए 12000 लाख रुपए शामिल है।
6. अशक्तों के कल्याण और विकास के लिए 3068 लाख रुपए और सामाजिक रक्षा विकास के लिए 391 लाख रुपए शामिल हैं।
7. उपभोक्ता कल्याण के लिए 750 लाख रुपए और पूर्व-सैनिकों को छात्रवृत्ति के लिए 150 लाख रुपए शामिल हैं।
8. अग्नि सुरक्षा के लिए 20 लाख रुपए और न्याय के प्रशासन के लिए 30 लाख रुपए शामिल हैं।

10. केरल

1. अलेपड्डी के एकीकृत और संधारणीय विकास के लिए 500 लाख रुपए शामिल हैं।
2. वैज्ञानिक अनुसंधान के अन्तर्गत सम्मिलित।
3. एस सी पी / टी एस पी गरीबी रोधी कार्यक्रम के लिए पूल निधि।
4. स्थानीय निकायों के लिए योजना सहायतार्थ।

11. महाराष्ट्र

1. पंचायती राज संस्थाओं के लिए 8675 लाख रुपए; अन्य ग्राम रोजगार कार्यक्रमों के लिए 249 लाख रुपए; ग्राम स्वच्छता कार्यक्रम के लिए 8912 लाख रुपए; आदर्श गांव के लिए 600 लाख रुपए; महाराष्ट्र ग्रामीण क्रेडिट परियोजना के लिए 977 लाख रुपए; ग्राम समूह जीवन बीमा के लिए 5 लाख रुपये और आर ई बी की शेयर पूंजी के लिए 350 लाख रुपए शामिल हैं।
2. शहरी परिवहन के लिए 46206 लाख रुपए और रेलवे परियोजनाओं में राज्य भागीदारी के लिए 100 लाख रुपए शामिल हैं।
3. स्थानीय विकास कार्यक्रम के लिए 23875 लाख रुपए; टी वी पी के अन्तर्गत पुरस्कारों हेतु 40 लाख रुपए; और मंत्रालयों में कम्प्यूटरीकरण के लिए 4000 लाख रुपए शामिल हैं।
4. भूचाल और पुनर्वास कार्यक्रम के लिए 2000 लाख रुपए और सांविधिक विकास बोर्ड के लिए 10000 लाख रुपए शामिल हैं।

12. मणिपुर

1. रेशम पालन के लिए भी 400 लाख रुपए शामिल हैं।
2. विशेष विकास निधि के लिए भी 2097 लाख रुपए शामिल हैं।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग निगरानी स्कीम के लिए।

13. मेघालय

1. ग्राम विकास में अनुसंधान और प्रशिक्षण हेतु राज्य संस्थान के लिए 22 लाख रुपए; विशेष ग्राम कार्य कार्यक्रम के लिए 1090 लाख रुपए; और सामुदायिक विकास तथा पंचायतों के लिए 400 लाख रुपए शामिल हैं।
2. रेशम पालन और बुनाई के लिए 165 लाख रुपए शामिल हैं।
3. स्वैच्छिक कार्य निधि हेतु।
4. अग्नि सुरक्षा हेतु 147 लाख रुपए और पुलिस आवास के लिए 200 लाख रुपए शामिल हैं।

14. मिजोरम

1. नई भूमि उपयोग निति हेतु 1492 लाख रुपए शामिल हैं।
2. एम. वी. विंग के लिए।
3. न्याय और न्यायपालिका के लिए।
4. ए टी आई 42 लाख रुपए और प्रशासन के स्तरोन्नयन के लिए 178 लाख रुपए तथा स्थानीय निकायों के लिए 83 लाख रुपए शामिल हैं।

15. नागालैण्ड

1. बागवानी के लिए 215 लाख रुपए शामिल हैं।
2. परती भूमि विकास के लिए 242 लाख रुपए शामिल हैं।
3. रेशम पालन के लिए 140 लाख रुपए शामिल हैं।
4. वाहन प्रदूषण नियंत्रण के लिए 34 लाख रुपए और यांत्रिकी इंजीनियरी के लिए 129 लाख रुपए शामिल हैं।
5. मूल्यांकन हेतु 70 लाख रुपए और न्यायपालिका हेतु 59 लाख रुपए शामिल हैं।
6. ए टी आई के लिए 42 लाख रुपए; विधानसभा परिसर के लिए 435 लाख रुपए और टी एफ सी अवाडॉ के अन्तर्गत स्तरों के उन्नयन हेतु 992 लाख रुपए शामिल हैं।

16. उड़ीसा

1. एस जी एस वाई के लिए 1983 लाख रुपए शामिल हैं।
2. जे जी एस वाई के लिए 3553 लाख रुपए; ई ए एस के लिए 2733 लाख रुपए और इन्दिरा आवास योजना के लिए 3379 लाख रुपए शामिल हैं।
3. ओ एस सी टी एस हेतु।
4. आर ई बी की शेयर पूंजी के लिए 82 लाख रुपए; राजकोष के कम्प्यूटरीकरण के लिए 97 लाख रुपए और डब्ल्यू ओ डी सी को अनुदान के लिए 300 लाख रुपए शामिल हैं।

17. राजस्थान

1. महिला विकास के लिए 405 लाख रुपए और डी डब्ल्यू सी आर ए के लिए 200 लाख रुपए शामिल हैं।
2. बत्तीस जिले बत्तीस काम के लिए 400 लाख रुपए; अपना गांव अपने काम के लिए 350 लाख रुपए; ग्राम विकास और पंचायतों के लिए 15603 लाख रुपए; ग्राम

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

विकास केंद्रों के लिए 100 लाख रुपये; डांग क्षेत्र के विकास हेतु 125 लाख रुपये और एम एल ए स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के लिए 4000 लाख रुपये शामिल हैं।

3. राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड हेतु।
4. प्रशासनिक सुधारों के वास्ते 2 लाख रुपये शामिल हैं।

18. त्रिपुरा

1. ई ए एस के लिए 240 लाख रुपये और रोजगार प्रकोष्ठ के लिए 2 लाख रुपये शामिल हैं।
2. रेशम पालन के लिए 5 लाख रुपये शामिल हैं।
3. ग्राम संचार के लिए 140 लाख रुपये और योजना तथा विकास प्रकोष्ठ के लिए 42 लाख रुपये शामिल हैं।
4. मूल्यांकन हेतु।
5. न्यायिक संरचना हेतु 30 लाख रुपये और विधिक सहायता तथा सलाह हेतु 6 लाख रुपये शामिल हैं।

19. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

1. स्थानीय आडिट निधि के लिए 60 लाख रुपये; पहचान पत्र जारी करने के लिए 32 लाख रुपये; न्यायपालिका को सुदृढ़ करने के लिए 40 लाख रुपये; पुलिस विभाग के सुदृढीकरण हेतु 65 लाख रुपये और राजकीय मुद्रणालय के आधुनिकीकरण हेतु 30 लाख रुपये शामिल हैं।

20. चन्डीगढ़

1. सड़क सुरक्षा के लिए 2.54 लाख रुपये और एम वी अधिनियम के प्रवर्तन हेतु 5 लाख रुपये शामिल हैं।
2. अग्नि सुरक्षा के लिए 105 लाख रुपये शामिल हैं।

21. दादरा और नागर हवेली

1. पी ए ओ कार्यालय की स्थापना हेतु।
2. अग्नि सुरक्षा और नियंत्रण हेतु।

22. दमन और दीव

1. अग्नि सेवा के लिए 2 लाख रुपये शामिल हैं।

23. पाण्डिचेरी

1. कम्प्यूटरीकरण हेतु।

विकास शीर्षों के अनुसार योजना परिव्यय: 2000-2001- केंद्र

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विकास शीर्ष	केंद्र	
क.	कृषि व संबद्ध गतिविधियां		3622.58
1.	कृषि कार्य	12401	1710.93
2.	मृदा एवं जल संरक्षण	12402	62.18
3.	पशुपालन	12403	136.40
4.	डेयरी विकास	12404	47.50
5.	मछली पालन	12405	125.10
6.	वानिकी व वन्य जीवन	12406	347.93
7.	बागान	12407	177.45
8.	खाद्य, भंडारण एवं भंडारगृह	12408	161.40
9.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	12415	629.55
10.	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	12416	45.00
11.	सहकारिता	12425	169.14
12.	अन्य कृषि कार्यक्रम	12435	10.00
ख.	ग्रामीण विकास		5388.50
1.	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	12501	2408.60
2.	ग्रामीण रोजगार	12505	2655.00
3.	भूमि सुधार	12506	68.40
4.	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	256.50
ग.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम		0.00
1.	पर्वतीय क्षेत्र	12551	0.00
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	12552	0.00
3.	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	12575	0.00
	क) पिछड़े क्षेत्र		0.00
	ख) जनजातीय उप-योजना		0.00
	ग) सीमा क्षेत्र		0.00
	घ) अन्य		0.00
घ.	सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण		451.62
1.	बड़ी एवं मझौली सिंचाई	12701	50.60
2.	लघु सिंचाई	12702	85.27
3.	कमान क्षेत्र विकास	12705	160.88
4.	बाढ़ नियंत्रण व जल-निकास	12711	154.87
ड)	ऊर्जा		29793.00
1.	विद्युत	12801	11610.83
2.	पेट्रोलियम	12802	13148.77
3.	कोयला व लिग्नाइट	12803	4089.16
4.	ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत	12810	944.24

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.3 (जारी)

विकास शीर्षों के अनुसार योजना परिव्यय 2000-2001-केंद्र

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विकास शीर्ष	केंद्र	
च.	उद्योग व खनिज		9279.61
1.	ग्राम व लघु उद्योग	12851	1215.60
2.	लौह व इस्पात उद्योग	12852	1704.23
3.	अलौह खनन तथा धातु विज्ञानी उद्योग	12853	1898.27
4.	सीमेंट व गैर धात्विक खनिज उद्योग	12854	35.00
5.	उर्वरक उद्योग	12855	1872.00
6.	पेट्रो-रसायन उद्योग	12856	460.88
7.	रसायन व औषधीय उद्योग	12857	99.89
8.	इंजीनियरिंग उद्योग	12858	401.42
9.	दूर संचार तथा इलैक्ट्रॉनिक उद्योग	12859	518.25
10.	उपभोक्ता उद्योग	12860	256.57
11.	परमाणु ऊर्जा उद्योग	12861	295.04
12.	अन्य उद्योग	12875	311.14
13.	उद्योग व खनिज के संबंध में अन्य परिव्यय	12885	211.32
छ.	परिवहन		20992.21
1.	रेलवे	13002	11249.00
2.	बंदरगाह व लाइट हाउसेस	13051	1722.86
3.	जहाजरानी	13052	884.57
4.	नागरिक विमानन	13053	2229.52
5.	सड़कें व पुल	13054	4827.35
6.	सड़क परिवहन	13055	
7.	अंतर्देशीय जल परिवहन	13056	57.41
8.	अन्य परिवहन सेवाएं	13075	21.50
ज.	संचार		19455.34
1.	डाक सेवाएं	13201	120.00
2.	दूर संचार सेवाएं	13225	18155.00
3.	अन्य संचार सेवाएं	13275	1180.34
झ.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण		3597.78
1.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	13401	420.00
2.	अंतरिक्ष अनुसंधान	13402	1700.00
3.	समुद्र विज्ञानीय अनुसंधान	13403	135.00
4.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	825.96
5.	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	13435	516.82
ञ.	सामान्य आर्थिक सेवाएं		1441.34
1.	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	13451	158.92
2.	पर्यटन	13452	195.00
3.	विदेशी व्यापार एवं निर्यात संवर्धन	13453	224.10

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.3 (जारी)

विकास शीर्षों के अनुसार योजना परिव्यय 2000-2001 के द्र

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विकास शीर्ष	के द्र	
4.	जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	13454	185.00
5.	मौसम विज्ञान	13455	30.30
6.	नागरिक आपूर्ति	13456	23.65
7.	सामान्य वित्तीय एवं व्यापार संस्थाएं	13465	4.29
8.	अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग	13605	575.00
9.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	45.08
ट.	सामाजिक सेवाएं		23007.90
1.	सामान्य शिक्षा	22202	4949.20
2.	तकनीकी शिक्षा	22203	500.00
3.	खेल एवं युवा सेवाएं	22204	215.00
4.	कला व संस्कृति	22205	182.90
5.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	22210	1399.00
6.	परिवार कल्याण	22211	3520.00
7.	जलापूर्ति व सफाई	22215	2310.83
8.	आवास	22216	3968.90
9.	शहरी विकास	22217	1392.17
10.	सूचना एवं प्रचार	22220	68.91
11.	प्रसारण	22221	640.44
12.	अनु. जाति/ जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	1253.78
13.	श्रम एवं रोजगार	22230	121.79
14.	सामाजिक सुरक्षा व कल्याण	22235	2475.97
15.	पोषाहार	22236	2.90
16.	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	22251	4.91
17.	अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	1.20
18.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	0.00
ठ.	सामान्य सेवाएं		303.90
1.	न्याय प्रशासन	32014	76.00
2.	मुद्रा, सिक्का ढलाई एवं टकसाल	32046	30.00
3.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	32047	0.00
4.	सचिवालय - सामान्य सेवाएं	32052	3.15
5.	पुलिस	32055	134.00
6.	जेलें	32056	7.00
7.	आपूर्तियां एवं निपटान	32057	0.20
8.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	32058	0.00
9.	सार्वजनिक निर्माण	32059	29.00
10.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	24.55
	कुल जोड़		117333.78

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के बजट अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

वार्षिक योजना 1998-99 के लिए वास्तविक व्यय : केंद्र

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विकास शीर्ष	केंद्र	
क.	कृषि और संबद्ध गतिविधियां		2672.45
	1. कृषि कार्य	12401.00	806.68
	2. मृदा एवं जल संरक्षण	12402.00	178.59
	3. पशुपालन	12403.00	51.50
	4. डेयरी विकास	12404.00	23.70
	5. मछली पालन	12405.00	100.71
	6. वानिकी व वन्य जीवन (पशुओं का कल्याण)	12406.00	241.58
	7. बागान	12407.00	183.96
	8. खाद्य, भंडारण एवं भंडारगृह	12408.00	19.35
	9. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	12415.00	428.18
	10. कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	12416.00	279.31
	11. सहकारिता	12425.00	358.90
	12. अन्य कृषि कार्यक्रम	12435.00	—
ख.	ग्रामीण विकास		5562.89
	1. ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	12501.00	949.76
	2. ग्रामीण रोजगार	12505.00	4052.14
	3. भूमि सुधार	12506.00	34.54
	4. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515.00	526.45
ग.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम		0.00
	1. पर्वतीय क्षेत्र	12551.00	0.00
	2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	12552.00	0.00
	3. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	12575.00	0.00
	क) पिछड़े क्षेत्र		0.00
	ख) जनजातीय उप-योजना		0.00
	ग) सीमा क्षेत्र		0.00
	घ) अन्य		0.00
घ.	सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण		325.74
	1. बड़ी एवं मझौली सिंचाई	12701.00	47.86
	2. लघु सिंचाई	12702.00	48.23
	3. कमान क्षेत्र विकास	12705.00	175.32
	4. बाढ़ नियंत्रण व जल-निकास	12711.00	54.33
ड	ऊर्जा		22468.85
	1. विद्युत	12801.00	8157.08
	2. पेट्रोलियम	12802.00	11213.62
	3. कोयला व लिग्नाइट	12803.00	2540.14
	4. ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत	12810.00	558.01

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.4 (जारी)

वार्षिक योजना 1998-99 के लिए वास्तविक व्यय : केंद्र

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विकास शीर्ष	केंद्र	
च.	उद्योग व खनिज		6006.25
1.	ग्राम व लघु उद्योग	12851.00	913.11
2.	लौह व इस्पात उद्योग	12852.00	1483.30
3.	अलौह खनन तथा धातु विज्ञानी उद्योग	12853.00	478.11
4.	सीमेंट व गैर धात्विक खनिज उद्योग	12854.00	0.00
5.	उर्वरक उद्योग	12855.00	801.30
6.	पेट्रो-रसायन उद्योग	12856.00	1003.62
7.	रसायन व औषधीय उद्योग	12857.00	58.70
8.	इंजीनियरिंग उद्योग	12858.00	417.19
9.	दूर संचार तथा इलैक्ट्रॉनिक उद्योग	12859.00	219.74
10.	उपभोक्ता उद्योग	12860.00	100.28
11.	परमाणु ऊर्जा उद्योग	12861.00	113.88
12.	अन्य उद्योग	12875.00	417.02
13.	उद्योग व खनिज के संबंध में अन्य परिव्यय	12885.00	134.54
छ.	परिवहन		12213.27
1.	रेलवे	13002.00	8857.00
2.	बंदरगाह व लाइट हाउसेस	13051.00	1011.05
3.	जहाजरानी	13052.00	881.06
4.	नागरिक विमानन	13053.00	1424.41
5.	सड़कें व पुल	13054.00	—
6.	सड़क परिवहन	13055.00	—
7.	अंतर्देशीय जल परिवहन	13056.00	39.75
8.	अन्य परिवहन सेवाएं	13075.00	—
ज.	संचार		11374.61
1.	डाक सेवाएं	13201.00	73.69
2.	दूर संचार सेवाएं	13225.00	10533.55
3.	अन्य संचार सेवाएं	13275.00	767.37
झ.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण		2278.40
1.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	13401.00	243.08
2.	अंतरिक्ष अनुसंधान	13402.00	1165.85
3.	समुद्र विज्ञानीय अनुसंधान	13403.00	86.03
4.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425.00	532.19
5.	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	13435.00	251.25
ञ.	सामान्य आर्थिक सेवाएं		1146.21
1.	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	13451.00	113.03
2.	पर्यटन	13452.00	138.76
3.	विदेशी व्यापार एवं निर्यात संवर्धन	13453.00	185.53
4.	जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	13454.00	32.39

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.4 (जारी)

वार्षिक योजना 1998-99 के लिए वास्तविक व्यय : केंद्र

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विकास शीर्ष	केंद्र	
5.	मौसम विज्ञान	13455.00	21.67
6.	नागरिक आपूर्ति	13456.00	23.81
7.	सामान्य वित्तीय एवं व्यापार संस्थाएं	13465.00	578.28
8.	अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग	13605.00	—
9.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475.00	52.74
ट.	सामाजिक सेवाएं		19394.91
1.	सामान्य शिक्षा	22202.00	3691.01
2.	तकनीकी शिक्षा	22203.00	292.10
3.	खेल एवं युवा सेवाएं	22204.00	181.19
4.	कला व संस्कृति	22205.00	115.24
5.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	22210.00	3157.08
6.	परिवार कल्याण	22211.00	2342.74
7.	जलापूर्ति व सफाई	22215.00	3436.90
8.	आवास	22216.00	1651.08
9.	शहरी विकास	22217.00	470.42
10.	सूचना एवं प्रचार	22220.00	40.88
11.	प्रसारण	22221.00	389.34
12.	अनु. जाति/ जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225.00	917.66
13.	श्रम एवं रोजगार	22230.00	776.77
14.	सामाजिक सुरक्षा व कल्याण	22235.00	1923.45
15.	पोषाहार	22236.00	
16.	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	22251.00	6.05
17.	अन्य सामाजिक सेवाएं	22250.00	3.00
ठ.	सामान्य सेवाएं		281.06
1.	न्याय प्रशासन	32014.00	66.00
2.	मुद्रा, सिक्का ढलाई एवं टकसाल	32046.00	—
3.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	32047.00	—
4.	सचिवालय - सामान्य सेवाएं	32052.00	—
5.	पुलिस	32055.00	101.82
6.	जेलें	32056.00	8.37
7.	आपूर्तियां एवं निपटान	32057.00	0.24
8.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	32058.00	1.00
9.	सार्वजनिक निर्माण	32059.00	81.48
10.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070.00	22.15
	कुल जोड़		83724.64

• राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के तदनुरूपी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विकास शीर्षों के अनुसार संशोधित अनुमान : 1999-2000 केंद्र, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विकास शीर्ष		केंद्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
क.	कृषि और संबद्ध गतिविधियां		3016.69	4128.37	86.88	7231.94
1.	कृषि कार्य	12401	1097.73	1047.55	15.13	2160.41
2.	मृदा एवं जल संरक्षण	12402	150.98	496.33	2.94	650.25
3.	पशुपालन	12403	101.80	281.06	16.01	398.87
4.	डेयरी विकास	12404	22.12	38.27	1.72	62.11
5.	मछली पालन	12405	112.93	201.74	8.82	323.49
6.	वानिकी व वन्य जीवन	12406	311.38	1363.86	24.97	1700.21
7.	बागान	12407	138.30	5.79	0.00	144.09
8.	खाद्य, भंडारण एवं भंडारगृह	12408	115.51	6.99	0.00	122.50
9.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	12415	504.00	309.89	4.70	818.59
10.	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	12416	229.98	63.80	0.00	293.78
11.	सहकारिता	12425	225.01	272.44	10.97	508.42
12.	अन्य कृषि कार्यक्रम	12435	6.95	40.65	1.61	49.21
ख.	ग्रामीण विकास		5175.70	5850.03	88.88	11114.61
1.	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	12501	1231.70	624.65	5.14	1861.49
2.	ग्रामीण रोजगार	12505	3729.00	2866.37	0.00	6595.37
3.	भूमि सुधार	12506	43.00	232.59	2.02	277.61
4.	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	172.00	2126.42	81.72	2380.14
ग.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम •		0.00	1521.02	0.00	1521.02
1.	पर्वतीय क्षेत्र	12551	0.00	—	0.00	—
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	12552	0.00	—	0.00	—
3.	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	12575	0.00	—	0.00	—
	क) पिछड़े क्षेत्र		0.00	—	0.00	—
	ख) जनजातीय उप-योजना		0.00	—	0.00	—
	ग) सीमा क्षेत्र		0.00	—	0.00	—
	घ) अन्य		0.00	—	0.00	—
घ.	सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण		347.36	13600.97	42.42	13990.75
1.	बड़ी एवं मझौली सिंचाई	12701	51.53	11001.38	1.04	11053.95
2.	लघु सिंचाई	12702	56.71	1758.16	11.64	1826.51
3.	कमान क्षेत्र विकास	12705	161.62	311.79	0.34	473.75
4.	बाढ़ नियंत्रण व जल-निकास	12711	77.50	529.64	29.40	636.54

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.5 (जारी)

विकास शीर्षों के अनुसार संशोधित अनुमान :
1999-2000 केंद्र, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विकास शीर्ष		केंद्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
ड	ऊर्जा		26182.49	11986.64	582.83	38751.96
	1. विद्युत	12801	9366.78	11902.08	577.10	21845.96
	2. पेट्रोलियम	12802	12318.29	0.00	0.00	12318.29
	3. कोयला व लिग्नाइट	12803	3683.05	0.00	0.00	3683.05
	4. ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत	12810	814.37	84.56	5.74	904.67
च.	उद्योग व खनिज		6436.39	1938.03	78.21	8452.63
	1. ग्राम व लघु उद्योग	12851	858.33	732.05	52.40	1642.78
	2. लौह व इस्पात उद्योग	12852	1287.71	0.00	0.00	1287.71
	3. अलौह खनन तथा धातु विज्ञानी उद्योग	12853	1503.89	0.00	0.00	1503.89
	4. सीमेंट व गैर धात्विक खनिज उद्योग	12854	24.96	0.00	0.00	24.96
	5. उर्वरक उद्योग	12855	888.84	0.00	0.00	888.84
	6. पेट्रो-रसायन उद्योग	12856	404.61	0.00	0.00	404.61
	7. रसायन व औषधीय उद्योग	12857	72.31	0.00	0.00	72.31
	8. इंजीनियरिंग उद्योग	12858	307.72	0.00	0.00	307.72
	9. दूर संचार तथा इलैक्ट्रॉनिक उद्योग	12859	401.74	0.00	0.00	401.74
	10. उपभोक्ता उद्योग	12860	101.00	0.00	0.00	101.00
	11. परमाणु ऊर्जा उद्योग	12861	156.70	0.00	0.00	156.70
	12. अन्य उद्योग	12875	190.61	1125.50	25.81	1341.92
	13. उद्योग व खनिज के संबंध में अन्य परिव्यय	12885	237.97	80.48	0.00	318.45
छ.	परिवहन		17155.46	7550.37	719.23	25425.06
	1. रेलवे	13002	8965.00	0.00	0.00	8965.00
	2. बंदरगाह व लाइट हाउसेस	13051	1542.94	25.18	17.73	1585.85
	3. जहाजरीनी	13052	644.95	0.00	126.44	771.39
	4. नागरिक विमानन	13053	1680.56	55.63	25.50	1761.69
	5. सड़कें व पुल	13054	4263.67	6040.10	322.20	10625.97
	6. सड़क परिवहन	13055		708.36	226.60	934.96
	7. अंतर्देशीय जल परिवहन	13056	37.84	18.04	0.64	56.52
	8. अन्य परिवहन सेवाएं	13075	20.50	703.06	0.12	723.68
ज.	संचार •		14900.39	9.53	0.88	14910.80
	1. डाक सेवाएं	13201	96.01	—	—	96.01
	2. दूर संचार सेवाएं	13225	13885.01	—	—	13885.01
	3. अन्य संचार सेवाएं	13275	919.37	—	—	919.37

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.5 (जारी)

विकास शीर्षों के अनुसार संशोधित अनुमान :
1999-2000 केंद्र, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विकास शीर्ष		केंद्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
झ.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण		2859.15	186.67	10.33	3056.15
1.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	13401	334.83	0.00	0.00	334.83
2.	अंतरिक्ष अनुसंधान	13402	1474.61	0.00	0.00	1474.61
3.	समुद्र विज्ञानीय अनुसंधान	13403	86.00	0.00	0.00	86.00
4.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	650.09	102.84	1.80	754.73
5.	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	13435	313.62	83.83	8.53	405.98
ज.	सामान्य आर्थिक सेवाएं		1032.89	1505.28	41.66	2579.83
1.	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	13451	135.97	242.11	2.76	380.84
2.	पर्यटन	13452	145.00	197.83	15.92	358.75
3.	विदेशी व्यापार एवं निर्यात संवर्धन	13453	198.00	0.00	0.00	198.00
4.	जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	13454	36.15	23.77	2.16	62.08
5.	मौसम विज्ञान	13455	36.09	0.00	0.00	36.09
6.	नागरिक आपूर्ति	13456	36.35	32.66	16.77	85.78
7.	सामान्य वित्तीय एवं व्यापार संस्थाएं	13465	2.00	0.00	0.00	2.00
8.	अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग	13605	400.00	0.00	0.00	400.00
9.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	43.33	1008.91	4.05	1056.29
ट.	सामाजिक सेवाएं		18938.28	21017.71	1704.75	41660.74
1.	सामान्य शिक्षा	22202	3893.56	4613.94	296.85	8804.35
2.	तकनीकी शिक्षा	22203	490.93	515.38	71.77	1078.08
3.	खेल एवं युवा सेवाएं	22204	180.00	225.20	14.49	419.69
4.	कला व संस्कृति	22205	136.25	150.46	13.58	300.29
5.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	22210	1076.77	2604.59	297.60	3978.96
6.	परिवार कल्याण	22211	3120.00	0.00	0.00	3120.00
7.	जलापूर्ति व सफाई	22215	1969.25	4957.07	372.17	7298.49
8.	आवास	22216	3093.62	1687.87	64.26	4845.75
9.	शहरी विकास	22217	1034.95	2347.15	455.46	3837.56
10.	सूचना एवं प्रचार	22220	52.47	102.45	4.08	159.00
11.	प्रसारण	22221	507.84	0.00	0.00	507.84
12.	अनु. जाति/ जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	1072.37	2148.37	26.46	3247.20
13.	श्रम एवं रोजगार	22230	94.88	249.20	11.16	355.24
14.	सामाजिक सुरक्षा व कल्याण	22235	2205.63	751.15	46.57	3003.35
15.	पोषाहार	22236	2.70	632.57	30.24	665.51
16.	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	22251	6.06	0.00	0.00	6.06
17.	अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	1.00	32.31	0.07	33.38

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.5 (जारी)

विकास शीर्षों के अनुसार संशोधित अनुमान :
1999-2000 केंद्र, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विकास शीर्ष		केंद्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
ठ.	सामान्य सेवाएं		265.14	1759.84	136.33	2161.31
1.	न्याय प्रशासन	32014	74.31	0.00	0.00	74.31
2.	मुद्रा, सिक्का ढलाई एवं टकसाल	32046	20.12	0.00	0.00	20.12
3.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	32047	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	सचिवालय - सामान्य सेवाएं	32052	1.67	0.00	0.00	1.67
5.	पुलिस	32055	117.00	0.00	0.00	117.00
6.	जेलें	32056	7.00	34.28	15.12	56.40
7.	आपूर्तियां एवं निपटान	32057	0.20	0.00	0.00	0.20
8.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	32058	0.25	13.00	2.43	15.68
9.	सार्वजनिक निर्माण	32059	28.76	480.22	66.07	575.05
10.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	15.83	1232.34	52.72	1300.89
	कुल जोड़		96309.94	71054.46	3492.39	170856.79

- राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

वार्षिक योजना 1997-98 के लिए वास्तविक व्यय : केंद्र,
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विकास शीर्ष		केंद्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
क.	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ		2204.66	3657.91	66.74	5929.31
1.	कृषि कार्य	12401	816.89	869.12	8.15	1694.16
2.	मृदा एवं जल संरक्षण	12402	149.07	409.76	2.61	561.44
3.	पशुपालन	12403	94.22	229.52	15.90	339.64
4.	डेयरी विकास	12404	29.05	40.78	0.02	69.85
5.	मछली पालन	12405	108.38	163.32	12.15	283.85
6.	वानिकी व वन्य जीवन	12406	192.32	1055.73	15.63	1263.68
7.	बागान	12407	129.83	5.97	0.00	135.80
8.	खाद्य, भंडारण एवं भंडारगृह	12408	93.2	23.75	0.00	116.95
9.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	12415	323.31	211.7	6.22	541.23
10.	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	12416	36.12	118.36	0.00	154.48
11.	सहकारिता	12425	225.02	384.86	5.81	615.69
12.	अन्य कृषि कार्यक्रम	12435	7.25	145.04	0.23	152.52
ख.	ग्रामीण विकास		5359.96	4615.21	99.14	10074.31
1.	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	12501	955.9	1134.09	22.95	2112.94
2.	ग्रामीण रोजगार	12505	3919.88	1577.17	0.00	5497.05
3.	भूमि सुधार	12506	39.64	198.14	0.51	238.29
4.	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	444.54	1705.81	75.67	2226.02
ग.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम •		0	874.00	0.00	874.00
1.	पर्वतीय क्षेत्र	12551	0	—	0.00	—
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	12552	0	—	0.00	—
3.	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	12575	0	—	0.00	—
	क) पिछड़े क्षेत्र		0	—	0.00	—
	ख) जनजातीय उप-योजना		0	—	0.00	—
	ग) सीमा क्षेत्र		0	—	0.00	—
	घ) अन्य		0	—	0.00	—
घ.	सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण		269.94	9607.57	27.48	9904.99
1.	बड़ी एवं मझौली सिंचाई	12701	56.29	7524.81	0.51	7581.61
2.	लघु सिंचाई	12702	53.23	1445.61	8.82	1507.66
3.	कमान क्षेत्र विकास	12705	129.95	303.22	0.21	433.38
4.	बाढ़ नियंत्रण व जल-निकास	12711	30.47	333.93	17.95	382.35

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.6 (जारी)

वार्षिक योजना 1997-98 के लिए वास्तविक व्यय : केंद्र,
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विकास शीर्ष		केंद्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
ड	ऊर्जा		19156.6	12239	397.07	31792.70
	1. विद्युत	12801	6843.99	12160.2	392.09	19396.28
	2. पेट्रोलियम	12802	9682.72	0	0.00	9682.72
	3. कोयला व लिग्नाइट	12803	2212.67	0	0.00	2212.67
	4. ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत	12810	417.23	78.82	4.98	501.03
च.	उद्योग व खनिज		8368.92	1886.87	50.31	10306.10
	1. ग्राम व लघु उद्योग	12851	935.64	845.92	32.33	1813.89
	2. लौह व इस्पात उद्योग	12852	2327.12	0	0.00	2327.12
	3. अलौह खनन तथा धातु विज्ञानी उद्योग	12853	400.83	0	0.00	400.83
	4. सीमेंट व गैर धात्विक खनिज उद्योग	12854	3.95	0	0.00	3.95
	5. उर्वरक उद्योग	12855	1324.38	0	0.00	1324.38
	6. पेट्रो-रसायन उद्योग	12856	1868.79	0	0.00	1868.79
	7. रसायन व औषधीय उद्योग	12857	67.26	0	0.00	67.26
	8. इंजीनियरिंग उद्योग	12858	253.23	0	0.00	253.23
	9. दूर संचार तथा इलैक्ट्रॉनिक उद्योग	12859	257.26	0	0.00	257.26
	10. उपभोक्ता उद्योग	12860	124.82	0	0.00	124.82
	11. परमाणु ऊर्जा उद्योग	12861	98.7	0	0.00	98.70
	12. अन्य उद्योग	12875	324.67	980.27	17.99	1322.93
	13. उद्योग व खनिज के संबंध में अन्य परिव्यय	12885	382.27	60.68	0.00	442.95
छ.	परिवहन		12272	5257.67	571.42	18101.08
	1. रेलवे	13002	8239	0	0.00	8239.00
	2. बंदरगाह व लाइट हाउसेस	13051	710.13	25.04	7.91	743.08
	3. जहाजरानी	13052	322.81	0	56.69	379.50
	4. नागरिक विमानन	13053	1344.68	95.07	4.48	1444.23
	5. सड़कें व पुल	13054	1565.31	3827.69	195.31	5588.31
	6. सड़क परिवहन	13055	8.46	1136.22	306.10	1450.78
	7. अंतर्देशीय जल परिवहन	13056	32.9	15.83	0.71	49.44
	8. अन्य परिवहन सेवाएं	13075	48.7	157.82	0.22	206.74
ज.	संचार •		10130.5	0.19	0.83	10131.49
	1. डाक सेवाएं	13201	72.27	—	—	—
	2. दूर संचार सेवाएं	13225	9646.12	—	—	—
	3. अन्य संचार सेवाएं	13275	412.08	—	—	—

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.6 (जारी)

वार्षिक योजना 1997-98 के लिए वास्तविक व्यय : केंद्र,
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विकास शीर्ष		केंद्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
झ.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण		1883.15	117.95	2.91	2004.01
	1. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	13401	173.94	0.00	0.00	173.94
	2. अंतरिक्ष अनुसंधान	13402	845.66	0.00	0.00	845.66
	3. समुद्र विज्ञानीय अनुसंधान	13403	83.85	0.00	0.00	83.85
	4. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	565.5	39.36	0.79	605.65
	5. पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	13435	214.2	78.59	2.12	294.91
ज.	सामान्य आर्थिक सेवाएं		577.27	1207.62	26.11	1811.00
	1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	13451	100.87	154.65	1.47	256.99
	2. पर्यटन	13452	113.61	209.82	15.29	338.72
	3. विदेशी व्यापार एवं निर्यात संवर्धन	13453	203.2	0	0.00	203.20
	4. जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	13454	18.75	18.44	0.68	37.87
	5. मौसम विज्ञान	13455	19.35	0	0.00	19.35
	6. नागरिक आपूर्ति	13456	21.83	27.23	8.32	57.38
	7. सामान्य वित्तीय एवं व्यापार संस्थाएं	13465	1.57	0	0.00	1.57
	8. अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग	13605	60	0	0.00	60.00
	9. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	38.09	797.48	0.35	835.92
ट.	सामाजिक सेवाएं		10442.2	15110.8	1314.15	26867.10
	1. सामान्य शिक्षा	22202	2641.22	3410.95	208.17	6260.34
	2. तकनीकी शिक्षा	22203	290.23	518.66	62.94	871.83
	3. खेल एवं युवा सेवाएं	22204	117.5	192.75	4.94	315.19
	4. कला व संस्कृति	22205	111.24	88.52	9.48	209.24
	5. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	22210	746.5	1691.03	203.94	2641.47
	6. परिवार कल्याण	22211	1822.15	0	0.00	1822.15
	7. जलापूर्ति व सफाई	22215	1493.65	3398.93	318.55	5211.13
	8. आवास	22216	976.39	1095.44	45.64	2117.47
	9. शहरी विकास	22217	768.91	1790.37	385.10	2944.38
	10. सूचना एवं प्रचार	22220	49.73	44.07	5.23	99.03
	11. प्रसारण	22221	434.63	0	0.00	434.63
	12. अनु. जाति/ जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	714.52	1628.68	9.70	2352.90
	13. श्रम एवं रोजगार	22230	47.43	223.04	7.84	278.31
	14. सामाजिक सुरक्षा व कल्याण	22235	215.83	346.02	26.86	588.71

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.6 (जारी)

वार्षिक योजना 1997-98 के लिए वास्तविक व्यय : केंद्र,
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विकास शीर्ष		केंद्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	कुल
15.	पोषाहार	22236	0.92	502.6	25.72	529.24
16.	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	22251	9.06	0	0.00	9.06
17.	अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	2.26	179.72	0.04	182.02
ठ.	सामान्य सेवाएं		196.27	1649.13	115.77	1961.17
1.	न्याय प्रशासन	32014	64	0	0.00	64.00
2.	मुद्रा, सिक्का ढलाई एवं टकसाल	32046	22.01	0	0.00	22.01
3.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	32047	0	0	0.00	0.00
4.	सचिवालय - सामान्य सेवाएं	32052	1.6	0	0.00	1.60
5.	पुलिस	32055	63.46	0	0.00	63.46
6.	जेलें	32056	7	15.31	15.61	37.92
7.	आपूर्तियां एवं निपटान	32057	0.16	0	0.00	0.16
8.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	32058	0.21	12.81	1.59	14.61
9.	सार्वजनिक निर्माण	32059	19.47	396.58	78.21	494.26
10.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	18.36	1224.43	20.37	1263.16
	कुल जोड़		70861.4	56223.9	2671.93	129757.26

विकास शीर्षवार योजना परिव्यय, 1999-2000 : केंद्र,
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विकास शीर्ष		केंद्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	जोड़
क.	कृषि और संबद्ध गतिविधियां		3735.63	4966.15	94.24	8796.02
1.	कृषि कार्य	12401	1393.00	1160.33	15.64	2568.97
2.	मृदा एवं जल संरक्षण	12402	190.00	738.63	3.24	931.87
3.	पशुपालन	12403	160.08	346.92	18.23	525.23
4.	डेयरी विकास	12404	73.90	67.75	3.18	144.83
5.	मछली पालन	12405	158.42	242.59	8.77	409.78
6.	वानिकी व वन्य जीवन	12406	318.50	1619.46	27.97	1965.93
7.	बागान	12407	150.27	5.82	0.00	156.09
8.	खाद्य, भंडारण एवं भंडारगृह	12408	125.96	9.98	0.00	135.94
9.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	12415	573.50	310.19	4.15	887.84
10.	कृषि संबंधी वित्तीय संस्थान	12416	236.00	67.29	0.00	303.29
11.	सहकारिता	12425	336.00	285.43	10.96	632.39
12.	अन्य कृषि कार्यक्रम	12435	20.00	111.76	2.09	133.85
ख.	ग्रामीण विकास		5408.25	6700.01	143.82	12252.08
1.	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	12501	1282.25	974.19	120.78	2377.22
2.	ग्रामीण रोजगार	12505	3795.00	3146.94	0.00	6941.94
3.	भूमि सुधार	12506	43.00	267.92	2.00	312.92
4.	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	288.00	2310.96	21.04	2620.00
ग.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम •		0.00	1630.38	0.00	1630.38
1.	पर्वतीय क्षेत्र	12551	0.00	—	0.00	—
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	12552	0.00	—	0.00	—
3.	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	12575	0.00	—	0.00	—
	क) पिछड़े क्षेत्र		0.00	—	0.00	—
	ख) जनजातीय उप-योजना		0.00	—	0.00	—
	ग) सीमा क्षेत्र		0.00	—	0.00	—
	घ) अन्य		0.00	—	0.00	—
घ.	सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण		348.11	15280.62	43.73	15672.46
1.	बड़ी एवं मझौली सिंचाई	12701	52.51	12227.77	1.04	12281.32
2.	लघु सिंचाई	12702	55.81	2102.67	15.12	2173.60
3.	कमान क्षेत्र विकास	12705	178.00	315.05	0.34	493.39
4.	बाढ़ नियंत्रण व जल-निकास	12711	61.79	635.13	27.23	724.15

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.7 (जारी)

विकास शीर्षवार योजना परिव्यय, 1999-2000 : केंद्र,
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विकास शीर्ष		केंद्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	जोड़
ड	ऊर्जा		27381.04	15321.57	570.64	43273.25
1.	विद्युत	12801	11230.91	15029.17	564.92	26825.00
2.	पेट्रोलियम	12802	11784.56	0.00	0.00	11784.56
3.	कोयला व लिग्नाइट	12803	3601.71	0.00	0.00	3601.71
4.	ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत	12810	763.86	292.40	5.72	1061.98
च.	उद्योग व खनिज		8671.61	2168.32	78.01	10917.94
1.	ग्राम व लघु उद्योग	12851	972.75	936.87	52.20	1961.82
2.	लौह व इस्पात उद्योग	12852	2082.40	0.00	0.00	2082.40
3.	अलौह खनन तथा धातु विज्ञानी उद्योग	12853	1356.62	0.00	0.00	1356.62
4.	सीमेंट व गैर धात्विक खनिज उद्योग	12854	37.00	87.36	0.00	124.36
5.	उर्वरक उद्योग	12855	1828.00	0.00	0.00	1828.00
6.	पेट्रो-रसायन उद्योग	12856	652.20	0.00	0.00	652.20
7.	रसायन व औषधीय उद्योग	12857	80.64	0.00	0.00	80.64
8.	इंजीनियरिंग उद्योग	12858	400.48	0.00	0.00	400.48
9.	दूर संचार तथा इलैक्ट्रॉनिक उद्योग	12859	434.08	0.00	0.00	434.08
10.	उपभोक्ता उद्योग	12860	111.61	0.00	0.00	111.61
11.	परमाणु ऊर्जा उद्योग	12861	248.03	0.00	0.00	248.03
12.	अन्य उद्योग	12875	168.77	1144.09	25.81	1338.67
13.	उद्योग व खनिज के संबंध में अन्य परिव्यय	12885	299.03	0.00	0.00	299.03
छ.	परिवहन		16850.04	9394.89	859.46	27104.39
1.	रेलवे	13002	9700.00	0.00	0.00	9700.00
2.	बंदरगाह व लाइट हाउसेस	13051	1613.79	25.70	16.66	1656.15
3.	जहाजरानी	13052	1511.20	0.00	126.44	1637.64
4.	नागरिक विमानन	13053	1806.93	51.83	25.50	1884.26
5.	सड़कें व पुल	13054	2163.08	7741.00	323.08	10227.16
6.	सड़क परिवहन	13055	9.00	859.40	366.97	1235.37
7.	अंतर्देशीय जल परिवहन	13056	26.04	20.73	0.64	47.41
8.	अन्य परिवहन सेवाएं	13075	20.00	696.23	0.17	716.40
ज.	संचार •		16811.15	9.52	0.88	16821.55
1.	डाक सेवाएं	13201	100.00	—	—	—
2.	दूर संचार सेवाएं	13225	15603.00	—	—	—
3.	अन्य संचार सेवाएं	13275	1108.15	—	—	—

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.7 (जारी)

विकास शीर्षवार योजना परिव्यय, 1999-2000 : केंद्र,
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विकास शीर्ष		केंद्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	जोड़
झ.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण		2988.20	462.38	20.64	3471.22
1.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	13401	325.00	0.00	0.00	325.00
2.	अंतरिक्ष अनुसंधान	13402	1519.00	0.00	0.00	1519.00
3.	समुद्र विज्ञानीय अनुसंधान	13403	90.00	0.00	0.00	90.00
4.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	662.70	114.90	1.80	779.40
5.	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	13435	391.50	347.48	18.85	757.83
ज.	सामान्य आर्थिक सेवाएं		1246.08	3310.88	44.19	4601.15
1.	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	13451	136.15	304.46	4.01	444.62
2.	पर्यटन	13452	230.50	379.12	16.38	626.00
3.	विदेशी व्यापार एवं निर्यात संवर्धन	13453	222.29	0.00	0.00	222.29
4.	जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	13454	45.00	37.29	2.86	85.15
5.	मौसम विज्ञान	13455	49.00	0.00	0.00	49.00
6.	नागरिक आपूर्ति	13456	37.05	40.80	11.56	89.41
7.	सामान्य वित्तीय एवं व्यापार संस्थाएं	13465	1.00	0.00	0.00	1.00
8.	अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग	13605	400.00	0.00	0.00	400.00
9.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	125.09	2549.21	9.37	2683.67
ट.	सामाजिक सेवाएं		19799.87	23347.15	2006.81	45153.83
1.	सामान्य शिक्षा	22202	4247.24	4867.62	348.92	9463.78
2.	तकनीकी शिक्षा	22203	452.18	555.09	93.18	1100.45
3.	खेल एवं युवा सेवाएं	22204	190.00	263.00	20.90	473.90
4.	कला व संस्कृति	22205	163.00	161.40	18.37	342.77
5.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	22210	1218.13	3156.07	361.93	4736.13
6.	परिवार कल्याण	22211	2920.00	0.00	0.00	2920.00
7.	जलापूर्ति व सफाई	22215	2045.15	5378.44	432.41	7856.00
8.	आवास	22216	3153.71	1912.35	64.16	5130.22
9.	शहरी विकास	22217	1274.75	2816.15	535.11	4626.01
10.	सूचना एवं प्रचार	22220	55.86	59.66	4.41	119.93
11.	प्रसारण	22221	513.52	0.00	0.00	513.52
12.	अनु. जाति/ जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	1095.98	2424.58	27.73	3548.29

अध्याय 3 : योजना कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय

संलग्नक 3.2.7 (जारी)

विकास शीर्षवार योजना परिव्यय, 1999-2000 : केंद्र,
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विकास शीर्ष		केंद्र	राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	जोड़
13.	श्रम एवं रोजगार	22230	130.07	299.00	14.05	443.12
14.	सामाजिक सुरक्षा व कल्याण	22235	2331.25	695.00	45.65	3071.90
15.	पोषाहार	22236	3.25	706.03	39.93	749.21
16.	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	22251	4.78	0.00	0.00	4.78
17.	अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	1.00	52.76	0.06	53.82
18.	पूर्वोत्तर	22552	0.00	0.00	0	0
ठ.	सामान्य सेवाएं		280.95	2146.49	141.18	2568.62
1.	न्याय प्रशासन	32014	71.00	0.00	0.00	71.00
2.	मुद्रा, सिक्का ढलाई एवं टकसाल	32046	33.00	0.00	0.00	33.00
3.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	32047	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	सचिवालय - सामान्य सेवाएं	32052	1.83	0.00	0.00	1.83
5.	पुलिस	32055	117.00	0.00	0.00	117.00
6.	जेलें	32056	7.00	28.18	19.12	54.30
7.	आपूर्तियां एवं निपटान	32057	0.20	0.00	0.00	0.20
8.	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	32058	0.25	22.26	2.10	24.61
9.	सार्वजनिक निर्माण	32059	29.00	502.60	64.55	596.15
10.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	21.67	1593.45	55.41	1670.53
	कुल जोड़		103520.93	84738.36	4003.60	192262.89

अध्याय 4 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

4.1 ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन – कार्यक्रम और कार्यनीतियां

गरीबी उन्मूलन आज भी सरकार के सम्मुख एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पिछले दो दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में लगातार कमी आई है। नवीनतम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार 1993-94 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 244 मिलियन (ग्रामीण जनसंख्या का 37 प्रतिशत) ग्रामीण गरीब थे। रोजगार प्रधान क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके आर्थिक विकास में तेजी आने से दीर्घकालिक रूप में गरीबी समाप्त करने में मदद मिलती है। परंतु इस कार्य नीति के साथ-साथ लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बुनियादी सेवाएं प्रदान करने और लक्ष्यगत गरीबी रोधी कार्यक्रमों के रूप में राज्य के सीधे हस्तक्षेत्र की भी आवश्यकता होती है। इसमें मुख्य कारक तो विकास ही रहेगा किंतु गरीबी रोधी कार्यक्रम विकास-कार्यों के अनुपूरक होते हैं और कंगाली, रोजगार और आमदनियों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव तथा सामाजिक असुरक्षा से गरीबों को बचाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार तथा मजदूरी वाले रोजगार दोनों के अवसर पैदा करने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए गरीबी-रोधी कार्यक्रमों को 1999-2000 में फिर से तैयार और पुनर्गठित किया गया है ताकि गरीबों के लिए उनकी उपादेयता प्रभाव में वृद्धि हो और उनकी सम्पोषणीयता में सुधार हो। क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, ग्रामीण आवास, भूमि-सुधार और वितरण के संस्थागत तंत्र के साथ-साथ इन स्कीमों पर नीचे संक्षेप में चर्चा की गई है।

स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एस जी एस वाई)

2. 1.4.1999 से शुरू किया गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एस जी एस वाई) क अकेला स्व रोजगार कार्यक्रम दस लाख कूओं की स्कीम (एम डब्ल्यू एस) के साथ-साथ एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) तथा अन्य सम्बद्ध कार्यक्रमों के गुण-दोषों को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है। इसे नया रूप देने का उद्देश इस कार्यक्रम को लघु (माइक्रो) उद्यमों के जरिए स्थाई आमदनी की व्यवस्था करने के लिए अधिक कारगर बनाना था। एस जी एस वाई में निम्नलिखित पर बल दिया गया है :

- गरीबी कम करने पर ध्यान केन्द्रित करने का दृष्टिकोण।
- सामूहिक उधार के फायदों का लाभ उठाना।
- कार्यक्रमों की बहुलता जुड़ी समस्याओं को दूर करना।

3. एस जी एस वाई की अति लघु (माइक्रो) उद्यमों के एक सम्पूर्ण कार्यक्रम के रूप में कल्पना की गई है। जिसमें स्वरोजगार के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, अर्थात् ग्रामीण निर्धनों को स्व-सहायता समूहों (एस एच जी) में संगठित करना तथा उनकी क्षमता निर्माण, क्रियाकलाप के समूहों की योजना बनाना, आधारिक संरचना का निर्माण, प्रौद्योगिकी, ऋण और विपणन, ग्रामीण क्षेत्रों में अति सूक्ष्म उद्यमों को ग्रामीण निर्धनों की संभावित क्षमता का निर्माण करके स्थापित किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मौजूदा गरीब परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है।

4. एस. जी. एस. वाई. के अंतर्गत, ग्रामीण निर्धनों में से कमजोर वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिनमें से 50 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के, 40 प्रतिशत महिलाएं और 3 प्रतिशत लाभग्राही अपंग व्यक्ति हैं। बी. पी. एल. जनगणना के जरिए अभिज्ञात और ग्राम सभा द्वारा विधिवत अनुमोदित बी पी एल परिवारों की सूची एस जी एस वाई के तहत परिवारों को मिलने वाली सहायता का आधार है। लाभग्राही (जिन्हें स्वरोजगारी भी कहते हैं) अलग-अलग व्यक्ति या समूह हो सकते हैं। अलग-अलग लाभग्राहियों की पहचान तो सहभागितापूर्ण कार्यपद्धति से की जाती है, लेकिन यह कार्यक्रम गरीबों के स्व-सहायता समूहों (एस एच जी) में संगठित होने तथा उनकी क्षमता के निर्माण पर जोर देता है। एस एच जी में 10 से ले कर 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। लघु सिंचाई और अशक्त व्यक्तियों के मामले में न्यूनतम संख्या 5 व्यक्तियों की है। इस स्कीम के तहत अधिकांश धनराशि उत्तरोत्तर स्व-सहायता समूहों के लिए दी जाएगी। सामूहिक क्रियाकलापों के लिए सफलता के बेहतर अवसर होते हैं, क्योंकि इनके लिए समर्थन सहायता देना और बाजारों से संपर्क की व्यवस्था करना अपेक्षाकृत आसान होता है। प्रत्येक एस एच जी में महिलाओं को शामिल करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है और ब्लाक स्तर पर यह निर्दिष्ट किया जाता है कि कम से कम आधे समूह पूर्णतया महिलाओं के समूह होंगे, स्व-सहायता समूहों (एस एच जी) के लिए आवर्ती (रिवाल्विंग) निधि की व्यवस्था करने के लिए डी आर डी ए, एस, जी एस वाई के तहत किए गए आबंटन की 10 प्रतिशत राशि इस्तेमाल कर सकते हैं।

5. एस जी एस वाई के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में अति लघु उद्यम, 'समूह (क्लस्टर)' दृष्टिकोण पर बल देते हुए स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक में संसाधन सम्पन्नता, लोगों के व्यावसायिक कौशलों तथा बाजारों की उपलब्धता के आधार पर चार से पांच, मुख्य क्रियाकलाप निर्धारित किए जाने हैं और बेहतर वही होता है कि इन क्रियाकलापों को समूहों में क्रियान्वित किया जाए ताकि पश्चवर्ती और अग्रवर्ती संयोजन (लिकेज) कारगर ढंग से स्थापित किए जा सकें। मुख्य क्रियाकलापों का चयन ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति द्वारा और जिला स्तर पर डी आर डी ए, जिला परिषद् के अनुमोदन से करना होता है। एस जी एस वाई एक परियोजनागत दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें प्रत्येक मुख्य क्रियाकलाप के लिए परियोजना रिपोर्टें, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से तैयार की जाती हैं। ऐसा प्रस्ताव है कि एस जी एस वाई सहायता का बड़ा हिस्सा सामूहिक क्रियाकलापों के लिए होगा।

6. एस जी एस वाई एक उधार सह-सब्सिडी कार्यक्रम है जिसमें उधार एक महत्वपूर्ण संघटक है और आर्थिक सहायता (सब्सिडी) एक मामूली तथा समर्थकारी तत्व है। तदनुसार, एस जी एस वाई में एक बार कर्ज देने की बजाय बैंकों की अपेक्षाकृत अधिक सहभागिता और अनेक बार कर्ज को बढ़ावा देने की कल्पना की गई है। एस जी एस वाई के तहत सब्सिडी परियोजना लागत के 30 प्रतिशत तक प्रदान की जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 7500 रुपये है। अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के मामले में, यह सहायता 50 प्रतिशत तक होती है जिसकी अधिकतम सीमा 10000 रुपये है। समूहों के लिए सब्सिडी 50 प्रतिशत है, जिसकी अधिकतम सीमा 1.25 लाख रुपये है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए सब्सिडी की कोई मौद्रिक सीमा नहीं है। एस जी एस वाई के तहत सब्सिडी पिछले सिरे (बैंक एंडेड) तक दी जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लक्ष्यगत समूह ने निधियों का उचित उपयोग किया है।

7. अति लघु उद्यमों की सफलता के लिए उचित आधारिक संरचना का होना नितांत आवश्यक है इसलिए इस प्रयोजन से प्रत्येक जिले के वास्ते एस जी एस वाई के आबंटन की 20 प्रतिशत राशि (उत्तर पूर्वी राज्यों के मामले में 25 प्रतिशत) एस जी एस वाई आधारिक संरचना निधि के अधीन अलग रखी जाएगी।

8. एस जी एस वाई में अच्छी तरह से तैयार किए गए पाठ्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास पर बल दिया गया है। इसलिए डी आर डी ए को एस जी एस वाई आबंटन की 10 प्रतिशत राशि एस जी एस वाई प्रशिक्षण निधि के रूप में रखी जाने वाली निधि के लिए अलग रखने की अनुमति दी गई है। जिसका उपयोग स्वरोजगारियों के स्थिति-निर्धारण और प्रशिक्षण दोनों प्रकार के कार्यक्रम उपलब्ध करने के लिए किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए बहु शिल्प विद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, खादी और ग्राम उद्योग बोर्डों, राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों की प्रशिक्षण संविधाएं उपलब्ध हैं। इस कार्यक्रम में अभिज्ञात-क्रियाकलाप समूहों में प्रौद्योगिकी का उन्नयन सुनिश्चित करने और वस्तुओं की बाजार में बिक्री को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव है।

9. एस जी एस वाई की निधियों में से 15 प्रतिशत, निधियां, राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसी दूरगामी महत्व की परियोजनाओं के लिए अलग रखी जाती हैं जिन्हें अन्य विभागों अथवा अर्धसरकारी अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिल कर शुरू करना होता है।

10. एस जी एस वाई पंचायत समितियों के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी आर डी ए) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। परंतु आयोजन, कार्यान्वयन और मानीटरिंग प्रक्रिया में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों तथा जिले की तकनीकी संस्थाओं के साथ समन्वय करना भी शामिल होता है। इसलिए, एस जी एस वाई के कार्यान्वयन में विभिन्न एजेंसियों के एकीकरण की आवश्यकता होती है जैसे कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां, बैंक, लाइन विभाग, पंचायती राज संस्थाएं (पी आर आई), गैर सरकारी संगठन (एन जी ओ) और अन्य गैर-सरकारी संगठन।

11. एस जी एस वाई के अंतर्गत धनराशि केंद्र और राज्यों द्वारा 75:25 के अनुपात में दी जाती है। केन्द्रीय आबंटन, राज्यों में गरीबी की मात्रा के आधार पर वितरित किया जाता है। तथापि, अवशोषण क्षमता और विशेष आवश्यकताओं, जैसे अन्य प्राचलों (पैरामीटरों) पर भी विचार किया जा सकता है।

12. वर्ष 1999-2000, एस जी एस वाई के कार्यान्वयन का प्रथम वर्ष था। इसलिए इस स्कीम का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए तैयारी और योजना बनाने संबंधी बहुत से विस्तृत कार्य किए गए। कार्यक्रम के मार्ग निर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकारों, बैंकों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विचार मांगे गए/ उनके साथ विचार विमर्श किए गए।

13. कई राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि स्व-सहायता समूहों (एस एच जी) का गठन करने में काफी समय लग गया और वर्ष 1999-2000 में इस स्कीम के तहत प्रत्याशित कार्य-निष्पादन में कमी रहने का यह एक प्रमुख कारण है। परंतु आने वाले वर्षों में एस एच जी की स्थापना में गति आएगी और इनसे गरीबी रेखा के नीचे (बी पी एल) के परिवारों के आर्थिक सबलीकरण के माध्यमों के रूप में अति लघु उद्यमों की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

14. 1999-2000 में (फरवरी, 2000 तक) इस स्कीम के तहत नियत की गई कुल 1467.73 करोड़ रुपये राशि की तुलना में 804.23 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस अवधि के दौरान 3.40 लाख स्व-सहायता समूहों को सहायता दी गई। वर्ष 2000-01 में इस स्कीम के लिए 1000.00 करोड़ रुपये का केंद्रीय परिव्यय निर्धारित किया गया है।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे जी एस वाई)

15. ग्रामीण आधारिक संरचना के निर्माण में तेजी लाने के लिए जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) को 1.4.1999 से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे जी एस वाई) के रूप में नया रूप दिया गया है। जे आर वाई के परिणामस्वरूप टिकाऊ परिसम्पत्तियों का निर्माण हुआ, जबकि इस कार्यक्रम की अधिभावी प्राथमिकता मजदूरी वाले रोजगार के अवसर पैदा करना था। यह महसूस किया गया कि एक ऐसी अवस्था आ गई है जब ग्रामीण आधारिक संरचना के निर्माण को योजनाबद्ध तरीके से हाथ में लेना होगा और इसे प्राथमिकता देनी होगी। ग्राम पंचायतें अपनी आधारिक संरचना संबंधी आवश्यकताओं को कारगर ढंग से निर्धारित कर सकती हैं और कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंपी गई है। डी आर डी ए/ जिला परिषदों द्वारा धन राशियां सीधे ग्राम पंचायतों को जारी की जाती हैं। जे जी एस वाई, एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित की जाती है, जिसकी वित्त व्यवस्था केन्द्र और राज्यों द्वारा 75:25 के अनुपात में की जाती है।

16. जे जी एस वाई का मुख्य उद्देश्य, ग्राम स्तर पर टिकाऊ परिसम्पत्तियों सहित मांग पर आधारित सामुदायिक ग्राम आधारिक संरचना का निर्माण और ऐसी परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण निर्धनों को लगातार रोजगार के अवसर बढ़ाने के योग्य बना सके। इसका दूसरा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार गरीबों के लिए पूरक रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस कार्यक्रम के तहत मजदूरी वाला रोजगार गरीबी के रेखा से नीचे (बी पी एल) के परिवारों को दिया जाता है।

17. हालांकि जे जी एस वाई के तहत, संसाधनों का क्षेत्रक वार आबंटन नहीं किया जाता, किन्तु वार्षिक आबंटन की 22.5 प्रतिशत राशि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए वैयक्तिक लाभग्राही स्कीमों पर अवश्य खर्च की जानी चाहिए और तीन प्रतिशत राशि का उपयोग अशक्त लोगों के लिए अवरोधमुक्त (बैरियर फ्री) आधारिक संरचना के निर्माण पर किया जाना चाहिए। जिन निर्माण कार्यों के परिणामस्वरूप चिर-स्थायी उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों की स्थापना होती हो, ऐसे सभी कार्यक्रम ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्र/ लोगों की अनुभूत आवश्यकताओं के अनुसार शुरू किये जा सकते हैं। इनमें ये शामिल हैं— अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों के लिए आधारिक संरचना का निर्माण, एस जी एस वाई के लिए आधारिक संरचनागत सहायता, गांव में कृषि क्रियाकलापों की सहायता के लिए अपेक्षित आधारिक संरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक आधारिक संरचना, सड़कें और अन्य सामाजिक, आर्थिक और भौतिक आधारिक संरचना।

18. इस कार्यक्रम के तहत मजदूरियां या तो राज्यों द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरियां हैं अथवा निर्धारित कार्यविधि के जरिए राज्यों द्वारा यथा निर्धारित उच्चतर मजदूरियां हैं। 60:40 के मजदूरी सामग्री अनुपात में समुचित ढील दी जाती है ताकि मांग पर आधारित ग्रामीण आधारिक संरचना का निर्माण हो सके। परन्तु यह सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाने चाहिए कि कम लागत वाली स्थायी प्रौद्योगिकी के साथ श्रम प्रधान कार्य हाथ में लिये जा सकें।

19. इस कार्यक्रम के तहत, ग्राम पंचायतों को वार्षिक कार्य योजना तैयार करने और इसके कार्यान्वयन का एकमात्र प्राधिकार है, जिस पर ग्राम सभा की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ग्राम सभा को स्कीमों/निर्माण कार्य अनुमोदित करने का अधिकार है। नए निर्माण कार्यों की तुलना में अधूरे कार्यों को पूरा करने को प्राथमिकता देनी होती है और जिन निर्माण कार्यों को दो वित्तीय वर्षों में पूरा नहीं किया जा सकता हो उन्हें शामिल नहीं किया जाता। ग्राम

स्तर पर, कार्यक्रम के समन्वय, समीक्षा, पर्यवेक्षण और मानिट्रिंग संबंधी समूचे काम की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा के अनुमोदन से 50,000 रुपए तक के निर्माण कार्यों / स्कीमों को निष्पादित करने की शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त ग्राम सभा सामाजिक लेखापरीक्षा भी करेगी। शुरू किए गए निर्माण कार्यों / स्कीमों पर नजर रखने और उनका पर्यवेक्षण करने के लिए ग्राम स्तर पर मानिट्रिंग और सतर्कता समितियां भी स्थापित की जाती हैं, इस कार्यक्रम के मार्गदर्शन, समन्वय, पर्यवेक्षण, आवधिक रिपोर्टें देने और इसके कार्यान्वयन को मानीटर करने की समग्र जिम्मेदारी जिला स्तर पर डी आर डी ए / जिला परिषदों तथा मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समितियों की है।

20. ग्राम पंचायतें एक वर्ष के दौरान प्रशासनिक आकस्मिक मदों पर और तकनीकी परामर्श के लिए निधियों की अधिक से अधिक 7.5 प्रतिशत राशि अथवा 7500/- रुपये, इनमें से जो भी कम हो, खर्च कर सकती हैं। ग्राम पंचायत को अपनी भौगोलिक सीमाओं के भीतर स्थापित की गई सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के रख रखाव पर अधिकतम 15 प्रतिशत राशि खर्च करने की अनुमति है। जे जी एस वाई के तहत पूरी निधियों का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा, इसलिए अभिनव जे आर वाई बंद कर दी गई है।

21. जे जी एस वाई का मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन से बदल कर ग्रामीण आधारीक संरचना हो गया है। इसलिए राज्यों को रोजगार सृजन के स्थान पर शुरू किए गए / पूरे किए गए निर्माण कार्यों की संख्या के नए मानिट्रिंग पैरामीटरों के अनुसार अपनी मानिट्रिंग व्यवस्था को समायोजित करने में समय लगा है। 1999-2000 के दौरान, 8.57 लाख निर्माण कार्यों के लक्ष्य की तुलना में 5.84 लाख निर्माण कार्य पूरे किए गए। 2209.24 करोड़ रुपए के कुल आबंटन की तुलना में वर्ष 1999-2000 के दौरान 1841.80 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वर्ष 2000-01 में जे जी एस वाई के लिए 1650.00 करोड़ रुपए का केन्द्रीय परिव्यय नियत किया गया है।

रोजगार आश्वासन स्कीम (ई. ए. एस)

22. रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस) 2 अक्टूबर, 1993 को 257 जिलों के 1772 ऐसे अभिज्ञात पिछड़े ब्लॉकों में आरम्भ की गई थी जो सूखा-प्रभाव, मरुस्थली, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित थे और जहां पर नवीनीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आर पी डी एस) लागू थी। इसके बाद यह कार्यक्रम और ब्लॉकों तक बढ़ाया दिया गया और तत्पश्चात इसे सर्वव्यापी बना दिया गया। इस समय यह कार्यक्रम देश के सभी 5448 ग्रामीण ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। ई ए एस को एकल मजदूरी - रोजगार वाला कार्यक्रम बनाने के लिए 1999-2000 से इसे फिर से तैयार किया गया। जबकि बुनियादी पैरामीटर तो वही रखे गए हैं, किन्तु यह स्कीम मांग पर आधारित होने की बजाए एक आबंटनकारी स्कीम बन गई है और राज्यों को एक नियत वार्षिक परिव्यय उपलब्ध किया जाएगा। यह कार्यक्रम केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के लागत विभाजन अनुपात पर कार्यान्वित किया जाता है।

23. ई ए एस का मुख्य उद्देश्य, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण निर्धनों के लिए मजदूरीयुक्त रोजगार की भी कमी वाली अवधि के दौरान शारीरिक कार्य के जरिए मजदूरी वाले रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करना है। दूसरा उद्देश्य स्थाई रोजगार और विकास के लिए टिकाऊ सामुदायिक सामाजिक और आर्थिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है। ई ए एस गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सभी जरूरतमंद ग्रामीण निर्धनों के लिए खुली है। प्रति परिवार अधिक से अधिक दो व्यक्तों को मजदूरी वाला रोजगार प्रदान किया जाता है। रोजगार

प्रदान करते समय, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और जोखिम वाले व्यवसायों से निकाले गए बाल श्रमिकों के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे माता पिता को वरीयता दी जाती है।

24. यह कार्यक्रम जिला परिषदों के माध्यमों से (जहां जिला परिषदें मौजूद न हों वहां डी आर डी ए के माध्यम से) कार्यान्वित किया जाता है। निर्माण कार्यों की सूची को संसद सदस्यों से परामर्श करके अंतिम रूप दिया जाता है। जिन क्षेत्रों में निर्माण कार्यों का चयन करने के लिए जिला परिषदों का गठन किया गया हो उन क्षेत्रों में इस स्कीम के तहत शुरू किए गए निर्माण कार्यों की विस्तृत सूचना ग्राम सभाओं को दी जाती है। ई ए एस देश भर में जिला / पंचायत समिति स्तर पर चल रही है, किन्तु निर्माण कार्य केवल उन्ही पंचायत समितियों / जिलों में शुरू किये जाएंगे जहां मजदूरी-युक्त रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने की आवश्यकता हो। प्रत्येक जिले के लिए आबंटित की गई 70 प्रतिशत निधियां पंचायत समितियों के लिए नियत की जाती हैं और 30 प्रतिशत निधियां जिला स्तर पर आरक्षित की जाती हैं और इनका उपयोग ऐसे क्षेत्रों में करना होता है जो स्थानिक श्रमिकों के बहिर्गमन से पीड़ित हों / संत्रस्त क्षेत्र हो। निधियों का उपयोग एक जिले से दूसरे जिले या एक पंचायत से दूसरी पंचायत में किये जाने की इजाजत नहीं है। यदि मजदूरी-युक्त रोजगार की मांग किसी अन्य योजनागत या योजनेतर निर्माण कार्यों से पूरी की जा सकती हो तो ई ए एस के अधीन निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया जाएगा। इस स्कीम के तहत उत्पादक स्वरूप के केवल वही श्रम प्रधान निर्माण कार्य शुरू किये जाएंगे जिनसे टिकाऊ परिसम्पत्तियों का निर्माण होता है। 80 प्रतिशत निधियां जिलों को सामान्य कार्य विधि के अनुसार जारी की जाती हैं और शेष 20 प्रतिशत निधियां प्रोत्साहन के रूप में तभी जारी की जाएंगी जब राज्यों ने निर्वाचित और अधिकार प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं (पी आर आई) की स्थापना कर ली हो।

25. भूमि संरक्षण और आर्द्रता संरक्षण संबंधी निर्माण कार्यों, लघु सिंचाई, पेय जल स्रोतों को नवजीवन प्रदान करने और भूगत जल में वृद्धि करने, पारंपरिक जल संग्रह संरचनाओं, जल-विभाजन (वाटर शेड) स्कीमों संबंधी निर्माण कार्यों (जल-विभाजन विकास नहीं), गांवों को दूसरे गांवों ग्राम मुख्यालय के साथ जोड़ने वाली, ग्रामीण सड़कों के निर्माण और गांवों को कृषि क्षेत्रों के साथ जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण, जल निकासी संबंधी निर्माण कार्यों तथा वानिकी को प्राथमिकता दी जाएगी।

26. जिला परिषदों/ पंचायत समितियों को अधिक से अधिक 15 प्रतिशत निधियां इस स्कीम के तहत सृजित परिसंपत्तियों के रख-रखाव पर खर्च करने की इजाजत है।

27. सहकारी समितियों, बाजार समितियों अथवा अन्य संस्थानों/ विभागों जैसे अन्य स्रोतों से उपलब्ध धनराशियों को इसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए ई ए एस निधियों के साथ मिलाया जा सकता है।

28. 60:40 के मजदूरी सामग्री अनुपात को पूरी तरह से लागू किया जाना जरूरी है और इस प्रयोजन के लिए विचारार्थ इकाई ब्लॉक ही होगा। मजदूरी का भुगतान राज्यों द्वारा नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरों पर किया जाएगा और कुशल व्यक्तियों को कुल मजदूरी संघटक के 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त भुगतान किया जा सकता है।

29. 1999-2000 के दौरान ई ए एस के अधीन कुल 2431.46 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया और 1998.26 करोड़ रुपये खर्च किए गए। 4091.63 लाख कार्य दिवसों के लक्ष्य की तुलना

में 2566.39 लाख श्रम दिवसों के बराबर रोजगार का सृजन किया गया। वर्ष 2000-01 के लिए 1300.00 करोड़ रुपये का केंद्रीय परिव्यय निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन एस ए पी)

30. एन एस ए पी, 100 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 से आरंभ किया गया था जिसका उद्देश्य वृद्धावस्था, परिवार के रोजी-रोटी कमाने वाले प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु होने तथा प्रसूति के मामले में निर्धन परिवारों के हित लाभ के लिए सामाजिक सहायता प्रदान करना है। यह संविधान के अनुच्छेद 41 तथा 42 के मार्गदर्शी सिद्धांतों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का पूरक है जिसका उद्देश्य कल्याण का न्यूनतम राष्ट्रीय स्तर सुनिश्चित करना है और केंद्रीय सहायता उस हितलाभ के अतिरिक्त है, जो राज्य सामाजिक सुरक्षा स्कीमों पर पहले से प्रदान कर रहे हैं या भविष्य में प्रदान कर सकते हैं। केंद्रीय सहायता उपलब्ध करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाभग्राहियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा एक समान उपलब्ध हो।

31. एन एस ए पी के तीन संघटकों अर्थात् (1) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (एन ओ ए पी एस) (2) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम (एन एफ बी एस) तथा (3) राष्ट्रीय प्रसूति लाभ स्कीम (एन एम बी एम) की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

एन ओ ए पी एस

32. प्रति लाभग्राही 75/- रुपये प्रतिमास वृद्धावस्था पेंशन 65 वर्ष और इससे अधिक आयु के उस व्यक्ति को दी जाती है जो इस दृष्टि से निस्सहाय हो कि उसके अपने आय के स्रोतों से अथवा परिवार के सदस्यों या अन्य स्रोतों से निर्वाह के बहुत कम या नियमित साधन न हों। लाभग्राही का निर्धारण करने के लिए यदि वर्तमान में कोई मानदंड राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में लागू हो तो उसे भी अपनाया जा सकता है।

एन एफ बी एस

33. प्राकृतिक कारणों से अथवा दुर्घटना के कारण रोजी-रोटी कमाने वाले मुख्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इस पारिवारिक लाभ का भुगतान दिवंगत व्यक्ति के परिवार के उस उत्तरजीवी सदस्य को किया जाता है, जिसे स्थानीय जांच के बाद परिवार का मुखिया निर्धारित किया जाए। रोजी-रोटी कमाने वाले वाले मुख्य व्यक्ति की परिभाषा ऐसे सदस्य के रूप में की गई है जिसकी आजीविका का पारिवारिक आय में बड़ा योगदान हो और जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 65 वर्ष से कम हो। शोक संतप्त परिवार भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे का परिवार होना चाहिए।

एन एम बी एस

34. गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की गर्भवती महिलाओं को पहले दो जीवित बच्चों को जन्म देने तक 500 रुपये की एक मुश्त नकद सहायता प्रदान की जाती है बशर्ते कि उनकी आयु 19 वर्ष और इससे अधिक हो। मातृत्व-लाभ प्रसूति से 12-8 सप्ताह पूर्व एक किस्त में संवितरित

किया जाता है। विलंब होने पर यह लाभग्राही को बच्चे के जन्म के बाद भी संवितरित किया जा सकता है।

35. एन एल एस पी का क्रियान्वयन पंचायतों तथा नगरपालिका के पदधारियों की सहायता से राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जाता है। इस स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में एक नोडल विभाग निर्धारित है। जिलों में एन एस ए पी के बारे में जिला स्तरीय समितियां हैं।

36. एन एस ए पी के अधीन लाभग्राहियों की पहचान करने में ग्राम पंचायतों/ नगरपालिकाओं की सक्रिय भूमिका होती है। राज्य सरकारें एन एस ए पी के तीन संघटकों के लक्ष्य पंचायतों/ नगरपालिकाओं को सूचित करती हैं ताकि ग्राम पंचायतें/ पड़ोसी/ मोहल्ला समितियां इन लक्ष्यों के अनुरूप लाभग्राहियों की ठीक तरह से पहचान कर सकें। नकद संवितरणों के मामले में भुगतान ग्रामों में अधिकतर ग्राम सभा की सार्वजनिक सभाओं में और शहरी क्षेत्रों में पड़ोसी/ मोहल्ला समितियों की बैठकों में किए जाने होते हैं। एन एस ए पी के बारे में और इसके अधीन लाभ प्राप्त करने की कार्यविधियों की सूचना देने के लिए पंचायतें/ नगरपालिकाएं जिम्मेदार होती हैं। इस काम में लाभग्राहियों की पहचान करने के लिए और उन्हें उनके लिए अभिप्रेत हितलाभ प्राप्त करने में राजी करने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की यथासंभव सीमा तक सहभागिता/ सहयोग प्राप्त करने के लिए पंचायतों और नगरपालिकाओं को प्रोत्साहित किया जाता है।

37. एन एस ए पी सामाजिक सहायता के पैकेजों को गरीबी-रोधी कार्यक्रमों और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की स्कीमों के साथ जोड़ने के अवसर भी प्रदान करता है, उदाहरणार्थ, वृद्धावस्था पेंशन को स्वास्थ्य की देखभाल और वृद्धों और गरीब लोगों के अन्य हितलाभों के साथ जोड़ा जा सकता है। पारिवारिक लाभ प्राप्त करने वालों की सहायता एस जी एस वाई के तहत की जा सकती है जबकि प्रसूति सहायता को मातृ और बाल कल्याण कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जा सकता है।

38. 1999-2000 के दौरान एन एस ए पी के अधीन किए गए 767.05 करोड़ रुपये के आबंटन की तुलना में दिसंबर 1999 तक 596.99 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। 2000-01 में इस स्कीम के लिए 715.00 करोड़ रुपये का केंद्रीय आबंटन नियत किया गया है।

अन्नपूर्णा

39. वर्ष 1999-2000 में, सरकार ने "अन्नपूर्णा" नामक एक नई योजना आरंभ करने की घोषणा की थी जिसका उद्देश्य ऐसे निर्धन वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करना था जो लक्ष्यगत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नहीं आते और जिनकी न तो कोई अपनी आमदनी है और न ही गांव में उनकी देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति है। "अन्नपूर्णा" स्कीम के तहत ऐसे सभी व्यक्तियों को जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं, किंतु जिन्हें इस समय पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है तथा जिनके बच्चे उसी गांव में नहीं रहते हैं, निःशुल्क दस कि. ग्राम खाद्यान्न प्रति मास प्राप्त होगा। व्यापक रूप से प्रचार करने के बाद, ग्राम पंचायतें ऐसे व्यक्तियों का पता लगाएंगी तथा उनकी सूची तैयार व प्रदर्शित करेंगी। वर्ष 2000-01 में स्कीम के वास्ते 100 करोड़ रुपये का केंद्रीय आबंटन निश्चित किया गया है।

डी आर डी ए प्रशासन

40. विभिन्न गरीबी रोधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी आर डी ए) पारंपरिक तौर पर मुख्य साधक रही हैं। 1980 में इसकी स्थापना के समय से ले कर डी आर डी ए की प्रशासनिक लागतों को प्रत्येक कार्यक्रम के लिए किए गए आबंटन का एक हिस्सा अलग रख कर पूरा किया जाता था। परंतु पिछले कई वर्षों में गरीबी कम करने के नये कार्यक्रम तो शुरू किए गए, किंतु प्रशासनिक लागतों के संदर्भ में इन कार्यक्रमों के बीच एकरूपता नहीं थी और यह देखा गया कि डी आर डी ए के लिए उपलब्ध राशि न्यूनतम लागतों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी।

41. विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन अनुमति प्राप्त प्रशासनिक लागतों के लिए सहायता की समीक्षा के लिए गठित अंतर-मंत्रालय समिति की सिफारिशों के आधार पर और गरीबी रोधी प्रयासों को समन्वित करने के लिए जिला स्तर पर एक कारगर एजेंसी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, डी आर डी ए प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए 1 अप्रैल 1999 से एक नई केंद्र प्रायोजित स्कीम शुरू की गई जिसका वित्तपोषण केन्द्र और राज्यों द्वारा 75:25 के आधार पर किया जाता है। इस कार्यक्रम के अधीन, प्रति जिला प्रशासनिक लागत नीचे दिए अनुसार नियत की गई है जो कि 1999-2000 से लागू है :

श्रेणी 'क' जिला (6 ब्लॉकों से कम)	46.00 लाख रुपये
श्रेणी 'ख' जिला (6-10 ब्लॉक)	57.00 लाख रुपये
श्रेणी 'ग' जिला (11-15 ब्लॉक)	65.00 लाख रुपये
श्रेणी 'घ' जिला (15 ब्लॉकों से अधिक)	67.00 लाख रुपये

42. परंतु मुद्रास्फीति आदि के कारण लागत में होने वाली वृद्धि को पूरा करने के लिए अधिकतम सीमा में हर वर्ष 5 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है।

43. इस कार्यक्रम के तहत, यह कल्पना की गई है कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी-रोधी-कार्यक्रमों का प्रबंध करने के लिए एक विशेषज्ञ प्राप्त एजेंसी के रूप में उभरेंगी, जिनका उद्देश्य जिले में गरीबी का उन्मूलन करना होगा। हालांकि विभिन्न कार्यक्रमों का वास्तविक निष्पादन डी आर डी ए की परिधि से बाहर है, किंतु इसकी भूमिका कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सहज बनाना, प्रगति पर नजर रखना, पर्यवेक्षण करना तथा प्रगति रिपोर्टें प्राप्त करना और भेजना और धनराशियों का हिसाब रखना है। डी आर डी एजेंसियों को विभिन्न एजेंसियों के बीच सहक्रियाएं निर्मित करने की क्षमता विकसित करने का काम भी सौंपा गया है ताकि प्रभावकारी परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

44. यह कल्पना की गई है कि प्रत्येक जिले की अपनी डी आर डी ए होनी चाहिए और जिन राज्यों में डी आर डी एजेंसियों की अलग पहचान नहीं है, उनमें लेखे रखने के लिए जिला परिषदों में एक एक अलग कक्ष स्थापित किया जाएगा। परंतु यह निर्दिष्ट किया गया है कि जिला परिषद् का अध्यक्ष डी आर डी ए के शासी निकाय का अध्यक्ष होगा। वर्ष 2000-2001 के दौरान डी आर डी ए प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए 220.00 करोड़ रुपये का परिव्यय आबंटित किया गया है।

ग्रामीण आवास— इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई)

45. नौवीं योजना में, सामाजिक आधारिक संरचना संबंधी विशेष कार्य योजना में 'आवास' को एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना और 20 लाख अतिरिक्त रिहायशी इकाइयों का निर्माण सहज बनाना है, जिनमें से 13 लाख रिहायशी इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जाएंगी। नौवीं योजना की मिली जुली आवास कार्यनीति एक बहुमुखी कार्यनीति है जो 1999-2000 से लागू की गई है। कार्य योजना के तहत इस कार्यनीति की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं।

46. इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई), गरीबों को मुफ्त दिए जाने वाले मकानों के निर्माण की एक प्रमुख स्कीम के रूप में जारी रहेगी। परंतु इसमें एक अतिरिक्त घटक जोड़ दिया गया है, अर्थात् मरम्मत योग्य न रहे कच्चे मकानों को अर्ध-पक्के मकानों में बदलना। 1999-2000 से, आई ए वाई के अधीन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित की जाने वाली निधियों का मानदंड बदल कर राज्य में 50 प्रतिशत गरीबी का अनुपात और 50 प्रतिशत आवास में कमी, कर दिया गया है। इसी प्रकार, राज्य में किसी जिले को निधियां आबंटित करने का मानदंड बदल कर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या और आवास की कमी कर दिया गया है जिनमें से दोनों को बराबर का भारांश दिया जाएगा।

47. ग्रामीण आवास के लिए 1.4.1999 से उधार एवं सब्सिडी की एक स्कीम शुरू की गई है, जिसमें किसी ऐसे ग्रामीण परिवार को लक्ष्य बनाया जाएगा जिसकी वार्षिक आय 32,000 रुपये तक हो। सब्सिडी का हिस्सा 10,000 रुपये तक और कर्ज की राशि 40,000/- रुपये तक सीमित होगी। कर्ज वाला अंश वाणिज्यिक बैंकों, आवास वित्त संस्थाओं, आदि द्वारा संवितरित किया जाएगा।

48. आवास वित्त की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ाने के लिए आवास, और शहरी विकास निगम (हुडको) को ग्रामीण विकास मंत्रालय से मिलने वाली ईक्विटी सहायता में वृद्धि कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में भवन/ आवास सेक्टरों में अभिनव, किफायती और पर्यावरण अनुकूल समाधानों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण आवास और प्राकृतिक वास विकास तथा ग्रामीण भवन केंद्रों (आर बी सी) की एक अभिनव स्कीम शुरू की गई है।

49. ग्रामीण आवास और प्राकृतिक वास के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया गया है, जो 'आवास की कमी' और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास/ निर्माण सेक्टर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी निविष्टियां शामिल करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान देगा।

50. समग्र आवास योजना नामक एक व्यापक आवास स्कीम वर्ष 1999-2000 में 24 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के 25 जिलों में से प्रत्येक जिले के एक ब्लॉक में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य आवास, सफाई और पेय जल की एकीकृत व्यवस्था सुनिश्चित करना था। इसका उद्देश्य मौजूदा ग्रामीण आवास, सफाई और जल आपूर्ति स्कीमों को एक साथ मिलाने की व्यवस्था करना है जिसमें लोगों की सहभागिता से प्रौद्योगिकी के अंतरण, मानव संसाधनों के विकास और आवास सुधार पर विशेष बल दिया जाएगा। आवास, पेय जल और सफाई संबंधी मौजूदा स्कीमों में सामान्य वित्त पोषण पैटर्न अपनाएंगी। परंतु समग्र आवास विकास का काम हाथ में लेने और आई ई सी निर्माण कार्यों के लिए प्रत्येक ब्लॉक के लिए 25.00 लाख रुपये की विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें 10 प्रतिशत अंशदान लोगों से आएगा।

51. आई ए वाई के अधीन वर्ष 1999-2000 में (फरवरी 2000 तक) 1438.39 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और 7.98 लाख इकाइयों का निर्माण किया गया है। वार्षिक योजना 2000-01 में, ग्रामीण आवास के लिए 1710.00 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

क्षेत्र विकास कार्यक्रम : सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी), मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी डी पी) तथा एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम (आई डब्ल्यू डी पी)

52. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी), मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी डी पी) तथा एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम (आई डब्ल्यू डी पी), डा. सी एच हनुमंत राव की अध्यक्षता वाली डी पी ए पी और डी डी पी संबंधी तकनीकी समिति की सिफारिशों के अनुसार जल विभाजक (वाटर शेड) आधार पर 1.4.1995 से कार्यान्वित किए जा रहे हैं। जल-विभाजक (वाटर शेड) विकास के लिए सामान्य मार्ग निर्देशों में सभी क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में एक समान कार्यनीति की व्यवस्था की गई है। इस कार्यनीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- क्षेत्र विकास कार्यक्रम पूर्णतया जल-विभाजक आधार पर कार्यान्वित किए जाएंगे।
- कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप लगभग 500 हेक्टेयर के निर्धारित वाटर शेड तक सीमित रखे जाएंगे और इन्हें चार से पांच वर्ष तक की अवधि में परियोजना के आधार पर निष्पादित किया जाएगा।
- जहां जक संभव हो, वाटर शेड परियोजना एक गांव को कवर करेगी।
- परियोजना प्रबंधन की सभी अवस्थाओं में स्थानीय लोगों तथा पी आर आई की प्रभावकारी सहभागिता के लिए विभिन्न स्तरों पर व्यापक संस्थागत तंत्र की परिभाषा स्पष्ट रूप से की गई है।
- डी आर डी ए/ जेड पी, जिला स्तर पर नोडल सरकारी एजेंसी होगी और यह जल-विभाजक परियोजनाओं को निष्पादित कर रही जल संस्थाओं को धन तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए सुविधा प्रदायक और प्रबंधक की भूमिका निभाएगी।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी)

53. डी पी ए पी का उद्देश्य, फसलों और पशुओं के उत्पादन पर तथा जमीन की उत्पादकता, जल और मानव संसाधनों पर पड़ने वाले सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम से कम करना है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों को अंततः सूखा-रोधी बनाया जा सके। इसका उद्देश्य समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और कार्यक्रम क्षेत्रों में निवास करने वाले कम संसाधनों वाले तथा असुविधाग्रस्त वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना भी है। डी पी ए पी 13 राज्यों में 161 जिलों के 947 ब्लॉकों में चल रहा है। 1999-2000 के दौरान डी पी ए पी के तहत 89.44 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। 2000-01 के लिए, वर्ष 1999-2000 के 95.00 करोड़ रुपये की तुलना में डी पी ए पी के लिए 190.00 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी डी पी)

54. डी डी पी की मूल रूप से भूमि पर आधारित क्रियाकलाप के रूप में कल्पना की गई है और इसे भूमि, जल पशुधन और मानव संसाधनों के संरक्षण, विकास और उपयोग द्वारा

पारिस्थितिकीय संतुलन बहाल करने के एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: (1) सूखे और मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना; (2) पारिस्थितिकीय संतुलन की बहाली को प्रोत्साहन देना; (3) फसलों और पशुओं तथा भूमि की उत्पादकता, जल और मानव संसाधनों पर प्रतिकूल मृदा-जलवायु परिस्थितियों तथा सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना; और (5) ग्रामीण समुदाय के संसाधन-विहीन और असुविधाग्रस्त वर्गों अर्थात् परिसम्पत्तिहीन व्यक्तियों तथा महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में सुधार करना।

55. डी डी पी के तहत 1999-2000 के दौरान 49.22 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। 2000-01 की वार्षिक योजना में, वर्ष 1999-2000 के 85.00 करोड़ रुपये की तुलना में डी डी पी के लिए 135.00 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

56. डी पी ए पी और डी डी पी के तहत, कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निधियां सीधे डी आर डी एजेंसियों/ जिला परिषदों को जारी की जाती हैं। वर्ष 1999-2000 से इन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधिकरण पैटर्न बदल कर केंद्र और राज्यों के बीच लागत विभाजन का आधार 75:25 का अनुपात कर दिया गया है।

एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम (आई डब्ल्यू डी पी)

57. आई डब्ल्यू डी पी 1989-90 से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें परती जमीनें, जोखिम धारियों अर्थात् प्रयोक्ता समूहों, स्व-सहायता समूहों और पंचायती राज संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से विकसित की जा रही हैं। इसमें परियोजनाएं पांच वर्ष के लिए डी आर डी एजेंसियों/ जिला परिषदों के लिए मंजूर की जाती हैं। परियोजनाएं, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पी आई ए) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं, जो कोई लाइन विभाग या कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन हो सकता है, जिसे जल विभाजक विकास के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो। यह कार्यक्रम देश भर में कार्यान्वित किया जाता है।

58. आई डब्ल्यू डी पी, 100 प्रतिशत केंद्रीय सेक्टर की स्कीम है। लागत का मानदंड प्रति हेक्टेयर 4000 रुपये है। इस स्कीम का मूल उद्देश्य ग्राम/ माइक्रो जल विभाजक योजनाओं के आधार पर परती भूमि का एकीकृत विकास करना है। ये योजनाएं भूमि की क्षमता, स्थलीय परिस्थितियों तथा स्थानीय आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद जोखिमधारियों द्वारा तैयार की जाती हैं। सभी अवस्थाओं पर परती भूमि विकास के कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के अलावा, यह स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद करती है। इसके परिणामस्वरूप हितलाभों का न्याय संगत विभाजन तथा स्थायी विकास होता है।

59. इस स्कीम के तहत शुरू किए गए मुख्य क्रियाकलाप ये हैं : (1) सीढ़ीदार खेत, बांध, खाइयां, वनस्पति अवरोधक बनाने आदि जैसे मृदा और आर्द्रता के संरक्षण उपाय, (2) बहु-प्रयोजनी वृक्ष, झाड़ियां, घास, फलियां लगाना और चारागाह भूमि का विकास, (3) प्राकृतिक पुनर्जनन को बढ़ावा देना, (4) कृषि वानिकी और बागवानी को बढ़ावा देना, (5) काष्ठ प्रतिस्थापन और जलाऊ लकड़ी के संरक्षण के उपाय, (6) प्रौद्योगिकी की जानकारी देने के लिए आवश्यक उपाय, सहभागियों में अधिक जागरूकता पैदा करना और उन्हें प्रशिक्षण देना, तथा (7) लोगों की सहभागिता को बढ़ावा देना।

60. 31 मार्च 1999 से पहले 25 राज्यों में लगभग 247 आई डब्ल्यू डी पी परियोजनाएं मंजूर की गई थीं, जिनका कुल परिव्यय 778.12 करोड़ रुपये का था और जिनमें कुल 15.98 लाख हेक्टेयर परियोजना-क्षेत्र का उपचार किया जाना था। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इनमें से, 31 मार्च 1995 से पहले शुरू की गई परियोजनाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद, कुल 11 लाख हेक्टेयर की परियोजनाएं सामान्य मार्ग-निर्देशों के अधीन कार्यान्वित की जा रही हैं।

61. 3.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाभान्वित करने वाली 39 परियोजनाएं, परियोजना मंजूरीदात्र समिति द्वारा पहले की अनुमोदित की जा चुकी हैं। आशा की जाती है 1999-2000 के दौरान, 8 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को लाभान्वित करने वाली, परियोजनाएं मंजूर कर दी जाएंगी और (जनवरी 2000 तक) 40.72 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। 2000-01 की वार्षिक योजना के लिए केंद्रीय परिव्यय 1999-2000 के 82.00 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़ा कर 480.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

62. 'एकल राष्ट्रीय पहल' के ढांचे के भीतर विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के विभिन्न परती भूमि विकास कार्यक्रमों को मिलाने के सरकारी निर्णय के अनुसरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय द्वारा जल विभाजक परियोजनाओं/ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सामान्य मार्ग-निर्देश तैयार किए गए हैं और उन्हें एक छत्र/ मंत्रालय के नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है।

भूमि सुधार

63. भूमि सुधारों को पुनर्वितरक न्याय प्राप्त करने के साधन और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा आमदनी के उच्चतर स्तर प्राप्त करने के साधन के रूप में भी देखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि तक पहुंच आज भी रोजगार और आमदनी का एक बड़ा स्रोत है। इसलिए, कृषि-पुनर्गठन के मुद्दे को अब भी प्राथमिकता मिल रही है। भूमि सुधार नीति के प्रमुख घटकों में अन्य बातों के साथ-साथ अतिक्रम सीमा से फालतू जमीनों का पता लगाना और उनका वितरण, काश्तकारी सुधार, जोतों की चकबंदी, सांझी जमीनों और परती भूमि तक गरीबों को पहुँच प्रदान करना, जनजातीय जमीनों के हस्तांतरण को रोकना और महिलाओं को जमीन के अधिकार देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए पारंपरिक तरीकों द्वारा और कम्प्यूटरीकरण के जरिए भू अभिलेखों को अद्यतन बनाना एक अनिवार्य पूर्व आवश्यकता है।

64. भूमि राज्य का विषय है। इसलिए भूमि सुधार लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। परंतु दो केंद्र प्रायोजित स्कीमें अर्थात् 'राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाना और भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाना' (एस आर ए तथा यू एल आर) और भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (सी एल आर) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

65. 'राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ और भू-अभिलेखों को अद्यतन करने' की केंद्र प्रायोजित स्कीम काश्तकारी सुधारों के पहले से चल रहे कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। इस स्कीम में प्रोटोग्रामीट्रिक जाँच विधियों द्वारा कैंडेस्ट्रल सर्वेक्षण प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करने, राजस्व सर्वेक्षण और बंदोबस्त कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण संबंधी आधुनिक सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाने, ताकि वे आधुनिक सर्वेक्षण उपकरणों को कारगर ढंग से इस्तेमाल कर सकें, अभिलेख कक्षों के निर्माण तथा दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में पटवारियों/ तलातियों

के कार्यालय व निवास के निर्माण विशेषकर आधार्किक स्तरों पर राजस्व प्रशासन के कार्यालयों के लिए सर्वेक्षण के उपस्करों की खरीद आदि पर जोर दिया गया है। इस स्कीम के तहत 1987-88 से 1999-2000 तक राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय हिस्से के तौर पर 162.74 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई है, जिनमें से 132.30 करोड़ रुपयों का उपयोग किया जा चुका है (अर्थात् 81.30 प्रतिशत उपयोग)। राज्यों द्वारा राज्यों के हिस्से की इसके बराबर की राशि का उपयोग भी किया जा चुका है। 1999-2000 के दौरान, 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था में से जनवरी, 2000 तक राज्यों को 8.08 करोड़ रुपये की निधियां जारी की गई हैं। 2000-01 की वार्षिक योजना में एस आर ए तथा यू एल आर के लिए 25.00 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

66. भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की केंद्र प्रायोजित स्कीम आठ राज्यों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में 1988-98 में शुरू की गई थी। इस स्कीम को शुरू करने का एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भू-स्वामियों को तहसीलदार द्वारा भूमि पर अधिकार के अभिलेख की सही प्रतियां समय पर जारी की जाएं। इस समय यह स्कीम देश के 528 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है और केवल वही जिले छोटे हैं जिनमें कोई भू-अभिलेख नहीं है। 31.3.2000 तक 1557 तहसीलों/ तालूकों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जा चुका है। यह स्कीम शुरू होने से लेकर, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 31.3.2000 तक 141.61 करोड़ रुपये जारी किए हैं। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 70.63 करोड़ रुपये की निधियों का उपयोग है (49.88 प्रतिशत उपयोग) किए जाने की सूचना दी गई है। 1999-2000 के दौरान इस स्कीम के तहत 33.0 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है जिसमें से 28.19 करोड़ रुपये विभिन्न राज्यों को पहले ही जारी किए जा चुके हैं। 2000-01 के लिए सी एल आर के वास्ते 50.00 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

67. जनजातीय जमीनों के अन्य संक्रामण की प्रक्रिया स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से जारी है, जिसका कारण है; विभिन्न विकास परियोजनाओं, प्राकृतिक संसाधनों के शोषण और औद्योगिक क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप भारी संख्या में गैर-जनजातीय लोगों का जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश करना। यह एक विडम्बना है, एक ओर तो बाहरी/ गैर जनजातीय लोग विकास के नाम पर अनुसूचित क्षेत्रों में घुसपैठ करते हैं; जबकि दूसरी ओर स्थानीय जनजातीय लोग रोजगार/ नौकरी की तलाश में शहरी क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। इससे जनजातीय क्षेत्रों में भारी असंतोष उत्पन्न हुआ है। इसलिए यह जरूरी है कि जमीन के मुद्दे का, जोकि समस्या की जड़ है, कारगर ढंग से समाधान किया जाए। सभी संबंधित राज्य सरकारों ने जनजातीय लोगों द्वारा गैर-जनजातीय लोगों को जमीन संक्रामित करने पर रोक लगाने और संक्रामित की गई जमीनें जनजातीय लोगों को बहाल करने की नीति स्वीकार की है और इस आशय के कानून बनाए हैं। इन राज्यों में शामिल हैं - आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा पश्चिमी बंगाल।

68. ग्रामीण विकास मंत्रालय को उपलब्ध सबसे हाल की सूचना के अनुसार, 8.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लेकर कुल 3.75 लाख मामले जनजातीय जमीनों के अन्यसंक्रामण को रोकने संबंधी विभिन्न कानूनों के तहत पंजीकृत किए गए थे। इनमें से, 1.63 लाख मामलों में निर्णय जनजातीय लोगों के पक्ष में हुआ है और 1.58 लाख मामलों में उन्हें जमीन का कब्जा दे दिया गया है जिनका क्षेत्रफल 4.33 हेक्टेयर है। अन्य संक्रामण और बहाली संबंधी कुछ मौजूदा कानूनों में संभवतया और सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि बहाली से जुड़ी शर्तें प्रतिबधात्मक हैं और वास्तव में बहाली नहीं की जा सकी।

69. छोटे-छोटे खण्डों में बंटी कृषि जोतों की चकबंदी करना, भूमि सुधार नीति का एक अभिन्न अंग है और तदनुसार पंच वर्षीय योजनाओं में इसके कार्यान्वयन पर जोर दिया जाता रहा है। ग्रामों के योजनाबद्ध विकास के लिए और कृषि में कुशलता एवं किफायत हासिल करने के लिए यह कार्य आवश्यक समझा गया है। इसी के अनुसरण में बहुत से राज्यों ने कानून बनाए हैं परंतु उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को छोड़ कर इस दिशा में ज्यादा प्रगति नहीं की जा सकी। अन्य राज्यों में यह कार्य कुछ वर्षों के लिए जारी रखा गया किंतु उसके बाद इसकी गति समाप्त हो गई। उत्तर प्रदेश राज्य में अब भी हर वर्ष लगभग 900 से लेकर 1000 ग्रामों को इस क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अभी तक समूचे देश में 1615.30 लाख एकड़ क्षेत्र में चकबंदी की जा चुकी है।

पंचायती राज संस्थाएं

70. 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं (पी आर आई) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करके देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को गति प्रदान की है। यह अधिनियम अधिनियमित होने के बाद, जम्मू काश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को छोड़कर लगभग सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने-अपने बानून बनाए हैं। राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त विधान पारित किए जाने और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने से, कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में पंचायती राज निकाय स्थापित किए जा चुके हैं।

71. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996 के उपबंध 24 दिसम्बर 1996 से लागू हो गये हैं और ये उपबंध पंचायतों का विस्तार आठ राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों तक करते हैं। इसका आशय जनजातीय समाज को अपने भाग्य पर नियंत्रण स्थापित करने, अपने सांस्कृतिक आचार को परिरक्षित रखने और प्राकृतिक संसाधनों पर अपने पारंपरिक अधिकार संरक्षित रखने के योग्य बनाना है।

72. संविधान के अनुच्छेद 243 (1) में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्य सरकारों तथा पंचायतों के बीच निवल करों के वितरण पर लागू होने वाले सिद्धांतों, पंचायतों को करों के नियतन और सहायता अनुदान देने के बारे में सिफारिशें करने के लिए राज्य वित्त आयोग स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। अरुणाचल प्रदेश और बिहार को छोड़ कर सभी राज्यों ने अपने-अपने राज्य वित्त आयोग स्थापित किए हैं। सिक्किम और गोवा को छोड़ कर इन राज्यों के राज्य वित्त आयोगों (एस एफ सी) ने अपनी रिपोर्टें संबंधित राज्य सरकारों को प्रस्तुत कर दी हैं। कुछ राज्यों ने इनकी सिफारिशें पूर्ण रूप में स्वीकार कर ली हैं, जबकि अन्य राज्यों में इन आयोगों की रिपोर्ट आंशिक रूप से स्वीकार की गई है अथवा उनकी संवीक्षा की जा रही है। केरल जैसे कुछ राज्यों में, दूसरा राज्य वित्त आयोग भी गठित किया गया है।

73. 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का अनुच्छेद 243 (जी) पंचायती राज संस्थाओं को वांछित वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्व-शासन की प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें। इसमें कार्यान्वयन तथा वितरण (डिलिवरी) प्रक्रिया में और निर्णय लेने में लोगों की सहभागिता के जरिए एक लोकतांत्रिक विकेंदीकृत विकास प्रक्रिया की स्थापना की कल्पना की गई है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान में इसकी सातवीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए उपयुक्त स्तरों पर पंचायतों को शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपने की व्यवस्था की गई है। ये विभिन्न राज्यों में

प्रचालन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। वास्तव में केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में चुनिंदा मदों के संबंध में पंचायती राज संस्थाओं को निधियां, कार्य और पद्धारी स्थानांतरित करके, अंतरण की प्रक्रिया को प्रभावकारी ढंग से पूरा किया गया है।

74. विकेंद्रीकृत योजना प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए राज्य सरकारों को जिला योजना समितियां गठित करनी होंगी, जैसीकि 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 (जेड) और (डी) में परिकल्पना की गई है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर करने वाली सम्मिश्र योजनाएं तैयार करने के लिए प्रत्येक जिले में जिला योजना समितियां स्थापित करनी होंगी। परंतु केवल नौ राज्यों, अर्थात् हरियाणा (केवल 3 जिलों में), कर्नाटक (27 में से 10 जिलों में), केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा दमन और दीव ने जिला योजना समितियां गठित करने के लिए कार्रवाई की है। जिला योजना समितियों के गठन को राज्य सरकारों द्वारा अवश्यमेव उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि केवल तभी आधारीक स्तर पर आयोजन की वास्तव में शुरुआत की जा सकेगी।

75. इस बात को स्वीकार करते हुए कि सहभागी लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण के लिए ग्राम सभा ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण संस्था है, भारत सरकार द्वारा 1999-2000 का वर्ष "ग्राम सभा वर्ष" के रूप में घोषित किया गया था। राज्य सरकारों से ग्राम सभाओं को सक्रिय बनाने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों का ध्यान विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में और विशेषकर ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सामाजिक लेखापरीक्षा के महत्व की ओर भी आकृष्ट किया गया है।

76. 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए, बदले हुए परिदृश्य के अनुरूप जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी आर डी ए) का भी पुनर्गठन किया जा रहा है। डी आर डी एजेंसियों को जिला परिषदों के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करना होगा।

77. विकेंद्रीकृत विकास को सफल बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में प्रवेश करने वाले नये व्यक्तियों के लिए, विभिन्न चरणों में, एक सम्बद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा प्रौद्योगिकियों से परिचित कराया जा सके और अन्य जानकारी दी जा सके।

अध्याय 4 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

4.2 शहरी गरीबी उन्मूलन

गरीबी कम करना शहरी नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। 1993-94 के सरकारी अनुमान के अनुसार, कुल शहरी जनसंख्या के 32.36 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

2. नौवीं योजना में यह देखा गया कि शहरी गरीबी की समस्या आमदनी और क्रय शक्ति के अभाव को प्रकट करती है जो कि उत्पादक रोजगार की कमी और बहुत बड़े पैमाने पर अल्प-रोजगार, मुद्रा-स्फीति की उच्च दर और अपर्याप्त सामाजिक-आधारिक-संरचना के कारण है और जिन सबसे लोगों के रहन सहन और उनकी रोजगार योग्यता पर प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था की इस उत्पादन क्षमता को मजबूत बनाने के लिए इन कार्यक्रमों को स्थिति अनुकूल बनाने और आर्थिक प्रक्रिया में गरीबों को शामिल करने के लिए अधिक अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है।

3. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) दिसंबर 1997 में आरंभ की गई थी। विकास तथा सबलीकरण सुनिश्चित करने के लिए, नई तर्कसंगत स्कीम में शहरी गरीबी कम करने वाली पहली स्कीमों के रोजगार संबंधी संघटकों के अभि-बिंदुकरण द्वारा शहरी निर्धनों का उत्थान परिकल्पित था। इस स्कीम में स्व-रोजगार के उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन देकर अथवा मजदूरी-रोजगार प्रदान करके शहरी बेरोजगार और अपर्याप्त रोजगार प्राप्त गरीब लोगों के लिए लाभकारी रोजगार की व्यवस्था करने का प्रस्ताव था। एस जे एस आर वाई के दो घटकों में ये शामिल हैं :- (क) शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यू एस ई पी), तथा (ख) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यू डब्ल्यू ई पी)। यू एस ई पी के तीन सुस्पष्ट उपघटक इस प्रकार हैं: (1) लाभप्रद स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए अलग-अलग शहरी निर्धन लाभग्राहियों को सहायता; (2) शहरी क्षेत्रों में महिला और बाल विकास की स्कीम के तहत लाभप्रद स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए शहरी गरीब महिला-समूहों को सहायता (डी डब्ल्यू सी यू ए) तथा (3) व्यावसायिक और उद्यमी कौशलों के उन्नयन और उनकी प्राप्ति के लिए शहरी रोजगार कार्यक्रम से जुड़े लाभग्राहियों, संभावित लाभग्राहियों और अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण। यू डब्ल्यू ई पी का उद्देश्य यू एल बी के अधिकार-क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लाभग्राहियों को, उनके श्रम का उपयोग सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी सार्वजनिक परिसम्पतियों के निर्माण के लिए करके उन्हें मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। यह स्कीम पड़ोसी समूहों, सामुदायिक विकास समितियों आदि की स्थापना को भी बढ़ावा देती है।

वार्षिक योजना 1999-2000 की समीक्षा और 2000-01 के लिए प्रावधान

4. 1999-2000 के दौरान यू एस ई पी के अधीन लाभग्राहियों की संख्या 1,26,944 थी जिनमें 8,241 महिला लाभग्राही शामिल थीं। जहां तक यू डब्ल्यू ई पी का संबंध है, 101.388 लाख लाभग्राहियों को लाभान्वित किया गया था। 1999-2000 के लिए अनुमोदित परिव्यय/प्रत्याशित व्यय 180.65 करोड़ रुपये है। वार्षिक योजना 2000-01 के लिए 168.00 करोड़ रुपये का परिव्यय नियत किया गया है।

अध्याय 4

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

4.3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली

लगभग 18 करोड़ परिवारों को वस्तुओं का वितरण करने वाली लगभग 4.51 लाख उचित दर दूकानों (एफ पी एस) के नेटवर्क के साथ, भारतीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) संभवतया विश्व में अपने प्रकार का सबसे बड़ा वितरण नेटवर्क है। यह प्रणाली वस्तुओं की वसूली को समर्थक मूल्यों के साथ जोड़ कर और अन्य अनिवार्य वस्तुओं के साथ देश भर में उचित मूल्यों पर इनका वितरण सुनिश्चित करके खाद्यान्न के उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं, दोनों की सहायता करने के लिए बनाई गई है। इसलिए, गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा बढ़ाने की दृष्टि से पी डी एस अभी भी सरकार की आर्थिक नीति का एक मुख्य साधन बनी हुई है।

2. एक सुलक्षित और ठीक प्रकार से कार्य करने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी समाप्त करने की कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। शिशु मृत्यु दर, माताओं की मृत्यु दर, जन्म के समय कम वजन और अन्य सभी प्रकार के अभावों जैसे गरीबी के अन्य पहलुओं के विरुद्ध हमारी लड़ाई में खाद्य और पोषाहार सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। पी डी एस जिस रूप में पहले कार्य कर रही थी उसकी गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सेवा न कर पाने, इसके शहरी झुकाव, ग्रामीण निर्धनों की भारी जनसंख्या वाले राज्यों में नगण्य व्याप्ति और वितरण के लिए पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था न होने के कारण व्यापक आलोचना की जाती थी। इस खामियों को महसूस करने के बाद सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (बी पी एल) को विशेष कार्ड जारी करके और उन्हें पी डी एस के तहत विशेष रियायती कीमतों पर खाद्यान्न बेच कर पी डी एस में सुधार किया है। इससे लगभग 6 करोड़ गरीब परिवारों को लाभ पहुंचने की संभावना है।

3. यद्यपि खाद्य सब्सिडी के लिए प्रावधान केंद्र सरकार के योजनेतर बजट में किया जाता है, किंतु पी डी एस के कार्यात्मक तंत्र को मजबूत बनाने के लिए योजना आयोग निम्नलिखित स्कीमों के लिए अपने योजनागत कार्यक्रमों के अधीन धनराशियों की व्यवस्था करता है :

- गोदामों का निर्माण
- मोबाइल वैनो/ ट्रकों की खरीद
- प्रशिक्षण, अनुसंधान और मानीटरिंग।

4. गोदाम स्कीम का उद्देश्य 2000 मीटरी टन तक की क्षमता वाले छोटे गोदामों का निर्माण करने के लिए राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करना है। मोबाइल वैन स्कीम का उद्देश्य मोबाइल वैन/ ट्रक खरीदने के लिए राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है; ये वाहन ग्रामीण/ पहाड़ी/ दूरस्थ और ऐसे अन्य असुविधाजनक क्षेत्रों में अनिवार्य वस्तुएं वितरित करते हैं जहां स्थिर/ नियमित उचित दर दूकानें स्थापित करना संभव/ व्यावहारिक नहीं है। प्रशिक्षण स्कीम का उद्देश्य पी डी एस में लगे कर्मचारियों के कौशलों को सुदृढ़ तथा उन्नत करना और आपूर्ति प्रबंधन में सुधार करना है। राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, सिविल आपूर्ति निगमों आदि के प्रयासों की अनुपूर्ति के लिए पी डी एस के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस स्कीम के तहत पी डी एस के विभिन्न पहलुओं पर मूल्यांकन अध्ययन,

अध्याय 4 : गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

अनुसंधान अध्ययन भी प्रायोजित किए जाते हैं। इन स्कीमों के तहत योजनागत परिव्यय/ व्यय की जानकारी सारणी 4.3.1 में दी गई है।

सारणी 4.3.1 पी डी एस स्कीमें – योजनागत परिव्यय/ व्यय

(करोड़ रुपये)

स्कीम	1998-99	1999-2000	2000-01 (ब. अनु.)
गोदामों का निर्माण	12.50	22.29	12.50
वैनों/ ट्रकों की खरीद	9.50	1.06	1.30
प्रशिक्षण, अनुसंधान और मानीटरिंग	0.35	0.49	1.50
जोड़	22.35	23.84	15.30

अध्याय 4 : गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

संलग्नक 4.1

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	1999-2000	2000-2001
क.	ग्राम विकास विभाग की योजनागत स्कीमों के संबंध में अनुमोदित परिव्यय		
1	जवाहर ग्राम स्मृद्धि योजना (जे जी एस वाई)	2095.00	1650.00
2	रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस)	1700.00	1300.00
3	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई)	1215.00	1000.00
4	डी आर डी ए प्रशासन		220.00
5	इन्दिरा आवास योजना	1710.00	1710.00
6	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन एस ए पी)	725.00	715.00
7	राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान को अनुदान	5.00	5.00
8	राज्य प्रशिक्षण केंद्र को सुदृढ़ करना	4.25	7.25
9	विस्तार प्रशिक्षण केंद्र को सुदृढ़ करना	3.00	3.00
10	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाएं	1.25	1.25
11	संचार प्रकोष्ठ (आई ई सी)	10.00	10.00
12	"कपार्ट" को सहायता	13.00	13.00
13	स्वैच्छिक स्कीमों को प्रोत्साहन	26.00	13.00
14	लाभभोगियों का संगठन (ओ बी)	4.00	4.00
15	विशेष समस्या—ग्रस्त क्षेत्रों में सड़कें	0.50	0.50
16	पंचायत विकास और प्रशिक्षण	3.00	3.00
17	मानीटरिंग प्रक्रिया	2.00	5.00
18	कृषि विपणन	0.00	0.00
19	अन्नपूर्णा		100.00
	उप-जोड़ क	7517.00	6760.00
क.	भू-संसाधन विभाग की योजनागत स्कीमों के संबंध में अनुमोदित परिव्यय		
1	एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम	82.00	480.00
2	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	95.00	190.00
3	मरुस्थल विकास कार्यक्रम	85.00	135.00
4	भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	33.00	50.00
5	राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करना	10.00	25.00
6	प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण	8.00	12.00
7	निवेश प्रोन्नयन स्कीम	2.00	0.50
8	एन जी ओ को सहायता	2.00	1.00
9	संचार	3.00	2.00
10	परती भूमि विकास कार्यबल	1.00	0.00
11	मूल्यांकन मानीटरन और मूल्यांकन	1.00	1.00
12	बोर्ड सचिवालय	2.00	2.50
13	भू-धारणों का समेकन	0.00	1.00
	उप-जोड़ ख	324.00	900.00
	कुल जोड़ (क और ख)	7841.00	7660.00

स्रोत : ग्राम विकास मंत्रालय

अध्याय 5 सामाजिक विकास

5.1 मानव विकास – एक दृष्टि

हाल के वर्षों में विकास आयोजन का केंद्र बिंदु, सामान्य रूप से मात्र भौतिक उपलब्धियों और विशेष रूप से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से हट कर मानव कल्याण की वृद्धि के लिए योजना बनाने की ओर चला गया है। ऐसा मुख्यतः इस अनुभव के कारण हुआ है कि आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति और स्वास्थ्य, दीर्घ आयु, साक्षरता, पर्यावरणीय सम्पोषणीयता आदि संबंधी सामाजिक सूचकों द्वारा यथा प्रदर्शित, व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार के बीच प्रायः पर्याप्त मेल नहीं होता। सामाजिक सूचकों का मूल्य केवल इसलिए नहीं है कि वे सामाजिक दृष्टि से वांछनीय परिणाम हैं और इस प्रकार विकास प्रक्रिया के उद्देश्य हैं, अपितु इन्हें विकास प्रक्रिया को एक सम्पोषणीय मार्ग पर डालने के लिए मूल्यवान निविष्टियों के रूप में भी देखा जाता है। इसने मानव विकास और जीवन स्तर में सुधार को सामान्य रूप से विकास का और विशेष रूप से आयोजन का अंतिम उद्देश्य बना दिया है। कल्याण और परिणामतः विकास की अवधारणा को इतना व्यापक बनाने का ज्यादातर श्रेय यू एन डी पी द्वारा मानव विकास के दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाने को जाता है और यह कार्य वर्ष 1990 से इसके द्वारा हर वर्ष प्रकाशित की जा रही इसकी मानव विकास रिपोर्टों के जरिए संभव हुआ है।

2. इस दृष्टिकोण की आय स्वीकृति से, विकासशील देशों में विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएं और नीतिगत ढांचे तैयार करने में एक साकल्यवादी परिप्रेक्ष्य अपनाने की आवश्यकता को बल मिला है, यह बात तो सत्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर हमारी प्रत्येक योजना में मानव विकास एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है, किंतु स्पष्ट रूप से एक ऐसा, अंतर क्षेत्रीय विकास ढांचा विकसित करने की आवश्यकता अभी स्वीकार की गई है जिसमें ऐसी नीतियां हों जो विभिन्न क्षेत्रों के अनुरूप विकास के नैतिकता सम्मत चक्रों को सुदृढ़ बनाएं और ऐसे परिणाम दें जो सामाजिक दृष्टि से वांछनीय हों, और अब इसे कार्य रूप दिया जा रहा है। इस प्रकार, नौवीं योजना से आरंभ करके सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत, विषयों की दृष्टि से एक जैसे विभिन्न मुद्दों को एक समेकित लेख में एक स्थान पर लाया गया। इस ढांचे को वार्षिक योजनाओं में भी अपनाया गया था और इस दस्तावेज में उसी फार्मेट को जारी रखा जा रहा है। इस अध्याय में हमने सामाजिक क्षेत्र के मुद्दे एक साथ प्रस्तुत किए हैं जिनमें शिक्षा; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण; आवास; शहरी विकास; जल आपूर्ति और सभी सुविधाएं; सामाजिक कल्याण; रोजगार और श्रम कल्याण; कला और संस्कृति; युवा कार्य और खेल-कूद; तथा सूचना और प्रसारण संबंधी मुद्दे भी शामिल हैं।

3. मानव विकास के संबंध में इस वर्ष की वार्षिक योजना में मुख्य केंद्र-बिंदु यह रहा है कि पहले के बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम को नया रूप दिया गया है। ग्राम स्तर पर सम्पोषणीय मानव विकास पर पहल को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को नया नाम दिया गया है अर्थात् प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना। हमारे विकास के संदर्भ में, सामाजिक क्षेत्रों में बहु-विकासीय उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण संयोजनीयता को एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। वार्षिक योजना 2000-01 में इस बात को स्वीकार किया गया है और शुरुआत के तौर पर इसे पी एम जी वाई के जरिए आकार दिया गया है।

अध्याय 5 सामाजिक विकास

5.2 प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना

बहुत समय से इस बात को स्वीकार किया जाता है कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा गरीबी समाप्त करने के लिए आधारभूत ढांचे की सुविधाओं के न्यूनतम स्तर तक पहुँच हमारी कार्यनीति का अनिवार्यतः एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। पिछले दशक में स्वास्थ्य की देखभाल की प्राथमिक सुविधाओं, प्राथमिक शिक्षा, सुरक्षित पेय जल तथा आवास तक पहुँच में सुधार लाने की दिशा में काफी प्रगति हुई है जैसाकि व्यापक क्षेत्र में विस्तार और मानव विकास के सूचकों में सुधार होने से पता चलता है।

2. इन क्षेत्रों के लिए निधियों का प्रावधान करने और विशेष कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की है। परंतु इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि राज्यों के पास अपने लोगों को न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। विशिष्ट क्षेत्रों में राज्यों के प्रयासों तथा संसाधनों में योगदान करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें (सी एस एस) शुरू की गईं। 1996 में, लोगों को बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध होने की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने के लिए सात बुनियादी सेवाओं की पहचान की गई अर्थात् प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या, प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण, सुरक्षित पेय जल, सभी निरश्रित गरीब परिवारों को सरकारी आवास-सहायता, पोषाहार, सभी गावों तथा आबादियों को सड़कों द्वारा जोड़ना और गरीबों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त बनाया जाना। सम्मेलन ने सिफारिश की कि समूची जनसंख्या को समय-बद्ध तरीके से कवर किया जाना चाहिए। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के प्रत्युत्तर में तथा इस बात को स्वीकार करते हुए कि राज्यों के समक्ष वित्तीय कठिनाइयां हैं भारत सरकार ने राज्यों के संसाधनों की अनुपूर्ति करने के लिए कुछ अतिरिक्त धनराशियां प्रदान करने का निर्णय किया। बुनियादी न्यूनतम सेवाओं (बी एम एस) के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ए सी ए) के लिए प्रावधान करके 1996-97 में एक नया बजट शीर्ष शुरू किया गया। राज्यों को, अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी ए सी ए को विभिन्न सेक्टरों के बीच आबंटित करने की स्वतंत्रता है।

3. बी एम एस के तहत कार्यनीति संसाधन जुटाने तथा इस तरह से प्रयास करने की है कि समयबद्ध तरीके से 100 प्रतिशत लोगों को इन न्यूनतम बुनियादी सेवाओं तक पहुँच प्राप्त हो जाए। दिशा-निर्देश भी यही सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की वार्षिक योजना में बी एम एस सेक्टरों के लिए पर्याप्त स्तर का निवेश नियत किया जाए। यदि नियत किए गए परिव्यय की तुलना में वास्तविक व्यय में कोई कमी रह जाती है तो अगले वर्ष केंद्रीय सहायता में उसी अनुपात में कमी की जाएगी।

4. 1996-97 से ले कर, प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट में बी एम एस के लिए ए सी ए का प्रावधान किया गया है। 1996-97 में यह आबंटन 2244 करोड़ रुपये था, जबकि 1997-98 में यह 3100 करोड़ रुपये था और वर्ष 1998-99 में इसे बढ़ा कर 3400 करोड़ रुपये तथा 1999-2000 में 3700 करोड़ रुपये कर दिया गया। बी एम एस के लिए ए सी ए के राज्यवार परिव्यय संलग्नक 5.2.1 में दिए गए हैं। 3700 करोड़ रुपये ए सी ए के रूप में हैं जबकि राज्य/ संघ

राज्य क्षेत्र लगभग 12,000 करोड़ रुपये अपनी योजनाओं के अंतर्गत खर्च करते हैं। संलग्नक 5.2.2 में 1999-2000 की वार्षिक योजना में बी एस एस के लिए रखे गए राज्यवार परिव्यय की जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त, बी एम एस के क्षेत्रों की कई केंद्र प्रायोजित स्कीमों से भी सहायता की जाती है और अनुमान है कि इन क्षेत्रों के लिए हर वर्ष लगभग 8,000 करोड़ रुपये आबंटित किए जाते हैं।

5. यद्यपि बी एम एस के तहत वित्तीय और भौतिक दोनों प्रकार की प्रगति को आंकने के लिए व्यापक मानीटरिंग फॉर्मेट तैयार किए गए थे और राज्य सरकारों में परिचालित किए गए थे, किंतु अब तक प्राप्त सूचना निहायत असंतोषजनक थी। किए गए आबंटनों की तुलना में उपयोग की सूचना तो मिलती रही, किंतु समस्या भौतिक उपलब्धियों के बारे में सूचना देने की थी। इसके लिए इस तथ्य को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि कोई ऐसा एक स्थान नहीं था जहाँ बी एस एस की मानीटरिंग की गई हो। तीन स्रोतों से प्राप्त प्रावधानों के बीच काफी अतिव्याप्ति थी और निधियों के एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में बदले जाने की संभावना थी। आश्रय के मामले में उदाहरणार्थ इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई) नामक एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है, जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को मुफ्त आवास दिया जाता है। केंद्र इसमें 75 प्रतिशत अंशदान करता है जबकि राज्यों को 25 प्रतिशत अंशदान करना होता है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि बी एम एस के लिए दी गई अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ए सी ए) का उपयोग राज्य का समतुल्य हिस्सा देने के लिए कर लिया गया हो। इस मामले में, ए सी ए ने अतिरिक्त नये मकानों के निर्माण में कोई योगदान नहीं किया। इसलिए, भौतिक उपलब्धि का ठीक प्रकार से निर्धारण नहीं किया जा सकता और यह तीन अलग शीर्षों के अंतर्गत उपलब्धि किए गए वित्तीय प्रावधानों से मेल नहीं खाएगी।

6. इनमें से प्रत्येक विशिष्ट क्षेत्रक पर चर्चा संबंधित अध्यायों में की गई है। परंतु, यह गौर तलब है कि उपलब्धियों के स्तरों में विभिन्न राज्यों में भारी अंतर को देखते हुए, योजना आयोग ने एक फार्मूला तैयार किया जो कि विशेष श्रेणी से भिन्न राज्यों के बीच ए सी ए वितरित करने के लिए बी एम एस के सेक्टरों में आधारित संरचनागत और दर्शाने वाले सूचकों पर आधारित था। विशेष रेणी के राज्यों के संबंध में, आबंटन सामान्य केंद्रीय सहायता के अंतरण पर आधारित थे, न कि आधारिक संरचना में वास्तविक अंतरों पर। विशेष श्रेणी से भिन्न राज्यों के लिए ए सी ए 70 प्रतिशत ऋण तथा 30 प्रतिशत अनुदानों के रूप में होती है जबकि, विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह 90 प्रतिशत अनुदानों और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में होती है। नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में बी एम एस के लिए दी जाने वाली ए सी ए से इन सेवाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की निधियों में वृद्धि हुई और इनका पूरा-पूरा उपयोग किया गया।

7. ग्राम स्तर पर सम्पोषणीय मानव विकास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, वार्षिक योजना 2000-01 में प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना (पी एम जी वाई) के रूप में एक नए कदम की शुरुआत की गई है। इसमें, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से पांच क्रांतिक क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेय जल, आवास और ग्रामीण सड़कों से संबंधित स्कीमों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत हाथ में लिया जाएगा। इस प्रयोजन से, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता दी जाएगी। यह अब तक बी एस एस के लिए उपलब्धि की जा रही ए सी ए का स्थान ले लेगी।

8. पी एम जी वाई के दो घटक हैं; 50 प्रतिशत आबंटन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने का कार्यक्रम तथा शेष 50 प्रतिशत आबंटन के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेय जल और पोषाहार के अन्य कार्यक्रम हैं। वर्ष 2000-01 में, इसके लिए 5000

करोड़ रुपये उपलब्ध किए गए हैं। ग्रामीण सड़कों की स्कीम ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और पी एम जी वाई के अंतर्गत निर्धारित पांच अन्य क्षेत्रों के संबंध में, केंद्र के संबंधित प्रशासनिक विभागों ने मार्ग निर्देश तैयार किए हैं। राज्यों के बीच पी एम जी वाई के अन्य कार्यक्रमों के लिए ए सी ए के वितरण का आधार वही है जो बी एम एस के लिए ए सी ए के बारे में था। वार्षिक योजना 2000-01 में पी एम जी वाई के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को ए सी ए का आबंटन संलग्नक 5.2.3 में दिया गया है।

9. संबंधित प्रशासनिक विभाग, इन विभागों द्वारा पी एम जी वाई के लिए तैयार किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त करेंगे। इन प्रस्तावों का अनुमोदन हो जाने के बाद, वित्त मंत्रालय विभागों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करेगा। यह निर्णय किया गया है कि पी एम जी वाई के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए कुल आबंटन का कम से कम 15 प्रतिशत भाग पी एम जी वाई के तहत पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र के लिए अवश्य आबंटित किया जाना चाहिए। परंतु राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अपने आबंटन का शेष 25 प्रतिशत पी एम जी वाई के तहत पांचों में से किसी भी क्षेत्र को आबंटित करने का विवेकाधिकार है। संबंधित विभाग आवधिक रूप से पी एम जी वाई के तहत संबंधित कार्यक्रमों को मानीटर भी करेंगे। योजना आयोग कार्यक्रम की समग्र मानीटरिंग तथा समन्वय करेगा।

संलग्नक 5.2.1

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के लिए बुनियादी न्यूनतम सेवाएं कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का आबंटन

(करोड़ रुपये)

		ए सी ए 1996 - 97	ए सी ए 1997 - 98	ए सी ए 1998 - 99	ए सी ए 1999 - 2000
	1	2	3	4	5
क.	गैर विशेष श्रेणी राज्य				
1	आंध्र प्रदेश	140.52	170.59	179.61	196.34
2	बिहार	225.67	364.07	383.32	419.04
3.	गोआ	1.55	1.55	3.63	3.63
4	गुजरात	52.58	72.58	76.42	113.54
5	हरियाणा	19.08	19.08	40.09	26.96
6	कर्नाटक	59.40	99.42	104.68	114.43
7	केरल	69.64	78.69	102.85	110.57
8	मध्य प्रदेश	144.09	210.00	236.10	265.34
9	महाराष्ट्र	96.78	132.23	159.22	152.19
10	उड़ीसा	79.26	147.45	164.25	190.31
11	पंजाब	25.59	35.59	36.94	40.37
12	राजस्थान	87.63	132.98	140.01	153.05
13	तमिलनाडु	82.36	119.80	141.13	137.88
14	उत्तर प्रदेश	317.33	456.84	500.99	575.81
15	प. बंगाल	150.00	203.57	214.33	234.30
ख.	विशेष श्रेणी राज्य				
1	अरुणाचल प्रदेश	62.18	62.18	90.47	71.57
2	असम	154.14	163.80	172.46	188.53
3	हिमाचल प्रदेश	64.41	64.41	113.45	109.14
4	जम्मू और कश्मीर	156.52	156.52	164.80	180.15
5	मणिपुर	44.30	44.30	64.30	72.64
6	मेघालय	37.03	37.03	38.99	63.62
7	मिजोरम	36.87	36.87	49.96	51.43
8	नागालैंड	37.53	37.53	49.51	67.19
9	सिक्किम	25.65	25.65	47.25	49.76
10	त्रिपुरा	46.37	46.37	55.37	59.92
ग.	संघ राज्य क्षेत्र				
1	दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	9.00	14.20	14.95	16.34
2	पांडिचेरी	3.90	6.13	7.45	7.06
3	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8.00	13.19	17.17	15.19
4	चंडीगढ़	3.72	5.87	6.18	6.76
5	दादरा और नगर हवेली	1.08	1.71	1.80	1.97
6	लक्षद्वीप	1.44	2.27	2.39	2.62
7	दमन और दीव	0.86	1.36	1.43	1.57
	जोड़	2244.48	2963.83	3381.50	3699.22

संलग्नक 5.2.2

बी एम एस के लिए 1999-2000 में न्यूनतम पर्याप्त प्रावधान (एम ए पी)

क्र. सं.	राज्य	वास्तविक खर्च 1995-96	संशोधित अनुमान 1995-96	अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ए सी ए) 1999-2000	अनाबंटित ए सी ए निधि से	बी एम एस के लिए ए सी ए का अंतिम आबंटन 1999-2000	ए सी ए का 15 प्रतिशत (राज्यों का शेयर)	न्यूनतम पर्याप्त प्रावधान (एम ए पी) 1999-2000 [(3 या 4) +7 +8]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
गैर विशेष श्रेणी राज्य								
1	आंध्र प्रदेश		19397.00	19634.00		19634.00	2945.10	41976.10
2	बिहार	20117.43		41904.00		41904.00	6285.60	68307.03
3	गोआ		4055.50	178.00	185.00	363.00	54.45	4472.95
4	गुजरात	24250.71		8354.00	3000.00	11354.00	1703.10	37307.81
5	हरियाणा	6598.82		2196.00	500.00	2696.00	404.40	9699.22
6	कर्नाटक	55600.00		11443.00		11443.00	1716.45	68759.45
7	केरल	6815.00		9057.00	2000.00	11057.00	1658.55	19530.00
8	मध्य प्रदेश	28362.00		24170.00	2364.00	26534.00	3980.10	58876.10
9	महाराष्ट्र	64957.00		15219.00		15219.00	2282.85	82458.85
10	उड़ीसा	24945.90		16971.00	2060.00	19031.00	2854.65	46831.55
11	पंजाब	4758.00		2945.00	1092.00	4037.00	605.55	9400.55
12	राजस्थान	54854.09		15305.00		15305.00	2295.75	72454.84
13	तमिलनाडु	18838.00		13788.00		13788.00	2068.20	34694.20
14	उत्तर प्रदेश	91719.00		52581.00	5000.00	57581.00	8637.15	157937.15
15	प. बंगाल	8907.95		23430.00		23430.00	3514.50	35852.45
	उप - जोड़	410723.90	23452.50	257175.00	16201.00	273376.00	41006.40	748558.25
विशेष श्रेणी राज्य								
1	अरुणाचल प्रदेश	6917.93		7157.00		7157.00		14074.93
2	असम	26344.48	21564.00	18853.00		18853.00		40417.00
3	हिमाचल प्रदेश		14814.31	7414.00	3500.00	10914.00		25728.00
4	जम्मू और कश्मीर		17011.00	18015.00		18015.00		35026.00
5	मणिपुर	3952.54		5098.00	2166.00	7264.00		11216.54
6	मेघालय	5721.69		4262.00	2100.00	6362.00		12083.69
7	मिजोरम	4743.89		4243.00	900.00	5143.00		9886.89
8	नागालैंड	2544.99		4319.00	2400.00	6719.00		9263.99
9	सिक्किम		5046.40	2952.00	2024.00	4976.00		8417.40
10	त्रिपुरा		6303.85	5337.00	655.00	5992.00		12295.85
	उप - जोड़	50225.52	64739.6	77650.0	13745.00	91395.00		178410.29
संघ राज्य क्षेत्र								
1	दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	8797.00		1634.00		1634.00		10431.00
2	पांडिचेरी	2182.31		705.00		705.00		2887.31
3	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3492.00		1518.00		1518.00		5010.00
4	चंडीगढ़	1144.17		675.00		675.00		1819.17
5	दादरा और नगर हवेली	792.82		196.00		196.00		988.82
6	लक्षद्वीप	384.54		261.00		261.00		645.54
7	दमन और दीव	444.81		156.00		156.00		600.81
	उप - जोड़	17237.65	0.00	5145.00	0.00	5145.00	0.00	22382.65
	कुल जोड़	478187.07	88192.06	339970.00	29946.00	369916.00	41006.40	949351.19

संलग्नक 5.2.3

प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना-2000-01 के लिए अतिरिक्त
केंद्रीय सहायता का आबंटन

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	ए सी ए 2000-2001
1	2	3
	गैर विशेष श्रेणी राज्य	
1	आंध्र प्रदेश	14206
2	बिहार	28725
3	गोआ	78
4	गुजरात	6479
5	हरियाणा	1678
6	कर्नाटक	7513
7	केरल	6908
8	मध्य प्रदेश	11377
9	महाराष्ट्र	9913
10	उड़ीसा	9855
11	पंजाब	4040
12	राजस्थान	9640
13	तमिलनाडु	10479
14	उत्तर प्रदेश	34891
15	प. बंगाल	16782
	उप - जोड़	172564
	विशेष श्रेणी राज्य	
1	अरुणाचल प्रदेश	6817
2	असम	17957
3	हिमाचल प्रदेश	7061
4	जम्मू और कश्मीर	17158
5	मणिपुर	4856
6	मेघालय	4059
7	मिजोरम	4041
8	नागालैंड	4113
9	सिक्किम	2811
10	त्रिपुरा	5083
	उप - जोड़	73956
	संघ राज्य क्षेत्र	
1	दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	1105
2	पांडिचेरी	477
3	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1027
4	चंडीगढ़	456
5	दादरा और नगर हवेली	132
6	लक्षद्वीप	177
7	दमन और दीव	106
	उप - जोड़	3480
	कुल जोड़	250000

अध्याय 5 सामाजिक विकास

5.3 शिक्षा

नौवीं योजना में शिक्षा को मानव विकास के लिए एक निर्णायक निवेश माना गया है। स्वास्थ्य और जनसांख्यिकीय प्रोफाइल में सुधार पर शिक्षा जबरदस्त प्रभाव डालती है और नौवीं योजना के तीसरे वर्ष में शिक्षा क्षेत्र की स्कीमें अनपढ़ता को पूरी तरह से समाप्त करने और प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय तक शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कार्यान्वित की जा रही हैं। शिक्षा विभाग तथा योजना आयोग द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं जिनके परिणामस्वरूप स्कीमें तर्कसंगत बनी हैं। इन्हें एक साथ मिलाया जा सका है। सर्व शिक्षा अभियान शुरू करके एक बड़ी पहल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि प्राथमिक शिक्षा की, स्कीमें एक साकल्यवादी तरीके से कार्यान्वित की जाएं। यह मिशन पद्धति के रूप में, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक कदम है। निधियां आबंटित करते समय योजना आयोग यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं और असुविधाग्रस्त समूहों की शिक्षा संबंधी स्कीमों को प्राथमिकता दी जाए। महिलाओं की शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम नामक एक नई स्कीम तैयार की जा रही है। इसके अतिरिक्त, देश में तथा अल्प विकसित उत्तर-पूर्वी राज्यों में शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों (ई. बी. बी.) के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भारत का विकास ज्ञानी समाज के रूप में करने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री के. सी. पंत की अध्यक्षता में एक कार्य बल गठित किया गया है। ऐसा प्रधान मंत्री द्वारा 18 दिसंबर, 1999 को किए गए आह्वान के अनुसरण में किया गया है जिसमें उन्होंने निम्नलिखित पांच सूत्रीय कार्य सूची पर जोर दिया था :

- सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, ड्रग डिजाइन, वित्तीय सेवाओं और उद्यम संबंधी व्यापक प्रबंधन में मौजूदा क्षमताओं से लाभ उठाना।
- विश्वव्यापी नेटवर्क।
- ज्ञानवान समाज विकसित करने के लिए शिक्षा।
- नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सरकार-उद्योग-शिक्षाविदों के बीच सक्रिय विचार-विमर्श।
- क्षमताओं और अवसरों के आधार पर निर्मित आर्थिक और व्यापारिक नीति संबंधी गठजोड़।

कार्य बल को अपनी रिपोर्ट अगस्त, 2000 के मध्य तक प्रस्तुत करनी है।

प्राथमिक शिक्षा

2. प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के प्रति वचनबद्धता को पूरा करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा नौवीं योजना की मुख्य कार्यनीति के एक भाग के रूप में शिक्षा क्षेत्र का एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र बनी हुई है।

वार्षिक योजना 1999-2000

3. 1999-2000 के दौरान 3035.13 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में प्रत्याशित व्यय लगभग 3703.63 करोड़ रुपए था जो कि इसमें 22 प्रतिशत वृद्धि का प्रतीक

है। परिवर्द्धित व्यय में अधिकांश हिस्सा दोपहर का भोजन, नामक कार्यक्रम के लिए है। परंतु, अन्य सभी चालू बड़े कार्यक्रमों में व्यय में कमी आई है, यथा आप्रेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षकों का शिक्षण। वर्ष 1999-2000 के लिए इन कार्यक्रमों पर व्यय, 969 करोड़ रुपये के बजटीय व्यय की तुलना में 640 करोड़ रुपये बैठता है। जहाँ तक शिक्षा कर्मी परियोजना, लोकजुम्बिश परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और महिला समाख्या जैसी बाहरी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं का संबंध है, 827.03 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में प्रत्याशित व्यय लगभग 1069.53 करोड़ रुपये रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी पी ई पी) के व्यय में वृद्धि के कारण ऐसा हुआ है।

4. केंद्र द्वारा प्रायोजित प्राथमिक शिक्षा की सभी स्कीमों के प्राथमिक तथा उच्चतर प्राथमिक स्कूली शिक्षा की कारगरता पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए योजना आयोग ने ऐसी सभी स्कीमों के बारे में मूल्यांकन अध्ययन प्रायोजित किए हैं। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सी स्कीमों प्रायोजित की जा रही हैं जिसके परिणामस्वरूप एक से अधिक स्कीमों में कुछ क्रियाकलाप एक दूसरे पर अतिव्याप्त हो जाते हैं। इसलिए योजना आयोग ने महसूस किया कि इन स्कीमों को मिलाने की आवश्यकता है ताकि यू ई ई का लक्ष्य मिशन पद्धति के तरीके से पूरा यिका जा सके। तदनुसार, शिक्षा विभाग ने यह सुझाव दिया कि एक ही साकल्यवादी स्कीम होनी चाहिए जैसाकि प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में सभी घटकों का ध्यान रखने के लिए सर्व शिक्षा अभियान। इस स्कीम के तहत यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि वर्ष 2010 तक 6-14 वर्ष के आयु-समूह में प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदायों, शहरी गंदी बस्तियों में रहने वालों, महिलाओं के कम साक्षरता वाले ब्लाकों के बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

5. लड़कियों के स्कूल में दाखिले और स्कूली शिक्षा जारी रखने के संबंध में लैंगिक असमानताएं स्पष्ट हैं। लड़कों के मुकाबले, कम लड़कियां विद्यालयों में प्रवेश लेती हैं, बहुत कम लड़कियां स्कूली शिक्षा जारी रखती हैं और जो लड़कियां स्कूलों में शिक्षा जारी रखती हैं वे मामूली शैक्षिक उपलब्धि के साथ बहुत कम शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में लैंगिक अंतर बहुत अधिक हैं और शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में यह अंतर और भी ज्यादा है। अखिल भारतीय स्तर पर, प्राथमिक अवस्था पर विद्यालयों में नामांकन में लड़कियों का हिस्सा 43.5 प्रतिशत है और उच्चतर प्राथमिक अवस्था पर 40.5 प्रतिशत है। परंतु प्राथमिक अवस्था पर, लड़कियों द्वारा स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ने की दर, जो वर्ष 1960-61 में 70.90 प्रतिशत थी, धीरे-धीरे कम हो कर 1988-99 में 41.22 प्रतिशत तक आ गई है। विद्यालयों में लड़कियों की उपस्थिति लगातार बढ़ रही है।

वार्षिक योजना 2000-01

6. केंद्रीय सेक्टर में, योजना आयोग द्वारा वार्षिक योजना 1999-2000 के लिए अनुमोदित 3035.15 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में, वार्षिक योजना 2000-01 में प्राथमिक शिक्षा के लिए 3608.75 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है (वृद्धि लगभग 19 प्रतिशत है)। विश्व बैंक जैसी बाहरी एजेंसियों द्वारा स्थापित स्कीमों के लिए 1076.22 करोड़ रुपये का परिव्यय नियत किया गया है। बाहरी सहायता प्राप्त स्कीमों में डी पी ई पी, लोक जुंबिश, महिला समाख्या, शिक्षा कर्मी, आदि स्कीमों शामिल हैं। बाहरी निधियों का बड़ा हिस्सा डी पी ई पी द्वारा उपयोग किया जाता है।

7. स्कूलों में बच्चों के प्रवेश तथा वहां शिक्षा जारी रखने वाले बच्चों की संख्या बढ़ा कर और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करके, प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण को बढ़ावा देने के लिए

प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार सहायता (दोपहर के भोजन की योजना) जैसे हाल के उपाय को जारी रखा जा रहा है। समीक्षाधीन वर्ष में और अधिक डी पी ई पी परियोजनाएं स्थापित की गईं। इसके अतिरिक्त अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम (एन एफ ई) को संशोधित करने का प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी स्कीम जोर-शोर से कार्यान्वित की जा रही है। यह यू ई ई के लिए, समुदाय पर केंद्रित स्कीम है जो 1997 से कार्यान्वित की जा रही है। शीघ्र ही और अधिक राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों का रोजगार गारंटी स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव है।

माध्यमिक शिक्षा

1999-2000 की समीक्षा

8. माध्यमिक शिक्षा 14-18 तक के आयु-समूह के युवाओं को उच्चतर शिक्षा में प्रवेश के लिए तैयार करती है। माध्यमिक स्कूली शिक्षा को (कक्षा 9-12) सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक स्कीमों तैयार की गई हैं जिनमें विज्ञान में शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, संस्कृति और मूल्यों, कम्प्यूटर साक्षरता आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एन सी ई आर टी स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए शैक्षिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता आया है। यह अनुसंधान करने और उसके लिए सहायता देने तथा शैक्षिक अनुसंधान कार्यप्रणाली में प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। एन सी ई आर टी, शैक्षिक अनुसंधान कार्यकर्ताओं के लिए पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है। मुख्य रूप से पाठ्यचर्या की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा संबंधी स्कीमों पर 558.45 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में, प्रत्याशित व्यय 594.50 करोड़ रुपये है।

वार्षिक योजना 1999-2000

9. चालू वर्ष में माध्यमिक शिक्षा स्कीम के लिए 600.00 करोड़ रुपये का व्यय अनुमोदित किया गया है, जिसमें से 344.00 करोड़ रुपये नवोदय विद्यालयों के लिए आबंटित किए गए हैं। यह कुल परिव्यय के 50 प्रतिशत से अधिक बैठता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग इस समय नवोदय विद्यालयों के कामकाज की समीक्षा कर रहा है। फरवरी 1998 में शुरू की गई माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केंद्र प्रायोजित स्कीम जारी रखी जा रही है। अधिक से अधिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पंडित सुंदर लाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पी एस एस सी आई वी ई) व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देता है तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है। शिक्षा के व्यावसायिकरण की स्कीमों के लिए वार्षिक योजना, 2000-01 के तहत 35 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा

वार्षिक योजना 1999-2000

10. उच्च शिक्षा में वृद्धि प्रभावशाली रही है। उच्च शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से पिछले 50 वर्षों में महाविद्यालयों की संख्या और उनमें दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस समय देश में 185 विश्वविद्यालय, 42 तात्पर्यित विश्वविद्यालय तथा लगभग 11,000 महाविद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त, बहुत से गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उच्च शिक्षा संस्थान उत्कर्षता के केंद्र बनें, यह निर्णय किया गया था कि प्रत्यायन कार्यविधियां सभी विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। उच्च शिक्षा तक पहुँच तथा उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए गए।

11. वर्ष 1999-2000 के शुरू में, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में दाखिल किए गए छात्रों की कुल संख्या 74.8 लाख थी, जिनमें विश्वविद्यालय के विभागों में 12.25 लाख ने तथा संबद्ध महाविद्यालयों में 61.93 लाख ने प्रवेश लिया। कुल दाखिलों में से 80 प्रतिशत दाखिले कला संकायों (40 प्रतिशत), विज्ञान (20 प्रतिशत) और वाणिज्य (20 प्रतिशत) में केंद्रित थे। जबकि शेष 20 प्रतिशत दाखिले व्यावसायिक संकायों में दिए गए थे। विश्वविद्यालयों के विभागों एवं संबद्ध महाविद्यालयों दोनों में संकायों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

12. वर्ष 1999-2000 में महिला छात्रों के दाखिले में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और कुल दाखिलों में से 34 प्रतिशत दाखिले महिलाओं ने लिए। 1999-2000 में, 25.74 लाख महिला छात्रों ने विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों में दाखिले लिए।

13. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी) ने स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास के अपने कार्यक्रम जारी रखे। आयोग ने महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए एक विशेष स्कीम शुरू की है ताकि विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन करने वाली महिला छात्रों को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जा सके। बारह विश्वविद्यालयों को उनकी परियोजनाओं की कुल लागत के 60 प्रतिशत तक सहायता प्रदान की गई।

14. इस समय 116 राज्य विश्वविद्यालय हैं जिन्हें यू जी सी की पात्र स्कीमों के तहत अनुदान मिलता है। 1998-99 में तीन विश्वविद्यालयों को 110.17 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने यू जी सी से 71.68 करोड़ की राशि विकास सहायता के रूप में प्राप्त की। इसके अतिरिक्त वर्ष 1998-99 में यू जी सी ने 637.43 करोड़ रुपये की राशि विश्वविद्यालयों के रख-रखाव का खर्च पूरे करने के लिए प्रदान की। आयोग ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन ई टी)/ (एस ई टी) के लिए न्यूनतम पात्रता अपेक्षाओं में ढील देने का निर्णय भी किया है।

15. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद और भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान जैसे शीर्षस्थ स्तर के अनुसंधान समन्वय संस्थानों ने अपने-अपने क्षेत्रों में अपने क्रियाकलाप जारी रखे। भारतीय विश्वविद्यालय संघ को भी सहायता दी जा रही है ताकि विचारों का आदान-प्रदान और विश्वविद्यालय प्रणाली में साझे हित के विषयों पर चर्चा की जा सके।

प्रौढ़ शिक्षा

16. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एन एल एम) 15-35 वर्षों के आयु समूह के लोगों को वर्ष 2005 तक साक्षरता और जीवन-कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से 1988 में स्थापित किया गया था।

वार्षिक योजना 1999-2000 की समीक्षा

17. 1999-2000 के दौरान, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए 120 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध किया गया था। एन एल एम ने, देश में निरक्षरता समाप्त करने के लिए बहु-शाखीय कार्यनीति का अनुपालन करना जारी रखा। अभी तक आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों तथा चंडीगढ़ दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली के संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्ण साक्षरता अभियान (टी एल सी) के अंतर्गत 457 जिले कवर किए जा चुके हैं। इनमें से 220 जिले साक्षरता-पश्चात अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं और 80 जिले संतत शिक्षा की अवस्था पर हैं। संतत शिक्षा स्कीम उन जिलों में जारी है जिन्होंने पूर्ण साक्षरता/ साक्षरता-पश्चात् अवस्थाएं पूरी

कर ली थीं; इस स्कीम की बुनियादी इकाई संतत शिक्षा केंद्र (सी ई सी) है जिसमें एक नोडल सी ई सी है, जो सी ई एस के समूह के कामकाज पर नजर रखता है। ये केंद्र-बिंदु, केंद्र आदि उपलब्ध करते हैं।

वार्षिक योजना 2000-01

18. 2000-01 की वार्षिक योजना में, प्रौढ़ शिक्षा के लिए 120 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। वर्ष के दौरान, सी ई कार्यक्रम के तहत उन स्थानों पर संतत शिक्षा केंद्र और नोडल शिक्षा केंद्र स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे जहाँ टी एल सी/ पी एल सी अवस्था पूरी हो चुकी है। आधुनिक स्तर पर नेहरू युवक केंद्र, राष्ट्रीय सेवा स्कीम, राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक स्कीम जैसे कार्यक्रमों को साथ मिलाने के प्रयास किए जायेंगे। इन संस्थानों की आधुनिक संरचना का भी यथासंभव प्रयोग किया जा सकता है। अन्य शिक्षा क्षेत्रों में स्थापित की गई सुविधाओं का उपयोग प्रौढ़ शिक्षा को संसाधन-सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं तथा स्थानिक बोलियों में और अधिक सामग्री विकसित करने का काम जारी रखा जाएगा। स्वयंसेवकों को पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने की ओर ध्यान दिया जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, प्रशिक्षण बुनियादी/ साक्षरता-पश्चात् सामग्री, मीडिया, मानीटरिंग और मूल्यांकन के क्षेत्र में संसाधन सहायता देना जारी रखेगा।

तकनीकी शिक्षा

19. तकनीकी शिक्षा विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवश्यक उच्च क्वालिटी की मानव-शक्ति पैदा करके और अनुसंधान तथा अभिनवीकरणों के माध्यम से अनिवार्य सेवाएं प्रदान करके भारत के आर्थिक और प्रौद्योगिकीय विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देती है 1998-99 के मुख्य कार्यक्रम 1999-2000 में भी जारी रहे।

1999-2000 की समीक्षा

20. तकनीकी शिक्षा की स्कीमों के लिए 452.18 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया। एन सी ई आर टी, इग्नो तथा यू जी सी आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से, जो शिक्षा क्षेत्र के ही अंश हैं, सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्टवेयर विकास संबंधी राष्ट्रीय कार्यबल की सिफारिशों को लागू करने के प्रयास पहले ही प्रारंभ किए जा चुके हैं।

21. ग्वालियर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान तथा इलाहाबाद में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जा चुका है, देश की भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व स्तर के कुशल कार्मिक पैदा करने के लिए क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों (आर ई सी) की समीक्षा करने वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। प्रशिक्षण और इससे जुड़े कार्यक्रमों में उपयुक्त रूप से वृद्धि करके और इन्हें सुदृढ़ बना कर कॅम्प्यूटर साफ्टवेयर क्षेत्र को विकसित करने के प्रयास आरंभ कर दिए गए हैं।

22. भारत में पालिटेक्निक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त तकनीशन प्रशिक्षण परियोजना का दूसरा चरण पूरा कर लिया गया है। इससे, इस सिस्टम में महिलाओं के 66 विंग जोड़ कर पालिटेक्निक शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। इसके अतिरिक्त, सह शिक्षा वाले पालिटेक्निक संस्थानों में तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता सहज बनाने के लिए महिलाओं के लिए छात्रावास भी निर्मित किए गए हैं और विकलांगों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए 2 विशेष पालिटेक्निक स्थापित किए गए हैं।

वार्षिक योजना 2000-01

23. तकनीकी शिक्षा की स्कीमों के लिए वार्षिक योजना 2000-01 के तहत 500.00 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। तकनीकी शिक्षा के भीतर, देश में प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, वर्कशापों में आधुनिकीकरण को और इंजीनियरी और प्रौद्योगिकीय प्रबंध में कंप्यूटिंग सुविधाओं और प्रबंधन, फार्मसी तथा वास्तुकला संस्थानों को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। आशा है कि आधुनिकीकरण से शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रयोजनों के लिए इन संस्थानों की कार्यात्मक कुशलता बढ़ेगी।

24. सूचना प्रौद्योगिकी तथा साफ्टवेयर विकास संबंधी राष्ट्रीय कार्यबल की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयिक समिति स्थापित की गई है। इस समिति ने कार्यबल की सिफारिशों को शीघ्र लागू करने के लिए की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई को अंतिम रूप दे दिया है। इस प्रयोजन के लिए 2000-01 के वार्षिक योजना परिव्यय में 1.00 करोड़ रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया है। ए आई सी टी ई गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (क्यू आई पी) की सुविधाएं डिग्री स्तर के अनुमोदित इंजीनियरी संस्थानों के पूर्णकालिक अध्यापकों को उपलब्ध करेगा जिनमें एम बी ए, एम सी ए, होटल प्रबंधन और केटरिंग प्रौद्योगिकी, फार्मसी, वास्तुकला, टाउन प्लानिंग, प्रायोगिक कलाओं और शिल्पों जैसे पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान भी शामिल हैं, ताकि तकनीकी शिक्षा की विभिन्न धाराओं में कार्यरत मौजूदा अध्यापक अपनी व्यावसायिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि कर सकें। चालू वित्त वर्ष के लिए 70.49 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्वालियर में नव-स्थापित आई आई टी एम कोर शैक्षिक कार्यक्रम चलाएगा जिसमें पंचवर्षीय एकीकृत कार्यक्रम भी शामिल है जिसे पूरा करने पर सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन में डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, और जिसमें प्रवेश स्तरीय अर्हता स्नातक डिग्री है और जिसका उद्देश्य नेतृत्व के गुणों वाली मानव शक्ति का निर्माण करना, प्रबंधन कौशलों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता को बढ़ाना और उसका उपयोग करना तथा एकीकृत तरीके से प्रशिक्षण प्रदान करना है। चालू वर्ष से इस संस्थान की क्षमता बढ़ा दी जाएगी। चालू वर्ष के लिए बजटीय प्रावधान 15 करोड़ रुपये हैं। 1999-2000 में इलाहाबाद में स्थापित किया गया भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान चालू वर्ष से अपने कार्यक्रम शुरू कर देगा, जिसका लक्ष्य सूचना प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा शैक्षिक अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के विस्तृत नेटवर्क के जरिए इसका प्रयोग करना है। यह संस्थान उद्योग के साथ संपर्क भी विकसित करेगा ताकि देश की वैज्ञानिक, सामरिक वाणिज्यिक और सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक समस्याओं के समाधान ढुंढने में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सर्वोत्तम व्यावसायिकों और इसके अनुप्रयोग क्षेत्रों को शामिल किया जा सके। चालू वर्ष के लिए बजट 11.50 करोड़ रुपये है।

25. समीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इन संगठनों के लिए पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए पहल करेगा ताकि वे "उत्कर्ष केंद्र" नामक स्कीम के माध्यम से शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें। कम्प्यूटर, पुस्तकालय, संसाधनों और अनुसंधान व विकास के लिए उपस्करों के मामले में भी आर ई सी की क्षमता बढ़ाई जाएगी। चालू वित्त वर्ष के बजट में 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई तकनीकी शिक्षा परियोजना के दो चरणों में प्राप्त किए गए लाभों को बनाए रखने के लिए, परियोजना का तीसरा चरण आरंभ करने के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार किया गया है। परियोजना प्रस्ताव का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा प्रणाली का एकीकृत विकास करना है और यह विकास प्रणाली के भीतर मजबूत संपर्क स्थापित करके और ऐसी प्रणालियां और प्रक्रियाएं विकसित करके किया जाएगा जिनके माध्यम से अन्य संस्थानों का

विकास जारी रहे। चालू वित्त वर्ष में 0.01 करोड़ रुपये का सांकेतिक बजटीय प्रावधान किया गया है ताकि यह स्कीम सुचारु रूप से आरंभ की जा सके।

26. सात प्रकार के (जेनरिक) क्षेत्रों में प्रौद्योगिक विकास मिशनों का प्रथम चरण सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद, यह निर्णय किया गया है कि चुनिंदा क्षेत्रों में विश्वविद्यालय/ संस्थान तथा उद्योग के बीच सार्थक सम्पर्क उपलब्ध करने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए दूसरा चरण शीघ्र आरंभ किया जाएगा। प्रौद्योगिकी विकास मिशन संबंधी राष्ट्रीय संचालन समिति, उपयुक्त विज्ञानियों/ संस्थानों/ समितियों से विचार-विमर्श करके, उन क्षेत्रों का पता लगाएगी जिनमें नये मिशन शुरू किए जाएंगे।

भाषा विकास, ग्रंथ-संवर्द्धन और कापीराइट

वार्षिक योजना 1999-2000 की समीक्षा

27. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान योजना आयोग ने भाषाओं के संवर्द्धन तथा विकास, ग्रंथ संवर्द्धन और कापीराइट संबंधी उन स्कीमों को सहायता दी जो माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत भाषा संस्थानों, स्वायत्त संगठनों तथा केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, केंद्रीय हिन्दी निदेशालय जैसे अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं।

28. केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने द्विभाषिक, त्रिभाषिक और बहु-भाषिक शब्द कोश बनाने की स्कीमों को रखा जिनमें विदेशी भाषाओं के शब्दकोश बनाने की स्कीमों भी शामिल हैं, जारी रखा, ताकि वे अहिंदी भाषी लोगों को उपलब्ध कराए जा सकें। पत्राचार के जरिए हिंदी सिखाने का काम जारी है और इससे अभी तक 4 लाख लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसे दृश्य-श्रव्य कैसेटों के माध्यम से भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदी के संवर्द्धन और विकास के लिए, विशेषकर, अहिंदी भाषी राज्यों में, 192 गैर-सरकारी संस्थाओं तथा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा को भी वित्तीय सहायता दी गई (संसद के एक अधिनियम द्वारा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा को भी राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है)। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में विकसित करना है। इसने हिंदी और अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की एक-समान शब्दावली तैयार करने का काम किया। केंद्रीय हिंदी शिक्षा मण्डल, आगरा ने केंद्रीय हिंदी संस्थान और इसके विभिन्न केंद्रों में और विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में अपने विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से नियुक्तियां करने और प्रशिक्षण देने का काम जारी रखा। इसका जनजातीय भाषा अनुसंधान यूनिट नागालैंड के लिए स्कूली पाठ्य पुस्तकों के रूप में सामाजिक अध्ययन के लिए भाषा शिक्षण सामग्री तैयार कर रहा है। तेरह प्रसिद्ध हिंदी विद्वानों को उनके हिंदी के प्रचार और प्रसार, हिंदी पत्रकारिता, अनुसंधान और सृजनात्मक साहित्य, हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य आदि के क्षेत्र में योगदान के लिए 1999-2000 के लिए हिंदी सेवी सम्मान योजना के लिए चुना गया।

29. केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ने त्रिभाषिक फार्मूले के अधीन आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्यापकों के प्रशिक्षण और (माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के) अनुसंधान प्रशिक्षण और सामग्री उत्पादन के जरिए भारतीय भाषाओं के विकास संबंधी स्कीमों का कार्यान्वयन जारी रखा। अपने नियमित कार्यक्रमों के अलावा यह संस्थान हर वर्ष आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास और संवर्द्धन के लिए 40 गैर सरकारी संगठनों की सहायता करता है। हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्यापकों (विशेषकर दक्षिण भारतीय भाषाओं के) की नियुक्ति संबंधी स्कीम की समीक्षा समिति का योजना आयोग भी एक सदस्य था क्योंकि राज्यों की प्रतिक्रिया ठीक नहीं रही थी। इस रिपोर्ट की सिफारिशें विचाराधीन हैं। कार्य पुस्तकें, अध्यापकों

की गाइडें आदि तैयार करने के लिए विभिन्न जनजातीय भाषाओं में अध्ययन भी किए गए। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद तथा इसके क्षेत्रीय केंद्रों ने अंग्रेजी भाषा के शिक्षण-स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य किया।

30. राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्द्धन परिषद ने ऐसे 54 सुलेख प्रशिक्षण केंद्रों की सहायता की, जिन्होंने देश के इन केंद्रों में कम्प्यूटरिकृत सुलेख प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया है। इसी प्रकार छोटे साहित्य के प्रकाशन, संकलन और उत्पादन संबंधी कई कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्द्धन परिषद की सहायता की गई। नये पदों पर ब्लाकों/ जिलों में नियुक्त किए गए उर्दू अध्यापकों के वेतन के लिए भी पांच वर्ष के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता दी जाती है। संस्कृत भाषा के संवर्द्धन और विकास के लिए, योजना आयोग द्वारा कई ऐसी योजनागत स्कीमों की सहायता की गई जो माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, विद्यापीठों, संस्कृत महाविद्यालयों और शोध संस्थाओं के माध्यम से निष्पादित की जा रही हैं। जिन राज्यों में कोई केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ नहीं है, उन राज्यों में भी संस्कृत सीखने और अनुसंधान के लिए नये केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थापित करने के लिए सहायता दी जा रही है। 954 स्वैच्छिक संस्कृत संसाधनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। महर्षिही संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान ने वित्तीय सहायता देना जारी रखा और मौखिक वेद पाठ की परंपराओं के अध्यापकों को मानदेय और छात्रों को छात्रवृत्तियों का भुगतान करने के लिए 25 वैदिक संस्थाओं/ विद्यालयों और 34 यूनिटों को अनुदान जारी किए। संस्कृत शिक्षा के विकास की केंद्रीय योजनागत स्कीम के अधीन संस्कृत पाठशालाओं में संस्कृत और अन्य आधुनिक विषयों के अध्यापकों को वेतन के अतिरिक्त उच्च/ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की छात्रवृत्तियों के लिए अनुदान दिए जाते हैं।

31. 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में ग्रंथ संवर्द्धन क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए, योजना आयोग ने मूल ग्रंथों एवं अंग्रेजी, हिंदी और ग्यारह अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवादों के प्रकाशन के लिए स्वायत्त संगठन, नेशनल बुक ट्रस्ट और शिक्षा विभाग के चालू योजनागत कार्यक्रमों और स्कीमों के लिए सहायता प्रदान की। उच्चतर शिक्षा के लिए उचित कीमतों वाली पुस्तकों, पाठ्य पुस्तकों और संदर्भ पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा देने के लिए ग्रंथ संवर्द्धन क्रियाकलापों में लगे विभिन्न संगठनों, लेखकों और प्रकाशकों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। बच्चों के साहित्य के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया गया है। इन स्कीमों के लिए 9.00 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है क्योंकि योजना आयोग ने भी कापीराइट अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षा विभाग की योजनागत स्कीमों का समर्थन किया है।

32. भाषा विकास के लिए और ग्रंथ संवर्द्धन तथा कापीराइट के लिए वार्षिक योजना 1999-2000 के तहत क्रमशः 62.90 करोड़ रुपये तथा 6.50 करोड़ रुपये नियत किए गए थे, जिसकी तुलना में प्रत्याशित व्यय क्रमशः 54.16 करोड़ रुपये तथा 3.86 करोड़ रुपये है।

वार्षिक योजना 2000-2001

33. भाषा विकास और ग्रंथ संवर्द्धन तथा कापीराइट्स पर ध्यान दिया जाता रहेगा और योजना आयोग चालू योजनागत स्कीमों और कार्यक्रमों की सहायता करना जारी रखेगा। कापी-राइट के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय कापीराइट कन्वेंशनों के अधीन डब्ल्यू आई पी ओ/ डब्ल्यू टी ओ के प्रति भारत के दायित्वों को ध्यान में रखते हुए, कार्यक्रमों का समर्थन किया जा रहा है और बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों और इनके प्रवर्तन को सुग्राही बनाने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। वर्ष 2000-2001 के लिए, योजना आयोग ने भाषाओं के विकास के लिए 75

करोड़ रुपये तथा ग्रंथ संवर्द्धन और कापीराइट के लिए 9 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया है।

34. हिंदी के संवर्द्धन और विकास के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय की योजनागत स्कीमों का त्रिभाषिक फार्मूले के सफल कार्यान्वयन के लिए और हिंदी के संवर्द्धन के लिए विशेष रूप से, उत्तर-पूर्व में गैर सरकारी संगठनों की और अधिक सहायता की मांगें पूरी करने के लिए समर्थन किया जा रहा है। केंद्रीय हिंदी संस्थान के नये केंद्र स्थापित करने, इसके मौजूदा क्षेत्रीय केंद्रों आदि को सुदृढ़ बनाने वाले कार्यक्रमों को भी योजना आयोग की योजनागत सहायता से जारी रखने का प्रस्ताव है। केंद्रीय भारतीय भाषाएं संस्थान, मैसूर के त्रैभाषिक फार्मूले के अधीन आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले कार्यक्रमों का भी समर्थन किया जाएगा। आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी स्कीम में, समीक्षा समिति, जिसमें योजना आयोग को भी प्रतिनिधित्व दिया गया था, की सिफारिशों के अनुसार संशोधन किया जाएगा। इसी प्रकार, योजना आयोग, संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए शिक्षा विभाग की योजनागत स्कीमों का समर्थन करना जारी रखेगा।

ग्रंथ संवर्द्धन और कापीराइट

36. सामान्य तौर पर लोगों में और विशेष रूप से बच्चों में पढ़ने की आदत डालने के उद्देश्य से ग्रंथों के प्रकाशन संबंधी नेशनल बुक ट्रस्ट के सभी चालू योजनागत कार्यक्रमों का भी समर्थन किया जाएगा।

महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा

37. अभिशासन के राष्ट्रीय एजेंडे में महिलाओं (लड़कियों सहित) के सबलीकरण पर विशेष बल दिया गया है। महिलाओं को शिक्षित करने के सामान्य लाभ लगभग पूरे विश्व में स्वीकार किए गए हैं। शिक्षा की दृष्टि से देश के पिछड़े ब्लॉक (ई बी बी एस) में महिलाओं/ लड़कियों की शिक्षा के लिए "महिलाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम" नामक एक नई स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के तहत मुफ्त पाठ्य पुस्तकों, वर्दियों आदि जैसे प्रोत्साहन दिए जाएंगे। मुख्य बल प्राथमिक और माध्यमिक पाठशालाओं में लड़कियों के प्रवेश में वृद्धि और उन्हें पाठशाला में बनाए रखने पर दिया जाएगा।

38. महिला समाख्या नामक चालू स्कीम ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, असम और केरल में अपना विस्तार क्षेत्र 51 जिलों और 7335 ग्रामों तक बढ़ा दिया है। महिला समाख्या कार्यक्रम में लक्ष्य संबंधी कोई कठिनाई नहीं है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, शिक्षा ज्ञान हासिल करने और सबलीकरण की लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो साक्षरता की जिज्ञासा मात्र से आगे बढ़ जाती है। इसके अंतर्गत (ग्राम स्तर पर महिलाओं का समूह) संघ एक केंद्रीय बिंदु है जिसके चारों ओर कार्यक्रम घूमता है। ये संघ अनेक मुद्दों पर विचार करते हैं जो आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं। संघों ने बच्चों को और विशेष रूप से लड़कियों को गांव के स्कूलों में भर्ती कराने में एक सक्रिय भूमिका निभाई है। गैर सरकारी संगठन और समुदाय शिक्षा कर्मी परियोजना में एक घटक की भूमिका निभाते हैं जिसमें यू ई ई के लक्ष्य तक पहुँचने वाली लड़कियों की ओर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर, विशेष रूप से लड़कियों/ महिलाओं को लाभ पहुँचाने वाले अन्य कार्यक्रम वर्ष 2000-01 में जारी रहेंगे। महिला समाख्या, स्कीम के लिए बजट में 110.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा

39. शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति में क्षेत्र प्रधान कार्यक्रमों के तहत समानता और सामाजिक न्याय के हित में शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों की शिक्षा की ओर बहुत ज्यादा ध्यान देने का प्रस्ताव है। पिछड़े अल्पसंख्यकों को शिक्षित करने के लिए राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को नये प्राथमिक/ अपर प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने के लिए 100 प्रतिशत सहायता दी जाती है। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सहायता बुनियादी आधारीक संरचना और सुविधाओं के लिए दी जाती है। वर्ष 1999-2000 में इस स्कीम के लिए 15.00 करोड़ रुपये नियत किए गए थे जो चालू वर्ष में बढ़ा कर 18.00 करोड़ रुपये कर दिए गए हैं।

40. मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 10.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों की समस्याओं का ध्यान रखने के लिए सभी स्तरों पर शिक्षा स्कीमों में ढील और रियायतें दी गई हैं।

41. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे चुनिंदा विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए उपयुक्त शिक्षण कक्षाएं चलाते हैं ताकि वे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो सकें। 22 विश्वविद्यालयों तथा 57 महाविद्यालयों को इस स्कीम के अंतर्गत लाया जा चुका है, जिनमें शिक्षण केंद्र भी शामिल हैं।

संलग्नक 5.3.1

नौवीं योजना अवधि में शिक्षा विभाग के केंद्रीय क्षेत्रक योजना का परिव्यय एवं खर्च

योजना / कार्यक्रम	1999-2000 नौवीं योजना अनुमोदित परिव्यय	1999-2000 अनुमोदित परिव्यय	1999-2000 प्रत्याशित खर्च	वार्षिक 2000-01 अनुमोदित परिव्यय
प्रारंभिक शिक्षा	16369.59	3035.13	3703.63	3608.75
विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा	2500.00	445.94	280.11	500.00
प्रौढ शिक्षा	630.39	110.00	110.00	120.00
तकनीकी शिक्षा	2373.51	452.18	452.18	500.00
भाषा विकास	259.45	62.90	54.16	75.00
पुस्तक प्रोन्नति एवं कापीराइट	16.25	6.50	3.86	9.00
छात्रवृत्ति	25.32	3.00	1.15	4.25
योजना एवं प्रशासन	130.38	225.90	21.90	33.00
जोड़	2408.38	4700.00	5221.49	5450.00

अध्याय 5 सामाजिक विकास

5.4 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

5.4.1 स्वास्थ्य

भारत, स्वास्थ्य सेवा की योजना में अग्रणी देशों में से है जिसने प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख पर जोर दिया है। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना, देश के सामाजिक विकास कार्यक्रमों के बड़े प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक रहा है। स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं पोषण सेवाओं की उपलब्धता एवं उपयोग में सुधार करके और आबादी के कम सेवा सुविधा वाले एवं कमजोर वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए इसे प्राप्त किया जाना है। आधारभूत सुविधाओं एवं जनशक्ति निर्माण का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है जिसके लिये राज्य आयोजना—भिन्न एवं आयोजना से निधियां प्राप्त होती हैं और इनकी अनुपूर्ति केंद्र सरकार की निधियों एवं विदेशी सहायता से की जाती है। पिछले पांच दशकों में शहरी एवं ग्रामीण आबादी को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्तरीय स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं प्रदान करने के लिये एक विशाल आधार—भूत सुविधाओं का सृजन किया गया है। प्रमुख रोग नियंत्रण कार्यक्रमों एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों का निधि पोषण केंद्र द्वारा (कुछ का विदेशी एजेंसियों की सहायता से) किया जाता है और इनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों की आधारभूत सुविधाओं के माध्यम से किया जाता है। माताओं एवं बच्चों के लिये खाद्य अनुपूरक कार्यक्रमों का निधि पोषण राज्य द्वारा किया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा निधि पोषित एकीकृत बाल विकास स्कीम (आई सी डी एस) के माध्यम से इनका कार्यान्वयन किया जाता है। स्वास्थ्य के लिये, सुरक्षित पेय जल एवं पर्यावरणिक सफाई अनिवार्य पूर्वापेक्षायें हैं। प्रारंभ में इन दो क्रियाकलापों का निधि पोषण स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता था परंतु बाद में शहरी एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पर्यावरण विभाग राज्य और केंद्र दोनों में, इनका निधि पोषण करते हैं। प्रौद्योगिकी सुधार एवं स्वास्थ्य देखरेख की अधिक उपलब्धता के फलस्वरूप मृत्युदर में काफी कमी आई है परंतु संचारी रोगों, गैर संचारी रोगों एवं पोषण समस्याओं के कारण अभी भी भारी बोझ बना हुआ है। इस बात के बावजूद कि संपूर्ण देश में आधारभूत सुविधाओं एवं जनशक्ति के सृजन के मानदंड समान हैं फिर भी स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं की उपलब्धता एवं उपयोग एवं आबादी के स्वास्थ्य सूचकांकों के मामले में राज्यों के बीच एवं एक ही राज्य के जिलों के बीच काफी भिन्नतायें हैं।

2. विशेष स्वास्थ्य कार्य योजना में आबादी की बढ़ती हुई स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार एवं सुधार शामिल है, कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक देखरेख स्तरों पर सृजित स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं के उपयोग से समग्र मृत्युदर में कमी आई है परंतु रुग्णता की स्थिति अभी भी काफी बनी हुई है। तथापि विशेष कार्य योजना में आबादी की बढ़ती हुई स्वास्थ्य देखरेख आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार परिकल्पित है।

प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सेवायें

3. प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख आधारभूत सुविधायें आबादी और स्वास्थ्य देखभाल प्रदायकों के बीच संपर्क का पहला स्तर प्रदान करती हैं। स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने में प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख आधार सुविधा के महत्व को समझते हुये राज्यों, केंद्र और अनेक एजेंसियों ने एक साथ

प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख आधार सुविधा एवं जनशक्ति का सृजन शुरू किया। इसके परिणामस्वरूप आधारभूत सुविधाओं एवं जनशक्ति की काफी द्विरावृत्ति हुई है और इसके बावजूद भी अपूर्ण सेवा के ऐसे क्षेत्र हैं जहां स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता काफी अधिक है। यह समस्या मुख्यतः निम्नलिखित के कारण विद्यमान संस्थाओं एवं जनशक्ति के असमान वितरण की है:

- (क) कार्मिक और आधार सुविधा के बीच असमानता;
- (ख) कार्मिकों की जानकारी एवं कार्य कौशल के उन्नयन की आवश्यकता; और,
- (ग) समुचित कार्यात्मक "रेफरल" प्रणाली की कमी।

4. आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में राज्यों द्वारा सृजित प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख आधार सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- 137271 उप केंद्र
- 22975 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
- 2935 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
- इसके अलावा सभी राज्यों में उप प्रभागीय/ तालुक अस्पताल हैं।
- परिवार कल्याण विभाग 5435 ग्रामीण परिवार कल्याण केंद्रों में कार्मिकों की सहायता करता है और इसने 871 शहरी स्वास्थ्य पदों, 1083 शहरी परिवार कल्याण केंद्रों, 550 जिला प्रसवोत्तर केंद्रों और 1012 उप जिला प्रसवोत्तर केंद्रों का सृजन किया है।
- स्वदेशी चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के अधीन 22,104 औषधालय, 2862 अस्पताल, 300 मेडिकल कालेज हैं।
- नगरपालिकायें शहरी स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करती हैं।
- सी जी एच एस केंद्र सरकार के कर्मचारियों को स्वास्थ्य देख रेख सेवा प्रदान करती है।
- रेलवे, रक्षा एवं ऐसे ही बड़े विभागों के अपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य देखरेख आवश्यकतायें पूरी करने के लिये अपने अस्पताल एवं औषधालय हैं।
- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों एवं बड़े उद्योगों की अपनी चिकित्सा आधार सुविधायें हैं।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने कर्मचारियों को अस्पताल एवं औषधालय आधारित स्वास्थ्य देखरेख प्रदान करता है।
- प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक देखरेख वाले सभी अस्पताल ग्रामीण एवं शहरी आबादी को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवायें भी प्रदान करते हैं।

5. स्वास्थ्य देखरेख आधार सुविधा के संबंध में उपलब्ध आंकड़े संलग्नक 5.4.1.1 में दिये गये हैं। इन सभी के अलावा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले स्वैच्छिक संगठन एवं निजी क्षेत्रक हैं।

6. आधार सुविधा एवं जनशक्ति के बीच अंतर का अनुमान लगाने से पहले इन सभी को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। विद्यमान आधार सुविधा का उचित रूप से पुनर्गठन करके उन्हें एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में लोगों की स्वास्थ्य देखभाल के प्रति उत्तरदायी बनाते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार प्राप्त करना संभव है। इसी तरह विद्यमान जनशक्ति की समुचित कार्यन्मुखता एवं पुनः नियोजन के द्वारा जनशक्ति की समस्याओं को काफी हद तक दूर किया जा सकता है।

ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधायें

7. सर्वोत्तम रूप से कार्यशील प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता बढ़ाने एवं इसकी उपलब्धता में सुधार के

लिये नौवीं योजना के दौरान एक सम्पूर्ण एवं व्यापक वचनबद्धता की गई है। नौवीं योजना एवं विशेष कार्य योजना में निम्नलिखित के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख के कार्यात्मक स्तर एवं प्रचालन कार्यकुशलता के सुधार को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

- समुचित पुनर्गठन के द्वारा विद्यमान शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख वाली संस्थाओं को सरल एवं कारगर बनाना।
- यह सुनिश्चित करना कि इन सभी संस्थाओं को पूर्णतः कार्यात्मक बनाया जाये।
- विद्यमान ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और तालुक, उप-प्रभागीय अस्पतालों के पुनर्गठन एवं सुदृढीकरण के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अंतराल को दूर करना।
- दूरी, कठिनाइयों एवं कार्य भार के आधार पर आवश्यकता आधारित जनशक्ति प्रदान करना।
- अनिवार्य उपस्कर, उपभोग्य वस्तुओं एवं औषधियां प्रदान करना।
- कार्यात्मक "रेफरल" संपर्कों की स्थापना।

8. राष्ट्रीय स्तर पर, 1991 की आबादी के लिये कार्यात्मक उप-केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कुल संख्या निर्धारित मानदंडों (3000-5000 की आबादी के लिये एक उप-केंद्र, 20,000-30,000 की आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) को लगभग पूरा करती है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख आधार सुविधा (1991 की आबादी के अनुसार) की आवश्यकता और प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख आधार सुविधा की वर्तमान स्थिति सारणी 5.4.1.1 में दी गई है।

सारणी 5.4.1.1

ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख आधार सुविधा / जनशक्ति

केंद्र श्रेणी	1991 के लिये आवश्यकता	30.6.99 को कार्यरत	अंतर / (अधिकता)
उप केंद्र	134108	137271	(3163)
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	22349	22975	(626)
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	5587	2935	2652
एस सी में ए. एन. एम.	134108	134086	22
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डाक्टर	22349	25506	(3158)
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ	22348	3741	18724

स्रोत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

9. यद्यपि एक विशाल आधार सुविधा का सृजन किया गया है परंतु यह इष्टतम रूप से कार्य नहीं कर रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख संस्थाओं के इष्टतम रूप में कार्य न करने के निम्नलिखित कारण हैं :-

- संस्थाओं की बहु-स्तरीयता जिनका सृजन विभिन्न समयों पर किया गया है और निर्धारित आबादी की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की देखभाल के लिए वह संगठित नहीं है।
- अनुचित स्थान, असंतोषजनक उपलब्धता एवं अनुरक्षण।
- आवश्यक जनशक्ति की कमी।
- कार्मिकों एवं उपस्करों के बीच असमानता।
- अनिवार्य औषधियों / निदानों की कमी तथा असंतोषजनक रेफरल 'सुविधायें'।

10. इस तथ्य के बावजूद कि संपूर्ण देश में आधार सुविधा एवं जनशक्ति के सृजन के मानदण्ड समान हैं फिर भी स्वास्थ्य देख रेख सेवाओं की उपलब्धता एवं उपयोग तथा आबादी के स्वास्थ्य सूचकांकों के मामले में राज्यों के बीच तथा एक ही राज्य के जिलों के बीच काफी विभिन्नताएँ हैं। इन अंतरों को कम करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। यह चिंता का विषय है कि असंतोषजनक स्वास्थ्य सूचकांकों वाले अनेक जिलों में पर्याप्त स्वास्थ्य आधार—सुविधाएँ नहीं हैं।

11. पुराने चले आ रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा राज्यों के पास आधुनिक चिकित्सा प्रणाली एवं स्वदेशी चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के भारी संख्या में ग्रामीण अस्पताल एवं औषधालय हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तालुक अस्पताल, उप-प्रभागीय अस्पताल एवं उप-जिला प्रसवोत्तर केंद्र हैं। नौवीं योजना में यह निहित है कि सभी राज्य विद्यमान ग्रामीण अस्पतालों/ औषधालयों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में और विद्यमान उप-जिला तालुक अस्पतालों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में पुनर्गठन करेंगे ताकि आधार सुविधाओं का अंतराल कम से कम किया जा सके। प्राथमिक न्यूनतम सेवाओं के अधीन निर्धारित निधियों का उपयोग इन अस्पतालों/ औषधालयों के पुनर्गठन एवं सुदृढीकरण को पूरा करने के लिये किया जा सकता है। अनेक राज्यों ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं की उपलब्धता सुधारने के लिये कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं की उपलब्धता को सुधारने के चल रहे कुछ प्रयास इस प्रकार हैं :-

- उप केंद्रों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ करना/ उचित स्थानों पर स्थापित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों/ औषधालयों का समामेलन, पुनर्गठन एवं पुनर्स्थापना तथा उनका विद्यमान आधार सुविधाओं के साथ एकीकरण।
- विद्यमान ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, तालुक, उप-प्रभागीय अस्पतालों की पुनर्संरचना—हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने पहले ही यह कार्य शुरू कर दिया है।
- प्राथमिक न्यूनतम सेवा (बी. एम. एस.) अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ए सी ए) से बी एम एस और ई ए पी (विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ) के लिये निधियों का उपयोग ताकि जनशक्ति एवं सुविधाओं के अंतरालों को पूरा किया जा सके।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अर्हता वाले डाक्टरों की नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर तत्काल साक्षात्कार— नियुक्ति— मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों ने इसमें सीमित सफलता की सूचना दी है।
- मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिकों का उपयोग— उड़ीसा और दिल्ली।

12. इस समय राज्य योजना बजट में निर्धारित प्राथमिक न्यूनतम सेवाओं के द्वारा निधि—पोषण के अलावा स्वास्थ्य आधार सुविधाओं एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के केंद्र—प्रायोजित कार्यक्रमों के सुदृढीकरण के लिये पी एम जी वाई, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ आधार सुविधाओं को सुदृढ करने, जनशक्ति, उपस्कर, उपभोग्य वस्तुओं एवं औषधियों के भारी अंतराल को दूर करने हेतु निधियां प्रदान करती हैं। पी एम जी वाई के अधीन पांच क्षेत्रकों, अर्थात् प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, आश्रय, पेयजल एवं पोषण के लिये राज्यों को 2500 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। राज्यों द्वारा इस आबंटन का कम से कम 15 प्रतिशत इन पांच में से प्रत्येक क्षेत्रक में खर्च किया जाना है। फिर भी निधियों के बकाया 25 प्रतिशत के उपयोग का निर्धारण करने की राज्यों को छूट दी गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य देख रेख के अंतर्गत पी एम जी वाई से निधियों का उपयोग औषधियों एवं अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद और ए एन एम के लिये यात्रा व्यय, आकस्मिक अनिवार्य उपस्करों की मरम्मत, फर्नीचर की मरम्मत/ बदली के द्वारा विद्यमान एवं कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख वाली संस्थाओं (50 प्रतिशत) को सुदृढ करने और उप केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आधार सुविधाओं

के सुदृढीकरण, मरम्मत और अनुरक्षण (पेयजल आपूर्ति, अपर्याप्त शौचालय सुविधाओं एवं कूड़ा कचरा निपटान सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी जाएगी) हेतु किया जा सकता है।

13. असंतोषजनक अनुरक्षण और इसके परिणामस्वरूप भवनों एवं उपस्कर का नुकसान अपर्याप्त कार्य-संचालन का एक बड़ा उत्तरदायी कारक है। अनेक राज्य आयोजनाभिन्न निधियों से इन महत्वपूर्ण क्रियाकलापों के लिये निधियां प्रदान करने में असमर्थ हैं। प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम के अंतर्गत भवनों, विशेषकर आपरेशन थिएटर, प्रसूति कक्षों की छोटी मरम्मतों एवं अनुरक्षण तथा जल एवं विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु प्रत्येक जिले को 10-10 लाख रुपये जारी किये गये हैं। आपरेशन थियेटरो, प्रसव कक्षों के निर्माण/ मरम्मत के जरिये अनिवार्य प्रसूति सेवा सुविधाओं के सुधार हेतु बड़ा सिविल निर्माण कार्य करने या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं जिला अस्पतालों में जल/ विद्युत आपूर्ति हेतु सुविधायें प्रदान करने/ सुविधाओं के सुधार के लिये भी सभी राज्यों को प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/ जिला अस्पताल 10 लाख रुपये जारी किये गये हैं। नौवीं योजना में 1998-99 तक छोटे सिविल निर्माण कार्य के लिये कुल 49 करोड़ रुपये दिये गये हैं और 21 करोड़ रुपये जारी कर दिये गये हैं।

14. प्राथमिक स्वास्थ्य देख रेख सेवाओं को सुधारने के लिये यह महत्वपूर्ण है कि :
- निर्माण कार्य केवल तब किया जाये जब यह अनिवार्य हो।
 - आवश्यक समुचित उपस्कर, उपभोक्ता वस्तुयें एवं औषधियां प्रदान करके महत्वपूर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों/ एफ आर यू में सूचित बड़े अंतराल को पूरा करने हेतु उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
 - ऊर्ध्व कार्यक्रमों में पुरुष कामगारों का पुनर्प्रशिक्षण एवं कार्य कौशल उन्नयन तथा पुरुष बहुउद्देशीय कामगारों के रूप में उनकी पुनः नियुक्ति।
 - संस्थाओं को पूर्ण रूप से कार्यात्मक बनाने के लिये आधार सुविधा/ उपस्कर एवं जनशक्ति के बीच असंतुलन ठीक किया जाये।

15. योजना आयोग एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस प्रक्रिया एवं सेवाओं के उपयोग पर इसके प्रभाव की मानिट्रिंग हेतु एक प्रोफार्मा तैयार किया है। राज्यों को प्रोफार्मा दिये गये हैं और उनसे वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है।

ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख संस्थाओं में स्वास्थ्य जनशक्ति

16. राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की संख्या मानदंडों की अपेक्षा अधिक है। परंतु उनके वितरण के मामले में काफी विभिन्नतायें हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना चिकित्सकों एवं परा-व्यावसायिकों के बिना अधिकांशतः दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित हैं जहां स्वैच्छिक या निजी क्षेत्रक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य देखरेख सुविधायें भी सीमित हैं। कुछ राज्यों में कम सेवा वाले क्षेत्रों में रिक्तियों को भरने के लिये कुछ नये प्रयास इस समय किये जा रहे हैं जिसमें यदि आवश्यक हो तो अंशकालिक आधार पर चिकित्सकों की स्थानीय भर्ती, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, सहकारिताओं, स्व सहायता समूहों और चैरिटेबल संस्थाओं द्वारा किसी गांव/ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/ जिले का अंगीकरण, ओ पी डी के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थानीय प्राइवेट चिकित्सकों से किराया लेकर प्रैक्टिस करने की अनुमति शामिल है। इन प्रयत्नों की लाभकारिता का आकलन किया जा रहा है। चूंकि कार्यात्मक सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों में भी विशेषज्ञों के काफी पद रिक्त हैं अतः सामु0 चि0 केंद्र प्रथम रेफरल यूनिटों (एफ आर यू) के रूप में कार्य करने में असमर्थ हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सामु0 वि0 के0 में विशेषज्ञ उपलब्ध हों ताकि "रेफरल रोगी" एवं आपातकालीन देखभाल की आवश्यकता वाले रोगी आवश्यक उपचार प्राप्त कर सकें। प्रयोगशाला तकनीशियनों और पुरुष बहु- उद्देशीय कार्यकर्ताओं जैसे कुछ

महत्वपूर्ण अर्ध-व्यावसायिक कर्मचारियों की कमी है। इस योजना अवधि के अंदर विभिन्न सी एस एस में प्रयोगशाला तकनीशियनों के आवश्यक पद प्रदान करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। पुरुष बहु-उद्देशीय कार्यकर्ताओं के स्वीकृत पदों की संख्या आवश्यक संख्या की आधी ही है। स्वास्थ्य क्षेत्रक के कार्यक्रमों में कम निष्पादन के लिये इसे एक बड़े कारणों में से एक समझा गया है। मलेरिया, कुष्ठ रोग एवं क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में पुरुष कार्यकर्ता नियुक्त हैं। पुरुष बहु-उद्देशीय कार्यकर्ताओं के रूप में उन्हें उचित प्रशिक्षण एवं कार्यकौशल उन्नयन, नियुक्तियां प्रदान की जानी हैं और उनके उपकेन्द्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सभी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों की देखरेख का उत्तरदायित्व सौंपा जाना है। बुनियादी न्यूनतम सेवाओं एवं विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये राज्यों की वार्षिक योजना की स्वास्थ्य क्षेत्रक बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के परिव्यय के अधीन इन क्रियाकलापों के लिए निधियां उपलब्ध है, कुछ राज्यों के पास प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख आधार सुविधा/ जनशक्ति के सुधार के लिये राज्य विशिष्ट विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाये हैं।

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सेवाये

17. भारत की लगभग 30 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। वहां या तो उपलब्ध प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं का पूरा उपयोग नहीं होता या ये सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं और द्वितीयक तथा तृतीयक देखरेख केन्द्रों में भीड़-भाड़ रहती है। वहां सरकारी, निजी, स्वैच्छिक एजेंसियों में कर्मचारियों एवं पलंगों की भरभार है परन्तु इन्हें उत्तरदायित्वों के स्पष्ट निर्धारण या रेफरल सम्पर्क के साथ भौगोलिक रूप से नहीं जोड़ा गया है। आधार सुविधा की पुनर्संरचना की निहित कठिनाई यह है कि वहां अनेक निधि पोषण एजेंसियां हैं।

18. नगरपालिकायें, राज्य सरकारें, केन्द्रीय मंत्रालय और विदेशी सहायता वाली परियोजनायें शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख आधार सुविधाओं के निर्माण, उन्नयन एवं पुर्नगठन तथा कारगर संपर्क स्थापित करने के लिये निधियां प्रदान करती हैं। बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिये बी0 एम0 एस0 एवं अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए0 सी0 ए0) के अधीन निर्धारित निधियों, शहरी आर0 सी0 एच0 परियोजना से निधियों एवं आई0 पी0 पी0 परियोजना के शहरी घटक से निधियों का उपयोग शहरी स्वास्थ्य देखरेख के विकास के लिये किया जा सकता है। योजना आयोग ने वार्षिक योजना में महाराष्ट्र के नासिक जिले की मालगांव नगरपालिका में शहरी स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु 1.5 करोड़ रु0 की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की है। यद्यपि छोटी-छोटी सफलताओं की अनेक कहानियां हैं परन्तु द्वितीयक एवं तृतीयक देख रेख से सम्बद्ध शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख के पुर्नगठन एवं पुनर्संरचना एवं कर्मचारियों के उचित प्राशिक्षण एवं पुनर्नियुक्ति के समग्र कार्य की प्रगति काफी धीमी रही है।

जनजातीय क्षेत्र

19. प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख संस्थाओं के लिये आबादी संख्या मानदण्ड प्रति 20,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पर्वतीय/ जनजातीय क्षेत्रों में प्रति 30,000 की आबादी पर एवं प्रा0 स्व0 के0 की तुलना में 3000 की आबादी पर एक एस0 सी0 और दूरी तथा बिखरी आबादी को देखते हुए सामान्य ग्रामीण आबादी के लिये 5000 की आबादी पर एक एच0 सी0 है। दस समय जनजातीय क्षेत्रों में 20,799 एस सी; 3306 पी एच सी और 469 सी एच सी हैं; और इसके अलावा 1122 एलोपैथिक औषधालय, 120 एलोपैथिक अस्पताल, 78 एलोपैथिक मोबाइल क्लीनिक, 1106 आयुर्वेदिक-औषधालय, 24 आयुर्वेदिक अस्पताल, 251 होम्यो0 औषधालय, 28 होम्यो0 अस्पताल, 42 यूनानी औषधालय, 7 सिद्धा औषधालय है जो जनजातीय क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। इसी तरह 20 प्रतिशत या इससे अधिक की अनुसूचित जाति की आबादी वाली बस्तियों/

गांवों में 16,845 एस0 सी0, 5987 पी0 एच0 सी0 और 373 सी0 एच0 सी0 स्थापित किये गये हैं, इसके अलावा अनुसूचित जाति बहुलता वाले क्षेत्रों में 980 एलोपैथिक औषधालय, 1042 आयुर्वेदिक औषधालय, 480 होम्यो0 औषधालय और 68 यूनानी/ सिद्धा औषधालय कार्य कर रहे हैं।

20. अधिकांश केन्द्र प्रायोजित रोग नियंत्रण कार्यक्रम जनजातीय क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत 100 चुने गये जिलों को, जो मुख्यतः आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में हैं, शामिल किया गया है। अनेक राज्यों ने जनजातियों के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख को सुधारने में सफल परीक्षण किये हैं:

- आन्ध्र प्रदेश— वचनबद्ध सरकारी व्यक्ति जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधायें चला रहे हैं।
- उड़ीसा— निर्धारित दौरा कार्यक्रम वाले मोबाइल स्वास्थ्य यूनिटों के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, खर्चीली समस्या, दोहराया जाना मुश्किल।
- कर्नाटक, महाराष्ट्र— एन0 जी0 ओ0 जनजातीय क्षेत्रों में प्राथ0 स्वा0 केन्द्रों का अंगीकरण एवं संचालन कर रहे हैं।
- सफलता मुख्यतः व्यक्तियों की वचनबद्धता एवं एन0 जी0 ओ0 की विश्वसनीयता के कारण है।

21. ऐसे परीक्षणों की समस्यायें ये हैं कि प्रमुख व्यक्तियों की पहल एवं वचनबद्धता सफलता के प्रति उत्तरदायी है और इस विशाल प्रणाली में इसकी अनुकृति कठिन है। दूर दराज के एवं सीमान्तिक जनजातियों एवं यायावर समुदायों के लिये मेडिकल केयर नामक एक नई स्कीम नौवीं योजना में शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने "भारत की कुछ आदिम जनजातियों में पोषणिक रक्त अल्पता एवं हीमोग्लोबिनोपैथीज हेतु उपचारात्मक कार्यक्रम" पर एक अनुसंधान परियोजना शुरू की है।

द्वितीयक स्वास्थ्य देखरेख

22. जिला अस्पतालों एवं शहरी अस्पतालों में द्वितीयक स्वास्थ्य देखरेख आधार सुविधा इस समय उन शहरों/ कस्बों में आबादी की प्राथमिक स्वास्थ्य आवश्यकता की देखरेख कर रही है जहां वह स्थित है और वह द्वितीयक देखरेख केन्द्रों के रूप में भी कार्य करती है, इससे अंततः भीड़भाड़ हो जाती है और विशेषज्ञ सेवाओं का कम उपयोग होता है।

23. द्वितीयक स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं को सुदृढ़ करना नौवीं योजना की एक चुनी हुई प्राथमिकता है। राज्य योजना से निधियों के प्रावधान के अलावा अनेक राज्य एफ0 आर0 यू0/ जिला अस्पतालों को स्थापित करने हेतु विदेशी सहायता की मांग करते आ रहे हैं। अभी तक 6 राज्यों ने विश्व बैंक की विदेशी सहायता से ऐसी परियोजनायें शुरू की हैं। राज्यों ने निर्माण कार्य, उपकरणों की खरीद, एम्बुलेंस एवं दवाइयों की खरीद, क्लीनिक प्रबंधन में कार्यकुशलता सुधारने हेतु प्रशिक्षण के द्वारा सेवाओं से सुधार, स्वास्थ्य देखरेख प्रदान करने वालों की प्रवृत्ति एवं व्यवहार में सुधार, रिक्तियों एवं स्वास्थ्य कार्मिकों/ आधार सुविधा में असंतुलन को कम करना, अस्पताली कूड़े कचरे के प्रबंधन में सुधार, एवं सेवा प्रणाली की निगरानी का कार्य शुरू किया है। इन सभी 6 राज्यों ने गरीबी की रेखा से ऊपर के लोगों से निदान एवं चिकित्सा हेतु उपभोक्ता शुल्क लगाने के प्रयत्न किये हैं। प्रारंभिक समस्याओं को दूर कर लिया गया है। कुछ राज्य उसी संस्थान में संग्रहीत शुल्कों को वहीं बनाये रखना सुनिश्चित नहीं कर पाये हैं। इस समस्या को शीघ्र हल करने की जरूरत है।

तृतीयक स्वास्थ्य देखरेख

24. सरकारी क्षेत्रक की अधिकांश तृतीयक स्वास्थ्य देखरेख संस्थाओं में बढ़ती हुई जटिल नैदानिक एवं चिकित्सीय कार्यप्रणालियों की तेजी से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त जनशक्ति एवं सुविधाओं की कमी है। दूसरी ओर प्राथमिक एवं द्वितीयक देखरेख स्तरों से रेफरल प्रणाली की कमी के कारण तृतीयक देखरेख अस्पतालों में भीड़भाड़ है। तृतीयक देखरेख केन्द्रों के लिये नौवीं योजना की प्राथमिकताओं में देखभाल की बढ़ती हुई लागत को पूरा करने के लिये क्षमता निर्माण, गरीबी की रेखा से ऊपर के लोगों को उपभोक्ता शुल्क लगाना और वैकल्पिक प्रणालियों का पता लगाना शामिल है। अनेक राज्य (जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश) संसाधन जुटाने एवं उनके कारगर उपयोग की स्वीकृति देते हुए इन संस्थाओं को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिये नई स्कीमों का परीक्षण कर रहे हैं। कुछ राज्य, जैसे राजस्थान एवं केरल, उपभोक्ता शुल्क लगाते आ रहे हैं और अस्पताली सेवाएं सुधारने के लिये निधियों के उपयोग का प्रयत्न कर रहे हैं।

स्वास्थ्य के लिये मानव संसाधनों का विकास

स्वास्थ्य जनशक्ति निर्माण

25. भारत प्रतिवर्ष 17,000 से अधिक चिकित्सा स्नातक तैयार करता है, उनमें से दो तिहाई स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिये जाते हैं। चिकित्सा स्नातकों के प्रशिक्षण की विद्यमान सुविधायें आवश्यकताओं से आगे बढ़ गई हैं। इसे देखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिये कि "केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति मेडिकल कालेज नहीं खोले और कोई मेडिकल कालेज कोई नया या उच्च पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू न करे, जिसमें स्नातकोत्तर अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण या किसी अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम में अपनी प्रवेश क्षमता बढ़ाना भी शामिल है, 1993 में चिकित्सा परिषद अधिनियम में संशोधन किया गया"। संशोधन अधिनियम, 1993 पारित होने के बाद केन्द्र सरकार ने 18 मेडिकल कालेजों की स्थापना की स्वीकृति दी है जिसमें से 13 निजी क्षेत्रक में और पांच सरकारी क्षेत्रक में हैं।

26. यह बात सर्वविदित है कि परा-व्यावसायिक कार्मिकों की कमी है। परा-व्यावसायिकों को तीन श्रेणी की प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है, विद्यमान सरकारी संस्थाओं, निजी संस्थाओं और 10+2 व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंग के रूप में। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में एकरूपता सुनिश्चित करने और परा-व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है। आवश्यक परा-व्यावसायिक जनशक्ति के संदर्भ में जिलों के बीच पर्याप्त अंतरों को देखते हुए प्रत्येक जिले में आवश्यक परा-व्यावसायिकों का आकलन करने और उन्हें प्रशिक्षण देने के कदम उठाने, विशेषकर 10+2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम के माध्यम से, की आवश्यकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जिलों की आवश्यकता को देखा जा सके तथा पद खाली न रहें क्योंकि नियुक्त किये गये व्यक्ति उसी क्षेत्र से होंगे।

27. स्वास्थ्य सेवा योजना की तरह भारत में स्वास्थ्य जनशक्ति योजना की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। जनशक्ति की आवश्यकता के आकलन एवं आवश्यकता के अनुरूप स्वास्थ्य जनशक्ति तैयार करने की दिशा में बहुत कम प्रयत्न किये गये हैं। इस समय प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख संस्थाओं में केवल आधार सुविधा एवं जनशक्ति की मानिट्रिंग की जाती है और सूचना को समय-समय पर अद्यतन बनाया जाता है। जिले में निजी एवं स्वैच्छिक क्षेत्रक में स्वास्थ्य देखरेख आधार सुविधा एवं जनशक्ति पर सूचना प्राप्त करने और उसके विश्लेषण के लिये कोई कार्य-तंत्र नहीं है। जब तक यह सूचना उपलब्ध नहीं होगी तब तक ऐसी कोई कारगर क्षेत्र विशिष्ट सूक्ष्म योजना चलाना संभव नहीं होगा जिससे लोगों की स्थानीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उपेक्षित स्वास्थ्य जनशक्ति प्रदान की जा सके। ऐसा एक आंकड़ा आधार

बनाने के लिये पहले कदम के रूप में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में एक स्थायी तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो को निजी स्वैच्छिक, औद्योगिक, सरकारी एवं अन्य क्षेत्रों में ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य देखरेख तथा जनशक्ति पर आंकड़े संकलित करने का काम सौंपा गया है। इस प्रयत्न की प्रगति काफी धीमी है।

स्वास्थ्य व्यावसायिकों के लिये सतत शिक्षा

28. उभरती हुई प्रौद्योगिकी जननांकिकी परिवर्तन, बदलती जीवन शैली और रोग पैटर्न के संदर्भ में सभी स्वास्थ्य व्यावसायिकों के ज्ञान एवं कार्यकौशल को अद्यतन बनाने के लिये सतत शिक्षा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड और विभिन्न व्यावसायिक निकायों एवं संघों सहित विभिन्न संस्थाओं में सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से काय-चिकित्सकों को इस समय निरंतर चिकित्सा शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा बड़े रोग नियंत्रण एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम काय-चिकित्सकों एवं परा-व्यावसायिकों के लिये कार्यकौशल उन्नयन एवं कार्यक्रम अभिमुखता प्रशिक्षण चलाते हैं।

29. वर्ष 1999-2000 के दौरान भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा 15 सी0 एम0 ई0 कार्यक्रम आयोजित किये गये और 24 कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया है, राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी द्वारा 30 संगोष्ठियों / कार्यशालाओं के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। राजकुमारी अमृत कौर कालेज ऑफ नर्सिंग के अनवरत शिक्षा विभाग द्वारा 1999-2000 के दौरान नर्सिंग पद्धति में मानक विकास और क्लीनिकी पद्धति में निष्पादन मूल्यांकन पर दो राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

संचारी रोग नियंत्रण

30. यद्यपि स्वास्थ्य राज्य का विषय है परन्तु केंद्र सरकार ने पिछले 40 वर्षों में कुछ बड़े संचारी रोगों के नियंत्रण के लिये केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सी0एस0एस0) के माध्यम से अतिरिक्त निधियां प्रदान की हैं। यह रोग नियंत्रण कार्यक्रम नौवीं योजना अवधि में जारी रखे जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये उपलब्ध राष्ट्रीय निधियां बढ़ाने हेतु विदेशी सहायता प्राप्त की गई है।

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम (एन. ए. एम. पी.)

31. राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य क्षेत्र की पहली केन्द्र प्रायोजित स्कीम है, मलेरिया के कारण होने वाली बीमारियों एवं मृत्युओं की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से, 1953 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (एन0 एम0 ई0 पी0) के अधीन उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई जिससे 1965 तक मलेरिया के मामले कम होकर 0.1 मिलियन पर आ गये तथा मृत्यु दर शून्य पर आ गई। परन्तु 1965 के बाद मलेरिया की घटनायें फिर तेजी से बढ़ीं और एन. एम. ई. पी. ने एक संशोधित कार्य योजना शुरू की। वर्ष 1984 में मलेरिया की घटनायें कम होकर 2.18 मिलियन पर आ गई थीं। तब से लेकर पिछले दो दशकों में मलेरिया की घटनायें 2 मिलियन से कुछ ऊपर तक सीमित रही हैं।

32. नौवीं योजना अवधि में राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम ने मलेरिया नियंत्रण क्रियाकलापों को तेज किया है और इस कार्यक्रम में पता लगाई गई कमियों को दूर किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, 7 पूर्वोत्तर राज्यों और आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के 100 जिलों तथा 19 शहरों/ कस्बों में, जहां स्लाइड में रोग की बढ़ती धनात्मक दर है और ऐसे क्षेत्रों की घटनायें हुई हैं, संशोधित कार्य योजना के तीव्र और

प्रभावकारी कार्यान्वयन करना है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये उपलब्ध राष्ट्रीय निधियों को बढ़ाने की दृष्टि से विश्व बैंक से निधियां प्राप्त कर ली गई हैं। कार्यक्रम को 1998 से चालू कर दिया गया था। संशोधित कार्य योजना के घटकों में तुरंत निदान एवं तत्काल उपचार, चुनीदा वैक्टर नियंत्रण एवं व्यक्तिगत सुरक्षा, पूर्वानुमान, घटनाओं का तुरंत पता लगाना और उनके संबंध में प्रभावकारी कार्रवाई करना शामिल है।

33. एन0 ए0 एम0 पी0 का निष्पादन सारणी 5.4.1.2 में दिया गया है।

सारणी 5.4.1.2
राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम

वर्ष	बी एस ई (मिलियन में)	पाजिटिव मामले	पी एफ मामले	ए पी आई (1000 में)	अबेर प्रतिशत	एस पी आर प्रतिशत	एस एफ आर प्रतिशत	मौतों की संख्या
1996	91.54	3.04	1.18	3.48	10.49	3.32	1.29	1010.
1997	89.45	2.66	1.01	3.01	10.11	2.97	1.13	879
1998•	86.26	2.15	0.93	2.37	9.51	2.49	1.08	658
1998••	49.83	0.91	0.38			1.84	0.76	221
1999••	47.95	0.88	0.39			1.84	0.81	373

अनन्तिम

- 1998 की इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में 1999 के आंकड़े राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 25-10-1999 तक के हैं।
- 1010 मौतों में से 926 की पुष्टि की गई है और 84 संदिग्ध मौतें हैं। इनमें हरियाणा से 1794 बुखार से संबंधित मौतें शामिल नहीं हैं।

वित्तीय परिदृश्य

(लाख रुपये)

वर्ष	परिव्यय	व्यय (संशोधित अनुमान)
आठवीं योजना	42500.00	59106.55
1996-97	14500.00	14366.76
नौवीं योजना	100000.00	
1997-98	19000.00	14352.00
1998-99	29700.00	16393.97
1999-2000	25000.00	

स्रोत : वर्ष 1999-2000 की वार्षिक रिपोर्ट, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

34. मलेरिया से लोगों के बचाव के लिये कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। मलेरिया महामारी के आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक राज्य के संबंध में प्रति वर्ष कीट नाशी के छिड़काव के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान ए पी आई 2 और इससे अधिक वाले क्षेत्रों को संक्रमण से बचाव के लिये कीटनाशी स्प्रे के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वर्ष 1998 के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, चण्डीगढ़ और दमन व दिव राज्यों में लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्र में छिड़काव किया गया। वर्ष 1998-99 में 168 मिलियन लोगों को अवशिष्ट कीटनाशी स्प्रे के अंतर्गत लाने का लक्ष्य था परंतु केवल 79.26 मिलियन को ही लाभान्वित किया जा सका। वर्ष 1999-2000 के लिये कीटनाशी कार्य का तकनीकी लक्ष्य 171.40 मिलियन व्यक्ति था। विभिन्न महामारी दशाओं में चार जिलों में

मच्छरदानी शुरू करने का कार्य पायलट आधार पर किया गया है। शहरी क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रित करने के लिये 1971 में शहरी मलेरिया स्कीम शुरू की गई थी। सक्रिय निगरानी एवं लार्वा नाशी उपाय शहरी मलेरिया स्कीम के मुख्य घटक हैं। 40,000 से अधिक की आबादी वाले सभी नगरों को इसके अंतर्गत लाया जाना है, अभी तक स्कीम को 132 नगरों में कार्यान्वित किया गया है। वर्ष 1998 के दौरान 158890 मलेरिया के मामलों की सूचना दी गई थी जो 1997 के दौरान 174101 की तुलना में है। वर्ष 1999 में अक्टूबर तक 158433 मामलों की सूचना दी गई है। नियमित महामारी विज्ञानी एवं कीटनाशी छिड़काव रिपोर्टों एवं राज्यों के कार्यक्रम अधिकारियों के साथ बैठकों के माध्यम से राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम निदेशालय द्वारा कार्यक्रम की नियमित रूप से मानिट्रिंग की जा रही है।

35. कार्यक्रम के कार्यान्वयन में निम्नलिखित अड़चनों की सूचना दी गई है :—
- (1) क्लोरोक्विन के प्रति मलेरिया पैरासाइट की प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न होना।
 - (2) निर्माण एवं विकास परियोजनाओं द्वारा मलेरिया उत्पन्न होने की स्थिति पैदा करना।
 - (3) स्टाफ की, विशेषकर फील्ड/ प्राथम स्वा. के. प्रयोगशाला स्तरों पर, कमी।
 - (4) राज्य मुख्यालयों एवं जोनल दोनों स्तरों में कार्यक्रम अधिकारियों की बार बार बदली।
 - (5) बजटीय कठिनाइयों के कारण अनेक राज्य सरकारें कीटनाशियों आदि के छिड़काव के प्रचालन व्ययों एवं केंद्र सरकार द्वारा आपूर्ति किये गये कीटनाशकों के भाड़े की लागत वहन करने की अनिच्छुक हैं जिसके फलस्वरूप अपर्याप्त एवं अनियमित छिड़काव (स्प्रे) कार्य हो रहा है।

काला-अजार

36. काला अजार बिहार के 36 जिलों एवं पश्चिम बंगाल के 10 जिलों में स्थानिकमारी के रूप में है। इन राज्यों में रुग्णता एवं मृत्यु की अत्यधिक घटनाओं के साथ काला अजार समय-समय पर फैलता रहता है। सूचित मामलों के 90 प्रतिशत से अधिक एवं सूचित मौतों के 95 प्रतिशत से अधिक मामले बिहार से हैं। इन मामलों के दो तिहाई से अधिक मामले बिहार में सात जिलों के हैं। काला अजार की घटनाओं एवं मौतों की संख्या सारणी 5.4.1.3. में दी गई है।

सारणी 5.4.1.3

काला अजार से मृत्यु एवं उसके रोगियों की संख्या

वर्ष	मामले	मृत्यु
1996	27049	687
1997	17429	255
1998	13542	221
1999 (अगस्त तक)	6694	220

37. कीटनाशक छिड़काव कार्यों की अपर्याप्तता एवं नैदानिक सेवाओं की असंतोषजनक उपलब्धता के बावजूद काला अजार रोगियों एवं उससे होने वाली मौतों की संख्या में कमी आई है। समय पर कीटनाशी छिड़काव, काला अजार रोगियों का शीघ्र पता लगाना एवं उपचार सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है ताकि प्राप्त लक्ष्यों को बनाये रखा जा सके।

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर एन टी सी पी)

38. भारत में टी. बी. (क्षयरोग) एक बड़ी जन स्वास्थ्य समस्या है। अनुमान है कि यहां लगभग 140 लाख मामले सक्रिय टी. बी. के हैं। एच आई वी – टी बी सह-संक्रमण से टी बी के मामले

प्रति हजार पर इस समय 1.8 से काफी अधिक बढ़ सकते हैं। एन टी सी पी एक केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में 1962 से चल रही है। इस समय देश में 446 जिला टी बी केंद्र हैं। इसके अलावा देश में गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिये 47,600 टी बी पलंग हैं, शहरी क्षेत्रों में 330 टी बी क्लीनिक हैं, और 17 राज्य टी बी प्रदर्शन केंद्र हैं। पिछले तीन दशकों के दौरान प्रभावकारी "केमोथेरापी" की उपलब्धता के बावजूद यह कार्यक्रम क्षेत्र के बोझ को कम करने में सफल नहीं रहा है जिसका कारण मामलों का कम पता लगाना, कम उपचार दर आदि हैं।

39. चालू कार्यक्रमों की कमियों का पता लगाने तथा उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिये आठवीं योजना के दौरान एन टी सी पी की बड़ी पुनरीक्षा की गई थी। पुनरीक्षा के आधार पर एक संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर एन टी सी पी) तैयार किया गया। चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाने के लिये विश्व बैंक से विदेशी सहायता प्राप्त की गई है। नौवीं योजना में दी गई प्राथमिकतायें इस प्रकार हैं : (क) आरएनटीसीपी का कार्यान्वयन 102 जिलों में किया जाएगा। (ख) आर एन टी सी पी अपनाने के परिवर्तित कदम के रूप में एन टी सी पी को 203 एस सी सी जिलों में सुदृढ़ किया जाएगा। (ग) शेष गैर-अल्प कोर्स केमोथेरापी (एस सी सी) जिलों में मानक स्तर को सुदृढ़ किया जाएगा और (घ) संपूर्ण देश में केंद्रीय संस्थाओं, राज्य टी बी कक्षों और राज्य टी बी प्रशिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।

40. नौवीं योजना के लक्ष्य इस प्रकार हैं : (1) अनुमानित मामलों के कम से कम 70 प्रतिशत मामलों का पता लगाने के कार्य को बढ़ाना, (2) आर एन टी सी पी कार्यान्वित कर रहे 102 जिलों में टी बी के "स्मियर पाजीटिव" रोगियों में 85 प्रतिशत और 203 एस सी सी जिलों में 60 प्रतिशत चिकित्सा दर पूरी करना/ उपचार सुधार करना, (3) कार्यक्रम के अंतर्गत पता लगाये गये "स्मियर नेगेटिव" का अनुपात कुल मामलों के 50 तक या उससे कम करना, (4) कुल "स्मियर पाजीटिविटी" दर कम से कम 50 प्रतिशत सुधारना, और (5) यह सुनिश्चित करना कि "स्मियर" जांच के लिये परीक्षित संदिग्ध टी बी रोगियों की संख्या पेरीफेरल स्वास्थ्य संस्थाओं की सामान्य ओ पी डी संख्या के 2.5 प्रतिशत से कम न हो और परीक्षित "स्मियर्स" की संख्या प्रति संदिग्ध रोगी कम से कम तीन हो। कार्यक्रम को 1998 में चालू कर दिया गया है।

41. कार्यक्रम के घटक इस प्रकार हैं—

- (1) सभी स्तरों पर पेरीफेरल स्वास्थ्य सुविधायें प्राप्त कर रहे रोगियों का थूक—माइक्रोस्कापी के द्वारा निदान।
- (2) केंद्र द्वारा दवाओं (एस सी सी दवायें रोगीवार बाक्स में दी जाती हैं) की लगातार आपूर्ति।
- (3) पेरीफेरल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक स्वयं-सेवकों की भागीदारी के माध्यम से उपचार की सीधी देखरेख।
- (4) सभी स्तरों पर व्यवस्थित मानिट्रिंग, मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण।

42. एन टी सी पी के अधीन निष्पादन को सारणी 5.4.1.4 में दिखाया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर 1997-98 और 1998-99 में थूक—परीक्षण लक्ष्य का लगभग 30 प्रतिशत रहा है। वर्ष 1999-2000 में यद्यपि कुछ सुधार हुआ है परंतु लक्ष्य का यह अभी भी केवल 50 प्रतिशत है। आर एन टी सी पी को प्रारंभ करने में विलंब हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध निधियों का फायदा उठाकर कवरेज का विस्तार करने का प्रयत्न कर रहा है।

सारणी 5.4.1.4
राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष	थूक परीक्षण		थूक पाजिटिव		कुल नये मामले	
	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि
1997-98	14189175	31.84	472980	74.41	1277026	102.56
1998-99	14189175	27.44	472980	68.06	1277026	97.84
1999-2000	4884840	••50.98	488480	•46.38		
2000-2001	4985650		498570			

•• दिसम्बर 1999 तक

• रोगियों की संख्या (3 स्मियर्स/ रोगी)

आर एन टी सी पी मामलों का पता लगाने का निष्पादन (1999)

31.12.99 तक लाभान्वित आबादी (लाख)	उपचारित कुल मामले (1999)	उपचारित नये स्मियर पाजिटिव मामले (1999)	नये स्मियर रोगियों का अनुपात (1999)	नये स्मियर पाजिटिव
1381	136404	52774	0.8	86 प्रतिशत

वित्तीय परिदृश्य

वर्ष	परिव्यय	व्यय
आठवीं योजना	8500.00	19442.00
1996-97	6500.00	4180.00
नौवीं योजना	45000.00	
1997-98	9000.00	3205.00
1998-99	12500.00	7211.00
1999-2000	10500.00	9500.00

43. आर एन टी सी पी के अधीन 35,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। सोलह राज्यों/ संघ क्षेत्रों में 200 मिलियन की आबादी को इसमें कवर किया गया है। 2,50,000 से अधिक रोगियों को उपचार पर रखा गया है। आर एन टी सी पी जिलों में भी उपचारित कुल स्मियर पाजिटिव कुल उपचारित मामलों का लगभग 39 प्रतिशत ही हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का उपयोग भी नौवीं योजना अवधि में असंतोषजनक रहा है।

44. आर एन टी सी पी की सभी स्तरों पर मानिट्रिंग की जा रही है। कार्यक्रम के विस्तार के अनुरूप आवश्यकताओं को पूरा करने और इसकी मानिट्रिंग के लिये केंद्रीय टी बी प्रभाग को सुदृढ़ किया गया है। प्रभावशाली मानिट्रिंग एवं कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये केंद्रीय सरकार/ संबंधित राज्य सरकारों के निर्देश के अधीन कार्य करने के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन के समन्वय से स्थानीय पर्यवेक्षकों की सेवाएं किराये पर ली गयी हैं। स्वास्थ्य विभाग और केंद्रीय टी बी प्रभाग के अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम पुनरीक्षा के लिये समय-समय पर राज्यों/ संघ राज्यों के दौरे किये जाते हैं। भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा फरवरी 2000 में कार्यक्रम की एक संयुक्त पुनरीक्षा की गई थी। पुनरीक्षा में कार्यक्रम के तकनीकी निष्पादन का आकलन किया गया और कार्यक्रम के आगे चरणवार विस्तार की सिफारिश की गई।

45. पर्यवेक्षण कर्मचारियों को अधिक गतिशील बनाने के लिये पी ओ एल के प्रावधान के साथ चार पहियों एवं दो पहियों वाले वाहनों की खरीद हेतु राज्य एवं जिला समितियों को निधियां प्रदान की गई हैं। जिला टी बी समितियों एवं राज्य टी बी समितियों को भी सुदृढ़ किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने डी एफ आई डी सहायित परियोजना भी शुरू की है जिसमें आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य को शामिल किया गया है। परियोजना के घटकों में आर एन टी सी पी के कार्यान्वयन के अलावा केंद्रीय टी बी प्रभाग, प्रशिक्षण क्रियाकलापों को सुदृढ़ करना शामिल है। उड़ीसा के 14 जनजातीय जिलों में आर एन टी सी पी को कार्यान्वित करने के लिए "डैनिडा" से विदेशी सहायता भी प्राप्त की गई है। इस समय चरणबद्ध तरीके से जिलों को इसमें शामिल किया जा रहा है। वर्ष 2002 तक विश्व बैंक परियोजना के अधीन 400 मिलियन की आबादी और "डैनिडा" एवं डी एफ आई डी परियोजनाओं के अधीन लगभग 100 मिलियन आबादी को शामिल करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम

46. राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम को 100 प्रतिशत केंद्रीय निधि पोषित केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 1983 में शुरू किया गया था जिसका लक्ष्य बिमारी फैलने को रोकना तथा 2000 ई0 तक कुष्ठ रोग में कमी लाकर प्रति 10,000 पर एक के स्तर पर लाना था। एम डी टी के कारण कुष्ठ रोग की घटनाओं में काफी कमी आई जो 1981 में 57 / 10000 के स्तर से मार्च 2000 में 4.5 पर आ गई थीं। जहां आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे स्थानिक बीमारी वाले राज्यों में कुष्ठ रोग फैलने में काफी कमी आई वहां बिहार (10.6), उड़ीसा (10.48), पश्चिम बंगाल (7.9), उत्तर प्रदेश (6.02) और मध्य प्रदेश (6.7) जैसे राज्यों में यह दर ऊँची बनी रही। पहले 50 प्रतिशत मामले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होते थे। अब उपचार की आवश्यकता वाले 70 प्रतिशत मामले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हैं। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन निष्पादन सारणी 5.4.1.5 में दिखाया गया है:

सारणी 5.4.1.5
राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम

वर्ष	पता लगाये गये मामले		उपचार किए गए मामले		डिस्चार्ज किए गए मामले	
	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	प्रतिशत उपलब्धि
1996-97	218240	221.11	218240	208.65	474200	102.41
1997-98	323640	162.08	323640	161.39	431615	127.42
1998-99	323640	241.97	323640	230.65	652400	109.56
1999-2000 (पी)	286365	172.23	286365		611666	

वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये)

वर्ष	परिव्यय	व्यय / संशोधित अनुमान
आठवीं योजना	14000.00	30328.00
1996-97	7400.00	6533.00
नौवीं योजना	30100.00	
1997-98	7900.00	7828.00
1998-99	7900.00	7818.00
1999-2000	8500.00	8200.00

47. अप्रैल, 1997 में किये गये एक स्वतंत्र मूल्यांकन में सिफारिश की गई कि :
- (1) संशोधित कुष्ठ रोग उन्मूलन अभियान जारी रहना चाहिए।
 - (2) कुष्ठ रोग कार्यक्रम का विद्यमान स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली में पुनर्गठन एवं एकीकरण जारी रहना चाहिए।

48. सभी राज्यों में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक देखभाल स्तरों पर विद्यमान स्वास्थ्य देखरेख सेवा में कार्यक्रम के चरणबद्ध एकीकरण की सिफारिश की गई है। एकीकरण का प्रयास ऐसे राज्यों में किया जाएगा जहां कुष्ठरोग की घटनायें अधिक हों। कुष्ठरोग प्रशिक्षण संस्थान सभी श्रेणियों के स्टाफ को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करेंगे और कुष्ठ रोग कार्यक्रम के शीघ्र एकीकरण में सहायता प्रदान करेंगे।

49. कार्यक्रम के अंतर्गत संविदा पर कार्य कर रहे स्टाफ के लिए कार्य कौशल उन्नयन/ पुनर्प्रशिक्षण एवं तैनाती की आवश्यकता हो सकती है। गैर-सरकारी संगठन और समाज कल्याण विभाग व्यावसायिक पुनर्वास, सामाजिक आर्थिक पुनर्वास, पुनर्निर्माण सर्जरी, प्रशिक्षण, आई ई सी एवं अन्य नये क्रियाकलापों के लिये नवीन कार्य योजनायें तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।

संशोधित कुष्ठरोग उन्मूलन अभियान (एम एल ई सी)

50. संशोधित कुष्ठरोग उन्मूलन अभियान, जिसका उद्देश्य समुदायों में कुष्ठ रोग के पता न लगाये गये मामलों का पता लगाना था, सबसे पहले 1997 में तमिलनाडु में चलाया गया था और इसके बाद 1997-98 में महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, जम्मू एवं काश्मीर के जम्मू प्रभाग और दमन एवं दिव में इसका कार्यान्वयन किया गया। इस कार्यक्रम का 1998-99 के दौरान सभी जिलों में विस्तार किया गया। बड़ी संख्या में सामान्य स्वास्थ्य देखरेख कर्मचारी प्रदान किए गये। कुष्ठ रोग एवं जन जागृति पर जानकारी देने का पहला कार्य राज्य, जिला एवं परिधीय क्षेत्रों में चलाया गया जिसमें च्यक्तियों में पारस्परिक संपर्कों पर बल दिया गया। छः दिवसीय अभियान के दौरान लाख 4.6 मामलों का पता लगाया गया और उन्हें उपचार में रखा गया।

सारणी 5.4.1.6

एम एल ई सी द्वारा पता लगाये गये नये मामले तथा एम एल ई सी से पूर्व एवं बाद में पी आर (व्याप्ति दर)

जनसंख्या (लाख में)		संदिग्ध मामलों की संख्या	पुष्टि किए गये मामलों की संख्या	एकल घाव वालों की संख्या	एम एल ई सी से पूर्व पी आर	एम एल ई सी के बाद पी आर	पी आर में वृद्धि प्रतिशत
परिगणित	परीक्षित						
8209.67	6448.71	2858267	454290	53115	4.75	10.02	110.95

51. वर्ष 1999-2000 के दौरान दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार तथा दादर एवं नगर हवेली को छोड़कर सभी राज्यों में एम एल ई सी का दूसरा दौर कार्यान्वित कर लिया गया है। दूसरे एम एल ई सी के अंतर्गत रोगियों का पता लगाने का कार्य पांच उच्च स्थानिकमारी वाले राज्यों में 6 दिवसीय त्वरित सर्वेक्षण के द्वारा किया गया था और स्वास्थ्य केंद्रों में दो दिवसीय स्वैच्छिक सूचना के द्वारा भी किया गया जहां शेष 7 बड़े राज्यों में डाक्टर उपलब्ध रहते हैं। बाकी राज्यों में निःशुल्क निदान एवं उपचार के लिये सभी सामु0 स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथ0 स्वा0 केंद्रों एवं असपतालों को सूचना देने के लिए संदिग्ध मामलों को प्रोत्साहित करने हेतु स्टाफ को संबंधित जानकारी देने, आम जनता के लिये आई ई सी पर ध्यान केंद्रित किया गया। दूसरे एम0 एल0 ई

सी के दौरान 2.10 लाख नये रोगियों का पता लगाया गया। दूसरे एम0 एल0 ई0 सी0 में पुष्टि किये गये मामलों की संख्या में कमी आई है।

52. कुष्ठ रोग की रोकथाम और कुष्ठ रोगियों का शीघ्र पता लगाने, प्रबंधन और पुनर्वास की विद्यमान प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली में स्वास्थ्य जनशक्ति को अच्छी तरह प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण है। कुछ मूल्यांकन अध्ययन यह प्रदर्शित करते हैं कि एन एल ई सी के दौरान कुछ जिलों में वास्तविकता से कम या ज्यादा दोनों निदान किये गये हैं क्योंकि पता लगाने का कार्य बड़ी संख्या में उन लोगों द्वारा किया गया जिन्हें हाल ही में प्रशिक्षित किया गया था। फिर भी इस अभियान ने संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सम्मिलित करते हुए एक कार्य तंत्र प्रदान किया और स्वास्थ्य सेवा संरचना के भीतर कुष्ठ रोगियों की देखभाल के उतरोत्तर एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है।

53. नौवीं योजना में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये कार्यक्रम एवं एकीकरण प्रक्रिया के निष्पादन का सावधानी से पर्यवेक्षण एवं मानिटोरिंग अनिवार्य है। चूंकि विश्व बैंक सहायित एन एल ई पी परियोजना को मार्च 2000 में पूरा किया जाना था अतः सितंबर 2000 तक परियोजना के लिये 6 महीने का समय बढ़ा दिया गया है ताकि सभी राज्यों/ संघ राज्यों में अगले तीन वर्षों के अंदर उन्मूलन के शेष कार्य को पूरा करने के लिये द्वितीय चरण की परियोजना तैयार की जा सके। सिक्किम, नागालैंड, पंजाब, हरियाण, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय राज्यों ने कुष्ठ उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, अन्य सात राज्यों द्वारा इसे शीघ्र प्राप्त करने की आशा है। बाकि राज्यों के लिये लक्ष्य 2003 तक बढ़ा दिये गये हैं।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन ए सी पी)

54. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को 1992 में 100 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में आरंभ किया गया था। इसे आरंभ करने के समय से ही कार्यक्रम ने विभिन्न स्तरों पर विद्यमान स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के जरिये कार्य करना शुरू कर दिया। उपलब्ध आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि एच आई वी संक्रमण सभी राज्यों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान है। राज्यों/ जिलों/ शहरों के बीच जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण जांच किये गये व्यक्तियों की किस्म एवं संख्या में अंतर का होना है। पिछले दशक के दौरान सभी वर्गों में संक्रमण की उतरोत्तर वृद्धि रही है।

55. अनेक राज्यों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में समस्याएँ एवं विलम्ब रहे हैं। विभिन्न राज्यों में संक्रमण की व्याप्ति के आकलन और देश में महामारी के भावी घटनाक्रम की भविष्यवाणी करने के लिये संतरी निगरानी, जो एक अनिवार्य घटक है, उसे अधिकांश राज्यों में प्रोटोकाल के अनुरूप नहीं चलाया गया। कार्यक्रम के चरण 1 की विभिन्न कमियों के बावजूद अनेक दूसरे देशों की तुलना में संक्रमण व्याप्ति कम रही है।

56. भारत सरकार, राज्य सरकारों, विश्व बैंक, डी एफ आई डी और यू एस ए आई डी द्वारा निधि पोषित एन ए सी पी चरण 2 को अक्टूबर 1999 में आरंभ किया गया था। इस परियोजना के निम्नलिखित पांच घटक हैं :-

- लक्षित हस्तक्षेप, यौन संचारी रोग नियंत्रण कण्डोम को बढ़ावा देकर संक्रमण के अत्यधिक जोखिम वाले समुदाय के गरीब और सीमांतक वर्ग के बीच एच आई वी संक्रमण को कम करना।
- खून से फैलने वाले संक्रमण को कम करके और आई ई सी, स्वैच्छिक जांच एवं परामर्श को बढ़ावा देकर आम जनता के बीच एच आई वी फैलने को कम करना।

- एड्स के रोगियों के साथ रह रहे लोगों के लिये सामुदायिक आधारित कम लागत की देखभाल क्षमता विकसित करना।
- समुचित संगठनात्मक प्रबंधों की स्थापना और विश्वसनीय सूचना की यथा समय प्राप्ति बढ़ा कर राष्ट्रीय, राज्य और नगर निगमों के स्तरों पर कार्यान्वयन क्षमता को सुदृढ़ करना, और
- सरकारी, निजी एवं स्वैच्छिक क्षेत्रों के बीच अंतर क्षेत्रकीय संपर्क स्थापित करना।

57. एन ए सी पी के अधीन निष्पादन को सारणी 5.4.1.7 में दिखाया गया है। वर्ष 1999 तक एड्स के 9966 मामलों की सूचना दी गई है। निम्नलिखित को तैयार करना अनिवार्य है:-

- रोग की सामयिक प्रवृत्तियों पर रोग वैज्ञानिक आंकड़े।
- रोग वैज्ञानिक आंकड़ों पर आधारित विशिष्ट हस्तक्षेपों के ब्यौरे।
- आवश्यकता, यूनिट लागत, कुल लागत के अनुमान के लिये कार्य तंत्र।
- हस्तक्षेपों की प्रगति की मानिट्रिंग के लिये प्रक्रिया एवं प्रभाव संकेतक।
- परियोजना की समाप्ति पर प्राप्त किये जाने वाले आधार-भूत आंकड़े एवं लक्ष्य।

सारणी 5.4.1.7

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम – अखिल भारतीय (समेकित)

वर्ष	परीक्षित संख्या (000)	सीरो पाजिटिव (000)	एड्स मामले	सीरो पाजिटिविटी दर (प्रति 1000)
1996	2937	49527	3161	16.8
1997	3227	71400	5145	22.1
1998	3413	82391	6693	24.1
1999	3572	92312	9966	25.8

वर्ष	जोनल रक्त जांच केंद्र	रक्त जांच केंद्र	एस टी डी क्लीनिक	आधुनिकीकृत रक्त बैंक	प्रहरी स्थल
1996	154	62	504	743	55
1997	154	62	504	815	55
1998	154	131	504	815	180
1999	154	135	504	815	180

वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये)

वर्ष	परिव्यय	व्यय/ संशो. अनु.
आठवीं योजना	28000.00	27538.00
1996-97	14100.00	11441.00
नौवीं योजना	76000.00	
1997-98	10000.00	12301.00
1998-99	11100.00	10800.00
1999-2000	14000.00	•1325.00

• अनन्तिम

58. इस समय देश में 131 रक्त जांच केंद्र और 9 रेफरेंस केंद्र हैं। एक प्रहरी निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है, जनसंख्या के विभिन्न वर्गों में एच आई वी संक्रमण की प्रवृत्तियों की मानिट्रिंग के लिये 180 प्रहरी स्थल स्थापित किये गये हैं। रक्त सुरक्षा के लिये ब्लड बैंकों की अनिवार्य लाइसेंसिंग की गई है। एक सौ चौवन जोनल रक्त परीक्षण केंद्र स्थापित किये गये हैं जहां एच आई वी जांच सुविधायें उपलब्ध हैं। सरकारी और स्वैच्छिक क्षेत्रक में 815 ब्लड बैंकों का आधुनिकीकरण किया गया है और 40 रक्त अवयव प्रथक्करण सुविधायें स्थापित की गई हैं।

59. उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौंसिल और राज्य/ संघ राज्य स्तर पर राज्य ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौंसिल का गठन किया गया है। 1 जनवरी 1998 से पेशेवर रक्तदान को समाप्त कर दिया गया है और स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा दिया गया है। रक्त से फैले संक्रमणों का प्रतिशत परियोजना अवधि के दौरान 8 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गया है।

60. 504 एस टी डी क्लिनिकों को अनिवार्य उपस्कर की आपूर्ति एस टी डी दवाओं एवं अन्य उपभोग्य वस्तुओं तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये वित्तीय सहायता के द्वारा विद्यमान यौन संचारी रोग (एस टी डी) नियंत्रण कार्यक्रम को सुदृढ़ किया गया है। देश में सभी जिला स्तरीय महिला अस्पतालों में आर टी आई/ एस टी आई के प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/ संघ राज्यों को वित्तीय आबंटन किये गये हैं। पांच क्षेत्रीय एस टी डी केंद्रों का प्रशिक्षण, अनुसंधान, पर्यवेक्षण एवं मानिट्रिंग कार्य करने के लिये उन्नयन किया गया। लाक्षणिक प्रबंधन एवं एस टी डी उपचार के लिये मार्ग निर्देशिकायें संशोधित की गईं। एस टी डी मामलों के लाक्षणिक प्रबंधन में 18588 सरकारी चिकित्सा अधिकारियों एवं 10,000 प्राइवेट स्वास्थ्य देखरेख चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया गया। कण्डोमों को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कण्डोमों के सामाजिक विपणन पर जोर दिया गया है, उनके गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार किया गया है तथा कण्डोमों को औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम की अनुसूची "द" में शामिल किया गया है।

रोग-निगरानी एवं प्रतिक्रिया

61. रोग के तुरंत नियंत्रण एवं निरोधन के लिये उसका शीघ्र पता लगाने एवं शीघ्र कार्रवाई करने की कार्यात्मक प्रणाली की स्थापना को नौवीं योजना अवधि में उच्च प्राथमिकता के रूप में चुना गया है। जिला स्तर पर एक माडल रोग निगरानी प्रणाली विकसित करने के लिये स्वास्थ्य विभाग ने दो वर्ष की अवधि के लिये 20 जिलों में एक पायलट परियोजना शुरू की है। इसे यदि संभव पाया गया तो राज्य जिला स्तर पर शीघ्र पता लगाने, तुरंत कार्रवाई करने और फैलने से रोकने के सुनिश्चित करने और चुनी गई राज्य स्तरीय संस्थाओं/ मेडिकल कालेजों में महामारी विज्ञान सहायता एवं प्रयोगशाला सहयोग के लिये विद्यमान सुविधाओं एवं विशेषज्ञ सेवाओं के साथ कारगर संपर्क स्थापित करने की दृष्टि से इस माडल पर आधारित रोग निगरानी प्रणाली शुरू एवं कार्यान्वित कर सकते हैं। अनेक राज्यों में चालू स्वास्थ्य प्रणाली परियोजनाओं का एक घटक रोग निगरानी भी है, संचारी रोगों के नियंत्रण के लिये विशिष्ट चालू कार्यक्रमों का भी रोग निगरानी एक घटक है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन पोलियो के लिये निगरानी को तेज किया जा रहा है। इन प्रयत्नों के एकीकरण की आवश्यकता है।

अस्पताली – अपशिष्ट का निपटान

62. अस्पताल-सम्प्रेषित संक्रमणों एवं स्वास्थ्य देखरेख प्रदायकों एवं अपशिष्ट निपटान कर्ताओं के आकस्मिक संक्रमण की बढ़ती हुई घटनाओं से यह अनिवार्य हो गया है कि स्वास्थ्य देखरेख के सभी स्तरों पर समुचित सुविधाजनक प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा संक्रमण नियंत्रण सुधारने और अपशिष्ट निपटान के प्रयत्न किये जायें। आठवीं योजना के दौरान योजना आयोग ने शहरी

टोस अपशिष्ट प्रबंधन पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति की एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस रिपोर्ट का एक मुद्दा अस्पताली संक्रमण नियंत्रण था। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में योजना आयोग ने आठवीं योजना अवधि के अंत में तृतीयक स्वास्थ्य देखरेख संस्था परिसर में अस्पताली अपशिष्ट प्रबंधन की पायलट परियोजना हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की थी जिसका अनुकरण दूसरे राज्यों में भी किया जा सकता है। अनेक राज्य अस्पताली अपशिष्ट प्रबंधन को अपनी स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना के अंग के रूप में शामिल कर रहे हैं। पी एम जी वाई के अधीन निधियों का उपयोग प्राथमिक स्वास्थ्य देख रेख संस्थाओं में अस्पताली संक्रमण नियंत्रण एवं अपशिष्ट निपटान प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिये किया जा सकता है।

66. इस बात पर विचार करते हुए कि बड़ी संख्या में मोतिया बिंदु आपरेशन एक आंख से मोतियाबिंदु के अंधे व्यक्तियों और दोनों आंखों से अंधे व्यक्तियों की दूसरी आंख के किये जाते हैं अतः "बैकलाग" पूरा करने के लिये मोतिया बिंदु सर्जरी की दर प्रति एक लाख आबादी पर 400 से अधिक आपरेशन की होगी। परंतु केवल तीन राज्य (तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र) प्रति एक लाख आबादी में 400 से अधिक मोतियाबिंदु आपरेशनों के स्तर पर पहुंचे हैं। सेवा आंकड़ा रिपोर्टों का विश्लेषण यह प्रदर्शित करता है कि मेडिकल कालेजों और जिला अस्पतालों दोनों में प्रति पलंग किये गये मोतियाबिंदु या प्रति सर्जरी आपरेशनों की संख्या अधिकांश राज्यों में प्रत्याशित स्तरों से काफी नीचे थी। विद्यमान सुविधाओं के इस कम उपयोग को तुरंत ठीक करने की आवश्यकता है। सेवाओं एवं अनुवर्ती कार्रवाई की गुणवत्ता सुधारने के लिये कार्यक्रम कम सेवा वाले क्षेत्रों को छोड़कर शिविर सेवा से परिवर्तित होकर निर्धारित सुविधाओं के बड़े उपयोग में आ गया है।

संशोधित राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम (आर एन बी सी पी)

67. संपूर्ण देश को शामिल करते हुए आर एन बी सी पी 1998-2002 के लिये तैयार किया गया था और यह परिहार्य अंधता की रोकथाम और व्यय करने की अपनी क्षमता के बावजूद पहले ही दृष्टिहीन हो गये व्यक्तियों की आंखों की रोशनी लौटाने, इन दोनों पर ध्यान केंद्रित करेगा। पिछले दो वर्षों में आंखों की संक्रामक बिमारी के कारण जिला अस्पतालों में आई ओ एल सर्जरी के आद दृष्टिहीनता की सूचनायें मिली हैं। यह अनिवार्य है कि सेप्सिस (पूतिता) को कम करने, विशेषकर आई ओ एल आरोपण में, के लिये उचित ध्यान दिया जाय और यह सुनिश्चित किया जाय कि आई ओ एल आरोपण तभी किया जाय जब स्थितियां संतोषजनक हों। तृतीयक देख रेख केंद्रों में जहां कुशल सर्जन एवं आपरेशन के बाद की पर्याप्त देख रेख सुविधा उपलब्ध हैं, आई ओ एल के उपयोग को प्राथमिकता दी जा सकती है परंतु जिला स्तर पर या उससे नीचे जहां कुशल सर्जन एवं शल्य चिकित्सोत्तर सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, वहां आई ओ एल सेवाओं का विस्तार करने से गंभीर प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं जिनकी सूचना देश के विभिन्न भागों से प्राप्त भी हुई है। आई ओ एल सेवायें केवल उन्हीं स्तरों पर प्रदान की जानी चाहिए जहां समुचित आंतरिक एवं शल्यचिकित्सोत्तर सेवा उपलब्ध है। तृतीयक, द्वितीयक, जिला एवं इससे नीचे के स्तरों एवं शिविरों में आई ओ एल/ ई सी सी ई के क्रम को निर्धारित करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम (एन सी सी पी)

68. एन सी सी पी एक केंद्र क्षेत्रकीय कार्यक्रम है। रोकथाम संवर्धन, स्वास्थ्य शिक्षा, शीघ्र पता लगाने तथा उपचार सुविधायें बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वर्ष 1998-99 के दौरान जिला स्तर पर बचाव वाली स्वास्थ्य शिक्षा, शीघ्र पता लगाने और प्रशामक देखभाल के लिये दो राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। देश में दो मेडिकल कालेजों के लिये कोबाल्ट चिकित्सा यूनिटों सहित उपस्करों की खरीद हेतु निधियां भी प्रदान की गईं। क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

आयोडीन की कमी से उत्पन्न विकृति को नियंत्रित करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन आई डी डी सी पी)

69. इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में आयोडीन की कमी से उत्पन्न विकृतियों, जैसे मानसिक एवं शारीरिक अवमंदता, बधिर गूंगापन, बौनापन, अति गर्भपात आदि को नमक के अनिवार्य आयोडीनीकरण के माध्यम से नियंत्रित करना शामिल है। वर्ष 1999-2000 के दौरान हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले, उड़ीसा के क्यूंझर जिले, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आई डी डी सर्वेक्षण एवं पुनर्सर्वेक्षण किये गये। उपभोक्ता स्तर पर आयोडीनयुक्त

नमक की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये तत्स्थानिक गुणात्मकता परीक्षण किट तैयार किये गये हैं और जानकारी के लिये रोग वाले राज्यों में सभी जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को बांटे गये हैं।

70. आम लोगों में आई डी डी (आयोडीन की कमी से उत्पन्न विकृति) को रोकने के अपने अभियान के अंग के रूप में केंद्र सरकार ने मई, 1998 में एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें सभी खाद्य नमक उत्पादकों के लिये अपने नमक को आयोडीनयुक्त करना अनिवार्य किया गया। इसके विरोध को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा जन स्वास्थ्य उपाय सांविधिक उपबंध के जरिये लागू नहीं किया जाना चाहिए, केंद्र सरकार ने एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है जिसमें खाद्य नमक के अनिवार्य सांविधिक आयोडीनीकरण को भविष्य में वापस लेने का प्रस्ताव किया गया है। यह मामला अब आम-बहस के लिये खुला है।

एकीकृत गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम

71. गैर संचारी रोगों की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए यह अनिवार्य है कि संपूर्ण देश में प्राथमिक, द्वितीयक, एवं तृतीयक देखरेख स्तरों पर रोकथाम, उपचारात्मक और पुनर्वास सेवायें उपलब्ध की जाएं ताकि गैर संचारी रोगों (एन सी डी) से संबंधित रुग्णता एवं मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। केंद्र देखरेख (कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम), अनुकृति के लिये माडल स्थापित करने (राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम) और पायलट परियोजनाओं (डायबिटीज नियंत्रण कार्यक्रम) के लिये सुविधायें सुदृढ़ करने हेतु केंद्र क्षेत्रकीय कार्यक्रम के रूप में निधियां प्रदान कर रहा है। कुछ राज्यों, जैसे केरल में प्राथमिक एवं द्वितीयक देखरेख स्तरों पर एकीकृत गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के प्रयत्न किये जा रहे हैं जिसमें एन सी डी की रोकथाम, शीघ्र निदान, प्रबंधन एवं उचित रेफरल प्रणाली निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। तृतीयक देखभाल केंद्रों को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि जटिल रोगों के प्रबंधन हेतु उपचार सुविधायों में सुधार हो सके।

72. चूंकि अगले कुछ दशकों में एन सी डी की घटनाओं में प्रत्याशित वृद्धि कम से कम अंशतः परिवर्तित जीवनशैली के कारण होगी अतः यह अनिवार्य है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक रोकथाम की स्वास्थ्य शिक्षा एवं शीघ्र निदान तथा एन सी डी के तुरंत उपचार की ओर उचित ध्यान दिया जाय। तभी बढ़ती हुई साक्षर जनता से सक्रिय भूमिका एवं एन सी डी के कारण रुग्णता एवं मृत्युदर में कमी प्राप्त करने में मदद की आशा की जा सकती है।

चिकित्सा अनुसंधान

73. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई सी एम आर) भारत में जैव चिकित्सीय अनुसंधान के लिए नोडल एजेंसी है। विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं, विधि कालेजों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी जैव चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य प्रणाली अनुसंधान किये जाते हैं जिनका निधि पोषण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर) और संबंधित मंत्रालयों सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा किया जाता है। चालू अनुसंधान कार्यों में मुख्य जोर संचारी रोगों की उभरती समस्याओं, महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषणिक स्तरों में सुधार, गर्भ निरोधकों को अधिक अपनाने एवं जारी रखने की ओर दिया जा रहा है। इसके अलावा अनेक बैक्टीरिया में उभरती हुई औषधि-प्रतिरोध क्षमता से लड़ने के लिये सुधार की गई औषधि-प्रणाली पर रोगक्षम नैदानिक अनुसंधान अध्ययन विकास, परीक्षित वैक्टर्स (रोग वाहक) में बढ़ती हुई कीटनाशी प्रतिरोध क्षमता को देखते हुए वैक्टर नियंत्रण हेतु वैकल्पिक कार्ययोजना, भारतीय चिकित्सा पद्धति में नई औषधियों का विकास परीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, चालू स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कुशल कार्यान्वयन के लिये प्रचालन अनुसंधान कार्य भी किये जा रहे हैं।

परिव्यय

राज्य क्षेत्रक

74. नौवीं योजना के पहले तीन वर्षों में परिव्यय एवं व्यय को संलग्नक 5.4.1.2 में दिखाया गया है। स्वास्थ्य देखरेख आधार सुविधा का पुनर्गठन, जनशक्ति का पुनर्नियोजन एवं कार्यकौशल विकास, रेफरल कार्य-तंत्र का विकास, स्वास्थ्य प्रबंध आसूचना प्रणाली में सुधार, रोग निगरानी विकास और जिला स्तर पर कार्रवाई कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कदम हैं जो राज्य सरकारों को उठाने हैं ताकि राज्यों में विद्यमान स्वास्थ्य देखरेख आधार सुविधा एवं जनशक्ति के कार्यात्मक स्तर एवं कार्यकुशलता को सुधारा जा सके। केंद्र प्रायोजित रोग नियंत्रण कार्यक्रम और परिवार कल्याण कार्यक्रम अतिरिक्त महत्वपूर्ण जनशक्ति एवं उपस्कर के लिये निधियां प्रदान करते हैं, अत्यधिक कमियों को पूरा करने के लिये इनका उचित रूप से उपयोग करना होगा। चालू एवं प्रस्तावित विदेशी सहायता कार्यक्रम संसाधनों के अतिरिक्त स्रोत हैं। स्वास्थ्य एक ऐसा प्राथमिकता वाला क्षेत्रक है जिसे बुनियादी न्यूनतम सेवाओं हेतु अतिरिक्त केंद्रीय सहायता शीर्ष के अधीन केंद्रीय बजट में निधियां प्रदान की जाती हैं। शहरी एवं ग्रामीण स्वास्थ्य देख रेख को कार्यान्वित करने के लिए अनिवार्य आवश्यकतायें पूरा करने हेतु राज्य भी इन निधियों का उपयोग कर सकेंगे।

केंद्र

75. नौवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्रक के लिये परिव्यय एवं व्यय को नीचे सारणी 5.4.1.8 में दिखाया गया है।

सारणी 5.4.1.8
स्वास्थ्य के लिये अनुमोदित परिव्यय एवं व्यय

आठवीं योजना परिव्यय (1992-97)	नौवीं योजना परिव्यय (1997-2002)	1997-98 (बजट अनुमान)	1997-98 (वास्तविक)	1998-99 (बजट अनुमान)	1998-99 (वास्तविक)	1999-2000 (बजट अनुमान)	1999-2000 (प्रत्याशित व्यय)	2000-2001 (बजट अनुमान)
1712.00	5118.19	920.20	716.15	1145.20	814.34	1160.00	1000.00	1300.00

76. विशेष कार्य योजना के अंतर्गत चुने गये क्षेत्रकों में से स्वास्थ्य एक क्षेत्रक है। घरेलू बजटीय सहायता से उपलब्ध निधियों के अतिरिक्त अनेक केंद्र प्रायोजित रोग नियंत्रण कार्यक्रम विदेशी सहायता कार्यक्रमों से भी निधियां प्राप्त कर रहे हैं।

स्वास्थ्य देखभाल संरचना

मर्दाने	1951	1961	1971	1981	1992	1996	1997
1.	2	3	4	5	6	7	8
1. मेडिकल कालेज ••	28•	60	98	111	146	165	165
2. अस्पताल ••	2694	3094	3862	6804	13692	15097 #	अनुपलब्ध
3. औषधालय ••	6515	9406	12180	16751	27403	28225 #	अनुपलब्ध
4. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र •	0	0	0	217	2186	2572	2708••
5. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र •	725	2565	5112	5740	20701	21917	22962••
6. उप केंद्र •	0	0	28489	51405	131370	134931	136815••
7. अस्पताल की शय्याएं (सभी प्रकार की)••	117178	230000	348655	569495	834650	870161 #	अनुपलब्ध
8. डाक्टर ••	61840	83756	151129	268712	395851	375291 (पी)	484401 (पी)
9. डेन्टिस्ट ••	3290	3582	5512	8648	11300	23953 #	अनुपलब्ध
10. नर्सों ••	16550	35584	80620	154280	385410	565696	अनुपलब्ध

- 1950 से संबंधित
- 31 दिसम्बर की स्थिति के अनुसार
- 31 मार्च की स्थिति के अनुसार
- # 31.12.95 की स्थिति के अनुसार
- (पी) अनन्तिम

राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए परिव्यय

(लाख रुपये)

राज्य	नौवीं योजना परिव्यय स्वास्थ्य	1997 - 98				1998 - 99				1999 - 2000	
		परिव्यय		वास्तविक खर्च		परिव्यय		संशोधित अनुमान		परिव्यय	
		स्वास्थ्य	एम एन पी/ बी एम एस	स्वास्थ्य	एम एन पी/ बी एम एस	स्वास्थ्य	एम एन पी/ बी एम एस	स्वास्थ्य	एम एन पी/ बी एम एस	स्वास्थ्य	एम एन पी/ बी एम एस
1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
आंध्र प्रदेश	63052.00	13937.00	2923.60	12366.00	2923.60	20046.00	3923.60	20046.00	अनुपलब्ध	28033.00	1197.00
अरुणाचल प्रदेश	33502.00	3149.00	1021.00	1782.00	1021.00	3520.00	1072.00	3089.00		2947.00	998.00
असम	38410.00	6561.00	3120.00	6223.00	3120.00	7191.00	4334.00	6987.00	4334.00	7741.00	4534.00
बिहार	83200.00	7245.00	5059.00	4950.00	3726.00	12177.00	7518.00	9466.00	3218.28	12768.00	10800.00
गोआ	8122.00	1082.00	187.80	1032.00	187.80	772.00	101.95	1130.00	105.70	1646.00	106.55
गुजरात	83225.00	22093.00	12177.00	17180.00	10424.01	23550.00	12132.31	23550.00	एन आर	25100.00	11342.82
हरियाणा	35134.00	3882.00	1425.00	4493.00	1425.00	5946.00	2700.00	5085.00	2700.00	5327.00	2700.00
हिमाचल प्रदेश	31765.00	5544.00	2659.10	6535.00	2369.31	8965.70	3341.54	9636.00	3341.54	10555.00	3319.83
जम्मू और कश्मीर	110029.00	7450.00	6460.00	6989.00	6460.00	11385.51	6334.86	11477.00	6896.80	11974.00	6312.79
कर्नाटक	110000.00	18359.00	12713.00	21914.00	12713.00	19544.30	11785.00	20610.00	11615.85	22774.00	17200.25
केरल	30940.00	6096.00	855.00	5828.00	855.00	6200.00	775.00	6044.00	775.00	6400.00	607.00
मध्य प्रदेश	56787.00	9331.00	5604.00	7031.00	5604.00	17351.47	4357.78	14501.00	4357.78	13524.00	4056.69
महाराष्ट्र	91823.00	17391.00	9882.00	13811.00	9882.00	22993.00	7142.00	22993.00		27798.00	6856.93
मणिपुर	3600.00	630.00	271.65	540.00	271.65	809.35	600.00	809.00	550.00	1080.00	550.00
मेघालय	14000.00	2430.00	1306.50	1790.00	1306.50	2430.00	2000.00	2430.00	1750.00	3079.00	2329.00
मिजोरम	11201.00	1651.00	795.00	1651.00	795.00	1816.00	794.41	1785.00	781.66	2286.00	1830.00
नागालैंड	10631.00	2506.00	1017.00	2480.00	1017.00	2128.00	950.00	2128.00	1139.00	2128.00	1139.00
उड़ीसा	41606.00	4104.00	1907.89	5198.00	2737.09	7526.21	3465.19	7526.00	4376.01	13208.00	4127.72
पंजाब	51159.00	9938.00	3432.00	3187.00	3432.00	16352.00	2579.60	16605.00	1968.60	18319.00	2458.00
राजस्थान	77060.00	13919.00	7005.05	12339.00	7005.05	15289.00	8830.00	12130.00	6600.00	17262.00	9656.00
सिक्किम	8000.00	857.00	267.15	757.00	267.15	814.00	275.05	1914.00		1559.00	540.05

अध्याय 5 : सामाजिक विकास

संलग्नक 5.4.2 (जारी)

राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए परिव्यय

(लाख रुपये)

राज्य	नौवीं योजना परिव्यय स्वास्थ्य	1997 - 98				1998 - 99				1999 - 2000	
		परिव्यय		वास्तविक खर्च		परिव्यय		संशोधित अनुमान		परिव्यय	
		स्वास्थ्य	एम एन पी/ बी एम एस	स्वास्थ्य	एम एन पी/ बी एम एस	स्वास्थ्य	एम एन पी/ बी एम एस	स्वास्थ्य	एम एन पी/ बी एम एस	स्वास्थ्य	एम एन पी/ बी एम एस
1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
तमिलनाडु	78052.00	8909.00	2440.86	11005.00	2440.86	11650.93	3388.14	12797.00	3388.14	12426.00	2442.99
त्रिपुरा	8559.00	1371.00	619.00	1091.00	619.00	1407.92	659.00	1515.00	659.00	1355.00	630.00
उत्तर प्रदेश	118500.00	17312.00	12836.00	15609.00	13037.00	40551.00	27813.00	8268.00	9432.00	42816.00	15413.57
प. बंगाल	97864.00	20633.00	1500.00	3322.00	1030.62	19286.00	3103.00	12225.00	3616.00	23502.00	3246.00
जोड़ - राज्य	1296221.00	206380.00	97484.60	169103.00	94669.64	279702.39	119975.43	234746.00	71605.36	315607.00	114394.19
संघ राज्य क्षेत्र											
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7741.00	1559.00	671.00	1831.59	671.00	1895.00	786.00	1895.00		2000.00	956.00
चंडीगढ़	17065.00	3617.00	353.00	3748.90	353.00	3548.30	222.50	3548.30		3483.00	250.50
दादरा और नगर हवेली	514.00	219.00	207.50	148.87	207.50	252.70	91.45	252.70		280.00	121.45
दमन और दीव	887.00	133.00	97.00	165.96	97.00	173.00	153.80	173.00		136.00	128.00
दिल्ली	110140.00	15240.50	1800.00	12684.15	1800.00	19700.00	3619.00	15557.00		27345.00	5525.00
लक्षद्वीप	817.46	233.85	151.77	267.78	151.77	333.00	71.00	333.00		229.03	141.09
पांडिचेरी	10000.00	1630.00	240.52	1546.97	240.52	2370.00	303.87	1920.00	330.28	2720.00	453.00
जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र	147164.46	22632.35	3520.79	20394.22	3520.79	28272.00	5247.62	23679.00	330.28	36193.03	7575.04
कुल जोड़ - राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	1443385.46	229012.35	101005.39	189497.22	98190.43	307974.39	125223.05	258425.00	71935.64	351800.03	121969.23

स्रोत : 1) राज्य योजना प्रभाग, योजना आयोग
• बी ई स्तर पर

2) वार्षिक योजना दस्तावेज, राज्य सरकार
• कार्यदल द्वारा संस्तुत

अध्याय 5 सामाजिक विकास

5.4.2 भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी

97. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शामिल हैं। कुछ पद्धतियां स्वदेशी हैं और अन्य कई वर्षों से भारतीय परंपरा का अंग बन चुकी हैं। देश में 6 लाख से अधिक स्वदेशी चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के चिकित्सक हैं। अधिकांश चिकित्सक प्राइवेट क्षेत्रक में दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों/ शहरी स्लम्स में काम करते हैं और लोग उनकी सेवायें प्राप्त करते हैं। भा0 चि0 प0 एवं होम्यो0 के सामने जो समस्यायें हैं उनमें प्रशिक्षण संस्थाओं में अर्हता प्राप्त अध्यापकों की कमी और अपेक्षित स्तर का प्रशिक्षण न होना, अनिवार्य स्टाफ की कमी, द्वितीयक/ तृतीयक देखभाल संस्थाओं में आधार सुविधा और नैदानिक सुविधाओं की कमी शामिल है। स्व0 चि0 प0 एवं होम्यो0 की औषधीय क्षमताओं एवं चिकित्सा पद्धतियों का पूरा उपयोग नहीं किया गया है और विद्यमान स्व0 चि0 प0 एवं होम्यो0 के चिकित्सकों का स्वास्थ्य देखरेख उपलब्धता सुधारने में पूरा उपयोग नहीं हो रहा है।

98. केंद्र सरकार ने लोगों की स्वास्थ्य देखरेख के लिये स्व0 चि0 प0 एवं होम्यो0 के विकास एवं इष्टतम उपयोग की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करने की दृष्टि से 1995 में स्वदेशी चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग का सृजन किया। अठारह राज्यों ने भी अलग से स्व0 चि0 प0 एवं होम्यो0 निदेशालय स्थापित किये हैं। नौवीं योजना में यह निहित किया गया है कि भार0 चि0 प0 एवं होम्यो0 विभाग को आधार सुविधा एवं जनशक्ति के विकास, औषधीय वनस्पतियों की खेती के संरक्षण एवं संवर्धन, सभी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के लिये औषधशास्त्र को पूरा करने, अनिवार्य दवाओं के सूचीकरण, अच्छी विनिर्माण पद्धतियों के प्रोत्साहन, दवाओं के गुणवत्ता नियंत्रण और दवाओं के विकास एवं स्वत्वाधिकार पर ध्यान केंद्रित करते हुए भा0 चि0 प0 एवं होम्यो0 में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन के द्वारा भा0 चि0 पद्धति एवं होम्यो0 की सेवाओं की गुणवत्ता, विस्तार को सुधारना चाहिए।

प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक देखरेख संस्थायें

99. प्राइवेट एवं स्वैच्छिक क्षेत्रक तथा सरकारी केंद्रों/ संस्थानों द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक देखरेख स्तरों पर भा0 चि0 प0 एवं होम्यो0 सेवायें प्रदान की जा रही हैं। भा0 चि0 प0 एवं होम्यो0 के अधीन उपलब्ध चिकित्सा देखभाल, चिकित्सा जनशक्ति और चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं की वर्तमान स्थिति सारणी 5.4.2.1. में दी गई है।

100. इस समय 22735 भा0 चि0 प0 एवं होम्यो0 के औषधालय हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सेवायें प्रदान करते हैं। सेवाओं की उपलब्धता को सुधारने के लिये सरकारी, स्वैच्छिक एवं प्राइवेट क्षेत्रक में कार्य कर रहे भा0 चि0 प0 एवं होम्यो0 के चिकित्सकों की सेवाओं के अधिक उपयोग के लिए राज्य प्रयत्न कर रहे हैं। कार्य कर रहे भा0 चि0 प0 एवं होम्यो0 औषधालयों की राज्यवार संख्या संलग्नक 5.4.2.1 में दिखाई गई है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात में भा0 चि0 प0 एवं होम्यो0 के चिकित्सक हैं जो कुछ दूर दराज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एकमात्र चिकित्सकों के रूप में हैं और जरूरतमंद लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख में आधुनिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों के अलावा भा0 चि0 प0 एवं होम्यो0 के चिकित्सक भी

हैं ताकि रोगियों की पसंद एवं उनकी स्वास्थ्य समस्याओं की प्रकृति को देखते हुए दोनों प्रणालियों के अधीन अनुपूरक स्वास्थ्य देखरेख प्रदान की जा सके। अनेक राज्य जिला अस्पतालों में भा0 चि0 प0 एवं होम्यो0 क्लीनिक स्थापित कर रहे हैं। संबंधित केन्द्रीय अनुसंधान परिषदों के माध्यम से अनुसंधान क्रियाकलाप के रूप में सफदरजंग अस्पताल में आयुर्वेद एवं होम्योपैथी के विशेषज्ञ क्लीनिक स्थापित किये गये हैं। नियमित ओ. पी. डी. के अलावा इन क्लीनिकों में प्रतिष्ठित वैद्य/ हकीम/ होम्योपैथ सप्ताह में एक बार अपनी सेवायें प्रदान कर रहे हैं। "निमहान्स" बंगलौर में मानसिक स्वास्थ्य के लिये एक आयुर्वेदिक केन्द्र की भी स्थापना की गई है। परिवार कल्याण विभाग चुने गये राज्यों और शहरों में आर. सी. एच. औषधियों के अंग के रूप में भा. चि. प. एवं होम्यो. की औषधियां प्रदान कर रहा है।

सारणी 5.4.2.1

1.4.1999 की स्थिति के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के अधीन चिकित्सा देख रेख, चिकित्सा जनशक्ति एवं चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं का सारांश

क्र. सं.	सुविधायें	आयुर्वेद	यूनानी	सिद्ध	योग	प्राकृतिक चिकित्सा	होम्यो0	योग
1	अस्पताल	2189	189	204	8	21	243	2854
2	पलंग	33145	4157	1681	201	733	9436	49,353
3	औषधालय	14252	966	357	42	55	7037	•22735
4	पंजीकृत चिकित्सक	366812	40748	12911	—	402	188527	609400
5	क) स्नातक पूर्व कालेज	154	31	2	—	—	118	305
	ख) प्रवेश क्षमता	6300	1252	150	—	—	5457	13159
6	क) स्नातकोत्तर कालेज	33	3	1	—	—	10	47
	ख) प्रवेश क्षमता	437	55	24	—	—	99	615

स्रोत भा0 चि0 प0 एवं होम्यो0 विभाग
आंकड़े अनन्तिम हैं।

— शून्य सूचना

कोष्ठक में दिखाये गये आंकड़े डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के संबंध में प्रवेश क्षमता के हैं अन्यथा प्रवेश क्षमता डिग्री पाठ्यक्रम के लिये हैं। 1.4.1999 की स्थिति क अनुसार सूचना केवल पंजीकृत चिकित्सकों के संबंध में प्राप्त हुई है।

• 26 अमाची औषधालय भी शामिल हैं।

101. निम्नलिखित करना महत्वपूर्ण है:—

- सरकारी, स्वैच्छिक एवं प्राइवेट क्षेत्रक में कार्य कर रहे भा0 चि0 प0 एवं होम्यो0 के चिकित्सकों के उपयोग को बढ़ाना ताकि आई. ई. सी., परामर्श, अधिक उपयोग को सुधारा जा सके और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों में उपचार पूरा किया जा सके।
- यह सुनिश्चित करना कि योजना अवधि के अंत में संबंधित प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक देख रेख संस्थाओं द्वारा भा0 चि0 प0 एवं होम्यो0 का निधि पोषण किया जाय।
- इस बात की मानिट्रिंग करना कि अस्पतालों में रोगियों को अनुपूरक स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली प्रदान करने के प्रयत्नों का उपयोग रोगियों द्वारा कैसे किया जाता है और मध्यावधिक सुधार करना।
- तृतीयक देखरेख संस्थाओं विशेषकर भा0 चि0 प0 एवं होम्यो0 कालेजों एवं राष्ट्रीय संस्थाओं से सम्बद्ध संस्थाओं में सुधार लाना ताकि शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास और रोगियों की देखरेख में साथ-साथ सुधार हो सके।

- प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखरेख संस्थाओं के बीच कारगर "रेफरल लिंकेज" स्थापित करना।

भा0 चि0 प0 एवं होम्यो0 के लिये मानव संसाधन विकास

भा0 चि0 प0 एवं होम्यो0 में व्यावसायिक प्रशिक्षण

102. विभिन्न भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के लगभग 13000 चिकित्सक प्रतिवर्ष स्नातक होकर निकलते हैं, अनेक भा0 चि0 प0 एवं होम्यो0 के कालेजों में पर्याप्त आधार सुविधायें एवं अर्हता प्राप्त जनशक्ति नहीं है, उनके पास शिक्षण, प्रशिक्षण सामग्री की कमी है और वह पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारना अनिवार्य है ताकि ये स्नातक रोगियों की अच्छी तरह से देखभाल कर सकें। स्थिति को सुधारने के लिये विभाग ने अनेक उपाय किये हैं। केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद और केंद्रीय होम्योपैथी परिषद शैक्षणिक संस्थाओं का निरीक्षण करती हैं, अर्हता-प्राप्त भा0 चि0 प0 एवं होम्यो0 के चिकित्सकों का पंजीकरण करती हैं और पाठ्यक्रम संशोधित करती हैं। भा0 चि0 प0 एवं होम्यो0 के राज्य और केंद्रीय विभाग भा0 चि0 प0 एवं होम्यो0 के विद्यमान स्नातकपूर्व एवं स्नातकोत्तर कालेजों के सुधार एवं सुदृढीकरण के लिये निधियां प्रदान करते हैं ताकि वह केंद्रीय भा0 चि0 परिषद/ केंद्रीय होम्यो0 परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्ड प्राप्त कर सकें।

भा0 चि0 प0 एवं होम्यो0 में परा-व्यावसायिकों को प्रशिक्षण

103. विभाग इस समय यूनानी चिकित्सा में नर्सिंग और फार्मसी के लिये पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है। कुछ प्राइवेट संगठन और राज्य सरकारें आयुर्वेदिक फार्मसी में पाठ्यक्रम चला रही हैं। केरल और राजस्थान जैसे राज्य आयुर्वेदिक नर्सिंग में पाठ्यक्रम चला रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों को किसी सांविधिक निकाय द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। इस समस्या को दूर करने के लिये प्रयत्न चल रहे हैं।

भारतीय चि0 प0 एवं होम्यो0 में अनवरत चिकित्सा पद्धति

104. अधिकांश भा0 चि0 प0 एवं होम्यो0 चिकित्सकों ने मान्यता प्राप्त संस्थाओं से अर्हता प्राप्त की है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कवरेज को सुधारने के लिये उनका उपयोग किया जा सकता है। इनमें से अधिकांश चिकित्सक प्राइवेट क्षेत्र में हैं और अनवरत चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रमों के जरिये उनके ज्ञान एवं कार्य कौशल को समय-समय पर अद्यतन बनाने की जरूरत है। भा0 चि0 प0 एवं होम्यो0 के चिकित्सकों को चालू राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की पर्याप्त जानकारी प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है ताकि वह आवश्यक परामर्श प्रदान कर सकें और कण्डोम या ओ0 आर टी पैकेज जैसी चुनिंदा वस्तुओं के लिये भंडार धारकों के रूप में कार्य कर सकें। भा0 चि0 प0 एवं होम्यो0 विभाग नौवीं योजना के दौरान 6.10 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से पुनश्चर्या/ सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत सारसत्र, पंचकर्म चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा जैसे विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में अध्यापकों एवं चिकित्सकों के लिये एक माह का पाठ्यक्रम और दो माह का प्रशिक्षण और भा0 चि0 प0 एवं होम्यो0 कार्मिकों को योग प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। परिवार कल्याण विभाग ने भा0 चि0 प0 एवं होम्यो0 चिकित्सकों के लिये आर सी एच कार्यक्रम की जानकारी हेतु प्रशिक्षण पूर्व, कार्यक्रम चलाने की दृष्टि से 30 भा0 चि0 प0 एवं होम्यो0 संस्थाओं को 68.8 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं।

105. निम्नलिखित कार्य महत्वपूर्ण हैं :-

- पर्याप्त वित्तीय सहायता के साथ राष्ट्रीय संस्थान के रूप में प्रत्येक पद्धति में एक केंद्र को विकसित करना ताकि वह "माडल सेंटर" के रूप में कार्य कर सकें।

- सुदृढीकरण के लिये सुपरिभाषित परियोजनायें प्रस्तुत करने वाली सरकारी संस्थाओं को सहायता।
- नामांकन शुरू करने से पहले सभी शैक्षणिक संस्थाओं की मान्यता सुनिश्चित करना और स्थायी मान्यता के लिये समय पर अनिवार्य पुनरीक्षा।
- यह सुनिश्चित करना कि छात्रों को पर्याप्त संख्या में रोगियों के साथ अस्पताली सुविधा उपलब्ध हो ताकि वे क्लीनिकी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और क्लीनिकी दक्षता विकसित कर सकें।
- प्रवेश मानदंडों एवं पाठ्यक्रमों में एकरूपता सुनिश्चित करना।
- स्नातकपूर्व प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं संगतता सुधारना और संभव बहु-व्यावसायिक संपर्कों के साथ एक अवधि की प्रशिक्षुता के द्वारा क्लीनिकी दक्षता में सुधार।
- ग्रेजुएट और सी एम ई पाठ्यक्रमों में आवश्यक पाठ्यचर्या परिवर्तन करना और उचित पाठ्यक्रम विषय विकसित करना ताकि प्रत्याशित कार्य-निष्पादन अर्थात् परामर्श में भा० चि० प० एवं होम्यो० चिकित्सकों की भागीदारी बढ़ाना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सेवाओं के उपयोग को सुधारने से संबंधित प्रशिक्षण अनुभवों को तैयार किया जा सके।

औषधीय वनस्पतियों की खेती को संरक्षण एवं संवर्धन

106. भा० चि० प० एवं होम्यो० में औषधियों की बढ़ती हुई मांग और इस बात को देखते हुए कि औषधीय वनस्पतियों की कुछ प्रजातियों के लुप्त हो जाने की सूचना मिली है, भा० चि० प० एवं होम्यो० विभाग ने औषधीय वनस्पतियों के विकास एवं खेती के लिये संसाधन बढ़ाये हैं जिसका उद्देश्य पादप मूल की कच्ची-जड़ी बूटियों की खेती एवं विकास के लिये केंद्रीय सहायता प्रदान कर उनका उत्पादन बढ़ाना है। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य औषधि वाटिकाओं में निवेश कर रहे हैं ताकि आयुर्वेदिक औषधालयों के लिये आवश्यक औषधियों को राज्य सरकार उचित लागत पर प्रदान कर सकें।

107. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी में प्रयुक्त औषधीय पादपों की कृषि तकनीकों एवं खेती के विकास के लिये विभाग के पास एक केंद्रीय स्कीम भी है। इस स्कीम के अंतर्गत चुने गये औषधीय पादपों की कृषि तकनीक विकास हेतु परियोजना आधार पर विशेषीकृत वैज्ञानिक संस्थाओं को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। लगभग 126 औषधीय पादपों की कृषि तकनीक विकसित करने के लिए विभाग विभिन्न संगठनों में 34 परियोजनायें कार्यान्वित कर रहा है और औषधीय पादपों की स्कीमों पर 1998-99 के दौरान 200 लाख रुपये का व्यय किया गया।

108. योजना आयोग ने औषधीय पादपों के संरक्षण, निरंतर उपयोग एवं वैधानिक सुरक्षा पर एक कार्य-बल का गठन किया था जिसने निम्नलिखित सिफारिशें की थीं :-

- (1) सभी पारिस्थिकी प्रणालियों, विशेषकर वन्य जीव अधिनियम के अधीन पहले ही अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों के अंदर वन किस्मों एवं उप-किस्मों को शामिल करते हुए 200 औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्रों (एम पी सी ए) की स्थापना।
- (2) 50 औषधीय पादप प्रजातियों का जो दुर्लभ या संकटापन्न या समाप्त हो रही हैं, कृषि, बागवानी, वन एवं अन्य विभागों द्वारा प्रबंधित एवं स्थापित उद्यानों में पर-स्थानिक संरक्षण का प्रयत्न किया जा सकता है।
- (3) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सृजित तीन जीन-बैंकों को सभी औषधीय वनस्पतियों के "जर्मप्लाज्म" का उचित भण्डारण करना चाहिए।

- (4) अपघटित वन क्षेत्रों में 200 वनस्पति वन स्थापित किये जा सकते हैं (प्रत्येक लगभग 5000 हेक्टे0 क्षेत्र का)। इन वनस्पति वनों से औषधीय वनस्पतियों का गहन उत्पादन अच्छी गुणवत्ता के जड़ी-बूटी उत्पादों को तैयार करेगा और 50 लाख लोगों, विशेषकर महिलाओं के लिये, जो जड़ी-बूटी उत्पादन, संग्रहण एवं उपयोग में दक्ष हैं, उत्पादक रोजगार उत्पन्न करेगा।
- (5) जे एफ एम प्रणाली के अधीन औषधीय वनस्पतियों की प्रचुरता वाले (200 स्थानों में प्रत्येक लगभग 5000 हेक्टे0) 10 लाख हेक्टे0 वन क्षेत्र का पता लगाया जाना चाहिए, प्रबंधन योजनायें तैयार की जानी चाहिए और निरंतर फसल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जड़ी-बूटी उत्पाद तैयार करने के अलावा 50 लाख जनजातियों हेतु रोजगार भी उत्पन्न करेंगे।
- (6) पचास गैर सरकारी संगठनों, जो तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त हों, को औषधीय वनस्पतियों की खेती के लिये जानकारी सुधारने तथा वनस्पति स्टॉक एवं कृषि तकनीकों की उपलब्धता का कार्य सौंपा जाना चाहिए। सीमित एवं "आर्गेनिक फार्मिंग" के अंतर्गत अधिकतम मांग वाली 25 प्रजातियों की खेती की जानी चाहिए।
- (7) औषधीय वनस्पतियों की जांच/ परीक्षण/ क्लीनिकी मूल्यांकन/ संरक्षा विनियमन, अनुसंधान एवं विकास सुरक्षा, कारगरता, गुणवत्ता नियंत्रण के लिये सभी प्रयत्न किये जाने चाहिए, औषधकोश (फार्माकोपिया) विकास शीघ्र किया जाना चाहिए और 2003 तक पूरा होना चाहिए।
- (8) वनस्पति/ खनिज आधारित उत्पादों के परीक्षण के लिये अर्हता प्राप्त स्टॉफ के साथ भा0 चि प0 एवं होम्यो0 की औषधि परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित की जानी चाहिए। प्रयोगशाला स्टॉफ, औषधि निरीक्षकों और विनिर्माण यूनितों के गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधकों/ प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वह औषधीय वनस्पतियों के मुख्य गुणों की उपस्थिति हेतु कच्चे माल का पता कर सकें।
- (9) बाहर के देशों द्वारा हमारे पारंपरिक ज्ञान के स्वत्वाधिकार (पेटेन्टिंग) को रोकने के लिये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर व्यापक उपयोग के लिये अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उपयोग करके सभी उपलब्ध सूचनायें डिजिटल रूप में उचित रूप से रखी जानी चाहिए। एक भारतीय पारंपरिक ज्ञान आधारित डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के प्रयत्न तेज किये जाने चाहिए।
- (10) कार्यबल ने औषधीय वनस्पति क्षेत्रक के एकीकृत विकास के लिये "औषधीय वनस्पति बोर्ड" की स्थापना की पुरजोर सिफारिश की। एक करोड़ जनजातियों एवं महिलाओं के लिए निरंतर आधार पर उत्पादक रोजगार उत्पन्न करने के अलावा औषधीय वनस्पतियों के विपणन एवं व्यापार को औपचारिक बनाने एवं संगठित करने, इस क्षेत्रक के सभी हिस्सेदारों के प्रयत्नों को समन्वित करने और जड़ी-बूटी उत्पादों की जानकारी एवं उपलब्धता सुधारने के द्वारा सभी के लिये स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की आशा है।

109. भा0 चि प0 एवं होम्यो0 विभाग को नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है और इस समय यह औषधीय वनस्पति बोर्ड गठित करने के लिए कदम उठा रहा है।

भेषज संग्रह मानक

110. आसान कीमतों पर अच्छी किस्म की औषधियों की उपलब्धता किसी भी स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिये एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। इस समय देश अच्छी गुणवत्ता की औषधियां सुनिश्चित करने की समस्या का सामना कर रहा है। गाजियाबाद स्थित भारतीय औषधि भेषज संग्रह प्रयोगशाला

(पी एल आई एम) और होम्योपैथी भेषज संग्रह प्रयोगशाला (एच पी एल) भा0 चि प0 एवं होम्यो0 में प्रमुख औषधि परीक्षण प्रयोगशालायें हैं। इनके अलावा राज्य सरकारों को भी औषधि परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित करने की सलाह दी गई है। भेषज-संग्रह मानकों का निर्धारण नौवीं योजना में एक प्राथमिकता के रूप में चुना गया है।

111. विभाग ने पिछले दो वर्षों में आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी औषधियों के लिये अच्छी विनिर्माण पद्धतियों को अंतिम रूप दिया है और अधिसूचित किया है। भा0 चि प0 एवं होम्यो0 औषधियों की परीक्षण प्रयोगशालायें पर्याप्त संख्या में न होने से गुणवत्ता नियंत्रण की बड़ी समस्यायें अभी भी बनी हुई हैं।

112. निम्नलिखित का उपयोग करने की संभाव्यता –

- सी सी आर ए एस प्रयोगशालाओं एवं विश्वविद्यालयों/ कालेज विभागों की रसायन एवं जैव रसायन प्रयोगशालाओं के उपयोग का पता करना।
- घटिया एवं नकली दवाओं की समस्या समाप्त करने के लिये औषधि नियंत्रकों द्वारा कठोर गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के प्रभावकारी कार्यान्वयन और औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम तथा चमत्कारिक उपचार निरोध अधिनियम के उपबंधों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है।

अनुसंधान एवं विकास

113. विशेषकर नई औषधि सूत्रों पर क्लीनिकी परीक्षण, केंद्रीय अनुसंधान परिषदों के सुदृढीकरण और अन्य अनुसंधान एजेंसियों के साथ समन्वय के द्वारा संभावित कारगर औषधियों के क्लीनिकी परीक्षण सहित अनुसंधान एवं विकास पर नौवीं योजना में विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भा0 चि प0 एवं होम्यो0 निविष्टियों को सुधारने के उद्देश्य से अनुसंधान को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया गया है। पारंपरिक रूप से बीमारियों में प्रयुक्त और आदिवासी समुदायों में प्रयुक्त औषधियों की सुरक्षा एवं कारगरता हेतु क्लीनिकी परीक्षण एवं नये औषधि विनिर्माण सूत्र विकसित करने पर अनुसंधान किया जाना चाहिए।

114. भा0 चि प0 एवं होम्यो0 की चार अनुसंधान परिषदें इस समय भा0 चि प0 एवं होम्यो0 औषधियों पर क्लीनिकी अनुसंधान, औषधि मानकीकरण पर अनुसंधान अध्ययन, चिकित्सीय वनस्पतियों का सर्वेक्षण एवं संग्रहण होम्यो0 की दवाओं की पोटेंसी (शक्ति) अनुमान, विभिन्न होम्यो0 दवाओं की "शेल्फ लाइफ" का (खराब न होने की अवधि) अध्ययन, क्लीनिकी अनुसंधान, संबंधित पद्धतियों में औषधि मानकीकरण और आयुर्वेद में गर्भ निरोधक गोण्डियों का क्लीनिकी परीक्षण एवं भेषज विज्ञानी अध्ययन कर रहे हैं। अनुसंधान परिषदों के अलावा विभाग के पास बाहरी अनुसंधान परियोजना का कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत अनुसंधान परियोजनाओं के लिये अनुसंधान संगठनों को निधियां दी जाती हैं। चालू अनुसंधान परियोजनायें बिखरी हुई हैं और संख्या में थोड़ी हैं, अनेक चुने गये प्राथमिकता क्षेत्रों से नहीं हैं। अनुसंधान संस्थाओं के शैक्षणिक एवं सेवा संस्थाओं के साथ संपर्क सुदृढ करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय कार्यक्रम में भागीदारी

115. भा0 चि प0 एवं होम्यो0 विभाग परिवार कल्याण विभाग के आर सी एच कार्यक्रम के साथ संबद्ध है। आर सी एच में भा0 चि प0 एवं होम्यो0 के चिकित्सकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये तीस संस्थाओं को चुना गया है औ ए एन एम के दवा-किट में आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाओं को शामिल करने के लिये परिवार कल्याण विभाग द्वारा निधियां प्रदान की गई हैं।

मलेरिया, क्षयरोग नियंत्रण, पेचिश नियंत्रण जैसे अन्य सभी केंद्रीय एवं राज्य स्वास्थ्य क्षेत्रक कार्यक्रमों में भागीदारी को चरणबद्ध तरीके से चलाना होगा।

परिव्यय एवं व्यय

116. नौवीं योजना के दौरान भा0 चि0 प0 एवं होम्यो0 विभाग के लिये प्रस्तावित कुल परिव्यय 266.35 करोड़ रुपये है। वार्षिक योजना 1997-98 के लिये परिव्यय एवं व्यय, 1998-99 से 2001-2002 तक के लिये परिव्यय नीचे सारणी 5.4.2.2 में दिये गये हैं।

सारणी 5.4.2.2

भा0 चि0 प0 एवं0 होम्यो0 के लिये अनुमोदित परिव्यय एवं व्यय

(करोड़ रुपये)

आठवीं योजना परिव्यय (1997-2002)	नौवीं योजना परिव्यय (1997-2002)	1997-98 (बजट अनुमान)	1997-98 (वास्तविक)	1998-99 (बजट अनुमान)	1998-99 (संशोधित अनुमान)	1999-2000 (बजट अनुमान)	1999-2000 (प्रत्याशित व्यय)	2000-2001 (बजट अनुमान)
108.00	266.35	35.30	32.80	50.00	49.00	59.13	55.00	100.00

117. विभाग ने अपनी पहली सारी स्कीमें जारी रखी हैं और 17 नई स्कीमों का प्रस्ताव किया है/ शुरू कर दी हैं। 59 से 60 करोड़ रुपये के वार्षिक परिव्यय से प्रत्येक स्कीम को औसतन 2 करोड़ रुपये वार्षिक से कम धनराशि प्राप्त होगी। निवेश की कुशलता, प्रबंधन एवं स्कीमों की जिम्मेदारी की दृष्टि से इसमें समस्यायें उत्पन्न हो सकती हैं। विभिन्न क्रियाकलापों, जिनके लिये संस्थाओं को सहायता उपलब्ध कराई जाती है, को बड़ी स्कीमों की परिसीमा में लाया जा सकता है। सह सिफारिश की जाती है कि विभाग चालू प्रस्तावित क्रियाकलापों की पुनर्संरचना इस तरीके से करे ताकि संसाधनों का थोड़ा-थोड़ा अनेक जगह उपयोग करने के बजाय विभाग महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित कर सके।

संलग्नक 5.4.3

भारतीय औषधि एवं होम्योपैथिक कार्य प्रणाली के अंतर्गत आषधियों की 1.4.1998 की स्थिति के अनुसार राज्यवार/ प्रणालीवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	आयुर्वेद			यूनानी			होम्योपैथी			अन्य		
		औषधालय	अस्पताल	शैय्या	औषधालय	अस्पताल	शैय्या	औषधालय	अस्पताल	शैय्या	औषधालय	अस्पताल	शैय्या
1	आंध्र प्रदेश	1437	7	404	207	6	315	286	6	280	0	1	135
2	अरुणाचल प्रदेश	5	1	15	—	—	—	28	—	—	0	0	0
3	असम	329	2	130	1	—	—	75	3	105	4	1	25
4	बिहार .	522	9	871	128	4	414	181	1	100	0	0	0
5	दिल्ली	122	9	771	19	4	311	95	3	190	0	1	50
6	गोआ	22	6	245	—	—	—	40	—	—	0	0	0
7	गुजरात	539	45	1745	—	—	—	34	9	730	10	1	1
8	हरियाणा	410	6	485	20	1	10	20	—	—	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	964	16	290	3	—	—	14	—	—	0	2	25
10	जम्मू और कश्मीर	247	1	25	171	2	200	2	—	—	25	1	10
11	कर्नाटक	563	98	4825	45	10	167	25	24	1470	11	18	586
12	केरल	759.	109	2561	1.	—	—	2725	72	1440	9.	1.	30
13	मध्य प्रदेश	2093	34	1160	55	1	60	201	12	590	0	0	0
14	महाराष्ट्र .	469	36	6297	23	5	795	—	38	2675	0	0	0
15	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	9	—	—	1	2	65
16	मेघालय	—	—	—	—	—	—	5	—	—	0	0	0
17	मिजोरम	1	—	—	—	—	—	1	—	—	0	0	0
18	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	2	—	—	0	0	0
19	उड़ीसा	524	7	313	9	—	—	503	5	150	65	0	0
20	पंजाब .	489	11	771	35	—	—	105	6	185	0	0	0
21	राजस्थान	3469	90	1179	77	5	270	116	5	160	2	2	22
22	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	0	0

संलग्नक 5.4.3 (जारी)

भारतीय औषधि एवं होम्योपैथिक कार्य प्रणाली के अंतर्गत आषधियों की 1.4.1998 की स्थिति के अनुसार राज्यवार/ प्रणालीवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	आयुर्वेद			यूनानी			होम्योपैथी			अन्य		
		औषधालय	अस्पताल	शैय्या	औषधालय	अस्पताल	शैय्या	औषधालय	अस्पताल	शैय्या	औषधालय	अस्पताल	शैय्या
23	तमिलनाडु	10	4	267	6	1	54	38	3	150	333	201	1586
24	त्रिपुरा	30	1	10	—	—	—	65	—	—	0	0	0
25	उत्तर प्रदेश	713.	1671	9911	148.	136	1186	1328	36	399	0	0	0
26	प. बंगाल .	254	3	215	—	2	110	899	14	682	0	0	0
27	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—	3	—	—	0	0	0
28	चंडीगढ़ .	5	1	150	—	—	—	8	1	25	0	1	10
29	दादरर और नगर हवेली	1	—	—	—	—	—	1	—	—	0	0	0
30	दमन और दीव	1	1	5	—	—	—	—	—	—	0	0	0
31	लक्षद्वीप	4	—	—	—	—	—	2	—	—	0	0	0
32	पांडिचेरी	12	—	—	—	—	—	1	—	—	8	0	0
33	सी जी एच एस	31	1	25	9	—	—	34	—	—	5	0	0
34	केंद्रीय अनुसंधान परिषद	32	20	475	8	12	265	41	5	105	4	2	85
35	रेलवे मंत्रालय	38	—	—	—	—	—	124	—	—	0	0	0
36	श्रम मंत्रालय	129	—	—	1	—	—	25	—	—	2	0	0
37	कोयला मंत्रालय	28	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
	जोड़	14252		33145	966	189	4157	7037	243	9436	480	234	2630

नोट : शून्य सूचना - होम्योपैथिक अस्पतालों की कुल संख्या घटी है जैसाकि उत्तर प्रदेश ने आंकड़ों में कमी बतायी है।

• चालू वर्ष के लिए सूचना प्राप्त नहीं हुई है अतः नवीनतम उपलब्ध वर्ष की पुनरावृत्ति की गई है।

• दिल्ली में योग अस्पतालों के बारे में सूचना का अभी स्पष्टीकरण होना है।

आंकड़े अनन्तिम हैं।

5.4.3 परिवार कल्याण

118. भारत विश्व में आबादी के हिसाब से दूसरा बड़ा देश है जिसके पास भूमण्डल की कुल भूमि का 2.5 प्रतिशत से अधिक हिस्सा नहीं है परन्तु विश्व की आबादी का 1/6 हिस्सा यहां रहता है। प्रसूति, शिशु, बाल रुग्णता एवं मृत्यु की वर्तमान उच्च दर, कम जीवन अवधि और अधिक प्रजनन एवं इससे संबंधित अधिक रुग्णता की स्थितियां स्वतंत्रता के पूर्व से ही जन स्वास्थ्य व्यावसायिकों के लिये चिन्ता का कारण रहीं हैं। भोरे समिति की रिपोर्ट (1946), जिसने भारत में स्वास्थ्य सेवा योजना की आधारशिला रखी, ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं एवं उनकी पोषाणिक तथा स्वास्थ्य दशाओं को सुधारने के प्रावधान को उच्च प्राथमिकता दी थी। वर्ष 1951 में ही इस बात को समझ लिया गया था कि विकास प्रक्रिया को बनाये रखने के लिये आबादी का स्थायित्व एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है ताकि आर्थिक विकास के लाभों से लोगों के कल्याण में बढ़ोतरी हो और उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। भारत विश्व का सबसे पहला देश था जिसने 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम तैयार किया था जिसका उद्देश्य था: "राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप स्तर पर आबादी को स्थिर रखने के लिये आवश्यक सीमा तक जन्म दर को कम किया जाय"। इस प्रकार महिलाओं एवं बच्चों की स्वास्थ्य देखरेख के महत्वपूर्ण तत्व एवं गर्भ निरोधन सेवाओं का प्रावधान भारत की स्वास्थ्य सेवाओं के केन्द्र बिन्दु भारत की स्वतंत्रता के समय से ही रहे हैं। परवर्ती पंचवर्षीय योजनाएं राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य देखरेख आधार सुविधाओं एवं जनशक्ति के सुनियोजित विकास के लिये नीति संरचना एवं निधि व्यवस्था प्रदान करती आ रही है। केन्द्र प्रायोजित एवं 100 प्रतिशत केन्द्र निधि पोषित परिवार कल्याण कार्यक्रम महिलाओं एवं बच्चों की स्वास्थ्य दशा सुधारने और प्रजनन विनियमन की अनुभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अतिरिक्त आधार सुविधा, जनशक्ति एवं आवश्यक उपभोग्य सामग्री प्रदान करते हैं।

जनांकिकी परिवर्तन – अवसर एवं चुनौतियां

119. प्रौद्योगिकी प्रगति और स्वास्थ्य देखरेख की अच्छी गुणवत्ता एवं कवरेज के परिणाम स्वरूप अकाल मृत्यु दर (सी.डी.आर.) 1951 में 25.1 की तुलना में तेजी से कम होकर 1991 में 9.8 पर आ गई। इसके विपरीत अकाल जन्म दर (सी.बी.आर) में कमी इतनी नहीं थी जो 1951 में 40.8 से कम होकर 1991 में 29.5 हो गई। इसके फलस्वरूप 1960–1990 के बीच वार्षिक घातीय आबादी वृद्धि दर 2 प्रतिशत से अधिक रही है। 1991 की जनगणना ने यह प्रदर्शित किया कि भारत उस चरण में प्रवेश कर रहा है जब आबादी की वृद्धि दर में उतरोत्तर गिरावट आयेगी। जन्म दर और आबादी वृद्धि में गिरावट की दर अगले दशक में और तेज होने की संभावना है। भारत में आबादी वृद्धि दरों में परिवर्तन अपेक्षतया धीमा रहा है परन्तु परिवर्तन स्थिर एवं निरंतर रहे हैं। इसके कारण यह देश आबादी की संख्या एवं आयु वर्ग में अपेक्षतया धीमा परिवर्तन प्राप्त कर सका है। सामाजिक और आर्थिक विकास पर जन्म दर एवं आयु संरचना परिवर्तन में अत्यधिक तेजी से गिरावट के अल्प एवं दीर्घकालिक प्रतिकूल परिणामों से बचा जा सका है और देश ने विकास प्रयत्नों में भारी व्यवधान के बिना इन परिवर्तनों के साथ अनुकूलन किया है।

आबादी – अनुमान

120. 1991 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी 846.3 मिलियन थी। यह आबादी 1996 में 934 मिलि0 से बढ़कर 2016 में 1264 मिलियन हो जाएगी। परिवार कल्याण की 100 प्रतिशत केन्द्रीय निधि पोषित एवं केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत निर्धारित समान राष्ट्रीय मानदण्डों के बावजूद राज्यों के बीच प्रजनन एवं मृत्यु दरों के बीच पर्याप्त अन्तर रहे हैं। एक ओर केरल राज्य है जहां मृत्युदर एवं प्रजनन दर लगभग कुछ विकसित देशों की तरह है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और उड़ीसा जैसे राज्य हैं जहां उच्च मृत्यु दर एवं प्रजनन दर है।

121. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पांच राज्य, जो 1996 में भारत की कुल आबादी का 44 प्रतिशत हिस्सा थे, 2016 में 48 प्रतिशत पर पहुंच जायेंगे। वर्ष 1996–2016 की अवधि के दौरान ये राज्य देश की आबादी में कुल 55 प्रतिशत की वृद्धि करेंगे। इन राज्यों की प्रगति से आबादी के उस वर्ष एवं आकार का निर्धारण होगा जिस पर देश आबादी स्थायित्व प्राप्त करता है। इनकी मृत्यु दर एवं प्रजनन दर में तेजी से कमी लाने के लिये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार राज्यों में परिवार कल्याण सेवाओं की उपलब्धता एवं पहुंच में सुधार के द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखरेख तथा गर्भ निरोधों की अपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ण करने एवं उनके आकलन हेतु तत्काल उत्साहजनक उपाय शुरू करने की जरूरत है।

122. वर्तमान शताब्दी में भारत की लगभग आधी आबादी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उड़ीसा में निवास करेगी। सभी राज्यों में सभी सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में निष्पादन असंतोषजनक रहा है। यह असंतोषजनक निष्पादन उस गरीबी, निरक्षरता, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये संगठित सेवाओं की कमी एवं कमजोर विकास का परिणाम है जो साथ-साथ रहते हुए एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इन राज्यों के पास शानदार, मानव, खनिज एवं कृषि क्षमता है। जहां दक्षिणी एवं पश्चिमी राज्यों ने अपनी क्षमता का पर्याप्त हिस्सा प्राप्त कर लिया है वहां उत्तरी एवं पूर्वोत्तर राज्यों की क्षमता का अभी पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। वर्तमान शताब्दी में देश का मानव, सामाजिक एवं आर्थिक विकास काफी हद तक इन राज्यों की पूरी क्षमता को प्राप्त करते हुए इन पर निर्भर करता है। इस बात को सुनिश्चित करने के सभी उपाय आवश्यक हैं कि ये राज्य सभी क्षेत्रों से नियोजित समान्वित प्रयत्नों के द्वारा यथाशीघ्र अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करें।

123. आबादी अनुमानों पर तकनीकी ग्रुप की रिपोर्ट ने उस संभावित वर्ष का अनुमान लगाया है जिसमें प्रतिस्थापन स्तर टी0 एफ0 आर0 2.1 को विभिन्न राज्यों एवं भारत द्वारा प्राप्त कर लिया जाएगा यदि 1985–93 या 1981–93 के दौरान पाये गये टी0 एफ0 आर0 की वर्तमान गिरावट दर आगे के वर्षों में भी जारी रहती है। (सारणी 5.4.3.1)

124. गोवा, अधिक आय, साक्षरता एवं अच्छी स्वास्थ्य देखरेख आधार सुविधा के साथ प्रजनन का परिवर्तित स्तर प्राप्त करने वाला पहला प्रशासनिक यूनिट था। इसने इस परम्परागत सिद्धान्त को सिद्ध किया है कि कम जन्म दर से सामाजिक-आर्थिक विकास होता है, गोवा और पांडिचेरी एक दशक से अधिक समय से जन्म दर के परिवर्तित स्तर पर चल रहे हैं। केरल जन्म दर का परिवर्तित स्तर (टी. एफ. आर. 2.1) प्राप्त करने वाला पहला राज्य था जिसने अपेक्षतया कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद ऐसा किया। महिलाओं का ऊंचा दर्जा, महिला साक्षरता, विवाह के समय आयु और निम्न शिशु मृत्यु दर को केरल, में जन्म दर में तेजी से कमी का कारण समझा गया है। तमिलनाडु जन्म दर का परिवर्तित स्तर प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य है जिसने केरल की तुलना में प्रति व्यक्ति कम आय, उच्च शिशु मृत्यु दर और निम्न महिला साक्षरता दर के बावजूद ऐसा किया। आन्ध्र प्रदेश द्वारा अगले दो वर्षों में जन्म दर का यह परिवर्तित स्तर प्राप्त करने की आशा है। इस राज्य ने अपेक्षतया विवाह के समय कम आयु, कम साक्षरता और प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं की कम पहुंच के बावजूद जन्मदर में काफी कमी दिखाई है। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के पूर्वोत्तर राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं की उपलब्धता में काफी कठिनाई है परन्तु इन राज्यों ने कम जन्म दर ही नहीं बल्कि कम शिशु मृत्यु दर भी प्राप्त की है जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि साक्षर जागृत लोग प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख आधार सुविधा की पहुंच एवं उपलब्धता में कठिनाइयों पर सफलतापूर्वक विजय पा सकते हैं। असंतोषजनक स्वास्थ्य सूचकांक वाले राज्यों में भी ऐसे जिले हैं जहां स्वास्थ्य सूचकांकों का स्तर राष्ट्रीय स्तर से तुलना योग्य है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय संदर्भ में अपने स्वास्थ्य एवं प्रजनन के बारे में परिवारों का निर्णय जनांकिकी एवं स्वास्थ्य सूचकांकों का महत्वपूर्ण निर्धारक है।

सारणी 5.4.3.1
टी एफ आर 2.1 प्राप्त करने का वर्ष

	अनुमानित टी एफ आर जिस वर्ष में 2.1 होगा
भारत	2026•
आंध्र प्रदेश	2002
असम	2015
बिहार	2039
गुजरात	2014
हरियाणा	2025
कर्नाटक	2009
केरल	1988 में प्राप्त
मध्य प्रदेश	2060 से आगे
महाराष्ट्र	2008
उड़ीसा	2010
पंजाब	2019
राजस्थान	2048
तमिल नाडु	1993 में प्राप्त
उत्तर प्रदेश	2100 से आगे
पश्चिम बंगाल	2009

• टी एफ आर के एकत्रित अनुमानों पर आधारित

आयु सरचना में अनुमानित परिवर्तनों के परिणाम

125. इन दो दशकों में 15 से 59 के आयु वर्ग में यह वर्ग 519 से बढ़कर 800 मिलियन हो जाएगा, 15 वर्ष से कम की आयु वर्ग में कोई वृद्धि नहीं होगी (1996 में 353 मिलियन से 2016 में 350 मिलियन) 60 वर्ष से ऊपर के आयुवर्ग में आबादी दुगुनी अर्थात् 62 से 113 मिलियन हो जाएगी। भारत के लिये जनांकिकी परिवर्तन का वर्तमान चरण चुनौती एवं अवसर दोनों हैं। अगले दो दशकों में आबादी की वृद्धि मुख्यतः किशोरों एवं युवा प्रौढ़ों में होगी जो अधिक साक्षर, जागरूक होंगे और उपलब्ध सुविधाओं का इष्टतम उपयोग कर सकेंगे। चुनौती, कार्यकौशल विकास, पर्याप्त आय के साथ समुचित रोजगार को सुनिश्चित करने की है। यदि चुनौती का सामना कर लिया जाता है तो त्वरित आर्थिक विकास प्राप्त करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिये अतिरिक्त मानव संसाधनों के उपयोग के हमारे पास अवसर होंगे। वर्तमान उच्च आबादी वृद्धि दर के कारण निम्नलिखित हैं:-

- प्रजनन आयु वर्ग में आबादी का एक बड़ा हिस्सा आता है (60 प्रतिशत का अनुमानित योगदान)
- गर्भ निरोधकों की पूरी न की गई आवश्यकता के कारण उच्च प्रजनन दर (20 प्रतिशत का अनुमानित योगदान) और
- वर्तमान उच्च शिशु मृत्यु दर के कारण अधिक इच्छित प्रजनन दर (लगभग 20 प्रतिशत का अनुमानित योगदान)। नौवीं योजना का उद्देश्य गर्भ निरोधकों की पूरी न की गई सभी आवश्यकताओं को पूरा करना और शिशु मृत्युदर को कम करना है।

नौवीं योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रम

126. आबादी की वृद्धि दर में कमी लाना नौवीं योजना के बड़े उद्देश्यों में से एक है। नौवीं योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रम के मामले में निदर्शात्मक परिवर्तन निहित है। परिवार की

अनुभूत सभी आवश्यकताओं को पूरा करने और अपने प्रजनन लक्ष्यों को प्राप्त करने में उन्हें समर्थ बनाने का योजना का प्रस्ताव है। यदि ऐसा कर लिया जाता है तो परिवार त्वरित आबादी स्थायित्व के राष्ट्रीय लक्ष्य को सुनिश्चित करेंगे। नौवीं योजना में निम्नलिखित से निदर्शात्मक परिवर्तन होगा:—

- जनांकिकी लक्ष्य दम्पतियों को अपने प्रजनन लक्ष्य प्राप्त करने को सफल बनाने पर जोर देंगे।
- अवांछित गर्भों को कम करने के लिये गर्भ निरोधकों की अपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पद्धति विशिष्ट गर्भनिरोधक लक्ष्य।
- महिलाओं एवं बच्चों की एकीकृत स्वास्थ्य देखरेख के लिए परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु स्वास्थ्य के अनेक उर्ध्व कार्यक्रम।
- सामुदायिक आवश्यकता आकलन एवं विकेन्द्रीकृत क्षेत्र विशिष्ट सूक्ष्म योजना के लिये केन्द्रीय निर्धारित लक्ष्य और शिशु मृत्यु दर कम करने एवं उच्च इच्छित प्रजनन को कम करने के लिये प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम का कार्यान्वयन।
- देखरेख की गुणवत्ता एवं क्षेत्र विस्तार पर जोर देने के लिये मात्रात्मक कवरेज।
- सुनियोजित पितृत्व में पुरुष भागीदारी पर जोर देते हुए परिवार की स्वास्थ्य देखरेख आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये मुख्यतः महिलाओं पर केन्द्रित कार्यक्रम।
- मांग और आवश्यकता मूलक सेवा के लिये आपूर्तिमूलक सेवा प्रदान करना, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त एवं सामयिक आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उन्नत, संभार तंत्र।
- दम्पतियों की अभिरूचियों एवं सुविधाओं के लिये सेवा प्रदायक अवधारणा पर आधारित सेवा प्रावधान।

127. नौवीं योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित के द्वारा परिवार कल्याण सेवाओं की गुणवत्ता एवं क्षेत्र विस्तार को बढ़ाने के लिये प्रयत्नों में तेजी लाई जाएगी:—

- स्वैच्छिक, निजी, संयुक्त क्षेत्रकों में कार्य कर रहे सामान्य चिकित्सकों की बढ़ती हुई भागीदारी और भा. चि. प. एवं होम्यो. के चिकित्सकों का सक्रिय सहयोग।
- अन्तर क्षेत्रकीय समन्वय सुनिश्चित करने के लिये पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी और योजना, मानिट्रिंग एवं प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी।
- उद्योगों, संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों, कृषि कामगारों एवं मजदूर प्रतिनिधियों की भागीदारी।

128. कार्य निष्पादन के सुधार के लिये सेवाओं की उपलब्धता एवं पहुंच सुधारने की दृष्टि से पर्याप्त निवेश प्रदान करने हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि राज्यों के बीच असमानताओं को कम किया जा सके। यह उल्लेखनीय है कि इन राज्यों में ऐसे जिले हैं जहां अकाल मृत्युदर और शिशु मृत्युदर राष्ट्रीय स्तरों से काफी नीचे है अतः इनमें से प्रत्येक राज्य में इन सफलता की कहानियों के अध्ययन एवं पुनरावृत्ति के लिये कदम उठाने होंगे ताकि राज्यों के बीच विद्यमान असमानताओं को कम से कम किया जा सके।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000

129. राष्ट्रीय विकास परिषद की जनसंख्या उप समिति की एक बड़ी सिफारिश यह थी कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (एन. पी. पी) तैयार की जानी चाहिए ताकि यह परिवार कल्याण सेवाओं तथा नई सहस्राब्दि में जनांकिकी प्रभाव के मापन एवं मानिट्रिंग के लिए भी विश्वसनीय एवं

संगत नीति कार्य—तंत्र प्रदान कर सके। परिवार कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 तैयार कर ली है। इस नीति का मंत्रिमण्डल ने अनुमोदन कर दिया है।

130. नीति का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि देश को 2010 तक जन्मदर का परिवर्तित स्तर और 2045 तक जनसंख्या स्थायित्व प्राप्त कर लेना चाहिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं:—

- कुल जन्म दर कम करके 2.1 पर लाने और दो बच्चों के मानदण्ड को प्राप्त करने के लिये अच्छी गुणवत्ता की गर्भ निरोधक सेवाओं के प्रति सभी की पहुंच।
- जन्म, मृत्यु, विवाह और गर्भावस्था का पूर्ण रूप से पंजीकरण
- अनेक विकल्पों के साथ जन्म दर विनियमन एवं सगर्भता के लिये सूचना/ परामर्श एवं सेवायें सभी को उपलब्ध।
- शिशु मृत्यु दर को कम करके प्रति हजार जीवित जन्म 30 से नीचे लाना और जन्म के समय कम वजन (2.5 कि० ग्रा० से कम) वाले बच्चों की घटनाओं में तेजी से कमी लाना।
- वैकसीन से रोकी जा सकने वाली बीमारियों के लिये सभी बच्चों को टीके लगाना, 2000 तक पोलियो का उन्मूलन एवं टेटनस तथा मीजल्स का लगभग उन्मूलन।
- लड़कियों को देर से विवाह करने अर्थात् 18 वर्ष के बाद या अधिमानतः 20 वर्ष के बाद विवाह करने को बढ़ावा देना।
- 80 प्रतिशत सांस्थानिक सेवा—प्रदायगी प्राप्त करना और प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा की गई सेवा प्रदायगी का प्रतिशत बढ़ाकर 100 प्रतिशत करना।
- यौन सम्प्रेषित रोगों की रोकथाम।
- प्रति एक लाख जीवित जन्म पर प्रसूति मृत्यु दर कम करके 100 से नीचे लाना।
- सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना और प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिये कम करके 20 प्रतिशत से नीचे लाना।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग

131. 11 मई 2000 को भारत की जनसंख्या 100 करोड़ हो गई है। इस दिन प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की घोषण की जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसके उपाध्यक्ष होंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संबन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों के मंत्री, संबन्धित विभागों के सचिव, प्रतिष्ठित चिकित्सक, जनसांख्यिकीकार, और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि आयोग के सदस्य होंगे। आयोग के निम्नलिखित कार्य होंगे:—

- जनसंख्या नीति में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा, मानिट्रिंग करना एवं निर्देश देना।
- स्वास्थ्य, शैक्षणिक पर्यावरणिक एवं विकासात्मक कार्यक्रमों के बीच सहक्रियता को बढ़ावा देना ताकि आबादी स्थायित्व को जल्दी प्राप्त किया जा सके।
- विभिन्न क्षेत्रों एवं केन्द्र तथा राज्यों की एजेंसियों के माध्यम से कार्यक्रमों की योजना एवं कार्यान्वयन में अंतर क्षेत्रकीय समन्वय को बढ़ावा देना।
- इस राष्ट्रीय प्रयत्न की सहायता के लिये एक सशक्त लोक – कार्यक्रम तैयार करना।

मातृत्व लाभ स्कीम

132. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की जांच करने के लिये मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा गठित मंत्रियों के समूह ने यह सिफारिश की थी कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही मातृत्व लाभ स्कीम परिवार कल्याण विभाग को हस्तान्तरित की जा सकती है। संबंधित दोनों विभागों से स्कीम के शीघ्र हस्तान्तरण हेतु आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय मानव विकास संबंधी प्रारंभिक उपायों के अधीन ग्रामीण उपकेन्द्रों को सुदृढ़ करना

133. प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख को बढ़ावा देने के लिये पंचायत, राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच उत्तरदायित्वों की साझेदारी के द्वारा ग्रामीण आधार सुविधाओं को सुदृढ़ करने की एक स्कीम की घोषणा वित्त मंत्री ने अपने 1999-2000 के बजट भाषण में की थी। प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख की संरचना में ग्रामीण उपकेन्द्र ही एकमात्र संस्थायें हैं जो पंचायत स्तर के अनुरूप हैं। अतः उपकेन्द्रों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है जिसके लिये निधियों का अंशदान केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों एवं पंचायतों द्वारा 2:2:1 के अनुपात में किया जाएगा। इस स्कीम में राज्य सरकारों को सहायता देना निहित है और इनके माध्यम से ऐसे क्षेत्रों में नये केन्द्र खोलने के लिये पंचायतों को सहायता दी जाएगी जहां विद्यमान केन्द्रों के पास उन्हें सौंपे गये बड़े क्षेत्र के कारण कार्य का काफी बोझ है और भवन एवं उपस्कर के साथ विद्यमान केन्द्रों को सुदृढ़ किया जाएगा। परिवार कल्याण विभाग ने स्कीमों के लिये पहले 48 करोड़ रु. के परिव्यय का प्रस्ताव किया था जिसे विभाग द्वारा बाद में कम करके सांकेतिक प्रावधान के रूप में एक करोड़ रु0 कर दिया गया। चूंकि स्कीम को अनुमोदन के लिये योजना आयोग के पास नहीं भेजा गया था अतः आयोग ने स्कीम हेतु कोई आबंटन प्रदान नहीं किया।

अन्तरक्षेत्रकीय समन्वय एवं सेवाओं का विस्तार

134. परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रभावकारी कार्यान्वयन में अत्यधिक अंतर-क्षेत्रकीय समन्वय निहित है। संबंधित क्षेत्रकों को महिलाओं की हैसियत बढ़ाने, विशेषकर महिला सहायता एवं रोजगार, शादी की उम्र बढ़ाने, उनके सामान्य विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आय उत्पन्न करने के लिये कदम उठाने होंगे। जिन विभागों के क्रियाकलापों का परिवार कल्याण कार्यक्रमों के साथ घनिष्ठ संबंध है वह हैं: महिला एवं बाल विकास, मानव संसाधन विकास, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, श्रम, रेलवे, उद्योग एवं कृषि। यह सभी विभाग प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित आई. ई. सी. संदेशों के प्रवर्तन में अपने विस्तार कार्यकर्ताओं को उनके कार्य क्षेत्र के लोगों के मामलों में शामिल कर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास, ग्रामीण विकास आदि जैसे संबंधित केन्द्रीय एवं राज्य विभाग बालिकाओं एवं महिलाओं की दशा सुधारने, महिला साक्षरता एवं रोजगार सुधारने, विवाह की आयु बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आय उत्पन्न करने के लिये कदम उठा सकते हैं। कुछ अंतर क्षेत्रकीय समन्वय क्षेत्रों का उल्लेख नीचे किया गया है:-

शिक्षा विभाग

- प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित आई. ई. सी. क्रियाकलापों में सभी जिला साक्षरता समितियों को शामिल करना।
- सामाजिक रूप से लाभदायक उत्पादक कार्य के अंग के रूप में शिक्षकों एवं कक्षा 5 तथा इससे ऊपर के छात्रों को महीने में कम से कम एक बार गांवों में विकास मानिटरिंग, टीकाकरण एवं संबंधित क्रियाकलापों में शामिल करना।

महिला एवं बाल विकास

- जन्म, मृत्यु, गर्भवती महिलाओं का पता लगाने और जन्म के समय वजन दर्ज करने जैसी स्थानीय घटनाओं के संकलन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल करना।
- बच्चों में विटामिन ए की पूर्ण खुराक का कवरेज सुधारने और गर्भवती महिलाओं में आयरन फोलिक एसिड दवा लेने के अनुपालन को सुधारने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का उपयोग।
- अल्पपोषाहार वाली गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिलाओं एवं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का पता लगाना जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह कमजोर वर्ग एकीकृत बाल विकास स्कीम के अधीन खाद्य अनुपूरण कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर सकें।
- पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और कृषि विस्तार कर्मचारियों के सहयोग से हरी पत्तियों वाली सब्जियों, जड़ी बूटियों एवं मसालों की पर्याप्त मात्रा उगाने को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना कि आंगनवाड़ियों को इनकी नियमित आधार पर आपूर्ति हो ताकि खाद्य अनुपूरकों में भी विटामिन एवं खनिज मिल सकें।

ग्रामीण विकास

- पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग से प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख संस्थाओं, विशेषकार उपकेन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण एवं अनुरक्षण के लिये जवाहर रोजगार योजना का उपयोग।

ग्रामीण जलापूर्ति एवं सफाई

- विद्यमान कार्यक्रमों के जरिये प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख संस्थाओं, आंगनबाड़ी, प्राथमिक विद्यालयों एवं पंचायतों में सुरक्षित पेयजल एवं कूड़े कचरे के सफाई से निपटान की सुविधायें उपलब्ध कराने की संभावनाओं का पता लगाना।

अन्य

- उपलब्ध सेवाओं के इष्टतम उपयोग को प्राप्त करने के लिये आंगनबाड़ी कर्मचारियों, महिला स्वास्थ्य संघ, पारम्परिक जन्म परिचारक, कृषि विज्ञान केन्द्र स्वयंसेवकों, अध्यापकों जैसे ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय।

शहरी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें

135. भारत की लगभग 30 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। पिछले दशक में शहरों को पलायन के कारण शहरी स्लम्स में रहने वाली आबादी में तेजी से वृद्धि हुई है। भारी संख्या में लोगों के शहर में आने से शहरों की जीवन दशाओं में भी गिरावट आई है। अनेक शहरों एवं कस्बों में शहरी स्लम निवासियों की स्वास्थ्य दशा ग्रामीण लोगों से भी बदतर है। परिवार कल्याण विभाग शहरी आबादी को परिवार कल्याण सेवायें प्रदान करने के लिये प्रयत्न करना आ रहा है। परिवार कल्याण विभाग परिवार कल्याण सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों के कार्यत्र की सहायता कर रहा है। इसके अलावा आई. पी. पी - 8 जैसी विदेशी सहायता वाली परियोजनाओं का उद्देश्य चुनीदा शहरों में शहरी आबादी को परिवार कल्याण सेवायें प्रदान करना है। इसी तरह विदेशी सहायता प्राप्त प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम का शहरी घटक शहरी आबादी को परिवार कल्याण सेवाओं प्रदान करता है।

136. शहरी आबादी को प्रथमिक स्वास्थ्य देखरेख सुविधायें प्रदान करने के लिये आधार संरचना की स्थापना नहीं की गई है और इसके लिए जागरूक प्रयत्नों की जरूरत है। इस स्वास्थ्य

देखरेख आधार संरचना से शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण सेवाओं की पहुंच सुधारने में भी मदद मिलेगी। राज्य स्वास्थ्य क्षेत्रक योजना कार्यक्रमों का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में अपेक्षित आधार संरचना विकसित करना होना चाहिए। नगरपालिकाओं/ नगर निगमों जैसे स्थानीय निकायों को इस संबंध में राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार के प्रयत्नों की अनुपूर्ति करनी चाहिए।

स्थानीय स्व-शासी संस्थाओं की भागीदारी

137. 73वें और 74 वें संविधान संशोधनों के साथ नगरपालिका और पंचायती राज संस्थाएं अनेक राज्यों में कार्य करने लग गई हैं। इन संस्थाओं को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं की योजना, कार्यान्वयन एवं मानिट्रिंग सुनिश्चित करने में अधिक भूमिका निभानी चाहिए। इन्हें सफाई, सुरक्षित पेयजल, महिला एवं बाल विकास जैसे संबंधित क्षेत्रकों के बीच स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों का प्रभावकारी समन्वय भी सुनिश्चित करना चाहिए ताकि इन सभी कार्यक्रमों से समुदाय को इष्टतम लाभ उपलब्ध हो सके और कमजोर वर्गों की ओर अपेक्षित ध्यान दिया जा सके।

परिवार कल्याण को बढ़ावा देने के लिये गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका

138. परिवार कल्याण कार्यक्रम को सुधारने के प्रयत्न के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों (एन. जी. ओ.) को शामिल करते हुए अनेक कार्यक्रम शुरू किये हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-


- (1) ऐसे क्षेत्रों में जहां दम्पति सुरक्षा दर 35 प्रतिशत से नीचे है लघु परिवार कल्याण केन्द्रों का पुनर्गठन।
- (2) भा. चि. प. एवं होम्यो. के चिकित्सकों की भागीदारी।
- (3) एन. जी. ओ. के माध्यम से क्षेत्र विशिष्ट आई. ई. सी. क्रियाकलाप।
- (4) एन. जी. ओ. परियोजनाओं के तुरंत निधि पोषण के लिये स्थाई स्वैच्छिक कार्य समिति (स्कोवा) की स्थापना।
- (5) परियोजना तैयार करने, कार्यक्रम प्रबन्धन एवं मानिट्रिंग में एन. जी. ओ. के प्रशिक्षण के लिये सरकारी/ एन. जी. ओ. संगठनों का पता लगाना।

इन कार्यकलापों को 2000-2001 के दौरान जारी रखा गया एवं तेज किया गया।

परिवार कल्याण कार्यक्रम का निष्पादन

139. सी. पी. आर. और सी. बी. आर. पर दी गई सूचना प्रदर्शित करती है कि नब्बे के दशक के दौरान सी. पी. आर. में वृद्धि काफी मन्द (आरेख 5.4.3.1) रहने के बावजूद भी नब्बे के दशक के दौरान सी. बी. आर. में निरंतर गिरावट आई। इससे यह प्रदर्शित हो सकता है कि प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता रहा है और उचित समय पर उचित गर्भ निरोधक प्रदान किये गये हैं। यह अनिवार्य है कि


आरेख 5.4.3.1
दम्पति सुरक्षा दर एवं जन्म दर



स्रोत : भारत का महापजीकार
परिवार कल्याण विभाग


परामर्श प्रदान करने तथा सेवाओं की गुणवत्ता में और आगे सुधार होना चाहिए जिससे दम्पति समुचित विकल्प चुन सकें, अनुवर्ती देखभाल में उचित सुधार से अवांछित गर्भों से बचने के लिए गर्भ निरोधकों के निरंतर उपयोग सुधार में मदद मिलेगी।

140. नौवीं योजना अवधि के दौरान सेवा रिपोर्टों से प्राप्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि 1994-95 (आरेख 5.4.3.2) में अपनाये गये स्तर की तुलना में आई. यू. डी. को छोड़कर परिवार



नियोजन के तरीकों को अपनाने वालों की संख्या में कमी आई है। सभी राज्यों में गर्भनिरोध के तरीकों में नसबन्दी सबसे अधिक आम तरीका रहा है। वर्ष 1999-2000 के दौरान नसबन्दी अपनाने वालों की संख्या में 1998-99 की तुलना में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जिन राज्यों ने नसबन्दी अपनाने वालों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित की है वह असम, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। नसबन्दी न किये गये प्रति दस हजार दम्पतियों में नसबन्दी किये गये व्यक्तियों की संख्या राज्यों में काफी भिन्न है। आन्ध्र - प्रदेश में यह सर्वाधिक (939) है जो असम में सबसे कम (76) है। 372 के अखिल भारतीय औसत की तुलना में नसबन्दी न किये गये प्रति दस हजार पर दम्पतियों की कम संख्या वाले राज्य बिहार (106), उड़ीसा (252), राजस्थान (310), उत्तर प्रदेश (164) और पश्चिम बंगाल (282) हैं।

आरेख 5.4.3.3
पुरुष एवं महिला नसबन्दी अपनाने वाले



स्रोत : परिवार कल्याण विभाग


141. पिछले दो दशकों में (आरेश 5.4.3.3) नालबन्दी करने वाली महिलाओं की संख्या में उतरोत्तर कमी आती रही है। आई. ई. सी. अभियान और बिना चीर-फाड़ वाली पुरुष नसबन्दी में सर्जनों, व्यक्तियों के प्रशिक्षण सहित नसबन्दी को पुनः लोकप्रिय बनाने के प्रयत्नों के फलस्वरूप आन्ध्र प्रदेश के कुछ जिलों में नसबन्दी के मामलों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। परन्तु राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा परिवर्तन

नहीं हुआ है। यह अनिवार्य है कि पुरुषों की सुविधा पर एवं नसबन्दी सेवाओं की तकनीक एवं गुणवत्ता को सुधार कर नसबन्दी को लोकप्रिय बनाने के प्रयत्न जारी रखे जाने चाहिए। इससे परिवार कल्याण कार्यक्रम में पुरुषों की भागीदारी में सुधार ही नहीं होगा बल्कि नसबन्दी सेवाओं की पहुंच में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी, नसबन्दी से संबंधित रुग्णता एवं मृत्यु की घटनाओं में भी कमी होगी।

142. आई. यू. डी. अपनाने वालों की संख्या में 1998-99 की तुलना में 1999-2000 में केवल छोड़ी सी वृद्धि हुई है। आई. यू. डी. अपनाने में उल्लेखनीय वृद्धि वाले राज्य असम और कर्नाटक हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों ने 1999-2000 के दौरान निष्पादन में कमी दिखाई है।


143. पिछले वर्ष की तुलना में 1999-2000 के दौरान गर्भ निरोधक खाई जाने वाली गोलियों के उपयोगकर्ताओं की संख्या में 13.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और असम जैसे बड़े राज्यों ने निष्पादन में सुधार दिखाया है बिहार, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक राज्यों ने निष्पादन में कमी दिखाई है। सी. सी. उपयोगकर्ताओं ने 1999-2000 के दौरान 1998-99 की तुलना में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई है।

144. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1992-1993 और 1998-1999 गर्भ निरोधकों के प्रचलन पर राष्ट्रव्यापी आंकड़े प्रदर्शित करते हैं (आरेख 5.4.3.4 और 5.4.3.5) सर्वेक्षण आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि परिवार कल्याण विभाग की सर्विस रिपोर्ट से प्राप्त आंकड़ों के विपरित देश में नसबन्दी एवं ओ. सी. (अन्य गर्भ निरोधकों) में काफी वृद्धि हुई। केवल आई यू. डी. एवं सी. सी. में कमी आई। नब्बे के दशक में सी. बी. आर. में निरंतर गिरावट का समर्थन सूचित सुधार से भी होता है।



145. परिवार कल्याण विभाग और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा दिये गये सी. पी. आर. आंकड़ों में अंतर के कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं:



- (1) निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयत्न में पहले दी गई अधिक सूचना को सही करना।
- (2) इस अवधि के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन रिपोर्टिंग में परिवर्तनों के कारण अपूर्ण रिपोर्टिंग।



इनकी जांच करने एवं सही करने की आवश्यकता है ताकि सर्विस रिपोर्टिंग, कार्यक्रम में प्राप्त की गई प्रगति की विश्वसनीय सूचना प्रदान कर सके।

भारी अपूर्ण आवश्यकताओं के साथ राज्यों का निष्पादन

146. यह एक चिन्ता का विषय है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में 1994-95 में उनके निष्पादन की तुलना में सभी गर्भ निरोधक तरीकों को अपनाने के मामलों में कमी आई है मध्य प्रदेश में यह कमी मार्जिनल है जबकि राजस्थान में कुछ सुधार प्रदर्शित हुआ है। यह




अनिवार्य है कि इन राज्यों में गर्भ निरोधकों की सभी अपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयत्न किये जाएं। फिर भी इन सभी राज्यों में कम सी. बी. आर. वाले जिले हैं। राज्यों को इन जिलों के निष्पादन का अध्ययन एवं अनुसरण करना


होगा, और साथ ही साथ सभी जिलों में गर्भ निरोधकों की सभी अपूर्ण मांगों को पूरा करने के प्रयत्न करने होंगे।

रोग – प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अधीन निष्पादन

147. वर्ष 1992-93 से 1999-2000 की अवधि के दौरान रोग प्रतिरक्षण कवरेज आरेख 5.4.3.8 में दिखाया गया है। यह स्पष्ट है कि टीकों से बचाव योग्य सभी छः रोगों (वी पी डी) के लिये 10 प्रतिशत कवरेज का आठवीं योजना का लक्ष्य





2000 तक भी प्राप्त नहीं किया गया है। अधिकांश राज्यों में नब्बे के पूरे दशक में रोग प्रतिरक्षण कवरेज उसी स्तर पर रुका रहा और कुछ राज्यों में तो इसमें कमी भी देखी गई है। फिर भी यह उल्लेखनीय है कि इसी अवधि के दौरान टीकों से रोके जाने वाले रोगों के सूचित मामलों में



कमी आई है (आरेख 5.4.3.9)। आई. सी. एम. आर. एवं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा किये कवरेज मूल्यांकित कवरेज के बीच काफी अन्तर को प्रदर्शित करते हैं। पोलियो वैक्सीन और डी. पी. टी. की पहली – दूसरी और तीसरी खुराकों के मामले में बीच में इलाज छोड़ने वालों की संख्या अधिकांश राज्यों में काफी अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम एवं न्यूनतम “कवर” किये गये प्रतिजन के बीच अंतर 20 प्रतिशत से अधिक है। सूचित एवं मूल्यांकित कवरेज के बीच अन्तर और इलाज को बीच में छोड़ने वालों की अधिक दर गंभीर चिन्ता का विषय है। रा. प. स्वा. सर्वेक्षण –1 और 2 के आंकड़ों ने यह प्रदर्शित किया है कि यद्यपि प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अधीन कवरेज, सर्विस प्रदायकों द्वारा सूचित कवरेज आंकड़ों से भी कम है, फिर भी प्रतिरक्षण कवरेज (आरेख 5.4.3.10) में कुछ सुधार हुआ है। वैक्सीन से रोकी जाने वाली बीमारियों के अंतर्गत 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के लिये सभी प्रयत्न करना अनिवार्य है।

आरेख 5.4.2.10

12-23 महीनों के बच्चों का प्रतिरक्षण – रा0 प0 स्वा0 सर्वे0 1 (1992-93) और रा0 प0 स्वा0 सर्वे0 2 (1998-1999)



पल्स पोलियो के लिये पहल

148. परिवार कल्याण विभाग द्वारा 1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी जिसका उद्देश्य 2000 ई0 तक पोलियो का उन्मूलन करना था। प्रारंभ में कार्यक्रम के अंतर्गत

दिसम्बर और जनवरी के महीनों के दौरान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पल्स पोलियो प्रतिरक्षण के दो दौर चलाये जाते थे। वर्ष 1995 से सूचित पोलियो के मामलों में काफी कमी रही है जो 1987 में 28257 की तुलना में 1999 में 2810 है, परन्तु सूचित पोलियो मामलों की संख्या में कमी इतनी नहीं है कि 2000 तक पोलियो उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त हो सके।

149. परिवार कल्याण विभाग द्वारा 1998-99 में कार्यक्रम की पुनरीक्षा की गई। पुनरीक्षा एवं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से विशेषज्ञ सलाह के बाद विभाग ने संपूर्ण देश में 1999 - 2000 के लिये अत्यधिक पोलियो के मामलों वाले आठ राज्यों में दो अतिरिक्त राउण्ड्स के साफ पल्स पोलियो प्रतिरक्षण के चार राउण्ड्स चलाये। प्रारंभिक रूप से बूथ पर किये गये प्रतिरक्षण के बाद घर घर जाकर सर्वेक्षण करके सभी शेष बच्चों को भी प्रतिरक्षण खुराक देने के विशेष प्रयत्न किये गये। शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सूचित कवरेज काफी अधिक था जो कमजोर आधार संरचना वाले जिलों में भी लगभग 100 प्रतिशत था। फिर भी अनेक राज्यों में नियमित प्रतिरक्षण में कमी की सूचना मिली है, बिहार जैसे कुछ राज्यों में निमित्त प्रतिरक्षण कवरेज 40 प्रतिशत से भी कम है। यह भी चिन्ता का विषय है कि नियमित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कवरेज कुछ राज्यों में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है।

150. संलग्नक 5.4.3.1 में दिया गया नक्शा यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि पिछले तीन वर्षों में देश के अधिकांश भागों में पोलियो के मामलों की संख्या में महत्वपूर्ण रूप से कमी हुई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में यह कमी इष्टतम से कम रही है। केरल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे अनेक राज्यों ने पिछले 2-3 वर्षों के दौरान किसी मामले की सूचना नहीं दी है। वर्ष 1999 के दौरान उड़ीसा भी इन राज्यों में शामिल हो गया है और किसी मामले की सूचना नहीं दे रहा है यद्यपि 1998 में गंजम जिले में इसके मामले हुए थे। तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब ने 2000 के दौरान किसी पक्के मामले की अभी तक सूचना नहीं दी है।

151. परिवार कल्याण विभाग 2000-01 के लिये पल्स पोलियो प्रतिरक्षण का संशोधित प्रस्ताव तैयार किया है कि दिसम्बर और जनवरी में सम्पूर्ण देश में एन. आई. डी. के दो दौर होंगे, एक अतिरिक्त दौर उन छः राज्यों में होगा जहां 1999 - 2000 में पोलियो के मामलों की सूचना दी गई थी और दो अतिरिक्त दौर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली राज्यों में चलाये जायेंगे जहां देश में सूचित पोलियो के मामलों के 80 प्रतिशत से भी ऊपर मामले हैं। यह सुनिश्चित करने के प्रयत्न किये जायेंगे कि नियमित प्रतिरक्षण और पल्स पोलियो दौर दोनों के दौरान लगभग 100 प्रतिशत कवरेज प्रदान किया जाए।

152. "ओरल पोलियो वैक्सीन" की गंभीर सार्वभौमिक कमी के बावजूद भारत 1999-2000 के दौरान आवश्यक वैक्सीन प्रदान करने के लिये यूनीसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और ग्लोबल निर्माताओं को राजी करने में सफल रहा है। वर्ष 2000 के अंत तक पोलियो उन्मूलन के लक्ष्य के साथ अन्य सभी स्थानिकमारी देशों ने अपने प्रयत्न तेज कर दिये हैं और 2000-2001 के दौरान सार्वभौमिक रूप से वैक्सीन की भारी कमी होगी। सभी राज्यों के लिए वैक्सीन की बर्बादी दर कम करना महत्वपूर्ण होगा, जो इस समय 25 प्रतिशत है, और अवांछित बर्बादी नियंत्रण की सख्त मानिट्रिंग करनी होगी। आस पास से अप्रयुक्त वैक्सीन को प्राप्त करना, जो उनके नियमित प्रतिरक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता से अधिक है, और उसे पर्याप्त "कोल्ड चेन" सुविधा में उचित रूप से रखना महत्वपूर्ण होगा।

153. कम कवरेज वाले क्षेत्रों का पता लगाने की भी आवश्यकता है ताकि ऐसे क्षेत्रों में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण को तेज किया जा सके। पोलियो उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने और बनाये रखने के लिये नियमित प्रतिरक्षण एवं पल्स पो. प्रति. दोनों के दौरान ओरल पोलियो वैक्सीन

प्रदान करने के लिये बच्चों का लगभग 100 प्रतिशत कवरेज महत्वपूर्ण है। राज्यों और संघ राज्यों को सूक्ष्म स्तर पर कम नियमित कवरेज वाले क्षेत्रों, कम पल्स पोलियो प्रतिरक्षण वाले क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए ताकि प्रतिरक्षण क्रियाकलापों को तेज किया जा सके और इन क्षेत्रों में सेवाओं की उपलब्धता का विस्तार किया जा सके।

पोलियो—निगरानी

154. सभी रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के लिये कुशल निगरानी अनिवार्य है। विभाग ने पोलियो निगरानी को सुदृढ़ किया है और मामलों की सूचना देने में पर्याप्त सुधार किया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निधि—पोषित चालू रोग निगरानी कार्यक्रम के साथ इसका एकीकरण किया जाना चाहिए ताकि अगले पांच वर्षों में देश एक सक्षम रोग निगरानी एवं सेवा प्रणाली का निर्माण कर सके।

155. वर्ष 1998 और 1999 के जिलेवार आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि ऐसे अनेक जिले हैं जहां कम निगरानी के संकेतक हैं और अतः निगरानी प्रणाली के यथाशीघ्र सुधार की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आंकड़ों का राज्य में उच्च जोखिम वाले जिलों एवं ब्लॉकों का पता लगाने के लिये कार्य योजना विकसित करने में उपयोग करने की भी आवश्यकता है। आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर और वारंगल जिलों में निगरानी प्रणाली के सुधार के लिये विशेष ध्यान देने की जरूरत है। असम में बारपेटा एवं बोगाईगांव, नालबाड़ी और शिवसागर जिलों ने गैर—ए.एफ.पी. दर 1 से कम होने की सूचना दी है। यह अनिवार्य है कि पोलियो निगरानी को आगे और सुदृढ़ किया जाय और सभी मामलों का पता लगाया जाय। यह महत्वपूर्ण है कि इसके साथ—साथ सभी छः वैक्सीन से रोकी जाने वाली बीमारियों के लिये निगरानी सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह भी महत्वपूर्ण है कि रोग निगरानी पर चालू राष्ट्रीय पहल के साथ संपर्क भी विकसित किये जा रहे हैं ताकि अगले पांच वर्षों के अंदर एक विश्वसनीय रोग निगरानी एवं मानिट्रिंग कार्यतंत्र तैयार किया जा सके।

पल्स पोलियो — कार्य का मूल्यांकन

156. परिवार कल्याण विभाग ने प्रतिरक्षण कार्यक्रम और पल्स पोलियो पहल के लिये स्वतंत्र कवरेज मूल्यांकन सर्वेक्षण किये हैं। कवरेज मूल्यांकन सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि वास्तविक कवरेज, सर्विस चैनलों के माध्यम से सूचित आंकड़ों की तुलना में, काफी कम है। यह अनिवार्य है कि नियमित प्रतिरक्षण एवं पल्स पोलियो प्रतिरक्षण दोनों के अंतर्गत कवरेज सुधारने के लिये कदम उठाये जायें।

प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य देखरेख (आर. सी. एच.) कार्यक्रम का मूल्यांकन

157. मानिट्रिंग संकेतक देखरेख की गुणवत्ता और सेवाओं की उपयुक्तता पर कोई सूचना प्रदान नहीं करते। कार्यक्रम को प्रदान की जा रही सेवाओं की देखरेख गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जिला स्तरों पर संग्रहीत सेवा आंकड़ों के मिलान एवं विश्लेषण के प्रयत्न किये जाने चाहिए और उभरती परिस्थितियों पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। विभिन्न एजेंसियों एवं जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों द्वारा जिले में किये गये जनगणना जनांकिकी एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षणों से उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण एवं क्षेत्र विशिष्ट सूक्ष्म योजना के लिये स्थानीय स्तर पर उपयोग करने की जरूरत है। परिवार कल्याण विभाग ने क्षेत्रीय मूल्यांकन दलों का गठन किया है जो विभिन्न गर्भ निरोधकों का नियमित सत्यापन करते हैं और उनकी स्वीकृति को वैधानिक बनाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जैसे तदर्थ सर्वेक्षणों के जरिये प्राप्त सूचना का उपयोग भी कार्यक्रम की कमियों का पता लगाने एवं अपेक्षित सुधारात्मक उपाय शुरू करने के लिये किया जाना चाहिए। परिवार कल्याण विभाग ने 1998—99 और 1999—

2000 के दौरान लगभग 50 प्रतिशत जिलों में आर. सी. एच. परियोजना के अधीन त्वरित घरेलू सर्वेक्षण पूरे किये हैं। सर्वेक्षण में मुख्य जोर प्रसवपूर्व देखरेख एवं प्रतिरक्षण, सुरक्षित प्रसवों के अनुपात, गर्भनिरोधक प्रचलन दर, परिवार नियोजन की पूरी न की गई मांगों, स्वास्थ्य/ परिवार कल्याण सेवाओं एवं उपभोक्ता संतोष पर दिया गया। संग्रहीत सूचना ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन के मूल्यांकन हेतु लाभदायक निवेश सूचना प्रदान की। जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों, तदर्थ सर्वेक्षणों एवं जिला सर्वेक्षणों के माध्यम से आर. सी. एच. के अधीन संचालित जनगणना रिपोर्ट, अध्ययन कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु आंकड़े प्रदान करती हैं। इन रिपोर्टों और सर्वेक्षणों के द्वारा प्राप्त आंकड़ों का उपयोग प्रायः स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए।

जिला सुविधा सर्वेक्षण

158. देश में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में सुविधाओं की उपलब्धता एवं उपयोग के आकलन के लिये जिला व्यापी सुविधा सर्वेक्षण शुरू किये गये हैं। जिला अस्पतालों/ उपप्रभागीय स्तरों के अस्पतालों/ सी. एच सी/ पी. एच. सी. से सूचना एकत्र की जा रही है। लगभग 240 जिलों से रिपोर्टें प्राप्त कर ली गई हैं सर्वेक्षण परिणामों का विश्लेषण किया जा रहा है और उसे सुधारार्थक उपायों के लिये संबंधित जिलों और राज्य सरकारों को भेजा जा रहा है।

जिला-सर्वेक्षण

159. आर. सी. एच. कार्यक्रम के व्यक्तिगत घटक की स्थिति के निर्धारण के उद्देश्य से परिवार कल्याण विभाग द्वारा जिला सर्वेक्षण शुरू किये गये हैं। इन सर्वेक्षणों के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 100 घरों के नमूने चुने जायेंगे जिससे यह निर्धारित किया जाएगा कि आर. सी. एच. सुविधायें लोगों को पहुंच रही हैं या नहीं तथा कितनी पहुंच रही हैं। आधे जिलों को प्रति वर्ष लिया जा रहा है। पहले चरण में 1998-99 के दौरान आई. आई पी. एस. के तत्वावधान में स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा 270 जिलों में सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। संबंधित राज्य सरकारों को रिपोर्टें उपलब्ध कराई जा रही हैं। क्षेत्रीय परिवार कल्याण केन्द्रों और राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थानों की मदद से कार्यशालायें भी आयोजित की गईं ताकि रिपोर्टों से उत्पन्न मुद्दों पर कार्रवाई की जा सके। दूसरे चरण के सर्वेक्षण की मुख्य विशेषतायें नीचे दी गई हैं:-

- सर्वेक्षण किये गये 253 जिलों में से केरल के 7 जिलों में से 5 में, कर्नाटक के 10 जिलों में से दो में, तमिलनाडु के 11 जिलों में से एक में, गोवा के सभी जिलों में से एक में, पांडिचेरी के 2 जिलों में से एक में 20 प्रतिशत से कम उच्च जन्म दर वाले जिले देखे गये हैं।
- गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत जिन्होंने आई. एफ. ए. गोलियां ली थीं 74 प्रतिशत से अधिक है और यह 253 सर्वेक्षित जिलों में से केवल 37 जिलों के संबंध में है, इनमें से 5 जिले आन्ध्र प्रदेश में, एक गुजरात में, 6-6 कर्नाटक एवं केरल में, 5 महाराष्ट्र में, 2 तमिलनाडु में हैं। देश के 75 जिलों में 50 से 75 प्रतिशत का कवरेज पाया गया। अनेक राज्यों में आई. एफ. ए. गोलियों का कवरेज कमजोर है विशेष रूप से बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जहां 50 प्रतिशत से अधिक जिलों में आई. एफ. ए. गोलियों का कवरेज 30 प्रतिशत से कम है।
- जटिल गर्भावस्था / प्रसव की देखभाल के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम तीन प्रसव पूर्व जांचों की व्यवस्था करता है। राज्यों के जिन जिलों में 75 प्रतिशत से अधिक गर्भवती महिलायें थी वहां 3 प्रसवपूर्व जांचे की गई थी और यह मुख्यतः आन्ध्र प्रदेश (लगभग सभी), कर्नाटक (80 प्रतिशत), केरल (सभी), तमिलनाडु (सभी) में हैं। देश में जिन

लगभग 18 जिलों में 75 प्रतिशत से अधिक गर्भवती महिलायें थीं वहां प्रसवपूर्व जांच कर ली गई थी।

- दूसरे चरण में सर्वेक्षित 253 जिलों में से केवल 9 प्रतिशत जिलों में 75 प्रतिशत से अधिक प्रसव अस्पतालों में किये गये। यह राज्य मुख्यतः केरल (सभी), तमिलनाडु (11 में से 9) और पांडिचेरी (2 में से 1) हैं। जिन राज्यों में 30 प्रतिशत से कम प्रसव अस्पतालों में किये गये उन बड़े राज्यों में असम, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उ० प्र० हैं। अखिल भारतीय स्तर पर 57 प्रतिशत जिलों में सांस्थानिक प्रसव 30 प्रतिशत से कम किये गये हैं।
- ओ. आर. एस. पैकेटों का उपयोग अपर्याप्त रहा क्योंकि देश में किसी भी जिले से डायरिया (पेचिश) के मामलों में 75 प्रतिशत से अधिक पैकेटों के उपयोग की सूचना नहीं है। 87 प्रतिशत जिलों ने पेचिश के मामलों में 25 प्रतिशत से कम ओ. आर. एस. का प्रयोग किया।
- उन बच्चों की संख्या का प्रतिशत, जिनका पोलियो की 3 खुराक, बी. सी. जी. खसरा और डी. पी. टी. की 3 खुराक देकर पूर्ण रूप से प्रतिरक्षण किया गया, केवल 27 प्रतिशत जिलों में 75 प्रतिशत से अधिक रहा है।
- परिवार नियोजन के तरीकों में सर्वाधिक अपनाया गया तरीका नसबन्दी है जिसे आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में अपनाया गया है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम का निधि पोषण

योजना निधियों के द्वारा गैर-योजना क्रियाकलापों का वित्त पोषण

160. परिवार कल्याण कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसे योजना स्कीम के रूप में शुरू किया गया था ताकि विभिन्न स्वास्थ्य देखरेख सेवा वाली संस्थाओं में आवश्यक जनशक्ति की स्थिति एवं तैनाती के बारे में पर्याप्त ध्यान दिया जा सके। यह कार्य 100 प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है और राज्य सरकारों के माध्यम से इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आधार संरचना के अनुरक्षण एवं कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये कतिपय निर्धारित मानदण्डों के अनुसार राज्य सरकारों को निधियां प्रदान करता है। परिवार कल्याण विभाग की योजना निधियों का उपयोग वेतन, किराया, दवा, आकस्मिकता आदि आवर्ती-प्रावधान, जो अनिर्वायत : गैर आयोजना किस्म के हैं जैसे कार्यक्रम क्रियाकलापों पर व्यय को पूरा करने के लिये किया जा रहा है। वेतन एवं आधार सुविधाओं के अनुरक्षण पर यह गैर आयोजना व्यय परिवार कल्याण विभाग द्वारा कोई नये कार्यक्रमों को चलाने हेतु निधियों की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। परिवार कल्याण विभाग ने गैर योजना क्रियाकलापों का हस्तान्तरण योजना पक्ष में करने के लिये वित्त आयोग से अनुरोध किया है। योजना आयोग ने भी इस संबंध में विभाग के अनुरोध का समर्थन किया है वित्त आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

बकाया राशि की समस्या, कार्यक्रम के पुनर्गठन और राज्यों की भागीदारी की आवश्यकता

161. परिवार कल्याण विभाग 1,36,339 कार्यरत उपकेन्द्रों में से 97,757 उपकेन्द्रों के अनुरक्षण के लिये निधियां प्रदान करता है। योजना आयोग ने सभी कार्यरत उपकेन्द्रों के वित्त पोषण की आवश्यकता पर बार बार जोर दिया है ताकि ए. एन. एम., जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये महत्वपूर्ण परिधीय कार्यकर्ता हैं, सभी उपकेन्द्रों में रह कर कार्य कर सकें। परिवार कल्याण विभाग काफी पहले निर्धारित कतिपय मानदण्डों के अनुसार ग्रामीण परिवार कल्याण उपकेन्द्रों, प्रसवोत्तर केन्द्रों, शहरी परिवार कल्याण सेवाओं और प्रशिक्षण क्रियाकलापों के

अनुरक्षण की लागत वहन करता है। उपर्युक्त सेवाओं के अनुरक्षण के लिये आवश्यक वास्तविक निधियों एवं मानदण्डों के अनुसार प्रदान की जा रही निधियों के बीच काफी अन्तर है इस प्रकार इसके परिणामस्वरूप राज्यों को देय बकाया धनराशि जमा हो जाती है। राज्यों को बकाया धनराशि के भुगतान में विलम्ब से सभी राज्यों विशेषकर घाटे की समस्या वाले राज्यों में परिवार कल्याण सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इनमें से बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे अनेक राज्यों ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के निष्पादन को सुधारने के हर संभव प्रयत्न किये हैं। इसे देखते हुए योजना आयोग ने सुझाव दिया था कि परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये राज्यों को निधियां प्रदान करने के मानदण्डों की पुनरीक्षा की तत्काल आवश्यकता है।

162. योजना आयोग के सुझाव के अनुसार परिवार कल्याण विभाग ने इन मानदण्डों की पुनरीक्षा, वेतन, परिवार कल्याण विभाग द्वारा निधि पोषित विभिन्न प्रकार की आधार सुविधाओं एवं जनशक्ति के लिये आकारिमक एवं अन्य व्ययों के लिये वास्तविक मानदण्ड तैयार करने के लिए एक परामर्शदायी समिति का गठन किया। इस समिति ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सृजित आधार सुविधा एवं जनशक्ति के योक्तिकीकरण की भी जांच की ताकि केन्द्र और राज्य दोनों कार्यक्रम के संबंधित हिस्से का निधि पोषण कर सकें। परिवार कल्याण विभाग ने राज्यों को उनकी टिप्पणियों के लिये समिति की मसौदा रिपोर्ट परिपत्रित कर दी है, यह आशा की जाती है कि चालू वर्ष में रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा तथा सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाएगा।

विदेशी सहायता वाली परियोजनाये

163. विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि, विदेशी विकास एजेंसी और डैनिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (डानिडा) जैसी विदेशी एजेंसियों से विदेशी सहायता के साथ विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन क्षेत्र विकास परियोजनायें चलाई गई हैं जिनका उद्देश्य प्रसूति एवं शिशु मृत्यु दर, रुग्णता एवं जन्म दर में कमी लाना है।

164. आई पी. पी. 8 और आई पी. पी. 9 परियोजनायें, महाराष्ट्र में जर्मन सरकार की सहायता वाली परिवार स्वास्थ्य सहायता परियोजना, तमिलनाडु में "डानिडा" चरण 3 परियोजना, उड़ीसा में ओ. डी. ए. चरण 3 परियोजना और केरल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पांच जिलों में यू. एन. एफ. पी. ए. सहायित जिला परियोजनायें 1999-2000 के दौरान जारी रहेंगी। उत्तर प्रदेश में "यूसैड" सहायित परियोजना भी 2000-01 के दौरान जारी रहेगी जिसके लिये 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर. सी. एच.)

165. सी. एस. एस. एम. और संबंधित कार्यक्रमों को प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में पुनर्गठित किया गया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य परिवार कल्याण सेवाओं का एकीकरण एवं विस्तार करना, उनकी गुणवत्ता बढ़ाना, और उन तक लोगों की पहुंच को आसान बनाना है। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता गर्भ निरोधक मुद्दों, मातृ स्वास्थ्य मुद्दों, शिशु जीवन मुद्दों की ओर संतुलित एवं निर्देशित ध्यान देना और उनके प्रत्येक घटक पर कार्रवाई करना है। महिलाओं एवं बच्चों की स्वास्थ्य दशा में सुधार के प्रयत्न किये जा रहे हैं और इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में कमी सुनिश्चित करना है। सेवा प्रदायक प्रणालियों को सुधारने के लिये विशेष ध्यान दिया जा रहा है।


166. नौवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली परियोजना की कुल लागत 5112 करोड़ रु. है जिसमें से 3600 करोड़ रु. की विदेशी सहायता की आशा है और शेष

धनराशि भारत सरकार द्वारा चालू मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखरेख क्रियाकलापों को बनाये रखने तथा आर. सी. एच. परियोजना के सहयोगी निधि पोषण के लिये प्रदान की जानी है। वार्षिक योजना 2000-01 के लिये आर. सी. एच. कार्यक्रम के अधीन विभिन्न कार्यक्रमों हेतु 743 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2000-01 के लिये परिव्यय

167. परिवार कल्याण विभाग के लिये वार्षिक योजना 2000-01 का परिव्यय 3520 करोड़ रु० हैं योजना आयोग ने ए. एन. एम. को मोपेड (दुपहिया गाड़ी) की आपूर्ति की स्कीम का समर्थन नहीं किया और यह निष्कर्ष दिया कि स्कीम का मूल्यांकन पूरा किया जाना चाहिए ताकि भावी वार्षिक योजनाओं के दौरान स्कीम जारी रखने पर निर्णय लिया जा सके। इस बात को देखते हुए कि मूल्यांकन अध्ययनों के अनुसार शिविरों में लैप्रोस्कोपिक वंध्याकरण के मामलों में रुग्णता की उच्च दर निहित है योजना आयोग ने लैप्रोस्कोप की आपूर्ति/ खरीद की स्कीम हेतु प्रावधान कम किया है। वार्षिक योजना 1999-2000 के दौरान असंतोषजनक व्यय को देखते हुए शीत श्रृंखला उपस्कर की खरीद की स्कीम के लिये प्रावधान कम किया गया। आर. सी. एच. संविदा स्टाफ एवं सेवाओं, आर. सी. एच. के अंतर्गत प्रशिक्षण क्रियाकलापों, एन जी ओ की भागीदारी आर. सी. एच. के अधीन अनुसंधान क्रियाकलाप, जनजातियों एवं शहरी झुग्गी झोपड़ियों के लिये विशेष परियोजना और अन्य आर. सी. एच. हस्तक्षेपों की स्कीमों के लिये प्रावधान इस बात को देखते हुए कम किया गया कि इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन पिछले दो वर्षों से किया जा रहा है और इन क्रियाकलापों के लिये परिव्यय कम करने की बात महसूस की गई। योजना आयोग ने बकाया धनराशि के अंतर्गत बढ़े हुए परिव्यय का अनुमोदन किया ताकि परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को देय सभी बकाया राशियों का भुगतान किया जा सके। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति मसौदे पर सिफारिशें देने के लिये मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा गठित मंत्रियों के समूह ने सिफारिश की थी कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अब कार्यान्वित की जा रही मातृत्व लाभ स्कीम परिवार कल्याण विभाग को हस्तान्तरित कर दी जाय। योजना आयोग ने ग्रामीण विकास विभाग और परिवार कल्याण विभाग से स्कीम के शीघ्र हस्तान्तरण के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया है। वार्षिक योजना 2000-2001 के अधीन मातृत्व लाभ स्कीम के लिये योजना आयोग द्वारा एक करोड़ रु० का सांकेतिक प्रावधान किया गया था। अनुमोदित परिव्यय का स्कीमवार आबंटन संलग्नक 5.4.3.2 में दिखाया गया है।

भारत में पोलियो वाइरस के स्थान
1 डाट = 1 मामला



डाटा 5 फरवरी 2000 की स्थिति के अनुसार

परिवार कल्याण विभाग
वार्षिक योजना 2000-2001

(करोड़ रुपये)

स्कीम	1999-2000 अनुमोदित परिव्यय	1999-2000 प्रत्याशित खर्च	2000-2001 प्रस्तावित परिव्यय	2000-2001 अनुमोदित परिव्यय		
				जी बी एस	ई ए पी	
1	2	3	4	5	6	
1	ग्रामीण परिवार कल्याण केंद्र	350.00	350.00	637.00	375.00	
2	उप केंद्र	525.00	525.00	1102.00	575.00	
3	शहरी परि. कल्याण केंद्रों का अनुरक्षण	27.00	27.00	53.02	28.00	
4	शहरी स्तर के संगठनों का पुनरुद्धार	31.00	31.00	47.85	32.00	
5	निर्देशन व प्रशासन	185.50	115.50	171.00	116.00	
6	बंध्यकरण शय्याएं	1.70	1.70	1.90	1.50	
7	प्रसवोत्तर केंद्र	120.00	120.00	236.48	120.00	
8	बुनियादी प्रशिक्षण स्कूल	61.90	61.08	96.29	63.75	
9	ग्राम्य स्वास्थ्य गाइड योजना	10.00	10.00	10.00	10.00	
10	बंध्यकरण एवं आई यू डी अंतः स्थापन	140.00	110.00	162.00	120.00	
11	सामुदायिक प्रोत्साहन योजना	0.00	0.00	108.00	0.00	
12	परिवहन	43.00	43.00	129.00	48.00	38.00
	क) पूर्व उपलब्ध गाड़ियों का अनुरक्षण	30.00	30.00	35.00	30.00	
	ख) वर्तमान गाड़ियों की जगह गाड़ियों की व्यवस्था	3.00	3.00	56.00	10.00	
	ग) ए एन एम को मोपेड की आपूर्ति	10.00	10.00	38.00	8.00	8.00
13	गर्भनिरोधक	267.70	212.70	349.58	223.70	41.00
	क) पारंपरिक गर्भनिरोधकों का मुफ्त वितरण	50.00	50.00	108.00	50.00	
	ख) लिप्पी, लूप व कापरटी का मुफ्त वितरण	22.50	22.50	24.02	22.50	
	ग) ओरल पिल का मुफ्त वितरण	15.00	15.00	14.00	15.00	
	घ) गर्भनिरोधकों का सामाजिक विपणन	140.00	105.00	127.59	106.00	20.00
	ङ) लेप्रोस्कोप की आपूर्ति/ प्रबंध	20.00	20.00	30.00	10.00	
	च) परीक्षण सुविधाएं	0.20	0.20	0.25	0.20	
	छ) नो-स्केलपेल वेसेक्टोमी					1.00
	ज) उपस्करों में सुधार	20.00	0.00	45.72	20.00	20.00
14	कोल्ड चेन उपस्करों का प्रबंधन	50.00	0.00	38.17	20.00	
15	हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड	0.10	0.10	0.05	0.00	

परिवार कल्याण विभाग
वार्षिक योजना 2000-2001

(करोड़ रुपये में)

स्कीम	1999-2000	1999-2000	2000-2001	2000-2001		
	अनुमोदित परिव्यय	प्रत्याशित खर्च	प्रस्तावित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय	जी बी एस ई ए पी	
1	2	3	4	5	6	
16	विशेषज्ञों की यात्रा/ सम्मेलन/ बैठकें आदि	1.50	0.50	1.50	1.00	
17	अनुसंधान संस्थान	25.30	25.30	32.62	28.45	
18	अंतर्राष्ट्रीय योगदान	1.30	1.30	1.60	1.60	
19	सूचना, शिक्षा एवं संचार	31.20	31.20	35.91	30.00	
20	राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम व पोलियो उन्मूलन को सशक्त बनाना।					45.00
21	प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य परियोजना	676.80	889.80	1505.81	715.00	1019.00
	क) टीका/ उपकरण/ दवाओं का प्रबंध	325.00	555.00	702.00	475.00	
	ख) आर सी एच टेका कर्मचारी एवं सेवाएं	30.00	12.00	24.21	10.00	
	ग) आर सी एच के अंतर्गत प्रशिक्षण गतिविधियां	50.00	25.00	50.00	20.00	
	घ) एन जी ओ तथा एस सी ओ वी ए की भागीदारी	26.00	20.00	34.50	15.00	
	ड.) सूचना, शिक्षा व संचार	88.80	138.80	167.60	80.00	
	च) आर सी एच के अंतर्गत अनुसंधान क्रियाकलाप	20.00	14.00	21.50	10.00	
	छ) जनजातियों तथा शहरी स्लमों के लिए विशेष परियोजना	12.00	0.00	41.00	5.00	
	ज) अन्य आर सी एच अंतःक्षेप व सेवाएं	100.00	100.00	405.00	50.00	
	झ) आर सी एच जिला परियोजनाएं	25.00	25.00	75.00	50.00	
22	क्षेत्र परियोजना	100.00	130.00	367.00	250.00	200.00
23	यूसेड सहायता-प्राप्त उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं	70.00	70.00	70.00	60.00	60.00
24	बकाया	200.00	700.00	900.00	700.00	
25	परिवार कल्याण परामर्शदात्री योजनाएं	1.00	0.00	0.00	0.00	
26	मातृत्व लाभ योजनाएं	0.00	0.00	0.00	1.00	
	कुल जोड़	2920.00	3455.18	6056.78	3520.00	1403.00

5.5 आवास, शहरी विकास, जल आपूर्ति और सफाई

शहरी आवास

आवास मानव की एक बुनियादी आवश्यकता है और इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की आवश्यकता है। इस बात को स्वीकार करते हुए कि आवास वस्तुतः एक निजी क्रियाकलाप है, आवास नीतियों और कार्यक्रमों में इस बात को स्वीकार करना होगा कि कमजोर वर्गों की आवास संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने और स्वपोषणीय आधार पर 'सब के लिए आवास' का लक्ष्य पूरा करने की दृष्टि से समर्थकारी वातावरण बनाने के लिए सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है।

2. इस स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न योजना अवधियों में किए गए प्रयासों के बावजूद, देश अभी भी बढ़ती हुई आवास समस्या, विशेषकर गरीबों की आवास समस्या से जूझ रहा है, बढ़ती हुई जनसंख्या, तेजी से औद्योगीकरण और क्षेत्रीय विकास वे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से पिछले कई वर्षों से आवास की समस्या और गंभीर हो गई है। शहरी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण यह समस्या और भी जटिल हुई है। नौकरी की तलाश में ग्रामीण लोगों का शहरों की ओर लगातार प्रवास शहरी आवास और बुनियादी सेवाओं पर जबरदस्त दबाव डालता है। राष्ट्रीय भवन संगठन (एन बी ओ) ने अनुमान लगाया है कि 1991 में शहरी आवास में 8.23 मिलियन इकाइयों की कमी थी और उनका अनुमान है कि यह कमी क्रमिक रूप से घट कर 1997 में 7.57 मिलियन इकाइयां और 2001 में 6.64 मिलियन इकाइयां रह जाएंगी। परंतु हैबिटेट-2 के अनुमान यह संकेत देते हैं कि यह कमी 2001 में 9.4 मिलियन इकाइयों तक बढ़ जाएगी।

3. नई आवास और हैबिटेट नीति, 1998 का अंतिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों की आवास और बेहतर जीवन – स्तर की बुनियादी आवश्यकता पूरी हो। इस आवश्यकता को, आवास और निवास की समस्याओं को हल करने के लिए सरकारी निजी भागीदारी के क्षेत्र में अप्रयुक्त क्षमताओं का उपयोग करके पूरा किया जाएगा। नई नीति के अंतर्गत, सरकार वित्तीय रियायतें देगी, विधिक और नियामक सुधार करेगी और समर्थकारी वातावरण उत्पन्न करेगी। दूसरे भागीदार के रूप में, निजी क्षेत्र को भूति प्राप्त करने, मकान बनाने और आधारभूत सुविधाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

4. नौवीं योजना में आवास बाजार में सबसे पीछे खड़े परिवारों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस प्रकार की सहायता के लिए जिन प्राथमिकता समूहों का पता लगाया गया है उनमें गरीबी रेखा से नीचे के लोग, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोग, अशक्त व्यक्ति, मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर, गंदी बस्तियों में रहने वाले तथा महिला मुखिया वाले परिवार शामिल हैं। सुविधा प्रदायक के रूप में सरकार ऐसा वातावरण पैदा करेगी जिसमें पर्याप्त मात्रा में और उपयुक्त गुणवत्ता तथा स्तरों वाली निविष्टियां उपलब्ध होंगी। उेश में आवास क्रियाकलापों की वृद्धि सहज बनाने के लिए, शहरी विकास मंत्रालय/ शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने निम्नलिखित बड़ी पहलें की हैं :

- भूमि बाजार की विकृतियों को ठीक करने के लिए शहरी भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम 1976 (यू एल सी आर ए) को निरस्त करके कानूनी बाधाओं को समाप्त करना और इस निरसन को सभी संघ राज्य क्षेत्रों, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में स्वीकार कर लिया गया है।
- एपार्टमेंट स्वामित्व, किराया नियंत्रण तथा निजी भवनों तथा विकासकर्ताओं के विनियमन के लिए 1993 में मंत्रालय द्वारा ड्राफ्ट किया गया आदर्श विधान, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जरूरी समझे गए उपांतरों के साथ राज्य सरकारों में उनकी स्वीकृति के लिए परिचालित किया गया। कुछ राज्य सरकारों ने मुख्यतः आदर्श विधान की तर्ज पर अपने-अपने अधिनियम तैयार किए हैं।

- आवास, वित्तपोषण कंपनियों पर एन एच बी का नियंत्रण सुदृढ़ बनाने के लिए एन एच बी अधिनियम 1987 में संशोधन किया गया है। इन संशोधनों में, बंधक रखी गई सम्पत्ति की वसूली अधिकारियों के माध्यम से बिक्री की व्यवस्था करके आवास वित्त संस्थानों की अतिदेय राशियों की वसूली के आसान; तुरंत और किफायती तरीकों के लिए प्रावधान किया गया है। इस संशोधन से एन एच बी द्वारा संपत्ति का प्रतिभूतिकरण और गौण बंधक बाजार की स्थापना भी सहज हो जाएगी।
- आवास क्षेत्र को दी गई राजकोषीय रियायतों में 75,000 रुपये की अधिकतम सीमा तक अपने अधिभोग की संपत्ति के लिए प्राप्त किए गए ऋण पर, ब्याज शामिल है जिसे आय कर की गणना करते समय कुल आय में से घटाया जा सकता है; भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक मौजूदा 1.5 प्रतिशत के स्थान पर अपनी वृद्धिशील जमा राशियों के 3 प्रतिशत तक कर्ज आवास के लिए देंगे।
- ई डब्ल्यू एस तथा एल आई जी समूहों के अंतर्गत आने वाले कर्जदारों को रियायती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने की सुविधा।
- 20 लाख आवासों के कार्यक्रमों के हिस्से के तौर पर, एन सी एच एफ के लिए ई डब्ल्यू एस तथा एल आई जी के लिए 1.5 लाख मकानों का वार्षिक लक्ष्य रखा गया है।

5. आवास सेक्टर को संस्थागत वित्त की मात्रा बढ़ाने और आवास वित्त संस्थानों को प्रोत्साहन देने तथा विनियमित करने के लिए जुलाई 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) की भारतीय रिजर्व बैंक के एक सहायक बैंक के रूप में स्थापना की गई थी। आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) भारत सरकार द्वारा दी गई ईक्विटी सहायता के साथ इस सेक्टर में शीर्षस्थ तकनीकी वित्त पोषण एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों (ई डब्ल्यू एस) और निम्न आय समूह (एल आई जी) पर ध्यान केंद्रित करता है।

6. 1998-99 में शुरू की गई विशेष कार्य योजना (एस ए पी) में सभी के लिए आवास को एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना गया है। इसमें हर वर्ष 20 लाख अतिरिक्त मकानों (7 लाख शहरी और 13 लाख ग्रामीण) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1998-99 के दौरान, 7 लाख इकाइयों के लक्ष्य की तुलना में 7.5 लाख आवास इकाइयां मंजूर की गईं। 1999-2000 के दौरान, 7.35 लाख इकाइयों की तुलना में 7.95 लाख रिहायशी इकाइयों का निर्माण किया गया। नौवीं योजना में आवास के लिए राज्य क्षेत्र में 8176.36 करोड़ रुपये तथा केंद्रीय क्षेत्र में 4873 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय क्षेत्र के परिव्यय में 873 करोड़ रुपये बजटीय सहायता के रूप में तथा 4000 करोड़ रुपये आई ई बी आर (हुडको) के रूप में हैं।

7. शहरी आवास उपलब्ध करने के लिए केंद्र सरकार ने मुख्यतः संस्थागत और अनुसंधान सहायता प्रदान करने के लिए स्कीमें चलाई हैं। दूसरी ओर राज्य सरकारें अपनी योजनागत प्राथमिकताओं और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सामाजिक आवास की विभिन्न स्कीमें और अन्य स्कीमें कार्यान्वित कर रही हैं। नये निर्माण की भौतिक प्रगति और पुराने तथा टूटे-फूटे मकानों को उन्नत बनाने के अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि केंद्रीय/ राज्य एजेंसियों, सहकारी आवास समितियों, सार्वजनिक और निजी आवास से ऐसे आंकड़े एकत्र करने वाली कोई एक एजेंसी नहीं है। व्यवस्थित ढंग से एकमात्र डाटा संग्रहण-20-सूत्री कार्यक्रम के तहत ई डब्ल्यू एस और एल आई जी आवास इकाइयों के संबंध में किया जाता है। वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के लिए ई डब्ल्यू एस तथा एल आई जी आवास के राज्यवार ब्यौरे क्रमशः संलग्नक 5.5.1 तथा 5.5.2 में दिए गए हैं।

8. 1998-99 के दौरान ई डब्ल्यू एस स्कीम के तहत 105556 इकाइयों की तुलना में 116940 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया। केवल सात राज्य, अर्थात् गुजरात, हिमाचल

प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और सिक्किम ई डब्ल्यू एस आवास के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त/ पार कर सकें। इसी अवधि में एल आई जी आवास के तहत उपलब्धि 59932 इकाइयों के लक्ष्य की तुलना में 43478 इकाइयां थीं। एल आई जी आवास में भी केवल पांच राज्य ही, अर्थात् गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर सके या इनसे आगे बढ़ सके, इस अवधि में एल आई जी के तहत उपलब्धि का स्तर 71 प्रतिशत था। दुर्भाग्यवश, कई प्रकार के कारणों से अन्य राज्यों में आवास क्रियाकलाप उत्साहजनक नहीं थे। चूंकि क्रियाकलाप के कुछ ही राज्यों में केंद्रित होने के कारण क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होने की संभावना रहती है, इसलिए वैकल्पिक कार्यनीतियों पर विचार किया जा रहा है। वर्ष 1999-2000 के लिए ई डब्ल्यू एस तथा एल आई जी आवास की उपलब्धियां केवल 11 राज्यों के संबंध में उपलब्ध हैं। 1999-2000 के दौरान ई डब्ल्यू एस की आवास उपलब्धियां 129972 इकाइयों के लक्ष्य की तुलना में 37939 इकाइयां थीं। इसी प्रकार, एल आई जी के लिए उपलब्धि 63610 रिहायशी इकाइयों के लक्ष्य की तुलना में 12354 इकाइयां थीं। वर्ष 2000-01 के लिए इन दोनों स्कीमों (अर्थात् ई डब्ल्यू एस तथा एल आई जी) को शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

परिव्ययों की समीक्षा-वार्षिक योजना 1999-2000

9. विभिन्न आवास स्कीमों के लिए 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-01 के दौरान केंद्रीय सेक्टर के व्यय संबंधी ब्यौरे संलग्नक 5.5.3 में दिये गए हैं। 1998-99 के दौरान, 241.53 करोड़ रुपये के कुल व्यय में से अधिकतम व्यय हुडको की ईक्विटी में अंशदान पर (110 करोड़ रुपये) था, जिसके बाद सामान्य पूल रिहायशी आवास (72 करोड़ रुपये) और अर्ध-सैनिक बलों के लिए आवास (50.37 करोड़ रुपये) का स्थान था। 1999-2000 के दौरान, वास्तविक व्यय, 297.35 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय का 94 प्रतिशत (278.77 करोड़ रुपये) था।

वार्षिक योजना 2000-01

10. वार्षिक योजना 1999-2000 में केंद्रीय सेक्टर में आवास के लिए 306 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय सेक्टर के लिए, 1999-2000 के आवास का अनुमोदित परिव्यय, 1998-99 के वास्तविक व्यय की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। वार्षिक योजना 2000-01 के लिए केंद्रीय सेक्टर के अनुमोदित परिव्यय के राज्यवार ब्यौरे (केवल बजटीय सहायता) संलग्नक 5.5.3 में दिए गए हैं। इसी वर्ष के दौरान ईक्विटी सहायता के रूप में हुडको के लिए 155 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं जिसके बाद सामान्य पूल आवास (75 करोड़ रुपये), अर्ध सैनिक बलों के लिए आवास (60 करोड़ रुपये), बी एम टी पी सी (4 करोड़ रुपये), राशि आश्रय (3.4 करोड़ रुपये) तथा एस एण्ड टी और भवन केंद्रों सहित संस्थानों को दिए जाने वाले अनुदानों (3 करोड़ रुपये) का स्थान है।

शहरी विकास

11. भारत में एक सबसे बड़ी शहरी प्रणाली है। जिसकी जनसंख्या 1991 में 217.6 मिलियन से बढ़कर 2001 में 289 मिलियन हो जाने का अनुमान है और संभावना है कि यह वर्ष 2021-25 में बढ़कर 605-618 मिलियन हो जाएगी। शहरी विकास अनिवार्य रूप से चल रहे संरचनागत सुधारों के अनुरूप आर्थिक विकास का सहायक होता है। तदनुसार, यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए आरंभ की गई थी कि शहरी जनसंख्या के सभी वर्गों और विशेषकर शहरी क्षेत्रों की जनता के निर्धन तथा कमजोर वर्गों को इस तक पहुँच प्राप्त हो जाए। शहरीकरण का सकारात्मक प्रभाव, प्रायः जल आपूर्ति, सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, परिवहन, आदि जैसी अनिवार्य सेवाओं की मांग और पूर्ति में बढ़ते हुए अंतर के कारण भौतिक वातावरण और जीवन

की गुणवत्ता में आई गिरावट की वजह से दब जाता है। नौवीं योजना में नई परियोजनाओं और एक दूसरे पर आश्रित आधार्िक संरचना के संघटकों को एकीकृत करके मौजूदा परिसम्पत्तियों के उन्नयन के रूप में पहले से देखी जा सकने वाली विकास संबंधी भावी आवश्यकताओं को देखने का प्रयत्न किया गया है।

12. शहरी सेक्टर में एक महत्वपूर्ण विधायी योगदान संविधान (74 वां संशोधन) अधिनियम 1992 के रूप में था जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों पर आधारित था। इस युगप्रवर्तक विधान में शहरी स्थानीय निकायों (यू एल बी) की स्थानीय स्वायत्त शासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य करने/ यू एल बी की संरचना और अधिदेश के लिए साझा ढांचा उपलब्ध करने की कल्पना की गई थी। राज्य सरकारों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वे संविधान की 12वीं अनुसूची में यथा प्रस्तावित कार्य और उत्तरदायित्व यू एल बी को हस्तांतरित कर दें और यह भी सुनिश्चित करें कि विधान मण्डल ऐसी विधियों का प्रावधान करे जो यू एल बी के राजस्व/ संसाधनों को बढ़ाने के लिए नगरपालिकाओं को उपयुक्त कर तथा शुल्क लगाने और संग्रहित करने का प्राधिकार दे सकें क्योंकि आजकल यू एल बी केवल सरकारी अनुदानों पर निर्भर करते हैं। यद्यपि अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा करों तथा शुल्कों का निर्धारण करने पर लागू सिद्धांतों और नगरपालिकाओं को मिलने वाले अनुदानों की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग गठित किए गए हैं, तथापि अधिकांश नगरपालिकाओं की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। कर-भिन्न स्रोतों से राजस्व बहुत कम है, नगरपालिका प्राधिकरणों की बाहरी संसाधनों पर निर्भरता बढ़ती चली गई है और इसके साथ-साथ इनके अपने संसाधनों से आंतरिक राजस्व में तदनुरूप कमी हो रही है। शहरी शासन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि 74वें संविधानिक संशोधन के संदर्भ में समूची अनुवर्ती कार्रवाई सम्पूर्ण रूप से की जाए।

वार्षिक योजना 1999-2000 की समीक्षा और 2000-01 के लिए प्रावधान

13. ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे नगरों से बड़े शहरों में लोगों का प्रवास कम करने, छोटे और मध्यम नगरों में रोजगार के अवसर पैदा करने और इन नगरों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए, छठी योजना के दौरान शुरु की गई छोटे और मध्यम नगरों के एकीकृत विकास की केंद्र प्रायोजित स्कीम (आई डी एस एम टी) को कुछ संशोधनों और परिवर्तनों के साथ जारी रखा गया है। 1999-2000 के लिए 50.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसमें से प्रत्याशित व्यय 44.50 करोड़ रुपये बताया गया है। इस वर्ष के दौरान केंद्र द्वारा जारी की गई राशि 14.84 करोड़ रुपये थी। कुल मिलाकर इस स्कीम को संस्थागत वित्त आदि जुटाने जैसी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ है। वार्षिक योजना 2000-01 के लिए कुल 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

14. एक या दो दशकों की थोड़ी सी अवधि में बड़े नगरों का आकार दुगना हो जाने की संभावना को देखते हुए, नगरों तथा शहरों के सीधे विकास के परिप्रेक्ष्य में कल्पित स्वीकार्य भौतिक मानक विकसित करना नितांत आवश्यक है। महानगरों में आधार्िक संरचना के विकास की केंद्र प्रायोजित स्कीम 1993-94 के दौरान पांच महानगरों अर्थात् मुम्बई, चेन्नई, कलकत्ता, हैदराबाद और बंगलौर में आरंभ की गई थी जिसके मुख्य उद्देश्य थे: आर्थिक और भौतिक आधार्िक संरचना में निवेश को बढ़ावा देना और महानगरों में आधार्िक संरचना के लगातार विकास के लिए परिक्रामी निधि की स्थापना में सहायता देना। 1999-2000 के लिए कुल 86.47 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया था और प्रत्याशित व्यय 80 करोड़ रुपये का है। कुल मिलाकर, यह स्कीम संस्थागत वित्त जुटाने के संबंध में बड़ी समस्याओं का सामना करती चली आई है जिसके परिणामस्वरूप परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ है। 2000-01 के लिए 91 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। आई डी एस एम टी और बृहद नगर (मेगा सिटी) जैसी स्कीमों के जरिए शहरी विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की

सहायता के लिए परियोजनाओं का वित्तपोषण ऐसे संस्थानों को सौंपने की जरूरत है जिन्होंने एक मजबूत संसाधन आधार स्थापित कर लिया हो और जिनके पास परियोजनाओं का मूल्यांकन करने और उन्हें मानीटर करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता हो।

15. शहरी परिवहन शहरी आधारीक संरचना के अत्यंत महत्वपूर्ण घटकों में एक हैं। सड़कों का एक अच्छा नेटवर्क और एक कुशल सार्वजनिक शहरी परिवहन प्रणाली से शहरों की कार्य कुशलता, विशेषकर उनके आर्थिक और सामाजिक विकास में भारी योगदान प्राप्त होता है। 1999-2000 के दौरान, शहरी परिवहन के लिए 165.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जबकि प्रत्याशित व्यय 148 करोड़ रुपये बताया गया है। वार्षिक योजना 2000-01 के लिए 185 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

16. इस समय दिल्ली के लिए चल रही एकमात्र वृहत स्कीम 'मल्टी मोडल मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एम आर टी एस) स्कीम है, जिसके लिए इस स्कीम के प्रथम चरण के वास्ते निवेश के प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा सितंबर, 1996 में अनुमोदित किए गए थे, इस स्कीम में उत्थापित एवं भूतलीय रेल गलियारों वाली लगभग 55.3 कि. मी. लम्बी मेट्रो रेल प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है। अप्रैल, 1996 में कीमतों पर इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 4860 करोड़ रुपये है। लगभग 56 प्रतिशत लागत ओ ई सी एफ (जापान) से मिलने वाले उधार ऋण द्वारा पूरी की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डी एम आर सी) को ओ ई सी एफ ऋण 'पास-थ्रो' सहायता के रूप में उपलब्ध किया जाता है, जिसके लिए शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के बजट में प्रावधान किया जाता है।

17. आयोजन के कार्य के लिए लगातार डाटा एकत्र करने, उसे अद्यतन बनाने, आदि की आवश्यकता होती है। व्यापक सूचना जुटाने में सहायतार्थ, हवाई फोटोग्राफी और उपग्रह दूर-संवेदी तकनीकों का प्रयोग करके केंद्रीय और राज्य स्तरों पर टी सी पी ओ की तकनीकी क्षमताएं बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि संशोधित चक्र में मानचित्रों को अद्यतन बनाया जा सके। संबंधित राज्य के टाउन प्लानिंग विभागों के सहयोग से केंद्रीय टी सी पी ओ जी आई एस के विकास के लिए थीमेटिक मानचित्र और ग्राफिट डाटा आधार तैयार करने के लिए हवाई मानचित्रों की व्याख्या अन्य गौण डाटा/ सूचना एकत्र करने और टाउन प्लानिंग विभागों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, लोक निर्माण विभाग, कर प्राधिकरणों और अन्य क्षेत्रक विकास एजेंसियों के द्वारा बहु-उद्देशीय मानचित्रों के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए सूचना को संसाधित कर रहा है। यह स्कीम दो चरणों में 50 नगरों को कवर करने के लिए शुरू की गई थी। राज्य सरकारों के साथ की गई हाल की समीक्षाओं से यह संकेत मिला है कि वे भी अपने राज्यों के क्षेत्रों को टी सी पी ओ द्वारा शुरू किए गए मानचित्र कार्यक्रम द्वारा समन्वित करवाना चाहती हैं, उच्च विभेदन उपग्रह दूर संवेदी प्रौद्योगिकी उपलब्ध होने से, यह सुझाव दिया गया कि आवास, भू-प्रयोग पैटर्न, सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों, जल निकासी, जल-मल निकास, कम लागत वाली सफाई, शहरी अपशिष्ट प्रबंधन आदि जैसी आधारभूत सेवाओं की उपलब्धता/ आवश्यकता संबंधी सूचना को शामिल करने के लिए इस स्कीम के क्षेत्र को व्यापक बनाया जाए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन सी आर पी बी)

18. 1989 से कार्य कर रहे एन सी आर पी बी के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना 2001 के लिए दो मुख्य उद्देश्य थे: (1) दिल्ली में जनसंख्या के दबाव को कम करना और (2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का समरूप और संतुलित विकास करना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 30242 कि. मी. के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें एन सी टी दिल्ली (1483 वर्ग कि.मी.), हरियाणा (13413 वर्ग कि.मी.), राजस्थान (4493 वर्ग कि.मी.) और उत्तर प्रदेश (10853 वर्ग कि.मी.) शामिल हैं। उपयुक्त स्थानों पर प्रभावी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए एन सी आर

की कार्यनीति की संभावनाओं का पता लगाने की आवश्यकता है। 1999-2000 के दौरान एन सी आर पी बी को 45 करोड़ रुपये का अंशदान दिया गया था और प्रत्याशित व्यय 42 करोड़ रुपये है। वार्षिक योजना 2000-01 के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान दिया गया है।

बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

19. शहरी आधारिक संरचना, गरीबी कम करने और आवास क्षेत्रों वाली कुछ बाहरी सहायता-प्राप्त परियोजनाएं केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा जैसे राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं। दिल्ली एम आर टी एस को भी बाहरी सहायता प्राप्त है। नौवीं योजना के दौरान दिल्ली एम आर टी एस के लिए 'पास थ्रो' सहायता 362 करोड़ रुपये है। 1999-2000 के दौरान इस सहायता का परिव्यय 80 करोड़ रुपये था जिसे संशोधित करके 52 करोड़ रुपये कर दिया गया था। वार्षिक योजना 2000-01 के लिए इस प्रयोजनार्थ 1 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। संलग्नक 5.5.5 तथा 5.5.6 में क्रमशः स्कीमवार केंद्रीय सेक्टर तथा राज्यवार वित्तीय परिव्यय और व्यय की जानकारी दी गई है।

चिंता के क्षेत्र

- आधारिक संरचना के विकास की परियोजनाओं को शुरू करने के लिए भूमि तक आसान पहुँच;
- आई डी एस एम टी और बृहद नगर के केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों की धीमी प्रगति, आधारिक संरचना के सम्पोषणीय विकास के लिए संस्थागत वित्त जुटाना/ परिक्रामी निधि स्थापित करना;
- एस डी एस एम टी, बृहद नगर, एस जे एस आर वाई के कार्यान्वयन के क्षेत्र सापेक्ष प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन सरकारी स्तर पर हाथ में नहीं लिया गया।
- एन सी आर पी बी की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन न किया जाना।

जल आपूर्ति और सफाई

20. नौवीं योजना में परिकल्पित मूल उद्देश्य स्थानीय सहयोग से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सभी लोगों के लिए सम्पोषणीय आधार पर सुरक्षित पेय जल उपलब्ध करना है। हालांकि सुरक्षित पेय जल और सफाई की व्यवस्था करना राज्य का विषय है और यह मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है किंतु राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ग्रामीण जल आपूर्ति के मामले में एक बड़े पैमाने की केंद्र प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित करती रही है, जिसका काम "त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) है और जिसे आजकल राजीव गांधी पेय जल मिशन" कहते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन द्वारा 1.4.1999 को कुल 1430543 अभिज्ञात आबंटियों में से 34460 कवर न की गई (एन सी) आबादियां थीं, 232887 आंशिक रूप से कवर की गई (पी सी) आबादियां थीं। इसके अतिरिक्त 154398 ऐसी आबादियों का समाधान भी करता है, जो कथित रूप से पलूराइड, अर्सेनिक लवणता, लौहे आदि जैसी गुणवत्ता संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं। इस प्रकार, स्रोत रहित गांवों/ आबादियों, हल की जाने वाली जल आपूर्ति की गुणवत्ता तथा मात्रा संबंधी समस्याओं और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह कि कार्यक्रम की संपोषणीयता की दृष्टि से शेष बचे कार्य बहुत विशाल हैं।

21. शहरी जल आपूर्ति के मामले में, केंद्र द्वारा प्रायोजित एक छोटी स्कीम अर्थात् 20,000 से कम आबादी वाले छोटे नगरों (1991 की जनगणना के अनुसार) के लिए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम 1993-94 से चल रहा है। दूसरी ओर राज्य सरकारें शहरी जल आपूर्ति स्कीमों के लिए काफी ज्यादा योजनागत आबंटन करती रही हैं और संस्थागत निधियों का भी काफी

लाभ उठाया गया है। परंतु वृद्धिशील जल आपूर्ति और आधुनिक भूगत जल मल निकास स्कीमों की प्रतिव्यक्ति या यूनिट लागतें अधिकांश शहरी निकायों/ राज्य सरकारों की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए बहुत अधिक हैं और उनके साधनों से बाहर हैं। इसलिए इस सेक्टर की वित्तीय क्षमता बढ़ाने और संस्थागत वित्त, बाजार ऋण, निजी निवेश आदि के जरिए संसाधन जुटाने की अनुमति देने के लिए और अधिक अभिनव प्रयोक्ता प्रभार और मूल्य— निर्धारण सिद्धांत अपनाने की आवश्यकता है।

22. जहाँ तक ग्रामीण सफाई का संबंध है, स्थानीय लोगों और गैर सरकारी संगठनों को शामिल करके, केंद्र द्वारा प्रायोजित एक पुनर्गठित स्कीम 1999—2000 से लागू की गई है। शहरी सफाई के मामले में, केंद्र द्वारा प्रायोजित चालू स्कीम के अधीन सीमित रूप से ध्यान कल्याणकारी उद्देश्य की ओर केंद्रित किया गया है जिसमें सभी शुष्क शौचालयों को साफ (सेनिटरी) शौचालयों में बदल कर मैला उठाने की प्रथा का उन्मूलन करना और इसमें मुक्त हुए मैला उठाने वाले व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों का पुनर्वास करना है।

वार्षिक योजना 1999—2000 की समीक्षा

23. वार्षिक योजना 1999—2000 में जल आपूर्ति और सफाई सेक्टर के तहत राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं में 7855.80 करोड़ रुपये, 5810.85 करोड़ रुपये का परिव्यय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं में तथा केंद्रीय योजना में 2044.25 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल किया गया था। इसकी तुलना में संभावित व्यय राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की योजना में 7040.50—5091.40 करोड़ रुपये तथा केंद्रीय योजना में 1949.24 करोड़ रुपये हैं। इसमें उत्तर—पूर्वी राज्यों और सिक्किम को 49.00 करोड़ रुपये के आबंटन में से व्यपगत न होने योग्य संसाधनों के केंद्रीय मूल के तहत जारी की गई 45.50 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

24. राज्य सरकारों द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन को प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के आधार पर, बताया गया है कि 90061 ग्रामों/ आबादियों के कुल लक्ष्य की तुलना में 1999—2000 के दौरान 56447 ग्रामों/ आबादियों को सुरक्षित पेय जल की सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं।

25. केंद्र द्वारा प्रायोजित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी) के तहत 1998—99 तक 340.14 करोड़ रुपये की लागत की 329 परियोजनाएं और 1999—2000 में 159.52 करोड़ रुपये की 109 परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं। भारत सरकार ने कुल 201.57 करोड़ रुपये की राशि जारी की है (जिसमें 1999—2000 के दौरान जारी किए गए 65.00 करोड़ रुपये शामिल हैं) और राज्यों ने 147.71 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इन स्कीमों पर अभी तक 223.29 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

26. केंद्र द्वारा प्रायोजित मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए कम लागत पर सफाई की स्कीम के तहत हुडको ने 1989—90 और 31 मार्च 2000 के बीच 1322 नगरों को लाभान्वित करने वाली 825 स्कीमें मंजूर कीं, जो विभिन्न राज्यों में 18.84 लाख अलग—अलग शुष्क शौचालयों को साफ शौचालयों में बदलने और 18.80 लाख नये अलग—अलग साफ शौचालयों के निर्माण और 3463 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए थीं और जिनकी लागत 1339.98 करोड़ रुपये थी। मंजूर की गई 1339.98 करोड़ की कुल परियोजना लागत में से 467.90 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा मंजूर की गई सब्सिडी का घटक, 610.73 करोड़ रुपये हुडको का ऋण घटक तथा शेष 261.35 करोड़ रुपये लाभग्राहियों का अंशदान है। इस राशि में से 246.93 करोड़ रुपये की संचयी राशियां सब्सिडी के रूप में और 276.29 करोड़ रुपये ऋण के रूप में 31 मार्च 2000 तक जारी किए जा चुके हैं। इनमें 1999—2000 के दौरान जारी किए गए 63.78 करोड़ रुपये सब्सिडी तथा 59.19 करोड़ रुपये ऋण के रूप में शामिल हैं।

वार्षिक योजना 2000-2001

27. केंद्रीय योजना के तहत अनुमोदित परिव्ययों के स्कीमवार अलग ब्यौरे और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की योजना के राज्यवार ब्यौरे क्रमशः संलग्नक 5.5.7 तथा 5.5.8 में दिए गए हैं। उपर्युक्त परिव्ययों के अतिरिक्त, प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना (पी एम जी वाई) के अधीन ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में भी भारी राशि उपलब्ध की जाएगी।

ग्रामीण जल आपूर्ति और सफाई

28. 2000-01 के दौरान शेष "कवर न लिए गए" ग्रामों/ बस्तियों और भारी रासायनिक और बेक्टिरिया युक्त संदूषणों वाले ग्रामों, आंशिक रूप से कवर किए गए (<10 एल पी सी डी) तथा (>10 एल पी सी डी) ग्रामों/ आबादियों को उसी क्रम में प्राथमिकता दी जाएगी। वार्षिक योजना 2000-01 में 17648 कवर न किए गए तथा 73104 आंशिक रूप से कवर किए गए ग्रामों/ आबादियों को कवर करने का प्रस्ताव है। राज्यवार ब्यौरे संलग्नक 5.5.9 में दिए गए हैं। इनके अतिरिक्त, इस वर्ष के दौरान बहुत से ग्राम/ आबादियां पी एम जी वाई के अधीन कवर की जाएंगी।

29. वर्षा जल के संग्रहण को, विशेषकर, उत्तर-पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों, द्वीपों तथा जल के अभाव वाले क्षेत्रों में, एक महत्वपूर्ण जल स्रोत माना गया है। इससे भू-जल भंडारों की पुनः पूर्ति करने और बाढ़ों की भीषणता कम करने तथा फ्लूराइड, नाइट्रेट, लवणता आदि जैसी जल की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं को हल करने में भी मदद मिलेगी। वर्षा के जल के संग्रहण की संरचनाओं का निर्माण करने और पेय जल की मांग को पूरा करने के लिए जमीन के ऊपर और नीचे के वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए संगठित प्रयास करने होंगे। ग्रामीण जल आपूर्ति का प्रचालन और अनुरक्षण एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी ओर समुदाय और विशेषकर महिलाओं की सहभागिता पर जोर देते हुए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

30. ग्रामीण सफाई कार्यक्रम अनेक राज्यों में अब गति पकड़ता जा रहा है। उपलब्ध की जाने वाली सुविधाओं का निर्णय, अनुभव की गई आवश्यकताओं और ग्राम पंचायतों, लोगों, विशेषकर महिलाओं और गैर-सरकारी संगठनों के पूर्ण सहयोग और सहभागिता के आधार पर किया जाएगा। कम लागत वाले पारिवारिक साफ शौचालयों के निर्माण कार्यक्रम पर जोर देना जारी रखा जाएगा जिसमें शुष्क शौचालयों को साफ शौचालयों में बदलने को प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्णतया साफ वातावरण की अवधारणा को अपनाया होगा। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए "ग्रामीण सफाई मार्ट" के माध्यम से वैकल्पिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है जो सामाजिक उद्देश्यों वाला एक उद्यम होगा और जो एक बिक्री केंद्र होने के अलावा एक परामर्शी केंद्र एवं सेवा केंद्र के रूप में भी कार्य करता है।

शहरी जल आपूर्ति और सफाई

31. द्रुत शहरीकरण और शहरों तथा नगरों की लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उनकी पर्याप्त पेय जल आपूर्ति और जल-मल के साफ तरीके से निपटान की मांग हर वर्ष अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। अधिकांश नगरों और शहरों में जल आपूर्ति के सेवा स्तर अपेक्षित मानदंडों से बहुत नीचे हैं; कुछ मामलों में, विशेषकर छोटे नगरों में ग्रामीण मानदंडों से भी नीचे हैं और इसलिए जल आपूर्ति प्रणालियों में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। यद्यपि नौवीं योजना के शुरु में 90 प्रतिशत शहरी जनसंख्या के सुरक्षित जल आपूर्ति द्वारा लाभान्वित होने का अनुमान लगाया गया है किंतु इसमें वस्तुतः ऐसे गरीब लोगों को नहीं लिया गया है जो इससे वंचित हैं और विशेष रूप से जो लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं। इसी प्रकार, शहरी सफाई के मामले में, यद्यपि 49 प्रतिशत लोगों को नौवीं योजना के शुरु में सफाई से मल निपटान की

सुविधाएं प्राप्त थीं, किंतु केवल 28 प्रतिशत लोगों को सीवर सिस्टम की सुविधाएं उपलब्ध थीं और शेष 21 प्रतिशत लोगों को केवल कम लागत वाले साफ शौचालयों की सुविधाएं प्राप्त थीं। और ये जहाँ सीवर लगे, वहाँ भी ये आंशिक थे और अधिकांश मामलों में पर्याप्त उपचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अधिकतर गंदी बस्तियों में बुनियादी पर्यावरणिक सफाई सुविधाएं नहीं हैं।

32. बजटीय संसाधनों पर दबाव को देखते हुए, यह जरूरी होगा कि शहरी जल आपूर्ति और सफाई स्कीमों को उतरोत्तर संस्थागत वित्त पर निर्भर करना चाहिए और संस्थागत वित्त की प्रतिरूप समतुल्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्यों द्वारा पर्याप्त बजटीय सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसीकि नौवीं योजना में परिकल्पना की गई है। जहाँ तक बजटीय प्रावधानों का संबंध है, राज्य योजना परिव्ययों के अतिरिक्त, केंद्रीय योजना में भी, 20,000 से कम आबादी (1991 की जनगणना के अनुसार) वाले छोटे नगरों के लिए केंद्र प्रायोजित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत 87.90 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है। शहरी जल आपूर्ति के परिचालन, अनुरक्षण और प्रबंधन की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है और अधिकांश मामलों में राजस्व-प्राप्ति प्रचालन तथा अनुरक्षण की वास्तविक लागत से बहुत कम रही है। इसे देखते हुए, जल टैरिफ में संशोधन करना और बिलिंग तथा संग्रहण व्यवस्था में तुरंत सुधार करने की आवश्यकता है।

33. शहरी जनता को सफाई सुविधाएं प्रदान करने का काम काफी धीमा रहा है जबकि महा नगरों और कुछ महत्वपूर्ण शहरों/ नगरों में अत्युन्नत जल-मल निपटान और जल मल उपचार सुविधाएं प्रदान करना जरूरी है, किंतु वित्तीय संसाधनों पर दबाव और अन्य प्रतियोगी मांगों के कारण अन्य सभी मामलों में कम लागत वाला सफाई-दृष्टिकोण अपनाना पड़ सकता है। यदि तकनीकी आर्थिक दृष्टि से सक्षम पाया जाए, तो जल की कमी वाले क्षेत्रों में गैर-घरेलू प्रयोजनों के लिए अपशिष्ट जल के पुनः प्रयोग (रीसाई किलिंग) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे घरेलू प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले ताजे जल की भारी बचत होगी।

34. मल को हाथ से उटाने-घरने की अत्यंत अपमानजनक प्रथा का अल्प अवधि के भीतर देश से पूरी तरह से उन्मूलन करने के लिए, नौवीं योजना के दौरान मैला उटाने वालों की मुक्ति के लिए कम लागत पर शहरी सफाई वाली केंद्र प्रायोजित स्कीम को उच्च प्राथमिकता दी गई है। केंद्रीय योजना के अधीन इस स्कीम के लिए वार्षिक योजना 2000-01 में 29.80 करोड़ रुपये शामिल किए गए हैं। मैनुएल स्केवेंजर्स का नियोजन और शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) विधेयक 1993 नामक केंद्रीय विधान संसद द्वारा पारित कर दिया गया है और उसे जून 1993 में राष्ट्रपति की अभिस्वीकृति प्राप्त हो गई थी। सभी राज्य सरकारों से केंद्रीय विधान को अपनाने या केंद्रीय विधान सभा की तर्ज पर राज्य विधान अधिनियमित करने का अनुरोध किया गया है। 2 संघ राज्य क्षेत्रों के अतिरिक्त 12 राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, असम, हरियाण, बिहार तथा गुजरात ने इस विधान को पहले की अपना लिया है।

35. ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति तथा सफाई के लिए परिव्यय और व्यय का सारांश संलग्नक 5.5.8 में दिया गया है।

बाहरी सहायताप्राप्त जल आपूर्ति और सफाई परियोजनाएं

36. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति और सफाई कार्यक्रम में विश्व बैंक विभिन्न राज्यों की सहायता कर रहा है। इस समय सारणी 5.5.2 में दिए अनुसार चार परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। 2000-01 के लिए परिव्यय लगभग 362.01 करोड़ रुपये हैं। इन परियोजनाओं के अलावा, कई अन्य परियोजनाओं को भी, ओ ई सी एफ, के एफ डब्ल्यू ई ई सी, डी आई एफ डी, डी ए एन आई डी ए जैसी द्विपक्षीय एजेंसियों द्वारा निधियां दी जाती हैं जिनके लिए 2000-01 में परिव्यय लगभग 186 करोड़ रुपये हैं।

संलग्नक 5.5.1

ई डब्ल्यू एस आवासीय स्कीमों की उपलब्धि (आवासीय यूनिटों की संख्या)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1998-99		1999-2000	
		लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	67500	44077	74250	9548
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
3	असम	940	0	1034	0
4	बिहार	4200	2530	4620	221
5	गोआ	200	0	220	0
6	गुजरात	4000	4000	4400	58
7	हरियाणा	0	0	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	30	30	33	23
9	जम्मू और कश्मीर	750	565	825	0
10	कर्नाटक	5000	9647	5500	2504
11	केरल	1600	34659	1760	13421
12	मध्य प्रदेश	4000	3959	4400	1224
13	महाराष्ट्र	540	22	594	0
14	मणिपुर	750	0	825	0
15	मेघालय	0	0	0	0
16	मिजोरम	200	0	220	200
17	नागालैंड	0	0	0	0
18	उड़ीसा	2400	53	2640	0
19	पंजाब	1000	435	1100	0
20	राजस्थान	2000	2117	2200	0
21	सिक्किम	150	150	165	65
22	तमिलनाडु	3686	11421	4055	9452
23	त्रिपुरा	150	0	165	0
24	उत्तर प्रदेश	1400	3275	15400	1223
25	प. बंगाल	4000	0	4400	0
26	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
27	चंडीगढ़	0	0	0	0
28	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
29	दमन और दीव	3	0	3	0
30	दिल्ली	0	0	0	0
31	लक्षद्वीप	0	0	0	0
32	पांडिचेरी	1057	0	1163	0
	जोड़	105556	116940	129972	37939

• ये शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित अस्थायी लक्ष्य हैं।

निम्न आय वर्ग आवासीय स्कीमों की वास्तविक उपलब्धि
(आवासीय यूनिटों की संख्या)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1998-99		1999-2000	
		लक्ष्य	उपलब्धियाँ	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
1	आंध्र प्रदेश	32500	20978	35750	3364
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
3	असम	12	0	13	0
4	बिहार	4200	2100	2310	0
5	गोआ	150	40	165	0
6	गुजरात	1300	1300	1430	100
7	हरियाणा	1000	1019	1100	1056
8	हिमाचल प्रदेश	262	241	288	39
9	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
10	कर्नाटक	0	0	0	0
11	केरल	2429	1737	2672	1194
12	मध्य प्रदेश	2500	2787	2750	160
13	महाराष्ट्र	4424	2523	4866	3022
14	मणिपुर	500	0	550	0
15	मेघालय	0	0	0	0
16	मिजोरम	220	0	242	0
17	नागालैंड	0	0	0	0
18	उड़ीसा	256	25	282	422
19	पंजाब	500	390	550	0
20	राजस्थान	1000	1964	1100	0
21	सिक्किम	0	0	0	0
22	तमिलनाडु	6521	7416	7173	2494
23	त्रिपुरा	100	0	110	0
24	उत्तर प्रदेश	1500	708	1650	467
25	प. बंगाल	254	250	275	36
26	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	50	0	55	0
27	चंडीगढ़	0	0	0	0
28	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
29	दमन और दीव	4	0	4	0
30	दिल्ली	0	0	0	0
31	लक्षद्वीप	0	0	0	0
32	पांडिचेरी	250	0	275	0
	जोड़	59932	43478	63610	12354

• ये शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित अस्थायी लक्ष्य हैं।

आवास— केंद्रीय क्षेत्रक के संबंध में स्कीमवार परिव्यय

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	1998-99	1999-2000		2000-01
		वास्तविक व्यय	अनु० परि०	वास्तविक व्यय	अनु० परि०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क.	शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग				
1	हुडको (आवास हेतु इक्विटी)	110	150	150	155
2	एच पी एल (इक्विटी ऋण)	0	0	0	0
3	आवास गणना (आवधिक सर्वेक्षण एवं एन बी ओ के माध्यम से एम आई एस)	0.13	0.52	0.25	0.5
4	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं संस्थानों तथा अन्य कार्यक्रमों व बिल्डिंग केंद्रों को अनुदान	3	3	3	3
5	रात्रि आश्रय स्कीम	1	1	1	3.4
6	आई वाई एस एच गतिविधियां/ सम्मेलन	0.25	0.6	0.6	0.57
7	भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन परिषद	4.58	4	3	4
8	एन सी एच एफ को सहायता— अनुदान	0.2	0.2	0.2	0.2
9	सी जी ई जी डब्ल्यू एच ओ को अंशदान	0	0	0	0
10	के एफ डब्ल्यू ऋण से हुडको को विदेशी सहायता हेतु पूरक निधि	0	0	0	0
11	एच डी एफ सी को विदेशी सहायता हेतु पूरक निधि (के डब्ल्यू एफ से ऋण)	0	0	0	0
12	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष योजना स्कीम	0	0	0	0
13	नई स्कीमें (योजना आयोग के अनुमोदन के अधीन)				
	अ) शहरी एवं ग्रामीण गरीबों के लिए एन आई सी/ हुडको के सहयोग से बचत आधारित आवास योजना	0	0.01	0	0.01
	आ) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री की आवास योजना	0	0.01	0	0
	इ) संकेतक विकास कार्यक्रम	0	0.01	0	0.32
	जोड़ (क)	119.16	159.35	158.05	167
ख.	शहरी विकास विभाग— सामान्य पूल आवास (आवासीय)	72	80	55	75
ग.	ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण आवास)
घ.	गृह मंत्रालय (परा-चिकित्सीय बलों हेतु आवास)	50.37	58	65.72	64
	कुल (क + ख + ग)	241.53	297.35	278.77	306

स्कीमवार परिव्यय : शहरी विकास – केंद्रीय क्षेत्रक

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	1998-99	1999-2000		2000-01
		वास्तविक व्यय	अनु० परि०	प्रत्याशित व्यय	अनु० परि०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क.	शहरी विकास निगम				
1	छोटे एवं मझोले कस्बों का एकीकृत विकास	36.49	50	44.5	60
2	एन सी आर योजना बोर्ड को अंशदान	0	45	42	50
3	शहरी परिवहन				
	अ) इक्विटी (डी एम आर सी)	100	100	90	160
	आ) भूमि अधिग्रहण (डी एम आर सी)	65	65	58	25
	इ) अन्य	0.21	2.1	1	7.62
	ई) ई ए पी, ओ ई सी एफ से डी एम आर सी को पास-थ्रू सहायता	23	80	52	1
4	हुडको को इक्विटी (यू डी)	3	3	3	5
5	शहरी एवं क्षेत्रीय आयोजना एवं शहरी मानचित्रण में अनुसंधान	1.67	3	3	4
6	महानगर स्कीम	75	86.47	80	91
7	कम्प्यूटरीकरण	0	1	1	1
8	नई स्कीम (योजना आयोग के अनुमोदन के अधीन)	0	0.03	0	1
	कुल (क)	304.37	435.6	374.5	405.62
ख	रोजगार, शहरी गरीबी उन्मूलन विभाग				
13	प. बंगाल की कालोनियों में रहने वाले विस्थापितों के लिए आधार संरचना हेतु प्रावधान	3.77	5	5	6.5
14	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई)	162.28	180.65	180.65	168
	कुल जोड़ (क + ख)	470.42	621.25	560.15	580.12

संलग्नक 5.5.5

जल आपूर्ति एवं सफाई – केंद्रीय योजना स्कीम वार परिव्यय/ व्यय

(लाख रुपये)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	1998-99	1999-2000		2000-01
		प्रत्याशित/ वास्तविक व्यय	अनु० परि०	प्रत्याशित व्यय	अनु० परि०
1.		2.	3.	4.	5.
क.	ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय				
1.	राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम सहित केंद्र प्रायोजित तीव्रीकृत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	161111	180000	171519	196000
2.	केंद्र प्रायोजित ग्रामीण सफाई कार्यक्रम	6485	11000	9200	14000
	उप-योग (क.)	167596	191000	180719	210000
ख.	शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय				
1.	सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम	} 200	200	120	200
2.	मानीटरिंग एवं प्रबंधन सूचना पद्धति				
3.	अनुसंधान एवं विकास				
4.	शहरी विकास एवं शहरी जल-आपूर्ति वित्त निगम/ हुडको को इक्विटी (डब्ल्यू एस अंश)	1800	1800	1800	2000
5.	झाड़ूकशों की मुक्ति हेतु केंद्र प्रायोजित शहरी कम लागत सफाई स्कीम।	2380	3445•	2735•	2980•
6.	देश में कुछ चयनित शहरों में विमान-पत्तन के निकट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में प्रायोगिक परियोजना	—	100	100	500
7.	20,000 (1991 की जनगणना के अनुसार) से कम जनसंख्या वाले छोटे कस्बों हेतु केंद्र प्रायोजित तीव्रीकृत शहरी जल-आपूर्ति कार्यक्रम	4000	6500	6500	8790
8.	आ ई सी एफ (जापान) से हुडको को बाह्य सहायता हेतु प्रतिपक्ष निधि	225	1000	2500	393
9.	कानपुर शहर को जल-आपूर्ति हेतु गंगा बैराज के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता	—	450	450	6000
10.	जल-आपूर्ति हेतु विशेष नई स्कीम	—	—	—	100
11.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं सफाई हेतु विशेष नई स्कीम	—	—	—	100
	उप-योग (ख)	8505	13495	14205	21063
	योग (क + ख)	176101	204495	194924	231063

• "राजस्व" खण्ड के अंतर्गत प्रदत्त 20 लाख रुपये शामिल नहीं हैं।

संलग्नक 5.5.6

जल आपूर्ति एवं सफाई के संबंध में परिव्यय/ व्यय – राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1998-99		1999-2000
		प्रत्याशित व्यय कुल	अनुमोदित परिव्यय कुल	प्रत्याशित व्यय कुल
1.	2.	3.	4.	5.
1.	आंध्र प्रदेश	6625	7509	7509•
2.	अरुणाचल प्रदेश	2830	2886	2786
3.	असम	7269	7829	7727
4.	बिहार	4100	5400	4200
5.	गोआ	4602	6019	4980
6.	गुजरात	34536	60000	60000
7.	हरियाणा	6328	6300	4700
8.	हिमाचल प्रदेश	12656	12097	12073
9.	जम्मू और कश्मीर	13185	11500	11571
10.	कर्नाटक	38778	47139	43843
11.	केरल	9760	13500	13160
12.	मध्य प्रदेश	16055	19034	20811
13.	महाराष्ट्र	141959	119799	119420
14.	मणिपुर	3760	5300	5300•
15.	मेघालय	2562	4471	2862
16.	मिजोरम	2460	2480	2680
17.	नागालैंड	1975	2375	2375
18.	उड़ीसा	9030	10241	9027
19.	पंजाब	8729	10894	11081
20.	राजस्थान	40930	32520	6300
21.	सिक्किम	1557	1747	1747•
22.	तमिलनाडु	44781	64319	64453
23.	त्रिपुरा	2499	2610	2620
24.	उत्तर प्रदेश	47524	69691	38000
25.	प. बंगाल	10505	12184	12684
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1961	1750	1750•
27.	चंडीगढ़	1186	1191	1190
28.	दादरा और नगर हवेली	416	363	363•
29.	दमन और दीव	294	282	282•
30.	दिल्ली	33575	38300	32300
31.	लक्षद्वीप	150	175	175•
32.	पांडिचेरी	1128	1180	1157
	जोड़	513705	581085	509126

• अस्थाई

अध्याय 5 : सामाजिक विकास

संलग्नक 5.5.7

ग्रामीण निवास स्थानों में पेय जल-आपूर्ति की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1.4.1998 के अनुसार स्थिति				1998 - 99 के दौरान कवरज					
		एन सी	पी सी	एफ सी	जोड़	लक्ष्य			उपलब्धि		
						एन सी	पी सी	जोड़	एन सी	पी सी	जोड़
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आंध्र प्रदेश	0	28083	41649	69732	0	3400	3400	0	3400	3400
2	अरुणाचल प्रदेश	617	1259	2302	4178	333	182	515	69	32	101
3	असम	5890	26920	37859	70669	1885	615	2500	1989	718	2707
4	बिहार	2522	7596	195318	205436	2522	7596	10118	1453	7032	8485
5	गोआ	35	45	325	405	3	33	36	1	19	20
6	गुजरात	1008	5898	23363	30269	1008	792	1800	552	1254	1806
7	हरियाणा	60	573	6912	7545	60	650	710	28	705	733
8	हिमाचल प्रदेश	4590	14047	26730	45367	800	400	1200	840	455	1295
9	जम्मू और कश्मीर	2618	4544	8564	15726	600	400	1000	188	497	685
10	कर्नाटक	1942	13898	40842	56682	1265	7728	8993	420	8031	8451
11	केरल	990	6889	1884	9763	100	796	896	110	412	522
12	मध्य प्रदेश	6909	30714	122245	159868	6855	6519	13374	3346	13005	16351
13	महाराष्ट्र	2985	40689	33450	77124	2985	7015	10000	1470	8878	10348
14	मणिपुर	220	592	1979	2791	220	131	351	143	82	225
15	मेघालय	1005	1621	6013	8639	210	340	550	136	345	481
16	मिजोरम	24	642	245	911	24	256	280	22	168	190
17	नागालैंड	448	745	332	1525	86	0	86	20	42	62
18	उड़ीसा	7136	6360	100603	114099	7136	1000	8136	5158	2160	7318
19	पंजाब	6000	3123	4326	13449	281	0	281	155	0	155
20	राजस्थान	7077	41341	55648	104066	4500	1000	5500	2362	3178	5540
21	सिक्किम	0	862	817	1679	0	130	130	0	130	130
22	तमिलनाडु	0	24945	41686	66631	0	6000	6000	0	7974	7974
23	त्रिपुरा	888	2102	4422	7412	210	600	810	162	602	764
24	उत्तर प्रदेश	384	27012	247245	274641	384	22978	23362	384	27733	28117
25	प. बंगाल	0	26109	54268	80377	0	4713	4713	0	6916	6916
26	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11	21	472	504	11	3	14	0	15	15
27	चंडीगढ़	128	216	172	516	57	0	57	0	63	63
28	दादरा और नगर हवेली	0	1	28	29	0	3	3	0	0	0
29	दमन और दीव	0	62	138	200	0	62	62	0	62	62
30	दिल्ली	0	10	0	10	0	3	3	0	3	3
31	लक्षद्वीप	0	0	276	276	0	22	22	0	14	14
32	पांडिचेरी	0	0	24	24	0	0	0	0	0	0
	जोड़	53487	316919	1060137	1430543	31535	73367	104902	19008	93925	112933

नोट : हरियाणा में 1997-98 के दौरान 45 नए निवास स्थानों की पहचान की गई है। एन सी - कवर न किए गए पी सी - आंशिक रूप से कवर किए गए एफ सी - पूरी तरह कवर किए गए
 . हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं पांडिचेरी के संबंध में निर्धारित आंशिक रूप से कवर किए गए क्षेत्र लक्ष्य सुदृढीकरण हेतु हैं . संशोधित आंकड़े

अध्याय 5 : सामाजिक विकास

संलग्नक 5.5.7 (जारी)

ग्रामीण निवास स्थानों में पेय जल-आपूर्ति की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1999 - 2000 के दौरान कवरेंज						1.4.2000 के अनुसार स्थिति				2000-2001 के लक्ष्य		
		लक्ष्य			उपलब्धि			एन सी	पी सी	एफ सी	जोड़	एन सी	पी सी	जोड़
		एन सी	पी सी	जोड़	एन सी	पी सी	जोड़							
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	आंध्र प्रदेश	0	3100	3100	0	3100	3100	0	21583	48149	69732	0	5400	5400
2	अरुणाचल प्रदेश	301	170	471	103	73	176	445	1154	2579	4178	400	300	700
3	असम	3000	1000	4000	2248	1212	3460	1653	24990	44026	70669	1653	4000	5653
4	बिहार	1069	564	1633	410	384	794	659	180	204597	205436	843	415	1258
5	गोआ	18	8	26	18	8	26	16	18	371	405	26	27	53
6	गुजरात	300	1500	1800	114	1160	1274	342	3484	26443	30269	323	900	1223
7	हरियाणा	32	678	710	20	663	683	12	0	7533	7545	12	500	512
8	हिमाचल प्रदेश	1000	550	1550	1012	631	1643	2738	12961	29668	45367	1500	1500	3000
9	जम्मू और कश्मीर	110	330	440	65	75	140	2365	3972	9389	15726	1200	800	2000
10	कर्नाटक	1522	7478	9000	572	3118	3690	950	2749	52983	56682	550	4000	4550
11	केरल	300	550	850	25	229	254	855	6248	2660	9763	455	1100	1555
12	मध्य प्रदेश	3563	11837	15400	863	5170	6033	2700	12539	144629	159868	1500	5000	6500
13	महाराष्ट्र	900	6100	7000	453	2910	3363	1062	28901	47161	77124	1062	10000	11062
14	मणिपुर	77	273	350	3	41	44	74	469	2248	2791	77	300	377
15	मेघालय	270	280	550	241	149	390	628	1127	6884	8639	400	280	680
16	मिजोरम	2	333	335	2	208	210	0	266	645	911	569	569	569
17	नागालैंड	36	34	70	7	12	19	421	691	413	1525	200	200	400
18	उड़ीसा	1978	4660	6638	1530	3438	4968	448	762	112889	114099	1351	3406	4757
19	पंजाब	412	0	412	216	0	216	5629	3123	4697	13449	1500	800	2300
20	राजस्थान	2000	4000	6000	2212	3946	6158	2503	34217	67346	104066	3000	8000	11000
21	सिक्किम	0	130	130	0	108	108	0	624	1055	1679	0	350	350
22	तमिलनाडु	0	6300	6300	0	3337	3337	0	13634	52997	66631	0	6000	6000
23	त्रिपुरा	420	450	870	60	106	166	666	1394	5352	7412	666	350	1016
24	उत्तर प्रदेश	0	15713	15713	0	9922	9922	0	0	274641	274641	845	10713	11558
25	प. बंगाल	0	6600	6600	0	6191	6191	0	13002	67375	80377	0	8000	8000
26	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11	4	15	11	4	15	0	2	502	504	0	88	88
27	चंडीगढ़	8	57	65	6	52	58	122	101	293	516	65	50	115
28	दादरा और नगर हवेली	0	1	1	0	0	0	0	1	28	29	0	1	1
29	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0
30	दिल्ली	0	10	10	0	2	2	0	5	5	10	0	10	10
31	लक्षद्वीप	0	22	22	0	7	7	0	0	276	276	20	45	65
32	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0
	जोड़	17329	72732	90061	10191	46256	56447	24288	188197	1218058	1430543	17648	73104	90752

नोट : हरियाणा में 1997-98 के दौरान 45 नए निवास स्थानों की पहचान की गई है। एन सी - कवर न किए गए पी सी - आंशिक रूप से कवर किए गए एफ सी - पूरी तरह कवर किए गए
 . हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं पांडिचेरी के संबंध में निर्धारित आंशिक रूप से कवर किए गए क्षेत्र लक्ष्य सुदृढीकरण हेतु हैं . संशोधित आंकड़े

जल आपूर्ति एवं सफाई – परिव्ययों / व्यय का सारांश

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	1998-99	1999-2000		2000-01
		प्रत्याशित/ वास्तविक व्यय	अनु० परि०	प्रत्याशित व्यय	अनु० परि०
1.		2.	3.	4.	5.
अ.	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाएं				
	क) ग्रामीण जल आपूर्ति एवं सफाई	5137.05	5810.85	5091.26	—
	ख) शहरी जल आपूर्ति एवं सफाई	5137.05	5810.85	5091.26	—
	उपयोग (क)				
	केंद्रीय योजना				
क.	ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय				
	1. राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन सहित केंद्र प्रायोजित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	1611.11	1800.00	1715.19	1960.00
	2. केंद्र प्रायोजित ग्रामीण सफाई कार्यक्रम	64.85	110.00	92.00	140.00
ख.	शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय				
	1. झाड़ूकशों की मुक्ति हेतु केंद्र प्रायोजित शहरी कम लागत की सफाई स्कीम	23.80	34.45*	27.35*	29.80*
	2. 20,000 से कम आबादी वाले छोटे कस्बों के लिए केंद्र प्रायोजित तीव्रकृत शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम	40.00	65.00	65.00	87.90
	3. अन्य स्कीम	21.25	35.50	49.70	92.93
	उप-योग (ख)	1761.77	2044.95	1949.24	2310.63
	कुल योग (क + ख)	6898.06	7855.80	7040.50	

* राजस्व; खण्ड के अंतर्गत प्रदान किए गए 0.20 करोड़ रुपये को छोड़कर।

एन बी - उपर्युक्त में प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु प्रदान की गई निधियां शामिल नहीं हैं।

जल आपूर्ति एवं सफाई – विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	केंद्रीय/ राज्य, बहु -राज्य	परियोजना की कुल लागत	संवितरण की अंतिम तिथि	2000-2001	
					ब. अनु.	बाह्य सहायता
1.	एकीकृत ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरणात्मक सफाई परियोजना	कर्नाटक	497.00	—	100.00	—
2.	3907-इन द्वितीय चेन्नई जल-आपूर्ति परियोजना	तमिलनाडु	546.31	31.12.2001	32.78	10.42
3.	मुंबई सीवेज डिसपोजल प्रोजेक्ट	महाराष्ट्र	1843.68	30.12.2002	160.00	128.00
4.	4056-इन उत्तर प्रदेश ग्रामीण जल-आपूर्ति एवं पर्यावरण सफाई परियोजना दिनांक 22.7.1996	उत्तर प्रदेश	300.76	31.05.2002	69.23	—
5.	एकीकृत ग्रामीण जल-आपूर्ति एवं पर्यावरण सफाई परियोजना	पंजाब	620.00	प. बंगाल में अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया	5.00	—
6.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त जल आपूर्ति एवं सीवरेज परियोजना	पंजाब	462.50	प. बंगाल में अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया	—	—

5.6.1 महिलाओं की अधिकारिता और बाल विकास

महिलाओं की अधिकारिता और बाल विकास के लिए नौवीं योजना की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए, महिला और बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों प्रकार के संगठनों के समन्वित प्रयास पहले की तरह 2000-01 के दौरान भी जारी रहेंगे। यद्यपि महिलाओं और बच्चों के कल्याण विकास और अधिकारिता के लिए सामान्य विकास कार्यक्रम मुख्य आधार बने रहेंगे, पर विशेषकर महिलाओं और बच्चों से संबंधित अभिनव कार्यक्रम महिलाओं को सबल बनाने वाले सामान्य विकास कार्यक्रमों के साथ पूरक और अनुपूरक भूमिका निभाते चले आए हैं, जैसाकि कल्याण और सहायक सेवाएं, सतत शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार-व आमदनी सृजन करने वाले कार्यक्रम और जागरूकता और महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करना।

2. जो विशेष कार्यनीतियां और व्यवस्थाएं 1990 से शुरू होने वाले दशक में लागू की गई थी वे महिलाओं और बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी रहेंगी, यथा राष्ट्रीय महिला आयोग (एन सी डब्ल्यू); राष्ट्रीय महिला कोष (आर एम के); राष्ट्रीय बाल निधि और राष्ट्रीय क्रेच निधि (एन सी एफ); राष्ट्रीय पोषाहार नीति (एन एन पी); बच्चों और बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजनाएं; इंदिरा महिला योजना (आई एम आई); बालिका स्मृद्धि योजना (बी एस वाई); ग्रामीण महिला विकास और अधिकारिता योजना (आर डब्ल्यू डी ई पी) आदि।

वार्षिक योजना 1999-2000 की समीक्षा और वार्षिक योजना 2000-01

3. वार्षिक योजना 2000-01 में केंद्रीय सेक्टर के तहत महिला और बाल विकास के लिए 1460 करोड़ रुपये का परिव्यय नियत किया गया है। राज्य सैक्टर के अंतर्गत परिव्ययों अथवा व्यय के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि महिला और बाल विकास सामाजिक सुरक्षा और कल्याण का ही एक हिस्सा है। केंद्रीय स्तर पर परिव्ययों का कार्यक्रमवार और वर्षवार ब्योरा तो नीचे दिया गया है जबकि स्कीमवार ब्योरे और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्योरे क्रमशः संलग्नक 5.6.1 तथा 5.6.2 में दिए गए हैं।

सारणी 5.6.1

महिलाओं की अधिकारिता और बाल विकास पर व्यय तथा परिव्यय :
1998-99 से 2000-01 के दौरान

(करोड़ रुपये)

कार्यक्रम	वार्षिक योजना (1999-99)	वार्षिक योजना (1999-2000)		वार्षिक योजना (2000-01)
	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	परिव्यय
केंद्र	1131.74	1320.00	1247.39	1460.00
बाल विकास	1030.20	1197.67	1185.00	1183.81
महिला विकास	97.58	114.15	57.48	122.46
जी आई ए और अन्य	2.77	4.93	2.95	4.83
उप- जोड़	1130.55	1316.75	1245.43	1311.10
खाद्य और पोषाहार बोर्ड	1.19	3.25	1.96	2.90
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एक-मुश्त प्रावधान	—	—	—	146.00
राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	समाज कल्याण संबंधी अध्याय का संलग्नक 5.6.2 देखें			

स्रोत : महिला और बाल विकास विभाग

महिलाओं की अधिकारिता

4. नौवीं योजना की पुनः निर्धारित की गई प्राथमिकताओं के अनुसार प्रशिक्षण व रोजगार व आमदनी जुटाने वाले क्रियाकलापों पर विशेष बल सुनिश्चित करना जारी है। जिसमें उधार के "आगे" और "पीछे" के संयोजन (लिंगेज) और विपणन की सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती हैं ताकि महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र और आत्म-निर्भर बनाया जा सके। निम्नलिखित पैराग्राफों में महिला और बाल विकास के नोडल विभाग द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और निवेश का वर्णन किया गया है।

प्रशिक्षण सह-रोजगार कार्यक्रम को सहायता (एस टी ई पी)

5. 1987 में शुरू किए गए एस टी ई पी कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि, पशुपालन, डेरी उद्योग, मछली पालन, हथकरघों, हस्तशिल्पों, खादी और ग्रामोद्योगों, रेशम-कीट पालन, सामाजिक वानिकी और परती भूमि विकास के पारंपरिक क्षेत्रों में रोजगार, कर्ज और विपणन से संयोजनों के अलावा प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं के पारंपरिक कौशलों और जानकारी को उन्नत बनाना है ताकि उनकी उत्पादकता और आमदनी बढ़ सके। इस कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में शुरू की गई 81 परियोजनाओं के तहत 4.42 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 1999-2000 में, लगभग 4500 महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली दो नई परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। अभी तक डेरी उद्योग क्षेत्र और इसके बाद हथकरघों, हस्त शिल्पों, रेशम कीट पालन, मुर्गी पालन आदि जैसे क्षेत्रों की भारी मांग रही है। नौवीं योजना के 88.32 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 1997-2000 के दौरान 44.48 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। वार्षिक योजना 2000-2001 के लिए 16000 महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए 13.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

रोजगार व आय सृजन व उत्पादन यूनिट (एन ओ आर ए डी)

6. नार्वेजियन एजेंसी फार डेवलपमेंट कोआपरेशन द्वारा सहायता प्रदत्त रोजगार व आय सृजन व उत्पादन यूनिट (जिसे आम तौर पर नोर्ड कहते हैं) कार्यक्रम का उद्देश्य इलेक्ट्रानिक्स, घड़ियां बनाने, कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, वस्त्र बनाने, सचिवालय पद्धतियों, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्य, फैशन डिजाइनिंग, सौंदर्य संस्कृति आदि जैसे अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण दे कर युवा महिलाओं/ लड़कियों को रोजगार के लिए तैयार करना है। 1996-97 से लेकर इस कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली सहायता को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। इसलिए, इस कार्यक्रम को घरेलू संसाधनों से पूरा से किया जा रहा है। 1997, में भारत सरकार और नार्वे सरकार के बीच हस्ताक्षरित करार के अनुसार पांच वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् 2000-01 तक कुल 20 करोड़ रु० (एन ओ के 38 मिलियन) की सहायता मिलने की आशा की जाती है। इस प्रकार, नार्वे सरकार का हिस्सा कुल परिव्यय का लगभग 33 प्रतिशत रहा। इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से मानीटर करने के लिए, राज्य महिला विकास निगमों को न केवल मूल्यांकन-पूर्व अवस्था पर ही अपितु इन परियोजनाओं का मध्यवर्ती मूल्यांकन करने की अवस्था पर भी शामिल किया गया है, यह कार्यक्रम इस अंतिम उद्देश्य के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है कि यह महिला/ युवा लड़कियों को लगातार रोजगार के अवसर प्रदान कर सके। इसके अंतर्गत अभी तक 1477 परियोजनाओं के जरिए 2.28 लाख युवा महिलाओं/ लड़कियों को लाभान्वित किया जा चुका है। नौवीं योजना के 88.98 करोड़ रुपए के परिव्यय में से 43.83 करोड़ रुपए 1997-2000 के दौरान खर्च किए गए। वार्षिक योजना 2000-2001 के लिए परिव्यय 13.00 करोड़ रुपए है।

सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम (एस ई पी)

7. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सी एस डब्ल्यू बी) द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम का उद्देश्य 'काम और मजदूरी' तथा 'सीखते समय पैसा कमाएं' सिद्धांतों पर महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह कार्यक्रम स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिनके लिए वित्तीय सहायता कई प्रकार के आमदनी जुटाने वाले क्रियाकलाप शुरू करने के लिए दी जाती है, जिनमें ये शामिल हैं: - आनुषंगिक यूनियों में औद्योगिक संघटकों का उत्पादन, हथकरघे, हस्तशिल्प, पशुपालन, रेशमकीट पालन और मछली पालन जैसे कृषि-आधारित क्रियाकलापों और सब्जियां अथवा मछलियां बेचने आदि जैसे स्व-रोजगार के उद्यम। इस कार्यक्रम का विस्तार क्षेत्र बढ़ाने के लिए एस ई पी स्कीम की समीक्षा की गई है और इसमें संशोधन किया गया है। अब विकलांगों के लिए कार्य कर रहे संगठन, महिलाओं की सहकारी संस्थाएं और जेलों, नारी निकेतनों आदि जैसी संस्थाएं भी इस कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त करने की पात्र हैं। बोर्ड द्वारा परियोजना लगातार के 85 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान किए जाते हैं और शेष राशि गैर सरकारी संगठनों द्वारा दिया जाने वाला बराबर का अंशदान होता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत 9.27 लाख रुपए की राशि जारी की गई जिससे 2469 महिलाएं लाभान्वित हुईं। वर्ष 2000-01 के लिए 100 करोड़ रुपए का परिव्यय नियत किया गया है।

शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संघनित पाठ्यक्रम (सी सी ई एण्ड वी टी)

8. ग्रामीण, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में, जरूरतमंद महिलाओं के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के संघनित पाठ्यक्रमों की स्कीम, इसके संशोधित रूप में स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। संघनित पाठ्यक्रम स्कीम के तहत 15 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को माध्यमिक और मैट्रिक स्तर की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने में समर्थ बनाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को दो वर्ष की अवधि के पाठ्यक्रम चलाने के लिए अनुदान दिए जाते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ड्रेस डिजाइनिंग, कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों, टाइप सेटिंग, बाटिक, हथकरघा बुनाई, नर्सरी अध्यापक का प्रशिक्षण, आशुलिपि आदि जैसे रोजगार-प्रदान व्यवसायों में युवा लड़कियों/ महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान 31 जनवरी, 2000 तक 3225 उम्मीदवारों को लाभान्वित करने के लिए 129 संघनित पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए सी एस डब्ल्यू बी द्वारा 31 जनवरी, 2000 तक 114.68 लाख रुपए मंजूर किए गए थे। वर्ष 2000-01 के लिए 1.50 करोड़ रुपए का परिव्यय नियत किया गया है।

9. योजना आयोग के कहने पर यह विभाग ऊपर चर्चित एस टी ई पी, 'नोरैड', एस ई पी तथा सी सी ई और वी. टी. के चालू कार्यक्रमों को एक साथ मिलाने के बारे में और 2000-01 के दौरान महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार की एक छत्र स्कीम तैयार करने पर विचार कर रहा है।

काम करने वाली महिलाओं के होस्टल

10. रोजगार बाजार में महिलाओं के लिए और अधिक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए व "कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल" नामक एक स्कीम 1972-73 से चल रही है। इस स्कीम के तहत एक सुरक्षित तथा सस्ता आवास उपलब्ध किया जाता है जो निम्न आय वर्ग की, काम-काजी महिलाओं के लिए 'घर से दूर एक घर' होता है। इस स्कीम के तहत, होस्टल भवन की निर्माण लागत के 75 प्रतिशत तक तथा जमीन की कीमत के 50 प्रतिशत तक स्वैच्छिक और

अन्य स्वायत्त संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। होस्टल में आवास के लिए पात्रता की अधिकतम आय सीमा 17.7.1998 से महानगरों में 5000 रुपए प्रतिमास से बढ़ा कर 16000 रुपए और अन्य नगरों तथा शहरों में 4500 रुपए से बढ़ा कर 15000 रुपए प्रतिमास कर दी गई है। किसी निवासी को इन होस्टलों में अधिकतम पांच वर्ष के लिए ठहरने की अनुमति दी जाती है। रोजगार प्रधान शिक्षा / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भाग ले रही महिलाएं भी इन होस्टलों में आवास के लिए पात्र हैं।

11. वर्ष 1991 में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए कार्यों के मास्टर प्लान (एम पी ओ) से पता चलता है कि समूचे देश में लगभग 1.35 लाख कामकाजी महिलाओं को होस्टलों में आवास प्रदान करने की आवश्यकता है जबकि इसमें कुल लक्ष्य के केवल 43.8 प्रतिशत (58700 महिलाओं) को लाभान्वित, किया जा सका। 1972-73 में इसकी शुरुआत से लेकर 58700 महिलाओं तथा उनके 7700 आश्रित बच्चों को लाभान्वित करने वाले 831 होस्टल 1999-2000 तक (25.2.2000 तक) मंजूर किए गए हैं जिनमें 630 महिलाओं को लाभान्वित करने वाले, 1999-2000 के दौरान मंजूर किए गए, सात होस्टल भी शामिल हैं। नौवीं योजना के 51.25 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वार्षिक योजना 2000-2001 में 7.02 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं और लड़कियों के लिए अल्प अवधि के आवास गृह

12. अल्प अवधि के आवास गृहों की स्कीम सामाजिक / नैतिक खतरों का सामना कर रही महिलाओं और लड़कियों की देखभाल करती है। इस स्कीम को 1999-2000 के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सी एस डब्ल्यू बी) को अंतरित कर दिया गया है। इन गृहों में दी जाने वाली सेवाओं में डाक्टरों देखभाल, मनोवैज्ञानिक उपचार, केसवर्क सेवाएं, व्यावसायिक चिकित्सा, शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा मनोरंजन सुविधाएं शामिल हैं। संशोधित मानदण्डों के अनुसार, जो आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा हाल ही में अनुमोदित किए गए हैं, अब एक बार की 50,000 रुपये की अनावर्ती लागत के साथ प्रतिगृह प्रति वर्ष आवर्ती लागत 401350 रुपये होगी। कर्मचारियों तथा निवासियों के कौशलों तथा क्षमताओं को उन्नत करने एवं निवासियों के बच्चों की शिक्षा के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

13. इस स्कीम के तहत 1999-2000 के दौरान शुरू किए गए कुछ विशेष क्रियाकलापों में ये शामिल हैं: (1) जम्मू-कश्मीर में भारत-पाक सीमा से विस्थापित और उड़ीसा में भारी तूफान के शिकार व्यक्तियों के लिए उस नये अल्प-आवधिक आवास गृह मंजूर किए गए हैं, (2) विभिन्न अल्प-आवधिक आवास गृहों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक कलकत्ता में और एक नई दिल्ली में दो कार्यक्रम आयोजित किए गए, (3) इस स्कीम को लोकप्रिय बनाने और यथासंभव गैर-सरकारी संगठनों को इसके कार्यान्वयन में शामिल करने के लिए एक बड़ा विज्ञापन अभियान शुरू किया गया, जिसे वस्तुतः गैर-सरकारी संगठनों से अच्छा प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ, (4) समूचे देश में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा कार्यान्वयनकर्ताओं की नियम-पुस्तक तैयार की जा रही है, और (5) नये प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आवेदन फार्म को पूर्णतया संशोधित कर दिया गया है ताकि इसे प्रयोक्ताओं के लिए आसान बनाया जा सके। कुल 362 अल्प-आवधिक आवास गृहों में, 8940 महिलाओं की आवश्यकताएं पूरी करने वाले 298 गृहों को योजना के अंतर्गत सहायता दी जा रही है। नौवीं योजना के 55.64 करोड़ रुपए के परिव्यय में से, 12.23 करोड़ रुपए 1997-2000 के दौरान खर्च किए गए। वार्षिक योजना 2000-01 के लिए 12.00 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

इन्दिरा महिला योजना (आई एम वाई)

14. 1995 में शुरू की गई इन्दिरा महिला योजना (आई एम वाई) का उद्देश्य निम्नलिखित क्रियाकलापों के जरिए महिलाओं को सबल बनाना है: (1) दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए सूचना और जानकारी प्रदान करके महिलाओं में जागरूकता पैदा करना, (2) माइक्रो स्तर पर आमदनी जुटाने वाले क्रियाकलापों उत्पन्न करके आर्थिक शक्ति प्राप्त करने में महिलाओं की सहायता करना, (3) साक्षरता, स्वास्थ्य, अनौपचारिक शिक्षा, ग्रामीण विकास, जल आपूर्ति, घमशीलता आदि जैसी विभिन्न सेवाओं का अभिविन्दुकरण। आई. एम. वाई इस विचार से बनाई गई है कि आंगनवाड़ी स्तर पर इन्दिरा महिला केन्द्रों (आई एम के) जैसे स्व-सहायता समूह स्थापित किए जाएं/ सुदृढ़ बनाए जाएं और इस प्रकार, महिलाओं के परस्पर सम्पर्क की संस्था की व्यवस्था आधारीक स्तर पर की जाए। दिसम्बर 1998 तक इस स्कीम के तहत लगभग 48,000 स्व-सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं, जिनमें से 3000 समूह 1999-2000 के दौरान गठित किए गए हैं। आई एम वाई के कार्यान्वयन को संवेदनशील बनाने के प्रयोजन से, राज्य/ जिला स्तर पर राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (एन आई पी सी सी डी) की सहायता से पूरे देश में राज्य/ जिला स्तर की अनेक कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। योजना आयोग और महिला और बाल विकास के नोडल विभाग के संयुक्त दल ने आई एम वाई का शीघ्र मूल्यांकन किया। इस दल की सिफारिशों के अनुसार, इस स्कीम में आमदनी जुटाने, प्रशिक्षण के जरिए क्षमता निर्माण, कर्ज और विपणन के संयोजनों आदि को शामिल करके इसे नया रूप दिया जा रहा है। आशा की जाती है कि नये रूप में यह स्कम महिला स्मृद्धि योजना को अपने साथ मिला लेगी जोकि किफायती न होने के कारण बन्द कर दी गई। इस स्कीम के नये रूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आई एम वाई के लिए नौवीं योजना का परिव्यय 165.00 करोड़ रुपए है। 1997-98 से ले कर 1999-2000 तक इस स्कीम पर कोई खर्च नहीं किया गया। परन्तु वार्षिक योजना 2000-01 में 18.00 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध किया गया है।

ग्रामीण महिला विकास और अधिकारिता परियोजना (आर डब्ल्यू डी ई पी)

15. केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण महिला विकास और अधिकारिता स्कीम (आर डब्ल्यू डी ई पी) आई डी ए तथा आई एफ ए डी की सहायता से पांच वर्ष की अवधि के लिए (1997-2000) 1997 में शुरू की गई थी। यह स्कीम 186.21 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक और गुजरात में चल रही है। आर डब्ल्यू डी ई पी का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित के जरिए महिलाओं को अधिकारिता के लिए एक समर्थकारी वातावरण पैदा करने की प्रक्रियाओं को मजबूत बनाना है: (1) 7400 और 12000 के बीच महिलाओं के आत्म-निर्भर स्व-सहायता समूह (एस एच जी) स्थापित करना जिनमें से प्रत्येक समूह के 15-20 सदस्य होंगे जो संसाधन पर उनकी अपेक्षाकृत अधिक पहुंच और नियंत्रण के जरिए उनके जीवन स्तर में सुधार करेंगे; (2) सक्रिय रूप से महिलाओं की जरूरतें पूरी करने के लिए सहायता एजेंसियों की संस्थागत क्षमता को सुग्राही और सुदृढ़ बनाना; (3) आय जुटाने वाले क्रियाकलापों, ऋण सुविधाओं तक महिलाओं की लगातार पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्व सहायता समूहों तथा उधार देने वाली संस्थाओं के बीच सम्पर्क विकसित करना; (4) बेहतर जीवन के लिए महिलाओं की संसाधनों तक पहुंच बढ़ाना जिनमें कठोर परिश्रण कम करने और समय बचाने वाले उपकरण प्राप्त करने के संसाधन भी शामिल हैं; तथा (5) महिलाओं और विशेषकर गरीब महिलाओं को आमदनी जुटाने वाले क्रियाकलापों में शामिल करके आमदनी और खर्च पर उनके नियंत्रण में वृद्धि करना जिससे अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी कम करने में भी मदद मिलेगी। आशा है कि महिला विकास निगम, जोकि कार्यान्वयन एजेंसियां हैं, कार्यान्वयन के काम में गैर-

सरकारी संगठनों को शामिल करेंगे। 1999–2000 के दौरान 1450 एस एच जी तथा 2000–2001 में 2000 एस एच जी गठित किए जाने की संभावना है। नौवीं योजना के 102.94 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 1998–2000 के दौरान 13.00 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वर्ष 2000–2001 के लिए परिव्यय 15.00 करोड़ रुपये है।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एन सी डब्ल्यू)

16. 1992 में स्थापित किए गए राष्ट्रीय महिला आयोग (एन सी डब्ल्यू) को महिलाओं के अधिकारों तथा हितों की सुरक्षा करने का अधिदेश दिया गया है। आयोग ने अत्याचारों की अलग-अलग शिकायतों, कार्य-स्थल पर महिलाओं को यौनरूप से परेशान करने की शिकायतों की जांच करके, पारिवारिक/ महिला लोक अदालतें लगा कर, विधिक जागरूकता कार्यक्रम/ शिविर चला कर, विधानों की समीक्षा आदि करके महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए अपने अधिदेशित क्रियाकलाप जारी रखे। आयोग के अपने मुख्य यूनिटों में एक शिकायत कक्ष है जो मौखिक तथा लिखित दोनों प्रकार की शिकायतों पर कार्रवाई करता है और निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर स्व-प्रेरणा से कार्रवाई करता है:— (1) महिलाओं को अपने अधिकारों से वंचित किया जाना; (2) कानून लागू न किया जाना; (3) नीतिगत निर्णयों का अनुपालन न करना; (4) महिलाओं की कठिनाइयां दूर करने के उद्देश्य वाले दिशा-निर्देश अथवा अनुदेश; तथा (5) ऐसे विषयों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाना। प्राप्त की गई शिकायतें मुख्यतः दहेज, दहेज के कारण मृत्यु, यातना, परित्याग, दूसरा विवाह, बलात्कार, पुलिस द्वारा एफ आई आर दर्ज करने से इन्कार कर देने, रोजगार में भेदभाव, घरेलू हिंसा, अगम्यागमन तथा पति और ससुराल वालों द्वारा अत्याचार किए जाने से संबंधित होती हैं। नौवीं योजना के 16.25 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 1997–2000 के दौरान 8.50 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। वार्षिक योजना 2000–01 के लिए 3.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वृंदावन में विधवाओं का पुनर्वास

17. इन उपेक्षित महिलाओं के वृंदावन में पुनर्वास के लिए; विभिन्न स्कीमों के लाभ लक्ष्यगत समूह तक पहुंचने पर निगरानी रखने और उनके पुनर्वास आदि के लिए कार्य-योजना की सिफारिश करने के लिए उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकारों तथा केंद्रीय सरकार के संगठनों के प्रयासों को समन्वित करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की गई थी। यह समिति इस क्षेत्र के स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों और सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं के अलावा, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्डों के अध्यक्षों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा युवा कार्य और खेल-कूद विभाग के सचिवों, नेहरू युवक केंद्र संगठन के महा निदेशक तथा महिला और बाल विकास के नोडल विभाग के सचिव और संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों को लेकर गठित की गई है। यह समिति सभी संबंधितों के सहयोग से इन अकिंचन विधवाओं के पुनर्वास के लिए एक पैकेज तैयार कर रही है।

बाल विकास

18. देश के मानव संसाधन विकास में एक निवेश के रूप में बाल विकास नौवीं योजना में एक मुख्य कार्यनीति रही है। जबकि प्रथम पांच वर्ष बच्चों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, किंतु एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आई सी डी एस) के देश-व्यापी नेटवर्क के जरिए 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों तक पहुंचने पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई सी डी एस)

19. आई सी डी एस का राष्ट्र व्यापी कार्यक्रम बच्चों के लिए समग्र विकास के लिए एक बड़े हस्तक्षेप के रूप में जारी है। यह सेवाओं के एक पैकेज के रूप में, जैसे कि प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य की जाँच—पड़ताल, रेफरल सेवाएं, पूरक पोषाहार, पाठशाला—पूर्व शिक्षा और स्वास्थ्य और पोषाहार शिक्षा सेवाओं के साथ छः वर्ष से कम आयु के पाठशाला पूर्व बच्चों तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं की जरूरतें पूरी करता है। 1995—96 में प्रस्तावित आई सी डी एस का सार्वभौमीकरण वित्त मंत्रालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका। इसलिए, 1996 तक मंजूर की गई कुल 5614 आई सी डी एस परियोजनाओं में से आठवीं योजना के अंत तक केवल 4200 परियोजनाएं चलाई जा सकी हैं। नौवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में भी यह स्थिति जारी रही, जब केवल 21.5 मिलियन बच्चों तथा 4.03 मिलियन माताओं को लाभान्वित किया जा सका। 1999—2000 के दौरान नौवीं योजना अवधि में घरेलू (स्वदेशी) सहायता के साथ चरणबद्ध तरीके से 390 और परियोजनाओं को चालू करने का निर्णय किया गया। इसी के साथ—साथ, विश्व बैंक की सहायताप्राप्त आई सी डी एस 2 और आई सी डी एस ए पी ई आर परियोजनाओं के तहत 461 अतिरिक्त आई सी डी एस परियोजनाएं चलाने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। इस प्रकार, नौवीं योजना के अंत तक देश में लगभग 5051 ब्लॉकों/ शहरी गंदी बस्तियों को लाभान्वित किया जा सकेगा। परंतु सार्वभौमीकरण की प्रक्रिया नौवीं योजना के बाद भी तब तक जारी रहेगी जब तक 5614 परियोजनाएं चालू न हो जाएं।

20. अक्टूबर, 2000 में अपने कार्यान्वयन के 25 वर्ष पूरी करने वाली आई सी डी एस के प्रभाव का बहुत से अलग—अलग विशेषज्ञों तथा विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन किया गया। इन मूल्यांकन में से 1992 में राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (एन आई पी सी डी) नई दिल्ली द्वारा किया गया आई सी डी एस का राष्ट्रीय मूल्यांकन और विश्व बैंक की सहायता से आई सी डी एस का मध्यवर्ती मूल्यांकन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एन आई पी सी डी द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्षों ने आई सी डी एस के पाठशाला पूर्व अवस्था के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर अत्यंत सकारात्मक प्रभावों के संकेत दिए। 1995—96 के दौरान विश्व बैंक की सहायता से आंध्र प्रदेश में किए गए मध्यावधि मूल्यांकन से पता चला कि परियोजना—हस्तक्षेपों के कारण जीवित जन्मे प्रति 1000 बच्चों में शिशु मृत्यु दर (आई एम आर) कम हो कर 62 पर आ गई है, जो परियोजना के 60 प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों की दर के उद्देश्य के अनुरूप है। 0—3 वर्ष के आयु वाले बच्चों में भयंकर कुपोषण का प्रभाव घट कर पांच प्रतिशत हो गया और 3—6 वर्ष की आयु के बच्चों में यह कम हो कर लगभग तीन प्रतिशत हो गया। जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों का अनुपात भी 24 प्रतिशत के परियोजना उद्देश्य की तुलना में 20 प्रतिशत तक नीचे आ गया। इसी प्रकार उड़ीसा में आई एम आर कम हो कर 93.6 प्रतिशत और जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों की संख्या 23 प्रतिशत पर आ गई है।

21. बच्चों की राष्ट्रीय कार्य योजना में वर्ष 2000 तक प्राप्त किए जाने वाले निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रख कर, आई सी डी एस का यथाशीघ्र सार्वभौमीकरण सुनिश्चित करना जरूरी है। परंतु, संसाधनों की तंगी के कारण, विभाग का केवल 851 अतिरिक्त परियोजनाओं को, और यह भी पहले बताए अनुसार, चरणबद्ध तरीके से चलाने का प्रस्ताव है। आई सी डी एस की भावी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, 2000—01 से शुरू करके नौवीं योजना की शेष अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्य—बिंदुओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा;

- यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय करना कि सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आई सी डी एस के पूरक आहार के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध की जाएं क्योंकि आवश्यकता और पूर्ति के बीच लगभग 50 प्रतिशत का भारी अंतर है। आई

सी डी एस केवल तभी सार्थक बनती है जब राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से खाद्य पूर्ति के लिए निधियां, भारत सरकार द्वारा आई सी डी एस के प्रचालन और पर्यवेक्षण के लिए ऊपरी ढांचे के लिए दी गई निधियां एक ही समय मिल पाएं।

- किशोर लड़कियों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए शुरू की गई किशोरावस्था की लड़कियों की स्कीम 507 ब्लॉकों में चलती आ रही है। नौवीं योजना अवधि में 1493 अतिरिक्त ब्लॉकों को शामिल करने का प्रस्ताव है।
- लघु आंगनवाड़ी की अवधारणा में (एक पूर्ण आंगनवाड़ी के स्थान पर चार लघु आंगनवाड़ियां खोली जा सकती हैं) इतना लचीलापन है कि इनके द्वारा जनजातीय लोगों की बहुतायत वाले दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में ईंधन उधर बसे लोगों की देखभाल की जा सकती है। यह प्रक्रिया नौवीं योजना के दौरान जारी रहेगी।
- अन्य अभिनव/ अत्यावश्यक क्रियाकलापों में ये शामिल हैं: सामुदायिक सहभागिता के लिए माडल; इस स्कीम को आई एस एम एण्ड एच विभाग के क्रियाकलापों के साथ एकीकृत करना; राज्यों में आई सी डी एस के एम आई एस को सुदृढ़ बनाना; किशोरावस्था वाली लड़कियों को आई एफ ए तथा विटामिन 'ए' की पूर्ति करने के लिए उन्नत सेवाएं प्रदान करना; आंगनवाड़ी केंद्रों में गुणात्मक सुधार लाना; महिला घटक को सुदृढ़ बनाना; उन्नत पोषण स्तर के लक्ष्य वाली कार्य अनुसंधान परियोजनाएं, दोहराए जा सकने वाले मॉडल तैयार करने के लिए अंतर-राज्य परामर्श और समन्वय, बचपन की शुरुआत में आने वाली अशक्तताओं का समाधान करने के लिए क्षेत्र/ परियोजना सापेक्ष हस्तक्षेप।

22. नौवीं योजना के 4980 करोड़ रुपये के परिव्यय में से वर्ष 1997-2000 के दौरान 2285.65 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। वार्षिक योजना 2000-2001 के लिए 935.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

विश्व बैंक की सहायता प्राप्त आई सी डी एस परियोजनाएं

23. सामान्य आई सी डी एस सेवाएं प्रदान करने के अतिरिक्त विश्व बैंक की सहायता प्राप्त आई सी डी एस, में आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण, चुनिंदा आधार पर कार्यालय व गोदाम का निर्माण, प्रशिक्षण तथा संचार घटकों को सुदृढ़ बनाना, उन्नत स्वास्थ्य सुविधा, महिलाओं के लिए आमदनी जुटाने वाले क्रियाकलाप और महिलाओं को जीवन के लिए एकीकृत शिक्षा देना आदि जैसे अतिरिक्त घटक शामिल हैं।

24. विश्व बैंक की सहायता प्राप्त आई सी डी एस 2 परियोजना जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में शुरू की गई थी। दिसंबर 1997 में समाप्त हो गई। इसने उड़ीसा में 191 ब्लॉकों तथा आंध्र प्रदेश में 110 ब्लॉकों को लाभान्वित किया। दोनों राज्यों में इस परियोजना के तहत लाभान्वित किए गए सभी ब्लॉक अब कार्य करने लगे हैं। बिहार और मध्य प्रदेश में आई सी डी एस 2 परियोजना ने सात वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् सितंबर 2000 तक कार्य किया। इस परियोजना ने चरण बद्ध तरीके से जनजातीय लोगों की बहुतायत वाले और कठिन क्षेत्रों में बिहार में 210 ब्लॉकों तथा मध्य प्रदेश में 244 ब्लॉकों को लाभ पहुंचाया। मार्च 1999 में शुरू किया गया, विश्व बैंक की सहायता प्राप्त आई सी डी एस परियोजना 3 का तीसरा चरण केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में चल रहा है। नौवीं योजना के 1163.70 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 1997-2000 के दौरान 523.67 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वर्ष 2000-2001 के लिए 180.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

आई सी डी एस प्रशिक्षण कार्यक्रम – 'उदिशा'

25. प्रशिक्षण आई सी डी एस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, अतः महिला और बाल विभाग ने आई सी डी एस के विभिन्न कार्यकर्ताओं के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यनीति तैयार की है जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक, अपर बाल विकास परियोजना अधिकारी (ए सी डी पी ओ) तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी डी पी ओ), चिकित्सा अधिकारी (एम ओ) तथा अर्धचिकित्सा कर्मचारी। इसे विश्व बैंक से मिलने वाली सहायता के साथ 'उदिशा' के रूप में नया रूप दिया गया है।

26. 'उदिशा' का प्रभावी कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बार-बार और नियमित रूप से विचार-विमर्श करने के लिए एक व्यापक व्यवस्था की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर महिला और बाल विकास विभाग ने जुलाई 1999 में मनेसर हरियाणा में, जनवरी 2000 में गोवा में और फरवरी 2000 में उदयपुर में राज्य के नोडल अधिकारियों के साथ बैठकें कीं। नवम्बर 1999 तथा जनवरी 2000 में समूह-स्तरीय समीक्षाएं भी आयोजित की गईं। इन बैठकों से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सीधे, सम्पर्क स्थापित करने में भारी सफलता मिली है। इन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (एन आई पी सी डी) के जरिए लखनऊ, गुवाहाटी और बंगलौर के तीन क्षेत्रीय केंद्रों, 36 मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्रों (एम एल वाई सी) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों (ए डब्ल्यू टी सी) के माध्यम से दिया जाता है। नवंबर 1999 तक, 26926 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 470 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में तथा 571 पर्यवेक्षकों को 36 एम एल टी सी (बहु-स्तरीय प्रशिक्षण केंद्रों) में प्रशिक्षण दिया गया था। राष्ट्रीय, जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (एच आई पी सी डी) ने फरवरी, 2000 तक 68 कार्यक्रम आयोजित किए थे और 1986 सहभागी प्रशिक्षित किए गए थे। वर्ष 1999-2000 में, इस संस्थान ने प्रशिक्षण के सहभागी तरीकों पर जोर देकर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक रोचक और कारगर बनाने के लिए नई पहल की है। नौवीं योजना के 329.29 करोड़ रुपये के परिव्यय में से वर्ष 1997-2000 के दौरान 69.81 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। वर्ष 2000-2001 के लिए 35.00 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध किया गया है।

बालिका स्मृद्धि योजना (बी एस वाई)

27. बालिका स्मृद्धि योजना (बी एस वाई) का जन्म 15 अगस्त 1997 को प्रधान मंत्री की घोषणा से हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जिन परिवारों में किसी लड़की का जन्म होता है, सरकार ऐसे परिवारों को वित्तीय सहायता देगी, यदि ऐसे परिवार गरीबी की रेखा से नीचे (बी पी एल) जीवन-यापन कर रहे हैं। इसके बाद जब लड़की स्कूल जाने लगेगी तो उसे छात्रवृत्तियां भी दी जाएंगी। शुरुआत के तौर पर, बी पी एल समूह की बालिका की माता के लिए प्रसूति-पश्चात् 500 रुपये का अनुदान देने का, बालिका स्मृद्धि योजना का एक कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1997 को शुरू किया गया। इसके लिए सरकार ने वित्त वर्ष 1997-98 में 12 लाख बच्चियों को लाभान्वित करने के लिए 60 करोड़ रुपये का तदर्थ अनुदान दिया।

28. इस प्रयोजन के लिए गठित, मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के आधार पर, 1999-2000 में बी एस वाई कार्यक्रम को नया रूप दिया गया जिसकी विशेषताएं इस प्रकार थीं: (1) 15 अगस्त 1997 को या इसके बाद जन्मी दो बालिकाओं तक प्रति बालिका 500 रुपये का प्रसूति पश्चात् का अनुदान, नकद भुगतान करने की बजाय अब बालिका के नाम में बैंक या डाकघर में ब्याज वाले खाते में जमा कर दिया जाएगा। 500 रुपये के जन्म पश्चात् अनुदान का कुछ हिस्सा, भाग्यश्री बालिका कल्याण बीमा योजना के तहत बालिका के नाम की बीमा पॉलिसी पर

प्रीमियम अदा करने के लिए खाते से निकालने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार के उपयोग की अनुमति बच्ची की माता/ अभिभावक द्वारा समुचित प्राधिकार दिए जाने से ही की जा सकती है; (2) जब बच्ची स्कूल जाने लगे तो उसे वार्षिक छात्रवृत्तियां भी दी जाएंगी। छात्रवृत्तियों की दर कक्षा 1-3 में 300 रुपये कक्षा 4 में 500 रुपये, कक्षा 5 में 600 रुपये, कक्षा 6 और 7 में प्रत्येक के लिए 700 रुपये, कक्षा 8 में 800 रुपये और कक्षा 9 तथा 10 में प्रत्येक कक्षा के लिए 1000 रुपये प्रतिवर्ष होगी; (3) परंतु लड़की की माता/ अभिभावक के उचित अधिकार से, इन छात्रवृत्तियों का पाठ्य पुस्तकें अथवा वर्दियां खरीदने के लिए उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे उपयोग के बाद शेष बची छात्रवृत्ति की राशि उसी ब्याज वाले खाते में जमा कर दी जाएगी जिसमें प्रसूति- पश्चात् का अनुदान रखा गया हो। इस खाते में जमा राशियों का लड़के द्वारा 8 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर और तक तब अविवाहित रहने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा। नये रूप वाली बी एस वाई का कार्यक्रम, उपर्युक्त संशोधनों के साथ 1999-2000 से लागू किया जा रहा है। नौवीं योजना के 390.00 करोड़ के परिव्यय में से वर्ष 1997-2000 के दौरान 142.66 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। वर्ष 2000-2001 के लिए 27.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

क्रेच/ दिन में देखभाल के केंद्र

29. क्रेचों/ दिन में देखभाल की स्कीम नैमित्तिक, प्रवासी, कृषि और निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए दिन में देखभाल करने की सेवाएं प्रदान करती है। इस स्कीम के तहत उन महिलाओं के बच्चों को लाभान्वित किया जाता है जो बीमार हों या बीमारी के कारण अक्षम हो गई हों या जो संक्रामक रोगों से पीड़ित हों। इस अविस्तारी स्कीम ने 12470 क्रेचों के उसी स्तर को बनाए रखा जिसमें 3.11 लाख बच्चों को लाभ पहुँचाया गया। नौवीं योजना के 36.05 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 1997-2000 के वर्षों के दौरान 17.40 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। 2000-2001 के लिए 4.50 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह स्कीम एक अविस्तारी स्कीम है और आशा है कि इसे राष्ट्रीय क्रेच निधि के साथ मिला दिया जाएगा।

राष्ट्रीय क्रेच निधि

30. राष्ट्रीय क्रेच निधि 19.90 करोड़ रुपये के कार्पस के साथ मार्च 1994 में स्थापित की गई थी। इसके तहत अभी तक 1856 सामान्य क्रेच और 599 आंगनवाड़ी एवं क्रेच केंद्र मंजूर किए जा चुके हैं। इस स्कीम में यह प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय क्रेच निधि से सहायता प्राप्त कर रहे 75 प्रतिशत क्रेच सामान्य स्वरूप के होंगे और 25 प्रतिशत केंद्र आंगनवाड़ी एवं क्रेच केंद्र होंगे। एन सी एफ द्वारा सहायता-प्राप्त सामान्य क्रेच महिला और बाल विकास विभाग की क्रेच स्कीम के पैटर्न पर होंगे और ये पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को सेवाएं प्रदान करेंगे, जिनमें- दिन के समय देखभाल की सुविधाएं, पूरक पोषण, प्रतिरक्षण, चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल तथा मनोरंजन संबंधी सेवाएं शामिल होंगी। जिन बच्चों के माता-पिता की आय 1800 रुपये प्रतिमास से कम होगी, वे इन केंद्रों में भर्ती के लिए पात्र होंगे। एक साधारण क्रेच को प्रति केंद्र 18480 रुपये आवर्ती अनुदान तथा 4000 रुपये अनावर्ती अनुदान के रूप में प्राप्त होते हैं जबकि एक आंगनवाड़ी व क्रेच केंद्र को प्रति वर्ष प्रति क्रेच योजना बद्ध सहायता पैटर्न के अधीन 8100 रुपये की सहायता प्राप्त होती है। इसमें दो क्रेच कार्यकर्ताओं को प्रति क्रेच 600/- रुपये प्रतिमास की दर से दिया जाने वाला मानदेय तथा 75/- रुपये प्रति मास की दर से आकस्मिक और आपातकालीन व्यय भी शामिल हैं। एन सी एफ के लिए नौवीं योजना का परिव्यय 0.03 करोड़ रुपये है। 1997-2000 के वर्षों में कोई खर्च नहीं किया गया क्योंकि क्रेचों पर व्यय पिछले कई

वर्षों से कार्पस में जमा हो रहे ब्याज से पूरा किया जा रहा है। परंतु वार्षिक योजना 2000-2001 के लिए 0.01 करोड़ रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

31. बाल विकास के अन्य कार्यक्रमों में बचपन के शुरू में दी जाने वाली शिक्षा (ई सी ई) शामिल है जिसमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े राज्यों में स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे 4365 ई सी ई केंद्रों के जरिए एक लाख से अधिक बच्चों को पाठशाला-पूर्व शिक्षा दी जाती है; बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम अन्य पाठशाला पूर्व सेवाओं के अतिरिक्त 336 बालवाड़ियों के माध्यम से 10,000 बच्चों को पूरक पोषाहार प्रदान करता है और राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान आई सी डी एस के विभिन्न कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। वार्षिक योजना 2000-01 में इन तीनों स्कीमों के लिए 37.40 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध किया गया है।

बच्चों और बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

32. बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का अनुसमर्थन किए जाने के साथ 1992 में स्वीकृत दो राष्ट्रीय कार्य योजनाओं, एक बच्चों के लिए और दूसरी पूर्णतया बालिकाओं के लिए, के अधीन निश्चित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और बल मिला है। आशा है कि इन कार्य योजनाओं से बच्चों की उत्तर जीविता बचाव और विकास सुनिश्चित हो सकेगा। राष्ट्रीय कार्य योजना के आधार पर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य सरकारों ने अपनी-अपनी राज्य कार्य योजनाएं तैयार की हैं। इन दो कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति को मानीटर करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर अंतर-मंत्रालयी/ अंतर-विभागीय समन्वय समितियां स्थापित की गई हैं।

गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

33. गैर सरकारी संगठन (एन जी ओ), महिला अधिकारिता और बाल विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में और विशेष रूप से लोगों के विचार महिलाओं और बालिकाओं के पक्ष में बदलने के लिए जागरूकता पैदा करने और महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करने के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में और महिलाओं तथा बाल लड़कियों के विरुद्ध हिंसा/ अत्याचारों का मुकाबला करने में भी भारी योगदान करते रहे हैं।

संलग्नक 5.6.1

वर्ष 1998-2001 के दौरान महिला और बाल विकास क्षेत्रक के
अंतर्गत योजना परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	वार्षिक योजनाएं			
		1998-99	1999-2000		2000-2001
		वास्तविक	ब. अ.	वास्तविक	परिव्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क.	केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमें				
अ.	कल्याण और बाल विकास				
1.	कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए बालवाड़ी/ दिवा देखभाल केंद्र	7.50	5.00	3.85	4.50
2.	बाल देख-रेख स्कीमों के लिए राष्ट्रीय क्रेच निधियां	0.00	0.01	0.00	0.01
3.	बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.11	0.00	0.00	
4.	आई सी डी एस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	40.00	60.00	25.52	35.00
5.	राष्ट्रीय जन सहकारिता और बाल विकास संस्थान (एन आई पी सी सी डी)	2.60	3.50	3.42	1.50
6.	प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा	0.40	0.40	0.00	0.30
7.	बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम (बी एन पी)	1.44	2.00	0.00	0.50
	जोड़ अ	52.05	70.91	32.79	41.81
ब.	महिला कल्याण और विकास				
1.	कामकाजी महिलाओं के लिए हास्टल	7.73	7.75	7.08	7.02
2.	महिलाओं के लिए रोजगार और आय सृजन प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्रों (एन ओ आर ए डी) की स्थापना	17.48	15.00	12.37	13.00
3.	प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को सहायता (एस टी ई पी)	16.07	15.00	13.46	13.00
4.	अल्पाधिक आवास गृह (एस एस एच)	3.00	13.52	6.76	12.00
5.	महिलाओं के प्रति अत्याचारों को रोकने के लिए शिक्षा कार्य	0.30	0.30	0.01	0.20
6.	कार्यक्रम मानीटरिंग और मूल्यांकन एकक	0.00	0.20	0.00	0.50
7.	राष्ट्रीय महिला आयोग	2.75	3.50	3.25	3.50
8.	महिलाओं के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट निधि (आर एम के)	0.00	0.01	0.00	3.00
9.	राष्ट्रमंडल बैठक डब्ल्यू डी ब्यूरो का सुदृढीकरण	0.00	1.50	0.50	1.50
10.	महिलाओं के अधिकारों के लिए आयुक्त के कार्यालय का सृजन	0.00	0.01	0.00	0.01
11.	महिला समृद्धि योजना (एम एस वाई)	17.32	2.04	1.97	15.00
12.	एकीकृत अधिकारिता परियोजना	0.00	0.50	0.50	1.43

संलग्नक 5.6.1 (जारी)

वर्ष 1998-2001 के दौरान महिला और बाल विकास क्षेत्रक के
अंतर्गत योजना परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	वार्षिक योजनाएं			
		1998-99	1999-2000		2000-2001
		वास्तविक	ब. अ.	वास्तविक	परिव्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	महिलाओं के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के संक्षिप्त पाठ्यक्रम	8.79	9.00	1.65	1.50
14.	समाजार्थिक कार्यक्रम	0.00	5.00	0.00	1.00
15.	ग्रामीण और गरीब महिलाओं के लिए जागरूकता सृजन परियोजना	2.14	4.00	2.60	1.80
16.	स्वैच्छिक संगठन को सी एस डब्ल्यू बी के माध्यम से जी आई ए और इसके क्षेत्र संगठनों का सुदृढीकरण	14.00	14.00	2.33	14.00
	जोड़ ब	89.58	91.33	52.48	88.46
स.	सहायता अनुदान और अन्य स्कीमें				
1.	अनुसंधान प्रकाशन और मानीटरिंग को जी आई ए - 85-86	0.50	0.70	0.50	0.50
2.	स्वैच्छिक संगठनों को संगठन जागरूकता	0.00	0.20	0.19	0.20
3.	महिला और बाल विकास के क्षेत्र में संगठनात्मक जागरूकता	0.20	0.20	0.00	0.20
4.	सूचना और जन संचार साधन	1.17	2.00	1.76	2.00
	जोड़ स	1.87	3.10	2.45	2.90
	जोड़ (अ + ब + स)	143.50	165.34	87.72	133.17
ख.	केंद्र प्रायोजित स्कीमें				
1.	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई सी डी एस)	795.84	855.76	881.46	935.00
2.	इन्दिरा महिला योजना (आई एम वाई)	0.00	10.00	0.00	18.00
3.	विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त आई सी डी एस परियोजनाएं	139.65	231.00	230.75	180.00
4.	ग्रामीण महिला विकास और अधिकारिता परियोजना	8.00	12.81	5.00	15.00
5.	महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र (एन आर सी डब्ल्यू)	0.00	0.01	0.00	1.00
6.	बालिका समृद्धि योजना	42.66	40.00	40.00	27.00
	जोड़ (ख)	986.15	1149.58	1157.21	1176.00
	जोड़ (क + ख)	1129.65	1314.92	1244.93	1309.17

संलग्नक 5.6.1 (जारी)

वर्ष 1998-2001 के दौरान महिला और बाल विकास क्षेत्रक के
अंतर्गत योजना परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	वार्षिक योजनाएं			
		1998-99	1999-2000		2000-2001
		वास्तविक	ब. अ.	वास्तविक	परिव्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग.	खाद्य और पोषण बोर्ड				
अ.	केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम				
1.	विटामिन ए के साथ दूध का पुष्टीकरण	0.07	0.10		0.05
2.	अनुसंधान और विकास	0.01	0.05		
3.	पूँजीगत व्यय	0.12	0.20		0.20
4.	पोषक खाद्य का उत्पादन	0.16	0.00		बीमउम
	जोड़ अ	0.36	0.35		0.25
ब.	केंद्र प्रायोजित स्कीमें				
1.	पोषण शिक्षा	0.77	1.80	1.80	2.50
2.	राष्ट्रीय पोषण नीति का कार्यान्वयन	0.06	1.10	0.16	0.15
	जोड़ ब	0.83	2.90	1.96	2.65
	जोड़ (अ + ब)	1.19	3.25	1.96	2.90
घ.	नई स्कीमें				
1.	एन ई एम ए	0.00	0.30	0.00	0.01
2.	दूरस्थ शिक्षा	0.90	1.02	0.00	1.41
3.	बच्चों के लिए राष्ट्रीय आयोग	0.00	0.01	0.00	0.01
4.	सूचना प्रौद्योगिकी	0.00	0.50	0.50	0.50
	जोड़ घ	0.90	1.83	0.50	1.93
ङ	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए स्कीमों हेतु एकमुश्त राशि का प्रावधान	-	-	-	146.00
	कुल जोड़ (क + ख + ग + घ + ङ)	1131.74	1320.00	1247.39	1460.00

संलग्नक 5.6.2

बजट के माध्यम से बाह्य सहायता – महिला और बाल विकास विभाग वार्षिक योजना 2000–2001

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	वित्त पोषण एजेंसी	वार्षिक योजना 1998–99		वार्षिक योजना 1999–2000				वार्षिक योजना 2000–2001	
			वास्तविक		परिव्यय		वास्तविक		परिव्यय	
			ई ए पी	कुल	ई ए पी	कुल	ई ए पी	कुल	ई ए पी	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
अ.	केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमें									
क.	बाल कल्याण और विकास									
1	आई सी डी एस कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	यूनिसेफ और विश्व बैंक	7.00	40.00	44.10	60.00	25.62	25.62	28.00	35.00
2	राष्ट्रीय जन सहकारिता और बाल विकास संस्थान (एन आई पी सी डी)	यूनिसेफ	0.00	2.60	0.00	3.50	0.00	3.42	0.00	1.50
ख.	महिला कल्याण और विकास									
3	महिलाओं के लिए रोजगार और आय सृजन प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्रों की स्थापना करना (एन ओ आर ए डी)	एन ओ आर ए डी	5.00	17.48	5.00	15.00	5.00	12.37	5.00	13.00
4	एकीकृत अधिकारिता परियोजना	यू एन आई एफ पी ए	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	1.43	1.43
ब.	केंद्र प्रायोजित स्कीमें									
5	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त सेवाएं (आई सी डी एस)	आई डी ए और डब्ल्यू बी	97.77	139.65	161.70	231.00	161.70	230.75	126.00	180.00
6	ग्रामीण महिला विकास और अधिकारिता परियोजना	आई डी ए और आई एफ ए डी	7.00	8.00	11.53	12.81	3.72	5.00	12.00	15.00
ग.	खाद्य और पोषण बोर्ड									
7	पोषण शिक्षा	यूनिसेफ	0.00	0.77	0.25	1.80	0.25	1.80	0.50	2.50
8	राष्ट्रीय पोषण नीति का कार्यान्वयन	यूनिसेफ	0.00	0.06	0.25	1.10	0.25	0.16	0.00	0.15
	जोड़ (अ + ब)		116.77	208.56	223.33	325.71	197.04	279.62	172.93	248.58

5.6.2 सामाजिक दृष्टि से असुविधाग्रस्त समूहों का सबलीकरण

34. सामाजिक दृष्टि से असुविधाग्रस्त समूहों, अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को सामाजिक सबलीकरण, आर्थिक सबलीकरण और सामाजिक न्याय की तिहरी कार्यनीति के जरिए सबल बनाना, नौवीं योजना की वचनबद्धता है। इसलिए उनके सरोकारों को विकास के मुख्य एजेंडे में शामिल करने और इस प्रकार उनके दर्जे को शेष समाज के दर्जे के बराबर लाने के लिए किए जा रहे विशेष प्रयास जारी रखे गए। इस प्रयोजन से केवल पहले से चल रहे कार्यक्रम को ही सुदृढ़/विस्तारित नहीं किया जा रहा, अपितु जहां कहीं आवश्यक हो वहां इन असुविधा-ग्रस्त समूहों के समग्र विकास में तेजी लाने के लिए नये उपाय भी शुरू किए जा रहे हैं। इस दिशा में की गई एक महत्वपूर्ण पहल यह थी कि अक्टूबर 1999 में केंद्र में एक पूर्ण जनजातीय कार्य मंत्रालय स्थापित किया गया और इसका उद्देश्य जनजातीय लोगों के कल्याण और विकास की ओर ध्यान केंद्रित करना था क्योंकि उन्हें अपनी ही विशिष्ट प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ता है जैसा के निरक्षरता, अज्ञान, भूमि अन्य-संक्रमण, विस्थापन, बंधुआ मजदूरी, ऋण ग्रस्तता आदि।

वार्षिक योजना 1999-2000 तथा 2000-2001 की समीक्षा

35. नौवीं पंच वर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के संदर्भ में वार्षिक योजनाओं 1999-2000 और 2000-2001 की समीक्षा केवल नीतियां और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की दृष्टि से ही नहीं, अपितु योजनागत आबंटनों के उपयोग की दृष्टि से भी विशेष महत्व रखती है। नौवीं योजना के पिछड़े वर्गों के क्षेत्रक के लिए केंद्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बजट में नियत किए गए 5399.16 रुपये के कुल परिव्यय [जिसमें जनजातीय उप-योजना (टी एस पी) को दी गई विशेष केंद्रीय सहायता (एस सी ए) और संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अधीन दिया गया सहायता अनुदान शामिल नहीं है।] में से संभवतया पहले तीन वर्षों (1997-2000) के दौरान 2690.23 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और इसके बाद योजना के शेष दो वर्षों (2000-02) के लिए 2708.95 करोड़ रुपये बचे हैं। इसमें से 1610.18 करोड़ रुपये की राशि वार्षिक योजना 2000-01 के लिए नियत की गई थी (1000.18 करोड़ रुपये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए और 610.00 करोड़ रुपये जनजाति कार्य मंत्रालय के लिए)। इसमें 940.18 करोड़ रुपये केंद्रीय और केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए, 437.00 करोड़ रुपये विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में विशेष संघटक योजना (एस सी पी) के लिए तथा 400.00 करोड़ रुपये जनजातीय उप-योजना (टी एस पी) के लिए शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित क्षेत्रों में, जनजातियों के लोगों के शैक्षिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इन क्षेत्रों का प्रशासनिक स्तर बढ़ाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अधीन 200 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध की गई थी।

36. राज्य क्षेत्र में, सामाजिक दृष्टि से असुविधा-ग्रस्त समूहों के लिए बनाए गए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए 9690.75 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी। इसमें से संभवतया 6308.67 करोड़ रुपये 1997-2000 के दौरान खर्च किए जा चुके हैं और इस प्रकार नौवीं योजना के शेष दो वर्षों (2000-02) के लिए 3382.08 करोड़ रुपये शेष बचे हैं। जबकि 1998-99 से 2000-01 के दौरान पिछड़े वर्गों और जनजातीय कार्यों के लिए केंद्रीय स्तर पर स्कीमवार परिव्यय और व्यय के ब्यौरे संलग्नक 5.6.2.1 में दिए गए हैं और राज्य क्षेत्र में इसी अवधि के लिए परिव्यय और व्यय के विवरण संलग्नक 5.6.2.2 में दिए गए हैं। 1998-99 से 2000-01 के दौरान क्षेत्रकीय परिव्यय और व्यय तथा विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा का वर्णन सारणी 5.6.2.1 में दिया गया है।

सारणी 5.6.2.1
1997-98 से 2000-01 के दौरान पिछड़े वर्ग क्षेत्र के कल्याण और विकास तथा
जनजातीय कार्यों के लिए परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	स्कीमें	वार्षिक योजना (1998-99)	वार्षिक योजना (1999-2000)		वार्षिक योजना (2000-01)
		वास्तविक	परिव्यय	सं. अ.	परिव्यय
अ.	पिछड़ा वर्ग क्षेत्रक (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)				
1	अनु. जातियों का कल्याण और विकास				
	क) केंद्रीय सेक्टर की स्कीमें	123.11	86.00	81.15	90.50
	ख) केंद्र द्वारा प्रायोजित	209.86	285.50	286.06	304.00
	जोड़ (क+ख)	332.97	371.50	367.21	394.5
	ग) एस सी पी और एस सी ए	360.83	437.00	437.00	470.00
	जोड़ 1	693.80	808.60	804.21	864.50
2	अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण और विकास				
	क) केंद्रीय सेक्टर की स्कीमें	92.34	105.70	105.01	83.02
	ख) केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें	7.46	20.80	13.50	20.01
	जोड़ 2	99.80	126.50	118.51	103.03
3.	अल्प संख्यकों का कल्याण और विकास				
	क) केंद्रीय सेक्टर की स्कीमें	38.22	30.00	27.30	32.65
	जोड़ 1 (1+2+3)	831.82	965.00	950.02	1000.18
आ.	जनजातीय विकास (जन जाति कार्य मंत्रालय)				
	क) केंद्रीय सेक्टर की स्कीमें	44.44	83.00	78.00	84.00
	ख) केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें	28.10	47.00	43.50	126.00
	जोड़ (क+ख)	72.54	130.00	121.5	210.00
	ग) टी एस पी को एस सी ए	380.00	400.00	400.00	400.00
	घ) अनुच्छेद 275 (1) के तहत सहायता अनुदान	75.00	100.00	100.00	200.00
	जोड़ 2 (जनजाति कार्य मंत्रालय)	527.54	630.00	621.50	810.00

- पिछड़े वर्ग सेक्टर के अंतर्गत दिए गए आंकड़ों में 1999-2000 तक अनु-जातियों और अनु जनजातियों, दोनों के लिए कुछ साझी केंद्रीय और केंद्र प्रायोजित स्कीमें शामिल हैं।
स्रोत: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजाति कार्य मंत्रालय।

सामाजिक सबलीकरण

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां

37. सामाजिक सबलीकरण के लिए शिक्षा सबसे अधिक कारगर साधन होने के कारण ऐसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना जारी रखा गया जिनका उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनु. जनजातियों, विशेषकर उनकी महिलाओं और बच्चियों के शैक्षिक स्तर में सुधार करना था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास की राष्ट्र व्यापी कार्यक्रम के रूप में मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्तियों की स्कीम, मान्यता प्राप्त संस्थानों में मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों को

पूरा कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है। पी एम एस स्कीम के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी संबंधित प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता दी जाती है। परंतु उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामले में पी एम एस संबंधी प्रतिबद्ध देयता अप्रैल 1998 से समाप्त कर दी गई है। अभी तक उच्चतर शिक्षा ग्रहण कर रहे 22.68 लाख अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्र 1999-2000 के दौरान मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां, प्राप्त कर चुके हैं। चालू वर्ष (2000-2001) के लिए अनु. जाति/ अनु. जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 214.00 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है। इसमें से 70.00 करोड़ रुपये चालू वित्त वर्ष 2000-01 में अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को पी एम एस के अंतर्गत कवर करने के लिए जन जाति कार्य मंत्रालय के लिए नियत किए गए हैं।

38. अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों की स्कीम एक और महत्वपूर्ण शैक्षिक स्कीम है जो मैला उठाने की अत्यंत अमानवीय प्रथा को समाप्त करने और इस कार्य में लगे लोगों का पुनर्वास करने के सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की पूरक है। इस स्कीम के तहत मैला उठाने वाले लोगों, सफाई कर्मचारियों, जिनका मैला ढोने के काम के साथ पारंपरिक संबंध हो, खाल उतारने वालों और चर्मशोधकों के बच्चों को मैट्रिक स्तर तक अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। 1999-2000 के दौरान लगभग 4.37 लाख छात्रों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां दी गईं। वर्ष 2000-2001 के दौरान मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां देने के लिए 10.00 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है।

39. अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावास स्कीम के तहत छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 50:50 के बंटवारे के आधार पर, केंद्रीय सहायता दी जाती है जबकि 100 प्रतिशत सहायता संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को इन दो उद्देश्यों के लिए दी जाती है: 1993-94 में सामान्य वर्गों में 60.5 प्रतिशत की दर की तुलना में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों में बीच में शिक्षा छोड़ देने की 66.6 से लेकर 74.7 तक की ऊंची दर को कम करना और उनके द्वारा स्कूल में शिक्षा जारी रखने की दर सुनिश्चित करना; जिससे इन असुविधाग्रस्त समूहों में शिक्षा के विकास को बढ़ावा मिल सके। इस स्कीम के तहत मुख्य लाभग्राही माध्यमिक विद्यालयों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान 32.00 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए दी गई थी और चालू वर्ष (2000-01) में इसे बढ़ा कर 47.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है। आशा है कि इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जाति के लगभग 10522 लड़के और लड़कियों को लाभ प्राप्त होगा।

40. केंद्र द्वारा प्रायोजित एक अन्य स्कीम, अर्थात् सम्बद्ध (एलाइड) सेवाओं के लिए शिक्षण की स्कीम के तहत परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रत्याशियों को शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि वे संघ लोक सेवा आयोग, एस एस सी, बैंकिंग, रेलवे बोर्ड, सेवा आयोगों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य भर्ती निकायों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मुकाबला कर सकें, जिसका अंतिम उद्देश्य केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है। वर्ष 1999-2000 के दौरान 10 राज्यों में 75 शिक्षण केंद्रों के माध्यम से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के 12189 छात्रों को लाभान्वित करने के लिए 4.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। इसके लिए अतिरिक्त, लाभग्राहियों को तकनीकी सहायता प्रदान करने में 15 विश्वविद्यालयों तथा 15 गैर-

सरकारी संगठनों को शामिल किया गया था। 2000-01 के दौरान इस स्कीम के लिए 3.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

41. उपर्युक्त के अलावा, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के हितलाभ के लिए कुछ और शैक्षिक कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इनमें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों की योग्यता बढ़ाना, कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए विशेष शिक्षा विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए शैक्षिक काम्प्लेक्स, टी एस क्षेत्रों के आश्रम विद्यालय तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अन्य शैक्षिक कार्यक्रम। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय समुद्रपारीय (ओवरसीज) छात्रवृत्तियां (एन ओ एस) नाम की एक योजनेतर स्कीम भी है जिसके तहत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विदेश में उच्च और विशेष अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। विदेशों से उच्च अध्ययन करने के लिए इन असुविधाग्रस्त समूहों के छात्रों को हर वर्ष 30 समुद्रपारीय छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। 1999-2000 के दौरान, इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को 17 और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 9 छात्रवृत्तियां दी गई थीं और इसमें 1 छात्रवृत्ति अनाधिसूचित खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश जातियों को, 2 छात्रवृत्तियां अन्य धर्म अपनाने वाले 2 अनुसूचित जाति के छात्रों और 1 छात्रवृत्ति भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगरों के लिए दी गई थी।

अन्य पिछड़े वर्ग (ओ बी सी)

42. विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए अन्य पिछड़े वर्गों के पारंपरिक कौशलों और कारीगरी को उन्नत करने के लिए सहायता देने के अलावा, उनकी शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने की मुख्य कार्यनीति कारगर रूप से चलाई जा रही है। अन्य पिछड़े वर्गों का सामाजिक-आर्थिक दर्जा बढ़ाने की वचनबद्धता के साथ यह कार्यनीति 2000-01 में जारी रहेगी। अन्य पिछड़े वर्गों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की स्कीम के तहत वित्तीय सहायता 1999-2000 के 5.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर चालू वित्त वर्ष (2000-01) में 9 करोड़ रुपये कर दी गई है। मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों की स्कीम के तहत, छात्रवृत्तियों के रूप में वित्तीय सहायता उन छात्रों को दी जा रही है जिनके माता-पिता/ अभिभावक की सभी स्रोतों से आय 44500 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है। आय की अधिकतम सीमा का यही स्तर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की स्कीम पर भी लागू है। ओ बी सी छात्रों की मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियों की स्कीम के लिए चालू वर्ष (2000-01) में 6 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य स्कीमों, यथा ओ बी सी के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावास; ओ बी सी के लिए परीक्षा-पूर्व शिक्षण केंद्र; ओ बी सी की भलाई के लिए काम करने के वास्ते गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान भी दिए गए हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार करना है।

अल्पसंख्यक

43. शिक्षा के क्षेत्र में, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन ने शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम चलाना जारी रखा है। 70.01 करोड़ की कार्पस निधि में से, मंत्रालय ने 1999-2000 के दौरान 3.15 करोड़ रुपये आवर्ती वार्षिक अनुदान के रूप में रिलीज किए हैं फाउंडेशन ने जनवरी 2000 तक 33.06 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान मंजूर किए हैं।

44. कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व शिक्षण केंद्रों की स्कीम के तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य उम्मीदवारों के साथ प्रतियोगिता के लिए अल्पसंख्यकों के छात्रों को तैयार करने के वास्ते विभिन्न शिक्षण केंद्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि विभिन्न नौकरियों में

उनका प्रतिनिधित्व बढ़ सके। अल्प संख्यकों को अत्यावश्यक शिक्षण प्रदान करने के लिए अभी तक लगभग 320 शिक्षण केंद्रों को वित्तीय सहायता दी जा चुकी है।

आर्थिक सबलीकरण

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां

45. असुविधाग्रस्त समूहों को सबल बनाने में आर्थिक विकास एक निर्णायक तत्व होने के कारण, उन्हें गरीबी रेखा के स्तरों से ऊपर उठाने की कार्यनीति को रिपोर्टाधीन वार्षिक योजना के दौरान उच्च प्राथमिकता दी जाती रहेगी। इसके लिए, सामाजिक दृष्टि से असुविधाग्रस्त समूहों को आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण व रोजगार व आमदनी जुटाने वाले कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। शीर्षस्थ संगठनों, यथा (1) राष्ट्रीय अनुसूचित / अनु.ज. जाति वित्त और विकास निगम (एन. एस. एफ. डी. सी), (2) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एन. एस. के. एफ. डी. सी), (3) भारतीय जनजाति विकास विपणन विकास फेडरेशन लि० (टी. टार. आई. एफ. ई. डी), और राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों (एस. सी. डी. सी) को नौवीं योजना के दौरान और ज्यादा परिव्यय उपलब्ध करके तथा कुछ मामलों में प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि करके (सिवाय टी. आर. आई. एफ. आई. डी. के लिए) मजबूत बनाया जा रहा है। ये निगम नीचे दिए गए ब्योरे के अनुसार माइक्रो स्तर की एजेंसियों को उधार और बाजार में माल बेचने की सुविधाओं के 'आगे' और 'पीछे' के संयोजन उपलब्ध करने के अलावा, उत्प्रेरक एजेंटों की भूमिका निभाएंगे।

46. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित ज० जाति निगम (एन. एस. एफ. डी. सी) 1989 से बिना लाभ के आधार पर एक सरकारी कम्पनी के रूप में कार्य कर रहा है। एन. एस. एफ. डी. सी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे लोगों के कौशलों के उन्नयन और आमदनी जुटाने वाले क्रियाकलापों के लिए रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा से दुगुनी नीचे हो। यह निगम ब्याज की रियायती दरों पर आवधिक ऋण, बीज ऋण और ब्रिज ऋण आदि उपलब्ध करता है। वार्षिक योजना 1999-2000 के दौरान 30.00 करोड़ रुपए उपलब्ध किए गए, जिससे अनु.जाति/ अनुसूचित ज. जाति के 13474 व्यक्तियों को लाभ पहुंचा। चालू वर्ष 2000-01 के लिए 35 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है। एन. एस. एफ. डी. सी ने अभी तक 412.91 करोड़ रुपए की शेयर-राशि के साथ वाली 1895 परियोजनाएं मंजूर की हैं जो पूरा होने पर अनु. जाति/ अनु. ज. जाति के लगभग 2.23 लाख लाभग्राहियों को लाभ पहुंचाएंगी।

47. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एन. एस. के. एफ. डी. सी) को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत एक लाभ न अर्जित करने वाली कम्पनी के रूप में जनवरी 1997 में निगमित किया गया था। इससे, एक वैकल्पिक व्यवसाय के रूप में, आमदनी जुटाने वाले विभिन्न क्रियाकलाप आरंभ करने के लिए रियायती दरों पर धन देकर पूरे देश में सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की आर्थिक उन्नति के लिए उत्तरदायी एक शीर्षस्थ संस्थान के रूप में कार्य करने की उम्मीद की जाती है।

48. भारतीय जनजाति सहकारिता विपणन विकास फेडरेशन लि० की स्थापना 1967 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों को उनकी गौण वन उपज (एम. एफ. पी) तथा अधिशेष कृषि उपज (एस. ए. पी) के लिए बाजार में माल बेचने की सहायता देना और लाभकारी कीमतें प्रदान करना था और इस प्रकार जनजातीय लोगों का निजी व्यापारियों तथा बिचौलियों द्वारा शोषण कम करने / उस पर काबू पाने के लिए सहायता प्रदान करना था। टी

आर आई ई डी की प्राधिकृत पूंजी 100 करोड़ रुपए है जबकि इसे मूल्य समर्थन (4 करोड़ रुपए) और इसमें निवेश (1 करोड़ रुपए) के लिए वार्षिक योजना 1999-2000 के 5.25 करोड़ रुपए की तुलना में वार्षिक योजना 2000-2001 में 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जा रही है।

49. अनुसूचित जाति विकास निगम (एस सी डी सी) की शेयर इक्विटी में 49.51 के अनुपात में भाग लेने की केन्द्र प्रायोजित स्कीम 1979 में शुरू की गई थी। इस समय 25 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में एस सी डी सी कार्य कर रहे हैं जिनमें से 2 ऐसे एस सी डी सी भी शामिल हैं जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए साझे हैं। अनुसूचित जाति विकास निगमों के मुख्य कार्यों में ये शामिल हैं: अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति परिवारों की पहचान करना और उन्हें आर्थिक विकास की स्कीमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, ऋण सहायता के लिए वित्तीय संस्थानों के लिए स्कीमें प्रायोजित करना, वापसी-अदायगी सम्बन्धी देनदारियों को कम करने के लिए कम ब्याज दर पर मार्जिन राशि और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना और गरीबी कम करने वाले अन्य कार्यक्रमों के साथ आवश्यक सम्बन्ध स्थापित करने की व्यवस्था करना।

50. अनुसूचित जाति विकास निगम लक्ष्यगत समूह को ऋण सहायता देने के लिए गारंटीदाताओं और प्रवर्तकों के रूप में कार्य करते रहे हैं और मार्जिन राशि ऋण तथा सब्सिडी के रूप में अप्राप्त निविष्टियां प्रदान करते रहे हैं। एस सी डी सी मुख्यतः (1) लघु सिंचाई सहित कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों, (2) लघु उद्योगों, (3) परिवहन, तथा (4) व्यापार और सेवा के क्षेत्रों में रोजगार प्रधान स्कीमें शुरू करते हैं। शेयर पूंजी सहायता में से मार्जिन राशि और विशेष केन्द्रीय सहायता निधियों में से सब्सिडी प्रदान करने के अलावा, एस सी डी सी द्वारा बैंकों से परियोजना सहायता की व्यवस्था की जाती है। 31.12.1999 तक मंत्रालय ने 5.32 लाभग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए 1999-2000 के दौरान आवंटित किए गए 20 करोड़ रुपए में से 13.38 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं।

एस सी पी तथा टी एस पी के लिए विशेष तथा कार्यनीतियाँ एस सी पी और टी एस पी के लिए एस सी ए

51. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए अनु. जातियों के लिए विशेष संघटक योजना (एस सी पी) और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजाति उप योजना (टी एस पी) की विशेष कार्यनीतियां चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य उनकी पंचवर्षीय और वार्षिक योजना में धनराशि नियत करके अन्य सभी विकास क्षेत्रों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में निधियों का प्रवाह सुनिश्चित करना है। 1999-2000 में एस सी पी और टी एस पी की विशेष कार्यनीतियां केन्द्र में क्रमशः केवल 13 और 18 मंत्रालयों / विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। (जिनके ब्योरों की प्रतीक्षा की जा रही है)। राज्य स्तर पर, एस सी पी के तहत 24 और 20 राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र उसी वर्ष के दौरान 10278.30 करोड़ रुपए (13.4 प्रतिशत) और टी एस पी के तहत 5932.43 करोड़ रुपए (8.4 प्रतिशत) नियत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अनु. जातियों/ अनु. जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करने के लिए उनके एस सी पी तथा टी एस पी में क्रांतिक अंतरों को पूरा करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एस सी ए) दी जाती है और यह सहायता विशेष रूप से गरीबी रेखा के नीचे के अनु. जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के परिवारों में आमदनी जुटाने और स्व-रोजगार की विभिन्न परियोजनाएं शुरू करने के लिए निधियां/ सहायता प्रदान करके दी जाती है। एस सी पी के लिए एस सी ए के तहत राशि 1999-2000 के 437 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 2000-2001 में 470 करोड़ रुपए कर दी गई है,

जबकि टी एस पी को विशेष केन्द्रीय सहायता 1998-99 के में 380 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 1999-2000 और 2000-2001 में 400 करोड़ रुपए कर दी गई है। नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा टी एस पी और एस सी पी के तहत निधियों का आबंटन संलग्नक 5.6.2.3 और 5.6.2.4 में दर्शाया गया है।

52. मध्यावधि मूल्यांकन के भाग के रूप में, योजना आयोग ने इन विशेष कार्यनीतियों की समीक्षा की और यह पाया गया कि ये एक आम प्रक्रिया बन कर रह गई हैं और इनमें सुधार करने के लिए कदम उठाने की तुरन्त आवश्यकता है। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, सितम्बर 1999 में योजना आयोग में एक स्थायी त्रिपक्षीय समिति स्थापित की गई जिसके विचारार्थ विषय इस प्रकार थे: (1) एस सी पी और टी एस पी से संबंधित दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित न करने के कारणों का पता लगाना और उनके अनुपालन के लिए विशेष उपाय सुझाना; (2) ऐसी विशिष्ट स्कीमों का पता लगाना जिनसे विभिन्न विकास क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनु. जन जातियों को लाभ पहुंचेगा, उनकी प्राथमिकताओं और उनके लिए निधियों के आबंटन की सिफारिश करना; (3) कार्यान्वय प्रक्रिया की समीक्षा करना, प्रभावों का मूल्यांकन और एस सी पी तथा टी एस पी को मानीटर करना और एस सी पी तथा टी एस पी को दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता और अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान के उपयोग को मानीटर करना तथा योजना आयोग को ऐसे उपाय सुझाना, जिनसे इन समुदायों के हितों की और अधिक कारगर ढंग से पूर्ति हो सके; (4) विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के लिए यथावश्यक दिशा-निर्देशों के अनुरूप विशेष/ अतिरिक्त स्कीमों के सुझाव देना और एस सी पी तथा टी एस पी के तहत निधियों के आबंटन/ नियतन के लिए सिफारिश करना जिन्हें प्रत्येक वर्ष उनकी वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए ध्यान में रखा जाएगा; और (5) अन्य बातों के साथ-साथ संविधान के 73 वें तथा 74 वें संशोधनों और उनसे निकलने वाले विधायी उपयों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एस सी पी और टी एस पी के तहत स्कीमे तैयार और कार्यान्वित करने में लाभग्राही समूहों की सहभागिता के लिए संस्थागत और पक्ष-समर्थन व्यवस्थाओं का सुझाव देना।

53. इस प्रकार स्थापित की गई केन्द्रीय त्रिपक्षीय समिति अब तक 14 केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों की एस सी पी और टी एस पी के निरूपण और कार्यान्वयन की समीक्षा कर पाई है और ये मंत्रालय/ विभाग हैं: कृषि और सहकारिता, पर्यावरण और वन, शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन, ग्रामीण विकास, भारतीय औषध और होम्योपैथी पद्धति, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जल संसाधनए लोक उद्यम, पशुपालन और डेरी उद्योग, चीनी और खाद्य तेल, पेय जल आपूर्ति, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, खाद्य संसाधन तथा विद्युत। इस समिति ने कुछ सिफारिशों की हैं जिनके आधार पर संबंधित मंत्रालयों/ विभागों से अपने एस सी पी तथा टी एस पी में संशोधन करने और उन्हें योजना आयोग को प्रस्तुत करने की उम्मीद की जाती है। अभी इनकी प्रतीक्षा की जा रही है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एस सी पी तथा टी एस पी के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए इसी प्रकार की स्थायी समितियां स्थापित करने की सलाह दी गई थी और इस पर केन्द्र में स्थायी विपक्षीय समिति को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था क्योंकि सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, केन्द्रीय समिति के सदस्य हैं। सूचित किया गया है कि अभी तक 6 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य स्तर की स्थायी त्रिपक्षीय समितियां स्थापित की हैं जिनके नाम हैं – आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल। एस सी पी, टी एस पी, और टी एस पी को विशेष केन्द्रीय सहायता की ये कार्यनीतियां पूरी नौवीं योजना में मुख्य साधन बनी रहेंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्य विकास क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनु. जन जातियों की उपेक्षा नहीं की जाती।

अन्य पिछड़े वर्ग (ओ बी सी)

54. राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग वित्त और विकास निगम (एन बी सी एफ डी सी) 1992 में स्थापित किया गया था। यह निगम कृषि और इसके सम्बद्ध क्रियाकलापों के क्षेत्रों में मजदूरी और स्व-रोजगार उद्यमों, दोनों के माध्यम से कई प्रकार के आमदनी जुटाने वाले क्रियाकलापों में ओ बी सी की मदद करता है और ये क्रियाकलाप हैं: डेरी उद्योग, मछली पालन, पशु पालन, पारंपरिक तथा अन्य कारीगरी व्यवसाय, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, परिवहन सेवाएं, छोटा व्यापार, छोटी-मोटी दुकानें आदि। एन बी सी एफ डी सी इस समय 700 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी के साथ कार्य कर रहा है और इसने 771.07 करोड़ रुपए राशि के ऋण संवितरित किए थे जिनसे 4, 26,326 लाभग्राहियों को लाभ पहुंचा था। मंजूर किए गए इन ऋणों में से 392.82 करोड़ रुपए 3,00,151 लाभग्राहियों को संवितरित किए गए थे। वार्षिक योजना 1999-2000 में उपलब्ध किए गए 100 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में, 2000-2001 के दौरान निगम को 76.50 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

अल्पसंख्यक

55. अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों के भाग के तौर पर, 500 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी के साथ 1994 में स्थापित किए गए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एन एम डी एफ सी) ने रोजगार तथा आमदनी जुटाने वाले उद्यमों के लिए पात्र लाभग्राहियों को रियायती दरन पर धन प्रदान करना जारी रखा है, जिसमें महिलाओं सहित ऐसे लोगों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है जो गरीबी-रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 186.69 करोड़ रुपए की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी में से, भारत सरकार का अंशदान 157 करोड़ रुपए है जबकि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने कुल 130 करोड़ रुपए के हिस्से की तुलना में 29.69 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। 1999-2000 के दौरान, निगम ने 44,381 लाभग्राहियों को लाभान्वित करते हुए 164 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं।

56. अल्पसंख्यकों की सहभागिता से 41 जिलों के लिए बहु-क्षेत्रक विकास योजनाओं वाली स्कीम के तहत आवश्यकता निर्धारण संबंधी सर्वेक्षण करने और कर्ज विपणन, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाने और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए किफायती सक्षम परियोजनाएं तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अभी तक कुल 1.29 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की जा चुकी है। अल्पसंख्यकों की बहुतायत वाले 29 जिलों के बारे में इस प्रकार प्राप्त की गई रिपोर्टों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम द्वारा पहले ही प्रोसेस किया जा चुका है, ताकि इन्हें सक्षम परियोजनाओं का रूप दिया जा सके।

सामाजिक न्याय

57. सामाजिक दृष्टि से असुविधाग्रस्त लोगों के कल्याण और विकास के लिए मौजूदा राष्ट्रीय तंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक पूर्ण जनजाति कार्य मंत्रालय की स्थापना करने की बड़ी पहल, इन असुविधाग्रस्त समूहों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत देती है। इसके अतिरिक्त, सिविल अधिकार संरक्षण (पी सी आर) अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति/ अनु. जन जाति (अत्याचारों का निवारण) अधिनियम, 1989 नामक दो विशेष विधानों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और इस प्रकार इन समूहों की महिलाओं और लड़कियों के यौन शोषण सहित, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के साथ सामाजिक भेदभाव, शोषण, अस्पृश्यता और हिंसा/ अत्याचार की बढ़ती हुई समस्याओं की रोकथाम करने के लिए, पहले से किए जा रहे विशेष

प्रयास जारी रहेंगे। अधिदेश के अनुसार अब तक सात राज्यों में 98 विशेष न्यायालय/चलते-फिरते न्यायालय स्थापित किए जा चुके हैं। सिविल अधिकार संरक्षण (पी सी आर) अधिनियम, 1955 तथा अनु. जाति/ अनु. ज. जाति (अत्याचारों का निवारण) अधिनियम, 1989 नामक स्कीम के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को 50:50 के आधार पर (संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत) केंद्रीय सहायता भी दी जाती है।

58. उपर्युक्त कानूनी सुरक्षा के अतिरिक्त, लगातार सतर्कता के जरिए तथा और प्रवर्तन तंत्र सहित केन्द्र और राज्यों दोनों के तंत्रों के साथ निकट समन्वय द्वारा अलग-अलग शिकायतों की जांच करके अनुसूचित जातियों, अनु. जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्प संख्यकों तथा सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा/ रक्षा करने के लिए चार राष्ट्रीय आयोग भी हैं।

गैर सरकारी संगठनों के प्रयास

59. उपर्युक्त सरकारी हस्तक्षेपों के अलावा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली कई प्रकार की परियोजनाएं सरकार से मिलने वाली सहायता-अनुदान की राशि/ वित्तीय सहायता से गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें आश्रम/ रिहायशी विद्यालय, छात्रावास, चलते-फिरते चिकित्सा यूनिट, बालवाड़ी/ क्रेच, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र रोजगार व आमदनी जुटाने वाले क्रियाकलाप आदि शामिल हैं। सहायता अनुदान आम तौर पर परियोजनाओं की कुल अनुमोदित लागत के 90 प्रतिशत तक सीमित होता है जबकि शेष 10 प्रतिशत राशि स्वैच्छिक संगठनों को वहन करनी होती है। वर्ष 1999-2000 के लिए समूचे देश में सामाजिक दृष्टि से असुविधाग्रस्त समूहों के कल्याण और विकास के लिए कार्यरत 515 गैर-सरकारी संगठनों को 60 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी। 2000-2001 की वर्तमान योजना में स्वैच्छिक क्षेत्रक को सहायता देने के लिए 33.5 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध की गई है।

संलग्नक 5.6.3

योजना परिव्यय और व्यय-पिछड़ा वर्ग क्षेत्रक

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	क्षेत्रक/ कार्यक्रम	वार्षिक योजनाएं			
		(1998-99) वास्तविक	(1999-2000) परिव्यय	(2000-01) सं. अनु.	(2000-01) ब. अ.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अ.	अनुसूचित जाति विकास				
क.	केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमें (सी एस)				
1	अम्बेडकर फाउंडेशन	13.00	0.00	0.00	1.00
2	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/ जनजाति वित्त और विकास निगम (एन एस एफ डी सी) •	81.00	30.00	30.00	35.00
3	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम	10.00	20.00	20.00	22.00
4	अनुसूचित जातियों के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण	0.45	1.00	0.45	0.50
5	अनुसूचित जातियों के गैर सरकारी संगठनों को सहायता - अनुदान	18.01	30.00	30.00	30.00
6	बहुत कम साक्षरता स्तरों वाली अनुसूचित जातियों से संबंधित लड़कियों के लिए विशेष शिक्षा विकास कार्यक्रम	0.65	5.00	0.70	2.00
	जोड़ क	123.11	86.00	81.15	90.50
ख.	केंद्र प्रायोजित स्कीमें (सी एस एस)				
7	अनुसूचित जाति/ जनजाति विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति •	99.94	135.00	135.00	135.00
8	अस्वच्छ पेशे से जुड़े व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां	4.40	7.50	7.56	10.00
9	अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावास	19.09	20.00	20.50	22.00
10	अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए बुक बैंक स्कीम •	1.26	2.50	2.50	3.00
11	अनुसूचित जाति विकास निगम (एस सी डी सी) •	60.00	20.00	20.00	25.00
12	झाड़ूकशों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय स्कीम	5.90	70.00	70.00	75.00
13	अनुसूचित जाति/ जनजाति विद्यार्थियों के लिए कोचिंग और संबद्ध स्कीम	2.93	4.00	4.00	3.00
14	अनुसूचित जाति/ जनजाति विद्यार्थियों की योग्यता का उन्नयन •	1.00	1.50	1.50	1.00
15	पी सी आर अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन •	15.34	25.00	25.00	30.00
	जोड़ ख	209.86	285.50	286.06	304.00
ग.	विशेष संघटक योजना (एस सी पी) के लिए एस सी ए	360.83	437.00	437.00	470.00
	कुल जोड़ (क + ख + ग)	693.80	808.50	804.21	864.50

- वार्षिक योजना 1999-2000 तक अनुसूचित जातियों/ जनजातियों के लिए परिव्यय समान थे।
- जैसा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा जनजातीय मामलों से संबंधित मंत्रालयों के बजटों में उद्दिष्ट हैं।

संलग्नक 5.6.3 (जारी)

योजना परिव्यय और व्यय पिछड़ा वर्ग क्षेत्रक

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	क्षेत्रक/ कार्यक्रम	वार्षिक योजनाएं			
		(1998-99)	(1999-2000)	(2000-	
		वास्तविक	परिव्यय	सं. अनु.	01) ब. अ.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ब.	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण (ओ बी सीज)				
क.	केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम				
1	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग	0.20	2.50	2.50	3.00
2	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन बी सी एफ डी सी)	91.50	100.00	100.00	76.50
3	पिछड़ा आयोग ब्यूरो का सुदृढीकरण	0.00	0.20	0.00	0.01
4	पी एच डी और उच्चतर स्तरों के लिए उच्चतर छात्रवृत्तियों सहित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	4.65	5.50	5.50	9.00
5	अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां	1.50	8.00	5.00	6.00
6	अन्य पिछड़े वर्गों के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावास	1.31	3.00	3.00	5.00
7	अन्य पिछड़े वर्गों के लड़के और लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल	0.00	4.00	0.00	0.01
8	खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों के लिए चल स्कूल और आश्रय आदि	0.00	0.30	0.00	0.00
	जोड़ ब	7.46	20.80	13.50	20.01
स.					
1	आर्थिक मानदण्ड पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग	2.24	2.50	2.50	3.00
2	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के लिए सहायता-अनुदान	3.75	5.00	3.30	3.15
3	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम (एन एम)	32.00	20.00	20.00	25.00
4	अल्पसंख्यक संकेन्द्रित जिलों के लिए बहु क्षेत्रकीय योजना की तैयारी	0.23	2.50	1.50	1.50
	जोड़ - स	38.22	30.00	27.30	32.65
	कुल जोड़ (अ + ब + स)	831.82	965.00	950.02	1000.18
द	जनजातीय विकास				
क.	केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमें (सी एस)				
1	अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान	11.31	30.00	28.00	30.00
2	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र	4.72	9.75	9.75	12.00
3	निम्न साक्षरता वाले इलाकों में शैक्षणिक कॉम्प्लेक्स	3.60	9.00	9.00	6.00
4	टी आर आई एफ ई डी में निवेश	6.00	0.25	0.25	1.00
5	टी आर आई एफ ई डी को मूल्य-सहायता	4.00	5.00	5.00	4.00
6	एम एफ पी के लिए एस टी डी सीज को सहायता-अनुदान	6.87	15.00	15.00	15.00

संलग्नक 5.6.3 (जारी)

योजना परिव्यय और व्यय पिछड़ा वर्ग क्षेत्रक

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	क्षेत्रक/ कार्यक्रम	वार्षिक योजनाएं			
		(1998-99)	(1999-2000)		(2000-
		वास्तविक	परिव्यय	सं. अनु.	01) ब. अ.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	ग्राम अन्न बैंक	3.00	4.00	1.00	2.00
8	आदिम जनजातीय समूहों (पी टी जीस) का विकास	4.94	10.00	10.00	12.00
9	राष्ट्रीय अनु. जनजाति वित्त और विकास निगम	•	•	•	2.00
	जोड़ क	44.44	83.00	78.00	84.00
	ख. केंद्र प्रायोजित स्कीमें (सी एस एस)				
11	अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	•	•	•	70.00
12	अनुसूचित जनजातियों के लिए बालिका छात्रावास	7.09	12.00	12.00	13.00
13	अनुसूचित जनजातियों के लिए बाल छात्रावास	7.70	12.00	12.00	12.00
14	टी एस पी क्षेत्रों में आश्रम स्कूल	9.39	15.00	15.00	15.00
15	कोचिंग और सम्बद्ध स्कीमें	•	•	•	1.50
16	अनुसूचित जनजातियों के लिए बुक बैंक स्कीम	•	•	•	1.00
17	अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की योग्यता का उन्नयन	•	•	•	0.50
18	अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण	3.92	8.00	4.50	8.00
19	अनुसूचित जनजाति विकास वित्त निगम	•	•	•	5.00
	जोड़ ख.	28.10	47.00	43.50	126.00
	कुल जोड़ (क + ख)	72.54	130.00	121.50	210.00
ग.	टी एस पी के लिए विशेष केंद्रीय सहायता	380.00	400.00	400.00	400.00
घ.	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान	75.00	100.00	100.00	200.00
	कुल द (क + ख + ग + घ)	527.54	630.00	621.50	810.00
	कुल बी सी क्षेत्रक (अ + ब + स + द)	1359.36	1595	1571.52	1810.18

संलग्नक 5.6.4

राज्यवार योजना परिव्यय और व्यय – पिछड़ा वर्ग क्षेत्रक

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना			
		(1997-98)	(1998-99)	(1999-2000)	
		वास्तविक	परिव्यय	परिव्यय	सं. अ.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क.	राज्य				
1	आंध्र प्रदेश	117.71	211.12	362.44	362.42
2	असम	12.27	47.36	47.46	29.02
3	बिहार	27.8	28.04	83.46	5.05
4	गोआ	0.71	0.30	0.35	0.65
5	गुजरात	140.79	210.21	310.65	310.65
6	हरियाणा	10.03	9.31	7.70	7.00
7	हिमाचल प्रदेश	4.93	0.05	6.60	6.76
8	जम्मू और कश्मीर	3.53	4.71	5.44	5.44
9	कर्नाटक	208.97	231.00	185.59	236.76
10	केरल	33.03	126.95	114.14	104.14
11	मध्य प्रदेश	178.99	157.69	153.30	145.39
12	महाराष्ट्र	117.65	284.72	287.93	306.01
13	मणिपुर	3.09	11.79	10.50	10.50
14	मेघालय	0.07	0.07	0.10	0.12
15	उड़ीसा	48.56	119.43	113.80	129.84
16	पंजाब	27.99	112.00	112.06	55.36
17	राजस्थान	19.24	67.67	81.76	0.50
18	सिक्किम	0.98	3.27	1.37	1.37
19	तमिल नाडु	169.02	160.35	212.32	212.32
20	त्रिपुरा	15.15	17.77	12.91	22.05
21	उत्तर प्रदेश	224.55	217.67	248.77	152.00
22	प. बंगाल	22.1	53.63	65.75	45.00
	जोड़ क.	1387.16	2075.11	2424.40	2148.35
ख.	संघ शासित राज्य				
23	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.19	0.37	0.50	0.50
24	चंडीगढ़	1.08	0.99	0.97	0.78
25	दादरा और नगर हवेली	0.01	0.01	0.01	0.01
26	दमन और दीव	0.33	0.23	0.18	0.18
27	दिल्ली	14.94	19.02	19.02	17.13
28	पांडिचेरी	4.27	5.83	7.05	7.85
	जोड़ ख	20.82	26.45	27.73	26.45
	कुल जोड़ (क + ख)	1407.98	2101.56	2452.13	2174.80

स्रोत : एस पी प्रभाग, योजना आयोग।

संलग्नक 5.6.5

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विशेष घटक योजना के अंतर्गत निधियों का विनिर्धारण

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जनसंख्या का प्रतिशत	(1997 - 98)			(1998 - 99)			(1999 - 2000)			कुल (1997 - 2000)		
			कुल परिव्यय	एस सी पी को प्रवाह	एस सी पी का प्रतिशत परिव्यय	कुल परिव्यय	एस सी पी को प्रवाह	एस सी पी का प्रतिशत परिव्यय	कुल परिव्यय	एस सी पी को प्रवाह	एस सी पी का प्रतिशत परिव्यय	कुल परिव्यय	एस सी पी को प्रवाह	एस सी पी का प्रतिशत परिव्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	आंध्र प्रदेश	15.93	3585.1	339.7	9.5	4687.9	573.5	12.2	5553	575.3	10.4	13826	1488.43	10.77
2	असम	7.4	1193	88.6	7.4	1203	0	0	1306.2	84.8	6.5	3702.2	173.45	4.69
3	बिहार	14.55	2200	354.8	16.1	3768	628	16.7	3630	594.4	16.4	9598	1577.12	16.43
4	गोआ	2.08	230	2.2	1	171.3	1.8	1.1	188.6	2.7	1.4	589.9	6.68	1.13
5	गुजरात	7.41	4500	171.5	3.8	5450	199.6	3.7	6550	260.8	4	16500	631.89	3.83
6	हरियाणा	19.75	1576	202.7	12.9	2260	365.4	16.2	2300	407.5	17.7	6136.04	975.49	15.9
7	हिमाचल प्रदेश	25.34	1008	121.1	12	1425	172.8	12.1	1600	190.1	11.9	4033	484.01	12
8	जम्मू और कश्मीर	अनुपलब्ध	1550	155.4	10	1900	0	0	72.1	13	18	3522.06	168.37	4.78
9	कर्नाटक	16.38	4545	385.1	8.5	5353	400.5	7.5	5888	422.8	7.5	15786	1228.37	7.78
10	केरल	9.92	2855	310.2	10.9	3100	304	9.8	3250	301.5	9.3	9205	915.7	9.95
11	मध्य प्रदेश	14.55	3656	307.3	8.4	3005.4	315.8	10.5	3315.8	390.2	11.8	9977.23	1013.32	10.16
12	महाराष्ट्र	11.09	8325	600	7.2	11600.7	608	5.2	6641.8	640	9.6	26567.6	1848	6.96
13	मणिपुर	2.08	410	4.1	1	425	0.2	0.1	475	7	1.5	1310	11.39	0.87
14	उड़ीसा	16.2	2810	282	10	3084.4	322.2	10.4	3309.2	347.8	10.5	9203.6	951.97	10.34
15	पंजाब	28.31	2100	210	10	2500	220	8.8	2680	242	9	7280.01	672	9.23
16	राजस्थान	17.29	3500	660	18.9	4100	688.7	16.8	5022.2	797.4	15.9	12622.2	2146.16	17
17	सिक्किम	5.93	200	4.2	2.1	193.6	0.1	0	137	0.5	0.4	530.6	4.8	0.9
18	तमिल नाडु	19.18	4052.6	752.2	18.6	4500.5	825.5	16.3	5251.1	997.4	19	13804.2	2575.17	18.65
19	त्रिपुरा	16.36	437	40.6	9.3	440	40.9	9.3	490	49.5	10.1	1367	130.94	9.58
20	उत्तर प्रदेश	21.05	7080	1484	21	10261	2159.8	21	11400	2394	21	28741	6037.81	21.01
21	प. बंगाल	23.62	3922.9	300.4	7.7	4594.9	235.3	5.1	5753.3	1414.1	24.6	14271	1949.82	13.66
22	चंडीगढ़	16.51	116.9	10.2	8.7	0	12.9	0	151.4	14.2	9.4	268.26	37.27	13.89
23	दिल्ली	19.05	2325	205	8.8	0	0	0	3000	245.3	8.2	5325	450.31	8.46
24	पांडिचेरी	16.25	218	35.5	16.3	241	0.3	0.1	312	0.4	0.1	771	36.24	4.7
	जोड़	16.48	62395.5	7026.8	11.3	74264.7	8075.3	10.9	78276.7	10392.7	13.3	214937	25514.7	11.87

स्रोत : 6.4.2000 की स्थिति के अनुसार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

संलग्नक 5.6.6

नौवीं पंच वर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा टी एस पी के अंतर्गत निधियों का विनिर्धारण

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत	(1997 - 98)			(1998 - 99)			(1999 - 2000)			कुल (1997 - 2000)		
			राज्य योजना परिव्यय	टी सी पी को प्रवाह	प्रतिशत	राज्य योजना परिव्यय	टी एस पी को प्रवाह	प्रतिशत	राज्य योजना परिव्यय	टी एस पी को प्रवाह	प्रतिशत	राज्य योजना परिव्यय	टी एस पी को प्रवाह	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	आंध्र प्रदेश	6.3	3533.00	191.93	5.4	4678.94	158.09	3.4	5479.50	152.59	2.8	13691.44	502.61	3.7
2	असम	12.8	1192.97	132.65	11.1	1128.70	108.66	9.6	1306.23	126.35	9.7	3627.90	367.66	10.1
3	बिहार	7.7	1796.00	483.00	26.9	2348.42	726.76	30.9	3630.00	1044.53	28.8	7774.42	2254.29	29.0
4	गुजरात	14.9	4500.00	489.06	10.9	5450.00	666.72	12.2	6550.00	853.08	13.0	16500.00	2008.86	12.2
5	हिमाचल प्रदेश	4.2	1008.00	90.72	9.0	1440.00	122.67	8.5	1600.00	135.00	8.4	4048.00	348.39	8.6
6	जम्मू और कश्मीर	अनुपलब्ध	1550.00	231.12	14.9	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	—	522.26	56.94	10.9	2072.26	288.06	13.9
7	कर्नाटक	4.3	4545.01	84.98	1.9	5353.00	76.18	1.4	5887.99	88.25	1.5	15786.00	249.41	1.6
8	केरल	1.1	2855.00	19.42	0.7	3100.00	61.17	2.0	3250.00	60.11	1.9	9205.00	140.70	1.5
9	मध्य प्रदेश	23.3	3657.22	622.21	17.0	3700.00	634.32	17.1	4000.05	847.27	21.2	11357.27	2103.80	18.5
10	महाराष्ट्र	9.3	5836.20	550.00	9.4	11600.73	561.00	4.8	6641.82	580.59	8.7	24078.75	1691.59	7.0
11	मणिपुर	34.4	410.00	160.77	39.2	425.00	171.49	40.4	425.00	171.49	40.4	410.00	160.77	39.2
12	उड़ीसा	22.2	2683.95	576.62	21.5	2071.23	643.85	31.1	2488.88	627.88	25.2	7244.06	1848.35	25.5
13	राजस्थान	12.4	3504.13	390.17	11.1	3800.00	384.55	10.1	5022.27	427.31	8.5	12326.40	1202.03	9.8
14	सिक्किम	22.4	51.57	11.56	22.4	193.60	17.24	8.9	90.81	25.01	27.5	335.98	53.81	16.0
15	तमिल नाडु	1.0	4000.00	42.45	1.1	4500.00	46.24	1.0	5251.12	58.49	1.1	13751.12	147.18	1.1
16	त्रिपुरा	30.9	437.00	125.94	28.8	440.00	120.51	27.4	475.00	145.64	30.7	1352.00	392.09	29.0
17	उत्तर प्रदेश	0.2	7080.00	32.00	0.5	10260.96	49.10	0.5	11400.00	42.45	0.4	28740.96	123.55	0.4
18	प. बंगाल	5.6	3922.34	102.79	2.6	4594.85	79.92	1.7	5787.25	424.24	7.3	14304.44	606.95	4.2
19	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9.5	255.00	25.52	10.1	320.00	41.22	12.9	400.00	62.50	15.6	975.00	129.24	13.3
20	दमन और दीव	11.5	59.57	2.73	4.6	33.39	1.40	4.2	34.06	2.71	8.0	127.02	6.84	5.4
	जोड़	8.1	52876.96	4365.64	8.3	65438.82	4671.09	7.1	70242.24	5932.43	8.4	187708.02	14626.18	7.8

स्रोत : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और जनजातीय मामलों से संबंधित मंत्रालय।

5.6.3 समाज कल्याण

60. अशक्त लोगों को सबल बनाने, सामाजिक रूप से भटके लोगों का सुधार करने और अन्य असुविधाग्रस्त लोगों की देखभाल करने की तिहरी कार्यनीति नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान (1997–2000) विभिन्न समाज कल्याण सेवाओं की एक बड़ी शक्ति रही है और यही कार्यनीति 2000–2001 के लिए जारी रहेगी।

वार्षिक योजना 1999–2000 की समीक्षा और वार्षिक योजना 2000–01

61. वार्षिक योजना 1999–2000 में समाज कल्याण क्षेत्रक के लिए कुल 993.65 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध किया गया था, जिसमें 253 करोड़ रुपए केन्द्रीय सेक्टर तथा 740.65 करोड़ रुपए राज्य सेक्टर के लिए शामिल हैं। इसकी तुलना में इस वर्ष के लिए संशोधित अनुमान केन्द्रीय सेक्टर के लिए 214.68 करोड़ रुपए तथा राज्य क्षेत्रक के लिए 797.72 करोड़ रुपए का है और यह कुल मिला कर 1012.40 करोड़ रुपए बनता है।

62. इसी प्रकार, वार्षिक योजना 2000–2001 में केन्द्र में समाज कल्याण क्षेत्रक के लिए 300.68 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय नियत किया गया है। इसमें, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन अशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए और सामाजिक रक्षा के लिए 292.68 करोड़ रुपए, 7.0 करोड़ रुपए गृह मंत्रालय के अधीन जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण की स्कीम के लिए और राजस्व विभाग के अधीन 1988 के स्वापक नशीली दवाओं और मनोविकारक पदार्थों के अवैध व्यापार के निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियत किए गए 1000 करोड़ रुपए शामिल हैं। इस प्रकार नौवीं योजना के 1248.95 करोड़ के कुल परिव्यय (केन्द्रीय सेक्टर) में से 773.34 करोड़ रुपए प्रथम चार वर्षों में खर्च हो जाने की संभावना है और जिससे नौवीं योजना की शेष अवधि के लिए 475.61 करोड़ रुपए बचेंगे। परिव्ययों (1998–2001) के राज्यवार ब्योरे तो नीचे सारणी 5.6.3.1 में दिए गए हैं जबकि केन्द्र के स्कीमवार ब्योरे और राज्यवार ब्योरे (1998–2001) क्रमशः संलग्नक 5.6.3.1 और 5.6.3.2 में दिए गए हैं।

सारणी 5.6.3.1

योजनागत परिव्यय और किया गया व्यय – 1998–99 से 2000–2001 के दौरान समाज कल्याण

मंत्रालय/ विभाग	वार्षिक योजना 1998–99	वार्षिक योजना 1999–2000		वार्षिक योजना 2000–2001
	वास्तविक	ब.अनु.	सं. अनु.	बजट अनु.
1 केन्द्र	162.93	253.00	214.68	300.68
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	153.55	245.00	207.50	292.68
गृह मंत्रालय	8.38	7.00	7.00	7.00
राजस्व विभाग	1.00	1.00	0.63	1.00
2 राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	621.72*	740.45	797.72	••
जोड़ 1 + 2	784.63	993.65	1012.40	

- संशोधित अनुमान,
- अंतिम रूप दिया जा रहा है।

निःशक्त लोगों को सबल बनाना

64. निःशक्त लोगों के लिए न्यायसंगत शर्तों पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और यथासंभव अधिकतम लोगों को सक्रिय, आत्मनिर्भर बनाने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उपयोगी योगदान करने के योग्य बनाने के लिए निःशक्त लोग (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन प्रभावी तरीके से जारी रहा। इसके परिणामस्वरूप, निःशक्त लोगों के प्रति नीतियों में बदलाव आया है जिनका दृष्टिकोण कल्याण और दान से बदल कर उन्हें अधिकारों की सुरक्षा, समान अवसरों और देश के विभिन्न विकास कार्यों में उनकी पूर्ण सहभागिता के जरिए सबल बनाना हो गया है। इस अधिनियम की वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए, केवल पहले से चल रही स्कीमों का विस्तार करने के प्रयत्न ही नहीं किए जा रहे अपितु नई आधारीक संरचनाएँ भी आरंभ की जा रही हैं जबकि चार सहायक केन्द्र खोल कर कृत्रिम अंगविनिर्माण कम्पनी (ए एल आई एम सी ओ) के प्रयासों को मजबूत बनाया गया। इसके अतिरिक्त दो नई स्कीमें, यथा क्षतिग्रस्त रीढ़ की हड्डी और हड्डियों की अन्य निःशक्ताओं के लिए छः क्षेत्रीय सम्मिश्र संसाधन केन्द्रों तथा चार पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना 1999-2000 में आरंभ की गई। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के विभिन्न उपबंधों और संस्थागत ढांचे में सुधार लाने तथा उन्हें अधिक मजबूत बनाने के लिए और मूल अधिनियम में विसंगतियाँ दूर करने के लिए तथा अधिनियम को और अधिक लचीला बनाने के लिए, पी डी अधिनियम के संशोधनों पर एक केबिनेट नोट पेश किया गया। प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करने के लिए मंत्रिमण्डल सचिवालय ने एक मंत्री समूह गठित किया है।

65. शारीरिक और मानसिक तौर पर निःशक्त व्यक्तियों को कल्याण सेवाओं का एक पूर्ण पैकेज उपलब्ध करने के लिए और निःशक्त लोगों की बहु-मुखी समस्याओं से निपटने के लिए, निःशक्तताओं के विभिन्न क्षेत्रों में दक्ष छः राष्ट्रीय संस्थानों ने सरकारी तथा गैर सरकारी, दोनों तरह के संबंधित संगठनों के सहयोग से अपने क्रियाकलापों का विस्तार जारी रखा। ये संस्थान, यथा (1) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडिकैप्ड, देहरादून; (2) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि आर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड, कलकत्ता; (3) अलीयावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि हेयरिंग हैंडिकैप्ड, मुम्बई; (4) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दि मेंटली हैंडिकैप्ड, सिकंदराबाद; (5) राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक, तथा (6) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजीकली हैंडिकैप्ड, नई दिल्ली, ग्रामीण क्षेत्रों में अशक्त लोगों की मांगों और जरूरतों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त दीर्घकालिक विकास और अल्कालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सेवा माडलों पर विशेष जोर देते हैं। इस दिशा में की गई एक बड़ी पहल सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों और सामुदायिक पुनर्वास सुविधाओं के माध्यम से गंदी बस्तियों, जनजातीय पट्टियों, पहाड़ों की तलहटियों, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बहु-व्यावसायिक पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करना था। मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों के विस्तारित बाजुओं के रूप में कार्य करने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में अशक्तता के सभी क्षेत्रों को कवर करने वाले छः क्षेत्रीय सम्मिश्र केन्द्र स्थापित करने के लिए एक परियोजना का 1999-2000 के दौरान अनुमोदन किया गया। ये केन्द्र कई प्रकार के कार्य करेंगे जिनमें मानव शक्ति विकास, अनुसंधान और औद्योगिकीय निविष्टियाँ एवं निःशक्त लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए आधुनिक पुनर्वास सेवाएं भी शामिल हैं। इन राष्ट्रीय संस्थानों को चलाने के लिए, 1999-2000 के दौरान कुल 16.91 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध किया गया था। 2000-2001 के लिए इन संस्थानों के वास्ते 16.00 करोड़ रुपए का परिव्यय नियत किया गया था।

66. 11 जिला पुनर्वास केन्द्रों ने (डी आर सी) ग्रामीण निःशक्त लोगों को व्यापक पुनर्वास सेवाओं का पैकेज प्रदान करना जारी रखा। पुनर्वास सेवाओं में शीघ्र निदान और रोकथाम, डाक्टरी इलाज और शल्य चिकित्सीय सुधार, कृत्रिम सहायक साधनों और साधित्रों को लगाना,

मनोविज्ञान उपचार, व्यावसायिक और वाक्-शक्ति चिकित्सा आदि शामिल हैं। इन केन्द्रों का वित्त-पोषण योजनेत्तर बजट से किया गया था।

67. भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (ए एल आई एम सी ओ) ने निःशक्त व्यक्तियों के लिए कृत्रिम अंगों तथा पुनर्वास साधनों का विनिर्माण जारी रखा। जैसा पहले बताया गया है, इसकी व्हील कुर्सियां और ट्राइ साइकिलों की विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए चार सहायक केन्द्रों की स्थापना करके ए एल आई एम सी ओ के प्रयासों का विस्तार किया जा रहा है। ए एल आई एम सी ओ सम्मिश्र प्लास्टिक की घुटने से नीचे की फ्लोर रिएक्शन आर्थोसिस किटों के 1000 सेट तैयार कर रहा है जो कि पोलियोग्रस्त लोगों के लिए हैं। ए एल आई एम सी ओ/ राष्ट्रीय संस्थानों/ डी आर सी तथा राज्य सरकारों के जिला प्रशासन की भागीदारी से 100 जिलों में सम्मिश्र फिटमेंट और पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। 1999-2000 के दौरान निगम के लिए परिव्यय 6.35 करोड़ रुपए का था। वर्ष 2000-2001 के लिए 6.75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।

68. अधिक से अधिक संख्या में निःशक्त लोगों को वैज्ञानिक तरीके से विनिर्माण साधनों और साधित्रों से लैस करने के लिए अशक्त लोगों के लिए साधन और साधित्र लगवाने की स्कीम का संदर्भाधीन वर्ष में विस्तार हुआ है। देश के विभिन्न भागों में स्थित 97 गैर सरकारी संस्थाओं को भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। निःशक्त लोगों के लिए उपयुक्त और अभिजन प्रौद्योगिकी वाले साधित्र विकसित करने के लिए, एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजना ने निःशक्त लोगों के लिए साधन और साधित्र विकसित करने के उद्देश्य से किफायती और आसानी से सम्भाली जा सकने वाली प्रौद्योगिकियां बनाने के लिए मिशन पद्धति पर अपने अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप जारी रखे। अनुसंधानकर्ताओं, इंजीनियरों, डाक्टरों, वैज्ञानिक विभागों और स्वायत्त निकायों आदि को भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इन विशेष प्रयासों के जरिए, 30 से अधिक साधन और साधित्र विकसित किए गए। और अधिक प्रभावी ढंग से प्रौद्योगिकी की जानकारी देने और प्रयोक्ताओं तक साधन तथा साधित्र पहुंचाने के लिए उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों की खोज के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साधन और साधित्र लगाने के लिए निःशक्त लोगों को सहायता देने की स्कीम के लिए वर्ष 1999-2000 में 30 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया था। 2000-2001 के लिए 28.70 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया था। 1999-2000 के दौरान मिशन पद्धति परियोजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कीम के लिए परिव्यय 1.00 करोड़ रुपए था और वर्ष 2000-2001 के लिए भी इतनी ही राशि का प्रावधान किया गया था।

69. रीढ़ की हड्डी में चोट वाले रोगियों में व्यापक उपचार पुनर्वास सेवाएं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इंडियन स्पाइनल इंजुरी सेंटर (आई एस आई सी), जिसे 1991 में स्थापित किया गया था, ने रीढ़ की हड्डी की खराबी से पीड़ित लोगों को अंतरंग और बाह्य विशेष सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे। रीढ़ की हड्डी में कई प्रकार की खराबियों और समस्याओं वाले बहुत बड़ी संख्या में (12322) रोगियों ने आई एस आई सी द्वारा दी गई निःशुल्क सेवाओं का लाभ उठाया। दीर्घकालिक विशेष पुनर्वास सेवाएं और जीवन-व्यवस्था उपलब्ध करने के लिए, एक नई पहल के तौर पर एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में (90:10) रीढ़ की हड्डी के मरीजों के लिए चार पुनर्वास केन्द्रों का अनुमोदन किया गया। ये केन्द्र राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाएंगे जबकि इंडियन स्पाइनल इंजुरी सेंटर और केन्द्र सरकार तकनीकी निविष्टियां प्रदान करेगी। 1999-2000 के 7.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में, संशोधित अनुमान 5.15 करोड़ रुपए का था। वर्ष 2000-2001 के लिए 2.25 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध की गई थी।

70. निःशक्त लोगों को प्रशिक्षण, कौशलों के उन्नयन, स्व-रोजगार उद्यमों आदि सहित कई प्रकार के क्रियाकलापों के लिए रियायती दरों पर उधार/ वित्तीय सहायता देने के रास्ते, राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम (एन एच एफ डी सी) ने शीर्षस्थ संस्था के रूप में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राधिकृत वितरक एजेंसियों के माध्यम से निधिया प्रदान करने के अपने क्रियाकलाप जारी रखे। अशक्त लोगों को लाभप्रद रोजगार दिलाने में मदद करने के लिए, सामान्य रोजगार कार्यालयों में 50 विशेष कक्ष और 29 विशेष रोजगार कार्यालय समूचे देश में कार्य करते हैं। केन्द्रीय सेवाओं में और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समूह क, ख, ग तथा घ के पदों में 3 प्रतिशत रिक्तियां अंधे, बहरे तथा शारीरिक दृष्टि से अशक्त व्यक्तियों (विकलांगों) के लिए आरक्षित रखने की नीति को कार्यान्वित करने के प्रयास जारी रखे गए। 1999-2000 के 20.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में एन एफ डी सी के लिए संशोधित व्यय 10.00 करोड़ रुपये था। वर्ष 2000-2001 के लिए 12.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। विकलांगों के रोजगार की स्कीम के लिए 1.45 करोड़ रुपये के परिव्यय (1999-2000) के विरुद्ध संशोधित व्यय 1.69 करोड़ रुपए था। वर्ष 2000-2001 के लिए, 1.60 करोड़ रुपए उपलब्ध किए गए थे।

71. 'अलब्ध लोगों तक पहुंचने' के नाम से निःशक्त लोगों के पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन पी आर पी डी) राज्य क्षेत्रक के एक कार्यक्रम के रूप में आरंभ किया गया जिसमें ग्राम स्तर से ही पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव था। इस स्कीम में, प्रशिक्षण और मानव विकास के अतिरिक्त पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय पुनर्वास केन्द्र तथा राज्य स्तरीय शीर्षस्थ संस्थान स्थापित करने के वास्ते राज्य सरकारों को सहायता देने का प्रस्ताव है। 1999-2000 के दौरान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 5.0 करोड़ रुपए की राशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए सी ए) के रूप में पहले ही दी जा चुकी है। 2000-2001 के दौरान, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को ए सी ए देने के लिए 43.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई।

72. भारतीय पुनर्वास परिषद (आर सी आई) ने केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर में 10,572 पुनर्वास व्यावसायिक/ कार्मिक दर्ज किए हैं और उन्हें प्रमाण पत्र भी जारी किए हैं। पुनर्वास व्यावसायिकों को प्रशिक्षण देने के लिए, आर सी आई ने 117 संस्थानों को मान्यता प्रदान की है। आर सी आई ने 12 अल्पकालिक और 14 दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी तैयार किए हैं। पूरे देश में निःशक्त लोगों के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षित मानव शक्ति प्रदान करने के लिए, आर सी आई ने 2 नई स्कीमें शुरू की हैं, यथा विशेष अध्यापकों और अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों के लिए सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिजकोर्स) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डाक्टरों का प्रशिक्षण। आर सी आई के लिए एक अलग भवन के निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है ताकि यह परिषद कारगर ढंग से कार्य कर सके। 1999-2000 के दौरान 15.50 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में आर सी आई का संशोधित व्यय 5.0 करोड़ रुपए था। वर्ष 2000-2001 के लिए 7.00 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध की गई थी।

73. जैसी कि परिकल्पना की गई थी, स्परायणता, प्रमस्तिष्कीय वात, मानसिक अवरोध और बहुमुखी अशक्तता से पीड़ित लोगों के कल्याणार्थ एक राष्ट्रीय ट्रस्ट स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य इन रोगों से पीड़ित लोगों का विकास और उनके तथा उन पर आश्रित परिवारों के हितों की रक्षा करना है। यह ट्रस्ट अन्य बातों के साथ-साथ उपर्युक्त श्रेणियों के व्यक्तियों के हितों की, उनके माता-पिता या अभिभावकों की मृत्यु के बाद भी रक्षा करेगा। नियमों/ अधिसूचनाओं, बोर्डों के गठन आदि को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, गैर-सरकारी संगठन निःशक्त व्यक्तियों के लिए सेवाएं प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने की स्कीम का कार्यान्वयन जारी रहा और निवारण, खोज, हस्तक्षेप, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार, परामर्श, मानवशक्ति विकास आदि के कार्यक्रमों का गैर-सरकारी

संगठनों के माध्यम से वित्तपोषण किया जा रहा है। 1999-2000 के दौरान 10.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में संशोधित व्यय 1.0 करोड़ रुपए था। 2000-2001 के दौरान, 44.0 करोड़ रुपए कार्पस निधि के रूप में उपलब्ध किए गए थे।

सामाजिक रूप से भटके लोगों का सुधार

74. अधिनियम को संशोधित करने और इसे बाल अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुरूप बनाने के लिए, इस विषय के आठ विशेषज्ञों को लेकर एक समिति गठित की गई है। यह समिति अधिनियम के तहत उपलब्ध की गई सेवाओं में गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से वर्तमान अधिनियम की जांच कर रही है। इसके अतिरिक्त, बाल अपराध न्याय अधिनियम की लगातार समीक्षा करने के लिए नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिवर्सिटी, बंगलौर में बाल अपराध न्याय संबंधी एक पीठ भी स्थापित की गई है।

75. बाल अपराध न्याय अधिनियम, 1986 के अधीन प्रस्तावित सेवाओं को पूर्ण कवरेज प्रदान करने के लिए बालकों के सामाजिक कुसमायोजनों के निवारण और नियंत्रण की स्कीम जारी रखी गई। बाल अपराध न्याय अधिनियम, 1986 को लागू करने के लिए उपेक्षित बच्चों और बाल अपराधियों के लिए प्रेक्षण गृह, बाल अपराधी गृह, विशेष और पश्च-देखभाल संस्थानों की स्थापना और अनुरक्षण की स्कीम के तहत राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की गई। वर्ष 1999-2000 के दौरान, इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 9.75 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान दिया गया। इस स्कीम के तहत अभी तक 290 प्रेक्षण गृह, 261 बाल गृह, 36 विशेष गृह तथा 46 पश्च-देखभाल संस्थान स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 189 बाल अपराध न्यायालय तथा 271 बाल कल्याण बोर्ड देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे हैं। 1999-2000 के दौरान, 10 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में संशोधित अनुमान 11 करोड़ रुपए था। वर्ष 2000-2001 के लिए 12.12 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई थी।

76. शराबखोरी और नशीली दवाओं के सेवन की समस्या से निपटने के लिए, शराबखोरी और नशीली दवाओं का सेवन रोकने की स्कीम के तहत परामर्श, नशे के लतियों की जांच करने, लत छुड़ाने, जागरूकता पैदा करने और पुनर्वास जैसी कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करने का काम जारी रखा गया। लगभग 432 गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान की गई जिनमें से 176 नशीली दवाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने, परामर्श देने, सहायता देने वाले केन्द्र थे और 256 उपचार व पुनर्वास केन्द्र थे। 1999-2000 के दौरान (सितम्बर, 1999 तक) इस कार्यान्वय के प्रभाव के परिणामस्वरूप, इन केन्द्रों में नशीली दवाओं के लती 1.46 लाख व्यक्ति रजिस्टर किए गए और 62,812 लोगों की लत छुड़ाई गई। इन सेवाओं का अधिक विस्तार करने के लिए ऐसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नशा मुक्ति शिविर लगाए गए जहां उपचार व पुनर्वास केंद्र मौजूद नहीं थे। नशीली दवाओं के सेवन तथा इससे सम्बद्ध समस्याओं की बढ़ती हुई दर को ध्यान में रखते हुए यह त्रिमुखी कार्यनीति अपनाई गई: (1) नशीली दवाओं का सेवन रोकने के कार्यक्रम क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को प्रशिक्षण देना और उनकी क्षमता बढ़ाना; (2) नशीली दवाओं का सेवन रोकने वाली स्कीम की परिधि में विस्तार करना; और (3) विशेष रूप से युवा पीढ़ी पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तर-पूर्वी राज्यों में जागरूकता पैदा करना। उत्तर-पूर्व में प्रशिक्षकों के लिए पांच प्रशिक्षण कार्यक्रम (ओ ओ टी) और सेवा प्रदायकों के लिए 15 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। नए केंद्र खोलने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए और प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ सेवा प्रदायकों का पता लगाने के लिए उत्तर-पूर्व में कार्यरत मौजूदा गैर सरकारी संगठनों के कामकाज की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की गई। 1999-

2000 के दौरान, 20 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में संशोधित अनुमान 19.0 करोड़ रुपये था। वर्ष 2000–2001 के लिए, 18.50 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई थी।

77. प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार करने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण कार्यक्रम (यू एन डी सी पी) और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) के सहयोग का सामुदायिक पुनर्वास और कार्य-स्थल पर नशाखोरी करने की रोकथाम संबंधी कार्यक्रम शामिल है। इस कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न भागों में 24 गैर-सरकारी संगठनों की पहचान की गई है और नशीली दवाओं के लतियों के पुनर्वास में कम से कम 4000 सेवा प्रदायकों को प्रशिक्षित करने का उद्देश्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त, देश में शराबखोरी और नशे की लत में हो रही वृद्धि की समस्या के समाधान में शामिल कार्यक्रमों तथा संस्थानों की क्षमता बढ़ाने और नशीली वस्तुओं की मांग में कमी लाने के लिए दो और परियोजनाएं आरंभ की गईं, यथा भारत में नशीली दवाओं की मांग में समुदाय- व्यापी कमी और भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में नशीली दवाओं की मांग में समुदाय- व्यापी कमी। समस्या के वास्तविक आकार के बारे में प्रामाणिक सूचना प्रदान करने और देश में शराबखोरी तथा नशीली दवाओं के सेवन की समस्या से निपटने के लिए, आवश्यकता पर आधारित उचित हस्तक्षेप सहज बनाने और मद्यपान तथा नशीली दवाओं के सेवन की मात्रा, प्रवृत्ति और पैटर्न का निर्धारण करने के लिए, यू एन डी सी पी के सहयोग से सबसे पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

78. सामाजिक रक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए, स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की स्कीम के तहत ऐसे कार्यक्रम आरंभ करने के लिए सहायता देना जारी रखा गया जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की मौजूदा स्कीमों के अंतर्गत नहीं आते। अभी तक 29 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई थी। इस स्कीम के तहत, यौन-कर्मियों के बच्चों के पुनर्वास के कई कार्यक्रमों के लिए सहायता की गई। विधवाओं के पुनर्वास की परियोजनाओं के लिए सहायता देने और सदमों के शिकार बच्चों और महिलाओं, विशेष रूप से शारीरिक हिंसा और यौन-शोषण के शिकार व्यक्तियों को परामर्श और सहायता देने के लिए भी नए कदम उठाए गए। उड़ीसा में आए भयंकर तूफान के शिकार लोगों को भी सहायता प्रदान की गई। 1999–2000 के दौरान, 2.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में संशोधित अनुमान 1.0 करोड़ रुपये का था। वर्ष 2000–2001 के लिए 1.0 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है।

79. राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान ने अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में और जेल प्रशासन, अपराधों की रोकथाम और दोषियों के उपचार तथा नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के क्षेत्र में केंद्रीय तथा राज्य दोनों की सरकारों को तकनीकी परामर्श देने के क्षेत्रों में अपने क्रियाकलाप जारी रखे। संस्थान के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया ताकि वृद्ध व्यक्तियों के सरोकारों को भी इसके अंतर्गत लाया जा सके। क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के सहयोग से नशा-मुक्ति परामर्श और पुनर्वास के बारे में त्रैमासिक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम और वृद्ध निःशक्त व्यक्तियों के लिए घर में देखभाल के लिए छमाही पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रलेखन जैसी तकनीकी निविष्टियां सुदृढ़ बनाने और उपलब्ध करने के लिए यू एन डी सी पी की सहायता से नशीली दवाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया गया। वर्ष 1999–2000 के दौरान परिव्यय और संशोधित अनुमान क्रमशः 2.0 करोड़ रुपये तथा 1.78 करोड़ रुपये थे। वर्ष 2000–01 का अनुमोदित परिव्यय 2.25 करोड़ रुपये का है।

अन्य असुविधाग्रस्त लोगों की देखभाल

80. बढ़ते हुए जीवन काल के कारण, देश में वृद्ध व्यक्तियों के अनुपात में वृद्धि होती जा रही है। इसी अनुपात में उनकी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। वृद्धों की भलाई का ध्यान रखने के लिए वृद्ध व्यक्तियों संबंधी एकीकृत कार्यक्रम के तहत स्वैच्छिक संगठनों को दिन में देखभाल करने वाले केंद्र, वृद्धों के लिए घर, चलती फिरती चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने/ जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती रही। गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान की स्कीम के तहत, गैर-सरकारी संगठनों को 44 नये वृद्धावस्था गृहों, दिन में देखभाल के 16 नए केंद्र और 17 नये चलते फिरते चिकित्सा यूनिट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस पहल के परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में 270 वृद्धावस्था गृह, दिन में देखभाल के 403 केंद्र, 57 चलते फिरते चिकित्सा यूनिट और वृद्ध व्यक्तियों के लिए गैर-संस्थागत सेवाएं प्रदान करने के लिए 3 परियोजनाएं काम कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था गृहों और बहुमुखी सेवा केंद्रों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। 1999-2000 के दौरान, 15 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में, व्यय 10 करोड़ रुपये था। वर्ष 2000-2001 के लिए 9.0 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध किया गया था।

81. बच्चों में विपन्नता दूर करने और गलियों में आवारागर्दी के जीवन से उनकी वापसी सहज बनाने के लिए, देश के विभिन्न शहरों में गलियों के बच्चों (स्ट्रीट चिल्ड्रन) के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम का कार्यान्वयन जारी रखा गया। इस स्कीम के तहत, कई प्रकार के हस्तक्षेपों (कार्यों) के लिए सहायता प्रदान की गई जिनमें ये शामिल थे: आवास, पोषाहार, स्वास्थ्य की देखभाल, सफाई तथा स्वास्थ्य परिचर्या, सुरक्षित पेयजल, शिक्षा, मनोरंजन संबंधी सुविधाएं और सुरक्षा। इस समय लगभग 36300 बच्चों को लाभ पहुँचाने वाली 134 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। बच्चों को आपातकालीन सहायता देने के लिए 1998-99 में मुम्बई में शुरू की गई 1098 नम्बर डायल करके 'चाइल्ड लाइन सेवा' नामक 24 घंटे की निःशुल्क फोन सेवा का विस्तार नौ अन्य शहरों, चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, हैदराबाद, नागपुर, जयपुर, भोपाल और पटना में किया गया। विभिन्न स्थानों पर कुशल सेवा प्रदान को मानीटर करने के लिए, एक छत्र संगठन के रूप में 'चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन' की स्थापना की गई। 1999-2000 के लिए परिव्यय 9.0 करोड़ रुपये था। वर्ष 2000-2001 के लिए 9.50 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया।

82. केंद्रीय दत्तक ग्रहण एजेंसी (सी ए आर ए) भारत में देश के भीतर और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण को विनियमित करने और गति प्रदान करने के लिए एक विस्तृत ढांचा उपलब्ध करती है। अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के लिए देश में 77 एजेंसियों को मान्यता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, भारतीय बच्चों का अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण प्रायोजित करने के लिए 25 से अधिक देशों में 293 विदेशी एजेंसियों के नाम सूची बद्ध किए गए। भारत में 20 एजेंसियों तथा विदेश में छः एजेंसियों को अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के लिए मान्यता प्रदान की गई। 1995-99 के दौरान कुल 13632 बच्चों को इन एजेंसियों के माध्यम से घर नसीब हुए। इनमें से देश में तथा अंतर-देशीय दत्तक ग्रहणों की संख्या क्रमशः 7681 और 5951 थी। देश में दत्तक ग्रहण की शिशु गृह स्कीम में संशोधन किया गया और 28 गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान दिए गए। 1999-2000 के दौरान सी ए आर ए के लिए परिव्यय 1.0 करोड़ रुपये था। वर्ष 2000-2001 के लिए 2.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। शिशु गृह स्कीम के लिए वर्ष 1999-2000 का परिव्यय 2.00 करोड़ रुपये था। वर्ष 2000-2001 के लिए 2.70 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध की गई थी।

संलग्नक 5.6.7

योजना परिव्यय और व्यय – समाज कल्याण (अपंगों का कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और बाल कल्याण) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वार्षिक योजना			
		(1998-99)	(1999-2000)	(2000-01)	
		वास्तविक	परिव्यय	सं. अ.	परिव्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क.	अपंगों का कल्याण				
	केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम				
1	दृष्टि विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, देहरादून	2.00	2.50	2.50	2.25
2	शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, कलकत्ता	0.00	2.50	2.50	2.25
3	श्रवण विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई	0.95	2.90	0.80	2.63
4	मानसिक रूप से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, सिकन्दराबाद	2.80	3.30	3.30	2.97
5	पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान का राष्ट्रीय संस्थान, कटक	2.41	3.71	3.71	3.60
6	शारीरिक रूप से विकलांगों का संस्थान, नई दिल्ली	0.60	1.50	1.50	1.35
7	बहुल विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, चेन्नई	0.00	0.50	0.50	1.00
8	कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर	3.00	6.35	6.35	6.75
9	सहायता सामग्री और उपकरणों की खरीद और/उनकी फिटिंग के लिए अपंग व्यक्तियों को सहायता की स्कीम	23.99	30.00	30.00	28.70
10	अपंगों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	23.30			
11	कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	1.97	62.29	62.29	55.00
12	मस्तिष्कीय पक्षाघात वाले व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	6.05			
13	विशेष स्कूल स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक संगठन को सहायता	4.52			
14	मिशन पद्धति में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजना	0.68	1.00	1.00	1.00
15	भारतीय मेरुदण्डीय आघात केंद्र	3.30	7.00	5.15	2.25
16	भारतीय पुनर्वास परिषद	3.00	15.50	5.00	7.00
17	आत्म विमोही, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मानसिक मंदबुद्धिता (सी एस) वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट	0.00	10.00	1.00	44.00
18	राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम	28.00	20.00	10.00	12.00
19	विविध स्कीम	0.76	0.50	1.98	0.51
20	अपंग व्यक्तियों के लिए आयुक्त का कार्यालय	0.12	0.50	0.50	1.00

अध्याय 5 : सामाजिक विकास

संलग्नक 5.6.7 (जारी)

योजना परिव्यय और व्यय – समाज कल्याण (अपंगों का कल्याण सामाजिक सुरक्षा और बाल कल्याण) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(करोड़ रुपये)

	केंद्र प्रायोजित स्कीम				
21	विकलांगों को रोजगार	0.18	1.45	1.69	1.60
	नई स्कीम				
22	अपंगों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम	0.00	5.00	5.00	43.00
23	अपंग व्यक्तियों के लिए स्कीमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न स्कीमों	0.00	3.50	3.50	11.75
	जोड़ क.	107.63	180.00	148.27	230.61
ख.	सामाजिक सुरक्षा और बाल कल्याण				
	केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम				
1	नशा खोरी का निषेध	15.15	20.00	19.00	18.50
2	केंद्रीय अंगीकरण (गोद लेना) संसाधन एजेंसी	0.07	1.00	1.00	2.00
3	आवारा बच्चों के कल्याण की स्कीम	5.16	9.00	9.00	9.50
4	देश में ही अंगीकरण (गोद लेने) को प्रोन्नत करने के लिए शिशुओं और छोटे बच्चों के गृह को सहायता	1.25	2.00	2.00	2.70
5	राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान	0.74	2.00	1.78	2.25
6	सामाजिक सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	0.52	2.00	1.00	1.00
7	वृद्ध व्यक्तियों के कार्यक्रम के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	7.75	15.00	10.00	9.00
8	अनुसंधान अध्ययनों और प्रकाशन के लिए सहायता अनुदान	0.34	0.50	0.50	0.50
9	सूचना और जन शिक्षा सैल	2.99	3.50	3.50	4.50
10	समाज कल्याण स्कूल को सहायता अनुदान				
	केंद्र प्रायोजित स्कीम				
11	किशोरों के सामाजिक कुसमंजन पर रोक और नियंत्रण की स्कीम	11.95	10.00	11.00	12.12
	जोड़ ख.	45.92	65.00	58.78	62.07
	कुल जोड़ (क + ख)	153.55	245.00	207.05	292.68

स्रोत : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।

अध्याय 5 : सामाजिक विकास

संलग्नक 5.6.8

योजना परिव्यय और व्यय – समाज कल्याण (महिला और बाल विकास, अपंगों का कल्याण और सामाजिक सुरक्षा) राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997 - 98		1998 - 99		1999 - 2000	
		परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	वास्तविक व्यय
क.	राज्य						
1	आंध्र प्रदेश	3000.00	3427.00	3900.00	3900.00	4172.00	4172.00
2	अरुणाचल प्रदेश	116.00	99.00	104.00	108.00	110.00	117.00
3	असम	264.00	220.00	264.00	230.00	304.00	304.00
4	बिहार	279.00	206.00	1500.00	100.00	1136.00	700.00
5	गोआ	245.00	247.00	190.00	272.00	282.00	319.00
6	गुजरात	934.00	330.00	1580.00	1969.00	4412.00	4412.00
7	हरियाणा	12852.00	1973.00	13852.00	12952.00	12250.00	18065.00
8	हिमाचल प्रदेश	762.00	938.00	2216.00	2250.00	2366.00	2372.00
9	जम्मू और कश्मीर	1020.00	1292.00	1472.00	1570.00	1624.00	1625.00
10	कर्नाटक	5067.00	3116.00	4676.00	4398.00	3719.00	3459.00
11	केरल	455.00	492.00	480.00	480.00	509.00	459.00
12	मध्य प्रदेश	3351.00	1676.00	1936.00	1956.00	2893.00	2589.00
13	महाराष्ट्र	1425.00	1440.00	3461.00	3461.00	1924.00	2204.00
14	मणिपुर	90.00	84.00	134.00	134.00	110.00	110.00
15	मेघालय	190.00	89.00	200.00	100.00	200.00	147.00
16	मिजोरम	340.00	267.00	330.00	210.00	457.00	463.00
17	नागालैंड	64.00	43.00	60.00	60.00	60.00	51.00
18	उड़ीसा	3454.00	1226.00	1418.00	1418.00	1314.00	1315.00
19	पंजाब	4679.00	5539.00	14280.00	11583.00	14853.00	21901.00
20	राजस्थान	1028.00	808.00	944.00	643.00	883.00	650.00
21	सिक्किम	61.00	83.00	65.00	65.00	137.00	137.00
22	तमिल नाडु	3457.00	2027.00	3335.00	2441.00	2884.00	2945.00
23	त्रिपुरा	207.00	208.00	158.00	229.00	219.00	327.00
24	उत्तर प्रदेश	8955.00	7258.00	9904.00	7629.00	10433.00	5372.00
25	प. बंगाल	2187.00	1514.00	2312.00	352.00	2249.00	900.00
	जोड़ क.	54482.00	34602.00	68771.00	58510.00	69500.00	75115.00
ख.	संघ शासित राज्य						
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	175.00	153.65	123.00	123.00	110.00	110.00
2	चंडीगढ़	100.00	50.81	45.93	46.00	70.00	77.00
3	दादरा और नगर हवेली	8.00	6.05	9.00	9.00	9.00	9.00
4	दमन और दीव	7.55	3.98	8.00	8.00	7.00	7.00
5	दिल्ली	1760.00	1757.04	2458.00	2433.00	3050.00	3193.00
6	लक्षद्वीप	33.00	37.49	34.50	34.00	27.92	28.00
7	पांडिचेरी	591.00	676.82	1077.00	1009.00	1291.00	1233.00
	जोड़ ख	2674.55	2685.84	3755.43	3662.00	4564.92	4657.00
	कूल जोड़ (क + ख)	57156.55	37287.84	72526.43	62172.00	74064.92	79772.00

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 1999-2000

- 1 : इसमें महिला और बाल विकास के लिए 2888 लाख रुपये और अपंगों के कल्याण और विकास के लिए 227 लाख रुपये शामिल हैं।
- 2 : इसमें महिला और बाल विकास के लिए 573.53 लाख रुपये और अपंगों के कल्याण और विकास के लिए 53.27 लाख रुपये, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लिए 33.31 लाख रुपये और अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए 14.71 लाख रुपये शामिल हैं।

5.7 श्रम और श्रमिक कल्याण

श्रम क्षेत्रक श्रमिक कल्याण, उत्पादकता, श्रमिकों के रहन-सहन के स्तर और सामाजिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाले बहु-आयामीय सामाजिक-आर्थिक पहलुओं की ओर ध्यान देता है। श्रमिकों के जीवनयापन स्तर को ऊंचा उठाने और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण द्वारा कौशल का उन्नयन करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास करने के लिए विभिन्न क्षेत्रकों के वास्ते उपयुक्त कौशल और गुणवत्ता वाले श्रम-बल की व्यवस्था करने के लिए जनशक्ति विकास बहुत जरूरी है। सभी उत्पादक क्षेत्रकों में रोजगार का सृजन करना हमारे बुनियादी उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है। इस संदर्भ में, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्व-रोजगार के वातावरण का निर्माण करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। नौवीं योजना की अवधि में बाल श्रमिकों, बुध्दा मजदूरों जैसी अवांछनीय प्रथाओं का उन्मूलन करने और कर्मकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकों के कल्याण की देखरेख करने और विभिन्न क्षेत्रकों में पुरुष और महिला श्रमिकों के रोजगार से संबंधित समस्याओं को निपटाने के लिए आवश्यक समर्थनकारी उपायों की व्यवस्था करने जैसे पहलुओं की ओर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया गया है।

केंद्रीय क्षेत्रक

2. श्रम मंत्रालय की विभिन्न योजनागत स्कीमों का उद्देश्य श्रमिक कार्य के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना और औद्योगिक शांति कायम रखना है। वर्ष 1999-2000 के 130 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में, प्रत्याशित व्यय 104 करोड़ रुपये का होगा। वर्ष 2000-01 के लिए अनुमोदित परिव्यय 123 करोड़ रुपये का है। (केंद्रीय क्षेत्रक के लिए संलग्नक 5.7.1 और राज्य क्षेत्रक के लिए संलग्नक 5.7.2 को देखें)।

3. श्रम और श्रमिक कल्याण क्षेत्रक में योजनागत कार्य ये हैं :

- (1) कौशल-विकास के लिए प्रशिक्षण
- (2) नौकरी चाहने वालों के लिए सेवाएं
- (3) श्रमिकों का कल्याण
- (4) श्रम विनियमों का प्रशासन

4. भारत के संविधान के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण एक समवर्ती विषय है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण स्कीमों को विकसित करना, नीति तैयार करना, प्रशिक्षण के स्तर, प्रक्रियाएं निर्धारित करना, परिक्षाएं लेना, प्रमाणपत्र देना, आदि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जबकि प्रशिक्षण की स्कीमों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की है। केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन सी वी टी) द्वारा दी जाती है, जो एक त्रिपक्षीय निकाय है, जिसमें नियोजकों, कर्मकारों, और केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं। राज्यों के स्तर पर, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषदों नामक ऐसी ही परिषदों का गठन इसी प्रयोजन से सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

5. इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य ये हैं:

- (क) कौशल प्राप्त श्रमिकों का निरन्तर प्रवाह सुनिश्चित करना,
- (ख) संभाव्य कर्मकारों के सुनियोजित प्रशिक्षण द्वारा औद्योगिक उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ाना,
- (ग) शिक्षित युवाओं को औद्योगिक नियोजन के लिए उपयुक्त कौशल प्रदान करके, इन युवाओं में बेरोजगारी को कम करना।

6. मुख्य व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीमों में दस्तकार प्रशिक्षण स्कीम, प्रशिक्षुता (एप्रेंटिसशिप) प्रशिक्षण स्कीम, कौशल प्राप्त कर्मकारों को प्रशिक्षण, विशेष लक्ष्यगत समूह के रूप में महिलाओं का प्रशिक्षण, दस्तकारी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्कीमों के बारे में व्यावहारिक अनुसंधान करना और साथ ही शिक्षण सामग्री को तैयार और विकसित करने की ओर पर्याप्त ध्यान देना शामिल है।

7. दस्तकार प्रशिक्षण स्कीम और प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम, जिन्हें परस्पर पर्याप्त रूप से जोड़ा गया है और जिनका उद्देश्य युवाओं को उनके निर्माण-काल में अधिकतम लाभ प्रदान करना है, व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीमों का केन्द्रीय मंच है। बहुत से अन्य विभागों ने भी अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में प्रशिक्षण के क्रियाकलाप शुरू किए हैं, जैसे लघु उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, हथकरघा, पर्यटन (होटल प्रबन्धन और भोजन – व्यवस्था), इलेक्ट्रानिकी, चिकित्सा तकनीशन, कृषि और ग्रामीण विकास। ये प्रशिक्षण स्कीमें अपेक्षाकृत छोटी हैं, लेकिन ये व्यावसायिक प्रशिक्षण के समूचे क्षेत्र में एक बहुत उपयोगी और आवश्यक प्रयोजन को पूरा करती हैं। कठिनाइयों और कमियों के बावजूद, व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीमें प्रगति कर रही हैं, विशेषकर इस रूप में कि ये उद्योगों के लिए जनशक्ति का प्राथमिक स्रोत हैं।

8. केन्द्रीय सरकार मुख्यतः नीतियां, प्रक्रियाएं और प्रशिक्षण के जरिए स्तर निर्धारित करने पर ध्यान केन्द्रित करती है, जबकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई. टी. आई.) का प्रबन्ध सम्बन्धित राज्य सरकारों के अधीन है। इस प्रक्रिया में, केन्द्रीय सरकार को दो त्रिपक्षीय सलाहकार निकायों द्वारा सलाह दी जाती है, नामशः राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन. सी. वी. टी.) और केन्द्रीय प्रशिक्षुता परिषद (सी.ए.सी.)। दोनों परिषदों के अध्यक्ष केन्द्रीय श्रम मंत्री हैं। इन दोनों निकायों की वार्षिक बैठक जुलाई 1999 में हुई थी। बैठक में एन. सी. वी. टी. और सी. ए. सी. दोनों के अन्तर्गत प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के कदमों पर विचार – विमर्श किया गया था और इससे ठोस सिफारिशें उभरीं। महत्वपूर्ण सिफारिशें ये हैं:

- असमर्थता वाले व्यक्तियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम से सम्बन्धित मुद्दों (असमर्थता वाले व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत समान अवसर) की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ दल की स्थापना और सी. टी. एस. के अन्तर्गत उसका कार्यान्वयन।
- सी. टी. एस. के अन्तर्गत चार नई ट्रेड, अर्थात् कम्प्यूटर हार्डवेयर, चिकित्सा इलेक्ट्रानिकी, उपभोक्ता इलेक्ट्रानिकी, और औद्योगिक इलेक्ट्रानिकी को शुरू करना।
- कार्यशालाओं (वर्कशाप) के स्थान सम्बन्धी मानदण्डों का पुनरीक्षण।
- रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी. जी. ई. एण्ड टी) के अन्तर्गत एन. वी. टी. आई. / आर. वी. टी. आई में महिलाओं के लिए उन्नत कौशल पाठ्यक्रमों के लिए माड्युलर प्रशिक्षण शुरू करना।

दस्तकार प्रशिक्षण स्कीम

9. राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 1950 में दस्तकार प्रशिक्षण स्कीम (सी. टी. एस.) शुरू की गई थी। मुख्यतः इंजीनियरी ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इंजीनियरी के क्षेत्र के बाहर की भी कुछ ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन सेवाओं के क्षेत्रक के अधिकांश भाग और विनिर्माण से भिन्न अन्य उद्योगों की

आवश्यकताएं डी. जी. ई. एण्ड टी. द्वारा पूरी नहीं की जातीं। प्रशिक्षण के क्षेत्र में, दस्तकार प्रशिक्षण स्कीम में विभिन्न आई. टी. आई. में 6 नये ट्रेड (सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में) और प्रशिक्षण स्कीम के अन्तर्गत 9 नये ट्रेड शुरू किए गए हैं।

10. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क में काफी अधिक वृद्धि हुई है और विस्तार हुआ है, 31-12-1999 को सरकारी और गैर – सरकारी क्षेत्र में उनकी संख्या बढ़ कर 4172 हो गई थी, जिनमें 6.78 लाख विद्यार्थियों को दाखिल करने की क्षमता थी (राज्य – वार ब्यौरा संलग्नक 5.7.3 में दिया गया है), और 2.33 लाख अन्य विद्यार्थियों के प्रवेश की क्षमता ट्रेड प्रशिक्षण स्कीम के अन्तर्गत थी। प्रशिक्षण प्रशिक्षण स्कीम के अन्तर्गत स्नातकों और डिप्लोमाधारियों के लिए इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के 101 विषय – क्षेत्रों में 137 विनिर्दिष्ट ट्रेड में और तकनीशनों के लिए 94 विषय – क्षेत्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था है। 30-6-1999 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्रक में ट्रेड प्रशिक्षणों के बारे में क्षेत्र – वार उपयोग की जानकारी संलग्नक 5.7.4 और 5.7.5 में दी गई है।

11. नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय ने अपने महिला व्यासायिक प्रशिक्षण निदेशालय के माध्यम से 1997 में महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना, और इस प्रकार उनकी रोजगार – क्षमता बढ़ाना और इसके परिणामस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी में वृद्धि करना था। केन्द्रीय क्षेत्रक के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत, महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए महिलाओं को व्यावसायिक कौशलों का प्रशिक्षण देने की सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

12. सरकार ने जम्मू कश्मीर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ बनाने और उनका आधुनिकीकरण करने के लिए कदम उठाए हैं। इमारती निर्माण, कालीनों की बुनाई, बागबानी, खान-पान, पर्यटन, आदि जैसे उन क्रियाकलापों को भी शामिल करके, जो एन.सी.वी.टी. की अनुमोदित ट्रेड नहीं हैं, उन ट्रेडों को भी कवर किया जाएगा, जिनकी मांग है और जो स्थानीय रूप से संगत हैं।

13. इसमें कोई सन्देह नहीं कि मौजूदा प्रशिक्षण संस्थाएं संगठित उद्योग की कौशल प्राप्त जनशक्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं के एक काफी बड़े भाग की पूर्ति कर रही हैं। लेकिन, यह जरूरी प्रतीत होता है कि श्रम बाजार की जरूरतों को तेजी से पूरा करने के उद्देश्य से इन संस्थाओं के पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन करने और उन्हें स्थिति- अनुकूल बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। अंसंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के कौशल के उन्नयन के लिए, पाठ्यक्रमों की अवधि, प्रशिक्षण और अवस्थिति को लचीला बनाए जाने की जरूरत है। चूंकि रोजगार का एक काफी बड़ा अनुपात विभिन्न क्षेत्रकों में लघु और अति लघु यूनिटों में स्व-रोजगार के रूप में होगा, इसलिए प्रशिक्षण प्रणाली को न केवल विभिन्न ट्रेडों के लिए 'हार्ड' कौशल प्रदान करने, बल्कि पाठ्यक्रमों के भाग के रूप में उद्यमशीलता, प्रबन्धन और विपणन के 'साफ्ट' कौशलों का प्रशिक्षण प्रदान करने योग्य भी बनाना होगा।

14. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार-प्राप्ति में वृद्धि करने के लिए, मार्केट की मांग के अनुरूप ट्रेडों में प्रशिक्षण शुरू करने और लोहारगिरी, बढईगिरी, पारम्परिक दर्जीगिरी, आदि की पारम्परागत ट्रेडों का प्रशिक्षण बन्द करने की जरूरत है। चूंकि आई. टी. आई. का संचालन राज्यों द्वारा किया जाता है इसलिए राज्य सरकारों को उद्योग के साथ सम्बन्ध (नेटवर्क) स्थापित करने और आई. टी. आई. के पाठ्य विषयों/ ट्रेडों में

परिवर्तन करने की सलाह दी गई है। कुछ राज्यों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं; उदाहरणार्थ, हरियाणा राज्य सरकार भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से गुडगांव में एक आई. टी. आई. खोल रही है। ट्रेडों/ पाठ्य विषयों का फैसला उद्योगों की भावी मांग को ध्यान में रखते हुए भारतीय उद्योग परिसंघ की सलाह से किया जा रहा है। वित्तीय बोझ में उद्योग भी हिस्सा बटाएंगा। गुजरात सरकार ने भी ट्रेडों को बाजार की मांग के अनुकूल बनाने के लिए पुरानी ट्रेडों में बदलाव के लिए उद्योग के साथ नेटवर्किंग (सम्बन्ध स्थापित करना) शुरू कर दिया है।

राष्ट्रीय रोजगार सेवा

15. राष्ट्रीय रोजगार सेवा सिक्किम को छोड़ कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है, और यह 'नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के अंतर्गत कार्य करती है। रोजगार कार्यालयों का दिन प्रतिदिन का प्रशासन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा किया जाता है। 30.6.99 की स्थिति के अनुसार, इसके तहत 953 रोजगार कार्यालयों का नेटवर्क था। वर्ष 1989 से 1998 तक की अवधि में वर्ष वार पंजीयन, नियुक्तियों, अधिसूचित रिक्तियों, उम्मीदवारों की प्रस्तुतियों, सक्रिय रजिस्टर की जानकारी संलग्नक 5.7.6 में दी गई है। रोजगार कार्यालयों के मुख्य क्रियाकलाप हैं: नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों का पंजीयन, नियोजन (प्लेसमेंट), वृत्ति विषयक परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, श्रम बाजार की सूचना का संग्रह। दिसम्बर, 1998 के अंत तक 23 चुनिंदा रोजगार कार्यालयों में विशेष स्व- रोजगार संवर्धन कक्ष स्थापित किए गए हैं। 0.7 लाख व्यक्तियों को स्व- रोजगार में लगाया गया है और कक्षों के सक्रिय रजिस्टर में स्व- रोजगार सहायता चाहने वाले 1.8 लाख व्यक्ति दर्ज थे।

16. राष्ट्रीय रोजगार सेवा को, बाजार के नए उभरते हुए परिदृश्य के संदर्भ में, नई दिशा दिए जाने की जरूरत है। रोजगार सेवाओं ने अब अपनी परिवर्द्धित भूमिका को स्वीकार कर लिया है और वे श्रम बाजार की सूचना का संकलन करने और उसका प्रसार करने की ओर अधिक ध्यान दे रही हैं। रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम (एम्प्लायमेंट मार्केट इन्फार्मेशन प्रोग्राम) द्वारा ये रिपोर्टें तैयार की गई हैं: "दि क्वार्टरली एम्प्लायमेंट रिव्यू", "आकुपेशनल एण्ड एजुकेशनल पैटर्न इन इंडिया", आदि। रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए रोजगार कार्यालयों के आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण की योजनागत स्कीम भी हैं।

17. रोजगार सेवा समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों की ओर विशेष ध्यान देती रही। विकलांगों संबंधी 17 व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों द्वारा विकलांग व्यक्तियों को सेवाओं का व्यापक पैकेज उपलब्ध किया जाता है। इनमें से, वदोदरा में स्थित व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र की स्थापना अनन्य रूप से असमर्थ महिलाओं के लिए की गई है। ये केंद्र विकलांगों की अवशिष्ट क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं और उन्हें समायोजन का प्रशिक्षण देते हैं और इस प्रकार उनके त्वरित आर्थिक विकास को सहज बनाते हैं। उन्हें अन्य उपयुक्त पुनर्वास सेवाएं प्राप्त करने में भी सहायता दी जाती है, जैसे नौकरी में लगाना और स्व- रोजगार के लिए प्रशिक्षण। श्रम मंत्रालय सात नए व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र, व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों में 12 कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाएं और 26 ग्रामीण पुनर्वास विस्तार केंद्र स्थापित करने पर विचार कर रहा है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों को 22 शिक्षण- व- मार्गदर्शन केंद्रों में व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है और आत्म- विश्वास उत्पन्न करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नौकरी पाने के इच्छुक व्यक्तियों को कोचिंग- व- मार्गदर्शन केंद्रों में आशुलिपि और टाइपिंग का अभ्यास करने की सुविधाएं प्रदान करने की स्कीम भी चल रही है।

श्रमिकों का कल्याण

18. श्रमिकों के कल्याण में और सामाजिक सुरक्षा के युक्तिसंगत स्तर के साथ उत्पादकता में वृद्धि करना, सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीति का एक मुख्य उद्देश्य है। योजनागत कार्यक्रमों के जरिए कौशल निर्माण और विकास, काम की स्थितियों की मानीटरिंग, औद्योगिक सौहार्द उत्पन्न करने, औद्योगिक संबंधों, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी निर्माण, श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए रोग, दुर्घटना और बेरोजगारी के लिए बीमा के लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। अर्थव्यवस्था के असंगठित भाग में श्रमिकों और कर्मकारों की संख्या फालतू होने के कारण बुरी सामाजिक प्रथाओं ने जन्म लिया है, जैसे बंधुआ मजदूर, बाल श्रमिक और काम की प्रतिकूल स्थितियां।

19. वर्ष 1999 में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम को संशोधित किया गया था, ताकि मृत्यु/अशक्तता की स्थिति में श्रमिकों और उनके परिवारों को लाभ मिले। राज्यों और केंद्र में श्रम विधि प्रवर्तन तंत्र उन कानूनों को, जिनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, संशोधित करने, नियमों, विनियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं को संशोधित करने के लिए कार्य कर रहा है।

दूसरा राष्ट्रीय श्रम उपयोग

20. सरकार ने 15 अक्टूबर, 1999 को दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग स्थापित किया है। आयोग संगठित क्षेत्र में मजदूरों से संबंधित मौजूदा कानूनों को युक्तिसंगत बनाने के सुझाव देगा और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक न्यूनतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक छत्र विधान के बारे में भी सुझाव देगा। आयोग अपनी रिपोर्ट 2 वर्षों के अंदर अर्थात् 15-10-2001 तक प्रस्तुत करेगा।

बाल श्रमिक

21. 1991 की जनगणना के अनुसार, देश में काम कर रहे बाल श्रमिकों की संख्या 11.28 मिलियन थी (राज्यवार ब्यौरा संलग्नक 5.7.7 में उपलब्ध हैं)। जोखिम वाले उद्योगों में बाल श्रमिकों द्वारा काम किया जाना, भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। बाल श्रमिकों के बारे में सही, प्रामाणिक और अद्यतन आंकड़ें उपलब्ध न होना इस सामाजिक बुराई के उन्मूलन के लिए योजनाबद्ध कार्रवाई करने के मार्ग में एक प्रमुख बाधा है। नौवीं योजना में मौजूदा बाल श्रमिक परियोजना को उपान्तरित करने और उसमें सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत शुरू किया गया एक प्रमुख क्रियाकलाप यह है कि जोखिम वाले उद्योगों में रोजगार से हटाए गए बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पूरक पोषाहार दिया जाता है और वजीफे प्रदान किए जाते हैं और स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था की जाती है।

22. वर्ष 1999-2000 में (जनवरी 2000 के अंत तक), लगभग 1.9 लाख बच्चों के पुनर्वास के लिए, जिन्हें काम से हटाया गया था, बाल श्रम की संभावना वाले राज्यों में 91 राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। एन सी एल पी की राज्यवार व्याप्ति की जानकारी संलग्नक 5.7.8 में दी गई है।

23. बाल श्रम के उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा से प्रकट होता है कि हालांकि 1994-95 से लेकर एक अच्छी शुरुआत की गई है, लेकिन इस पुरानी सामाजिक बुराई को दूर करने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिए एक बहुमुखी कार्यनीति की और इसके साथ-साथ भौतिक और वित्तीय प्रकार के विपुल संसाधन जुटाने की आवश्यकता है।

24. कार्यक्रम में कोई विस्तार करने से पहले, यह जरूरी समझा गया कि मौजूदा परियोजनाओं का मूल्यांकन स्वतंत्र मूल्यांकन अभिकरणों से कराया जाए। तदनुसार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के राज्यों में बाल श्रमिक परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए पांच मूल्यांकन अभिकरण निर्धारित किए गए। प्राप्त रिपोर्टों से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चलता है कि परियोजनाओं द्वारा पुनर्वास के उपाय करके बाल श्रम की समस्या के आकार में काफी कमी की जा सकती है और विशेष स्कूलों के संघटक को अथवा शिविर नीति को जारी रखने की जरूरत है। लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

25. श्रम मंत्रालय द्वारा बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की केंद्र- प्रायोजित योजनागत स्कीम 1978 में तैयार की गई थी। बंधुआ मजदूरों की स्कीम के अंतर्गत, बंधुआ मजदूरों का पता लगाने, उन्हें छुड़ाने और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। लेकिन राज्य सरकारों के प्रयासों की अनुपूर्ति करने के लिए, श्रम मंत्रालय द्वारा 1978-79 में एक केंद्र- प्रायोजित स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम के व्यय में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का 50:50 के आधार पर बराबर का हिस्सा होता है। इस स्कीम के अंतर्गत, किसी बंधुआ मजदूर को मुक्त हो जाने के समय भरण-पोषण भत्ते के रूप में 1000 रुपये की अदायगी तत्काल की जाती है और स्थिति के अनुसार 10,000 रुपये के पुनर्वास पैकेज के साथ उसका पुनर्वास किया जाता है। पिछले चार वर्षों के दौरान कीमतों में हुई वृद्धि और पुनर्वास पैकेज की लागत, गाय-भैंसों और अन्य निविष्टियों की लागत में हुई वृद्धि को देखते हुए, पुनर्वास पैकेज की 10,000 रुपये प्रति बंधुआ मजदूर की मौजूद राशि को बढ़ा कर 20,000 रुपये प्रति बंधुआ मजदूर करके, इस स्कीम को हाल में संशोधित किया गया है और बंधुआ मजदूरों का पता लगाने, जागरूकता उत्पन्न करने, मूल्यांकन-अध्ययन, आदि करने के लिए व्यवस्था की गई है। योजना आयोग ने उत्तर-पूर्वी राज्यों की वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए, इन राज्यों को 100 प्रतिशत आर्थिक इमदाद (सब्सिडी) प्रदान करना स्वीकार कर लिया है। संशोधित स्कीम नौवीं योजना की शेष अवधि में कार्यान्वित की जाएगी और दसवीं योजना के शुरू होने से पहले समीक्षा की जाएगी।

26. इस स्कीम के शुरू होने के समय से लेकर 2,80,411 बंधुआ मजदूरों का पता लगाया गया है और उन्हें छुड़ाया गया है; इनमें से 2,51,569 को 31-3-2000 तक फिर से बसा दिया गया है और 31-3-2000 तक राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता के रूप में 50.32 करोड़ रुपये रिलीज किए जा चुके हैं। उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्नक 5.7.9 में दिया गया है।

27. इस केंद्र- प्रायोजित स्कीम और बंधुआ मजदूरों के प्रभावकारी पुनर्वास के प्रयोजन से कार्यान्वित किए जा रहे अन्य गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करने और उनको उपयुक्त रूप से मानीटर करने के लिए, यह प्रस्ताव किया गया है कि इन स्कीमों को तीन स्तरों, अर्थात् राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर मानीटर किया जाए। इस संबंध में, केंद्रीय स्तर पर श्रम मंत्रालय द्वारा कम से कम दो कार्यशालाओं/ मानीटरिंग बैठकों का आयोजन किया जाए। स्कीमों की मानीटरिंग के लिए जिला और राज्य स्तरों पर उच्च शक्ति प्राप्त समितियों का गठन स्थायी आधार पर किया जाए। मानीटरिंग से, इन स्कीमों के कार्यान्वयन के दौरान देखने में आई त्रुटियों को दूर करने, और सुधार करने और अधिकारियों को बंधुआ मजदूरों का पता लगाने, उन्हें छुड़ाने और अधिक ध्यान तथा समर्पण की भावना से उनका पुनर्वास करने के लिए अपेक्षित कौशल प्रदान करने में सहायता मिलेगी। यह बात महत्वपूर्ण है, ताकि जब एक बीर किसी बंधुआ मजदूर को छुड़ा लिया जाए और उसका पुनर्वास कर दिया जाए, तो वह दुबारा गुलामी के जाल में न फंस जाए।

महिला श्रमिक

28. श्रम मंत्रालय ने 1975 में एक महिला श्रमिक कक्ष स्थापित किया था। आशय यह था कि काम करने वाली महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए उनकी स्थिति की ओर ध्यान दिया जाए। सरकार ने समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 बनाया है। मंत्रालय में महिला कक्ष की स्थापना इस कक्ष के कार्यान्वयन का मानीटरिंग करने के लिए की गई है। महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए एक केंद्रीय सलाहकार समिति गठित की गई है। इसी प्रकार, राज्य स्तर पर अधिनियम को मानीटर करने के लिए राज्य सलाहकार समितियों का गठन किया गया है। यह कक्ष स्वैच्छिक संगठनों को महिला कर्मकारों की समस्याओं, उनकी रोजगार- क्षमता, और प्रौद्योगिकीय तथा विभिन्न अन्य परिवर्तनों के कारण महिलाओं के विस्थापन की मात्रा के बारे में अनुसंधान- अध्ययन करने के लिए सहायता अनुदान भी देता है। यह स्कीम महिलाओं को अपने अधिकारों और अवसरों के बारे में जागरूक होने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में उन्हें सहायता देने की सरकार की नीति को आगे बढ़ाने के प्रयोजन से शुरू की गई थी।

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य

29. भारत के संविधान में श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में विशिष्ट उपबंध हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय और कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान का महा निदेशालय (डी जी एफ ए एस एल आई) खानों, कारखानों और पत्तनों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करने का प्रयत्न करता है। व्यावसायिक सुरक्षा से संबंधित स्कीम में कार्य के वातावरण में सुधार, मनुष्य और मशीन के बीच संबंधों, रासायनिक जोखिमों के नियंत्रण और निवारण, सुरक्षात्मक वस्त्रों (गीयर) और उपस्करों के विकास, सुरक्षा उपायों के प्रशिक्षण और सुरक्षा और स्वास्थ्य सूचना प्रणाली के विकास की ओर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

कारखाना सलाह, सेवा और श्रम संस्थान महा निदेशालय

30. यह संगठन कारखानों और पत्तनों/ गोदियों में श्रमिकों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और कल्याण के मामलों में मंत्रालय की तकनीकी भुजा के रूप में काम करता है। जनवरी से सितम्बर 1999 तक की अवधि में 772 संगठनों के 2055 से अधिक सहभागियों के लिए अठासी संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं और लम्बी अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का, जिनमें औद्योगिक सुरक्षा का एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम और व्यावसायिक स्वास्थ्य का तीन महीने का स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शामिल है, आयोजन किया गया। मुम्बई, कानपुर, कलकत्ता और चेन्नई में स्थित श्रम संस्थानों ने सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में 7878 लाभ भोगियों के लिए 339 मूल्यांकन कार्यक्रमों का आयोजन किया। 43 कारखानों में चल संरक्षा प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया, जिनसे 36350 कारखाना मजदूरों को लाभ पहुंचा। डी जी एफ ए एस एल आई ने जोखिम मूल्यांकन, पर्यावरण निर्धारण, सुरक्षा आडिट, व्यावसायिक स्वास्थ्य की स्थिति के मूल्यांकन के क्षेत्रों में, विभिन्न संगठनों के अनुरोध पर, 45 सलाहकारी अध्ययन किए।

खान सुरक्षा महा निदेशालय (डी जी एम एस)

31. खान सुरक्षा महा निदेशालय को, जो श्रम मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, खान अधिनियम, 1952 के उपबंध लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खानों में आवश्यक सुरक्षा

उपाय लागू करना सुनिश्चित करने के लिए, निरीक्षण अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं और जांच— कार्य किए जाते हैं। अप्रैल से सितम्बर 1999 तक की अवधि में कोयला खानों को 17 नोटिस और 5 आदेश, और कोयला— भिन्न खानों को 13 नोटिस और 26 आदेश जारी किए गए। इस अवधि में क्रमशः 8179 निरीक्षण 9743 जांच कार्य किए गए।

श्रम संबंधी आंकड़े

32. श्रम कार्यालय पर रोजगार, मजदूरी, आमदनियों, औद्योगिक संबंधों, काम की स्थितियों, आदि के बारे में आंकड़ों और अन्य सूचना के संग्रह, संकलन और प्रकाशन की जिम्मेदारी है। यह औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का संकलन और प्रकाशन भी करता है। इसके अलावा यह कार्यालय राज्यों को राज्य/ जिला/ इकाई स्तरों के श्रम— आंकड़ों के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करने में भी सहायता देता है। आवधिक विवरणियों के लिए संकलित आंकड़ों से, श्रम के क्षेत्र में योजना बनाने और नीति निर्माण के लिए सूचना संबंधी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। श्रम संबंधी आंकड़ों की उपलब्धता की कमियों को पूरा करने के उद्देश्य से, यह कार्यालय श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं के बारे में कई आवधिक/ तदर्थ सर्वेक्षण करता है, जैसे :

- श्रमिक वर्ग की पारिवारिक आय और व्यय के बारे में नया सर्वेक्षण।
- ग्रामीण श्रम संबंधी जांच
- मकान किरायों संबंधी सर्वेक्षण
- व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण

33. नौवीं योजना के दौरान सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। श्रम कार्यालय, शिमला ने देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित श्रेणियों के नियोजन (रोजगार) के क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन की मात्रा निर्धारित करने के लिए इस अधिनियम के मूल्यांकन— अध्ययन किए हैं। यह कार्यालय महिला कर्मकारों की काम की स्थितियों और उनके रहन— सहन की स्थितियों और खनन, बगान और कारखानों के क्षेत्रों में और चुनिंदा असंगठित उद्योगों में विभिन्न श्रम— कानूनों की तुलना में उपलब्ध कल्याण— सुविधाओं की मात्रा के बारे में भी अध्ययन कर रहा है।

श्रमिकों की शिक्षा

34. केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से, श्रमिकों को अपव्यय रोकने, किफायती तरीके अपनाने और गुणवत्ता वाली उत्पादकता को बढ़ाने के लिए शिक्षा देने का प्रयत्न कर रहा है। ये कार्यालय निम्नलिखित कार्यक्रमों का संचालन करते हैं :

- ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम
- कार्यात्मक प्रौढ़ शिक्षा कक्षाएं
- असंगठित क्षेत्र को उनके अधिकारों, आचार और सफाई की शिक्षा देने के लिए इस क्षेत्रक के लिए अल्पकालिक कार्यक्रम
- भागीदारितापूर्ण प्रबंधन
- ग्रामीण शिक्षकों के लिए स्थिति— अनुकूलन पाठ्यक्रम
- ग्रामीण कार्यकर्ताओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम।

श्रम अनुसंधान और प्रशिक्षण

35. वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, जो श्रम मंत्रालय का पूर्णतः निधिपोषित स्वायत्त निकाय है, कार्य- उन्मुख अनुसंधान करता है और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आधुनिक स्तर के कार्यकर्ताओं और औद्योगिक संबंधों, कार्मिक प्रबंध और श्रमिक कल्याण, आदि के बारे में कार्य करने वाले अधिकारियों को मजदूर संघ आंदोलन (ट्रेड यूनियन मूवमेंट) का प्रशिक्षण प्रदान करता है। संस्था ने, 1999- 2000 के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाएं पूरी कीं :

- श्रम बाजार की गतिकी : केरल।
- महिलाएं और श्रम बाजार।
- श्रम कानून, इमारती श्रमिकों के संविदात्मक प्राचल और काम की स्थितियां।
- प्रतिकूल लैंगिक अनुपात और महिला श्रमिक बल सहभागिता।
- ग्रामीण श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण।
- ग्रामीण श्रम की आवश्यकता के बारे में सूचना।

36. लेकिन, निम्नलिखित अध्ययन सबसे अधिक महत्वपूर्ण था :

- "पूर्णतया वस्तुओं के रूप में मजदूरी की अदायगी और अदायगी के तरीके के प्रति दृष्टिकोणों के बारे में अध्ययन: चुनिंदा राज्यों में एक अध्ययन"। यह अध्ययन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में सशोधन के प्रयोजन से 1.4.99 को हुई सचिवों की समिति की बैठक के निर्देशों के अनुसरण में हाथ में लिया गया था। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार और पंजाब के चार राज्यों में अध्ययन पूरा किया गया।

सामाजिक सुरक्षा

37. विशिष्ट श्रेणियों के श्रमजीवी लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की व्यवस्था करने के लिए केंद्र/ राज्य सरकारों द्वारा कानून बनाए गए हैं और स्कीमें शुरू की गई हैं। केंद्र द्वारा सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाई गई प्रमुख विधियां ये हैं :

- कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- कर्मचारी भविष्य निधियां और विविध उपबंध अधिनियम, 1953
- अपदान की अदायगी अधिनियम, 1972
- प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961

38. ई. पी एफ और एम पी अधिनियम का प्रशासन अनन्य रूप से भारत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से किया जाता है। ई एस आई के अंतर्गत नकद लाभों का प्रशासन केंद्रीय सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई एस आई सी) के माध्यम से किया जाता है, जबकि ई एस आई अधिनियम के अंतर्गत चिकित्सा परिचर्या का प्रशासन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा किया जाता है। उपदान अदायगी अधिनियम का प्रशासन केंद्रीय सरकार द्वारा अपने नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठानों में और उन प्रतिष्ठानों में, जिनकी शाखाएं एक से अधिक राज्यों में हों, प्रमुख पत्तनों, खानों, तेल क्षेत्रों और रेलों में किया जाता है और अन्य सभी मामलों में इसका प्रशासन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा किया जाता है। खानों और सर्कस उद्योग में प्रसूति लाभ अधिनियम का प्रशासन केंद्रीय सरकार द्वारा मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के माध्यम से, और कारखानों, बागानों और अन्य प्रतिष्ठानों में

राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के उपबंधों का प्रशासन केवल राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है।

39. कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 को फरवरी 1999 में संशोधित किया गया था, ताकि किसी मृत सदस्य के मामले में, जिसके परिवार में कोई पात्र अथवा हकदार सदस्य न हो, और जिसने अपने जीवन-काल में कोई नामांकन न किया हो, आश्रित पिता/माता को पेंशन दी जा सके। भविष्य निधि के सदस्यों के स्थायी और पूर्ण रूप से अशक्त बच्चों को फरवरी 1999 से मासिक बाल/अनाथ पेंशन की अदायगी प्राप्त करने का हकदार बना दिया गया है, चाहे परिवार में बच्चों की संख्या और आयु कितनी हो। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और गैर-सरकारी क्षेत्र के मॉडल प्रतिष्ठानों में पेंशन और भविष्य निधि के लाभ सेवा-निवृत्ति की तारीख को ही संवितरित करने की स्कीम शुरू की गई। दिसम्बर 1998 और जनवरी 1999 में एक सौ छत्तीस लाभ-भोगियों को सेवा निवृत्ति की तारीख को इन लाभों की अदायगी की गई। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत होटलों और रेस्टोरेंटों में रसोइयों (कुक) के रूप में नियोजित व्यक्तियों को जुलाई 1998 से मुआवजे के लाभों के लिए पात्र बना दिया गया।

40. गरीब परिवारों के उन कर्मकारों के लिए, जो किसी बीमा स्कीम अथवा किसान संविधि द्वारा कवर न किए गए हों, सरकार ने वैयक्तिक दुर्घटना बीमा की एक सामाजिक सुरक्षा स्कीम शुरू की है। यह स्कीम 18-55 आयु-वर्ग के उन सभी व्यक्तियों पर लागू होती है, जो गरीब परिवारों के आय-अर्जित करने वाले सदस्य हैं और जो घातक रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गए हों। लाभ की राशि 3000 रुपये है। यह स्कीम साधारण बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

41. कृषि और सहकारिता मंत्रालय द्वारा इमारत-निर्माण उद्योग, खेतों और वनों में काम करने वाले असंगठित श्रमिकों को बीमा कवर प्रदान करने का एक नया कदम उठाया गया है, जिसके अंतर्गत नेशनल इंशुरेंस कारपोरेशन और सहकारी श्रम समितियों द्वारा 50:50 के आधार पर बीमा कवर की व्यवस्था की जाएगी। 5.25 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम की अदायगी सहकारी समितियों द्वारा की जाएगी। बीमा कवर में यह उपबंध है कि किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके परिवार को 25,000 रुपया अदा किया जाएगा।

अध्याय 5 : सामाजिक विकास

संलग्नक 5.7.1

श्रम मंत्रालय – वार्षिक योजना 2000–2001

(लाख रुपये)

क्र. सं.	प्रभाग / स्कीमें	अनुमोदित परिव्यय नौवीं योजना (1997 - 02)	वास्तविक व्यय (1997 - 98)	वास्तविक व्यय (1998 - 99)	अनुमोदित परिव्यय (1997 - 2000)	प्रत्याशित व्यय (1999 - 2000)	अनुमोदित परिव्यय (2000 - 2001)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रोजगार निदेशालय	3700.00 (सी डब्ल्यू 2200)	60.63	869.00 (सी डब्ल्यू 790)	1100.00 (सी डब्ल्यू 600)	988.75 (सी डब्ल्यू 600)	1600.00 (सी डब्ल्यू 900)
2	क) विश्व बैंक परियोजनाएं	18700.00 (एफ ए 9000)	3933.64	5263.12	2070.00 (सी डब्ल्यू 250)	1622.34 (सी डब्ल्यू 150)	1532.00 (सी डब्ल्यू 500)
	ख) महिला प्रशिक्षण स्कीमें	1820.00	231.14	307.43	490.00 (सी डब्ल्यू 300)	433.12 (सी डब्ल्यू 250)	480.00 (सी डब्ल्यू 250)
	ग) अन्य प्रशिक्षण स्कीम	10055.00 (आर) (एफ ए 3012)	560.16	679.41 (एफ ए 39.01)	1600.00 (एफ ए 93)	931.79 (सी डब्ल्यू 50)	1510.00
3	बाल श्रमिक	24960.00 (आर)	1317.76	2744.00	4000.00	3400.00	3600.00
4	महिला श्रमिक	100.00	8.58	12.44	20.00	20.00	20.00
5	औद्योगिक संबंध	3856.00	223.20	322.94	604.00 (सी डब्ल्यू 160)	509.42 (सी डब्ल्यू 160)	554.50
6	कामगार शिक्षा (सी बी डब्ल्यू ई)	1500.00	161.06	184.12	300.00	300.00	468.00
7	श्रम सारिख्यकी (श्रम ब्यूरो)	3000.00	468.04	582.22	1043.00	925.70	800.32
8	खान सुरक्षा (डी जी एम एस)	4000.00	225.00	124.00	613.00 (सी डब्ल्यू 220)	362.20 (सी डब्ल्यू 115)	497.18
9	औद्योगिक सुरक्षा (डी जी एफ ए एस एल आई)	2500.00	496.63	226.57	317.00 (सी डब्ल्यू 130)	136.75	298.00
10	श्रम अनुसंधान (एन एल आई)	1000.00	114.00	160.00	250.00	250.00	265.00
11	अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों / एन जी ओ को सहायता अनुदान	100.00	0.53	9.17	40.00	40.00	30.00
12	बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	3581.00 (आर)	300.12	298.00	400.00	398.00	575.00
13	हम्मालों के लिए आवास स्कीम	200.00 (आर)	0.00	0.00	101.00	—	—
14	सूचना प्रौद्योगिकी (नई)	140.00	—	0.00	52.00	72.00	70.00
15	ग्रामीण कामगार स्कीम और असंगठितों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीम (एस एस सी)						
	श्रम	पूरी हो गई और असंगठित श्रमिकों से संबंधित स्कीम को छोड़ दिया गया					
	कुल	79212.00 (एफ ए 12012)	8100.49	11782.42 (एफ ए 39.01) (सी डब्ल्यू 1087)	13000.00 (एफ ए 93) (सी डब्ल्यू 1985)	10390.07 (एफ ए 87) (सी डब्ल्यू 1325)	12300.00 (सी डब्ल्यू 1680)

सी डब्ल्यू - सिविल कार्य घटक

एफ ए - विदेशी सहायता घटक

आर - सशोधित

संलग्नक 5.7.2

श्रम और श्रम कल्याण परिव्यय

(लाख रुपये)

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना 1999 - 2000 परिव्यय	वार्षिक योजना 1999 - 2000 संशो. अ.
राज्य		
आंध्र प्रदेश	291	291
अरुणाचल प्रदेश	137	172
असम	727	703
बिहार	300	153
गोआ	558	500
गुजरात	4000	4000
हरियाणा	1645	1635
हिमाचल प्रदेश	175	176
जम्मू और कश्मीर	976	1214
कर्नाटक	1295	1088
केरल	717	617
मध्य प्रदेश	1605	1137
महाराष्ट्र	8794	8794
मणिपुर	144	144
मेघालय	170	100
मिजोरम	65	59
नागालैंड	200	180
उड़ीसा	404	243
पंजाब	1641	814
राजस्थान	1411	1017
सिक्किम	25	25
तमिल नाडु	465	500
त्रिपुरा	85	83
उत्तर प्रदेश	1886	425
प. बंगाल	2184	850
जोड़ (राज्य)	29900	28920
संघ राज्य क्षेत्र		
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	90	90
चंडीगढ़	35	43.7
दादरा और नगर हवेली	26	26
दमन और दीव	35	35
दिल्ली	955	655
लक्षद्वीप	24.24	24.24
पांडिचेरी	240	241.65
जोड़ (संघ क्षेत्र राज्य)	1405.24	1115.59
कुल जोड़ (राज्य + संघ क्षेत्र राज्य)	31305.24	26035.59
केंद्रीय क्षेत्र	13000	30035.59

महाराष्ट्र के परिव्यय में विशेष रोजगार कार्यक्रम के लिए 4000 लाख रुपये की राशि शामिल है।

अध्याय 5 : सामाजिक विकास

संलग्नक 5.7.3

विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में 31.12.99 की स्थिति के अनुसार सीट क्षमता सहित आई टी आई / आई टी सी की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सरकारी आई टी आई की संख्या	सीट क्षमता	गैर सरकारी आई टी सी की संख्या	सीट क्षमता	कुल आई टी आई / आई टी सी (3 + 5)	कुल सीट (4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तरी क्षेत्र							
1	हरियाणा	75	12897	22	1268	97	14165
2	हिमाचल प्रदेश	34	3444	2	64	36	3508
3	जम्मू और कश्मीर	36	6730	1	32	37	6762
4	पंजाब	103	13951	24	1348	127	15299
5	राजस्थान	112	11052	46	2972	158	14024
6	उत्तर प्रदेश	230	43364	84	6956	314	50320
7	चंडीगढ़	2	948	0	0	2	948
8	दिल्ली	16	9236	37	2136	53	11372
उप जोड़		608	101622	216	14776	824	116398
दक्षिणी क्षेत्र							
1	आंध्र प्रदेश	84	22424	513	98316	597	120740
2	कर्नाटक	56	11258	247	21216	303	32474
3	केरल	42	12364	443	39913	485	52277
4	तमिल नाडु	52	17072	581	80502	633	97574
5	लक्षद्वीप	1	96	0	0	1	96
6	पांडिचेरी	7	1132	7	440	14	1572
उप जोड़		242	64346	1791	240387	2033	304733
पूर्वोत्तर क्षेत्र							
1	अरुणाचल प्रदेश	2	374	0	0	2	374
2	असम	24	4520	2	48	26	4568
3	बिहार	34	12560	17	4204	51	16764
4	मणिपुर	6	648	0	0	6	648
5	मेघालय	7	622	2	304	9	926
6	मिजोरम	1	300	0	0	1	300
7	नागालैंड	3	404	0	0	3	404
8	उड़ीसा	25	6504	111	8534	136	15038
9	सिक्किम	1	140	0	0	1	140
10	त्रिपुरा	7	996	0	0	7	996
11	प. बंगाल	23	10602	35	2196	58	12798
12	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	198	0	0	1	198
उप जोड़		134	37868	167	15286	301	53154
पश्चिमी क्षेत्र							
1	गोआ	10	2300	4	420	14	2720
2	गुजरात	159	52296	79	680	238	52976
3	मध्य प्रदेश	108	23854	72	9048	180	32902
4	महाराष्ट्र	311	77308	268	37016	579	114324
5	दादरा और नगर हवेली	1	228	0	0	1	228
6	दमन और दीव	2	349	0	0	2	349
उप जोड़		591	156335	423	47164	1014	203499
कुल जोड़		1575	360171	2597	317613	4172	677784

संलग्नक 5.7.4

केंद्रीय क्षेत्रक में सीटों और व्यवसाय प्रशिक्षुओं के संबंध में क्षेत्र-वार
सीट उपयोग (30.6.1999 की स्थिति के अनुसार) का विवरण

क्षेत्र	अवस्थित सीटें	उपयोग में लाई गई सीटें	प्रतिशत उपयोग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अल्प- संख्यक	पी एच	महिलाएं
				(कालम 3 में से उपयोग में लाई गई सीटों की संख्या)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आर डी ए टी एम यू	5298	4310	81.3	785	243	442	28	116
आर डी ए टी सी ए	9130	6861	75.1	1266	711	287	16	102
आर डी ए टी एफ ए	4821	3805	78.8	838	116	41	16	47
आर डी ए टी एच वाई	3750	3210	85.6	418	149	61	46	84
आर डी ए टी के ए	6859	5740	83.6	837	437	121	20	49
आर डी ए टी सी एच	10500	9523	90.6	2018	210	1564	131	719
जोड़	40358	33449	82.88	6162	1866	2516	257	1117

संलग्नक 5.7.5

राज्य क्षेत्रक में व्यवसाय प्रशिक्षुओं के संबंध में सीट उपयोग का राज्यवार विवरण (30.6.1999 की स्थिति के अनुसार) का विवरण

क्षेत्र	अवस्थित सीटें	उपयोग में लाई गई सीटें	प्रतिशत उपयोग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अल्प-संख्यक	पी एच	महिलाएं
				(कालम 3 में से उपयोग में लाई गई सीटों की संख्या)				
आंध्र प्रदेश	16620	13650	82.10	1789	474	414	64	165
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—
असम	579	71	12.60	10	8	2	—	—
बिहार	2668	1842	69.04	274	253	131	17	4
गोआ	659	284	43.09	—	—	—	—	13
गुजरात	24727	19076	77.10	2236	2407	998	4	280
हरियाणा	6202	4933	79.50	904	—	12	3	65
हिमाचल प्रदेश	1916	340	17.70	35	8	15	—	—
जम्मू और कश्मीर	385	370	96.10	—	—	—	1	—
कर्नाटक	22631	10195	45.04	553	212	657	12	215
केरल	7428	5396	72.60	471	14	1600	11	5711
मध्य प्रदेश	3838	1536	42.02	103	99	37	4	16
महाराष्ट्र	27675	26029	94.05	2896	1335	1467	21	586
मणिपुर	80	42	52.50	3	1	—	—	5
मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—
मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—
नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—
उड़ीसा	3871	3070	79.30	734	490	28	7	74
पंजाब	5692	4567	80.24	1152	16	59	16	141
राजस्थान	6530	2657	40.60	251	127	—	9	15
तमिल नाडु	23306	17808	76.40	665	37	1050	70	175
त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	26005	14433	55.50	2239	141	136	79	1099
प. बंगाल	5728	5137	89.60	36	13	5	12	32
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—	—	—
चंडीगढ़	262	111	42.30	16	—	—	1	1
दादरा और नगर हवेली	58	58	100	2	48	—	—	—
दमन और दीव	48	40	83.30	4	3	4	—	—
दिल्ली	5221	4244	81.20	330	16	163	—	25
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी	569	395	69.4	24	1	—	2	9
जोड़	192698	136284	70.70	14727	5703	6779	332	3506

संलग्नक 5.7.6

1989 से 1998 की अवधि के लिए वर्ष वार पंजीकरण, नियोजन, अधिसूचित रिक्तियाँ, की गई प्रस्तुतियाँ और अद्यतन रजिस्टर

(हजार में)

वर्ष	रोजगार कार्यालय •	पंजीकरण	नियोजन	अधिसूचित रिक्तियाँ	की गई प्रस्तुतियाँ	अद्यतन रजिस्टर
1	2	3	4	5	6	7
1989	849	6575.8	289.2	600.2	5740.4	32776.2
1990	851	6540.6	264.5	490.9	4432.2	34631.8
1991	854	6235.9	253.0	458.6	4531.2	36299.7
1992	860	5300.6	238.7	419.6	3652.0	36758.4
1993	887	5532.2	231.4	384.7	3317.8	36275.5
1994	891	5927.3	204.9	396.4	3723.4	36691.5
1995	895	5858.1	214.9	385.7	3569.9	36742.3
1996	914	5872.4	233.0	423.9	3605.9	37429.6
1997	934	6321.9	275.0	393.0	3767.8	39139.9
1998	945	5851.8	233.3	358.8	3076.6	40089.6

• वर्ष के अंत में।

1971, 1981 और 1991 की जनगणना के अनुसार
कामकाजी बच्चों का राज्य-वार विवरण

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1971	1981	1991
1. आंध्र प्रदेश	1,627,492	1,951,312	1,661,940
2. असम	239,349*	••	327,598
3. बिहार	1,059,359	1,101,764	942,245
4. गुजरात	518,061	616,913	523,585
5. हरियाणा	137,826	194,189	109,691
6. हिमाचल प्रदेश	71,384	99,624	56,438
7. जम्मू और कश्मीर	70,489	258,437	••
8. कर्नाटक	808,719	1,131,530	976,247
9. केरल	111,801	92,854	34,800
10. मध्य प्रदेश	1,112,319	1,698,597	1,352,563
11. महाराष्ट्र	988,357	1,557,756	1,068,418
12. मणिपुर	16,380	20,217	16,493
13. मेघालय	30,440	44,916	34,633
14. नागालैंड	13,726	16,235	16,476
15. उड़ीसा	492,477	702,293	452,394
16. पंजाब	232,774	216,939	142,868
17. राजस्थान	587,389	819,605	774,199
18. सिक्किम	15,661	8,561	5,598
19. तमिल नाडु	713,305	975,055	578,889
20. त्रिपुरा	17,490	24,204	16,478
21. उत्तर प्रदेश	1,326,726	1,434,675	1,410,086
22. प. बंगाल	511,443	605,263	711,691
23. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	572	1,309	1,265
24. अरुणाचल प्रदेश	17,925	17,950	12,395
25. चंडीगढ़	1,086	1,986	1,870
26. दादरा और नगर हवेली	3,102	3,615	4,416
27. दिल्ली	17,120	25,717	27,351
28. दमन और दीव	7,391	9378	941
29. गोआ			4,656
30. लक्षद्वीप	97	56	34
31. मिजोरम	•••	6,314	16,411
32. पांडिचेरी	3,725	3,60	2,680
जोड़	10,753,985	13,640,870	11,285,349

* इसमें मिजोरम के आंकड़े भी शामिल हैं जो तब तक असम का भाग था।
 •• जनगणना आयोजित नहीं की जा सकी थी।
 ••• मिजोरम के संबंध में 1971 के जनसंख्या आंकड़े असम के अंतर्गत शामिल किए गए हैं।
 एन बी : 1991 के लिए आंकड़े आयुवर्ग 5-14 वर्ष के कामगारों से संबंधित हैं।

संलग्नक 5.7.8

1999–2000 के दौरान, जनवरी 2000 तक
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत कवरेज

क्र. सं.	राज्यों के नाम	कवर किए गए जिलों की संख्या	स्वीकृत कवरेज		वास्तविक कवरेज	
			स्कूलों की संख्या	बच्चों की संख्या	स्कूलों की संख्या	बच्चों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	22	915	58,050	797	50,508
2	बिहार	8	194	12,200	187	11,213
3	कर्नाटक	3	110	5,500	39	1950
4	मध्य प्रदेश	6	137	9,500	69	3,858
5	महाराष्ट्र	2	74	3,700	61	3,170
6	उड़ीसा	18	530	36,250	511	31,456
7	राजस्थान	5	140	7,000	60	3,000
8	तमिल नाडु	9	425	21,900	353	17,190
9	उत्तर प्रदेश	11	350	22,500	170	11,730
10	प. बंगाल	7	279	14,000	232	11,650
	जोड़	91	3154	190,600	2479	145,725

5.8 कला और संस्कृति

वार्षिक योजना 1999-2000 की समीक्षा

संस्कृति किसी भी देश में मानव संसाधन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व होती है। संस्कृति विभाग देश की संस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए भारत सरकार की अनेक योजनागत स्कीमें चलाता है। इसके पास कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, राष्ट्रीय अभिलेखागार, पुस्तकालयों, अकादमियों जैसी अनेक स्वायत्त संस्थाओं/ संगठनों के अतिरिक्त अधीनस्थ एवं संलग्न कार्यालयों का एक विशाल तंत्र है। वर्ष 1999-2000 के लिए संस्कृति विभाग को 165 करोड़ रुपये और 185 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। योजना आयोग ने वार्षिक योजना 2000-01 के अंतर्गत संस्कृति विभाग की स्कीमों के लिए 185 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं।

2. वर्ष 1999-2000 के दौरान, विभाग के कार्यकलाप सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ गए हैं। निदेशानुसार, वर्ष के दौरान विभिन्न संगठनों ने लगभग 10 करोड़ रुपये के प्रस्तावित व्यय के साथ अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए और चलाए। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मंत्रियों की एक बैठक नवंबर 1999 में हुई। शिथिल बनाए गए प्रतिमानों और अधिक परिव्यय के साथ बहु-प्रयोजनी सांस्कृतिक परिसरों के संवर्द्धन तथा विकास पर ध्यान दिया गया है। राजकीय अभिलेखागारों को मजबूत बनाने और नए संग्रहालय, पुस्तकालय, अभिलेखागार स्थापित करने के प्रयत्न किए गए हैं।

3. योजना आयोग द्वारा समर्थित राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि के अंतर्गत काफी अधिक उपलब्धियां हुई हैं। अनेक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उसके परिचालन तथा कार्यान्वयन की प्रणाली को व्यापक रूप से प्रचारित किया गया है। सी आई आई और फिक्की जैसी संस्थाओं ने इस निधि में अपना अंशदान दिया है। आगा खां ट्रस्ट ने अप्रैल 1999 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और 50,000 डालर निधि को भेजे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए एस आई) ने हुमायुं के मकबरे के परिसर में जल सरणियों को फिर से चालू करने तथा बगीचों का पुनरुद्धार करने के लिए काम शुरू कर दिया है। कर्नाटक चित्रकला परिषद् ट्रस्ट के साथ भी एक अन्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है।

4. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए एस आई) ने अपने पहले से चले कार्यक्रमों को जारी रखा और 3601 केंद्र-संरक्षित स्मारकों का, जिनमें 16 विश्व धरोहर और 33 संग्रहालय शामिल हैं, अनुरक्षण किया। ए एस आई द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों में ढांचे की मरम्मत, रासायनिक संरक्षण, स्मारकों के आस-पास के स्थलों का विकास आदि शामिल हैं। ए एस आई अप्रारक्षित स्मारकों के संरक्षण का काम भी निक्षेप कार्य (डिपाजिट वर्क) आधार पर हाथ में लेता है। अन्वेषण तथा उत्खनन से संबंधित कार्यकलाप भिन्न-भिन्न स्थलों पर चलते रहे, जिनमें गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में फैला हुआ, सरदार सरोवर परियोजना का डूबा हुआ क्षेत्र शामिल है। इस संबंध में धोलावीरा का स्थल विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जहां पाई गई प्रमुख वस्तुओं में किले और मध्य शहर के बीच बना एक स्टेडियम, चट्टानों को काट कर बनाया गया एक जलाशय और कुछ पुरातत्वीय वस्तुएं शामिल हैं। एक अन्य हड़प्पा संस्कृति स्थल हरियाणा राज्य में हिसार जिले के राखी गढ़ी गांव में पाया गया है, जहां पर आदि हड़प्पा काल तथा प्रौढ़ हड़प्पा काल के स्थापत्य कला के प्राचीन अवशेष मिले हैं। आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में की गई खुदाई में जैन मूर्ति मिली है; इन मूर्तियों पर नागरी लिपि तथा संस्कृत भाषा में दसवीं तथा ग्यारहवीं शताब्दी के शिलालेख मिले हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के अनेक जिलों में गांव-गांव जाकर सर्वेक्षण किया गया जिससे अनेक नए पुरातात्विक स्थलों का पता चला है। मंदिर सर्वेक्षण

तथा भवन (औपनिवेशिक) सर्वेक्षण की दो परियोजनाएं चंडीगढ़ में और कर्नाटक, दिल्ली तथा कलकत्ता के अन्य स्थलों पर प्रलेखन कार्य (फोटोग्राफी प्रलेखन सहित) के लिए चल रही हैं। अपने प्रकाशन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, ए एस आई ने फतेहपुर सीकरी जैसे स्मारकों पर मार्गदर्शक पुस्तिकाएं और फोल्डर प्रकाशित किए हैं। वर्ष 1999 का चार मीनार 'इंटैक' पुरस्कार ए एस आई को गोलकुंडा किले के उत्कृष्ट संरक्षण कार्य के लिए दिया गया।

5. राष्ट्रीय संग्रहालय ने अनेक प्रदर्शनियों, शिक्षा कार्यक्रमों, प्रकाशनों आदि के अलावा, विभिन्न योजनागत कार्यक्रम तथा शिल्प एवं कला वस्तुओं की प्राप्ति तथा संरक्षण के कार्यकलाप जारी रखे। भारत की स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर अनेक प्रदर्शनियां आयोजित की गईं, जैसे 'सिख विरासत', "राष्ट्रीय संग्रहालय का कांस्य खजाना", "पाण्डुलियां : अतीत में एक अंतर्दृष्टि"; "उच्चतम न्यायालय के पचास वर्ष", और "भारतीय विधि-प्रणाली"। इसके अलावा, अनेक व्याख्यानों, संदर्शित यात्राओं, फिल्म प्रदर्शनों, चित्रकला प्रतियोगिताओं, प्रश्नोत्तर कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि का भी आयोजन किया गया। भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता, सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद और इलाहाबाद संग्रहालय ने कला वस्तुओं की प्राप्ति तथा संरक्षण प्रदर्शनियों, शैक्षिक कार्यक्रमों, संगोष्ठियों के आयोजन की योजनागत स्कीमें तथा कार्यक्रम जारी रखे। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एन सी एस एम) अपने योजनागत कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से छात्रों तथा जनसाधारण में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने का कार्य करती रही।

6. योजना आयोग से मिली सहायता से गोआ में शीघ्र ही विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रदर्शों के संकल्पनात्मक विकास का काम प्रारंभ हो चुका है। एन सी एस एम की इकाइयों में कुल मिलाकर 326 प्रदर्श तैयार किए जा चुके हैं। एन सी एस एम को मारीशस में राजीव गांधी विज्ञान केंद्र विकसित करने की परियोजना भी सौंपी गई है। उत्प्रेरक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत, एन सी एस एम सिंगापुर और इजराइल में स्थापित विज्ञान केंद्रों के लिए प्रदर्श विकसित कर रहा है। परिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में 300 विद्यालय विज्ञान केंद्र स्थापित किए हैं और प्रदर्श विकसित करने के साथ-साथ, शिक्षण सहायक सामग्री, प्रशिक्षण सुविधाएं, किट और पुस्तकें भी दी हैं।

7. नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय ने भी इतिहास तथा सामाजिक विज्ञान, विशेषतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा समकालीन इतिहास में, अनुसंधान संवर्द्धन के कार्यकलाप जारी रखे। पुस्तकालय ने निजी संग्रहों के माइक्रो फिल्म/ माइक्रोफिश, शोध प्रबंध और विख्यात विद्वानों की पाण्डुलिपियों की माइक्रोफिल्मों के द्वारा अपने संसाधनों को समृद्ध बनाने का काम जारी रखा। इसका अनुसंधान तथा प्रकाशन प्रभाग अपने प्रकाशन कार्यक्रमों में संलग्न रहा और उसने विभिन्न शोध परियोजना संस्थाओं की मानीटरिंग की।

8. सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण की राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एन आर एल सी) संरक्षण की तकनीकों में शोध कार्य करती रही और उसने देश में स्थित अभिलेखागारों, संग्रहालयों और पुरातत्व विभागों को तकनीकी सलाह एवं सहायता दी।

9. संस्कृति विभाग के अंतर्गत कार्यरत अभिलेखागारों तथा पुस्तकालयों ने भी अपनी विभिन्न योजनागत स्कीमों तथा कार्यक्रमों को चालू रखा। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार केंद्रीय सरकार के अभिलेखों का खजाना है। उसने अभिलेख प्राप्त करने, इनका प्रबंध करने, अभिलेखागार-विज्ञान में डिप्लोमा तथा अन्य अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के कार्यक्रम जारी रखे और साथ ही देश-विदेश से आए शोध छात्रों को शोध कार्य करने में सुविधाएं प्रदान कीं। उसने संरक्षण तथा रिप्रोग्राफी की तकनीकों के संबंध में सरकारी/ निजी संस्थाओं तथा व्यक्तियों को परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध कराईं।

10. एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता ने अपने आंतरिक शोध संबंधी कार्यकलापों के अलावा, छह योजनागत परियोजनाएं प्रायोजित कीं। एशियाटिक सोसायटी ने भारत-रूस संबंधों के अध्ययन के लिए प्राच्य अध्ययन संस्थान, मास्को के साथ सहयोग जारी रखा और वह अपने नियमित कार्यकलापों के भाग के रूप में, भारत विद्या, आयुर्विज्ञान का इतिहास, विज्ञान का इतिहास, प्राच्य अध्ययन, धार्मिक संस्कृति, आदि के क्षेत्र में अन्य अकादमिक शोध कार्यों में संलग्न रही। सोसाइटी ने अपने मासिक बुलेटिनों के अलावा 15 पुस्तकें और छः पत्रिकाएं प्रकाशित कीं।

11. योजना आयोग ने भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को, जो देश में मानव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देता है और देश के लोगों की जैव-सांस्कृतिक विरासत के संबंध में सूचना प्रदान करता है, योजनागत कार्यकलापों में सहायता दी। इस संस्था ने चार नई अनुसंधान स्कीमें हाथ में लीं और पांच पुरानी स्कीमों को जारी रखा जिनमें नौवीं योजना में भारतीय आबादी की पोषाहारिक स्थिति से संबंधित स्कीम भी शामिल है। मानव विज्ञान सर्वेक्षण की अपनी प्रयोगशालिक सुविधाओं का और आगे विकास करने की योजनाएं हैं, ताकि 'डी एन ए पालीमॉर्फिज्म' के विषय पर उच्चस्तरीय अनुसंधान हो सके। उसने अकादमिक सहयोग के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने भारत में जनजातीय तथा जातीय संस्कृति के संरक्षण तथा परिरक्षण के कार्यक्रम का निष्पादन जारी रखा। भोपाल में और देश के अनेक स्थानों पर कुछ नए कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनके अंतर्गत कार्यशालाओं, फील्ड शिविरों आदि के जरिए, स्थान विशेष के परंपरागत कौशल, प्रौद्योगिकियों तथा ज्ञान प्रणालियों की जटिलता, विविधता, स्वायत्तता के प्रलेखन, संरक्षण, पुनरुज्जीवन, प्रस्तुतीकरण तथा प्रसार के लिए नए कदम उठाए गए।

पुस्तकालय

12. राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता ने विद्वानों/ शोध छात्रों तथा अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए सूचना एकत्र करने और प्रदान करने से संबंधित अपने कार्यक्रम जारी रखे। पुस्तक परिदान अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, पुस्तक परिदान को सुनिश्चित करने और भारतीय प्रकाशकों के प्रकाशनों के संग्रह में वृद्धि करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया ताकि राष्ट्रीय ग्रंथसूची अधिक व्यापक, पूर्ण तथा अद्यतन बनाई जा सके। राष्ट्रीय पुस्तकालय के साथ स्थित भाषा भवन का कार्य योजना आयोग की सहायता से तेजी से प्रगति कर रहा है। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता ने अपनी दो परियोजनाएं चालू रखीं: भारत की राष्ट्रीय ग्रंथसूची का रोमनलिपि में और 14 भारतीय भाषाओं में संकलन तथा प्रकाशन, केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय, दिल्ली, अनुसंधान तथा संदर्भ के लिए अपने पंजीकृत सदस्यों को और नीति-नियोजकों, विद्वानों, शोध छात्रों और सामान्य पाठकों को अपनी सेवाएं प्रदान करता रहा। महाभारत की डाटाबेस परियोजना-श्लोकों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बदलना-प्रगति पर है और अन्य परियोजनाओं के साथ चल रही है। यह पूर्णरूप से कंप्यूटरीकृत है और कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाती है। यह सी डी रोम डाटा-बेस का अपना संग्रह भी विकसित कर रहा है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, जिसका दिल्ली में अपनी अनेक शाखा-प्रशाखाओं के साथ सबसे बड़ा नेटवर्क है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, जिसमें देहाती तथा शहरी सभी इलाके शामिल हैं, हमेशा की तरह लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करती रही। कलकत्ता स्थित राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करके और उनमें पठन-पाठन की रुचि उत्पन्न करके सार्वजनिक पुस्तकालय अभियान को प्रोत्साहन देता रहा। तंजावूर महाराजा सरफोजी की सरस्वती महल लाइब्रेरी केवल मात्र ऐसा मध्ययुगीन पुस्तकालय है जो अपने यहां कला तथा साहित्य के सभी पक्षों पर पाण्डुलिपियों, पुस्तकों, मानचित्रों तथा चित्रों का एक अत्यन्त दुर्लभ तथा बहुमूल्य संग्रह संजोए हुए है। इसके विकासात्मक कार्यकलापों की समीक्षा करने के लिए एक समीक्षा समिति स्थापित की गई है, जिसमें योजना आयोग का एक

प्रतिनिधि भी सदस्य है। देश में स्थित प्राच्य पुस्तकालय, जैसे खुदाबक्श ऑरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना और रामपुर रजा लाइब्रेरी, अपने सामान्य योजनागत कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों में संलग्न रहे।

13. जिन तीन राष्ट्रीय अकादमियों को योजना आयोग योजनागत धनराशियां उपलब्ध कराता है, उनमें से एक संगीत नाटक अकादमी अपने पहले से चले आ रहे योजनागत कार्यक्रमों में संलग्न रही। ये कार्य हैं : प्रलेखन एवं प्रसार, अपने अभिलेखागार, संग्रहालय तथा पुस्तकालयों को समृद्ध बनाना, कार्यशालाओं तथा पारस्परिक संपर्क सत्रों के माध्यम से युवा भारतीय संगीतकारों को एक भारत-व्यापी मंच उपलब्ध कराने के लिए संगीत समारोहों का आयोजन करना। संगीत नाटक अकादमी ने पुरस्कार तथा अध्येतावृत्तियां प्रदान कीं। भारत में भिन्न-भिन्न स्थानों पर अनेक नृत्योत्सव तथा कार्यक्रम आयोजित किए गए। 31 कलाकारों तथा विद्वानों को पुरस्कार तथा छात्रवृत्तियां दी गईं। कथक केन्द्र नृत्य की शिक्षा के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय सेवाएं देता रहा। उसने भारत तथा विदेश (उत्तर कोरिया) में कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मणिपुर नृत्य अकादमी ने मणिपुरी नृत्य, संगीत तथा सहायक कलाओं में व्यापक पाठ्यक्रम चलाए और भाग्यचन्द्र राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य महोत्सव जैसे अनेक कार्यक्रम प्रायोजित किए। साहित्य अकादमी संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त सभी भारतीय भाषाओं में अपने पुस्तकालय सम्बन्धी कार्यकलापों के विकास के लिए प्रयत्नशील रही। साहित्य अकादमी ने 200 पुस्तकें प्रकाशित कीं और शुद्ध रूप से कुल मिला कर 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की पुस्तकें बेचीं। अकादमी ने विभिन्न सरकारी संस्थाओं के सहयोग से विदेशी भाषाओं में भारतीय गौरव ग्रंथों के अनुवाद की परियोजना को चालू रखा। ललित कला अकादमी ने दृश्य कलाओं के क्षेत्र का संवर्द्धन किया और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में कलाकारों को मान्यता दे कर और विशिष्ट कलाकर्मियों को अध्येता-वृत्तियों प्रदान करके कला तथा कलाकारों का हितसाधन करने में संलग्न रही। इस अकादमी ने कला मेलों, कलाकार शिवरों/ कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और व्याख्यान आदि का भी आयोजन किया। ऐसी ही एक प्रदर्शनी पूर्वाचल संस्कृतिक केन्द्र (ई जेड सी सी) और मणिपुर सरकार के सहयोग से परंपरागत तथा समकालीन कला के विषय पर मणिपुर में आयोजित की गई। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंचीय प्रशिक्षण देने में संलग्न रहा और नाटकों के प्रस्तुतीकरण, उत्सवों के आयोजन, प्रदर्शनियों और शिक्षागत रंगमंच संबंधी पहले से चली आ रही योजनागत स्कीमों तथा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता रहा। उसके स्कूलों में नाटकों, विशेषरूप से बच्चों के लिए तैयार किए गए तथा उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किए गए नाटकों और उनके प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया। इस कार्यक्रम में 300 छात्रों ने भाग लिया। पहला राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव, भारत रंग महोत्सव के नाम से, 18 मार्च से 14 अप्रैल तक हुआ और उसमें विभिन्न राज्यों से आई हुई राष्ट्रीय स्तर की थिएटर कम्पनियों द्वारा और नाट्य विद्यालय की रेपरटरी कम्पनी द्वारा हिन्दी, मराठी, तमिल, मलयालम डोगरी, बंगला, मणिपुरी, कन्नड़, पंजाबी, तेलुगु आदि भाषाओं में कुल मिलाकर 89 नाटक मंचित किए गए।

14. देश में स्थित सात आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्रों ने देश में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने और सांस्कृतिक आंदोलनों को सबल बनाने, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में लुप्त हो रही लोककला परंपराओं का संवर्द्धन करने का काम जारी रखा। ये केन्द्र राज्य सरकारों के विभागों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर अनेक स्कीमों के माध्यम से जनजातीय कला तथा लोककला के नानाविध रूपों के परिरक्षण, संवर्द्धन तथा संरक्षण के लिए कार्यरत रहे। ये स्कीमें थी: राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, लुप्त हो रहे या मर रहे कलारूपों को बचाने के लिए प्रलेखन केन्द्रों की स्थापना, और शिल्पकारों को संवर्द्धन तथा विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए शिल्प ग्रामों की स्थापना। संरचनात्मक परिवर्तनों, प्रशासनिक व्यय में कमी आदि के बारे में अनन्तमूर्ति समिति की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों वर्ष 1998-99 से इन आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्रों के कार्यक्रमों में कार्यान्वित की जा रही हैं।

15. केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ और केन्द्रीय बौद्ध दर्शन अध्ययन संस्थान, लेह बौद्ध धर्म, एवं दर्शन तथा तिब्बती अध्ययन में शिक्षा के संवर्द्धन तथा प्रसार के लिए कार्य करते रहे और अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई। वर्ष 1999-2000 के दौरान दोनों केन्द्रों को एक-एक करोड़ रुपए के योजनागत अनुदान मिले। स्पितुक मठ, लेह को वर्ष 1999-2000 के दौरान नवीकरण तथा मरम्मत के कार्यों के लिए विशेष सहायता के रूप में योजना आयोग द्वारा 1 करोड़ रुपए दिए गए। गांधी स्मृति तथा दर्शन समिति ने महात्मा गांधी के जीवन तथा विचारों के प्रचार-प्रसार की दिशा में आगे और काम किया और इसके लिए उसने विभिन्न प्रकार के सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र ने भी अनेक अभिनव कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों के माध्यम से देश में कला तथा संस्कृति के संवर्द्धन में और स्वयं को सभी प्रकार की कलाओं के अध्ययन के लिए एक उच्चकोटि का केन्द्र विकसित करने में योगदान दिया।

16. संस्कृति विभाग ने विभिन्न संगठनों तथा संस्थाओं के माध्यम से संस्कृति के संवर्द्धन के अलावा कुछ स्कीमों प्रत्यक्षरूप से भी कार्यान्वित की और भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर अनुसंधान तथा अन्य कार्य करने के लिए वेतन अनुदान, उत्पादन अनुदान, छात्रवृत्ति, पेंशन आदि अनेक खर्चों को पूरा करने के लिए सहायता-अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की।

वार्षिक योजना 2000-01

17. संस्कृति और खेल एवं युवा कार्यों के लिए एक अलग मंत्रालय के गठन से देश में सांस्कृतिक कार्यकलापों को बल तथा प्रोत्साहन मिलेगा। योजना आयोग ने वर्ष 2000-01 में संस्कृति विभाग के लिए 185 करोड़ रुपये के परिव्यय को अनुमोदित किया। 22.75 करोड़ रुपये की राशि पूंजीगत निर्माण कार्यों के लिए नियत की गई है, उसमें से 15 करोड़ रुपये राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के भाषा भवन के लिए निर्धारित किए गए हैं। 162.25 करोड़ रुपए योजना आयोग के परामर्श से, संस्कृति विभाग की स्कीमों के लिए और विभिन्न संगठनों के लिए उनके उद्देश्यों तथा प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आबंटित किए गए हैं। इस बात पर बल दिया जाएगा कि पहले से चली आ रही परियोजनाओं, जैसे भाषा भवन, ए एस आई कार्यालय और संस्थान भवन, एन जी एम ए की अनेकसी इमारत और एन ए आई के भवन आदि के कार्य को जल्दी ही पूरा कर दिया जाए। योजना आयोग ने दोहराव से बचने के लिए स्कीमों के एकीकरण तथा उनकी संख्या को कम करने का प्रयास किया।

18. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रस्ताव है कि आधारभूत ढांचे के स्तर को सुधारने और 16 विश्व धरोहर स्मारकों के परिसरों सहित 300 चुने हुए स्मारकों के अनुरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाए ताकि उनका सांगोपांग विकास हो सके, जिसमें इन स्मारकों का उचित प्रबंध, प्रलेखन कार्य, संरक्षण तथा पर्यावरण विकास शामिल है। इसके अतिरिक्त, नई खोज तथा खुदाई का कार्य प्रमुख रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के नए स्थलों पर किया जाएगा। ए एस आई, अपने मुख्यालय के लिए और पुरातत्व संस्थान के लिए नोएडा में एक अलग भवन का निर्माण प्रारंभ करना चाहता है। उन्होंने योजना आयोग की सहायता से नोएडा में अपनी जमीन भी ले ली है। खुदाई स्थलों पर संग्रहालय स्थापित करना और उनका दर्जा बढ़ाना कार्य का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावा, कुछ अन्य स्मारकों का काम भी, उनके पर्यटक महत्व को देखते हुए, हाथ में लिया जाएगा। भित्ति चित्रों के संरक्षण की स्कीम को, जिसे ए एस आई ने योजना आयोग के कहने पर वर्ष 1996-97 के दौरान प्रारंभ किया था, अनन्य रूप से भित्ति चित्रों के संरक्षण के लिए देहरादून, इंदौर, जयपुर, औरंगाबाद और मैसूर में पांच परियोजना शाखा कार्यालय स्थापित करके और सबल बनाया जाएगा। ए एस आई, राष्ट्रीय संग्रहालय और तीन

राष्ट्रीय अकादमियों के प्रकाशन कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उच्च कोटि के प्रकाशन निकाले जा सकें।

19. राज्यों तथा स्वायत्तशासी निकायों के नियंत्रण में भी स्थापित संग्रहालयों को सहायता-समर्थन देने की मौजूदा स्कीमों के परिशोधन को भी पूरा-पूरा समर्थन दिया जा रहा है। भारत के मानव वैज्ञानिक सर्वेक्षण के कार्यकलापों में सुधार लाने और उन्हें सबल बनाने के लिए सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, विकास तथा क्षेत्रवाद, बच्चों की वृद्धि और विकास से संबंधित नई परियोजनाओं के लिए 'सार्क' देशों की जनता के बीच जैव-सांस्कृतिक संबंधों के बारे में अध्ययन के विशेष कार्यक्रम और जैव-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के अध्ययन की परियोजना के लिए भी सहायता दी जाएगी। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के अंतर्गत राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन और विनिर्दिष्ट अभिनय कला परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों/व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने की स्कीम के अंतर्गत राज्य महोत्सव के आयोजन और विज्ञान केंद्रों की स्थापना जैसे नए कार्यक्रमों को भी सहायता दी जा रही है।

20. संस्कृति विभाग का केंद्रीय, राजकीय और स्थानीय संग्रहालयों के बीच संबंध विकसित करने का भी प्रस्ताव है। मारीशस की सरकार के सहयोग के एन सी एस एम द्वारा जालंधर में विज्ञान नगर और अन्य विज्ञान केंद्र स्थापित करने की परियोजनाओं को भी समर्थन दिया जा रहा है।

21. योजना आयोग ने पंचायतों के नियंत्रण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के नए इलाकों में वर्तमान पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण तथा सार्वजनिक पुस्तकालय तंत्र के विस्तार के लिए संस्कृति विभाग के प्रस्तावों का समर्थन किया है।

22. आंचलिक सांस्कृतिक केंद्रों, सी सी आर टी, राष्ट्रीय अकादमियों, अर्थात् साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सभी विकासात्मक कार्यकलापों के लिए, जैसे (क) इसके अनुवाद ब्यूरो को सबल बनाना, (ख) संग्रहालय, नृत्य और रंगशाला विषयक विश्वकोष बनाने की संगीत नाटक अकादमी की परियोजना, अभिलेखागारीय, सामग्री के उत्पादन तथा प्रसार की परियोजना आदि।

23. लेह तथा सारनाथ में बौद्ध तथा तिब्बती अध्ययन केंद्र, नव नालंदा महा विहार, नालंदा तिब्बत हाउस, तवांग मठ विद्यालय, केंद्रीय तिब्बती पुस्तकालय, धर्मशाला आदि को सबल बनाने के लिए उन्हें सहायता दी जा रही है ताकि वे दुर्लभ पाण्डुलिपियों के भंडार तथा बौद्ध धर्म तथा दर्शन के पठन पाठन के केंद्रों के रूप में अपना आधारभूत ढांचा सुधार सकें।

24. पूर्वोत्तर क्षेत्र में नए कार्यक्रम : प्रधान मंत्री के निदेशों के अनुसार, योजना आयोग की सहमति से, बजट की 10 प्रतिशत राशि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई है। प्रस्ताव किया गया है कि सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्ध तथा बहुविध कला तथा संस्कृति को उजागर करने वाली और लोकप्रिय बनाने वाली विभिन्न स्कीमों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से कुछ नए कदम उठाए जाएं।

25. शिक्षा प्रभाग के अधिकारियों को संस्कृति विभाग के अंतर्गत बौद्ध तथा तिब्बती संस्थाओं, विज्ञान नगर कलकत्ता, सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी आदि की विकास संबंधी कार्यकलापों से संबंधित विभिन्न स्कीमों की मानीटरिंग तथा समीक्षा करने वाली समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है और पूर्णतः सहयोजित किया जा रहा है।

5.9 युवा कार्य और खेल

वार्षिक योजना 1999–2000 की समीक्षा

युवा कार्य

भारत में युवाओं की संख्या देश की कुल आबादी का 34 प्रतिशत है। वे अपने समाज का एक अत्यंत गतिशील संसाधन हैं। उन्हें सांप्रदायिकता तथा सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध सामाजिक जागरूकता को बल देने और चेतना जागृत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। युवा-शक्ति के विशाल संसाधन का सदुपयोग किया जाए तो वे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने में अपना महान योगदान दे सकते हैं। योजना आयोग ने युवा-शक्ति का रचनात्मक कार्यों में उपयोग करने और उनमें उदात्त मूल्य तथा देशभक्ति की भावना भरने के लिए युवा कार्य और खेल विभाग द्वारा संचालित अनेक कार्यक्रमों और कौशल-निपुणता बढ़ाने के कार्यक्रमों को समर्थन दिया है।

2. वर्ष के दौरान राष्ट्रीय सेवा स्कीम (एन एस एस) के अंतर्गत 15.87 लाख से भी अधिक छात्र स्वयंसेवकों का समावेश था जो 175 विश्वविद्यालयों और 22 वरिष्ठ माध्यमिक परिषदों में फैले हुए थे। इस स्कीम के प्रारंभ से अब तक, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्चतर अध्ययन की संस्थाओं से 1.52 करोड़ से अधिक छात्र राष्ट्रीय सेवा स्कीम का लाभ उठा चुके हैं। 'स्वास्थ्य सोसाइटी के लिए युवा' (यूथ फॉर हेल्थ सोसाइटी) विषय पर विशेष शिविर आयोजित किए गए और सामुदायिक विकास कार्यकलापों के लिए गांवों को अपनाया गया। राष्ट्रीय सेवा स्कीम (एन एस एस) के स्वयंसेवकों ने उड़ीसा के तूफान पीड़ित इलाकों में बचाव, राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास संबंधी कार्यों में अपना योगदान दिया। सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए, भुवनेश्वर के सर्वाधिक तूफान-प्रभावित स्लम इलाकों में 103 विशेष शिविर और तीन-अंतर्राज्यीय एन एन एस शिविर लगाए गए, जिनमें 2500 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इसके अलावा, एन एस एस स्वयंसेवक प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री जुटाने और उसका वितरण करने में भी लगे रहे। नियमित कार्यकलापों तथा विशेष शिविर कार्यक्रम के लिए धनराशियां जुटाने के उद्देश्य से इस स्कीम में संशोधन-परिवर्तन किया जा रहा है।

3. नेहरू युवा केंद्र संगठन तीन प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता है; अर्थात् नियमित कार्यक्रम, युवा विकास एवं सशक्तिकरण के लिए स्कीम और युवा कल्याण के लिए अभिनव परियोजनाएं। वर्ष के दौरान, 861 युवा क्लब विकास कार्यक्रम, 2847 व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और 1891 जागरूकता जनन अभियान आयोजित किए गए जिनमें क्रमशः 37,720, 1,31,177 और 3,24,432 युवाओं ने भाग लिया और लाभान्वित हुए। इसके अलावा, 986 कार्य शिविर, 1143 खेल संवर्द्धन कार्यक्रम और 625 सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न किए गए जिनमें क्रमशः 62,737, 2,79,421 और 2,59,604 युवा सम्मिलित हुए। नेहरू युवा केंद्र संगठन अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/ संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अनेक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भी सक्रिय रहा। ये कार्यक्रम थे: गरीबी विरोधी यू एन डी पी-एन वाई के एस युवा स्वयंसेवक पुरस्कार; अंतर्राष्ट्रीय शांति-संस्कृति वर्ष का समारंभ, और बाल अधिकारों तथा विश्व जीवन रक्षा विषयक प्रशिक्षण एवं कार्यशाला आदि।

4. वर्ष के दौरान, 5725 राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवकों को राज्य सरकारों, नेहरू युवा केंद्र संगठन, और भारत स्काउट तथा गाइडों के साथ राष्ट्र निर्माण के कार्यकलापों में लगाया गया। युवा कार्य

और खेल मंत्रालय ने युवाओं को विकास कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए (31.1.2000 तक) 85 स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की।

खेल

5. वर्ष 1999 के दौरान, एस ए एफ खेलों का आयोजन हुआ जिसमें भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा। भारत के खिलाड़ियों ने 197 पदक (102 स्वर्ण, 58 रजत और 37 कांस्य) जीतकर कुल मिलाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसमें से अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं सितंबर 2000 में सिडनी, आस्ट्रेलिया में होने वाले आगामी ओलंपिक खेलों के लिए अर्हक टूर्नामेंटों के लिए थीं।

6. श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकंदर को ऐथलेटिक्स के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 1998-99 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया।

7. युवा कार्य और खेल विभाग की बहुत-सी स्कीमों को अधिक प्रभावोत्पादक और लक्ष्य-सापेक्ष बनाने के लिए उन्हें योजना आयोग के परामर्श से संशोधित किया जा रहा है; जैसे सिंथेटिक सतहों की आपूर्ति और संस्थापना के लिए सहायता देने की स्कीम; राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की धनराशि; राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता संबंधी मार्गनिर्देश।

8. योजना आयोग ने विशेष रूप से खेलों के आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए अनुदान देने की स्कीम के अंतर्गत धनराशियों के पूर्ण उपयोग पर बल दिया है क्योंकि यह स्कीम राज्यों में खेलों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

9. योजना आयोग ने भारतीय खेल प्राधिकरण (एस ए आई) को, जो कि देश में खेलों के विकास के लिए एक शीर्ष निकाय है, सहायता देना जारी रखा। यह प्राधिकरण अनेक स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में संलग्न रहा। राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतिस्पर्धा की स्कीम के अंतर्गत, 26 नए स्कूलों और 11 नए अखाड़ों को अपनाया गया। वर्ष के दौरान, ए बी एस सी स्कीम के अंतर्गत 820 प्रशिक्षणार्थियों को सेना के 16 क्षेत्रीय रेजिमेंटल केंद्रों में प्रशिक्षण दिया जाता रहा। एस ए आई प्रशिक्षण केंद्रों की स्कीम के अंतर्गत 2373 प्रशिक्षणार्थी (अनिवासी प्रशिक्षणार्थियों सहित) 41 एस ए आई प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण पा रहे थे। बालिका प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 177 से बढ़कर 339 हो गई। विशेष क्षेत्र खेल स्कीम (एस ए जी) के प्रशिक्षणार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की गई; वर्ष 1998-99 में इनकी संख्या 311 थी जो 1999-2000 में बढ़कर 685 (484 बालक और 201 बालिकाएं) हो गई। वर्ष के दौरान, 115 प्रशिक्षणार्थियों को एस ए आई के क्षेत्रीय केंद्रों में स्थित विशिष्ट केंद्रों में विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण देने के लिए चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए आवश्यक उत्कृष्टता का विकास करने के लिए, एस ए आई ने 25 दीर्घावधिक विकास कार्यक्रम तैयार किए और 25 खेल विषयों में कार्रवाई प्रारंभ की।

10. केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए 2 करोड़ रुपये के अंशदान से राष्ट्रीय खेल विकास कोष स्थापित किया गया है। इस राशि के अलावा, भिन्न भिन्न स्रोतों से 10-10 लाख रुपये का और अंशदान प्राप्त हुआ है।

11. पिछले दो वर्षों में, युवा कार्य एवं खेल विभाग ने अपनी भिन्न-भिन्न स्कीमों के अंतर्गत आबंटित कुल योजना राशि का 10 प्रतिशत से अधिक अंश सिविकम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को दिया। वर्ष 1999-2000 में भी, विभाग ने अपने आबंटनों का कम से कम 10 प्रतिशत भाग इसी क्षेत्र में खर्च करने की योजना बनाई है। वर्ष के दौरान, एन वाई के एस ने 97 युवा

क्लब विकास कार्यक्रम, 445 व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, 140 जागरूकता अभियान, 93 कार्य शिविर, 157 खेल संवर्धन कार्यक्रम, 3 साहसपूर्ण कार्यक्रम, विशिष्ट दिवस तथा सप्ताह मनाने के 503 कार्यक्रम, और 17 कार्यशालाएं तथा संगोष्ठियां पूर्वोत्तर राज्यों में आयोजित कीं। युवा कार्य एवं खेल विभाग ने चालू वर्ष के दौरान 36.57 लाख रुपये राष्ट्रीय सेवा स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को केंद्रीय अंश के रूप में दिए।

वार्षिक योजना 2000– 2001

12. वार्षिक योजना 2000–2001 में युवाकार्य एवं खेल विभाग के लिए 215 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इस परिव्यय का ब्यौरा नीचे सारणी 5.9.1 में दिया गया है।

सारणी 5.9.1 युवा कार्य एवं खेलों के लिए योजनागत परिव्यय

(करोड़ रुपये)

युवा कार्य	85.04
खेल एवं शारीरिक शिक्षा	129.66
सचिवालय सेवाएं	0.30
जोड़	215.00

13. वर्ष 2000 – 2001 के दौरान, युवा शक्ति को काम में लेने, आधारभूत ढांचे का विकास करने और अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया जाएगा, ताकि ये खिलाड़ी भावी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

14. युवा कार्य एवं खेल विभाग ने युवा वर्ग की भलाई के लिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर नामक एक स्कीम तैयार की है जहां युवा-ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण के रचनात्मक कार्यों और उत्पादक कार्यकलापों की ओर मोड़ा जाएगा। यह स्कीम, एक प्रायोगिक स्कीम के रूप में, वर्ष 2000–2001 में प्रारंभ की जाएगी। ज्योंही पता चलेगा कि यह स्कीम प्रभावोत्पादक एवं सार्थक सिद्ध हो रही है, इसका परिचालन एक पूर्ण स्कीम की तरह प्रारंभ कर दिया जाएगा।

15. युवा कार्य एवं खेल विभाग लक्ष्यगत युवा वर्ग को आवश्यक सहायता और सूचना प्रदान करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है और उससे यह आशा की जाती है कि वह संसाधनों के प्रभावी एवं कुशल उपयोग के लिए अन्य मंत्रालयों/ विभागों के साथ मिलकर संपर्क-साधन की रीतियां तैयार करेगा। युवा वर्ग में स्व-रोजगार तथा उद्यमशीलता के विकास पर जोर दिया जाए।

16. एन वाई के एस के व्यावसायिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सामुदायिक पॉलिटेक्नीक संस्थाओं तथा गैर-सरकारी संगठनों को अधिकाधिक सहयोजित करने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण तथा अलग-थलग या उपेक्षित रहे युवाओं तक पहुंचा जा सके। युवा कार्यक्रमों के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों एवं स्वयंसेवी समूहों को सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्वैच्छिक संगठनों को किशोरों के कल्याण के लिए भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

17. समाज में किशोर वर्ग के लिए एक स्थायी स्थान बनाने के लिए समन्वित प्रयास करने होंगे ताकि उनका स्वस्थ विकास हो सके।
18. युवा क्लबों को और सबल बनाने की आवश्यकता है। निजी/ निगम क्षेत्रक और जनता के समर्थन से राष्ट्रीय खेल विकास निधि के संसाधनों को बढ़ाने के विषय में तत्काल विचार करना होगा।
19. निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रक की इकाइयों को खेल के आधारभूत छांचे के विकास तथा संवर्धन कार्य को अपने हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहन किया जाए।
20. खेलों को शिक्षा प्रणाली के एक भाग के रूप में समेकित करने के एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को अपनाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, राज्य सरकारें भी अपने बजट में खेलों के लिए अधिक धनराशि की व्यवस्था करें, जिससे कि युवा वर्ग के लिए खेल की अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
21. विकलांग व्यक्तियों में खेल-कूद को बढ़ावा देने की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
22. खेल संवर्धन के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र पर आगे भी विशेष ध्यान दिया जाता रहेगा।

अध्याय 6

कृषि, सिंचाई, खाद्य और पोषाहार सुरक्षा

6.1 कृषि

भारत में कृषि अधिकांशतः मानसून पर निर्भर करती है, क्योंकि निवल बुवाई क्षेत्र (एन एस ए) के केवल लगभग 37 प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है। 1999 के मानसून के मौसम (जून से सितंबर) में 81 प्रतिशत क्षेत्र में सामान्य से लेकर आवश्यकता से अधिक वर्षा हुई। कुछ क्षेत्रों में नमी की कमी होने और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आने से कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और चावल में अभूतपूर्व अथवा रिकार्ड उत्पादन के बावजूद वर्ष 1999-2000 में खाद्यान्नों का उत्पादन 201.91 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर पर होने की संभावना है, जबकि इसकी तुलना में 1998-99 में 205.91 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था और गन्ने के उत्पादन के भी 309.31 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच जाने की संभावना है। लेकिन तिलहनों और कपास के उत्पादन में कमी आई है। वर्ष 2000-01 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य 212 मिलियन टन रखा गया है। फसलों के उत्पादन और लक्ष्यों की जानकारी संलग्नक 6.1 में दी गई है।

2. नौवीं योजना के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभेदी कार्य-नीति अपनाई गई है, जिसमें भूमि के अवनयन की जांच करने, लघु सिंचाई के विस्तार को प्रोत्साहन देने, उर्वरकों के उपयोग को बढ़ाने, निविष्टियों की वितरण प्रणाली में सुधार करने, ऋण-प्राप्ति में वृद्धि करने और फसल बीमा स्कीम का विस्तार करने पर समुचित जोर दिया गया है। कार्यान्वित किए जा रहे, कार्यक्रमों के अभिबिंदुकरण एवं एक-सूत्रता लाने के लिए और राज्य-सापेक्ष मुद्दों की ओर ध्यान देने के लिए एक नई अवधारणा "कृषि का मेक्रो प्रबंधन-कार्य योजनाओं के जरिए राज्यों के प्रयत्नों की अनुपूर्ति" का अनुमोदन किया गया है, जिसे वर्ष 2000-01 से क्रियान्वित किया जाना है। यह नई स्कीम इस समय क्रियान्वित की जा रही कई केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों का स्थान लेगी और कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा राज्यों को धनराशियों का आबंटन कार्य योजनाओं के आधार पर किया जाएगा।

कार्य नीति

- क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का अभिबिंदुकरण।
- राज्यों के प्रयत्नों की अनुपूर्ति करने के लिए "कार्य योजनाओं" के जरिए मेक्रो-प्रबंधन कार्य-पद्धति को अपनाना।

खाद्यान्न

3. खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न स्कीमों, अर्थात् एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (चावल/ गेहूँ/ मोटे अनाजों पर आधारित फसल प्रणाली क्षेत्र में आई. सी. डी. पी.-चावल, आई. सी. डी. पी.-गेहूँ और आई. सी. डी. पी.-दालों से भिन्न अनाज), त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम और बीज मिनीकिट कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। तीन आई. सी. डी. पी. कार्यक्रमों को वर्ष 2000-01 से कृषि को मेक्रो प्रबंधन स्कीम में मिलाया जाना है। लेकिन त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम को तिलहनों, दालों और मक्का के प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत अलग स्कीमों के रूप में कार्यान्वित किया जाता रहेगा।

स्कीमों का विलय

- चावल, गेहूँ और दालों से भिन्न मोटे अनाजों से संबंधित एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रमों को मेक्रो-प्रबंधन स्कीम में मिलाया जाना है।

खाद्यान्नों के उत्पादन के बारे में नौवीं योजना के लक्ष्य

4. नौवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका और उत्पादन लगभग 200 मिलियन टन के आस-पास बना रहा जो वर्ष 1996-97 के उत्पादन (199.44 मिलियन टन) के लगभग बराबर है। लेकिन, वर्ष 1999-2000 में चावल (88.55 मिलियन टन) और गेहूं का उत्पादन क्रमशः 86.00 मिलियन टन और 74.00 मिलियन टन के लक्ष्य से अधिक हुआ। यदि चालू वर्ष में उत्पादन पिछले सर्वोच्च स्तर जितना हुआ, तो उत्पादन 213.89 मिलियन टन होगा। यदि इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए, तो चालू वर्ष 2000-01 के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

तिलहन

5. तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, तिलहन सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत, जो 1986 में शुरू किया गया था, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, तिलहनों सम्बन्धी फसलोत्तर प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास के कार्यक्रम और तेल-खजूर (आयल-पाम) विकास कार्यक्रम, केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों के रूप में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अपारम्परिक तिलहनों के लिए नए क्षेत्रों को और तिलहनों की अतिरिक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए अपारम्परिक क्षेत्रों को शामिल करके तिलहनों संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के प्रयासों की अनुपूर्ति कर रहा है। यह वृक्ष-जन्य तिलहनों को भी बढ़ावा दे रहा है। यदि वर्ष 1998-99 की उपलब्धियों को ध्यान में रखा जाए, तो तिलहनों के 30 मिलियन टन के उत्पादन के नौवीं योजना के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन, 1999-2000 का वर्ष एक खराब वर्ष था, जिसके दौरान उत्पादन के पिछले वर्ष के 25.21 मिलियन टन से गिर कर 21.18 मिलियन टन होने का अनुमान है।

रुई

6. रुई के उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने के लिए वर्ष 1999-2000 में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के 12 राज्यों में रुई संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना एक केंद्र-प्रायोजित स्कीम के रूप में की गई है। इस समय कार्यान्वित किए जा रहे गहन कपास विकास कार्यक्रम को कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन में मिला दिया गया है। हालांकि नौवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान उत्पादन की प्रवृत्तियाँ ज्यादा उत्साहजनक नहीं रही हैं, लेकिन इस बात को देखते हुए कि वर्ष 1996-97 में 14.23 मिलियन गांठों का उत्पादन हुआ था, नौवीं योजना में 15.70 मिलियन गांठों का जो लक्ष्य रखा गया है, वह बहुत अधिक महत्वाकांक्षी नहीं है।

जूट और मेस्टा

7. आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 8-प्रमुख जूट/ मेस्टा उत्पादक राज्यों में विशेष जूट विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2000-01 से जूट और मेस्टा कार्यक्रम को मैक्रो प्रबंधन कार्य-पद्धति के अंतर्गत हाथ में लिया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों में इसके उत्पादन में उतरोत्तर गिरावट आई है। नौवीं योजना में जूट और मेस्टा के उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

गन्ना

8. गन्ने पर आधारित फसल प्रणाली के निरंतर विकास की केंद्र-प्रायोजित स्कीम वर्ष 1995-96 में शुरू की गई थी। वर्ष 1999-2000 में हिमाचल प्रदेश को भी इस स्कीम के

कार्यान्वयन के लिए शामिल कर लिया गया था। अब यह स्कीम 21 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है। 2000-01 से इस स्कीम को मैक्रो प्रबंधन कार्य-पद्धति के अंतर्गत हाथ में लिया जा रहा है। पिछली प्रवृत्तियों को देखते हुए, नौवीं योजना का 336 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी प्रतीत होता है।

बागवानी

9. देश में कृषि-जलवायु संबंधी स्थितियां विविधतापूर्ण होने के कारण कृषि के विविधीकरण के विपुल अवसर उपलब्ध हैं और इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने और जन-साधारण के पोषाहार संबंधी स्तर को ऊंचा उठाने के भारी अवसर सुलभ हैं। बागवानी के विकास से कृषि-औद्योगिक आधार को काफी अधिक व्यापक बनाया जा सकता है। लेकिन बागवानी क्षेत्रक के सामने बहुत-सी प्रौद्योगिकीय और बुनियादी ढांचे संबंधी बटिनाइयां हैं, जैसे जोत की भूमियों का बहुत छोटा और सीमान्तिक आकार, पुराने और बूढ़े वृक्षों की भरमार, घटिया प्रबंध, अच्छी किस्मों के बीजों और पौधा-रोपण की भीषण कमी, रोगों और हानिकर कीटों का फैलाव, कटाई के बाद फसल को उठाने-धरने/ उसकी छंटाई/ ग्रेडिंग/ पैकेजिंग और भंडारण की अपर्याप्त सुविधाएं/ प्रोसेसिंग का बुनियादी ढांचा और विपणन की व्यवस्था (नेटवर्क) बहुत की असंतोषजनक है। इसलिए इस क्षेत्रक की पूरी क्षमता को अभी प्राप्त किया जाना बाकी है। नौवीं योजना में बागवानी के क्षेत्रक को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है और इसके सर्वांगीण विकास के लिए इसे एक ऐसा क्षेत्र माना जा रहा है, जिसपर ध्यान केन्द्रित किया जाना है।

10. नौवीं योजना में उत्पादकता में वृद्धि और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार की परिकल्पना की गई है और इसके लिए अनेक उद्देश्य रखे गए हैं, जैसे उत्पादन/ फार्म प्रौद्योगिकियों का उन्नयन, निविष्टियों की आपूर्ति के लिए सुदृढ़ आधार का विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, मानव संसाधन विकास और विपणन के बुनियादी ढांचे में सुधार। मौजूदा बागानों की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और उन्नत किस्मों के बीजों और बढ़िया पौधारोपण सामग्री की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए कई कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है। क्षेत्र का विस्तार करने, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और फसल-कटाई के बाद उत्पादों के उठाने-धरने/ विपणन पर जोर दिया रहा है।

11. अवसंरचना आधार (आधारभूत ढांचे) को उन्नत बनाने के लिए 12 लाख टन की नई प्रशीत-भंडारण क्षमता स्थापित करने, 8 लाख टन की मौजूदा/ पुरानी प्रशीत-भंडारण क्षमता की बहाली/ आधुनिकीकरण और प्याज के भंडारण के लिए 4.5 लाख टन की क्षमता के निर्माण का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रत्येक यूनिट के लिए 50 लाख रुपये की अधिकतम राशि के अध्यक्षीन, 25 प्रतिशत सब्सिडी (पूर्वोत्तर क्षेत्र में 60 लाख रुपये की अधिकतम राशि के अध्यक्षीन 33 1/3 प्रतिशत सब्सिडी) उपलब्ध है। नौवीं योजना में प्रशीतन भंडारण के लिए सब्सिडी के अंश के रूप में 175 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है, जिससे 477 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निजी/ सार्वजनिक/ सहकारी निवेश होने की आशा है और इस प्रकार कुल 652 करोड़ रुपये तक का निवेश होने की संभावना है। यह स्कीम वर्ष 1999-2000 के आखिरी भाग में शुरू की गई थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए 'मिशन मोड' के आधार पर बागवानी के एकीकृत विकास की योजना बनाई गई है। फलों और सब्जियों के उत्पादन के लिए नौवीं योजना का लक्ष्य 179 मिलियन टन का रखा गया है। लेकिन 1998-99 में केवल 122 मिलियन टन के उत्पादन के अनुमान को देखते हुए, नौवीं योजना के लक्ष्य का प्राप्त होना कठिन लगता है।

बगान फसलें

12. देश के दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में चाय, काफी, रबड़, आदि जैसी बगान फसलों को उगाने की बहुत अधिक क्षमता है। इन फसलों से संबंधित बोर्ड इन फसलों के क्षेत्र का विस्तार करके और छोटे उत्पादकों की उत्पादकता में वृद्धि करके बगान फसलों के उत्पादन और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के विकासात्मक प्रयासों में अपना योगदान दे रहे हैं।

13. बागवानी और बगानों के उप-क्षेत्रों के भौतिक कार्य-निष्पादन की जानकारी क्रमशः संलग्नक 6.1.1 और संलग्नक 6.1.2 में दी गई है।

भू तथा जल संरक्षण और वाटरशेड विकास

14. जल निकायों में गाद के जमाव और भू-कटाव को रोकने के लिए, बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों और नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रस्त क्षेत्रों में भू-संरक्षण और झूम खेती वाले क्षेत्रों में वाटर शेड विकास जैसी विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। वर्ष 1998-99 में 5.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के उपचार के लक्ष्य की तुलना में, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया गया। वर्ष 1999-2000 में 1.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के उपचार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके प्राप्त हो जाने की संभावना है। वर्ष 2000-2001 के दौरान, इन स्कीमों को मैक्रो प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है।

ऋण प्रवाह

- प्रत्येक राज्य में विशेष प्रकार के बैंक स्थापित करना।
- कृषकों को ऋण कार्ड जारी करना।
- राष्ट्रीय बीमा योजना प्रारंभ करना।

15. वर्षापोषित कृषि के विकास का कार्य वर्षापोषित क्षेत्रों संबंधी राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम के जरिए किया जा रहा है। वाटरशेड का विकास सामान्य कार्यपद्धतियों/ मार्गनिर्देशों के अंतर्गत करने का प्रस्ताव है, जिन्हें तैयार किया जा चुका है/ अंतिम रूप दिया जा चुका है। इन मार्गनिर्देशों का उद्देश्य कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पर्यावरण और वन मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत वाटरशेड क्षेत्रों का समन्वित विकास करना है। तीन वर्षों की अवधि में 100 प्राथमिकता प्राप्त जिलों का समावेश करने के लिए, 'नाबार्ड' द्वारा केंद्रीय सहायता से 1999-2000 में एक वाटरशेड विकास कोष स्थापित किया गया है।

कृषि निविष्टियां

बीज

16. बीजों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए वर्ष 1999-2000 में दो नई स्कीमें, अर्थात् बीज फसल बीमा की प्रायोगिक (पायलेट) स्कीम और बीज बैंक की स्थापना और अनुरक्षण की स्कीम शुरू की गईं। वर्ष 2000-01 में विभिन्न फसल उत्पादन उन्मुख स्कीमों के अंतर्गत बढ़िया और उन्नत किस्मों के बीजों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए प्रोत्साहन/ सहायता दी जाती रहेगी/ प्रमाणित/ बढ़िया किस्म के बीजों की उपलब्धता, जो 1997-98 में 90.76 लाख क्विंटल थी, बढ़ कर 1998-99 में 104.38 लाख क्विंटल हो गई। नौवीं योजना के अंतिम वर्ष (2001-02) के लिए उत्पादन का लक्ष्य 109.66 लाख क्विंटल रखा गया है, जो प्राप्त किया जा सकता है।

उर्वरक

17. वर्ष 1999-2000 में रासायनिक उर्वरकों (एन पी के) की खपत 183.72 लाख टन तक पहुंच जाने का अनुमान है, जबकि 1998-99 में 167.97 लाख टन की खपत हुई थी। इससे पता चलता है कि खपत में भारी वृद्धि हुई है। उर्वरकों के संतुलित और एकीकृत उपयोग की केंद्र-प्रायोजित स्कीम, जिसका उद्देश्य मृदा परीक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने और उर्वरकों के

संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना सुनिश्चित करने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करना है, 2000-01 में जारी रखी जाएगी। नौवीं योजना की अवधि में 519 मौजूदा मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी, जहां ये सुविधाएं कम हैं, इसके अलावा, 36 नए कम्पोस्ट संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

पौधा संरक्षण

18. एकीकृत कीट प्रबंध (आई पी एम) कार्यक्रम के अंतर्गत, मुख्य जोर मौजूदा जैव-नियंत्रक जीवों के संरक्षण और जैव-कीटनाशकों, जैव-नियंत्रक एजेंटों और वनस्पतिजन्य उत्पादों के उपयोग पर दिया जाता रहेगा। 22 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित मौजूदा 26 केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंध केंद्र किसानों और कृषि-क्षेत्र (फील्ड) में काम करने वाले कार्मिकों को शिक्षित करने के लिए आई पी एम प्रौद्योगिकी के बारे में फील्ड प्रदर्शन आयोजित करने और प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में अपने क्रियाकलाप जारी रखेंगे। विभिन्न फसल उत्पादन उन्मुख स्कीमों के अंतर्गत एकीकृत कीट प्रबंध (आई पी एम) पद्धति के बारे में प्रदर्शनों का आयोजन भी किया जाता रहेगा।

कृषि औजार और मशीनरी

19. कृषि के यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्र-प्रायोजित स्कीम 1992-93 से चल रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, नौवीं योजना के पहले तीन वर्षों में सब्सिडी के आधार पर कुल 13406 ट्रैक्टर बांटे गए। वर्ष 2000-01 में 5200 ट्रैक्टरों का वितरण किए जाने का प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश में बुधनी, हरियाणा में हिसार, आंध्र प्रदेश में गर्लाडीन और असम में विश्वनाथ चरैली में स्थित फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजनों द्वारा मशीन प्रचालकों, किसानों और राज्य सरकारों के अधिकारों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। वर्ष 1999-2000 में 3500 के लक्ष्य की तुलना में कुल 3638 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2000-01 में 3500 व्यक्तियों को फार्म मशीनरी और उपस्करों के प्रचालन और अनुरक्षण का प्रशिक्षण दिया जाना है।

कृषि विस्तार

20. हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान में कृषि कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाया गया है। वर्ष 1999-2000 में "कृषि में महिलाएं" नामक मौजूदा केंद्र-प्रायोजित स्कीम का विस्तार पांच उत्तर-पूर्वी राज्यों में किया गया, ताकि इन क्षेत्रों की महिला-किसानों को विस्तार-सेवाएं प्रदान की जा सकें।

कृषि ऋण और सहकारी समितियां

21. कृषि ऋण, कृषि-विकास को सुनिश्चित करने की एक महत्वपूर्ण निविष्टि है। कृषि ऋणों का संवितरण बहु-अभिकरण तंत्र (मल्टी एजेंसी नेटवर्क) के माध्यम से किया जाता है, जिसमें सहकारी समितियां, वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं। आठवीं योजना के अंतिम वर्ष (1996-97) में कृषि क्षेत्रक को 26411 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया। हालांकि नौवीं योजना के पहले दो वर्षों में ऋण के वास्तविक संवितरण में वृद्धि हुई है, लेकिन यह संवितरण कृषि ऋण और सहकारिता के संबंध में नौवीं योजना के कार्य दल द्वारा ऋण की अनुमानित आवश्यकताओं के बारे में जो सिफारिश की गई थी, उससे कम रहा है। कार्य दल की सिफारिश के अनुसार, वर्ष 2001-02 (नौवीं योजना के अंतिम वर्ष) में सभी एजेंसियों से मिलने वाले ऋण का लक्ष्य 60,842 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

सारणी 6.1.1

कृषि और संबंधित क्रियाकलापों के लिए ऋण का प्रवाह

(करोड़ रुपये)

वर्ष	नौवीं योजना के कार्य-दल द्वारा सिफारिश की गई राशि	सवितरण	प्रतिशत कमी
1997-98	33375	31956	(-) 4.3
1998-99	38645	36897•	(-) 4.5
1999-2000	44780	41765••	(-) 6.7
2000-2001	52108	उ. न.	

स्रोत : नाबार्ड

• अनन्तिम

•• अनुमानित

22. बैंकिंग की प्रवृत्तियों और प्रगति के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट (1998-99) के अनुसार, निबल बैंक ऋण में कृषि ऋण का सापेक्ष भाग मार्च 1997 में 12.8 प्रतिशत था और मार्च 1998 और मार्च 1999 में भी 11.7 प्रतिशत था। बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण के लिए निर्धारित 40 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में, कृषि के लिए 18 प्रतिशत का उप-लक्ष्य रखा गया था। 18 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में, निबल बैंक ऋण में कृषि ऋण का घटता हुआ हिस्सा चिंता का विषय है। कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में ऋण मुहैया करने के लिए कृषि को अधिक ऋण का प्रवाह किए जाने की आवश्यकता है।

23. कृषि क्षेत्रक को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे ऋण वितरण की प्रक्रिया का सरलीकरण, बैंक प्रबंधकों को अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन, किसानों के लिए संयुक्त नकद ऋण सीमा लागू करना, उच्च तकनीक वाली कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक विशेषीकृत कृषि बैंक की स्थापना, नकद ऋण सुविधा की व्यवस्था करना, किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना, ताकि किसान अपनी उत्पादन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकद धनराशि निकाल सकें, ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (आर आई डी एफ) की राशि बढ़ाना।

24. लेकिन अतिदेय (ओवरड्यू) राशियों की समस्या से ऋणदाता संस्थाओं, विशेष रूप से सहकारी समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आर्थिक सक्षमता पर प्रतिकूल पड़ने के अलावा ऋणों का प्रवाह भी अवरुद्ध होता है। सरकार द्वारा नौवीं योजना के दौरान सहकारी ऋण ढांचे का पुनर्गठन करने का एक प्रस्ताव किया गया है, ताकि सहकारी ऋण ढांचे को सुदृढ़ और इतना समर्थ बनाया जाए कि वह प्रयोक्ताओं और बाजार की उभरती हुई जरूरतों को पर्याप्त और प्रभावकारी रूप से पूरा कर सके। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के इक्विटी आधार को मजबूत बनाने और उनके वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए इन बैंकों को मार्च 2000 तक कुल 1094.21 करोड़ रुपये की पूंजीकरण सहायता दी गई है।

25. वर्ष 1999-2000 के रबी के मौसम से पहले की व्यापक फसल बीमा स्कीम के स्थान पर राष्ट्रीय बीमा योजना शुरू की गई है, जो नौवीं योजना की एक महत्वपूर्ण घटना है। नौ राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र द्वारा राष्ट्रीय बीमा योजना लागू की गई है।

परिव्यय और व्यय

26. वर्ष 1999-2000 के दौरान कृषि और सहकारिता मंत्रालय ने कृषि विकास की विभिन्न स्कीमों पर 1941.00 करोड़ रुपये के परिव्यय (बजट अनुमान) की तुलना में 1440.63 करोड़ रुपये

व्यय किए। वर्ष 2000-01 में विभाग के लिए 1950 करोड़ रुपये की अधिक धनराशि का नियतम (बजट अनुमान) किया गया है। परिव्यय और व्यय के ब्योरे संलग्नक 6.1.2 में दिए गए हैं।

पशुपालन और डेरी उद्योग

पशु विकास

27. नौवीं योजना में मुख्य जोर आनुवांशिक सुधार प्रबंध, बढ़िया किस्म के आहार और चारे के

पशु विकास

- आनुवांशिक सुधार।
- रोग नियंत्रण और निवारण।
- प्रजनन निविष्टियां किसानों के द्वार पर मुहैया करने के लिए राष्ट्रीय पशु और भैंस प्रजनन परियोजना।

उत्पादन, पशुओं के स्वास्थ्य की देखरेख और मुख्य रोगों के निवारण द्वारा पशुओं के उत्पादन और उनकी उत्पादकता में वृद्धि करने पर दिया गया है। खाद्य उत्पादन को दुगना करने की कार्यनीति के अनुसरण में, पशुपालन और डेरी विभाग ने अपनी योजनागत प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित किया है और पशु-उत्पादों में तेजी से वृद्धि करने की विशेष कार्य योजना के लिए 11 विशिष्ट स्कीमें निर्धारित की हैं।

दूध और डेरी उत्पाद

28. भारत विश्व में दूध का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश बन गया है और अनुमान है कि 1999-2000 में दूध का उत्पादन 78.1 मिलियन टन के स्तर पर पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दूध उत्पादन में वृद्धि की मौजूदा दर (लगभग 4 प्रतिशत प्रति वर्ष) से नौवीं योजना का दूध का उत्पादन का 96.49 मिलियन टन का लक्ष्य (संलग्नक 6.1.2) प्राप्त करना कठिन होगा। दो केंद्र-प्रायोजित स्कीमों, अर्थात् (1) प्रशीतीत वीर्य प्रौद्योगिकी नस्ल परीक्षण कार्यक्रम, और (2) राष्ट्रीय सांड प्रजनन कार्यक्रम का, जिनसे राज्य सरकारों के डेरी विकास के प्रयासों को बढ़ावा मिला है, अब राष्ट्रीय गाय और भैंस प्रजनन परियोजना नामक एक कार्यक्रम में विलय किया जा रहा है, जिसमें प्रजनन की निविष्टियों और सेवाओं को किसानों के द्वार पर मुहैया करने और पशुओं तथा भैंसों की देसी नस्लों में सुधार करने पर बल दिया गया है।

29. आठवीं योजना के दौरान आपरेशन फ्लड से भिन्न क्षेत्रों, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में एक एकीकृत डेरी विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था और वर्ष 1999-2000 में कुल 45 करोड़ रुपये की व्यवस्था करके इसका विस्तार किया गया है। इस स्कीम के शुरू होने के समय से, 20 राज्यों में कुल 189.84 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली 38 परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी गई है।

मुर्गीपालन, अंडों सहित

30. वर्ष 1999-2000 में 31320 मिलियन अंडों के उत्पादन की संभावना है, जबकि इसकी तुलना में दो दशक पहले 800 मिलियन अंडों का उत्पादन होता था। चूजों के उत्पादन में भी 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है और इस समय प्रति वर्ष 450 मिलियन चूजों का उत्पादन होता है। मुर्गीपालन (पाल्ट्री) के क्षेत्रक में संगठित क्षेत्रक की सक्रिय सहभागिता के कारण उन्नति हुई है, और उत्पादन, प्रबंधन और विपणन में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा उसके नियंत्रण में है। शेष 30 प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्रक के पास है, जिसके योगदान का कम मूल्यांकन नहीं किया जा सकता था। केंद्र द्वारा अब पिछवाड़े मुर्गी पालन (बैकयार्ड पाल्ट्री) को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। नौवीं योजना में 35 बिलियन अंडों के उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके प्राप्त हो जाने की संभावना है। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में "राज्य पाल्ट्री/ बतख फार्म को सहायता" की नई केंद्र-प्रायोजित स्कीम, सौ प्रतिशत केंद्रीय सहायता के साथ, पहली बार क्रियान्वित की जा रही है, ताकि प्रत्येक राज्य में कम से कम दो बतख/ पाल्ट्री फार्मों को सुदृढ़ बनाया जा सके। आगामी वर्षों में इस कार्यक्रम को अन्य राज्यों में भी शुरू किया जाएगा।

ऊन

31. वर्ष 1999-2000 के दौरान लगभग 46.1 मिलियन किलोग्राम ऊन का उत्पादन होने की संभावना है, जबकि 1989-90 में 41.7 मिलियन किलोग्राम ऊन का उत्पादन हुआ था। हिसार में स्थित केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म परिस्थिति अभ्यस्त नर भेड़ों का प्रजनन करता है, विभिन्न राज्यों के भेड़ फार्मों को इन नर-भेड़ों की आपूर्ति करता है ताकि संकर जातियों का प्रजनन किया जा सके और आनुवंशिक उन्नयन किया जा सके। इस समय कई प्रमुख देशों में स्क्रूपी और बी. एस. ई. रोगों के फैले होने के कारण, देसी नस्लों में सुधार करने के लिए जर्म प्लास्मा आयात करने में कठिनाई आ रही है। सूअर विकास का, विशेष रूप से देश के पूर्वोत्तर प्रदेश के लिए, बहुत अधिक महत्व है।

बूचड़खानों का सुधार

32. देश के बहुत से बूचड़खानों में सफाई, आदि की बहुत कम सुविधाएं हैं। बूचड़खानों की स्थिति में सुधार करने के लिए "बूचड़खानों के सुधार/ आधुनिकीकरण/ अस्थिपंजर उपयोग केंद्रों और खाल उतारने के प्राथमिक यूनिटों की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता" की एक केंद्र प्रायोजित स्कीम शुरू की गई थी, लेकिन इस स्कीम का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है; विभिन्न राज्यों में जो परियोजनाएं सातवीं और आठवीं योजना में स्वीकृत की गई थीं, वे अभी भी पूर्ण नहीं हुई हैं।

पशु-रोगों का उन्मूलन

33. राष्ट्रीय रिंडर पैस्ट उन्मूलन परियोजना (एन पी आर ई) मई 1992 से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जारी है। एन पी आर ई द्वारा सृजित दस्तावेजों के आधार पर भारत सरकार ने देश को 1-3-1998 से रिंडर पैस्ट से अनन्तिम रूप से मुक्त घोषित कर दिया था और अंतर्राष्ट्रीय एपीजूटीज के कार्यालय (ओ आई ई) द्वारा इसे स्वीकार और अधिसूचित कर दिया गया था। "राज्यों को पशु रोगों के नियंत्रण के लिए सहायता" नामक स्कीम के अंतर्गत, राज्यों को विभिन्न रोगों, जिनमें एफ एम डी शामिल है, के नियंत्रण के लिए सहायता अनुदान दिए जाते हैं। वर्ष 1999-2000 में एफ एम डी के लिए लगभग 40 मिलियन टीके लगाए गए थे और 1999-2000 में लगभग 22 मिलियन टीके लगाये जाने की संभावना है।

मात्स्यिकी

34. मात्स्यिकी क्षेत्रक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्रामीण क्षेत्र में परिवारों की आय की अनुपूर्ति करने और लाभकारी रोजगार का सृजन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसके अलावा लाखों लोगों को सस्ता और पौष्टिक आहार प्रदान करता है तथा लगभग 3.84 मिलियन मछुआरों को रोजगार मुहैया करता है। इसके अतिरिक्त, जनता का एक बहुत बड़ा भाग मात्स्यिकी और जल-कृषि से संबंधित अनुषंगी क्रियाकलापों में कार्यरत है। हाल में इस क्षेत्रक से देश की निर्यात-आय में उल्लेखनीय योगदान प्राप्त हुआ है और 1999-2000 में इसके 5096 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच जाने का अनुमान है।

35. नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार के मात्स्यिकी विकास कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य हैं : उत्पादन और उत्पादकता को ईष्टतम बनाना, समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना, मछुआरों/ मछली पालकों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना, जलीय संसाधनों और आनुवंशिक विविधता का संरक्षण, मछलियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और उपयोग को बढ़ाना आदि। नौवीं योजना में मात्स्यिकी और जल-कृषि के निरन्तर विकास के लिए एक समेकित कार्यपद्धति पर भी जोर दिया गया है।

36. मात्स्यकी यानी मीन क्षेत्र एक राज्य विषय है और इसलिए इसके विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। लेकिन राज्य सरकारों के प्रयासों की अनुपूर्ति करते हुए, केन्द्रीय सरकार राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहयोग से मात्स्यिक विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक की अनेक स्कीमों और बहुत सी केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों को कार्यान्वित करती रही है। नौवीं योजना में मछली उत्पादन का लक्ष्य 70.40 लाख टन रखा गया है और 5.64 प्रतिशत प्रति वर्ष की संवृद्धि दर की परिकल्पना की गई है। नौवीं योजना की अवधि में मात्स्यिकी क्षेत्रक के लिए 800 करोड़ रूपए की धनराशि नियत की गई है। नौवीं योजना की अवधि में भौतिक लक्ष्यों/उपलब्धियों और वित्तीय परिव्यय/ व्यय की जानकारी क्रमशः संलग्नक 6.1.1 और 6.1.2 में दी गई है।

37. अन्तर्देशीय मात्स्यिकी के विकास की एक कार्यनीति यह रही है कि केन्द्र-प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत मछली पालक विकास अधिकरणों (एफ. एफ. डी. ए.) के माध्यम से तालाबों और टैंकों में वैज्ञानिक जलकृषि को बढ़ावा दिया जाए। इस कार्यक्रमों के अन्तर्गत देश के मछली पालन की संभावना वाले सभी जिलों को समावेश करने के लिए कुल 422 एफ. एफ. डी. ए. की स्थापना की मंजूरी दी गई है। ये एजेंसियों मछली पालकों को तकनीकी, वित्तीय और विस्तार सेवाओं का पैकेज मुहैया करती हैं। एक अन्य स्कीम के अन्तर्गत, देश में खारे पानी में मछली पालन के विकास के लिए सभी तटवर्ती राज्यों और अंडमान तथा निकोबार द्विपसमूह के संघ राज्यक्षेत्र में 39 खारा पानी मछली पालक विकास अभिकरणों (ब्रेकिशवाटर फिश फार्मर्ज डेवलपमेंट एजेंसिज) की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई है। समुद्री (मैरीन) क्षेत्रक में, प्रमुख कार्यक्रम ये हैं: पारम्परिक नौकाओं का मोटरीकरण, 20 मीटर से कम लम्बाई वाले मछली पकड़ने वाले यंत्रिकृत जहाजों को सप्लाई किए जाने वाले एच. एस. डी. तेल पर लगने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति, आदि। 6 प्रमुख मछली बंदरगाहों, 45 लघु मछली बंदरगाहों और 153 मछली अवतरण केंद्रों के अलावा, नौवीं पंचवर्षीय योजना में 3 अन्य बड़े मछली बंदरगाहों, 10 लघु मछली बंदरगाहों और 30 मछली अवतरण केंद्रों की परिकल्पना की गई है। सरकार द्वारा मछुआरों के लिए बहुत से कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जैसे मकानों का निर्माण, बीमा स्कीम और बचत-व-राहत स्कीम।

38. देश के अंतर्देशीय मत्स्य संसाधनों को देखते हुए, सरकार द्वारा दो नए कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, अर्थात् (1) अंतर्देशीय मत्स्य संसाधनों का एकीकृत विकास, और (2) पहाड़ी क्षेत्रों में शीतजल मात्स्यिकी का विकास। इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन नौवीं योजना की अवधि में किया जाना है।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा

39. निर्धारित अग्रणी (फ्रंटलाइन) क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के एक तंत्र (नेटवर्क) का निर्माण किया है, जिसमें अनेक अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 30 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अलावा, विश्वविद्यालय माने जाने वाले 4 संस्थानों सहित 46 केंद्रीय संस्थान, जिनमें 4 राष्ट्रीय ब्यूरो, 31 राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, 9 परियोजना निदेशालय शामिल हैं, और 158 क्षेत्रीय स्टेशन और 80 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं शामिल हैं। प्रमुख संस्थाओं में पौधों, पशुओं, मछलियों और सूक्ष्म जीवों संबंधी राष्ट्रीय जीन बैंक (नेशनल जीन बैंक आन प्लांट, एनिमल, फिश एण्ड माइक्रो-ओर्गेनिज्म), जैव प्रौद्योगिकी, डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी, एकीकृत कीट प्रबंध, खरपतवार नियंत्रण, जैव नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र और फाइटोट्रॉन सुविधा केंद्र शामिल हैं। भा. कृ. अ. प. के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों अथवा उनके क्षेत्रीय केंद्रों के साथ सहयोग कार्यक्रम चल रहे हैं।

40. वर्ष 1999-2000 के दौरान 40 उन्नत किस्में जारी की गईं, 16 दालों से भिन्न अनाजों की, 8 दालों की, 6 तिलहनों की, 7 रेशेदार फसलों की और 3 चारे की। इसके अलावा, 2,3034.89 क्विंटल प्रजनक (ब्रीडर) बीजों का उत्पादन किया गया, जिनमें दालों से भिन्न अनाज (1118.34 क्विंटल), तिलहन (7554.18 क्विंटल), दालें (3981.53 क्विंटल) और रेशेदार फसलें (156.83 क्विंटल) शामिल हैं। चावल, कपास, दालों और तिलहनों के संबंध में कीटों के प्रबंध के लिए एकीकृत कीट प्रबंध के तरीकों का उन्नयन, परिष्करण किया गया। सुगंधित चावल (48), गेहूँ (46), जौ (15), ओलीफेरस ब्रासिका (42), सूरजमुखी (16), मूंग की फली (32), कपास (70), टमाटर (30), और बैंगन (16) की किस्मों की डी एन ए फिंगर-प्रिंटिंग का काम हाथ में लिया गया। अमरुद की नई किस्म 'ललित' और पपीते की नई किस्म 'सूर्या' जारी की गईं। आम की किस्म 'टेन्नेरू' भी जारी की गई है। तरबूज, टमाटर और लौकी की एक-एक एफ-1 संकर किस्में निर्धारित की गई हैं। 26 राज्यों के मृदा संसाधनों के नक्शे 1:2500,000 के पैमाने में तैयार किए गए हैं। 6-रौ मैनुअल, 8 रौ सेल्फ-प्रोपेल्ड राइस ट्रांसप्लान्टर और 8 रौ प्री-जर्मीनेटेड पैडी सीडर वाणिज्यिक उपयोग के लिए जारी किए गए हैं। फलों और सब्जियों के लिए सौर डीहाइड्रेटर, सोया-आधारित इडली/ दोसा मिश्रण के लिए बेलनाकार (सिनिंड्रीकल) ड्रायर भी रिलीज किए गए हैं। 8 फ्रेम वाला शहद निकालने का यंत्र (हनी एक्स्ट्रेक्टर) भी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जारी किया गया है।

41. दूर-दराज के क्षेत्रों के किसानों के लिए बैंकयार्ड और ग्रामीण मुर्गीपालन की प्रणालियों का मानकीकरण किया गया है। अंडा देने वाली मुर्गियों का 'ग्राम प्रिया' और 'वनराज' नामक प्रजातियां और मांसाहार चूजों की 'कृषिब्रो' नामक प्रजाति विकसित की गई है। ब्रूसलोसिस इन्फेक्शस बोवाइन, रीनो ट्रेकइटिस (आई बी आर), एफ एण्ड एम डी और नीली जिक्हा रोग (बी. टी.) के निदान के लिए नए उन्नत नैदानिक किट विकसित किए गए हैं। 10 केंद्रों में भ्रूण अंतरण प्रौद्योगिकी का मानकीकरण किया गया है और मुर्गा और सुरती भैंस, तेल्लीचेरी बकरी, गद्दी भेड़ और राठी तथा साहीवाल पशुओं के अत्युत्तम जर्म प्लास्म के उत्पादन के लिए उसका विस्तार किया गया है।

42. समुद्री मोती उत्पादन (कल्चर) का वाणिज्यीकरण किया गया है और सजावटी मछलियों का प्रजनन और निर्यात किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के राज्यों में खेत के स्तर पर 14 टन/ हेक्टेयर मछली उत्पादन का प्रदर्शन भी किया है। मछली-बीजों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए नई हैचरीज (अंडा उत्पत्तिशाला) की स्थापना की गई है। देश में मौजूदा 261 के वी के में 53 और के वी के जोड़े गए हैं। यह कार्य एन ए टी पी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों (टी टी सी) और आंचलित अनुसंधान केंद्रों (जेड आर सी) के अन्नयन के द्वारा पूरा किया गया है।

नए कदम

43. राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना ने, जो एक विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना है, अब पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया है। कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण माइक्रोबों के राष्ट्रीय ब्यूरो (नेशनल ब्यूरो आफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टैंट माइक्रोब्स) ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। बीज प्रजातियों पर राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। करनाल के केंद्रीय लवणीय मृदा संस्थान का एक क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ में स्थापित किया गया है। जम्मू में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। रक्त स्त्रावीय रोगानुरक्तता (होमोरेजिक सैप्टीकीमिया) संबंधी नेटवर्क की स्थापना की जा चुकी है। ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव स्कीम (रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरिएंस स्कीम) का कार्यान्वयन भी अब किया जा रहा है। एस. ए. यू. और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थाओं में 40 स्थानों पर कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्रों की स्थापना भी की गई है।

कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रक के भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां

भाग क : फसलों का उत्पादन और लक्ष्य

(मिलियन टन/ कपास, जूट और मेस्टा के संबंध में गांठें)

फसल	1996-97	नौवीं पंचवर्षीय योजना लक्ष्य	1997-98	1998-99	1999-2000		2000-01 लक्ष्य	प्राप्त उच्चतम उत्पादन	
					लक्ष्य	सम्भावित उपलब्धि		मात्रा	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
चावल	81.74	99.00	82.53	85.99	86.00*	88.25	90.00	88.55	1999-2000
गेहूँ	69.35	83.00	66.35	70.78	74.00*	74.25	74.25	74.25	1998-99
अनाज	34.10	35.50	30.40	31.46	34.50	30.35	33.00	36.59	1992-93
दालें	14.25	16.50	12.98	14.81	15.50	13.05	15.00	14.81	1998-99
खाद्यान्न	199.44	234.00	192.26	203.04	210.00*	205.11	212.00	205.9	1998-99
तिलहन	24.38	30.00	21.32	25.21	28.00	21.18	28.00	25.21	1998-99
ईख	277.56	336.00	279.54	295.73	305.00	309.31	325.00	309.3	1998-99
कपास	14.23	15.70	10.85	12.18	15.00	11.99	14.50	14.23	1996-97
जूट और मेस्टा	11.13	अनिश्चित	11.02	9.70	11.00	10.57	10.00	12.65	1985-86

* सशोधित

भाग ख : फसलों और सब्जियों का उत्पादन तथा बागान फसलें

फसल	1996-97	नौवीं पंचवर्षीय योजना लक्ष्य	1997-98	1998-99	1999-2000		2000-01 लक्ष्य	प्राप्त उच्चतम उत्पादन	
					लक्ष्य	सम्भावित उपलब्धि		मात्रा	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
फल और सब्जियां (मि. टन)	141.00	179.00	112.88	122.00	—	—	—	113.10	1996-97
चाय (मि. कि. ग्राम)	775.00	1000.00	838.00	850.00	905.00	816.00	950.00	850.00	1998-99
काफी (लाख टन)	2.05	3.00	2.28	2.65	2.60	2.82	2.80	2.82	1999-2000
रबर (लाख टन)	5.49	7.17	5.84	6.05	6.61	6.22	6.95	6.22	1999-2000

भाग ग : पशु पालन, डेयरी तथा मत्स्य उद्योग

मद	1996-97	नौवीं पंचवर्षीय योजना लक्ष्य	1997-98	1998-99	1999-2000		2000-01 लक्ष्य	प्राप्त उच्चतम उत्पादन	
					लक्ष्य	सम्भावित उपलब्धि		मात्रा	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दूध (मि. टन)	69.10	96.49	70.80	74.70	84.18	78.10	90.13	78.10	1998-99
अण्डे (बिलियन संख्या)	27.50	35.00	28.57	30.14	31.50	31.32	32.42	31.32	1998-99
मछली (लाख टन)	53.48	70.40	53.90	52.62	63.00	58.00	66.60	58.00	1997-98

अध्याय 6 : कृषि, सिंचाई, खाद्य और पोषाहार सुरक्षा

संलग्नक 6.1.2

कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रक का परिव्यय और व्यय

भाग क : कृषि और सहकारिता

(करोड़ रुपये)

प्रभाग / स्कीम का नाम	नौवीं योजना परिव्यय	1997-98 वास्तविक	1998-99 वास्तविक	1999-2000			2000-01 ब. अ.
				ब. अ.	सं. अ.	वास्तविक	
1	2	3	4	5	6	7	8
कृषि सांख्यिकी	48.00	2.17	6.89	10.00	7.28	7.14	13.00
सहकारिता	765.00	114.08	136.22	170.00	103.01	110.18	106.33
क्रेडिट	1633.85	250.95	222.68	381.00	330.32	322.87	401.87
फसल	1279.82	112.13	119.47	242.00	116.55	111.73	142.75
विस्तार	180.00	9.55	12.21	40.00	32.00	28.19	45.00
उर्वरक	167.50	7.73	6.43	20.00	14.70	13.34	12.83
कृषि यंत्र और उपकरण	96.00	17.92	17.90	30.00	19.26	18.32	8.30
बागवानी	1298.00	182.42	221.04	260.00	239.81	239.57	191.25
पादप संरक्षण	122.51	13.30	17.01	34.00	24.00	12.82	25.00
वर्षा-पोषित कृषि पद्धति	1030.00	148.88	225.26	230.00	180.92	186.63	156.85
बीज	130.80	7.38	3.79	30.00	22.30	14.31	27.64
अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय तथा सी ए सी पी	244.00	27.94	30.10	60.20	48.41	47.16	55.00
मृदा औष्र जल संरक्षण	891.62	134.07	163.76	190.00	150.98	147.74	62.18
टी एम ओ एण्ड पी	906.00	163.98	154.96	185.00	161.40	160.13	165.00
प्राकृतिक आपत्ति प्रबंधन	40.00	1.61	1.80	3.00	3.25	2.86	7.00
ट्रेड (एस एफ ए सी) और इन्ट सहकारिता	40.00	0.50	0.56	3.00	2.50	2.50	5.00
सूचना प्रौद्योगिकी	180.00	0.00	0.34	25.00	9.01	8.99	13.00
सचिवालय आर्थिक सेवाएं	15.00	2.24	2.24	3.80	3.53	2.18	4.00
योजना समन्वय (मेक्रो प्रबंधन)	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	490.00
कृषि विपणन	70.00	0.00	0.00	20.00	6.95	3.77	10.00
नीति प्रभाग	12.72	0.00	0.00	1.00	0.82	0.20	8.00
कुल योजना परिव्यय	9153.82	1196.85	1342.66	1941.00	1477.00	1440.63	1950.00
राज्य योजना स्कीमें							
पूर्वोत्तर राज्यों में परिवर्तनशील कृषि क्षेत्रों में वाटर शेड विकास	75.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
कुल जोड़	9228.82	1211.85	1357.66	1956.00	1492.00	1455.63	1965.00

भाग ख : बागान फसलें

बागान	696.03	109.53	118.84	150.27	138.30	130.27	177.45
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

भाग ग : पशुपालन, डेयरी और मत्स्य

पशुपालन क्षेत्रक	1076.12	94.84	51.48	160.08	101.80	96.62	124.90
डेयरी क्षेत्रक	469.54	29.24	23.17	73.90	22.12	16.67	51.00
मत्स्य	800.00	86.99	91.42	145.92	99.08	94.03	120.70

भाग घ : कृषि अनुसंधान और शिक्षा

कृषि अनुसंधान और शिक्षा	3376.95	323.30	427.73	573.50	504.00	503.78	629.55
-------------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

स्रोत : भाग क : कृषि और सहकारिता विभाग

भाग ख : वाणिज्य विभाग

भाग ग : पशुपालन और डेयरी विभाग

भाग घ : कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग

अध्याय 6 कृषि, सिंचाई, खाद्य और पोषाहार सुरक्षा

6.2 सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण और कमान क्षेत्र विकास

नौवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन में 4.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि की दर का लक्ष्य रखा गया है, ताकि समग्र संवृद्धि और गरीबी उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हो सके। चूंकि देश में 140-141 मिलियन हेक्टेयर के निवल बुवाई क्षेत्र में लगभग कोई घट बढ़ नहीं हो रही, इसलिए नौवीं योजना में कृषि में वृद्धि की दर का जो लक्ष्य रखा गया है, उसे पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण निविष्टि के रूप में सिंचाई का और विस्तार करना और मौजूदा सिंचाई सुविधाओं के आधुनिकीकरण/ नवीनीकरण द्वारा अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराना जरूरी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की अवधि में, सरकार ने कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सिंचाई के महत्व को स्वीकार किया और तदनुसार प्रत्येक परवर्ती पंचवर्तीय योजना में इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान की।

2. नौवीं योजना में सिंचाई विकास की कार्य-नीति में अन्य बातों के साथ-साथ सिंचाई के जल के युक्तिसंगत मूल्य निर्धारण, सहभागितापूर्ण सिंचाई प्रबंध, भूगत और भूतल जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहन देने, जल के उपयोग की कुशलता को बढ़ाने और कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं, विशेष रूप से पांचवीं योजना से पहले और पांचवीं योजना के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं को पूरा करने पर बल दिया गया है। संलग्नक 6.2.1 से 6.2.4 तक में सिंचाई, कमान क्षेत्र विकास और बाढ़-नियंत्रण के लिए नौवीं योजना की अवधि के योजना परिव्ययों की जानकारी दी गई है।

बृहद और मध्यम सिंचाई

3. बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली चरम सिंचाई क्षमता 58.46 मिलियन हेक्टेयर आंकी गई है। आठवीं योजना के अंत तक 32.95 मिलियन हेक्टेयर क्षमता का सृजन किया जा चुका था। नौवीं योजना के दौरान बृहद और मध्यम सिंचाई के जरिए 9.81 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। नौवीं योजना की अवधि में सृजित और उपयोग में लाई गई क्षमता का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्नक 6.2.5 में दिया गया है।

4. निम्नलिखित सारणी 6.2.1 में नौवीं योजना के दौरान बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए रखे गए परिव्यय और उन पर हुए व्यय की जानकारी दी गई है।

**सारणी 6.2.1
योजना परिव्यय और व्यय**

अवधि	केन्द्रीय क्षेत्रक		राज्य क्षेत्रक	
	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/प्रत्याशित व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/प्रत्याशित व्यय
नौवीं योजना	330.12	---	42638.37	---
1997-98	42.90	35.95	8362.31	8094.88

अध्याय 6 : कृषि, सिंचाई, खाद्य और पोषाहार सुरक्षा

1998-99	48.85	47.72	10024.03	9275.75
1999-2000	54.40	51.53	12228.81	11002.42
2000-2001	51.73	---	अनुपलब्ध	---

वर्ष 2000—2001 का कार्यक्रम

5. नौवीं योजना की सिंचाई विकास संबंधी कार्य—नीति में अन्य बातों के साथ—साथ, कार्यान्वित की जा रही सभी परियोजनाओं को, विशेष रूप से पांचवीं योजना से पहले और पांचवीं योजना के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं को एक समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में पूरा करना, ताकि पहले से किए गए पूंजी—निवेश से लाभ प्राप्त हो सकें, जल के उपयोग की कुशलता बढ़ाना, सृजित क्षमता और उसके उपयोग के बीच के अंतर को दूर करना, पुरानी सिंचाई प्रणालियों को बहाल करना और उन्हें आधुनिक बनाना, सिंचाई के जल का युक्तिसंगत मूल्य—निर्धारण करना, पी आई एम को बढ़ावा देना, भूगत और भूतल जल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देना और उसे अमली रूप देना शामिल है।

6. योजना आयोग ने 43 बृहद सिंचाई परियोजनाओं का पता लगाया है, जो पांचवीं योजना के शुरू होने के पहले से जारी हैं। योजना आयोग में उन्हें समयबद्ध रूप से पूरा करने का पक प्रयोगाभ्यास शुरू किया गया है। राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, इन 43 कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं में से 11 परियोजनाएं मार्च, 2000 तक पूर्ण हो चुकी थीं। राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि 19 परियोजनाएं नौवीं योजना की अवधि में पूरी हो जाएंगी, लेकिन शेष 13 परियोजनाएं दसवीं योजना के लिए बच जाएंगी। इसलिए यह फैसला किया गया है कि इन्हें जल्दी पूरा करने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए इन सभी परियोजनाओं की अधिक कड़ाई से मानीटरिंग की जाए।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी)

7. भारत सरकार द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम कार्यान्वित की जा रही अनुमोदित बृहद/ मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से 1996—97 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता वित्त मंत्रालय द्वारा समय—समय पर निर्धारित ब्याज दर पर ऋण के रूप में होती है और उन परियोजनाओं के लिए दी जाती है, जिनके लिए निवेश की मंजूरी योजना आयोग द्वारा दे दी गई है। जिन परियोजनाओं को नाबार्ड जैसी आंतरिक एजेंसियों से पहले ही सहायता मिल गई हो, वे इसकी पात्र नहीं होतीं। लेकिन इन परियोजनाओं के ऐसे संघटकों को, जो ऐसे सहायता के अंतर्गत नहीं आते हों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत विचारार्थ शामिल कर लिया जाता है। लघु सिंचाई स्कीमें ए आई बी पी के अंतर्गत सहायता की पात्र नहीं होतीं। लेकिन वर्ष 1999—2000 से उत्तर पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू और काश्मीर) और उड़ीसा के के बी के जिलों की लघु भूतल सिंचाई परियोजनाएं, जो राज्य (टी ए सी) द्वारा अनुमोदित हों, चाहे वे नई हों अथवा कार्यान्वित की जा रही हों, अब इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता पाने की पात्र हैं। इसके अलावा संशोधित मार्ग निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय ऋण सहायता विशेष श्रेणी के राज्यों से भिन्न राज्यों को 2:1 (केन्द्र:राज्य) के अनुपात में दी जाती हैं। विशेष श्रेणी के राज्यों को 3:1 के अनुपात में धन दिया जाता है। उड़ीसा के के बी के जिलों के लिए लाभकारी परियोजनाओं को, जहां तक वित्त पोषण के स्वरूप का संबंध है, विशेष श्रेणी के राज्यों की परियोजनाओं के समान माना जाता है। वर्ष 1996—97 में, विभिन्न राज्यों की 52 परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी। वार्षिक योजनाओं 1997—98, 1998—99 और 1999—2000 के दौरान ए आई बी पी के अंतर्गत क्रमशः कुल 952.19 करोड़ रुपये, 1119.18 करोड़ रुपये और 1460.58 करोड़ रुपये की राशियां जारी की गईं। वर्ष 2000—01 में ए आई बी पी के अंतर्गत बजट में 1800 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। ए आई बी पी के अंतर्गत दी गई केंद्रीय ऋण सहायता की जानकारी संलग्नक 6.2.7 में दी गई है।

लघु सिंचाई

8. ऐसी सभी भूगत और भूतल जल स्कीमों को, जिनमें से प्रत्येक का कृषि कमान क्षेत्र 2000 हेक्टेयर तक का होता है, लघु सिंचाई स्कीमों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लघु भूतल जल प्रवाह सिंचाई परियोजनाओं का, जिनमें भंडारण और व्यपवर्तन संबंधी निर्माण-कार्य शामिल होते हैं, और भूतल लिफ्ट सिंचाई स्कीमों का सिंचित कृषि व्यवस्था में, विशेष रूप से विंध्याचल के दक्षिण के ऊँचे-नीचे क्षेत्र में और पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लघु सिंचाई स्कीमों में श्रम प्रधान होती हैं, उनसे ग्रामीण जनता को रोजगार प्राप्त होता है और वे ग्रामीण लोगों के शहरी क्षेत्रों में प्रव्रजन को रोकती हैं। उनसे ग्रामीण लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने में भी सहायता मिलती है और वे उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाती हैं। ये स्कीमों जल्दी परिपक्व हो जाती हैं और इन स्कीमों की परिपक्वता अवधि के बहुत कम होने के कारण इनसे जल्दी लाभ प्राप्त होने लगते हैं। सामान्यतः, ये स्कीमों अधिक से अधिक दो-तीन वर्षों में पूरी हो जाती हैं।

9. लघु सिंचाई स्कीमों से अंततः प्राप्त हो सकने वाली सिंचाई क्षमता 81.43 मिलियन हेक्टेयर आंकी गई है, जिसमें 17.38 मिलियन हेक्टेयर क्षमता भूगत जल स्कीमों से प्राप्त होगी। आठवीं योजना के अंत तक कुल 53.30 मिलियन हेक्टेयर क्षमता का सृजन हो जाने का अनुमान है। इसलिए नौवीं योजना के शुरू में 28.13 मिलियन हेक्टेयर क्षमता बाकी थी, जिसका सृजन किया जाना था। नौवीं योजना में लघु सिंचाई से 7.24 मिलियन हेक्टेयर क्षमता के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। नौवीं योजना में सृजित क्षमता और उपयोग में लाई गई क्षमता की जानकारी संलग्नक 6.2.6 में दी गई है।

योजना परिव्यय और व्यय

10. लघु सिंचाई का वित्त पोषण योजना-राशियों, संस्थात्मक वित्त और किसानों द्वारा किए जाने वाले निजी निवेश से किया जाता है। इसे आम तौर पर जनता का कार्यक्रम कहा जाता है, क्योंकि इसके विकास के लिए किए जाने वाले कुल निवेश में योजना-राशियों का हिस्सा बहुत थोड़ा होता है। नौवीं योजना में लघु सिंचाई स्कीमों के लिए केंद्र और राज्यों के क्षेत्रक के परिव्यय और व्यय की जानकारी नीचे सारणी में दी गई है।

सारणी 6.2.2
योजना परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपये)

वर्ष	केंद्रीय क्षेत्रक		राज्य क्षेत्रक	
	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/प्रत्याशित व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/प्रत्याशित व्यय
नौवीं योजना	385.00		8984.84	
1997-98	70.56	42.85	1799.20	1536.11
1998-99	67.40	48.09	2057.20	1746.81
1999-2000	55.41	70.71	2217.70	1769.80
2000-01	85.27	—	अनुपलब्ध	—

11. भूगत जल विकास लघु सिंचाई कार्यक्रम का प्रमुख भाग है और इसमें खुदाई-कुओं का निर्माण, खुदाई सह बोर कुओं का निर्माण, फिल्टर प्वाइंट, निजी छिछले नलकूप और गहरे

सरकारी नलकूप शामिल हैं। यह मूलतः जनता का कार्यक्रम है, जिसका कार्यान्वयन प्रमुख रूप से वैयक्तिक और सहकारी प्रयासों से और मुख्यतः संस्थात्मक स्रोतों से प्राप्त धन से किया जाता है। लेकिन, आवश्यकता से अधिक भूगत जल की निकासी पर, जैसी कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तरी गुजरात के कुछ भागों में देखी गई है, नियंत्रण और समुचित ध्यान रखे जाने की जरूरत है।

12. भूगत जल के विकास और प्रबंध के विनियमन और नियंत्रण के प्रयोजन से, सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के निदेश के अंतर्गत केंद्रीय भूगत जल प्राधिकरण का गठन किया गया था। इस प्राधिकरण का गठन पहले एक वर्ष की अवधि के लिए किया गया था, जिसे बाद में भूगत जल विकास और प्रबंध के विनियमन और नियंत्रण के लिए 13 जनवरी 1998 को पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। प्राधिकरण की प्रारंभिक नीति यह थी कि लोगों को जल के संरक्षण और उपयुक्त उपयोग के बारे में शिक्षित करने पर जोर दिया जाए। लोगों की भागीदारी से भूगत जल के उपयोग के विनियमन और कृत्रिम पुनर्भरण (री-चार्ज) के जरिए इसकी मात्रा में बढ़ोतरी करने के काम में लोगों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहन देना जरूरी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर जन-जागरण के कार्यक्रम शुरू करने होंगे। लेकिन जिन क्षेत्रों में स्थिति तेजी से बिगड़ रही है, संसाधनों के ह्रास/ प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े उपाय करने होंगे। इनमें कुछ क्षेत्रों को 'अधिसूचित क्षेत्र' घोषित करना, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भूगत जल को निकालने पर रोक लगाना शामिल है। केंद्रीय भूगत जल प्राधिकरण भूगत जल के सीमित उपयोग के प्रयोजन से उन क्षेत्रों को 'अधिसूचित क्षेत्र' घोषित कर रहा है, जहां भूगत जल की मात्रा में तेजी से कमी हो रही है और जहां भूगत जल प्रदूषित हो रहा है।

13. केंद्रीय भूगत जल प्राधिकरण कुओं का निर्माण करने वाले व्यक्तियों/ अभिकरणों का पंजीयन कर रहा है। अखिल भारतीय आधार पर 900 से अधिक ड्रिलिंग अभिकरणों का पंजीयन अब तक किया जा चुका है प्राधिकरण ने भूगत जल की गुणवत्ता का पुनर्मूल्यांकन करने और जहरीले तत्वों का पता लगाने के लिए अपनी चल रासायनिक प्रयोगशालाओं के जरिए विभिन्न स्थानों पर जल के नमूनों का परीक्षण किया है। आम जनता को भूगत जल की स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए, प्राधिकरण ने जन-जागरण कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

14. भूगत जल प्रबंध की आवश्यकताएं और उसके विकल्प अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग हैं उनमें समय पाकर परिवर्तन होता रहता है। जल संसाधनों की निरंतर बढ़ती हुई मांग के संदर्भ में, जल स्रोत प्रणाली के कृत्रिम पुनर्भरण (रीचार्ज) को जल-प्रबंध की एक कार्यनीति के रूप में अधिकाधिक महत्व प्राप्त होता जा रहा है। केंद्रीय भूगत जल बोर्ड ने अंधे और अतिशोषित खंडों में, केंद्रीय क्षेत्रक की स्कीम के अंतर्गत कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययन का काम हाथ में लिया है। गैर-सरकारी संगठनों और जल-उपभोक्ताओं के संघों की सहभागिता से वर्षा के जल के संग्रह और पुनर्भरण की ऐसी ही अन्य तकनीकों को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए और कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

लघु सिंचाई के लिए संस्थात्मक निवेश

15. संस्थात्मक वित्त लघु सिंचाई स्कीमों के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक और नाबार्ड लघु सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए किसानों और संस्थाओं को ऋण सुविधाएं प्रदान करते हैं। लघु सिंचाई स्कीमों के लिए नाबार्ड द्वारा दिए जाने वाले संस्थात्मक ऋण में पिछले 3 वर्षों से कमी हो रही है। नाबार्ड लघु सिंचाई स्कीमों के लिए पुनर्वित्तपोषित किए गए ऋण की राशि, जो 1995-96 में 795.32 करोड़ रुपये थी, घट कर 1997-98 में 477.91 करोड़ रुपये रह गई। राज्य-वार ब्यौरा

संलग्नक 6.2.9 में दिया गया है। इसके अलावा, भूमि विकास बैंकों/ सहकारी बैंकों द्वारा सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत जो संस्थात्मक निवेश मुहैया किया जा रहा है, वह 1995-96 के 37.29 करोड़ रुपये से घट कर वर्ष 1997-98 में 10.72 करोड़ रुपये रह गया। ऋण से संवितरण में कमी होने के कारणों का पता लगाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय में 12 जुलाई, 1999 को एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान अनेक सहकारी बैंकों द्वारा यह बताया गया कि नाबार्ड द्वारा गठित यूनिट लागत समिति की बैठकें नियमित आधार पर नहीं की जा रही। चूंकि यूनिट लागत को संशोधित नहीं किया गया है, इसलिए लघु सिंचाई क्षेत्रक को दिए जाने वाले ऋण में कमी हो गई है। यह भी बताया गया कि बहुत से मामलों में राज्य भूगत जल बोर्ड द्वारा भूगत जल की उपलब्धता के बारे में दी गई रिपोर्ट को अद्यतन नहीं बनाया जाता, लेकिन कई मामलों में यह गलत पाई गई है। यह निर्णय किया गया कि चूंकि केंद्रीय भूगत जल बोर्ड देश में 13000 से अधिक प्रेक्षण कुओं का परिचालन कर रहा है और चूंकि बोर्ड जल की उपलब्धता के बारे में और देश के विभिन्न भागों में इसके व्यवहार के बारे में नियमित रूप से अध्ययन करता है, इसलिए उनका उपयोग लघु सिंचाई क्षेत्रक को वित्तीय सहायता मुहैया करने के लिए किया जा सकता है। यह भी नोट किया गया कि नाबार्ड द्वारा देरी से अनुमोदन किए जाने के कारण लघु सिंचाई क्षेत्रक को ऋण प्रदान करने में विलंब होता है। इस बारे में आम सहमति थी कि लघु सिंचाई के लिए संस्थात्मक ऋण प्राप्त करने की पात्रता की शर्तें कम कड़ी होनी चाहिए। कुछ राज्यों में ऋणों की वसूली का स्तर बहुत नीचा होने के कारण इन राज्यों द्वारा ऋण चुकाने में निरंतर चूक किए जाने की वजह से संस्थात्मक वित्त में कमी हुई है। जल संसाधन मंत्रालय इन समस्याओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है कि नाबार्ड और राज्य सहकारी बैंकों द्वारा लघु सिंचाई क्षेत्रक के लिए किए जाने वाले ऋण के संवितरण में कमी न आए।

16. लघु सिंचाई कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं ये हैं :

- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए, संवितरण की अनुसूची के अनुसार धनराशि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना;
- कार्यान्वित की जा रही स्कीमों की प्राथमिकताएं सुनिश्चित करना;
- छोटे और सीमांतिक किसानों और अन्य कमजोर वर्गों को सब्सिडी सहित, संस्थात्मक निवेश में संभव सीमा तक वृद्धि करना;
- भूगत जल विकास को, विशेष रूप से पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में, बढ़ाना;
- जनजातीय, पिछड़े, सूखा-प्रवण क्षेत्रों और अनुसूचित जातिओं और अनुसूचित जनजातियों के किसानों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में कारगर ढंग से समन्वय स्थापित करके और यदि संभव हो तो विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत कार्यान्वित किए जा रहे सभी कार्यक्रमों, स्कीमों, जैसे रोजगार सृजन स्कीमों, आदि को आपस में जोड़ कर लघु सिंचाई कार्यक्रम को बढ़ावा देना;
- ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोतों, जैसे हाइड्रम आदि का उपयोग करने वाली स्कीमों को बढ़ावा देना;
- जल की कमी वाले और सूखा-प्रवण क्षेत्रों में जल की बचत करने के उपकरणों के रूप में और उत्पादकता के लिए जल के कुशल उपयोग के लिए छिड़काव/ ड्रिप सिंचाई प्रणाली के उपयोग को प्रोत्साहन देना;
- सार्वजनिक नलकूपों के उपयोग में सुधार लाना, उन्हें काम आने लायक बनाना और उन्हें प्रचालन तथा अनुरक्षा के लिए लाभभोगी किसानों को सौंपना।

ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष

17. ग्रामीण बुनियादी विकास कोष (आर आई डी एफ) की स्थापना नाबार्ड में 1995-96 में 2000 करोड़ रुपये की मूल निधि से की गई थी, जिसके लिए अंशदान, भारत में काम कर रहे विदेशी बैंकों को छोड़ कर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, कृषि ऋण के प्राथमिकता पूर्ण लक्ष्य में होने वाली कमी की सीमा तक, निवल बैंक ऋण के अधिकतम 1.5 प्रतिशत तक की राशि के अध्यक्षीन, किया जाएगा। इस समय आई आर डी एफ के अंतर्गत बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई, भू-संरक्षण, वाटरशेड प्रबंध, ग्रामीण सड़कों और पुलों, एकीकृत शीत भंडारण श्रृंखला परियोजनाओं, एकीकृत मार्केट यार्ड परियोजनाओं और अन्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे के प्रयोजन हेतु ऋण सहायता मुहैया कराई जाती है। आजकल स्कीम की अद्यतन लागत के 90 प्रतिशत अथवा शेष लागत में से जो भी कम हो, उसे बराबर सहायता दी जाती है, जो 7 वर्षों में 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज सहित चुकाई जानी होती है। आर आई डी एफ की विभिन्न किस्तों के अंतर्गत स्वीकृतियों और संवितरण का ब्योरा संलग्नक 6.2.8 में दिया गया है। आर आई डी एफ के अंतर्गत प्रयोजन-वार स्वीकृतियों का ब्योरा संलग्नक 6.2.9 में दिया गया है।

18. यह देखा गया कि कुछ राज्यों के मामले में नाबार्ड से ऋण का प्रवाह उस तरीके से नहीं हो रहा था, जिसकी परिकल्पना की गई थी। आर आई डी एफ के कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में वित्तपोषण में सुधार करने के लिए ये निर्णय लिए गए थे :

- परियोजनाओं में पर्यावरण अवशमन (मिटिगेशन शामिल) लागत की जानी चाहिए।
- राज्य सरकार द्वारा आहरण के दावे, तिमाही आधार पर प्रस्तुत किए जाने की मौजूदा प्रणाली के स्थान पर पाक्षिक आधार पर भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- राज्यों को प्रत्येक मंजूरशुदा स्कीम के लिए परियोजनाओं का समूह (शेल्फ) तैयार रखना चाहिए और इनकी प्राथमिकताएं भी निर्धारित की जानी चाहिए। जब किसी नई किस्त के घोषित होने पर धन उपलब्ध हो, तब परियोजनाओं को तत्काल मंजूरी दी जा सकती है।
- राज्य सरकारों को अनुरक्षण के पहलू की ओर उपयुक्त ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आम तौर पर यह अनुभव रहा है कि इस पर सम्यक रूप से विचार नहीं किया जाता।

कमान क्षेत्र विकास

19. कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में चुनी हुई बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा पोषित कमान क्षेत्रों में भूमि और जल के उपयोग के बेहतर प्रबंध द्वारा, सृजित की गई क्षमता और उसके बीच के अंतर को कम करने और कृषि उत्पादकता को इष्टतम बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस समय के कार्यक्रम के अंतर्गत 226 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका कुल कृषि कमान क्षेत्र 21.95 मिलियन हेक्टेयर है, जो 23 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में फैला हुआ है तथा इस कार्यक्रम का प्रशासन 55 कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है। 1974-75 में इस कार्यक्रम के शुरू होने के समय से लेकर मार्च 1998 तक कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को केंद्रीय सहायता के रूप में 1807 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। पिछले दो दशकों में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान जो त्रुटियां देखने में आई हैं, उनके आधार पर और मूल्यांकन अध्ययनों के आधार पर इस कार्यक्रम को नई दिशा दी जा रही है, ताकि यह कार्यक्रम जल के उपयोग की कुशलता को इष्टतम बनाने के साथ-साथ कृषि को तेजी से सिंचित बनाने की सुनिश्चित व्यवस्था करने का प्रभावकारी साधन बन सके।

अध्याय 6 : कृषि, सिंचाई, खाद्य और पोषाहार सुरक्षा

योजना परिव्यय और व्यय

20. नीचे की सारणी 6.2.3 में नौवीं योजना के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए केंद्र और राज्यों के क्षेत्रों के योजना परिव्ययों और व्यय की जानकारी दी गई है।

सारणी 6.2.3 योजना परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपये)

वर्ष	केंद्रीय क्षेत्रक		राज्य क्षेत्रक	
	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/प्रत्याशित व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/प्रत्याशित व्यय
नौवीं योजना	860.00		2027.19	
1997-98	141.00	129.96	371.35	360.19
1998-99	188.00	175.32	348.48	303.60
1999-2000	177.00	160.07	315.31	312.13
2000-01	160.88	—	अनुपलब्ध	—

21. इस कार्यक्रम की भैतिक प्रगति की जानकारी नीचे की सारणी 6.2.4 में दी गई है।

सारणी 6.2.4 क. से. वि. (कैड) कार्यक्रमों के संबंध में प्राप्तियां (मि. है.)

मर्दे	मार्च, 1992 तक उपलब्धियां	1992-93 से 1996-97 तक उपलब्धियां	1997-98 की उपलब्धियां	1998-99 की प्रत्याशित उपलब्धि	1999-2000 का लक्ष्य	1999-2000 की प्रत्याशित उपलब्धि	मार्च, 2000 तक कुल उपलब्धियां
फील्ड चैनल	12.19	1.76	0.32	0.32	0.32	0.15	14.74
वारंबंदी	6.12	2.52	0.42	0.33	0.29	0.11	9.50
भूमि समतलन	1.99	0.10	0.01	0.02	0.03	0.02	2.14
फील्ड नालियां	0.58	0.19	0.03	0.06	0.09	0.02	0.88

22. जल वितरण प्रणाली के बेहतर और अधिक कुशल प्रबंध, खेतों में जल के अधिक कुशल और समय पर वितरण, फील्ड कर्मचारियों और किसानों के प्रशिक्षण और निकासी के स्थान से नीचे की जल वितरण प्रणाली के प्रबंध में कमान क्षेत्र के किसानों को शामिल करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। जल-जमाव वाले क्षेत्रों को कृषि के योग्य बनाना एक अन्य मद है, जिसे अब इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

वर्ष 2000-01 का कार्यक्रम

23. इस कार्यक्रम को वर्ष 2000-01 में जारी रखा जाएगा। जल उपयोग की इष्टतम कुशलता की पूर्वावश्यकता के रूप में भूमि की चकबंदी पर अधिक जोर दिए जाने की जरूरत है। जहां कहीं जरूरी हो, वहां संबंधित संगठनों को उपयुक्त रूप से मजबूत बना कर, केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पर परियोजनाओं की कड़ाई से मानीटरिंग और मूल्यांकन करने पर बल दिया जा रहा है। वार्षिक योजना 2000-01 के लिए केंद्रीय क्षेत्र में 160.88 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

24. इस समय कार्यान्वित किए जा रहे, केंद्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन और उसके प्रभाव का मूल्यांकन उसके उद्देश्यों और उसकी मात्रा के संदर्भ में करने के लिए, योजना आयोग ने कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता पर जोर दिया है। तदनुसार, 18 सी ए डी परियोजनाओं के मूल्यांकन का कार्य एम ओ डब्ल्यू आर द्वारा सौंप दिया गया है। अधिकतर रिपोर्टें एम ओ डब्ल्यू आर को प्रस्तुत कर दी गई हैं। मुख्य निष्कर्ष ये हैं :

- वाराबंदी को लागू करने से किसानों के बीच जल के न्यायोचित वितरण में और सिंचाई क्षमता के उपयोग और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता मिली है।
- बारानी फसलों के स्थान पर सिंचित फसलें उगाने का फैसला करने में किसानों की सहायता करने में विस्तार सेवा सहायता को बहुत महत्वपूर्ण समझा गया है।
- बहुत सी सिंचाई परियोजनाओं में गैर-लाभकारी फसलों के स्थान पर उपयुक्त फसल पद्धति अपनाई गई है और जल की बेहतर कुशलता वाली उन्नत किस्मों की फसलें उगाना शुरू किया गया है।
- भूगत जल के विकास के मार्ग में जो मुख्य कठिनाइयां हैं, उनमें ये कठिनाइयां शामिल हैं: जोत की भूमि का आकार छोटा होना और उसका छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटा होना, किसानों की कमजोर आर्थिक स्थिति, संस्थात्मक वित्तीय सहायता की जटिलताएं, पम्पसेटों को चलाने के लिए बिजली और डीजल की अपर्याप्त सप्लाई, किसानों को पर्याप्त सब्सिडी प्राप्त न होना।
- सिंचाई में कुशलता प्राप्त करने के लिए, प्रणाली के अनुसंधान पर बल दिया जाना जरूरी है।

किसानों की भागीदारी

25. सिंचाई प्रबन्ध में किसानों की भागीदारी का अभिप्राय है, फैसले करने में जल-प्रयोक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका। यह ऐसी भूमिका है, जो सिर्फ विचार-विमर्श तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है सिंचाई प्रबन्ध के सभी पहलुओं में और कृषि/ फसलों सम्बन्धी क्रियाकलापों में मुख्य प्रणाली प्रबन्ध के साथ आगे और पीछे की सभी कड़ियों (लिंकेज) में लाभभोगियों की सक्रिय भूमिका। यह भूमिका किसानों की उस पारम्परिक निष्क्रिय भूमिका से बिल्कुल भिन्न है, जिसमें किसान सिंचाई के जल की सप्लाई और उसके वितरण के लिए सरकारी विभाग का मुंह जोहते हैं। इस उद्देश्य से कि किसान फैसले करने में सक्रिय भाग ले सकें, उपयुक्त किस्म के स्थानीय संगठन विकसित करने की जरूरत है। सिंचाई अभिकरण परस्पर-सम्पर्क/ हस्तक्षेप की सुनियोजित कार्यनीति तैयार करके इस प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से सहायता दे सकते हैं। किसान किस समय शामिल हों, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों की भागीदारी सबसे अधिक कारगर तब सिद्ध होती है, जब वे परियोजना के विकास के प्रारम्भिक चरणों में इसमें भाग लें, जिनमें परियोजना को तैयार करने और उसके डिजाइन के चरण भी शामिल हैं। इस प्रक्रिया में इस

अध्याय 6 : कृषि, सिंचाई, खाद्य और पोषाहार सुरक्षा

प्रकार शामिल होना, किसानों और सरकार के बीच एक सच्ची साझेदारी के लिए असली सहभागिता की आदर्श स्थिति का भाग है। किसानों के ऐसे संघों की (जिन हें जल प्रयोक्ता संघ भी कहा जाता है) के कई सफल उदाहरण हैं, जो पारम्परिक और समकालीन दोनों प्रकार की सिंचाई प्रणालियों का प्रबन्ध करते हैं। लेकिन ऐसे उदाहरण बिल्कुल इक्का दुक्का, एक-दूसरे से दूर-दूर और इस अर्थ में स्थान-सापेक्ष हैं कि ऐसे सफल प्रयोग अन्य क्षेत्रों में अथवा उसी कमान के पड़ोसी खंडों में भी नहीं फैले हैं। भारत में आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और असम में विभिन्न रूपों के लगभग 26771 जल प्रयोक्ता संघ हैं। लेकिन अनुमान है कि इन सभी जल प्रयोक्ता संघों द्वारा इस समय कुल मिलाकर लगभग 5759.23 हजार हेक्टेयर क्षेत्र का प्रबन्ध किया जा रहा है।

बाढ़ नियंत्रण

26. लगभग कुल मिलाकर 329 मिलियन हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र का, मोटे तौर पर लगभग आठवां हिस्सा बाढ़-प्रवण क्षेत्र निर्धारित किया गया है। अनुमान है कि इसमें लगभग 32 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा है, जिसे सुरक्षित बनाया जा सकता है। देश में 1954 में आई विनाशकारी बाढ़ों के बाद, बाढ़-प्रबन्ध का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब तक विभिन्न राज्यों में समस्या की किस्म और स्थानीय स्थितियों को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण के विभिन्न तरीके अपनाए गए हैं, जिनमें दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों प्रकार के तरीके शामिल हैं। मार्च 1954 से मार्च 1992 तक, तटबन्धों में कभी-कभार आने वाली दरारों को छोड़ कर, बाढ़-नियंत्रण के लिए क्रियान्वित किए गए विभिन्न प्रकार के निर्माण-कार्यों से लगभग 14.20 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को युक्संगत सुरक्षा प्रदान हुई है। आठवीं योजना के अन्त तक कुल 1.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचा है। इसमें वह क्षेत्र (लगभग 3 मिलियन हेक्टेयर) शामिल नहीं है, जिसे 1954 से पहले उन निर्माण-कार्यों (वर्क्स) से सुरक्षा प्राप्त थी, जो विभिन्न राज्यों में पहले से ही विद्यमान थे। इन निर्माण कार्यों के अलावा, देश के अन्दर बाढ़ के जल को समेटने वाले जलाशयों का निर्माण किया गया है, ताकि अनुप्रवाह वाले क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसके अलावा, इन बहुप्रयोजनी भंडारणों से निचले मैदानों में बाढ़ के वेग को कम करने में बहुत सहायता मिली है।

27. निम्नलिखित सारणी 6.2.5 में नौवीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबन्ध कार्यों के लिए निर्धारित परिव्यय और किए गए व्यय की जानकारी दी गई है।

सारणी 6.2.5 योजना परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपये)

वर्ष	केंद्रीय क्षेत्रक		राज्य क्षेत्रक	
	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/प्रत्याशित व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक/प्रत्याशित व्यय
नौवीं योजना	716.13		2222.36	---
1997-98	86.54	48.47	371.35	378.14
1998-99	91.75	55.87	348.48	303.60
1999-2000	61.79	67.05	662.36	559.04
2000-2001	154.87	—	अनुपलब्ध	—

28. वर्ष 1998-99 में केन्द्र और राज्य दोनों क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 440.23 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में, 359.47 करोड़ रुपए का व्यय होने की संभावना है। वर्ष के दौरान असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में अभूतपूर्व बाढ़ आने के कारण इन राज्यों को बाढ़ के संकट से जूझना पड़ा। लोगों की तकलीफों को कम करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रभावित राज्यों को राहत प्रदान की गई। चूंकि बाढ़ नियंत्रण के निर्माण कार्यों को अनुपयुक्त अनुरक्षण के कारण बहुत क्षति पहुंचती है, इसलिए राज्यों द्वारा अनुरक्षण के लिए धन की पर्याप्त व्यवस्था करके उपयुक्त अनुरक्षण की सुनिश्चित व्यवस्था की जानी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्यान्वित किए जा रहे सुरक्षा कार्यों की प्राथमिकताएं निर्धारित करके उन्हें निर्धारित समय तक पूरा किया जाए।

वर्ष 2000-2001 की योजना

29. बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों में वर्ष-प्रति-वर्ष जो भारी राहत खर्च किया जाता है, उसे देखते हुए, उन निर्माण-कार्यों को, जो कार्यान्वित किए जा रहे हैं, पूरा करने के लिए प्राथमिकता प्रदान करना जरूरी है। बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी अनुसंधान और विकास के कार्यों में भी तेजी लाए जाने की आवश्यकता है।

30. संरचनात्मक बाढ़ सुरक्षा उपायों में हुई प्रगति के अलावा, बाढ़ों का पूर्वानुमान लगाने और आने वाली बाढ़ों के बारे में चेतावनी दिए जाने से भी बाढ़ से जीवन और चल सम्पत्ति को होने वाले नुकसान को कम करने में और इसके अलावा विभिन्न इंजीनियरी वर्क्स के प्रभारी संगठनों को सतर्क करने में काफी सहायता मिलती है। सभी अन्तर्राज्यीय नदियों के सम्बन्ध में यह कार्य केन्द्रीय जल आयोग को सौंपा गया है। राज्यों को बाढ़ प्रवण अंचल सम्बन्धी कानून तैयार करने में सहायता देने के लिए, एक आदर्श विधेयक 1975 में राज्य सरकारों के पास भेजा गया था। राज्य सरकारों को इस माडल विधेयक के आधार पर कानून बनाने के लिए मनाया जा रहा है, ताकि बाढ़-क्षेत्रों में गैर-नियोजित और गैर-विनियमित विकास और अतिक्रमण को रोका जा सके और बाढ़ से होने वाली क्षति में वृद्धि की प्रवृत्ति को बदला जा सके। अब तक केवल मणिपुर राज्य ने ऐसा विधान बनाया है।

जल दरें

31. राष्ट्रीय जल नीति (1987) के अनुसार जल दरें ऐसी होनी चाहिएं, जिनसे प्रयोक्ताओं को जल के दुर्लभता-मूल्य की जानकारी मिले, उन्हें जल के कुशल उपयोग के लिए प्रेरणा मिले, और इसके साथ ही वे इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि उनसे वार्षिक अनुरक्षण और परिचालन प्रभारों की पूर्ति हो सके तथा निर्धारित लागत के कुछ भाग की वसूली हो सके। जल के संबंध में प्रति यूनिट कृषि उत्पादकता में उतरोत्तर वृद्धि की जानी चाहिए, ताकि वह जल के अन्य अधिक मूल्य वाले उपयोगों के साथ मुकाबला कर सकें।

32. योजना आयोग ने एक जल मूल्य-निर्धारण समिति गठित की थी, जिसे आम तौर पर वैद्यनाथन समिति कहा जाता है। इसके आद उक्त समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए योजना आयोग द्वारा अधिकारियों के एक दल का गठन किया गया था। इस दल ने सर्वसम्मति से यह सिफारिश दी थी कि अनुरक्षण और परिचालन (ओ एण्ड एम) की पूरी लागत, मुद्रा-स्फिति को ध्यान में रखते हुए, चरणबद्ध तरीके से, अर्थात् 1995-96 से शुरू होने वाली 5 वर्ष की अवधि में वसूल होनी चाहिए और ओ एण्ड एम स्तर पर पहुंचने के बाद अलग-अलग

राज्य पूंजीगत लागत का भी 1 प्रतिशत भाग वसूल करने के लिए जल-दरों को बढ़ाने हेतु उपयुक्त कार्रवाई का फैसला करने की स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा यह सिफारिश भी की गई थी कि सभी राज्यों को अपने यहां सिंचाई और जल मूल्य निर्धारण बोर्ड स्थापित करने चाहिए और कम से कम प्रत्येक पांच वर्षों में जल दरों का सावधिक पुनरीक्षण अवश्यमेव किया जाना चाहिए और उसमें प्रयोक्ताओं को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, दल ने जल प्रयोक्ता संघ बनाए जाने और सिंचाई प्रणालियों के अनुरक्षण और प्रबंध का काम उन्हें सौंपे जाने की भी सिफारिश की, ताकि प्रत्येक प्रणाली ओ एण्ड एम के लिए और अंततः सुविधाओं के विस्तार/ सुधार के लिए अपने वित्त का प्रबंध स्वयं कर सके।

33. इस समय अधिकतर राज्यों में जल की दरें बहुत नीची हैं और उनके स्तर भी बहुत भिन्न-भिन्न है और उनमें से कुछ राज्यों ने पिछले 2-3 दशकों से उन्हें संशोधित नहीं किया है। अधिकतर उत्तर-पूर्वी राज्य (असम और मणिपूर को छोड़ कर) कोई सिंचाई जल दर वसूल नहीं करते। केवल महाराष्ट्र ऐसा राज्य है, जहां जल-दरें एक बार 5 वर्षों की अवधि के लिए घोषित की जाती हैं और उनमें 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि की व्यवस्था होती है, ताकि ओ एण्ड एम की पूरी लागत और सिंचाई बांडों के जरिए प्राप्त सार्वजनिक जमा-राशियों पर देय ब्याज की पूर्ति की जा सके। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और उड़ीसा राज्यों की सरकारों ने हाल में जल-दरों को संशोधित किया है।

34. वार्षिक योजना, 2000-01 पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित कार्य दल की बैठकों के दौरान राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे जल-दरों को उस स्तर तक पहुँचाने के लिए संशोधित करें, जससे कि कम से कम अनुरक्षण और परिचालन के खर्च की पूर्ति हो सके। उन्हें स्थापना-व्यय को कम करने और जल-दरों को एकत्र करने की कुशलता को बढ़ाने की भी सलाह दी गई है।

जल संसाधनों के विकास के लिए विदेशी सहायता

35. देश के विभिन्न क्षेत्रों में जल संसाधनों के विकास के कार्य के लिए भारी वित्तीय निवेश की आवश्यकता है। जल संसाधनों के विकास की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए वित्त पोषण करने वाली विभिन्न एजेंसियों से विदेशी सहायता लेने की जरूरत होती है।

36. विश्व बैंक इस क्षेत्रक में विदेशी सहायता का प्रमुख स्रोत बना हुआ है। अन्य दाता हैं, ई ई सी, ओ ई सी एफ-जापान, के एफ डब्ल्यू जर्मनी और नीदरलैंड की सरकार, आदि। जल संसाधन परियोजनाओं की राज्य-वार स्थिति की जानकारी देने वाला विवरण संलग्नक 6.2.10 में दिया गया है।

अध्याय 6 : कृषि, सिंचाई, खाद्य और पोषाहार सुरक्षा

संलग्नक 6.2.1

नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत परिव्यय				
		बड़ी एवं मझौली सिंचाई	लघु सिंचाई	सी ए डी	बाढ़ नियंत्रण	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	5027.16	775.73	76.50	127.41	6006.80
2	अरुणाचल प्रदेश	2.30	202.48	5.65	69.52	279.95
3	असम	135.12	429.99	25.07	120.24	710.42
4	बिहार	1450.00	725.00	125.00	400.00	2700.00
5	गोवा	237.02	27.31	7.31	6.46	278.10
6	गुजरात	7358.00	963.55	50.00	10.00	8381.55
7	हरियाणा	1372.43	172.13	68.22	60.41	1673.19
8	हिमाचल प्रदेश	35.00	196.55	7.30	20.00	258.85
9	जम्मू और कश्मीर .	173.85	148.20	22.32	80.75	425.12
10	कर्नाटक	5500.00	500.00	120.00	50.00	6170.00
11	केरल	650.00	250.00	40.00	88.00	1028.00
12	मध्य प्रदेश	1915.76	782.90	18.69	4.67	2722.02
13	महाराष्ट्र	8969.08	1568.56	388.46	2.70	10928.80
14	मणिपुर	222.00	44.00	18.60	36.00	320.60
15	मेघालय	15.00	60.00	5.00	18.00	98.00
16	मिजोरम	0.40	17.52	0.19	0.00	18.11
17	नागालैंड	9.85	40.28	1.50	5.37	57.00
18	उड़ीसा	3084.76	267.32	16.50	20.00	3388.58
19	पंजाब	238.25	252.82	384.47	409.70	1285.24
20	राजस्थान	1855.54	196.30	422.86	51.16	2525.86
21	सिक्किम	0.00	10.00	1.00	30.00	41.00
22	तमिल नाडु	1000.00	357.65	90.00	0.00	1447.65
23	त्रिपुरा	60.55	105.36	0.10	28.00	194.01
24	उत्तर प्रदेश	2600.12	490.00	120.00	80.00	3290.12
25	पश्चिम बंगाल	710.93	347.86	16.33	328.45	1403.57
	जोड़ राज्य	42623.12	8931.51	2031.07	2046.84	55632.54
26	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	0.00	5.77	0.00	4.23	10.00
27	चंडीगढ़	0.00	1.20	0.00	0.00	1.20
28	दादरा और नागर हवेली	4.50	7.00	0.74	0.00	12.24
29	दमन और दीव	1.60	1.02	0.30	2.19	5.11
30	दिल्ली	0.00	13.03	0.00	120.00	133.03
31	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	17.36	17.36
32	पांडिचेरी	0.00	17.50	0.00	21.50	39.00
	योग संघ राज्य क्षेत्र	6.10	45.52	1.04	165.28	217.94
	योग राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	42629.22	8977.03	2032.11	2212.12	55850.48
	• केंद्रीय क्षेत्रक	330.12	385.00	860.00	716.13	2291.25
		.			..	
	कुल योग	42959.34	9362.03	2892.11	2928.25	58141.73

- बड़े और मझौले घटकों के अधीन 330.12 करोड़ रुपये में अनुसंधान एवं विकास के लिये 37.79 करोड़ रुपये और सचिवालय एवं आर्थिक सेवाओं के लिये 8.75 करोड़ रुपये शामिल हैं।
- 716.13 करोड़ रुपये में फरक्का बराज परियोजना परिवहन क्षेत्रक के अंतर्गत परियोजना के लिए 110.00 करोड़ रुपये शामिल हैं।
- उल्लिखित परिव्यय 9500 करोड़ रुपये के नौवीं योजना परिव्यय पर आधारित हैं।

अध्याय 6 : कृषि, सिंचाई, खाद्य और पोषाहार सुरक्षा

संलग्नक 6.2.2

वर्ष 1997-98 में बड़ी और मझौली सिंचाई, लघु सिंचाई, सी ए डी एवं बाढ़ नियंत्रण के संबंध में वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बड़ी एवं मझौली सिंचाई	लघु सिंचाई	सी ए डी	बाढ़ नियंत्रण	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	659.70	111.04	7.16	17.85	795.75
2	अरुणाचल प्रदेश	0.36	16.73	0.98	3.76	21.83
3	असम	30.34	89.70	3.19	16.24	139.47
4	बिहार	240.67	41.15	11.30	42.34	335.46
5	गोवा	23.49	3.51	1.20	0.94	29.14
6	गुजरात	1212.95	148.16	11.32	4.00	1376.43
7	हरियाणा	214.75	30.00	12.14	20.71	277.60
8	हिमाचल प्रदेश	10.12	41.35	1.09	3.65	56.21
9	जम्मू और कश्मीर	21.41	26.07	3.53	17.61	68.62
10	कर्नाटक	1308.29	70.05	24.11	10.31	1412.76
11	केरल	153.58	41.67	11.54	22.13	228.92
12	मध्य प्रदेश	375.47	139.62	3.84	0.72	519.65
13	महाराष्ट्र	1606.24	348.69	53.14	0.98	2009.05
14	मणिपुर	34.60	6.41	1.50	6.84	49.35
15	मेघालय	1.50	6.06	0.25	1.50	9.31
16	मिजोरम	0.04	1.96	0.04	0.00	2.04
17	नागालैंड	0.86	2.42	0.20	0.20	3.68
18	उड़ीसा	519.98	81.39	4.00	18.31	623.68
19	पंजाब	51.15	26.82	43.77	51.05	172.79
20	राजस्थान	386.95	34.58	58.99	12.34	492.86
21	सिक्किम	0.00	2.16	0.00	1.09	3.25
22	तमिलनाडु	87.96	42.66	16.73	0.00	147.35
23	त्रिपुरा	6.33	5.84	0.02	4.64	16.83
24	उत्तर प्रदेश	473.87	99.34	30.58	14.40	618.19
25	पश्चिम बंगाल	102.04	30.39	2.60	62.32	197.35
	जोड़ राज्य	7522.65	1447.77	303.22	333.93	9607.57
26	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	2.41	0.00	0.00	2.41
27	चंडीगढ़	0.00	0.22	0.00	0.00	0.22
28	दादरा और नागर हवेली	0.31	1.60	0.21	0.00	2.12
29	दमन और दीव	0.20	0.12	0.00	0.40	0.72
30	दिल्ली	0.00	0.84	0.00	10.02	10.86
31	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	3.69	3.69
32	पांडिचेरी	0.00	3.63	0.00	3.83	7.46
	योग संघ राज्य क्षेत्र	0.51	8.82	0.21	17.94	27.48
	योग राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	7523.16	1456.59	303.43	351.87	9635.05
	केंद्रीय क्षेत्रक	36.72	42.84	129.26	67.17	275.99
	कुल योग	7559.88	1499.43	432.69	419.04	9911.04

संलग्नक 6.2.3

वर्ष 1998-99 के लिए बड़ी और मझौली सिंचाई, लघु सिंचाई, सी ए डी एवं बाढ़ नियंत्रण के संबंध में संशोधित परिव्यय

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बड़ी एवं मझौली सिंचाई	लघु सिंचाई	सी ए डी	बाढ़ नियंत्रण	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	790.70	148.11	13.00	49.00	1000.81
2	अरुणाचल प्रदेश	0.31	12.87	0.78	4.16	18.12
3	असम	45.91	68.61	3.19	20.27	137.98
4	बिहार	121.00	27	12.00	43.00	203.00
5	गोवा	20.54	6.25	1.82	1.16	29.77
6	गुजरात	1347.32	251.82	13.19	5.00	1617.33
7	हरियाणा	342.79	58.75	12.50	20.00	434.04
8	हिमाचल प्रदेश	12.25	47.67	0.30	5.88	66.10
9	जम्मू और कश्मीर	73.52	39.31	4.11	26.12	143.06
10	कर्नाटक	1354.27	86.28	11.46	7.00	1459.01
11	केरल	140.00	39.6	12.00	24.00	215.60
12	मध्य प्रदेश	425.85	209.24	4.49	1.00	640.58
13	महाराष्ट्र	2627.99	366.26	72.40	1.16	3067.81
14	मणिपुर	36.65	9.5	11.05	5.10	62.30
15	मेघालय	4.00	6.45	0.30	2.00	12.75
16	मिजोरम	0.03	4.89	0.03	0.00	4.95
17	नागालैंड	0.04	4.27	0.10	0.09	4.50
18	उड़ीसा	602.81	92.96	5.00	15.00	715.77
19	पंजाब	58.62	38.04	17.20	184.84	298.70
20	राजस्थान	436.74	49.4	69.18	4.53	559.85
21	सिक्किम	0.00	0.85	2.84	0.02	3.71
22	तमिलनाडु	294.96	72.89	21.88	0.80	390.53
23	त्रिपुरा	7.58	8.93	0.02	3.24	19.77
24	उत्तर प्रदेश	470.00	68.15	14.08	45.90	598.13
25	पश्चिम बंगाल	58.12	18.65	0.61	82.22	159.60
	जोड़ राज्य	9272.00	1736.75	303.53	551.49	11863.77
26	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	2.75	0.00	0.00	2.75
27	चंडीगढ़	0.00	0.22	0.00	0.00	0.22
28	दादरा और नागर हवेली	0.78	1.2	0.07	0.00	2.05
29	दमन और दीव	0.34	0.09	0.00	0.28	0.71
30	दिल्ली	0.00	1.17	0.00	15.81	16.98
31	लक्षद्वीप	0.00	0	0.00	2.63	2.63
32	पांडिचेरी	0.00	4.63	0.00	3.00	7.63
	योग संघ राज्य क्षेत्र	1.12	10.06	0.07	21.72	32.97
	योग राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	9273.12	1746.81	303.60	573.21	11896.74
	केंद्रीय क्षेत्रक	49.03	48.29	174.90	74.57	346.79
	कुल योग	9322.15	1795.10	478.50	647.78	12243.53

बड़ी और मझौली सिंचाई, लघु सिंचाई, सी ए डी एवं बाढ़ नियंत्रण क्षेत्रक हेतु वर्ष 1990-2000 का अनुमोदित परिव्यय

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बड़ी एवं मझौली सिंचाई	लघु सिंचाई	सी ए डी	बाढ़ नियंत्रण	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	1051.14	208.63	12	42	1313.77
2	अरुणाचल प्रदेश	0.34	22.14	0.90	4.25	27.63
3	असम	45.91	65.78	3.19	27.57	142.45
4	बिहार	680.00	64	12.00	110.00	866.00
5	गोवा	57.70	4.5	1.00	0.85	64.05
6	गुजरात	1580.00	237.3	10.00	5.00	1832.30
7	हरियाणा	490.00	60	11.00	20.00	581.00
8	हिमाचल प्रदेश	16.85	54.83	0.35	8.12	80.15
9	जम्मू और कश्मीर	68.46	45.67	4.11	32.11	150.35
10	कर्नाटक	1641.09	124.62	14.78	6.89	1787.38
11	केरल	159.72	46	12.00	24.00	241.72
12	मध्य प्रदेश	463.43	181.18	5.05	1.01	650.67
13	महाराष्ट्र	3449.00	378.61	52.78	0.99	3881.38
14	मणिपुर	60.00	18	1.60	15.30	94.90
15	मेघालय	6.00	11	1.00	3.00	21.00
16	मिजोरम	0.05	6.95	0.05	शून्य	7.05
17	नागालैंड					4.50
18	उड़ीसा	520.30	115.43	4.16	12.63	652.52
19	पंजाब	124.95	42.23	47.51	105.39	320.08
20	राजस्थान	491.72	86.09	62.11	3.55	643.47
21	सिक्किम	0.00	20	0.50	0.02	20.52
22	तमिलनाडु	337.44	41.21	21.87	17.77	418.29
23	त्रिपुरा	7.92	65.13	0.02	5.85	78.92
24	उत्तर प्रदेश	845.00	106.79	30.00	23.53	1005.32
25	पश्चिम बंगाल	126.25	96.58	7.07	165.30	395.20
	जोड़ राज्य	12227.77	2102.67	315.05	635.13	15280.62
26	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	2.5	0.00	0.00	2.50
27	चंडीगढ़	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25
28	दादरा और नागर हवेली	1.00	1.26	0.24	0.00	2.50
29	दमन और दीव	0.04	0.05	0.10	0.18	0.37
30	दिल्ली	0.00	1.25	0.00	20.00	21.25
31	लक्षद्वीप	0.00	0	0.00	3.05	3.05
32	पांडिचेरी	0.00	9.81	0.00	4.00	13.81
	योग संघ राज्य क्षेत्र	1.04	15.12	0.34	27.23	43.73
	योग राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	12228.81	2117.79	315.39	662.36	15324.35
	केंद्रीय क्षेत्रक	55.80	55.41	177.00	81.79	370.00
	कुल योग	12284.61	2173.20	492.39	744.15	15694.35

अध्याय 6 : कृषि, सिंचाई, खाद्य और पोषाहार सुरक्षा

संलग्नक 6.2.5

बड़ी और मझौली सिंचाई स्कीमों – आठवीं योजना तक भौतिक
उपलब्धि एवं नौवीं योजना लक्ष्य

(000 हेक्टेर)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रयुक्त सिंचाई क्षमता	मार्च 1992 के अंत तक उपलब्धि		आठवीं योजना लक्ष्य 1992-97		1992-97 के दौरान उपलब्धि		मार्च 97 तक उपलब्धि	
			क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	5000.00	2999.00	2847.00	419.00	208.00	46.10	36.80	3045.10	2883.80
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	970.00	176.00	111.00	120.00	74.80	20.67	27.17	196.67	138.17
4	बिहार	6500.00	2766.00	2295.00	315.00	410.00	36.50	29.20	2802.50	2324.20
5	गोवा	62.00	13.00	12.00	36.20	14.23	0.02	0.07	13.02	12.07
6	गुजरात	3000.00	1246.00	986.00	448.00	404.00	104.00	214.00	1350.00	1200.00
7	हरियाणा	3000.00	2035.00	1791.00	296.00	270.00	43.79	42.62	2078.79	1833.62
8	हिमाचल प्रदेश	50.00	8.00	4.00	2.64	2.00	2.55	1.59	10.55	5.59
9	जम्मू और कश्मीर	250.00	158.00	136.00	20.50	23.00	15.70	11.57	173.70	147.57
10	कर्नाटक	2500.00	1377.00	1192.00	401.00	361.00	289.02	279.70	1666.02	1471.70
11	केरल	1000.00	416.00	367.00	148.00	148.00	97.31	97.31	513.31	464.31
12	मध्य प्रदेश	6000.00	1962.00	1395.00	450.00	300.00	355.60	225.95	2317.60	1620.95
13	महाराष्ट्र	4100.00	2030.00	1036.00	400.00	444.00	307.00	251.70	2337.00	1287.70
14	मणिपुर	135.00	59.00	50.00	54.16	43.39	4.00	2.00	63.00	52.00
15	मेघालय	20.00	0.00	0.00	3.88	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	उड़ीसा	3600.00	1409.00	1326.00	334.00	340.00	148.75	116.66	1557.75	1442.66
19	पंजाब	3000.00	2367.00	2309.00	218.10	218.10	145.86	142.25	2512.86	2451.25
20	राजस्थान	2750.00	1999.00	1887.00	288.61	232.13	274.88	201.39	2273.88	2088.39
21	सिक्किम	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तमिलनाडु	1500.00	1545.00	1541.00	10.30	10.57	0.51	4.49	1545.51	1545.49
23	त्रिपुरा	100.00	2.00	2.00	13.20	12.00	0.30	0.30	2.30	2.30
24	उत्तर प्रदेश	12500.00	6789.00	5751.00	889.00	600.00	254.00	363.00	7043.00	6114.00
25	पश्चिम बंगाल	2300.00	1353.00	1258.00	552.39	474.85	79.68	57.28	1432.68	1315.28
	जोड़ राज्य	58367.00	30709.00	26296.00	5419.98	4593.07	2226.24	2105.05	32935.24	28401.05
26	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	चंडीगढ़				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	दादरा और नागर हवेली				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	दमन और दीव				1.71	1.71	3.22	2.00	3.22	2.00
30	दिल्ली				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	लक्षद्वीप				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	पांडिचेरी				2.50	2.50	0.29	0.29	0.29	0.29
	योग सं. रा. क्षेत्र	98.00	15.00	7.00	4.21	4.21	3.51	2.29	18.51	9.29
	योग राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	58465.00	30724.00	26303.00	5424.19	4597.28	2229.75	2107.34	32953.75	28410.34

टिप्पणी : आठवीं योजना के दौरान उपर्युक्त भौतिक उपलब्धियां अनुमानित हैं और उनमें परिवर्तन की संभावना है।

अध्याय 6 : कृषि, सिंचाई, खाद्य और पोषाहार सुरक्षा

संलग्नक 6.2.5 (जारी)

बड़ी और मझौली सिंचाई स्कीमें – आठवीं योजना तक भौतिक
उपलब्धि एवं नौवीं योजना लक्ष्य

(000 हेक्टे०)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	नौवीं योजना लक्ष्य मध्यम और लघु		1997-98 लक्ष्य मध्यम और लघु		1997-98 उपलब्धि मध्यम और लघु		1998-99 अनुमानित उपलब्धि मध्यम और लघु		लक्ष्य 1999-2000	
		क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	आंध्र प्रदेश	579.13	506.28	115.51	152.78	76.52	12.10	116.17	158.79	151.41	151.50
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	6.50	4.00	1.15	0.20	4.20	2.00	1.30	1.00	0.02	0.02
4	बिहार	492.00	518.00	25.57	25.50	4.33	4.33	27.10	22.10	53.46	0.00
5	गोवा	16.22	12.00	7.00	2.50	3.50	1.00	0.02	0.02	0.89	0.89
6	गुजरात	1867.00	1892.00	65.00	60.00	17.14	20.62	16.08	20.00	15.00	20.00
7	हरियाणा	197.71	211.21	45.00	41.00	1.66	1.66	3.49	3.49	7.00	3.00
8	हिमाचल प्रदेश	3.00	1.50	0.30	0.15	0.30	0.15	0.15	0.34	0.15	0.34
9	जम्मू और कश्मीर	29.90	40.10	2.45	5.69	2.07	2.62	0.22	2.86	0.70	5.30
10	कर्नाटक	1109.88	887.90	119.21	95.36	45.44	36.35	35.17	35.17	100.00	80.00
11	केरल	373.12	373.12	32.23	30.61	32.23	30.61	14.00	14.00	30.00	30.00
12	मध्य प्रदेश	384.75	195.11	53.30	23.30	32.00	23.30	20.70	10.30	28.00	13.60
13	महाराष्ट्र	1755.00	1700.00	151.00	150.00	151.00	150.00	187.00	187.00	200.00	187.00
14	मणिपुर	50.38	42.33	0.77	1.53	1.00	1.00	12.00	10.00	4.00	4.00
15	मेघालय	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00
16	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	नागालैंड	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	उड़ीसा	915.39	819.27	120.63	54.14	34.57	54.14	40.39	191.30	62.51	40.39
19	पंजाब	126.25	126.25	21.60	12.22	12.62	22.85	5.01	5.01	1.77	1.77
20	राजस्थान	469.26	394.92	48.60	46.46	58.90	46.46	11.50	98.70	19.00	27.78
21	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	तमिलनाडु	4.80	3.80	2.18	0.00	2.18	2.18	0.00	0.00	1.62	1.62
23	त्रिपुरा	22.92	11.05	0.85	0.85	0.85	0.85	0.20	0.80	1.00	0.80
24	उत्तर प्रदेश	1000.00	600.00	140.00	75.00	129.00	33.00	112.00	75.00	125.00	75.00
25	पश्चिम बंगाल	395.00	355.00	74.00	67.00	53.41	43.22	50.00	40.00	28.00	20.00
	जोड़ राज्य	9806.59	8702.22	1026.35	844.29	662.92	488.44	652.50	876.85	829.53	663.01
26	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28	दादरा और नागर हवेली	2.20	—	0.10	0.40	0.10	0.40	—	0.55	—	
29	दमन और दीव	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
30	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर		एन आर
31	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	योग सं. रा. क्षेत्र	5.20	3.00	0.10	0.40	0.10	0.40	0.00	0.55	3.00	0.00
	योग राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	9811.79	8705.22	1026.45	844.69	663.02	488.84	652.50	877.40	832.53	663.01

अध्याय 6 : कृषि, सिंचाई, खाद्य और पोषाहार सुरक्षा

संलग्नक 6.2.6

लघु सिंचाई – भौतिक विवरण

(000' हेक्टे०)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रयुक्त सिंचाई क्षमता	मार्च 1992 के अंत तक उपलब्धि		आठवीं योजना लक्ष्य 1992-97		1992-97 के दौरान उपलब्धि		मार्च 97 तक उपलब्धि	
			क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	6260.00	2877.34	2662.63	500.00	400.00	24.53	24.53	2901.87	2687.16
2	अरुणाचल प्रदेश	168.00	64.89	55.84	20.00	20.00	18.53	9.70	83.42	65.54
3	असम	1900.00	575.28	466.97	180.00	120.00	17.48	17.48	592.76	484.45
4	बिहार	6847.00	4876.90	4357.19	1832.00	1466.00	231.34	216.51	5108.24	4573.70
5	गोवा	54.00	18.41	16.71	4.00	3.00	2.11	1.06	20.52	17.77
6	गुजरात	3103.00	1900.30	1804.22	180.00	150.00	35.00	35.40	1935.30	1839.62
7	हरियाणा	1512.00	1524.47	1483.72	100.00	90.00	52.30	47.90	1576.77	1531.62
8	हिमाचल प्रदेश	303.00	141.61	122.45	25.00	20.00	8.77	5.97	150.38	128.42
9	जम्मू और कश्मीर	1108.00	363.62	352.31	40.00	40.00	11.00	8.85	374.62	361.16
10	कर्नाटक	3474.00	1435.48	1395.51	220.00	200.00	95.53	93.20	1531.01	1488.71
11	केरल	1679.00	518.04	482.41	100.00	85.00	55.08	55.08	573.12	537.49
12	मध्य प्रदेश	11932.00	2560.52	2375.02	500.00	375.00	97.00	47.00	2657.52	2422.02
13	महाराष्ट्र	4852.00	2457.40	2212.10	400.00	325.00	90.00	129.00	2547.40	2341.10
14	मणिपुर	469.00	49.57	41.21	15.00	12.00	10.82	9.98	60.39	51.19
15	मेघालय	148.00	42.51	37.19	7.30	5.55	4.06	4.06	46.57	41.25
16	मिजोरम	70.00	10.54	9.03	6.00	4.00	2.19	2.19	12.73	11.22
17	नागालैंड	75.00	65.10	55.93	13.00	10.00	2.14	2.00	67.24	57.93
18	उड़ीसा	5203.00	1245.38	1126.18	150.00	150.00	112.09	100.87	1357.47	1227.05
19	पंजाब	2967.00	3290.45	3238.19	76.00	70.00	63.72	57.93	3354.17	3296.12
20	राजरथान	2378.00	2388.71	2316.63	300.00	280.00	32.53	20.15	2421.24	2336.78
21	सिक्किम	50.00	22.19	17.07	5.00	4.00	4.04	3.51	26.23	20.58
22	तमिलनाडु	4032.00	2107.91	2102.52	110.00	107.00	7.31	8.84	2115.22	2111.36
23	त्रिपुरा	181.00	87.38	78.83	27.00	16.00	5.20	5.20	92.58	84.03
24	उत्तर प्रदेश	17999.00	15806.00	13886.00	5439.00	5000.00	4644.61	4596.71	20450.61	18482.71
25	पश्चिम बंगाल	4618.00	2772.37	2309.90	450.00	400.00	445.00	267.00	3217.37	2576.90
	जोड़ राज्य	81382.00	47202.37	43005.76	10699.30	9352.55	6072.38	5770.12	53274.75	48775.88
26	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह						0.55	0.55	0.55	0.55
27	चंडीगढ़						0.12	0.12	0.12	0.12
28	दादरा और नागर हवेली						0.26	0.25	0.26	0.25
29	दमन और दीव						5.39	4.94	5.39	4.94
30	दिल्ली						21.64	18.52	21.64	18.52
31	लक्षद्वीप						0.00	0.00	0.00	0.00
32	पांडिचेरी						2.02	2.01	2.02	2.01
	योग सं. रा. क्षेत्र	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.98	26.39	29.98	26.39
	योग राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	81428.00	47202.37	43005.76	10699.30	9352.55	6102.36	5796.51	53304.73	48802.27

टिप्पणी : आठवीं योजना के दौरान उपर्युक्त भौतिक उपलब्धियां अनुमानित हैं और उनमें परिवर्तन की संभावना है।

अध्याय 6 : कृषि, सिंचाई, खाद्य और पोषाहार सुरक्षा

संलग्नक 6.2.6 (जारी)

लघु सिंचाई – भौतिक विवरण

(000' हेक्टे०)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	नौवीं योजना लक्ष्य मध्यम और लघु		1997-98 लक्ष्य मध्यम और लघु		1997-98 उपलब्धि मध्यम और लघु		1998-99 अनुमानित उपलब्धि मध्यम और लघु		लक्ष्य 1997-98	
		क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	आंध्र प्रदेश	28.90	28.70	5.30	5.30	45.94	45.94	49.73	49.73	48.33	48.33
2	अरुणाचल प्रदेश	23.00	23.00	4.35	2.25	4.68	2.68	3.21	1.75	2.18	2.18
3	असम	12.84	12.00	7.98	7.98	6.00	4.80	1.22	1.22	0.20	0.20
4	बिहार	205.25	190.00	8.71	7.00	42.30	25.50	20.00	20.00	66.22	50.22
5	गोवा	3.02	1.68	0.24	0.20	0.27	0.20	0.01	0.01	0.40	0.40
6	गुजरात	70.10	50.80	23.91	9.50	23.91	11.50	7.20	4.00	7.20	4.00
7	हरियाणा	80.64	80.64	18.00	18.00	15.07	12.06	8.50	8.50	8.50	8.50
8	हिमाचल प्रदेश	6.00	6.00	1.80	1.80	2.00	1.80	2.00	2.00	2.12	2.00
9	जम्मू और कश्मीर	21.00	15.00	3.60	5.00	1.62	1.38	0.91	0.63	1.70	1.20
10	कर्नाटक	155.00	155.00	14.00	14.00	4.76	4.76	28.13	28.13	7.00	6.00
11	केरल	50.18	50.18	12.84	12.84	12.84	12.84	20.00	20.00	18.00	18.00
12	मध्य प्रदेश	150.00	67.00	25.00	11.00	11.00	11.00	9.90	10.00	18.50	18.50
13	महाराष्ट्र	528.00	400.00	20.00	83.30	82.00	19.30	67.00	67.00	90.00	4.00
14	मणिपुर	15.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	2.40	3.00	1.80
15	मेघालय	8.82	6.62	5.75	2.45	3.50	2.68	0.61	0.48	2.13	1.60
16	मिजोरम	1.85	1.85	0.00	1.36	0.11	0.11	0.35	0.35	1.50	0.80
17	नागालैंड	14.30	12.00	1.03	1.00	1.03	1.00	1.03	1.00	3.45	3.00
18	उड़ीसा	89.60	101.07	66.08	29.39	30.76	29.39	16.19	29.39	27.06	18.60
19	पंजाब	241.61	241.61	19.75	19.75	14.72	19.75	13.41	19.75	16.56	12.00
20	राजस्थान	39.44	25.67	8.70	5.21	7.35	5.21	5.00	5.21	5.00	9.20
21	सिक्किम	4.50	4.00	0.90	0.80	1.13	1.13	0.30	0.30	1.00	0.75
22	तमिलनाडु	11.57	7.38	1.68	0.57	1.81	1.81	1.45	1.45	1.25	1.25
23	त्रिपुरा	16.00	16.00	4.20	4.20	4.20	4.20	2.50	2.00	6.45	3.00
24	उत्तर प्रदेश	5000.00	3000.00	129.10	117.45	328.16	359.94	378.87	364.96	143.02	143.01
25	पश्चिम बंगाल	450.00	400.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	90.00	100.00	90.00
	जोड़ राज्य	7226.62	4908.20	535.92	513.35	798.16	731.98	741.52	730.26	580.77	448.54
26	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.56	0.56	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10
27	चंडीगढ़	0.10	0.10	0.02	0.02			0.06		0.02	0.02
28	दादरा और नागर हवेली	0.55	0.55	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	0.11	0.14	0.12
29	दमन और दीव	2.20	2.00	0.80	0.00	1.69	0.00	2.19	0.00	2.20	2.20
30	दिल्ली	9.70	9.70	4.74	4.09	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
31	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00						
32	पांडिचेरी	4.00	4.00	0.48	0.48	0.10					
	योग सं. रा. क्षेत्र	17.11	16.91	6.23	4.78	1.98	0.19	2.47	0.22	2.46	2.44
	योग राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	7243.73	4925.11	542.15	518.13	800.14	732.17	743.99	730.48	583.23	450.98

ए आई बी पी बड़ी और मझौली परियोजनाओं के
अधीन दी गई केंद्रीय ऋण सहायता

(करोड़ रुपये)

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
आंध्र प्रदेश	35.25	74.00	79.67	65.015
असम	5.23	12.40	13.95	13.02
बिहार	13.50	14.04	47.83	144.04
गोआ	0.00	5.25	0.00	3.50
गुजरात	74.77	196.90	423.82	272.70
हरियाणा	32.50	12.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	6.50	5.00	14.555
जम्मू और कश्मीर	1.30	0.00	0.00	4.68
कर्नाटक	61.25	90.50	94.50	157.14
केरल	3.75	15.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	63.25	114.50	90.75	105.845
महाराष्ट्र	14.00	55.00	50.86	49.875
मणिपुर	4.30	26.00	10.78	20.31
उड़ीसा	48.45	35.00	71.50	81.35
पंजाब	67.50	100.00	0.00	42.00
राजस्थान	2.68	42.00	140.05	106.665
तमिलनाडु	20.00	0.000	0.00	0.00
त्रिपुरा	3.77	5.10	3.98	6.30
उत्तर प्रदेश	43.50	78.00	76.50	286.00
प. बंगाल	5.00	20.00	10.00	25.00
जोड़	500.00	952.19	1119.18	1397.895

लघु सिंचाई परियोजनाएं

राज्य	स्कीमों की संख्या	सी एल ए
उड़ीसा	16	8.90
असम	6	1.52
मणिपुर	108	1.50
मिजोरम	10	1.43
त्रिपुरा	626	28.35
मेघालय	39	2.69
अरुणाचल प्रदेश	339	7.50
हिमाचल प्रदेश	42	6.71
नागालैंड	468	2.73
सिक्किम	129	1.36
	1783	62.69

अध्याय 6 : कृषि, सिंचाई, खाद्य और पोषाहार सुरक्षा

संलग्नक 6.2.8

नाबार्ड के अधीन आर आई डी एफ की मंजूरी और संवितरण

(25.2.2000 की स्थिति) (करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य	आर आई डी एफ 1		आर आई डी एफ 2		आर आई डी एफ 3		आर आई डी एफ 4	
		राज्य जोड़		राज्य जोड़		राज्य जोड़		राज्य जोड़	
		मंजूरी	संवितरण	मंजूरी	संवितरण	मंजूरी	संवितरण	मंजूरी	संवितरण
1	आंध्र प्रदेश	227.08	206.19	333.39	241.16	275.10	142.42	305.41	66.16
2	असम			63.29	42.62	16.07	7.24	64.72	9.30
3	बिहार	2618.13				62.31	—	118.50	—
4	गोआ	6.85	6.85					8.93	4.96
5	गुजरात	141.48	133.63	129.63	86.22	160.60	92.75	136.36	33.82
6	हरियाणा	18.28	16.54	61.06	39.80	74.98	39.18	102.42	10.53
7	हिमाचल प्रदेश	14.23	14.23	49.50	42.57	50.11	33.47	88.58	23.82
8	जम्मू और कश्मीर	6.14	6.04	8.06	0.57	35.95	10.18	105.87	22.80
9	कर्नाटक	169.51	126.76	172.46	132.40	171.83	90.00	179.86	6.30
10	केरल	95.93	82.80	87.60	58.21	92.93	27.00	64.55	10.01
11	मध्य प्रदेश	198.51	164.61	207.60	106.13	248.70	94.83	242.84	33.51
12	महाराष्ट्र	173.74	151.34	231.66	156.13	254.31	38.46	301.98	
13	मणिपुर	1.75	0.96						
14	मेघालय	3.39	3.39	0.00		8.25	2.14	9.33	2.33
15	मिजोरम	2.38	2.37						
16	नागालैंड	1.38	1.38					0.72	—
17	उड़ीसा	158.09	146.13	125.14	96.68	162.91	70.20	162.52	52.73
18	पंजाब	60.50	60.50	62.50	62.05	88.85	73.73	109.96	30.83
19	राजस्थान	123.51	111.27	148.22	119.53	162.88	95.66	152.95	14.24
20	तमिलनाडु	—	—	266.68	198.12	195.78	95.97	179.66	42.12
21	त्रिपुरा							21.70	4.31
22	उत्तर प्रदेश	292.35	292.35	491.65	281.75	432.98	180.74	525.77	105.02
23	प. बंगाल	102.52	102.52	158.70	94.05	176.76	50.52	214.32	26.25
24	सिक्किम							21.29	6.65
	जोड़	1797.62	1585.96	2597.73	1757.99	2671.27	1152.49	3118.28	219.86

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि – प्रयोजनवार स्वीकृतियां (26.2.99 को)

(करोड़ रुपये)

	आर आई डी एफ 4	आर आई डी एफ 3	आर आई डी एफ 2	आर आई डी एफ 1
निधि	3000.00	2500.00	2500.00	2000.00
जारी स्वीकृतियां	3118.28	2671.28	2597.76	1797.63
<i>परियोजना की किस्म</i>				
1. बड़ी सिंचाई	317.37	223.88	412.51	227.73
2. मझौली सिंचाई	170.96	203.99	237.28	838.88
3. लघु सिंचाई	436.67	512.68	581.15	616.36
4. ग्रामीण सड़कें एवं पूल	1991.95	1588.90	1258.21	28.21
5. जल शेड प्रबंधन	32.28	20.43	108.61	78.88
6. बाढ़ संरक्षण	48.63	96.47		7.57
7. ग्रामीण बाजार क्षेत्र		20.93		
8. सी ए डी ए		4.00		
9. नाली व्यवस्था	117.20	—	—	—
10. कोल्ड स्टोरेज	0.72	—	—	—
11. मत्स्य पालन	2.50	—	—	—

ए आई बी पी के अधीन जारी सी एल ए – बड़ी और मझौली परियोजनाएं

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
आंध्र प्रदेश	35.25	74.00	79.67	65.015
असम	5.23	12.40	13.95	13.02
बिहार	13.50	14.04	47.83	144.04
गोवा	0.00	5.25	0.00	3.50
गुजरात	74.77	196.90	423.82	272.70
हरियाणा	32.50	12.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	6.50	5.00	14.555
जम्मू और कश्मीर	1.30	0.00	0.00	4.68
कर्नाटक	61.25	90.50	94.50	157.14
केरल	3.75	15.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	63.25	114.50	90.75	105.845
महाराष्ट्र	14.00	55.00	50.86	49.875
मणिपुर	4.30	26.00	10.78	20.31
उड़ीसा	48.45	35.00	71.50	81.35
पंजाब	67.50	100.00	0.00	42.00
राजस्थान	2.68	42.00	140.05	106.665

अध्याय 6 : कृषि, सिंचाई, खाद्य और पोषाहार सुरक्षा

संलग्नक 6.2.9 (जारी)

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि – प्रयोजनवार स्वीकृतियां (26.2.99 को)

(करोड़ रुपये)

	आर आई डी एफ 4	आर आई डी एफ 3	आर आई डी एफ 2	आर आई डी एफ 1
तमिलनाडु	20.00	0.00	0.00	0.00
त्रिपुरा	3.77	5.10	3.98	6.30
उत्तर प्रदेश	43.50	78.00	76.50	286.00
पश्चिम बंगाल	5.00	20.00	10.00	25.00
जोड़	500.00	952.19	1119.18	1397.895

लघु सिंचाई परियोजनाएं

राज्य	स्कीमों की संख्या	सी एल ए
उड़ीसा	16	8.90
असम	6	1.52
मणिपुर	108	1.50
मिजोरम	10	1.43
त्रिपुरा	626	28.35
मेघालय	39	2.69
अरुणाचल प्रदेश	339	7.50
हिमाचल प्रदेश	42	6.71
नागालैंड	468	2.73
सिक्किम	129	1.36
	1783	62.69

अध्याय 6 : कृषि, सिंचाई, खाद्य और पोषाहार सुरक्षा

संलग्नक 6.2.10

विदेशी सहायता प्राप्त जल संसाधन परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	दाता एजेंसी	प्रारंभ होने/ पूरा होने की तिथि	परियोजना की कुल लागत (करोड़ रु.)	सहायता की राशि (मिलियन दाता करेंसी में)	31.3.2000 तक उपयोग हुई राशि (मिलियन दाता करेंसी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	(i) आ. प्र. 3 सिंचाई परियोजना	विश्व बैंक	03.06.1997 31.01.2002	1889.78	यू एस डालर 325.00	यू एस डालर 81.270
		(ii) आ. प्र. आर्थिक पुनर्निर्माण परियोजना (सिंचाई घटक)	विश्व बैंक	30.01.1999 31.03.2004	932.60	यू एस डालर 142.00	यू एस डालर 50.00
		(iii) कुनूल कुडप्पा नहर परियोजना का आधुनिकीकरण	जे बी आई सी - जापान	11.01.1996 26.03.2003	1033.74	येन 16049.00	येन 1487.92
		(iv) "अपवैल" सिंचाई परियोजना	नीदरलैंड्स	14.11.1994 14.11.2002	73.00	एन एल जी 37.00	एन एल जी 19.58
2	गुजरात	(v) हाइड्रोप्लस फुसेगेट सिस्टम	फ्रांस	10.12.1998 31.12.2000	40.28	एफ एफ 34.74	---
3	हरियाणा	(vi) हरियाणा जल संसाधन सुदृढीकरण परियोजना	विश्व बैंक	06.04.1994 31.12.2000	1858.00	यू एस डालर 258.00	यू एस डालर 143.62
4	केरल	(vii) सामुदायिक सिंचाई परियोजना	नीदरलैंड्स	15.12.1993 30.06.2000	16.32	एन एल जी 6.175	एन एल जी 2.805
		(viii) केरल लघु सिंचाई परियोजना	ई ई सी	21.05.1993 31.12.2000	60.00	ई सी यू 11.80	ई सी यू 2.770
5	महाराष्ट्र	(ix) महाराष्ट्र लघु सिंचाई परियोजना	के एफ डब्ल्यू जर्मनी	31.12.1998 31.12.2006	115.79	डी एम 45.00	डी एम 0.00
6	मध्य प्रदेश	(x) राजघाट नहर परियोजना	जे बी आई सी- जापान	12.12.1997 05.01.1996	523.41	येन 13222.00	येन 1428.200
7	उड़ीसा	(xi) उड़ीसा जल संसाधन सुदृढीकरण परियोजना	विश्व बैंक	05.01.1996 30.09.2002	1409.00	यू एस डालर 290.90	यू एस डालर 133.74
		(xii) रेंगाली सिंचाई परियोजना	जे बी आई सी - जापान	12.12.1997 05.02.2003	510.9	येन 7760.00	येन 1880.83
		(xiii) लिफ्ट सिंचाई परियोजना	के एफ डब्ल्यू- जर्मनी	19.12.1993 31.12.2000	119.55	डी एम 50.00	डी एम 37.88
		(xiv) उड़ीसा लघु सिंचाई परियोजना	ई ई सी	03.07.1995 31.12.2000	50.80	ई सी यू 10.70	ई सी यू 0.465
8	पांडिचेरी	(xv) टैंक सिंचाई पद्धति का आधुनिकीकरण	ई ई सी	21.02.1997 21.02.2003	32.84	ई सी यू 6.65	ई सी यू 0.72
9	राजस्थान	(xvi) सिद्धमुख और नोहर सिंचाई परियोजना	ई ई सी	07.06.1993 31.12.2000	186.00	ई सी यू 45.00	ई सी यू 32.74
10	तमिलनाडु	(xvii) तमिलनाडु जल संसाधन सुदृढीकरण परियोजना	विश्व बैंक	19.04.1995 31.03.2003	815.00	यू एस डालर 282.90	यू एस डालर 93.49
11	उत्तर प्रदेश	(xviii) बुंदेलखंड जल संसाधन प्रबंधन परियोजना	नीदरलैंड्स	12.06.1996 31.03.2003	6.00	एन एल जी 3.087	एन एल जी 1.35
12	बहु-राज्य	(xix) हाइड्रोलोजी परियोजना	विश्व बैंक	22.09.1995 31.03.2002	725.00	यू एस डालर 142.00	यू एस डालर 42.318

अध्याय 6

कृषि, सिंचाई, खाद्य और पोषाहार सुरक्षा

6.3 खाद्य और पोषण सुरक्षा

6.3.1 खाद्य

खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय है एक ऐसी स्थिति, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को हर समय उतना खाद्य सुलभ हो, जो सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। इस प्रकार, खाद्य सुरक्षा के आवश्यक तत्व हैं, (क) खाद्य की पर्याप्त उपलब्धता, (ख) व्यापार अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए कुशल वितरण, और (ग) लोगों के पास पर्याप्त क्रय शक्ति की उपलब्धता।

2. घरेलू उत्पादन और खाद्य व्यापार के विवेकपूर्ण मिश्रण से खाद्य की उपलब्धता में एक युक्तिसंगत हद तक स्थिरता आ सकती है, विशेष रूप से उस स्थिति में जब खाद्य उत्पादन में मौसमी और वार्षिक रूप से घट-बढ़ होती रहती है। घरेलू आपूर्ति में मौसमी और वार्षिक अस्थिरता को संकटरोधक (बफर) भंडार के प्रचालनों से भी कम किया जा सकता है, जिनमें अधिक और कम फसल वाले वर्षों में खाद्यान्नों के सार्वजनिक भंडार के लिए क्रमशः खाद्यान्नों की खरीद और वहां से खाद्यान्नों की निकासी की जा सकती है।

3. वर्ष 1999-2000 के खरीफ के विपणन के मौसम (16 सितंबर, 1999 से 10 अप्रैल, 2000 तक) के दौरान धान (चावल के रूप में) की वसूली अपेक्षाकृत अधिक अर्थात् 15.21 मिलियन मिटरी टन की हुई, जबकि इसकी तुलना में इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि में 10.28 मिलियन मिटरी टन की वसूली हुई थी। वर्ष 1999-2000 के रबी के विपणन के मौसम (1 अप्रैल, 1999 से 30 मार्च, 2000 तक) के दौरान गेहूं की वसूली भी अधिक अर्थात् 14.14 मिलियन मिटरी टन हुई, जबकि इसकी तुलना में इससे पहले के वर्ष में 12.65 मिलियन मिटरी टन की वसूली हुई थी।

4. फरवरी, 2000 के अंत में सरकार के पास खाद्यान्नों का कुल स्टॉक अपेक्षाकृत अधिक अर्थात् 29.74 मिलियन मिटरी टन का था, जबकि इससे पहले के वर्ष की इसी अवधि में यह 22.75 मिलियन मिटरी टन का था। चावल और गेहूं का स्टॉक क्रमशः 15.23 मिलियन मिटरी टन और 14.51 मिलियन मिटरी टन का था, जबकि इसकी तुलना में इनका स्टॉक एक वर्ष पहले क्रमशः 11.98 मिलियन मिटरी टन और 10.77 मिलियन मिटरी टन था।

5. पिछले कुछ वर्षों में खाद्यान्नों के उत्पादन के रिकार्ड और इसके साथ-साथ वसूली के ऊंचे स्तर के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों का विपुल भंडार इकट्ठा हो गया है, जो आवश्यकता से बहुत अधिक है। इस स्थिति से इस तथ्य का पता चलता है कि किसान, कुल मिला कर, सरकार द्वारा तय किए गए वसूली-मूल्य से संतुष्ट हैं, और न्यूनतम समर्थन कीमतों में कोई अनुचित वृद्धि किए जाने से भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्नों का और अधिक भंडार जमा हो जाएगा, जिसके लिए संभवतः पर्याप्त मांग न हो। खाद्य के मोर्चे पर आज समस्या अभाव की नहीं, बल्कि उसके स्थान पर अतिरेक भंडार से निबटने की है। लक्ष्यगत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबों को दिए जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा 10 किलोग्राम से बढ़ा कर 20 किलोग्राम प्रतिमास कर दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम के पास रखे अधिशेष स्टॉक की कुछ निकासी होने की संभावना है। इस बात पर भी विचार किया जा सकता है कि क्या कुछ अधिशेष खाद्य भंडार का उपयोग 'काम के लिए खाद्य' कार्यक्रम को चलाने के लिए किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाओं का निर्माण करना है।

6.3.2 पोषण

6. स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, देश के सामने पोषण संबंधी दो प्रमुख समस्याएं थीं – एक थी दुर्भिक्ष का खतरा और कम कृषि उत्पादन और खाद्य वितरण की उपयुक्त प्रणाली के अभाव के कारण भीषण भुखमरी। दूसरी थी, गरीबी, कम साक्षरता, सुरक्षित पेय जल की अपर्याप्त उपलब्धता, सफाई और स्वास्थ्य उपचर्या के अभाव के कारण ऊर्जा और शक्ति की चिरकालिक कमी। इन बातों के परिणामस्वरूप बच्चे और प्रौढ़ व्यक्ति व्यापक रूप से संक्रमण और रोगों के शिकार बन जाते थे। क्वाशीओरकर, सूखा रोग, घेंघा, बेरी-बेरी और विटामिन ए की कमी के कारण अंधापन और रक्ताल्पता सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख समस्याएं थीं। देश ने पोषाहार संबंधी प्रमुख समस्याओं का सामना करने और सर्वसाधारण की पोषाहार की स्थिति में सुधार करने के लिए बहु-क्षेत्रकीय और बहुमुखी कार्यनीति अपनाई।

7. पिछले 50 वर्षों में काफी प्रगति की गई है। अब देश में अकाल का भय नहीं मंडराता। बच्चों में भयंकर और दर्मियाने दर्जे के कुपोषण में काफी कमी हुई है और जनता के सभी वर्गों की पोषाहार-स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। विटामिन-ए की अत्यधिक कमी के कारण होने वाला अंधापन, क्वाशीओरकर, सूखे का रोग, पेलाग्रा, लेथीरिस्म, रूग्णता, बेरी-बेरी के रोग अब अपवाद मात्र रह गए हैं। इस सुधार का कारण आहार की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार, स्वास्थ्य की बेहतर देखरेख और विकास की चालू प्रक्रिया को माना जा सकता है। लेकिन यह चिंता का विषय है कि बच्चों और प्रौढ़ों में ऊर्जा की कम उग्र किस्म की कमी और माइक्रो पोषाहार संबंधी त्रुटियां अब भी व्यापक रूप से व्याप्त हैं। पिछले दो दशकों में लोगों की जीवन-शैली और आहार में भारी परिवर्तन हुए हैं; किशोरों और व्यस्कों में मोटापे की प्रवृत्ति आई है और उसके परिणामस्वरूप गैर-संक्रामक रोगों का जोखिम बढ़ा है और एच आई वी/ एड्स से संबंधित कुपोषण लोक स्वास्थ्य की नई समस्याओं के रूप में उभर रहा है।

बाक्स 6.3.2.1


नौवीं योजना के उद्देश्य

- खाद्य उत्पादन में वृद्धि, कारगर वितरण, जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि के जरिए भूख से मुक्ति;
- अल्प पोषाहार और स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव को कम करना; एकीकृत बाल विकास सेवाओं का सार्वभौमीकरण; जोखिम वाले समूहों की जांच, संवृद्धि की मानीटरिंग और अल्प पोषाहार से प्रभावित लोगों को पूरक आहार की आपूर्ति का बेहतर लक्ष्य-निर्धारित; पूरक आहार प्राप्त करने वाले अल्प-पोषित व्यक्तियों की सूक्ष्म मानीटरिंग; स्वास्थ्य और पोषाहार कार्यकर्ताओं के बीच प्रभावकारी अंतर्क्षेत्रकीय समन्वय, ताकि अल्प-पोषाहार से संबंधित स्वास्थ्य-समस्याओं और उन समस्याओं का, जिनके परिणामस्वरूप अल्प-पोषाहार की स्थिति उत्पन्न होती है, शीघ्र पता लगाने और उनके प्रबंध की सुनिश्चित व्यवस्था करना;
- माइक्रो-पोषाहार की कमी और उससे स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न होने वाले जोखिमों का निवारण, उनका शीघ्र पता लगाना और उनका प्रबंध।

खाद्य उत्पादन की बदलती हुई पद्धतियों (पेटर्न) की पोषण संबंधी विवक्षाएं

2. पिछले वर्षों की एक प्रमुख उपलब्धि है, हरित क्रांति और खाद्य उत्पादन में आत्म-निर्भरता। खाद्यान्नों का उत्पादन, जो 1950-51 में 50.82 मिलियन टन था, बढ़ कर 1998-99 में 200.88 मिलियन टन (अनन्तिम) हो गया। यह चिंता का विषय है कि जबकि दालों से भिन्न अनाजों का उत्पादन निरंतर जनसंख्या में होने वाली वृद्धि की दर से ऊंची दर से बढ़ रहा है, लेकिन मोटे अनाजों और दालों के उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हो रही (आरेख 6.3.2.1)।


परिणामतः, दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी हुई है; 1951 में यह 60.7 ग्राम थी, जो घट कर 1996 में 34 ग्राम प्रति दिन रह गई है (आरेख 6.3.2.2)।



3. पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में दालों की कमी पूरा करने के लिए इनका आयात किया गया। दालों की लागत में भारी और लगातार वृद्धि हुई है, इसलिए जनता के गरीब वर्गों में दालों की प्रति व्यक्ति खपत में काफी कमी हुई है। इसके परिणामस्वरूप यह भी हो सकता है कि प्रोटीन के उपभोग की मात्रा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। "दाल और तिलहन मिशन" के दालों के संघटक पर, अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) के रूप में अधिक जोर

दिए जाने की जरूरत है, ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या की दालों की अत्यावश्यक जरूरतों को पूरी तरह से पूरा किया जा सके।

4. कई वर्षों से मोटे अनाजों का उत्पादन गतिरुद्ध पड़ा है और मोटे अनाजों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में बहुत अधिक कमी आई है; जनता के गरीब वर्गों में भी मोटे अनाजों के स्थान पर चावल और गेहूं की खपत होने लगी है। मोटे अनाज चावल और गेहूं से कम महंगे हैं; चावल और गेहूं की तुलना में उनसे उतनी ही लागत पर अधिक कैलोरियां प्राप्त हो सकती हैं। यदि मोटे अनाज, जिनका उत्पादन स्थानीय रूप से होता है और जिनकी वसूली भी स्थानीय रूप से होती है, टी पी डी एस के माध्यम से सब्सिडीयुक्त दर पर उपलब्ध किए जाएं, तो उससे प्राप्त होने वाली कैलोरियों में कोई कमी हुए बिना, न केवल आर्थिक इमदाद के खर्च में काफी अधिक कमी हो सकती है, बल्कि "लक्ष्य निर्धारण" में भी सुधार हो सकता है, क्योंकि केवल सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों द्वारा ही मोटे अनाज लिए जाने की संभावना है।



बागवानी उत्पादन

5. विश्व में सब्जियों और फलों के उत्पादन में भारत का स्थान पहला और दूसरा है। लेकिन इनकी प्रति व्यक्ति खपत बहुत कम है। सब्जियों से माइक्रो-पोषकों के अलावा, कई फाइटो-रसायन और रेशे भी प्राप्त होते हैं; और सब्जियों की पर्याप्त मात्रा में खपत स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। आजकल, बागवानी पर, विशेष रूप से कम लागत वाली और स्थानीय रूप में स्वीकृत हरी पत्तेदार सब्जियों और पीली सब्जियों और फलों की खेती और उनके विपणन पर पर्याप्त

ध्यान और जोर नहीं दिया जा रहा; इसके कारण, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पूरे वर्ष भर, उठाई जा सकने वाली कीमतों पर सब्जियों, विशेष रूप से हरी पत्तेदार सब्जियों और पीली/लाल सब्जियों की उपलब्धता एक दूर का स्वप्न मात्र रह गया है। माइक्रोपोषकों के इन सस्ते और भरपूर स्रोतों का उपभोग करने के महत्व पर जोर डालने वाली स्वास्थ्य और पोषाहार संबंधी शिक्षा से लोगों की खान-पान की आदतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को, वहन की जा सकने वाली लागत पर, पूरा करने के लिए देश के बागवानी के संसाधनों का उपयोग और कारगर प्रबंध नहीं किया जाएगा। तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने और उनके विपणन में सुधार करने के लिए कुछ प्रयत्न शुरू किए हैं। अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की कोशिशों की जानी जरूरी है। फलों और सब्जियों को उन क्षेत्रों में अथवा उनके निकट प्रोसेस करने से, परिवहन के दौरान होने वाली अनिवार्य हानि न्यूनतम होगी और परिवहन के खर्च में भी कमी आएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग यूनिट लगाने से रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे और मूल्य-वर्धन के कारण आर्थिक लाभ भी प्राप्त होंगे।

बाक्स 6.3.2.2

मुख्य उपलब्धि है, जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद खाद्यान्नों के मामले में आत्म-निर्भरता

चुनौतियां

- बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि जारी रखना।
- गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को कम खर्च पर पूरा करने के लिए मोटे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि करना।
- दालों के उत्पादन को बढ़ाना, उन्हें सस्ता बनाना, और उनकी खपत बढ़ाना।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, उठाई जा सकने वाली लागत पर, पूरे वर्ष भर सब्जियों की उपलब्धता बढ़ाना।
- खाद्य सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि करना।
- मेक्रो और माइक्रो पोषकों की कमी को कम करना।

प्राचलों में परिवर्तनों की आवश्यकता

- ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के स्थान पर, ऐसे खाद्य पदार्थ मुहैया करना, जो पोषाहार की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी हैं।
- केवल उत्पादन के स्थान पर, फसल-कटाई के बाद की हानियों को कम करना और उपयुक्त प्रोसेसिंग के जरिए मूल्य-वर्धन करना।

ऊर्जा की चिरकालिक कमी (सी ई डी) का निवारण और प्रबंध

6. सी ई डी के प्रमुख कारण हैं भोजन की अपर्याप्त मात्रा, संक्रमण और अच्छी देखभाल की कमी।

बाक्स 6.3.2.3

ऊर्जा की चिरकालिक कमी की मौजूदा स्थिति

- हालांकि मृत्युदर में 50 प्रतिशत और जनन क्षमता में 40 प्रतिशत की कमी हुई है, लेकिन अपर्याप्त पोषाहार में केवल 20 प्रतिशत की कमी हुई है।
- अति गंभीर अपर्याप्त पोषाहार में 50 प्रतिशत की कमी हुई है।
- साधारण अपर्याप्त पोषाहार में मामूली सी कमी हुई है।

- विश्व के कुल बच्चों में 20 प्रतिशत बच्चे भारत में हैं, लेकिन विश्व के 40 प्रतिशत कुपोषित बच्चे भारत में हैं।
- गर्भवती महिलाओं और 6-24 महीने की उम्र के बच्चों में अपर्याप्त पोषाहार में कमी नहीं हुई है।

बाक्स 6.3.2.4

नौवीं योजना की प्रचालनात्मक कार्यनीति यह है कि निम्नलिखित के जरिए परिवारों के आहार की मात्रा बढ़ाई जाए और व्यस्कों के पोषाहार स्तर को ऊपर उठाया जाए

- बढ़ती हुई जनसंख्या की पोषाहार की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करने के लिए दालों से भिन्न अनाजों, दालों, सब्जियों और खाद्य पदार्थों का पर्याप्त उत्पादन।
- रोजगार-सृजन और रोजगार आश्वासन स्कीम के जरिए क्रय-शक्ति में वृद्धि।
- गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को टी पी डी एस के जरिए सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न मुहैया करना।
- गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को अधिक सहायता प्राप्त मोटे अनाज मुहैया करने की सम्भाव्यता का पता लगाना।

इन लक्ष्यों का ब्यौरा संबंधित अध्यायों में दिया गया है।

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ऊर्जा की चिरकालिक कमी (सी ई डी)

7. काफी लंबे समय से यह स्वीकार किया जाता है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं और स्कूल-पूर्व आयु के बच्चे पोषाहार की दृष्टि से जनता का सबसे अधिक कमजोर हिस्सा हैं और स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमुख समस्याओं का सम्बन्ध उनके अपर्याप्त पोषाहार से है। उन महिलाओं के आहार की अपर्याप्त मात्रा से, जो पहले से ही चिरकालिक रूप से अर्ध-घोषित हैं, माता और उसकी सन्तान के स्वास्थ्य और पोषाहार सम्बन्धी स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तत्काल पहचाने जाने वाली ऐसी अन्य स्थितियां हैं, जिनके परिणामस्वरूप माता के पोषाहार में और गिरावट आती है और गर्भ के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी कुछ स्थितियां ये हैं।

- आहार की स्वभावगत मात्रा में कमी (सूखा, फसल कटाई-पूर्व मौसम)
- काम में वृद्धि (काम पर लगाए गए नए श्रमिक)
- उपर्युक्त दोनों का मिश्रण (काम के लिए खाद्य कार्यक्रम)
- किशोरावस्था में गर्भधारण
- स्तनपान कराने वाली महिला का गर्भधारण
- पिछले प्रसव के बाद दो वर्षों के भीतर गर्भधारण।

8. समाज, स्वास्थ्य और एकीकृत बाल विकास सेवा (आई सी डी एस) प्रणालियों को सुग्राही बनाया जा रहा है ताकि वे इन 'जोखिम वाले' समूहों को पहचान सकें और इन समूहों की समस्याओं से निबटने के लिए उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई करें। इसके साथ-साथ, यह महत्वपूर्ण है कि अल्प-पोषाहार के जोखिम वाले व्यक्ति का पता लगाया जाए और ए डब्ल्यू डब्ल्यू और ए एन एम द्वारा उसकी पोषाहार स्थिति में सुधार करने के लिए उपचारात्मक कदम उठाए जाएं।

बाक्स 6.3.2.5

नौवीं योजना की कार्यनीति

- चिरकालिक ऊर्जा हीनता के बारे में सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की जांच करना।
- 40 किलोग्राम से कम भार वाली महिलाओं का पता लगाना।



- यह सुनिश्चित करना कि उन्हें/ उनके स्कूल-पूर्व आयु के बच्चों को आई सी डी एस के माध्यम से पूरक खाद्य प्राप्त हों; जन्म पूर्व, गर्भकाल और जन्म के तुरंत बाद की स्थिति में पर्याप्त परिचर्या।
- पोषाहार स्थिति में सुधार के लिए मानीटरिंग।
- जन्म पूर्व, गर्भकाल और जन्म के तुरंत बाद की स्थिति में पर्याप्त परिचर्या की व्यवस्था करना।

प्राप्त प्रगति

9. आई सी डी एस के माध्यम से पूरक खाद्य प्रदान करने के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्राथमिकता प्राप्त समूह निर्धारित किया गया है। लेकिन पिछले कई वर्षों के अनुभव से पता चलता है कि जरूरतमंद और जोखिम वाली बहुत कम गर्भवती महिलाएं आई सी डी एस के पूरक खाद्य पदार्थ प्राप्त करती हैं और उनसे लाभ उठाती हैं। नौवीं योजना की अवधि में आई सी डी एस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि इस समूह की ओर ध्यान केंद्रित करके इस स्थिति में बदलाव लाया जाए। आई सी डी एस और एफ डब्ल्यू कार्यकर्ताओं के बीच अंतर्देशीय समन्वय को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि 'जोखिम वाले' समूहों/ व्यक्तियों का, जिनका वजन कम है, पता लगाया जाए और उन्हें मौजूदा आई सी डी एस केंद्रों के माध्यम से पूरक खाद्य पदार्थ प्रदान किए जाएं; पोषाहार स्थिति में होने वाले सुधार की मानीटरिंग की जाएगी। आर सी एच कार्यक्रम के जरिए जन्म-पूर्व स्थिति में और गर्भ-काल के दौरान पर्याप्त परिचर्या की व्यवस्था की जाएगी।

स्कूल-पूर्व बच्चे

10. स्कूल -पूर्व आयु के बच्चे हमारी जनता के पोषाहार की दृष्टि से सबसे कमजोर भाग हैं और उनकी पोषण स्थिति सामुदायिक स्वास्थ्य और पोषाहार का संवेदनशील निर्देशक समझी जाती हैं। पिछले दो दशकों में ऊर्जा के अंतर्ग्रहण में कुछ सुधार हुआ है (आरेख 6.3.2.1) और स्कूल-पूर्व बच्चों के साधारण और अति अल्प-पोषण में काफी कमी हुई है (आरेख 6.3.2.3)।




11. यद्यपि हरी पत्तेदार सब्जियों और अन्य सब्जियों के अंतर्ग्रहण की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन पोषाहार-हीनता के लक्षणों की व्याप्ति में काफी कमी हुई है (चित्र 4)।

आहार-ग्रहण की मात्रा, अल्प-पोषाहार और पांच वर्ष की आयु से पहले की मृत्यु-दर के मामले में अंतर्राज्यीय अंतर

अध्याय 6 : कृषि, सिंचाई, खाद्य और पोषाहार सुरक्षा

12. ऊर्जा के अंतर्ग्रहण, भारी चिरकालिक ऊर्जा—हीनता और पांच वर्ष की आयु से पहले की मृत्युदर का राज्य—वार डाटा आरेख 6.3.2.5 और 6.3.2.6 में दिया गया है।

आरेख 6.3.2.5




13. कम मात्रा में भोजन—ग्रहण अल्प—पोषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। जन्म के समय कम वजन, शिशु को आहार देने के घटिया तरीके, अपर्याप्त सफाई के कारण संक्रमण, सुरक्षित पेय जल का अभाव और स्वास्थ्य परिचर्या की अपर्याप्त उपलब्धता, अन्य प्रमुख कारण हैं, जो अल्प—पोषण के लिए जिम्मेदार हैं। केरल में कम मात्रा में आहार—ग्रहण के बावजूद, वहां अति अल्प—पोषण का अस्तित्व कम है, क्योंकि वहां विभिन्न आय—वर्गों के बीच और परिवारों के अंदर खाद्य का वितरण अधिक समानतापूर्वक होता है और स्वास्थ्य परिचर्या की सुविधाएं बेहतर रूप में उपलब्ध हैं और उनका बेहतर तरीके से उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में आहार—ग्रहण की औसत मात्रा अधिक होने के बावजूद, वहां अल्प—पोषण की दर ऊंची है क्योंकि वहां खाद्य के समानतापूर्वक वितरण का अभाव है और स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता अपर्याप्त है। इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए, 'जोखिम वाले' समूहों और अल्प—पोषण वाले बच्चों का पता लगाना और उन्हें पोषाहार और स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। इस समय उड़ीसा में आई सी डी एस के अंतर्गत यह कोशिश की जा रही है।

14. अल्प—पोषण के कारण संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। संक्रमण अल्प—पोषण को बढ़ावा देता है। यदि इस दुष्चक्र को रोका न जाए, तो इसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो सकती है। अति अल्प—पोषण वाले अधिकतर राज्यों में शिशु मृत्युदर ऊंची है। केरल में अति अल्प—पोषण और शिशु मृत्यु—दर दोनों कम हैं। पंजाब में प्रति व्यक्ति आय, आहार—ग्रहण की मात्रा और स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और शिशु मृत्यु—दर अपेक्षाकृत अधिक है। इसलिए यह बहुत

अध्याय 6 : कृषि, सिंचाई, खाद्य और पोषाहार सुरक्षा


जरूरी है कि स्वास्थ्य और पोषाहार के कार्यक्रमों के बीच सहक्रियता प्राप्त करने के लिए इनके बीच समन्वय स्थापित किया जाए, ताकि पोषाहार और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हो सके।

आरेख 6.3.2.6



आहार ग्रहण में सामयिक प्रवृत्तियां

15. पिछले तीन दशकों में लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और रहन-सहन के तरीके में भारी परिवर्तन हुए हैं, और हो सकता है कि इसके कारण आहार-ग्रहण में भी तब्दीलियां आई हों। पिछले तीन दशकों के एन एन एम बी के सर्वेक्षणों के आंकड़ों का विश्लेषण यह पता लगाने के लिए किया गया था कि लोगों के आहार-ग्रहण और पोषाहार स्तर में क्या परिवर्तन हुए हैं (आरेख 6.3.2.2)। इन आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले तीन दशकों में वयस्कों-पुरुषों और महिलाओं दोनों में ऊर्जा के ग्रहण में वृद्धि हुई है। प्रोटीन-ऊर्जा की पर्याप्तता की स्थिति के अनुसार परिवारों का बंटवारा आरेख 6.3.2.7 में दर्शाया गया है। लगभग 47 प्रतिशत परिवारों ने प्रोटीन और कैलोरी दोनों की पर्याप्त मात्रा की खपत की, जबकि 20 प्रतिशत परिवारों ने इन पोषकों की अपर्याप्त मात्रा ग्रहण की। सामान्य रूप से, लगभग 48 प्रतिशत परिवारों में ऊर्जा का अंतर्ग्रहण पर्याप्त था। एन एन एम बी के आंकड़ों से यह भी पता




चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में चिरकालिक ऊर्जा न्यूनता (सी ई डी) में कुछ कमी हुई है और उसके साथ-साथ मोटापे में वृद्धि हुई है (आरेख 6.3.2.8)।

उभरती हुई पोषाहार समस्याएं



किशोरों में पोषाहार

16. किशोर, जिनमें तेजी से वृद्धि और विकास होता है, पोषाहार की दृष्टि से कमजोर समूहों में से एक हैं, जिनकी ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके वे अधिकारी हैं। अल्प-पोषित बच्चों में, किशोरावस्था के दौरान तेजी से होने वाली बढ़ोतरी के कारण अल्प-पोषण की उग्रता में वृद्धि हो सकती है। छोटी आयु में विवाह और गर्भाधान से माता और बच्चे का अल्प-पोषण और गंभीर हो जाएगा। तस्वीर के दूसरे ओर जनता के खुशहाल तबके में किशोरों का मोटापा उतरोत्तर एक समस्या बनता जा रहा है। किशोरों की पोषाहार-स्थिति के बारे में एन एन एम बी से उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि किशोरों में अपर्याप्त पोषण एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। इसके अलावा, गत वर्षों में मोटापे में कुछ वृद्धि हुई है (संलग्नक 6.3.2.3 और 6.3.2.4)। इन समस्याओं को देखते हुए, आई सी डी एस और आर सी एच कार्यक्रमों के अंतर्गत पोषाहार-शिक्षा, स्वास्थ्य-शिक्षा देने का काम किया जा रहा है और पोषाहार के मामले में उपयुक्त हस्तक्षेप अथवा कार्रवाई की जा रही है। रक्ताल्पता घटाने के लिए, इन दोनों कार्यक्रमों के तहत किशोरों को लोहे और फोलिक एसिड की अनुपूर्ति का काम प्रायोगिक आधार पर हाथ में लिया जा रहा है। महिला और बाल विकास विभाग ने 507 खंडों (ब्लॉक) में किशोर युवतियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक किशोर युवती स्कीम शुरू की है। विभाग का नौवीं योजना की शेष अवधि में 1493 अतिरिक्त खंडों को कवर करने का प्रस्ताव है।



वृद्धों का पोषाहार

17. औसत-आयु में वृद्धि होने से 60 वर्ष और इससे अधिक आयु-वर्ग के व्यक्तियों के अनुपात और उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। यह गौर-तलब है कि इस आयु-वर्ग में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। पोषाहार सर्वेक्षणों से उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि इस वर्ग में भी एक ओर चिरकालिक ऊर्जा-न्यूनता और माइक्रो पोषण न्यूनता और दूसरी ओर मोटापे में



वृद्धि हो रही है (आरेख 6.3.2.9 और 6.3.2.10)। सामाजिक सहायता का अभाव, संयुक्त परिवार प्रणाली का टूटना, बदलती हुई जीवन-शैली, ये सब बातें वृद्धों की समस्याओं को और बढ़ा देती हैं। वृद्ध व्यक्तियों को सामाजिक सहायता, स्वास्थ्य परिचर्या और पोषाहार सेवाएं प्रदान करने जैसे कई नए उपाय आजकल बहुत से अभिकरणों द्वारा किए

जा रहे हैं। साथ-साथ, विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा सांस्कृतिक आचार के अनुसार वृद्धों को परिवार और समाज की ओर से दी जाने वाली सहायता में सुधार करने के प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के सफल माडलों का अनुकरण देश के अन्य स्थानों में किया जाएगा।

आवश्यकता से अधिक भोजन और मोटापा

18. पिछले दो दशकों में लोगों के सभी वर्गों में रहन-सहन के तरीकों और क्रियाकलापों के स्वरूप (पेटर्न) में भारी परिवर्तन हुए हैं। रसोई गैस, नलों द्वारा जल की आपूर्ति और श्रम की बचत करने वाले उपकरणों और तैयार परिवहन साधनों की तत्काल उपलब्धता के कारण, विशेष रूप से मध्यम और उच्च आय-वर्गों के लोगों में शारीरिक कार्यों की मात्रा और ऊर्जा के व्यय में बहुत कमी आई है, लेकिन आहार की मात्रा में कोई कमी नहीं हुई है और दरअसल बने-बनाए खाद्य पदार्थों (फास्ट फूड), आइसक्रीमों और ऊर्जा की अधिक मात्रा वाली खाद्य-वस्तुएं, वहन की जा सकने वाली कीमतों पर, तत्काल उपलब्ध होने के कारण परिवार के सभी सदस्यों द्वारा ऊर्जा की खपत में वृद्धि हुई है। इन सबके कारण विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण समृद्ध लोगों द्वारा आवश्यकता से अधिक ऊर्जा की खपत में वृद्धि हो रही है और जनता के इन वर्गों में मोटापा बढ़ रहा है। (आरेख 6.3.2.9 और 6.3.2.10)। लोगों को यह समझने के लिए कि भोजन की मात्रा को सीमित करना और अधिक व्यायाम करना ऊर्जा-संतुलन कायम रखने के लिए जरूरी है, पोषाहार और स्वास्थ्य-शिक्षा के कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं।

खाद्य अनुपूर्ति कार्यक्रम

एकीकृत बाल विकास स्कीम (आई सी डी एस) का पोषाहार संघटक

19. आई सी डी एस विश्व में खाद्य अनुपूर्ति कार्यक्रमों में शायद सब से बड़ा कार्यक्रम है। यह 1975 में निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था :

- पूरक खाद्य मुहैया करके और अपेक्षित स्वास्थ्य-संबंधी निविष्टियों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के स्वास्थ्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके 0-6 वर्षों के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषाहार के स्तर को ऊंचा उठाना;
- अभिप्रेरण और शिक्षा द्वारा स्कूल-पूर्व आयु के बच्चों के मनोविज्ञानिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक स्थितियों की व्यवस्था करना;
- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक खाद्य प्रदान करना;
- स्वास्थ्य और पोषाहार संबंधी शिक्षा के जरिए, बच्चे की उपयुक्त देखभाल करने में मां की योग्यता को बढ़ाना;
- बाल-विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन में कारगर समन्वय स्थापित करना।

20. प्रारंभिक भौगोलिक केंद्र बिंदु अनुसूचित जनजातियों, सूखा-प्रवण क्षेत्र और वे ब्लाक थे, जहां अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या काफी अधिक थी। 1975 में आई सी डी एस के 33 खंड थे। पिछले दो दशकों में एकीकृत बाल विकास सेवाओं की व्याप्ति में उतरोत्तर विस्तार हुआ है। 1996 में देश में आई सी डी एस के 4200 खंड और 5,92,571 आंगनवाड़ियां थीं; लाभभोगियों की संख्या जो 1985 में 5.7 मिलियन बच्चे और 1.2 मिलियन माताएं थीं, बढ़कर 1996 में 18.5 मिलियन बच्चे और 3.7 मिलियन माताएं हो गई।

बाक्स 6.3.2.6

नौवीं योजना के दौरान एकीकृत बाल विकास परियोजनाएं

नौवीं योजना में यह परिकल्पना की गई है कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे: (क) यह सुनिश्चित करना कि खाद्य-आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए; (ख) सेवाओं की नियमितता और गुणवत्ता में सुधार; (ग) स्वास्थ्य, परिवार-कल्याण और पोषाहार के कार्यक्रमों के बीच लाभकारी अंतर्क्रियक समन्वय। संवृद्धि की मानीटरिंग; चिरकालिक ऊर्जा न्यूनता वाली माताओं और बच्चों को पूरक पोषक पदार्थ मुहैया करना; आंगनवाडी कार्यकर्ताओं/ ए एन एम के क्रियाकलापों को समन्वित करके पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा को जोरदार बनाना; ग्राम स्तर पर आई सी डी एस के क्रियाकलापों के आयोजन, कार्यान्वयन और मानीटरिंग में समाज/ पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय सहभागिता प्राप्त करने की कोशिश करना। गंभीर रूप से अल्प पोषित बच्चों और माताओं का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करना, जिन्हें आई सी डी एस के मौजूदा कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध पूरक खाद्य प्राथमिकता के आधार पर प्रदान किए जाएंगे।

एकीकृत बाल विकास स्कीम के पोषाहार संघटक का निधिपोषण

21. आई सी डी एस कार्यक्रम के पोषाहार संघटक का निधिपोषण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। कुछ राज्यों में आई सी डी एस के अलावा कुछ अन्य पूरक खाद्य कार्यक्रम हैं, जैसे तमिलनाडु में दोपहर के भोजन का कार्यक्रम। सारणी 6.3.2.1 में 12 प्रमुख राज्यों में पोषाहार पर किए गए व्यय की जानकारी दी गई है। यह प्रकट होता है कि व्यय का अल्प-पोषण के स्तर से अथवा राज्य के घरेलू उत्पाद से कोई सह-संबंध नहीं है। वे राज्य, जहां अल्प-पोषण की मात्रा बहुत अधिक है, खाद्य अनुपूर्ति कार्यक्रम में अपेक्षाकृत अधिक राशि निवेश नहीं कर रहे हैं। लेकिन, केवल पूरक पोषक पदार्थों पर किया जाने वाला व्यय अल्प-पोषण का स्तर निर्धारण करने की एकमात्र कसौटी नहीं है। केरल पोषाहार कार्यक्रमों पर बहुत कम राशि खर्च करता है, लेकिन वहां अल्प-पोषण की दरें सबसे कम हैं; इसका कारण शायद खाद्य का अधिक न्यायोचित वितरण और प्रभावकारी स्वास्थ्य परिचर्या है।

सारणी 6.3.2.1

चुनिंदा राज्यों में पोषाहार पर व्यय

राज्य	गरीबी रेखा से नीचे की आबादी (प्रतिशतता)	गम्भीर और साधारण रूप से कुपोषित बच्चों (प्रतिशतता)	राज्य का प्रतिव्यक्ति निवल वार्षिक घरेलू उत्पाद (रुपये)	राज्य के घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में पोषाहार व्यय		
				92-93	93-94	94-95
	93-94	92-93	94-95	92-93	93-94	94-95
आंध्र प्रदेश	0.23	0.49	57.18	0.11	0.10	0.10
असम	0.41	0.50	49.73	0.11	0.12	0.17
गुजरात	0.24	0.50	81.64	0.31	0.31	0.29
हरियाणा	0.25	0.38	90.37	0.17	0.17	0.16
कर्नाटक	0.33	0.54	63.15	0.08	0.08	0.10
केरल	0.25	0.29	57.68	0.10	0.09	0.12
मध्य प्रदेश	0.43	0.57	45.44	0.20	0.16	0.18
महाराष्ट्र	0.37	0.54	98.06	0.08	0.08	0.08
उड़ीसा	0.49	0.53	41.14	0.32	0.33	0.36
राजस्थान	0.27	0.42	52.57	0.09	0.12	0.13
तमिलनाडु	0.35	0.48	66.70	0.62	0.53	0.58
पश्चिम बंगाल	0.36	0.57	55.41	0.07	0.08	0.08

अध्याय 6 : कृषि, सिंचाई, खाद्य और पोषाहार सुरक्षा

टिप्पणी : पोषाहार व्यय के आंकड़ों में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा आई सी डी एस, एन एम एम पी और अन्य पोषाहार कार्यक्रमों पर किया गया व्यय शामिल है।

स्रोत : वर्ल्ड बैंक - इडिसा वेस्टिंग अवे।

22. नौवीं योजना के दौरान आई सी डी एस के जरिए खाद्य अनुपूर्ति के परिव्यय और व्यय की जानकारी संलग्नक 6.3.2.7 में दी गई है।

23. योजना आयोग ने 1999 में आई सी डी एस के चालू कार्यक्रम के पोषाहार संघटक के राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले वित्तपोषण की समीक्षा की। मौजूदा मानदंडों के अनुसार प्रत्येक आंगनवाड़ी को 72 लाभभोगियों को खाद्य मुहैया करने के लिए (समुदाय के औसत रूप से लगभग 200 पात्र बच्चों की तुलना में) धनराशि प्रदान की जानी है। कार्यक्रम संबंधी मार्ग-निर्देश सभी खंडों के लिए एक-समान रूप से लागू होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देश के 162 मिलियन बच्चों में से केवल 30 मिलियन बच्चों को कवर किया गया है। जरूरी नहीं कि 'कवर किए गए' बच्चे सबसे अधिक जरूरतमंद वर्ग अथवा व्यक्ति हों। उपलब्ध खाद्य सबसे अधिक जरूरतमंद को मुहैया करने के बारे में कोई मार्ग-निर्देश नहीं है।

24. योजना आयोग ने आई सी डी एस के मौजूदा मार्गनिर्देशों के अनुसार और इस आधार पर कि पूरक खाद्य केवल गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं और (0-4 वर्ष के) बच्चों को दिए जाने हैं, राज्य-सापेक्ष जन्म-दरों (1997) और बी पी एल दरों (1994) को ध्यान में रखते हुए यह हिसाब लगाया है कि धनराशियों की राज्यवार आवश्यकताएं कितनी होंगी। इन दोनों स्थितियों में धनराशियों की कमी का हिसाब लगाया गया है और आंकड़े संलग्नक 6.3.2.5 में दिए गए हैं। यह स्पष्ट है कि इन दोनों स्थितियों में अपेक्षित धनराशियों और मुहैया की गई धनराशियों की बीच बहुत अंतर है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस अंतर को यथासम्भव सीमा तक काम करने के लिए कदम उठाएं। इस अंतर को पूरा/ कम करने के लिए बी एम एस (बुनियादी न्यूनतम सेवाएं) के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशियों के अलावा, पी एम जी वाई (प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना) के अन्तर्गत उपलब्ध धन को कारगर ढंग से उपयोग करना पड़ सकता है।

नौवीं योजना के दौरान प्रगति और सुझाव

25. महिला और बाल विकास विभाग का आई सी डी -3 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान में 318 नई परियोजनाओं और आन्ध्र प्रदेश राज्य में आई सी डी एस - ए पी ई आर के अन्तर्गत 143 परियोजनाओं को चलाने का प्रस्ताव है। पहाड़ी और जनजातीय खंडों में कवरेज में सुधार करने के लिए विभाग ने सुझाव दिया है कि उन बस्तियों में, जिनकी जनसंख्या 150 हो और जहां कम से कम 20 लाभभोगी हों, एक लघु (मिनी) आंगनवाड़ी खोली जा सकती है।

प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना (पी. एम. जी. वाई)

26. ग्राम स्तर पर स्थायी मानव विकास करने के उद्देश्य से, 2000-01 के बजट में प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना के रूप में एक नई पहल की घोषणा की गई है। इस स्कीम के लिए कुल 5000 करोड़ रुपए की राशि नियत की गई है; इसमें 2500 करोड़ रुपए गांवों को आपस में जोड़ने के लिए नियत किए गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेय जल और पोषाहार जैसी चुनिंदा बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए निवेश करने के लिए 2500 करोड़ रुपए का नियतन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए किया गया है; इन पांच क्षेत्रकों में से प्रत्येक क्षेत्रक के लिए 15 प्रतिशत परिव्यय निर्धारित किया गया है। प्रतिशत राशि के

क्षेत्रकीय नियतन का काम राज्यों के निर्णय दर छोड़ दिया गया है। सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए समिति गठित करेंगे और वित्त मंत्रालय को धनराशि रिलीज करने की सिफारिश करेंगे। सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों को योजना आयोग के परामर्श से, राज्यों द्वारा स्कीमें तैयार किए जाने, धनराशियां जारी किए जाने और प्रगति की मानीटरिंग किए जाने के लिए मार्ग-निर्देश तैयार करने का काम सौंपा गया है। महिला और बाल विकास विभाग ने यह मार्ग-निर्देश तैयार किए हैं कि पोषाहार क्षेत्रक के लिए निर्धारित 375 करोड़ रुपए की समूची राशि का उपयोग तीन वर्ष से कम आयु के पोषाहार की दृष्टि से सबसे अधिक कमजोर बच्चों को पूरक खाद्य प्रदान करने के लिए, स्थानीय रूप से स्वीकार्य मोटे अनाजों, दालों, तिलहनों से मिश्रण पर आधारित, घर ले जाए जा सकने वाले (टेक होम) पूरक खाद्य मुहैया करने के लिए किया जाएगा। विभाग ने राज्यों से यह भी अनुरोध किया है कि वे पोषाहार के क्षेत्रक में जितना अधिक हो सके उतना योगदार करें, ताकि आई सी डी एस कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरक खाद्य की उपलब्धता में जो भारी कमी है उसे पूरा किया जा सके।

आई सी डी एस की मानीटरिंग

27. महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आई सी डी एस के मानीटरिंग के जो फार्मेट इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें मुख्यतः प्रोसेस सम्बन्धी सूचक शामिल होते हैं। हांलाकि आंगनबाड़ी में पोषाहार की स्थिति के बारे में सूचना एकत्र की जाती है और उसकी रिपोर्ट सी डी पी ओ के पास भेजी जाती है, लेकिन यह सूचना डी डब्ल्यू सी डी को नहीं भेजी जाती, पी एम जी वाई के भाग के रूप में, योजना आयोग ने तीन वर्ष से कम आयु और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषाहार स्तर के बारे में जिला-वार पृथक्कृत आंकड़ों की रिपोर्ट भेजने के लिए एक सरल फार्मेट तैयार किया है (फार्मेट संलग्नक 6.3.2.6 में दिया गया है)। इन आंकड़ों के संग्रह, संकलन और उपयोग से अल्प-पोषण के निवारण और प्रबंधन के चालू कार्यक्रमों के प्रभाव की मानीटरिंग करने में सुधार होगा और जिला-सापेक्ष हस्तक्षेप किया जा सकेगा।

28. उड़ीसा में न केवल सेवाओं की व्याप्ति बल्कि उनकी गुणवत्ता के बारे में मानीटरिंग में सुधार करने के प्रयत्न किए गए थे, जैसे 'जोखिम वाले' बच्चों का यह सुनिश्चित करने के लिए पता लगाना कि वे पूरक आहार अवश्य लें, पूरक आहार के प्रभाव का जायजा लेना और यदि उनका कोई प्रभाव न पड़ रहा हो तो बच्चों को जांच और इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजना। पिछले दो वर्षों के दौरान इन खंडों में गंभीर रूप से अल्प-पोषित बच्चों के त्रैमासिक चल औसत के आंकड़ों के आधार पर यह सूचित किया गया है कि गंभीर अल्पपोषण में कमी हुई है और गंभीर अल्प-पोषण के ग्रेडों में होने वाली मौसमी घट-बढ़ में कमी हुई है।

29. महिला और बाल विकास विभाग के अनुरोध पर राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान ने आंध्र प्रदेश में आई सी डी एस कार्यकर्ताओं की मासिक प्रगति रिपोर्टों में सुधार करने और जिला स्तर पर आई सी डी एस कार्यक्रम के पोषाहार संघटक के मानीटरिंग में सुधार करने के लिए एक अध्ययन किया। अध्ययन से प्राप्त सूचना और आंकड़ों से पता चला कि रिपोर्टिंग की गुणवत्ता और रिपोर्टों के समय पर प्रस्तुतीकरण में सुधार करने के लिए आई सी डी एस के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है और स्थिति-अनुकूल बनाया जा सकता है। आंकड़ों के विश्लेषण और रिपोर्टों की विवक्षाओं के बारे में कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने से कार्यान्वयन के दौरान सुधार करने में आसानी हुई और कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में व्याप्त अल्प-पोषण के आंकड़ों का ध्यानपूर्वक मानीटरिंग करना, क्रांतिक जिला स्तर पर सनिरीक्षण और प्रत्युत्तर प्रणाली (सर्वेलेस ऐण्ड रिस्पॉंस सिस्टम) के निर्माण की ओर पहला कदम होगा। पुनर्जनन (रीप्रोडक्टिव) और बाल स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के अंतर्गत, ए एन एम को 'जोखिम वाले' अल्प-पोषित महिलाओं और बच्चों का पता लगाना होता है और उन्हें आगे निर्दिष्ट करना

होता है। ग्राम स्तर पर ए एन एम और ए डब्ल्यू डब्ल्यू के बीच सहयोग होने से स्वास्थ्य और पोषाहार के दोनों कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और मानीटरिंग में सुधार होगा।

30. आयु संबंधित वजन पर आधारित पोषाहार की स्थिति आई सी डी एस परियोजना में अभिलेखबद्ध की जाती है और उसके बारे में रिपोर्ट दी जाती है। इस डर से कि ये आंकड़े संभवतः इतने विश्वसनीय न हों कि उनका इस्तेमाल मानीटरिंग की प्रवृत्तियों के लिए किया जा सके, इनका शायद ही कभी विश्लेषण और उपयोग किया जाता है। आई सी डी एस कार्यकर्ताओं द्वारा भेजी गई 'नेमी' रिपोर्टों में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 0-3 वर्ष के आयु-वर्ग और 4-6 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों में गंभीर और साधारण अल्प-पोषण के खंड-वार जी आई एस मानचित्र तैयार किए गए हैं। जी आई एस मानचित्रों में आंध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अल्प-पोषण की प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से उजागर की गई हैं। इन आंकड़ों के आधार पर, उपयुक्त लक्ष्यगत कार्रवाइयां शुरू की जा सकती हैं। आंकड़ों के बढ़ते हुए इस्तेमाल से, कार्यकर्ताओं को अपनी मासिक रिपोर्टें सही रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सी डी पी ओ का ए डब्ल्यू डब्ल्यू की रिपोर्टों में विश्वास बढ़ेगा और वह उपयुक्त समय पर ग्राम स्तर पर ही हस्तक्षेप करने/ कार्रवाई करने की व्यवस्था करने के लिए इन आंकड़ों का उपयोग करेगा।

31. आई सी डी एस के मानीटरिंग में सुधार करने के लिए राज्य-स्तर के इन उत्साहजनक अध्ययनों का इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। आई सी डी एस के सभी खंडों में वजन करने और अल्प-पोषण की रिपोर्ट देने में सुधार करने की कोशिश की जानी चाहिए। जब एक बार खंड और जिला स्तर पर उच्छी किस्म के आंकड़े नियमित आधार पर उपलब्ध होने लगें, तो उनका इस्तेमाल निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाना चाहिए।

- अल्प-पोषण में कमी के लिए आई सी डी एस के क्रियाकलापों की मानीटरिंग;
- आंकड़ों के आधार पर उपयुक्त हस्तक्षेप का आयोजन; और
- कमजोर वर्गों में पोषाहार संबंधी संनिरीक्षण।


प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम

32. प्राथमिक स्कूलों के बच्चों की पोषाहार स्थिति और स्कूल प्रतिधारण दरों में सुधार करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा पोषाहार समर्थन का कार्यक्रम (जिसे आम तौर पर दोपहर के भोजन की स्कीम कहा जाता है)। 100 प्रतिशत केंद्र द्वारा वित्त-पोषित और केंद्र-प्रायोजित स्कीम के रूप में 1995 में शुरू किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के सभी बच्चों को शामिल किया जाना था। यह परिकल्पना की गई थी कि बच्चों को वर्ष में 10 महीने पहले से पका (प्री-कुकड) भोजन और जहां यह संभव न हो वहां खाने के लिए तैयार खाद्य अथवा खाद्यान्न मुहैया किए जाएंगे। इस कार्यक्रम का ब्यौरा शिक्षा संबंधी अध्याय में दिया गया है।

माइक्रो पोषक न्यूनता

रक्ताल्पता

33. रक्ताल्पता सबसे अधिक व्यापक और फिर भी सबसे अधिक उपेक्षित माइक्रो पोषक-न्यूनता विकार है। भारत उन देशों में से एक है, जहां आम लोगों में रक्ताल्पता का प्रसार सबसे अधिक है। आहार में लोहे और फोलिक एसिड की कम मात्रा



लेना, रक्ताल्पता का प्रमुख कारण है। फाइटेट और रेशा—प्रधान भारतीय आहार से लोहे की जैव उपलब्धता कम होने से स्थिति और भी बिगड़ जाती है। रक्ताल्पता लोगों के सभी आयु-वर्गों और समाज के सभी स्तरों के लोगों को प्रभावित करती है। बचपन से किशोरावस्था में मौजूदा रक्ताल्पता गर्भावस्था में जारी रहती है और गर्भावस्था में और गंभीर रूप धारण कर लेती है और प्रसव के दौरान रक्त के बह जाने के कारण स्थायी बन जाती है। गर्भवती महिलाएं और स्कूल—पूर्व आयु के बच्चे इसके सबसे अधिक शिकार होते हैं। 50—90 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं रक्ताल्पता से प्रभावित होती हैं (आरेख 6.3.2.11)। रक्ताल्पता के कारण कार्यक्षमता घट जाती है और संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। रक्ताल्पता और जन्म के समय वजन कम होने के बीच के संबंध को भली-भांति अभिलेखबद्ध किया जा चुका है। रक्ताल्पता प्रसूति—पूर्व और प्रसूति सम्बन्धी रोगों और मृत्यु दर के लिए बहुत बड़ी हद तक जिम्मेदार है। इस समस्या के आकार को महसूस करते हुए, प्रसूति चिकित्सकों ने रक्ताल्पता की जांच और उसके कारगर प्रबन्ध को प्रसव—पूर्व परिचर्या का एक अत्यावश्यक भाग बना दिया है। सभी गर्भवती महिलाओं को आयरन और फोलिक एसिड का वितरण राष्ट्रीय रक्ताल्पता रोग—रोधन कार्यक्रम 1973 में शुरू किया गया था। अस्पतालों के अभिलेखों से उपलब्ध आंकड़ों और शहरी तथा ग्रामीण लोगों में रक्ताल्पता के प्रसार के बारे में किए गए समुदाय—आधारित सर्वेक्षणों से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि पिछले तीन दशकों में गर्भावस्था में रक्ताल्पता की व्यापकता और उसके प्रतिकूल परिणामों में मूलतः कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

बाक्स 6.3.2.7

गर्भावस्था में रक्ताल्पता के निवारण और प्रबंध के लिए नौवीं योजना की कार्यनीति

आर. सी. एच. कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भावस्था में रक्ताल्पता के निवारण और प्रबंध के लिए एक बहुमुखी कार्यनीति इस्तेमाल करने की शुरुआत की जा रही है। गर्भावस्था में रक्ताल्पता के नियंत्रण के उद्देश्य वाले कार्यक्रम के संघटकों में ये शामिल हैं: (क) लोहे और फोलेट की अधिक मात्रा वाले खाद्यपदार्थ अधिक लेने के लिए पोषाहार शिक्षा, (ख) रक्ताल्पता का पता लगाने के लिए होमोग्लोबिन का अनुमान लगाने के विश्वसनीय तरीके का इस्तेमाल करके सभी गर्भवती महिलाओं की जांच, (ग) उन सभी गर्भवती महिलाओं के लिए, जो रक्ताल्पता से प्रभावित न हों (एच बी 11जी/ डी. एल), मुखी आयरन फोलेट रोगरोधन उपचार, (घ) 8 से 11 जी/ डी एल तक होमोग्लोबिन वाली महिलाओं के लिए समूची गर्भावस्था में आयरन फोलेट की अधिकतम मात्रा से मुखी रूप से उपचार, (ङ) 5 और 8 जी/ डी. एल के बीच के होमोग्लोबिन वाली महिलाओं के लिए, यदि उन्हें प्रसव अथवा देह सम्बन्धी कोई समस्या न हो, आन्तेतर आयरन उपचार, (च) एच बी 5 जी/ डी. एल वाली महिलाओं को अस्पताल में दाखिला और उनकी गहन वैयक्तिक परिचर्या, (छ) सभी रक्ताल्प गर्भवती महिलाओं की जांच और उनकी प्रसव—सम्बन्धी और शारीरिक समस्याओं का कारगर प्रबंध, और (ज) स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय प्रणाली में सुधार और समाज को स्वास्थ्य शिक्षा, ताकि प्रसव पूर्व और गर्भावस्था में परिचर्या की उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए।

प्रगति और सुझाव

34. रक्ताल्पता के लिए गर्भवती महिलाओं की जांच में सुधार करने और उपयुक्त उपचार शुरू करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आर. सी. एच. कार्यक्रम के भाग के रूप में शुरू किए गए हैं। लेकिन इस कार्यक्रम का प्रचालन अभी शुरू किया जाना है। आयरन और फोलिक एसिड की भारी कमी और प्रान्तस्थ स्तर पर गोलियों की गुणवत्ता की समस्याओं से इस कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। परिवार कल्याण विभाग अब सभी राज्यों में दवाओं की आपूर्ति के लिए परिवहन की व्यवस्था को सुदृढ़ बना रहा है, ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो। दवाओं की पर्याप्त

उपलब्धता सुनिश्चित करने और कार्यक्रम को शीघ्रता से प्रचालनात्मक बनाने को उच्च प्राथमिकता दी जानी जरूरी है।

आम लोगों में रक्ताल्पता

बॉक्स 6.3.2.8

सामान्य लोगों में रक्ताल्पता के निवारण के लिए नौवीं योजना की प्रचालनात्मक कार्यनीति में ये बातें शामिल हैं

- समूची जनसंख्या के, जिसमें बच्चे, किशोर युवतियां और गर्भवती महिलाओं से भिन्न महिलाएं शामिल हैं, आहार में लोहे की मात्रा को बढ़ाने और लोगों के होमोग्लोबीन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सामान्य खाद्यों को लोहे से पुष्ट बनाना।
- आयरन और फोलेट की अधिक मात्रा वाले खाद्य पदार्थों, जैसे हरी पत्तीदार सब्जियों की खपत में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य और पोषाहार सम्बन्धी शिक्षा देना,
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे वर्ष भर सस्ते दामों पर हरी पत्तेदार सब्जियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बागबानी सम्बन्धी हस्तक्षेप।

प्रगति और सुझाव

35. दुगने पुष्ट बनाए गए नमक के बारे में नैदानिक और प्रचालनात्मक (ऑपरेशनल) अनुसंधान अध्ययन किए जा रहे हैं, जिनके लिए धन की व्यवस्था विभिन्न अभिकरणों द्वारा की जा रही है। स्वास्थ्य शिक्षा और बागबानी सम्बन्धी हस्तक्षेप की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है, हालांकि सब्जियों की खपत के पैटर्न में परिवर्तन के रूप में उपलब्धि बहुत कम सन्तोषजनक है। इन क्रियाकलापों की गति को बढ़ाने की जरूरत है।

आयोडीन की कमी वाले रोग

36. 1920 से शुरू होने वाले दशक के मध्य से ही आयोडीन के कमी वाले रोगों (आई. डी. डी.) को भारत में एक लोक स्वास्थ्य समस्या माना गया है। शुरू में आई. डी. डी. को हिमालय के निचले क्षेत्र की समस्या समझा जाता था। लेकिन बाद में किए गए सर्वेक्षणों से पता चला कि आई. डी. डी. का अस्तित्व नदियों वाले क्षेत्रों और समुद्रतटवर्ती क्षेत्रों में भी है। भारत का कोई भी राज्य आई. डी. डी. से पूर्णतया मुक्त नहीं है। सबके द्वारा आयोडीनयुक्त नमक का इस्तेमाल आई. डी. डी. के निवारण का सरल और सस्ता तरीका है।

बाक्स 6.3.2.9

नौवीं योजना में आई. डी. डी. के निवारण की प्रचालनात्मक कार्यनीति में ये बातें शामिल हैं

- उपयुक्त गुणवत्ता वाले आयोडीनयुक्त नमक का उपयुक्त मात्रा में उत्पादन,
- परिवहन और भंडारण के दौरान नमक की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए, नमक को उत्पादन-स्थल पर उपयुक्त पैकेजों में बन्द करना;
- उत्पादन-स्थल, खुदरा बिक्री स्थलों और घरों के स्तर पर नमक की गुणवत्ता का परीक्षण करने की सुविधाएं, ताकि उपभोक्ताओं को बढ़िया किसम का नमक मिले और वे उसका उपयोग करें;
- आई. डी. सी. यह सुनिश्चित करे कि लोग केवल अच्छी किसम के आयोडीनयुक्त नमक का उपयोग करते हैं; और

- गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के लिए, आर्थिक इमदाद के जरिए आयोडीनयुक्त नमक और आयोडीन-रहित नमक के बीच कीमतों के अन्तर को कम करना।

37. राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम में मुख्यतः यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है कि नमक को आयोडीनयुक्त बनाया जाए और यह एक सफल माइक्रो पोषक कार्यक्रम है। लेकिन आयोडीनयुक्त नमक का उत्पादन आवश्यकता से कम होता है, गुणवत्ता – नियंत्रण अपर्याप्त है और परिवहन की बाधाएं बनी हुई हैं। हालांकि अधिकतर राज्यों ने आयोडीनरहित नमक की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। लेकिन यह अभी भी, गलगंड (घेंघा) की संभावना वाले क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से उपलब्ध होता है। गरीब लोगों को आई. डी. डी. कार्यक्रम से शायद सबसे कम लाभ होता है, क्योंकि उनके द्वारा आयोडीन रहित नमक का इस्तेमाल किए जाने की संभावना अधिक होती है, जो कि अपेक्षाकृत सस्ता होता है।

प्रगति और सुझाव

38. उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी 100 प्रतिशत आवश्यकता पूरी नहीं होती। सभी राज्यों ने मानव उपभोग के लिए आयोडीन-रहित नमक की बिक्री पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। नमक की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, उत्पादन के स्तर पर गुणवत्ता-नियंत्रण की व्यवस्था में वृद्धि हुई है। घरों के स्तर पर बढ़िया किस्म के आयोडीनयुक्त नमक की उपलब्धता अभी सर्वव्यापी नहीं हुई है।

39. प्रयोक्ता, राज्य और उपभोक्ता के स्तर पर, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में नमक की गुणवत्ता का जो मूल्यांकन किया गया है, उससे पता चलता है कि इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि उपभोक्ता के पास आयोडीन के पर्याप्त अंश वाला नमक पहुंचाना चाहिए; यह कार्य पिसे हुए नमक का इस्तेमाल करके, आयोडीकरण की गुणवत्ता के नियंत्रण द्वारा, नमक को उपभोक्ता पैकों में पैकेजबद्ध करके और यह सुनिश्चित करके किया जा सकता है कि परिवहन और भंडारण के दौरान नमक की गुणवत्ता में कोई कमी न आए।

40. आम जनता में आई. डी. डी. की रोकथाम करने के अपने अभियान के भाग के रूप में, केन्द्रीय सरकार ने मई, 1998 में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके द्वारा खाद्य नमक के सभी विनिर्माताओं के लिए अपने उत्पाद को आयोडीनयुक्त बनाना अनिवार्य कर दिया गया था। इस बारे में वाद-विवाद होता रहा कि क्या लोक स्वास्थ्य के एक उपाय के रूप में आयोडाइजेशन को इस प्रकार के सांविधिक उपबन्ध के द्वारा लागू किया जाना चाहिए या नहीं; इसे देखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने मई 2000 में एक प्रारम्भिक अधिसूचना जारी की है, जिसमें खाद्य नमक के अनिवार्य सांविधिक आयोडाइजेशन को भविष्य में वापस लेने का प्रस्ताव किया गया है। यह मुद्दा अब सार्वजनिक बहस के लिए खुला है।

पोषाहार अन्धेपन के विरुद्ध राष्ट्रीय रोगरोधक कार्यक्रम

41. बचपन में विटामिन ए की कमी, मुख्यतः आहार में विटामिन ए की कम मात्रा ग्रहण करने के कारण उत्पन्न होती है। बार-बार संक्रमण होने के कारण विटामिन ए की परिवर्धित आवश्यकता से इस न्यूनता की मात्रा और गम्भीरता बढ़ जाती है। वर्ष 1970 में पोषाहार अंधता के विरुद्ध राष्ट्रीय रोगरोधक कार्यक्रम एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के रूप में शुरू किया गया था। इस प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत एक और पांच वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों को छः महीने में एक बार मुख से विटामिन ए की 200,000 आई. यू. की मात्रा दी जानी थी। चिकित्सीय मात्राएं उन्हें दी जाती हैं, जिनमें कमी होने का पता लगाया गया हो; यह कार्यक्रम विटामिन ए

की अधिक मात्रा वाले खाद्य पदार्थों का अधिक आहार लेने को बढ़ावा देता है। विटामिन ए की बड़ी मात्रा के अन्तर्गत कम कवरेज हुई है।

बाक्स 6.3.2.10

नौवीं योजना की कार्यनीति

- बड़ी मात्रा में दी जाने वाली विटामिन ए की सभी खुराकों की कवरेज बढ़ाना; आई. सी. डी. एस. और एफ. डब्ल्यू कार्यकर्ताओं के बीच अन्तर्क्षेत्रकीय तालमेल में वृद्धि करना; आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना कि वे दूसरी और इससे बाद की खुराकें दें।
- विटामिन ए की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना;
- बी – केरोटीन की अधिक मात्रा वाले खाद्य पदार्थों की खपत को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य – शिक्षा को जारी रखा जाएगा और सस्ते दामों पर उनकी उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों द्वारा उसे समर्थन दिया जाएगा;
- नौवीं योजना का लक्ष्य विटामिन ए की कमी को नियंत्रित करना है, ताकि विटामिन ए की कमी के कारण होने वाले अंधेपन का अनुपात न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि प्रत्येक राज्य में भी 1/10,000 से कम हो जाए।

42. विशेष रूप से 6 महीने से 23 महीने के नाजुक आयु-वर्ग में कवरेज को बढ़ाने की कोशिश करने के लिए, भारत सरकार ने विटामिन ए देने के कार्यक्रम को, आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वित किए जा रहे प्रतिरक्षण कार्यक्रम के साथ जोड़ने का फैसला किया। संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत विटामिन ए की 100,000 आई यू की एक खुराक सभी शिशुओं को 9वें महीने खसरे के टीके के साथ दी जानी है और 18 महीने की आयु में डी पी टी और ओ पी वी की बुस्टर मात्रा के साथ विटामिन ए की 200,000 आई यू की दूसरी खुराक दी जानी है। संशोधित व्यवस्था की कवरेज के आंकड़ों से पता चलता है कि प्रथम खुराक की कवरेज में कुछ सुधार (50–75 प्रतिशत) हुआ है। लेकिन विटामिन ए की लगातार कमी, संचार तंत्र की खराब स्थिति और समाज में जागरूकता की कमी के कारण, बाद की खुराकों की कवरेज कम है। लेकिन इन सब कमियों के बावजूद, विटामिन ए की कमी के कारण होने वाले अंधेपन में काफी कमी आई है अर्थात् वह 1971–74 के 0.3 प्रतिशत से घट कर 1986–89 में 0.04 रह गया। राष्ट्रीय पोषाहार मानीटरिंग कार्यालय द्वारा फिर से किए गए सर्वेक्षणों से पता चला था कि बाइोटोट स्पॉट का आपात, जो 1975–79 में 1.8 प्रतिशत था, घट कर 1998–99 में 0.7 प्रतिशत रह गया।

प्रगति और सुझाव

43. विटामिन ए की दूसरी और परवर्ती खुराकों के कवरेज को बढ़ाने का प्रयत्न करने के लिए, उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों ने विटामिन ए देने के कार्य को पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान के साथ जोड़ दिया था। यह बताया गया है कि राज्य ने पिछले 6 महीनों के दौरान विटामिन ए का दिया जाना रोक कर आवश्यकता से अधिक मात्रा दिए जाने पर रोक लगाने के लिए सावधानी बरती। राज्य ने कवरेज में वृद्धि की सूचना दी। इस कार्यनीति की समस्याओं में ये शामिल हैं :

- यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने जरूरी हैं कि केवल 1–3 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए दिया जाए और 0–5 वर्ष के बच्चों को पोलियो का टीका लगाया जाए। यह बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि पी पी आई एक बहुत बड़ा अभियान है, जिसके अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक बच्चों को कवर किया जाता है और बूथों पर ऐसे व्यक्ति तैनात होते हैं जो स्वास्थ्य व्यावसायिक कर्मचारी नहीं होते।
- विटामिन ए की वर्ष की दूसरी खुराक वैकल्पिक कार्यनीति के अंतर्गत दी जानी होती है।

44. इसे देखते हुए बच्चों में विटामिन ए के स्तर में सुधार के लिए किसी संघार्थ कार्यनीति को अपनाना बेहतर होगा, अर्थात्
- विटामिन ए की बड़ी खुराक ए डब्ल्यू डब्ल्यू के जरिए वर्ष में दो बार, उदाहरणार्थ प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में।
 - भोजन में हरी/ पीली सब्जियों की अधिक मात्रा में ग्रहण को बढ़ाने के लिए ए डब्ल्यू डब्ल्यू के माध्यम से पोषाहार शिक्षा।

राष्ट्रीय पोषाहार नीति

45. 1993 में अपनाई गई राष्ट्रीय पोषाहार नीति में कुपोषण की बहुमुखी समस्या के समाधान और समाज के सभी वर्गों के लिए पोषाहार की इष्टतम स्थिति प्राप्त करने के लिए एक व्यापक अंतर्क्षेत्रकीय कार्यनीति अपनाने का समर्थन किया गया है। कई संबंधित क्षेत्रकों ने इस बीच प्राप्त हुई प्रगति की समीक्षा की है और नौवीं योजना/ 2010 के लिए अपने लक्ष्यों को संशोधित किया है। उदाहरण के लिए, परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्राचलों में परिवर्तन हुआ है और आर सी एच कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार कल्याण के लक्ष्यों को संशोधित किया गया है। पोषाहार की राष्ट्रीय कार्य योजना में निर्धारित लक्ष्यों को तदनुसार संशोधित करना पड़ सकता है।

विभिन्न आयु वर्गों के लिए पोषाहार (प्रति दिन) – 1996–1997

पोषक तत्व	आयु वर्ग (वर्ष)								
	1-3			4-6			7-9		
	औसत	मध्यम	एस डी	औसत	मध्यम	एस डी	औसत	मध्यम	एस डी
प्रोटीन	22.43	20.40	11.34	31.39	29.40	12.89	38.45	36.20	15.71
टोट फैट (जी)	13.51	10.10	11.42	17.61	13.90	15.26	19.55	15.10	15.17
ऊर्जा (के कल.)	867	815	370	1215	1154	424	1473	1418	480
कैल्शियम	249.81	167.60	244.14	300.34	224.00	265.67	352.21	261.50	306.16
ओल्ड आयरन (एम जी)	9.44	8.40	5.36	14.33	12.90	7.49	18.15	16.40	8.86
न्यू आयरन (एम जी)	5.50	4.30	4.43	8.41	6.90	5.57	10.82	8.70	7.51
विटा. ए. (यू जी)	144.76	72.20	251.08	205.02	96.45	460.36	231.11	107.50	436.44
थिआमिन (एम जी)	0.44	0.40	0.31	0.69	0.60	0.41	0.88	0.70	0.53
रिबो (एम जी)	0.44	0.40	0.28	0.56	0.50	0.30	0.66	0.60	0.31
निआसिन (एम जी)	4.97	4.50	2.77	7.37	6.60	3.32	9.19	8.40	4.10
विटा. सी (एम जी)	16.54	9.90	22.13	24.94	17.50	31.55	28.62	20.40	31.86
फोलिक एसिड (एम जी)	44.59	36.60	33.88	64.70	55.10	40.70	79.04	66.30	52.52

स्रोत : एन एन एम बी – 2000

पोषाहार में समय प्रवृत्तियां

पोषक तत्व	प्रौढ़ पुरुष		प्रौढ़ महिलाएं (एन पी एन एल)		गर्भवती महिलाएं		स्तनपान कराने वाली महिलाएं	
	1975-79	1996-97	1975-79	1996-97	1975-79	1996-97	1975-79	1996-97
प्रोटीन (ग्राम)	55.65	60.1	45.4	49.9	40.75	47.2	47.6	56.5
टोट फैट (ग्राम)	20.3	27.4	17.1	24.5	18.75	21.5	18.25	24.55
ऊर्जा (कि. कैलोरी)	2065.35	2418.4	1698.3	1982.5	1597.05	1994.4	1797.3	2243.2
कैल्शियम (मि. ग्राम)	397.98	420.9	329.6	381.9	390.45	339.35	358	372.65
आयरन (मि. ग्राम)	26	27.3	21.4	22.2	19.7	22.95	23.1	23.35
विटामिन ए (यू. ग्राम)	141.85	171.5	117.8	147.8	159.95	141.55	133.1	162.3
थिआमिन (मि. ग्राम)	1.3	1.1	1	0.9	0.95	0.9	1.1	1.1
रिबो (मि. ग्राम)	0.8	1	0.7	0.8	0.6	0.8	0.7	0.9
निआसिन (मि. ग्राम)	13.4	14.4	10.8	11.7	10.1	11.2	11.5	13.5
विटामिन सी (मि. ग्राम)	27.6	35.9	24.2	31.95	20.7	28.35	23.35	29.4

एन पी एन एल – गर्भ के बगैर स्तनपान न कराने वाली

• मध्यम

शानदार और कम भार के अनुसार किशोरों का विभाजन

(मध्यम कम है - 2 एस डी)

आयु (वर्ष)	लड़के		लड़कियाँ	
	प्रतिशत शानदार	कम भार वाले प्रतिशत	प्रतिशत शानदार	कम भार वाले प्रतिशत
10+	34.7	41.6	32.5	37.8
11+	31.2	42.1	37.4	42.4
12+	32.8	51.6	44.7	45.3
13+	32.1	51.2	46.7	37.6
14+	36.3	55.8	41.2	35.7
15+	48.9	58.5	37.9	39.0
16+	51.8	66.1	34.1	39.0
17+	59.7	68.6	37.2	37.6
	223.85 (पी कम है 0.01)	195.8 (पी कम है 0.01)	60.9 (पी कम है 0.01)	23.3 (पी कम है 0.01)

किशोरों का बोडी मास इन्डेक्स*

आयु (वर्ष)	1975-79		1996-97		एन एच ए एन ई एस	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
10+	13.9	13.9	13.7	13.9	16.7	17.0
11+	14.0	14.2	13.9	14.2	17.3	17.7
12+	14.4	14.8	14.3	14.7	17.9	18.4
13+	14.7	15.4	14.8	15.5	18.5	18.9
14+	15.3	16.4	15.4	16.5	19.2	19.3
15+	15.8	17.2	16.0	17.3	19.9	19.7
16+	16.5	17.9	16.8	17.9	20.6	20.1
17+	17.0	18.3	17.6	18.5	21.1	20.4

* मध्यम

अध्याय 6 : कृषि, सिंचाई, खाद्य और पोषाहार सुरक्षा

संलग्नक 6.3.5

निर्धनता रेखा से नीचे (बी पी एल) आबादी में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पूरक पोषाहार के लिए वार्षिक वित्तीय आवश्यकता

राज्य	पूरक पोषाहार के लिए निधियों की योजना आयोग की वार्षिक आवश्यकता (करोड़ रुपये)			महिला और बाल कल्याण विभाग द्वारा अनुमानित लाभभोगियों की संख्या (लाख रुपये) 1999-2000	महिला और बाल कल्याण विभाग द्वारा अपेक्षित निधियां (करोड़ रु.) 1999-2000	राज्य सरकार द्वारा आबटित निधियां (करोड़ रु.) 1997-98	अंतर/ (अधिशेष) (करोड़ रुपये)	
	गर्भवती महिलाएं	बच्चे (0-4) वर्ष	जोड़				योजना आयोग	महिला और बाल कल्याण विभाग
आंध्र प्रदेश	24.59	55.63	80.22	34.1	102.3	40	40.22	62.30
असम	19.68	45.36	65.04	2.84	8.52	7.86	57.18	0.66
बिहार	112.83	233.29	346.12	17.85	53.55	19.13	326.99	34.42
गुजरात	19.45	40.86	60.31	50.81	152.43	125.5	(65.19)	26.93
हरियाणा	9.15	20.71	29.86	0.96	2.88	5	24.86	(2.12)
कर्नाटक	25.55	60.02	85.57	28.01	84.03	37.79	47.78	46.24
केरल	9.61	23.13	32.74	10.06	30.18	0.75	31.99	29.43
मध्य प्रदेश	70.14	141.11	211.25	6.43	19.29	41.54	169.71	(22.25)
महाराष्ट्र	50.65	123.77	174.42	9.8	29.4	43.39	131.03	(13.99)
उड़ीसा	30.18	63.47	93.65	28.15	84.45	62.38	31.27	22.07
पंजाब	4.23	10.13	14.36	17.51	52.53	3	11.36	49.53
राजस्थान	30.57	62.89	93.46	43.76	131.28	10.1	83.36	121.18
तमिलनाडु	26.91	62.18	89.09	39.15	117.45	104	(14.91)	13.45
उत्तर प्रदेश	150.26	288.90	439.16	2.89	8.67	5	434.16	3.67
पश्चिम बंगाल	41.11	102.43	143.54	1.76	5.28	21.6	121.94	(16.32)
अरुणाचल प्रदेश	0.64	1.73	2.37	1.07	3.21	2.81	(0.44)	0.40
दिल्ली	2.74	7.50	10.24	3.5	10.5	20.75	(10.51)	(10.25)
गोवा	0.22	0.88	1.09	25.82	77.46	0.5	0.59	76.96
हिमाचल प्रदेश	2.78	7.08	9.86	10.78	32.34	6.64	3.22	25.70
जम्मू और कश्मीर	5.06	9.30	14.36	25.85	77.55	7.33	7.03	70.22
मणिपुर	1.07	3.14	4.21	0.45	1.35	1.87	2.34	(0.52)
मेघालय	1.78	3.40	5.19	40.01	120.03	2	3.19	118.03
मिजोरम	0.23	0.90	1.13	2.47	7.41	1.85	(0.72)	5.56
नागालैंड	0.82	2.35	3.17	80.38	241.14	1.83	1.34	239.31
सिक्किम	0.29	0.85	1.15	39.64	118.92	1.95	(0.80)	116.97
त्रिपुरा	1.73	5.44	7.17	0.31	0.93	6.95	0.22	(6.02)
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.16	0.49	0.65	0.25	0.75	0.55	0.10	0.20
चंडीगढ़	0.12	0.37	0.49	2.95	8.85	0.05	0.44	8.80
दादरा और नागर हवेली	0.17	0.36	0.53	0.11	0.33	0.47	0.06	(0.14)
दमन और दीव	0.04	0.08	0.12	0.07	0.21	0.34	(0.22)	(0.13)
लक्षद्वीप	0.03	0.07	0.09	0.05	0.15	0.19	(0.10)	(0.04)
पांडिचेरी	0.49	1.53	2.02	0.59	1.77	4.16	(2.14)	(2.39)
जोड़	643.26	1379.36	2022.62	528.38	1585.14	587.28	1435.34	997.86

- 15 प्रमुख राज्यों के अलावा प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में 0-4 आयु वर्ग में आबादी के अनुपात के अभाव में, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के औसत का उपयोग किया गया है।
- वार्षिक वित्तीय आवश्यकताएं वर्ष में 300 दिन के लिए प्रति बच्चा 1.00 रुपया और प्रत्येक महिला 2.00 रुपये प्रति दिन की औसत लागत पर आधारित हैं।

आई सी डी एस के मानीटरिंग पोषक घटक (त्रैमासिक रिपोर्ट)

राज्य :

जिला :

3-6 आयु वर्ग से कम लड़कियां

आयु वर्ग में बच्चों की संख्या	पूरक खाद्य प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या	तोले गए बच्चों की संख्या	तोले गए बच्चों की पोषण स्थिति										
			सामान्य	ग्रेड 1		ग्रेड 2		ग्रेड 3		ग्रेड 4			
				सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत		

6-36 आयु वर्ग से कम लड़कियां

आयु वर्ग में बच्चों की संख्या	पूरक खाद्य प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या	तोले गए बच्चों की संख्या	तोले गए बच्चों की पोषण स्थिति										
			सामान्य	ग्रेड 1		ग्रेड 2		ग्रेड 3		ग्रेड 4			
				सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत		

3-6 आयु वर्ग से कम लड़के

आयु वर्ग में बच्चों की संख्या	पूरक खाद्य प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या	तोले गए बच्चों की संख्या	तोले गए बच्चों की पोषण स्थिति										
			सामान्य	ग्रेड 1		ग्रेड 2		ग्रेड 3		ग्रेड 4			
				सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत		

6-36 आयु वर्ग से कम लड़के

आयु वर्ग में बच्चों की संख्या	पूरक खाद्य प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या	तोले गए बच्चों की संख्या	तोले गए बच्चों की पोषण स्थिति										
			सामान्य	ग्रेड 1		ग्रेड 2		ग्रेड 3		ग्रेड 4			
				सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत		

अध्याय 6 : कृषि, सिंचाई, खाद्य और पोषाहार सुरक्षा

संलग्नक 6.3.7

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पोषाहार के लिए परिव्यय

राज्य	9वीं योजना परिव्यय पोषाहार	1997-98		1998-99		1999-2000
		परिव्यय पोषाहार	वास्तविक व्यय पोषाहार	परिव्यय पोषाहार	सं. अनु. पोषाहार	परिव्यय पोषाहार
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	29985.00	4000.00	2515.00	7500.00	7500.00	4500.00
2. अरुणाचल प्रदेश	1940.00	331.00	281.00	241.00	224.00	228.00
3. असम	8000.00	845.00	768.00	913.00	855.00	920.00
4. बिहार	19500.00	2530.00	1098.00	3500.00	0.00	1400.00
5. गोवा	400.00	70.00	47.00	45.00	45.00	50.00
6. गुजरात •	82500.00	12550.00	11433.00	14000.00	12400.00	14000.00
7. हरियाणा	2508.00	500.00	495.00	693.00	525.00	525.00
8. हिमाचल प्रदेश	4220.00	600.00	600.00	800.00	800.00	940.00
9. जम्मू और कश्मीर	अनुपलब्ध	835.00	738.00	825.00	825.00	825.00
10. कर्नाटक	16000.00	3738.00	3741.00	3884.00	3560.00	3850.00
11. केरल	510.00	75.00	65.00	75.00	75.00	45.00
12. मध्य प्रदेश	12617.00	4139.00	3738.00	4700.00	4700.00	4960.00
13. महाराष्ट्र	17892.00	4339.00	3671.00	7538.00	7538.00	7458.00
14. मणिपुर	1630.00	200.00	188.00	230.00	230.00	230.00
15. मेघालय	1400.00	200.00	179.00	250.00	244.00	260.00
16. मिजोरम	866.00	185.00	185.00	200.00	200.00	250.00
17. नागालैंड	1800.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00
18. उड़ीसा •	47199.93	8200.00	5780.00	7329.00	7329.00	6474.00
19. पंजाब	3458.00	300.00	294.00	300.00	225.00	500.00
20. राजस्थान	10225.00	1810.00	1007.00	1810.00	1262.00	1135.00
21. सिक्किम	1000.00	226.00	195.00	195.00	195.00	195.00
22. तमिलनाडु •	50000.00	9086.00	10579.00	10220.00	13230.00	12417.00
23. त्रिपुरा	4773.00	695.00	682.00	578.00	578.00	658.00
24. उत्तर प्रदेश	23200.00	3558.00	536.00	4500.00	1956.00	4500.00
25. प. बंगाल	7291.32	2622.00	1262.00	2614.00	2613.00	4100.00
जोड़ राज्य	348915.25	61817.00	50260.00	73123.00	67292.00	70603.00
संघ राज्य क्षेत्र						
1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	400.00	55.00	45.43	61.00	61.00	50.00
2. चंडीगढ़	25.00	5.00	5.07	5.00	5.00	5.00
3. दादरा और नागर हवेली	237.25	47.25	47.25	47.25	47.25	47.00
4. दमन और दीव	177.00	34.00	27.00	30.00	30.00	28.00
5. दिल्ली	15000.00	2075.00	2025.21	2920.00	2000.00	3210.00
6. लक्षद्वीप	87.14	18.80	16.78	19.00	19.00	30.00
7. पांडिचेरी	2100.00	310.00	405.62	518.00	518.00	623.00
जोड़ सं. राज्य क्षेत्र	18026.39	2545.05	2572.36	3600.25	2680.25	3993.00
कुल जोड़ (राज्य + सं. राज्य क्षेत्र)	366941.64	64362.05	52832.36	76723.25	69972.25	74596.00

• कार्य दल की सिफारिशों के अनुसार

स्रोत : 1) राज्य योजना प्रभाग, योजना आयोग

2) वार्षिक योजना प्रलेख राज्य सरकार

•• : बजट स्तर पर

• आई सी डी एस लाभगियों से इतर समूहों के लिए पूरक पोषाहार के लिए निधियां शामिल हैं।

अध्याय 7 औद्योगिक विकास (खनिजों सहित)

सरकार द्वारा जुलाई, 1991 में उदारीकरण की नीति लागू करने और आर्थिक सुधारों को शुरू करने के बाद से विनियमित अर्थव्यवस्था लगातार बाजार उन्मुख औद्योगिक नीति की दिशा में बढ़ रही है। नयी नीति में पूंजी, प्रौद्योगिकी और बाजार संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है जिससे औद्योगिक क्षमता में महत्तर विकास किया जा सके तथा विश्व अर्थ-व्यवस्था के साथ घरेलू अर्थव्यवस्था को एकीकृत किया जा सके। इस नीति के अंतर्गत व्यवसाय निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता और लोचशीलता प्रदान की गई है ताकि औद्योगिक क्षेत्र बाजार शक्तियों के साथ मिलकर काम कर सके और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सके।

2. सरकार नीतिगत ढाँचे की समीक्षा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रही है ताकि न केवल औद्योगिक क्षेत्र के मार्ग में आने वाली प्रक्रियागत बाधाओं को दूर किया जा सके बल्कि भारत की औद्योगिक स्थिति को और अधिक घरेलू और विदेशी पूंजी निवेश के लिए अनुकूल और आकर्षक बनाया जा सके जिससे भारतीय उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके। आवश्यक लाइसेंसकरण के अंतर्गत अब केवल 6 उद्योग रह गये हैं और 4 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं तथा 812 मदें लघु उद्योग क्षेत्रों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। अवस्थापना क्षेत्र में प्रमुख मदों के लिए 100 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी को स्वतः अनुमोदन के माध्यम से अनुमति प्रदान की गई है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों के विचारार्थ समय सीमा 6 सप्ताह से घटाकर 30 दिन कर दी गई है। अनुप्रवाही निवेशों के लिए निवेश प्रक्रिया को और सरल बनाने के उद्देश्य से विदेशी स्वामित्व वाली भारतीय धारिता की कंपनियों को स्वतः अनुमोदन वाले क्षेत्रों में अनुप्रवाही निवेश हेतु अर्ह बनाने के लिए, कुछ विनिर्दिष्ट मापदण्डों के आधार पर, सामान्य अनुमति प्रदान की गई है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में एक विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण की स्थापना की गई है जो विदेशी निवेशकों और सरकार के बीच एक ही स्थान पर समाधान की व्यवस्था करेगा। औद्योगिक संगठनों के परामर्श से विनियमन से विकास को और अधिक महत्व देने के उद्देश्य से एक नया औद्योगिक अधिनियम, 2000 तैयार किया गया है, जो सरकार के विचाराधीन है। जिन अनुमोदित मामलों में मूल परियोजना लागत 600 करोड़ रुपये तक थी उनमें विदेशी इक्विटी की प्रतिशतता के अंदर विदेशी इक्विटी राशि बढ़ाने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। निर्णय लेने के मामलों में अधिक पारदर्शिता लाने तथा एक निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तावों का निपटारा करने के उद्देश्य से औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में एक परियोजना समिति गठित की गई है जो परियोजना आयातों के मामलों में अनिवार्यता प्रमाण पत्र मंजूर करने संबंधी आवेदनों पर विचार करेगी। इटली में यूनिको के औद्योगिक संवर्धन कार्यालय (आई पी ओ) द्वारा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अंतर्गत औद्योगिक सहायता सचिवालय के साथ और विकास आयुक्त (लघु उद्योग कार्यालय) के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं जिसका उद्देश्य निवेश और प्रौद्योगिकी प्रवाह तथा निर्यात का संवर्धन करना तथा भारत में एस एम ई क्षेत्र में इटली के सहयोग से परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना है। लघु/ अनुषंगी औद्योगिक उपक्रमों के संबंध में संयंत्र और मशीनों पर निवेश की सीमा 3 करोड़ रुपये से घटाकर एक करोड़ रुपये कर दी गई है।

औद्योगिक क्षेत्र का निष्पादन

3. भारतीय उद्योग, 1998-99 के तुलनात्मक दृष्टि से सामान्य निष्पादन के मुकाबले, अच्छे निष्पादन की ओर बढ़ रहा है। अनेक वृहत आर्थिक और व्यापारिक संकेतकों से व्यापक आधार पर औद्योगिक अभिवृद्धि होने के संकेत मिले हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान इनकी समग्र वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत रही है जो पिछले वर्ष प्राप्त विकास दर की दो गुनी है। औद्योगिक उत्पादन

अध्याय 7 : औद्योगिक विकास (खनिजों सहित)

सूचकांक (आई आई पी) में दिये गये 3 क्षेत्रों यथा विनिर्माण खनन एवं उत्खनन और विद्युत में, विनिर्माण क्षेत्र में सुधार होने के विशेष रूप से संकेत मिले हैं जिसमें वर्ष 1999-2000 के दौरान 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि वर्ष 1998-99 में केवल 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। खनन और उत्खनन क्षेत्र में भी 1999-2000 के दौरान अच्छा सुधार हुआ है जिसमें 0.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि इससे पहले वर्ष में 1.70 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। किंतु, विद्युत उत्पादन में मामूली सुधार हुआ है जो 6.5 प्रतिशत से बढ़कर 6.6 प्रतिशत हुआ है। उपभोक्ता-आधारित वर्गीकरण के अनुसार, मूल वस्तुओं, मध्यवर्ती वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुओं तथा उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के मामलों में वर्ष 1999-2000 में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय ऊँची वृद्धि दर प्राप्त हुई। किंतु, पूंजीगत वस्तुओं के उप क्षेत्र में वर्ष 1999-2000 में 5.2 प्रतिशत की न्यून वृद्धि दर प्राप्त हुई जबकि 1998-99 में यह वृद्धि 11.8 प्रतिशत थी। 6 प्रमुख और अवसंरचना उद्योगों (अर्थात् विद्युत, अपरिष्कृत तेल, रिफाइनरी, कोयला, इस्पात और सीमेंट), जिनका समग्र औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 26.7 प्रतिशत भारांश है, में 1999-2000 के दौरान 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसकी तुलना में 1998-99 में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। आशा की जाती है कि योजना के अन्तिम दो वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में और अधिक सुधार होगा और यह उल्लेखनीय रूप से उच्च स्तर पर पहुँचेगा तथा नौवीं योजना के लिए निर्धारित 8.2 प्रतिशत का समग्र लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा।

4. नीचे दी गई सारणी 7.1 में वर्ष 1997-98 और 1998-99 के निष्पादन के साथ-साथ औद्योगिक उप क्षेत्रों की वर्ष 1999-2000 की निष्पादन प्रवृत्तियों को 2 अंकों के आधार पर दर्शाया गया है।

सारणी 7.1

औद्योगिक उप क्षेत्रों के निष्पादन की प्रवृत्तियाँ-वार्षिक विकास दर (प्रतिशत)

उद्योग कोड	उद्योग का नाम	आई आई पी में भारांश	1997-98	1998-99	1999-2000
20-21	खाद्य उत्पाद	9.08	-0.40	0.70	4.10
22	पेय तथा तंबाकू	2.38	19.40	12.90	7.260
23	सूती वस्त्र	5.52	2.40	-7.70	6.70
24	ऊनी, रेशमी तथा मानव-निर्मित रेशेदार वस्त्र (सूती कपड़े को छोड़कर)	2.26	18.50	2.80	12.00
25	पटसन वस्त्र उद्योग	0.59	16.90	-7.30	-0.90
26	वस्त्र (टेक्सटाइल) उत्पाद	2.54	8.50	-3.50	2.00
27	काष्ठ और काष्ठ उत्पाद	2.70	-2.60	-5.80	-16.20
28	कागज और कागज उत्पाद	2.65	6.90	16.00	7.10
29	चमड़ा और फर उत्पाद	1.14	2.20	8.20	12.20
30	रसायन तथा रासायनिक उत्पाद	14.00	14.50	6.60	22.40
31	रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम	5.73	5.20	11.30	-1.20
32	अधात्विक खनिज उत्पाद	4.39	13.80	8.20	23.20
33	मूल धातुएं और मिश्र धातुएं	7.45	2.26	-2.50	4.90
34	धात्विक उत्पाद और पुर्जे	2.81	8.40	17.80	-2.50
35-36	मशीनरी और उपस्कर	9.57	5.60	1.70	17.40
37	परिवहन उपकरण	3.98	2.60	15.70	1.60
38	अन्य विनिर्माण उद्योग	2.56	-2.70	6.60	-12.80
प्रभाग 2-3	विनिर्माण	79.36	6.70	4.30	9.30
प्रभाग 1	खनन	10.47	5.90	-1.70	0-70
प्रभाग 4	विद्युत	10.17	6.60	6.50	6.60
	सामान्य	100.00	6.60	4.00	8.30

स्रोत - केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

5. उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि काष्ठ और काष्ठ उत्पाद, कागज और कागज उत्पाद, रबड़ प्लास्टिक, पेट्रोलियम, धात्विक उत्पादों और पुर्जों, परिवहन उपकरण और अन्य विनिर्माण उद्योगों के सभी उप क्षेत्रों की उत्पादन दर में 1998-99 की तुलना में 1999-2000 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

6. औद्योगिक अभिवृद्धि के लिए जिम्मेदार कुछ कारक इस प्रकार हैं (1) 1998-99 में हुई अच्छी फसल और खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि के कारण उपभोक्ता प्रवृत्ति में सुधार हुआ, (2) पूंजी बाजारों का पुनरुद्धार, (3) मुद्रास्फीति में कमी और मांग में वृद्धि जिसके फलस्वरूप क्षमता उपयोग में सुधार हुआ और औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, तथा (4) आवास क्षेत्र के लिए राजकोषिय पैकेज जैसी समर्थनकारी नीति, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क ढांचे को युक्ति-युक्त बनाना, कुछ मामलों में सीमा शुल्क की व्याप्त विसंगतियों को दूर करना, अवसंरचना उद्योगों को कराधान से छूट देने संबंधी अवधि बढ़ाना, आमेलनों और समामेलनों को सुविधाजनक बनाने के लिए आय कर अधिनियम में संशोधन करना, ग्रामीण औद्योगिकरण के लिए एक नया कार्यक्रम बनाना, लघु उद्योगों आदि के लिए विशिष्ट अभ्युपायों की सरकार द्वारा 1999-2000 के केन्द्रीय बजट में घोषणा करना। इसके अलावा, विदेशों में औद्योगिक उत्पादों की मांग में वृद्धि होना, पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्था में सुधार होना और विश्व की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के फलस्वरूप निर्यातों में तेजी आई और ऊंची विकास दर प्राप्त करने में सुविधा हुई। बाक्स 7.1 में इन कारकों को दर्शाया गया है।

बाक्स 7.1

औद्योगिक पुररुद्धार के प्रमुख कारक

घरेलू

- 1998-99 के दौरान अच्छी फसल और खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन होने के फलस्वरूप अधिक ग्रामीण आय की वजह से उपभोक्ता प्रवृत्ति में सुधार;
- पूंजी बाजार में पुनरुद्धार;
- कम मुद्रास्फीति और मांग में वृद्धि, इसके फलस्वरूप क्षमता उपयोग में सुधार हुआ और औद्योगिक उत्पादन बढ़ा; और
- सरकार के 1999-2000 के केन्द्रीय बजट में घोषित की गई समर्थनकारी नीतियां, जैसे कि :
 - ✓ आवास क्षेत्र के लिए राजकोषिय पैकेज,
 - ✓ उत्पाद एवं सीमा शुल्क के ढांचे को युक्ति युक्त बनाना,
 - ✓ इस्पात पर लगाने वाले सीमा शुल्क में व्याप्त विसंगतियों को दूर करना,
 - ✓ अवसंरचना उद्योगों को प्राप्त कराधान से छूट की अवधि बढ़ाना,
 - ✓ आमेलनों और समामेलनों को सुविधाजनक बनाने के लिए आय कर अधिनियम में संशोधन,
 - ✓ ग्रामीण औद्योगिकरण के लिए एक नया कार्यक्रम,
 - ✓ लघु उद्योग क्षेत्र आदि के लिए विशिष्ट अभ्युपायों की घोषणा।

बाहरी कारण

- निर्यातों में तेजी के कारण विदेशों में औद्योगिक उत्पादों की मांग में वृद्धि होना, साथ ही पूर्व-एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था तथा विश्व की आर्थिक स्थिति में उत्साहवर्धक सुधार होना।

7. औद्योगिक नीति संबंधी सुधारों को 2000-2001 के केंद्रीय बजट से और आगे बढ़ाया गया है। बजट में घोषित प्रमुख नीतिगत प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं: मूल उत्पाद शुल्क की 8 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 24 प्रतिशत की 3 यथा मूल्यानुसार दरों के स्थान पर सेंट्रल वैल्यु ऐडेड टैक्स की, 16 प्रतिशत की एकल दर लागू करना, कुछ वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करना, मेडीकेयर और आम लोगों के उपयोग की मदों को अनिवार्य रूप से इसके अंतर्गत लेना, नियमों को सरल बनाना और मोडवाट योजना के दायरे को युक्तियुक्त बनाना, रीरोलरों और स्टील इन्डक्शन भट्टियों द्वारा उत्पादित इस्पात पर यथा मूल्य उत्पाद शुल्क प्रणाली पुनः लागू करना, सीमा शुल्क की अधिकतम दर को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत करना और इस प्रकार सीमा शुल्क की कुल दरों की संख्या को 5 से घटाकर 4 करना, तथा सूचना प्रौद्योगिकी की अधिक मदों, दूरसंचार और मनोरंजन उद्योग के साथ-साथ प्लेटीनम और गैर-औद्योगिक हीरों पर सीमा शुल्क को घटाना। ज्ञान आधारित उद्योगों के विकास में तेजी लाने और उनमें निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक नई उद्यम पूंजी निधि लागू करने का प्रस्ताव है जिसके अंतर्गत कर प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा। उद्यम पूंजी निधि के लिए कराधान के संबंध में मुख्य रूप से छूट "पास थ्रू" सिद्धांत के अंतर्गत प्रदान की जायेगी। अवसंरचना क्षेत्र को प्राप्त कराधान का लाभ शहरी अवसंरचना के दो अतिरिक्त क्षेत्रों, अर्थात् वाटर ट्रीटमेंट और सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी उपलब्ध होगा। आवास क्षेत्र को पिछले वर्ष प्रदान किए गए प्रोत्साहन पैकेजों को और दो वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। भारतीय जहाजरानी उद्योग को अपने बेड़े का सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण करने के लिए संसाधनों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से पाँच वर्षों के लिए उसे लाभ पर कराधान से शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है बशर्ते कि यह राशि नये जलपोत खरीदने के लिए आरक्षित निधि के रूप में जमा की जाए। कम विकसित क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों और औद्योगिकरण दृष्टि से पिछड़े जिलों में स्थापित की जाने वाली नई इकाइयों को मिलने वाली कराधान संबंधी छूट अगले दो वर्षों, अर्थात् 31 मार्च 2002 तक के लिए और बढ़ा दी गई है। पूंजी बाजार को सुदृढ बनाने के लिए स्टाक एक्सचेंजों की निवेशक संरक्षण निधियों में किए गए निवेशों से होने वाली आय पर कर से शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। इन अभ्युपायों को नीचे दिए गए बाक्स 7.2 में दर्शाया गया है।

बाक्स 7.2

औद्योगिक विकास में और सुधार लाने के लिए किए गए अभ्युपाय

- मूल उत्पादन शुल्क की 8 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 24 प्रतिशत की तीन यथा मूल्य दरों की बजाय 16 प्रतिशत की दर से सेंट्रल वैल्यु ऐडेड कराधान की एकल प्रणाली लागू करना।
- मेडीकेयर और आम लोगों के उपयोग से जुड़ी कुछ वस्तुओं को अनिवार्य रूप से उत्पादन शुल्क से छूट प्रदान करना।
- नियमों को सरल बनाना और मोडवाट योजना के कार्य क्षेत्र को युक्तियुक्त बनाना।
- री-रोलरों और इन्डक्शन भट्टियों द्वारा उत्पादित इस्पात पर यथा मूल्य उत्पादन शुल्क ढाँचे को पुनः लागू करना।
- सीमा शुल्क की अधिकतम दर को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत करना और इस प्रकार सीमा शुल्क की कुल दरों को 5 से घटाकर 4 कर देना।
- सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की अनेक मदों पर, दूरसंचार और मनोरंजन उद्योग के साथ प्लेटीनम और गैर-औद्योगिक हीरों पर उत्पादन शुल्क घटाना।
- ज्ञान-आधारित उद्योगों के विकास में तेजी लाने और उनमें निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्यम पूंजी निधि की स्थापना करना।

- उद्यम पूंजी निधि पर कराधान संबंधी नियमों को काफी उदार बनाना।
- अवसंरचना क्षेत्र को प्राप्त कराधान संबंधी लाभों को शहरी क्षेत्र के दो और अतिरिक्त अनिवार्य अवसंरचना क्षेत्रों, अर्थात् वाटर ट्रीटमेंट और सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी उपलब्ध कराना।
- पिछले वर्ष आवास क्षेत्र को दिए गए प्रोत्साहन पैकेजों को दो और वर्षों तक बढ़ाना।
- भारतीय जलपोत उद्योग को अपने बेड़े का सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण करने के लिए संसाधन जुटाने में सहायता प्रदान करने के लिए पाँच वर्षों तक शत प्रतिशत लाभ को कराधान से मुक्त करना बशर्ते कि यह राशि नये जलपोतों की खरीद के लिए आरक्षित निधि के रूप में रखी जाये।
- कम विकसित क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की नई इकाइयों को कराधान से मिलने वाली छूट दो वर्षों तक के लिए अर्थात् 31 मार्च 2002 तक और बढ़ाना।
- पूंजी बाजार को सुदृढ बनाने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों की निवेशक संरक्षण निधियों की आय को कराधान से शत प्रतिशत छूट प्रदान करना।

8. भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए 1997 में एक नई औद्योगिक नीति घोषित की थी। इस नीति के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय सहायता 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये प्रति विकास केंद्र कर दी गई है। समन्वित अवसंरचना विकास केंद्रों की निधियन प्रणाली को भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के बीच बदलकर 2:3 से 4:1 कर दिया गया है। परिवहन राज सहायता (सब्सिडी) योजना 21.3.2007 तक बढ़ा दी गई है; विकास केंद्रों और समन्वित अवसंरचना विकास केंद्रों को पूर्णरूपेण कर-मुक्त (आयकर और उत्पादन शुल्क) क्षेत्र में रख दिया गया है; संयंत्र और मशीनों के लिए 15 प्रतिशत की राज सहायता प्रदान की जायेगी जो पूंजी निवेश राज सहायता योजना, 1997 के अधीन अधिकतम 30 लाख रुपये होगी; और 10 वर्षों तक औद्योगिक इकाइयों के व्यापक बीमा योजना की शत प्रतिशत किस्तों के लिए राज सहायता प्रदान की जायेगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरुद्धार और पुनःसंरचना

9. सरकारी क्षेत्र के 78 उद्यम ऐसे हैं जो पिछले 3 से अधिक वर्षों से लगातार भारी घाटा उठा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के संभावित व्यवहार्य उपक्रमों को पुनर्जीवित और पुनर्गठित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों का संचालन पुनर्व्यस्थित करने, उत्पादकता में सुधार करने और निष्पादन में वृद्धि करने में सफलता मिली है। सरकार ने हाल ही में सरकारी क्षेत्र के एक नवरत्न उपक्रम—स्टील अथारिटी आफ इण्डिया की पुनर्संरचना के लिए एक व्यापक पैकेज को अनुमोदन प्रदान किया है। किंतु सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को पुनर्जीवित करना संभव प्रतीत नहीं होता। इनमें से अनेक उद्यमों द्वारा कोई सामाजिक अथवा आर्थिक लाभ नहीं पहुंच रहा है। इन उपक्रमों के लिए इनमें लगे कार्मिकों और कामगारों को स्वीकार्य सुरक्षा प्रदान करने के बाद बंद कर देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों की स्वैच्छिक अलग होने की योजना की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। इसके साथ ही इन उपक्रमों की अपनी संपत्तियां हैं जिन्हें बेचकर उनका स्वैच्छिक अलग होने की योजना के लिए उपयोग किया जा सकता है। इन सम्पत्तियों के बदले बाजार से धन जुटाने के लिए एक तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि इससे प्राप्त निधियों से कार्मिकों और कामगारों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जा सके।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

10. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रति सरकार की सुविचारित नीति महत्वपूर्ण इकाईयों को सुदृढ़ बनाने, कम महत्वपूर्ण इकाईयों का धीरे-धीरे विनिवेश अथवा बिक्री करके निजीकरण करने व कमजोर इकाईयों के संबंध में जीव्य पुनर्स्थापना नीतियाँ तैयार करने की रही है। वित्त मंत्री द्वारा अपने 2000-2001 के बजट भाषण में सरकार की जिन प्रमुख नीतियों पर प्रकाश डाला गया है वे निम्न प्रकार हैं :-

- सरकारी क्षेत्र के पर्याप्त जीव्यक्षम उपक्रमों को पुनर्गठित और पुनर्जीवित करना;
- सरकारी क्षेत्र से जो उपक्रम पुनर्जीवित नहीं किये जा सके उन्हें बंद करना;
- आवश्यक होने पर सरकारी क्षेत्र के सभी कम महत्वपूर्ण उपक्रमों में सरकारी इक्विटी घटाकर 26 प्रतिशत या उससे कम करना; और
- कर्मचारियों के हितों को पूर्ण रूप से संरक्षण प्रदान करना।

11. किंतु अनेक कारणों से विनिवेश की प्रगति बहुत धीमी रही है। यह इस तथ्य से प्रकट है कि वर्ष 1997-98 के लिए 4800 करोड़ रुपये विनिवेश का लक्ष्य रखा गया था जबकि केवल 902 करोड़ रुपये प्राप्त किये गये। 1998-99 के दौरान निष्पादन कुछ अच्छा रहा है। इस दौरान विनिवेश से 5371 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जबकि निर्धारित लक्ष्य 5000 करोड़ रुपये था। किंतु ऐसा मुख्य रूप से तेल कपिनियों द्वारा शेयरों की क्रॉस होल्डिंग के कारण संभव हुआ है। इससे पहले वित्तीय वर्ष अर्थात् 1999-2000 का निष्पादन अत्यधिक घटिया रहा है। क्योंकि इस दौरान 10,000 करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले केवल 1585 करोड़ रुपये प्राप्त किये गये।

12. नौवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर शीघ्र निर्णय लेने पर भी बल दिया गया है अर्थात् विनिवेश निधि स्थापित करना, घरेलू खुदरा बाजार में शेयरों को बेचना, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना को संशोधित करना, कर्मचारी पेंशन सह बीमा योजना, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने वालों को परामर्श प्रदान करना और बोनाफाइड अधिकारियों तथा कार्मिकों के व्यावसायिक निर्णयों के संबंध में सुरक्षा प्रदान करना। सरकार ने अभी हाल ही में एक नये विनिवेश विभाग का गठन किया है जिससे विनिवेश और निजीकरण को सही दिशा दी जा सके और इन कार्यक्रमों को एक नयी गति मिल सके। इसके बाद सरकार द्वारा अनेक निर्णय लिये गये हैं जिनमें माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज इण्डिया लिमिटेड, नेशनल फर्टीलाइजर लिमिटेड की विवेक सम्मत बिक्री करना, एयर इण्डिया, हिंदुस्तान टेलिप्रिंटर लि० का विनिवेश करना और संशोधित तथा और अधिक आकर्षक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति/ स्वैच्छिक अलग होने की योजना लागू करना जिससे कर्मचारियों का हित संरक्षण और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने शेष कार्मिकों का युक्तियुक्त उपयोग करने संबंधी आवश्यकता को पूरा किया जा सके। नयी योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों अर्थात् लाभ कमाने वाले, कम लाभ कमाने वाले हानि उठाने वाले और रूग्ण उद्यमों के कर्मचारियों के लिए भिन्न-भिन्न मुआवजा पैकेजों की व्यवस्था की गई है। लोक उद्यम विभाग ने केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश के संबंध में कर्मचारी स्टाक आषान (ई एस ओ पी) की एक आदर्श योजना तैयार की है जिसके अनुसार कर्मचारियों को स्वामित्व परिवर्तन के समय निशुल्क/ छूट के आधार पर शेयरों का आबंटन किया जाता है।

राष्ट्रीय नवीकरण निधि

13. औद्योगिक पुनर्गठन से प्रभावित कामगारों के हित संरक्षण के लिए 3 फरवरी 1992 को राष्ट्रीय नवीकरण निधि स्थापित की गई थी। राष्ट्रीय नवीकरण निधि का मुख्य उद्देश्य कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह युक्तियुक्त कामगारों को क्षतिपूर्ति, उनको पुनः

प्रशिक्षण परामर्श और पुनर्नियुक्ति प्रदान करती है। राष्ट्रीय नवीकरण निधि के प्रशासन के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त प्राधिकरण स्थापित किया गया है।

14. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को निधि प्रदान की जाती है। 31.12.99 तक कुल 1,33,376 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का लाभ उठाया था। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के अधीन भुगतान के लिए 2407.58 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। औद्योगिक विकास विभाग की वर्ष 2000-2001 की वार्षिक योजना में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के लिए 270 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 230 करोड़ रुपये का प्रावधान कोयला विभाग के लिए किया गया है।

पिछड़े क्षेत्र का औद्योगीकरण

15. भारत सरकार द्वारा देश के पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए जून, 1988 में एक विकास योजना घोषित की गई थी। 71 अभिज्ञात विकास केंद्रों में से 68 केंद्र अनुमोदित किये जा चुके हैं और 31.12.99 तक 290.25 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। 2000-2001 की वार्षिक योजना में इस योजना के लिए 32.50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। योजना का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है। एक साथ अनेक विकास केंद्रों के विकास का कार्य हाथ में लिया गया है जिसके फलस्वरूप दुर्लभ संसाधन उन्हें बहुत कम मात्रा में पहुंच पा रहे हैं। इसके अलावा मूल योजना में की गई परिकल्पना के अनुसार बाजार से इन विकास केंद्रों के लिए धन जुटाना संभव नहीं हो सका है।

16. जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले तथा उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों और पूर्वोत्तर राज्यों के पर्वतीय, दूरस्थ तथा दुर्गम क्षेत्रों में उद्योगों का सम्वर्धन करने के प्रयोजन से जुलाई, 1971 में परिवहन राज सहायता योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अधीन बागानों, तेलशोधक कारखानों तथा विद्युत उत्पादन इकाइयों को छोड़कर सभी औद्योगिक इकाइयों को नामित रेल शीर्ष स्टेशन/ पत्तन से तथा वहां तक कच्चे माल और तैयार माल की आवाजाही पर खर्च की गई परिवहन लागत के 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की अलग-अलग दरों पर राज सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना प्रतिपूर्ति आधार पर काम करती है, अर्थात् पात्र इकाइयों को पहले संबंधित राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों द्वारा राज सहायता वितरित की जाती है और तदुपरांत केंद्रीय सरकार को संवितरण का दावा पेश किया जाता है। इस योजना की शुरुआत से लेकर 20.1.2000 तक राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 511.96 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है। इस योजना की अवधि 31.3.2007 तक बढ़ा दी गई है। वर्ष 2000-2001 की वार्षिक योजना में इस योजना के निमित्त 86.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

योजना परिव्यय तथा व्यय

17. उद्योग और खनिज क्षेत्र के लिए वर्ष 1999-2000 के निमित्त कुल अनुमोदित परिव्यय 10886.54 करोड़ रुपये हैं जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के 8640.21 करोड़ रुपये तथा राज्य क्षेत्र के 2246.33 करोड़ रुपये शामिल हैं। केंद्रीय क्षेत्र के परिव्यय का वित्त पोषण 6166.22 करोड़ रुपये आंतरिक तथा बजटतर संसाधनों से और 2473.99 करोड़ रुपये का वित्त पोषण बजटीय संसाधनों के माध्यम से किया जाना था।

18. उद्योग और खनिज क्षेत्र के लिए वर्ष 1999-2000 के निमित्त संशोधित अनुमान 8486.71 करोड़ रुपये है जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के 6470.47 करोड़ रुपये तथा राज्य क्षेत्र के 2016.24 करोड़

अध्याय 7 : औद्योगिक विकास (खनिजों सहित)

रुपये शामिल हैं। बजट प्रावधान के मुकाबले खर्च कम होने का मूल कारण यह रहा है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम समुचित आंतरिक और बजटेतर संसाधन नहीं जुटा पाए हैं।

19. उद्योग और खनिज क्षेत्र के लिए वर्ष 2000–2001 के निमित्त केंद्रीय क्षेत्र का कुल अनुमोदित परिव्यय 9121.28 करोड़ रुपये है जिसका वित्त पोषण 6077.92 करोड़ रुपये आंतरिक तथा बजटेतर संसाधनों से तथा 3043.36 करोड़ रुपये बजटीय संसाधनों से किया जाएगा।

20. निम्न विवरण परिव्यय, व्यय तथा निर्देशित उत्पादन लक्ष्यों आदि से संबंधित ब्यौरे दर्शाते हैं :

- संलग्नक 7.1 : मंत्रालय–वार परिव्यय, बजट संसाधन तथा आंतरिक और बजटेतर संसाधन।
- संलग्नक 7.2 : उपक्रम–वार परिव्यय, बजट संसाधन तथा आंतरिक और बजटेतर संसाधन।
- संलग्नक 7.3 : 1999–2000 में हुआ उत्पादन तथा 2000–2001 के लिए निर्धारित लक्ष्य।
- संलग्नक 7.4 : लघु उद्योगों का उत्पादन, रोजगार तथा निर्यात।
- संलग्नक 7.5 : लघु उद्योगों तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए योजना परिव्यय तथा खर्च।
- संलग्नक 7.6 : राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए योजना परिव्यय तथा खर्च।

क्षेत्रीय रूपरेखा (प्रोफाइल)

खनन और धातुकर्मी उद्योग

21. सरकार ने देश के बहुमूल्य ग्रेनाइट निक्षेपों का प्रणालीबद्ध तथा वैज्ञानिक विकास सुनिश्चित करने के लिए 1 जून, 99 को ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियम 1999 अधिसूचित किया है। संगमरमर उद्योग की अनुभूत आवश्यकता पूरी करने के लिए खान विभाग ने सितंबर, 1999 में संगमरमर के विकास के लिए एक दल का गठन किया है जो संगमरमर के खनन, मूल्य निर्धारण और निर्यात आदि से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा करेगा और इस उद्योग को प्रभावित करने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त अभ्युपाय सुझायेगा। यह दल ग्रेनाइट विकास परिषद के समग्र मार्गदर्शन और देख रेख में काम करेगा।

22. भू-वैज्ञानिक विशेषज्ञता का उन्नयन करने और आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने तथा अनुसंधान एवं विकास प्रयासों की ओर विशेष ध्यान दिया गया। खनिज क्षेत्र में की गई गवेषणा और समन्वेषण से सोना, शीशा, जस्ता, पैलेडियम और प्लेटिनम के अतिरिक्त निक्षेपों का पता लगाने में पर्याप्त सहायता मिली है। इसके अलावा और अधिक हीरा, मैंगनीज और लाइमस्टोन निक्षेपों का पता लगाया गया है। खनिजों, जिसमें शीशा और जस्ता शामिल हैं, की गवेषणा और समन्वेषण के लिए 1999–2000 (दिसम्बर 1999 तक) के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाले 14 पूर्वक्षण लाइसेंस मंजूर किये गये हैं।

लौह अयस्क

23. 1997–2000 की निर्यात आयात नीति के अनुसार 64 प्रतिशत तक का एफ ई युक्त लौह अयस्क निर्यात पूर्णरूपेण विभागीकृत है और लौह अयस्क उत्पादों को गोवा तथा रेडी क्षेत्र से चीन, यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान को निर्यात की अनुमति प्राप्त है, चाहे उसका एफ ई अनुपात कुछ भी हो। 64 प्रतिशत से अधिक एफ ई धारिता वाले लौह अयस्क का निर्यात

खनिज एवं धातु व्यापार निगम के माध्यम से ही किया जा रहा है। उच्च ग्रेड के लौह अयस्क के निर्यात का विमार्गीकरण करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

24. भारत सरकार ने, 430.50 करोड़ रुपये की लागत पर, एन एम डी सी की बालाडिला 10/11 ए लौह अयस्क परियोजना अगस्त 1995 में अनुमोदित की थी। परियोजना अगस्त 1999 तक पूरी होनी थी। माननीय उच्चतम न्यायालय से अनापत्ति मिलने में हुए विलम्ब के कारण परियोजना में विलम्ब हुआ। उच्चतम न्यायालय से अनापत्ति मिलने की तिथि के बाद इसे पूरा करने में लगभग 33 महीने लगेंगे। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के बोर्ड ने 31.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बालाडिला खान 14/11 सी पर टरटियरी क्रशिंग संयंत्र लगाने की 30.3.99 को अनुमति दे दी है। परियोजना मार्च 2001 तक पूरी हो जाने की आशा है।

25. के आई ओ सी एल को दिया गया खनन पट्टा 24.7.1999 को समाप्त हो जाने के फलस्वरूप कम्पनी को कार्य जारी रखने के लिए 1 वर्ष की अस्थायी अनुमति प्रदान की गई है जो 24.7.2000 को समाप्त हो जायेगी। के आई ओ सी एल, नेलीवीडू और गंगरीकल निक्षेपों का विकास करने और विद्यमान खनन पट्टे का नवीकरण कराने का प्रयास कर रही है। खनन पट्टे का नवीकरण होने तक के आई ओ सी एल का प्रस्तावित विनिवेश प्रास्थगित कर दिया गया है।

इस्पात

26. 1999-2000 के दौरान इस्पात उद्योग, देशी और विदेशी, दोनों ने मंदी की स्थिति से निकलकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। इस्पात की कीमतें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में 1999-2000 की तीसरी तिमाही से ही बढ़नी शुरू हो गई थी। तैयार इस्पात के उत्पादन में वर्ष 1999-2000 के दौरान 1998-99 में हुए उत्पादन की तुलना में 12.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। निर्यात में भी वृद्धि होनी प्रारंभ हो गई है। सेल की बिक्री में 1999-2000 के दौरान 1998-99 में हुई बिक्री की तुलना में 11 प्रतिशत की वृद्धि की रिपोर्ट की गई है। इसके साथ ही 1998-99 के मुकाबले में निर्यात में भी लगभग 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1999-2000 के दौरान घरेलू कीमतों में भी लगभग 3 प्रतिशत का सुधार हुआ है।

27. वर्ष 1999-2000 के दौरान अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड दोनों हानि में चलते रहे। सेल को 1999-2000 के दौरान 1720 करोड़ रुपये की हानि हुई जबकि 1998-99 में 1618 करोड़ रुपये की हानि हुई थी। ऐसा इस्पात विकास निधि और कुछ सरकारी ऋणों का ब्याज बट्टे खाते में डालने के बावजूद हुआ। सेल ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के माध्यम से 1999-2000 में अपनी कार्मिक शक्ति में 13600 व्यक्तियों की कमी की। इस बीच भारत सरकार ने सेल के लिए वित्तीय एवं व्यापारिक पुनर्संरचना पैकेज को अनुमोदन दे दिया है जिसमें इसे प्रदान किए गए ऋणों और अग्रिमों, इस्पात विकास निधि से प्राप्त 5073 करोड़ रुपये और भारत सरकार से प्राप्त 381 करोड़ रुपये को माफ करके वित्तीय पुनःसंरचना करने का प्रावधान शामिल है। सरकार द्वारा 50 प्रतिशत ब्याज राज सहायता की गारंटी (बिना गारंटी शुल्क के) देने का भी प्रावधान है ताकि कंपनी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति को कार्यान्वित करने के लिए बाजार से 1500 करोड़ रुपये करोड़ रुपये की व्यवस्था कर सके। व्यापारिक पुनर्संरचना में सेल को अपनी अजीब्य और कम महत्वपूर्ण इकाइयों, जैसे दुर्गापुर अलॉय इस्पात संयंत्र, सलेम इस्पात संयंत्र, विश्वेशरैया आयरन एण्ड स्टील प्लांट, भिलाई इस्पात संयंत्र के आक्सीजन संयंत्र-2, बोकारो, दुर्गापुर और राउरकेला का विद्युत संयंत्र और राउरकेला के उर्वरक संयंत्र को मिलाकर सेल का संकुचन करना शामिल है और उत्पाद के आधार पर, अर्थात् लम्बे और प्लैट उत्पादों के द्वारा उत्पादन और विपणन में सामंजस्य करके व्यापारिक पुनर्संरचना करनी होगी। सेल की लाभदेयता में सुधार करने के लिए किये जाने वाले अन्य उपायों में लागत में गहन रूप से कमी करना और कार्मिक शक्ति को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति

योजना लागू करके 1,76,000 से घटाकर अगले पाँच वर्षों में 1 लाख तक करना शामिल है। सेल के पुनर्स्थापना पैकेज के एक अंग के रूप में इसे इस्को में सेल की अंशधारिता कम करके, एक संयुक्त उद्यम के रूप में बदलने के लिए भी अनुमोदन मिल गया है।

28. 1999-2000 के दौरान पूरी की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण किया जाना शामिल है। इसके अलावा, सेल ने 42.85 करोड़ रुपये की कुल लागत से असम में एक गलवेनाइजिंग कम्प्लेक्स स्थापित किया है जिसकी वार्षिक क्षमता 40,000 टन प्रति वर्ष गलवेनाइज चदरें तैयार करने की है। इस समय, कार्यान्वित की जा रही प्रमुख परियोजना भिलाई इस्पात संयंत्र की 809.72 करोड़ रुपये की कुल लागत की सिंटर प्लांट-3 है। इसके 2000-2001 तक पूरा हो जाने की आशा है।

29. आर आई एन एल की वित्तीय पुनर्संरचना से कंपनी को लाभदेयता में कोई मदद नहीं मिली है। अब विवेकपूर्ण बिक्री द्वारा 74 प्रतिशत तक विनिवेश करने तथा प्रबंधन का हस्तांतरण करने पर विचार किया जा रहा है। भारतीय रिफ़ैक्ट्रीस लि० और हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लि० का पुनरुद्धार करने संबंधी पैकेजों का अनुमोदन कर दिया गया है और इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

अलौह धातुएं

एल्यूमीनियम

30. उड़ीसा में स्थित निजी क्षेत्र के तीन विशाल निर्यातोन्मुखी एल्यूमिनियम शोधक कारखानों में निवेश वाणिज्यिक कारणों से स्थगित कर दिया गया है। नालको की विस्तार परियोजना को, जिसमें 1665.00 करोड़ रुपये की लागत पर बाक्साइड खनन का विस्तार 2.4 मिलियन टन क्षमता से बढ़ाकर 4.8 मिलियन टन क्षमता किया जाना और एल्यूमीनिया शोधक कारखाने की क्षमता 0.8 मिलियन टन से बढ़ाकर 1.575 मिलियन टन किया जाना शामिल है, कार्यान्वित किया जा रहा है और उसके मार्च 2001 तक चालू कर दिए जाने की संभावना है। साथ ही सरकार ने 2062 करोड़ रुपये की कुल लागत से नालको के एल्यूमीनियम प्रगालक की क्षमता 2,30,000 टन से बढ़ाकर 3,45,000 टन करने और कैप्टिव विद्युत उत्पादन 720 मैगावाट से बढ़ाकर 840 मैगावाट करने की भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के 2002 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

31. कोरबा में, 1,63.85 करोड़ रुपये की संशोधित अनुमानित लागत से भारत एल्यूमीनियम कंपनी लि० की 40,000 टन पतली गेज की चदरें/ कायल्स बनाने की वार्षिक क्षमता वाली नई कोल्ड रोलिंग मिल परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना नवम्बर, 2000 तक चालू हो जाने की आशा है। सरकार ने भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० (बालको) में सरकारी इक्विटी का 51 प्रतिशत विनिवेश करने का अनुमोदन कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने भारत एल्यूमीनियम कंपनी लि० की पूंजीगत पुनर्संरचना प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है।

ताँबा

32. हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड (एच सी एल) पिछले कुछ वर्षों से घाटे में चल रहा है जिसका मुख्य कारण ताँबे के लंदन मेटल एक्सचेंज (एल एम ई) के मूल्यों में भारी गिरावट तथा इस धातु पर सीमा शुल्कों में की गई कटौती है। कंपनी को पुनरुज्जीवित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें शामिल हैं: खेतड़ी, राजस्थान स्थित प्रगालक की पूंजीगत पुनर्संरचना, बाधा निवारण, खेतड़ी प्रगालक के विस्तार के निमित्त विशाल निवेश का स्थगन, अव्यवहार्य खानों, जैसे कि घाटशिला, बिहार की मोसावनी, केन्डाडिह और पथगोरा खानें, राजस्थान में चांदमारी खान का समापन, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के माध्यम से कार्मिक शक्ति का युक्तियुक्तकरण आदि।

33. सरकार ने एच सी एल के विनिवेश प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है जिसके अनुसार खेतड़ी और तलोजा इकाईयों को पहले चरण में महत्वपूर्ण कुशल भागीदार को 51 प्रतिशत तक विनिवेश करने को कहा जायेगा और दूसरे चरण में एच सी एल के शेष भाग – जिसमें इण्डियन कापर कम्प्लैक्स और मालनजखण्ड कापर प्रोजेक्ट शामिल हैं, की प्रावस्थाबद्ध रूप में अजीव्य खानों को बंद करके, पुनर्संरचना की जायेगी। ऐसा कर लिए जाने के बाद एच सी एल का अग्रेतर विनिवेश हाथ में लिया जायेगा। विनिवेश कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रगति पर है। किंतु, रूग्ण भारत गोल्ड माइन्स लि० के लिए पुनरुद्धार पैकेज तैयार नहीं किया जा सका है। इस कंपनी को बंद कर देने का निर्णय लिया गया है।

जस्ता तथा सीसा

34. आस्ट्रेलिया की बी एच पी मिनरल्स और सरकारी क्षेत्र की एक कंपनी एच जेड एल द्वारा राजस्थान में सीसा और ताँबा निक्षेपों का सम्न्वेषण और व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की गई थी। इसके अलावा एच जेड एल, राजस्थान के छत्तीसगढ़ जिले में कपासन में 100,000 टन वार्षिक क्षमता का एक नया जिन्क प्रगालक स्थापित करने पर विचार कर रहा है जिसके लिए कुछ आरंभिक कार्य हाथ में लिया गया है। प्रस्तावित प्रगालक, सुपर हाई ग्रेड के 100,000 टन जिंक का प्रति वर्ष उत्पादन करेगा और अन्य उत्पादों अर्थात् अंधक अम्ल (सलफ्यूरिक एसिड) (रांगा) काडमियम तथा ताँबा बहुल अपशिष्टों का उत्पादन करेगा। इसके अलावा शीशा अथवा ताँबा क्षेत्र में बड़े निवेश वाली और कोई परियोजना सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

खनिज क्षेत्र की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

35. बी आर जी एम के सहयोग से चल रही परियोजनाओं में "कर्नाटक क्रेटन ग्रीन स्टोन बेल्ट्स की रीजनल जिओ-केमिकल इन्वेन्टरी" परियोजना के चौथे चरण का काम चल रहा है। बी आर जी एम के सहयोग से "उड़ीसा में प्लेटीनम समूह की धातुओं के विस्तृत सम्न्वेषण के लिए तकनीकी सहायता" नामक एक दूसरी परियोजना इस वर्ष पूरी कर ली गई है। जी एस आई के ड्रिलिंग रिग्स की आपूर्ति करने संबंधी जी एस आई और बी आर जी एम के बीच हुआ करार अप्रैल 1999 से प्रभावी हो गया है। ड्रिलिंग रिग्स की आपूर्ति उन्नत अवस्था में है। अन्य दो परियोजना प्रस्तावों अर्थात् सुवर्ण रेखा बेसिन में खनन कार्यकलापों के प्रभावों का आंकलन और जी एस आई को इलेक्ट्रान प्रोब माइक्रो एनलाइजर की आपूर्ति, का फ्रांस सरकार द्वारा अंतिम मूल्यांकन किया जा रहा है।

36. भारतीय खान ब्यूरो बी आर जी एम की दो परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। पहली परियोजना खानों के पर्यावरणीय प्रबंधन में अनुप्रयोग तकनीकों का विकास तथा अवशिष्टों की पुनः प्राप्ति से संबंधित है। इस परियोजना का कार्यान्वयन 16 मिलियन फ्रांसीसी फ्रैंक की कुल लागत से अगस्त 1997 से शुरू किया गया था और मई 2000 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है। दूसरी परियोजना "तकनीकी प्रबंध और सूचना प्रणाली" के संबंध में है जिसके लिए आइ बी एम और बी आर जी एम के बीच एक करार पर 22.6.1998 को हस्ताक्षर किये गये थे। परियोजना का कार्यान्वयन 23.4 मिलियन फ्रांसीसी फ्रैंक की लागत से नवम्बर 1998 से किया जा रहा है और इसके फरवरी 2001 तक पूरा हो जाने की आशा है।

37. मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि० की बी आर जी एम के साथ एक परियोजना है, अर्थात् खनन परियोजनाओं के आर्थिक मूल्यांकन के लिए लागत नमूनों का विकास। इस परियोजना की लागत 1.5 मिलियन फ्रांसीसी फ्रैंक है। उक्त परियोजना के लिए बी आर जी एम के साथ भारत-फ्रांस न्याचार (इण्डो-फ्रैंच प्रोटोकॉल) के भाग के रूप में करार पर जून 1998 में हस्ताक्षर किये गये थे।

इंजीनियरी उद्योग

38. इंजीनियरी उद्योग जिसमें प्रमुख रूप से पूंजीगत वस्तु उद्योग और परिवहन उपकरण उद्योग आते हैं, की अपने विस्तृत अगले पिछले संयोजनों के साथ औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। पूंजीगत वस्तु उद्योग की विकास दर 1999-2000 के दौरान औद्योगिक विकास की 8.3 प्रतिशत समग्र विकास दर के अनुरूप नहीं रही। वर्ष 1998-99 की 11.8 प्रतिशत की विकास दर के मुकाबले पूंजीगत विकास उद्योग की वर्ष 1999-2000 की विकास दर केवल 5.2 प्रतिशत रही है।

39. भारी उद्योग विभाग में 48 सरकारी उद्यम हैं जिनमें से 16 ने वर्ष 1998-99 के दौरान लाभ अर्जित किया जबकि शेष 32 में हानि हुई। वर्ष 1999-2000 के अनन्तिम परिणामों के अनुसार 13 उपक्रमों ने लाभ कमाया जबकि शेष 35 उपक्रमों में हानि हुई। अभी तक 27 उपक्रमों को बी एफ आई आर के पास भेजा गया है। सरकारी क्षेत्र के 12 उपक्रमों की बी एफ आई आर द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें तीन सरकारी उद्यमों, अर्थात् रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लि० ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि०, और स्कूटर इण्डिया लि० का वर्ष 1998-99 का निष्पादन अच्छा रहा है और लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया है। शेष 9 सार्वजनिक उद्यमों की पुनरुद्धार योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। 8 उद्यमों की पुनरुद्धार योजना के संबंध में बी एफ आई आर में कार्रवाई की जा रही है और अन्य 7 उद्यमों के मामलों में बी एफ आई आर ई निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि ये उद्यम जीव्यक्षम नहीं हैं और उसकी पहली और अंतिम राय है कि इन्हें बंद कर दिया जाए। सरकार ने उद्योग मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री एच सी गाँधी की अध्यक्षता में भारी उद्योग विभाग के 9 अजीव्यक्षम उपक्रमों के पुनरुद्धार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है। दल ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है जो सरकार के विचाराधीन हैं।

40. एक नवरत्न कंपनी, बी एच ई एल ने एक नए व्यापार क्षेत्र में प्रवेश किया है जहाँ इसकी विद्यमान अवसरचना, कौशल और क्षमताओं का अधिक सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकेगा। बी एच ई एल द्वारा शुरू किए गए नये उत्पादों में कम्बाइंड साइकल विद्युत संयंत्रों की यूटिलिटी गैस टर्बाइनों के लिए बड़े हीट रिकवरी स्टीम जेनरेटर मोड्यूल, ए सी लोकोमोटिवों के लिए 3 फेस ट्रेक्शन मशीनें और कंट्रोलर्स, रेलवे के लिए देश में ही विकसित किए गए ओवरहेड उपस्कर पारेषण रिकार्ड-सह-परीक्षण कार, उच्च वोल्टेज डी सी पारेषण के लिए डिस्क इन्सुलेटर आदि शामिल हैं। निर्यात के क्षेत्र में बी एच ई एल ने ओमन की एक 90 मेगावाट गैस टर्बाइन की टर्न की आधारित विद्युत परियोजना के लिए एक महत्वाकांक्षी क्रयादेश हासिल करके विदेशी बाजार में विद्युत संयंत्र उपकरणों के लिए सर्वप्रथम प्रवेश करके वर्ष 1999-2000 में एक उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। कंपनी ने विद्युत संयंत्रों में सुधार करने की दिशा में क्रमशः फोसाइल फ्युयल पावर संयंत्रों और जी ई डिजाइन गैस टर्बाइनों की मरम्मत/ सर्विसिंग के लिए दो संयुक्त उद्यम भी स्थापित किए हैं। एक जर्मनी के मैसर्स सीमेंस के साथ और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका की मैसर्स जनरल इलेक्ट्रिक के साथ। सहमति ज्ञापन में विहित लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में बी एच ई एल को इसके निष्पादन के फलस्वरूप 1998 से 1999 के दसवें वर्ष में भी इसे सर्वोत्कृष्ट की श्रेणी में रखा गया है।

41. हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड में वर्ष 1999-2000 में 748 करोड़ रुपये का रिकार्ड उत्पादन हुआ जब कि वर्ष 1998-99 में केवल 217 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ था। वर्ष के दौरान उच्चतर उत्पाद का मुख्य कारण दूरसंचार विभाग द्वारा दो वर्षों के लिए क्रयादेशों का आरक्षण कर दिया जाना रहा है।

42. भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लि० ने विश्व की प्रख्यात कंपनियों के साथ उर्वरक, तेल शोधन संयंत्रों और पेट्रो रसायन उद्योगों से संबंधित उपकरणों का उत्पादन करने के लिए एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। वर्ष 1999-2000 का कंपनी का अनुमानित उत्पादन 250 करोड़ रुपये है। कंपनी की क्रयादेश पुस्तिका की स्थिति पिछले तीन वर्षों के लगभग 200 करोड़ रुपये के वार्षिक औसत स्तर से बढ़कर 1999-2000 में 400 करोड़ रुपये हो गई है।

43. हिंदुस्तान मशीन टूल्स लि० (एच एम टी) कठिन प्रतिस्पर्धा, मानवशक्ति की ऊँची लागत, प्राचीन प्रौद्योगिकी, अप्रचलित पुरानी मशीनों और अत्यधिक ब्याज के दबाव के कारण पिछले कुछ वर्षों से लगातार हानि उठा रहा है। एच एम टी के व्यापक विकास की एक अभिवृद्धि योजना सरकार के विचाराधीन है।

44. विद्युत संयंत्रों और रसायन उद्योगों के पारंपरिक उत्पादों में कठिन प्रतिस्पर्धा को देखते हुए इन्स्ट्रुमेंटेशन लि० ने निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रणालियों, रेलवे सिगनलिंग प्रणाली, दूर संचार और प्रतिरक्षा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के क्षेत्रों में विविधीकरण किया है। बी आई एफ आर द्वारा इन्स्ट्रुमेंटेशन लि० के पुनरुद्धार के लिए अनुमोदित पैकेज कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें सरकार द्वारा 66 करोड़ रुपये तक का और निवेश किया जाना निहित है।

अनुसंधान एवं विकास कार्य

45. नई प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के निमित्त यूनियो/ यू एन डी पी की सहायता से 5 संस्थान स्थापित किये गये हैं जो इस प्रकार हैं : द्रव्य नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, विद्युत परिवहन प्रौद्योगिकी केंद्र, सिरैमिक प्रौद्योगिकीय संस्थान और वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान। इनके द्वारा विकसित की गई कुछ नई प्रौद्योगिकियाँ निम्न प्रकार हैं:- औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, भेल, हरिद्वार द्वारा विकसित औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियाँ, विद्युत परिवहन केंद्र, भोपाल में विकसित विद्युत चालित परिवहन प्रौद्योगिकी के निष्पादन, विश्वसनीयता और क्षमता आदि में सुधार करने संबंधी विद्युत परिवहन प्रौद्योगिकी। अनेक सिरैमिक उत्पादों का विकास किया गया है और उनमें से कुछ का सिरैमिक प्रौद्योगिकीय संस्थान, बंगलौर में वाणिज्यिकरण कर दिया गया है जहाँ सिरैमिक क्षेत्र के 50 से अधिक संगठनों को परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएँ प्रदान की गई हैं।

जल पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग

46. इस समय भारत में 32 यार्ड हैं जिनमें से 7 सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, 2 राज्य क्षेत्र में और बाकी निजी क्षेत्र में हैं। पोत निर्माण क्रियाकलाप में सरकारी क्षेत्र के पोत यार्डों की क्षमता का बहुत कम उपयोग हो रहा है। कम क्षमता उपयोग के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं : पर्याप्त क्रयादेश का न मिलना, स्वदेशी पोतों की कीमत अधिक होने तथा अंतर्राष्ट्रीय पोत निर्माताओं की तुलना में पोत निर्माण की अवधि अधिक लंबी होने के कारण पोत मालिकों द्वारा क्रयादेश देने में अनिच्छा प्रकट करना।

47. सरकारी क्षेत्र की पोत निर्माण इकाइयों में कोचीन शिपयार्ड लि० की उत्पादकता में वित्तीय पुनर्गठन के बाद सुधार हुआ है और इसने कमाना शुरू कर दिया है। सहमति ज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत समग्र निष्पादन के आधार पर लाभ कोचीन शिपयार्ड को पिछले दो वर्षों से लगातार सर्वोत्कृष्ट कोटि में रखा गया है। वर्ष 1999-2000 के उत्पादन का अनुमानित मूल्य और शुद्ध लाभ क्रमशः 308.84 करोड़ रुपये तथा 17.92 करोड़ रुपये है।

48. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० पोत निर्माण के लिए क्रयादेश की कमी और कार्मिक शक्ति अधिक होने के कारण लगातार घाटे में चल रहा है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लि० द्वारा पोतों की

मरम्मत करने, फ्लोटिंग डॉक का अधिग्रहण करने, इस्पात संयंत्रों, रेलवे के लिए संरचनात्मक ढाँचों का निर्माण करने और नौवहन उपकरणों आदि का उत्पादन करने संबंधी कार्यों पर अधिक बल दिया जा रहा है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लि० के वित्तीय पुनर्गठन का मामला सरकार के विचाराधीन है। एच एस एल को यह सलाह भी दी गई है कि वह किसी प्रख्यात विदेशी यार्ड के साथ उपयुक्त संयुक्त उद्यम सहभागिता की तलाश/ पहल करे।

पेट्रो-रसायन

49. माँग कम होने और इस कारण न्यून मूल्यों के चलते पेट्रो रसायन उद्योग पर वर्ष 1999-2000 की अधिकाँश अवधि के दौरान सारे विश्व में मंदी छाई रही। सबसे अधिक असर उद्योग के मध्यवर्ती और रेशा घटक पर पड़ा। सरल और तुलनात्मक दृष्टि से सस्ते आयात ने घरेलू उद्योग के समक्ष कठिन प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न कर दी है।

50. भारतीय गैस प्राधिकरण लि० की गैस आधारित कैकर्स का उत्पादन करने वाली उत्तरप्रदेश में औरिया स्थित 3 लाख टन एथीलीन की अधिष्ठापित क्षमता वाली, आई पी सी एल की गांधार स्थित 3 लाख एथीलीन की अधिष्ठापित क्षमता वाली, 4.20 टन एथीलीन की अधिष्ठापित क्षमता वाली हल्दिया पेट्रो रसायन कम्प्लेक्स और जामनगर स्थित 1.4 मैट्रिक टन पैराक्सलीन अधिष्ठापित क्षमता की रिलाइंस इण्डिया लि० और प्रतिवर्ष 6 लाख मीट्रिक टन पौलिप्रोनीलीन का उत्पादन करने की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता वाली इकाइयाँ चालू कर दी गई हैं। इसके अलावा मैसर्स आई पी सी एल ने अपनी नागोथाने, महाराष्ट्र स्थित प्रति वर्ष 3 लाख टन गैस क्रैकर बनाने की क्षमता बढ़ाकर 4 लाख टन प्रति वर्ष तथा एच डी पी ई/एल एल डी पी ई स्विंग संयंत्र की क्षमता 1.6 लाख टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2.2 लाख टन प्रति वर्ष कर दी है।

51. केंद्रीय प्लास्टिक इंजिनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान भारत में अपने ढंग का एक अनूठा संस्थान है जिसमें प्लास्टिक उद्योगों के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ, जैसे कि औजार तैयार करना, डिजाइन तैयार करना, प्लास्टिक प्रसंस्करण एवं परीक्षण की एक ही स्थान पर सुविधा उपलब्ध है। सी आई पी ई टी केंद्रों की प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ करने करने का काम तेल उद्योग विकास बोर्ड की सहायता से 11.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से हाथ में लिया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास बढ़ाने के लिए असम में गुवाहाटी स्थित सी आई पी ई टी विस्तार केंद्र का विकास करने का काम 10.35 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से हाथ में लिया गया है। लागत का 50 प्रतिशत केंद्र सरकार देगी। शेष राशि असम सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी।

रसायन और कीटनाशक

52. रसायन और कीटनाशक उद्योग अत्यंत विषमांगी उद्योग है जिसमें प्रांगारिक और अप्रांगारिक रसायनों, पेंटों, रंग रोगन सामग्री, विशिष्ट रसायनों, कीटनाशकों आदि जैसे अनेक क्षेत्र शामिल हैं। रसायन उद्योग के उत्पादन में वित्त वर्ष 1999-2000 के दौरान वर्ष 1998-99 में हुई 6.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 21.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले 3 वर्षों के दौरान रसायनों के निर्यात में भी लगातार वृद्धि हुई है।

53. भारतीय सी डब्ल्यू सी (केमिकल वेपन्स कन्वेंशन) बिल 2 जून 1998 को राज्य सभा द्वारा पास कर दिया गया था और लोकसभा में विचारार्थ लम्बित था उसी समय लोकसभा भंग कर दी गई बिल व्यपगत हो गया। इस बीच अमेरिकी अधिनियम पास हो गया जिसमें सी डब्ल्यू सी के प्रावधानों के विपरीत प्रावधान थे। अमेरिकी अधिनियम से संबंधित विषयों की सी डब्ल्यू सी पर गठित उच्च स्तरीय स्टीयरिंग समिति द्वारा विचार किया गया था। सी डब्ल्यू सी मसौदा बिल सरकार के विचाराधीन है।

औषध और फार्मस्यूटिकल्स

54. विकासशील देशों में भारतीय औषधि और फार्मस्यूटिकल्स उद्योग सर्वाधिक विशाल और सर्वाधिक उन्नत है जो कि विभिन्न प्रमुख चिकित्सीय समूहों से संबंधित गुण स्तरीय बल्क औषधियों और उनके योगिकों (फार्मूलेशनों) का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। उद्योग का उत्पादन और निर्यात निष्पादन काफी अच्छा रहा है। 1998-99 के दौरान औषधियों और फार्मस्यूटिकल्स के निर्यात में 1997-98 के मुकाबले 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

55. सरकारी क्षेत्र के सभी 5 केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम रूग्ण हैं। बंगाल केमिकल एण्ड फार्मस्यूटिकल्स लि0, बी आई एफ आर द्वारा स्वीकृत पुनरुद्धार योजना के फलस्वरूप पुनर्स्थापित होकर प्रगति कर रहा है। कम्पनी ने बंबई में अपनी फालतू भूमि का विकास कर लिया है और उससे राजस्व प्राप्त कर रही है। इसके अलावा कम्पनी ने डब्ल्यू एच ओ- जी एम पी (विश्व स्वास्थ्य संगठन - उत्तम उत्पादन प्रणाली) से प्रमाण पत्र और गोलियों और कैप्सूलों का उत्पादन करने के लिए आई एस ओ-9002 लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। किंतु बंगाल इम्युनिटी लि0, स्मिथ स्टेनस्ट्रीट फार्मस्यूटिकल्स लि0 और हिंदुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि0 के मामलों में बी आई एफ आर द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजनायें असफल हो गई हैं और संशोधित योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। आई डी पी एल के मामले में अभी तक जीव्य और स्वीकार्य पुनर्स्थापना योजना तैयार कर पाना संभव नहीं हुआ है।

56. औषधि मूल्य नियंत्रण तंत्र की समीक्षा करने के लिए औषधि मूल्य समीक्षा समिति गठित की गई थी और फार्मस्यूटिकल्स उद्योग की अनुसंधान तथा विकास क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने तथा भारतीय फार्मस्यूटिकल्स कंपनियों द्वारा घरेलू अनुसंधान और विकास कार्यों को हाथ में लेने के लिए अपेक्षित सहयोग का पता लगाने के लिए उपाय सुझाने हेतु फार्मस्यूटिकल्स अनुसंधान और विकास समिति गठित की गई थी। वर्ष 1999-2000 (अप्रैल, 1999 से 19.11.99 तक) के दौरान राष्ट्रीय फार्मस्यूटिकल्स मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 17 अनुसूचित बल्क औषधियों और इनके योगिकों (10 बल्क औषधियों + 7 योगिकों) तथा 187 फार्मूलेशन पैकों के मूल्यों में संशोधन किया है/ का निर्धारण किया।

उर्वरक

57. उर्वरकों की कुल खपत जो 1998-99 में 16.80 मिलियन टन थी 1999-2000 में बढ़कर (अनुमानित) 18.37 मिलियन टन हो गई। फास्फेटिक उर्वरकों की खपत 1998-99 की 4.11 मिलियन टन से बढ़कर 1999-2000 में (अनुमानित) 4.75 मिलियन टन हो गई। इस प्रकार इसमें 10.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

58. 29.2.2000 के अनुसार देश में उर्वरकों की कुल अधिष्ठापित क्षमता नाइट्रोजन की 11.07 मिलियन टन और फास्फेट की 3.65 मिलियन टन थी। 1998-99 के दौरान क्षमता में हुई वृद्धि गादेपन (राजस्थान) स्थित मैसर्स चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि0 की यूरिया विस्तार परियोजना के चालू हो जाने, मैसर्स इण्डियन फार्मर्स फर्टीलाइजर कोआपरेटिव लि0 की कांडला (गुजरात) स्थित डी ए पी/ एन पी के विस्तार परियोजना और मैसर्स हिंद लीवर केमिकल लि0 की हल्दिया (पश्चिम बंगाल) स्थित डी ए पी/ एन पी के परियोजना शुरू हो जाने के फलस्वरूप है।

59. सरकार ने सिद्धांत रूप में अमोनिया-यूरिया के लिए दो मूल (ग्रासरूट) परियोजनाओं और दो विस्तार परियोजनाओं का अनुमोदन किया है जो इस प्रकार हैं : राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स, थाल, कृषक भारती कोआपरेटिव लि0 हजीरा और गोरखपुर तथा आई एफ एफ सी

ओ (इफको), नेलोर। सरकार ने एच एफ सी की नामरूप इकाई के 350 करोड़ रुपये के अनुमानित नये निवेश से पुनरुद्धार करने संबंधी प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया है। एच एफ सी और एच एफ सी आई की शेष इकाइयों के संबंध में निर्णय लिया जाना अभी बाकी है।

60. प्रोफेसर सी एच हनुमंत राव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर उर्वरकों का मूल्य निर्धारण करने संबंधी नयी नीति तैयार करने के संबंध में सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

61. उर्वरकों का उत्पादन करने के लिए प्रतिपूरक उद्योग के रूप में उपयोग करने के लिए देश में कोयले के विद्यमान पर्याप्त भंडारों का पता लगाने के लिए उर्वरक विभाग ने मार्च, 2000 में सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया है जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय उर्वरक संघ और परियोजना एण्ड विकास इण्डिया लि० के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। यह कार्य बल कोयले का प्रतिपूरक सामग्री के रूप में उपयोग करके देश में उर्वरकों का उत्पादन करने की संभावनाओं का पता लगायेगा और अपना प्रतिवेदन 3 माह के भीतर प्रस्तुत कर देगा।

चमड़ा और चमड़े की वस्तुयें

62. पिछले दशक में चमड़ा क्षेत्र में निर्यात निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। निर्यात मूल्य 1991-92 के 3063 करोड़ रुपये से बढ़कर 1998-99 में 6,436 करोड़ रुपये हो गया। निर्यात की यह मात्रा वर्ष 1999-2000 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपये तक हो जाने की संभावना है।

63. अधिकांश विद्यमान चर्मशोधन कारखाने गतप्रयोग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं और अपर्याप्त प्रदूषण उपाय अपनाते हैं। चमड़ा क्षेत्र के विकास के लिए चर्म शोधनालयों का आधुनिकीकरण करना अनिवार्य है। भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 18.1.2000 को चर्म शोधनालयों का आधुनिकीकरण करने की एक योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत चर्म शोधनालयों को उनके प्रौद्योगिकीय उन्नयन और बेहतर क्षमता उपयोग के लिए अत्यंत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

64. यू एन डी पी की सहायता से चलाये गये राष्ट्रीय चमड़ा कार्यक्रम (एन एल डी पी फेस-1) के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद फेस-2 का कार्यक्रम एस आई डी ई- एन एल डी पी (चमड़ा क्षेत्र में लघु उद्योगों एवं रोजगार विकास का) यू एन डी पी की सहायता से सितंबर 1998 में शुरू किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा नियमित जीविकोपार्जन की व्यवस्था करना और संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों के बीच तालमेल स्थापित कर उन्हें एक दूसरे के करीब लाना है। यह कार्यक्रम मार्च, 2002 तक पूरा कर लिया जायेगा।

वस्त्र उद्योग

65. वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण नौवीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख ध्यातव्य क्षेत्र है। सरकार ने वस्त्र और पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन निधि योजना अनुमोदित की है जो 1 अप्रैल, 1999 से 5 वर्षों तक लागू रहेगी। औद्योगिक इकाइयों द्वारा लिये गये ऋण पर योजना में 5 प्रतिशत ब्याज राशि सहायता की व्यवस्था है। इनमें भाग लेने वाली प्रमुख एजेंसियाँ संगठित क्षेत्र की वस्त्र इकाइयों के लिए आ ई डी बी आई, लघु क्षेत्र की इकाइयों के लिए एस आई डी बी आई और पटसन इकाइयों के लिए आई एफ सी आई है। वस्त्र उद्योग के सभी उप क्षेत्र, जैसे कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, वस्त्र निर्माण, कपास की कताई

और प्रोसिंग तथा पटसन क्षेत्र इस योजना में शामिल हैं। कपास का उत्पादन बढ़ाने और उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन के लिए भी सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

66. उदारीकृत व्यापार एवं औद्योगिक नीति विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत व्यापार के वैश्वीकरण को ध्यान में रखकर एक नयी राष्ट्रीय वस्त्र नीति तैयार करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसका उद्देश्य भारतीय वस्त्र उद्योग की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का समग्र रूप में विकास करना है।

पटसन

67. पटसन उद्योग बंगलादेश के निर्यातकों द्वारा सस्ते और हल्के सिंथेटिक प्रतिस्थापनों के प्रयोग के कारण कठिन प्रतिस्पर्धा से गुजर रहा है। इसके फलस्वरूप वर्ष 1998-99 के दौरान निर्यात में इसके पहले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी आई है। यद्यपि इस अवधि में घरेलू खपत में 1.2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई थी। इस अवधि के दौरान जूट उत्पादन को भी धक्का लगा और इसमें 4.9 प्रतिशत की गिरावट आई है। भारत सरकार द्वारा कायर उत्पादों में विविधीकरण लाने के लिए किये गये प्रयासों के फलस्वरूप खरीदारी के लिए थैलों, फर्स और दीवार कवरिंग, जियो टेक्सटाइल, जूट स्टिक पार्टिकल बोर्ड, पटसन प्रबलित मिश्रित उत्पादों, वस्त्रों आदि के उत्पादन में पटसन की खपत बढ़ी है। पर्यावरण अनुकूल रेशों का उत्पादन करने के लिए कपास विस्कोष स्टैपल फाइबर, पालिस्टर स्टैपल फाइबर, एक्रेलिक फाइबर रेशों आदि के साथ मिलाकर उपयोग में लाये जाने वाले बारीक पटसन रेशों (सम्प्रति निर्यात किए जा रहे) का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कई परियोजनायें शुरू की गई थीं।

68. यू एन डी पी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय पटसन विकास कार्यक्रम 31.3.1999 को पूरा हो गया। यू एन डी पी कार्यक्रम का दूसरा फेस जिसे सक्सेसर कंट्री कोआपरेटिव फ्रेमवर्क-1 कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है जिसमें कुल 7 मिलियन अमेरिकी डालर का यू एन डी पी और 20 करोड़ रुपये का भारत सरकार द्वारा निवेश यिका जाना निहित है, आरंभ हो गया है। यह मार्च, 2002 तक चलेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों में बारीक पटसन रेशों का उत्पादन बढ़ाना, पटसन से विविध प्रकार की वस्तुयें बनाने वाले गैर सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करना और पटसन के लिए सामरिक विपणन योजना कार्यान्वित करना, मानव संसाधनों का विकास करना, फेस-1 के अनुसंधान और विकास प्रयासों का वाणिज्यीकरण करना, मशीनों के उत्पादन का देशीकरण करना, जूट की वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ऊँची गुणवत्ता वाले पटसन रेशों का विकास करने के लिए बायो टेकनालॉजी का उपयोग करना आदि शामिल है।

चीनी

69. भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीनी उद्योग को सितंबर, 1998 में लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था। निवेश निश्चयों को रिकार्ड पर लाने के प्रयोजन से औद्योगिक उद्यमकर्ता ज्ञापन दायर करना काफी होगी और इस प्रयोजन के लिए किसी अलग पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि दो चीनी मिलों के बीच 15 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी की शर्त को बनाये रखा गया है। चीनी मिलों पर कराधान के दायित्व को 1.1.2000 से 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।

परमाणु ऊर्जा

70. उद्योग और खनिज क्षेत्र के अधीन परमाणु विभाग के कार्यकलाप निम्न प्रकार हैं : नाभिकीय रिएक्टरों के लिए भारी पानी का उत्पादन, शक्ति रिएक्टरों के लिए नाभिकीय ईंधन का विनिर्माण, संविचरण, प्रयुक्त शेष ईंधन और अपशिष्ट ईंधन का पुनः प्रसंस्करण और निश्चलीकरण, यूरेनियम तथा खनिज रेत का खनन और प्रसंस्करण तथा नाभिकीय संयंत्रों के लिए नियंत्रण और इंस्ट्रुमेंटेशन उपकरणों का उत्पादन आदि। वर्ष 1999-2000 के दौरान सभी संयंत्रों के लिए निर्धारित वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया गया। जिस्कोनियम क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जिस्कोनियम निकालने के लिए स्लरी निकालने के लिए एक इकाई की स्थापना करना और उसे चालू करना रहा है। 3 नई योजनाओं – नाभिकीय ईंधन कम्प्लैक्स अर्थात् टी ए पी एस -3 और 4 के लिए 37 एलिमेंट पी एच डब्ल्यू आर ईंधन परियोजना, जिस्कोनियम स्पान्ज संयंत्र की प्रतिस्थापना और चालू किया जाना तथा विकसित सामग्री का परिष्करण करने तथा सुविधाओं का पता लगाने के लिए प्रयास शुरू किया गया। एन एफ सी ने पृथ्वी और नाग लाइनर्स के लिए कॉपर ब्लैक्स की आपूर्ति करना शुरू कर दिया है।

71. रेडियेशन एवं आइसोटोप टेक्नालॉजी बोर्ड ने निजाम इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साइन्स, हैदराबाद में एक नेशनल मेडिकल साइक्लोट्रॉन सुविधा स्थापित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है जिसके अंतर्गत बी ए आर सी में एक रेडियो केमिकल प्रयोगशाला शुरू करने के अलावा साइक्लोट्रॉन आधारित आइसोटोप्स की सभी किस्मों का उत्पादन किया जायेगा।

72. यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० ईंधन के रूप में नाभिकीय विद्युत स्टेशनों में उपयोग के लिए यूरेनियम सांद्रणों का उत्पादन करने के लिए यूरेनियम की खुदाई और पिसाई करने में लगा है और वर्ष 1998-99 के दौरान इसका निष्पादन अच्छा रहा है। बिहार में नरवापहाड़ खान में अब आधुनिक खनन उपकरणों और प्रौद्योगिकी की सहायता से पूरी तौर पर कार्य शुरू हो गया है। 330 मीटर गहरा धुरा काम करने लगा है। विस्तारित जादुगुड़ा मिल में भी काम आरंभ हो गया है और यूरेनियम सांद्रणों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यूरेनियम की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से यू सी आई एल ने अपनी मेघालय में डोमियासत स्थित नयी यूरेनियम खान में कार्य करना शुरू कर दिया है।

73. परमाणु खनिज प्रभाग ने वर्ष 1999-2000 के दौरान 12800 वर्ग मीटर से अधिक रेडियो-मैट्रिक सर्वेक्षण और 275 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण और लगभग 28,000 मीटर तक की एक्सप्लोरेट्री ड्रिलिंग की है। इन सर्वेक्षणों के फलस्वरूप नई यूरेनियम विसंगतियों और आंध्रप्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में व्याप्त विसंगतियों के विस्तार को मालूम करने/ उनकी पहचान करने में सुविधा हुई है।

74. ट्राम्बे, तारापुर और कलपक्कम स्थित ईंधन पुनः प्रक्रमण संयंत्रों में संतोषजनक रूप में काम हुआ। साइरस (सी आई आर यू एस) और ध्रुव रिएक्टरों में, इरैडिएटेड थोरियम राड से यूरेनियम 233 को अलग करने की सुविधा कलपक्कम में स्थापित कर ली गई है और कार्य करना शुरू कर दिया है।

विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन

75. डालर मुद्रा के रूप में 1993-94 के दौरान दर्ज की गई निर्यात वृद्धि की 20 प्रतिशत की दर 1995-96 में बरकरार नहीं रखी जा सकी और 1996-97 में यह घटकर 5.30 प्रतिशत रह गई। विकास दर 1997-98 में और घटकर 4.6 तथा 1998-99 में 3.7 प्रतिशत रह गई। किंतु 1999-2000 के दौरान निर्यातों में वृद्धि के संकेत मिले हैं और डालर मुद्रा के रूप में इसमें 12.

93 प्रतिशत तथा रूपया मुद्रा के रूप में 16.48 प्रतिशत की वृद्धि अप्रैल से दिसम्बर 1999 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में दर्ज की गई।

76. भारत सरकार ने 1999-2000 के दौरान निर्यातों में वृद्धि करने के लिए अनेक अभ्युपाय किए हैं। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं: 894 वस्तुओं को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है और आयात के लिए उन पर लगे मात्रा संबंधी प्रतिबंधों को हटा दिया गया है, मुफ्त व्यापार जोन बनाये गये हैं, वार्षिक अग्रिम लाइसेंस प्रणाली लागू करके शुल्क छूट योजना को और लचीला बना दिया गया है, रसायनों, प्लास्टिकों और वस्त्रों की न्यूनतम सीमा 1 करोड़ करके शुल्क रहित निर्यात, संवर्धन पूंजी वस्तु का विस्तार, आयात वित्त पर से 30 प्रतिशत ब्याज दर प्रशुल्क को वापस लेना, बकाया निर्यात बिलों पर 20 प्रतिशत की अधिकतम ब्याज दर को वापस लेना। किंतु विदेशी मुद्रा बाजार में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में तथा समग्र वित्तीय तथा ऋण स्थिति के संदर्भ में एक अस्थाई उपाय के रूप में 26 मई 2000 से आयात के लिए बैंक ऋण पर वास्तविक ब्याज दर पर 50 प्रतिशत का प्रभार लगाने का निर्णय लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि निर्यात ऋण, जिसको अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, पर बिल भुगतान किये जाने के लिए नियम तारीख के बाद बकाया निर्यात बिलों पर लदान के बाद 25 प्रतिशत वार्षिक (न्यूनतम) दर से ब्याज लिया जायेगा।

77. सरकार ने 2000-2001 में भारतीय निर्यातकों को और अधिक बीमा कवर प्रदान करने तथा बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों को, निर्यातकों को ऋण देने के लिए गारंटी प्रदान करने हेतु निर्यात क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन को 7 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ईक्विटी सहायता प्रदान की है। इसके अलावा देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना के विकास के लिए "राज्यों के लिए निर्यात संवर्धन निधि" नामक एक नई योजना की घोषणा की गई है।

ग्रामीण, लघु उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

78. ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र में निम्नलिखित उद्योग शामिल हैं : लघु उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, विद्युत चालित करघा, रेशम, खादी, ऊन, कायर आदि। यह उद्योग पिछले अनेक वर्षों से एक महत्वपूर्ण और सुदृढ़ क्षेत्र के रूप में स्थापित है तथा इसके उत्पादन, नियोजन और निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। देश में इस समय लगभग 31 लाख लघु उद्योग इकाइयाँ हैं जिनका उत्पादन क्षेत्र के कुल उत्पादन मूल्य में 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान है तथा देश के कुल निर्यात में इनका हिस्सा लगभग 35 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में लगभग 171 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त है जो कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक है।

79. सरकार अवसंरचनात्मक सहायता, प्राथमिकता के आधार पर ऋण देने, लघु उद्योग क्षेत्र में विशेष रूप से उत्पादन के लिए उत्पादों को आरक्षित करने, कराधान के लिए भिन्न व्यवस्था करने आदि जैसी नीतियों के माध्यम से लघु उद्योगों को प्रोत्साहन तथा समर्थन प्रदान करती है।

80. लघु उद्योग क्षेत्र का विकास उद्योग क्षेत्र के मुकाबले कुल मिलाकर 2 से 3 प्रतिशत अधिक रहा है किंतु पिछले कुछ समय से यह क्षेत्र बड़े क्षेत्र की इकाइयों आदि से अर्थव्यवस्था और आयातों से होने वाली प्रतिस्पर्धा का प्रभाव महसूस करने लगा है और इसकी विकास दर मंद होती दृष्टिगोचर हो रही है।

81. यह स्वीकार करते हुए कि इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या पर्याप्त ऋण का उपलब्ध न होना रहा है सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे रही है। बैंकों की विशेष शाखायें स्थापित का जा रही हैं जो केवल लघु उद्योगों के लिए ही होंगी। अब तक 391 विशिष्ट बैंक शाखायें स्थापित की गई हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लघु उद्योग क्षेत्र को बड़े पैमाने पर वित्त उपलब्ध कराने

वाला तथा लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण देने वाले वाणिज्यिक बैंकों को निधियों का पुनर्वितीयन करने वाला एक शीर्ष बैंक है। 2 लाख रुपये तक का ऋण बिना किसी कोलेटरल गारंटी के दिया जाना है। प्रमुख आधार पर एक ऋण गारंटी योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक के ऋण की गारंटी दी जायेगी और यदि लघु उद्योग ऋण वापस करने में असमर्थ रहता है तो 75 प्रतिशत तक ऋण बैंकों को वापस किया जायेगा और 25 प्रतिशत की वसूली परिसंपत्तियों की बिक्री करके की जायेगी। बैंकों द्वारा और अधिक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने में सहायता करने, बैंकों द्वारा एन डी एफ सी को ऋण देने अथवा अन्य वित्तीय मध्यस्थों को लघु क्षेत्र को ऋण देने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करने के उद्देश्य से लघु इकाइयों के प्रणयावर्त की सीमा 4 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है।

82. सभी लघु उद्योग इकाइयों को शामिल करने के उद्देश्य से एस आई डी बी आई की प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निधि के क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। पहले इस योजना के अंतर्गत केवल निर्यात उन्मुख इकाइयों को ऋण दिया जाता था। लघु उद्योगों के लिए वस्त्र उद्योग की प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना की तरह प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है।

83. योजना आयोग क सदस्य डा० एस पी गुप्ता की अध्यक्षता में लघु उद्योगों के विकास पर एक अध्ययन दल गठित किया गया है जो लघु उद्योग क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन करेगा। अध्ययन दल में लघु उद्योग क्षेत्र, लघु उद्योग संगठनों, सरकारी अधिकारियों, विशेषज्ञों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रबंध संस्थान, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक आदि को प्रतिनिधित्व दिया गया है। दल ने अनेक बैठकें की हैं और लघु उद्योग क्षेत्र के नीतिगत मामलों, ऋण और राजकोषीय मामलों, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन और निर्यात जैसे क्षेत्रों की समस्याओं का पता लगाने के लिए 4 उप दल गठित किये हैं। अध्ययन दल की रिपोर्ट शीघ्र ही मिल जाने की आशा है।

लघु उद्योग

84. लघु उद्योग विकास संगठन ने कलकत्ता, लुधियाना, जालंधर, हैदराबाद, नागपुर, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, अहमदाबाद, इंदौर और औरंगाबाद में 10 औजार कक्ष स्थापित किये हैं। ये औजार कक्ष अभिकल्प एवं गुणवत्ता वाले औजारों का उत्पादन करने में तकनीकी परामर्श और सामान्य सेवा सुविधायें प्रदान करते हैं। गुवाहाटी में एक नया औजार कक्ष एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। स्थानीय प्रशिक्षण और उत्पादन सुविधायें मुहैया कराने के लिए विभिन्न राज्यों में छोटे-छोटे औजार कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव है।

85. प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रबंध कार्यक्रम की एक स्कीम वर्ष 1998 में शुरू की गई है। इस स्कीम में उद्योग समूहों की प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं और उनके आधुनिकीकरण की ओर ध्यान दिया जायेगा। सर्वप्रथम ऐसे 6 उद्योग समूहों की पहचान की गई है।

86. सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना को और आकर्षक और कारगर बनाने के उद्देश्य से इसमें अनेक संशोधन करने का अनुमोदन किया है। उदाहरणार्थ पूर्व सैनिकों, महिलाओं और विकलांगों की आयु में 45 वर्ष तक वृद्धि करना। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं में कमी करना, आय अर्जन और परियोजना के आकार आदि का विस्तार करना आदि। यद्यपि इसके प्रति कुछ राज्यों में अच्छी प्रतिक्रिया हुई है फिर भी पुनरुद्धार की कम दरें चिंता का विषय हैं।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि०

87. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लघु उद्योगों की सहायता करने हेतु अनेक कार्य चलाता है, जैसे कच्ची सामग्री सहायता कार्यक्रम, एकीकृत विपणन अनुसमर्थन कार्यक्रम और सरकार को विपणन तथा समूह निर्माण सहित निविदा विपणन। कच्ची सामग्री सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत निगम लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों के लिए तथा उनकी ओर से विभिन्न प्रकार की कच्ची सामग्री, घटक, उप घटकों की खरीद करता है और इकाइयों को अपनी आवश्यकता और भुगतान करने की क्षमता के अनुसार थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सुपुर्दगी लेने की अनुमति देता है ताकि समूचे भंडार को भंडारण की तिथि से 100 दिनों के भीतर समाप्त किया जा सके। एकीकृत विपणन सहायता कार्यक्रम की परिकल्पना आस्थगित भुगतान के कारण लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए की गई है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अन्य कार्यक्रमों में वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋणों पर ब्याज के अंतर के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम विदेशों में लघु उद्योग क्षेत्र का निर्यात संवर्द्धन करने के लिए प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और क्रेताओं-विक्रेताओं के सम्मेलनों का आयोजन भी करता है। यह अनेक प्रकार के उत्पादों, जैसे एल्यूमीनियम बिल्डर्स हार्डवेयर एवं भवन निर्माण हार्डवेयर, चर्म उत्पादों, तालों, चिट्कनियों, टुबुलर हैंडिलों आदि का निर्यात करता है।

खादी और ग्रामोद्योग

88. ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम में मूलतः आठवीं पंचवर्षीय योजना में खादी ग्रामोद्योगों में 2 मिलियन रोजगार के अवसरों का सृजन करने की परिकल्पना की गई थी। इसे ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। किंतु 1998-99 तक खादी ग्रामोद्योग आयोग केवल 3.86 लाख नये रोजगार के अवसरों का सृजन कर सका है और वर्तमान में यह आशा की जाती है कि नौवीं योजना के अंत तक केवल 10 लाख तक रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सकेगा। ग्रामोद्योग क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए बल दिया जा रहा है और खादी के उत्पादन में गिरावट आने लगी है।

कॉयर उद्योग

89. कॉयर उद्योग पारंपरिक कुटीर उद्योगों में एक प्रमुख उद्योग है। यह एक श्रम प्रधान और निर्यात उन्मुख उद्योग है। कताई क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के अंग के रूप में समन्वित कॉयर विकास परियोजनायें स्थापित करने का कार्य हाथ में लिया गया है। केरल में 125 कताई इकाइयाँ और 46 विरेशायन इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के माध्यम से 5.35 करोड़ रुपये प्रदान किये गये हैं। 14.91 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत से तमिलनाडु के लिए एक समन्वित कॉयर विकास परियोजना मंजूर की गई है जिसमें केंद्र का हिस्सा 2.91 करोड़ रुपये है। 4.65 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत से इसी प्रकार की एक परियोजना कर्नाटक के लिए मंजूर की गई है। हिंदुस्तान कॉयर बोर्ड द्वारा स्थापित एक आधुनिक विद्युत चालित कारखाना कॉयर उद्योग में अपनी तरह का पहला विद्युत चालित कारखाना है जिसे आई एस ओ 9002 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

हथकरघा

90. हथकरघा भारत की एक समृद्ध विरासत है और इसमें हमारे देश की समृद्धि और विविधता और बुनकरों का कलात्मक कौशल समाहित है। इसका देश के कुल वस्त्र उत्पादन में लगभग 19 प्रतिशत का योगदान है। दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन नामक योजना एक नयी योजना सरकार के विचाराधीन है। ऐसी आशा की जाती है कि दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन

योजना से हथकरघा बुनकरों को निवेशों की सुपुर्दगी का लाभ मिलेगा और उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। साथ ही उनकी मजदूरी और हथकरघा उत्पादों की मांग में भी वृद्धि होगी। कुछ विद्यमान योजनाएँ, जैसे परियोजना पैकेज योजना, प्रचार, स्वतंत्र डिजाइनर योजना आदि इसमें समाहित हो जायेगी।

विद्युत करघा

91. विद्युत करघा क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने 1992 से विद्युत करघा निर्माताओं के लिए मल्टीफाइबर व्यवस्था के अंतर्गत कोटा देशों के लिए वस्त्रों और विनिर्माताओं के लिए निर्यात कोटा निर्धारित किया है। 3 प्रतिशत से आरंभ होकर वर्ष 2000 में यह धीरे-धीरे 15 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

92. विद्यमान विद्युत चालित करघा सेवा केंद्रों का शटल रहित करघे लगाकर, कोप-परिवर्तन करके/ शटल बदल करके, ड्राप बाक्स मशीन, धागा एवं वस्त्र परीक्षण उपकरण, रसायन परीक्षण उपकरण आदि लगाकर आधुनिकीकरण और सुदृढीकरण किया जा रहा है। नौवीं योजना के दौरान 27 कम्प्यूटर डिजाइन केंद्रों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है जिसमें से अब तक 19 कम्प्यूटर युक्त डिजाइन केंद्रों की स्वीकृति मिल गई है और 9 केंद्रों ने काम करना शुरू कर दिया गया है।

रेशम

93. भारत विश्व में चीन के पश्चात् रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नौवीं योजना के लिए रेशम संबंधी कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय रेशम बोर्ड ने राज्यों को उत्पादकता बढ़ाने, गुणवत्ता और विपणन में सहायता करने के लिए प्रेरित करने हेतु 36 उत्प्रेरक योजनाएँ तैयार की हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड को 24 राज्यों से 90.35 करोड़ रुपये की लागत की, जिसमें केंद्रीय रेशम बोर्ड का योगदान 49.35 करोड़ रुपये है, 253 परियोजनाएँ प्राप्त हुई हैं। राज्यों ने इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन आरंभ कर दिया है जो अच्छी तरह से चल रहा है।

95. वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा विकास अध्ययन संस्थान के माध्यम से एक अध्ययन किया है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय रेशम परियोजनाओं के अंतर्गत स्थापित अवसंरचना का अनुकूलतम उपयोग सुझाना तथा केंद्रीय रेशम बोर्ड की भूमिका, ढाँचा तथा मानव शक्ति की आवश्यकता का पुनः मूल्यांकन करना है। संस्थान की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

95. मलबरी और टसर संबंधी परियोजनाओं को, जो 1998 से 2002 तक 4 वर्षों तक चलेगी हाथ में लेने के लिए, भारत सरकार और मणिपुर और मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जापान की ओ ई सी एफ के साथ 1997 में ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें मणिपुर के लिए 134.51 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश के लिए 109.58 करोड़ रुपये का परिव्यय निहित है। परियोजनाओं का उद्देश्य संबंधित राज्यों में क्रमशः मलबरी रेशम के उत्पादन में 60 टन और टसर/ कच्ची सिल्क के उत्पादन में 75 टन तथा टसर सिल्क अपशिष्टों के उत्पादन में 37.5 टन की वृद्धि करना है। मध्यप्रदेश ने मलबरी पौधारोपण शुरू कर दिया है जबकि मणिपुर ने परियोजना परामर्शदाता नियुक्त करने और कार्मिकों को प्रशिक्षण देने आदि के लिए कार्यवाही करना शुरू कर दिया है।

हस्तशिल्प

96. हस्तशिल्प क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर सृजन करने और निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जन करने के क्षेत्र में योगदान के कारण विशेष महत्व है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और 1999-2000 के दौरान 72 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

97. नौवीं योजना में विपणन इस उद्योग का मुख्य ध्यातव्य क्षेत्र है और दिल्ली हाट की तर्ज पर अनेक हाटों की स्थापना की जा रही है। अब तक आगरा, अहमदाबाद, भुवनेश्वर और कलकत्ता में 4 शहरी हाटों के लिए अनुमोदन किया गया है। बाजार लगाने की योजना में संशोधन किया गया है ताकि कारीगरों, गैर-सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों, निर्यातकों और व्यापारियों के बीच विचारों का बेहतर और अर्थपूर्ण आदान-प्रदान हो सके।

98. कारीगरों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण दूसरा क्षेत्र है जिस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कार्य श्रेष्ठ सह आवास, कारीगरों के लिए स्वास्थ्य पैकेज और सामूहिक बीमा आदि संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

99. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत अनाज प्रसंस्करण, फल और सब्जी उत्पादों का प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पाद, मांस और डेयरी उत्पादों का प्रसंस्करण, मछली और मछली प्रसंस्करण, पेय पदार्थों, वातिय पेयों आदि का प्रसंस्करण शामिल है। अनाज प्रसंस्करण क्षेत्र में राइस मिलिंग उद्योग विनियमन अधिनियम 1958 निरस्त कर दिया गया है। अब गेहूं उत्पादों का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है।

100. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/ आधुनिकीकरण करना, मांस प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, अंडा प्रसंस्करण आदि शामिल है। किंतु इन योजनाओं का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के निष्पादन पर अपेक्षित प्रभाव नहीं हुआ है। निकट अतीत में फलों और सब्जियों के प्रसंस्करित उत्पादों, मांस और मांस उत्पादों, प्रसंस्करित खाद्य पदार्थों आदि के उत्पादन तथा निर्यात में संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई है। अंतिम वर्ष जिसके संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं अर्थात् वर्ष 1998-99 के दौरान सभी प्रकार के प्रसंस्करित खाद्य पदार्थों (चावल को छोड़कर) और समुद्री उत्पादों के निर्यात में रुपये की मुद्रा में भी गिरावट दर्ज की गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग की इन सभी योजनाओं का पुनः मूल्यांकन अध्ययन करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि उनकी सामर्थ्य तथा प्रभावशीलता का मूल्यांकन करके विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों में आवश्यक संशोधन किया जा सके।

101. माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड का सरकार की 74 प्रतिशत ईक्विटी की हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को विवेक सम्मत बिक्री करके निजीकरण कर दिया गया है।

102. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विपणन निगम लि०, खाद्य उत्पादों तथा कृषि आधारित अन्य उत्पादों की बिक्री कर रहा है। अनेक कारणों से निगम अपने स्थापना काल से ही लगातार हानि उठा रहा है। सरकार ने 10.36 करोड़ रुपये की लागत से एन ई आर ए एम ए सी के पुनरुद्धार की एक योजना को अनुमोदन प्रदान किया है। पुनरुद्धार पैकेज को कार्यान्वित करने का काम 1999-2000 में हाथ में ले लिया गया है।

अध्याय 7 : औद्योगिक विकास (खनिजों सहित)

संलग्नक 7.1

वार्षिक योजना 2000-01
मंत्रालय/ विभाग-वार परिव्यय तथा व्यय
(केवल आई एण्ड एम अंश)

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	मंत्रालय/ विभाग का नाम	1998-99 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 1999-2000 बजट अनुमान			वार्षिक योजना 1999-2000 संशोधित अनुमान			वार्षिक योजना 2000-01 बजट अनुमान		
			परिव्यय	बी एस	आई ई बी आर	परिव्यय	बी एस	आई ई बी आर	परिव्यय	बी एस	आई ई बी आर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क.	उद्योग और खनिज										
1	इस्पात	1468.80	2082.40	12.50	2069.90	1287.71	12.50	1275.21	1704.23	15.00	1689.23
2	खाने	478.11	1356.62	171.26	1185.36	1503.89	334.27	1169.62	1898.27	260.00	1638.27
3	उर्वरक	801.3	1828.00	165.00	1663.00	954.25	215.38	738.87	1872.00	197.00	1675.00
4	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	423.39	339.24	0.00	339.24	251.14	0.00	251.14	312.36	0.00	312.36
5	रसायन तथा पेट्रो-रसायन	300.20	509.65	38.00	471.65	302.33	30.00	272.33	292.41	40.00	252.41
6	औद्योगिक विकास	414.21	180.77	180.77	0.00	188.27	188.27	0.00	320.00	320.00	0.00
7	औद्योगिक नीति तथा संवर्द्धन	123.06	137.23	137.23	0.00	133.88	133.88	0.00	150.00	150.00	0.00
8	भारी उद्योग	297.23	346.31	120.00	226.31	284.17	80.00	204.17	421.59	138.00	283.59
9	भूतल परिवहन	29.98	33.00	33.00	0.00	20.56	20.56	0.00	36.05	36.05	0.00
11	परमाणु ऊर्जा	135.88	292.00	225.00	67.00	174.67	143.39	31.28	295.06	240.00	55.06
12	चीनी तथा खाद्य तेल	0.30	0.40	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.50	0.50	0.00
13	उपभोक्ता मामले	2.81	16.50	16.50	0.00	14.00	14.00	0.00	10.00	10.00	0.00
14	जैव प्रौद्योगिकी	1.27	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
15	आर्थिक कार्य (आई एंड एम)	124.22	211.00	211.00	0.00	140.15	140.15	0.00	112.71	112.71	0.00
16	वस्त्र (आई तथा एम)	35.10	49.00	43.00	6.00	47.00	41.00	6.00	178.30	163.30	15.00
17	डी एस आई आर	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
18	आपूर्ति	4.81	5.00	5.00	0.00	4.00	4.00	0.00	5.00	5.00	0.00
19	वाणिज्य	186.53	222.29	199.53	22.76	198.00	178.00	20.00	226.10	214.10	12.00
21	महासागर विकास	18.86	13.50	13.50	0.00	10.50	10.50	0.00	18.00	18.00	0.00
	कुल (क)	4851.06	7627.96	1576.74	6051.22	5519.97	1551.35	3968.62	7857.58	1924.66	5932.92
ख.	वी एस आई क्षेत्रक										
1	एस एस आई तथा आर आई	587.60	742.25	627.25	115.00	691.07	576.07	115.00	920.00	775.00	145.00
2	वस्त्र (वी एस आई)	202.21	223.00	223.00	0.00	219.45	219.45	0.00	293.70	293.70	0.00
3	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	30.01	47.00	47.00	0.00	39.98	39.98	0.00	50.00	50.00	0.00
	कुल (ख)	819.82	1012.25	897.25	115.00	950.50	835.50	115.00	1263.70	1118.70	145.00
	कुल योग (क+ ख)	5670.88	8640.21	2473.99	6166.22	6470.47	2386.85	4083.62	9121.28	3043.36	6077.92

अध्याय 7 : औद्योगिक विकास (खनिजों सहित)

संलग्नक 7.2

उपक्रम-वार, संगठन-वार परिव्यय तथा व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	उपक्रम योजना	ए पी 1998-99 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 1999-2000 बजट अनुमान			वार्षिक योजना 1999-2000 संशोधित अनुमान			वार्षिक योजना 2000-01 बजट अनुमान			
			परिव्यय	बी एस	आई ई बी आर	परिव्यय	बी एस	आई ई बी आर	परिव्यय	बी एस	आई ई बी आर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
क.	इस्पात मंत्रालय	1468.80	2082.40	12.50	2069.90	1287.71	12.50	1275.21	1704.23	15.00	1689.23	
	लोहा और इस्पात	1301.59	1553.90	9.50	1544.40	947.63	9.50	938.13	1051.85	9.50	1042.35	
	1. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	1246.37	1107.00	0.00	1107.00	750.00	0.00	750.00	800.00	0.00	800.00	
	2. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	22.06	232.27	0.00	232.27	70.00	0.00	70.00	110.00	0.00	110.00	
	3. मेटल स्कैप ट्रेड निगम लि.	0.00	9.00	0.00	9.00	2.00	0.00	2.00	0.50	0.00	0.50	
	4. एम ई सी ओ एन	4.94	6.33	0.00	6.33	6.33	0.00	6.33	4.85	0.00	4.85	
	5. फेरो स्कैप निगम लि.	13.00	14.80	0.00	14.80	14.80	0.00	14.80	15.00	0.00	15.00	
	6. हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	2.50	2.50	0.00	
	7. भारत रिफ्रेक्टरीज लि.	7.00	3.50	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	21.00	4.00	17.00	
	8. एस आई आई एल	1.89	26.00	1.00	25.00	1.00	1.00	0.00	3.00	3.00	0.00	
	9. लोहा तथा इस्पात मिशन	1.33	150.00	0.00	150.00	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	
	ख.	लौह खनिज	167.21	528.50	3.00	525.50	340.08	3.00	337.08	652.38	5.50	646.88
		10. कुद्रेमुख आइरन ओर कं लि.	49.66	170.00	0.00	170.00	99.50	0.00	99.50	186.00	0.00	186.00
		11. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	107.32	325.00	0.00	325.00	225.44	0.00	225.44	449.11	0.00	449.11
		13. मैंगनीज ओर इण्डिया लि.	7.73	28.50	0.00	28.50	12.14	0.00	12.14	11.77	0.00	11.77
14. बर्ड ग्रुप आफ कंपनीज		2.50	5.00	3.00	2.00	3.00	3.00	0.00	4.00	4.00	0.00	
15. नार्थ ईस्ट		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	
2.	खान मंत्रालय	478.11	1356.62	171.26	1185.36	1503.89	334.27	1169.62	1898.27	260.00	1638.27	
	1. भारत एल्यूमिनियम कं लि.	42.90	130.61	0.00	130.61	164.35	0.00	164.35	82.10	0.00	82.10	
	2. राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कं. लि.	236.27	852.30	0.00	852.30	877.22	0.00	877.22	1282.67	0.00	1282.67	
	3. हिन्दुस्तान कोपर लि.	20.00	43.00	23.00	20.00	210.44	195.44	15.00	40.00	30.00	10.00	
	4. हिन्दुस्तान जिंक लि.	48.47	177.00	0.00	177.00	110.00	0.00	110.00	325.08	65.08	260.00	
	5. भारत स्वर्ण खान लि.	4.50	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
	6. खनिज अन्वेषण निगम लि.	7.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	13.00	13.00	0.00	
	7. सिविकम खान निगम	0.50	0.38	0.38	0.00	0.38	0.38	0.00	0.91	0.91	0.00	
	8. जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया	80.30	101.00	101.00	0.00	92.00	92.00	0.00	111.00	111.00	0.00	
	9. भारतीय खान ब्यूरो	18.31	19.88	19.88	0.00	19.88	19.88	0.00	23.51	23.51	0.00	
	10. एस तथा टी कार्यक्रम	7.06	9.45	4.00	5.45	8.42	5.37	3.05	9.00	5.50	3.50	
	11. निर्माण कार्यक्रम	12.80	8.00	8.00	0.00	6.20	6.20	0.00	10.00	10.00	0.00	
3.	उर्वरक विभाग	801.30	1828.00	165.00	1663.00	954.25	215.38	738.87	1872.00	197.00	1675.00	
	1. फैंक्ट लि.	55.92	35.00	35.00	0.00	40.41	40.41	0.00	40.00	40.00	0.00	
	2. भारत उर्वरक निगम	48.00	10.00	10.00	0.00	44.00	44.00	0.00	20.00	20.00	0.00	
	3. हिन्दुस्तान उर्वरक निगम	35.00	84.00	84.00	0.00	84.00	84.00	0.00	80.00	80.00	0.00	
	4. मद्रास उर्वरक लि.	62.48	26.00	20.00	6.00	26.00	20.00	6.00	25.00	25.00	0.00	
	5. राष्ट्रीय उर्वरक	53.35	282.00	0.00	282.00	65.05	0.00	65.05	125.00	0.00	125.00	
	6. पारादीप फास्फेट लि.	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	12.49	12.49	0.00	
	7. पाइराइटस फास्फेट तथा रसायन	1.69	0.50	0.50	0.00	2.59	2.59	0.00	0.01	0.01	0.00	
	8. भारत परियोजना विकास लि.	0.08	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	
	9. भारत राष्ट्रीय रसायन लि.	177.28	393.00	0.00	393.00	308.74	0.00	308.74	600.00	0.00	600.00	
	10. कृषक भारती सहकारी	29.56	702.00	0.00	702.00	163.83	0.00	163.83	700.00	0.00	700.00	
	11. भारतीय किसान उर्वरक निगम	313.86	278.00	0.00	278.00	193.25	0.00	193.25	250.00	0.00	250.00	
	12. अन्य परियोजनाएं	14.08	5.50	5.50	0.00	14.38	14.38	0.00	18.50	18.50	0.00	

अध्याय 7 : औद्योगिक विकास (खनिजों सहित)

संलग्नक 7.2 (जारी)

उपक्रम-वार, संगठन-वार परिव्यय तथा व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	उपक्रम योजना	ए पी 1998-99 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 1999-2000 बजट अनुमान			वार्षिक योजना 1999-2000 संशोधित अनुमान			वार्षिक योजना 2000-01 बजट अनुमान		
			परिव्यय	बी एस	आई ई बी आर	परिव्यय	बी एस	आई ई बी आर	परिव्यय	बी एस	आई ई बी आर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	पैट्रो और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	423.39	339.24	0.00	339.24	251.14	0.00	251.14	312.36	0.00	312.36
क.	पैट्रो - रासायनिक उद्योग	381.06	223.19	0.00	223.19	174.59	0.00	174.59	268.36	0.00	268.36
	1. बोगईगांव तेल शोधक	23.30	16.56	0.00	16.56	6.05	0.00	6.05	8.96	0.00	8.96
	2. भारत पैट्रोलियम निगम लि.	0.00	1.20	0.00	1.20	1.08	0.00	1.08	2.30	0.00	2.30
	3. कोचीन तेलशोधक लि.	3.90	3.70	0.00	3.70	3.20	0.00	3.20	1.00	0.00	1.00
	4. हिंदुस्तान पैट्रोलियम निगम	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	5. इंडियन आयल निगम	26.29	72.53	0.00	72.53	87.76	0.00	87.76	230.10	0.00	230.10
	6. मद्रास तेलशोधक लि.	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	7. भारतीय गैस प्राधिकरण लि.	327.57	125.20	0.00	125.20	75.50	0.00	75.50	20.00	0.00	20.00
	8. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00
ख	इंजीनियरी उद्योग	42.33	116.05	0.00	116.05	76.55	0.00	76.55	44.00	0.00	44.00
	1. भारत- बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी	2.87	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. बाल्मर लौरी	39.46	100.00	0.00	100.00	67.00	0.00	67.00	37.00	0.00	37.00
	3. बीको लौरी	0.00	9.55	0.00	9.55	9.55	0.00	9.55	7.00	0.00	7.00
5.	रसायन और पैट्रो रसायन विभाग	300.20	509.65	38.00	471.65	302.33	30.00	272.33	292.41	40.00	252.41
क.	पैट्रो- रसायन उद्योग	241.50	429.01	4.01	425.00	230.02	4.02	226.00	192.52	5.52	187.00
	1. भारतीय पैट्रो- रसायन निगम लि.	234.00	425.00	0.00	425.00	226.00	0.00	226.00	187.00	0.00	187.00
	2. पैट्रोफिल्स कोपरेटिव लि.	2.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
	3. अन्य निकाय/ संस्थान सी आई पी ई टी, पी पी डी ए	5.50	4.00	4.00	0.00	4.01	4.01	0.00	5.51	5.51	0.00
ख	रसायन और फार्मास्यूटिकल उद्योग	58.70	80.64	33.99	46.65	72.31	25.98	46.33	99.89	34.48	65.41
	1. हिन्दुस्तान कार्बनिक रसायन लि.	31.19	34.00	0.00	34.00	34.47	0.00	34.47	52.53	0.00	52.53
	2. हिन्दुस्तान कीटनाशक लि.	5.08	12.65	9.00	3.65	7.86	5.50	2.36	11.86	9.48	2.38
	3. इंडियन ड्रग्स तथा फार्मास्यूटिकल लि.	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
	4. हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	5.00	3.00	2.00
	5. बंगाल रसायन तथा फार्मा. लि.	3.00	13.00	4.00	9.00	13.50	4.00	9.50	11.00	2.50	8.50
	6. स्मिथ स्टेनस्टील फार्मा. लि.	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
	7. बंगाल इम्युनिटि लि.	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
	8. राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एन आई पी ई आर)	13.00	13.00	13.00	0.00	11.78	11.78	0.00	15.00	15.00	0.00
	9. अन्य निकाय/ संस्थान (आई पी एफ टी, सी डब्ल्यू सी, पी आर डी पी, सी पी डी एस, आर ई एन पी ए पी, एम सी आई ई और सी ई पी एस)	3.43	4.96	4.96	0.00	1.67	1.67	0.00	4.47	4.47	0.00
6.	औद्योगिक विकास और औद्योगिक निति विभाग	537.27	318.00	318.00	0.00	322.15	322.15	0.00	470.00	470.00	0.00
क.	सीमेंट तथा अधातु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख.	इंजीनियरी उद्योग	5.32	5.75	5.75	0.00	5.75	5.75	0.00	7.00	7.00	0.00
ग.	अन्य उद्योग	417.02	162.42	162.42	0.00	184.26	184.26	0.00	304.39	304.39	0.00
घ.	आई एंड एम संबंधी अन्य परिव्यय	113.89	121.03	121.03	0.00	117.94	117.94	0.00	128.61	128.61	0.00
ङ.	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	0.93	0.60	0.60	0.00	0.50	0.50	0.00	1.80	1.80	0.00
च.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.11	28.20	28.20	0.00	13.70	13.70	0.00	28.20	28.20	0.00

अध्याय 7 : औद्योगिक विकास (खनिजों सहित)

संलग्नक 7.2 (जारी)

उपक्रम-वार, संगठन-वार परिव्यय तथा व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	उपक्रम योजना	ए पी 1998-99 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 1999-2000 बजट अनुमान			वार्षिक योजना 1999-2000 संशोधित अनुमान			वार्षिक योजना 2000-01 बजट अनुमान		
			परिव्यय	बी एस	आई ई बी आर	परिव्यय	बी एस	आई ई बी आर	परिव्यय	बी एस	आई ई बी आर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	चीनी तथा खाद्य तेल	0.30	0.40	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.50	0.50	0.00
8.	भारी उद्योग विभाग	297.23	346.31	120.00	226.31	284.17	80.00	204.17	421.59	138.00	283.59
क.	इंजीनियरी उद्योग	214.09	244.67	75.86	168.81	203.86	38.75	165.11	313.12	83.46	229.66
	1. एंड्रयू यूले	6.08	2.82	0.01	2.81	6.42	0.01	6.41	7.16	2.66	4.50
	2. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स	116.00	134.20	0.00	134.20	128.00	0.00	128.00	210.00	0.00	210.00
	3. भारत भारी उद्योग लि.	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.34	0.34	0.00
	4. ब्रेथ वेटे	1.99	1.01	0.01	1.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.01	0.50
	5. बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि.	15.00	30.52	30.52	0.00	10.00	10.00	0.00	24.52	24.52	0.00
	6. भारत ब्रेक्स तथा वाल्वज	0.00	0.31	0.01	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. भारत वेगन तथा इंजीनियरी	0.00	0.51	0.01	0.50	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
	8. भारत प्रो. एंड मेक. इंजीनियरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. वे बर्ड इंडिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. जेस्सोप	1.75	6.20	6.20	0.00	1.20	1.20	0.00	5.00	5.00	0.00
	11. लगन जूट	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
	12. ब्रेथ बर्न एंड जेसप	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13. आर बी एल	0.34	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14. भारत यंत्र निगम	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	15. भारत हेवी प्लैट्स एंड वेसल्स	0.87	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	12.00	10.00	2.00
	16. भारत पम्प्स एवं कम्पनी	1.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	2.90	2.00	0.90
	17. ब्रिज एंड रोड्स	7.92	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	4.40	2.40	2.00
	18. रिचर्डसन तथा क्रूडास	2.45	6.70	0.00	6.70	6.70	0.00	6.70	3.00	0.00	3.00
	19. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लि.	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00
	20. तुंगभद्रा स्टील	1.70	5.00	2.00	3.00	3.20	1.51	1.69	5.00	0.00	5.00
	21. साइकल कॉरपोरेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22. इंजीनियरी परियोजनाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	1.76	0.00	1.76
	23. भारी इंजीनियरी निगम	20.00	20.00	20.00	0.00	11.00	11.00	0.00	20.00	20.00	0.00
	24. एच एम टी	27.53	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	1.00	1.00	0.00
	25. हिंदुस्तान केबल	0.75	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	4.00	4.00	0.00
	26. इंस्ट्रुमेंटेशन लि.	6.25	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
	27. खनन एवं संबद्ध मशीनरी	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	28. नेशनल इंस्ट्रुमेंट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	29. राष्ट्रीय बाइसिकल सी आई एल	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. प्रागा टूल्स	0.00	2.01	2.01	0.00	2.01	2.01	0.00	2.00	2.00	0.00
	31. स्कूटर्स इण्डिया लि.	2.41	4.30	4.30	0.00	3.77	3.77	0.00	2.00	2.00	0.00
	32. हाई वाल्टेज डाइरेक्ट करेंट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	33. प्ल्यूड नियंत्रण अनुसंधान	2.05	3.00	2.70	0.30	2.70	2.70	0.00	2.50	2.50	0.00
	34. भारत ऑपथेटिमिक ग्लास	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	35. पुनर्वास उद्योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख.	उपभोक्ता उद्योग	62.33	63.64	16.14	47.50	54.35	15.29	39.06	72.22	18.29	53.93
	36. भारत लैदर	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	37. टी ए एफ सी ओ	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	38. नेपा	0.00	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
	39. हिंदुस्तान पेपर	6.85	23.00	6.00	17.00	30.06	11.50	18.56	35.43	12.00	23.43
	40. एन पी पी सी	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
	41. एम एन पी एम	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
	42. एच एन एल	3.38	30.00	0.00	30.00	20.00	0.00	20.00	30.50	0.00	30.50
	43. हिंदुस्तान सॉल्ट	1.95	2.25	1.75	0.50	2.25	1.75	0.50	1.26	1.26	0.00
	44. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म	43.70	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	2.00	2.00	0.00
	45. टायर निगम	6.45	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	3.00	3.00	0.00

अध्याय 7 : औद्योगिक विकास (खनिजों सहित)

संलग्नक 7.2 (जारी)

उपक्रम-वार, संगठन-वार परिव्यय तथा व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	उपक्रम योजना	ए पी 1998-99 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 1999-2000 बजट अनुमान			वार्षिक योजना 1999-2000 संशोधित अनुमान			वार्षिक योजना 2000-01 बजट अनुमान		
			परिव्यय	बी एस	आई ई बी आर	परिव्यय	बी एस	आई ई बी आर	परिव्यय	बी एस	आई ई बी आर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ग.	सीमेंट एवं अधातु उद्योग	20.65	38.00	28.00	10.00	25.96	25.96	0.00	36.00	36.00	0.00
	46. सीमेंट निगम	0.00	25.00	15.00	10.00	12.00	12.00	0.00	5.00	5.00	0.00
	47. व्यावसायिक तथा विशेष सेवाएं	0.87	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	48. क्रूसियल बैलेंसिंग इन्वेस्टमेंट	19.78	12.00	12.00	0.00	12.96	12.96	0.00	30.00	30.00	0.00
घ.	उद्योगों पर अन्य परिव्यय	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
	49. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50. सचिवालय खर्च	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
9.	भूतल परिवहन मंत्रालय (पोत निर्माण और मरम्मत)	29.98	33.00	33.00	0.00	20.56	20.56	0.00	36.05	36.05	0.00
	1. हिंदुस्तान शिपयार्ड	12.00	15.00	15.00	0.00	10.00	10.00	0.00	22.50	22.50	0.00
	2. कोचीन शिपयार्ड लि.	9.98	10.00	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00	10.00	10.00	0.00
	3. हुगली डॉक तथा पोर्ट इंजीनियर्स लि.	7.30	7.30	7.30	0.00	5.00	5.00	0.00	3.00	3.00	0.00
	4. केंद्रीय क्षेत्रक	0.70	0.70	0.70	0.00	0.56	0.56	0.00	0.55	0.55	0.00
11.	परमाणु ऊर्जा विभाग	135.88	292.00	225.00	67.00	174.67	143.39	31.28	295.06	240.00	55.06
क.	दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग	22.00	43.97	17.97	26.00	17.97	17.97	0.00	7.52	7.52	0.00
	1. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निगम	22.00	43.97	17.97	26.00	17.97	17.97	0.00	7.52	7.52	0.00
ख	परमाणु ऊर्जा उद्योग	113.88	248.03	207.03	41.00	156.70	125.42	31.28	287.54	232.48	55.06
	1. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बी ए आर सी)	39.35	120.00	120.00	0.00	82.00	82.00	0.00	147.00	147.00	0.00
	2. भारी जल परियोजना	6.47	9.30	9.30	0.00	10.30	10.30	0.00	12.28	12.28	0.00
	3. न्यूक्लीयर फ्यूल कम्प्लैक्स	5.67	15.00	15.00	0.00	5.75	5.75	0.00	20.00	20.00	0.00
	4. इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र	7.97	13.50	13.50	0.00	7.51	7.51	0.00	15.00	15.00	0.00
	5. परमाणु खनिज प्रभाग	6.41	4.15	4.15	0.00	3.15	3.15	0.00	3.90	3.90	0.00
	6. इंडियन रेयर अर्थ्स (डी ए ई)	2.20	6.25	6.25	0.00	2.51	2.51	0.00	3.50	3.50	0.00
	7. भारतीय यूरेनियम निगम	26.60	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
	8. रेडिएशन तथा आइसोटोप प्रौद्योगिकी मण्डल	3.10	15.93	15.93	0.00	9.00	9.00	0.00	18.00	18.00	0.00
	9. उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र	0.36	1.60	1.60	0.00	0.90	0.90	0.00	1.00	1.00	0.00
	10. इंडियन रेयर अर्थ	15.75	46.00	5.00	41.00	32.28	1.00	31.28	60.06	5.00	55.06
	11. अन्य	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	3.30	0.00	1.80	1.80	0.00
12.	वाणिज्य मंत्रालय (पूर्ति विभाग)	4.81	5.00	5.00	0.00	4.00	4.00	0.00	5.00	5.00	0.00
	1. एन टी एच	4.57	4.80	4.80	0.00	3.80	3.80	0.00	4.80	4.80	0.00
	2. डी जी एस एंड डी	0.24	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00
13.	आर्थिक कार्य विभाग औद्योगिक वित्तीय संस्थान	124.22	211.00	211.00	0.00	140.15	140.15	0.00	112.71	112.71	0.00
	1. नोट, सिक्के / टकसाल	19.58	33.00	33.00	0.00	20.12	20.12	0.00	30.00	30.00	0.00
	2. औद्योगिक वित्तीय संस्थान	104.64	178.00	178.00	0.00	120.03	120.03	0.00	82.71	82.71	0.00
14.	वस्त्र मंत्रालय (आई तथा एम)	35.10	49.00	43.00	6.00	47.00	41.00	6.00	178.30	163.30	15.00
	1. राष्ट्रीय वस्त्र निगम	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
	2. ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
	3. राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
	4. राष्ट्रीय पटसन डायवरसिफिकेशन केंद्र	5.00	4.00	4.00	0.00	3.00	3.00	0.00	4.00	4.00	0.00
	5. वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन	5.31	6.50	6.50	0.00	6.50	6.50	0.00	4.50	4.50	0.00
	6. आर तथा डी	10.52	10.00	10.00	0.00	9.00	9.00	0.00	10.00	10.00	0.00
	7. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
	8. अध्ययन	1.73	1.50	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.00	1.00	0.00

अध्याय 7 : औद्योगिक विकास (खनिजों सहित)

संलग्नक 7.2 (जारी)

उपक्रम-वार, संगठन-वार परिव्यय तथा व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	उपक्रम योजना	ए पी 1998-99 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना 1999-2000 बजट अनुमान			वार्षिक योजना 1999-2000 संशोधित अनुमान			वार्षिक योजना 2000-01 बजट अनुमान		
			परिव्यय	बी एस	आई ई बी आर	परिव्यय	बी एस	आई ई बी आर	परिव्यय	बी एस	आई ई बी आर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	जे एम डी सी	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.50	1.50	0.00
10.	सचिवालय	0.18	0.97	0.97	0.00	0.97	0.97	0.00	1.00	1.00	0.00
11.	कपास प्रौद्योगिकी मिशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
12.	बाह्य सहायता (यू एन डी पी)	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.90	1.90	0.00
13.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	एच एच ई सी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	भारतीय कपास निगम	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	एच आई एफ टी	12.36	20.00	14.00	6.00	20.00	14.00	6.00	38.37	23.37	15.00
17.	विशेष जूट विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
18.	अनुसंधान और विकास के लिए सहायता (जूट)	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
15.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लि.)	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
17.	वाणिज्य मंत्रालय	186.53	222.29	199.53	22.76	198.00	178.00	20.00	226.10	214.10	12.00
18.	उपभोक्ता मामले	2.81	16.50	16.50	0.00	14.00	14.00	0.00	10.00	10.00	0.00
	1. भारतीय मानक ब्यूरो	1.35	2.00	2.00	0.00	0.65	0.65	0.00	2.95	2.95	0.00
	2. भार एवं माप	0.00	2.00	2.00	0.00	1.14	1.14	0.00	1.42	1.42	0.00
	3. उपभोक्ता संरक्षण	1.46	2.54	2.54	0.00	10.40	10.40	0.00	3.50	3.50	0.00
	4. आंतरिक व्यापार	0.00	1.51	1.51	0.00	1.51	1.51	0.00	0.89	0.89	0.00
	5. क्यू सी आई को अंशदान	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. उपभोक्ता सहकारिताएं	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. आई टी आफिस व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.24	0.24	0.00
	8. पूर्वोत्तर के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
19.	जैव- प्रौद्योगिकी विभाग	1.27	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	क. बी आई बी सी ओ एल	0.05	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख. आई वी सी ओ एल	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	महासागर विकास	18.86	13.50	13.50	0.00	10.50	10.50	0.00	18.00	18.00	0.00
	कुल: उद्योग और खनिज	485.106	7627.96	1576.74	6051.22	5519.97	1551.35	3968.62	7857.58	1924.66	5932.92

अध्याय 7 : औद्योगिक विकास (खनिजों सहित)

संलग्नक 7.3

निर्देशात्मक उत्पादन लक्ष्य – वार्षिक योजना 2000–2001
उद्योग तथा खनिज प्रभाग

क्र. सं.	उद्योग	इकाई	1998-99 वास्तविक	1999-00 लक्ष्य	1999-00 प्रत्याशित	2000-01 लक्ष्य
1	2	3	4.	5.	6.	7.
1	कच्चा लोह मूल धातु	मिलियन टन	70.68	73.50	73.48	80.00
2	होट मेटल (इंटेग्रेटेड स्टील)	—वही—	18.21	19.93	19.36	20.10
3	बिक्री के लिए पिग लोहा	—वही—	1.38	1.60	1.58	1.17
4	क्रूड इस्पात (इंटेग्रेटेड स्टील)	—वही—	15.86	18.33	16.86	17.97
5	बिक्री योग्य इस्पात (इंटेग्रेटेड स्टील)	—वही—	13.92	16.03	15.95	16.34
6	एल्यूमिनियम	हजार टन	542.00	623.26	618.68	624.00
7	कॉपर (एच सी एल केवल)	—वही—	35.83	39.25	38.46	43.90
8	जिन्क इन्गोत्स	—वही—	172.98	168.00	174.96	178.00
9	सीसा इन्गोत्स	—वही—	49.71	55.50	44.48	55.50
10	अधातु खनिज उत्पाद सीमेंट	मिलियन टन	87.91	94.00	100.00	107.00
11	मूल रसायन कार्बिक सोडा	'000 टन	1306.00	1350.00	1350.00	1400.00
12	सोडा राख	—वही—	1459.00	1560.00	1540.00	1580.00
13	केल्सियम कार्बाइड ••	—वही—	61.50	80.00	50.00	65.00
14	कृषीय रसायन नाइट्रोजीनियम फर्टीलाइजर्स	'000 टन	10480.00	11067.00	11067.00	11030.00
15	फास्फेटिक फर्टीलाइजर्स	—वही—	3144.00	3344.80	3345.00	3424.00
16	डी डी टी	—वही—	5.00	5.00	3.60	4.00
17	मलाथियन	—वही—	4.60	5.00	5.50	6.00
18	थर्मो प्लास्टिक तथा सिंथेटिक रबर एल डी पोलिथिलीन	'000 टन	179.52	190.00	190.00	200.00
19	एच डी पालीथिलीन (एल एल डी ई पी)	—वही—	583.52	1000.00	900.00	1120.00
20	पालीपरोपलीन	—वही—	544.24	625.00	785.00	1020.00
21	पालिविनायल क्लोराइड	'000 टन	739.39	750.00	770.00	780.00
22	पोलीस्ट्रीन	—वही—	142.81	130.00	160.00	160.00
23	स्टीरीन बूटाडीन रबर	—वही—	17.56	30.00	10.00	40.00
24	पोलीबूटाडीन रबर	—वही—	36.72	40.00	45.00	50.00
25	पेट्रो- रसायन इंटरमीडिएट एक्रीलोनिट्राइल	'000 टन	27.18	30.00	20.00	25.00
26	डी एम टी/ पी टी ए	—वही—	1194.05	1210.00	1350.00	1620.00
27	कैपरोलाक्टम	—वही—	104.77	115.00	110.00	115.00
28	मेनार्नॉल	—वही—	367.40	395.00	350.00	370.00
29	फिनाॅल	—वही—	66.20	70.00	66.00	70.00
30	सिंथेटिक डिटरजेंट इंटरमीडिएट (एल ए बी)	—वही—	281.98	270.00	320.00	350.00
31	मानव निर्मित तंतु फिलामेंट यार्न	'000 टन	850.33	900.00	889.34	883.00
32	विस्कोस फिलामेंट यार्न	'000 टन	60.91	65.00	49.16	अनुपलब्ध
33	विस्कोस स्टैपल फाइबर	—वही—	178.18	200.00	201.20	अनुपलब्ध
34	विस्कोस टायर कॉर्ड	—वही—	48.50	55.00	55.00	55.00
35	नाइलॉन फिलामेंट यार्न ••	—वही—	28.70	35.00	30.00	30.00
36	पालिस्टर स्टैपल फाइबर ••	—वही—	518.83	530.00	580.00	590.00
37	पालिस्टर फिलामेंट यार्न ••	—वही—	703.21	770.00	770.00	810.00
38	एक्रीलिक फाइबर •• (• अंडर ब्रॉडबैंडिंग)	—वही—	79.42	80.00	105.00	110.00
39	पालीप्रोपाइलिन फिलामेंट यार्न	—वही—	15.41	अनुपलब्ध	16.50	अनुपलब्ध

अध्याय 7 : औद्योगिक विकास (खनिजों सहित)

संलग्नक 7.3 (जारी)

निर्देशात्मक उत्पादन लक्ष्य – वार्षिक योजना 2000-2001 उद्योग तथा खनिज प्रभाग

क्र. सं.	उद्योग	इकाई	1998-99 वास्तविक	1999-00 लक्ष्य	1999-00 प्रत्याशित	2000-01 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
40	खाद्य उत्पाद चीनी	मिलियन टन	15.50	16.00	16.50	17.00
41	वस्त्र स्पन यार्न	मिलियन कि.ग्रा.	2808.00	3256.00	3048.98	3495.00
42	फिलामेंट यार्न	-वही-	850.33	900.00	889.34	883.00
43	क) कपड़ा (मिल क्षेत्रक)	मिलि. वर्ग मीटर	1785.00	1900.00	1710.00	2450.00
	ख) कपड़ा (हथकरघा क्षेत्रक)	-वही-	6792.00	8000.00	7365.00	8300.00
	ग) कपड़ा (विद्युत करघा क्षेत्रक)	-वही-	20690.00	21000.00	23387.00	23750.00
	घ) कपड़ा (हौजरी क्षेत्रक)	-वही-	6276.00	6500.00	6412.00	6500.00
	ड) कपड़ा (खादी, ऊन तथा सिल्क)	-वही-	559.00	600.00	575.00	600.00
44	क) कच्चा पटसन तथा मेस्टा	लाख गांठें	102.28	110.00	101.33	110.00
	ख) पटसन वस्तुएं	'000 मीट्रिक टन	1620.00	2000.00	1559.00	2000.00
45	चमड़े तथा रबड़ की वस्तुएं चमड़े के जूते (आरगो.)	मिलियन जोड़े	22.49	25.00	23.41	24.60
46	रबड़ के जूते (आरगो.)	-वही-	27.94	31.00	27.23	28.60
47	साइकिल के टायर (आरगो.)	मिलियन नं.	12.35	15.00	12.87	13.50
48	ओटोमोबाइल टायर	-वही-	20.72	छ. I.	23.31	26.00
49	कागज तथा कागज उत्पाद कागज तथा कागज गत्ता	'000 टन	2922.00	3080.00	3107.00	3202.00
50	न्यूजप्रिंट	-वही-	400.00	429.00	484.00	550.00
51	औद्योगिक मशीनरी मशीन टूल्स	करोड़ रुपये	1326.00	2000.00	1504.00	2418.00
52	खनन मशीनरी	-वही-	1841.22	3000.00	2900.17	4500.00
53	इलेक्ट्रिकल पावर उपस्कर स्टीम टरबाइन्स	हजार मैगावाट	3.70	3.12	3.14	2.70
54	हाइड्रो टरबाइन	-वही-	0.54	1.56	1.37	1.30
55	ट्रांसफार्मर	एम के वी ए	39.13	52.46	51.60	65.00
56	विद्युत मोटरें	एम एच पी	6.93	8.50	5.57	8.50
57	निर्माण मशीनरी अर्थमूविंग उपस्कर	संख्या	4523.00	6251.00	5375.00	7426.00
58	कृषीय मशीनरी ट्रैक्टर	हजार सं.	253.85	359.00	288.00	407.00
59	रेल तथा जल परिवहन उपस्कर विद्युत लोकोमोटिव •	संख्या	170.00	108.00	120.00	94.00
60	डीजल लोकोमोटिव •	-वही-	161.00	138.00	138.00	93.00
61	रेलवे कोच •	-वही-	2109.00	2114.00	2127.00	2000.00
62	रेलवे वैगन •	हजार संख्या	25.24	18.75	18.75	23.00
63	जहाज निर्माण तथा मरम्मत	करोड़ रुपये	1270.63	1560.00	713.00	1560.00
64	पथ परिवहन उपस्कर वाणिज्यिक वाहन	हजार संख्या	150.71	250.00	182.46	300.00
65	यात्री कारें	-वही-	366.05	402.00	541.13	594.27
66	जीपें	-वही-	116.62	136.44	105.55	140.00
67	स्कूटर, मोटर साइकिलें, मोपेड तथा लिपहिया	-वही-	3340.00	3715.00	3824.39	4940.00

अध्याय 7 : औद्योगिक विकास (खनिजों सहित)

संलग्नक 7.4

उत्पादन, रोजगार और निर्यात-ग्राम और लघु उद्योग तथा खाद्य प्रसंस्करण निर्देशात्मक लक्ष्य

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	उद्योग/ उप क्षेत्रक	इकाई	1998-99 वास्तविक	1999-2000 प्रत्याशित	2000-01 लक्ष्य
क.	उत्पादन				
1	लघु उद्योग	करोड़ रुपये	527575	570916	638000
2	खादी कपड़ा	मि. वर्ग मीटर	113.3	109	115
3	ग्राम उद्योग	करोड़ रुपये	4475	4935	5190
4	कॉयर रेशा	000 टन	314	333	360
5	हथकरघा कपड़ा	मि. वर्ग मीटर	6792	7000	7450
6	विद्युत करघा कपड़ा	मि. वर्ग मीटर	20690	21000	22000
7	कच्चा सिल्क	करोड़ रुपये	15544	16095	17500
8	हस्तशिल्प	मीट्रिक टन			
9	कच्ची ऊन				
ख	रोजगार (लाख व्यक्ति)				
1	लघु उद्योग		171.58	177.59	187
2	खादी एवं ग्रामोद्योग		58.29	60.89	65
3	कॉयर उद्योग		5	5.18	5.2
4	हथकरघा		160	165	170
5	विद्युत करघा		70	71	72
6	रेशमपालन		61.41	63.33	65
7	हस्तशिल्प		65	68	70
8	ऊन विकास (असंगठित क्षेत्रक)		5	5	5
ग.	निर्यात (करोड़ रुपये)				
1	लघु उद्योग		49481	68990	82000
2	कॉयर उद्योग		292.18	300	325
3	हथकरघा		1956	2100	2250
4	विद्युत करघा		8915	9200	10000
5	रेशम		1250.55	1435	1550
6	हस्तशिल्प		7072.34	7200	8000
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (उप- क्षेत्रकवार)				
क.	उत्पादन				
1	फल एवं सब्जी उत्पाद (कैल. वर्ष)	लाख टन	9.4	9.8	10
2	विभिन्न दुग्ध उत्पाद (आइसक्रीम मक्खन तथा घी को छोड़कर)	000 टन	222	225	250
3	मृदु पेय	मिलियन बोटल्स	5670	6230	7000
4	मत्स्य उत्पादक	मिलियन टन	5.26	5.3	6
ख.	निर्यात (करोड़ रुपये)				
1	प्रसंस्कृत फल तथा सब्जियां		678	700	750
2	पशु उत्पाद		859	900	1000
3	अन्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ		1166	1200	1250
4	चावल				
	बासमती		1866	1915	2000
	गैर-बासमती		4335	4400	4450
5	समुद्रीय उत्पाद		4627	4770	5000

अध्याय 7 : औद्योगिक विकास (खनिजों सहित)

संलग्नक 7.5

योजना परिव्यय/ व्यय
लघु और कृषि ग्राम उद्योग तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	उद्योग उप- क्षेत्र	1998-99	1999-2000 (ब. अ.)			1999-00 (सं. अ.)			2000-01		
		वास्तविक	परिव्यय	बी एस	आई ई बी आर	परिव्यय	बी एस	आई ई बी आर	परिव्यय	बी एस	आई ई बी आर
लघु उद्योग और कृषि ग्राम उद्योग विभाग											
1	एस आई डी ओ	65.82	93.50	93.50	0.00	87.34	87.34	0.00	86.50	86.50	0.00
2	पी एम आर वाई	135.46	173.00	173.00	0.00	190.00	190.00	0.00	201.00	201.00	0.00
3	एन एस आई सी	27.60	145.00	30.00	115.00	144.00	29.00	115.00	160.00	40.00	120.00
4	के वी आई सी	346.23	300.75	300.75	0.00	238.00	238.00	0.00	320.00	320.00	0.00
5	सी ओ आई आर	8.88	20.00	20.00	0.00	21.90	21.90	0.00	20.00	20.00	0.00
6	सी जी एफ एस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	100.00	20.00
7	अन्य एस सी एच जोड़ (एस एस आई तथा ए आर आई)	3.61	10.00	10.00	0.00	9.83	9.83	0.00	12.50	12.50	0.00
		587.60	742.25	627.25	115.00	691.07	576.07	115.00	920.00	775.00	145.00
कपड़ा मंत्रालय											
1	हथकढ़ा	81.37	88.50	88.50	0.00	84.95	84.95	0.00	138.07	138.07	0.00
2	विद्युत कढ़ा	3.63	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	10.00	10.00	0.00
3	रेशम पालन	63.49	69.00	69.00	0.00	69.00	69.00	0.00	77.20	77.20	0.00
4	हस्तशिल्प	49.22	53.00	53.00	0.00	53.00	53.00	0.00	60.00	60.00	0.00
5	ऊन जोड़ कपड़ा मंत्रालय- ग्रा. ल. उ.	4.50	6.50	6.50	0.00	6.50	6.50	0.00	8.43	8.43	0.00
		202.21	223.00	223.00	0.00	219.45	219.45	0.00	293.70	293.70	0.00
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग (उप क्षेत्रक वार)											
1	अन्न वसूली	0.63	0.75	0.75	0.00	0.75	0.75	0.00	0.50	0.50	0.00
2	फल और सब्जियां	7.24	15.50	15.50	0.00	10.85	10.85	0.00	18.40	18.40	0.00
3	दुग्ध उद्योग	4.31	5.50	5.50	0.00	2.50	2.50	0.00	5.00	5.00	0.00
4	मास और कुक्कट	4.32	6.50	6.50	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00
5	मत्स्य उत्पादन	9.29	12.50	12.50	0.00	13.85	13.85	0.00	12.10	12.10	0.00
6	निर्माण उद्योग	1.68	1.50	1.50	0.00	3.97	3.97	0.00	3.50	3.50	0.00
7	एफ पी आई निधि	0.00	1.00	1.00	0.00	0.01	0.01	0.00	1.00	1.00	0.00
8	सचिवालय सेवाएं जोड़ (खा. प्र. उ. वि.)	2.54	3.75	3.75	0.00	3.55	3.55	0.00	5.00	5.00	0.00
		30.01	47.00	47.00	0.00	39.98	39.98	0.00	50.00	50.00	0.00

अध्याय 7 : औद्योगिक विकास (खनिजों सहित)

संलग्नक 7.6

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार योजना परिव्यय और व्यय (उद्योग और खनन क्षेत्रक)

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1998 - 99 (वास्तविक)			1999 - 2000 (ब. अ.)			1999 - 2000 (सं. अ.)		
		ग्राम और लघु उद्योग सहित विशाल और मध्यम उद्योग	खनन	योग	ग्राम और लघु उद्योग सहित विशाल और मध्यम उद्योग	खनन	योग	ग्राम और लघु उद्योग सहित विशाल और मध्यम उद्योग	खनन	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	आंध्र प्रदेश				5874	170	6044	5874	170	6044
2.	अरुणाचल प्रदेश	709	25	734	597	36	633	530	34	564
3.	असम	5915	25	5940	5729	163	5892	4449	163	4612
4.	बिहार	1977	136	2113	4900	300	5200	3900	300	4200
5.	गोवा	266	17	283	250	18	268	250	17	267
6.	गुजरात				29090	700	29790	29090	700	29790
7.	हरियाणा	7956	9	7965	7100	10	7110	3516	10	3526
8.	हिमाचल प्रदेश				2946	78	3024	2274	62	2336
9.	जम्मू और कश्मीर				5199	350	5549	5313	349	5662
10.	कर्नाटक				15481	74	15555	15581	75	15656
11.	केरल				22380	140	22520	20920	90	21010
12.	मध्य प्रदेश				6518	895	7413	4365	648	5013
13.	महाराष्ट्र	10416	141	10557	12764	280	13044	12764	280	13044
14.	मणिपुर	1313	11	1324	4459	25	4484	4459	25	4484
15.	मेघालय				1350	150	1500	1085	142	1227
16.	मिजोरम	827	41	868	1351	80	1431	1433	80	1513
17.	नागालैंड	756	234	990	780	225	1005	1330	301	1631
18.	उड़ीसा				3519	398	3917	1342	370	1712
19.	पंजाब	1338	0	1338	5594	100	5694	2430	10	2440
20.	राजस्थान				15699	3889	19588	7260	3846	11106
21.	सिक्किम				488	49	537	488	49	537
22.	तमिलनाडु	13474	17	13491	10713	25	10738	24236	25	24261
23.	त्रिपुरा	1188	5	1193	712	0	712	1540	0	1540
24.	उत्तर प्रदेश				7275	201	7476	5326	2	5328
25.	प. बंगाल				37328	380	37708	26000	300	26300
	जोड़ राज्य				208096	8736	216832	185755	8048	193803
	संघ राज्य क्षेत्र									
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1427	0	1427	1400	0	1400	1400	0	1400
2.	चंडीगढ़	37.59	0	37.59	38	0	38	38	0	38
3.	दादरा और नागर हवेली	32	0	32	41	0	41	41	0	41
4.	दमन और दीव				26	0	26	26	0	26
5.	दिल्ली				2500	0	2500	2500	0	2500
6.	लक्षद्वीप	174	0	174	163.26	0	163.26	163.26	0	163.26
7.	पांडिचेरी	3285	0	3285	3633	0	3633	3653	0	3653
	जोड़ सं. रा. क्षे.				7801.26	0	7801.3	7821.3	0	7821.26
	कुल जोड़				215897.3	8736	224633	193576	8048	201624.26

नोट : वार्षिक योजना 1998-99 वास्तविक व्यय तथा वार्षिक योजना 2000-01 परिव्यय अभी एस पी प्रभाग द्वारा संकलित किए जाने हैं।

अध्याय 8 आधारिक संरचना विकास

8.1 ऊर्जा

8.1.1 विद्युत

नौवीं योजना में; अन्तिम वर्ष 2001-02 के अन्त तक यूटिलिटियों (जनोपयोगी सेवाएं) के 606.70 बी के डब्ल्यू एच (बिलियन किलोवाट हावर्स) के विद्युत उत्पादन लक्ष्य की परिकल्पना की गई है, जबकि आठवीं योजना के अन्त तक 394.5 बी यू का ऊर्जा उत्पादन हुआ था।

2. नौवीं योजना अवधि के दौरान 40245 एम डब्ल्यू की अतिरिक्त क्षमता परिकल्पित है, जिसमें केन्द्रीय क्षेत्रक में 11909 एम डब्ल्यू, राज्य क्षेत्रक में 10748 एम डब्ल्यू सम्मिलित है और शेष 17588 एम डब्ल्यू निजी क्षेत्रक में सम्मिलित है। निजी क्षेत्रक से प्रस्तावित अतिरिक्त क्षमता, नौवीं योजना के दौरान कुल क्षमता अभिवृद्धि का लगभग 43.7 प्रतिशत है।

3. नौवीं योजना (1997-2002) के प्रारंभ में, ऊर्जा घाटा 11.5 प्रतिशत और शीर्ष घाटा 18 प्रतिशत था। नौवीं योजना अवधि के दौरान 40245 एम डब्ल्यू की लक्षित अतिरिक्त क्षमता के साथ, नौवीं योजना के अन्त में विद्युत आपूर्ति स्थिति, सी ई ए द्वारा यथा मूल्यांकित, 1.4 प्रतिशत ऊर्जा घाटे और 11.6 प्रतिशत शीर्ष घाटे को इंगित करती है। किंतु, प्रथम तीन वर्षों, अर्थात् 1997-2000 के दौरान 11976 एम डब्ल्यू की क्षमता अभिवृद्धि के साथ ऊर्जा घाटा 6.2 प्रतिशत तक और शीर्ष घाटा 12.4 प्रतिशत तक सीमित था। विद्युत आपूर्ति स्थिति में सुधार अंशतः पी एल एफ में उल्लेखनीय सुधार के कारण था, जो 1991-92 में आठवीं योजना के प्रारंभ में 55.3 प्रतिशत था और 1999-2000 के अन्त में बढ़कर 67.3 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 1999-2000 के संबंध में समीक्षा

विद्युत (यूटिलिटियों) का उत्पादन

4. 469 बी के डब्ल्यू एच के लक्ष्य के विरुद्ध वर्ष के दौरान वास्तविक उत्पादन 480.011 बी के डब्ल्यू एच था, जो 2.3 प्रतिशत के मामूली सुधार का द्योतक है। पन विद्युत उत्पादन के मामले में उपलब्धि 99.4 प्रतिशत थी, तथापि, नाभिकीय और ताप उत्पादन लक्ष्य से क्रमशः 20.5 प्रतिशत और 2.4 प्रतिशत अधिक हुआ। 1999-2000 के दौरान कुल उत्पादन 1998-99 की तुलना में, 7.1 प्रतिशत अधिक था।

5. उपरोक्त के अतिरिक्त, भूटान में चूखा जल विद्युत परियोजना से भी लगभग 1.33 बी के डब्ल्यू एच बिजली उपलब्ध हुई।

6. यूटिलिटियों के संबंध में वर्ष 1999-2000 के लिए स्रोत-वार उत्पादन लक्ष्य और उपलब्धियाँ, वर्ष 1998-99 के वास्तविकों और 2000-2001 के लिए पूर्वानुमान के साथ, सारणी 8.1.1 में दर्शाई गई है।

सारणी 8.1.1
स्रोत-वार विद्युत उत्पादन

(मिलियन यूनिट)

	1998-99	1999-2000		2000-2001
	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य
जल विद्युत	82690	81000	80533	83407
ताप	353662	377000	386226	402000
नाभिकीय	12015	11000	13252	13593
जोड़	448367	469000	480011	499000

7. वर्ष 1999-2000 में वास्तविक उत्पादन का स्रोत-वार विवरण संलग्नक 8.1.1 में दिया गया है।

8. वर्ष 1999-2000 के दौरान, अखिल भारत संयंत्र भार कारक (पी एल एफ) का लक्ष्य ताप विद्युत केन्द्रों के लिए 63.8 प्रतिशत था। वास्तविक पी एल एफ उपलब्धि 67.3 प्रतिशत थी। सारणी 8.1.2 में वर्ष 1998-99 के लिए पी एल एफ का क्षेत्रक वार विवरण (वास्तविक), 1999-2000 (लक्ष्य) और (वास्तविक) तथा 2000-2001 (लक्ष्य) दर्शाया गया है। सभी राज्य विद्युत बोर्डों, केन्द्रीय विद्युत संगठनों और निजी क्षेत्रक के लिए पी एल एफ के संबंध में लक्ष्य और उपलब्धि का उल्लेख संलग्नक 8.1.2 में किया गया है।

सारणी 8.1.2
क्षेत्रक-वार संयंत्र भार कारक (प्रतिशत)

	1998-99	1999-2000		2000-2001
	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य
केन्द्रीय क्षेत्रक	71.1	66.1	73.6	68.4
राज्य क्षेत्रक	60.7	62.7	63.7	65.8
निजी क्षेत्रक	68.3	62.2	68.9	67.0
अखिल भारत	64.6	63.8	67.3	66.7

क्षमता में अभिवृद्धि

9. 1999-2000 के दौरान उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि का लक्ष्य 4685 एम डब्ल्यू था जबकि उपलब्धि 4507.5 एम डब्ल्यू (96.2 प्रतिशत) थी जैसा कि सारणी 8.1.3 में दर्शाया गया है। इसमें 623 एम डब्ल्यू की वह क्षमता भी शामिल है जो 2000-01 से पहले हो गई थी तथा जिसे मूल कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया।

सारणी 8.1.3
क्षमता में अभिवृद्धि (एम डब्ल्यू)

	1998-99	1999-2000		2000-2001
	वास्तविक	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
पन विद्युत	542.50	1563.00	1371.50	1297.00
ताप	3699.50	2682.00	2696.00	2263.30
नाभिकीय	—	440.00	440.00	440.00
जोड़	4242.00	4685.00	4507.50	4000.30

10. उपलब्धियों के परियोजना-वार ब्योरे संलग्नक 8.1.3 में दिए गए हैं। कुल 800.5 एम डब्ल्यू के साथ उत्पादन यूनिटों की संख्या 19 थी जो 1999-2000 उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम से कम हो गई। इसमें 516.5 एम डब्ल्यू पन विद्युत (11 उत्पादन यूनिट) और 284 एम डब्ल्यू ताप विद्युत (8 उत्पादन यूनिट) सम्मिलित है। पूरी सूची संलग्नक 8.1.4 में दी गई है। कमियां मुख्य रूप से उपस्कर की आपूर्ति में देरी और निर्माण कार्य में देरियों के कारण रहीं।

पारेषण और वितरण

11. एच वी डी सी/ 800 के वी/ 400 के वी/220 के वी पारेषण लाइनों के निर्माण/ ऊर्जायन के संबंध में कार्यक्रम और उपलब्धि सारणी 8.1.4 में दी गई है।

सारणी 8.1.4
पारेषण लाइनों में अभिवृद्धि

	1998-99	1999-2000		2000-2001
	वास्तविक	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
एच वी डी सी	1132			
800 के वी	318	416	416	335
400 के वी	3262	3128	3336	1635
220 के वी	3330	3553	3932	5466

पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण (आर एण्ड एम)

12. विद्यमान ताप विद्युत संयंत्रों के निष्पादन में सुधार करने के उद्देश्य से, आर एण्ड एम (प्रथम चरण) कार्यक्रम, सातवीं योजना अवधि के दौरान पूरा करने हेतु, 1984 में शुरू किया गया था। कार्यक्रम के अन्तर्गत यूनिटों के समग्र पी एल एफ में सुधार करके 7000 एम यू प्रति वर्ष के अतिरिक्त उत्पादन की प्रत्याशा की गई थी। प्रथम चरण के तहत सभी स्कीमें पूरी हो गई हैं। औसतन लगभग 10,000 एम यू प्रति वर्ष के अतिरिक्त उत्पादन की उपलब्धि हुई है जो 60 प्रतिशत पी एल एफ पर अतिरिक्त क्षमता के 1900 एम डब्ल्यू के समकक्ष है।

13. पुराने ताप यूनिटों से इष्टतम निष्पादन प्रतिफल प्राप्त करने के मुख्य उद्देश्य से आर एण्ड एम कार्यक्रम का द्वितीय चरण 1990-91 में शुरू किया गया है। आर एण्ड एम कार्यक्रम (द्वितीय चरण) की कुल स्वीकृत लागत 2383.00 करोड़ रुपए है, जिसमें कुल 20869 एम डब्ल्यू क्षमता के 198 उत्पादन यूनिटों को मिलाकर 44 पुराने ताप विद्युत केन्द्र शामिल हैं। द्वितीय चरण के अन्तर्गत स्कीम का कार्यान्वयन प्रगति पर है। नवम्बर 1999 तक कुल 1147 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो चुकी है। इसमें पी एफ सी ऋण के माध्यम से 207.67 करोड़ रुपए, विश्व बैंक/ ओ ई सी एफ ऋण के माध्यम से 222.33 करोड़ रुपए और शेष 717 करोड़ रुपए राज्य योजना स्वयं संसाधनों के अन्तर्गत सम्मिलित है। कुल 1629 कार्यों में से 914 कार्य (56.1 प्रतिशत) पूरे हो गए हैं। शेष कार्य नौवीं योजना अवधि के दौरान पूरा करने का प्रस्ताव है। द्वितीय चरण कार्यक्रम के पूरा हो जाने पर 7864 एम यू/ वर्ष का अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होने की उम्मीद है, जो नई क्षमता अभिवृद्धि के 1600 एम डब्ल्यू के समकक्ष है। इसके अतिरिक्त, 24 और इकाइयों (1402 एम डब्ल्यू) की कार्यावधि 15-20 वर्ष तक बढ़ने की उम्मीद है।

14. सी ई ए ने, पन विद्युत केन्द्रों के पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण और स्तरोन्नयन (आर एम एण्ड यू) के अन्तर्गत कवर किए जाने के वास्ते 9653 एम डब्ल्यू (210 उत्पादन यूनिट) की कुल क्षमता के साथ 55 पन विद्युत केन्द्र भी विनिर्धारित किए हैं। कार्यक्रम की कुल अनुमानित लागत

1493 करोड रुपए है तथा आशान्वित लाभ 2531 एम डब्ल्यु/ 7181 एम यू है। 55 स्कीमों में से, 437 करोड रुपए की अनुमानित लागत पर कुल 5230 एम डब्ल्यु क्षमता तथा 1033 एम डब्ल्यु/ 1899 एम यू के आशान्वित लाभ वाली 24 स्कीमों पर कार्य 31.3.1999 तक पूरा हो गया है। कुल 3335 एम डब्ल्यु की स्थापित क्षमता के साथ 23 स्कीमें चल रही हैं, जहाँ 796 करोड रुपए की अनुमानित लागत पर, 951 एम डब्ल्यु/ 2694 एम यू के आशान्वित लाभ के साथ, आर एम एण्ड यू कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर है। आशा है कि इन 23 स्कीमों में से 11 स्कीमें नौवीं योजना के दौरान पूरी हो जाएंगी।

रा. वि. बोर्डों का वित्तीय निष्पादन

15. रा. वि. बोर्डों के आन्तरिक संसाधन नकारात्मक बने रहे। वार्षिक योजना 2000-2001 के लिए संसाधनों पर चर्चा के आधार पर उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, रा. वि. बोर्डों के निवल आन्तरिक संसाधन, जो 1992-93 में (-) 161.5 करोड रुपए थे, 1998-99 (सं. अ.) में बढ़कर (-) 7,056.90 करोड रुपए हो गए। वर्ष 1999-2000 में इनके (-) 6,479.70 करोड रुपए होने की उम्मीद है। सब्सिडी के बिना रा. वि. बोर्डों की वाणिज्यिक हानियाँ, जो 1996-99 के दौरान 8,474 करोड रुपए थी, वार्षिक योजना 1999-2000 (सं. अ.) के अन्त में बढ़कर (-) 20,706.6 करोड रुपए हो गई। रा. वि. बोर्डों की निवल अचल परिसम्पत्तियों पर प्रतिफल की दर (आर. ओ. आर), 1996-97 में इसके (-) 17.15 प्रतिशत के स्तर पर थी। 1999-2000 (सं. अ.) में इसके (-) 31.00 प्रतिशत हो जाने की उम्मीद है।

16. यदि रा. वि. बोर्डों को प्रतिफल की ब्रेक-इवन दर, अर्थात् 1999-2000 में प्रतिशत प्रतिफल दर (आर ओ आर) प्राप्त करनी है तो इन्हें औसत टैरिफ चालू औसत टैरिफ की तुलना में 66.1 पैसे/ यूनिट तक अखिल भारत आधार पर बढ़ाना होगा। इससे 13,816.6 करोड रुपए तक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। 3 प्रतिशत आर ओ आर प्राप्त करने के वास्ते अखिल भारत आधार पर औसत टैरिफ 72.8 पैसे/ यूनिट तक बढ़ाना होगा और इससे 22,709.9 करोड रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। यदि रा. वि. बोर्डों द्वारा 50 पैसे/ यूनिट की न्यूनतम दर पर कृषि टैरिफ आरोपित किया जाए तो वे 1999-2000 में 2,912.7 करोड रुपए तक का अतिरिक्त राजस्व जुटा सकते हैं।

वार्षिक योजना 2000-2001

विद्युत (यूटिलिटियों) का उत्पादन

17. 1999-2000 में यूटिलिटियों में कुल विद्युत उत्पादन 499 पी के डब्ल्यु एच होने का अनुमान है (सारणी 8.1.1)। क्षेत्र-वार ब्यारे संलग्नक 8.1.1 में दिए गए हैं।

18. वर्ष 2000-2001 के लिए परिकल्पित कुल उत्पादन पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में लक्ष्य से 6.4 प्रतिशत अधिक है। परिकल्पित समग्र संयंत्र भार कारक (पी एल एफ) 66.7 प्रतिशत है। भूटान में चूरवा पन विद्युत परियोजना से भी लगभग 1.33 बी के डब्ल्यु एच ऊर्जा उपलब्ध होने की उम्मीद है।

क्षमता में अभिवृद्धि

19. वर्ष 2000-2001 के दौरान स्थापित क्षमता में अभिवृद्धि का लक्ष्य 4000.3 एम डब्ल्यु है (सारणी 8.1.3) इसमें 1999-2000 से कम रह गई कुल 800.5 एम डब्ल्यु क्षमता की परियोजनाएं सम्मिलित हैं।

20. वर्ष 2000-2001 के लिए लक्षित कुल अतिरिक्त उत्पादन क्षमता में से, 659 एम डब्ल्यू क्षमता केन्द्रीय क्षेत्रक में, 2415 एम डब्ल्यू राज्य क्षेत्रक में और 926.3 एम डब्ल्यू निजी क्षेत्रक में चालू होने की उम्मीद है। 2000-2001 के दौरान स्थापित क्षमता में अभिवृद्धियों के योजना-वार ब्योरे संलग्नक 8.1.5 में दिए गए हैं।

योजना परिव्यय

21. 1999-2000 के दौरान विद्युत क्षेत्रक (ग्रामीण विद्युतीकरण सहित) में कुल खर्च का अनुमान लगभग 21,845.96 करोड़ रुपए है जबकि अनुमोदित परिव्यय 26,825 करोड़ रुपए है जैसा कि सारणी 8.1.5 में दर्शाया गया है।

सारणी 8.1.5
वार्षिक योजना परिव्यय

	1998-99	1999-2000		2000-2001
	संशोधित अनुमान	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित अनुमान	अनुमोदित परिव्यय
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र .	13243.61	15594.09	12479.18	• •
केन्द्रीय क्षेत्रक .	• 8157.08	11230.91	9366.78	11610.83
जोड़	21400.69	26825.00	21845.96	

- ब्योरे संलग्नक 8.1.6 में दिए गए हैं।
- वास्तविक
- अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

22. विद्युत क्षेत्रक में विकास कार्यक्रम के लिए उपलब्ध ग्रामीण विद्युतीकरण (आर ई) संघटक को छोड़कर, अन्य प्रावधानों का उपयोग सारणी 8.1.6 में दर्शाया गया है।

सारणी 8.1.6
अन्य प्रावधानों का उपयोग

(करोड़ रुपये)

	1998-99	1999-2000		2000-2001
	संशोधित अनुमान	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित अनुमान	अनुमोदित परिव्यय
पूर्वोत्तर परिषद (एन ई सी) के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का अविद्युत संघटक	उपलब्ध नहीं	198.01	214.50	208.52 • • अस्थाई

परिबद्ध (कैप्टिव) विद्युत

23. वर्ष 1997-98 के दौरान यूटिलिटी-भिन्न के संबंध में स्थापित क्षमता में अभिवृद्धि लगभग 1087.6 एम डब्ल्यू थी। इस अभिवृद्धि के साथ ऐसे संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता 1997-98 के अन्त तक 13166 एम डब्ल्यू (रेलवे सहित) तक हो जाने का अनुमान है। 1997-98 में यूटिलिटी-भिन्न से उत्पादन 44 बीयू (लगभग) अनुमानित था।

विदेशी सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाएं

24. द्विपक्षीय और बहुपक्षीय करारों के माध्यम से आठवीं योजना के दौरान विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता की कुल राशि 16,702.72 करोड़ रुपए थी जिसमें से वास्तव में उपयोग की गई राशि केवल 15,493.52 करोड़ रुपए, अर्थात् केवल 92.8 प्रतिशत थी। आठवीं योजना वार्षिक योजना 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान वर्ष-वार आबंटन तथा वास्तविक उपयोग सारणी 8.1.7 में दर्शाया गया है। विद्युत परियोजनाओं के मामले में विदेशी सहायता के उपयोग न किए जाने के कुछेक कारक परियोजना प्रबंधन में अक्षमता और निर्माण कार्य में देरी का होना है।

सारणी 8.1.7

आठवीं योजना, वार्षिक योजना 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान वर्ष वार आबंटन और वास्तविक उपयोग

(करोड़ रुपये)

वर्ष	आबंटन	उपयोग	(प्रतिशत) प्रयोग
1992 - 93	2671.69	2530.72	94.72
1993 - 94	2532.47	2842.80	112.25
1994 - 95	3602.53	3338.82	92.67
1995 - 96	3078.18	2595.84	84.33
1996 - 97	4817.85	4185.34	86.00
कुल (नौवीं योजना)	16702.72	15493.52	92.76
1997 - 98			
केंद्रीय क्षेत्रक	2704.00	2309.14	85.40
राज्य क्षेत्रक	1363.58	1559.07	114.34
कुल	4067.58	3868.21	95.10
1998 - 99			
केंद्रीय क्षेत्रक	2538.00	2179.64	85.88
राज्य क्षेत्रक	1859.06	1832.45	98.57
कुल	4397.06	4012.09	91.24
1999 - 2000			
केंद्रीय क्षेत्रक	1724.69	1491.92	86.50
राज्य क्षेत्रक	1948.82	1751.05	89.85
कुल	3673.51	3242.94	88.28

विद्युत क्षेत्रक में निजी भागीदारी

25. विद्युत में निजी क्षेत्रक भागीदारी के संबंध में नीति की घोषणा अक्टूबर 1991 में की गई थी ताकि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो सकें। भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 और विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 में संशोधन किया गया है जिससे कि विद्युत क्षेत्रक में निजी उद्यमों के लिए नया विधिक और वित्तीय परिवेश कायम हो सके।

26. आठवीं योजना के दौरान विद्यमान लाइसेंसधारियों और नई उत्पादक कम्पनियों द्वारा, 2810 एम डब्ल्यू के लक्ष्य के विपरीत निजी क्षेत्रक में 1430 एम डब्ल्यू की अभिवृद्धि हुई। 1997-98 में 1217.5 एम डब्ल्यू, 1998-99 में 1575 एम डब्ल्यू और 1999-2000 में 563 एम डब्ल्यू की क्षमता अभिवृद्धि के साथ, 31 मार्च 2000 को निजी क्षेत्रक में कुल क्षमता अभिवृद्धि 4785.5 एम डब्ल्यू बैठती है।

ऊर्जा के नए तथा नवीकरणीय स्रोत

एक दृष्टि

27. अ-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एम एन ई एस), विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित और उनका विकास कर रहा है जिसमें सुधरे चूल्हे, बायोगैस संयंत्र, लघु आवर्तन ईंधन काष्ठ वृक्ष स्पीशीज, बायोमास गैसीफायर, सौट ताप और सौर फोटोवोल्टिक पद्धतियाँ, पवन फार्म, पवन मिल, बायोमास आधारित सह-उत्पादन, लघु और माइक्रो पन विद्युत पद्धतियाँ, शहरी म्युनिसिपल और औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति, हाइड्रोजन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, ईंधन-प्रकोष्ठ, इलेक्ट्रॉनिक्स और गैसोहोल शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में, संसाधन मूल्यांकन, आर एण्ड डी, प्रौद्योगिकी विकास और प्रदर्शन के कार्यक्रम हैं। एम एन ई एस द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चौतरफा नीति का अनुसरण किया जा रहा है जिसमें ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय स्रोतों के प्रोत्साहन के माध्यम से अ-परम्परागत ऊर्जा से निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय स्रोतों के प्रोत्साहन के लिए आई आर ई डी ए व अन्य संस्थाओं के माध्यम से आन्तरिक संसाधन जुटाना, निजी उद्योगों का सहयोग प्राप्त करना और विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक आदि जैसी विदेशी एजेन्सियों से संसाधन जुटाना शामिल है।

वार्षिक योजना 1999-2000 की समीक्षा

28. राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना (एन पी बी डी) के अन्तर्गत 60.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के साथ वर्ष 1999-2000 के लिए 1.68 लाख परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। मार्च 2000 तक, 1.65 लाख संयंत्र स्थापित किए जा चुके थे और उम्मीद है कि लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। 60.01 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। वर्ष 1999-2000 के दौरान 24 लाख सुधरे चूल्हों के लक्ष्य के विपरीत, फरवरी 2000 के अन्त तक 18.00 लाख चूल्हे स्थापित किए जा चुके हैं। तथा शेष लक्ष्य वर्ष के दौरान प्राप्त हो जाने की उम्मीद है। इस वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 19.60 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। बायोमास गैसीफायर कार्यक्रम के अन्तर्गत 3.9 एम डब्ल्यू क्षमता वर्ष के दौरान स्थापित की गई है। सौर फोटोवोल्टिक रोशनी कार्यक्रम के अन्तर्गत, 25,341 गृह रोशनी, 56,721 एस पी वी लेनटर्न और 3,593 सडक प्रकाश पद्धतियाँ वर्ष 1999-2000 के दौरान स्थापित की गईं। वर्ष के दौरान सौर जल ऊष्माकरण पद्धतियों के 22,692 वर्ग मी. संग्रहकर्ता क्षेत्र कायम किए गए। विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत, 125 एम डब्ल्यू पवन ऊर्जा, 33.52 एम डब्ल्यू लघु पन विद्युत और 51 एम डब्ल्यू बायोमास विद्युत की वर्षा के दौरान स्थापना की गई। एम एन ई एस के अन्य कार्यक्रमों में भी उपलब्धियां संतोषजनक हैं। कार्यक्रमों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की, योजना आयोग, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय व अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों की भागीदारी के साथ मंत्रालय में आयोजित त्रै- मासिक समीक्षा बैठकों में नियमित रूप से समीक्षा की गई। वर्ष 1999-2000 के दौरान 319.47 करोड़ रुपए की संशोधित सकल बजटीय सहायता के विपरीत 317.49 करोड़ की राशि खर्च की गई, जो संशोधित अनुमानों की लगभग 99 प्रतिशत है। वर्ष के दौरान वास्तविक और वित्तीय प्रगति संतोषजनक और पिछले वर्ष की उपलब्धियों से भी अधिक रही।

वार्षिक योजना 2000-2001

29. वर्ष 2000-2001 के लिए एम एन ई एस के कुल परिव्यय की अनुमोदित राशि 945.24 करोड़ रुपए है। (440 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता और 505.24 करोड़ रुपए के आई ई बी आर)। ऊपर इंगित वित्तीय प्रावधान के अन्तर्गत, ग्रामीण ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ऊर्जा के

नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन, शहरों और औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा और आई आर ई डी ए, एम एन ई एस के अधीन वित्तीय एजेन्सी के लिए इक्विटी समर्थन के कार्यक्रम शामिल हैं। इसमें से, 44.00 करोड़ रुपए की राशि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए निश्चित की गई है। 1.8 लाख परिवार आकार के बायो गैस संयंत्र, 25 लाख सुधरे चूल्हे, 70,000 सौर लेनटर्न, 50,000 गृह प्रकाश पद्धतियाँ, 3,000 सड़क प्रकाश पद्धतियाँ, 700 एस पी वी पम्प, 200 एम डब्ल्यू पवन विद्युत, 60 एम डब्ल्यू बायोमास विद्युत, 7 एम डब्ल्यू समकक्ष बायोमास गैसीफायर पद्धतियाँ, 40 एम डब्ल्यू लघु पन विद्युत तथा शहरी और औद्योगिक अपशिष्टों से 10 एम डब्ल्यू समकक्ष ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव है। लगभग नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और उपलब्धियाँ सारणी 8.1.8 में दर्शाई गई हैं।

सारणी 8.1.8
नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और उपलब्धियाँ

स्रोत/ पद्धति	लगभग क्षमता	उपलब्धियाँ (31.3.2000 तक)
बायोगैस सं. (सं.)	12 मिलियन	2.98 मिलियन
सुधरे चूल्हे (सं.)	120 मिलियन	32.00 मिलियन
बायोमास	17,000 एम डब्ल्यू	35.00 एम डब्ल्यू
सौर फोटोवोल्टिक	20 एम डब्ल्यू/ व. मी.	50 एम डब्ल्यू
सौर तापीय पद्धतियाँ सौर जल ऊष्माकरण	30 मिलियन व. मी.	0.47 मिलियन व. मी.
पवन विद्युत	20,000 एम डब्ल्यू	1167.00 एम डब्ल्यू
लघु पन विद्युत	10,000 एम डब्ल्यू	216.97 एम डब्ल्यू
शहरी और म्युनिसिपल अपशिष्ट	1700 एम डब्ल्यू	15.74 एम डब्ल्यू

8.1.2 कोयला और लिग्नाइट

वार्षिक योजना 2000-01

30. नौवीं योजना में, कोयला परियोजनाओं की लम्बी गेस्टेशन अवधियों को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत क्षेत्रक के लिए तेजी से बढ़ती मांग को देखते हुए एक दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य के साथ, सुधरी उत्पादकता, क्षमता उपयोग, प्रौद्योगिकी अपनाने, परियोजना स्वीकृति और कार्यान्वयन, अन्वेषण, संरक्षण, मांग प्रबंधन आदि के जरिए देशज कोयला उत्पादन बढ़ाने और सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों को बेहतर संसाधन उत्पादन, वाणिज्यिक प्रचालन आदि हेतु और अधिक स्वायत्त बनाने की परिकल्पना की गई है। आवश्यक विधायी संशोधनों के जरिए वाणिज्यिक कोयला खनन में निजी क्षेत्र कोयला कम्पनियों के प्रयासों को समर्थन प्रदान करने के लिए परिकल्पित महत्त्वपूर्ण उपायों में से एक उपाय है।

31. इसके विपरीत, योजना के प्रथम दो वर्षों में कोयला मांग और देशज उत्पादन में कमी हुई है। किन्तु, वर्ष 1999-2000 के दौरान कोयला उठान में मामूली सुधार और कोयला उत्पादन में मामूली कमी होने की प्रत्याशा है, जैसा कि सारणी 8.1.9 और 8.1.10 में दर्शाया गया है।

32. प्रथम दो वर्षों में उठान में कमी का मुख्य कारण प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्रकों, जैसे कि विद्युत, इस्पात, सीमेंट आदि द्वारा अर्थव्यवस्था में अस्थायी मन्दी के कारण कम उठान और साथ ही परिकल्पित नई कोयला-आधारित उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि को मूर्त रूप न दिया जाना था। इसके अलावा, ताप विद्युत केन्द्रों के संसाधनों की तंगी के कारण अपने भण्डारों की खपत करके अपना उठान नियंत्रित किया, जिसके फलस्वरूप भार केन्द्रों पर 30 दिन की भण्डार स्थिति के सहमत मानदण्ड का पालन न हुआ।

33. जनवरी 2000 से सभी ग्रेडों के कोयले की कीमतें विनियमित कर दी गई हैं और निजी क्षेत्र को वाणिज्यिक कोयला खनन में अनुमति देने का विधेयक मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में अनुमोदित कर दिया गया है और उसे विचारार्थ संसद के पटल पर रखा गया है।

कोयले की मांग

34. वर्ष 2000-01 के लिए कोयले की मांग का लक्ष्य 333.85 मी. ट. निश्चित किया गया है, जिसमें 5.02 मी. ट. वाशरी मिडलिंग सम्मिलित नहीं है, जबकि प्रत्याशित खपत 315.32 मी. ट. है, जिसमें 1999-00 में वाशरी मिडलिंग का 4.95 मी. ट. शामिल नहीं है, जो 1999-00 में प्रत्याशित खपत से लगभग 6 प्रतिशत अधिक है और जिसका मुख्य कारण विद्युत क्षेत्रक द्वारा मांग में वृद्धि का होना है। नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में औसत वार्षिक मिश्रित वृद्धि 2.1 प्रतिशत बैठती है जबकि मध्यावधि के दौरान 4.6 प्रतिशत वृद्धि का संशोधित लक्ष्य रखा गया है। क्षेत्रकवार ब्योरा सारणी 8.1.9 में दिया गया है।

सारणी 8.1.9
कोयला और मांग/ उठान

क्र. सं.	क्षेत्रक	1997-98	1998-99	1999-2000		2000-01	2001-02
		वास्तविक	वास्तविक	लक्ष्य	प्रत्याशित	लक्ष्य	एम टी ए के अनुसार पूर्वानुमान
	कोकिंग कोयला						
1.	इस्पात	33.06	31.27	36.02	31.47	36.76	44.60
2.	कोक ओवन			0.81	0.71	0.74	2.00
	उप जोड़ कोकिंग	33.06	31.27	36.83	32.18	37.50	46.60
	कोकिंग - भिन्न						
3.	विद्युत यूटिलिटी	212.92 (3.62)	205.38 (3.02)	214.00 (3.00)	216.53 (3.56)	223.63 (3.37)	235.00 (5.00)
4.	सीमेंट	10.13	13.23	10.00	14.63	15.42	21.40
5.	इस्पात डी आर	2.62	2.42	3.58	2.55	3.26	4.20
6.	रेलवे	0.05	0.03	-	-	-	-
7.	उर्वरक	4.64	4.10	4.30	3.21	3.70	3.80
8.	एल टी सी/ साफ्ट कोक	0.04	0.04	0.04	0.04	-	3.00
9.	निर्यात	0.06	0.04	0.07	0.04	0.07	1.00
10.	परिबद्ध विद्युत	16.19 (1.58)	16.15 (1.40)	16.42 (-)	17.27 (1.30)	18.51 (1.56)	25.80 (2.70)
11.	बी आर के व अन्य	23.64 (0.60)	25.75 (0.59)	23.34 (-)	26.06 (0.09)	27.85 (0.09)	26.00 (-)
12.	कोलि0 खपत	3.06	2.88	3.25	2.81	3.91	4.00
	उप-जोड़ - कोकिंग-भिन्न	273.35 (5.80)	270.02 (5.01)	275.00 (3.00)	283.14 (4.95)	296.35 (5.02)	324.20 (7.70)
	कुल जोड़	306.41 (5.80)	301.29 (5.01)	311.83 (3.00)	315.32 (4.95)	333.85 (5.02)	370.80 (7.70)

टिप्पणी 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वाशरी मिडलिंग हैं और कुल जोड़ में शामिल नहीं हैं

2. इस्पात मांग में, 1997-98 में 9.77 मी. ट.; 1998-99 में 8.37 मी. ट.; 1999-2000 में 8.09 मी. ट.; 2000-01 में प्रत्याशित और 11.6 मी. ट. का आयातित कोकिंग कोयला सम्मिलित है।

35. कोयले का उठान प्रभावित हुआ है क्योंकि प्रमुख उपभोक्ता क्षेत्रक सम्बद्ध मात्राओं को नहीं उठा रहे हैं और रा. वि. बोर्डों की संसाधन तंगी के कारण वे अपने भण्डारों से खपत कर रहे हैं तथा इस्पात क्षेत्रक के लिए कोकिंग कोयले की गुणवत्ता संबंधी समस्याएं और सीमेंट के निर्यात के विरुद्ध कुछ शुल्क-मुक्त आयात है। फलसवरूप, कोयला कम्पनियों ने खदान-मुख भण्डारों के जमाव से बचने के लिए कोयला उत्पादन के विनियमन का मार्ग अपनाया है। तथापि, चालू वर्ष में इन क्षेत्रकों के उठान में थोड़ा सा सुधार होने की प्रत्याशा है यदि विद्युत क्षेत्रक भार केन्द्रों पर 30 दिन की भण्डार स्थिति के निर्धारित मानदण्ड को बनाए रखा जाए और संकट स्थिति से बचने के लिए कोयले की सम्बद्ध मात्रा उठाई जाए।

कोयला उत्पादन

36. वर्ष 2000-01 के लिए कुल 308.07 मी. ट. कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है जबकि 1999-00 में प्रत्याशित उत्पादन 297.86 मी. ट. है। 2000-01 में उत्पादन का लक्ष्य, 1999-00 में प्रत्याशित उत्पादन से 3.4 प्रतिशत अधिक है। योजना के प्रथम तीन वर्षों में उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका जिसका मुख्य कारण विद्युत और सीमेंट जैसे बड़े उपभोक्ताओं द्वारा कम उठान को देखते हुए कोयला कम्पनियों द्वारा उत्पादन का विनियमन किया जाना था। परिणामसवरूप, नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में औसत वार्षिक मिश्रित वृद्धि केवल 1.4 प्रतिशत थी जबकि नौवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा के दौरान 2.86 प्रतिशत के विकास की परिकल्पना की गई थी। कम्पनी-वार कोयला उत्पादन का ब्योरा सारणी 8.1.10 में दिया गया है।

सारणी 8.1.10 कोयला उत्पादन

कंपनी	1997-98	1998-99	1999-2000		2000-01	2001-02
	वास्तविक	वास्तविक	लक्ष्य	प्रत्याशित	लक्ष्य	एम टी के अनुसार पूर्वानुमान
ई सी एल	27.42	27.16	29.00	28.00	28.00	29.50
बी सी सी एल	30.92	27.17	27.50	29.00	29.50	30.00
सी सी एल	33.08	32.18	33.50	32.00	34.00	36.00
एल सी एल	37.12	36.52	37.50	37.50	39.00	41.00
डब्ल्यू सी एल	32.52	31.75	32.00	32.00	33.00	34.60
एस ई सी एल	56.63	57.56	59.50	58.00	60.00	66.00
एम सी एल	42.17	43.51	42.40	42.00	43.00	47.40
एन ई सी	0.69	0.64	0.60	0.50	0.50	0.50
सी आई एल	260.55	256.49	262.00	259.00	267.00	285.00
एस सी सी एल	28.94	27.33	31.00	30.06	31.67	34.00
टिस्को / ईसको / डी वी सी	6.31	6.34	6.80	6.80	7.40	7.60
परिबद्ध		2.00	2.00	2.00	2.00	2.26
जोड़	295.80	292.16	301.80	297.86	308.07	328.86

37. बड़े उपभोक्ता क्षेत्रकों द्वारा कम उठान को देखते हुए कोयला क्षेत्रक को खदान-मुख भण्डारों में वृद्धि से बचने के लिए उत्पादन लक्ष्य विनियमित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। फल-स्वरूप, कोयला कम्पनियों के आन्तरिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और वे क्षमता अभिवृद्धि के वास्ते नए निवेश करने से हिचकिचा रहे हैं। सी आई एल ने विचार व्यक्त किया है कि मांग में किसी बढ़ोत्तरी की अल्पावधि में चालू परियोजनाओं से पूरा होने की सम्भावना नहीं है। नई क्षमता अभिवृद्धि को ईंधन आपूर्ति करारों के माध्यम से वाणिज्यिक संविदाओं के साथ जोड़ना होगा। इस प्रकार, नई परियोजनाएं शुरू करने में देरी हो रही है जिसकी वजह से मध्यावधि और दीर्घावधि में कोयले की उपलब्धता में कमी हो सकती है। इसके अलावा वाणिज्यिक और कोयला खनन में निजी क्षेत्रक की प्रस्तावित भागीदारी में देरी हो रही है। इसके साथ ही, विद्युत परियोजनाओं की तुलना में कोयला परियोजनाओं की लम्बी गेस्टेशन अवधि के कारण दसवीं योजना अवधि के प्रारंभ के दौरान विद्युत क्षेत्रक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नौवीं योजना की विनिर्धारित परियोजनाओं को प्रारंभ करने की आवश्यकता पर कम बल दिया गया है।

धुले कोकिंग कोयले का उत्पादन

38. वर्ष 2000-01 में धुले कोकिंग कोयले का उत्पादन लक्ष्य 6.71 मी. ट. रखा गया है जिसमें 1999-00 में 0.90 मी. ट. प्रत्यक्ष फीड सहित 6.45 मी. ट. की प्रत्याशित उपलब्धि के विरुद्ध, सी आई एल स्रोतों से प्रत्यक्ष फीड का 0.90 मी. ट. शामिल है। मुख्यतः कच्चे कायले फीड की घटती हुई गुणवत्ता के कारण वाशरियों का समग्र उत्पादन लगभग 44 प्रतिशत से 1999-00 में 42 प्रतिशत रह गया। इसके अलावा रिपोर्ट मिली है कि सी आई एल में तीन कोकिंग कोयला वाशरियों को अभी हाल ही में कोकिंग-भिन्न कोयला वाशरियों में बदल दिया गया है। इस विषय में तत्काल ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि धुले कोकिंग कोयले की देशज आपूर्ति वर्षानुवर्ष कम होती जा रही है। इसके साथ ही, इस्पात क्षेत्रक द्वारा 1999-00 में लगभग 8.1 मी. ट. और 2000-01 में 11.6 मी. ट. कोकिंग कायले का आयात किए जाने की उम्मीद है।

आपूर्ति योजना

39. 2000-01 में 333.85 मी. ट. कच्चे कोयले की मांग का लक्ष्य, 308.07 मी. ट. देशज कोयला उत्पादन से, सी आई एल से 1.5 मी. ट. की स्टाक निकासी और इस्पात के लिए 11.6 मी. ट. कोकिंग कोयले के आयात द्वारा पूरा करने का प्रस्ताव है। फिर भी, 12.68 मी. ट. का अन्तर रह जाएगा जिसे सी आई एल स्रोतों से पूरा करने की जरूरत होगी।

उत्पादकता

40. वर्ष 2000-01 में ओ एम एस का लक्ष्य, सी आई एल के लिए 2.25 टन (0.66 टन भूमिगत और 6.04 टन ओपनकास्ट) तथा एस सी सी एल के लिए 1.58 टन (0.83 टन भूमिगत और 8.18 टन ओपनकास्ट) रखा गया है जबकि सी आई एल के लिए 2.11 प्रत्याशित ओ एम एस (भूमिगत 0.63 टन और ओपनकास्ट 5.66 टन) तथा एस सी सी एल के लिए 1.53 टन (भूमिगत 0.79 टन और ओपनकास्ट 7.45 टन) है। कोयला कम्पनियों की भूमिगत खानों की उत्पादकता में सुधार करने के लिए सभी सम्मिलित प्रयास करने आवश्यक हैं। क्योंकि ओ एम एस में सुधार मुख्यतः ओपन कास्ट खानों के कारण है।

लिग्नाइट

41. वर्ष 2000-01 के लिए निवेली लिग्नाइट निगम (एन एल सी) का लिग्नाइट उत्पादन लक्ष्य 17.50 मी. ट. रखा गया है जबकि 1999-00 में प्रत्याशित उत्पादन 16.90 मी. ट. है। यह इसकी निचली इकाइयों की आवश्यकताओं पर आधारित है तथा 0.7 मी. ट. खुली बिक्री के वास्ते, दक्षिणी क्षेत्र उद्योगों, विशेष रूप से सीमेंट क्षेत्रक के लिए है।

परियोजना कार्यान्वयन

42. भू अधिग्रहण और सम्बद्ध पुनर्वास, पर्यावरणीय और वानिकी स्वीकृतियां, विपरीत भू-खानन स्थितियों, संविदा प्रबंधन समस्याओं आदि की बाधाओं ने कोयला क्षेत्रक में परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करना जारी रखा। यद्यपि इन परियोजनाओं की विभिन्न स्तरों पर नियमित मानिट्रिंग की जाती है, फिर भी कार्यान्वयन में देरियों में कमी नहीं हो रही है, जैसी कि वांछित है। 87 चालू परियोजनाओं में से, जिनकी मानिट्रिंग की जा रही है, लगभग 43 प्रतिशत में, जिनमें से प्रत्येक की लागत 20 करोड़ रुपए और उससे अधिक है, देरी हो गई है।

43. भू-अधिग्रहण, वन भूमि स्वीकृति आदि के मामलों में संबंधित राज्य सरकारों का सहयोग अत्यंत वांछनीय है। इसी प्रकार कार्यान्वयन में संसाधन समस्याओं से बचने के लिए निवेशों को प्राथमिकता प्रदान करने पर गम्भीरतापूर्वक विचार किए जाने की जरूरत है।।

44. सरकार द्वारा वर्ष 1999-00 के दौरान कोई बड़ी कोयला परियोजना मंजूर नहीं की गई है। तथापि, कोयला कम्पनियों द्वारा अपनी प्रत्यायोजित शक्ति के अन्तर्गत 191.11 करोड़ रुपए की कुल पूँजी लागत के साथ (सी आई एल-143.60 करोड़ रुपए; एस सी सी एल-47.51 करोड़ रुपए) कुल 3.53 एम टी पी ए क्षमता की (सी आई एल-2.75 एम टी पी ए; एस सी सी एल-0.78 एम टी पी ए) 4 नई परियोजनाएं (सी आई एल-2 एस सी सी एल-2) मंजूर की गई हैं। क्षमता अभिवृद्धि की इस धीमी दर से दसवीं योजना अवधि में और उसके बाद देशज कोयले की उपलब्धता प्रभावित होगी।

खोज

45. कोयला तथा लिग्नाइट के संबंध में प्रोत्साहन खोज के लिए ड्रिलिंग का लक्ष्य 2000-01 में 1,53,500 मीटर (एम) रखा गया है, जबकि 1999-00 में प्रत्याशित उपलब्धि 1,65,000 एम है। कोयला कम्पनियों द्वारा 2000-01 में कोयले और लिग्नाइट के लिए विस्तृत ड्रिलिंग का लक्ष्य 2,25,250 एम है (सी आई एल-1,50,250 एम, एस सी सी एल-68,000 एम, और एन एल सी-7000 एम), जबकि 1999-00 में प्रत्याशित उपलब्धि 2,73,000 एम थी (सी आई एल-2,10,000 एम, एस सी सी एल-57,000 एम और एन एल सी-6000 एम)। सी आई एल के विस्तृत ड्रिलिंग आंकड़ों में सी आई एल-भिन्न ब्लॉक के अन्तर्गत लक्ष्य सम्मिलित नहीं हैं, जिनपर नीचे चर्चा की गई है।

निजी क्षेत्रक भागीदारी

46. नौवीं योजना में वाणिज्यिक कोयला खनन में निजी क्षेत्रक भागीदारी पर बल दिया गया है। हाल ही में, मंत्रिमंडल ने, इस संबंध में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में उपयुक्त विधायी संशोधनों का प्रस्ताव अनुमोदित किया है। विधेयक अभी संसद द्वारा पारित किया जाना है।

अन्य कार्यक्रम

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी

47. नौवीं योजना में, कोयला कम्पनियों में इन-हाउस आर एण्ड डी के विकास पर बल दिया गया है। कोयला एस एंड टी कार्यक्रम के अन्तर्गत दो बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, यथा यू एन डी पी/ जी ई एफ सहयोग के अन्तर्गत कोलबेड मिथेन निस्सारण और गोलुकडिह में लो-वोलेटाइल मिडियम कोकिंग (एल वी एम सी) कोयले की धुलाई।

पर्यावरणीय उपाय और अधोगमन नियंत्रण (ई एम एस सी)

48. इस स्कीम के अन्तर्गत निम्नलिखित पर बल दिया जाता है: (1) झरिया कोयला क्षेत्रों में खान आग पर नियंत्रण; और (2) रानीगंज कायलाक्षेत्र के पुराने छोड़ दिए गए क्षेत्रों में अधोगमन का नियंत्रण।

झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में पुररूद्धार और अधोगमन का नियंत्रण

49. स्कीम के अन्तर्गत झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में आग और अधोगमन के नियंत्रण के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की सिफारीशों के आधार पर आग और अधोगमन की समस्याओं को कम करने और प्रभावित लोगों के सम्बद्ध पुनर्वास की परिकल्पना की गई है। यह स्कीम झरिया और रानीगंज कोयलाक्षेत्रों में सभी असुरक्षित इलाकों के लिए मास्टर योजना के अन्तर्गत डी ओ सी द्वारा तैयार की गई है। इसके अन्तर्गत स्कीमों को दो मंजूरशुदा अन्तरिम स्कीमों— झरिया और रानीगंज कोयलाक्षेत्रों के लिए एक-एक के आंशिक कार्यान्वयन के बाद कार्यान्वयन के लिए शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

विनियामक रूपरेखा समीक्षा परियोजना

50. यह परियोजना, सी आई एल की कोयला क्षेत्रक पुनरूद्धार परियोजना के लिए विश्व बैंक ऋण का लाभ उठाने के लिए शर्तों के अनुसरण में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ आई डी ए से एस डी आर 1.5 मिलियन का क्रेडिट उपलब्ध कराया गया है। परियोजना के तहत, भारत में तथा अन्य बड़े कोयला उत्पादक देशों में कोयला उद्योग से अधिशासन संबंधी विद्यमान नियमों और विनियमों का एक अध्ययन शुरू किया गया है। सिफारिशों के आधार पर, इसकी विनियामक रूपरेखा सुधारने के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी। परामर्श-दाताओं द्वारा अभी हाल ही में अध्ययन पूरा किया गया है और विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

सी आई एल-भिन्न ब्लाकों में विस्तृत खोज

51. यद्यपि इस स्कीम को एम टी ए चर्चाओं के आधार पर एक बार के उपाय के तौर पर शुरू किया गया था, तथापि बजटीय सहायता प्रदान करके "सिद्ध" श्रेणी के उपलब्ध भण्डारों के स्तरोन्नयन हेतु सी आई एल-भिन्न ब्लाकों में विस्तृत ड्रिलिंग कार्यक्रम का विस्तार करना आवश्यक समझा गया क्योंकि राष्ट्रीय कोयला कम्पनियां सी आई एल-भिन्न ब्लाकों में इस कार्यकलाप हेतु अपने संसाधनों का इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं हैं और साथ ही निकट भविष्य में निजी क्षेत्रक भागीदारी की सम्भावना नहीं है। इस प्रकार, कुल 3,63,900 मीटर के ड्रिलिंग कार्यक्रम के लिए पिछली 9.38 करोड़ रुपए को मंजूरी को मिलाकर 91.18 करोड़ रुपए के समग्र परिव्यय के साथ सी आई एल-भिन्न ब्लाकों में विस्तृत ड्रिलिंग शुरू करने के डी ओ सी के प्रस्ताव के संबंध में सहमति हो गई है तदनुसार, वार्षिक योजना 2000-01 के लिए 1.23.000 मीटर का ड्रिलिंग लक्ष्य रखा गया है जबकि 1999-2000 में प्रत्याशित उपलब्धि 21,510 मीटर है।

सूचना प्रौद्योगिकी

52. डी ओ सी की पद्धति सूचना आवश्यकताएं परिभाषित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी शीर्ष के अन्तर्गत यह एक नई स्कीम है ताकि सूचना प्रौद्योगिकी को एक समर्थनकारी के रूप में इस्तेमाल करते हुए इसके उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके और इसकी जिम्मेदारियाँ संचालित की जा सकें। सूचना प्रौद्योगिकी योजना के अन्तर्गत हार्डवेयर/ साफ्टवेयर की प्राप्ति और अनुरक्षण विभाग के अन्दर तथा डी ओ सी की संघटक ईकाइयों के बीच संयोजकता परिकल्पित है। स्कीम की अनुमानित लागत पांच वर्षों की अवधि के दौरान 1.94 करोड़ रुपए हैं।

स्वैच्छक सेवानिवृत्ति स्कीम (वी आर एस)

53. सरकार द्वारा 17.7.1996 को अनुमोदित सी आई एल की पूंजी पुनर्संरचना के अन्तर्गत सरकार (एन आर एफ) से दो वर्षों, यथा 1996-97 और 1997-98 में प्रत्येक वर्ष 60 करोड़ रुपए के साथ वी आर एस के जरिए कम्पनियों की वित्तीय स्थिति सुधारने के वास्ते ई सी एल और बी सी सी एल में जनशक्ति में कटौती की परिकल्पना की गई है। इसके साथ ही, कोयला क्षेत्र पुनरुद्धार परियोजना (सी एस आर पी) के वास्ते विश्व बैंक ऋण शर्तों के अनुसार, दो कोयला कम्पनियों, यथा बी सी सी एल और ई सी एल में 1997-98 से 1999-2000 तक की तीन वर्षों की अवधि के दौरान प्रत्येक कम्पनी में 9500 कर्मचारियों, कुल 19000, को सेवानिवृत्त करने के लिए वी आर एस कार्यान्वित करने के वास्ते राष्ट्रीय नवीकरण निधि (एन आर एफ) से नौवीं योजना में 400 करोड़ रुपए की राशि विनिर्धारित की गई थी। बाद में डी ओ सी ने स्कीम का विस्तार करने का प्रस्ताव किया ताकि सी सी एल को भी कवर किया जा सके और ई सी एल तथा बी सी सी एल में कवर किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा सके। अब सेवानिवृत्त किए जाने वाले कर्मचारियों की परिकल्पित संख्या, पिछली 19,000 के अलावा (ई सी एल 9,500; बी सी सी एल 9,500), 2001-02 तक 25,400 है (ई सी एल में 9,700, बी सी सी एल में 9,700 और सी सी एल में 6,000), जो कुल मिलाकर 44,400 है (ई सी एल 19,200, वी सी सी एल-19,200, सी सी एल 6,000), नौवीं योजना में एन आर एफ के जरिए 400 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय के अतिरिक्त बजटीय सहायता से 480 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि के साथ, कुल मिलाकर 880 करोड़ रुपए की राशि के साथ।

54. कोयला कम्पनियों की वित्तीय स्थिति सुधारने के वास्ते जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाने की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए, नौवीं योजना का एम टी ए, डी ओ सी के प्रस्ताव को समर्थन प्रदान करने के वास्ते सिद्धान्ततः सहमत हो गया। तथापि अपेक्षित अतिरिक्त राशि की व्यवस्था डी ओ सी को नौवीं योजना अवधि के दौरान वी आर एस को कार्यान्वित करने हेतु एन आर एफ के जरिए विनिर्धारित निधि के अतिरिक्त, उपलब्ध समग्र बजटीय सहायता से की जानी है क्योंकि कोयला क्षेत्र को एन आर एफ से अलग कर दिया गया है। वी आर एस के साथ-साथ, कम्पनियों के पुनरुद्धार के वास्ते उचित पुनरुद्धार पैकेज प्राथमिकता के आधार पर तैयार और कार्यान्वित किए जाने चाहिए। डी ओ सी ने संकेत दिया है कि आई सी आई सी आई द्वारा तैयार किया गया ई सी एल के संबंध में ऐसी ही पुनरुद्धार पैकेज सी आई एल/ डी ओ सी के विचाराधीन है।

सुरक्षा और कल्याण

55. कोयला खान कामगारों की सुरक्षा और कल्याण नौवीं योजना में एक प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। सुरक्षा आडिट शुरू करना, विशेष रूप से भूमिगत खानों की पर्यावरणीय मानिट्रिंग, जलमग्न होने के विरुद्ध उपाय, छत समर्थन की वैज्ञानिक विधियां, कामगारों का प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण आदि इस संबंध में कुछेक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इसी प्रकार आवासन, जल आपूर्ति, शैक्षिक और चिकित्सा देख रेख जैसी बुनियादी जरूरतों में सुधार करने पर बल दिया जाना जारी है।

योजना परिव्यय

56. वार्षिक योजना 1999-2000 (ब.अ. और सं.अ.) के लिए कम्पनी वार/स्कीमवार अनुमोदित परिव्यय और प्रत्याशित व्यय तथा वार्षिक योजना 2000-01 के लिए अनुमोदित परिव्यय सारणी 8.1.11 में दिए गए हैं।

सारणी 8.1.11
कम्पनी-वार / स्कीमवार वित्तीय परिव्यय

कंपनी/ योजना	1999-00	2000-01	
	ब. अ.	सं. अ.	ब. अ.
कोल इण्डिया लिमिटेड	2556.00	2676.19	2790.32
सिंधरेनी कोल कं. लि.	227.19	217.20	327.82
नेवेली लिग्नाइट निगम	575.98	561.30	609.80
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	20.71	7.57	13.50
क्षेत्रीय/ प्रोत्साहन खोज	32.56	32.56	30.37
ई एम एस सी	20.00	11.63	13.52
विस्तृत ड्रिलिंग	5.38	5.38	29.51
वि. रूपरेखा समीक्षा परियोजना	3.89	6.00	—
पुनर्वास परियोजना	—	—	6.69
सूचना प्रौद्योगिकी	—	0.22	0.33
जोड़ : कोयला और लिग्नाइट	3441.71	3518.05	3821.86
निवेली लिग्नाइट	296.64	260.56	558.65
वी आर एस	160.00	165.00	180.00
एन ई सी	—	—	87.30
जोड़ डी ओ सी	3898.35	3943.61	4647.81

57. वार्षिक योजना 2000-01 में 4647.81 करोड रुपए का ब. अ. प्रावधान, एन एल सी (विद्युत), वी आर एस और एन ई सी संघटक को मिलाकर 1999-2000 के सं. अ. से लगभग 18 प्रतिशत अधिक है। एन ई सी के प्रयोजनार्थ, डी ओ सी की बजटीय सहायता का 10 प्रतिशत वार्षिक योजना 2000-01 के लिए निश्चित किया गया है। 2000-01 के परिव्यय में 3774.81 करोड रुपए का आई ई बी आर और 873.00 करोड रुपए की जी बी एस शामिल हैं। जी बी एस में 1999-2000 के संशोधित अनुमानों की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह मुख्य रूप से खान 1ए परियोजना कार्यान्वित करने के लिए ए एल सी हेतु बजटीय सहायता में वृद्धि के कारण है, जो सी आई एल में वी आर एस के कार्यान्वयन के लिए व्यवस्था करने के वास्ते और एक आई पी पी से जुड़ी है।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

58. विदेशी सहायता के दो संघटक हैं। एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष संघटक अधिकांशतः सप्लायर्स क्रेडिट के रूप में लाभार्थी को उपलब्ध होता है, एक संघटक जो सा. क्षे. उ० के आई ई बी आर के अन्तर्गत परिलक्षित है। अप्रत्यक्ष संघटक की व्यवस्था बजट के माध्यम से की जाती है, जो जी बी एस के अन्तर्गत परिलक्षित होता है।

59. द्विपक्षीय क्रेडिट के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। कोयला और लिग्नाइट क्षेत्रक के लिए 1999-2000 के ब. अ. में ई ए पी संघटक 84.64 करोड रुपए है, (सी आई एल-54.50 करोड रुपए, एस सी सी एल-16.80 करोड रुपए; एन एल सी खान-9.45 करोड रुपए; और विनियामक रूपरेखा समीक्षा परियोजना-3.89 करोड रुपए) 1 ई ए पी के अन्तर्गत प्रमुख परियोजना, आई डी ए क्रेडिट के तहत सी आई एल की कोयला क्षेत्र पर्यावरणीय

और सामाजिक अवशमन परियोजना (सी एस ई एस एम पी) रही है। इन परियोजनाओं के ब्योरे संलग्नक 8.1.7 में दिए गए हैं। इसके विपरीत, चालू वर्ष में सं. अ. व्यवस्था 166.61 करोड़ रुपए थी। वार्षिक योजना 2000-01 के लिए ई ए पी संघटक 107.15 करोड़ रुपए है। कोयला क्षेत्र में अधिकांश विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं लगभग पूरी हो गई हैं और ऐसी सहायता के लिए नई परियोजनाओं का विनिर्धारण किए जाने की जरूरत है।

60. प्रत्यक्ष संघटक सी आई एल के लिए कोयला क्षेत्र पुनरुद्धार परियोजना के लिए विश्व बैंक ऋण है। 1999-2000 के लिए ब. अ. प्रावधान 1455.60 करोड़ रुपए है, जिसके विपरीत सं. अ. 1595.49 करोड़ रुपए था और वार्षिक योजना 2000-01 के लिए संघटक 1379.24 करोड़ रुपए है।

8.1.3 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

नीतिगत पहल

61. खोज और उत्पादन तथा परिशोधन क्षेत्रों को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया गया है। प्रारंभ में निजी क्षेत्रक द्वारा दिखाई गई रूचि उत्साहजनक नहीं थी। किन्तु हाल ही के वर्षों में निजी क्षेत्र ने इन क्षेत्रों में गहरी रूचि दिखाई है।

62. ए पी एम को समाप्त करने के संबंध में अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार, सभी पेट्रोलियम उत्पादों की उपभोक्ता कीमतों को, एम एस, एच एस डी, ए टी एफ, केरोसिन तेल (पी डी एस के लिए) और एल पी जी (देशज) को छोड़कर, विनियंत्रित कर दिया गया है। इसके अलावा, एच एस डी की भण्डार -बाहर कीमत को भी आयात कीमत के साथ जोड़ दिया गया है। तथापि, एल पी जी और केरोसिन के संबंध में सब्सिडियों को समाप्त करने को यथा परिकल्पनानुसार लागू नहीं किया गया है। सब्सिडियों को अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार समाप्त किया जाना चाहिए।

63. प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में, "भारत हाइड्रोकार्बन विजन-2025" विकसित करने के वास्ते विनिर्दिष्ट रूपरेखा तैयार करने के लिए एक दल गठित किया गया था। दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। दल ने "हाइड्रोजन विजन-2025" विवरण का सुझाव दिया है, जैसा कि नीचे बाक्स 8.1.3.1 में दिया गया है:

बाक्स 8.1.3.1 हाइड्रोकार्बन विजन-2025

- अधिक देशज उत्पादन और विदेश में इक्विटी तेल में निवेश के माध्यम से आत्म-निर्भरता प्राप्त करके ऊर्जा सुरक्षा आश्वस्त करना।
- एक स्वच्छ और हरित भारत सुनिश्चित करने के वास्ते उत्पाद स्तरों में क्रमिक रूप से सुधार करके जीवन की कोटि में वृद्धि करना।
- हाइड्रोकार्बन क्षेत्रक को एक वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मक उद्योग के रूप में विकसित करना जिसे प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन और उद्योग के सभी क्षेत्रकों में क्षमता निर्माण के जरिए विश्व में सर्वोत्तम देशों में गिना जा सके।
- एक मुक्त बाजार विकसित करना और सभी संबंधितों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता प्रोत्साहित करना तथा ग्राहक सेवा में सुधार करना।
- महत्वपूर्ण तथा रक्षा संबंधी बातों जो ध्यान में रखते हुए देश के लिए तेल सुरक्षा सुनिश्चित करना।

मांग और पूर्ति

64. 2000 – 01 में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग 104.92 मिलियन टन होने की उम्मीद है जबकि 1999 – 2000 के दौरान अस्थाई खपत 95.73 एम एम टी थी। चालू विकास दर के अनुसार, नौवीं योजना के अंतिम वर्ष के लिए निर्धारित 110 मिलियन टन की पेट्रोलियम उत्पादों की मांग पूरी हो जाने की संभावना है।

65. 1999 – 2000 में कच्चे तेलका प्रत्याशित उत्पादन 32.00 एम एम टी था जबकि लक्ष्य 33.02 एम एम टी था जिसमें पी वी टी/ जे वी सी उत्पादन सम्मिलित हैं। ओ एन जी सी के तटीय क्षेत्रों से उत्पादन मामूली रूप से कम था जिसकी वजह थी: ताप संवृद्धिशील तेल वसूली (ई ओ आर) स्कीमों से अपर्याप्त प्रतिक्रिया और मेहसाणा में अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति; गांधार तेल क्षेत्र में जल कटौति में वृद्धि और असम में समाजार्थिक समस्याएं। वर्ष 2000 – 01 के लिए 31.99 एम एम टी कच्चे तेल का उत्पादन लक्ष्य अनुमानित है। प्रवृत्ति से पता चलता है कि कच्चे तेल का उत्पादन नौवीं योजना में 180.82 मिलियन टन के लक्ष्य से कम हो सकता है।

66. वर्ष 1999 – 2000के लिए 19.33 बिलियन क्युबिक मीटर (बी सी एम) और 27.45 बी सी एम के प्राकृतिक गैस उत्पादन और प्रेषण लक्ष्यों के विपरीत (पी वी टी/ जे वी सी से उत्पादन समेत), प्रत्याशित उत्पादन और प्रेषण क्रमशः 27.97 बी सी एम और 19.99 बी सी एम था। वर्ष 2000 – 01 के लिए प्राकृतिक गैस उत्पादन और प्रेषण के संबंध में लक्ष्य क्रमशः 28.81 बी सी एम और 19.42 बी सी एम रखा गया है। प्रवृत्ति से पता चलता है कि 144.53 बी सी एम प्राकृतिक गैस उत्पादन का नौवीं योजना का लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की सम्भावना है।

67. 1.4.2000 को शोधन क्षमता 112.54 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम एम टी पी ए) है। वर्ष 2000 – 01 के दौरान शोधन क्षमता में कोई वृद्धि होने की उम्मीद नहीं है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार, शोधन क्षमता 129.04 एम एम पी टी ए तक जा सकती है जबकि नौवीं योजना के अन्त तक लक्ष्य 113.95 एम एम टी पी ए है। 1999 – 00 में प्रत्याशित शोधन क्रूड निविष्टि 85.89 एम एम टी है जबकि स्थापित क्षमता 112.54 एम एम टी है। वर्ष 2000 – 01 के लिए क्रूड निविष्टि लक्ष्य 112.00 एम एम टी है।

भूकम्पीय सर्वेक्षण, खोजात्मक तथा विकास ड्रिलिंग

68. भूकम्पीय सर्वेक्षणों के संबंध में वर्ष 1998 – 99 के दौरान वास्तविक उपलब्धियाँ, वर्ष 1999 – 2000 के लिए लक्ष्य और प्रत्याशित उपलब्धियाँ तथा 2000 – 01 के लिए लक्ष्य संलग्नक 8.1.8 में दर्शाए गए हैं। 1999 – 2000 के लिए खोजात्मक ड्रिलिंग में प्रत्याशित उपलब्धि, 1998 – 99 की उपलब्धि की तुलना में लगभग 46.7 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1999 – 2000 में विकास ड्रिलिंग के संबंध में प्रत्याशित उपलब्धि 334.2 हजार मीटर है। वर्ष 2000 – 01 के लिए खोजात्मक और विकास ड्रिलिंग के लक्ष्य क्रमशः 538.82 और 397.83 हजार मीटर रखे गए हैं।

69. सर्वेक्षण, ड्रिलिंग, क्रूड तेल और प्राकृतिक गैस, शोधन क्षमता के ब्योरे संलग्नक 8.1.8 से 8.1.13 में दिए गए हैं।

पर्यावरण प्रबंधन

70. न्यून सीसा तत्व (0.15 ग्राम/ली) के साथ एम एस की आपूर्ति पूरे देश में जनवरी 1997 से लागू की गई और 1.2.2000 से पूरे देश में केवल सीसा रहित एम एस की बिक्री की जा रही है। 1.1.2000 से पूरे देश में 0.25 प्रतिशत सल्फर के साथ डीजल की आपूर्ति की जा रही है।

परिव्यय

71. वर्ष 2000 – 01 के लिए पेट्रोलियम क्षेत्रक हेतु 13148.77 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है (खोज और उत्पादन तथा तेल और गैस के परिवहन के लिए 6769.15 करोड़ रुपए और शोधन तथा विपणन के लिए 6379.62 करोड़ रुपए)। समस्त योजना परिव्यय का निधिकरण आई ई बी आर द्वारा किया जाएगा। कम्पनी – वार परिव्यय संलग्नक 8.1.13 में दिया गया है।

1998-99, 1999-2000 और 2000-01 में ऊर्जा उत्पादन (उपयोगिताएं)

(एम के डब्ल्यू एच)

वर्ष	प्रकार	क्षेत्र					अखिल भारत
		उत्तरी	पश्चिमी	दक्षिणी	पूर्वी	पूर्वोत्तर	
	: पन विद्युत	36826	9155	30283	4296	2130	82690
1998-99	: तापीय वास्तविक	91401	136310	78154	45632	2165	353662
	: नाभिकीय	4642	5186	2187	-	-	12015
	: जोड़	132869	150651	110624	49928	4295	448367
	: पन विद्युत	32243	9198	31129	6228	2202	81000
	: तापीय लक्ष्य	94695	146672	89732	43281	2620	377000
	: नाभिकीय	3751	4732	2517	-	-	11000
	: जोड़	130689	160602	123378	49509	4822	469000
1999-2000	: पन विद्युत	31768	8945	32284	5567	1969	80533
	: तापीय वास्तविक	101705	144302	87780	49824	2615	386226
	: नाभिकीय	5343	5537	2372	-	-	13252
	: जोड़	138816	158784	122436	55391	4584	480011
2000-01	: पन विद्युत	32134	9361	32386	6989	2537	83407
	: तापीय लक्ष्य	102660	154225	94050	47850	3215	402000
	: नाभिकीय	5768	4730	3095	-	-	13593
	: जोड़	140562	168316	129531	54839	5752	499000

1999-2000 के दौरान थर्मल विद्युत संयंत्रों का संयंत्र भार कारक

क्रमांक	राज्य बिजली बोर्ड/ संगठन	लक्ष्य	उपलब्धि
	राज्य		
1	डी वी बी	43.60	50.00
2	एच पी जी सी	48.20	53.10
3	आर एस ई बी	77.60	82.80
4	पी एस ई बी	68.40	74.80
5	यू पी आर वी यू एन एल	55.20	49.60
6	जी ई बी	67.60	63.40
7	जी एस ई सी एल	70.50	74.20
8	एम एस ई बी	71.10	71.70
9	एम पी ई बी	66.60	69.30
10	ए पी जी ई एन सी ओ	80.00	83.10
11	टी एन ई बी	67.80	72.30
12	के पी सी	82.00	82.00
13	बी एस ई बी	23.60	19.70
14	तेनुघाट 5	40.70	31.40
15	ओ पी जी सी	54.20	85.60
16	डब्ल्यू बी एस ई बी	36.60	39.90
17	डब्ल्यू बी पी डी सी	52.40	56.00
18	डी पी एल	20.40	24.80
19	ए एस ई बी	20.60	17.90
	औसत : एस ई बी	62.70	63.70
	केंद्रीय सेक्टर		
1	बदरपुर	69.40	81.20
2	एन टी पी सी	69.30	79.50
3	नेयवेली	73.40	73.30
4	डी वी सी	36.10	35.80
	औसत : केंद्रीय क्षेत्र	66.10	73.60
	निजी क्षेत्र (यूटिलिटीज)		
1.	ए ई कंपनी/ साबरमती	74.50	82.00
2.	ट्राम्बे (टाटा)	56.20	60.70
3.	सी ई एस सी/ टीटागढ़	54.60	64.10
4.	बी एस ई एस कंपनी	82.00	86.00
	औसत : निजी क्षेत्र यूटिलिटी	62.20	68.90
	औसत : अखिल भारतीय	63.80	67.30

1999-2000 वर्ष के दौरान कमीशन/ रोल किए गये जेनेरेटिंग यूनिट

क्र. सं.	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	प्रकार	क्षेत्र	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी	रोल किए/ कमीशन किए गए यूनिट	
							क्षमता (मे. वा.)	तारीख
1.	उत्तरी क्षेत्र अपर सिंध 2	1	पन विद्युत	राज्य	जम्मू और क.	जे के पी डी सी	35.00	05.01.2000 •
2.	फरीदाबाद सी सी जी टी	1	थर्मल	केंद्रीय	हरियाणा	एन टी पी सी	143.00	29.06.1999
3.	फरीदाबाद सी सी जी टी	2	थर्मल	केंद्रीय	हरियाणा	एन टी पी सी	143.00	18.10.1999
4.	ऊंचाहार टी पी पी	4	थर्मल	केंद्रीय	उ. प्र.	एन टी पी सी	210.00	22.10.1999
5.	सूरतगढ़ टी पी पी	2	थर्मल	राज्य	राज.	आर एस ई बी	250.00	28.03.2000
6.	आर ए पी पी - 3	3	नाभिकीय	केंद्रीय	राज.	एन पी सी	440.00	10.03.2000
		केंद्रीय	राज्य	निजी	कुल			
	पन विद्युत	0.00	35.00	0.00	35.00			
	थर्मल	496.00	250.00	0.00	746.00			
	नाभिकीय	440.00	0.00	0.00	440.00			
	कुल (उत्तरी क्षेत्र)	936.00	285.00	0.00	1221.00			
1.	पश्चिमी क्षेत्र राजघाट	1	पन विद्युत	राज्य	म. प्र.	एम पी ई बी	15.00	15.10.1999
2.	राजघाट	2	पन विद्युत	राज्य	म. प्र.	एम पी ई बी	15.00	29.09.1999
3.	राजघाट	3	पन विद्युत	राज्य	म. प्र.	एम पी ई बी	15.00	03.11.1999
4.	दूधगंगा	1	पन विद्युत	राज्य	महा.	एम एस ई बी	12.00	27.02.2000
5.	दूधगंगा	2	पन विद्युत	राज्य	महा.	एम एस ई बी	12.00	31.07.2000 •
6.	कोयना स्टे. 4	3	पन विद्युत	राज्य	महा.	एम एस ई बी	250.00	25.11.1999
7.	कोयना स्टे. 4	2	पन विद्युत	राज्य	महा.	एम एस ई बी	250.00	03.03.2000
8.	कोयना स्टे. 4	1	पन विद्युत	राज्य	महा.	एम एस ई बी	250.00	28.03.2000
9.	विध्याचल टी पी पी	8	थर्मल	केंद्रीय	म. प्र.	एन टी पी सी	500.00	26.02.2000
10.	संजय गांधी एक्सटेंशन	4	थर्मल	राज्य	म. प्र.	एम पी ई बी	210.00	23.11.1999
11.	सूरत लिग्नाइट टी पी पी	1	थर्मल	निजी	गुजरात	जी आई पी सी एल	125.00	16.01.2000
12.	सूरत लिग्नाइट टी पी पी	2	थर्मल	निजी	गुजरात	जी आई पी सी एल	125.00	06.11.1999
13.	सलगावकर सी सी जी टी		थर्मल	निजी	गोवा	रिलायंस	48.00	05.07.1999
		केंद्रीय	राज्य	निजी	कुल			
	पन विद्युत	0.00	819.00	0.00	819.00			
	थर्मल	500.00	210.00	298.00	1008.00			
	नाभिकीय	0.00	0.00	0.00	0.00			
	कुल (पश्चिमी क्षेत्र)	500.00	1029.00	298.00	1827.00			
1	दक्षिणी क्षेत्र सिंगूर	1	पन विद्युत	राज्य	आंध्र प्रदेश	ए पी एस ई बी	7.50	06.12.1999
2	सिंगूर	2	पन विद्युत	राज्य	आंध्र प्रदेश	ए पी एस ई बी	7.50	28.03.2000 •
3	कक्कड	1	पन विद्युत	राज्य	केरल	के एस ई बी	25.00	23.07.1999
4	कक्कड	2	पन विद्युत	राज्य	केरल	के एस ई बी	25.00	22.07.1999
5	कालीनदी- 2 कोडासल्ली	3	पन विद्युत	राज्य	कर्ना.	के पी सी एल	40.00	28.08.1999
6	पर्सन्स वैली	1	पन विद्युत	राज्य	तमिलनाडु	टी एन ई बी	30.00	06.03.2008 •
7	कयमकुलम सी सी जी टी- स्टे.		थर्मल	केंद्रीय	केरल	एन टी पी सी	119.40	30.10.1999
8.	रायचूर टीपीएस स्टे. 3	6	थर्मल	राज्य	कर्ना.	के पी सी एल	210.00	22.07.1999
9.	कराईकल स्टे.		थर्मल	राज्य	पांडिचेरी	पी पी सी एल	9.60	02.07.1999

अध्याय 8 : आधारिक संरचना विकास

संलग्नक 8.1.3 (जारी)

1999-2000 वर्ष के दौरान कमीशन/ रोल किए गये जैनरेटिंग यूनिट

क्र. सं.	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	टाइप	क्षेत्र	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी	रोल किए/ कमीशन किए गए यूनिट	
							क्षमता	तारीख
10.	तोरंगल्लु	2	थर्मल	निजी	कर्ना.	जिंदल	130.00	16.05.1999
11.	कोचीन सी सी जी टी-जी टी	1	थर्मल	निजी	केरल	बी एस ई एस	45.00	06.06.1999
12.	कोचीन सी सी जी टी-जी टी	2	थर्मल	निजी	केरल	बी एस ई एस	45.00	02.08.1999
13.	कोचीन सी सी जी टी-जी टी	3	थर्मल	निजी	केरल	बी एस ई एस	45.00	04.12.1999
14.	कोझीकोडे डी जी सेट्स	1 से 8	थर्मल	राज्य	केरल	के एस ई बी	128.00	01.09.1999 6.11.99 तक
	पन विद्युत	केंद्रीय	राज्य	निजी	कुल			
	थर्मल	0.00	135.00	0.00	135.00			
	नाभिकीय	119.40	347.60	265.00	732.00			
	कुल (दक्षिणी क्षेत्र)	0.00	0.00	0.00	0.00			
	कुल (दक्षिणी क्षेत्र)	119.40	482.60	265.00	867.00			
	पूर्वी क्षेत्र							
1	रंगित - 3	1	पन विद्युत	केंद्रीय	सिक्किम	एन एच पी सी	20.00	05.02.2000
2	रंगित - 3	2	पन विद्युत	केंद्रीय	सिक्किम	एन एच पी सी	20.00	05.02.2000
3	रंगित - 3	3	पन विद्युत	केंद्रीय	सिक्किम	एन एच पी सी	20.00	03.02.2000
4	अपर इंद्रावती	1	पन विद्युत	राज्य	उड़ीसा	ओ एच पी सी	150.00	05.09.1999
5	अपर इंद्रावती	2	पन विद्युत	राज्य	उड़ीसा	ओ एच पी सी	150.00	23.12.1999
6	तीस्ता कनाल फाल्स	7	पन विद्युत	राज्य	प. बंगाल	डब्ल्यू बी एस ई बी	7.50	23.07.1999
7	तीस्ता कनाल फाल्स	8	पन विद्युत	राज्य	प. बंगाल	डब्ल्यू बी एस ई बी	7.50	07.09.1999
8	तीस्ता कनाल फाल्स	9	पन विद्युत	राज्य	प. बंगाल	डब्ल्यू बी एस ई बी	7.50	13.10.1999
9	बक्रेश्वर टी पी पी	1	थर्मल	राज्य	प. बंगाल	डब्ल्यू बी पी डी सी एल	210.00	18.07.1999
	पन विद्युत	केंद्रीय	राज्य	निजी	कुल			
	थर्मल	60.00	322.50	0.00	382.50			
	नाभिकीय	0.00	210.00	0.00	210.00			
	कुल (पूर्वी क्षेत्र)	0.00	0.00	0.00	0.00			
	कुल (पूर्वी क्षेत्र)	60.00	532.50	0.00	592.50			
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र							
	पन विद्युत	केंद्रीय	राज्य	निजी	कुल			
	थर्मल	0.00	0.00	0.00	0.00			
	नाभिकीय	0.00	0.00	0.00	0.00			
	कुल (उ. पू. क्षेत्र)	0.00	0.00	0.00	0.00			
	अखिल भारतीय							
	पन विद्युत	केंद्रीय	राज्य	निजी	कुल			
	थर्मल	60.00	1311.50	0.00	1371.50			
	नाभिकीय	1115.40	1017.60	563.00	2696.00			
	जोड़ : अखिल भारत	440.00	0.00	0.00	440.00			
	जोड़ : अखिल भारत	1615.40	2329.10	563.00	4507.50			

• रोलड

वर्ष 1999-2000 के कार्यक्रम में पिछड़ने वाले उत्पादन यूनिट

क्र. सं.	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	प्रकार	क्षेत्र	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी	क्षमता (एम डब्ल्यू)
1	दोयांग	1	पन विद्युत	केंद्रीय	नागालैंड	निपको	25.00
2	दोयांग	3	पन विद्युत	केंद्रीय	नागालैंड	निपको	25.00
3	सेवा- 3	1	पन विद्युत	राज्य	जम्मू और कश्मीर	जे के पी डी सी	3.00
4	सेवा- 3	2	पन विद्युत	राज्य	जम्मू और कश्मीर	जे के पी डी सी	3.00
5	सेवा- 3	3	पन विद्युत	राज्य	जम्मू और कश्मीर	जे के पी डी सी	3.00
6	चेन्नानी- 3	1	पन विद्युत	राज्य	जम्मू और कश्मीर	जे के पी डी सी	2.50
7	चेन्नानी- 3	2	पन विद्युत	राज्य	जम्मू और कश्मीर	जे के पी डी सी	2.50
8	चेन्नानी- 3	3	पन विद्युत	राज्य	जम्मू और कश्मीर	जे के पी डी सी	2.50
9	रंजीत सागर डेम	4	पन विद्युत	राज्य	पंजाब	पी बी आई डब्ल्यू/ पी एस ई बी	150.00
10	रंजीत सागर डेम	3	पन विद्युत	राज्य	पंजाब	पी बी आई डब्ल्यू/ पी एस ई बी	150.00
11	अपर इद्रावती	3	पन विद्युत	राज्य	उड़ीसा	ओ एच पी सी	150.00
12	बक्रेश्वर	2	थर्मल	राज्य	प. बंगाल	डब्ल्यू बी पी डी सी एल	210.00
13	लेमाखोंग डी जी	1 से 6	थर्मल	राज्य	मणिपुर	बी एच ई एल/ एम पी डी	36.00
14	कोचीन सी सी जी टी एस टी		थर्मल	निजी	केरल	बी एस ई एस	38.00
	कुल	19 यूनिट					800.50

वर्ष 2000-01 के लिए उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम

क्र. सं.	परियोजना का नाम	यूनिट संख्या	प्रकार	क्षेत्र	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट क्षमता (एम डब्ल्यू)	चालू होने का संभावित महीना/ वर्ष
उत्तरी क्षेत्र								
1	घानवी	1	पन विद्युत	राज्य	हि. प्र.	एच पी एस ई बी	11.25	जून, 2000
2	घानवी	2	पन विद्युत	राज्य	हि. प्र.	एच पी एस ई बी	11.25	सितम्बर, 2000
3	अपर सिंध स्टे. 2	2	पन विद्युत	राज्य	जम्मू और क.	जे के पी डी सी	35.00	दिस., 2000
4	अपर सिंध एक्सटेंशन	1	पन विद्युत	राज्य	जम्मू और क.	जे के पी डी सी	35.00	फर., 2001
5	सेवा स्टे.- 3	1	पन विद्युत	राज्य	जम्मू और क.	जे के पी डी सी	3.00	सितम्बर, 2000
6	सेवा स्टे.- 3	2	पन विद्युत	राज्य	जम्मू और क.	जे के पी डी सी	3.00	सितम्बर, 2000
7	सेवा स्टे.- 3	3	पन विद्युत	राज्य	जम्मू और क.	जे के पी डी सी	3.00	सितम्बर, 2000
8	चेनानी स्टे.- 3	1	पन विद्युत	राज्य	जम्मू और क.	जे के पी डी सी	2.50	सितम्बर, 2000
9	चेनानी स्टे.- 3	2	पन विद्युत	राज्य	जम्मू और क.	जे के पी डी सी	2.50	सितम्बर, 2000
10	चेनानी स्टे.- 3	3	पन विद्युत	राज्य	जम्मू और क.	जे के पी डी सी	2.50	सितम्बर, 2000
11	पहलगांव	1	पन विद्युत	राज्य	जम्मू और क.	जे के पी डी सी	1.50	
12	पहलगांव	2	पन विद्युत	राज्य	जम्मू और क.	जे के पी डी सी	1.50	
13	रंजीत सागर	1	पन विद्युत	राज्य	पंजाब	पी एस ई बी	150.00	जुलाई, 2000
14	रंजीत सागर	2	पन विद्युत	राज्य	पंजाब	पी एस ई बी	150.00	अग., 2000
15	रंजीत सागर	3	पन विद्युत	राज्य	पंजाब	पी एस ई बी	150.00	जन., 2001
16	रंजीत सागर	4	पन विद्युत	राज्य	पंजाब	पी एस ई बी	150.00	फर., 2001
17	फरीदाबाद सी सी जी टी- एस टी		थर्मल	केंद्रीय	हरियाणा	एन टी पी सी	144.00	अक्तू., 2000
18	पानीपत टी पी एस स्टेशन 4	6	थर्मल	राज्य	हरियाणा	एच पी जी एल	210.00	फब., 2001
			केंद्रीय	राज्य	निजी	कुल		
		पन विद्युत	0.00	712.00	0.00	712.00		
		थर्मल	144.00	210.00	0.00	354.00		
		नाभिकीय	0.00	0.00	0.00	0.00		
		कुल (उ. क्षे.)	144.00	922.00	0.00	1066.00		
पश्चिमी क्षेत्र								
1	खापेरखेडा टी पी एस	3	थर्मल	राज्य	महा.	एम एस ई बी	210.00	मई, 2000
2	खापेरखेडा टी पी एस	4	थर्मल	राज्य	महा.	एम एस ई बी	210.00	नव., 2000
			केंद्रीय	राज्य	निजी	कुल		
		पन विद्युत	0.00	0.00	0.00	0.00		
		थर्मल	0.00	420.00	0.00	420.00		
		नाभिकीय	0.00	0.00	0.00	0.00		
		कुल (प. क्षे.)	0.00	420.00	0.00	420.00		
दक्षिणी क्षेत्र								
1	श्री सईलम एल बी सी पी एच	1	पन विद्युत	राज्य	आं. प्र.	ए पी एस ई बी	150.00	दिस., 2000
2	श्रावती टेल रेक	1	पन विद्युत	राज्य	कर्नाटक	के पी सी एल	60.00	सितम्बर, 2000
3	कोविलकल्पल्ल जी टी	1	थर्मल	राज्य	तमिल नाडु	टी एन ई बी	107.00	सितम्बर, 2000
4	कोन्डापल्ली सी सी जी टी	1	थर्मल	निजी	आं. प्र.	एल ए एन सी ओ	112.00	जून, 2000

अध्याय 8 : आधारिक संरचना विकास

संलग्नक 8.1.5 (जारी)

वर्ष 2000-01 के लिए उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम

क्र. सं.	परियोजना का नाम	यूनिट संख्या	प्रकार	क्षेत्र	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट क्षमता (एम डब्ल्यू)	चालू होने का संभावित महीना/ वर्ष
5	कोन्डापल्ली सी सी जी टी	2	थर्मल	निजी	आं. प्र.	एल ए एन सी ओ	112.00	अप्रैल, 2000
6	कोन्डापल्ली सी सी जी टी- एस टी		थर्मल	निजी	आं. प्र.	एल ए एन सी ओ	126.00	सितम्बर, 2000
7	पिल्लई पेरामलनालुर सी सी जी टी- एस टी		थर्मल	निजी	तमिल नाडु	पी पी एन पी जी सी एल	225.00	दिस., 2000
8	पिल्लई पेरामलनालुर सी सी जी टी- एस टी		थर्मल	निजी	तमिल नाडु	पी पी एन पी जी सी एल	105.50	
9	समलपट्टी डी जी	1 से 2	थर्मल	निजी	तमिल नाडु	एस पी सी एल	30.00	फब., 2001
10	समलपट्टी डी जी	3 से 4	थर्मल	निजी	तमिल नाडु	एस पी सी एल	30.00	मार्च 2001
11	कोचीन सी सी जी टी- एस टी		थर्मल	निजी	केरल	बी एस ई एस	38.00	मई, 2000
12	बेल्लारी डी जी सेट		थर्मल	निजी	कर्नाटक	एस आर ए और ए सी एल	27.80	मई, 2000
13	केगा	2	नाभिकीय	केंद्रीय	कर्नाटक	एन पी सी	440.00	
		पन विद्युत	केंद्रीय	राज्य	निजी	कुल		
		थर्मल	0.00	210.00	0.00	210.00		
		नाभिकीय	0.00	107.00	806.30	913.30		
		कुल (द. क्षे.)	440.00	0.00	0.00	440.00		
			440.00	317.00	806.30	1563.30		
	पूर्वी क्षेत्र							
1	अपर इंद्रावती	3	पन विद्युत	राज्य	उड़ीसा	ओ एच पी सी	150.00	अग., 2000
2	अपर इंद्रावती	4	पन विद्युत	राज्य	उड़ीसा	ओ एच पी सी	150.00	फर., 2001
3	बक्रेश्वर टी पी पी	2	थर्मल	राज्य	प. बंगाल	डब्ल्यू बी पी डी सी एल	210.00	अप्रैल, 2000
4	बक्रेश्वर टी पी पी	3	थर्मल	राज्य	प. बंगाल	डब्ल्यू बी पी डी सी एल	210.00	सितम्बर, 2000
5	जोजोबेरा टी पी एस	1	थर्मल	निजी	बिहार	जे पी सी एल	120.00	जन., 2001
		पन विद्युत	केंद्रीय	राज्य	निजी	कुल		
		थर्मल	0.00	300.00	0.00	300.00		
		नाभिकीय	0.00	420.00	120.00	540.00		
		कुल (पू. क्षे.)	0.00	0.00	0.00	0.00		
			0.00	720.00	120.00	840.00		
	पूर्वोत्तर क्षेत्र							
1	दोयांग	1	पन विद्युत	केंद्रीय	नागालैंड	निपको	25.00	जून, 2000
2	दोयांग	2	पन विद्युत	केंद्रीय	नागालैंड	निपको	25.00	जून, 2000
3	दोयांग	3	पन विद्युत	केंद्रीय	नागालैंड	निपको	25.00	जून, 2000
4	लेमाखोंग डी जी	1 से 6	थर्मल	राज्य	मणिपुर	एल पी डी सी	36.00	दिस., 2000

अध्याय 8 : आधारिक संरचना विकास

संलग्नक 8.1.5 (जारी)

वर्ष 2000-01 के लिए उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम

क्र. सं.	परियोजना का नाम	यूनिट संख्या	प्रकार	क्षेत्र	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट क्षमता (एम डब्ल्यू)	चालू होने का संभावित महीना/ वर्ष
		पन विद्युत	केंद्रीय	राज्य	निजी	कुल		
		थर्मल	75.00	0.00	0.00	75.00		
		नाभिकीय	0.00	36.00	0.00	36.00		
		कुल (पू. क्षे.)	0.00	0.00	0.00	0.00		
			75.00	36.00	0.00	111.00		
	अखिल भारत		केंद्रीय	राज्य	निजी	कुल		
		पन विद्युत	75.00	1222.00	0.00	1297.00		
		थर्मल	144.00	1193.00	926.30	2263.30		
		नाभिकीय	440.00	0.00	0.00	440.00		
		कुल जोड़	659.00	2415.00	926.30	4000.30		

परिव्यय / व्यय-विद्युत क्षेत्रक

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	1996 - 97 (वास्तविक)	1997 - 98 (वास्तविक)	1998 - 99 (सं. अ.)	1999 - 2000 (अनुमोदित)	1999-2000 (सं. अ.)
क.	राज्य					
1.	आंध्र प्रदेश	826.79	858.25	901.28	867.91	867.91
2.	अरुणाचल प्रदेश	71.33	84.04	68.93	72.01	78.41
3.	असम	124.84	113.12	87.54	175.54	107.45
4.	बिहार	107.04	49.10	313.40	106.00	90.55
5.	गोवा	16.69	18.16	26.86	30.33	31.59
6.	गुजरात	625.06	660.39	808.75	806.00	806.00
7.	हरियाणा	256.78	287.40	430.00	500.00	485.08
8.	हिमाचल प्रदेश	150.93	233.60	221.22	245.69	191.01
9.	जम्मू और कश्मीर	391.75	251.59	312.74	309.05	316.05
10.	कर्नाटक	455.14	557.43	872.52	988.99	828.03
11.	केरल	450.72	523.20	650.00	635.00	559.00
12.	मध्य प्रदेश	587.14	738.99	546.88	890.69	583.09
13.	महाराष्ट्र	1572.93	1909.16	1413.89	1684.13	1684.13
14.	मणिपुर	42.39	50.18	39.34	30.00	30.00
15.	मेघालय	11.48	7.10	10.64	77.11	12.50
16.	मिजोरम	45.23	28.41	25.65	48.32	48.32
17.	नागालैंड	23.14	15.54	15.00	8.80	9.50
18.	उड़ीसा	341.99	153.20	870.42	1034.47	576.12
19.	पंजाब	984.67	1132.13	935.06	620.00	673.95
20.	राजस्थान	728.23	1494.43	842.23	841.94	890.00
21.	सिक्किम	30.92	31.76	32.55	42.10	42.10
22.	तमिलनाडु	720.37	795.49	862.47	1033.98	970.79
23.	त्रिपुरा	36.20	25.99	22.61	29.84	21.18
24.	उत्तर प्रदेश	1147.59	1114.55	1047.29	1941.67	890.35
25.	प. बंगाल	694.62	1026.99	1344.59	2009.60	1108.97
	उप जोड़ (राज्य)	10443.97	12160.20	12701.86	15029.17	11902.08
ख.	संघ राज्य क्षेत्र					
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20.24	23.98	26.82	30.00	30.00
2.	चंडीगढ़	9.52	10.32	11.93	13.18	13.36
3.	दादरा और नागर हवेली	5.36	7.19	7.67	10.02	10.02
4.	दमन और दीव	3.72	4.76	7.91	13.09	13.09
5.	दिल्ली	313.68	297.97	438.50	475.00	487.00
6.	लक्षद्वीप	1.95	2.92	2.22	2.30	2.30
7.	पांडिचेरी	43.36	44.95	46.70	21.33	21.33
	उप जोड़ (सं. राज्य क्षे.)	397.83	392.09	541.75	564.92	577.10
	जोड़ (राज्य + संघ राज्य क्षेत्र)	10841.80	12552.29	13243.61	15594.09	12479.18

अध्याय 8 : आधारिक संरचना विकास

संलग्नक 8.1.6 (जारी)

परिव्यय / व्यय-विद्युत क्षेत्रक

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य/ संघ क्षेत्र राज्य	1996-97 (वास्तविक)	1997-98 (वास्तविक)	1998-99 (सं. अ.)	1999-2000 (अनुमोदित)	1999-2000 (सं. अ.)	2000-01 (अनुमोदित)
ग.	केंद्रीय क्षेत्र विद्युत मंत्रालय						
1.	एन टी पी सी	1251.89	1685.69	2111.15	2513.26	1782.28	2539.40
2.	एन एच पी सी	494.54	506.47	506.45	835.00	1025.20	1264.16
3.	पावर ग्रिड	1557.05	1583.50	1301.09	2220.00	1530.00	2775.00
4.	डी वी सी	180.59	166.97	99.73	176.00	133.91	459.90
5.	टी एच डी सी	170.00	321.91	203.73	368.00	350.00	748.57
6.	एन जे पी सी	496.13	770.60	878.45	942.00	770.00	952.00
7.	निपको	179.55	167.18	191.57	260.20	260.20	255.26
8.	पी एफ सी	785.00	716.77	1322.36	1560.81	1560.81	11.00
9.	आर ई सी		30.00	75.00	214.00	214.00	189.00
10.	एम ओ पी (विविध)	162.07	110.63	488.09	511.00	423.52	525.89
	उप जोड़ (एम ओ पी)	5276.82	6059.72	7177.62	9600.27	8049.92	9720.18
	डी ए ई (विद्युत)	744.21	747.27	854.66	1334.00	1056.30	1332.00
	एन एल सी (विद्युत)	74.66	37.00	124.80	296.64	260.56	558.65
	जोड़ : केंद्रीय क्षेत्र	6095.69	6843.99	8157.08 (वास्तविक)	11230.91	9366.78	11610.83
	जोड़ : अखिल भारत	16937.49	19396.28	21400.69	26825.00	21845.96	11610.83
	एन ई सी	304.42			198.01	214.50	208.52 •

• अस्थाई

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ग्यौरे – कोयला विभाग

क्र. सं.	परियोजना/ कम्पनी का नाम	क्षमता (एम टी वाई)	सहयोगी देश और सहायता का स्वरूप	दाता मुद्रा में कुल ऋण मिलियन (डी सी एम)	1991-92 तक कुल व्यय		कुल व्यय आठवीं योजना 1992-97		1997-98 वास्तविक (करोड़ रुपये)	1998-99 वास्तविक (करोड़ रुपये)	1999-2000 ब. अनु. सं. अ. (करोड़ रुपये)	2000-01 परिव्यय		कमीशन करने की तारीख	
					डी सी एम	करोड़ रुपये	डी सी एम	करोड़ रुपये				डी सी एम	करोड़ रुपये	शिड्यूल	प्रत्याशित
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
कोल इण्डिया लि.															
1.	अप्रत्यक्ष झरिया खान अग्नि नियंत्रण		आई डी ए क्रेडिट	12 यू एस डालर	—	—	7.29	26.04	—	—	—	—	—	6/94	
2.	कोयला क्षेत्रक पर्यावरण और सामाजिक मिटिगेशन परियोजना (ई एस एम टी) उप जोड़ – अप्रत्यक्ष		आई डी ए क्रेडिट	63 यू एस डालर	—	—	—	—	11.32	45.30	31.19	22.65	96.85	7/96	
	प्रत्यक्ष						7.29	26.04	11.32	45.30	54.50		96.85		
											130.97				
3.	कोयला क्षेत्रक पुनर्वास परियोजना (सी एस आर पी) उप जोड़ – प्रत्यक्ष		आई बी आर डी- जे एक्सएम	1060 यू एस डालर	—	—	—	—	—	288.96	1455.60	317.07	1379.24	6/98	
	जोड़ : कोल इ. लि.						0.00	0.00	0.00	288.96	1595.49		1379.24		
							0.00	26.04	11.32	334.26	1595.49		1476.09		
											1726.46				
सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि.															
4.	अप्रत्यक्ष रामागुन्डम ओ सी- 2	2.00	जर्मनी ऋण	172.387 डी एम	0.63	0.56	144.64	295.64	40.12	2.47	16.80	4.36	10.30	3/95	3/96
5.	वी के -7 बी जी पद्धति	0.25	फ्रेंच क्रेडिट	24.75 एफ एफ	—	—	21.36	14.44	0.90	1.40	—	—	—	3/98	3/98
6.	जी डी के -8 बी जी एम 2 (तैयार की जानी है)	0.25	फ्रेंच क्रेडिट	5.00 एफ एफ	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	कुल : सि. को. कं. लि. अप्रत्यक्ष						0.56	166.00	310.08	41.02	3.87		10.30		
											3.55				
											5.13				

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ग्यौरे – कोयला विभाग

क्र. सं.	परियोजना/ कम्पनी का नाम	क्षमता (एम टी वाई)	सहयोगी देश और सहायता का स्वरूप	दाता मुद्रा में कुल ऋण मिलियन (डी सी एम)	1991-92 तक कुल व्यय		कुल व्यय आठवीं योजना 1992-97		1997-98 वास्तविक (करोड़ रुपये)	1998-99 वास्तविक (करोड़ रुपये)	1999-2000 ब. अनु. सं. अ. (करोड़ रुपये)	2000-01 परिव्यय		कमीशन करने की तारीख	
					डी सी एम	करोड़ रुपये	डी सी एम	करोड़ रुपये				डी सी एम	करोड़ रुपये	शिड्यूल	प्रत्याशित
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
7.	निवेली लिग्नाइट कोरपोरेशन लि. एन एल सी (खान) अप्रत्यक्ष														
8.	निवेली खान 2 चरण दो फ्लोट मशीन	5.80	जर्मनी ऋण	299.72 डी एम	290.52	229.34	13.44	26.91	8.58	—	0.03	—	—	पूर्ण	
		1.00	जर्मनी ऋण	37.73 डी एम	—	—	32.73	71.36	4.94	—	8.52	—	—	3/92	6/97
9.	मास्टर योजना तैयार करना		जर्मनी ऋण	1.87	—	—	1.54	3.29	0.06	—	0.90	—	—		
10.	फालतु कल पुर्जे आदि जोड़ : एन एल सी (खान) (अप्रत्यक्ष)		जर्मनी ऋण	17.88 डी एम		229.34		101.56	13.58	0.00	18.07	—	—		
											9.45		0.00		
											24.51				
	विनियामक रूपरेखा समीक्षा परियोजना (अप्रत्यक्ष)								4.61	4.61	3.89	—	—		
	जोड़ प्रत्यक्ष					0.00		0.00	0.00	288.96	1455.60		1379.24		
	जोड़ अप्रत्यक्ष					229.90		437.68	70.53	53.78	84.64		107.15		
	कुल जोड़ – कोयला और लिग्नाइट एन एल सी (विद्युत) अप्रत्यक्ष					229.90		437.68	70.53	342.74	166.61		1486.39		
									41.85	2.44	1762.10				
											27.92	—	—		
	कुल जोड़ : डी ओ सी														
	1. अप्रत्यक्ष					229.90		479.53	72.97	53.78	112.56		107.15		
	2. प्रत्यक्ष					0.00		0.00	0.00	288.96	166.61		1379.24		
											1595.49				

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
भूकम्पीय सर्वेक्षण

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	कार्यक्रम	1998-99 वास्तविक	1999-2000		2000-01 लक्ष्य
			लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धियां	
1.	ओ एन जी सी				
	तटीय				
	2डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (जी एल के एम)	4369	5292.00	4064	4302
	3डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (जी एल के एम)	15418	11975.00	12475	12725
	अपतटीय				
	2डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (एल के एम)	2539	5750.00	1100	27500
3डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (एल के एम)	92313	91000.00	96300	37500	
2.	ओ आई एल				
	तटीय				
	2डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (एस एल के एम)	1146.17	1500.00	1000	2400
	3डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (एस क्यू के एम)	170.32	300.00	150	350
	2डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (जी एल के एम)	150.5	1150.00	0	700
	अपतटीय				
2डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (एल के एम)	0	0.00	0	1000	
3डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (एल के एम)	0	0.00	0	1000	
3.	जोड़				
	तटीय				
	2डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (एल एल के एम)	1146.17	1500.00	1000	2400
	2डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (जी एल के एम)	4519.5	6442.00	4064	5002
	3डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (जी एल के एम)	15418	11975.00	12475	12725
	3डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (एस क्यू के एम)	170.32	300.00	150	350
	अपतटीय				
2डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (एल के एम)	2539	5750.00	1100	28500	
3डी भूकम्पीय सर्वेक्षण (एल के एम)	92313	91000.00	96300	38500	

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
अन्वेषण और विकास वेधन (ड्रिलिंग)

(हजार मीटरों में)

क्र. सं.	कार्यक्रम	1998-99 वास्तविक	1999-2000		2000-01 लक्ष्य
			लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि	
1.	अन्वेषण वेधन				
अ.	ओ एन जी सी				
क.	तटीय	227.9	323.37	334.19	368.09
ख.	अपतटीय	60.02	80.20	99.34	108.65
ब.	ओ आई एल				
क.	तटीय	44.57	57.00	54.35	62.08
ख.	अपतटीय	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (अन्वेषण)	332.49	460.57	487.88	538.82
2.	विकास वेधन				
अ.	ओ एन जी सी				
क.	तटीय	214.87	271.68	215.50	260.93
ख.	अपतटीय	86.64	91.20	60.90	59.90
ब.	ओ आई एल				
क.	तटीय	50.38	65.00	57.80	77.00
ख.	अपतटीय	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (विकास वेधन)	351.89	427.88	334.2	397.83

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
कच्चा तेल उत्पादन

(एम एम टी)

क्र. सं.	क्षेत्र	1998-99 वास्तविक	1999-2000		2000-01 लक्ष्य
			लक्ष्य	उपलब्धियां	
क.	ओ एन जी सी				
1.	तटीय	8.10	8.50	7.95	8.17
2.	अपतटीय	18.28	17.28	16.75	16.43
	उप जोड़ (क.)	26.38	25.78	24.70	24.60
ख.	ओ आई एल				
1.	तटीय	3.29	3.30	3.28	3.39
2.	अपतटीय	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप जोड़ (ख.)	3.29	3.30	3.28	3.39
	जोड़ (क + ख)	29.67	29.08	27.98	27.99
	जे वी सी / प्राइवेट	3.04	3.94	4.02	4.00
	कुल जोड़	32.71	33.02	32.00	31.99

• अनन्तिम

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
प्राकृतिक गैस उत्पादन

(बी सी एम)

क्र. सं.	क्षेत्र	1998-99 वास्तविक	1999-2000		2000-01 लक्ष्य
			लक्ष्य	अप्रत्याशित उपलब्धियां	
क.	ओ एन जी सी				
1.	तटीय	5.44	5.05	5.09	5.07
2.	अपतटीय	17.40	17.66	17.65	18.00
	उप जोड़ (क.)	22.84	22.71	22.74	23.07
ख.	ओ आई एल				
1.	तटीय	1.71	1.74	1.73	1.74
2.	अपतटीय	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप जोड़ (ख.)	1.71	1.74	1.73	1.74
	जोड़ (क + ख)	24.55	24.45	24.47	24.81
	जे वी सी / प्राइवेट	2.87	3.00	3.5	4.00
	कुल जोड़	27.42	27.45	27.97	28.81

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार परिशोधन क्षमता

क्र. सं.	रिफाइनरी का नाम	1998	1999	2000	2001
1.	आई ओ सी, गुवाहाटी	1.00	1.00	1.00	1.00
2.	आई ओ सी, बरौनी	3.30	3.30	4.20	4.20
3.	आई ओ सी, गुजरात	9.50	9.50	12.50	12.50
4.	आई ओ सी, हल्दिया	3.75	3.75	3.75	3.75
5.	आई ओ सी, मथुरा	7.50	7.50	8.00	8.00
6.	आई ओ सी, दिग्दोई	0.65	0.65	0.65	0.65
7.	आई ओ सी, पानीपत	0.00	6.00	6.00	6.00
8.	एच पी सी एल, बम्बई	5.50	5.50	5.50	5.50
9.	एच पी सी एल, विसाख	4.50	4.50	7.50	7.50
10.	बी पी सी एल, बम्बई	6.00	6.90	6.90	6.90
11.	एम आर एल, मद्रास	6.50	6.50	6.50	6.50
12.	एम आर एल, नारीमानम	0.50	0.50	0.50	0.50
13.	सी आर एल, कोचीन	7.50	7.50	7.50	7.50
14.	वी आर पी एल, बोगाईगांव	2.35	2.35	2.35	2.35
15.	एम आर पी एल, मंगलौर	3.69	3.69	9.69	9.69
16.	एन आर एल, असम	0.00	0.00	3.00	3.00
17.	रिलाएंस पेट्रोलियम	0.00	0.00	27.00	27.00
	जोड़	62.24	69.14	112.54	112.54

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रक
परिव्यय/ व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	कंपनी का नाम	1998-99 वास्तविक	1999-2000		2000-01 बजट अनुमान
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	
क.	अन्वेषण और उत्पादन				
	1. ओ एन जी सी	4468.00	4800.00	4928.83	5202.69
	2. ओ आई एल	427.77	468.35	468.37	600.01
	3. जी ए आई एल	363.56	859.94	810.84	966.45
	उप जोड़ (क)	5259.33	6128.29	6208.04	6769.15
ख	परिशोधन और विपणन				
	1. आई ओ सी	2687.90	2491.54	3417.88	4269.90
	2. एच पी सी एल	1101.06	1265.90	903.86	599.04
	3. बी पी सी एल	575.41	511.46	438.92	457.70
	4. एम आर एल	334.27	452.08	190.00	349.00
	5. सी आर एल	395.02	531.22	366.80	374.00
	6. बी आर पी एल	14.72	55.31	30.69	50.11
	7. एल आई एल	3.86	6.76	2.63	1.94
	8. ई आई एल	10.36	8.00	8.00	6.93
	9. आई बी पी	155.69	106.00	189.93	150.00
	10. एन आर एल	676.00	228.00	461.54	121.00
	उप जोड़ (ख)	5954.29	5656.27	6010.25	6379.62
	जोड़ : पेट्रोलियम	11213.62	11784.56	12218.29	13148.77

अध्याय 8 आधारिक संरचना विकास

8.2 परिवहन

देश की परिवहन पद्धति में, जिसमें रेल, सड़कें, समुद्रीपत्तन और हवाई अड्डे शामिल हैं, पिछले पचास वर्षों के दौरान तेजी से वृद्धि हुई है और इसने देश की विकास प्रक्रिया में योग दिया है। भारतीय रेलवे, लगभग 63,000 लम्बे किलोमीटर के विशाल नेटवर्क के साथ, विश्व में सबसे बड़ी रेल पद्धतियों में से एक है और भारी मात्रा में लम्बी दूरी की माल ढुलाई के परिवहन तथा दूरवर्ती यात्री ट्रैफिक व उप-नगरीय क्षेत्रों में बड़े तीव्र आवागमन का एक प्रमुख साधन है। 1950-51 से 1999-2000 तक की अवधि के दौरान रेलवे द्वारा ढोये गये कुल माल और यात्री ट्रैफिक में छः गुना वृद्धि हुई है (सं. अ.)। कुल सड़क लम्बाई, जो 1950-51 में 0.4 मिलियन कि. मी. थी, आठ गुना बढ़कर लगभग 3.32 मिलियन कि. मी. हो गई है, जिसमें 1996-97 में जे आर वाई के तहत निर्मित सड़क लम्बाई शामिल है। पत्तन क्षेत्र में, समुद्री ट्रैफिक में लगभग 13 गुना वृद्धि हुई है, जो 1950-51 में 19.38 मिलियन टन से बढ़कर 1998-99 में 251.70 मिलियन टन हो गया। इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा ढोया गया ट्रैफिक, जो 1960-61 में 83 मिलियन आर टी के एम एस था, 1998-99 में बढ़कर 709 मिलियन आर टी के एम एस हो गया।

समस्याएं और चिन्ता के विषय

2. उल्लेखनीय उपलब्धियों के बावजूद, परिवहन क्षेत्रक को इसे पेश आ रही समस्याओं और विभिन्न कमियों को दूर करने के लिए प्रयास करने होंगे। पूरी परिवहन पद्धति को क्षमता परिपूर्णता का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए विद्यमान नेटवर्क का विकास। सुदृढ बनाने तथा साथ ही पूर्वात्तर व जम्मू और काशमीर सहित दुर्गम इलाकों में परिवहन आधारिक संरचना और सुविधाओं के प्रसार में असंतुलनों को दूर करने की भी तत्काल आवश्यकता है। इसके साथ ही, अन्तर-मोडल मिश्रण में विकृतियाँ दूर करना आवश्यक है, जो वर्ष के दौरान अत्यंत ऊर्जा गहन और परिवहन के प्रदूषक पद्धतियों के पक्ष में विकसित हुई है।

3. देश के आर्थिक विकास और विकास प्रक्रिया में परिवहन क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। किन्तु, परिवहन क्षेत्रक को पिछले वर्षों के दौरान अपेक्षित संसाधन आबंटित नहीं किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिवहन संरचना की कमियां आर्थिक विकास की वर्तमान गति में बाधक न बने, यह नितांत आवश्यक है कि परिवहन की विभिन्न पद्धतियों के लिए पर्याप्त निवेश किए जाएं तथापि, परिवहन क्षेत्रक के लिए आवश्यक संसाधनों की मात्रा सरकार की सामान्य बजटीय वित्त पोषण क्षमता से परे है। इसके लिए भाड़ा और किराया दरों को युक्तिसंगत बनाकर तथा परिवहन संरचना के विकास में निजी क्षेत्रक की भागीदारी के माध्यम से आन्तरिक संसाधनों में वृद्धि करने की जरूरत है।

8.2.1 रेलवे

4. भारतीय रेलवे को अपने प्रयास जारी रखने की आवश्यकता है ताकि: (1) बढ़ते ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए पर्याप्त परिवहन क्षमता सृजित हो सके, (2) परिसम्पत्तियों का पुनरुद्धार, प्रतिस्थापन और नवीकरण कार्य पूरा हो सके, (3) लागत कम हो सके और ग्राहक सेवाओं की विश्वसनीयता, सुरक्षा और गुणवत्ता सुधर सके, (4) जनशक्ति उत्पादकता और कार्य प्रणाली सुधर सके, और (5) विद्यमान पोर्टफोलियो का पुनः प्राथमिकरण करके चल रही परियोजनाओं की पूर्णता में तेजी आ सके।

क्षेत्रकवार प्रवृत्तियाँ

5. वर्ष 1999-2000 के दौरान रेलवे ने 450.0 एम टी राजस्व अर्जक ले जाए जाने वाले माल ट्रैफिक की दुलाई की (संशोधित अनुमान), जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है जिसके मुख्य कारण अर्थव्यवस्था में समान्य आर्थिक तेजी का आना है। यात्री ट्रैफिक के मामले में, 1999-2000 में 4630 मिलियन की उपलब्धि से 1998-99 की तुलना में 3.62 प्रतिशत की वृद्धि दर का पता चलता है। यात्री कि. मी. की दृष्टि से इसी अवधि के दौरान लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा ढोए गए माल और यात्री ट्रैफिक में हुई प्रगति क्रमशः संलग्नक 8.2.1 और 8.2.2 में दर्शाई गई है।

6. 1998-99 के दौरान वेगन उत्पादकता 1997-98 की तुलना में 0.5 प्रतिशत मामूली सी अधिक थी जैसा कि नीचे सारणी 8.2.1 में देखा जा सकता है। वर्ष 1998-99 के दौरान, 260 कि. मी. मार्ग का गेज परिवर्तन, 2967 कि. मी. का ट्रैक नवीकरण, 617 कि. मी. लम्बाई का विद्युतीकरण किया गया और 167 कि. मी. नई लाइनें जोड़ी गईं।

सारणी 8.2.1 वैगन उत्पादकता

वर्ष	एम टी के एम प्रति वेगन प्रति दिन	पिछले वर्ष की तुलना में सुधार (प्रतिशत)
1994-95	1591	5.6
1995-96	1792	12.6
1996-97	1840	2.7
1997-98	1894	2.9
1998-99	1904	0.5

वर्ष 2000-01 के लिए लक्ष्य

7. वर्ष 2000-01 के लिए 475 मिलियन टन राजस्व अर्जक भाड़ा ट्रैफिक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा विभिन्न कार्यक्रमों के वास्तविक लक्ष्य तथा साथ ही गेज परिवर्तन के लिए निर्धारित परिव्यय, ट्रैक नवीकरण, विद्युतीकरण और नई लाइनों की अभिवृद्धि क्रमशः 385 कि. मी. (600 करोड़ रुपए), 3250 कि. मी. (2000 करोड़ रुपए), 500 कि. मी. मार्ग (325 करोड़ रुपए) और 217 कि. मी. (825 करोड़ रुपए) है। रोलिंग स्टॉक, ट्रैक नवीकरण और विद्युतीकरण की अधिप्राप्ति के संबंध में वास्तविक प्रगति संलग्नक 8.2.3 में दर्शाई गई है।

योजना परिव्यय

8. वर्ष 2000-01 के लिए रेलवे के लिए 11000 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। परिव्यय में सम्मिलित है: (क) बजटीय सहायता, 3291 करोड़ रुपए (30 प्रतिशत), (ख) बाजार उधार, 3668 करोड़ रुपए (33 प्रतिशत) (ग) आंतरिक संसाधन 4041 करोड़ रुपए (37 प्रतिशत)। भारतीय रेलवे के संबंध में योजना शीर्षवार परिव्यय संलग्नक 8.2.4 में दिया गया है।

9. रेलवे के लिए बजटीय सहायता में प्रवृत्ति की समीक्षा से पता चलता है कि कुल परिव्यय की प्रतिशतता के रूप में इसमें पिछले कुछेक वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है जैसा कि सारणी 8.2.2 में नीचे दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, रेलवे के विस्तार और सुदृढीकरण का वित्त पोषण अधिकांशतः रेलवे द्वारा आन्तरिक संसाधनों के सृजन के और बाजार उधारों के जरिए

करना होगा। सामान्य राजस्व के लिए देय लाभांश, जैसा कि 2000-01 के बजट अनुमान में पूर्वानुमानित है, 2115 करोड़ रुपए है किन्तु रेलवे द्वारा आन्तरिक संसाधन जुटाने में कमी के कारण सामान्य राजस्व को केवल 615 करोड़ रुपए अदा करने का प्रस्ताव है तथा शेष 1500 करोड़ रुपए की राशि आस्थगित लाभांश देयता खाते में चली जाएगी। भारतीय रेलवे की ऊँची प्रचालन लागत में जो 98.8 प्रतिशत से अधिक है, सुधार करना होगा। इसके लिए, एक ओर तीव्र राजस्व सृजन पर और दूसरी ओर कठोर लागत नियंत्रण पर बल देते हुए बेहतर प्रचालन और वाणिज्यिक प्रबंधन की आवश्यकता होगी।

सारणी 8.2.2 रेलवे के लिए बजटीय सहायता

1997-98 (वास्तविक)	1998-99 (वास्तविक)	1999-2000 (सं. अ.)	2000-01 (ब. अ.)
1992 (24 प्रतिशत)	2185 (25 प्रतिशत)	2540 (28 प्रतिशत)	3291 (30 प्रतिशत)

विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाएं

10. 2000-01 में, ई ए पी के लिए कुल 111.5 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, जिसमें से 55 करोड़ रुपए विदेशी सहायता संघटक के रूप में और 56.5 करोड़ रुपए सहायता-भिन्न अंश होगा। वर्ष 2000-01 में ई ए पी के लिए आवश्यक परियोजना-वार बजट प्रावधान संलग्नक 8.2.5 में दर्शाया गया है।

8.2.2 सड़कें

पृष्ठभूमि

11. सड़क पद्धति का विकास देश में माल और यात्री ट्रैफिक के विकास के साथ-साथ नहीं बढ़ रहा है। उदारीकरण के पश्चात के युग में विकास की गति को बनाए रखने के वास्ते सड़क विकास को, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम की शुरुआत होने से, आने वाले वर्षों में अधिक बढ़ावा मिलने की सम्भावना है।

प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र

12. राष्ट्रीय राजमार्ग का 52000 कि. मी. से अधिक भाग भारत में मुख्य परिवहन पद्धति का महत्वपूर्ण घटक है। वार्षिक योजना 2000-01 में, कमियों को दूर करने पर बल दिया जाता रहेगा, यथा बीच की कड़ी का निर्माण, निम्न ग्रेड सेक्शनों का सुधार, कमजोर पुलों का पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण, उप-मार्गों और एकल लेन मार्गों का चार लेन व 2 लेन मार्गों में निर्माण। अगली योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे पिछड़े और दूरवर्ती इलाकों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। इन इलाकों में सड़क नेटवर्क में सुधार से विकास में तेजी आएगी और साथ ही लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। जहाँ तक राज्य सड़कों का संबंध है, विस्तार की अपेक्षा विद्यमान सड़क नेटवर्क के सुदृढीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी।

ग्रामीण सड़कें

13. बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कें) में सभी गाँवों और बस्तियों को 2002 ए डी तक बारह मासी सड़कों द्वारा जोड़ने की परिकल्पना की गई है। नवीनतम अनुमान से पता

चलता है कि लगभग 56.5 प्रतिशत गाँव (1991 जनगणना) 31 मार्च 1997 के अन्त तक जोड़ दिए गए हैं। इस कार्यक्रम का स्थान अब “प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना” (पी एम जी वाई) नामक एक और स्कीम ने ले लिया है। इस स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण लोगों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के वास्ते एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करना होगा। ग्रामीण सड़को का निर्माण करने और ग्रामीण संयोजकता सुधारने का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू करने के लिए 2500 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है। इस स्कीम के मानीटरन और कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, एक नोडल मंत्रालय होगा।

1999–2000 में कार्यक्रमों की समीक्षा

14. नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति के संबंध में कार्य की वास्तविक प्रगति और साथ ही नौवीं योजना के लिए (1997–2002) निर्धारित लक्ष्य भी संलग्नक 8.2.6 में दिए गए हैं। 1999–2000 में 2163.08 करोड़ रुपए के परिव्यय के विपरीत व्यय का संशोधित अनुमान 4056.46 करोड़ रुपए है। (ईंधन पर उप-कर के कारण 1900 करोड़ रुपए समेत)।

निजी क्षेत्र भागीदारी

15. सड़क विकास में निजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से, सरकार ने एक्सप्रेस मार्गों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रचालनों में निजी क्षेत्र भागीदारी की संकल्पना 6 अप्रैल 1995 को अनुमोदित की। तब से, सड़क निर्माण कार्यकलाप में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुकर बनाने के वास्ते बहुत से उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित बाक्स 8.2.1 में सड़क क्षेत्र में निजी क्षेत्रक भागीदारी की प्रगति संक्षेप में दी गई है।

बाक्स 8.2.1

निजी क्षेत्रक भागीदारी: सड़क क्षेत्र

- निजी क्षेत्रक भागीदारी की नीति का अनुसरण करते हुए, भूतल परिवहन मंत्रालय ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत पर 20 परियोजनाएं अवार्ड की हैं। इन 20 परियोजनाओं में से 7 परियोजनाएं उप-मार्गों के निर्माण और शेष 13 पुलों के निर्माण से संबंधित हैं। सात परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 13 कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर हैं। जयपुर, किशनगढ़, रा. रा. 8 के टुकड़े के लिए अनुमोदन प्रलेख को अन्तिम रूप दिया गया है और बोलियां आमंत्रित की गई हैं।
- अनेक राज्य सरकारों ने भी सड़कों के विकास में निजी क्षेत्र को सहयोजित करने के लिए उपाय किए हैं। गुजरात राज्य ने सड़कों के विकास के लिए एक दीर्घावधिक योजना विकसित की है जिसके अन्तर्गत निजी क्षेत्रक के लिए एक बड़ी भूमिका की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकार ने 506 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर बी ओ टी आधार पर विकास हेतु दो राज्य राज मार्ग विनिर्धारित किए हैं। इसी प्रकार, महाराष्ट्र राज्य ने भी निजी क्षेत्र के अन्तर्गत विकास हेतु चार एक्सप्रेस मार्ग विनिर्धारित किए हैं। मध्य प्रदेश में, निजी क्षेत्र द्वारा 12 पुल परियोजनाओं और एक उप मार्ग का कार्य पूरा कर लिया गया है। राज्य सरकार ने बी ओ टी आधार पर 135 कि. मी. सड़क के संबंध में अनुरक्षण कार्य भी दे दिया है।

वार्षिक योजना 2000–01

16. केन्द्रीय क्षेत्र में सड़कों के विकास के लिए 2506 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। स्कीम-वार विवरण संलग्नक 8.2.7 में दिया गया है। नौवीं योजना (1997-2002), 1997-98, 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय/राज्य क्षेत्र सड़कों पर परिव्यय/व्यय नीचे सारणी 8.2.3 में दिया गया है।

सारणी 8.2.3
परिव्यय/व्यय-सड़क क्षेत्रक

क्षेत्रक	नौवीं योजना (1997-2002) परिव्यय	1997-98 (व्यय)	1998-99 (व्यय)	1999-00 (सं. अ.)	2000-01 (परिव्यय)
केन्द्रीय क्षेत्रक					
सड़कें	8862.02	1565.31	1505.87	4056.42	5506.00 •
राज्य क्षेत्रक					
सड़कें	29785.18	4121.45 (सं. अ.)	6277.56 (सं. अ.)	8143.43	—

• एन एच ए आई के लिए 2010 करोड़ रुपए और राज्यों को केन्द्रीय सहायता के लिए 990 करोड़ रुपए शामिल हैं।

विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाएं

17. विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय दाता एजन्सियों द्वारा विन्त पोषित विदेशी सहायता-प्राप्त राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के ब्योरे, संलग्नक 8.2.8 में दिए गए हैं। इस समय, 9 परियोजनाएं चल रही हैं जिनकी सम्भावित पूर्णता लागत 4283.28 करोड़ रुपए है। इसके विरुद्ध 31 मार्च 1999 तक 1927.65 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो चुकी है। वर्ष 1999-2000 के दौरान 397.23 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इनमें से अधिकांश परियोजनाएं नौवीं योजना कं अन्त तक पूरी हो जाने की सम्भावना है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन एच डी पी)

18. आधारिक संरचना संबंधी कार्य बल के निर्देशानुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का कार्यन्वयन किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली - मुम्बई - चेन्नई और कलकत्ता तथा काशमीर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाले उत्तर-दक्षिण गलियारे (कोरीडोर) तथा सिल्वर से सौराष्ट्र को जोड़ने वाले पूर्व-पश्चिम गलियारे (कोरीडोर) का स्वर्ण चतुर्भुज शामिल है। इसका एक सारांश नीचे बाक्स 8.2.2 में दिया गया है।

बाक्स 8.2.2

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

- मात्र स्वर्ण चतुर्भुज (जी क्यू) के अन्तर्गत कुल 5952 कि. मी. की लम्बाई में से 729 कि. मीटर का कार्यन्वयन "एन एच ए आई" और भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है 1504 कि. मी. को चार लेनों में बदला जा चुका है। इसे चार लेन वाला मार्ग बनाने से, उपलब्धता की बजाए गतिशीलता बढ़ाने पर बल देने और क्षमताओं में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। यह कार्य नौवीं योजना के इस विवरण के अनुसार चल रहा है कि "15-20 वर्ष को परिदृश्य में रखते हुए एक सुपरिभाषित योजना से इस क्षेत्रक में महसूस की जा रही क्षमता संबंधी बाध के महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान करने में मदद मिलेगी।" प्रथम चरण में जी क्यू के विकास

को दिसम्बर 2003 तक पूरा करने का प्रस्ताव है। उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारे के संबंध में, 228 कि. मी. का कार्यान्वयन चालू वित्त वर्ष में किया जा रहा है और 373 कि. मी. वित्तीय वर्ष 2000-01 के अन्त तक अवार्ड किया जाएगा। उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारे 2009 तक 4 लेन वाले बन जाएंगे।

सड़क परिवहन

19. वस्तुओं और यात्रियों के आवागमन में सड़क परिवहन तक प्रमुख परिवहन साधन है। रेलवे द्वारा न जुड़े पर्वतीय, ग्रामीण और पिछड़े इलाकों की सेवा करने का यह एकमात्र भूतल परिवहन का मशीनीकृत साधन है। माल ट्रेफिक का स्वामित्व और प्रचालन सामान्यतः निजी क्षेत्र के अधीन है जबकि यात्री सेवाओं में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र भागीदार हैं। 31 मार्च 1997 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय बस बेड़े में राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का हिस्सा 22.7 प्रतिशत था।

वार्षिक योजना 1999-2000 की समीक्षा

20. वर्ष 1999-2000 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र सड़क परिवहन के अन्तर्गत 9 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध था। खर्च हुई राशि 6.94 करोड़ रुपए थी। कार्यान्वित की गई प्रमुख स्कीमें थी: राष्ट्रीय राजमार्ग पेट्रोलिंग स्कीम, सड़क सुरक्षा, प्रदूषण और सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार उपाय (संलग्नक 8.2.9) 1 वार्षिक योजना 1999-2000 के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में सड़क परिवहन के लिए 1230 करोड़ रुपए के परिव्यय के विपरीत 868.72 करोड़ रुपए की राशि खर्च होनेकी सम्भावना है। राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के वास्तविक निष्पादन में समग्र रूप से सुधार हुआ। बेड़ा उपयोग, वाहन उत्पादकता, स्टाफ कार्य निष्पादन और ईंधन क्षमता में सुधार हुआ है। किन्तु उपक्रमों की वित्तीय हानियाँ बराबर बनी हुई हैं। 1999-2000 में कुल निवल हानि (एल ई) 1779.92 करोड़ रुपए थी जबकि 1998-99 में यह राशि 1593.08 करोड़ रुपए थी। हानि के मुख्य कारण थे: संवेश लागत, अनार्थिक मार्गों पर सेवाओं का प्रचालन, नि: शुल्क और रियायती यात्रा, ऊँचा मोटर वाहन कर और अनार्थिक भाड़ा संरचना।

वार्षिक योजना 2000-01

21. वार्षिक योजना 2000-2001 में केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 11.35 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। शुरू की जाने वाली प्रस्तावित प्रमुख स्कीमें हैं: राष्ट्रीय राजमार्ग पेट्रोलिंग स्कीम, सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार उपाय, प्रदूषण नियंत्रण उपाय और प्रशिक्षण कार्यक्रम।

8.2.3 पत्तन (बन्दरगाहें)

22. देश में ग्यारह बड़े पत्तन भारत के कुल पत्तन संवेश के 90 प्रतिशत को हेण्डल करते हैं। पाँच बड़े पत्तनों, नामतः काण्डला, विजाग, चेन्नई, मुम्बई और कलकत्ता/ हल्दिया का अंशदान बड़े पत्तनों द्वारा हेण्डल किए जाने वाले कुल ट्रेफिक का 68 प्रतिशत है। नौवीं योजना के प्रथम वर्ष में बड़े पत्तनों पर उल्लेखनीय ट्रेफिक वृद्धि हुई है। बड़े पत्तनों द्वारा हेण्डल किया गया ट्रेफिक जो 1996-97 में 227.26 एम टी था। 1997-98 में बढ़कर 251.66 एम टी हो गया। किन्तु ट्रेफिक वृद्धि 1998-99 में स्थिर रही और 1999-2000 में इसके 270 एम टी रहने की संभावना है। बड़े पत्तनों पर हेण्डल किए गए ट्रेफिक के वस्तु-वार और पत्तन-वार ब्यारे संलग्नक 8.2.10 और 8.2.11 में दिए गए हैं। 31.2.1999 की स्थिति के अनुसार कुल पत्तन हेण्डलिंग क्षमता 239.50 एम टी थी और 31.3.2000 को इसके 260 एम टी होने की सम्भावना है। वस्तु-वार और पत्तन-वार हेण्डलिंग क्षमता के ब्यारे संलग्नक 8.2.12 और 8.2.13 में दिए गए हैं।

23. बड़े पत्तनों पर उत्पादकता संकेतकों ने सुधार प्रदर्शित किया है उदाहरणार्थ, जहाजों का औसत टर्न-राउण्ड समय जो 1996-97 में 7.5 दिन था, 1998-99 में कम होकर 5.9 दिन रह गया। पत्तन-वार ब्योरे संलग्नक 8.2.14 में दिए गए हैं। वार्षिक योजना 1999-2000 के दौरान योजना परिव्यय के 94 प्रतिशत का उपयोग कर लिए जाने की सम्भावना है (1623.70 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय के विपरीत 1530.46 करोड़ रुपए)। पत्तन-वार परिव्यय और खर्च के ब्योरे संलग्नक 8.2.15 में दिए गए हैं। वार्षिक योजना 2000-01 के दौरान पत्तन क्षेत्रक के लिए 1957.17 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है, जिसमें सर्वेक्षण पोतों के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि शामिल नहीं है जिसमें से 1477.23 करोड़ की राशि (75 प्रतिशत) आन्तरिक और बजट-बाह्य संसाधनों (आई ई बी आर) के माध्यम से जुटाए जाने की उम्मीद है। पत्तन क्षेत्रक के लिए वित्त पोषण पद्धति निचे सारणी 8.2.4 में दी गई है।

सारणी 8.2.4
वित्त पोषण पद्धति-पत्तन क्षेत्रक

स्रोत	राशि (करोड़ रुपये)	प्रतिशतता
आंतरिक संसाधन	1144.94	58.5
आई सी एल/ ई सी बी	180.29	9.2
अन्य (उपभोक्ता)	152.00	7.8
सकल बजटीय सहायता (जिसमें से विदेशी सहायता की राशि 148.42 करोड़ रुपये)	479.94	24.5
जोड़	1957.17	100.00

विस्तृत वित्त पोषण पद्धति (पत्तन-वार) संलग्नक 8.2.16 में दी गई है।

24. वर्ष 2000-2001 के दौरान विभिन्न प्रमुख पत्तनों पर निम्नलिखित बड़ी परियोजनाएं चालू हो जाने की सम्भावना है।

- (1) मुम्बई पत्तन पर उप-समुद्रीय पाइपलाइनों का प्रतिस्थापन (अनुमानित लागत-165.15 करोड़ रुपए)।
- (2) परादीप पर कोयला हेण्डलिंग सुविधा (अनुमानित लागत - 815.14 करोड़ रुपए)
- (3) एन्नोर पर नए पत्तन का निर्माण (अनुमानित लागत - 927.10 करोड़ रुपए)।
- (4) चेन्नई पत्तन पर कन्टेनर टर्मिनल का विस्तार (अनुमानित लागत - 52.70 करोड़ रुपए)।
- (5) जे एन पी पर बी ओ टी कन्टेनर बर्थ (अनुमानित लागत - 700 करोड़ रुपए)।

निजी क्षेत्र भागीदारी

25. विगत में और नौवीं योजना के दौरान, पत्तन संरचना के विकास में निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए अनेक उपाय किए गए थे। अब इनके नतीजे सामने आए हैं और अनेक परियोजनाएं निजी क्षेत्र में अथवा परिबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा प्रदत्त संसाधनों के जरिए कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनका उल्लेख नीचे बाक्स 8.2.3 में किया गया है।

बाक्स 8.2.3
निजी क्षेत्र भागीदारी

- 3926 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 54 एम टी क्षमता की तेरह निजी क्षेत्र / परिबद्ध पत्तन परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं और वे निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं। "काम्डला में पाँचवीं तेल जेटी" नामक एक परियोजना पूरी हो गई है। निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित की जा रही जे एन पी टी पर दो कन्टेनर टर्मिनल बर्थ में से एक और बर्थ नवम्बर 1999 तक पूरी हो जाने की उम्मीद है।

बड़े पत्तनों का निगमीकरण

26. पत्तन न्यास के अधीन बड़े पत्तनों का कामकाज प्रचालन की दृष्टि से अनम्य है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी के कारण वे बाजार की स्थिति के अनुसार कार्य करने में असमर्थ रहते हैं। इस बात को देखते हुए बड़े पत्तनों के क्रमिक निगमीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। चेन्नई के निकट 12 वें बड़े पत्तन के रूप में निर्मित किए जा रहे एन्नोर पत्तन के प्रबंधन के लिए एन्नोर पत्तन कम्पनी लि. का पंजीकरण करके इस दिशा में शुरूआत की गई है। यह भी निर्णय किया गया है कि जे एन पी टी और हल्दिया की शुरूआत करके विद्यमान बड़े पत्तनों का निगमीकरण किया जाए।

विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाएं

27. विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए वार्षिक योजना 2000-01 के दौरान 267.56 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसमें से केवल 148.42 करोड़ रुपए की व्यवस्था (संलग्नक 8.2.17) बजट के माध्यम से और शेष राशि (119.14 करोड़ रुपए) पत्तनों के लिए सीधी सहायता होगी, अर्थात् बजट के माध्यम से प्रदान न की जाने वाली। विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं में दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं: एन्नोर पर नए पत्तन का निर्माण (मूल अनुमानित लागत-593.90 करोड़ रुपए), ए. वि. बैंक ऋण घटक (अमरीकी डालर 150.15 मिलियन) है, जिसमें से अभी तक अमरीकी डालर 80 मिलियन की राशि का संवितरण किया जा चुका है तथा वास्तविक प्रगति 87 प्रतिशत हुई है और परादीप में मशीनीकृत कोयला हेण्डलिंग सुविधाएं (मूल अनुमानित लागत-587.41 करोड़ रुपए), ए. वि. बैंक ऋण घटक (अमरीकी डालर 134.85 मिलियन) है, तथा अभी तक कुल ऋण संवितरण की राशि - 91.94 अमरीकी मिलियन डालर है और फरवरी 2000 तक की वास्तविक प्रगति 70 प्रतिशत है।

ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (डी सी आई)

28. वार्षिक योजना 2000-01 के दौरान डी सी आई के लिए 317 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है। महत्वपूर्ण स्कीमें हैं: ट्रेलर सक्शन ड्रेजर (टी एस डी) 7400 सी यू एम- दो, 4500 सी यू एम। पम्प घंटे का टी एस डी (तीन)। डी सी आई द्वारा वार्षिक योजना 1999-2000 के दौरान 180.68 करोड़ रुपए का खर्च किए जाने की सम्भावना है।

छोटे पत्तनों का विकास

29. छोटे पत्तनों द्वारा हेण्डल किया गया ट्रेफिक जो 1996-97 में 24.93 एम टी था, 1998-99 में बढ़कर 35 एम टी हो गया। आजकल कुल ट्रेफिक के 12 प्रतिशत की हेण्डलिंग छोटे पत्तनों द्वारा की जाती है। छोटे पत्तनों द्वारा हेण्डल किए जाने वाले कुल ट्रेफिक में गुजरात का अंशदान 70 प्रतिशत है। गुजरात, आन्ध्रप्रदेश और उड़ीसा जैसे विभिन्न समुद्रीय राज्यों ने निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए महत्वाकांक्षी पत्तन विकास कार्यक्रम परिकल्पित किए हैं, जैसा कि नीचे बाक्स 8.2.4 में बताया गया है।

बाक्स 8.2.4

पत्तन विकास कार्यक्रम-निजी क्षेत्र भागीदारी

- गुजरात में, पिपावा का प्रथम विकास चरण पूरा हो गया है और द्वितीय चरण के संबंध में कार्य चल रहा है। इसी प्रकार, एक जेटी वाले मुन्द्रा पत्तन के विकास का प्रथम चरण पूरा हो गया और सितम्बर 1998 से पत्तन चालू हो गया। धोलेडा, दहेज (एल. एन. जी टर्मिनल) और मारोलो के लिए सिद्धान्त रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। गुजरात अम्बुजा सीमेंट (मुल द्वारका), रिलाएन्स पेट्रोलियम लि. (सिक्का में 27 एम टी) और संघी सीमेंट (कच्छ) जैसे परिबद्ध उपभोक्ता भी गुजरात में पत्तन हेण्डलिंग सुविधाओं में वृद्धि कर रहे हैं।
- उडीसा ने, "बिल्ड, ओन, आपरेट, शेयर एण्ड ट्रान्सफर (बी ओ ओ एस टी)– निर्मित करो, मालिक बनो, प्रचालन करो, हिस्सेदारी करो और हस्तान्तरण करो" के माध्यम से निजी निवेश के साथ धमारा पत्तन विकास करने के लिए मेसर्स इनटरनेशनल सी पोर्ट (आई एस पी) लि. के साथ, एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रस्तावित क्षमता वृद्धि 10 एम टी है। भूतल परिवहन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रतीक्षा है। पत्तन के जुलाई 2002 तक चालू हो जाने की सम्भावना है।
- आन्ध्र प्रदेश में, काकीनाडा में गहन जल पत्तन का विकास कार्य ए. वि. बैंक ऋण सहायता से शुरू किया गया। तीन बर्थें पूरी हो गई हैं। नव निर्मित सभी तीन बर्थों का निजीकरण कर दिया गया है और "प्रचालित करो, अनुरक्षण करो, हिस्सेदारी करो और हस्तान्तरित करो (ओ एम एस टी)" के आधार पर प्रचालन के अधीन हैं। निजी क्षेत्र के माध्यम से कृष्णापटनम में एक और पत्तन के निर्माण के लिए संविदा अर्वाड कर दिया गया है।

8.2.4 नौवहन

30. 106 भारीय नौवहन कम्पनियों के स्वामित्व में कुल बेडा 515 जहाजों का है जिसका जी आर टी 7,066 मिलियन है। शिपिंग कार्पोरेशन औफ इंडिया (भारतीय नौवहन निगम) जो देश में सबसे बड़ी नौवहन कम्पनी है, 115 जल पोतों की मालिक है जिनका टनेज 3026 मिलियन जी आर टी है, जो कुल भारतीय टनेज का 43 प्रतिशत है (संलग्नक 8.2.19)। देश के समुद्रपार समुद्री व्यापार में भारतीय ध्वज पोतों का हिस्सा विगत कुछेक वर्षों के दौरान लगभग 30 प्रतिशत के आस-पास बना हुआ है। यद्यपि उनके द्वारा द्वारा ढोए गए कार्गो की मात्रा, जो 1992-93 में 42.66 एम टी थी, 1996-97 में बढ़कर 53 एम टी और 1997-98 में 63.53 एम टी हो गई।

31. वर्ष 1999-2000 के दौरान, 610.23 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने की सम्भावना है (41 प्रतिशत) जबकि अनुमोदित परिव्यय की राशि 1478.86 करोड़ रुपए है। योजना परिव्यय के कम उपयोग के कारण हैं: (1) विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ई सी बी) के जुटाने में कठिनाई, (2) विद्यमान बाजार स्थिति अत्यंत अवसादजनक है जहाँ चार्टर/ भाडा दरों में काफी गिरावट आई है विशेष रूप से शुष्क-भारी और लाइनर क्षेत्र के मामले में, (3) व्यापार पद्धति में काफी परिवर्तन हुआ जिसके फलस्वरूप एस सी आई को अपनी अनेक परियोजनाएं वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ा।

32. वार्षिक योजना 2000-01 के दौरान, पिछली तथा वर्तमान वचनबद्धताओं को पूरा करने पर जोर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एस सी आई का इरादा दो नई परियोजनाओं के लिए आदेश देने/ अधिप्राप्त करने का है, (क) दो केपसाइज बल्क कैरियर और दो रसायन टैंकर इसी अवधि के दौरान अनुमोदित परिव्यय 567.01 करोड़ रुपए है। ब्योरा संलग्नक 8.2.20 में दिया गया है। वर्ष 1997-98 में एस सी आई का कर पश्चात निवल लाभ 246.2 करोड़ था जबकि 1996-97 में यह राशि 233.27 करोड़ रुपए थी। वर्ष 1998-99 के दौरान 201.00 करोड़ रुपए का निवल लाभ होने की सम्भावना है।

8.2.5 अन्तर्देशीय जल परिवहन

33. भारतीय अन्तर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण (आई डब्ल्यू ए आई) द्वारा कार्यान्वित की जा रही महत्वपूर्ण स्कीमें हैं: गायघाट, पटना में टर्मिनल का निर्माण, करिगंज में टर्मिनल का निर्माण, पाण्डु टर्मिनल फेयरवे विकास और नौवहन संबंधी साधन। वर्ष 1999–2000 के दौरान आई डब्ल्यू ए आई द्वारा 31.8 करोड़ रुपए की राशि खर्च किए जाने की सम्भावना है। वर्ष 2000–01 के दौरान, आई डब्ल्यू ए आई के लिए 48.15 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इसी प्रकार पोतों की प्राप्ति/ मरम्मत की विभिन्न स्कीमों के लिए 9.26 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है, जिनका कार्यान्वयन केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम (सी आई डब्ल्यू टी सी) द्वारा किया जाएगा। ब्योरे संलग्नक 8.2.18 में दिए गए हैं। 5.5 प्रतिशत की सब्सिडाइज्ड ब्याज दर पर नए अन्तर्देशीय पोत प्राप्त करने के लिए 1983 में प्रारंभ की गई ऋण ब्याज सब्सिडी स्कीम (एल आई एस एस) को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इसमें हाल ही में संशोधन किया गया है। इसके अन्तर्गत अन्तर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 के अतिरिक्त, किसी भी राज्य अधिनियम के तहत पोतों का पंजीकरण और पुराने पोत प्राप्त करना भी शामिल है। स्कीम की पुनः समीक्षा की जाएगी ताकि इसकी जरूरत और इसे जारी रखने का मूल्यांकन किया जा सके। इसी बीच, एक अन्तरिम उपाय के रूप में, स्कीम को 1,4,2000 के बाद एक और वर्ष के लिए अथवा अन्तिम निर्णय लिए जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है।

8.2.6 नागर विमानन

34. नागर विमानन क्षेत्रक को मोटे तौर पर तीन भिन्न कार्यात्मक ईकाइयों में बाँटा गया है, नामतः विनियामक – सह – विकासात्मक, प्रचालन संबंधी और संरचनात्मक। विनियामक कार्य महानिदेशक, नागर विमानन (डी जी सी ए) और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी सी ए एस) द्वारा निष्पादित किया जाता है। प्रचालन संबंधी कार्य, एयर इण्डिया लि. इण्डियन एयरलाइन्स लि., पवन हंस हेलिकोप्टर्स लि. व अन्य अनुसूचित/ गैर – अनुसूचित एयरलाइन आपरेटरों द्वारा निष्पादित किया जाता है। एयर इण्डिया लि. (ए आई) भारत से/ के लिए अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं की व्यवस्था करता है। इण्डियन एयरलाइन्स लि. व अन्य अनुसूचित/ गैर – अनुसूचित आपरेटर देश में देशज हवाई सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार हैं। इण्डियन एयरलाइन्स लि. कुछ पड़ोसी देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं भी प्रदान करता है। पवन हंस हेलिकोप्टर लि. हेलिकोप्टर सहायता सेवा, मुख्यतः पेट्रोलियम क्षेत्रक के लिए, प्रदान करता है।

35. आधारीक संरचनात्मक सुविधाएं, भारतीय वायुपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाती हैं, जो 92 वायुपत्तनों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है जिनमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और तिरुअनन्तपुरम स्थित पाँच अन्तर्राष्ट्रीय वायुपत्तन, रक्षा वायुपत्तनों पर 28 सिविल एनक्लेव शामिल हैं। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आई जी आर यू ए), वाणिज्यिक पाइलट लाइसेंस और वाणिज्यिक हेलिकोप्टर्स पाइलट लाइसेंस प्रदान करने के लिए उड़ान प्रशिक्षण प्रदान करने के वास्ते जिम्मेदार प्रमुख उड़ान संस्थान है। होटल कोरपोरेशन आफ इण्डिया, जो एयर इण्डिया लि. की एक सहायक कम्पनी है, उड़ान के दौरान खान-पान की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है, और यह मार्गस्थ यात्रियों के लिए खानपान की व्यवस्था करने के वास्ते वायुपत्तनों के आस-पास होटल भी चलाता है। केन्द्रीय क्षेत्रक में, वर्ष 2000–01 में नागर विमानन के वास्ते 2229.52 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। परिव्यय का संगठन-वार ब्योरा संलग्नक 8.2.21 में दिया गया है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डी जी सी ए)

36. वार्षिक योजना 2000–01 में डी जी सी ए के लिए परिव्यय की राशि 5.00 करोड़ रुपए है। परिव्यय का बड़ा भाग (3 करोड़ रुपए) योजनागत पदों और सरकार की सी ओ एस सी ए

पी, एस ए आर ए एस आदि जैसी विनिर्दिष्ट स्कीमों पर राजस्व खर्च को वहन करने के लिए है। योजनागत व्यय का वित्तपोषण बजटीय सहायता से किया जाएगा।

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी सी ए एस)

37. वर्ष 2000-01 के दौरान बी सी ए एस के लिए 5.72 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। परिव्यय का बड़ा भाग (3,90 करोड़ रुपए), दिल्ली/ मुम्बई/ कलकत्ता/ चेन्नई स्थित बी सी ए एस के चार क्षेत्रीय कार्यालयों के वास्ते कार्यलय भवनों के निर्माण के लिए है। समस्त परिव्यय का वित्तपोषण बजटीय सहायता से किया जाएगा।

एयर इण्डिया लिमिटेड

38. अनुमान है कि एयर इण्डिया लिमिटेड का ट्रैफिक जो 1998-99 में 1473.6 मिलियन आर टी के एम था, घटकर 1999-2000 में 1411.3 मिलियन आर टी के एम (संशोधित अनुमान) रह गया। एयरलाइन्स को 1999-2000 में 146.18 करोड़ रुपए (अनुमान) की निवल हानि हुई। एयर इण्डिया ने 2000-01 के दौरान 92.13 करोड़ रुपए की निवल हानि का पूर्वानुमान लगाया है। वर्ष 2000-01 के दौरान एयर इण्डिया के कार्यक्रमों के लिए 675.30 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। परिव्यय का बड़ा भाग (276.85 करोड़ रुपए), एयरलाइन द्वारा प्राप्त किए गए विमानों के संबंध में ऋण की वापसी अदायगी के लिए है। बी-747-300 कोम्बी वायुयान की लीज अवधि क्रय कीमत की समाप्ति के लिए व्यय को पूरा करने के वास्ते 248.45 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। एयर इण्डिया के परिव्यय का वित्त पोषण आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधनों से किया जाएगा।

इण्डियन एयरलाइन्स लिमिटेड

39. अनुमान है कि इण्डियन एयरलाइन्स का ट्रैफिक, जो 1998-99 में 709 मिलियन आर टी के एम था, 1999-2000 में बढ़कर 718 मिलियन आर टी के एम हो गया (संशोधित अनुमान)। एयरलाइन्स ने 2000-01 के दौरान 25.85 करोड़ रुपए के निवल लाभ का पूर्वानुमान किया है। वर्ष 2000-01 में इण्डियन एयरलाइन्स के लिए 550 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। परिव्यय का बड़ा भाग (496.48 करोड़ रुपए) एयरक्राफ्ट परियोजनाओं के लिए खर्च को पूरा करने के लिए है। परिव्यय का वित्त पोषण आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधनों से किया जाना है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए ए आई)

40. वर्ष 2000-01 के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग हेतु 329.81 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। परिव्यय का बड़ा भाग, टर्मिनल भवनों, व अन्य प्रचालन संबंधी कार्य, कार्गो, कार्गो परिसर आदि सहित, विद्यमान सुविधाओं में सुधार और उनके स्तरोन्नयन के लिए है। समस्त परिव्यय का वित्त पोषण आन्तरिक संसाधनों से किया जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग के विकास कार्यक्रम के लिए 2000-01 में 505.72 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। योजना में हवाई अड्डों के विकास पर बल दिया गया है जिसके लिए 270.33 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता से किया जाएगा। वर्ष 1999-2000 में भारतीय वायुपत्तन प्राधिकरण ने 208.40 करोड़ रुपए (अनुमान) का निवल लाभ अर्जित किया। प्राधिकरण ने वर्ष 2000-01 के दौरान 213.97 करोड़ रुपए का निवल लाभ पूर्वानुमानित किया है।

पवन हंस हेलिकोप्टर्स लिमिटेड

41. वर्ष 2000-01 में पवन हंस हेलिकोप्टर्स लि. के लिए 126.45 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। परिव्यय का बड़ा भाग (102.35 करोड़ रुपए) नया बेड़ा खरीदने के लिए है। 1999-2000 में पवन हंस हे. लि. ने 56.77 करोड़ रुपए (सं. अ.) का निवल लाभ अर्जित किया। कम्पनी ने 2000-01 के दौरान 72.54 करोड़ रुपए का निवल लाभ पूर्वानुमानित किया है। समस्त योजना परिव्यय उसके आन्तरिक संसाधनों से पूरा किया जाएगा।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

42. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के लिए वर्ष 2000-01 में 6.75 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है, जिसका वित्त पोषण बजटीय संसाधनों से किया जाएगा। परिव्यय का बड़ा भाग (4.00 करोड़ रुपए) एयरफील्ड नेविगेशन और लेन्डिंग उपस्करों की लागत पूरा करने के लिए है।

होटल कारपोरेशन आफ इण्डिया (एच सी आई)

43. एच सी आई के लिए वार्षिक योजना 2000-01 परिव्यय 24.77 करोड़ रुपए है। परिव्यय का बड़ा भाग (20.00 करोड़ रुपए) होटल कमरों के नवीकरण/ स्तरान्मयन तथा सामान्य विभागीय पूँजी खर्च के लिए है। समस्त परिव्यय का वित्त पोषण आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधनों से किया जाएगा।

संलग्नक 8.2.1

भारतीय रेलों द्वारा लाया- ले जाया गया माल भाड़ा यातायात

वर्ष	मूल यातायात (मिलियन टन)			निवल टन किलोमीटर (बिलियनों में)		
	राजस्व अर्जक	गैर-राजस्व अर्जक	जोड़	राजस्व अर्जक	गैर-राजस्व अर्जक	जोड़
1990-91	318.4	23	341.4	235.8	6.9	242.7
1991-92	338	22	360	250.2	6.7	256.9
1992-93	350	20.8	370.8	252.4	5.7	258.1
1993-94	358.7	18.8	377.5	252.4	4.7	257.1
1994-95	365	16.6	381.6	249.6	3.4	253
1995-96	390.6	14.3	405	271.1	2.6	273.7
1996-97	409	14.4	423.4	277.6	2.4	280
1997-98	429.4	16.1	445.5	284.3	2.5	286.8
1998-99	420.9	20.7	441.6	281.5	2.8	284.3
1999-2000	450	20.4	470.4	301.5	2.5	304

संलग्नक 8.2.2

भारतीय रेलों द्वारा लाया- ले जाया गया यात्री यातायात

वर्ष	यात्रियों की संख्या (मिलियनों में)			यात्री किलोमीटर (बिलियनों में)		
	उपनगरीय	गैर- उपनगरीय	जोड़	उपनगरीय	गैर- उपनगरीय	जोड़
1990-91	2258	1599	3857	59.7	236.1	295.8
1991-92	2411	1637	4048.1	63.4	251.2	314.6
1992-93	2282	1467	3749	60.5	239.7	300.2
1993-94	2302	1406	3708	63.1	233.2	296.3
1994-95	2430	1485	3915	68	251	319
1995-96	2481	1557	4038	72.6	261.4	334
1996-97	2578	1575	4153	76.5	280.5	357
1997-98	2657	1691	4348	78.8	301.1	379.9
1998-99	2724.8	1744	4468.5	83.5	321.1	404.6
1999-2000	2823.3	1807	4630	93.2	335.5	428.7

संलग्नक 8.2.3

लक्ष्य और उपलब्धियां – भारतीय रेल

क्र. सं.	मद (वर्ष)	1998-99 लक्ष्य	1999-2000		2000-01	
			उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य
क.	रोलिंग स्टॉक (संख्या)					
	1. वैगन (4 पहियों वाले)	26000	25235	18750	18750	23000
	2. डीजल लोको	181	177	133	138	100
	3. विद्युत लोको	158	170	130	120	148
	4. कोचिंग स्टॉक (ई एम यू)	300	213	250	245	240
	5. अन्य कोचें	2265	2253	2159	1882	1760
ख.	ट्रैक नवीनीकरण (किलोमीटर)	2710	2710	2550	2710	3250
ग.	विद्युतीकरण (रूट किलोमीटर)	500	617	500	500	500

संलग्नक 8.2.4

भारतीय रेलों के लिए योजना शीर्षवार परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	योजना शीर्ष	1997-98 वास्तविक	1998-99 वास्तविक	1999-2000 सं. अनु.	2000-01 ब. अनु.
1	रोलिंग स्टॉक	3614	4265	3646	3900
2	वर्कशाप और शैड	130	144	186	220
3	मशीनरी और संयंत्र	49	63	80	100
4	ट्रैक नवीनीकरण	1367	1392	1456	2000
5	सेतु कार्य	73	66	114	75
6	गाज रूपांतरण	1130	673	529	600
7	डबलिंग	291	447	552	655
8	अन्य यातायात सुविधाएं	128	147	184	225
9	सिग्नलिंग और दूर संचार	251	310	338	425
10	सड़क सुरक्षा आर ओ बी/ आर यू बी, लेवल क्रॉसिंग	—	—	—	300
11	कम्प्यूटरीकरण	31	28	43	70
12	विद्युतीकरण	319	328	315	325
13	अन्य विद्युत कार्य	66	94	109	130
14	नई लाइनें	400	388	514	825
15	स्टाफ क्वार्टर्स	45	52	50	60
16	स्टाफ का कल्याण	56	47	50	60
17	उपभोक्ता सुविधाएं	89	91	132	200
18	अन्य विशिष्ट कार्य	40	39	43	45
19	वस्तु सूचियां	-83	91	373	337
20	एम टी पी	146	184	243	400
21	रेलवे अनुसंधान	5	8	7	10
22	पी एस यू में निवेश	92	—	—	38
	जोड़	8239	8857	8965	11000

संलग्नक 8.2.5

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए बजटीय आवश्यकता, 2000-01

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कुल लागत	ऋण सं./ क्रेडिट नं.	संभावित बजट प्रावधान 2000-01	आई ई बी आर	2000-01 हेतु कुल योजना प्रावधान आवश्यकता	विदेशी सहायता (संवि.) 2000-01	गैर-सहायता अंश 2000-01
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	पहली रेलवे परियोजना	654	ऋण 857- आई एन डी (ए डी बी)	18.5	-	18.5	12.5	6
2 क)	कोरापुट- रायगढ़	54.07	सरुदी फंड 3 / 188	3	-	3	2.5	0.5
ख)	लंजीगढ़ तिल्लागढ़ डबलिंग	108.5	सरुदी फंड 3 / 188	12	-	12	8	4
3	तीन- 3 फेस ए सी/ डी सी ट्रेक्शन ड्राइवों की प्राप्ति	95	फ्रेंच ऋण	78	-	78	32	46
4	सिगनल प्रणालियों का आधुनिकीकरण	459	के एफ डब्ल्यू ऋण	0	-	0	0	0
5	रेल क्षेत्रक सुधार परियोजना (ए डी बी के साथ अन्तिम रूप दिया जा रहा है)		ए डी बी ऋण	0 111.5	0 0	0 111.5	0 55	

टिप्पणी: सिगनलिंग परियोजना के लिए प्रस्तावित ए डी बी सेक्शन ऋण और के एफ डब्ल्यू ऋण के विरुद्ध किसी बजट आबंटन की मांग नहीं की गई है।

संलग्नक 8.2.6

**“मोस्ट” की नौवीं पंच वर्षीय योजना के लिए भौतिक लक्ष्य / उपलब्धियां
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)**

क्र. सं.	स्कीम सामान्य रा. रा. कार्य	यूनिट	नौवीं योजना लक्ष्य (1997-2002) कि. मी./ सं.	नौवीं योजना (1997-2002) के पहले तीन वर्षों का दिसम्बर 1999 तक निष्पादन			लक्ष्य प्राप्ति में कमियां (प्रतिशत वार)	नौवीं योजना के शेष दो वर्षों के लिए बकाया लक्ष्य
				लक्ष्य	उपलब्धियां	प्रतिशत उपलब्धियां		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	दो लाइनों में विस्तारण	कि. मी.	1194	644	810	126	0	राइडिंग की कोटि के सुधार पर बल दिया जाएगा।
2	चार लाइनों में विस्तारण	कि. मी.	202	130	234	172	0	
3	कमजोर दो लाइनों को सुदृढ़ करना	कि. मी.	2908	1651	1269	77	23	
4	बाइपास	कि. मी.	20	15	5	33	67	
5	मुख्य पुल	कि. मी.	40	35	31	89	11	
6	लघु पुल	कि. मी.	226	183	119	65	35	
7	एक्सप्रेस वेज	बहुत ही चुनिन्दा आधार पर जहाँ यातायात घनत्व अपवाद रूप से अधिक है।						

टिप्पणी: बड़ी कमियां बाइपासों और पुलों के निर्माण के संबंध में हैं। इसका मुख्य कारण भू-अधिग्रहण की समय खपाने वाली प्रक्रिया और सेवाओं को बदलने की वजह से है। 2 लेनों/ 4 लेनों को चौड़ा करने के लक्ष्य पार हो गए क्योंकि बाइपासों और पुलों के लिए निर्धारित निधियों का उपयोग चौड़ा करने के कार्यकलापों के लिए किया गया।

केंद्रीय सड़क क्षेत्र परिव्यय / व्यय

क्र. सं.	स्कीम	नौवीं योजना 1997-2002 परिव्यय	1997-98		1998-99		1999- 2000 परिव्यय
			परिव्यय	व्यय	परिव्यय	संशोधित अनुमान	
1	राष्ट्रीय राजमार्ग						
	अ. विदेशी सहायता प्राप्त						
	क. विदेशी सहायता प्राप्त (आर डब्ल्यू)	1496.95	469.10	404.54	346.80	283.41	249.00
	ख. प्रतिपक्ष निधियां (आर डब्ल्यू)	584.56	122.50	83.76	115.00	102.80	123.00
	ग. विदेशी सहायता प्राप्त (एन एच ए)	2079.04	150.00	150.00	376.00	107.17	570.87
	घ. प्रतिपक्ष निधियां	846.00	50.00	50.00	80.00	56.00	123.00
	ड. पी आई ई सी को सुदृढ़ करना	0.50	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
2	अन्य स्कीमें, एन एच (ओ)	2753.34	491.24	491.24	675.50	707.13	772.41
3	बी आर डी वी के अधीन कार्य	358.00	60.00	60.00	85.00	85.00	103.00
4	ई एंड आई निर्माण कार्य	79.00	20.00	19.00	20.00	20.00	30.00
5	विकास और योजना	0.20	0.01	0.00	0.01	0.00	0.10
6	सड़क के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें	13.49	2.50	3.99	2.50	7.50	2.00
7	बी आर डी बी के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें	18.60	2.50	2.50	2.50	3.50	7.60
8	एस बी ए सड़कें	0.64	2.50	0.64	1.00	0.00	0.00
9	आर एंड डी आयोजना अध्ययन	23.64	5.00	4.14	20.00	4.50	10.00
10	विश्व बैंक के अधीन प्रशिक्षण	3.69	0.20	0.29	0.20	0.20	1.70
11	अन्य प्रशिक्षण	0.46	0.05	0.01	0.05	0.05	0.20
12	मशीनरी और उपकरण	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
13	एन एच ए आई (निवेश)	551.00	500.00	290.00	500.00	101.00	160.00
14	प्रभारित व्यय	32.41	0.00	0.00	0.00	22.41	5.00
	जोड़	8862.02	1880.80	1565.31	2229.76	1505.87	2163.08

विदेशी सहायता वाली सड़कों / पुलों की परियोजनाओं का वित्तपोषण

क्र. सं.	परियोजनाएं	पूर्ण होने की संभावित लागत	पूर्ण होने की संभावित तारीख	3/99 तक कुल व्यय	1-4-99 की स्थिति के अनुसार शेष	बजट आबंटन 1999-2000
1	दूसरा विश्व बैंक चालू ठेका: (पी बी, एच आर और ओ आर)	875.10	अक्टू., 2000	582.92	292.18	151.00
	97 - 98 में टेंडर प्रदान किए गए (एम पी, एम एच और डब्ल्यू बी)	650.43	अप्रैल, 2001	239.23	411.20	190.00
2	ओ ई सी एफ (आई डी पी -81) यू पी	150.93	फरवरी, 2000	108.91	47.02	35.00
3	ओ ई सी एफ (आई डी पी -81) यू पी पुल	393.00	अप्रैल, 2003	4.85	388.15	•
4	ओ ई सी एफ (आई डी पी -81) यू पी	377.00	मई, 2002	17.48	359.52	•
5	ओ ई सी एफ (आई डी पी -81) यू पी आर	173.00	मई, 2002	0.23	172.77	•
6	ओ ई सी एफ (आई डी पी -81) यू पी	120.00	अप्रैल, 2002	0.25	119.75	•
7	जे आई सी ए (सहायता अनुदान) निजामुद्दीन पुल		कार्य मार्च 98 में समाप्त हो गया			
8	ए डी बी -1, (आं. प्र., हरियाणा, यू पी)	312.60	कार्य मार्च 98 में समाप्त हुआ	299.81	12.79	4.50
9	ए डी बी -2, (केरल, कर्ना., राज.))	322.42	काफी काम पूरा हो गया	296.87	25.24	16.73
10	ए डी बी -3 (ए पी, बिहार और प. बंगाल)	1221.40	जून, 2001	377.10	844.30	•
11	ओ ई सी एफ (पर्यटन) (यू पी और बिहार) शेष कार्य					
	जोड़	4283.28.		1927.65		397.23

• एन एच ए आई द्वारा कार्यान्वित की जा रही ए डी बी- 3 और ओ ई सी एफ परियोजनाओं के लिए 657.87 करोड़ रुपये की समेकित राशि।

• क्रम सं. 7 और 8 पर परियोजनाओं को छोड़कर, जो पूरी हो गई हैं।

ओ ई सी एफ - ओवरसीज इकानामिक कोआपरेशन फंड

जे आई सी ए - जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन फंड

संलग्नक 8.2.9

परिव्यय और व्यय – सड़क परिवहन क्षेत्र

क्र. सं.	नाम	1995-96 वास्तविक	1996-97 वास्तविक	1997-98 वास्तविक	1998-99 वास्तविक	1999-2000 प्रत्याशित व्यय	2000-01 परिव्यय
क.	केंद्रीय क्षेत्र						
1	एस आर टी सी को पूंजीगत अंशदान	2.00	6.00	5.63	1.52	—	—
2	सी आई आ टी, पुणे को सुदृढ करना	0.50	0.40	—	0.40	1.00	0.40
3	सड़क सुरक्षा कार्यक्रम (विश्व बैंक के अधीन सड़क सुरक्षा उपस्कर)	6.42	4.79	1.90	3.76	4.45	8.55
4	कंप्यूटर प्रणाली सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.1	0.19	0.10	0.26	0.64	0.95
5	अनुसंधान और विकास स्कीम	0	0	0	0	0	0
6	परिवहन उद्योग पर अध्ययनों सहित विविध	0.07	0.04	0.25	0.13	0.24	0.20
7	वाहन प्रदूषण पर नियंत्रण की स्कीमें	0.05	0.04	0.48	0.75	0.61	1.15
	जोड़ केंद्रीय क्षेत्र	9.14	11.14	8.46	6.82	6.94	11.35
ख.	राज्य क्षेत्र	853.65	805.23•	1146.70•	923.94•	1226.4	

• प्रत्याशित व्यय

संलग्नक 8.2.10

प्रमुख पत्तनों पर संवेश (थ्रुपुट) – वस्तु वार

(मिलियन टन)

वस्तु	नौवीं योजना (2001-02 लक्ष्य)	1996- 97	1997- 98	1998- 99	1999-2000		2000- 01
					लक्ष्य	प्रत्याशित	
पी ओ एल	186.7	98.08	104	107.4	106.05	118.35	127
लौह	34.4	33.05	40.73	34.29	32.76	34.9	37.5
कोयला	93.7	34.86	38.95	39.02	38.81	34.2	36.7
उर्वरक	14.2	7.18	8.91	9.00	10.11	10.6	11.4
कन्टेनर	38.7	20.59	23.30	23.78	25.35	26	28
सामान्य कार्गो	56.2	33.5	35.77	38.23	44.92	45.95	49.4
जोड़	423.9	227.26	251.66	251.72	258	270	290

संलग्नक 8.2.11

ट्रैफिक – वस्तु वार

(मिलियन टन)

वस्तु	1996-97		1997-98		1998-99		1999- 2000 लक्ष्य
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
कलकत्ता	6.3	6.02	6.3	7.95	9.5	9.16	10
हल्दिया	15.5	17.1	18	20.21	20.5	20.22	20.9
पारादीप	11.1	11.58	11.8	13.3	13.35	13.11	13.75
विजाग	32	34.5	35.6	36.02	36	35.65	35
चेन्नई	30.5	31.85	32.5	35.53	36.5	35.2	35.5
तूतीकोरीन	9	9.18	9.4	9.97	10.2	10.15	10.5
कोचीन	10.9	11.74	11.8	12.32	12.25	12.67	12.4
नया मंगलौर	11.4	12.45	12.8	15.28	15.5	14.21	14.6
मोरमुगाओ	18.8	17.31	18	21.18	20.2	18.02	18
मुम्बई	33	33.73	34.6	32.1	34	30.97	32
जे एन पी टी	6.8	8.07	9.6	8.9	10	11.72	12.85
कान्डला	29.7	33.73	36.6	38.9	40	40.64	42.5
जोड़	215	227.26	237	251.66	258	251.72	258

संलग्नक 8.2.12

प्रमुख पत्तनों पर यातायात हेन्डलिंग क्षमता (वस्तु वार)

(मिलियन टन)

वस्तु	स्थिति			
	31.3.97		31.3.99 वास्तविक	31.3.2000 प्रत्याशित
	वास्तविक	पुनः मूल्यांकित		
पी ओ एल	94.9	92.7	105.7	118.0
लौह	44.5	43.0	43.0	43.0
कोयला (थर्मल)	9	15.60	15.60	16.80
उर्वरक	5.65	4.85	4.85	5.25
कन्टेनर	13.91	19.30	22.90	23.40
सामान्य कार्गो	47.23	44.10	47.45	53.50
जोड़	215.2	219.55	239.50	259.95

संलग्नक 8.2.13

प्रमुख पत्तनों पर यातायात हेन्डलिंग क्षमता (पत्तन वार)

(मिलियन टन)

पत्तन/ वर्ष	31.3.97	31.3.98	31.3.99	31.3.2000
कलकत्ता	7.87	7.87	8.3	12.45
हल्दिया	17.7	17.7	22.7	28.7
पारादीप	10.9	10.9	11.25	12.25
विजाग	31.45	31.45	30.3	30.8
चेन्नई	25.9	25.9	26.62	27.62
तूतीकोरीन	7.6	8.05	7.95	12.95
कोचीन	13.46	13.76	13.45	13.45
नया मंगलौर	16.45	16.45	16.75	16.75
मोरमुगाओ	19.18	19.18	18.68	19.48
मुम्बई	30.8	30.8	30.5	30.5
कान्डला	24	26	37	39
जे एल नेहरू	9.9	9.9	16	16
सभी पत्तन	215.21	217.96	239.50	259.95

प्रमुख पत्तनों पर उत्पादकता संकेतक (पत्तन वार)

पत्तन	औसत बर्थ-पूर्व			औसत टर्न राउण्ड		प्रति पोत आउटपुट		
	प्रतीक्षा समय (दिन)		भिन्नता (प्रतिशत)	समय (दिन)	भिन्नता (प्रतिशत)	बर्थ दिन (टन)		भिन्नता (प्रतिशत)
	1996-97	1998-99				1996-97	1998-99	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
कलकत्ता	1	1.1	-9.1	7.7	8.5	1188	1527	28.5
हल्दिया	2.2	1.3	69.2	6	25.0	5855	5626	-3.9
पारादीप	1.6	1.2	33.3	4.9	16.7	6406	6750	5.4
विजाग	1.6	1.6	0.0	5.6	1.8	6696	6502	-2.9
चेन्नई	4.1	3.6	13.9	7.8	2.6	5131	5484	6.9
तूतीकोरीन	1.6	1.6	0.0	5.1	4.1	3026	2575	-14.9
कोचीन	1.1	0.9	22.2	3.9	8.3	5438	4617	-15.1
नया मंगलौर	1.5	0.9	66.7	4.4	15.8	7172	7536	5.1
मोरमुगाओ	2.2	1.3	69.2	6.3	21.2	8540	10210	19.6
मुम्बई	4.6	1.9	142.1	10.7	57.4	2605	2800	7.5
जे एन पी टी	2.1	1.4	50.0	6.3	85.3	2987	6861	129.7
कान्डला	6.8	4.6	47.8	10.6	27.7	7066	7229	2.3
सभी पत्तन	3.1	2.1	47.6	7.5	27.1	4497	4915	9.3

संलग्नक 8.2.15

नौवीं पंच वर्षीय योजना पत्तन वार परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपयों में)

पत्तन	1997-98		1998-99		1999-2000	2000-01
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	प्रत्याशित	परिव्यय
कलकत्ता	13.45	6.04	7.99	11.04	12.51	5.04
हल्दिया	26.27	22.07	22	50.32	61.34	59.76
आर आर/ एस बी आर स्कीमें	5.5		0.11		0.1	214.34
कुल	45.22	28.11	30.1	61.36	73.95	279.14
मुम्बई	156.24	75.61	110.9	52.46	204.71	217.99
जे एन पी टी	94.86	106.75	70.5	21.16	55.74	101.70
चेन्नई	228.38	123.1	170	225.86	253	228.50
कोचीन	16.21	10.04	10	19.93	24.46	26.00
विजाग	70.5	55.29	50	51.3	95.36	138.4
कान्डला	85.08	50.9	65.5	50.19	78.57	109.93
मोरमुगाओ	15.42	7.78	15	31.05	30	50.21
पारादीप	224.84	117.62	120	199.73	256	275.52
नया मंगलौर	31.44	20.58	30	14.81	44	90
तूतीकोरीन	34.18	16.07	55	48.36	148.47	72.6
मुख्य पत्तन (ए)	1002.4	611.85	727	776.21	1264.26	1589.99
डी सी आई	299.85	75.98	190	96.74	180.68	317
ए एल एच डब्ल्यू	27.3	16.66	30	26.04	43.52	42.3
एम पी एस ओ	1.7	0	1.5	1.11	2.45	1.23
लघु पत्तन	3	0.37	0.5	0	1	1
विविध मद	8	2.34	5	2.98	4.75	5.65
अन्य (बी)	339.85	95.35	227	126.87	232.4	367.18
जोड़ (ए + बी)	1342.2	707.2	954	903.08	1496.66	1957.17
सर्वेक्षण पोत	30	30	30	84.77	33.8	50
कुल जोड़	1372.2	737.2	984	987.85	1530.46	2007.17

अनुमोदित परिव्यय और वित्त पोषण पद्धति-पत्तन क्षेत्रक

पत्तन का नाम	कुल परिव्यय	जिसमें			
		ई ए	आई आर	आई सी एल/ ई सी बी	बजटीय समर्थन
कलकत्ता	5.04		5.04		
हल्दिया	59.76		59.76		
आर आर/ एस बी आर स्कीमें	214.34				214.34
कुल	279.14		64.8		214.34
मुम्बई	217.99	112.04	217.99		
जे एन पी टी	101.7		101.7		
चेन्नई	228.5	57.6	168.9	9.6	50
कोचीन	26		26		
विजाग	138.4		138.4		
कान्डला	109.93		106.49	3.44	
मोरमुगाओ	50.21		50.21		
पारादीप	275.52	96.92	110.1		165.42
नया मंगलौर	90		26		
तूतीकोरीन	72.6		67.6	5	
मुख्य पत्तन (ए)	1590	266.56	1078.2	18.04	429.76
डी सी आई	317		66.75	162.25	
ए एल एच डब्ल्यू	42.3				42.3
एम पी एस ओ	1.23				1.23
लघु पत्तन	1				1
विविध मद	5.65	1			5.65
अन्य (बी)	367.18	1	66.75	162.25	50.18
जोड़ (ए + बी)	1957.2	267.56	1144.9	180.29	479.94
सर्वेक्षण पोत	50				50
कुल जोड़	2007.2	267.56	1144.9	180.29	529.94

टिप्पणी: 267.56 करोड़ रुपये में से 148.42 करोड़ रुपये की राशि बजट के माध्यम से दी जानी है तथा बाकी राशि पत्तनों के लिए प्रत्यक्ष सहायता है।

संलग्नक 8.2.17

बजट के माध्यम से कार्यान्वयाधीन विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं – वार्षिक योजना 2000-01 पत्तन

(करोड़ रुपये)

स्कीम का नाम	अनुमानित लागत	स्रोत	वि. स. घटक	नौवीं योजना परिव्यय		क. योजना 1997-98		क. योजना 1998-99		क. योजना 1999-2000		क. योजना 2000-01		कुल व्यय
				31.3.97 तक कुल	जिसमें से वि. स.	कुल	जिसमें से वि. स.	कुल	जिसमें से वि. स.	कुल	जिसमें से वि. स.	कुल	जिसमें से वि. स.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
कलकत्ता														
पोत मरम्मत सुविधाएं	10.1	ए डी बी	—	4	2	2.02	0.68			0.1	0.1			8.96
मुम्बई														
इन्दिरा डाक में लोक गेट को बदलना	9.17	ए डी बी	5.97	0.5								0.5	0.5	9.21
पोत मरम्मत सुविधाओं का आधुनिकीकरण	25.5	ए डी बी	—	8.42	5.53	6.43	2.2	2	1	0.5	0.5			16.34
हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण उपस्कर का उन्नयन	9.8	डच मंजूरी	9.8	10	9.8					3.5	3.5			3.5
चेन्नई														
एन्नोर में नए पत्तन का निर्माण	950	ए डी बी	450.45	870	476	87.69	63.32	193	128.4	210	193.4	150	50	451.1
पारादीप														
यंत्रिकृत कोयला हेन्डलिंग सुविधाएं डी सी आई	815.74	ए डी बी	404.85	811	443.6	85.37	44.68	164	82	225	220	127	96.92	389.1
7400 क्यू. मी. क्षमता का टी एस डी यातायात प्राधिकरण	166.5	डच मंजूरी	60.56	155	60.56	58.3	40.41	74.8	7.99	16.7	7.29	1.00	1.00	88.12
जोड़	1986.8		931.63	1858.92	997.49	239.81	151.29	434	219.4	456	424.8	279	148.4	966.3

संलग्नक 8.2.18

परिव्यय और व्यय – अंतर्देशीय परिवहन (केंद्रीय क्षेत्रक)

(करोड़ रुपये)

	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-01
	परिव्यय	वास्तविक	परिव्यय	वास्तविक	परिव्यय	सं. अनु.	परिव्यय
आई डब्ल्यू ए आई	40	22.9	45	32.45	20	31.8	48.15
सी आई डब्ल्यू टी सी	10	10	15.04	7.3	6.04	6.04	9.26
जोड़	50	32.9	60.04	39.75	26.04	37.84	57.41

संलग्नक 8.2.19

टनेज अधिप्राप्ति कार्यक्रम की प्रगति

मद	नौवीं योजना लक्ष्य	1996 (दिस.)	1997 (दिस.)	1998 (दिस.)	1999 (दिस.)
कुल टनेज (मिलियन जी आर टी)	9.00	7.052	6.878	6.785	7.052
जिसमें से एस सी आई		3.123	3.013	3.074	3.056
पोतों की कुल संख्या		484	476	484	510
जिसमें से एस सी आई		121	117	120	117

संलग्नक 8.2.20

परिव्यय और व्यय – नौवहन (केंद्रीय क्षेत्रक)

(करोड़ रुपये)

	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-01
	परिव्यय	वास्तविक	परिव्यय	वास्तविक	परिव्यय	सं. अनु.	परिव्यय
एस सी आई	885.19	315	1162.6	872	1478.86	610.23	567.01
डी जी (एस)	12.99	7.69	12.99	9.06	12.09	10.79	18
जोड़	898.18	322.69	1175.6	881.06	1490.95	621.02	585.01

केंद्र का परिव्यय और व्यय – नागर विमानन

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	संगठन का नाम	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-01
		अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित अनुमान	अनुमोदित परिव्यय
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	एयर इंडिया लि.	1233.45	517.75	602.53 (5.00)	550.01	433.46 (0.01)	433.45	675.30
2	इंडियन एयर- लाइन्स लि.	470.00	441.90	630.00 (125.00)	522.03	540.01 (0.01)	539.80	550.00
3	पवन हंस लि.	87.25	26.85	90.00	5.55	101.55	58.10	126.45
4	एयर पोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया	609.15 (35.74)	338.58 (10.00)	800.43 (68.17)	319.87 (25.00)	697.93 (41.00)	625.04 (25.00)	835.53 (37.53)
	क. इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिवीजन	274.57	118.05	257.58	109.50	300.32	228.04	329.81
4	ख. नेशनल एयर पोर्टस डिवीजन	334.58 (35.74)	220.53 (10.00)	542.85 (68.17)	210.37 (25.00)	397.61	397.00 (25.00)	505.72 (37.53)
	5	डी जी सी ए	3.77 (3.77)	1.07 (1.07)	4.45 (4.45)	3.41 (3.41)	4.40 (4.40)	3.40 (3.40)
6	बी सी ए एस	2.50 (2.50)	0.00 0.00	3.00 (3.00)	2.35 (2.35)	3.58 (3.58)	3.00 (3.00)	5.72 (5.72)
7	आई जी आर यू ए	14.73 (14.73)	10.00 (10.00)	12.94 (12.94)	11.00 (11.00)	6.00 (6.00)	6.00 (6.00)	6.75 (6.75)
8	होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	50.00	8.52	42.40	10.19	20.00	11.97	24.77
	जोड़	2470.85 (56.74)	1344.67 (21.07)	2185.75 (218.56)	1424.42 (41.76)	1806.93 (55.00)	1680.56 (37.40)	2229.52 (55.00)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े बजटीय सहायता दर्शाते हैं।

अध्याय 8 आधारिक संरचना विकास

8.3 संचार

8.3.1 डाक

डाक प्रचालनों का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना नौवीं योजना के दौरान एक प्रमुख प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र है। डाक प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण, काउन्टर सुविधाएं, मुद्रा अन्तरण पद्धति, जनशक्ति का विकास और नई तथा मूल्यवर्धित सेवाएं प्रारंभ करना नौवीं योजना के प्रमुख प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र हैं। कवर न हुए और दूरवर्ती क्षेत्रों में डाक नेटवर्क का विस्तार करना एक अन्य प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र है। नौवीं योजना का उद्देश्य डाक सेवाओं को क्षेत्रकीय स्तर पर स्वः पोषित बनाना है। इस संदर्भ में, इसके अन्तर्गत डाक टैरिफों के युक्तिकरण और संशोधन पर बल दिया गया है।

वार्षिक योजना 1999–2000 की समीक्षा

2. डाक विभाग के समस्त योजना परिव्यय का निधिकरण बजटीय सहायता के माध्यम से किया जाता है। विभिन्न कार्यक्रमों के आधार पर निधियों की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए, वार्षिक योजना 1999–2000 के लिए 100 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। प्रमुख क्षेत्रों में लक्ष्यों की उपलब्धि, डाक प्रसंस्करण के आधुनिकीकरण को छोड़कर, संतोषजनक रही है। वार्षिक योजना में, दो विद्यमान ए एम पी सी में कल्लर, फेसर और केनसलर उपस्करों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। परियोजना का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका। इसकी वजह से, डाक प्रसंस्करण के लिए निश्चित परिव्यय के बड़े भाग का उपयोग नहीं किया जा सका। इसके विपरीत, भवनों के निर्माण पर खर्च अनुमोदित व्यवस्था का लगभग दुगना होने का अनुमान है। संशोधित अनुमानों के अनुसार, अनुमोदित परिव्यय का उपयोग वर्ष के दौरान पूर्णतः कर लिए जाने की सम्भवना है।

वार्षिक योजना 2000–013

3. नौवीं योजना के लिए परिकल्पित नीतियों के अनुरूप, डाक प्रसंस्करण के आधुनिकीकरण के साथ प्रौद्योगिकीस्तर उन्नयन को वार्षिक योजना 2000–01 के दौरान उच्च प्राथमिकता प्राप्त होती रहेगी। अनुमोदित परिव्यय का लगभग 67 प्रतिशत भाग इन कार्यक्रमों के लिए निश्चित किया गया है। परिकल्पित प्रमुख लक्ष्यों में सम्मिलित हैं: 50 विभागीय उप कार्यालय (डी एस ओ) खोलना, 8000 ई डी बी ओ के लिए उपस्कर की व्यवस्था करना, 466 इलेक्ट्रानिक सेटलाइट मनी आर्डर सिस्टम (ई एस एम ओ), और 88 वी एस ए टी की स्थापना, और 51 डाक कार्यालयों का आधुनिकीकरण। योजना में 33 कार्यालयों और 236 स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण की भी परिकल्पना है। उपरोक्त व अन्य योजना लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु वार्षिक योजना 2000–01 के लिए डाक क्षेत्रक हेतु 120 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

चिन्ता के विषय

4. भारत में डाक वित्त की स्थिति में पिछले दशक के दौरान काफी तेजी से गिरावट आई है। डाक घाटा पिछले 9 वर्षों के दौरान लगभग 20 गुना बढ़ गया है जो 1992–93 में 91.81 करोड़ से बढ़कर 2000–01 (ब. अ.) में 1982.47 करोड़ रुपए हो गया। 1997–98 से इसमें तेजी

से वृद्धि हुई है। इसकी वजह स्थापना खर्च की वृद्धि, जो 22-25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ा है, तथा राजस्व में बहुत ज्यादा असंतुलन है, जिसमें 10 प्रतिशत से कम की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। रुचिकर है कि विभाग में नियुक्त जनशक्ति इस अवधि में लगभग सतत बनी रही। निम्नलिखित सारणी 8.3.1.1 में डाक क्षेत्रक में राजस्व और घाटे की प्रवृत्ति दर्शाई गई है।

सारणी 8.3.1.1
राजस्व व्यय-डाक विभाग

वर्ष	कुल जनशक्ति	स्थापना पर खर्च	जोड़	जोड़	घाटा
1992-93	596062	1246.83	1649.18	1557.37	91.81
1993-94	597663	1439.41	1866.79	1659.7	207.09
1994-95	597175	1657.55	2130.7	1778.89	351.81
1995-96	598323	1904.85	2472.14	1812.73	659.41
1996-97	594685	2220.69	2982.32	2279.06	703.26
1997-98	604257	2777.83	3597.92	2604.49	993.43
1998-99	602987	3396.53	4351.29	2760.32	1590.97
1999-00	603435	3779.24	4835.53	3095.00	1740.53
2000-01	603430	4044.98	5242.47	3260.00	1982.47

5. डाक घाटा एक मुक्त-शिरा सब्सिडी है और सामान्य बजट का भाग है। यह एक चिन्ताजनक स्थिति है जिसे आधारिक संरचना और सामाजिक विकास जैसे अधिक जरूरतमंद क्षेत्रकों के लिए निधियों के घटे प्रवाह के कारण अवरूद्ध विकास के रूप में राष्ट्र के लिए, अत्यंत ऊँची लागत को छोड़कर, लम्बे अर्से तक जारी नहीं रखा जा सकता।

8.3.2 दूर संचार

6. दूर संचार, आधारिक संरचना का एक महत्वपूर्ण भाग है। वैश्विकरण की प्रवृत्ति और एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में बदलाव को देखते हुए, यह अधिकाधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। दूरसंचार में प्रौद्योगिकीय परिवर्तन विशेष रूप से तेजी से हुआ है और उम्मीद है कि इससे विश्व भर में उद्योग की संरचना में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। दूर संचार और प्रसारण के बीच अभिसरण ने एक नया आयाम जोड़ा है जिसे ध्यान में रखने की जरूरत है।

7. भारत में दूर संचार क्षेत्रक में 1991 से सुधारों की प्रक्रिया निरन्तर चल रही है। 1999 में घोषित नई दूरसंचार नीति (एन टी पी) में, जिसके द्वारा एन टी पी 1994 को संशोधित किया गया था, विश्व में दूर संचार क्षेत्र में हो रही महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय घटनाओं को ध्यान में रखा गया है, और इसका उद्देश्य भारत को एक विश्व सू. प्रौ. सुपरशक्ति बनाने के सरकार के संकल्प को कार्यान्वित करना है। एन टी पी, 1999 का उद्देश्य, एन टी पी, 1994 से उत्पन्न कार्यान्वयन समस्या का समाधान करना भी है। एन टी पी 1999 के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- नागरिकों के लिए वहनीय और प्रभावी संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण क्षेत्रों सहित, सभी कवर न हुए क्षेत्रों को लिए सर्वसुलभ सेवा की व्यवस्था और देश की अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने में समर्थ उच्च स्तरीय सेवाओं के बीच संतुलन कायम करने का प्रयास करना।
- देश के दूरवर्ती, पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में दूर संचार सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहन।

- सू. प्रौ., जन संचार साधनों, दूर संचार और उपभोक्ता इलेक्ट्रानिकी के अभिसरण को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक और सक्षम दूर संचार संरचना का सृजन और इस प्रकार भारत को एक सू. प्रौ. सुपरशक्ति के मार्ग पर ले जाना।
- पी सी ओ को, जहाँ न्यायोचित हो, पब्लिक टेलीइन्फो केन्द्रों में बदलना जहाँ आई एस डी एन सेवाएं, दूरवर्ती डाटाबेस तक पहुँच, राजकीय और सामुदायिक सूचना पद्धति आदि जैसी बहु-संचार साधन क्षमता हो।
- एक समयबद्ध तरीके से, दूर संचार क्षेत्रक को, सभी/ उपभोक्ताओं के लिए समान अवसर और स्तर वाले क्षेत्र की व्यवस्था करते हुए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक पर्यावरण में बदलना।
- देश में अनुसंधान और विकास प्रयासों को सुदृढ करना और विश्वश्रेणी की विनिर्माण क्षमताएं निर्मित करने को बढ़ावा देना।
- स्पेक्ट्रम प्रबंधन में कार्यकुशलता और पारदर्शिता प्राप्त करना।
- देश के रक्षा और सुरक्षा हितों का संरक्षण।
- भारतीय दूरसंचार कम्पनियों को वस्तुतः विश्व श्रेणी की बनने में समर्थ बनाना।

वार्षिक योजना 1999 – 2000 की समीक्षा

8. वार्षिक योजना 1999 – 2000 के लिए दूरसंचार क्षेत्रक के वास्ते, यथा दूरसंचार विभाग और इसके सम्बद्ध सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों के लिए 16801.27 करोड़ रुपए का परिव्यय निश्चित किया गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 12.9 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है। बजट सहायता केवल विनियामक निकायों तक सीमित रखने की नौवीं योजना नीति के अनुरूप सम्पूर्ण परिव्यय के वित्त पोषण हेतु 8.10 करोड़ रुपए की बजट सहायता अनुमोदित की गई।

9. 1999 – 2000 के दौरान सम्भावित खर्च का अनुमान सं. अ. के अनुसार 14,896.16 करोड़ रुपए है। यह अनुमोदित परिव्यय की तुलना में 11.34 प्रतिशत की कमी दर्शाता है, अनुमोदित परिव्यय के उपयोग में कमी बुनियादी तौर पर महानगर टेलीफोन निगम लि. (एम टी एन एल) और विदेश संचार निगम लि. (वी एस एन एल) के कारण है क्योंकि सेलुलर सेवा आदि जैसी उनकी बड़ी स्कीमों में देरी हो गई।

10. जहाँ तक वास्तविक लक्ष्यों का संबंध है, ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनो (वी पी टी) को छोड़कर, निष्पादन संतोषजनक रहा है। वस्तुतः सभी प्रमुख मदों के संबंध में उपलब्धि, वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों से अधिक रही है। 45.50 लाख नए कनेक्शनों के लक्ष्य के विरुद्ध, सार्वजनिक क्षेत्रक (डी ओ टी और एम टी एन एल) ने 49.18 लाख नए कनेक्शन प्रदान किए। लक्ष्यों और उपलब्धियों के ब्योरे संलग्नक 8.3.2.1 में दर्शाए गए हैं। वी पी टी के संबंध में लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी के लिए मूल रूप से उपयुक्त प्रौद्योगिकी की उपलब्धता का न होना रहा है।

11. यद्यपि बुनियादी सेवाएं 1994 में निजी क्षेत्र भागीदारी के लिए खोल दी गई थी, तथापि यह शुरुआत करने में असमर्थ रहा जैसा कि वांछित था। सेवाएं प्रदान करने के वास्ते निजी क्षेत्र में छः कम्पनियों को लाइसेंस जारी किए गए। रोल – आउट प्लान के अनुसार, उम्मीद की गई थी कि ये कम्पनियाँ सितम्बर 1997 से शुरु करके तीन वर्ष की अवधि के दौरान 20.18 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनों (डी ई एल) की व्यवस्था करेंगी। कोई भी कम्पनी समयानुसार सेवाएं प्रारंभ नहीं कर सकी। अभी तक केवल तीन कम्पनियां सेवा प्रदान कर रही हैं। ये हैं: मध्य प्रदेश में भारती टेलीनेट, महाराष्ट्र में हुगस इस्पात और आन्ध्र प्रदेश में टाटा टेलीसर्विसिज। प्रथम दो

अध्याय 8 : आधारिक संरचना विकास

कम्पनियों ने सेवाएं 1998 में प्रारंभ की, तीसरी कम्पनी ने 1999 में सेवाएं प्रदान करना प्रारंभ किया। 31 मार्च 2000 तक निजी क्षेत्र द्वारा केवल 1,42 लाख कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इन कम्पनियों द्वारा नेटवर्क विस्तार का अधिकांश काम 1999 – 2000 के दौरान किया गया। इस संबंध में विवरण सारणी 8.3.1.2 में दिया गया है।

सारणी 8.3.1.2

कंपनी का नाम	राज्य	सेवा प्रारंभ करने की तारीख	प्रदत्त टेलीफोन		
			1998-99	1999-2000	जोड़
भारती टेलनेट	मध्य प्रदेश	4.6.98	13980	77987	91967
हुगस इस्पात	महाराष्ट्र	30.10.98	5217	17196	22913
टाटा टेलीसर्विसिज	आंध्र प्रदेश	31.3.99	—	26713	26713
जोड़			19697	121896	141593

वार्षिक योजना 2000-01

12. वार्षिक योजना 2000-01 के लिए 19,441,67 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। यह पिछले वर्ष के परिव्यय (ब. अ.) से लगभग 15.71 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। यह मूलरूप से आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधनों के माध्यम से वित्त पोषित किया जाना है; आन्तरिक संसाधनों का हिस्सा कुल परिव्यय का 88.55 प्रतिशत बैठता है। विनियामक निकायों, यथा संचार मंत्रालय को वायरलेस और योजना समन्वय (डब्ल्यू पी सी) स्कंध और भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण (टी आर ए आई), के योजना परिव्यय के वित्त पोषण हेतु 17 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता का प्रावधान किया गया है। विनियामक निकायों के लिए बजटीय सहायता में वृद्धि, डब्ल्यू पी सी और टी आर ए आई की विश्व-बैंक सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए निधियों की आवश्यकता की वजह से जरूरी हो गई। संगठन-वार ब्योरा तथा अनुमोदित परिव्यय और वित्त पोषण पद्धति संलग्नक 8.3.2.1 में दर्शाई गई है। वास्तविक प्रगति के अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, स्विचिंग क्षमता की 72.35 लाख नई लाइनें, 57.90 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन, टी ए एक्स क्षमता की 5.15 लाख नई लाइनें, एक लाख आर के एम एस ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, 1,00,000 वी पी टी आदि शामिल हैं। ब्योरे संलग्नक 8.3.2.2 में देखे जा सकते हैं।

दूर संचार सेवा विभाग (डी टी एस)

13. वर्ष 2000-01 के दौरान, विभाग की योजना, 51.56 लाख नए कनेक्शन, एक लाख अतिरिक्त वीपीटी, चार लाख अतिरिक्त टी ए एक्स लाइनें प्रदान करने और एक लाख रूट के एम एस के ऑप्टिकल फाइबर डालने की है। डी ई एल के संवर्धित लक्ष्य के फलस्वरूप, कलकत्ता और चेन्नई में प्रतीक्षा सूची समाप्त हो जाने की उम्मीद है और टेलीफोन मांग किए जाने पर उपलब्ध हो सकते हैं। इन लक्ष्यों व अन्य लक्ष्यों/ कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, डी टी एस के लिए 16,000 करोड़ रुपए कर परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इसका वित्तपोषण, 13,848 करोड़ रुपए के आन्तरिक संसाधनों और 2,152 करोड़ रुपए के बाजार उधारों के जरिए करने की परिकल्पना है।

वायरलेस मानीटरन संगठन (डब्ल्यू एम ओ)

14. डब्ल्यू एम ओ, संचार मंत्रालय के डब्ल्यू पी सी स्कंध का एक क्षेत्र संगठन है। वर्ष 2000-01 के लिए 15 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है-10 करोड़ रुपए डब्ल्यू एम ओ के लिए और 5 करोड़ रुपए डब्ल्यू पी सी के लिए। डब्ल्यू एम ओ के समस्त परिव्यय का वित्त पोषण बजटीय सहायता के माध्यम से किया जाना है। पहले से चल रही स्कीमों को पूरा करने के अलावा अन्य लक्ष्यों में "डायरेक्शन फाइन्डिंग सिस्टम्स" का उन्नयन करना और प्रशिक्षण केन्द्रों का उन्नयन करना शामिल है। डब्ल्यू पी सी का एक प्रमुख प्राथमिकता पूर्ण क्षेत्र राष्ट्रीय स्पेक्ट्रम प्रबंधन है। डब्ल्यू पी सी स्कंध को नौवीं योजना में प्रथम बार बजटीय सहायता प्रदान की जा रही है जिससे कि आधुनिकीकरण के विश्व बैंक सहायता-प्राप्त कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा सके।

महानगर टेलीफोन निगम लि. (एम टी एन एल)

15. एम टी एन एल, देश के दो महानगरों, नामतः दिल्ली और मुम्बई में दूरसंचार सेवाएं प्रदान कर रहा है। दो नगरों में वस्तुतः टेलीफोन मांग पर उपलब्ध हैं। मांग में धीमी प्रगति को देखते हुए, वर्ष 2000-01 के लिए 4.40 लाख नए कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। बढी हुई दूरवर्ती पारेषण आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते 2000-01 के दौरान अतिरिक्त 1.15 "टेक्स" लाइनें जोड़े जाने की उम्मीद है। कम्पनी द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार, वर्ष के दौरान उपस्कर के आधुनिकीकरण और इन स्कीमों के कार्यान्वयन पर जोर दिया जाएगा जिनका उद्देश्य नई और मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करना है। निगम के विभिन्न कार्यक्रमों का वित्त पोषण करने के वास्ते वार्षिक योजना 2000-01 के लिए 2155 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इसका वित्त पोषण पूर्ण रूप से आंतरिक संसाधनों से किया जाएगा।

विदेश संचार निगम लि. (वी एस एन एल)

16. वर्ष 2000-01 के लिए वी एस एन एल का अनुमोदित परिव्यय 1163.4 करोड़ रुपये निश्चित किया गया है। इसका वित्त पोषण पूर्ण रूप से आंतरिक संसाधनों से करने की परिकल्पना है। पारेषण के क्षेत्र में, कार्यान्वयन के लिए परिकल्पित मुख्य परियोजनाओं में एस ई ए-एम ई-डब्ल्यू ई-3 और बम्बई-अर्वी माइक्रोवेव लिंक तथा हैदराबाद में अर्थस्टेशन आदि सम्मिलित हैं। कम्पनी की अन्य स्कीमों में शामिल हैं: गेटवे डिजिटल स्विचिंग एक्सपेंशन, पैकेट स्विचिंग सिस्टम आगमेन्टेशन, और जालन्धर, इरनाकुलम, गांधीनगर तथा कानपुर में अतिरिक्त इन्टरनेशनल गेटवे और मुम्बई, नई दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता और बंगलौर में ए टी एम और इन्टरनेशनल सुपरहाइवे गेटवे नोड्स की स्थापना आदि।

आई टी आई लि.

17. आई टी आई लि., देश में सबसे बड़ी दूर संचार उपस्कर विनिर्माण कम्पनी है। कम्पनी, 1999-2000 के दौरान उल्लेखनीय प्रगति करने में समर्थ हुई है। कम्पनी द्वारा तैयार की गई योजनाओं के अनुसार, चालू प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीमों को पूरा करने को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। वर्ष के दौरान शुरू की जाने वाली परिकल्पित नई परियोजनाओं में "वायरलेस इन लोकल लूप" (डब्ल्यू आई एल एल), एच डी एस एल और ए एस सी ओ एन मेनटैनेंस शामिल है। कम्पनी की विभिन्न स्कीमों/ परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वार्षिक योजना 2000-01 के लिए 90 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इसका वित्त पोषण, 35 करोड़ रुपए के आन्तरिक संसाधनों और 55 करोड़ रुपए के बाजार उधारों (बांडों) के माध्यम से किया जाना है।

एच टी एल लि.

18. वार्षिक योजना 2000-01 के लिए कम्पनी के वास्ते 16.33 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इसका वित्त पोषण 14.39 करोड़ रुपए के आन्तरिक संसाधनों से और 1.94 करोड़ रुपए "अन्य" साधनों से जुटाने की परिकल्पना की गई है। कम्पनी के मुख्य उत्पादन कार्य-कलापों में सी-डोट स्विचिंग उपस्कर, मुख्य वितरण फ्रेम, ई डब्ल्यू एस डी उपस्कर आदि शामिल है।

विशेष ध्यानाकर्षण क्षेत्र

19. देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र की महत्वपूर्ण स्थिति और इलाके के सामान्य पिछड़ेपन को देखते हुए इसके विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इलाके में आर्थिक विकास की गति तेज करने के उद्देश्य से, अन्य बातों के साथ-साथ 2000-01 के दौरान स्विचिंग क्षमता की 1,31,000 लाइनें जोड़कर, 1,16,000 डी ई एल और 8016 वी पी टी की व्यवस्था करके दूरसंचार नेटवर्क को सुदृढ करने की परिकल्पना की गई है।

20. जन जातीय और पर्वतीय क्षेत्रों में आर्थिक विकास और संवृद्धि को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में उनका एकीकरण करने के उद्देश्य से, नौवीं योजना में ऐसे क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के तीव्र विकास पर विशेष बल दिया गया है। 1240 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, स्विचिंग क्षमता की 336200 लाइनें, 274600 डी ई एल, 10000 पी पी टी और 72 उपग्रह स्टेशन जोड़ कर, 2000-01 के दौरान दूर संचार नेटवर्क को और सुदृढ़ करने की परिकल्पना की गई है।

21. एन सी आर योजना के अन्तर्गत, दिल्ली को छोड़कर सभी क्षेत्रों/ नगरों पर नौवीं योजना के दौरान विशेष ध्यान देने की परिकल्पना की गई है। एन सी आर की दूर संचार सुविधाओं में सुधार करने और विभिन्न मूल्यवर्धित सेवाएं प्रारंभ करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इन्हें दिल्ली के बराबर लाया जा सके। नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान "मांग पर टेलीफोन" प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। वार्षिक योजना 2000-01 के दौरान लगभग 1.11 लाख नए कनेक्शन प्रदान किए जाने की उम्मीद है।

22. ग्राम संयोजकता एक अन्य महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। एन टी पी, 1999 के अनुसार, देश में सभी बाकी रहते गाँवों को वर्ष 2002 तक कवर किया जाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक योजना 2000-01 के लिए एक लाख अतिरिक्त डी ई एल प्रदान करने का बड़ा हुआ लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नीतिगत मुद्दे

राष्ट्रीय दूरवर्ती प्रचालनों की शुरुआत

23. नई दूर संचार नीति (एन टी पी), 1999 के अन्तर्गत यह निर्धारित किया गया है कि सेवा क्षेत्र से परे राष्ट्रीय दूरवर्ती सेवा को 01.01.2000 से प्रतियोगिता हेतु निजी आपरेटरों के लिए खोल दिया जाएगा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्रधिकरण (टी आर ए आई) ने इस विषय पर दिसम्बर 1999 में अपनी सिफारिशें दे दी हैं। टी आर ए आई की सिफारिशों में मुख्य रूप से दूरवर्ती प्रचालनों में एक मुक्त और दृढ़ प्रतियोगिता निर्मित करने पर बल दिया गया है। मुख्य सिफारिशों का उल्लेख नीचे बाक्स 8.3.2.1 में किया गया है:

बाक्स 8.3.2.1

टी आर ए आई की सिफारिशें

- लाइसेंस केवल राष्ट्रीय स्तर पर
- एक बार प्रवेश शुल्क 500 करोड़ रुपए—रोल आउट योजना पूरी हो जाने पर 400 करोड़ रुपए वापस लौटा दिए जाएंगे।
- राष्ट्रीय दूरवर्ती प्रचालकों (एन एल डी ओ)/ प्रवर्तकों का मिला-जुला निवल मूल्य 2500 करोड़ रुपए से अधिक।
- सकल राजस्व का पाँच प्रतिशत लाइसेंस फीस के रूप में सरकार को अदा किया जाएगा।
- विद्यमान पहुँच प्रदाता एन एल डी ओ बनने के लिए पात्र। एन एल डी ओ को आन्तर-अंचल ट्रैफिक चलाने की अनुमति।
- एन एल डी ओ द्वारा यूनिवर्सल एक्ससेस लेवी के लिए अंशदान।

24. सरकार को इन मामलों के संबंध में अभी अपना मत बनाना है और आपरेटरों के लिए मार्गनिर्देश किए जाने हैं। यह मानना महत्वपूर्ण है कि एक प्रतिस्पर्धात्मक दूर-संचार उद्योग निर्मित करने के उद्देश्य से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रवेश शर्तें गैर-प्रतिबंधात्मक हों और प्रतियोगिता प्रोत्साहित हो।

दूर संचार विभाग का निगमीकरण

25. सरकार के नीति निर्णय कार्य को सेवा प्रदान करने के कार्य से पूर्णतः पृथक करने के अन्तर्गत मुक्त और स्वस्थ प्रतियोगिता और दूर संचार क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की जानी है। नौवीं योजना में इसे समयबद्ध ढंग से किए जाने वाले आवश्यक एक प्रमुख सुधार के रूप में बल दिया गया है। एन टी पी, 1999 में 2001 तक दूर संचार विभाग के निगमीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इस बात के संकेत हैं कि यह तारीख आगे बढ़ सकती है। इस संबंध में प्रगति का दृढ़तापूर्वक मानीटरन किया जाना चाहिए और लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निगमीकरण समयानुसार हो जाए।

ग्रामीण संयोजकता / ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (वी पी टी)

26. कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति काफी धीमी रही है। चिन्ता के चार प्रमुख क्षेत्र हैं:

1. वी पी टी प्रदान करने की ऊंची लागत।
2. कम राजस्व प्रतिफल और अधिक सब्सिडी।
3. अनुरक्षण।
4. नई और कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों का उपयोग।

8.3.3 सूचना और प्रसारण

27. सूचना और प्रसारण क्षेत्रक के कार्यकलापों के अन्तर्गत तीन उप-क्षेत्रक आते हैं, यथा प्रसारण, फिल्म और सूचना। ये उप-क्षेत्रक प्रकृति से एक दूसरे के पूरक हैं और यद्यपि विशिष्ट संचार माध्यम इकाइयों के माध्यम से कार्य करते हैं। प्रसारण ईकाइयां हैं: आकाशवाणी और दूरदर्शन, फिल्म क्षेत्रक में संचार माध्यम इकाइयां हैं: फिल्म प्रभाग, भारतीय फिल्म और टी. वी. संस्थान (एफ टी आई आई), पुणे, सत्यजीत रे फिल्म और टीवी संस्थान (एस आर एफ टी आई), कलकत्ता, राष्ट्रीय बाल और युवा व्यक्ति फिल्म केन्द्र, फिल्म समारोह निदेशालय, भारतीय फिल्म सोसायटी संघ, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। सूचना क्षेत्रक में सम्मिलित हैं: जन संचार माध्यम ईकाइयां, जैसे कि प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रकाशन प्रभाग, श्रुत्य-दृश्य प्रचार निदेशालय (डी ए वी पी), संगीत और नाटक प्रभाग, क्षेत्र प्रचार निदेशालय, फोटो प्रभाग, भारतीय जन संचार संस्थान (आई आई एम सी) अनुसंधान, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग, और भारतीय प्रेस परिषद।

वार्षिक योजना 1999-2000 की समीक्षा

28. वार्षिक योजना 1999-2000 के लिए सूचना और प्रसारण क्षेत्रक हेतु 569.38 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था जिसमें 145.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता और 424.38 करोड़ रुपए के आई ई बी आर सम्मिलित हैं। वर्ष 1999-2000 के संशोधित अनुमानों में 560.31 करोड़ रुपए का परिव्यय दर्शाया गया है जिसमें 204.28 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता और 356.03 करोड़ रुपए के आई ई बी आर सम्मिलित हैं। बजटीय सहायता में वृद्धि का कारण जम्मू और कश्मीर राज्य में आकाशवाणी और दूरदर्शन सेवाओं में सुधार करने के वास्ते विशेष पैकेज था, जिसे कारगिल संघर्ष के बाद केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। नौवीं योजना के पूर्ववर्ती वर्षों की भांति, इस वर्ष भी वार्षिक योजना के आई ई बी आर संघटक में कमी प्रत्याशित है। नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के संबंध में क्षेत्रक-वार परिव्यय और व्यय संलग्नक 8.4.1 में देखा जा सकता है।

प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र

- आधारिक संरचना, विशेष रूप से इलेक्ट्रानिक संचार माध्यमों में सुधार लाने की दृष्टि से योजना संसाधनों का इस्तेमाल किया गया है। जम्मू और काशमीर में आकाशवाणी और दूरदर्शन सेवाओं में सुधार करने के वास्ते 2002 से पहले कार्यान्वित किए जाने के लिए 430 रुपए का एक विशेष पैकेज।

वार्षिक योजना 2000-01

29. वार्षिक योजना 2000-01 में इस क्षेत्रक के लिए अनुमोदित परिव्यय की राशि 709.35 करोड रुपए है। जिसमें 270 करोड रुपए की बजटीय सहायता और 439.355 करोड रुपए के आई ई बी आर सम्मिलित हैं। बजटीय सहायता में जम्मू और काशमीर के लिए विशेष पैकेज हेतु 100 करोड रुपए सम्मिलित हैं। नई स्कीमें शुरू करने की बजाए, नौवीं योजना स्कीमों को समय पर कार्यान्वित करने पर बल दिया गया है। विद्यमान सुविधाओं को सुदृढ बनाने के अलावा, ताकि उन्हें और कारगर बनाया जा सके, नई प्रौद्योगिकी अपनाने और जन संचार इकाइयों की पर्याप्त स्वायत्तता पर भी बल दिया गया है ताकि वे प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

वार्षिक योजना 2000-01 के लिए प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र

प्रसारण क्षेत्रक

30. वर्ष 2000-01 के लिए प्रसारण क्षेत्रक हेतु परिव्यय की राशि 640.44 करोड रुपए है जिसमें 213.30 करोड रुपए की बजटीय सहायता और आई ई बी आर के रूप में 427.14 करोड रुपए की राशि सम्मिलित है। इसमें जम्मू और काशमीर के लिए बजटीय सहायता के रूप में 100 करोड रुपए की राशि शामिल है।

आकाशवाणी

31. आकाशवाणी के लिए अनुमोदित परिव्यय 140.00 करोड रुपए है। वर्ष 2000-01 के लिए परिकल्पित महत्त्वपूर्ण स्कीमों में शामिल हैं: पुराने पड गए उपस्कर का नवीकरण, बेहतर कार्यक्रमों और प्रसारण हेतु नई सुविधाएं शामिल करना और जम्मू तथा काशमीर के लिए साफ्टवेयर और हार्डवेयर का सृजन।

दूरदर्शन

32. दूरदर्शन के लिए अनुमोदित परिव्यय की राशि 500.04 करोड रुपए है तथा समाचार एकत्रीकरण सुविधाओं के आधुनिकीकरण, पूर्वोत्तर और जम्मू व काशमीर तथा पर्वतीय क्षेत्रों / सीमावर्ती क्षेत्रों में नेटवर्क के विस्तार और उपग्रह चैनलों के डिजिटल के विस्तार तथा डिजिटल स्टुडिओ उत्पादन पर बल दिया गया है।

प्रसारण क्षेत्रक : कवरेज

- आकाशवाणी के 198 प्रसारण केन्द्र हैं जो देश के 90 प्रतिशत इलाके में फैली हुई 99 प्रतिशत आबादी को कवर करते हैं।
- दूरदर्शन के 1060 स्थलीय ट्रान्समीटर हैं जो 31 दिसम्बर 1999 की स्थिति के अनुसार 88 प्रतिशत जनसंख्या और 75 प्रतिशत इलाके को कवर करते हैं।

फिल्म क्षेत्रक

33. वार्षिक योजना 2000-01 के लिए फिल्म क्षेत्रक हेतु अनुमोदित परिव्यय की राशि 49.19 करोड रुपए है। वर्ष के दौरान कार्यान्वित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों/ स्कीमों के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं: अन्तर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु और एनिमेशन फिल्म समारोह, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखगार में सुविधाओं का सुदृढीकरण और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एल एफ डी सी) द्वारा थिएटर निर्माण के लिए ऋण की मंजूरी।

सूचना क्षेत्रक

34. इस क्षेत्रक के अन्तर्गत अनेक जन संचार साधन इकाइयां सम्मिलित हैं तथा इस क्षेत्रक के लिए अनुमोदित परिव्यय की राशि 19.72 करोड रुपए है। वार्षिक योजना 2000-01 में प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों में सम्मिलित हैं: पूर्वोत्तर राज्यों में प्रैस सूचना ब्यूरो के शाखा कार्यालय खोलना और विभिन्न जन संचार इकाइयों का कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण।

मुद्दे और कार्यनीतियाँ

35. देश में पिछले दशक में प्रसारण और सूचना संचार के क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुए हैं। सूचना, दूर संचार और प्रसारण प्रौद्योगिकी में अपार प्रगति के अलावा, नब्बे के दशक में प्रौद्योगिकियों की पहुँच, प्रतिस्पर्द्धा और अभिसरण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। एकमात्र प्रसारक के रूप में आकाशवाणी और दूरदर्शन की स्थिति समाप्त हो गई है तथा 30 से अधिक निजी प्रसारण चैनल अस्तित्व में आ गए हैं जो केबल नेटवर्क के माध्यम से देश में उपलब्ध हैं। इसके फलस्वरूप निजी चैनलों के पक्ष में दर्शकों में कुछ बदलाव आया है। निजी चैनलों द्वारा समाचार प्रस्तुतीकरण ने भी बड़ी संख्या में दर्शकों को, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, आकर्षित किया है। तथापि, अब भी दूरदर्शन, अलग-अलग निजी चैनलों की तुलना में बड़ी संख्या में श्रोतागणों के बीच लोकप्रिय बना हुआ है।

महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- भारतीय उपग्रह चैनलों को वी एस एन एल के माध्यम से भारत से अपलिंक की अनुमति दी गई;
- पूर्ण भारतीय स्वामित्व वाली कम्पनियों को लाइसेंस फीस आधार पर 40 नगरों में 108 निजी एफ एम रेडियो केन्द्र स्थापित करने की अनुमति दी गई;
- जम्मू और काशमीर में आकाशवाणी/ दूरदर्शन सेवाओं के पर्याप्त उन्नयन हेतु 430 करोड रुपए के विशेष पैकेज का अनुमोदन;
- फिल्म उद्योग को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया;
- पुस्तक प्रकाशन और पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत समाचार-पत्र शीर्षकों को नियंत्रण मुक्त करना।

36. सार्वजनिक सेवा प्रसारकों के रूप में आकाशवाणी और दूरदर्शन की भूमिका के कारण इनके वित्तीय और मानव संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है जो कठिनाई निजी चैनलों को पेश नहीं आती। यद्यपि विपणन और आई ई बी आर के बेहतर निष्पादन पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, तथापि सीमावर्ती क्षेत्रों और महत्त्वपूर्ण स्थानों तक स्थलीय कवरेज के विस्तार जैसे कार्यकलापों के वास्ते विशेष आवश्यकताओं हेतु निधिकरण की व्यवस्था बजटीय सहायता के माध्यम से करनी होगी।

37. एफ एम प्रसारण क्षेत्र निजी आपरेटरों के लिए खोल दिया गया है। इसी प्रकार की पहल प्रसार भारती द्वारा निजी आपरेटरों को सथलीय उपस्कर सुविधा लीज पर देकर दूरदर्शन को खोलने की सम्भावना की जाँच की जानी चाहिए ताकि ग्रामीण दशकों को चैनलों का बेहतर चुनाव उपलब्ध हो सके।

38. सूचना क्षेत्रक में अनेक जन संचार इकाइयाँ, देश में निम्न जन संचार विकास के परिदृश्य में, प्रथम योजना के दौरान शुरू की गई थी। उसके बाद से, निजी क्षेत्र में जब संचार माध्यमों तक पहुँच और उत्पादन स्तर, विशेष रूप से पुस्तकों, प्रकाशनों, विज्ञापनों और फिल्मों के मामले में, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच गए हैं। बदलते परिदृश्य के संदर्भ में, इनमें से अनेक सरकारी जन संचार इकाइयों की भूमिका और प्रासंगिकता की फिर से जाँच की जानी चाहिए। समीक्षा करने तथा भविष्य के लिए उनकी भूमिका को नया रूप देने के वास्ते योजना आयोग अध्ययन प्रारंभ कर सकता है।

39. फिल्म क्षेत्र में फिल्म प्रभाग और एन एफ डी सी जैसी विभिन्न जन संचार इकाइयों के कामकाज की भी इसी प्रकार से पुनः जाँच करने की आवश्यकता है। इस बात पर पुनः विचार करना उपयोगी होगा कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के आयोजन में निजी क्षेत्र को शामिल किया जाए।

वित्तीय कार्य निष्पादन
डाक क्षेत्रक

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	स्कीम वार विवरण	अनुमोदित परिव्यय	मध्यावधिक		1999-00		2000-01
			प्रस्ताव	वास्तविक	ब. अनु.	सं. अनु.	ब. अ.
1.	डाक नेटवर्क का विस्तार	42.7	42.7	3.96	4.97	5.53	8.89
2.	प्रौद्योगिकी का स्तरोन्नयन	133.17	141.48	22.76	29.63	33.98	23.75
3.	मानव संसाधन विकास	14.08	14.08	2.84	2.74	3.45	2.73
4.	डाक छंटनी का आधुनिकीकरण	141.3	177.5	7.28	38.22	19.06	43.35
5.	कारोबार विकास और विपणन	18.02	18.05	3.66	7.20	7.20	3.07
6.	सामग्री प्रबंधन	0	0	0.00	0.00	0.21	0.63
7.	डाक जीवन बीमा	14.42	14.42	2.28	1.52	1.49	
8.	डाक टिकट संग्रह	5.12	5.12	0.69	0.57	0.58	1.74
9.	डाक विभाग के भवन और स्टाफ क्वार्टर्स	119.62	119.62	27.53	10.88	21.83	22.05
10.	प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन को सम्यक बनाना	9.63	9.63	1.69	2.73	1.14	0.95
11.	लोक शिकायत	7.4	7.4	1.00	1.54	1.54	0.84
12.	उत्तर पूर्व					3.99	12.00
	जोड़	507.25	550	73.69	100.00	100.00	120.00

अध्याय 8 : आधारिक संरचना विकास

संलग्नक 8.3.2

भौतिक निष्पादन - डाक क्षेत्रक

स्कीम	नौवीं योजना	1998-99		1999-2000		2000-01 लक्ष्य
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	सं. अनु.	
डाक नेटवर्क का विस्तार						
क) डाकघर खोलना						
ई डी पी ओ	2500	500	598	500	500	500
डी एस ओ	250	50	50	50	50	50
ई डी बी ओ को अवसंरचनात्मक उपकरण	2400	4800	3395	500	500	8000
पंचायत संचार सेवा			200	500	500	1000
प्रौद्योगिकी का स्तरोन्नयन (पटल कंप्यूटरीकरण)						
क. एस बी लैस सहित एम पी सी एम की आपूर्ति	5000	1000	1429	1000	1250	
ख. डाकघरों का आधुनिकीकरण	505	205	98	60	100	100
यांत्रिक उपकरण						
हैंड कैसलर्स	10000	2000	3285			
टिकट कैसल करने वाली मशीनें	100	20	20	100	20	20
इलैक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीनें	500	100	150	100	141	100
बांधने और बंडल बनाने वाली मशीनें	30		30			
उपग्रह धनादेश						
एच यू बी की स्थापना						
वी एस ए टी की स्थापना	170		0	60	62	88
ई एस एम ओ की स्थापना	2000	350	10	210	266	466
वी एस ए टी का स्तरोन्नयन	75		21			
सामग्री प्रबंधन					15पीएसडी	
मुद्रण और कागज काटना	1					
डीजल फोर्क लिफ्ट ट्रालियाँ	4					
मानव संसाधन विकास						
सेवांतर्गत प्रशिक्षण ग्रेड क	180	50	30	30	30	40
पुनश्चर्या प्रशिक्षण	16051	4000	4315	2500	2500	2167
कम्प्यूटर प्रशिक्षण	12000	1500	4062	1225	3200	2000
ई डी बी पी एम का प्रशिक्षण	51000			18000	18000	14073
ग्रेड सी और डाकियों के लिए प्रशिक्षण	15750	6000	7148	1800	1800	5120
उपभोक्ता केंद्र	सभी मंडल		60	100	0	45
डाक छंटनी का आधुनिकीकरण						
सी एफ सी की स्थापना	3			2	0	0
डाकघर आधुनिकीकरण	120	20	43	15	40	20
आर एम एस वैन	28		24	10	2+7	2
एम एम एस वाहनों की खरीद	50	7	12	4	4	13
रजिस्ट्रेशन डिलिवरी			22+6			
एच आर ओ / डी ओ कोम्प.	20	4		5	12	7
टी एम ओ कम्प्यूटरीकरण	25	3	6	4	5	4
मोपेड	500		147	34		
कारोबार विकास विपणन						
पी पी सी का कम्प्यूटरीकरण	40	8	10	22	122	5
स्पीडपोस्ट के लिए कारोबार	40 केंद्र		7	10	30	2
एस पी सी सी का कम्प्यूटरीकरण	50	10	20	30		
डाक जीवन बीमा						
आर पी एल आई का कम्प्यूटरीकरण	32 आर	6 आर	11आर+120एचओ	6	66	
कम्प्युटरों का स्तरोन्नयन	20 आर	4 आर	4सी+1पीएलआई	10	10	
डाक टिकट संग्रहालय (कंप्यूटरीकरण)	52ई+200एन	5ई+10एन		21	10	120
डाक भवन	420		27	15/1	15	30+3
स्टाफ क्वार्टर्स	950		196	30	144	236
प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन को चुस्त बनाना						
पी ए ओ में सी सी			4	7	4	4
पी ए ओ में एम ओ				4		

स्कीमवार लक्ष्य और उपलब्धियां – दूरसंचार सेवाएं

स्कीम का नाम	मूल लक्ष्य	संशोधित लक्ष्य	1998-99 वास्तविक	1999-2000		2000-01	
				लक्ष्य	सं. अनु.	वास्तविक	लक्ष्य
स्विचिंग क्षमता (लाख लाइनें)	230.00	298.00	47.89	54.70	58.70	67.17	72.35
डी ओ टी	200.60	273.00	43.75	49.00	53.00	63.02	67.00
एम टी एन एल	29.40	25.00	4.14	5.70	5.70	4.15	5.35
डायरेक्ट एक्सचेंज लाइनें (लाख लाइनें)	185.00	222.70	37.91	45.50	44.85	49.18	57.90
डी ओ टी	160.00	200.70	35.45	40.60	40.60	45.40	53.50
एम टी एन एल	25.00	22.00	2.46	4.90	4.25	3.78	4.40
टी ए एक्स (लाख लाइनें)	18.00	23.06	2.31	4.53	5.23	4.80	5.15
डी ओ टी	15.24	18.87	2.06	4.00	4.00	4.03	4.00
एम टी एन एल	2.76	4.19	0.25	0.53	1.23	0.77	1.15
माइक्रो वेव सिस्टम (000 किलोमीटर)	90.00	70.00	14.00	15.00	15.00	19.88	10.00
आप्टिकल फाइबर सिस्टम (000 किलोमीटर)	140.00	270.00	31.77	40.00	60.00	63.27	100.00
वी पी टी (हजारों में)	239.16	278.87	37.06	45.00	45.00	33.97	100.00

दूरसंचार क्षेत्रक की वित्तीय पद्धति

(करोड़ रुपये)

संगठन	अनुमोदित परिव्यय	मध्यावधि प्रस्ताव	1998-99 वास्तविक	1999-00		2000-01
				ब. अनु.	सं. अनु.	ब. अनु.
डी ओ टी	37995.00	66193.00	9556.11	12650.00	12635.01	16000.00
आई आर	30965.00	51889.00	9556.11	11672.37	9095.88	13848.00
बांड्स	7030.00	14304.00	0.00	977.63	3539.13	2152.00
एम टी एन एल	5446.00	7426.00	977.44	2953.00	1250.00	2155.00
आई आर	4066.00	7426.00	977.44	1773.00	1250.00	2155.00
बांड्स	1380.00	0.00	0.00	1180.00	0.00	0.00
डी ओ टी + एम टी एनएल	43441.00	73619.00	10533.55	15603.00	13885.01	18155.00
आई आर	35031.00	59315.00	10533.55	13445.37	10345.88	16003.00
बांड्स	8410.00	14304.00	0.00	2157.63	3539.13	2152.00
डब्ल्यू एम ओ / डब्ल्यू पी सी	44.04	268.73	5.75	8.10	7.60	17.00
वी एस एन एल	2737	5031.38	761.62	1100.05	911.77	1163.34
आई आर	2737	5031.38	761.62	1100.05	911.77	1163.34
आई टी आई	175.00	325.00	42.00	74.00	80.00	90.00
आई आर	0.00	325.00	-52.00	0.00	80.00	35.00
बांड्स	150.00	0.00	94.00	74.00	0.00	55.00
अन्य	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बजट समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एच टी एल	45.00	81.29	9.42	16.12	11.78	16.33
आई आर	27.00	81.29	9.42	6.51	11.78	14.39
बांड्स	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य	18.00	0.00	0.00	9.61	0.00	1.94
बजट समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	46442.04	79325.4	11352.34	16801.27	14896.16	19441.67
आई आर	46398.00	64752.67	11252.59	14551.93	11349.43	17215.73
बांड्स		14304.00	94.00	2231.63	3539.13	2207.00
अन्य	0.00	0.00	0.00	9.61	0.00	1.94
बजट समर्थन	44.04	268.73	5.75	8.10	7.60	17.00

• : वर्ष 2000-01 के लिए डब्ल्यू एम ओ के लिए 10 करोड़ रुपये, डब्ल्यू पी सी के लिए 5 करोड़ रुपये, टी आर ए आई के लिए 2 करोड़ रुपये शामिल हैं।

संलग्नक 8.3.5

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नौवीं योजना (1997-2002) और वार्षिक योजनाएं (1997-98, 1998-99 और 1999-2000)

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	मिडिया यूनिट	संशोधित परिव्यय नौवीं योजना (97-2002)	अनुमोदित परिव्यय (1997- 98)	वास्तविक (1997- 98)	अनुमोदित परिव्यय (1998- 99)	वास्तविक 1998- 99	अनुमोदित परिव्यय 1999- 2000	संशोधित अनुमान 1999- 2000	अनुमोदित परिव्यय 2000-01
अ.	सूचना क्षेत्रक								
1.	पी आई बी	29.00	4.60	1.83	4.83	1.88	2.10	1.90	2.10
2.	प्रकाशन प्रभाग	1.05	0.40	0.50	0.64	0.55	0.60	0.74	0.97
3.	डी डब्ल्यू पी	6.20	1.60	1.52	1.44	1.44	1.45	1.45	1.35
4.	आई आई एम सी	15.00	3.15	3.16	3.80	3.80	3.70	3.70	4.62
5.	फोटो प्रभाग	3.70	0.75	0.00	0.76	0.71	1.50	1.50	1.20
6.	डी एफ पी	11.00	3.00	2.40	2.73	2.58	2.22	2.11	1.65
7.	एस एण्ड डी डी	10.00	1.75	1.63	1.82	1.72	2.00	1.95	2.25
8.	आर आर और टी डी	0.50	0.00	0.00	0.05	0.14	0.18	0.18	0.14
9.	बी ई सी 2 (आई ई बी आर)	0.00	0.00	0.00	1.03	0.50	1.76	0.85	1.51
10.	मुख्य सचिवालय							डी बी एस	1.00
	क) सूचना भवन	11.00	3.50	1.44	2.40	1.06	2.00	2.00	2.00
	ख) पी एम ओ का कम्प्यूटरीकरण	3.42	0.25	0.03	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	ग) मुख्य सचिवालय (लान)	2.43	0.00	0.00	0.00	0.07	1.50	1.50	0.67
	जोड़	93.30	19.00	12.51	19.55	14.70	19.26	18.13	19.72
	डी बी एस	93.30	19.00	12.51	18.20	14.20	17.50	17.28	18.21
	आई ई बी आर	0.00	0.00	0.00	1.03	0.50	1.76	0.85	1.51
ब.	फिल्म क्षेत्रक								
1.	फिल्म प्रभाग	24.50	5.25	4.21	5.25	5.47	6.30	6.28	7.00
2.	एन एफ ए आई	10.00	2.20	2.95	2.52	0.99	1.80	1.78	1.35
3.	एफ टी आई आई, पुणे	27.50	7.00	6.64	7.00	0.49	5.00	0.48	5.50
4.	एस आर एफ टी 2	28.50	12.71	10.67	10.00	8.89	7.00	7.00	8.00
5.	डी एफ एफ	16.00	3.45	2.67	3.26	2.25	3.26	7.45	9.20
6.	एन सी वार्ड पी	28.00	2.65	1.41	5.60	3.19	6.50	4.60	6.50
7.	एन एफ डी सी (आई ई बी आर)	45.50	8.20	8.23	8.70	4.71	6.10	6.11	10.70
8.	सी बी एफ सी	2.50	0.50	0.40	0.61	0.65	0.60	0.60	0.90
9.	फिल्म सोसायटी संघ	0.20	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	जोड़	182.70	42.00	37.22	42.98	26.68	36.60	34.34	49.19
	डी बी एस	137.20	33.80	28.99	34.28	21.97	30.50	28.23	38.49
	आई ई बी आर	45.50	8.20	8.23	8.70	4.71	6.10	6.11	10.70
स.	प्रसारण क्षेत्रक								
1.	आकाशवाणी	805.80	143.20	88.24	150.00	81.25	122.00	107.50	140.00
	डी बी एस	261.00	48.20	21.51	48.20	7.39	45.20	50.70	•
	आई ई बी आर	544.40	95.00	63.73	101.80	73.86	76.80	56.80	•
2.	दूरदर्शन	1761.65	415.60	346.39	449.40	308.09	391.52	400.34	500.44
	डी बी एस	188.55	26.60	18.13	26.60	35.81	51.8	108.07	•
	आई ई बी आर	1573.10	389.00	328.26	422.80	272.28	339.72	292.27	•
	कुल प्रसार भारती	2567.05	558.80	434.63	599.40	389.34	513.52	507.84	640.44
	डी बी एस	449.55	74.80	42.64	74.80	43.20	97.00	158.77	213.30
	आई ई बी आर	2117.50	484.00	391.99	524.60	346.14	416.52	349.07	427.14
	कुल जोड़	2843.05	619.80	484.36	661.93	430.72	569.38	560.31	709.35
	डी बी एस	680.05	127.60	84.15	127.60	79.37	145.00	204.28	270.00
	आई ई बी आर	2163.00	492.20	400.21	534.33	350.85	424.38	356.03	439.35

अध्याय 8 आधारिक संरचना विकास

8.4 सूचना प्रौद्योगिकी

साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जनसंख्या नियंत्रण, सूचना संरचना, बेरोजगारी आदि जैसे विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए नौवीं योजना में सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) को एक प्रभावी साधन के रूप में विनिर्धारित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी से लगभग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। यद्यपि सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिकी उद्योग का अधिकांश भाग निजी क्षेत्र में है, तथापि सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम आई टी) प्रोन्नयन और सुविधाकर्ता की भूमिका निभा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिकी उत्पादन में निजी क्षेत्र का हिस्सा, जो 1996-97 में 76 प्रतिशत था, वर्ष 2001-2002 तक लगभग 86 प्रतिशत के स्तर तक पहुँच जाने की सम्भावना है।

2. नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादन की विकास दर, जो 1997-98 में 20.4 प्रतिशत थी, धीरे-धीरे बढ़कर 1999-2000 में 26.4 प्रतिशत हो गई। यद्यपि साफ्टवेयर का निर्यात योजना लक्ष्यों को पार कर गया और उसने नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में 55 प्रतिशत से अधिक की प्रभावशाली विकास दर दर्ज की, किन्तु इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर क्षेत्र लगभग 10 प्रतिशत पर स्थिर बना रहा। असंतोषजनक संरचना, वित्त तथा टैरिफसंरचना की ऊँची लागत के फलस्वरूप हार्डवेयर उद्योग को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। यह वांछनीय है कि राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कार्य बल की दूसरी और तीसरी रिपोर्टों की विभिन्न सिफारिशों की, जिसने मुख्य रूप से "सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के विकास, विनिर्माण और निर्यात" तथा "दीर्घावधिक राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति" पर बल दिया, वर्तमान संदर्भ में जाँच की जाए और हार्डवेयर उद्योग के तीव्र विकास के लिए उन्हें कार्यान्वित किया जाए।

3. निम्नलिखित सारणी 8.4.1 में नौवीं योजना के प्रारम्भिक तीन वर्षों में वास्तविक सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिकी उत्पादन दर्शाया गया है:

सारणी 8.4.1
सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिकी उत्पादन

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	मद	1997-98	1998-99	1999-2000
1	उपभोक्ता इलेक्ट्रानिकी	7,600	9,200	11,200
2	आद्योगिक इलेक्ट्रानिकी	3,150	3,300	3,400
3	कम्प्यूटर	2,800	2,300	2,000
4	संचार और प्रसारण उपस्कर	3,250	4,400	4,400
5	महत्वपूर्ण इलेक्ट्रानिकी	900	1,300	1,450
6	कल पुर्जे	4,400	4,750	5,200
	उप जोड़ (हार्डवेयर)	22,100	25,250	27,650
7	निर्यात के लिए साफ्टवेयर	6,500	10,940	17,150
8	देशज साफ्टवेयर	3,470	4,950	7,200
	जोड़	32,070	41,140	52,000

1999–2000 में घटनाएं

4. वर्ष 1999 – 2000 के दौरान, सरकार ने, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, भारतीय निजी क्षेत्र और विदेश में सफल भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिकों के बीच सभी पहलों को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से एक नोडल संस्था के रूप में कार्य करने के वास्ते एक नए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम आई टी) की स्थापना की। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत में इन्टरनेट क्रान्ति, भारतीय भाषाओं में उपयोगी विषय, सू. प्रौ. समर्थित सेवाओं, सू. प्रौ. शिक्षा, इलेक्ट्रानिकी और हार्डवेयर विनिर्माण तथा निर्यात, माइक्रोइलेक्ट्रानिकी, सिलिकोन सुविधाओं, ई-कामर्स में भी तेजी लाएगा और इन्टरनेट आधारित उद्यमों को सक्रियता से प्रोत्साहित करेगा। प्राथमिकतापूर्ण उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों का विनिर्धारण करने और क्षेत्र के समुचित विकास के लिए उपाय तथा नीतियां सुझाने के वास्ते सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक सलाहकार समिति भी गठित की गई है। सू. प्रौ., दूर संचार संरचना और साफ्टवेयर निर्यात के विकास से संबंधित मुद्दों पर सरकार को सलाह देने के वास्ते मंत्री (सू. प्रौ.) की अध्यक्षता में, सिलिकोन वैली, अमरीका में आधारित सफल और सुविख्यात सू. प्रौ. व्यावसायिकों को मिलाकर एक प्रवर दल गठित किया गया।

5. इन्टरनेट के माध्यम से ई-कामर्स, इलेक्ट्रानिक संचार का विकास सुविधाजनक बनाने और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सू. प्रौ. की शुरुआत तेज करने के उद्देश्य से, सरकार ने एक "सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी)" कानून अनुमोदित किया है। यह, इलेक्ट्रानिक संविदाओं को मान्यता प्रदान करने, कम्प्यूटरों संबंधी अपराधों को रोकने, इलेक्ट्रानिक फाइलिंग/ प्रलेखों के लिए कानूनी रूपरेखा की व्यवस्था करेगा और डिजिटल हस्ताक्षरों को विधिसम्मत बनाएगा। निम्नलिखितों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सी एम सी लि. हैदराबाद में ई-कामर्स के लिए एक श्रेष्ठता केन्द्र स्थापित किया गया है: सर्वर, नेटवर्क, वेब और कारोबार की सुरक्षा करते हुए ई-कामर्स के क्षेत्र में परामर्श; ई-कामर्स के संबंध में प्रक्रियात्मक संहिता का आडिट ; भारतीय संदर्भ में ई-कामर्स और भारतीय रेलवे, विद्युत बोर्डों, सड़क परिवहन निगमों आदि जैसे उपभोक्ताओं के लिए प्रोटोटाइप का विकास आदि। केन्द्र, ई कामर्स के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करेगा और आर एण्ड डी का काम भी करेगा। नौवीं योजना के दौरान भारत में ई-कामर्स व्यवसाय कारोबार का विकास निम्न प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

1998 – 1999	131
1999 – 2000	450
2000 – 2001 (प्रत्याशित)	3,500

6. सरकार ने ई-कामर्स में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की भी अनुमति दे दी है और इन्टरनेट-आधारित व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे कारोबार पर कर न लगाने का निर्णय किया है। इन प्रोत्साहन कार्यकलापों से उद्योग को 2001-02 तक 15,000 करोड़ रुपए के स्तर तक के प्रत्याशित कारोबार और ई-कामर्स का तेजी से विकास होने की उम्मीद है।

7. सरकार ने, सरकारी तथा सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में कार्यकुशलता और कारगरता के लिए एक समर्थनकारी साधन के रूप में सू. प्रौ. के अधिकाधिक उपयोग की दिशा में पहलों को सुविधाजनक बनाने के वास्ते संस्थात्मक प्रक्रिया प्रारंभ की है। आन्ध्र प्रदेश सरकार के साथ निकट सहयोग से इलेक्ट्रानिक अधिशासनके क्षेत्र में तीन प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन प्रायोगिक परियोजनाओं के अनुभव का उपयोग अनुकरण किए जाने हेतु अन्य राज्यों द्वारा किया जा सकता है। ई-अधिशासन में शोकेस साधन विद्यमान साधनों और अनुप्रयोगों में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुख्यालय में एक ई-अधिशासन केन्द्र स्थापित किया गया है। केन्द्र,

केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों और राज्य सरकारों के लिए तात्कालिक चिन्ता के विनिर्धारण/ विभिन्न अनुप्रयोग विकसित करने में भी मदद करेगा। अधिक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मात्र ई-अधिशसन के लिए एक वेब साइट (एच टी टी पी/ डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. ई जी ओ वी. एम आई टी. जी ओ वी. आई एन) स्थापित किया है। अन्य उपायों द्वारा भी ई-अधिशसन को प्रोत्साहित किया जाता है जैसे कि:

- सार्वजनिक उपयोगार्थ वेब साइटों पर विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा सूचना प्रस्तुत करना।
- ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के सहयोग से एन आई सी द्वारा 534 जिलों में न्यायालय सूचना पद्धति, जिला सूचना पद्धति और भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण का कार्यान्वयन।
- इनटरनेट पर विभिन्न आवेदन - पत्रों और विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों की उपलब्धता।
- बैंकों/ वि. स., सडक परिवहन संगठनों, रेलवे, एयनलाइनों और अस्पतालों आदि में बडे पैमाने पर कम्प्यूटरीकरण।
- अपनी स्थापनाओं में सू. प्रौ. लागू करने के वासते अपने बजट का 1-3 प्रतिशत खर्च करके केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी प्रारंभ करना

बाक्स 8.4.1

सू. प्रौ. क्षेत्रक में प्रमुख पहल कार्य

- एक नए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना।
- सू. प्रौ. उद्योग के विकास में तेजी लाने के लिए 100 करोड रुपए की व्यवस्था के साथ सूचना प्रौद्योगिकी उद्यम पूँजी की स्थापना।
- उच्च गति नेटवर्क के जरिए सभी विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को जोडकर शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क (ई आर एन ई टी) का उन्नयन।
- अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रकों को वाई 2 का अनुपालनकर्ता बनाया गया।
- सी-डी ए सी द्वारा 100 गिगा फ्लोटिंग पाइंट आपरेशन प्रति सेकेण्ड (जी एफ एल ओ पी) पीक कम्प्युटिंग पावर वाले "परम" सुपर-कम्प्यूटर का विकास।
- 55 प्रतिशत से अधिक साफ्टवेयर निर्यात की वृद्धि।
- विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई आई आई टी) की स्थापना।
- इनटरनेट और ई - कामर्स की विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए "सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) कानून" का अनुमोदन।
- सी एम सी लि., हैदराबाद में ई-कामर्स के लिए एक श्रेष्ठता केन्द्र की स्थापना।

8. भारत ने विशाल समानान्तर प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सुपरकम्प्यूटरों के डिजाइन और निर्माण की क्षमता प्राप्त कर ली है। दि सैन्टर फार डिवेलपमेन्ट ऑफ एडवांस कम्प्युटिंग (सी-डी ए सी) ने, 100,000 मिलियन फ्लोटिंग पाइंट आपरेशन्स प्रति सेकेण्ड (एम एफ एल ओ पी एस) से अधिक पीक कम्प्युटिंग पावर वाला अपना नवीनतम माडल - "परम" 10,000 जारी किया है। सी-डी ए सी ने, "परम" उच्च निष्पादन वाले कम्प्यूटर के प्रसार के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना शुरू की है जिसके अन्तर्गत देश भर की 12 प्रमुख अकादमिक संस्थाओं को साफ्टवेयर और प्रशिक्षण के साथ "परम" 10,000 का एक संरूपण सप्लाई किया जाएगा। भारत द्वारा विकसित सुपरकम्प्युटिंग प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिकरण के प्रयास किए जा रहे हैं।

9. एस आई डी बी आई तथा वित्तीय संस्थानों की वित्तीय भागीदारी के साथ 100 करोड़ रुपए की एक सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम पूँजी की शुरुआत दिसम्बर 1999 में, आर एण्ड डी तथा नवोन्मेषन को प्रोत्साहित करने के वास्ते, साफ्टवेयर कम्पनियों के लिए की गई थी।

10. सरकार ने 196.20 करोड़ रुपए की लागत से शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क (इरनेट) उन्नयन अनुमोदित किया है जिसे नौवीं योजना में पूरा किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत नेटवर्क का गुणवत्ता और गति की दृष्टि से और उन्नयन किया जाएगा। नेटवर्क को उच्च गति संयोजनों के माध्यम से जोड़ा जा रहा है और इसका उपयोग दूरवर्ती शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। सभी 217 विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को नए उच्च गति बैंक बोन के साथ जोड़ा जाएगा।

11. स्वास्थ्य देख-देख के क्षेत्र में, माइक्रोवेव प्रौद्योगिकी पर आधारित अस्पताल अपशिष्ट उपचार पद्धति के संबंध में एक परियोजना पूरी हो गई है और पद्धति का व्यापक परीक्षण किया जा रहा है। प्राराम्भिक रिपोर्टों से पता चलता है कि 30 मिनट के अनावरण से अपशिष्ट पूर्ण रूप से असंक्रामित बन जाता है। ग्रामीण उपयोग के लिए "राष्ट्रीय खुली देख-रेख पद्धति" के संबंध में एक और परियोजना विकसित की गई है और उसका क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है। देश भर में ब्रेल साक्षरता को सुविधाजनक बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्किंग प्रदान करने के वास्ते कम्प्यूटरीकृत ब्रेल लिप्यन्तरण पद्धति के संबंध में एक कार्यक्रम विकास के लिए शुरु किया गया है। छाती के कैंसर का जल्द पता लगाने के वास्ते एक परस्पर-सक्रिय साफ्टवेयर "कैन स्कैन" का, इनटरनेट अनुकूलता और बहुभाषाई विशेषताओं के साथ "विन्डोज" परिवेश में विकास किया जा रहा है।

12. भारतीय भाषाओं में सूचना प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में फैली 13 शैक्षिक और आर एण्ड डी संस्थाओं में एक परियोजना शुरु की गई है। इसका उद्देश्य, सोसायटी में सू. प्रौ. ज्ञान बढ़ाना, भारतीय भाषाओं के माध्यम से सू. प्रौ. का उपयोग करने में समर्थ बनाकर भारत के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, भारतीय भाषाओं में नए उत्पादों और सेवाओं का विकास करना, भारतीय लोगों के बीच सूचना के बेहतर प्रसार के वास्ते भारतीय भाषाओं में विषय सृजन (वेब साइट पर) प्रयास प्रोत्साहित करना और भाषा इंजीनियरी के प्रौद्योगिक गहन क्षेत्रों में अनुसंधान को सुविधाजनक बनाना है।

13. सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के समाजार्थिक विकास के लिए 220 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूर्वोत्तर और सिक्किम में 486 ब्लकों में सामुदायिक सूचना केन्द्र (सी आई सी) स्थापित करने की एक परियोजना शुरु की है।

14. अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को वाई 2 के अनुपालन योग्य बनाया गया। वाई 2 के कार्य बल और सचिवों की समिति द्वारा गहन मानीटरन और समन्वय के पश्चात वर्ष 2000 में प्रवेश सुचारु था तथा किसी बड़ी घटना की रिपोर्ट नहीं मिली।

15. सू. प्रौ. उद्योग के विकास के लिए, विशेष रूप से साफ्टवेयर निर्यात में, प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सरकार हार्डवेयर और साफ्टवेयर प्रदान करके, अनेक संस्थाओं की मदद कर रही है। साफ्टवेयर निर्यात के लिए विशेष जनशक्ति विकास स्कीम, राष्ट्रीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र (एन सी एस टी), मुम्बई, में शुरु की गई है। एन सी एस टी साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी में इनटरनेट-आधारित स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी शुरु किया गया है। विद्यमान इंजीनियरी कालेजों के अलावा, इलेक्ट्रानिकी डिजाइन और प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी ई डी टी), उन्नत कम्प्यूटिंग विकास केन्द्र (सी-डी ए सी), इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान और विकास केन्द्र (ई आर डी सी), एस टी क्यू सी (मानकीकरण, परीक्षण और कोटि नियंत्रण) प्रयोगशाला

और डी ओ ई ए सी सी (कम्प्युटर पाठ्यक्रमों का इलेक्ट्रानिकी प्रत्यायन विभाग) सोसायटी जैसी सरकारी संस्थाएं एक जनशक्ति आधार का सृजन करने में महत्त्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। बहुत सी राज्य सरकारें भी श्रेष्ठता केन्द्रों के रूप में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई आई टी) स्थापित कर रही हैं।

16. भारतीय सेवा प्रदाताओं (आई एस पी) को अन्तर्राष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने और विदेशी उपग्रहों पर बैण्डविड्थ भाड़े पर लेने की अनुमति दे दी गई है। इससे देश में इनटरनेट बैण्डविड्थ की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी और इनटरनेट विस्तार सुविधाजनक होगा भारत में इनटरनेट उपभोक्ताओं के पूर्वानुमान और विकास की स्थिति निम्न प्रकार है:

	इनटरनेट कनेक्शन (मिलियन)	इनटरनेट उपभोक्ता (मिलियन)
31.3.1997	0.09	0.45
31.3.1998	0.14	0.70
31.3.1999	0.28	1.40
31.3.2000 (अनुमानित)	0.77	2.80
31.3.2001 (अनुमानित)	1.60	5.00
31.3.2002 (अनुमानित)	3.50	10.00

17. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) ने सभी केन्द्रीय सरकार के विभागों, 32 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और लगभग 540 जिला केन्द्रों में "निकनेट" सुविधाएं कायम की हैं। ताकि निर्णय समर्थन और सूचना केन्द्रों के वास्ते सूचना विज्ञान विकास सुकर हो सके। रा. सू. वि. के. ने 1999-2000 में "निकनेट" आधारित कम्प्युटर सेवाओं की गुणवत्ता में और उन्नयन किया है। रा. सू. वि. केन्द्र द्वारा 1999-2000 के दौरान वी एस ए टी का उपयोग करके इनटरनेट सेवाओं का 380 जिलों में विस्तार किया गया तथा ट्रान्सपोण्डर क्षमता बढ़ाकर 148 एम एच जेड की गई ताकि बड़े हुए नेटवर्क भार को हैंडल किया जा सके। असम, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम के सचिवालय में विडियो कान्फरेन्सिंग सुविधा प्रचालनात्मक बनाई गई। रा. सू. वि. के. द्वारा चलाए जा रहे कुछेक प्रमुख कार्यक्रम हैं: "निकनेट" आधारित भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, जिलों तक आधारभूत संवेश (जी आर आई जी) का कार्यान्वयन, देश में नए सृजित जिलों तक "निकनेट" सेवाओं का विस्तार, विडियोकनफरेन्सिंग नेटवर्क का विस्तार माडलिंग ग्राफिक्स और डिजाइन कार्यक्रम, ट्रेजरी एकाउन्टिंग परियोजना, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के लिए न्यायालय सूचना पद्धति कार्यक्रम का कार्यान्वयन और ग्रन्थसूचीय सूचना पद्धति आदि। रा. सू. वि. के. ने विभिन्न मंत्रालयों के लिए पंच वर्षीय सू. प्रौ. योजना भी तैयार की है और सरकारी विभागों के वेब साइट विकसित किए हैं।

वर्ष 2000-01 के लिए आवंटन

18. वार्षिक योजना 2000-01 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के वास्ते 541.70 करोड़ रुपए का परिव्यय (जी बी एस-360 करोड़ रुपए) अनुमोदित किया गया है, जबकि वर्ष 1999-2000 के लिए 450.55 करोड़ रुपए का परिव्यय (जी बी एस-327.16 करोड़ रुपए) आवंटित किया गया था। वर्ष 1999-2000 में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का व्यय 305.40 करोड़ (जी बी एस) था। परिव्यय का स्कीम-वार विवरण संलग्नक 8.4.1 में दिया गया है।

मुद्दे:

- राष्ट्रीय सू. प्रौ. कार्य बल की दूसरी और तीसरी रिपोर्टों की, जिनमें "सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के विकास, विनिर्माण और निर्यात" तथा "दीर्घावधिक राष्ट्रीय

नीति" पर मुख्य रूप से बल दिया गया है, वर्तमान संदर्भ में जाँच की जानी चाहिए और हार्डवेयर उद्योग के तीव्र विकास हेतु कार्यान्वित किया जाना चाहिए, जिसमें पिछले 5/ 6 वर्ष से कोई विशेष प्रगति नहीं हो रही है।

- सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिकी अधिशासन में राज्य सरकारों द्वारा सू. प्रौ. का बड़े पैमाने पर अनु-प्रयोग; प्रोत्साहन ताकि सोसायटी में पी सी ज्ञान और सू. प्रौ. जागरूकता की मात्रा में वृद्धि हो सके;
- देश में ई-कामर्स का प्रोत्साहन और इन्टरनेट संरचना का सुदृढीकरण, जिसमें 2005 तक इन्टरनेट बेण्डविड्थ के कम से कम 300 जी बी की व्यवस्था करना शामिल है।
- इन्टरनेट के माध्यम से दूरवर्ती शिक्षा का प्रसार;
- क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों का स्तरोन्नयन कर उन्हें भा. प्रौ. सं. के स्तर का बनाना तथा और अधिक भा. प्रौ. सं. व भा. सू. प्रौ. सं. खोलना;
- सू. प्रौ. शिक्षा और मानव संसाधन विकास में निजी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त करना;
- साइबर कानूनों का तीव्र कार्यान्वयन; और
- सू. प्रौ. के बहुमुखी विकास का समन्वयन जिससे कि एक ज्ञान आधारित समाज का निर्माण हो सके।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय – परिव्यय का स्कीम-वार विवरण

(करोड रुपये)

स्कीम संख्या	परियोजना/ स्कीम का नाम	वार्षिक योजना 1999-2000 अनुमोदित परिव्यय			वार्षिक योजना 2000-01 अनुमोदित परिव्यय		
		परिव्यय	जी बी एस	एन बी एस	परिव्यय	जी बी एस	एन बी एस
	1	2	3	4	5	6	7
1.	आर एण्ड डी स्कीमें						
0400	सोसायटी फार एप. माइक्रोवेव इले. इंजी. रेस. (समीर)	11.36	3.00	3.00	19.74	1.00	10.74
0500	इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रानिक्स प्रोमोशन प्रोग्राम (आई ई पी पी)	3.00	3.00	3.00	6.00	0.00	3.00
0600	माइक्रोवेव इले. डव. प्रोग्राम	2.50	2.50	2.50	3.00	0.00	0.00
0700	टेक्नालाजी डवलपमेंट काउन्सिल (टी डी सी)	10.50	8.00	8.00	9.00		4.00
0800	डवलनमेंट आफ स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रानिक इक्वीपमेंट	6.00	3.00	3.00	2.50		
1200	सी एम ई टी/ ई एम डी सी	7.15	5.90	5.90	9.00	3.00	0.00
2200	सी- डी ए सी	12.00	8.00	8.00	10.50		
2400	फोटोनिक्स/ आपटोइलेक्ट्रानिक्स	4.00	2.50	2.50	36.77	5.04	28.73
2700	इलेक्ट्रानिक्स आर एण्ड डी सेंटर	25.47	5.55	5.55	7.30		
2800	टेक. डव. मिशन फार इले. इन हैल्थ बायोटेक्नालोजी	5.00	3.00	3.00	5.00		
3200	टेक. डव. फार इंडियन लेंग्वेजिज	2.00	2.00	2.00	3.50		
3300	नेशनल एच वी डी सी प्रोग्राम	0.50	0.50	0.50	0.50		
3400	रोबोटिक्स/ इंटेलीजेंट मेन्युफेक्चरिंग सिस्टम	1.70	1.20	1.20	2.00		0.75
3600	डवलपमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री	1.80	0.90	0.90	2.00		1.00
3800	ट्रांसपोर्ट एण्ड पावर इलेक्ट्रानिक्स	2.50	2.50	2.50	5.25		2.50
6400	सेन्टर फार एल सी डी	1.96	1.96	1.96	1.66		
6500	पावर इलेक्ट्रानिक्स	2.00	2.00	2.00	4.50		3.00
6600	आई पी आर प्रोमोशन प्रोग्राम	0.50	0.50	0.50	0.50		
6700	एनवायरनमेंट मेनेजमेंट इल इलेक्ट्रानिक्स	1.60	1.60	0.10	1.05		
7200	प्रोमोशन/ आर एण्ड डी इन आई टी	3.00	3.00	3.00	3.00		
	आर एण्ड डी उप-जोड़	104.54	60.61	59.11	132.77	9.04	53.72
2.	आधारीक संरचना विकास						
1700	इरनेट	32.84	25.00	25.00	63.30	48.30	
1000	एस टी क्यू सी	5.00	5.00	5.00	25.50		
1600	सापटवेयर/ हार्डवेयर एक्सपोर्ट प्रामोशन प्रोग्राम एण्ड एस टी पी आई	10.00	10.00	10.00	7.00		
7000	नेशनल इन्फोर इनफ्रास (शून्य)	20.00	20.00	20.00	11.00		
7010	आई टी वेन्चर कैपिटल फंड	1.27	1.27	1.27	10.00		
7030	इलेक्ट्रानिक गवर्नेन्स	5.00	5.00	5.00	8.00		3.50
	आई टी ब्रांड इक्विटी फंड	0.00	0.00	0.00	10.00		
	आई टी सर्टिफिकेशन	0.00	0.00	0.00	2.25		
7100	आई टेक इन्वेस्टमेंट पार्क	0.01	0.01	0.01	0.05		
	आधारीक संरचना उप-जोड़	99.12	91.28	89.28	137.10	48.30	3.50

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय— परिव्यय का स्कीम—वार विवरण

(करोड रुपये)

स्कीम संख्या	परियोजना/ स्कीम का नाम	वार्षिक योजना 1999-2000 अनुमोदित परिव्यय			वार्षिक योजना 1999-2000 अनुमोदित परिव्यय		
		परिव्यय	जी बी एस	एन बी एस	परिव्यय	जी बी एस	एन बी एस
	1	2	3	4	5	6	7
3.	मानव संसाधन विकास						
2903	सेन्टर फार इलेक्ट्रानिक्स डिजाइन टेक्नोलोजी (सी ई डी टी)	6.75	4.00	2.00	7.00	4.00	
1500	नेशनल सेन्टर फार साफ्टवेयर टेक्नोलोजी (एन सी एस टी)	5.51	2.00	2.00	6.15	3.65	
2907	इम्पैक्ट	3.50	3.50	3.50	1.70		
2910	स्पे0 मैनपावर फार साफ्टवेयर एक्सपोर्ट	5.00	5.00	5.00	6.50		
2920	स्पे. मैनपावर फार ए एस आई सी डिजाइन	2.00	2.00	2.00	1.10		
—	एम्प्लायमेंट जेनरेशन फार एस सी/ एस टी	4.00	4.00	4.00	3.00	2.00	
	बैकवर्ड रीजन और नार्थ-ईस्ट मा. सं. वि. उप जोड़	26.76	20.50	18.50	25.45	9.65	0.00
4.	ग्राम विकास						
2300	ई आई फार रुरल/ सोशल/ वाटर आदि	2.00	2.00	2.00	2.50		
5.	विविध						
4000	मुख्यालय (सचि0 और भवन)	4.82	4.82	4.82	10.00		
5500	इलेक्ट्रानिकी उद्योग में प्रौद्योगिकी सूचना और पुर्वानुमान	0.50	0.50	0.50	0.50		
	इलेक्ट्रानिकी उद्योग में प्रौद्योगिकी सूचना और पुर्वानुमान				0.00		
6800	इले. इन्ड. इन्फो प्रोग्राम	0.15	0.15	0.15	0.15		
6810	इंडस्ट्रियल ट्रेड एंड पालिसी सिस्टम	0.10	0.10	0.10	0.15		
6820	इलेक्ट्रानिक्स कामर्स	0.01	0.01	0.01	0.50		
	विविध जोड़	5.58	5.58	5.58	11.30		
6.	सा. क्षे. उ.						
0100	इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एंड टेक्नो. डव. कोरपोरेशन	0.01	0.01	0.01	0.05		
0200	सेमी कंडक्टर कम्प्लेक्स लि.	2.68	0.02	0.02	0.04		
0300	सी एम सी लि.	62.70	0.00	0.00	49.37	49.37	
	सा. के. उ. उप जोड़	65.39	0.03	0.03	49.46	49.37	0.00
	जोड़ 1 से 6	303.39	180.00	174.50	358.58	116.36	57.22
	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी)	146.16	146.16	143.60	142.20		
	ई एस सी	1.00	1.00	1.00	4.92	2.92	
	पूर्वोत्तर परियोजनाओं के लिए प्रावधान				36.00		
	कुल जोड़ (एम आई टी)	450.55	327.16	319.10	541.70	119.28	57.22

अध्याय 9 पर्यावरण, वन और पर्यटन

9.1 पर्यावरण और वन

नौवीं पंच वर्षीय योजना की 'थ्रस्ट' को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग सभी स्तरों पर सामाजिक संचालन और लोगों की सहभागिता के माध्यम से विकास प्रक्रिया की पर्यावरणीय निरंतरता को सुनिश्चित करने पर बल देता रहेगा। वर्ष 2000-01 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय का निर्धारण करते हुए (केंद्र और राज्यों, दोनों के लिए) मुख्य बल विभिन्न संगठनों, यथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) (सी पी सी बी) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एस पी सी बी), भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बी एस आई) भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण (जैड एस आई), राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (एन एम एन एच) आदि, (जो कि राज्य और केंद्रीय सरकारों के अधीन कार्य कर रहे हैं) की आत्म चिरचनता को बढ़ावा देने पर रहा है।

पर्यावरण

2. पर्यावरण का अपघटन और प्रदूषण का बढ़ता हुआ स्तर गंभीर चिंता का विषय रहा है क्योंकि यह जनता के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और देश के चिरन्तन विकास के मार्ग में बाधा डालता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान, विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से, जिनकी समीक्षा नीचे की जा रही है, जीवन और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

वार्षिक योजना 1999-2000 की समीक्षा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड)

3. पर्यावरण के क्षेत्र में, 1999-2000 के दौरान प्रदूषण नियंत्रण और मानीटरन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) द्वारा जिन कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलापों को शुरू किया गया है, उनमें शामिल हैं: (1) ठोस अपशिष्ट प्रबंध और मल उपचार और व्ययन से संबंधित अध्ययन, (2) परिवेशी वायु गुणवत्ता का मानीटरन, (3) नदी और जल की गुणवत्ता का मूल्यांकन और (4) सी पी सी बी ग्लोबल इको-लेबलिंग नेटवर्क (जी. ई. एन) का सदस्य बन गया है। वाहन प्रदूषण को कम करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गये थे। ये इस प्रकार हैं :

- 1-9-1999 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीसा रहित पेट्रोल आपूर्ति।
- अप्रैल, 1999 से समस्त देश में निम्न-सल्फर डीजल (0.25 प्रतिशत) की आपूर्ति।
- पहली जून, 1999 से दिल्ली में यूरो-1 मानकों को लागू करना।
- समस्त देश में पहली अप्रैल, 1999 से दो स्ट्रोक इंजनों के लिए 2-डी आयल के लिए विशिष्टियों की अधिसूचना।

4. वार्षिक योजना 1999-2000 के दौरान प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए कुल परिव्यय 23.45 करोड़ रुपये का था जिसमें से 2.00 करोड़ रुपये सी पी सी बी के लिए थे।

औद्योगिक प्रदूषण निवारण परियोजना

5. यह एक केंद्रीय प्रायोजित विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित स्कीम है जिसे 1995 में शुरू किया गया था और यह 2002 तक जारी रहेगी। 1999–2000 के दौरान इस स्कीम के अधीन 18.00 करोड़ रुपये खर्च किए गये हैं।

ताज प्रतिरक्षण मिशन

6. ताज संरक्षण मिशन के अधीन ताज महल में और उसके आस पास के पर्यावरण से संबंधित दस परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दस परियोजनाओं का अनुमोदन किया था जिस पर 222.21 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक मिशन प्रबंधन बोर्ड, ताजमहल के प्रतिरक्षण लिए निमित्त विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन, मानीटरन और समीक्षा की निगरानी करता है। 1999–2000 के दौरान ताज प्रतिरक्षण मिशन (टी पी एम) के अधीन विभिन्न स्कीमों के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 50,00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी। राज्य सरकार ने 30-9-1999 तक 29.05 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए हैं। किंतु, इस परियोजना के अधीन वास्तविक और वित्तीय प्रगति संतोषजनक नहीं है।

खतरनाक पदार्थ प्रबंधन

7. 1999–2000 के दौरान, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए, नामतः खतरनाक पदार्थ प्रबंधन को सुदृढ़ करना, आपातकालीन अनुक्रिया केंद्रों की स्थापना, खतरनाक रसायनों के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और संदूषित स्थलों का उपचार (बिछरी) 6.05 करोड़ रुपये की राशि का विनियतन किया गया था। बिछरी परियोजना के सुसाध्यता अध्ययन के पहले चरण के लिए 81 लाख रुपये खर्च किए गये हैं। किंतु संदूषित स्थल के सुधार के संबंध में प्रगति संतोषजनक नहीं है।

प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण और परिरक्षण

8. देश में जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के एक मुख्य मुद्दे के रूप में उभरने के साथ, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और संरक्षण की आवश्यकता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। बी एस आई और जैड एस आई ऐसे कार्यकलापों में लगे हुए हैं। वार्षिक योजना 1999–2000 के लिए संरक्षण और सर्वेक्षण हेतु कुल विनियतन 27.60 करोड़ रुपये का था। बेस लाइन डाटा निर्माण और स्पीशीज को सूचीबद्ध करने के लिहाज से प्रगति बहुत ही धीमी रही है।

वार्षिक योजना 2000–01

9. वार्षिक योजना 2000–01 के लिए केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारों की विभिन्न स्कीमों, स्वतंत्र संगठनों द्वारा के नियमित और व्यवस्थाबद्ध मूल्यांकन पर बल दिया गया है। इसके अलावा, इस बात पर भी बल दिया गया है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उपयुक्त उपभोक्ता प्रभार आरोपित करके स्वावलम्बी बन जाएं। ऐसे उपभोक्ता प्रभार तय करने के लिए जांच की जाएगी जिनके अनुसार ये स्कीम आत्म निर्भर हो सकती हैं। वर्ष 2000–01 के लिए केंद्रीय मंत्रालय हेतु पर्यावरण और वन क्षेत्र के लिए कुल योजना परिव्यय 850.00 करोड़ रुपये का है (ब्योरे संलग्नक 9.1.1 में दिए गए हैं)। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए 2000–01 के लिए केंद्रीय परिव्यय का ब्योरा संलग्नक 9.1.2 में दिया गया है।

प्रदूषण कम करना

10. 2000-01 के दौरान, सी पी सी बी ने उन स्कीमों का पता लगाया है जिन्हें नौ मुख्य परियोजना शीर्षों के अधीन प्रचालित किया जाएगा। 2000-01 की वार्षिक योजना का कुल परिव्यय सी पी सी बी के लिए नौ करोड़ रुपये है। सी पी सी बी को सलाह दी गई है कि वह विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू प्रदूषण का मानीटरन करे। पेट्रोल में सीसे को समाप्त करने के पश्चात् बेंजीन के स्तर में परिवर्तन का भी मानीटरन किया जाएगा। इस वर्ष सी पी सी बी द्वारा मानीटरन किए जाने वाले पैरामीटरों की सूची में कार्बन मोनोक्साइड, श्वासनिक निलम्बित पार्टिकुलेट पदार्थ (आर एस पी एम), बेंजीन, और ओजोन को भी शामिल कर लिया जाएगा, जबकि इस समय केवल एस ओ₂, एन ओ एस और निलम्बित पार्टिकुलेट पदार्थ ही का मानीटरन किया जा रहा है।

औद्योगिक प्रदूषण निवारण परियोजना

11. इस विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के अधीन वर्ष के दौरान 22.00 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। योजना आयोग ने पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक बस्तियों में स्थापित औद्योगिक यूनिटों से होने वाले प्रदूषण के मानीटरन पर और ऐसी अस्तियों के आस पास के क्षेत्रों में सिंचाई प्रणालियों में औद्योगिक बहिस्त्रावों के रिसन के मानीटरन पर बल दिया है।

ताज प्रतिरक्षण मिशन

12. 2000-01 के दौरान चार चालू योजनाओं को जारी रखा जाना है और राज्य सरकार द्वारा चार नई परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया है। इस परियोजना की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की, पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश की सरकार के परामर्श से समीक्षा की जाएगी।

खतरनाक पदार्थ प्रबंधन

13. वर्ष 2000-01 के दौरान चालू कार्यक्रमों को जारी रखा जाएगा। 2000-01 की वार्षिक योजना के लिए बजट अनुमान 7.00 करोड़ रुपये का है। बहरहाल, खतरनाक पदार्थों के चयन की समस्या का समाधान करने में हो रही धीमी प्रगति को योजना आयोग ने गंभीरता से लिया है। खतरनाक अपशिष्ट निपटान की समस्या पर विचार करने के लिए प्रो० एम जी के मेनन की अध्यक्षता में गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति की रिपोर्ट के जून 2000 तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है। प्रस्ताव है कि बिछरी परियोजना के बारे में उच्चतम न्यायालय के निदेशों के संबंध में कानूनी सलाह प्राप्त की जाए।

चिंता के विषय

अंतरग वायु प्रदूषण

14. अनुमान है कि भारत में 5 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष परंपरागत जैवभार ईंधनों से होने वाले प्रदूषण से काल कवलित हो जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसमें रियायती दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधनों को बढ़ावा देने

और लोगों को मुफ्त धुआ रहित चूल्हे प्रदान करने की आवश्यकता शामिल है। इसके अलावा, सामूहिक जागरूकता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में, उत्पन्न करने की आवश्यकता है। संशोधित खाना पकाने के स्टोवों के इस्तेमाल से संबंधित नीतियों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

पर्यावरणीय अपघटन

15. पर्यावरणीय अपघटन की समस्या पर एक बहु आयामीय अग्रघर्षण करने के लिए सम्यक प्रयास करने की आवश्यकता है। वायु की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, वाहन उत्सर्जन को देश भर में कम करने की आवश्यकता है। इसके लिए सी एन जी चालित वाहनों को अपनाने की आवश्यकता है और साथ ही सड़क परिवहन की बजाए पाइपलाइनों से एल पी जी के परिवहन के लिए पर्याप्त अवसंरचना का विकास करने की आवश्यकता है। जहां तक जल की गुणवत्ता का संबंध है, उच्चतम प्राथमिकता के रूप में नदियों में पारिस्थितिक कार्य के लिए न्यूनतम प्रवाह और वर्षा जल के हार्वेस्टिंग की अत्यंत आवश्यकता है। इसके अलावा, एक एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से एक समन्वित रूप में कोफार्मों की समस्या से निपटने की आवश्यकता है। साथ ही गंदी बस्तियों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सुव्यवस्थित कुशल और प्रभावी जलनिकासी प्रणाली की आवश्यकता है।

जलवायु परिवर्तन

16. विश्वजनीन तापन और जलवायु परिवर्तन की समस्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों दृष्टि से, गंभीर चिंता का विषय है। यह समस्या बहु-विषयक है और योजना आयोग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों की अपनी-अपनी क्षेत्रक योजनाओं में विश्वजनीन तापन संबंधी चिंताओं को आंतरिक करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है जिससे कि योजनाओं के एक अंग के रूप में ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जनों के नियंत्रण के लिए एक दीर्घ कालीन कार्यनीति उपलब्ध हो सके। भारत, जलवायु परिवर्तन पर यू एन फ्रेमवर्क कन्वेंशन का एक पक्ष है और इस समस्या से निपटने के लिए योजना आयोग में एक कोर समूह का गठन किया गया है। इस दिशा में और प्रयास करने की आवश्यकता है।

जैव विविधता संरक्षण

17. भारत, विश्व के 12 महा जैव विविधता पूर्ण देशों में से एक है। स्पीशीज और आनुवंशिक विविधता पर बेस लाइन डाटा, विशेषकर आन्तर-स्पीशीज विविधता तथा उनके महा व आवास के बारे में अपर्याप्त है। एक पूर्ण राष्ट्रीय डाटा बेस तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें सभी स्पीशीज को उनके निवास स्थान, वितरण, विवरण, स्थिति और उनके स्थानीय उपयोगों के साथ यदि कोई हों तो, को सूचीबद्ध किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण संगठनों को नीति नियोजन और वित्त पोषण के बारे में अन्य संगठनों/ एजेंसियों के साथ नेटवर्क करना चाहिए।

पर्यावरणीय जागरूकता

18. जन संपर्क साधनों के माध्यम से सभी स्तरों पर लोगों के बीच पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। रेडियो और टी वी इस दृष्टि से प्रभावी माध्यम है जिनका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इनका इस प्रयोजन के लिए सुचारू रूप से उपयोग किया जा सकता है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय

19. राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय(एन आर सी डी), गंगा कार्य योजना 1 और 2 तथा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के माध्यम से मुख्य नदियों की जल की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में कार्य करता है। एन आर सी डी द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- खुले नालों के माध्यम से नदियों में बहने वाले कच्चे मल को एकत्रित करने के लिए हस्तक्षेप और विपथन कार्य और उन्हें उपचार के लिए विपथित करना।
- विपथित मल के उपचार के लिए मल उपचार संयंत्र।
- नदियों के किनारे मल त्याग को रोकने के लिए कम लागत के स्वच्छता कार्य।
- लकड़ी के प्रयोग को संरक्षित करने के लिए संशोधित काष्ठ दाहगृह जिनसे कि सभी शमशान घाटों पर शवों का उपयुक्त दाह संस्कार सुनिश्चित किया जा सके।
- नदी तट विकास कार्य, यथा, स्नान घाटों आदि का सुधार करना।

वार्षिक योजना 1999–2000 की समीक्षा

20. पहले चरण की गंगा कार्य योजना के अधीन, जो कि अब पूरा होने वाली है, अब तक 452 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है जबकि परियोजना परिव्यय 462.04 करोड़ रुपये का था। गंगा कार्य योजना का दूसरा चरण, जिसकी कुल परियोजना लागत 1276.26 करोड़ रुपये है, पांच संघटकों का है जिसकी प्रगति इस प्रकार है :

- यमुना कार्य योजना के अधीन प्राप्त की गई वास्तविक प्रगति 91.34 प्रतिशत है और इसके जून 2000 तक पूरा हो जाने की संभावना है।
- गोमती कार्य योजना के अधीन लगभग 269 एम एल डी मल को हस्तक्षेपित करने, विपथित करने और उपचारित करने का लक्ष्य है और गोमती कार्य योजना के अधीन अब तक प्राप्त की गई वास्तविक प्रगति लगभग 40 प्रतिशत है और इस पर 58.11 करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबले 8.91 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।
- दामोदर कार्य योजना (डी ए पी) के अधीन 12 नगरों में प्रदूषण को कम करने के कार्य शुरू किए जा रहे हैं। डी ए पी के अधीन लगभग 68 एम एल डी मल को हस्तक्षेपित करने, विपथित करने और उपचारित करने का लक्ष्य तय किया गया है।
- गंगा कार्य योजना के अधीन, मुख्य योजना के अधीन 29 शहरों में प्रदूषण कम करने के कार्य किए जा रहे हैं। इस कार्य योजना के अधीन कोई भी स्कीम अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है। 378.00 करोड़ रुपये के परियोजना परिव्यय में से अब तक किया गया खर्च 9.78 करोड़ रुपये है। लगभग 618 एम एल डी मल को इस योजना के अधीन हस्तक्षेपित करने, विपथित करने और उपचारित करने का लक्ष्य है।
- गंगा कार्य योजना – सर्वोच्च न्यायालय 30 शहरों में प्रदूषण कम करने की दिशा में कार्य कर रहा है और उसका लक्ष्य लगभग 162 एम एल डी मल को हस्तक्षेपित करने, विपथित करने और उपचारित करने का है। 209.90 करोड़ रुपये के परियोजना परिव्यय में से अब तक केवल 1.97 करोड़ रुपये खर्च किए जा सके हैं।
- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन आर सी पी) के अधीन अब तक 25 स्कीमें पूरी की जा सकी हैं और 707.04 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से 73.79 करोड़ रुपये ही खर्च किए जा सके हैं। इस योजना का लक्ष्य 1928 एम एल डी मल को हस्तक्षेपित करना, विपथित करना और उपचारित करना है।
- गंगा कार्य योजना 1 के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए, एन आर सी पी ने कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए कई उपाय किये हैं ताकि राज्य

सरकारों द्वारा निधियों का किन्हीं और उपयोगों के लिए खर्च किए जाने से बचा जा सके, अर्थात् धन सीधे ही कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्मुक्त किया जाएगा ताकि भूमि अधिग्रहण आदि में विलंबों के कारण अधिक धन और समय खर्च करने से बचा जा सके।

- एन आर सी पी की प्रगति की समीक्षा करने के लिए योजना आयोग के सदस्य (वित्त और व्यय) की अध्यक्षता में एन आर सी पी की मानीटरन समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। 1999-2000 वर्ष के दौरान, योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में यमुना नदी में न्यूनतम प्रवाह को बनाए रखने के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की भी तीन बैठकें आयोजित की गई थीं।

वार्षिक योजना 2000-2001

21. गंगा कार्य योजना 1 के असंतोषजनक कार्य निष्पादन का मुख्य कारण राज्य सरकारों द्वारा इन स्कीमों के अधीन सृजित परिसंतियों का प्रचालन और रख रखाव ठीक न होना है, और इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को स्पष्ट रूप से निदेश दिए गये हैं कि वे अपने वार्षिक बजट में से कुछ भाग प्रचालन और रख रखाव के लिए आबंटित करें। 2000-01 की वार्षिक योजना के लिए एन आर सी डी के लिए कुल परिव्यय 210.05 करोड़ रुपये हैं (संलग्नक 9.1.2) जिसमें से 200.00 करोड़ रुपये एन आर सी पी के लिए हैं और 10.00 करोड़ रुपये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के लिए हैं।

वन

वार्षिक योजना (1999-2000) की समीक्षा

वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण

22. भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आई सी एफ आर ई) ने राज्य वन अनुसंधान संस्थानों के समन्वय से एक राष्ट्रीय अनुसंधान कार्य योजना शुरू की है और अनुसंधान कार्यकलापों की प्राथमिकता निर्धारित की है। यह अनुभव किया गया है कि उपभोक्ता समूहों के लिए मूल्यवान अनुसंधान निष्कर्षों का प्रसार करना महत्वपूर्ण है और राज्य संस्थाओं के सहयोग से प्रभावी विस्तार कार्यकलापों को शुरू किया जाना चाहिए। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त वानिकी, अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार (एफ आर ई ई) परियोजना का आई सी एफ आर ई द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है। एफ आर ई ई परियोजना का कार्यान्वयन अनुभव आसान नहीं रहा है। असंतोषजनक परियोजना उपलब्धियों, असंतोषजनक संवितरण, प्राप्ति में विलम्ब, कर्मचारियों संबंधी सीमाएं और महत्वपूर्ण कानूनी अभिसमयों का पालन करने में असफल रहने के कारण विश्व बैंक के मध्यावधि समीक्षा मिशन द्वारा इसका वर्गीकरण एक समस्या परियोजना के रूप में किया गया था।

वानिकी सूची

23. भारतीय वन सर्वेक्षण (एफ एस आई), उपग्रह दूर संवेदन आंकड़ों का उपयोग करके हर दो वर्ष में एक बार राष्ट्रीय वन वनस्पति मानचित्र सहित वन रिपोर्ट की स्थिति को तैयार करने में लगा हुआ है। अब तक 6 वन रिपोर्ट स्थितियां प्रकाशित की जा चुकी हैं और इसमें वनावरण और 1:2,50,000 के पैमाने पर वन आवरण मानचित्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह

सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय वन सर्वेक्षण देश में वन संसाधनों और विश्व की आवश्यकताओं के चिरंतन विकास के लिए महत्वपूर्ण योजना कार्य में अधिक सार्थक योगदान करे, नए लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं जिनमें भारत के वनों की स्थिति पर 5 वर्षीय चक्रवर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने पर बल दिया गया है जिनमें वनावरण अनुमान और 1:50,000 के पैमाने पर मानचित्र तैयार करना शामिल किया गया है।

वन संबंधी नीति

24. राष्ट्रीय वानिकी कार्य कार्यक्रम, यू एन डी पी और एफ ए ओ की सहायता से तैयार किया गया है ताकि राष्ट्रीय वन नीति 1988 को प्रचालन में लाया जा सके। कार्यक्रम शुरू किया गया है और "एन एफ ए पी भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समर्थन" पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। मंत्रालय में अगले 20 वर्षों के लिए वन कार्य योजना तैयार करने के लिए और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक अलग वन नीति का सूत्रपात करने के लिए अलग समितियों का गठन किया गया है।

वन रक्षण

25. वन रक्षण को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए और इसलिए योजना आयोग ने यह सुझाव दिया है कि वन रक्षा को राज्यों के वार्षिक योजना परिव्यय में योजनागत कार्य के रूप में समझा जाना चाहिए और इस शीर्ष के अधीन पर्याप्त बटजीय आबंटन किया जाना चाहिए।

वार्षिक योजना (2000-01)

26. वर्ष (2000-01) के लिए वार्षिक योजना में कई नए लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। वन और वन्य जीवन के लिए केंद्रीय परिव्यय का ब्यौरा संलग्नक 9.1.3 में दिया गया है। प्रस्ताव है कि आधुनिक वन अग्नि नियंत्रण विधियों की मौजूदा स्कीमों को व्यापक बनाया जाए और राज्य वन रक्षा तंत्र (मशीनरी) को सुदृढ़ करने के लिए नई स्कीम के तहत 5 लाख रुपये की सांकेतिक राशि का प्रस्ताव किया गया है।

27. औषधीय पादपों के विकास के लिए योजना आयोग में एक कार्यबल का गठन किया गया था। इसकी सिफरिशों के आधार पर वार्षिक योजना में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

- अपघटित क्षेत्रों में "वनस्पति वनों" की स्थापना के लिए चार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- 200 औषधीय पादप विकास क्षेत्रों (एम पी डी ए) की स्थापना के लिए 4 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।
- प्रतिरक्षित क्षेत्रों में सभी पारि-तंत्रों, वनप्रकारों और उप-प्रकारों में दो सौ औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्रों (एम पी सी ए) की स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपये आबंटित किए गये हैं।

28. कृषि वानिकी के लिए नीति संबंधी निदेश, कानूनी समर्थन और साम्यापूर्ण विपणन प्रणाली प्रदान करने के लिए योजना आयोग में एक कार्य बल का गठन किया गया है। कार्य बल की अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

वन्य जीवन

भारत पारि-विकास परियोजना

29. इस परियोजना का कार्यान्वयन सात प्रतिरक्षित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय विकास (इंटरनेशनल डेवलपमेंट) एजेंसी (आई डी ए) और ग्लोबल एंवायरनमेंट फ़ैसिलिटी (जी ई एफ) की सहायता से किया जाता है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सात प्रतिरक्षित क्षेत्रों में पारि-विकास के माध्यम से जैव विविधता की रक्षा करना है।

30. विश्व बैंक के मिशन ने, जिसने भारत की पारि-विकास परियोजना की मध्यावधि समीक्षा की है, अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये हैं।

संशोधित प्रतिरक्षित क्षेत्र प्रबंधन संघटक

31. सभी स्थलों में इस संघटक के अधीन प्रगति की गई है (पलामू और रनथम्बोर में बहुत सीमित) जहां कुछ सिविल निर्माण कार्य, ट्रैक रसाई में सुधार, मृदा और जल संरक्षण उपाय और आवास सुधार कार्य शुरू किए गये हैं। प्रबंधन योजनाओं की तैयारी पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान नहीं दिया गया है। सिवाए गिर वन के, जहां प्रबंध योजना प्रवर्तित की गई है और बक्सा तथा नागर होल में, जहां कि एक प्रारूप उपलब्ध है, अन्य चार स्थलों में योजना की तैयारी में बहुत कम प्रगति हुई है।

ग्राम पारि-विकास संघटक

32. इस संघटक के अधीन जो कि परियोजना का मुख्य महत्त्वपूर्ण अंग है प्रगति तेजी से बढ़ रही है। सभी स्थलों में कुछ गांवों में पारि-विकास समितियों का गठन किया गया है और कुछ माइक्रो योजनाएं पूरी कर दी गई हैं। पेरियार, गिर, बक्सा और पैच में माइक्रो योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है। नागरहोल ने राजस्व ग्रामों में और विश्वसनीयता निर्माण निवेश पार्क के अन्दर कुछ खंडों में शुरू किए हैं और हाल ही में 20 माइक्रो योजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य शुरू किया है। पलामू और रनथम्बोर में माइक्रो योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई प्रगति देखने में नहीं आई।

शिक्षा / आगंतुक प्रबंध और प्रभाव मानीटरन / अनुसंधान संघटक

33. अधिकांश स्थलों में इस संघटक के अधीन कार्यकलाप शुरू हो गये हैं सिवाय गिर के जिसने अपना अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया है।

राष्ट्रीय वनारोपण और पारि-विकास बोर्ड (एन ए ई बी)

34. वन क्षेत्रों के साथ लगती अपघटित भूमि में वनरोपण संबंधी कार्यकलापों के लिए एन ए ई बी एक नोडल एजेंसी है। एन ए ई बी द्वारा परिचालित तीन मुख्य स्कीमें इस प्रकार हैं :

- एकीकृत वनरोपण और पारि-विकास परियोजना स्कीम, जो शत प्रतिशत केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है।
- क्षेत्र अभिमुख ईंधन की लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम, यह राज्यों और केंद्र की सरकारों के बीच आधी-आधी भागीदारी पर चलाई जा रही है।
- औषधीय पादपों सहित लघु वनोत्पाद का रोपण।

वार्षिक योजना (1999–2000)

35. उपर्युक्त तीन स्कीमों में चार महत्वपूर्ण तत्वों पर बल दिया गया है। वे हैं: संयुक्त वन प्रबंधन, माइक्रो योजना कार्य, संशोधित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, और परियोजना का मानीटरन तथा मूल्यांकन। जल विभाजक/ जल ग्रहण क्षेत्र संबंधी दृष्टिकोण इन स्कीमों का मुख्य आधार रहेगा। तीन मुख्य स्कीमों के अधीन वर्ष (1998–99) के दौरान वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां और वर्ष (1999–2000) की प्रत्याशित उपलब्धियां संलग्नक 9.1.4 में दिखाई गई हैं। नेशनल सेंटर फार ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड एन्वायरन्मेंट (एन सी एच एस ई), भोपाल द्वारा किए गए एक मूल्यांकन से पता चला है कि इसमें लोगों की सहभागिता, असामयिक निधि प्रवाह आदि के बारे में कुछ कमियां हैं। इस समय मंत्रालय में एन ए ई बी और जे एफ एम सैल के बीच बहुत कम एकीकरण है।

वार्षिक योजना (2000–2001)

36. मंत्रालय का, समन्वित ग्राम वनीकरण समृद्धि योजना (एस जी वी एस वाई) नामक एक नई स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव है जो कि एक सर्वोपरि (छत्र छाया) स्कीम होगी और विभिन्न चालू स्कीमों के समान वनरोपण और पारि-विकास प्रयासों का एकीकरण करेगी। क्षेत्र अभिमुख ईंधन लकड़ी और चारा परियोजना के अलावा सभी वनीकरण की फिर से संरचना की जाएगी और वे एस जी वी एस वाई का एक संघटक होंगी। मंत्रालय का एक वन विकास एंजेसी (एफडीए) गठित करने का भी प्रस्ताव है ताकि परियोजनाओं के लिए निधियों के प्रवाह को सम्यक बनाया जा सके। एफ डी ए, ऐसा कीफ तंत्र प्रदान करेगी जिसके माध्यम से विभिन्न स्कीमों के अधीन सहायता प्रवाहित होगी। तीन वनीकरण स्कीमों के अधीन प्रस्तावित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य संलग्नक 9.1.4 में दिए गये हैं।

37. एन ए ई बी द्वारा चलाई जा रही तीन स्कीमों में से, पहली दो स्वरूप के लिहाज से समान हैं और उन्हें आपस में मिला दिया जाना चाहिए। मंत्रालय को भी केवल उन्हीं राज्यों में इन स्कीमों को चलाने के बारे में सोचना चाहिए जहां कोई विदेशी सहायता परियोजना नहीं है, या जिन्होंने हाल ही में ऐसी परियोजना पूर्ण की है। बहुत से राज्यों में ऐसी स्कीम को चलाना प्रयासों को कमजोर करना होगा और यदि इसे कुछ राज्यों तक ही सीमित रखा जाए तो इससे परियोजनाओं में पहले किए गए प्रयासों को स्थायित्व सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

संलग्नक 9.1.1

पर्यावरण और वनों के लिए योजना परिव्यय

(करोड़ रुपये)

क्षेत्रक	संशोधित नौवीं योजना	परिव्यय 1998-99	व्यय 1998-99	परिव्यय 1999-2000	अनन्तिम व्यय 1999-2000	परिव्यय 2000-2001
पर्यावरण	859.84	210.91	144.28	191.05	125.04	230.00
राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एन आर सी डी)	700.00	191.70	107.47	200.00	132.27	210.05
वन और वन्य जीवन	854.00	209.13	174.23	215.00	149.36	257.05
राष्ट्रीय वन रोपण पारिस्थितिकी विकास बोर्ड (एन ए ई बी)	600.00	92.35	72.06	93.50	88.02	152.00
जोड़	3013.84	704.09	492.82	700.00	470.59	850.00

संलग्नक 9.1.2

पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए केंद्रीय योजना परिव्यय का ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	ब. अ.	वास्तविक	परिव्यय	अनन्तिम व्यय	परिव्यय	
	1998-99	1998-99	1999-2000	1999-2000	2000-2001	
क.	पर्यावरण व पारिस्थितिकी					
1.	प्रदूषण उपशमन	41.30	42.01	23.45	22.00	32.90
2.	पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन	10.50	5.09	10.50	5.88	9.60
3.	संरक्षण और सर्वेक्षण	24.62	23.27	27.60	26.75	47.00
4.	अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्धार	14.68	13.33	16.95	17.17	19.50
5.	पर्यावरण शिक्षा प्रशिक्षण और पर्यावरण सूचना	10.75	11.38	11.65	12.59	24.40
6.	नीति और विधि	61.41	35.94	57.55	17.71	55.10
7.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	46.25	11.72	325.00	19.80	44.70
8.	सिविल निर्माण कार्य	1.40	1.55	1.50	1.58	1.70
9.	नई स्कीमें			3.05	1.50	
	जोड़ (पर्यावरण)	210.91	144.28	191.50	125.04	230.90
ख.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	191.70	107.47	200.00	158.20	210.05
	कुल जोड़	402.61	251.75	391.50	283.24	440.95

संलग्नक 9.1.3

वनों और वन्य जीवन के लिए केंद्रीय योजना परिव्यय का ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.		ब. अ. 1998-99	वास्तविक 1998-99	परिव्यय 1999-2000	अनन्तिम व्यय 1999-2000	परिव्यय 2000-2001
ग.	वानिकी और वन्य जीवन					
1.	वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण	75.45	80.67	78.95	66.40	71.25
2.	वन सर्वेक्षण	4.00	3.27	4.00	2.40	4.00
3.	वन नीति	2.25	1.78	2.20	2.12	7.70
4.	वन सुरक्षा	3.10	3.04	3.10	2.77	21.05
5.	वन प्रभाग को सुदृढ करना	4.25	5.16	5.00	4.86	6.00
6.	वन्य जीवन	120.08	80.31	121.75	100.08	147.05
	जोड़ ग.	2013.00	174.23	215.00	178.63	257.05
घ.	राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड	92.35	72.06	93.50	89.29	152.00
	कुल जोड़	301.48	246.29	308.50	267.92	409.05

संलग्नक 9.1.4

विभिन्न परियोजनाओं के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य

स्कीम	1998-99		1999-2000		2000-01	
	भौतिक (लाख हेक्टे. में)	वित्तीय (करोड़ रुपये)	भौतिक (लाख हेक्टे. में)	वित्तीय (करोड़ रुपये)	भौतिक (लाख हेक्टे. में)	वित्तीय (करोड़ रुपये)
1. क्षेत्र उन्मुख ईंधन काष्ठ और चारा परियोजना	0.16	40.00	0.17	35.00	0.19	35.00
2. एकीकृत वनारोपण और परि-विकास परियोजना	0.07	33.00	0.12	38.00	0.12	50.00
3. काष्ठ-भिन्न वन उत्पाद, औषधीय पौधे सहित	0.09	11.00	0.14	12.00	0.13	15.00

9.2 पर्यटन

38. पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, विशेष रूप से इसलिए कि विदेशी मुद्रा के अर्जन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, अतिरिक्त आय के सृजन में और रोजगार के अवसरों के सृजन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, विशेष रूप से दूर दराज और पिछड़े इलाकों में। वर्ष 1999-2000 के दौरान पर्यटन के कारण लगभग 13238.78 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमाई गई जबकि 1998-99 के दौरान यह राशि 12137.54 करोड़ रुपये थी। 1998-99 के दौरान इस क्षेत्र में लगभग 14.79 मिलियन लोगों को सीधे रोजगार मिला हुआ था।

39. 1998-99 में भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 2397457 थी जो 1999-2000 में बढ़कर 2516790 हो गई। विश्व पर्यटक आगमन में भारत का अंश केवल लगभग 0.39 प्रतिशत है। इससे पता चलता है कि हमारी पर्यटक संभावनाओं को अभी काफी दोहित किया जाना है।

40. 1999-2000 में केंद्रीय क्षेत्र में पर्यटन के लिए 230.50 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के मुकाबले संशोधित अनुमान 145.00 करोड़ रुपये का था। केंद्रीय क्षेत्र में पर्यटन के अधीन अधिकांश व्यय पर्यटन मंत्रालय की स्कीमों के लिए है। भारतीय पर्यटन विकास निगम लि0 (आई टी डी सी) की स्कीमों को छोड़ कर, पर्यटन मंत्रालय का समस्त योजना परिव्यय बजट संसाधनों से वित्त पोषित होता है। आई टी डी सी अपनी योजना अपने आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों से वित्त पोषित करता है।

41. वर्ष 2000-01 में पर्यटन के लिए केंद्रीय क्षेत्र का परिव्यय 195.00 करोड़ रुपये हैं। पर्यटक सूचना और प्रसार प्रचार, देश के भीतर और विदेशों में; को पर्यटन मंत्रालय के योजना परिव्यय का सबसे बड़ा भाग मिलता रहता है। इसके लिए 2000-01 की वार्षिक योजना में 56.75 करोड़ रुपये का परिव्यय निश्चित किया गया है। उपयुक्त प्रावधान में से 49.75 करोड़ रुपये वर्ष के दौरान विदेशी प्रचार के लिए निर्धारित किये गये हैं। पर्यटन मंत्रालय विदेशों में स्थित 18 भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से मुख्य विपणन कार्य करता है। ये छः क्षेत्रों के अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में सीमांकित किए गये हैं। पर्यटन मंत्रालय एक अध्ययन कर रहा है ताकि विदेशों में प्रचार प्रसार की लागत प्रभाविता का मूल्यांकन किया जा सके।

42. एक और मुख्य स्कीम, पर्यटक आधारभूत संरचना की है, जिसके लिए 29.10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन संबंधी आधारभूत संरचना के विकास के लिए राज्य/ संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। केंद्रीय सरकार का निवेश, इस स्कीम के अधीन, राज्य/ संघ शासित प्रदेशों की सरकारों के माध्यम से लागत भागीदारी के आधार पर तय किया जाता है। जिन विशिष्ट स्कीमों के लिए सहायता प्रदान की जाती है, वे हैं : टूरिस्ट लाज, रास्ते की सुविधाएं, मोटल/ कैफेटेरिया/ रेस्टोरेंट, पर्यटक स्वागत केंद्र, तीर्थ केंद्रों में तीर्थ यात्री शैड/ डारमिटरीज आदि और जन सुविधाएं।

43. इस क्षेत्र में मानव संसाधन विकास की स्कीमों के लिए 2000-01 की वार्षिक योजना में 16.65 करोड़ रुपये का परिव्यय निश्चित किया गया है। इस स्कीम में मौजूदा सुविधाओं के अंतर्गत 21 होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी संस्थान और 14 फूड क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट, जो कि नेशनल कौंसिल फार होटल मैनेजमेंट और कटरिंग टेक्नालॉजी, इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टूरिस्ट एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के अधीन कार्य कर रहे हैं और अधिकारियों और गाइडों का प्रशिक्षण शामिल है। 9.10 करोड़ रुपये का परिव्यय इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कटरिंग

टैक्नोलोजी और फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूटों के लिए निश्चित किया गया है। केंद्रीय सरकार, आई एच एम को अनुदान का विमोचन करके वित्त पोषित करती है ताकि उनके निवल राजस्व व्यय और उपस्करों की खरीद आदि के लिए पूंजीगत व्यय को पूरा किया जा सके और संस्थाओं के भवनों का निर्माण किया जा सके। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के मामले में केंद्रीय सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी, संस्थान के प्रचालन के पांच वर्ष बाद राज्य सरकारों को स्थानांतरित हो जाती है। मंत्रालय इस बात का प्रयास कर रहा है कि आई एच एम और एफ सी आई वित्तीय दृष्टि से स्वावलम्बी हो जाए।

44. 2000-01 की वार्षिक योजना में आई टी डी सी के लिए परिव्यय 60.00 करोड़ रुपये का है। वर्ष के दौरान आई टी डी सी के मौजूदा होटलों के नवीनीकरण/ सुधार के लिए 30.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लोदी होटल के पुनः निर्माण और चंडीगढ़ में एक होटल के निर्माण की योजनाओं के लिए 15.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष के दौरान आई टी डी सी की योजना का वित्त पोषण, 15 करोड़ रुपये के आंतरिक संसाधनों से और 45 करोड़ रुपए के बजटेत्तर संसाधनों से (वित्तीय संस्थाओं/ जनता से ऋण) करने का प्रस्ताव है।

45. पर्यटन मंत्रालय और आई टी डी सी के परिव्यय और व्यय के स्कीमवार ब्यौरे संलग्नक 9.2.1 में दिये गये हैं।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

46. डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिष्ट सेंटर की विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए, पर्यटन मंत्रालय एक समन्वयक नोडल एजेंसी है जिसका वित्त पोषण जापान की ओवरसीज इकॉनॉमिक कोऑपरेशन फंड (ओ ई सी एफ) द्वारा किया जा रहा है। सम्बन्धित राज्य सरकारें परियोजना का कार्यान्वयन कर रही हैं और ऋण की शर्तों के अनुसार सीधे ही ओ ई सी एफ से प्रतिपूर्ति का दावा करती हैं। बहरहाल, पर्यटन मंत्रालय अपने बजट में परामर्श सेवाओं के लिए व्यवस्था कर रहा है जिसकी प्रतिपूर्ति भी ओ ई सी एफ द्वारा की जाती है। व्यावसायिक सेवाओं के लिए पर्यटन मंत्रालय की 2000-01 की वार्षिक योजना में 25 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

परिव्यय और व्यय केंद्र : पर्यटन

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	स्कीमें	1997-98 वास्तविक व्यय	1998-99 वास्तविक व्यय	1999-2000		2000-01 व. अ.
				व. अ.	सं. अ.	
1	पर्यटन अवसंरचना	23.32	33.21	60.00	25.60	29.10
1.1	ग्राम व दाय पर्यटन सहित, पर्यटक केंद्रों, क्षेत्रों का विकास	1.25	9.51	32.15	6.50	17.00
1.2	पर्यटन भवन	0.00	0.00	0.05	0.00	1.00
1.3	स्मारकों और दाय स्थलों का रूप निखारना	1.77	1.66	2.80	1.00	2.00
1.4	इक्विटी स्कीम	1.04	0.28	3.00	0.50	0.25
1.5	बजट अकोमोडेशन	13.63	13.91	14.00	10.00	2.50
1.6	मार्गस्थ सहूलियतें	3.06	3.75	4.00	4.00	4.00
1.7	एस ई एल शो (फ्लड लाइटिंग)	1.40	2.25	1.50	1.50	0.50
1.8	साहसपूर्ण और खेल पर्यटन	1.07	1.50	1.75	1.75	1.50
1.9	तार्थटन केंद्रों का विकास	0.02	0.00	0.50	0.10	0.10
1.10	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं/ बौद्ध केंद्र	0.08	0.35	0.25	0.25	0.25
2	मानव संसाधन विकास	8.27	13.60	16.00	15.20	16.65
2.1	होटल प्रबंधन व कैंटरिंग प्रौ० तथा प्रयुक्त पौषाहार संस्थान	6.92	11.99	12.00	11.00	9.00
2.2	फूड क्राफ्ट संस्थान	0.00	0.00	0.20	0.10	0.10
2.3	भारतीय पर्यटन व यात्रा प्रबंधन संस्थान	1.35	1.61	3.50	4.00	2.00
2.4	पर्यटन शिक्षा ग्रिड	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2.5	राष्ट्रीय जल क्रीडा संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2.6	अन्य कार्यक्रम (गाइड प्रशिक्षण)	0.00	0.00	0.30	0.10	0.05
3	पर्यटक सूचना व प्रचार	62.36	59.21	77.80	60.20	56.75
3.1	विदेशों में अभियान और प्रचार	57.69	53.35	67.80	52.20	49.75
3.2	साहित्य व अन्य प्रचार सामग्रियों का निर्माण	2.26	2.21	4.00	3.50	3.00
3.3	जन संपर्क	0.42	0.56	1.50	1.00	1.00
3.4	घरेलू अभियान, विजिट, मेले तथा उत्सव, ग्राम शिल्प मेले, सम्मेलन और कन्वेंशनों सहित	1.99	3.09	4.50	3.50	3.00
4	अन्य	4.19	4.44	6.70	9.00	19.00
4.1	वृत्तिक सेवाएं, बाजार अनुसंधान, सू प्रौ., 20 वर्षीय परिदृश्य योजनाओं के निर्माण सहित	0.54	0.59	1.70	1.50	12.00
4.2	होटल ऋणों पर ब्याज विभेदक सब्सिडी	3.65	3.85	5.00	7.50	5.00
4.3	राष्ट्रीय पर्यटन विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
4.4	विपणन विकास सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5	पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान- परि०/ स्कीमें	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
	जोड़	98.14	110.46	160.50	110.00	135.00
6	भारतीय पर्यटन विकास निगम लि.	15.47	28.30	70.00	35.00	60.00
	कुल जोड़	113.61	138.76	230.50	145.00	195.00

अध्याय 10 विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

विशेष क्षेत्र कार्यक्रम कतिपय क्षेत्रों की विशिष्ट भू-भौतिक संरचना के कारण उत्पन्न होने वाली विशेष समस्याओं से निपटने और साथ-ही सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कार्य करने के लिए तैयार किए जाते हैं।

10.1 पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच ए डी पी)

2. एच ए डी पी पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ से ही चल रहा है और अभिहित पहाड़ी क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, पहाड़ी/क्षेत्रों के पारिस्थितिकीय रूप से सम्पोषणीय सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है।

3. एच ए डी पी के अंतर्गत आने वाले अभिहित पहाड़ी क्षेत्रों की पहचान का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन डी सी) की एक समिति द्वारा 1965 में किया गया था। इनमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं :

- असम के दो पहाड़ी जिले – उत्तरी कछार और करबी आंगलोग।
- उत्तर प्रदेश के नौ जिले – देहरादून, पौड़ी-गढ़वाल, टिहरी-गढ़वाल, चमौली, उत्तर काशी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर।
- पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले का अधिकांश भाग।
- तमिलनाडु का नीलगिरि जिला।

4. एच ए डी पी के लिए दी जाने वाली विशेष केंद्रीय सहायता (एस सी ए) सामान्य राज्य योजना निधियों के अतिरिक्त होती है और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की गति को तेज करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों की अनुपूर्ति करती है। यह विशेष केंद्रीय सहायता राज्य योजना के सामान्य कार्यक्रमों के लिए उपयोग में लाने के लिए नहीं होती। एच ए डी पी की स्कीमों का राज्य योजना स्कीमों के साथ सामंजस्य बिठाना एवं एकीकरण करना होता है। कार्यक्रम के अंतर्गत हाथ में ली जाने वाली स्कीमों को इस प्रकार अभिकल्पित और तैयार करना पड़ता है कि वे इस कार्यक्रम के विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा कर सकें और केवल राज्य योजना की परंपरागत स्कीमों में बन कर न रह जाएं।

5. एच ए डी पी के लिए उपलब्ध विशेष केंद्रीय सहायता को अब च ए डी पी के अंतर्गत अभिहित पहाड़ी क्षेत्रों में और पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अभिहित तालुकों के बीच 84:16 के अनुपात में बांटा जाता है। विशेष केंद्रीय सहायता अभिहित पहाड़ी क्षेत्रों में क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर वितरित की जाती है और इन दोनों मानदंडों को समान भारांश दिया जाता है।

6. राज्य सरकारों को पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक अलग उप-योजना तैयार करनी होती है जिसमें उन्हें यह बताना होता है कि राज्य योजना से और विशेष केंद्रीय सहायता से कितनी-कितनी धनराशि मिलेगी।

वर्ष 1998-99 और 1999-2000 की वार्षिक योजना की समीक्षा

7. वर्ष 1998-99 के दौरान, विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में 390 करोड़ रुपये राज्य सरकारों के लिए आबंटित किए गए थे और पूर्णतः रिलीज किए गए, और राज्य सरकारों ने भी उनका पूर्णतः उपयोग हो जाने की सूचना दी है।

8. वर्ष 1999-2000 के दौरान एच डी पी ए के लिए उपलब्ध कराई गई विशेष केंद्रीय सहायता 400 करोड़ रुपये थी, वह भी पूर्णतः दे दी गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कीमें लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों में शुरू की गई हैं। राज्य सरकारों से प्रार्थना की जा रही है के वे और पर्यावरण अनुकूल स्कीमें और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने वाली स्कीमें इस कार्यक्रम में शामिल करें।

वार्षिक योजना 2000-2001

9. एच ए डी पी के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 के लिए कुल मिलाकर 400 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। इसमें राज्यों में एच ए डी पी के अंतर्गत आने वाले अभिहित पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 336 करोड़ रुपये और पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अभिहित पहाड़ी क्षेत्रों (तालुकों) के लिए 64 करोड़ रुपये शामिल हैं। एच ए डी पी के अंतर्गत राज्यों में अभिहित पहाड़ी क्षेत्रों के लिए वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के आबंटन का ब्यौरा नीचे सारणी 10.1.1 में दिया गया है :

सारणी 10.1.1

पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम: विशेष केंद्रीय सहायता का आबंटन, वर्ष 1999-2000 व 2000-01 के लिए

(करोड़ रुपये)

एच ए डी पी के अंतर्गत, राज्यों में अभिहित पहाड़ी क्षेत्र	1999-2000	2000-01
असम	50.90	50.90
तमिलनाडु	22.01	22.01
उत्तर प्रदेश	240.86	240.86
पश्चिमी बंगाल	22.23	22.23
जोड़	336.00	336.00

10. वर्ष 2000-01 की वार्षिक योजना के दौरान, कार्यक्रम की उपादेयता का जायजा लेने और लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मूल्यांकन अध्ययन कराने का प्रस्ताव है।

10.2 पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम

11. पश्चिमी घाटों की पहाड़ी श्रृंखलाएं लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में, महाराष्ट्र के पश्चिमी समुद्र तट के बहुत कुछ समानांतर फैली हुई हैं और महाराष्ट्र के घुले जिले में ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होकर तमिलनाडु में भारत के धुर दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी में समाप्त होती हैं। इस प्रदेश का क्षेत्रफल 1.60 लाख वर्ग किलोमीटर और आबादी (1991 की जनगणना के अनुसार) 442 लाख है।

12. पश्चिमी घाट के क्षेत्र की मुख्य समस्याएं हैं : भूमि तथा वनस्पति पर बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव, अवांछनीय कृषि पद्धतियां, आदि। इन कारणों से इस क्षेत्र में पारिस्थितिक तथा पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। पहाड़ियों की कमजोर पारिस्थितिक प्रणाली अनेक कारणों से गंभीर दबाव में आ गई है, जैसे, नदी-घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत काफी बड़े इलाके का डूब जाना, खान खुदाई, वनों की एकदम सफाई, वाणिज्यिक पौधा-रोपण के लिए प्राकृतिक वनों की एकदम कटाई के कारण इन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचना, भूमि के कटाव के कारण जलाशयों में गाद इकट्ठी हो जाना, और उनकी जीवनावधि घट जाना तथा बाढ़ों तथा भूस्खलनों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, वनों में अनधिकृत प्रवेश और वन्य जीवन का चोरी-छिपे शिकार।

13. वर्ष 1974-75 में एक अलग पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू जी डी पी) देश के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम के एक घटक के रूप में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए पश्चिमी घाट क्षेत्र का सीमांकन वर्ष 1981 में एक-एक सदस्य समिति द्वारा किया गया जिसके अध्यक्ष डा. एम. एस. स्वामिनाथन थे, उस समय श्री स्वामिनाथन योजना आयोग में पहाड़ी, क्षेत्रों के प्रभारी सदस्य थे। डब्ल्यू जी डी पी में शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों के सीमांकन के लिए ऊंचाई (औसत समुद्र जल से 600 मीटर ऊपर) और तालुका (एक राज्य क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई) की निकटता की कसौटी अपनाई गई। यह कार्यक्रम 15 तालुकों में कार्यान्वित किया जा रहा है जो महाराष्ट्र (62 तालुके), कर्नाटक (40 तालुके), केरल (29 तालुके), तमिलनाडु (25 तालुके) और गोआ (3 तालुके) के पांच राज्यों में पश्चिमी घाट क्षेत्र में आते हैं।

14. छठी योजना के समय से, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच ए डी पी) के लिए आबंटनीय विशेष केंद्रीय सहायता (एस सी ए) डब्ल्यू जी डी पी और एच ए डी पी के बीच क्रमशः 13.39 प्रतिशत और 86.61 प्रतिशत के अनुपात में वितरित की जा रही थी। इस समय, यह 16 प्रतिशत और 84 प्रतिशत के अनुपात में बांटी जा रही है। राज्यों को आबंटित विशेष केंद्रीय सहायता 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में दी जाती है। डब्ल्यू जी डी पी को दी जाने वाली विशेष केंद्रीय सहायता के वित्त पोषण की पद्धति यह है कि पांच राज्यों में इसके आबंटन में 75 प्रतिशत भारांश क्षेत्रफल को और 25 प्रतिशत भारांश जनसंख्या को दिया जाता है; लेकिन गोआ की स्थिति अलग है जहां कुल एस सी ए के 5 प्रतिशत अंश का तदर्थ आधार पर आबंटन किया जाता है क्योंकि यदि गोआ के मामले में क्षेत्रफल और जनसंख्या के उपर्युक्त आधार को माना जाए तो उसे बहुत कम राशि मिलेगी।

कार्यक्रम की नीति और उद्देश्य

15. सातवीं योजना की अवधि में, पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों के विकास के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत अपनाए गए:

- जीवन पोषण प्रणाली के लिए आवश्यक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना।
- जैव विविधता का परिरक्षण करना।
- मानव गतिविधियों के कारण हुए पारिस्थितिक नुकसान को बहाल करना।
- लोगों में पारिस्थितिकीय अवनति के बारे में जागरूकता पैदा करना और उसके दूरगामी कुप्रभावों के विषय में शिक्षित करना और फिर पारिस्थितिक विकास की स्कीमों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

16. आठवीं योजना अवधि में और अब नौवीं योजना में भी डब्ल्यू जी डी पी के अंतर्गत सामान्य दृष्टिकोण यही रहा है कि पारिस्थितिक विकास और पारिस्थितिक बहाली की सर्वोपरि प्राथमिकताओं और लोगों की खाद्य, चारा, ईंधन तथा सुरक्षित पेय जल जैसी बुनियादी जरूरतों को दृष्टिगत रखने हुए पुख्ता वाटरशेड आधार पर इन क्षेत्रों का एकीकृत विकास किया जाए। डब्ल्यू जी डी पी में मार्गदर्शक सिद्धांत भी इस कार्यक्रम में लोगों को शामिल करने पर जोर देते हैं। इसके लिए श्रव्य-दृश्य साधनों, जन संपर्क कार्यक्रमों, मॉडल स्थलों की यात्राओं आदि के माध्यम से शिक्षा के विस्तार तथा प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। इन सब कार्यों के लिए ऐसे उच्च प्रशिक्षित और उत्साही निष्पादन कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जिनमें मिलकर काम करने की भावना भरी हो।

17. ऐसा निश्चय किया गया है कि पश्चिमी घाट क्षेत्र में विकास के लिए शनैः शनैः परियोजना आधार पर एकीकृत वाटरशेड पद्धति को अपनाया जाए। इस पद्धति में मैक्रो तथा माइक्रो वाटरशेडों की पहचान तथा सीमांकन, उनके संबंध में प्राथमिकता निर्धारण और आधार-रेखा सर्वेक्षण की परिकल्पना की गई है और यह भी तय किया गया है कि प्रत्येक मैक्रो/माइक्रो वाटरशेड के लिए एकीकृत विकास की एक योजना तैयार की जाए जिसमें सभी संगत कार्यक्रमलाप, जैसे भूमि संरक्षण, कृषि, बागवानी, वनरोपण, ईंधन तथा चारा विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन और रेशम कीट-पालन आदि शामिल हों।

18. चालू वित्तीय वर्ष में, यह निश्चय किया गया है कि डब्ल्यू जी डी पी के अंतर्गत आबंटित कुल राशि में से लगभग 40 प्रतिशत राशि उन कार्यक्रमों के लिए आबंटित की जाए जो एकीकृत वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित किए जाने हैं। राज्य सरकारों को यह निदेश दिया गया है कि वे तैयारी के लिए आवश्यक कार्य, जैसे मैक्रो वाटरशेडों की पहचान तथा प्राथमिकता निर्धारण, प्रविष्टि स्तर के निर्माण, प्रारंभिक ग्रामीण मूल्यांकन/ तीव्र ग्रामीण मूल्यांकन अभ्यास आदि के कार्य प्रारंभ करें।

19. यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकारों को, डब्ल्यू जी डी पी के अंतर्गत आबंटित विशेष केंद्रीय सहायता की अधिक से अधिक 15 प्रतिशत राशि, इस कार्यक्रम के अंतर्गत पहले निर्मित परिसंपत्तियों के रख-रखाव के उपयोग में लाने की अनुमति दे दी जाए।

वर्ष 2000-01 के दौरान कार्यकलाप/ कार्यक्रम

20. वर्ष 2000-01 के दौरान निम्नलिखित कार्य करने का प्रस्ताव है :

- पश्चिमी घाट क्षेत्र के विकास के लिए, राज्य सरकारों से परामर्श करके, एक व्यापक दीर्घकालिक योजना तैयार करना।
- पश्चिमी घाटों के विकास के लिए एक बहु-पक्षीय निधि-पोषित परियोजना चलाना।
- विभिन्न परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा, वाटरशेड विकास के अंतर्गत एक तुलनात्मक कार्य निष्पादन अध्ययन करवाना।
- सामुदायिक भागीदारी से, अनुसंधान संगठनों के माध्यम से, कुछ माडल एकीकृत वाटरशेड परियोजना के कार्यान्वयन द्वारा, क्षेत्रफल कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना और अनुसंधान संबंधी डाटा तैयार करना।
- पश्चिमी घाटों में उपलब्ध जैव-विविधता, पशु पक्षियों तथा पेड़-पौधों आदि के विषय में डाटा तथा सूचना इकट्ठी करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करना और इस क्षेत्र में शोधकर्ताओं का एक तंत्र तैयार करना।
- डब्ल्यू जी डी पी के अंतर्गत कुछ राज्यों में प्रारंभ की गई कतिपय स्कीमों की प्रभावोत्पादकता का इस दृष्टि से मूल्यांकन करना कि क्या उन स्कीमों को अन्य डब्ल्यू जी डी पी राज्यों में दोहराया जा सकता है।

21. नीचे सारणी 10.2.1 में, वर्ष 1998-99 के लिए अनुमोदित/ संशोधित परिव्यय और व्यय, वर्ष 1999-2000 के लिए अनुमोदित/ संशोधित परिव्यय और प्रत्याशित व्यय और 2000-01 के लिए अनुमोदित परिव्यय का ब्यौरा दिया गया है :

सारणी 10.2.1
पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम : आबंटन/ व्यय

(लाख रुपये)

राज्य का नाम	1998-99			1999-2000			2000-01
	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय
महाराष्ट्र	1911.00	1911.00	1880.82	2097.00	2097.00	2097.00	2097.00
कर्नाटक	1413.00	1448.00	1278.31	1551.00	1684.30	1684.30	1551.00
केरल	1191.00	1191.00	1174.74	1308.00	1351.50	1351.50	1308.00
तमिलनाडु	997.00	997.00	997.00	1094.00	1160.45	1160.45	1094.00
गोआ	295.00	295.00	292.37	320.00	330.00	330.00	320.00
सर्वेक्षण एवं अध्ययन/ प. घा. स्कीम	43.00	43.00	16.52	30.00	30.00	17.70	30.00
जोड़	5850.00	5885.00	5639.76	6400.00	6653.25	6640.95	6400.00

10.3 पूर्वोत्तर परिषद (एन ई सी)

22. पूर्वोत्तर परिषद (एन ई सी) की स्थापना क्षेत्र के राज्यों के संतुलित तथा समन्वित विकास को सुनिश्चित करने के लिए अगस्त, 1992 में संसद के एक अधिनियम (पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम) के अंतर्गत की गई थी। एन ई सी का सचिवालय शिलांग में स्थित है। परिषद एक सलाहकार निकाय है जिसका काम संघ और पूर्वोत्तर राज्यों के सामान्य हित के मामलों पर विचार करना, एक समेकित एवं समन्वित क्षेत्रीय योजना (राज्य योजना के अतिरिक्त) तैयार करना और क्षेत्रीय योजना में शामिल की गई परियोजनाओं और स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना है।

23. एन ई सी द्वारा संस्तुत तथा वित्तपोषित परियोजनाएं राज्य अधिकारियों द्वारा अथवा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों/ संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। एन ई सी योजना निधियों में केंद्रीय सहायता, जीवन बीमा निगम से उधार ली गई राशियां और एस एल आर के ऋण शामिल हैं। अपने प्रारंभ से लेकर, एन ई सी परिवहन और संचार क्षेत्रकों तथा विद्युत विकास जैसी आधारभूत ढांचे के विकास की परियोजनाओं को काफी महत्व देती रही है। एक साथ कई राज्यों में फैली हुई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। नौवीं योजना में, एन ई सी अपना ध्यान (1) उत्पादक ढांचे का विकास, (2) पहले से चल रही परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न करना; (3) तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थाओं को मजबूत बनाकर जनशक्ति का विकास, और (4) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित नए कदमों के अंतर्गत आनेवाली परियोजनाओं को समय पर सम्पन्न करना, जैसे कार्यों पर केंद्रित कर रही है।

24. परिषद को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, इसकी भूमिका को पुनः परिभाषित करने और उनका पुनर्गठन करने की आवश्यकता महसूस की गई है। एन ई सी के पुनर्गठन पर ध्यान दिया जा रहा है और पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम को संशोधित करने के लिए समुचित विधायी कार्रवाई चल रही है। पूर्वोत्तर परिषद के लिए नौवीं योजना का परिव्यय 2450 करोड़ रुपए है। वर्ष 1998-99 के दौरान, 471 करोड़ रुपये के परिव्यय के मुकाबले 368.55 करोड़ रुपये का वास्तविक व्यय हुआ था। वर्ष 1999-2000 का संशोधित बजट अनुमान 425 करोड़ रुपये था। वर्ष 2000-01 का बजट अनुमान 450 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

10.4 सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी)

25. यह कार्यक्रम पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों, यानी जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए वर्ष 1986-87 में प्रारंभ किया गया था। आठवीं योजना के दौरान, कार्यक्रम को पुनर्गठित किया गया और उसमें बंगला देश की सीमा से लगे पूर्वी राज्यों को भी शामिल कर लिया गया। नौवीं योजना की अवधि में राज्य सरकारों तथा गृह मंत्रालय की मांग पर सभी स्थलीय सीमावर्ती क्षेत्रों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार वर्ष 1997-98 में बी ए डी पी का विस्तार म्यानमार (बर्मा) की सीमा के साथ लगे राज्यों तक कर दिया गया। वर्ष 1998-99 में चीन से लगे राज्य भी इस कार्यक्रम में शामिल कर लिए गए और वर्ष 1999-2000 में तो इसे नेपाल और भूटान की सीमा से लगे राज्यों तक फैला दिया गया। बी ए डी पी का मुख्य उद्देश्य सीमा के पास स्थित दूरवर्ती तथा दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना है।

26. यह कार्यक्रम 100 प्रतिशत केंद्रीय रूप से निधि पोषित है और इसकी अनुमोदित स्कीमों के निष्पादन के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एस सी ए) दी जाती है। कार्यक्रम के लिए प्रखंड (ब्लॉक) बुनियादी इकाई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ली जाने वाली परियोजनाएं राज्य में संबंधित विभागों द्वारा तैयार की जाती हैं और राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा अनुमोदन के लिए नोडल विभाग को प्रस्तुत की जाती हैं। केंद्रीय स्तर पर शक्ति सम्पन्न समिति, कार्यक्रम के व्यापक-क्षेत्र से संबंधित मामलों, राज्यों, क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाएं विदित करने और राज्यों को निधियों का आबंटन करने के विषय में विचार करती है।

27. कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्य सरकारों द्वारा चुनी जा रही स्कीमों में आमतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य सड़क और पुल, जल आपूर्ति आदि क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। सामाजिक तथा भौतिक आधारभूत ढांचे को सुधारने और मजबूत करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके लिए, लोगों द्वारा महसूस की गई जरूरतें ही प्रमुख कसौटियां हैं। कुछ राज्य सरकारें खेल के मैदानों, सामुदायिक भवनों आदि के निर्माण की परियोजनाएं हाथ में ले रही हैं जिससे कि लोग, विशेषतः बेरोजगार युवा अपना खाली समय निर्माणात्मक तथा रचनात्मक कार्यों में लगा सकें।

28. भौतिक तथा वित्तीय दृष्टि से बी ए डी पी के अंतर्गत स्कीमों की मानीटरिंग की प्रणाली वर्ष 1994-95 से चली आ रही है और संबंधित राज्य सरकारें योजना आयोग के पास अपनी रिपोर्ट भेजती हैं जिनमें वे स्कीम-वार उपलब्धियों को वित्तीय तथा भौतिक रूप में प्रस्तुत करती है।

वर्ष 1998-99 और 1999-2000 की वार्षिक योजना की समीक्षा

29. वर्ष 1998-99 के दौरान, 195 करोड़-रुपये के कुल आबंटन के मुकाबले केवल 191.52 करोड़ रुपये ही रिलीज किए जा सके क्योंकि दो राज्यों, अर्थात् पश्चिम बंगाल और पंजाब ने उन्हें उस वर्ष आबंटित कुल राशि के लायक अनुमोदित स्कीमों पेश नहीं कीं। 1999-2000 में, इस कार्यक्रम के लिए 210 करोड़ रुपये आबंटित किए गए और राज्य सरकारों को दिए गए।

वार्षिक योजना 2000-01

30. वर्ष 2000-01 में इस कार्यक्रम के लिए 210 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। बी ए डी पी के अंतर्गत एस सी ए लाभानुभोगी राज्यों को इन तीन प्राचलों के आधार पर आबंटित की जाती हैं: सीमावर्ती ब्लॉकों की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। किंतु म्यानमार, चीन, भूटान और नेपाल की सीमा से लगे राज्यों को अनन्तित रूप से ही धनराशि आबंटित की गई है क्योंकि वर्ष 1999-2000 में इनमें से कुछ राज्यों से प्राचलों संबंधी सूचना पूरी तरह प्राप्त नहीं हुई थी। वर्ष 2000-01 के लिए राज्यवार आबंटन गत वर्ष के स्तर पर ही रखना पड़ा क्योंकि संपूर्ण आबंटन 210 करोड़ रुपये के स्तर पर अपरिवर्तित रहा है।

31. वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-01 में लाभानुभोगी राज्यों को आबंटित/ दी गई राशियों का ब्यौरा नीचे सारणी 10.4.1 में दिया गया है :

सारणी 10.4.1
सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम : आबंटन और वितरण

(करोड़ रुपये)

राज्य का नाम	1998-99		1999-2000		आबंटन 2000-01
	आबंटन	वितरण	आबंटन	वितरण	
असम	4.27	4.27	7.20	7.20	7.20
गुजरात	8.88	8.88	9.87	9.87	9.87
जम्मू कश्मीर	31.38	31.38	33.52	33.52	33.52
मेघालय	4.11	4.11	4.52	4.52	4.52
मिजोरम	6.82	6.82	8.00	8.00	8.00
पंजाब	8.82	7.72	9.70	9.70	9.70
राजस्थान	26.52	26.52	29.17	29.17	29.17
इ. गां. न. प.	30.00	30.00	8.00	8.00	---
त्रिपुरा	11.34	11.34	12.47	12.47	12.47
पश्चिम बंगाल	31.86	29.38	38.05	38.05	38.05
अरुणाचल प्रदेश	11.00	11.00	13.00	13.00	13.00
नागालैंड	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
मणिपुर	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
हिमाचल प्रदेश	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
सिक्किम	4.00	4.00	5.50	5.50	5.50
उत्तर प्रदेश	4.00	4.00	12.00	12.00	12.00
बिहार			7.00	7.00	7.00
जोड़	195.00	191.52	210.00	210.00	202.00

टिप्पणी : इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निधिपोषण को क्रमिक रूप से वार्षिक योजना 2000-01 से समाप्त कर दिया गया है।

अध्याय 11

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

विज्ञान और प्रौद्योगिकी देश के अर्थिक तथा सामाजिक विकास में बराबर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, जैव-प्रौद्योगिकी, समुद्र विज्ञान, औद्योगिक अनुसंधान आदि के क्षेत्रों में सुपरिभाषित, समयबद्ध कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने और विकास की प्रक्रिया में उनका महत्वपूर्ण निविष्टियों के रूप में उपयोग करने के लिए लगातार प्रयत्न किए जाते रहे हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए और जनसाधारण की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए प्रौद्योगिकी के विकास तथा उपयोग के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से, बुनियादी तथा प्रायोगिक दोनों क्षेत्रों में मौजूदा संसाधनों तथा आधारभूत ढांचे का इष्टतम उपयोग करके अनुसंधान तथा विकास के कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (एस. एंड टी) विभाग/अभिकरणों को हुई प्रमुख उपलब्धियों और वर्ष 2000-01 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा संक्षेप में नीचे दी गई है:

अन्तरिक्ष विभाग

वर्ष 1999-2000 में हुई प्रमुख उपलब्धियां

2. इन्सैट-3 बी, जिस पर 12 विस्तारित सी-बैंड ट्रान्सपोंडर, 3 के यू-बैंड ट्रान्सपोंडर और एस-बैंड चल उपग्रह सेवा पे लोड मौजूद है और जो तीसरी पीढी के इन्सैट उपग्रहों (इन्सैट-3 श्रृंखला) में पहला उपग्रह है, व्यापारिक/व्यावसायिक संसूचना और विकासात्मक तथा चल संसूचना देने के लिए मार्च 2000 में सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। पी एस एल वी-सी 2 को श्रीहरिकोटा से मई 1999 में सफलतापूर्वक छोड़ा गया जो आई आर एस पी 4 (ओशन सैट) को कक्षा में ले गया। इसके अलावा दो सहायक विदेशी उपग्रह '2ब सैट' (जर्मनी का) और 'कित सैट' (कोरिया गणराज्य का) भी छोड़े गए और इस प्रकार, पी एस एल वी की बहु-उपग्रह छोड़ने की क्षमता प्रदर्शित की गई। आई आर एस-पी-4 (ओशन सैट) के सफलतापूर्वक छोड़े जाने से समुद्र-वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए आई आर एस उपग्रहों के अनुप्रयोगों में वृद्धि हुई है। ओशन सैट अपने साथ एक ओशन कलर मानीटर और एक मल्टीफ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव रेडियो मीटर ले गया था जिनका कार्य समुद्रीय जीववैज्ञानिक प्राचल (पैरामीटर) उत्पन्न करना और अनेक भू-भौतिक प्राचलों, जैसे वायुमंडलीय जलवाष्प, बादलों के तरल पानी, समुद्रतलीय हवाओं और समुद्रतलीय तापक्रमों का अनुमान लगाना था।

3. इन्सैट-2 ई अप्रैल 1999 में सफलतापूर्वक छोड़ा गया जो संचार और वी एच आर आर पेलोड के अलावा, अपने साथ मौसम वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए एक चार्ज कपल्ड डिवाइस- (सी सी डी) आधारित कैमरा ले गया। इन्सैट-2 ई पर लगे ग्यारह ट्रान्सपोंडरों को अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन (इंटेल्सैट) को भाड़े पर दे दिया गया।

4. जी एस एल वी परियोजना ने अपने सभी विकासात्मक दौर सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं और अब वह उड़ान हार्डवेयर के कार्यान्वयन के दौर में पहुंच गई है। स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज परियोजना (सी यू एस पी) ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर ली है क्योंकि क्रान्तिक परीक्षण सुविधाओं को कार्यान्वित कर लिया गया है और एंजिन तप्त परीक्षण प्रारंभ किए जा चुके हैं।

वर्ष 2000-01 के लिए प्रमुख कार्यक्रम

5. कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये हैं: जी एस एल वी (जी एस एल वी-डी 1) की पहली विकासात्मक उड़ान लांच करना; जी एस ए टी-1 उपग्रह के सज्जीकरण, एकीकरण, परीक्षण और उसे जी एस एल वी-डी 1 द्वारा श्रीहरिकोटा से लांच करना, जिसमें डिजिटल ऑडियो और डाटा प्रसारण सेवाओं के लिए प्रयोगात्मक पेलोड होंगे; अन्तरिक्षयान के निर्माण, सज्जीकरण तथा प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह यानी टेक्नोलाजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट (टी ई एस) के परीक्षण का कार्य पूरा करना-टी ई एस एक प्रयोगात्मक उपग्रह है जो भारत के लांच वेहिकल पी एस एल वी-सी 3 पर लगी आई आर एस प्रणाली के लिए आवश्यक अनेक अभिनव प्रौद्योगिकियों के विकास और परीक्षण के लिए तैयार किया गया है; इन्सैट 3सी के लांच के लिए अंतरिक्ष यान के निर्माण, सज्जीकरण, परीक्षण तथा अन्य तैयारियां करना।

6. पहले प्रारंभ की गई अन्य परियोजनाओं, जैसे आई आर एस-पी 5, आई आर एस-पी 6, द्वितीय लांचपैड, सीयूएसपी, इन्सैट-3 और अनुप्रयोग परियोजना का काम आगे चालू रखा जाएगा। इन्सैट-3 कार्यक्रम के अन्तर्गत, इन्सैट-3 सी से संबंधित पेलोड और उपग्रह निर्माण तथा परीक्षण का काम पूरा करने पर जोर दिया जाएगा और इन्सैट-3 ए के लिए उन्नत मौसम वैज्ञानिक पेलोड के विकास और उड़ान संबंधी हार्डवेयर को क्रियान्वित करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति के लिए प्रयास किया जाएगा। आई आर एस-पी 5 (कार्टे सैट) और आई आर एस-पी 6 (रिसोर्स सैट) के संबंध में उपप्रणाली के निर्माण का अधिकांश कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सी यू एस पी परियोजना के अंतर्गत, अतिरिक्त एंजिन क्रियान्वित करने, उष्ण परीक्षण जारी रखने और प्रोटो-स्टेज को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किए जाते रहेंगे। द्वितीय लांच पैड के लिए नाभि-टावर, लांच पेडेस्टल टावर आदि जैसी उप-प्रणालियों के निर्माण और स्थापना संबंधी कार्यकलाप चालू रहेंगे।

7. अन्तरिक्ष अनुप्रयोग के क्षेत्र में, झाबुआ विकास संचार परियोजना (आई डी सी पी) को धार तथा बरवानी के पड़ोसी जिलों तक फैलाया जाएगा। अन्य जिलों/राज्यों में भी, चरणबद्ध तरीके से, ऐसा ही कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए एक उपयुक्त संस्थागत ढांचा तैयार करने के प्रयत्न किए जाएंगे। दूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने के लिए अधिक अपलिंकों और नई प्रौद्योगिकियों के साथ प्रशिक्षण तथा विकास संचार सारणी (टी डी सी सी) नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा अनेक अनुप्रयोग मिशनों, जैसे राष्ट्रीय पेयजल मिशन, राष्ट्रीय संसाधन सूचना प्रणाली (चरण 2), भूस्खल जोनेशन अध्ययन, जैव-विविधता संबंधी चरित्र चित्रण, फसल उत्पादन और क्षेत्रफल अनुमान, बंजर भूमि का मानचित्रण और सूखा/बाढ़ मानीटरिंग की परियोजनाओं के अंतर्गत चल रहे कार्यकलापों को आगे भी चालू रखा जाएगा।

परमाणु ऊर्जा विभाग : अनुसंधान और विकास

वर्ष 1999-2000 में प्राप्त प्रमुख उपलब्धियां

8. रिएक्टर विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की गई। हाथ में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप हैं: उन्नत भारी पानी रिएक्टर (ए एच डब्लू आर) का डिजाइन और विकास; 'अप्सरा' रिएक्टर की विभिन्न प्रणालियों का परिसंस्करण और अभियंत्रण; 'साइरस' रिएक्टर के परिसंस्करण, डीजी सेट की सेवाई, ताप विनिमय यंत्र की बदली, विकिरण बचाव खिड़कियां, वातायन प्रणाली का कार्य; उन्नत रिएक्टर की प्रायोगिक सुविधा का डिजाइन और अभियंत्रण। सभी तीनों त्वरक (एक्सेलरेटर), अर्थात् 20 एमईवी माइक्रोट्रॉन, 450 एमईवी बूस्टर सिन्क्रोट्रॉन और 450 एमईवी स्टोरेजरिंग स्वदेशी तौर पर डिजाइन और विकसित किए गए। इंडस-1 का उपयोग करने के लिए बीम लाइनें बिछाने का काम समाप्त हो गया। फोल्डेड टैण्डम आयन

एक्सेलरेटर चालू कर दिया गया। सुपर कंडक्टिंग साइक्लोट्रॉन के निर्माण का काम उन्नत अवस्था में है।

9. प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पी एफ बी आर) को सहारा देने के लिए इंजीनियरी विकास के कार्य चलते रहे और उनमें से कुछ प्रमुख कार्यकलाप हैं: लार्ज कंपोनेंट टेस्ट रिंग (एल सी टी आर) विषयक अध्ययन, काम्पोनेंट हाइड्रोलिक्स, सोडियम पम्प और रिएक्टर इन्स्ट्रुमेंटेशन। एल सी टी आर पर हेडअन्तरण प्रयोगों का प्रथम चरण, अर्थात् फी एफ बी आर रूफ लैब से संबंधित ऊष्मा अन्तरण अध्ययन के लिए एक विशाल रेडियम फैंसिलिटी स्थापित करने का काम पूरा हो चुका था। बोरोन एनरिचमेंट फैंसिलिटी और स्टीमजेनरेटर टेस्ट फैंसिलिटी के निर्माण का काम हाथ में लिया गया था। एनरिचड बोरोन-10 के उत्पादन के लिए आइसोटोप पृथक्करण संयंत्र के निर्माण का कार्य काफी आगे बढ़ चुका था। फास्ट रिएक्टर फ्यूअल रीप्रोसेसिंग प्लांट (एफ आर एफ आर पी) के लिए चिलर, कंडेंसर आदि विभिन्न प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए।

10. आइसोटोप हाइड्रोलोजी को उन्नत बनाने की परियोजना, के अंतर्गत, तरल सिंटिलेशन काउंटर की प्राप्ति, मास स्पेक्टोमीटर, मास स्पेक्टोमेट्री के लिए तैयारी प्रणाली और मौजूदा मास स्पेक्टोमीटर को उन्नत बनाने से संबंधित कार्यकलाप प्रगति पर थे। रेडियोट्रेसर के लिए सर्वनियंत्रित यांत्रिक प्रणालियां और न्यूक्लियोनिक गेज और सीलबंद स्रोत विकास वेयर प्राप्त किए गए। एरियल गामा मानीटरिंग के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का विकास समाप्ति की अवस्था में पहुंच चुका है। डायनैमिक ऑटोक्लेव के डिजाइन और पी एच डब्लू आर के लिए कार्यकलाप परिवहन के कोड से संबंधित विकास कार्य हाथ में लिया गया। जैव-शील्ड के डिजाइन, रेडिएशन सौर्स, सौर्स रैक, सौर्स लोडिंग एवं अनलोडिंग सिस्टम, पोटोन के लिए जल के नीचे प्रकाश करना और सौर्स ज्यामिती और मुख्य संयंत्र भवन के लिए ऊपरी संरचना का कार्य सम्पन्न कर दिया गया और जैव-शील्ड का काम पूरा होने वाला है। कैविटियों के निर्माण और शीत माडलिंग में, वेवगाइड और पावर फीड के कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति की गई।

वर्ष 2000-01 के लिए बड़े कार्यक्रम

11. चालू वर्ष में पूरे किए जाने वाले प्रमुख कार्यकलाप इनसे संबंधित हैं: ए एच डब्ल्यू आर का थर्मल हाइड्रॉलिक्स डिजाइन और भौतिकी; फ्लो शीट तैयार करना, बड़े उपस्करों की विशिष्टियां, इण्टीग्रल टेस्ट फैंसिलिटी का पाइपिंग ले-आउट; ईंधन जुड़नार विकास के लिए स्पेसर डिजाइन को इष्टतम बनाना; उन्नत रिएक्टर प्रयोगात्मक सुविधा (फैंसिलिटी) का अभिकल्पन और अभियंत्रण; ऐसी विभिन्न प्रणालियों का डिजाइन व नक्शा बनाना, जैसे ई. बी. वेल्डर, ईवी इवेपोरेटर, प्लाज्मा मेल्टर, प्लाज्मा आर. एफ. रिएक्टर, प्लाज्मा माइक्रोवेव प्रणाली, लेजर आर एफ सी ओ 2, कार्बन की लेजर फोटो केमिस्ट्री, लेजर स्कैन प्रोब, ट्यूनेबल फेमटो सेकंड डाइलेजर, अल्ट्राशॉर्ट पल्स सोलिड स्टेट लेजर; ऑन-एक्सिस और ऑफ-एक्सिस लाइनैक का मैकनिकल डिजाइन और नक्शे, लाइनैक की प्रशीतक सारणी।

12. इंडस-1 साइक्लोट्रॉन के उपयोग के लिए बीमलाइनों की स्थापना का कार्य आगे भी जारी रहेगा और कुछ बीमलाइनें चालू कर दी जाएंगी। इंडस-2 साइक्लोट्रॉन को चालू करने के प्रयत्न किए जाएंगे। एरियल गामा मानीटरिंग के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का विकास जारी रखा जाएगा। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टरों (पी एच डब्ल्यू आर) के लिए कार्यकलाप परिवहन के कोड से संबंधित डायनैमिक ऑटोक्लेव के डिजाइन और विकास का कार्य हाथ में लिया जाएगा। 'मेस', 'बेस्ट' और 'मिस्टक' टेलिस्कोप सुविधाओं के विकास तथा संस्थापन की परियोजना जारी रहेगी। पुणे के पास नारायणगांव में स्थापित विशाल मीटर वेव रेडियो टेलिस्कोप शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

वर्ष 1999-2000 में हुई मुख्य-मुख्य उपलब्धियाँ

13. विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान परिषद (एस ई आर सी) ने चुनौती भरे क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास (आर एंड डी) के कार्यक्रमों को समर्थन देना जारी रखा। अनुसंधान कार्य करने की उत्कृष्ट एवं प्रमाणित क्षमता वाले छह युवा वैज्ञानिकों को उनके विशेष अध्ययन के क्षेत्रों में नई-नई खोजें करने के लिए स्वर्णजयन्ती फैलोशिप (अध्येतावृत्ति) स्कीम के अंतर्गत सहायता दी गई। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के चुने हुए क्षेत्रों में युवा वैज्ञानिकों के लिए बेहतर अवसर (बी ओ वाइ एस सी ए एस टी) संबंधी अध्येतावृत्तियों (फैलोशिप) के लिए 41 युवा वैज्ञानिक चुने गए। आई आर पी एच ए कार्यक्रम देश में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के चुने हुए क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और शोध-क्षमताएं विकसित करने में सफल रहा है; और इसके अंतर्गत सहायता प्राप्त मुख्य कार्यक्रम ये हैं: आई. आई. एस. सी. बंगलौर में एन एम आर फैसिलिटियां; आई आई टी, मुंबई में राष्ट्रीय एक्सरे डिफ्रैक्टोमर फैसिलिटी, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कंप्यूटेशनल फैसिलिटियों का एकीकरण (आइ सी ओ एस ई आर); आई आई टी कानपुर और आई आई एस सी बंगलौर में 3000 एम एच जेड की एन एम आर फैसिलिटियां; सी सी एम बी, हैदराबाद में लेजर स्कैनिंग कौनफोकल माइक्रोस्कोप के लिए फैसिलिटी; आई आई एस सी, बंगलौर में टेक्निकल एकोस्टिक्स (ध्वानिकी) के लिए फैसिलिटी; इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय प्रयोगात्मक खनिज विज्ञान और शैल विज्ञान के केंद्र में मौजूदा सुविधाओं में वृद्धि; अंतरिक्ष विभाग साथ भारतीय सौर पार्थिव ऊर्जा कार्यक्रम का समारंभ; आदि।

14. नए प्रारंभ किए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम इनसे संबंधित थे: किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना और विश्वविद्यालयों तथा तत्संबंधी संस्थाओं में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए कोष (एफ आइ एस टी) विषयक कार्यक्रम। क्षेत्रीय सोफिस्टिकेटेड इन्सट्रुमेंटेशन केन्द्र (आर एस आई सी) और सोफिस्टिकेटेड इन्सट्रुमेंटेशन फैसिलिटीज (एस आई एफ) ने अनुसंधान के लिए नमूनों के विश्लेषण, गुणवत्ता नियंत्रण आदि के कार्यों के लिए वैज्ञानिकों को उन्नत एवं अधुनातन उपकरणों की सेवाएं प्रदान कीं। डी एस टी द्वारा समर्थित तेरह स्वायत्त अनुसंधान संस्थाएं अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करती रहीं। प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और निर्धारण परिषद (टी आई एफ ए सी) ने टेक्नोलॉजी विजन-2020 कार्यक्रम पर अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी है और देश में विकसित प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में अनेक परियोजनाओं को सहायता दी है जिससे स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का विकास होने की पूरी संभावना है। परीक्षण तथा अंशांकन प्रयोगशालाओं के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन ए बी एल) ने देश में स्थित परीक्षण तथा अंशांकन प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन किया। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रबंध सूचना प्रणाली (एन एस टी एम आइ एस) ने देश में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के कार्यक्रमों में संलग्न जनशक्ति तथा वित्तीय संसाधनों, दोनों के विषय में सूचना एकत्रित की और उपलब्ध कराई।

15. संबद्ध सेक्टरों/ क्षेत्रों को वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय निविष्टियां प्रदान करने के लिए 24 सामाजिक आर्थिक मंत्रालयों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सलाहकार समितियां (एस टी ए सी) स्थापित की गईं। मौसम-विज्ञान, सर्वेक्षण और मानचित्रण के क्षेत्रों में वैज्ञानिक सेवाएं, भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग, भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई), राष्ट्रीय एटलस और थीमैटिक मानचित्रण संगठन (एन ए टी एम ओ) और राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (एन सी एम आर डब्लू एफ) के माध्यम से प्रयोक्ता अभिकरणों को दी गईं। एग्रोमेट (कृषि-मौसम विषयक) सलाह सेवाएं नियमित रूप से जारी की जाती रहीं और यूनिटों की संख्या 26 से बढ़ाकर 48 कर दी गई और इस प्रकार नेटवर्क को मजबूत बनाया गया। 125 जिलों के जिला योजना मान-चित्र तैयार किए गए।

वर्ष 2000-01 के लिए प्रमुख कार्यक्रम

16. एस ई आर सी कार्यक्रम से, विश्वविद्यालयों में उपलब्ध विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए विश्वविद्यालय क्षेत्रक में आधार भूत ढांचे को अधिक समर्थन मिलगा। युवा वैज्ञानिकों के लिए अवसरों की स्कीम के अंतर्गत अनेक परियोजनाओं/ कार्यक्रमों को सहायता मिलती रहेगी; जैसे, अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं, 'बॉयजकास्ट' फैलोशिप, संपर्क कार्यक्रम, युवा वैज्ञानिकों को राज्यों की अनुसंधान तथा विकास परिषदों/ विभागों के माध्यम से फैलोशिप देने की परियोजना/ उच्च प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में गहन अनुसंधान की स्कीम (आई आर पी एच ए) के अंतर्गत नई सुविधाएं और समूह/ केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के माध्यम से हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के क्षेत्र में प्राकृतिक विपदा निवारण के लिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए क्षेत्र विकास मिशन के लिए और टेलीमेडिसिन के माध्यम से ग्रामीण जनता को दूरवर्ती डाक्टरी निदान की सुविधा प्रदान करने के लिए जय विज्ञान परियोजनाएं प्रारंभ की जाएंगी।

17. किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना (केवीपीवाई) कार्यक्रम के अंतर्गत, सहायता देने के लिए, 190 नए छात्र चुने जाएंगे और 1999-2000 में चुने गए 100 छात्रों को भी सहायता दी जाती रहेगी। रोगों के क्षेत्र में औषधि विकास के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता दी जाएगी। 'फिस्ट' (एफ आई एस टी) के अंतर्गत, प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण और पुस्तकालय सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से अध्यापन तथा अनुसंधान के स्तर को सुधारने के लिए सहायता देने के उद्देश्य से 15 निर्धारित विभागों को चुना जाएगा/ टी. आई. एफ. ए. सी (टाइफैक) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी दृष्टि (एस एण्ड टी, विजन) 2020 दस्तावेज पर आधारित नई मिशन विधि परियोजनाओं को तैयार और कार्यान्वित करेगा। विज्ञान और समाज स्कीम के अंतर्गत, फार्म तथा फार्म-इतर क्षेत्रकों के कमजोर वर्गों के लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए विशिष्ट कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे जिनमें स्थानीय संसाधनों एवं कला-कौशल के इष्टतम उपयोग पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

जैव-प्रौद्योगिकी विभाग

वर्ष 1999-2000 की प्रमुख उपलब्धियां

18. मानव संसाधन विकास कार्यक्रम का विस्तार किया गया और इस हेतु इसमें जैव प्रौद्योगिकी संबंधी पांच स्नातकोत्तर कार्यक्रम, 31 डाक्टरोत्तर/ स्नातकोत्तर और एम डी/ एम. एस. उत्तर पाठ्यक्रम, 26 समुद्रपारीय एसोशिएटशिप और 14 राष्ट्रीय एसोशिएटशिप जोड़े गए। जैव-विज्ञानिक कैरियर विकास पुरस्कार और महिलाओं के लिए विशेष पुरस्कार घोषित किए गए। पौधों की पीडकों तथा रोगों का मुकाबला करने वाली तथा ट्रांसजेनिक नस्लों का पता लगाया गया है। पोषकतत्व प्रबंध, जैवसम्पदा के लिए पूर्वक्षण, पौधा स्रोतों से कैंसर-विरोधी यौगिक, पौधों में अजीवी तनाव, आणविक वर्गीकी; खाद्य जैव-प्रौद्योगिकी, टीका और निदान विज्ञान, क्रियात्मक जीनोमिक्स, तंत्रिका विज्ञान पर बहु-संस्थागत और बहु-विषयक अनुसंधान कार्यक्रमों और पौधा जीनोम अनुसंधान के फलस्वरूप अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में अनेक सफलताएं प्राप्त हुई हैं, प्रौद्योगिकियों का पता चला है, पेटेंट कराए गए हैं और प्रकाशन निकाले गए हैं।

19. नई पीढी के वैक्सीनों/ टीकों के विकास, जड़ी-बूटियों के (हर्बल) उत्पादों के विकास के लिए जैव-प्रौद्योगिकी, जीनोम अनुसंधान के लिए दर्पण स्थलों (मिरर साइट) की स्थापना और काफी के सुधार के लिए जैव-प्रौद्योगिकी विषयक चार जय विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ किए गए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत स्विटजरलैंड, 'एशियान', फ्रांस, टयूनीसिया, पोलैंड, श्रीलंका, म्यानमार के साथ द्विपक्षीय परियोजनाएं प्रारंभ की गईं। पर्यावरण

संबंधी जैव-प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भारी धातु अपाकरण, कागज और लुगदी मिलों, रंग रंगाई उद्योग, औटोमोबाइल उद्योग आदि से बहे गंदे पानी के उपचार आदि के लिए अनेक परियोजनाओं को सहायता दी गई। दोनों रोटावाइरल स्ट्रेनों के प्रथम चरण के क्लिनिकल परीक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरे किए गए। टमाटर और तम्बाकू में हैजे के खाद्य टीको के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की गई। जवाहरलाल विश्वविद्यालय के केन्द्र में विकसित जीन अनुक्रम अनुसंधान जीनोमिक्स में प्रयोग के लिए एक जैव-सूचना देने वाला सोफ्टवेयर "जीन स्कैन" विमोचित किया गया। महिलाओं के लिए जैव-प्रौद्योगिकी पर आधारित कार्यक्रमों के अंतर्गत, मछली पालन, खाद्य प्रौद्योगिकी और फूलों की खेती तथा कोशकीट-पालन विषयक अनेक परियोजनाओं ने लगभग 300 महिलाओं को लाभान्वित किया।

20. देश के बहुमूल्य जैव-वैज्ञानिक संसाधनों में जैव प्रौद्योगिकी के साधनों तथा तकनीकों का प्रयोग करते हुए उनके उपयोग तथा सतत विकास के लिए राष्ट्रीय जैव-संसाधन विकास बोर्ड की स्थापना की गई। माइकोरिहिजा और रिजोबियम जैव उर्वरकों की दो प्रौद्योगिकियों को वाणिज्यिक उत्पादन के लिए तीन उद्यमियों को सौंपा गया। 'बिबकौल' ने राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वितरण के लिए 'ओ पी वी' की 12.5 करोड़ खुराकें तैयार कीं।

वर्ष 2000-01 के लिए प्रमुख कार्यक्रम

21. पहले से चले कार्यकलापों को चालू रखा जाएगा और नए कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे जिनमें कुछ प्रमुख हैं: अंतर्राष्ट्रीय आगार (डिपोजिटरी) प्राधिकरण की स्थापना; वाइरल रोगग्रस्त फूल-पौधों की उतक संवर्धन विधि से जांच के लिए राष्ट्रीय सुविधा; विषवैज्ञानिक परीक्षण सुविधाओं का तंत्र; ग्रामीण पहाड़ी, रेगिस्तानी क्षेत्रों तथा समुद्रतटीय प्रदेशों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जैव-ग्राम। स्वित्जरलैंड, आस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, म्यानमार, जापान, रूस और सार्क तथा 'एशियान' देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहायोग के अंतर्गत नई द्विपक्षीय परियोजनाएं हाथ में ली जाएंगी। पांच और उप-जैव-सूचना केन्द्र खोले जाएंगे और आणविक ग्राफिक सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी।

22. पहले से चालू क्रियाकलाप जारी रखे जाएंगे और अन्य महत्वपूर्ण नए कार्यक्रमों में शामिल होंगे: महिलाओं को प्रौद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से शक्तिसम्पन्न बनाने की परियोजनाएं; भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में जीनोम विविधता विषयक कार्यक्रम और मानव आनुवंशिकी संबंधी नई परियोजनाओं को सहायता देना, मछली पालन में आणविक जीव विज्ञान अनुसंधान को मजबूत करना और खाद्य पदार्थों तथा टीकों के अनुसंधान तथा विकास में हई प्रगति को आगे बढ़ाना; प्राकृतिक-भौतिक मानचित्रण और कार्यात्मक जीनामिकी के उद्देश्य से एक एकीकृत जीनोमिक कार्यक्रम चलाना; अन्तर्राष्ट्रीय चावल जीनोम अनुक्रमण कार्यक्रम में आई सी ए आर के सहयोग से भाग लेना, साथ ही चावल में अजीवी प्रतिबल, जीनोम मानचित्रण और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का विश्लेषण; मुख के कैंसर के भिन्न-भिन्न पक्षों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, वाइरल रोगों के लिए नए वैक्सीन तैयार करना (हिपैटाइटिस 'ई' और सुरक्षित रक्त आपूर्ति के लिए निदान वैज्ञानिक अनुसंधान)।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद सहित)

वर्ष 1999-2000 में हुई प्रमुख उपलब्धियां

23. वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर) ने हलके परिवहन विमान (एल टी ए) के डिजाइन और विकास से संबंधित परियोजना में, और हलके लडाकू विमान (एल. सी. ए) के विकास की परियोजना में काफी अधिक प्रगति की। दो सीट वाले प्रशिक्षक विमान 'हंसा-3' के लिए प्रमाणीकरण प्राप्त कर लिया गया और एक गैर सरकारी कंपनी द्वारा इस विमान का

वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया गया है। कृषि-जैव-प्रौद्योगिकी, औद्योगिक जैव-प्रौद्योगिकी, आणविक आनुवंशिकी, जीन अभिव्यक्ति नियंत्रण, सूक्ष्म जीवों का जीनी उपचार, पुनर्विन्यस्त डी एन ए उत्पाद आदि के क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के कार्यक्रम चलते रहें। जैव-सक्रिय अणुओं के विकास और वाणिज्यीकरण के विषय में एक बड़ा समन्वित कार्यक्रम, नए ड्रग डिजाइन, आणविक मॉडल तैयार करने, कंप्यूटर ग्राफिक, विश्लेषणात्मक रासायनिकी और संयोजी-रासायनिकी के लिए प्रारंभ किया गया और एंटीसेन्स, न्यूक्लियोटाइड, पेपटाइड और छोटे पेप्टिडोमिमेटिक अणु के संश्लेषण के लिए सुविधाएं स्थापित करने का काम प्रारंभ किया गया।

24. अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ दो शीघ्रोपचारी निर्विष, जीवाणु-स्थिर और गैर-ऐलर्जनिक जैव-आसंजकों के विकास से संबंधित थी जो भीतरी (एंडोस्कोपिक) शल्य क्रिया के दौरान फटी हुई शिराओं से रक्त के तेज बहाव को नियंत्रित करने और रोकने के लिए बनाए गए हैं। इसी प्रकार एक युक्ति इंटरों के भट्टों में प्रदूषण को रोकने के लिए विकसित की गई है - हरियाणा के विभिन्न भागों में और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में लगभग 220 भट्टों में यह युक्ति अपनाई गई है। दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाली संश्लिष्ट प्रणाली विकसित की गई है जो 'रीडिंग' मशीन की तरह काम आ सकती है। एक युक्ति टेलीफोन नेटवर्क में एक मास्टरी स्लेव आकृति में, मानक समय प्राप्त करने और भेजने के लिए है। अन्य उपलब्धियाँ हैं: ऊर्जा-बहुल और पर्यावरण-अनुकूल साफ्ट कोक बनाने के लिए वाणिज्यिक दृष्टि से सक्षम प्रौद्योगिकी; मूल्य-यशोजित उत्पादों के लिए ताजा आरक प्रसंस्करण की उन्नत प्रौद्योगिकी; मॉडीफाइड ऐटमॉस्फेरिक पैकेजिंग (एम ए पी), जिसमें वस्तु के चारों ओर के वातावरण को, वांछित पारगम्यता वाले उपयुक्त पोलिमेरिक फिल्म के पैकेजों में, सामान्य से भिन्न बना दिया जाता है; पानी की लाइन पर लगी सस्ती जल विशुद्धीकरण प्रणाली; जो पानी को तत्काल जीवाणु रहित बना देती है और विषैले धातु जैसे लोहा, क्रोमियम, सीसा, जस्ता और निकल की मात्रा को हटाकर सुरक्षित स्तर तक ले आती है; कैंडलहीन मिट्टी, का बना जल फिल्टर (टेराफिल) जो कुम्हार की लाल चिकनी मिट्टी, बालू और लकड़ी के बुरादे से बनता है और पानी के गंदलेपन को 100 निफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट्स (एन टी यू) से 0.5 से 2.0 एन टी यू तक नीचे ले आता है। सूचना उत्पादों पर अनुसंधान तथा विकास के लिए एक केन्द्रीकृत एकक पुणे में स्थापित किया गया, जो सी. एस. आई. आर के विसर्जित और गैर-डिजिटल डाटाबेसों, विशेषतः परम्परागत ज्ञान संबंधी डाटाबेसों को पण्य सूचना उत्पादों में बदल देता है।

25. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी एस आई आर) के अंतर्गत, प्रमुख उपलब्धियों में से कुछ ये हैं: उद्योग में आन्तरिक अनुसंधान तथा विकास विषय पर 13 वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन; आर. डी. आई. स्कीम के अंतर्गत 35 नए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों और 50 नए आन्तरिक 'पैटस' स्कीम के अंतर्गत, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विकास तथा प्रदर्शन की लगभग 20 नई और लगभग 65 पहले से चली आ रही परियोजनाओं को सहायता देना; प्रौद्योगिक प्रोत्साहन कार्यक्रम ('टेप्प') के अंतर्गत, अभिनव प्रौद्योगिकियों/प्रक्रियाओं के विकास के उद्देश्य से प्रारंभ की गई लगभग 30 परियोजनाओं को समर्थन दिया गया; विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्रों तथा मूल्य-योजित पेटेंट सूचना प्रणाली (वी एपी आई एस- 'वापिस') को सहायता दी गई; विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली (निस्सात) स्कीम के अंतर्गत अनुसंधान तथा विकास और शैक्षिक संस्थाओं में सेवाएं दी गई; जैव-विकारों (बायो-डीग्रेडेबल) प्लास्टिक बालरंगने के पाउडर के निर्माण जैसी प्रौद्योगिकियों को लाइसेंस देना; मिश्र में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्कों की स्थापना के लिए मिश्र की सरकार के साथ करार पर हस्ताक्षर करना; अति उच्च कार्य कुशलता (अल्ट्रा हाईएफिशेंसी) (यू

एच ई) वाले सौर सेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग के प्रोसेस का विकास करना।

वर्ष 2000-01 के लिए प्रमुख कार्यक्रम

26. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर) निर्धारित क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के कार्यकलापों को जारी रखेगी और मूल्य-योजित सेवाएं न केवल उद्योग को बल्कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को देती रहेगी। बहुवधि भूमिका वाले हलके परिवहन विमान के आद्यरूप (प्रोटोटाइप) के प्रथम विकासात्मक उड़ान परीक्षण पर विशेष बल दिया जाएगा। राष्ट्रीय वायु अंतरिक्ष प्रयोगशाला (एन ए एल) में उपलब्ध राष्ट्रीय ट्राइसेनिक तथा एयरो डायनेमिक फैसिलिटी के परिवर्धन का कार्य उसकी उत्पादकता तथा डाटा संबंधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया जाएगा। डी एन ए अभिलेखन; जैव-रासायनिक प्रसंस्करण; पायरेथाइड की तंत्रिका-विषालुता; क्विनाल फॉस और लिंडेन; इम्यूनोजेनेटिक्स और मोलिक्यूलर औषधियाँ; सजावटी फसलों का प्रारंभ, विशेषता-चित्रण, सुधार और व्यवसायीकरण; पहाड़ी क्षेत्रों की चाय की गुणवत्ता की उत्पादकता में सुधार; पौधों से उत्पन्न गोंद से रसायन; इंजीनियरी प्रधान रासायनिक प्रोसेसों का विकास; पर्यावरण उत्प्रेरक और प्रोसेस; लैक्टिक अम्ल से व्युत्पन्न जैव-विकारी पोलिमरों का विकास; जैव-सक्रिय अणुओं के व्यवसायीकरण का कार्यक्रम, भूमिगत जल संसाधनों का निधारण एवं प्रबंध; भारत के महाद्वीपीय सीमान्तों के साथ-साथ मीथेन और गैस हाइड्रेट और भूकम्प के खतरे का आकलन; ग्रीन हाउस और वायु में वाइरस जैसे नए प्राचलों की मानीटरिंग; कच्चे तेल के उत्पादन तथा परिवहन के लिए पोलिमेर सहयोज्यों का विकास; तिलहन और मसालों से मूल्य-योजित उत्पादों का विकास वैकल्पिक भवन-निर्माण सामग्रियों का विकास और औद्योगिक रद्दी का उपयोग; सड़क निर्माण में रद्दी/बची-कुची सामग्रियों का उपयोग; पुलों, मीनारों, चिमनियों आदि के विषय में वायु-सुरंगों का अध्ययन।

27. अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप ये हैं: इस्पात क्षेत्रक के लिए जीवन चक्र का निर्धारण; पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पर्यावरण संबंधी संसाधनों के संधार्य प्रबंध और मानव निवास का उन्नयन; भारत के मध्यवर्ती पश्चिमी तट के साथ-साथ कुछ चुनी हुई पारिस्थितिक प्रणालियों की समुद्री जीव-विविधता। सी एस आई आर ने वर्ष 2000-2001 की वार्षिक योजना से नई सहस्राब्दि में भारतीय प्रौद्योगिकी को नया नेतृत्व देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है; इसके अंतर्गत ऐसे नए क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा जो प्रौद्योगिकी में विश्वव्यापी नेतृत्व प्राप्त करने के राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करेंगे।

28. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अंतर्गत कुछ प्रमुख कार्यकलाप ये होंगे: उद्योग जगत में आन्तरिक अनुसंधान तथा विकास के विषय में 14 वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन; 'पैटसर' स्कीम के अंतर्गत प्रौद्योगिकी अवशोषण, विकास और प्रदर्शन की लगभग 30 नई और 70 पहले से चली आ रही परियोजनाओं को सहायता देना; प्रौद्योगिक प्रोत्साहन कार्यक्रम (टेप्प) के अंतर्गत अभिनव प्रौद्योगिकियों। प्रोसेसों के विकास के उद्देश्य वाली लगभग 30 परियोजनाओं को सहारा देना; भारतीय एस ऐण्ड टी वेबसर्वर (विज्ञान) का विकास; 'निस्सात' स्कीम के अंतर्गत इंटरनेट स्कूल और विकास क्षेत्रक-सापेक्ष वेबसाइटों की स्थापना; प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी पर आधारित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के इच्छुक वैज्ञानिकों-उद्यमियों को समर्थन; 10 अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग; विदेशों में संयुक्त उद्यम कंपनियों का संवर्धन; और एक प्रौद्योगिकी इंटरनेट कैफे प्रारंभ करना; एस पी वी के लिए झीनी फिल्म प्रौद्योगिकी का विकास; डाइइलेक्ट्रिक रेजोनेटर औसिलेटर का डिजाइन और विकास; फ़ैराइट कोर निर्माण को स्वचल बनाना, आदि।

महासागर विकास विभाग

वर्ष 1999–2000 में प्रमुख उपलब्धियाँ

29. अंटार्कटिका को 19वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका से दिसंबर 1999 में शुरू किया गया और नए अध्ययन प्रारंभ किए गए। वे मौम्वायु धारी प्रणालियों, हिम-शैल्फ के दरार-प्रसार, हिमशैल जनन की प्रक्रियाओं आदि के संबंध में थे। भारतीय महाद्वीपीय ढाल के डिमसेल मात्सिकीय संसाधनों के निर्धारण ध्वनिक सर्वेक्षण और महाजाल में मछली पकड़ने की प्रक्रिया से किया गया। छह प्रकार के समुद्री जीव उत्पाद विकास के लिए चुने गए क्योंकि इनमें एंटी डायबेटिक/ एंटी डायरियल; एंटी हाइपर लिपिडिमिक, एंटी एंग्जाइटी, एंटी-कालेस्ट्रॉल-कम, एंटी आक्सीडेंट, एंटी-बैक्टीरियल कम एंटी-फंगल और लार्वा नाशी कार्यकलापों की क्षमता थी। पानी में 500 मीटर की गहराई पर बालू की खुदाई के लिए एक अन्तर्जलीय क्रौलर का विकास किया गया और इस क्रौलर को मार्च, 2000 में तूतीकोरिन समुद्र तट से थोड़ी दूरी पर 410 मीटर गहराई तक सफलतापूर्वक उतारा गया। एक संग्राहक (कलेक्टर) और दलित्र (क्रशर) के साथ समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक काम करने वाली नोड्पूल खनन प्रणाली के डिजाइन की रिपोर्ट तैयार की गई।

30. समुद्र के तट से 0–25 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र में 11 संस्थाओं द्वारा 82 स्थानों पर प्रदूषण पर नजर रखने का काम जारी रखा गया। दो पोतों- सागर पूर्वी और सागर पश्चिमी- ने समुद्री गश्त के 24 फेरे पूरे किए। पिपावाव और मंगलोर पत्तनों के विकासात्मक कार्यकलापों के लिए आवश्यक मौसम संबंधी तथा समुद्री प्राचनों के संग्रह के लिए इन दोनों पत्तनों पर छिछले पानी में काम करने वाला एक-एक बोया इसतेमाल के लिए रखा गया। समुद्र के माध्य स्तरों में होने वाली दीर्घकालिक फेरबदल का पता तगाने के उद्देश्य से, ज्वारीय स्तर की सुव्यवस्थित तथा ठीक-ठीक मानीटरिंग करने के लिए मुंबई, पोरबंदर, गोआ, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापटनम् पारादीप कवरात्ती, मछलीपटनम् और तूतीकोरिन में 10 आधुनिक ज्वार मापी केन्द्र स्थापित किए गए।

31. प्रचालनात्मक आधार पर प्रयोक्ता-उपयोगी डाटा उत्पादों के जनन तथा प्रसार के लिए विभाग के एक स्वायत्त निकाय के रूप में फरवरी 1999 में, हैदराबाद में, एक समर्पित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा ('इनकाइस') स्थापित की गई। मछली उतारने के 170 केन्द्रों के लिए एस एस टी और पी एफ जेड नक्शों का जनन तथा वितरण का कार्य चालू रहा। चार महासागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कक्ष (ओ एस टी सी) तमिल विश्वविद्यालय, तुजवूर; अन्नमलाई विश्वविद्यालय, परंगीपेट्टई; कोचीन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोच्चि; आई आई टी खडगपुर में स्थापित किए गए। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (ए आई ओ टी) ने महासागरीय तापीय ऊर्जा संपरिवर्तन (औटेक), गहरे समुद्र की प्रौद्योगिकी और महासागरीय खनन, समुद्रतटीय और पर्यावरणिक इंजीनियरी तथा समुद्री यंत्रनिर्माण के क्षेत्रों में अपना मिशन कार्यक्रम जारी रखा।

वर्ष 2000–01 के लिए प्रमुख कार्यक्रम

32. एंटार्कटिका का 20 वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान राष्ट्रीय एंटार्कटिक महासमुद्र अनुसंधान केन्द्र (एन सी ए ओ आर) द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में, समन्वित तथा निष्पादित किया जाएगा। केपटाउन से 19 वें अभियान के समारंभ के साथ भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच विकसित

वैज्ञानिक तथा संभारीय सहयोग के फलस्वरूप, ध्रुवीय दूरसंवेदन, दक्षिणी महासागर के समुद्र विज्ञान तथा पुराजलवायु विज्ञान, ऐंटार्कटिक भूगोलीय परिवर्तन के विषयों में ध्रुवीय विज्ञानों में अत्याधुनिक अनुसंधान कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। मछली, जूएलैकटन का अनुमान लगाने के लिए तकनीकों की स्थापना; अरबसागर के बारे में बड़े पैमाने पर समुद्री परिस्थिति-प्रणाली का अध्ययन, खुले समुद्रों के मेसोपेलेजिक संसाधनों का निर्धारण; भारतीय समुद्रतटीय जलों से समुद्री जीवजगत तथा वनस्पति की पहचान एवं जैव-मूल्यांकन; मधुमेह रोधी तथा अतिसार-रोधी औषध का भेषज गुण विज्ञान तथा विषविज्ञान; कॉलेस्टेरॉल-रोधी अणु का पेटेंट करवाना; 5 किलोमीटर के क्षेत्र में स्पॉट फोटोग्राफी के साथ ग्रैब सैंपलर का इस्तेमाल करते हुए माड्यूलों का तत्काल सैम्पल तैयार करना; आई एस बी ए के लिए अतिरिक्त 20 प्रतिशत पायनियर क्षेत्र छोड़ना आदि से संबंधित कार्यकलाप आगे चालू रखे जाएंगे।

33. 6000 मीटर की गहराई के लिए 25,000 टन/ प्रतिवर्ष की क्षमता वाले एक एकीकृत खनन कम्प्लेक्स मोड्यूल के विकास का कार्य पूरा किया जाएगा। 500 किलोग्राम/ प्रतिदिन की क्षमता वाले मोड्यूलों का एक प्रयोगिक संयंत्र (पायलट प्लांट) प्रदर्शित तथा चालू किया जाएगा। 25 पैरामीटरों के लिए 82 स्थलों पर समुद्री प्रदूषण की मानीटरिंग प्रारंभ की जाएगी और तटीय जलों में प्रदूषण की मानीटरिंग के लिए जी आई एस आधारित सूचना प्रणाली अपनाई जाएगी। समुद्रतटीय अनुसंधान पोत (सी आर वी) 'सागरपूर्वी' और 'सागर पश्चिमी' पूर्वी तथा पश्चिमी दो समुद्रतटों पर प्रदूषण की मानीटरिंग के लिए 48-48 फेरे लगाएंगे।

34. डाटा बोया प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण और 12 डाटा बोया प्रणाली के प्रचालन तथा अनुरक्षण का कार्य हाथ में लिया जाएगा। पहले से चल रही 22 ओ एस टी सी अनुसंधान परियोजनाए आगे भी कार्यान्वित की जाती रहेंगी और दो नए महासागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कक्ष (ओ एस टी सी) स्थापित किए जाएंगे। महाद्वीपीय शेल्फ के रूप रेखांकन की योजना के अंतर्गत बेसलाइन, बाथीमेट्री और भूकंपीय डाटा एकत्र किए जाएंगे। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आई ओ टी) अपने मिशन कार्यक्रमों को चालू रखेगा।

35. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रक के लिए योजना परिव्यय/ व्यय का ब्योरा संलग्नक 11.1 और 11.2 में दिया गया है।

राज्य योजना के अधीन राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिव्यय / व्यय

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य / संघ	1999-2000 ब. अनु.	1999-2000 सं. अनु.
1	आंध्र प्रदेश	300.00	300.00 ••
2	अरुणाचल प्रदेश	20.00	22.00
3	असम	185.00	185.00
4	बिहार	350.00	350.00
5	गोवा	30.00	50.00
6	गुजरात	4511.00 •	4511.00 •
7	हरियाणा	180.00	80.00
8	हिमाचल प्रदेश	148.00	103.00
9	जम्मू और कश्मीर	604.15 •	76.80
10	कर्नाटक	234.00	252.49
11	केरल	1780.00 •	1780.00 •
12	मध्य प्रदेश	200.00	180.00
13	महाराष्ट्र	362.00	362.00
14	मणिपुर	85.00	85.00
15	मेघालय	93.00	155.00
16	मिजोरम	90.00	90.00
17	नागालैंड	225.00	221.00
18	उड़ीसा	526.00	404.48
19	पंजाब	306.00	310.19
20	राजस्थान	185.00	105.00
21	सिक्किम	87.00	78.00
22	तमिलनाडु	177.00	216.93
23	त्रिपुरा	43.00	43.61
24	उत्तर प्रदेश	1051.00	205.00
25	पश्चिम बंगाल	270.00	170.00
	कुल राज्य	12042.15	10336.50
	संघ राज्य क्षेत्र		
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	60.00	14.00
2	चंडीगढ़	28.00	28.00
3	दादरा और नगर हवेली	7.00	7.00
4	दिल्ली	5.00	5.00
5	दमन और दीव	9.00	9.00 ••
6	लक्षद्वीप	35.56	35.56
7	पांडिचेरी	35.00	35.00
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	179.56	133.56
	कुल जोड़	12221.71	10470.06

- पारिस्थितिकी और पर्यावरण सहित । सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 3700.00 लाख रुपये शामिल हैं।
- अनुमोदित आंकड़े दर्शाए गए हैं क्योंकि एस पी प्रभाग द्वारा संशोधित परिव्यय 1999-2000 के संबंध में अधियूचना जारी नहीं की गई है।

वैज्ञानिक विभाग के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना परिव्यय

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	विभाग	1998-99 वास्तविक	1999-2000		2000-01 ब. अ.
			ब. अ.	सं. अ.	
1.	परमाणु ऊर्जा विभाग (अनुसंधान और विकास)	243.08	325.00	334.83	420.00
2.	महासागर विकास विभाग (आई और एम सहित)	86.03	90.00	86.00	135.00
3.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	228.02 •	310.00 ••	276.53 •	362.00 ••
4.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग (आई और एम सहित)	104.46	110.00	116.87	125.00
5.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान (आई और एम सहित)	222.50	289.00	272.20	355.00
	क. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	201.10	265.00	250.00	328.00
	ख. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (आई और एम सहित)	21.40	24.00	22.20	27.00
6.	अंतरिक्ष विभाग	1165.85	1519.00	1474.61	1700.00
	जोड़	2049.94	2643.00	2561.04	3097.00

- इसमें पूंजीगत कार्य शामिल नहीं हैं।
- इसमें पूंजीगत कार्य शामिल हैं।